पंचदश माला, खंड 21, अंक 14

मंगलवार, 13 दिसम्बर, 2011
22 अग्रहायण, 1933 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
(हिन्दी संस्करण)

Gazettes & Debates Section
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 84
Dated 29 April 2014

नौवां सत्र
(पंद्रहवीं लोक सभा)

13 दिसम्बर 2011

सत्यमेव जयते

(खंड 21 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

टी. के. विश्वानाथन
महासचिव
लोक सभा

ब्रह्म दत्त
संयुक्त सचिव

नवीन चन्द्र खुल्बे
निदेशक

सरिता नागपाल
अपर निदेशक

अरुणा वशिष्ठ
संयुक्त निदेशक

सुनीता उपाध्याय
सम्पादक

रेनू बाला सूदन
सहायक सम्पादक

सुशान्त कुमार पाण्डेय
सहायक सम्पादक

© 2011 लोक सभा सचिवालय

हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलतः अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद–विवाद का मूल संस्करण देखें।

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुनः प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुनः प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक सीमित नहीं है। तथापि इस सामग्री का केवल निजी, गैर वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अन्तर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनायें सुरक्षित रहें।

विषय सूची

पंचदशमाला, खंड 21, नौवां सत्र, 2011/1933 (शक)

अंक 14, मंगलवार, 13 दिसंबर, 2011/22 अग्रहायण, 1933 (शक)

विषय	कॉलम
अध्यक्ष द्वारा उल्लेख	
13 दिसंबर, 2001 को संसद भवन पर हुए आतंकी हमले की दसवीं बरसी	1-2
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 261 से 264	2-48
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 265 से 280	48-97
अतारांकित प्रश्न संख्या 2991 से 3220	97-598
सभा पटल पर रखे गए पत्र	597-610
राज्य सभा से संदेश और राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक	610-611
प्राक्कलन समिति विवरण	
विवरण	611
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति	
16वां और 17वां प्रतिवेदन	611-612
वित्त संबंधी स्थायी समिति	
41 वें से 43वां प्रतिवेदन	612
मंत्रियों द्वारा वक्तव्य	
(एक) कृषि मंत्रालय से संबंधित 'अल्प मानसून तथा कृषि क्षेत्र पर इसके प्रभाव को कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों' के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के 11वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री शरद पवार	612-615

★ उपरोक्त सदस्य के नाम पर अंकित † चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने ही पूछा था।

(दो) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की माँगों (2010–2011) के बारे में खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के 11वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

प्रो. के. वी. थॉमस 613

कार्य मंत्रणा समिति के इकतीसवें प्रतिवेदन के संबंध में प्रस्ताव 613–614

नियम 377 के अधीन मामले 557–576

(एक) रेल विभाग में रिक्त पदों को भरे जाने तथा भारतीय रेल के प्रचालन और सुरक्षा उपायों की कार्यकुशलता में सुधार किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती इन्ग्रिड मैकलोड 614–615

(दो) आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में संदूषित पेयजल की समस्या के बारे में अध्ययन किए जाने तथा जिले के लोगों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जल योजनाओं हेतु धनराशि प्रदान किए जाने की आवश्यकता

डॉ. क्रुपारानी किल्ली 615–616

(तीन) दिल्ली के उत्तर पूर्व दिल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वालों के लिए राजीव आवास योजना आरंभ किए जाने की आवश्यकता

श्री जय प्रकाश अग्रवाल 616

(चार) देश में कृषकों के समक्ष आ रही समस्याओं के निवारण के लिए फसल सुरक्षा कोष स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री एंटो एंटोनी 616–617

(पांच) शिक्षा का अधिकार अधिनियम की भावना के अनुरूप देश में प्रत्येक बालक को शिक्षा मुहैया कराने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री जगदीश ठाकुर 617–618

(छह) विशाखापत्तनम स्टील प्लांट में फ्रंट लाइन एक्जिक्यूटिव्स (जेओ–ई4) के संबंध में वेतन में अनियमितताओं को दूर करने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री एल. राजगोपाल 618–619

(सात) भोपाल यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के जहरीले अपशिष्ट को डीआरडीओ संयंत्र, नागपुर में नष्ट किए जाने के निर्णय की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री विलास मुत्तेमवार 619

(आठ) मध्य प्रदेश के ग्वालियर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में, कृषकों को डीएपी, यूरिया और एनपीके उर्वरकों की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया 619–620

(नौ) झारखण्ड के बोकारो जिले में पर्वतपुर में आबंटित कोयला ब्लॉकों का विधिसम्मत उपयोग सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय 620

(दस) महाराष्ट्र के अहमदनगर में हवाई अड्डा बनाए जाने की आवश्यकता

श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गाँधी 620-621

(ग्यारह) देश में केन्द्रीय सिविल सेवकों को मुहैया करायी गयी आवास और तत्संबंधी सुविधाओं के बारे में दिशानिर्देश बनाए जाने की आवश्यकता

श्री राजेन्द्र अग्रवाल 621

(बारह) इटावा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के उन किसानों, जिनकी भूमि नई दिल्ली हावड़ा रेल लाइन के निर्माण के लिए अर्जित की गई है, को पर्याप्त प्रतिपूर्ति प्रदान कराए जाने की आवश्यकता

श्री प्रेमदास 621-622

(तेरह) कृषकों को सीधे राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से ऋण का वितरण करने की व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता

श्री सुरेन्द्र सिंह नागर 622

(चौदह) आरा और सासाराम के बीच संझौली हाल्ट स्टेशन का एक पूर्ण रेलवे स्टेशन के रूप में उन्नयन किए जाने की आवश्यकता

श्री महाबली सिंह 622

(पंद्रह) तमिलनाडु के कृष्णागिरि संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के होसूर में एक नया केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता

श्री ई. जी. सुगावनम 623

(सौलह) चेन्नई पोर्ट और चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड रिफाइनरी के बीच कच्चे तेल की नई पाइप लाइन बिछाने के लिए पर्यावरण संबंधी मंजूरी शीघ्र प्रदान किए जाने की आवश्यकता

डॉ. पी. वेणुगोपाल 623-624

(सत्रह) बीएसएनएल के कटक दूरसंचार डिवीजन की पारादीप, तिरतोल और कुजांग उप-डिवीजनों में कार्यरत ठेका और अस्थायी मजदूरों की समस्याओं का निवारण किए जाने की आवश्यकता

श्री बिभू प्रसाद तराई 624-625

(अठारह) सिक्किम और तिब्बत के बीच नाथूला सीमा से होने वाले वाणिज्य और व्यापार में तेजी लाने हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री प्रेमदास राय 625

केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2011

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्रीमती अम्बिका सोनी 626-627, 667-673

श्री राजेन्द्र अग्रवाल 627-631

श्री इज्यराज सिंह 632-640

श्री शैलेन्द्र कुमार 640-643

श्री रमाशंकर राजभर 643-644

श्री महेश्वर हजारी 644-646

श्री पी.के. बिजू 646-648

श्री तथागत सत्पथी 648-652

डॉ. रत्ना डे 652-653

डॉ. संजीव गणेश नाईक 653-655

श्री पी. कुमार 655-656

श्री नामा नागेश्वर राव 656-658

श्री प्रबोध पांडा 658-660

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह 660-661

श्री संजय निरूपम 661-665

श्री कामेश्वर बैठा 665-666

श्रीमती पुतुल कुमारी 666-667

खंड 2 से 13 और 1 674

पारित करने के लिए प्रस्ताव 674

अनुपूरक अनुदानों की माँगे (रेल) 2011-2012

श्री हुक्मदेव नारायण यादव 675-685

श्री भक्तचरण दास 685-693

श्री रेवती रमण सिंह 694-695

श्री दारा सिंह चौहान 695-700

श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ल	700-701
श्री शैलेन्द्र कुमार	701-702
श्री एस. सेम्मलई	702-704
श्री ओ. एस. मणियन	704-706
श्री पी. लिंगम	706-707
श्री जोस. के. मणि	707-709
श्री विश्व मोहन कुमार	709-711
श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण	711-713
श्री पकौड़ी लाल	713
डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी	713-714
श्री टी. के. एस. इलेंगोवन	714-716
श्री शिवराम गौडा	716-717
श्री एम. बी. राजेश	717-721
श्री नारनभाई कछाड़िया	721-722
श्री वीरेन्द्र कुमार	722-723
श्रीमती पूनम वेलजीभाई जाट	723-724
श्री के. सुगुमार	724-726
श्री पी. कुमार	726-729
श्री आनंद प्रकाश परांजपे	730-731
श्री कपिल मुनि करवारिया	731-732
श्रीमती जयश्रीबेन पटेल	732-733
श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी	733-735
श्री ई. जी. सुगावनम	735-737
श्री सी. राजेन्द्रन	737-741
श्री के. सी. सिंह 'बाबा'	741-742
श्रीमती ज्योति धुर्वे	743

डॉ. चार्ल्स डिएस 743-744

श्री प्रबोध पांडा 744-747

श्री कमलेश बाल्मीकि 747

श्री अर्जुन राम मेघवाल 747-748

श्री जगदानंद सिंह 748-753

श्री उदय प्रताप सिंह 753

श्री कौशलेन्द्र कुमार 754-755

श्री आर. थामराईसेलवन 755-757

श्री नामा नागेश्वर राव 757-759

श्री एस. एस. रामासुब्बू 759-761

श्री भर्तृहरि महताब 761-765

श्री ए. के. एस. विजयन 765-770

डॉ. संजीव गणेश नाईक 770-771

श्रीमती रमा देवी 771-773

श्री एच. डी. देवेगौड़ा 773-779

श्रीमती विजया चक्रवर्ती 779-783

श्री खिलाड़ी लाल बैरवा 783-784

श्री ए. सम्पत 784-786

श्री ए. टी. नाना पाटील 787-789

श्री पन्ना लाल पुनिया 789-793

श्री राम सिंह कस्वां 793-794

श्री भूदेव चौधरी 794-796

श्री रामकिशुन 796-798

श्री हंसराज गं. अहीर 798-800

श्री जगदीश सिंह राणा 800

श्री शरीफुद्दीन शारिक 800-803

श्री पी. सी. मोहन 803

श्री रतन सिंह 803-804

श्री मदन लाल शर्मा 804-806

श्री कामेश्वर बैठा 806-807

श्री नरहरि महतो 807-809

श्री ई. टी. मोहम्मद बशीर 809-811

श्री निखिल कुमार चौधरी 811-813

श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी 813-817

श्री गोपाल सिंह शेखावत 817

श्री हरीश चौधरी 817-820

श्री ब्रदीराम जाखड़ 820-821

श्री पी. करूणाकरन 821-823

श्री रघुवीर सिंह मीणा 823-825

श्रीमती पुतुल कुमारी 825-827

श्री विष्णु पद राय 827-829

श्री तिरूमावलावन थोल 829-831

श्री एम. के. राघवन 831-834

डॉ. तरूण मंडल 834-853

श्रीमती संतोष चौधरी 836

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह 836-838

श्री क़मल किशोर 'कमांडो' 838-840

डॉ. रत्ना डे 840

श्री देवजी एम. पटेल 840-843

श्री प्रेमदास 843

श्री गोरखनाथ पाण्डेय 843-844

श्री प्रहलाद जोशी 844-849

श्री सज्जन वर्मा 849-851

श्री श्रीपाद येसो नाईक 851-852

श्री नीरज शेखर 853

श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य 355-856

श्री राकेश पाण्डेय 856-857

श्री मधुसूदन पाण्डेय 857-858

श्री प्रताप सिंह बाजवा 858-862

श्री जगदीश शर्मा 862

कुमारी मीनाक्षी नटराजन 862-863

श्री घनश्यांम अनुरागी 863-864

श्री वीरेन्द्र कश्यप 864-865

श्री महाबल मिश्रा 865

श्री राकेश सिंह 865-866

श्री प्रदीप माझी 867

अनुबंध–I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य–वार अनुक्रमणिका 885-886

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य–वार अनुक्रमणिका 886-898

अनुबंध–II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय–वार अनुक्रमणिका 899-900

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय–वार अनुक्रमणिका 899-902

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती मीरा कुमार

उपाध्यक्ष

श्री कड़िया मुंडा

सभापति तालिका

श्री बसुदेव आचार्य

श्री पी. सी. चाको

श्रीमती सुमित्रा महाजन

श्री इन्दर सिंह नामधारी

श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना

श्री अर्जुन चरण सेठी

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह

डॉ. एम. तम्बिदुरई

डॉ. गिरिजा व्यास

श्री सतपाल महाराज

महासचिव

श्री टी. के. विश्वानाथन

लोक सभा

मंगलवार, 13 दिसंबर, 2011/22 अग्रहायण, 1933 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदया** *पीठासीन हुईं*]

अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

13 दिसंबर, 2001 को संसद भवन पर हुए आतंकी हमले की दसवीं बरसी

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्यों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दस वर्ष पूर्व 13 दिसंबर, 2001 को हमारी लोकतांत्रिक राजव्यवस्था का मंदिर भारतीय संसद एक कायरतापूर्ण आतंकवादी हमले का निशाना बनी थी।

संसद भवन परिसर की रक्षा कर रहे सतर्क सुरक्षा बलों ने इस हमले को विफल कर दिया। दिल्ली पुलिस के पांच सुरक्षाकर्मी, ए एस आई, नानकचंद, ए एस आई, रामपाल, हैड कांस्टेबल, ओम प्रकाश, हैड कांस्टेबल, बिजेन्दर सिंह, हैड कांस्टेबल, घनश्याम, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक महिला कांस्टेबल, कमलेश कुमारी और संसद सुरक्षा सेवा के दो सुरक्षा सहायकों, जगदीश प्रसाद यादव और मातबर सिंह नेगी ने वीरतापूर्वक हमले को विफल करते हुए अपना बलिदान दिया। एक श्री देसराज भी मारा गया था।

सभा 13 दिसंबर, 2001 को हुए आतंकवादी हमले के दौरान संसद की रक्षा करते हुए अपनी जान न्यौछावर करने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करती है और उनके परिवारों के प्रति सहानुभूति प्रकट करती है।

इस अवसर पर, हम संकल्प लें कि सभी प्रकार के आतंकवाद के खतरों से निपटने के अपने प्रयासों में तेजी लाएं और अपनी मातृभूमि की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने की अपनी प्रतिज्ञा को पुनः दोहराएं।

इस अवसर की गरिमा को ध्यान में रखते हुए अब सदस्य थोड़ी देर के लिए मौन खड़े होंगे।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : कृपया आप बैठ जाइए। आप इसे नीचे कीजिये, सदन में यह सब नहीं लाते हैं!

पूर्वाह्न 11.04 बजे

इस समय डॉ. मन्दा जगन्नाथ और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गए।

पूर्वाह्न 11.05 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न संख्या 261, श्री के. सुगुमार।

टेलीविजन के चैनलों की निगरानी

***261. श्री के. सुगुमार** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में अनेक निजी सैटेलाइट टेलीविजन चैनल अन्य देशों में अपलिंकिंग सुविधा लेकर कार्यक्रमों का प्रसारण कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त चैनलों का भाषा-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार देश में प्रसारित कार्यक्रमों की विषय-वस्तु की निगरानी करती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कतिपय राज्य सरकारों ने क्षेत्रीय भाषाओं में या तो अपने स्वयं के चैनलों को शुरू कर दिया है या शुरू करने की प्रक्रिया में है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) से (ड़) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

सरकार ने विदेशों से अपलिंक किए जाने वाले 89 चैनलों को भारत में डाऊनलिंक करने के लिए डाउनलिंकिंग दिशानिर्देशों के अंतर्गत अनुमति प्रदान की है। तत्संबंधी ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

समाचार चैनलों सहित प्राइवेट सैटेलाइट टीवी चैनलों द्वारा कार्यक्रमों के प्रसारण को केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार विनियमित किया जाता है। उक्त अधिनियम में ऐसे टीवी चैनलों पर प्रसारित कार्यक्रमों की किसी प्रकार की कोई पूर्व-सेंसरशिप का प्रावधान नहीं है। तथापि, ऐसे सभी कार्यक्रमों के लिए उक्त अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित कार्यक्रम संहिता का कड़ाई से अनुपालन करना आवश्यक होता है। सरकार ने कार्यक्रम संहिता के संदर्भ में प्राइवेट सैटेलाइट टेलीविजन चैनलों द्वारा प्रसारित कार्यक्रमों की निगरानी करने के उद्देश्य से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनीटरिंग केंद्र (ईएमएमसी) की स्थापना की है। कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिताओं के उल्लंघनों के विरुद्ध प्राप्त होने वाली विशिष्ट शिकायतों की जांच करने अथवा स्व-प्रेरणा से उनका संज्ञान लेने के लिए एक अंतर-मंत्रालयीय समिति का भी गठन किया गया है। उन मामलों में जिनमें उल्लंघन सत्यापित हो जाता है, उक्त अधिनियम के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

प्रसारकों ने प्रसारण विषय-वस्तु को विनियमित करने के लिए स्व-विनियामक तंत्र की स्थापना करने हेतु भी कदम उठाए हैं। इस दिशा में, गैर-समाचार एवं समाचार सैटेलाइट टीवी चैनलों के कतिपय निजी प्रसारकों के संबंधित प्रतिनिध्यात्मक निकायों, भारतीय प्रसारण प्रतिष्ठान और समाचार प्रसारक संघ, दोनों ने इन चैनलों के मामले में विषय-वस्तु से संबंधित शिकायतों पर विचार करने के लिए केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियम) अधिनियम, 1995 का अनुसरण करने वाली परिभाषित कार्यक्रम विषय-वस्तु संहिताओं के साथ स्व-विनियमन तंत्रों की स्थापना की है।

टीवी चैनलों की अपलिंकिंग व डाउनलिंकिंग के लिए दिशानिर्देशों में परिकल्पित पात्रता संबंधी मापदंडों के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां ही अनुमति दिए जाने के लिए पात्र हैं। इसलिए, कोई भी राज्य सरकार ऐसी अनुमति प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं है।

अनुबंध

डानलिंकिंग दिशानिर्देशों के अन्तर्गत भारत में डाउनलिंकिंग हेतु अन्य देशों से अपलिंक किए गए चैनलों का ब्यौरा

क्र. सं.	चैनल का नाम	कंपनी का नाम	श्रेणी	डानलिंकिंग	भाषा	अनुमति की तारीख
1	2	3	4	5	6	7
1.	एमट्यून्स	एंटरटेमेंट टेलीविजन नेटवर्क प्रा. लि.	गैर-समाचार	डाउनलिंकिंग	हिंदी/अंग्रेजी/पंजाबी	22.12.2006
2.	बी टीवी	एसपीवी कम्युनिकेशन्स इंडिया लि.	गैर-समाचार	डाउनलिंकिंग	मलयालम/हिंदी/ तमिल/कन्नड/तेलुगु	27.17.2006
3.	बीबीसी एंटरटेनमेंट	बीबीसी वर्ल्ड इंडिया प्रा. लि.	गैर-समाचार	डाउनलिंकिंग	अंग्रेजी	23.03.2007
4.	सी बीबिज	बीबीसीडब्ल्यू चैनल प्रा. लि.	गैर-समाचार	डाउनलिंकिंग	अंग्रेजी	23.03.2007
5.	स्टार क्रिकेट	ईएसपीएन सॉफ्टवेयर इंडिया प्रा. लि.	गैर-समाचार	डाउनलिंकिंग	अंग्रेजी/हिंदी	28.06.2007

1	2	3	4	5	6	7
6.	मेरिन बिज टीवी	एरिज टेलीकास्टिंग प्रा. लि.	गैर–समाचार	डाउनलिंकिंग	अंग्रेजी	29.11.2007
7.	टीबीएन चैनल	न्यू वे विजुअल मीडिया प्रा. लि.	गैर–समाचार	डाउनलिंकिंग	अंग्रेजी	20.12.2007
8.	सीसीटीवी न्यूज	ईएसएसईएल श्याम कम्युनिकेशन लि.	समाचार	डाउनलिंकिंग	अंग्रेजी	07.01.2008
9.	केबीएस वर्ल्ड	नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नॉलोजी पार्क लि.	समाचार	डाउनलिंकिंग	कोरियाई/अंग्रेजी	11.01.2008
10.	जी केफ	जी एंटरटेंमेंट एंटरप्राइजेज लि.	गैर–समाचार	डाउनलिंकिंग	अंग्रेजी	31.01.2008
11.	जी स्टूडियो	जी एंटरटेंमेंट एंटरप्राइजेज लि.	गैर–समाचार	डाउनलिंकिंग	अंग्रेजी/हिंदी	31.01.2008
12.	जी ट्रेन्ड्ज	जी एंटरटेंमेंट एंटरप्राइजेज	गैर–समाचार	डाउनलिंकिंग	अंग्रेजी	31.01.2008
13.	बी4यू मूवीज	बी4यू टेलीविजन नेटवर्क इंडिया प्रा. लि.	गैर–समाचार	डाउनलिंकिंग	अंग्रेजी	04.02.2008
14.	बी4यू म्यूजिक	बी4यू टेलीविजन नेटवर्क इंडिया प्रा. लि.	गैर–समाचार	डाउनलिंकिंग	अंग्रेजी/हिंदी	04.02.2008
15.	गॉड टीवी	ऐंजिल मीडिया नेटवर्क प्रा. लि.	गैर–समाचार	डाउनलिंकिंग	अंग्रेजी/हिंदी/तमिल	07.02.2008
16.	डीडब्ल्यू टीवी	कैबसैट चैनल्स प्रा. लि.	समाचार	डाउनलिंकिंग	जर्मन/अंग्रेजी	11.02.2008
17.	डेस्टार टेलीविजन नेटवर्क	डेस्टार टेलीविजन नेटवर्क इंडिया प्रा. लि.	गैर–समाचार	डाउनलिंकिंग	अंग्रेजी	15.02.2008
18.	ऑस्ट्रेलिया नेटवर्क	सेटप्रो 18 डिस्ट्रीब्यूशन प्रा. लि.	समाचार	डाउनलिंकिंग	अंग्रेजी	15.02.2008
19.	माना तेलुगु	नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नॉलोजी पार्क लि.	गैर–समाचार	डाउनलिंकिंग	अंग्रेजी/तेलुगु/सभी भारतीय अनुसूचित भाषाएं	29.02.2008
20.	एनएचके वर्ल्ड टीवी	नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नॉलोजी पार्क लि.	समाचार	डाउनलिंकिंग	अंग्रेजी/जापानी	25.03.2008

1	2	3	4	5	6	7
21.	एनएचके वर्ल्ड टीवी	नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नॉलोजी पार्क लि.	समाचार	डाउनलिंकिंग	अंग्रेजी/जापानी	26.03.2008
22.	टेन स्पोर्ट्स	ताज टेलीविजन (इंडिया) प्रा. लि.	गैर–समाचार	डाउनलिंकिंग	अंग्रेजी	27.03.2008
23.	चैनल न्यूज एशिया इंटरनेशनल	एमसीएन इंटरनेशनल इंडिया प्रा. लि.	समाचार	डाउनलिंकिंग	अंग्रेजी	07.04.2008
24.	एनिमल प्लानेट	डिस्कवरी कम्युनिकेशंस इंडिया प्रा. लि.	गैर–समाचार	डाउनलिंकिंग	अंग्रेजी/हिंदी	12.05.2008
25.	डिस्कवरी चैनल	डिस्कवरी कम्युनिकेशंस इंडिया प्रा. लि.	गैर–समाचार	डाउनलिंकिंग	अंग्रेजी, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, मराठी और बंगाली भाषाएं	12.05.2008
26	टीएलसी	डिस्कवरी कम्युनिकेशंस इंडिया प्रा. लि.	गैर–समाचार	डाउनलिंकिंग	अंग्रेजी, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, मराठी और बंगाली	12.05.2008
27.	फॉक्स ट्रैवलर चैनल (फॉक्स हिस्ट्री एंड ट्रैवलर) फॉक्स हिस्ट्री एंड एंटरटेंमेंट	एनजीसी नेटवर्क इंडिया प्रा. लि.	गैर–समाचार	डाउनलिंकिंग	अंग्रेजी/हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं	16.05.2008
28.	नेशनल जियोग्राफिक	एनजीसी नेटवर्क इंडिया प्रा. लि.	गैर–समाचार	डाउनलिंकिंग	अंग्रेजी/हिंदी/क्षेत्रीय भाषाएं	16.05.2008
29.	द एमजीएम	एमजीएम प्रोग्रामिंग सर्विसेज इंडिया प्रा. लि.	गैर–समाचार	डाउनलिंकिंग	अंग्रेजी	30.05.2008
30.	एनिमैक्स	मल्टी स्क्रीन मीडिया प्रा. लि.	गैर–समाचार	डाउनलिंकिंग	अंग्रेजी	05.06.2008
31.	एएक्सएन	मल्टी स्क्रीन मीडिया प्रा. लि.	गैर–समाचार	डाउनलिंकिंग	अंग्रेजी/हिंदी/और अन्य भारतीय भाषाएं	05.06.2008
32.	चैनल इंटरनेशनल	स्टार इंटरनेशनल नेटवर्क प्रा. लि.	गैर–समाचार	डाउनलिंकिंग	अंग्रेजी	05.06.2008
33.	टीवी 5 मोंड	कैटविजन प्रोडक्ट्स प्रा. लि.	समाचार	डाउनलिंकिंग	फ्रेंच	05.06.2008

1	2	3	4	5	6	7
34.	सैट मैक्स	मल्टी स्क्रीन मीडिया प्रा. लि.	गैर–समाचार	डाउनलिंकिंग	अंग्रेजी/हिंदी/और अन्य भारतीय भाषाएं	05.06.2008
35	सैट पिक्स	मल्टी स्क्रीन मीडिया प्रा. लि.	गैर–समाचार	डाउनलिंकिंग	अंग्रेजी/हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं	05.06.2008
36.	एसएबी	मल्टी स्क्रीन मीडिया प्रा. लि.	गैर–समाचार	डाउनलिंकिंग	अंग्रेजी/हिंदी/और अन्य भारतीय भाषाएं	05.06.2008
37.	सोनी एंटरटेंमेंट टेलीविजन सैट	मल्टी स्क्रीन मीडिया प्रा. लि.	गैर–समाचार	डाउनलिंकिंग	अंग्रेजी/हिंदी/और अन्य भारतीय भाषाएं	05.06.2008
38.	सीएनएन इंटरनेशनल	आईबीएन 18 ब्रॉडकास्ट लि.	समाचार	डाउनलिंकिंग	अंग्रेजी	13.06.2008
39.	बूमरैंग	टर्नर इंटरनेशनल इंडिया प्रा. लि.	गैर–समाचार	डाउनलिंकिंग	अंग्रेजी	13.06.2008
40.	टीसीएम टर्नर क्लासिक मूविज	टर्नर इंटरनेशनल इंडिया प्रा. लि.	गैर–समाचार	डाउनलिंकिंग	अंग्रेजी	13.06.2008
41.	पोगो	टर्नर इंटरनेशनल इंडिया प्रा. लि.	गैर–समाचार	डाउनलिंकिंग	अंग्रेजी/हिंदी	13.06.2008
42.	कार्टून नेटवर्क	टर्नर इंटरनेशनल इंडिया प्रा. लि.	गैर–समाचार	डाउनलिंकिंग	अंग्रेजी/हिंदी	13.06.2008
43.	ईएसपीएन	ईएसपीएन सॉफ्टवेयर इंडिया प्रा. लि.	गैर–समाचार	डाउनलिंकिंग	अंग्रेजी/हिंदी	20.06.2008
44.	स्टार स्पोर्ट्स	ईएसपीएन सॉफ्टवेयर इंडिया प्रा. लि.	गैर–समाचार	डाउनलिंकिंग	अंग्रेजी/हिंदी	26.06.2008
45.	टून डिजनी	द वाल्ट डिजनी कंपनी इंडिया प्रा. लि.	गैर–समाचार	डाउनलिंकिंग	अंग्रेजी, हिंदी, तमिल, और तेलुगु भाषाएं	08.07.2008
46.	बीबीसी वर्ल्ड	बीबीसी वर्ल्ड इंडिया प्रा. लि.	समाचार	डाउनलिंकिंग	अंग्रेजी	08.07.2008
47.	एचबीओ	टर्नर इंटरनेशनल इंडिया प्रा. लि.	गैर–समाचार	डाउनलिंकिंग	अंग्रेजी	08.07.2008
48.	डिजनी चैनल	द वाल्ट डिजनी कंपनी इंडिया प्रा. लि.	गैर–समाचार	डाउनलिंकिंग	अंग्रेजी/हिंदी/तेलुगु भाषाएं	08.07.2008

1	2	3	4	5	6	7
49.	अरिरंग टीवी	प्लानेट ई-शॉप होल्डिंग इंडिया लिमिटेड	समाचार	डाउनलिंकिंग	अंग्रेजी	06.08.2008
50.	ब्लूमबर्ग टेलीविजन एशिया-पैसिफिक फीड	ब्लूमबर्ग टेलीविजन प्रोड्क्शन सर्विसेज प्रा. लि.	समाचार	डाउनलिंकिंग	अंग्रेजी	10.09.2008
51.	वॉयजेज टेलीविजन	निओन साल्यूशन प्रा. लि.	गैर-समाचार	डाउनलिंकिंग	अंग्रेजी	11.09.2008
52.	एफटीवी. कॉम इंडिया	निओन साल्यूशन प्रा. लि.	गैर-समाचार	डाउनलिंकिंग	अंग्रेजी	11.09.2008
53.	मिरकलनेट	प्लानेट ई-शॉप होल्डिंग इंडिया लिमिटेड	गैर-समाचार	डाउनलिंकिंग	अंग्रेजी/हिंदी/तमिल/तेलुगु/मलयालम	06.11.2008
54.	रसिया टुडे	लम्हाज सैटेलाइट सर्विसेज लि.	गैर-समाचार	डाउनलिंकिंग	अंग्रेजी	10.12.2008
55.	रियल टीवी	रियल ग्लोबल ब्रॉडकास्टिंग प्रा. लि.	समाचार	डाउनलिंकिंग	अंग्रेजी	10.12.2008
56.	बेबी टीवी	फॉक्स चैनल्स इंडिया प्रा. लि.	गैर-समाचार	डाउनलिंकिंग	अंग्रेजी/हिंदी क्षेत्रीय भाषाए	04.02.2009
57.	फॉक्स क्राइम	फॉक्स चैनल्स इंडिया प्रा. लि.	गैर-समाचार	डाउनलिंकिंग	अंग्रेजी/हिंदी/अन्य क्षेत्रीय भाषाएं	04.02.2009
58.	एफएक्स	फॉक्स चैनल्स इंडिया प्रा. लि.	गैर-समाचार	डाउनलिंकिंग	अंग्रेजी/हिंदी क्षेत्रीय भाषाएं	04.02.2009
59.	डब्ल्यूबी	टर्नर इंटरनेशनल इंडिया प्रा. लि.	गैर-समाचार	डाउनलिंकिंग	अंग्रेजी	05.02.2009
60.	नेट जिओ वाइल्ड	फॉक्स चैनल्स इंडिया प्रा. लि.	गैर-समाचार	डाउनलिंकिंग	अंग्रेजी/हिंदी/क्षेत्रीय भाषाएं	02.07.2009
61.	नेट जिओ म्यूजिक	फॉक्स चैनल्स इंडिया प्रा. लि.	गैर-समाचार	डाउनलिंकिंग	अंग्रेजी/हिंदी/क्षेत्रीय भाषाएं	02.07.2009
62.	नेट जिओ एडवेंचर	फॉक्स चैनल्स इंडिया प्रा. लि.	गैर-समाचार	डाउनलिंकिंग	अंग्रेजी/हिंदी/क्षेत्रीय भाषाएं	02.07.2009

1	2	3	4	5	6	7
63.	नेशनल जिओग्राफिक एचडी	फॉक्स चैनल्स इंडिया प्रा. लि.	गैर–समाचार	डाउनलिंकिंग	अंग्रेजी/हिंदी/क्षेत्रीय भाषाएं	02.07.2009
64.	फ्रेश टीवी	रामा एसोशिएट्स लि.	गैर–समाचार	डाउनलिंकिंग	अंग्रेजी	06.07.2009
65.	डिस्कवरी एचडी	डिस्कवरी कम्युनिकेशंस इंडिया प्रा. लि.	गैर–समाचार	डाउनलिंकिंग	अंग्रेजी/हिंदी	10.08.2009
66.	डिस्कवरी साइंस	डिस्कवरी कम्युनिकेशंस इंडिया प्रा. लि.	गैर–समाचार	डाउनलिंकिंग	अंग्रेजी/हिंदी	10.08.2009
67.	डिस्कवरी टर्बो	डिस्कवरी कम्युनिकेशंस इंडिया प्रा. लि.	गैर–समाचार	डाउनलिंकिंग	अंग्रेजी/हिंदी	10.08.2009
68.	होप टीवी	नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नॉलोजी पार्क लि.	गैर–समाचार	डाउनलिंकिंग	अंग्रेजी, तमिल, हिंदी, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़	11.11.2009
69.	ईएसपी न्यूज	ईएसपीएन सॉफ्टवेयर इंडिया प्रा. लि.	समाचार	डाउनलिंकिंग	अंग्रेजी	21.10.2010
70.	फ्रांस 24	कैट विजन प्रोडक्ट्स लि.	समाचार	डाउनलिंकिंग	फ्रेंच	03.12.2010
71.	अल जजीरा इंग्लिश	अजी इंटरनेशनल प्रा. लि.	समाचार	डाउनलिंकिंग	अंग्रेजी	03.12.2010
72.	ग्रैंडा टीवी	न्यू दिल्ली टेलीविजन लि.	गैर–समाचार	डाउनलिंकिंग	हिंदी/अंग्रेजी	22.12.2010
73.	ट्रेस टीवी	न्यू दिल्ली टेलीविजन लि.	गैर–समाचार	डाउनलिंकिंग	हिंदी/अंग्रेजी	22.12.2010
74.	ईएसपीएन एचडी	ईएसपीएन सॉफ्टवेयर इंडिया प्रा. लि.	गैर–समाचार	डाउनलिंकिंग	अंग्रेजी	23.12.2010
75.	स्टार क्रिकेट एचडी	ईएसपीएन सॉफ्टवेयर इंडिया प्रा. लि.	गैर–समाचार	डाउनलिंकिंग	अंग्रेजी	24.05.2011
76.	यूरो न्यूज	एक्सेल श्याम कम्युनिकेशन लि.	समाचार	डाउनलिंकिंग	अंग्रेजी	30.05.2011
77.	नेट जिओ वाइल्ड एचडी	फॉक्स चैनल्स इंडिया प्रा. लि.	गैर–समाचार	डाउनलिंकिंग	अंग्रेजी, हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाएं	30.05.2011

1	2	3	4	5	6	7
78.	नेट जिओ एडवेंचर एचडी	फॉक्स चैनल्स इंडिया प्रा. लि.	गैर–समाचार	डाउनलिंकिंग	अंग्रेजी, हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाएं	30.05.2011
79.	डिस्कवरी चैनल तमिल	डिस्कवरी कम्युनिकेशंस इंडिया प्रा. लि.	गैर–समाचार	डाउनलिंकिंग	तमिल	01.06.2011
80.	डिस्कवरी होम एंड हैल्थ	डिस्कवरी कम्युनिकेशंस इंडिया प्रा. लि.	गैर–समाचार	डाउनलिंकिंग	अंग्रेजी/हिंदी और भारत की अन्य स्थानीय भाषाएं	06.01.2011
81.	डिस्कवरी 3डी नेट	डिस्कवरी कम्युनिकेशंस इंडिया प्रा. लि.	गैर–सामचार	डाउनलिंकिंग	अंग्रेजी/हिंदी और भारत की अन्य स्थानीय भाषाएं	01.06.2011
82.	आईडी इनवेस्टीगेशन डिस्कवरी	डिस्कवरी कम्युनिकेशंस इंडिया प्रा. लि.	गैर–समाचार	डाउनलिंकिंग	अंग्रेजी/हिंदी और भारत की अन्य स्थानीय भाषाएं	01.06.2011
83.	मिलिट्री चैनल	डिस्कवरी कम्युनिकेशंस इंडिया प्रा. लि.	गैर–समाचार	डाउनलिंकिंग	अंग्रेजी/हिंदी और भारत की अन्य स्थानीय भाषाएं	01.06.2011
84.	डिस्कवरी किड्स चैनल	डिस्कवरी कम्युनिकेशंस इंडिया प्रा. लि.	गैर–समाचार	डाउनलिंकिंग	हिंदी/अंग्रेजी और भारत की अन्य स्थानीय भाषाएं	01.06.2011
85.	सिक्स	मल्टी स्क्रीन मीडिया प्रा. लि.	गैर–समाचार	डाउनलिंकिंग	हिंदी, अंग्रेजी और अन्य भारतीय भाषाएं	18.07.2011
86.	मिक्स	मल्टी स्क्रीन मीडिया प्रा. लि.	गैर–समाचार	डाउनलिंकिंग	हिंदी, अंग्रेजी और अन्य भारतीय भाषाएं	18.07.2011
87.	टेन एचडी	ताज टेलीविजन (इंडिया) प्रा. लि.	गैर–समाचार	डाउनलिंकिंग	अंग्रेजी	03.10.2011
88.	टेन गोल्फ	ताज टेलीविजन (इंडिया) प्रा. लि.	गैर–समाचार	डाउनलिंकिंग	हिंदी और अंग्रेजी (बहु–भाषायी)	04.10.2011
89	टेबल चैनल	ट्रेवल चैनल इंडिया प्रा. लि.	गैर–समाचार	डाउनलिंकिंग	अंग्रेजी	08.11.2011

श्री के. सुगुमार : अध्यक्ष महोदया, जैसा कि आप जानती हैं कि भारत मूल्यों का देश है और हम सांस्कृतिक, सामाजिक मूल्यों आदि को अत्यधिक महत्व देते हैं, लेकिन हम अपने परिवार के सदस्यों के साथ टेलीविजन के सामने नहीं बैठ सकते। आजकल, टेलीविजन कार्यक्रमों में बढ़ती अश्लीलता के कारण हमें इन सभी मूल्यों को नजरअंदाज करना पड़ता है।

भारत में टेलीविजन के प्रचलन में आने के दशकों बाद भी 500 मिलियन दर्शकों के लिए प्रसारण कर रहे 600 से अधिक चैनलों की निगरानी करने अथवा उन्हें विनियमित करने के लिए कोई भी प्राधिकृत नहीं है।

अध्यक्ष महोदया, आदरणीय श्री शरद यादव जी द्वारा उठाए गए प्रश्न का उत्तर देते हुए माननीय मंत्री महोदय ने सभा को आश्वस्त किया था कि सरकार टेलीविजन की विषयवस्तु को विनियमित करने के लिए एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक पैनल का गठन करेगी और यह कि सरकार टेलीविजन की विषयवस्तु की निगरानी करने के लिए स्वं विनियामक तंत्र की स्थापना करने के अंतिम चरण में है।

अत:, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने उपर्युक्त पैनल और स्व-विनियामक तंत्र की स्थापना कर दी है, जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने घोषणा की थी।

श्रीमती अम्बिका सोनी : अध्यक्ष महोदया, सभा को यह सूचित करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि पिछले वर्ष यहां एक माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए प्रश्न के उत्तर में दिए गए आश्वासन के अनुसार, हमने नागरिकों की प्रसारण से संबंधित उपभोक्ता शिकायतों के लिए 13-सदस्यीय स्व-विनियामक पैनल की स्थापना की है, जिसे बी सी सी सी के नाम से जाना जाता है।

दिल्ली उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति ए. पी. शाह इसके अध्यक्ष हैं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : इस बैनर को नीचे करिये।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्रीमती अम्बिका सोनी : इसमें शबाना आजमी, वीर संधवी जैसे सिविल सोसायटी के सदस्य शामिल हैं। इसके चार प्रसारणकर्ता हैं। सदस्यों ने विभिन्न समय पर विचार व्यक्त किए हैं, चार सदस्य राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष जैसे वैधानिक आयोगों के अध्यक्ष हैं तथा चौथा स्थान या तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष या राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष या राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के पैनल के समक्ष शिकायतों पर निर्भर चक्रानुक्रम द्वारा भरा जाता है। इस स्वविनियामक निकाय ने 30 जून, 2011 से केबल टेलीविजन नेटवर्क्स (विनियमन) अधिनियम, 1995 से निसृत्रत संहिता के अनुसार कार्य करना प्रारंभ किया। अब तक उन्हें नागरिकों से लगभग 300 शिकायतें प्राप्त हो चुकी हैं। उन्होंने टेलीविजन पैनल पर प्रत्येक चैनल में एक बैंड रखा है जो कहता है कि यदि किसी नागरिक या दर्शक को कार्यक्रम की विषय-वस्तु या चैनल से कोई शिकायत है तो वे शिकायत कर सकते हैं और नाम दिया गया है। यह द्विस्तरीय स्व विनियामक प्रणाली है। प्रथम टायर तो स्वयं स्वायत्त चैनल ही है तथा दूसरे टायर का निर्णय इस स्वविनियामक प्रणाली, जिसका अभी वर्णन मैंने किया, द्वारा किया जाता है। सभी 300 शिकायत कर्त्ताओं को उत्तर दिए गए हैं! कुछ शिकायतें प्रकृति में मामूली थीं लेकिन तो भी एक ऐसे निकाय, जो दर्शकों, परिवारों की शिकायतों पर प्रतिक्रिया देने जा रहा है, के रूप में उनकी विश्वसनीयता स्थापित करने के क्रम में उन्होंने हर शिकायत का उत्तर दिया है। उन्होंने कुछ मामलों में कार्रवाई की है तथा उन्होंने एक चैनल पर मौद्रिक जुर्माना भी लगाया है।

श्री के. सुगुमार : अध्यक्ष महोदया, आज निजी क्षेत्र में सभी केबल नेटवर्क प्रत्येक चैनल हेतु मनमाने शुल्क ले रहे हैं जिससे निर्धनतम वर्ग इसे वहन करने में असमर्थ है। इसलिए, टेलीविजन कार्यक्रम देखने के लिए, तमिलनाडु सरकार ने पुरूत्वी तालाईवी, अम्मा के गतिशील नेतृत्व के अंतर्गत 'अरासु केबल' के नाम से नया नेटवर्क प्रारंभ किया है! यह सरकारी केबल नेटवर्क सभी चैनल देखने के लिए मात्र 70 रुपये की मामूली रकम बतौर शुल्क लेता है जिससे कि कम से कम टीवी कार्यक्रम देखने में धनी एवं गरीब के बीच असमानता दूर हो सके। सब टीवी एवं स्टार विजय सहित तमिलनाडु में कुछ टेलीविजन चैनल ऐसे हैं जो चेन्नै में पे चैनलों के लिए शुल्क नहीं लेते हैं जबकि वे राज्य एवं देश के अन्य भागों में इसी के लिए शुल्क ले रहे हैं! इसलिए, मैं जानना चाहूंगा कि क्या केन्द्रीय मंत्री के पास प्रशुल्क लेने और किसी राज्य सरकार जो डॉ. पुरूत्वी तालाईवी, अम्मा के गतिशील नेतृत्व के अंतर्गत तमिलनाडु सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए टीवी नेटवर्क जैसे टीवी नेटवर्क प्रारंभ करती है, को सहायता देने के संबंध में साझा पैटर्न अपनाने के लिए सभी टेलीविजन नेटवर्क को सहमत करने के लिए कोई योजना है।

श्रीमती अम्बिका सोनी : महोदया, यह प्रश्न मूल प्रश्न से नहीं उत्पन्न होता पर मैं इस माननीय सभा के समक्ष डिजीटलीकरण पर इस मध्याह्न पश्चात् एक विधेयक ला रही हूं जो लिए जा रहे प्रशुल्क से संबंधित होगा तथा दर्शकों को विभिन्न विकल्प में से चयन की सुविधा दी जा रही है। टी आर ए आई ने कुछेक मूल्य प्रशुल्क अधिकतम सीमा का संकेत किया है। इस विधेयक का वित्तीय अंश है जो मंत्रिमंडल सचिव के नेतृत्व वाले सचिव समूह के द्वारा देखा जा रहा है। लेकिन किसी भी राज्य सरकार को स्वयं ही केबल अधिनियम के अनुसार अपने स्वयं के नाम से चैनल खोलने की अनुमति नहीं दी जाती है। पूरे देश में कई चैनल हैं जो राजनीतिक दलों या सरकारों का समर्थन करते हैं लेकिन वे स्वयं सरकार द्वारा खोले नहीं जाते हैं।

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद पूर्व) : अध्यक्ष महोदया, मेरे साथ आप और पूरा सदन सहमत होगा कि आजकल टीवी चैनलों पर जो दिखाया जाता है, एक विदेशी सांस्कृतिक आक्रमण हमारे देश पर हो रहा है। परिवार के साथ बैठकर न्यूज चैनल को देखना भी आज संभव नहीं है। हमने केबल टेलीविजन नेटवर्क रैगुलेशन एक्ट, 1995 नाम से कानून बनाया है। अभी हम सबने माननीय मंत्री महोदया से सुना कि 13 मैम्बर्स की सैल्फ रैगुलेटरी बॉडी बनी है। मैं टीवी देखता रहता हूं, न्यूज भी देखता हूं। अभद्रता, अशालीनता और अंधश्रद्धा सभी चैनलों पर दिखायी जाती है और नीचे छोटी सी क्लीपिंग आती है कि यदि आपको कोई समस्या हो तो कम्पलेंट करें। सरकार ने अपने जवाब में लिखा है कि प्रीसेंसरशिप नहीं है, उसके कारण हम आर्थिक आक्रमण से तो बच पाएंगे, लेकिन जिस संस्कृति पर हम सबको नाज है, हमारे रिश्तों, हमारी संस्कृति और समीकरण पर, उसका आज ह्रास हो रहा है।

अध्यक्ष महोदया : आप प्रश्न पूछिए।

श्री हरिन पाठक : महोदया, मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। इसमें महिलाओं का, बहनों का अपमान हो रहा है। ऐसा दिखाया जाता है कि कोई एक यंत्र है हमारे घर में प्रगति हो रही थी, अचानक मेरी सास आयी, मेरी जेठानी आयी, मेरी ननद आयी।

अध्यक्ष महोदया : आप यह मत बताइए कि क्या दिखाते हैं? आप प्रश्न पूछिए।

श्री हरिन पाठक : मैं पूछ रहा हूं। उसने गंदी नजर से, बुरी नजर से देखा और मेरी सारी प्रगति खत्म हो गई। इस तरह से जो अपमान हो रहा है, सेल्फ रेगूलेटरी बॉडी से और सिर्फ नीचे विज्ञापन देने से आपका प्रश्न हल होने वाला नहीं है। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हमारी विरासत, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक है, उसको बचाने के लिए, इस अभद्रता, अंधश्रद्धा को रोकने के लिए सिर्फ सेल्फ रैगूलेटरी के सिवाय कोई ठोस कदम सरकार अपने आप उठाए, क्योंकि सरकार भी तो देखती है। सरकार कौन सा कदम उठाने जा रही है, वह कृपया सदन को बताइए।

श्रीमती अम्बिका सोनी : महोदया, मैं सदन को बताना चाहूंगी कि वर्ष 1997 से पूरे सदन ने प्रयास किए हैं। और तकरीबन हर पॉलीटीकल पार्टी केन्द्र में सत्ता में रही है और हर पार्टी ने....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप लोग उत्तर सुन लीजिए, बीच में क्यों टोक रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप लोग बैठ जाइए और उत्तर सुन लीजिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : माननीय मंत्री के उत्तर के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)*★

[हिन्दी]

श्रीमती अम्बिका सोनी : हर पार्टी की सरकार ने रैगूलेटरी बॉडी बनाने के लिए प्रयास किया है। लेकिन मीडिया एक बहुत संवेदनशील मामला है और हम सब लोग इसे महसूस करते हैं। आज जो मर्जी हम लोग कहें। इस पर जब तक पूरा विचार-विमर्श, हर तरह से राय प्रकट नहीं की जाए, कोई कानूनी तौर पर फतवा जारी किया जाए या कोई डायरैक्शन दिया जाए, उससे काम नहीं चलता है। हम लोगों ने, मैं समझती हूं कि पूरे सदन को इस बात का ज्ञान है कि एक देश में चर्चा....*(व्यवधान)*

★कार्यवाही – वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : माननीय मंत्री के उत्तर के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)*★

[हिन्दी]

श्रीमती अम्बिका सोनी : हमारी सरकार ने इसमें पहल की है। वर्ष 2007 में हमने एक ब्राडकॉस्टिंग रैगूलेटरी एक्ट बनाने की पहल की है, वह बिल हमने वैबसाइट पर डाला है और मैं चाहती हूं कि माननीय सदस्य उस वैबसाइट पर उस बिल का थोड़ा अध्ययन करके अपनी राय प्रकट करें और अपने विचार दें। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। हमने वैबसाइट पर बिल डाल कर यह पहल की हैं इस पर आप अपनी राय दें। उस राय को सीमित समय के आधार पर शामिल करके, सदन में बिल लाया जा सकता है आप सब की चर्चा के लिए।

चौधरी लाल सिंह : मैडम, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो मैम्बर ने जो अपनी तकलीफ जाहिर की है, जिससे सारा हाउस इस बात के लिए चिंतित है। मंत्री महोदया ने कहा है कि वैबसाइट पर इसके लिए बिल डाला है, जिसको जो कहना है, कह सकता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि क्या पार्लियामेंट के द्वारा इस पर कोई सख्त नोटिस या सख्ती से एक्शन नहीं लिया जा सकता है? जिसका जो मन करता है, वह उसकी बेइज्जती कर देता है। जितने गलत तरीके से प्रोजैक्शन हो रहा है, उस पर पूरा हाउस चिंतित है।...★ अजीब सी हालत हो गयी है। इसलिए मेरा निवेदन है कि यह बातों से नहीं चलेगा, इस पर सख्ती करनी पड़ेगी। वह सख्ती किस ढंग से होगी, यह मैं मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदया : असंसदीय शब्द हटा दीजिए।

श्रीमती अम्बिका सोनी : सख्ती तो केवल सदन की राय और समर्थन से की जा सकती है।...*(व्यवधान)*

★कार्यवाही – वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदया : सुन लीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : उत्तर सुनिए।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती अम्बिका सोनी : मैंने जैसा आपसे अनुरोध किया है कि एक बिल हमारी तरफ से बनाया गया है। उस बिल में सबकी राय लेने के लिए एक अनिवार्य समय होता है।....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : मंत्री जी, आप मुझे संबोधित कीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती अम्बिका सोनी : मैडम, मैं आपके माध्यम से एक अपील करना चाहती हूं। अगर सदन चाहता है कि इस बिल पर कोई आम राय जाहिर न की जाए, जिनको वह प्रभावित करने जा रहा है, उनकी राय भी न ली जाए और यहां से हम कुछ अध्यादेश जारी करें तो यह भी हो सकता है।...*(व्यवधान)* हम लोगों ने बिल बनाया है। आपने देखा है कि एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया गया है। मैं अपनी सरकार की पहल की बात कर रही हूं जो पिछले दो सालों में हमने किया है। हमने एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया है जिसमें ये सब बातें आ रही हैं कि कार्रवाई करने के लिए किस हद तक किसको अधिकृत किया जाए? इसके अलावा मेरे कई सहयोगी मंत्रियों ने ओपेन पब्लिक में एक डिबेट शुरू की है। हमें हर तरह की राय मिल रही है। उस राय को इकट्ठा करके जैसा मैंने पिछले साल एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बनाने का वायदा किया था, इसमें दो टायर हम लोगों ने बनाए हैं। हम इससे आगे बढ़कर एक कानून लाना चाहते हैं। उस पर प्रधानमंत्री द्वारा एक सर्वदलीय बैठक बुलाकर, हर एक की लिखित में राय लेकर, एक कानून बनाया जाए तो मुझे कोई एतराज नहीं है। अगर आप लोग चिंतित हैं, अगर सदन का प्रत्येक सदस्य चिंतित है तो आप यकीन रखिए जब से मुझे यह मंत्रालय सौंपा गया है, मैंने आप लोगों से ज्यादा टेलीविजन देखना शुरू किया है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : हां, ठीक है।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती अम्बिका सोनी : मैं इस बात को खुद समझती

हूं। मैं न सिर्फ एक महिला हूं, बल्कि एक मां हूं, एक ग्रैंडमदर हूं। मैं खुद चिंतित हूं। मैं यह बात आपके साथ कोई विरोध की भावना से नहीं कह रही हूं। एक तौर–तरीका जो मुझे बताया गया है जिसके दायरे में मुझे काम करना है, मैं उस दायरे में काम कर रही हूं। अगर आप लोग चाहते हैं कि उस तौर–तरीके को एक्सपेडाइट किया जाए, अगर चेयर का आदेश होगा तो मैं उसी तरह काम करूंगी।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : मैं देख रही हूं कि इस विषय पर सदन बहुत उद्वेलित है। सभी सदस्य चर्चा चाहते हैं। मगर, आज ही मद संख्या अठारह पर केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन (सेकण्ड एमेंडमेंट) बिल लगा हुआ है। उसमें विस्तार से इस पर चर्चा हो सकती है। अब मैं अगला प्रश्न ले रही हूं।

खाद्यानों का आवंटन

262. प्रो. रामशंकर :

श्री जय प्रकाश अग्रवाल :

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली/लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली/अन्त्योदय अन्न योजना के कार्यान्वयन में खर्च होने वाली धनराशि केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच किस तरह बांटा जाता है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने विशेषकर प्रस्तावित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के मद्देनजर गरीबों को वितरित किए जाने वाले खाद्यान्न की अतिरिक्त आवश्यकता का आकलन किया है/राज्यों को इसका आकलन करने का निदेश दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे;

(घ) क्या केन्द्र सरकार का विचार गरीबी रेखा से ऊपर जीवन–यापन करने वाले परिवारों के खाद्यान्न के मौजूदा कोटे में वृद्धि करने या अतिरिक्त आबंटन करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के. वी. थॉमस) :

[अनुवाद]

(क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ङ) केन्द्र सरकार खाद्यान्नों की खरीद, भंडारण और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में नामित डिपुओं तक इनकी ढुलाई तथा आकस्मिक लागतों पर होने वाले खर्च को वहन करती है जबकि डीलरों के कमीशन, नामित डिपुओं से आवंटित खाद्यान्नों की ढुलाई और राज्यों के अंदर इनके वितरण पर होने वाला खर्च राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा वहन किया जाता है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के लिए यह अपेक्षित होता है कि वे बिना कोई अतिरिक्त प्रभार लिए अंत्योदय अन्न योजना के केन्द्रीय निर्मम मूल्य पर अंत्योदय अन्न योजना परिवारों को आवंटित खाद्यान्नों का वितरण करें! गरीबी रेखा से नीचे और गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के मामले में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को डीलरों के कमीशन, ढुलाई प्रभारों आदि को ध्यान में रखकर अंतिम खुदरा मूल्य निर्धारित करने की छूट दी गयी है।

केन्द्र सरकार द्वारा आकलन किया गया है कि प्रस्तावित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अधीन प्राथमिकता वाले परिवारों के लिए 41.1 मिलियन टन खाद्यान्नों की आवश्यकता होगी जबकि गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए मौजूदा आवंटन 27.7 मिलियन टन है। तदनुसार, प्रस्तावित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अधीन गरीबों को वितरित करने के लिए लगभग 13.4 मिलियन टन अतिरिक्त खाद्यान्नों की आवश्यकता होगी।

बीस राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए खाद्यान्नों का मासिक आवंटन जून, 2011 में बढ़ाकर 15 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह कर दिया गया है और पूर्वोत्तर राज्यों – असम, मणिपुर, मिजोरम तथा मेघालय, सिक्किम और पहाड़ी राज्यों – हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड में इसे बढ़ाकर 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह कर दिया गया है। मई, 2011 तक और जून, 2011 से किए गए मासिक आवंटन के राज्य–वार ब्यौरे अनुबंध में दिए गए हैं।

अनुबंध

अप्रैल, 2011 से मार्च, 2012 के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गरीबी रेखा से ऊपर की श्रेणी के लिए खाद्यान्नों का संशोधन पूर्व एवं संशोधित मासिक आवंटन

क्रसं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मई, 2011 तक मासिक आवंटन	जून, 2011 से मासिक आवंटन
1	2	3	4
1	आन्ध्र प्रदेश	134.088	176.370
2	अरूणाचल प्रदेश	5.005	5.005
3	असम	52.945	92.995
4	बिहार	53.560	80.340
5	छत्तीसगढ़	25.360	38.040
6	दिल्ली	35.064	35.595
7	गोवा	2.923	4.283
8	गुजरात	66.370	99.555
9	हरियाणा	23.590	35.385
10	हिमाचल प्रदेश	21.608	26.005
11	जम्मू–कश्मीर	37.310	37.310
12	झारखंड	19.620	29.430
13	कर्नाटक	63.080	94.621
14	केरल	47.833	68.340
15	मध्य प्रदेश	55.780	83.670
16	महाराष्ट्र	111.930	167.895
17	मणिपुर	3.182	8.435
18	मेघालय	5.868	9.310
19	मिजोरम	3.465	3.465
20	नागालैण्ड	6.233	6.233
21	ओडिसा	35.312	35.312
22	पंजाब	45.682	52.620
23	राजस्थान	64.360	96.540
24	सिक्किम	2.165	2.170
25	तमिलनाडु	140.038	140.038
26	त्रिपुरा	14.842	14.945
27	उत्तराखंड	17.090	25.235
28	उत्तर प्रदेश	154.630	231.945
29	पश्चिम बंगाल	93.440	140.161
30	अं. व नि. द्वीपसमू	2.240	2.240
31	चण्डीगढ़	1.800	2.700
32	दा. व न. हेवली	0.180	0.270
33	दमन और दीव	0.220	0.331
34	लक्षद्वीप	0.280	0.280
35	पुडुचेरी	1.400	2.100
	जोड़	1348.493	1849.169

[हिन्दी]

प्रो. रामशंकर : माननीय अध्यक्ष महोदया, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, अंत्योदय अन्न योजना के क्रियान्वयन में प्रदेश और केन्द्र सरकार दोनों एक–दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं। इसमें उच्चतम न्यायालय का निर्देश है कि सरकार की जिम्मेदारी है कि गरीबों को अन्न योजना, जो केन्द्र सरकार की है, उसको ठीक प्रकार से लागू किया जाए। देखने में आया है कि केन्द्र सरकार ने 50 लाख टन की व्यवस्था की, लेकिन प्रदेश की सरकार की तरफ से केवल चार लाख टन का ही वितरण हुआ

है। यह जो बीच में एक-दूसरे पर आरोप लगाने की व्यवस्था है, जिसके कारण एपीएल और बीपीएल परिवार प्रभावित हो रहे हैं। सरकार की जो योजना है, वह ठीक प्रकार से नीचे तक नहीं जा रही है। इसमें जो बीच में कई प्रकार की खामियां हैं, मैं उस दिशा में माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जो महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, गरीबों के लिए जो योजना है, उस योजना का लाभ ठीक से नीचे तक उन गरीबों को मिले। माननीय मंत्री जी ने इस दिशा में क्या ठोस पहल की है? केन्द्र सरकार और प्रदेश सरकारों पर, एक-दूसरे पर निरंतर आरोप के कारण जिन गरीबों को इसका लाभ मिलना चाहिए, वे इस लाभ से वंचित होते हैं। माननीय मंत्री जी ने इस दिशा में क्या ठोस कदम उठाए हैं और आगे क्या योजनाएं हैं, यह मैं जानना चाहता हूं?

[अनुवाद]

प्रो. के. वी. थॉमस : महोदया, माननीय उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र सरकार को दिशानिर्देश दिया है कि देश में 72 निर्धनतम जिलों में बी पी एल दरों पर 50 लाख टन खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाना चाहिए। यही उच्चतम न्यायालय है जिसने निर्णय किया कि देश में 72 निर्धनतम जिले कौन से हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा यथानिर्देश हमने बी पी एल दर पर 50 लाख टन खाद्यान्न उपलब्ध कराया है तथा इसकी सूचना सभी संबंधित राज्य सरकारों को दी गयी है। उच्चतम न्यायालय ने अपने नियंत्रण एवं न्यायाधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सभी राज्य सरकारों को बी पी एल के अंतर्गत 50 लाख टन खाद्यान्न के उपयोग के लिए लिखा है। जैसा कि माननीय मंत्री ने कहा कि दुर्भाग्यवश, राज्य सरकारों द्वारा उठाया गया खाद्यान्नों दो से चार लाख टन है। अपनी तरफ से मैंने मुख्य मंत्रियों तथा संबंधित मंत्रियों को भी लिखा है। पर, स्वयं उच्चतम न्यायालय ने अपनी शक्तियों से निदेश दिया है कि राज्य सरकारें केन्द्र सरकार द्वारा आवंटित खाद्यान्नों को उठाए।

[हिन्दी]

प्रो. रामशंकर : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि पीडीएस सिस्टम में छत्तीसगढ़ सरकार ने जिस तरह से नीचे तक व्यवस्था की है, उसके कारण सब को अनाज मिलेगा, लेकिन क्या केन्द्र सरकार की तरफ से इस प्रकार की एकरूपता पूरे देश में है, जिससे इस तरह कम्प्यूराइज्ड हो, कि जहां से माल उठता है, वहां से लेकर दुकान तक ठीक से, प्रोपर रूप से जानकारी हो। यहां तक ही नहीं, बल्कि जिनको लाभ मिलना चाहिए, उन्हें भी प्रोपर जानकारी हो, इस तरह की कोई व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई है, जिससे उन्हें प्रोपर लाभ मिले और एकरूपता हो। इस तरह की कोई व्यवस्था है तो माननीय मंत्री जी उसे बताने का कष्ट करें?

[अनुवाद]

प्रो. के. वी. थॉमस : महोदया, छत्तीसगढ़ देश के आदर्श राज्यों में से एक है, जिसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को यथोचित रूप से प्रभावकारी बनाया है। मैं छत्तीसगढ़ जाता रहा था और मैंने दिल्ली में एक सप्ताह पूर्व मुख्यमंत्री जी के साथ लंबी चर्चा की थी। उन्होंने उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से आवंटन के लिए राशन कार्डो का डिजीटलीकरण और कम्प्यूटीरकरण जैसे काफी बड़ी संख्या में योजनाएं कार्यान्वित की हैं। जब मैं छत्तीसगढ़ गया, मैंने देखा कि ट्रकों से खाद्यान्नों के आवाजाही पर उपग्रहीय प्रणाली के माध्यम से निगरानी रखी जा रही है। मैं समुदायिक केद्र भी गया जहां भोजन पांच रुपये में दिया जाता है। उन प्रणालियों में से यह एक प्रणाली है जिसे बहुत ही अच्छी तरह से कार्यान्वित किया गया है। मेरा राज्य केरल ने भी बहुत ही अच्छे ढंग से इसे कार्यान्वित किया है। आंध्र प्रदेश भी इसमें आगे बढ़ा है। तमिलनाडु एक रुपया में खाद्यान्न दे रहा है और इसमें एक अतिरिक्त पैसा भी प्रभारित नहीं किया जा रहा है। लगभग सभी राज्यों ने आदर्श योजनाएं अपनाई हैं। जब कभी भी आदर्श योजनाएं होती हैं, हम दूसरे राज्यों को सूचित करते हैं कि ये आदर्श राज्य हैं, जिन्हें आदर्श राज्यों के रूप में अपनाया गया है।

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : मैडम, इससे पहले कि अपना सवाल करूं, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि यह फोर्मेलिटी हो गई है कि ये जो जवाब आते हैं, वे यहां आकर देखने पड़ते हैं। इतना बड़ा मंत्रालय चलता है, सरकार चलती है, क्या ये जवाब मैम्बरों को एक दिन पहले नहीं मिल सकते, ताकि हम उसे स्टडी करके अपने सवाल बना कर लाया करें? यह एक फॉर्मेलिटी हो गई है।

अब मेरा जो मुख्य प्रश्न है, क्योंकि लोग बहुत पीड़ित हैं, जो यहां से सामान जाता है, वह रास्ते में गायब हो जाता है। मैं

यह जानना चाहता हूं कि क्या मोनेटरिंग सिस्टम आपके पास हैं? अगर है तो वह क्या काम कर रहा है और उसको क्या एग्जीक्यूटिव पावर है कि वह किसी को पकड़ सके, सजा दे सके?

नम्बर दो कि आपने जो डिटेल दी है कि आपको नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अन्दर 41 मिलियन टन अनाज चाहिए, यह कौन सी सेंसस पर आधारित है,? मुझे लगता है कि यह 1991 की सेंसस पर आप एलोकेशन कर रहे हैं, जो शायद 20 साल बाद आज वाजिब नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इसका आपके पास क्या जवाब है?

[अनुवाद]

प्रो. के. वी. थॉमस : महोदया, मैं माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूं जो प्रस्तावित नये खाद्य सुरक्षा विधेयक से जुड़ा है। आज की तारीख में विद्यमान योजना पर हमें लगभग 526.8 लाख टन खाद्यान्नों की जरूरत है। जब संसद नये खाद्य सुरक्षा विधेयक को अधिनियमित कर देगा, तब हमें लगभग 6074 लाख टन खाद्यान्नों की जरूरत होगी। हम पहले ही 63 मिलियन टन खाद्यान्नों की खरीद कर रहे हैं। इसलिए, खाद्य सुरक्षा के संबंध में...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : यह मेरे सवाल का जवाब नहीं है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

यह 1991 की जनगणना पर आधारित है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : उन्हें जवाब देने दें।

प्रो. के. वी. थॉमस : 1992–93 और 2000 की जनगणना और गरीबी रेखा के आधार पर ये आवंटन किये जाते हैं। लेकिन, जब नयी जनगणना हो जाएगी और योजना आयोग तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा नयी गरीबी रेखा का निर्धारण किया जाएगा, तब हम निश्चित रूप से राज्यों के लिए खाद्यान्नों के आवंटन को बढ़ाएंगे।

[हिंदी]

श्री रेवती रमण सिंह : माननीय अध्यक्षा जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जैसा जयप्रकाश अग्रवाल जी ने पूछा है कि 1991 की सेंसस पर आप बांट रहे हैं और अब 2011 आ गया। अभी तक गरीबी की रेखा के नीचे कितने लोग गुजर–बसर करते हैं, उसका आंकड़ा सरकार के पास नहीं है। मुझे याद है कि 14वीं लोक सभा में हमने यह सवाल उठाया था। अब 15वीं लोक सभा आ गई, ढाई साल बीत गए हैं और अभी तक सरकार के पास यह आंकड़ा नहीं है कि गरीबी की रेखा के नीचे कितने लोग गुजर–बसर करते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि हेगड़े कमेटी बनी, सक्सैना कमेटी बनी, तेंदुलकर कमेटी बनी, तमाम कमेटियां बनी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक प्लानिंग कमीशन, आपका योजना आयोग यह तय नहीं कर पा रहा है कि गरीबी की रेखा के नीचे कितने लोग रहते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कोई समय सीमा है कि कब तक योजना आयोग यह तय करके आपको बताएगा कि गरीबी की रेखा के नीचे कितने लोग गुजर–बसर करते हैं? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप प्रश्न पूछिए।

श्री रेवती रमण सिंह : आपने पहाड़ी क्षेत्रों के लिए .... *(व्यवधान) मान्यवर एक ही सवाल तो मिलेगा।...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : एक तो पूछ लिया न आपने। और पूछेंगे?

श्री रेवती रमण सिंह : मैं यह कहना चाहता हूं कि पहाड़ी क्षेत्रों के लिए और नोर्थ ईस्ट के लिए आपने ए.पी.एल. और बी.पी.एल. की दो श्रेणियां बनाई हैं। गोदामों में अनाज रखने की जगह नहीं है, वह सड़ रहा है। आप इसको ज्यादा से ज्यादा गरीबों में क्यों नहीं वितरित कर देते कि जिससे आपका अनाज भी न सड़ें और गरीबों का भला भीं हो जाए?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : पहला प्रश्न है और दूसरा सुझाव।

प्रो. के. वी. थॉमस : उत्तर–पूर्व क्षेत्र के लिए हमने विशेष आवंटन किया है, अर्थात् बी पी एल के तहत 35 किलोग्राम खाद्यान्न का आवंटन किया है। इसी तरह, ए. पी. एल. के अंतर्गत भी उन्हें 35 किलोग्राम खाद्यान्न आवंटित किया जाता है। नये गोदामों के निर्माण के लिए उत्तर–पूर्व हेतु विशेष धनराशि आवंटित की गई है। पिछले साल, इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों तथा प्रतिनिधियों से चर्चा करने के लिए मैं गुवाहाटी में था और हमने एक योजना की रूपरेखा बनाई है।

बी.पी.एल./ए.पी.एल. के संबंध में योजना आयोग और ग्रामीण विकास मंत्रालय ही मानकों के संबंध में निर्णय लेता है। योजना आयोग तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय के मानकों के अनुसार खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय जो कुछ करता है, उसके अनुसार हम लोग राज्यों को खाद्यान्न उपलब्ध कराते हैं।

श्री भर्तृहरि महताब : मैं सदन में रखे गए वक्तव्य की ओर इस सदन तथा मंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट करता हूं। अपने जवाब में मंत्री महोदय ने अंतिम पैरा में यह विशेष रूप से उल्लेख किया है कि जून 2011 में ए.पी.एल. परिवारों के लिए खाद्यान्न प्रति परिवार प्रति माह 15 किलोग्राम तक बढ़ा दिया गया है। जबकि मई और जून, 2011 माह के लिए आवंटनों पर ध्यान देने पर मैंने यह पाया कि उड़ीसा हेतु ए.पी.एल. आवंटन में कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ है। जबकि पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के मामले में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है।

यह एक अत्यंत गंभीर मुद्दा है जिस पर मंत्री जी को विचार करना चाहिए। गत वर्ष सरकार द्वारा ओडिशा के कंधमाल जिले के 17,118 ए.पी.एल. परिवारों की पहचान की गई थी जहां का जातीय हिंसा के पश्चात आपने दौरा किया था। राज्य सरकार और कृषि मंत्री द्वारा जिन्हें चिन्हित किया गया उन पर विचार किया गया उनको 3 रु. कि.ग्रा. के अनुसार 599 मीट्रिक टन धान आवंटित किया गया था। परन्तु इस वर्ष यद्यपि राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से ए.पी.एल. परिवारों को 3 रु. प्रति कि.ग्रा. के हिसाब से चावल का पुनः आवंटन करने को कहा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार ने जून 2011 से कंथमाल जिले के दंगा पीड़ित परिवारों को चावल रोक दी।

ओडिशा सरकार ने बी.पी.एल. खाद्यान्नों के आवंटन के लिए गजपति जिले को शामिल करने के लिए भारत सरकार से कहा है क्योंकि इसे योजना आयोग द्वारा चिन्हित 119 जिलों में शामिल नहीं किया गया है। अपने प्रश्न के क्रम में मैं यह जानना चाहता हूं कि आप गजपति जिले को कब शामिल करने जा रहे हैं जो कि अत्यंत पिछड़ा जिला है जहां अधिकांश गरीब परिवार हैं, जहां जनजातीय परिवारों की बहुलता है और वहां रोजगार के अवसर कम हैं और वहां निरक्षता एक बडा कारक है। इस संबंध में योजना आयोग के क्या मानदंड हैं?

प्रो. के. वी. थॉमस : ओडिशा के मामले में, एपीएल को निरंतर 15 कि.ग्रा. अनाज मिलता रहा, परन्तु अनेक राज्यों जैसे केरल में केवल 10.5 कि.ग्रा. मिला है। जब हमने आवंटन को बढ़ाया तो यह उन राज्यों को मिला जहां यह 15 कि.ग्रा. से कम था।

यही कारण है कि एपीएल कोटा वही रहता है। तथापि जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा हमने विशेष कोटा के अंतर्गत पहले ही 17,000 मिट्रिक टन चावल की स्वीकृति दे दी है, जो पिछले सप्ताह ही कंथमाल जिले को आवंटित किया गया है। ओडिशा के कंथमाल जिले के लिए हमने यह विशेष आवंटन किया है।

जहां तक अन्य आवंटनों का संबंध है, आवंटन के लिए राज्य सरकारों से प्राप्त विशेष निवेदनों पर हम राज्य सरकारों को अधिक खाद्यान्न आवंटित कर रहे हैं।

डॉ. रामचन्द्र डोम : अध्यक्ष महोदया, सभा को प्रस्तुत लिखित वक्तव्य से यह देखा जा सकता है कि मई 2011 अर्थात् बढ़ोत्तरी किए जाने से पहले तक एपीएल परिवारों को किया गया मासिक आवंटन 1348.493 मिट्रिक टन था। जून, 2011 से बढ़ोत्तरी के पश्चात् मासिक आवंटन को पिछले स्तर से बढ़ाकर 1849.169 मिट्रिक टन कर दिया गया। यह स्पष्ट है कि यह अधिक बढ़ोत्तरी नहीं है। यह मामूली बढ़ोत्तरी है अर्थात् लगभग 400 मिट्रिक टन की बढ़ोतरी की गई है।

देशभर में, विशेषकर पिछड़े राज्यों में एपीएल परिवारों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या यह बढ़ोत्तरी पर्याप्त है। मेरे राज्य में बढ़ोत्तरी के पश्चात् आवंटन 140.161 मिट्रिक टन था। मैं यह जानना चाहता हूं कि गत छह महीनों में क्या राज्य ने आवश्यकता के अनुसार खाद्यान्नों का उठान किया है या नहीं। मंत्री महोदय कृपया इसका उत्तर दें।

प्रो. के. वी. थॉमस : महोदया, भारत सरकार भारी मात्रा में खाद्यान्नों का आवंटन कर रही है। एएवाई श्रेणी के संबंध में मैं आपके ध्यान में यह लाना चाहता हूं कि आवंटन की तुलना में उठान केवल 96.2 प्रतिशत था, बीपीएल श्रेणी के संबंध में उठान बहुत अच्छा था जो लगभग 102 प्रतिशत था और एपीएल के मामले में यह केवल 76.9 प्रतिशत था, जो भी अधिक आवंटन चाहता है जो 15 कि.ग्रा. और 35 कि.ग्रा. के बीच है, हम एपीएल श्रेणी के अंतर्गत अधिक आवंटन देने को तैयार हैं।

तथापि मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि हमने काफी आवंटन किया है, परन्तु किसी कारणवश उठान काफी कम रहा है। वर्ष 2009-10 में एम एस पी के अंतर्गत हमने 36.089 लाख

टन का विशेष आवंटन किया था, परन्तु उठान केवल 25.6 प्रतिशत रहा। वर्ष 2010–11 में हमने बीपीएल/एपीएल दर के अंतर्गत केवल 30.66 लाख टन का आवंटन किया, परन्तु उठान केवल 40 प्रतिशत रहा। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के अतिरिक्त 25 लाख टन का आवंटन किया गया था परंतु उठान केवल 76 प्रतिशत रहा। एपीएल के अंतर्गत 6–1–2001 को पुनः अतिरिक्त 25 लाख टन का आवंटन किया गया, परन्तु उठान केवल 38 प्रतिशत रहा। पुनः हमने 50 लाख टन का आवंटन किया और उठान केवल 38 प्रतिशत रहा। दिनांक 30–6–2011 को हमने 50 लाख टन का आवंटन किया, परन्तु उठान केवल 22 प्रतिशत रहा।

मैं प्रत्येक राज्य सरकार के संपर्क में हूं। दुर्भाग्यवश वर्ष 2009–10 में आवंटन 36 लाख टन था, परन्तु उठान केवल 9.22 प्रतिशत रहा। वर्ष 2010–11 में हमने 100.056 लाख टन का आवंटन किया था और उठान केवल 59.72 प्रतिशत रहा। वर्ष 2011–12 के आवंटन 123.67 लाख टन किया गया और उठान केवल 30.79 लाख टन रहा। हम राज्यों को जितना चाहें उतना खाद्यान्न उपलब्ध करा सकते हैं परन्तु उसे प्राप्त करना राज्यों पर निर्भर है।

शीतागार सुविधा

***263. श्री पी.आर. नटराजन :**

श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलिया :

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय प्रत्येक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में कितने प्रतिशत कृषि/बागवानी उत्पादों का परिरक्षण किया जाता है;

(ख) क्या देश के विभिन्न भागों में शीतागार संबंधी सुविधाओं की भारी कमी है;

(ग) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में सरकारी–निजी भागीदारी पद्धति के अंतर्गत शीतागारों की स्थापना करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने देश में वर्ष 2015 तक शीतागारों की आवश्यकता के संबंध में कोई आकलन कराया है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा विभिन्न स्थानों पर शीतागार श्रृंखला की स्थापना करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

[हिन्दी]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत) : (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) शीतागार निजी क्षेत्र प्रबंधन और नियंत्रण के साथ अविनियमित किया है। यह मंत्रालय शीतागारों में परिरक्षित उपज की मात्रा के बारे में आंकड़े एकत्रित नहीं करता है/आंकड़े तैयार नहीं करता है।

(ख) जी हां, महोदया।

(ग) जी हां, महोदया। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने निजी/सहकारी क्षेत्रों द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली शीत श्रृंखला सुविधाओं की स्थापना हेतु अब तक 49 परियोजनाओं का अनुमोदन दिया है। ये परियोजनाएं इस उद्देश्यार्थ योजना स्कीम के अनुरूप सहायता अनुदान की पात्र हैं।

(घ) दिसम्बर 2010 में राष्ट्रीय स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड (एनएसईएल) द्वारा कराए गए अध्ययन में मुख्य फलों एवं सब्जियों के उत्पादन, उपभोग, एवं शेल्फ लाइफ पैटर्न का विश्लेषण किया था। अध्ययन में देश में 61.13 मिलियन टन शीतागार आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है। वर्तमान शीतागार क्षमता 23.51 मिलियन मीट्रिक टन आंकी गई है। लगभग 38 मिलियन मीट्रिक टन शीतागार क्षमता अन्तराल का शिखर उत्पादन एवं एक महीने में भण्डारण योग्य फलों एवं सब्जियों की अधिकतम आवक/फसल उपलब्धता के आधार पर आकलन किया गया है।

(ङ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय वित्तीय सहायता और अन्य प्रोत्साहन उपायों हेतु अपनी विभिन्न स्कीमों के माध्यम से देश में बर्बादी में कमी करने, मूल्यवृद्धि करने एवं शेल्फ लाइफ में वृद्धि करने के उद्देश्य से प्रसंस्करण सुविधाओं समेत फसलोत्तर प्रसंस्करण अवसंरचना के सृजन को सुगम बनाता है।

शीत श्रृंखला, मूल्यवृद्धि एवं परिरक्षण अवसंरचना स्कीम के अंतर्गत मंत्रालय द्वारा संयंत्र एवं मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों की कुल लागत की सामान्य क्षेत्रों में 50% की दर से और दुर्गम क्षेत्रों में 75% की दर से परन्तु अधिकतम 10 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पहलों का लक्ष्य आपूर्ति श्रृंखला में अन्तर को दूर करना, शीत श्रृंखला अवसंरचना को मजबूत करना, जैविक उत्पाद, समुद्री उत्पाद, डेयरी, पॉल्ट्री आदि समेत बागवानी के लिए छँटाई, ग्रेडिंग, पैकेजिंग तथा प्रसंस्करण जैसी अवसंरचना सुविधाओं के साथ–साथ मूल्यवृद्धि का सृजन करना है। सरकार की अन्य एजेंसियां जैसे राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी), कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद विकास प्राधिकरण (अपीडा), राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम

(एनडीसीसी) और राज्य सरकार भी अपनी-अपनी स्कीमों के अंतर्गत शीतागारों के लिए सहायता प्रदान करते हैं।

[अनुवाद]

श्री पी. आर. नटराजन : धन्यवाद, महोदया। महोदया, क्या मैं आपके माध्यम से पूछ सकता हूं कि क्या सरकार की ऐसी कोई योजना है कि प्रत्येक जिले में कम से कम एक शीतागार अनिवार्यतः हो, चाहे इसका स्वामित्व सरकार का हो या चाहे उसे सरकारी-निजी भागीदारी से बनाया जाए।

कृषि मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद पवार) : सरकार स्वयं किसी शीतागार की स्थापना नहीं कर रही है। ऐसी एक योजना है जिसके अंतर्गत सरकार सहायता कर रही है, अनुदान दे रही है और राजसहायता दे रही है। कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और कुछ स्वीकृत भी किए गए हैं।

श्री पी. आर. नटराजन : महिला स्व-सहायता समूहों की संख्या सहित इनकी सुदृढ़ता भी बढ़ रही है इनकी भूमिका को खाद्य प्रसंस्करण और परिरक्षण के क्षेत्र में विस्तारित किया जा सकता है। इसलिए, महोदय क्या मैं आपके माध्यम से पूछ सकता हूं कि क्या सरकार की शीतागार श्रृंखलाओं की स्थापना और इनके संचालन के क्षेत्र में स्व-सहायता समूहों की सेवाएं लेने की भी कोई योजना है?

श्री शरद पवार : स्पष्ट शब्दों में कहूं तो स्व-सहायता समूह शीतागारों को चलाने में समर्थ नहीं होंगे। यह एक अलग बात है। यह तकनीकी बात है। इसलिए, इस काम को स्व-सहायता समूहों को सौंपना संभव नहीं है।

[हिन्दी]

श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलिया : अध्यक्ष महोदया, एनएसईएल के अध्ययन के मुताबिक वर्तमान शीतागार क्षमता 23.51 मिलियन मीट्रिक टन की है और देश में 61.23 मिलियन मीट्रिक टन के लिए आवश्यकता है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने निजी, सहकारी क्षेत्रों द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली शीत शृंखला सुविधा की स्थापना हेतु अब तक 49 परियाजनाएं अनुमोदित की हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ये कब से क्रियान्वित होने वाली हैं?

गुजरात में नाबार्ड के सहयोग से सब्सिडी देकर गोडाउन बनाए जाते हैं। इस परियोजना से किसानों को अत्यधिक फायदा होता है। क्या सरकार सहकारी क्षेत्र एवं पीपीपी के माध्यम से सब्जी मंडी या मार्किटिंग यार्ड में शीतागार निर्माण करने के बारे में कोई विचार कर रही है?...*(व्यवधान)*

गुजरात में शीतागारों की काफी कमी है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : एक ही प्रश्न काफी है।

...*(व्यवधान)*

श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलिया : मुख्य फल और सब्जियां जैसे आलू और प्याज अधिक उत्पादन के कारण नष्ट हो रहे हैं। क्या माननीय मंत्री जी इस बारे में कुछ सोच रहे हैं?

[अनुवाद]

श्री शरद पवार : गुजरात में 12.67 लाख मीट्रिक टन क्षमता के साथ 398 शीतागार हैं और मोटे तौर पर इनकी उपयोगिता भी अच्छी है। जैसा कि माननीय सदस्य ने पूछा है भारत सरकार को 49 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। उन 49 प्रस्तावों में से 39 प्रस्तावों को व्यावहारिक रूप में वित्तीय समर्थन प्रदान किया गया है और ये प्रचालन में है। 10 शीतागार निर्माणाधीन हैं और इस मंत्रालय और कृषि मंत्रालय के अंतर्गत एन सी डी सी के सहयोग से अनेक ऐसी योजनाएं हैं जिनका हम समर्थन कर रहे हैं क्योंकि हम कृषि उत्पादों के नुकसान को रोकना चाहते हैं फसल के बाद के नुकसानों को कम करना चाहते हैं और यह तब तक संभव नहीं है जब तक हम इस प्रकार के प्रस्तावों को प्रोत्साहित और समर्थ नहीं करेंगे और उसे स्थापित नहीं करेंगे। इसीलिए भारत सरकार इस प्रकार के प्रस्तावों का समर्थन करने की इच्छुक है।

[हिन्दी]

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में बताया है कि भारत सरकार कोल्ड स्टोरेज में कोई योगदान नहीं करती। जबकि देखा जाये, तो चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार या झारखंड हो, वहां खासकर आलू, प्याज और फल आदि को रखने के लिए शीतागार की आवश्यकता है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या झारखंड सरकार द्वारा शीतागार बनवाने के लिए कोई प्रस्ताव भारत सरकार के पास भेजा गया है? अगर प्रस्ताव भेजा गया है, तो वह कितने दिन से लंबित है?

[अनुवाद]

श्री शरद पवार : जहां तक शीतागार और शीत श्रृंखला का संबंध है, विशेषकर शीत श्रृंखला, तो कुछ राज्य ऐसे भी हैं जिन्होंने एक भी प्रस्ताव नहीं भेजा है। इस श्रेणी में आने वाले राज्य हैं – अरूणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखण्ड, मेघालय, उड़ीसा, सिक्किम और त्रिपुरा। शेष राज्यों ने शीत श्रृंखला हेतु अपने प्रस्ताव भेजे हैं। हाल ही में हमने सभी राज्यों को सूचित किया है कि हम आज भी राज्यों के बारे में सोचने और समर्थन के लिए तैयार हैं। हम राज्यों का समर्थन करना चाहते हैं।

श्री टी. आर बालू : महोदया, हमारी जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए यह उचित नहीं है कि नाशवान उत्पादों जैसे समुद्रीय उत्पादों, कुक्कट, फल, सब्जी और इत्यादि का 40 प्रतिशत से अधिक नष्ट हो जाए। यह सरकार की मंशा है कि वह इस मामले में आगे आएं ताकि शीत श्रृंखला की मांग और आपूर्ति के अंतर को तत्काल कम किया जा सके? शीत श्रृंखला की मांग 61 मिलियन टन है जबकि उपलब्धता केवल 23 मिलियन टन है। यह अंतर काफी अधिक है। 38 मिलियन टन की क्षमता का बहुत जल्दी निर्माण करना होगा, मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस सरकार का कोई विशिष्ट समयबद्ध कार्यक्रम है जिससे कि इसके अंतर को कम किया जा सके ताकि अनेक वस्तुओं को व्यर्थ होने से बचाया जा सके।

श्री शरद पवार : मुझे यह बताते हुए खेद हो रहा है कि यहां कुछ भ्रम है। माननीय सदस्य ने क्षमता और अंतर के संबंध में जो सूचना दी है वह शीतागार के संबंध में है न कि शीत श्रृंखला के शीतागार और शीत श्रृंखला के मध्य अंतर, जिससे माननीय सदस्य पूर्णतः अवगत हैं। शीत श्रृंखला में अनेक अन्य मदें हैं जैसे कि एक पैकेजघर, संसाधर, शीतागार ग्रेडिंग हाउस इत्यादि। ये सभी गतिविधियां शीत श्रृंखला में होती है। माननीय सदस्य शायद कहना चाहते हैं कि शीतागार की कमी है। हम इस संबंध में राज्य सरकारों का समर्थन करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वे शीतागार स्थापित करें और अंतर को कम करें। हमारे पास तीन, चार योजनाएं हैं–एक खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय से है, एक बागवानी मिशन से, एक राष्ट्रीय बागवानी विकास बोर्ड से है और एक वित्तीय सहायता हेतु है जैसे एनसीडीसी से ऋण। ये सभी चार संगठन उन राज्य सरकारों के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए तैयार हैं, जोकि शीतागार को स्थापित करने के लिये तैयार हैं।

[हिन्दी]

श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि शीतागार और खाद्यान्न गोडाउन की योजना केन्द्र सरकार और नाबार्ड के माध्यम से चलायी जाती है। मेरा सवाल यह है कि क्या यह योजना बैंकों के लिए चलायी जाती है या किसानों के फल, सब्जी और अन्य खाद्यान्नों की बर्बादी बचाने के लिए चलायी जाती है?

अध्यक्ष महोदया, महाराष्ट्र की मेरी कांस्टीटूएंसी मडारसन–बुलढाणा में ऐसा उदाहरण है कि कुछ लोगों ने ये गोडाउन बनाये, लेकिन बैंक्स से जो कर्जा उठाया, वह 47 परसेंट से कम उठाया। इस कारण उन्हें जो अनुदान दिया जाता है, नाबार्ड ने उस अनुदान को रोक लिया है। अगर बैंक का लोन एक–दो परसेंट कम–ज्यादा भी हो जाता है, तो जिन लोगों ने इस योजना में सहभाग लिया, जिन लोगों ने ये गोडाउन बनाये, उनकी जो सब्सिडी रुकी हुई है, क्या वह दी जायेगी? क्या ज्यादा से ज्यादा गोडाउन्स बनाने के लिए किसानों और लोगों को प्रात्साहित किया जाएगा?

[अनुवाद]

श्री शरद पवार : महोदया, पुनः कुछ भ्रम है। वेयरहाऊस गोदाम अलग हैं और शीतागार इससे बिल्कुल अलग हैं। कृषि मंत्रालय के अंतर्गत एक योजना है जहां कृषि मंत्रालय वेयरहाउस गोदामों के निर्माण हेतु राज्य सरकारों की सहायता कर रही है। खाद्य और सिविल आपूर्ति मंत्रालय में भी कुछ योजनाएं हैं, जहां एफसीआई और अन्य भी वेयरहाऊसों का समर्थन कर रहे हैं। परन्तु यह बिल्कुल अलग योजना है। यहां प्रश्न मुख्यतः शीतागारों और शीत श्रृंखला से संबंधित है। यदि माननीय सदस्य वेयरहाऊसों के संबंध में अतिरिक्त सूचना चाहते हैं और यदि नोटिस भेजते हैं, तो मैं सूचना एकत्रित करके उन्हें भेज दूंगा।

बाजार हस्तक्षेप योजना हेतु आवंटन

***264. श्री जयंत चौधरी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार बाजार हस्तक्षेप योजना के अंतर्गत कृषि और बागवानी उत्पादों की खरीद के लिए राज्यों को ध नराशि आवंटित करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त योजना के अंतर्गत बिना किन–किन वस्तुओं की खरीद की गई तथा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष एवं चालू वर्ष के दौरान उक्त प्राजनार्थ केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को प्रदत्त धनराशि का राज्य–वार ब्यौरा क्या है?

(ग) क्या उक्त धनराशि के लिए राज्यों में कोई अनुरोध अभी भी केन्द्र सरकार के पास लंबित है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इन धनराशियों को कब तक मंजूर किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत) : (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (घ) कृषि मंत्रालय सामान्यतया शीघ्र खराब होने वाली प्रकृति की कृषि एवं बागवानी जिन्सों जिन्हें मूल्य समर्थन स्कीम (पीएसएस) के अधीन कवर नहीं किया जाता, की खरीद के लिए राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के अनुरोध पर मण्डी हस्तक्षेप स्कीम (एमआईएस) कार्यान्वित कर रहा है। एमआईएस को उत्पादकों के हितों के संरक्षण के लिए कार्यान्वित किया जाता है ताकि सारी फसल होने की स्थिति में जब मूल्य आर्थिक स्तरों/उत्पादनों लागत से नीचे गिरने लगते हैं, तब मजबूरी में की जाने वाली बिक्री से बचा जा सके। एमआईएस के अधीन खरीद केन्द्रीय एजेंसी के रूप में नैफेड द्वारा अथवा राज्य नामित एजेंसियों द्वारा की जाती है। प्रापण एजेंसियों को होने वाली हानियां, यदि कोई हो, को केन्द्रीय सरकार और संबंधित राज्य सरकार के बीच 50:50 (पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में 75:25 के आधार पर वहन किया जाता है। तथापि, केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के बीच शेयर की जाने वाली हानि की राशि प्राण लागत के 25 प्रतिशत तक प्रतिबंधित है। प्रापण एजेंसी द्वारा अर्जित किए जाने वाले लाभ, यदि कोई हो, को उनके द्वारा ही रखा जाता है।

पिछले तीन वर्षो और वर्तमान वर्ष के दौरान खरीदें गये जिन्सों हेतु कार्यान्वित एमआईएस, निर्मुक्त की गई निधियों की मात्रा मूल्य, स्थिति को राज्यवार, वर्षवार दर्शाने वाला एक ब्यौरा अनुबंध पर संलग्न है। एमआईएस के अधीन एमआईएस के कार्यान्वयन पर हुई हानियों के केन्द्रीय हिस्से की नियुक्ति के लिए राज्य सरकार के दावों को उसे वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित हो जाने के पश्चात निर्मुक्त किया जाता है। वर्ष 2009 मौसम के दौरान आन्ध्र प्रदेश राज्य में आयलपाम के लिए ताजे फल गुच्छों (एफएफबी) हेतु 1.73 करोड़ रुपये की हानि के केन्द्रीय हिस्से को शीघ्र ही निर्मुक्त किया जा रहा है। मिजोरम और नागालैंड के मामले में मिर्च, अदरक और संतरा हेतु एमआईएस के कार्यान्वयन पर हुई हानि के केन्द्रीय हिस्से को कुछ कमियां सूचित किए जाने के कारण निर्मुक्त नहीं किया गया है।

अनुबंध

2008-09 से 2011-12 तक कार्यान्वित की गई एमआईएस के अंतर्गत खरीद

क्र.सं.	जिन्स का नाम	राज्य	वर्ष	खरीद मूल्य (एमआईपी) (रुपये प्रति क्विं)	अनुमोदित खरीद (मी. टन में)	मूल्य (लाख रुपयों में)	निर्मुक्त निधियों का विवरण (लाख रुपयों में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आलू	उत्तराखंड	2008-09 08.04.2008 से 07.05.2008	250	1.00,000	उपलब्ध नहीं	राज्य सरकार ने अब तक किसी प्रतिपूर्ति का दावा नहीं किया
2.	मिर्च	मिजोरम	2008-2009 21.4.2008 से 21.5.08	2800	1810	633.50	कुछ कमियां सूचित किए जाने के कारण निधियां निर्मुक्त नहीं की जा सकी
3.	आलू	पश्चिम बंगाल	2008-2009 12.5.08 से 11.6.2008	230	1,00,000	उपलब्ध नहीं	राज्य सरकार ने अब तक किसी प्रतिपूर्ति का दावा नहीं किया

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	पेशन फ्रूट	मिजोरम	2008–2009 10.7.2008 से 10.8.2008	700	9000	787.50	145.96
5.	सेब 'सी' ग्रेड	उत्तराखंड	2008–2009 1.8.2008 से 31.8.2008	450	1500	उपलब्ध नहीं	राज्य सरकार ने अब तक किसी प्रतिपूर्ति का दावा नहीं किया
6.	सेब 'सी' ग्रेड	हिमाचल प्रदेश	2008–2009 01.8.2008 से 30.9.2008	450	38,000	1280.29	190.26
7.	माल्टा 'सी' ग्रेड	उत्तराखंड	2008–2009 1.11.2008 से 31.12.2008	525	1600	उपलब्ध नहीं	राज्य सरकार ने अब तक किसी प्रतिपूर्ति का दावा नहीं किया
8.	चाउ चाउ (इसकुट)	मिजोरम	2008–2009 15.10.2008 से 15.12.2008	450	6450	385.03	66.39
9.	अदरक	नागालैंड	2008–2009 03.2.2009 से 2.3.2009	500	15000	750.00	कुछ कमियां सूचित किए जाने के कारण निधियां निर्मुक्त नहीं की जा सकी
10.	आयलपाम	आन्ध्र प्रदेश	2008–2009 01.3.2009 से 30.4.2009	500	30,000	1500	173.06 लाख रुपये हेतु हानि के केन्द्रीय हिस्से को शीघ्र ही निर्मुक्त किया जा रहा है।
11.	सुपारी	कर्नाटक	2008–2009 01.3.2009 से 30.4.2009	6900 (डब्ल्यू) 8900 (आर)	6000 (डब्ल्यू) 4000 (आर)	उपलब्ध नहीं	राज्य सरकार ने अब तक किसी प्रतिपूर्ति का दावा नहीं किया
12.	आलू	उत्तर प्रदेश	2008–2009 25.3.2009 24.4.2009	285	1,00,000	उपलब्ध नहीं	राज्य सरकार ने अब तक किसी प्रतिपूर्ति का दावा नहीं किया
13.	संतरा	नागालैंड	2008–2009 25.3.2009 24.4.2009	510	16000	1020.00	राज्य सरकार ने अब तक किसी प्रतिपूर्ति का दावा नहीं किया
14..	आयलपाम	कर्नाटक	2008–2009 25.3.2009 से 24.4.2009	500	800	उपलब्ध नहीं	राज्य सरकार ने अब तक किसी प्रतिपूर्ति का दावा नहीं किया
15.	सुपारी	कर्नाटक	2008–2009 19.1.2010 25.3.2010	600 एमटी	6900	उपलब्ध नहीं	राज्य सरकार ने अब तक किसी प्रतिपूर्ति का दावा नहीं किया

1	2	3	4	5	6	7	8
16.	आलू	उत्तर प्रदेश	2010–11 22.3.2010 30.4.2010	300	1,00,000	उपलब्ध नहीं	राज्य सरकार ने अब तक किसी प्रतिपूर्ति का दावा नहीं किया
17	आलू	पश्चिम बंगाल	2010–11 17.3.2010 15.4.2010	300	9,00,000	उपलब्ध नहीं	राज्य सरकार ने अब तक किसी प्रतिपूर्ति का दावा नहीं किया
18.	आयलपाम	आन्ध्र प्रदेश	2010–11 1.9.2010 से 31.10.2010	500	47,500	उपलब्ध नहीं	राज्य सरकार ने अब तक किसी प्रतिपूर्ति का दावा नहीं किया
19.	सेब सी ग्रेड	हिमाचल प्रदेश	2010–11 1.9.2010 से 31.10.2010	525	61,000	3202.50	राज्य सरकार ने अब तक किसी प्रतिपूर्ति का दावा नहीं किया
20.	आलू	उत्तर प्रदेश	2011–12 12.3.2011 से 11.4.2011	305	1,00,000	उपलब्ध नहीं	राज्य सरकार ने अब तक किसी प्रतिपूर्ति का दावा नहीं किया
21.	सुपारी	कर्नाटक	2011–12 06.04.2011 से 31.5.2011	7,590 (व्हाईट) 9,790 (रेड)	8,000 (व्हाईट) 4,000 (रेड)	उपलब्ध नहीं	राज्य सरकार ने अब तक किसी प्रतिपूर्ति का दावा नहीं किया
22.	सेब सी ग्रेड	हिमाचल प्रदेश	2011–12 15.8.2011 से 15.10.2011	525	50,600	रिपोर्ट प्रतीक्षित है	राज्य सरकार ने अब तक किसी प्रतिपूर्ति का दावा नहीं किया

[हिन्दी]

श्री जयंत चौधरी : महोदया, सरकार के प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि लगातार उत्पादकों के पास जाकर कहते हैं कि आपको उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। सोचने का विषय यह है कि जिन वर्षों में फसल खराब हो जाती है, वहां उसको दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति को भुगतना पड़ता है, लेकिन जहां वह उत्पादन बढ़ा देता है, वह देखता है कि उसकी फसल का बाजार ठप हो चुका है। उदाहरण कई फसलों के दिए जा सकते हैं, मैं मुख्य उदाहरण आलू का देना चाहूंगा। किसान को बाजार जोखिम से बचाने के लिए एक योजना एमआईएस के नाम से बनाई गयी है। अच्छा प्रयास और अच्छी सोच है, लेकिन अगर प्रदेशों में जाकर देखेंगे, इसका क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। आलू के क्षेत्र में तीन साल से, मंत्री जी ने जवाब में दिया है कि उत्तर प्रदेश ने एक प्रस्ताव रखा, इस साल 305 रुपये का भाव तय किया गया है। लेकिन मैं बता सकता हूं कि इस साल खरीदारी नहीं हो रही है। आगरा के खन्दौली क्षेत्र में, मेरे संसदीय क्षेत्र में, राया क्षेत्र में एवं अन्य कई जिलों में, जो आलू का उत्पादक क्षेत्र माना जाता है, वहां होर्डिंग लगाए गए, बैनर लगाए गए, लेकिन खरीदारी नहीं हो रही है। बहाना यह दिया जाता है कि कोल्ड स्टोरेज से आलू इस योजना के तहत प्रदेश सरकार नहीं खरीदेगी। दूसरे क्षेत्रों में कोल्ड स्टोरेज की कमी हो सकती है, लेकिन इस क्षेत्र में काफी कोल्ड स्टोरेज खुल चुके हैं और यहां तक कि कोल्ड स्टोरेज के मालिकों ने आज गिरोह बनाकर मंडी पर कब्जा बना रखा है। वे शुरुआत में थोड़ी खरीदारी करते हैं, भाव बढ़ता है, किसान सोचता है कि आगे भी भाव बढ़ेगा और वह अपना सारा आलू कोल्ड स्टोरेज में दे देता है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि इस

योजना का लाभ छोटे किसानों को नहीं मिल पा रहा है जो कोल्ड स्टोरेज में अपना आलू रखते हैं। क्या इस योजना में कोई ऐसा नियम है, जो प्रदेश सरकार को रोकता है कि आप कोल्ड स्टोरेज के आलू को नहीं खरीद सकते? यदि है, तो क्या आप उसमें संशोधन के लिए प्रयास करेंगे? यादे नहीं, तो क्या प्रदेश सरकार से आप बातचीत करेंगे कि छोटे किसानों को इसका लाभ मिल सके?

श्री शरद पवार: महोदया, एक स्थिति ध्यान में लेने की आवश्यकता है कि जो सवाल है, यह सवाल मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के बारे में है।

[अनुवाद]

भारत सरकार, भारतीय खाद्य निगम तथा कुछ राज्य सरकार संगठनों के माध्यम से कृषक समुदाय से गेहूं एवं चावल खरीदते हैं जहां भारत सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है, लेकिन टमाटर, आलू, नारंगी, पाम तेल जैसे कुछ अन्य वस्तुएं हैं जिसे भारत सरकार खरीद नहीं रही हैं भारत सरकार के पास प्रबंध नहीं है तथा भारत सरकार टमाटर एवं अन्य वस्तुएं नहीं खरीद सकती है। ये जल्दी खराब होने वाली वस्तुएं हैं और इसी कारण इसे खरीदना संभव नहीं हैं लेकिन कई बार जब कीमतें कम हो जाती हैं तथा किसानों के हित की महज रक्षा करने के लिए राज्य सरकारों से बाजार हस्तक्षेप योजना का प्रस्ताव आता है जहां 50 प्रतिशत हानि भारत सरकार और 50 प्रतिशत हानि राज्य सरकार वहन करेगी एवं खरीद राज्य सरकार द्वारा की जाएगी तो भारत सरकार ऐसे प्रस्तावों को मंजूरी देती है।

उत्तर प्रदेश में आलू की खरीद के संबंध में, चार प्रस्ताव ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार से पिछले तीन वर्षो में भारत सरकार को प्राप्त हुए हैं। सभी प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी थी पर दुर्भाग्यवश खरीद वास्तव में नहीं की गयी। इसी कारण इस योजना को वास्तव में लागू नहीं किया गया। कृषक समुदाय विशेषकर उत्तर प्रदेश एवं कुछ अन्य क्षेत्रों के कृषक समुदायों से मुझे वास्तव में शिकायतें मिल रही हैं। इस वर्ष आलू का जबर्दस्त उत्पादन हुआ हैं पिछले वर्ष उपादित आलू शीतागारों में रखे गए थे। वे भरे पड़े हैं तथा इसी कारण किसानों के पास औने-पौने मूल्य पर उन्हें बेचने के अलावा कोई चारा नहीं है। हम वैसी स्थिति नहीं चाहते तथा इसी कारण हम संबंधित राज्य सरकारों से प्रस्ताव आने की आशा कर रहे हैं। हम ऐसे प्रस्तावों को तुरंत मंजूरी देंगे, हम राज्य सरकारों को उनकी हानि की भरपाई के लिए धन उपलब्ध कराएंगे। लेकिन हमें आलू उत्पादकों के हितों की रक्षा करनी है।

[हिन्दी]

श्री जयंत चौधरी : मंत्री जी ने अपने जवाब में स्पष्ट कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में इस योजना के तहत खरीदारी नहीं की जा रही है। निर्यात से अगर इसे जोड़ दें तो सरकारों को खरीदने का एक प्रोत्साहन मिल सकता है। यह सवाल कई बार विधान सभा में भी उठाया गया है और कृषि विभाग के अधिकारियों से प्रदेश में मैंने भी बातचीत की है। वे बताते हैं कि हम क्यों खरीदें, क्योंकि यह पैरिशेबल कमोडिटी है, इसका मार्केट नहीं है। आज के महंगाई के जमाने में, कोआपरेटिव्ज के माध्यम से या निर्यात के माध्यम से सरकारों की जिम्मेदारी बनती है और उन्हें एक प्रोत्साहन दिया जा सकता है कि आप खरीदो और निर्यात करो। क्या आप इस दिशा में सोच रहे हैं? मैं जानता हूं कि तकरीबन आठ साल पहले आगरा में आलू के निर्यात केन्द्र का एक प्रस्ताव था, लेकिन उस पर आगे कोई कार्य नहीं हो पाया। क्या आप इस योजना को स्थाई रूप देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बार-बार एक ही फसल को लेकर जब प्रदेश सरकार प्रस्ताव दे रही है इसका अर्थ यही है कि आलू और प्याज की विशेषरूप से फसल में हर साल वही कमी आ रही है? क्या इस योजना को जो कि प्रदेश सरकार के प्रस्ताव से क्रियान्वित होती है, इसे एक स्थाई रूप देने के बारे में विचार करेंगे?

[अनुवाद]

श्री शरद पवार : पिछले तीन वर्षो के दौरान, भारत सरकार को पश्चिम बंगाल सरकार से आलू के निर्यात के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। भारत सरकार ने वित्तीय रूप से सहयोग किया था, हमने उनके परिवहन लागत की कुछेक जिम्मेवारी उठायी थी। उसी कारण पश्चिमी बंगाल सरकार दक्षिण पूर्व एशिया को आलू निर्यात कर पायी। लेकिन और किसी भी राज्य सरकार ने ऐसा प्रस्ताव नहीं प्रस्तुत किया था। लेकिन, मैं समझता हूं कि समय आ गया है जब भारत के बाहर मांग है तो किसानों के हित के महज संरक्षण के लिए राज्य सरकारों को इस क्षेत्र में रूचि लेनी चाहिए और मुझे इसका सहयोग करने में खुशी होगी।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : श्री दत्ता मेघे। कृपया संक्षेप में पूछें, क्योंकि प्रश्न काल का समय समाप्त होने जा रहा है।

श्री दत्ता मेघे : अध्यक्ष महोदया, हमारे महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा और खानदेश में आज जिन्होंने कपास पैदा की है, वे काफी आंदोलन कर रहे हैं। पिछले साल उन्हें जो कपास का भाव मिला था, वह आज नहीं मिल रहा है। विदर्भ में तो किसान आत्महत्या तक कर रहे हैं, क्योंकि पिछले साल का भाव भी आज नहीं मिल रहा है। किसानों को हिम्मत रखिए, ऐसा कहा जा रहा है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि कपास के बारे में विदर्भ, मराठवाड़ा और खानदेश के किसानों की आप क्या मदद कर रहे हैं, जबकि पिछले साल बहुत अच्छी मदद की गई थी? कुछ साल पहले एक कोआपरेटिव सोसाइटी थी, वह भी बंद हो गई है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं।

श्री शरद पवार : मूल सवाल हार्टिकल्चर और कमोडिटी के बारे में, लेकिन अच्छी बात है कि कपास के बारे में भी सवाल पूछा गया है। यह बात सत्य है कि पिछले साल कपास की ज्यादा कीमत मिली। लेकिन वह कीमत सरकार में नहीं दी थी, वह मार्केट में मिली थी। मार्केट में 6,000 रुपए से 7,000 रुपए क्विंटल तक कपास के भाव गए थे। इंटरनेशनल सिचुएशन भी उस समय ऐसी थी कि कपास की पैदावार कम हुई थी इसलिए इसका लाभ भारत के कपास उत्पादक किसानों को हुआ। इस साल भारत सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य जो भारत सरकार ने तय किया है, उससे 1,000 रुपए मार्केट प्राइस ज्यादा है।

[अनुवाद]

यह भी सत्य है कि पिछले वर्ष किसान को 6000 रुपये मिले तथापि इस वर्ष, न्यूनतम समर्थन मूल्य 3000 रुपये निर्धारित किया गया है जबकि बाजार मूल्य 4000 रु. से 4200 रुपये हैं विशेषकर महाराष्ट्र में किसान सोच रहे हैं कि पिछले वर्ष उन्हें 6000 रु. मिले और अब उन्हें केवल 4000 रुपये मिल रहे हैं। इस कारण वे आंदोलन कर रहे हैं तथा मुझे इसकी पूरी जानकारी है। लेकिन गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब आदि जैसे आठ अन्य राज्य हैं जो कपास का उत्पादन कर 4000 रुपये की दर पर बेच रहे हैं। इन सभी 8 राज्यों से न तो कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है न ही कोई शिकायत मिली है। अतः भारत के बाहर की विशेष स्थिति को देखते हुए वह विशेष मूल्य अपवाद मूल्य है जिस कारण भारत सरकार ने बहुत ज्यादा मात्रा में निर्यात की अनुमति दी थी। इसी कारण पूरे भारत से कृषक समुदाय विशेषकर कपास उत्पादकों को अच्छा मूल्य मिला। लेकिन ये अन्तर्राष्ट्रीय बाजार के उतार-चढ़ाव हैं तथा हमें उसे स्वीकार करना है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

दूध की मांग और आपूर्ति

***265. श्री मधु गौड यास्खी :**
श्री धर्मेन्द्र यादव :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में दूध का उत्पादन जनसंख्या वृद्धि के अनुरूप नहीं हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो देश में इस समय दूध की मांग और आपूर्ति कितनी है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान भारत ने सहकारिता के माध्यम से दूध उत्पादन में अत्यधिक सफलता हासिल की है और यदि हां, तो इसमें कितनी सफलता हासिल की गई है;

(घ) क्या सरकार का विचार आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड (अमूल), गुजरात की सफलता को अन्य राज्यों में भी दोहराने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) वर्ष 2001 से 2011 की अवधि के दौरान जनसंख्या की औसत वार्षिक घातीय वृद्धि की तुलना में भारत में दूध की मिश्रित वार्षिक दर से अधिक थी।

(ख) देश में दूध के लिए मौजूदा मांग के संबंध में इस विभाग के पास कोई अधिप्रमाणित आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। वर्ष 2010-11 के दौरान 116.20 मिलियन टन दूध उत्पादन प्रत्याशित है।

(ग) भारत ने दूध उत्पादन में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त

की है और सहकारिताओं ने इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। पिछले तीन वर्षो के दौरान सहकारिता क्षेत्र द्वारा दूध की खरीद और विपणन में वृद्धि को नीचे दर्शाया गया है :-

मानक	2008-09	2009-10	2010-11
दूध की खरीद (लाख कि.ग्रा. प्रति दिन)	250.89	258.64	262.12
दूध का विपणन (लाख लीटर प्रति दिन)	201.03	211.25	219.87

स्रोत : राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा 1970 से 1996 की अवधि के दौरान क्रियान्वित आपरेशन फ्लड के तीन चरणों के दौरान आणंद में स्थापित डेयरी सहकारिताओं के अनुभवों के आधार पर डेयरी सहकारिताओं का एक राष्ट्रीय नेटवर्क तैयार किया गया था। डेयरी सहकारिताओं के नेटवर्क को सरकार की डेयरी विकास योजनाओं द्वारा निरन्तर समर्थन दिया जाता रहा है।

[हिन्दी]

विरासत स्थलों का संरक्षण

★266. श्री तूफानी सरोज:
श्री पी. के. बिजू:

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रक्षण/संरक्षण के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय विरासत स्थलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उनके रखरखाव के लिए पर्याप्त धनराशि प्रदान की जाती है और यदि हां, तो परिरक्षण/संरक्षण की वर्तमान स्थिति सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के जिन स्थलों का नवीकरण किया गया, उनका ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कितना व्यय किया गया है;

(घ) क्या इस समय राष्ट्रीय विरासत स्थल घोषित किए जाने हेतु कोई स्थल विचाराधीन है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) भावी पीढ़ियों के लिए राष्ट्रीय विरासत स्थलों का पर्याप्त संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) से (च) प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 और नियम, 1959 के अधीन राष्ट्रीय विरासत स्थल घोषित करने अथवा उन्हें मान्यता प्रदान करने का कोई उपबंध नहीं है। तथापि, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के अधीन 3,677 स्मारकों/स्थलों की देखभाल करता है। राज्यवार सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है।

केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों का संरक्षण, परिरक्षण और रखरखाव भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के मानकों के अनुसार आवश्यकता के आधार पर, संसाधनों की उपलब्धता के अध्यधीन किया जाता है। यद्यपि, राष्ट्रीय महत्त्व के स्मारकों/स्थलों के संरक्षण, परिरक्षण और रखरखाव के कार्य की विपुलता को ध्यान में रखते हुए स्मारकों के संरक्षण और परिरक्षण के लिए निधि उपलब्ध कराई जाती है तथापि, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को कार्मिक शक्ति और निधियों जैसे अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता है। चालू वित्त वर्ष के लिए 130.35 करोड़ रु. का आबंटन है जिसमें से 15.11.2011 तक 96.16 करोड़ रु. खर्च किए जा चुके हैं।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने संरक्षण और विकास के लिए दिल्ली में उन 46 केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों की पहचान की थी जो या तो पर्यटकों के बीच लोकप्रिय हैं या राष्ट्रमंडल खेलों से संबद्ध मुख्य मार्गो पर स्थित हैं। इस कार्य में संरचनात्मक संरक्षण, रासायनिक परिरक्षण, पर्यावरणीय विकास, जन-सुविधाएं, प्रदीप्तिकरण, संकेतक आदि शामिल हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2010 के दौरान स्थलों पर किए संरक्षण कार्य और उस पर किए गए खर्च का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

राष्ट्रीय महत्त्व के रूप में घोषित करने के लिए पच्चीस स्मारकों/स्थलों पर विचार किया जा रहा है। जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

केंद्र सरकार ने सभी स्मारकों/स्थलों, चाहें वे संरक्षित हों अथवा नहीं, के लिए राष्ट्रीय डाटाबेस सृजित करने के लिए 2007 में राष्ट्रीय स्मारक और पुरावशेष मिशन का आरंभ किया। राष्ट्रीय स्मारक तथा पुरावशेष मिशन ने अभी तक 80000 निर्मित विरासत और लगभग 2 लाख पुरावशेषों के बारे में डाटाबेस सृजित किए हैं।

केन्द्र सरकार ने विरासत मामलों पर सरकार को सलाह देने, विरासत स्मारकों और स्थलों के संरक्षण के मामलों में दिशा निर्देश तैयार करने, विरासत के संरक्षण से संबंधित महत्त्वपूर्ण मामलों का अध्ययन करने और अध्ययन कराने जैसे परिभाषित कार्यों के साथ 26.2.2009 को राज्य सभा में राष्ट्रीय विरासत स्थल आयोग विधेयक भी प्रस्तुत किया है।

विवरण–I

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन राज्यवार केन्द्रीय संरक्षित स्मारक

क्र.सं.	राज्य का नाम	स्मारकों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	137
2.	अरूणाचल प्रदेश	03
3.	असम	55
4.	बिहार	70
5.	छत्तीसगढ़	47
6.	दमन और दीव (संघ शासित क्षेत्र)	12
7.	गोवा	21
8.	गुजरात	202
9.	हरियाणा	90
10.	हिमाचल प्रदेश	40
11.	जम्मू एवं कश्मीर	69
12.	झारखंड	12
13.	कर्नाटक	507
14.	केरल	26
15.	मध्य प्रदेश	292
16.	महाराष्ट्र	285
17.	मणिपुर	01
18.	मेघालय	08
19.	नागालैंड	04
20.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली	174
21.	उड़ीसा	78
22.	पुडुचेरी	07
23.	पंजाब	33
24.	राजस्थान	163
25.	सिक्किम	03
26.	तमिलनाडु	413
27.	त्रिपुरा	08
28.	उत्तर प्रदेश	742
29.	उत्तराखंड	42
30.	पश्चिम बंगाल	133
	कुल योग	3677

विवरण–II

राष्ट्रमंडल खेल–2010 में संरक्षण/विशेष परियोजना के लिए पहचान किए गए स्मारक

क्र.सं.	स्मारकों के नाम
1	2
1.	तुगलकाबाद किला
2.	उग्रसेन की बावली
3.	जन्तर मन्तर परिसर
4.	सकरी और छोटी गुम्टी
5.	बारा खम्भा, होज खास

1	2
6.	बीरां का गुम्बद
7.	नगर दीवार, दरियागंज
8.	खैरूल मुनाजिल मस्जिद
9.	जमाली कमाली
10.	ग्यासुद्दीन तुगलकाबाद का मकबरा
11.	दिल्ली गेट
12.	दादी पोती
13.	किला राय पिथौड़ा (एम)
14.	शेरशाह गेट
15.	नजफखान का मकबरा
16.	आदिलाबाद किला
17.	सीरी फोर्ट दीवार
18.	सतपुला
19.	सलीमगढ़ किला
20.	सफदरजंग मकबरा परिसर
21.	नगर दीवार, कश्मीरी गेट
22.	लाल गुम्बद, मालवीय नगर
23.	मुहम्मदपुर तीन बुर्जी
24.	कुतुब परिसर
25.	पुराना किला परिसर
26.	हौज खास परिसर
27.	अजमेरी गेट
28.	अशोक के शिलालेख
29.	बलबन का मकबरा तथा अवशेष

1	2
30.	जहाँपनाह दीवार
31.	बजीराबाद पुल, मकबरा तथा मस्जिद
32.	खूनी दरवाजा
33.	अजीम खान का मकबरा
34.	खान-ए-खाना मकबरा
35.	लाल किला परिसर
36.	फिरोजशाह कोटला
37.	लाल बंगला
38.	मुहम्मदी वाली मस्जिद
39.	हुमायूं का मकबरा परिसर
40.	सब्ज बुर्ज
41.	नीला गुम्बद
42.	बु-हालिमा मकबरा
43.	अरब-की-सराय
44.	बाराखम्भा, निजामुद्दीन
45.	हजरत निजामुद्दीन परिसर स्मारक समूह
46.	लोदी गार्डन समारक
	1. मुहम्मदशाह का मकबरा
	2. बड़ा गुम्बद मस्जिद
	3. शीश-गुम्बद
	4. सिकन्दर लोधी का मकबरा
	5. अठपुला
	कुल एरिया रु. 25.73
	कुल खर्च रु. 25.58 करोड़

विवरण–III

उन स्मारकों और स्थलों की सूची जिनको देश में राष्ट्रीय महत्त्व के रूप में घोषित किए जाने के लिए पहचान की गई है

क्र.सं.	स्थान/जिले के साथ स्मारक/स्थल का नाम	नाम और राज्य
1	2	3
1.	प्राचीन स्थल, जूनी–करन, कच्छ	गुजरात
2.	फिरोजशाह महल के पास, महल भवन और तहखाना, हिसार, जिला हिसार	हरियाणा
3.	मंदिर समूह, हरदीब, जिला रांची	झारखंड
4.	शाहपुर किला, शाह–पुर, जिला पलामू	झारखंड
5.	नवरत्तनगढ़ किला और मंदिर परिसर, गुमला	झारखंड
6.	तिलिआगढ़ किला, साहेबगंज	झारखंड
7.	किला और जैन शैलकृत प्रतिमाएं, कोलुहा, हिल, चतरा	झारखंड
8.	जनार्दन मंदिर पनामरम, वायनाड, जिला	केरल
9.	विष्णु मंदिर, नड़वयाल, जिला वायनाड	केरल
10.	दौलताबाद किले की किलेबंदी दीवार, औरंगाबाद	महाराष्ट्र
11.	पुराना उच्च न्यायालय भवन, नागपुर, जिला नागपुर	महाराष्ट्र
12.	किला, गिन्नूरगढ़, जिला सिहोर	मध्य प्रदेश
13.	बिरन्ची नरायण मंदिर, बुगुदा	उड़ीसा
14.	मंदिर समूह, रानीपुर झरीयाल, जिला बोलंगीर	उड़ीसा
15.	सीता राम जी मंदिर, डीग, भरतपुर	राजस्थान
16.	रामबाग महल, डीग, जिला भरतपुर	राजस्थान
17.	जामवन रामगढ़ किला, जयपुर, जिला जयपुर	राजस्थान
18.	अलवर में बाला क्विजा और अलवर में नीमराणा में एक सीढ़ीदार कुआं	राजस्थान
19.	सेंट थॉमस चर्च, देहरादून, जिला देहरादून	उत्तराखंड
20.	उत्खनित स्थल, शृंगवेरपुर, जिला इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश
21.	नौसेरी बानू मस्जिद और चौक मस्जिद, केल्ला निजामत, जिला मुर्शिदाबाद	पश्चिम बंगाल

1	2	3
22.	पुरातत्वीय स्थल (सकीसेना टीला), मोगलबाड़ी जिला पश्चिम मेदिनीपुर	पश्चिम बंगाल
23.	ख्वाजा अनवर बेर (नवाब बाड़ी), जिला वर्धमान	पश्चिम बंगाल
24.	बृंदावन चन्द्र मंदिर और राधा दामोदर मंदिर, जिला बांकुरा	पश्चिम बंगाल
25.	मोतीझील जामा मस्जिद, मुर्शिदाबाद	पश्चिम बंगाल

[अनुवाद]

स्मारकों की सुरक्षा

***267. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण** : क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षो और चालू वर्ष के दौरान मंदिरों तथा स्मारकों का भ्रमण करने वाले पर्यटकों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए शुरू किए गए कार्यो का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस कार्य पर खर्च की गई धनराशि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा ऐसे स्मारकों पर पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) से (घ) प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के अधीन देश में 3,677 स्मारकों/स्थलों को राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित किया गया है। इन स्मारकों/स्थलों का संरक्षण, परिरक्षण और रखरखाव, संरचनात्मक मरम्मत की आवश्यकता के आधार पर पुरातत्वीय मानकों और संसाधनों के अनुसार किया जाता है। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों के अंदर और उनके चारों ओर का संरक्षण, परिरक्षण, रखरखाव और आस-पास का विकास, स्मारकों और स्थलों को देखने आने वाले पर्यटकों के लिए जन सुविधाएं (जैसेः पीने का पानी, प्रसाधन खंड, विकलांगों के लिए सुविधाएं, सांस्कृतिक सूचनापट्ट/संकेतक, वाहन पार्किंग, अमानती सामान घर आदि) प्रदान करना भी नियमित गतिविधियां हैं जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा आवश्यकता और संसाधनों के अनुसार की जाती हैं। इसके अतिरित, इन जन सुविधाओं का सुधार और उन्नयन एक सतत् प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक वर्ष विभिन्न स्मारकों पर कार्य किया जाता है। सभी विश्व विरासत स्थलों और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के टिकट वाले स्मारकों और उन अधिकांश संरक्षित स्मारकों पर जिन्हें भारी संख्या में पर्यटक देखने आते हैं, आधारभूत जन सुविधाएं उपलब्ध हैं।

पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों/स्थलों पर पर्यटक संबंधी सुविधाएं प्रदान करने सहित संरक्षण, परिरक्षण और पर्यावरणीय विकास पर हुए खर्च और चालू वर्ष के लिए आबंटन इस प्रकार है :-

वर्ष	आबंटित/व्यय की गई निधियां (राशि करोड़ रु. में)
2008-09	134.99
2009-10	153.00
2010-11	161.00
2011-12	130.35 (आबंटन)

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों और पर्यटकों द्वारा देखे जाने वाले स्मारकों/स्थलों की सुरक्षा और परिरक्षण के लिए नियमित पहरा तथा निगरानी स्टाफ की तैनाती की है और निजी सुरक्षा गार्डो तथा राज्य पुलिस कर्मियों की सेवाएं भी ले रखी हैं। इसके अतिरिक्त, ताजमहल, आगरा और लाल किला, दिल्ली में केन्द्रीय सुरक्षा औद्योगिक बल के कर्मिकों की तैनाती की गई है। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

पहरा तथा निगरानी स्टाफ की संख्या की सूची (राज्य-वार)

क्रम सं.	राज्य का नाम	मंडल/शाखा	एएसआई कर्मचारी	निजी सुरक्षा गार्ड	सीआईएसएफ	राज्य सशस्त्र गार्ड
1	2	3	4	5	6	7
1	उत्तर प्रदेश	आगरा मंडल	119	122	279	–
		लखनऊ मंडल	102	40	–	–
2	महाराष्ट्र	औरंगाबाद	124	100	–	–
		मुंबई मंडल	72	108	–	
3	कर्नाटक	बंगलौर मंडल	159	117	–	10
		धाड़वाड मंडल	106	111	–	10
4	मध्य प्रदेश	भोपाल मंडल	302	126	–	14
5	ओडिशा	भुवनेश्वर मंडल	105	22	–	–
6	पश्चिम बंगाल, सिक्किम	कोलकाता मंडल	87	57	–	–
7	तमिलनाडु, पुडुचेरी	चेन्नई मंडल	132	22	–	9
8	पंजाब, हरियाणा	चंडीगढ़ मंडल	51	–	–	–
9	हिमाचल प्रदेश	शिमला मंडल	32	–	–	–
10	दिल्ली	दिल्ली मंडल	215	386	317	–
11	गोवा	गोवा मंडल	13	28	–	–
12	पूर्वोत्तर राज्य, सिक्किम को छोड़कर	गुवाहाटी मंडल	45	–	–	–
13	राजस्थान	जयपुर मंडल	197	6	–	15
14	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद मंडल	119	80	–	10 और (62 होम गार्ड)
15	बिहार और उत्तर प्रदेश (भाग)	पटना मंडल	90	65	–	12
16	जम्मू और कश्मीर	श्रीनगर मंडल लघु मंडल, लेह	84 10	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7
17	केरल	त्रिश्शूर मंडल	33	–	–	–
18	गुजरात	वडोदरा मंडल	104	70	–	4
19	उत्तराखंड	देहरादून मंडल	37	–	–	10
20	छत्तीसगढ़	रायपुरा मंडल	14	–	–	–
21	झारखंड	रांची मंडल	13	15	–	–
		विज्ञान प्रभाग (अखिल भारत)	64	–	–	–
		उत्तखनन शाखा, पटना	9	–	–	–
		पुरालेख शाखा, मैसूर	5	–	–	–
		पुरालेख, लखनऊ	2	–	–	–
		उद्यान प्रभाग (अखिल भारत)	973	–	–	–
	योग		3418	1475	596	156

मास्टर प्लान दिल्ली–2021

268. डॉ. मुरली मनोहर जोशीः
श्रीमती दीपा दासमुंशीः

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के मास्टर प्लान की प्रत्येक पांच वर्ष बाद समीक्षा करने के बारे में विचार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार मास्टर प्लान दिल्ली–2021 में कोई संशोधन करने का है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) संशोधित मास्टर प्लान को कब तक अधिसूचित किए जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी हां।

(ख) से (ङ) दिल्ली के लिए मास्टर प्लान (एमपीडी)–2021, परिप्रेक्ष्य 2021 को केन्द्रीय सरकार द्वारा दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 के अंतर्गत 7 फरवरी, 2007 को अधिसूचित किया गया था।

दिल्ली के लिए इस मास्टर प्लान–2021 में इसके अध्याय 18.0 योजना की पुनरीक्षा और मानीटरिंग और साथ ही ''योजना की मुख्य विशेषताएं (क्रम संख्या 19)'' के अंतर्गत निम्नानुसार उल्लेख है :

''19 मास्टर प्लान में वर्ष 2021 तक की संभावित अवधि के लिए परिकल्पना और नीतिगत दिशानिर्देश निहित हैं। ऐसा प्रस्ताव है कि पांच वर्ष के अंतराल पर प्लान की पुनरीक्षा की जाएगी ताकि समाज की तेजी से बदलती आवश्यकताओं के अनुसार गति बनाई रखी जा सके।''

प्लान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एमपीडी–2021 में स्वतः ही उपयुक्त अंतराल पर पुनरीक्षा करने की परिकल्पना है। तदनुसार, एमपीडी–2021 की मध्यावधि पुनरीक्षा शुरू कर दी गई है। एमपीडी–2021 की यह पुनरीक्षा वर्ष 2012 तक पूरी हो जाने की संभावना है।

आउटडोर और इंडोर खेलों को बढ़ावा देना

269. श्री हरीश चौधरी :
डॉ. संजय सिंह :

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के वर्तमान युवा फुटबाल, हॉकी, बास्केटबाल, लॉन टेनिस, वॉलीबाल आदि जैसे आउटडोर खेल तथा कुश्ती, टेबल टेनिस और बैडमिंटन आदि जैसे इंडोर खेलों में पर्याप्त रुचि ले रहे हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) चालू वर्ष के दौरान इनमें से प्रत्येक खेल के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(घ) क्या सरकार का विचार इन खेलों को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहन देने के लिए प्रभावी उपाय करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) और (ख) जी हां। वर्तमान समय में भारतीय युवा इंडोर खेलों के साथ-साथ आउटडोर खेलों में पर्याप्त रुचि ले रहे हैं।

(ग) वर्तमान वर्ष (2011-12) हेतु राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता की योजना के अंतर्गत 100.00 करोड़ रु. के बजट का प्रावधान किया गया है ताकि वे भारत में आंचलिक, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं आयोजित कर सके, भारतीय टीमों की इंडोर तथा आउटडोर खेलों हेतु विदेश में प्रशिक्षण तथा अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में प्रतिभागिता, राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को प्रशिक्षण, अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं हेतु भारतीय खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने हेतु विदेशी प्रशिक्षक नियुक्त करना और प्रशिक्षण हेतु उपकरण खरीद सके।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय खेल नीति अपनी परिधि में भारतीय खेलों के साथ-साथ सभी आउटडोर तथा इंडोर खेलों को समाहित करती है तथा सरकार विभिन्न आउटडोर तथा इंडोर खेलों के विकास हेतु प्रत्यक्ष वित्त सहायता भी उपलब्ध कराती हैं।

राज्यों के प्रयासों की संपूर्ति के लिए सरकार ने वर्ष 2010-11 में शहरी खेल अवसंरचना योजना नामक प्रायोगिक स्कीम शुरू की है जिसका उद्देश्य संपूर्ण 'खेल इको प्रणाली' अर्थात खिलाड़ियों के प्रशिक्षण और विकास, कोचिंग और अवसंरचना की जरूरत पूरी करना है। इस योजना के अंतर्गत अपेक्षित खेल अवसंरचना स्थापित करने के लिए राज्य सरकारें, स्थानीय नागरिक निकाय, स्कूल-कालेज और विश्वविद्यालय वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं।

राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों के भाग लेने के लिए प्रशिक्षण सुविधा के संबंध में भाखेप्रा प्रशिक्षण केंद्रों, विशेष खेल केंद्रों और उत्कृष्टता केंद्रों पर अत्याधुनिक खेल सुविधाएं उपलब्ध है जो पूरे देश में फैले हैं।

खेल मैदानों को विकसित करने के बारे में सरकार ने फरवरी, 2009 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत 'राष्ट्रीय भारतीय खेल मैदान संघ (एनपीपफएआई) की सोसाइटी के रूप में स्थापना की। एनपीएफएआई के प्रमुख उद्देश्य हैं:-खेल मैदानों, खुले स्थानों तथा खेलों के लिए अन्य सुविधाओं तथा खेल क्षेत्रों, खेल मैदानों, खेल पीचों, पार्कों और खुल स्थानों के संबंध में राष्ट्रीय नीति तैयार करना।

सरकार राष्ट्रीय टीमों को भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा आयोजित राष्ट्रीय कोचिंग कैंपों के माध्यम से गहन कोचिंग के लिए पूरी सहायता प्रदान करती है। सरकार प्रतिभावान खिलाड़ियों को प्रतिभा खोज और प्रशिक्षण तथा राष्ट्रीय खेल विकास निधि से राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय कोचों के अधीन व्यक्तिगत प्रशिक्षण/कोचिंग, भारत और विदेश में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में भाग लेने तथा खेल उपस्कर की खरीद के लिए योजना के अंतर्गत भी वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

इसके अतिरिक्त सरकार देश में सब जूनियर (8-14 वर्ष), जूनियर (14-18 वर्ष) तथा सीनियर स्तर में देश में प्रतिभावान खिलाड़ियों की पहचान के लिए भाखेप्रा के माध्यक से निम्नलिखित योजनाएं चलाती हैं तथा योग्य कोचों के माध्यम से उन्हें संबंधित खेल विधाओं में वैज्ञानिक प्रशिक्षण प्रदान करती हैं :-

1. राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता योजना(एनएसटीसी)
2. सेना बाल खेल कंपनी योजना (एबीएससी)
3. भाखेप्रा प्रशिक्षण केंद्र योजना (एसटीसी)

4. विशेष क्षेत्र खेल योजना (एसएजी)

5. उत्कृष्टता केंद्र (सीओई)

[अनुवाद]

सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाया जाना

***270. श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी :**
श्री राम सुन्दर रासः
क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय, मुम्बई और अन्य शहरों में हुए आतंकी हमलों के बाद सरकार का विचार बड़े पैमाने पर क्लोज-सर्किट टेलीविजन (सी.सी.टी.वी.) कैमरे लगाए जाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में अन्य देशों से बाह्य सहायता मांगी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी देश-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा सी.सी.टी.वी. कैमरे तथा इलेक्ट्रॉनिक्स निगरानी उपकरणों के शीघ्र लगाए जाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) से (ङ) संविधान की VIIवीं अनुसूची के अंतर्गत "पुलिस" और "कानून एवं व्यवस्था" राज्य के विषय हैं। इसलिए अपने पुलिस बलों को आधुनिक बनाने तथा उन्हें पर्याप्त रूप से सुसज्जित करने एवे क्लोज्ड-सर्किट टेलीविजन कैमरों (सी सी टी वी) को लगाये जाने सहित सुरक्षा की व्यवस्था करने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। केन्द्र सरकार राज्य पुलिस बलों के उपकरण, हथियारों, सचलता (मोबिलिटी), सुरक्षा संबंधी व्यवस्था आदि के उन्नयन में राज्यों की सहायता हेतु पुलिस बलों की आधुनिकीकरण योजना (एम पी एफ) के तहत राज्यों को निधियां उपलब्ध कराती है। अभी तक एम पी एफ की निधियों से राज्यों ने 809 सी सी टी वी लगाए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने भी मुम्बई सिटी को कवर करने के लिए सी सी टी वी कैमरे लगाने की कार्रवाई शुरू की है। इस संबंध में केन्द्र सरकार ने किसी बाहरी सहायता की मांग नहीं की है।

जहां तक दिल्ली का संबंध है, हाल के बम विस्फोट के बाद सी सी टी वी कैमरे उच्चतम न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय और सभी जिला न्यायालयों में लगाए जा रहे हैं। सी सी टी वी कैमरों को स्थायी आधार पर लगाए जाने तक सी सी टी वी कैमरों को जिला न्यायालयों में किराए पर लगाया गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय में 49 सी सी टी वी कैमरों के लगाए जाने का कार्य चल रहा है।

दिल्ली के 59 बाजारों तथा 27 सीमा जांच चौकियों में सी सी टी वी निगरानी प्रणाली को तीन चरणों में स्थापित किए जाने से संबंधित कार्य दिनांक 7 अक्तूबर, 2008 को मैसर्स ई सी आई एल (भारत सरकार के एक उपक्रम) को सौंपा गया था। पहले चरण में प्रणाली की स्थापना के लिए दिल्ली के 25 बाजार तथा 4 सीमा जांच चौकियां चिन्हित की गई थीं। 24 स्थलों में स्थापना संबंधी कार्य पूरा हो चुका है तथा दिल्ली पुलिस ने इसका नियंत्रण संभाल लिया है। शेष 5 स्थानों में स्थापना संबंधी कार्य शीघ्र पूरा हो जाएगा।

सी सी टी वी लगाए जाने के लिए चरण 2 (क) में दिल्ली के 28 बाजार तथा 10 सीमा जांच चौकियां चिन्हित की गई हैं तथा चरण 2 (ख) में छह स्थानों को कवर किया जाना है। चरण 2 (क) और 2 (ख) को लगभग 2500 कैमरों से कवर किया जाएगा जो राष्ट्रमंडल खेल, 2010 से अधिशेष (सरप्लस) के रूप में उपलब्ध हैं। चरण 3 में, दिल्ली की 13 सीमा जांच चौकियों में सी सी टी वी प्रणाली की स्थापना का कार्य किया जाएगा। चरण I का कार्य पूरा हो जाने के बाद चरण II और चरण III का कार्य प्रारंभ किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और मेट्रो स्टेशनों जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थानों पर सी सी टी वी कैमरे पहले ही लगाए जा चुके हैं।

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में अवसंरचना

***271. श्री धनंजय सिंह : क्या उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में प्रत्येक उत्तर-पूर्वी राज्य में अवसंरचनात्मक परियोजनाओं की आवश्यकता का हाल ही में आकलन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इनमें से प्रत्येक राज्य में केन्द्र द्वारा वित्तपोषित प्रमुख अवसंरचनात्मक विकास परियोजनाएं कौन-कौन सी हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार मणिपुर में हाल ही में की गई आर्थिक नाकेबंदी को देखते हुए इन राज्यों के बीच इंटर कनेक्टिविटी में वृद्धि करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इन राज्यों में व्यापार और वाणिज्य में सुधार करने के लिए इन्हें देश के शेष भागों से बेहतर तरीके से जोड़ने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा ससंदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पबन सिंह घाटोवार): (क) और (ख) प्रत्येक उत्तर पूर्वी राज्य और क्षेत्र में अवसंरचना परियोजनाओं की जरूरत का आकलन एक सतत् प्रक्रिया है और इसके लिए योजना बनाने और नीति तैयार करने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। इसमें अन्य के साथ-साथ राज्य सरकारों, सघ सरकार, इसकी एजेंसियों और अन्य पणधारकों का परामर्श और सहभागिता शामिल हैं इस प्रयास के एक भाग के रूप में पूर्वोत्तर परिषद, उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना निकाय ने 'उत्तर पूर्वी क्षेत्र-विजन 2020-दस्तावेज तैयार किया था जिसे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 2 जुलाई, 2008 को औपचारिक रूप से जारी किया गया था। विजन दस्तावेज में सकल राष्ट्रीय वृद्धि दरों को प्राप्त करने के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र में वृद्धि दरों को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र की सामाजिक-आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, चुनौतियों की पहचान की गई है और क्षेत्रीय तथा सैक्टोरल कार्यान्वयन कार्य नीतियों का सुझाव दिया गया है।

(ग) उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मूल अवसंरचनात्मक केन्द्र द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं का ब्यौरा इस मंत्रालय की वेबसाइट www.mdoner.gov.in पर उपलब्ध है।

(घ) से (च) मणिपुर में हाल ही में की गई नाकेबंदी के संबंध में गृह मंत्रालय द्वारा यह सूचित किया गया है कि एनएच-2 (पूर्व में एनएच-39) बार-बार किए जाने वाले बंद और आर्थिक नाकेबंदियों से प्रभावित होता रहता है। इसलिए एक वैकल्पिक राजमार्ग के रूप में इम्फाल और बदरपुर के बीच एनएच-37 (पूर्व में एनएच-53) को शीघ्र सुदृढ़ करना अनिवार्य हो गया है। यह सुभेद्यताओं को कम करने और मणिपुर को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को रोकने में लड़ाकू समूहों की क्षमता को कुंद करने के लिए जरूरी है। सुरक्षा पर मंत्रिमंडल समिति (सीसीएस) ने दिनांक 19 अक्तूबर, 2010 को हुई अपनी बैठक में बीआरओ द्वारा एनएच-37 और इसके संबद्ध कार्यो के निरंतर रख-रखाव और विकास को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसकी गृह मंत्रालय द्वारा नियमित रूप से निगरानी की जा रही है।

सड़क परिवहन और राजमार्ग, रेल, नागर विमानन और जहाजरानी मंत्रालयों ने उत्तर पूर्वी राज्यों के बीच इंटर कनेक्टिविटी और शेष देश के साथ उनकी कनेक्टिविटी में सुधार के लिए विशेष प्रयास किए हैं और क्षेत्र विशिष्ट फ्लैगशिप कार्यक्रम चलाए हैं। केन्द्र सरकार द्वारा उठाए गए/प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा नीचे दिया गया है –

सड़क परिवहन और राजमार्ग

उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए प्रमुख सड़क निर्माण/उन्नयन परियोजनाएं हैं – उत्तर पूर्व के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम (एसएआरडीपी-एनई) और राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एनएचडीपी)। पोरबंदर से सिलचर तक पूर्व-पश्चिम कोरीडोर का निर्माण एनएचडीपी चरण-II का हिस्सा है। एसएआरडीपी-एनई के उद्देश्य निम्नलिखित हैं :-

(i) उत्तर पूर्वी क्षेत्र में महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्गो पर 4-लेन कनेक्टिविटी।

(ii) उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अन्य राष्ट्रीय राजमार्गो का सुधार करके उन्हें 2-लेन का बनाना।

(iii) उत्तर पूर्वी क्षेत्र के सभी जिला मुख्यालयों को निकटतम राष्ट्रीय राजमार्ग से 2-लेन की सड़क से जोड़ना।

(iv) असम से गुजरे बिना अरूणाचल प्रदेश में यात्रा की सुविधा प्रदान करने के लिए ट्रांस अरूणाचल राजमार्ग।

रेलवे

रेल मंत्रालय द्वारा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में रेल अवसंरचना को सुदृढ़ करने को प्राथमिकता दी गई है। रेल अवसंरचना को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 09 नई रेल लाइनों और 02 गेज परिवर्तन परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजनाओं के रूप में शुरू किया गया है। राष्ट्रीय परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और

इनके लिए पर्याप्त वित्तपोषण हेतु रेल मंत्रालय ने अव्यपगत ''उत्तर पूर्वी रेल विकास निधि (एनईआरआरडीएफ), की स्थापना की है। एनईआरआरडीएफ के लिए रेल सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) के माध्यम से 2.5% वित्तपोषण किया जाएगा और शेष 75% वित्तपोषण वित्त मंत्रालय द्वारा जीबीएस के अतिरिक्त गैर–लाभांश के रूप में किया जाएगा।

वायु सम्पर्क

नागर विमान मंत्रालय ने एनईआर और शेष भारत के बीच और एनईआर के भीतर अनिवार्य वायु–सेवा सुनिश्चित करने के लिए अनुसूचित एयरलाइन ऑपरेटरों के लिए रूट परिक्षेपण दिशा–निर्देश जारी किए हैं। पूर्वोत्तर परिषद वर्ष, 2002 से उत्तर पूर्वी क्षेत्र के भीतर वायु सेवाएं परिचालित करने के लिए अलायंस एयर को व्यवहार्यता गैप वित्तपोषण प्रदान कर रहा है। यह विशेषकर एनईआर के उन हवाई अड्डों के लिए है जो अन्य वाणिज्यिक एयरलाइनों द्वारा समुचित रूप से नहीं जोड़े गए हैं। पूर्वोत्त्र परिषद क्षेत्र में हवाई अड्डों के सुदृढ़ीकरण के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को भी सहायता उपलब्ध कराता है। पैकयांग (गंगटोक), ईटानगर और कोहिमा में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों का निर्माण किया जा रहा है/प्रस्तावित है।

अंतर्देशीय जलमार्ग

ब्रह्मपुत्र नदी को ढुबरी से सादिया तक राष्ट्रीय जलमार्ग–2 घोषित किया गया है और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण इसे अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन अवसंरचना अर्थात् नाव्य जलपथ, टर्मिनल और नौसंचालन सुविधाओं के साथ विकसित कर रहा है। यह जलमार्ग कोलकाता और हल्दिया बंदरगाहों के साथ एनईआर को कनेक्टिविटी उपलब्ध कराता है और उसके द्वारा बांग्लादेश के बीच अंतर्देशीय और जल पारगमन और व्यापार प्रोटोकॉल है। सरकार लखीपुर से भंगा तक बराक नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित करने और उसके बाद इसका विकास करने पर भी विचार कर रही है। यह जलमार्ग भी बांग्लादेश के आईडब्ल्यूटी प्रोटोकॉल रूट के माध्यम से कोलकाता और हल्दिया से जुड़ा हुआ है।

अवसंरचना के लिए अतिरिक्त वित्तपोषण

भारत सरकार के सभी 53 गैर–छूट प्राप्त लाइन मंत्रालय/विभाग बाह्य सहायता प्राप्त स्कीमों और स्थानीय या इवेन्ट विशिष्ट स्कीमों/परियोजनाओं के लिए आबंटन को छोड़कर अपने वार्षिक बजट का कम से कम 10% उत्तर पूर्वी क्षेत्र में व्यय के लिए उद्दिष्ट करते हैं। प्रत्येक वित्त वर्ष की समाप्ति पर उनके उद्दिष्ट किए गए 10% बजट आबंटन का उपयोग न किया गया हिस्सा अव्यपगत केन्द्रीय संसाधन पूल (एनएलसीपीआर) नामक राष्ट्रीय पूल में डाल दिया जाता है। उत्तर पूर्वी राज्यों की वार्षिक प्राथमिकता सूची में प्राप्त परियोजना प्रस्तावों पर एनएलसीपीआर स्कीम के विद्यमान दिशा–निर्देशों के अनुसार उनके प्रतिधारण के लिए विचार किया जाता है और उसके बाद इस मंत्रालय की एनएलसीपीआर स्कीम के तहत वित्तपोषण किया जाता है। एनएलसीपीआर स्कीम को प्रति वर्ष एनएलसीपीआर पूल से बजट आबंटन प्राप्त होता है। एनएलसीपीआर स्कीम का प्रमुख उद्देश्य नई अवसंरचना परियोजनाओं/स्कीमों के लिए बजटीय वित्तपोषण का प्रवाह बढ़ाकर उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अवसंरचना का त्वरित विकास सुनिश्चित करना है। क्षेत्र के संतुलित विकास के लिए पूर्वोत्तर परिषद अन्य के साथ–साथ विशिष्ट एवं अवसंरचना परियोजनाएं और स्कीमें तैयार करती है जिससे दो या अधिक राज्यों को लाभ पहुंचता है।

नए स्थलों और शिलालेखों की खोज

***272. श्री पोन्नम प्रभाकर :**

श्री सी. शिवासामी :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पुरातात्विक खुदाई और शिलालेख शास्त्र संबंधी अध्ययन के संबंध में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा अपनाई गई नीति की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा ऐतिहासिक स्थलों और शिलालेखों का पता लगाए जाने सहित खुदाई तथा खोज संबंधी क्रियाकलाप करते समय कौन–कौन सी नई उल्लेखनीय खोजें की गई हैं;

(ग) क्या सरकार ने तमिल और तेलुगुं भाषाओं से संबंधित शिलालेखों सहित उक्त शिलालेखों का सर्वेक्षण, प्रलेखन कराया है और उनके अर्थ निकलवाएं हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार और भाषा–वार ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा अपनाई गई नीति की मुख्य विशेषताएं संलग्न विवरण–I में दी गई हैं।

(ख) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किए गए उत्खननों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) और (घ) गत तीन वर्षों के दौरान उल्लेखनीय प्रतिकृत शिलालेखों का ब्यौरा संलग्न विवरण-III मे दिया गया है।

विवरण-I

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, राज्य पुरातत्व विभागों, विश्वविद्यालयों तथा अनुसंधान संस्थाओं द्वारा प्रस्तावित उत्खनन/अन्वेषण कार्यो को वार्षिक आधार अर्थात प्रत्येक फील्ड सत्र के लिए अनुमति प्रदान की जाती है। अन्वेषण/उत्खनन के लिए प्रतिवर्ष प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं तथा सिफारिश के लिए केन्द्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड संबंधी स्थायी समिति के समक्ष रखे जाते हैं। विभिन्न एजेंसियों द्वारा निर्धारित अन्वेषण/उत्खनन करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा जारी लाइसेंस प्रतिवर्ष 30 सितम्बर तक वैध होते हैं।

प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के अध्याय III (संरक्षित क्षेत्र में निर्माण तथा अन्य कार्य) के अन्तर्गत नियम 14 (लाइसेंस की अवधि) में स्पष्ट उल्लेख है कि-"**प्रत्येक लाइसेंस ऐसी अवधि के लिए लागू होगा जो तीन वर्षो से अधिक न हो जैसा कि लाइसेंस में विनिर्दिष्ट किया जाए, बशर्ते कि महानिदेशक लाइसेंस की समाप्ति से कम से कम एक माह पहले उन्हें दिए गए आवेदन पर ऐसे समय पर इसकी अवधि एक वर्ष के लिए बढ़ा सकते हैं ताकि कुल अवधि पांच वर्षो से अधिक न हो।**"

हाल ही में पुरातात्विक अन्वेषण और उत्खनन के लिए नई नीति बनाई गई है और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की पुरालेख शाखा के लिए कुछ सिफारिशें की गई हैं:

क. **केन्द्र सरकार द्वारा उत्खनन के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु पुरातात्विक उत्खनन और अन्वेषण दिशानिर्देशों पर राष्ट्रीय नीति**

1. **पूर्ण सूचना** : आवेदक को केंद्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड (सीएबीए) की स्थायी समिति की बैठक के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले निर्धारित प्रोफार्मा में पूर्ण सूचना प्रस्तुत की जानी चाहिए।

2. **संस्थाओं से प्रस्ताव** : संस्था की ओर से किया गया आवेदन संस्था के प्रमुख और विश्वविद्यालयों के मामले में प्रोफेसर अथवा अन्य स्टाफ द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए तथा विश्वविद्यालयों के उप-कुलपति/रजिस्ट्रार द्वारा अग्रेषित होना चाहिए, जिसके न होने पर, इस पर अनुमोदन के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

3. **पृथक् प्रस्ताव** : विभिन्न स्थलों पर उत्खनन के लिए पृथक् प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने चाहिएं। एक से अधिक स्थल का उल्लेख करने वाले प्रस्तावों को सरसरी तौर पर ही निरस्त कर दिया जाएगा।

4. **स्थल की स्थिति** : प्राचीन टीले/स्थल, स्थान-गांव/कस्बा, तालुका, भू-निर्देशांकों के साथ-साथ जिला और राज्य के नाम सहित स्थल का ब्यौरा और मानचित्र सहित पूर्ण स्थिति! अपूर्ण स्थान वाले प्रस्ताव सरसरी तौर पर निरस्त कर दिए जाएंगे।

5. **पिछला अन्वेषण और उत्खनन** : उत्खनन केवल तभी किया जाए, यदि आवश्यक हो और फील्ड अध्ययन की प्रक्रिया में अंतिम पग हो। उद्धारण उत्खनन अथवा आकस्मिक खोज अपवाद के रूप में स्वीकृत होगी।

6. **उत्खनन का उद्देश्य** : प्रत्येक उत्खनन का एक विशेष प्रयोजन होना चाहिए। यदि वह प्रयोजन उत्खनन के बिना अन्य तरीकों द्वारा पूरा किया जा सकता हो, उन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिए। समस्या-अभिमुख अन्वेषणों पर बल दिया जाना चाहिए।

7. **उत्खनन का क्षेत्र** : किसी भी क्षेत्र में उत्खनन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और यह अनिवार्य है कि उत्खनन का क्षेत्र (लाल रेखाचित्रों में दिखाते हुए) स्पष्ट रूप से निरूपति किया जाए।

8. **उत्खनन की अवधि** : उत्खनन के लिए विशेष समय सीमा बनाई जानी चाहिए, जिससे उत्खननों के लिए एक राष्ट्रीय कैलेण्डर तैयार करने में मदद मिलेगी।

9. **उत्खनन के लिए निधियां** : यदि पर्याप्त निधि उपलब्ध नहीं है तो कोई अनुमति नहीं दी जाएगी। रिपोर्ट लेखन के लिए भी निधियां सुरक्षित होनी चाहिएं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को निधियों के लिए अनुरोध किया जाएगा यदि पर्याप्त निधियां उपलब्ध नहीं हैं।

10. **उत्खनन के निदेशक** : प्रत्येक स्थल पर पर्याप्त क्षेत्रीय अनुभव सहित एक निदेशक होगा। अपवादिक परिस्थितियों को छोड़कर, जिसे लिखित में रिकार्ड किया जाना है, उत्खनन निदेशक को बदला नहीं जाएगा।

11. **उपस्कर और स्टाफ** : आवेदकों के पास प्रस्तावित उत्खनन के लिए अपेक्षित पर्याप्त प्रशिक्षित स्टाफ और उपस्कर होने चाहिएं अथवा प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया जाएगा।

12. **सहयोग** : विभिन्न सहयोगात्मक एजेंसियों की भूमिका उचित प्रकार से परिभाषित होनी चाहिए। निदेशक भारत की ओर से होना चाहिए तथा विदेशी सहयोगी उप–निदेशक होना चाहिए। महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुमोदन के बिना विश्लेषण के लिए किसी भी प्रकार का पुरातत्वीय नमूना देश के बाहर नहीं भेजा जाएगा।

13. **उत्खनन रिपोर्टों का प्रकाशन** : रिपोर्टों का प्रकाशन अनिवार्य है। रिपोर्ट प्रस्तुत करने का नियत समय पांच वर्ष है। भावी प्रस्तावों को अनुमति सभी पिछली रिपोर्टों को प्रस्तुत करने के बाद दी जाएगी।

14. **संक्षिप्त वार्षिक रिपोर्ट** : पिछले सत्र के कार्यों की एक संक्षिप्त वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी अनिवार्य है। अविरत कार्यों के मामले में अनुमति संक्षिप्त वार्षिक रिपोर्ट के आध ार पर दी जाएगी।

15. **राज्य सरकारों द्वारा अनुमोदन** : विश्वविद्यालयों/अनुसंधान संस्थाओं को उनकी संबंधित राज्य सरकार के अनुमोदन के बिना किसी प्रकार की अनुमति नहीं दी जाएगी।

16. **रिकार्ड एवं सम्प्रेषित की जाने वाली सिफारिशें** : केंद्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड की स्थायी समिति के कार्यवृत रिकार्ड किए जाएंगे और आवेदकों को इसके निष्कर्ष सम्प्रेषित किए जाएंगे।

17. **उत्खननों की संख्या** : किसी आवेदक को एक फील्ड सत्र में दो उत्खननों से अधिक की अनुमति नहीं दी जाएगी।

18. **अन्वेषण** : व्यापक स्तर पर अन्वेषणों के संवर्धन की तुरंत आवश्यकता है ताकि नए स्थलों की रिकार्डिंग सरलता पूर्वक हो सके। गांव से गांव तक सर्वेक्षण आरम्भ करने के लिए राज्य विभागों को निर्देश देने होंगे। गांवों/मण्डल पंचायतों को अपनी–अपनी राजस्व सीमाओं में पुरातनिक खोजों की रिपोर्ट देने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

19. **पुरावशेषों के सूचीपत्र** : अन्वेषणों/उत्खननों के लिए आवेदन करने वाली संस्थाओं को भी खोजों का अवधि–वार और स्थल–वार रजिस्टर/सूचीपत्र तैयार करना चाहिए तथा राष्ट्रीय स्मारक और पुरावशेष मिशन उनके द्वारा तैयार किए गए मॉडलों पर उनके जिस्टरों/सूचीपत्रों की जांच करेगा।

ख. पुरालेख पर केंद्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड की उप–समिति द्वारा की गई सिफारिशें

1. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 1861 में स्थापित हुआ और 1883 में पुरालेख शाखा ने कार्य करना आरम्भ कर दिया। 1886 में ई. हुल्टजस्क को भारत के प्रथम सरकारी पुरालेखविद् के रूप में नियुक्त किया गया था।

2. कुछ विद्वान, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की इस शाखा के प्रमुख बने, में सम्मिलित थे : के. एन. दीक्षित, एन. पी. चक्रवर्ती (दोनों बाद में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक बने), एच. कृष्णा शास्त्री, एन. लक्ष्मी नारायणन राव, बी. एच. छाबत्रा (जो बाद में संयुक्त महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण बने) और द ग्रेट डी. सी. सरकार शामिल हैं।

3. इन सभी विद्वानों और इनके उत्तराधिकारियों ने विभिन्न पुरालेखीय प्रकाशनों को समृद्ध बनाया है। इनमें से अत्यंत महत्वपूर्ण एपीग्राफिया इंडिया श्रृंखला, कारपस इसॉक्रिपशन इंडिकारम, इंडिकारम के साथ–साथ कुछ महत्वपूर्ण समसामयिक हैं।

4. इस समय इस शाखा के पास देश के सभी हिस्सों से प्रतिकृत 74500 उत्कीर्ण लेखों के एस्टेमपेजेज का संग्रह है।

5. 1990 के बाद पदधारियों की सेवानिवृत्ति के कारण समय–समय पर पद रिक्त होते गए, जिन्हें कभी–कभार ही भरा गया, जिसमें निदेशक (पुरालेख) का पद भी शामिल है। परिणामस्वरूप 13 स्वीकृत पदों में से 8 पद इस समय तथा काफी समय से रिक्त पड़े हैं।

6. नागपुर स्थित महत्वपूर्ण अरबी और फारसी कार्यालय, जो पुरालेख शाखा का एक हिस्सा हे, को भी अनदेखा रखा गया है। 13 स्वीकृत पदों में से 7 पद रिक्त पड़े हैं, जिनमें निदेशक (पुरालेख) का पद भी शामिल है।

7. मैसूर स्थित निदेशक (पुरालेख) के पद को जो वरिष्ठतम उप-अधीक्षण पुरालेखविद्, जो कि इस समय निदेशक का पदभार सम्भाल रहा है, को दो बारगी छूट देते हुए तत्काल भरा जाना चाहिए।

8. इसी प्रकार, नागपुर कार्यालय में अधीक्षण पुरालेखविद् को एक बारगी छूट दी जानी चाहिए और उसे तत्काल अरबी और फारसी उत्कीर्ण लेख के निदेशक (पुरालेख) के रूप में पदोन्नत किया जाना चाहिए।

9. कम स्टाफ वाले तकनीकी अनुभाग को सुदृढ़ करने के लिए सहायक पुरालेखविदों के आरम्भिक पदों की भर्ती को कर्मचारी चयन आयोग के अधिकार क्षेत्र से हटा दिया जाए और इसके स्थान पर एक संस्थागत विशेषज्ञ समिति को इसकी जिम्मेदारी सौंप दी जानी चाहिए।

10. ऐसे सहायक पुरातत्वविद्, जो पुरालेख के क्षेत्र में विशेषज्ञता के लिए विकल्प में रूचि रखते हैं, को भी इस शाखा में शामिल किया जाना चाहिए।

11. चयन श्रेणियों को कार्यनिष्पादन-संबंधित प्रोत्साहनों के रूप में शामिल किया जाना चाहिए।

12. चूंकि देश बहुत विशाल है और नए-नए क्षेत्रों तक पहुंच बन रही है, चार अंचल कार्यालयों के सृजन का अनुमोदन किया गया। प्रारंभ में उत्तरी अंचल कार्यालय अब लखनऊ से और दक्षिण अंचल चैन्नई से कार्य कर रहा है। पुरातत्व संस्थान का एक हिस्सा बनाने के लिए लखनऊ कार्यालय को दिल्ली स्थानांतरित करने से इसका वह उद्देश्य पूरा नहीं होगा जिसके लिए आंचलिक कार्यालयों की स्थापना की गई थी। दूसरी ओर, जैसे कि पहले परिकल्पित किया गया था, पूर्व क्षेत्र के लिए भुवनेश्वर और पश्चिमी क्षेत्र के लिए बडौदा में दो और आंचालिक कार्यालय यथाशीघ्र स्थापित किए जाने चाहिए।

13. पुरालेख शाखा की अखिल भारतीय प्रकृति के पुरालेख के मैसूर, नागपुर, लखनऊ और चैन्नई स्थित कार्यालयों को विभिन्न निदेशकों, जो पुरातत्वविद् होते हैं न कि पुरालेखविद्, के अधीन रखने की मौजूदा व्यवस्था को समाप्त करके, अब बहाल किया जाना चाहिए।

14. पुरालेख शाखा को पुनर्जीवित करने के लिए ये सभी कदम उठाए जाने के बाद समस्त भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की पुनर्सरचना के साथ-साथ इस शाखा की पुनर्सरचना का कार्य शुरू किया जा सकता है।

विवरण-II

गत तीन वर्षो 2008-2009, 2009-2010 और 2010-2011 के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संचालित उत्खननों/ अन्वेषणों और नई खोजों के ब्यौरे

2008-2009

1. आंध्र प्रदेश के नालगोंडा और गुंटूर जिलों में पुलीचिंतल सिंचाई परियोजना का डूब क्षेत्र
2. घोराकटोरा, गिरीयक पुलिस स्टेशन के पास, जिला नालंदा, बिहार
3. चानकीगढ़, रामनगर रेलवे स्टेशन, जिला पश्चिम चंपारण, बिहार
4. रांची और सिंहभूम (पूर्व और पश्चिम), झारखंड के जिले
5. मेलघाट क्षेत्र, जिला अमरावती, महाराष्ट्र
6. टीलवंग/धलेश्वरी की सहायक नदी, सायरंग, लुल, जिला, लुशाई हिल्स, मिजोरम में अन्वेषण।
7. अही क्षेत्र, रामनगर, जिला बरेली, उत्तर प्रदेश।
8. जिला पलवल, हरियाणा में अन्वेषण।
9. सेंट अगस्टीन काम्पलैक्स, ओल्ड गोवा, जिला उत्तरी गोवा में उत्खनन
10. गोपकपट्टनम, उत्तरी गोवा में प्रारम्भिक संयुक्त अन्वेषण और परीक्षक खदकै
11. आमबारी, जिला कामरूप, असम में पुरातत्व स्थल का उत्खनन
12. ईस्ट खासी हिल्स जिला, मेघालय के चेरापूंजी क्षेत्र में अन्वेषण
13. प्राचीन टीला, नगर, जिला टोंक, राजस्थान
14. बानगढ़, गंगारामपुर पुलिस स्टेशन, दक्षिणी दिनाजपुर जिला, पश्चिम बंगाल

15. कौशाम्बी से कपिलवस्तु तक तीर्थ यात्रा मार्ग संस्थापित करने के लिए कौशाम्बी, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, फैजाबाद, अम्बेडकरनगर, गौंडा, बस्ती, संत कबीरनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश के जिलों में पुरातत्वीय अन्वेषण

16. कदवाह, जिला अशोक नगर (मध्य प्रदेश) के आस–पास कच्छपघात मंदिर और अन्य संरचनाओं का वास्तुकलात्मक सर्वेक्षण का सर्वेक्षण और प्रलेखन

17. काकुनी, जिला बारन, राजस्थान

18. लोथल पुनर्विलोकन परियोजना

2009–10

1. वैश्य टेकरी भैरोगढ़, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश

2. मल्हार, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़

3. नजदीकी क्षेत्र मलगंपुरा के साथ–साथ प्राचीन स्तूप के अवशेष, जिला पुलवामा, जम्मू व कश्मीर

4. चापाकार चबूतरों का समूह/संरचनात्मक परिसर, परीमहल, जिला श्रीनगर, जम्मू एवं कश्मीर

5. सनकीसा, जिला फरूर्खाबाद, उत्तर प्रदेश में उत्खनन

6. मोदीकुप्पम, तालुक, गुडीयाट्टम, जिला वैल्लोर, तमिलनाडु

7. नेत्र खिरासर, जिला कच्छ, गुजरात

8. शीला, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में उत्खनन

9. कोंडापुर, कोंडापुर मंडल, जिला मेढक, आंध्र प्रदेश

10. असुरगढ़ किला, केसिंग, नार्ला, जिला कालाहांडी, ओडिशा

11. अही क्षेत्र, रामनगर, तहसील आओंला, जिला बरेली, उत्तर प्रदेश में उत्खनन

12. कुशाण स्तूप (असंध), जिला करनाल, हरियाणा

13. बानगढ़ गंगारामपुर, जिला उत्तरी दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल में उत्खनन

14. टिब्बा नामशाह, मड़ ब्लाक, जिला जम्मू एवं कश्मीर

15. दौलताबाद किला, दौलताबाद, औरंगाबाद, महाराष्ट्र

16. लथिया, जामनिया के जनदीक, जिला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में उत्खनन

17. निंदौर, भभुहा जिला, बिहार में उत्खनन

18. महाबलीपुरम, जिला कांची पुरम, तमिलनाडु में अपशोर और ऑनशोर उत्खनन

19. सिगंलूर और वर्डकीपट्टी, मनप्परारी, तिरूचिरापल्ली, तमिलनाडु

20. मांडू, जिला धार, मध्य प्रदेश में प्राचीन जल स्रोतों का अन्वेषण और प्रलेखन

21. कौशाम्बी से कपिलवस्तु तक तीर्थ यात्रा मार्ग संस्थापित करने के लिए कौशाम्बी, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, फैजाबाद, अम्बेडकर नगर, गौंडा, बस्ती, संत कबीरनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश में जिलों में परीक्षण अनुभाग स्क्रेपिंग/खंदक के साथ पुरातत्वीय/अन्वेषण

22. जातर देउल रायदीघि (सुन्दरवन क्षेत्र), जिला दक्षिणी 24 परगना, पश्चिम बंगाल में वैज्ञानिक सफाई

23. वाराणसी नगर, जिला वाराणसी, उत्तर प्रदेश का वास्तुकलात्मक प्रलेखन

24. अरब सागर, घारापुरी, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र में एलीफेंटा द्वीप में ऑन और ऑफ शोर अन्वेषण

25. कच्छ की खाड़ी, जिला भुज और जामनगर, गुजरात में ऑन और ऑफ शोर अन्वेषण

26. जंजीरा मुरूड, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र

27. सिरमौर, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश का अन्वेषण

28. बंकी से सोनपुर तक मध्य महानदी घाटी के दाएं तट पर अन्वेषण, ओडिशा

29. बनास नदी घाटी, जिला बनासकंठा और कच्छ, गुजरात का अन्वेषण

30. मिजोरम (आइजोल और म्यांमार सीमा के बीच के क्षेत्र) का अन्वेषण

31. मेलघाट क्षेत्र, जिला अमरावती, महाराष्ट्र में अन्वेषण

32. पट्टने और धूले और जलगांव जिलों में प्रागैतिहासिक अन्वेषण

33. जिला पलवल, हरियाणा में अन्वेषण

34. कांचीपुर्लम और तिरूवलूर जिला, तमिलनाडु में एकाश्म स्थलों के आवासीय स्थलों का अन्वेषण

35. दुर्ग और सिमगा दुर्ग के बीच शिवनाथ नदी घाटी का अन्वेषण, छत्तीसगढ़

36. लद्दाख क्षेत्र में सिंधू नदी और इसकी सहायक नदियों का अन्वेषण

37. जम्मू एवं कश्मीर में किश्तवाड़ जिले के दामजी, सैया द्रामन आदि जैसे कुछ स्थलों वाले नागसैनी क्षेत्र, में (किश्तवाड़ पद्दार रोड) का अन्वेषण

38. कदवाह, जिला अशोक नगर, मध्य प्रदेश का अन्वेषण

39. प्रारंभिक पांडयों, मुत्तरेयारों, ईरूक्केवेलों, पांडयों के अधीन जागीरदारों और नायकों के गुफा मंदिरों का सर्वेक्षण

2010–11

1. खन्डेरा, नरवाड और टिकोडा, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश

2. ऊपरी सिंधू घाटी, जिला लेह, जम्मू एवं कश्मीर में अन्वेषण और परीक्षण उत्खनन

3. मल्हार, जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़

4. कोल्हुआ, वैशाली के पास, जिला, मुज्जफरपुर, बिहार

5. कौंडापुर (कोंडापुर मंडल), मेढक, आंध्र प्रदेश

6. बंकी से सोनपुर तक मध्य महानदी के दाएं पर अन्वेषण ओडिशा

7. नेत्र खिरासर, जिला कच्छ, गुजरात

8. बनास नदी घाटी, जिला बनासकंठा और कच्छ, गुजरात का अन्वेषण

9. कुरूगुडू (बुद्धीकोला), जिला बैल्लारी, कर्नाटक

10. ताप्ती – पूर्ण बेसिन जलगांव और भुसावल जिले, महाराष्ट्र में अन्वेषण

11. वाराणसी, उत्तर प्रदेश का पुरातात्विक प्रलेखन

12. सेंगलूर, कुलात्तुर, पुदूकोट्टाई, तमिलनाडु

13. प्रारंभिक पांडयों, मुत्तरेयारों, ईरूक्केवेलों, पांडयों के अधीन जागीरदारों और नायकों के गुफा मंदिरों का सर्वेक्षण

14. फोबंज, जिला अशोकनगर, सरवाया, तेराही, महुआ, रन्नौड, शिवपुरी, मध्य प्रदेश में कच्छपघात मंदिरों का वास्तुकलात्मक सर्वेक्षण

15. अही क्षेत्र, रामनगर, तहसील आओंला, जिला बरेली, उत्तर प्रदेश में उत्खनन

16. मल्यदीपट्टी, तालुक, कुलत्तूर, जिला, पुदूकोट्टाई, तमिलनाडु

17. कुशाण स्तूप (असंध), जिला करनाल, हरियाणा

18. बानगढ़, गंगारामपुर, जिला उत्तरी दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल में उत्खनन

19. चन्द्रकेतुगढ़, मौजा हादीपुर चुपरीझारा एवं सिगेरेती, उत्तरी 24 परगना, पश्चिम बंगाल

20. कौशाम्बी से कपिलवस्तु तक तीर्थ यात्रा मार्ग संस्थापित करने के लिए कौशाम्बी, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, फैजाबाद, अम्बेडकरनगर, गौंडा, बस्ती, संत कबीरनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश के जिलों में पुरातत्वीय अन्वेषण

21. राजा–विशाल–का गढ़, जिला वैशाली, बिहार

22. चंपानेर–पावागढ़, पुरातत्वीय उद्यान, चंपानेर, गुजरात

23. कोट्टापलम, कट्टरेनाकोना मंडल, जिला ईस्ट गोदावरी आंध्र प्रदेश में दबे पोत का उत्खनन

विवरण-III

तीन वर्षो के दौरान उल्लेखनीय प्रतिकृत शिलालेखों के ब्यौरे

2008–09

आंध्र प्रदेश : बुच्छीरेद्दपल्ली, नेल्लौर जिले से काकतिया शिला लेख।

बिहार : बसाह, भभुआ जिले से अशोक की शिला राजाज्ञ।

तमिलनाडु :

(1) बलेकुप्पम, वेल्लोर जिले से पल्लव शिलालेख।

(2) उत्तीरामेरूर, कॉचीपुरम जिले से चोल शिलालेख।

(3) तिरूच्छेन्दुरई, तिरूचिरापल्ली जिले से चोल शिलालेख।

उत्तर प्रदेश :

(1) अमरोहा, अमरोहा जिले से चन्देल तांबा प्लेट।

(2) अरबी और फारसी, नस्ख और नस्तालिक।

दिल्ली : अरबी और फारसी, नस्ख और नस्तालिक।

कर्नाटक : अरबी और फारसी, नस्ख और नस्तालिक।

2009–10

आंध्र प्रदेश : मुत्तूलुरू, कडप्पा जिले से विजयनगर शिलालेख।

कर्नाटक : कामढल्ली, मध्य प्रदेश से विजयनगर शिलालेख।

तमिलनाडु :

(1) अगरमसेरी, वेल्लोर जिले से पल्लव शिलालेख।

(2) अरबी और फारसी, नस्ख और नस्तालिक।

उत्तर प्रदेश : अरबी और फारसी, नस्ख और नस्तालिक।

2010–11

आंध्र प्रदेश :

(1) फनीगिरी, नालगोंडा जिले से इक्ष्वाकु शिलालेख।

(2) कूकात्लापल्ली, प्रकाशम जिले से तेलुगु चोल शिलालेख।

बिहार : अरबी और फारसी, नस्ख और नस्तालिक।

केरल : कुरूमत्तूर, मल्लापुरम जिले से चेर शिलालेख।

कर्नाटक : अरबी और फारसी, नस्ख और नस्तालिक।

महाराष्ट्र : अरबी और फारसी, नस्ख और नस्तालिक।

तमिलनाडु : अरबी और फारसी, नस्ख और नस्तालिक।

(1) तिरूविन्दालूर, नगाई जिले से चोल तांबा प्लेट।

(2) तिलईस्थनम, तंजावुर जिले से चोल शिलालेख।

(3) अरबी और फारसी, नस्ख और नस्तालिक।

उत्तर प्रदेश : अरबी और तंजावुर जिले से चोल शिलालेख।

2011–12 (07.12.2011 तक)

आंध्र प्रदेश :

(1) गरनीमेट्टा, चित्तूर जिले से तेलगू शिलालेख।

(2) लक्कवरम, प्रकाशम जिले से विजयनगर शिलालेख।

(3) तिरूपति, चित्तूर जिले से एक तांबा प्लेट।

(4) रावुलकोल्लू, प्रकाशम जिले से काकतिया शिलालेख।

(5) सनिपेटा, श्रीकाकूलम जिले से पूर्वी गंगा तांबा प्लेट।

राजस्थान : अरबी और फारसी, नस्ख और नस्तलिका।

तमिलनाडु :

(1) अरियुर, पुदुकोट्टाई जिले से चोल शिलालेख।

गत तीन वर्षों में पुरालेख शाखा, मैसूर द्वारा प्रतिकृत शिलालेखों की कुल संख्या :–

(क) तमिलनाडु : तमिल भाषा – 400 शिलालेख

(ख) आंध्र प्रदेश : तेलुगु भाषा – 125

गत तीन वर्षों में पुरालेख शाखा, नागपुर द्वारा प्रतिकृत शिलालेखों की कुल संख्या –

(क) अरबी और फारसी, नस्ख और नस्तालिक – 173

(ख) 2011–12 – अरबी और फारसी, नस्ख और नस्तालिक – 34

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में लीकेज

***273. श्री महेश जोशी :**

श्रीं एंटो एंटोनी :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली श्रृंखला में ऐसे बिन्दुओं की पहचान की है जहां से विपथन/लीकेज के कारण होने वाली हानि अधिक है।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षो में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार ऐसे कितने मामलों का पता चला है एवं इससे अनुमानतः कितना नुकसान हुआ है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त मामलों को रोकने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सूचना प्रौद्योगिकी आधारित कंप्यूटीकरण शुरू करने के साथ-साथ खाद्य राजसहायता अंतरण की वैकल्पिक पद्धतियां शुरू की हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें कितनी सफलता मिली है; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत भ्रष्ट व्यवहार करने वाले ऐसे लोगों, जिनके विरूद्ध कार्रवाई की गई है, की संख्या दर्शाते हुए इसमें विपथन/भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) से (ङ) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली केन्द्र और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की संयुक्त जिम्मेदारी के अधीन चलाई जाती हैं केन्द्र सरकार खाद्यान्नों की खरीदारी, आबंटन और भारतीय खाद्य निगम के नामित डिपुओं तक इनकी ढुलाई के लिए जिम्मेदार है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र के अंदर आबंटित खाद्यान्नों का उठान और वितरण करने संबंधी प्रचालनात्मक दायित्व, गरीबी रेखा से नीचे के पात्र परिवारों की पहचान करने, उन्हें राशन कार्ड जारी करने और उनकी निगरानी करने तथा उचित दर दुकानों की कार्यप्रणाली की मानीटरी करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की होती है।

लक्षित 'सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्रियान्वयन पर किए गए मूल्यांकन अध्ययनों से यह पता चला है कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्नों के लीकेज/अथवा उपयोग (डाइवर्सन) सहित कुछ कमियां हैं। प्राप्त हुई रिपोर्टे लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण में पाई गई कमियों को दूर करने के लिए सुधारात्मक उपायों हेतु संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को भेजी गई थी। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्रियान्वयन के बारे में केन्द्र सरकार को प्राप्त हुई शिकायतें भी जांच और आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को भेजी जाती हैं। तथापि, आपूर्ति श्रृंखला में विभिन्न स्थानों पर ऐसे मामलों, इनमें हुई हानि आदि की संख्या का विशिष्ट आकलन उपलब्ध नहीं है।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत और कारगर बनाना एक सतत् प्रक्रिया है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कंप्यूटरीकरण संबंधी प्रायोगिक स्कीम और आवश्यक वस्तुओं की समार्ट कार्ड आधारित डिलीवरी शुरू की गई है। कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने लाभार्थियों को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सामग्री की डिलीवरी के लिए स्मार्ट कार्ड, फूड कूपन, बार-कोडिड राशन कार्ड आदि जारी करने की सूचना दी है, जिनसे खाद्यान्नों के लीकेज/अन्यथा उपयोग (डाइवर्सन) को रोकने में सहायता मिलेगी। भारत सरकार ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से यह अनुरोध भी किया है कि वे लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दक्षता और प्रभावकारिता में सुधार करने के लिए समयबद्ध तरीके से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एक सिरे से दूसरे सिरे तक कंप्यूटरीकरण करें।

सरकार ने नियामित रूप से समीक्षा की है और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदेश दिए हैं कि वे मानीटरिंग तंत्र और सतर्कता में सुधार करके, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण में पारदर्शिता बढ़ाकर, संशोधित नागरिक अधिकार-पत्र अपनाकर और उचित दर दुकानों की दक्षता में सुधार करके लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण को मजबूत करें।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए व्यक्तियों/कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पिछले 3 वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा जिन व्यक्तियों/कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, उनके ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-

वर्ष	उन व्यक्तियों/कर्मचारियों की संख्या जिनके खिलाफ दण्डात्मक कार्रवाई की गई है
2008	5409
2009	5162
2010	7424
2011 (अगस्त, 2011 तक)	951

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में युवाओं को प्रशिक्षण

***274. श्री कबीन्द पुरकायस्थ** : क्या **उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने निर्माण उद्योग विकास परिषद के सहयोग से उत्तर-पूर्व क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण और रोजगार देने की जिम्मेदारी ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) निर्माण उद्योग विकास परिषद द्वारा राज्य-वार कुल कितने युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया है तथा अब तक कितने युवाओं को रोजगार मिला है;

(घ) क्या निर्माण उद्योग विकास परिषद को प्रशिक्षण कार्यक्रम में खामियों का पता चला है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और मंत्रालय द्वारा उक्त प्रयोजनार्थ कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है?

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री पबन सिंह घाटोवार) : (क) और (ख) उत्तर पूर्वी क्षेत्र (एनईआर) के युवाओं को विभिन्न पात्र संस्थाओं/एजेंसियों के माध्यम से ऐसे क्षेत्रों, जिनमें रोजगार की अपार संभावनाएं हैं, में प्रशिक्षण देने के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में ''क्षमता निर्माण एवं तकनीकी सहायता'' नामक एक स्कीम है। यह स्कीम उत्तर पूर्वी क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण और नियोजन की जिम्मेदारियों के मामले में सहयोगात्मक नहीं है। निर्माण उद्योग विकास परिषद (सीआईडीसी) को 500 युवाओं को प्रशिक्षत करने के लिए वित्त वर्ष 2010-11 में लगभग 1.03 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं।

(ग) सीआईडीसी ने सूचित किया है कि अब तक 252 युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है और 101 युवा प्रशिक्षण/परामर्श प्राप्त कर रहे हैं (252 + 101 = 353)। क्रमशः 278 और 75 युवा (278 + 75 = 353) असम और त्रिपुरा से हैं। अब तक सभी 252 प्रशिक्षित युवाओं को नियोजन का प्रस्ताव प्राप्त हो गया है, उनमें से 118 ने नियोजन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है।

(घ) और (ङ) सीआईडीसी में उपर्युक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में कुछ खामियों की शिकायत संबंधी एक पत्र मंत्रालय में प्राप्त हुआ हैं पत्र में उल्लिखित खामियों में अन्य के साथ-साथ भोजन तथा आवास समस्याओं सीआईडीसी प्राधिकारियों द्वारा दुर्व्यव्हार और कुप्रबंधन और मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों के दुरूपयोग का उल्लेख किया गया हैं मंत्रालय ने इस मामले को सीआईडीसी के समक्ष उठाया था। यह बताया गया कि प्रशिक्षण कार्यक्रम में 20% क्लासरूम (सैद्धांतिक) ज्ञान देने और 80% ''प्रत्यक्ष कार्य स्थल'' पर हाथों से प्रैक्टिस का प्रावधान है जिससे प्रशिक्षु निर्माण में अपेक्षित कौशलों को सीख सकें जिससे वे बेहतर पर्यवेक्षक बन सकें तथा साथ ही साथ निर्माण व्यवसाय में निहित मैनियल कार्यों के सभी पहलुओं की महता को जान सकें। सीआईडीसी प्रशिक्षण केन्द्र में प्रशिक्षु उत्तर पूर्वी राज्यों सहित सभी राज्यों से आते हैं और किसी अन्य प्रशिक्षण संस्थान की तरह उनके साथ समान व्यवहार किया जाता है।

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय ने सीआईडीसी प्रबंधन को भी बता दिया है कि वे प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की प्रकृति और इसमें निहित संभावित कठिनाइयों के बारे में अभ्यर्थियों को उनके चयन से पहले अवगत करा दें।

मंत्रालय ने अब तक सीआईडीसी को 77.47 लाख रुपए जारी किए हैं।

एकसमान खरीद नीति

***275. श्री खगेन दास** : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी एजेंसियों द्वारा खाद्यान्नों की खरीद के संबंध में पूरे देश में एकसमान नीति अपनाई जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या आंध्र प्रदेश सहित कुछ राज्यों में मिल मालिकों द्वारा सरकारी एजेंसियों की तुलना में खाद्यान्न की अधिक खरीद की जा रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकारी एजेंसियों द्वारा खरीद में सुधार करने और किसानों को खरीद मूल्य का समय से भुगतान सुनिश्चित करने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) और (ख) भारत सरकार की खरीद नीति सम्पूर्ण देश में एक समान है। केन्द्र सरकार मौजूदा खरीद नीति के अधीन भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकारों/राज्य एजेंसियों के जरिए धान, गेहूं, और मोटे अनाजों के लिए समर्थन मूल्य प्रदान करती है। निर्दिष्ट खरीद केंद्रों पर किसानों द्वारा बिक्री के लिए लाए गए विहित मानदण्डों को पूरा करने वाले समस्त खाद्यान्नों की खरीदारी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद एजेंसियों द्वारा कर ली जाती हैं किसानों के पास यह विकल्प होता है कि वे अपना उत्पाद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर भारतीय खाद्य निगम/राज्य एजेंसियों को अथवा खुले बाजार में, जहां भी उन्हें लाभ मिलता हो, बचे सकते हैं। भारत सरकार ने वर्ष 1997–98 से विकेन्द्रीकृत खरीद योजना भी लागू की है। विकेन्द्रीकृत खरीद योजना के अधीन राज्य सरकारों द्वारा स्वयं खाद्यान्नों की खरीदारी और वितरण अपनी-अपनी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए किया जाता है। फिलहाल, 10 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने खरीदारी हेतु विकेन्द्रीकृत खरीद योजना अपनाई है।

(ग) और (घ) जी हां। सरकार द्वारा चावल की खरीदारी या तो खरीदे गए धान की कस्टम मिलिंग कराकर अथवा लेवी के जरिए की जाती है। चावल मिल-मालिकों पर लेवी चावल के रूप में उनके उत्पादन का एक निर्दिष्ट प्रतिशत लेने के लिए राज्य सरकारों द्वारा लेवी लगाई जाती है। आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में 75% लेवी लागू कर रखी हैं लेवी चावल के लिए मिल-मालिक स्वयं धान की खरीदारी करते हैं और सरकार को लेवी चावल देते हैं। मिल-मालिकों को लेवी चावल की डिलीवरी होने पर भुगतान किया जाता है। कस्टम मिलिंग के अधीन भारतीय खाद्य निगम और सरकारी एजेंसियों द्वारा धान खरीदा जाता है तथा इसकी कस्टम मिलिंग कराई जाती है। आंध्र प्रदेश सरकार से नियमित रूप से कहा जा रहा है कि वह धान की सीधी खरीदारी के प्रतिशत को बढ़ाएं। आंध्र प्रदेश में खरीदे गए लेवी और कस्टम मिल्ड चावल के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ङ) खरीदारी प्रक्रिया में सुधार करने के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :-

(i) राज्यों को विकेन्द्रीकृत खरीद योजना अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि अधिकतम खरीद हो सके और किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की बेहतर पहुंच सुनिश्चित हो सके। अब तक गेहूं के लिए 5 राज्यों ने विकेन्द्रीकृत खरीद योजना अपनाई है और चावल के लिए 9 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने विकेन्द्रीकृत खरीद योजना अपनाई है।

(ii) खरीदारी की प्रक्रिया में तेजी लाने तथा खरीद प्रचालनों की मानीटरिंग करने हेतु समय-समय पर राज्यों के खाद्य सचिवों के साथ बातचीत की जाती है।

(iii) किसानों के लिए सुविधाजनक स्थानों पर क्रय केन्द्र खोलने हेतु अनुदेश जारी किए गए हैं।

(iv) सीमांत और लघु किसानों तक न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रचालनों की पहुंच बढ़ाने के लिए सहकारी समितियों/स्वयंसेवी समूहों को धान के संबंध में न्यूनतम समर्थन मूल्य के 2.5% और गेहूं के संबंध में न्यूनतम समर्थन मूल्य के 2% की दर पर कमीशन देने की अनुमति दी गई है।

विवरण

आंध्र प्रदेश में खरीदे गये लेवी और कस्टम मिल चावल का ब्यौरा

खरीफ विपणन मौसमु	कस्टम मिल चावल के रूप में खरीदा गया चावल	लेवी के रूप में खरीदा गया चावल	कुल खरीद
2008–09	7.77	82.81	90.58
2009–10	3.03	72.52	75.55
2010–11	16.42	79.69	96.11

[हिन्दी]

पशुधन संख्या

***276. श्री रेवती रमण सिंह :**

श्री उदयनराजे भोंसले :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत एक वर्ष के दौरान देश के विभिन्न भागों में मवेशियों में घातक रोग फैलने की जानकारी मिली है;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप अनुमानतः कितने पक्षियों/पशुओं को मारा गया है;

(ग) इन रोगों की रोकथाम में सरकार को अब तक कितनी सफलता मिली है; और

(घ) बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पशुधन के विकास के लिए क्या रूपरेखा तैयार की गई है?

कृषि मंत्री (श्री शरद पवार): (क) जुलाई, 2010 से जून, 2011 तक के दौरान देश में पशुधन और कुक्कुट में जानलेवा रोगों (जिसमें मृत्यु हो सकती है) के प्रकोप की सूचना है। उच्च पैथोजनिक एवियन इंफ्ल्यूएंजा (बर्ड फ्लू) रानी खेत (न्यूकैसल रोग), ग्लैडर्स, एंथ्रेक्स, पेस्ट डे पिटिटीस युमिनेंट्स (पीपीआर) और रेबीज उच्च मृत्यु दर वाले रोग हैं।

(ख) भारत सरकार ने केवल एवियन इंफ्ल्यूएंजा और ग्लैंडर्स के प्रकोपों की रोकथाम के लिए पक्षियों/अश्वों को मारने को प्राधिकृत किया है। इस अवधि में एवियन इंफ्ल्यूएंजा के प्रकोप को रोकने के लिए कुल 20520 कुक्कट पक्षी और ग्लैंडर्स के प्रकोप को रोकने के लिए 2 अश्वों को मारा गया है।

(ग) प्रभावित क्षेत्रों में कुक्कुट में बर्ड फ्लू और अश्वों में ग्लैंडर्स के सभी प्रकोपों का सफलतापूर्वक नियंत्रण और विरोध कर लिया गया है। उनके प्रसार पर सफलतापूर्वक काबू पा लिया गया था।

(घ) योजना आयोग द्वारा 12वें योजना दस्तावेज को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

[अनुवाद]

भुखमरी संबंधी अध्ययन

***277. श्री वरुण गांधी : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आक्फैम द्वारा हाल में किए गए अध्ययन में खुलासा किया गया है कि वर्ष 1990 से 2005 के दौरान देश में आर्थिक वृद्धि के बावजूद भी उक्त अवधि के दौरान भारत में भूख से प्रभावित होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 65 मिलियन हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या अध्ययन रिपोर्ट में आवश्यक खाद्य वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि की समस्या से निपटने तथा भुखमरी को रोकने के लिए खाद्य प्रणाली में परिवर्तन करने का सुझाव भी दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) से (घ) ऑक्सफैम द्वारा जारी किए गए परिचर्चा दस्तावेजों (डिस्कसन पेपर) के अनुसार वर्ष 1990–2005 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद दोहरा होने के बावजूद भुखमरी ग्रस्त व्यक्तियों की संख्या बढ़कर 53 मिलियन हो गई हैं इसमें आगे कहा गया है कि यद्यपि इस अवधि के दौरान कुपोषितों की संख्या स्थिर रही है लेकिन भुखमरी से ग्रस्त लोगों की संख्या में वृद्धि आबादी बढ़ने के कारण हुई है। तथापि, उपर्युक्त निष्कर्षों का मिलान करने के लिए भुखमरी के संबंध में आंकड़ों की कोई अधिकारिक सूचना नहीं है।

देश में भुखमरी की समस्या को हल करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को पर्याप्त अनाज मिले, सरकार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याण योजनाओं के अधीन गरीब और कमजोर आबादी के लिए अत्यधिक राजसहायता प्राप्त मूल्यों पर अनाज प्रदान कर रही है। वर्ष 2011–12 के दौरान लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 563.38 लाख टन खाद्यान्न

आवंटित किया गया है। इसके अलावा, अन्य कल्याण योजनाओं के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 48.69 लाख टन खाद्यान्नों का आवंटन किया गया है।

इस अध्ययन में अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधान का प्रभावी क्रियान्वयन करने और कृषि उत्पादकता का सतत पुनरूज्जीवन करने का सुझाव दिया गया है ताकि देश में भुखमरी कम की जा सके। सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधान को अधिनियमित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

[हिन्दी]

दूरदर्शन/आकाशवाणी कार्यक्रमों की गुणवत्ता

278. **श्रीमती भावना पाटील गवली:**
श्री विष्णु देव साय:

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निजी कंपनियों की तुलना में दूरदर्शन केन्द्रों/आकाशवाणी द्वारा प्रसारित कार्यक्रमों की गुणवत्ता की समीक्षा की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे;

(ग) इसमें किन मुख्य खामियों की पहचान की गई है; और

(घ) इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) और (ख) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि दूरदर्शन/आकाशवाणी के कार्यक्रमों की विषय-वस्तु व गुणवत्ता की समीक्षा एक सतत प्रक्रिया है। दूरदर्शन और आकाशवाणी प्राइवेट चैनलों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करते हैं क्योंकि उनका प्राथमिक अधिदेश लोक सेवा प्रसारण है।

तथापि, दूरदर्शन के कार्यक्रमों की गुणवत्ता की साप्ताहिक आधार पर निगरानी की जा रही है। दिनांक 20.11.2011 से दिनांक 26.11.2011 तक की अवधि के लिए समस्त 4+ दर्शकों और सीऐंडएस 4+ दर्शकों के बीच डीडी नेशनल का स्थान चौथे स्थान से बढ़कर तीसरे स्थान पर पहुंच गया जैसा कि भारत (कुल बाजार) में दूरदर्शन और अन्य केबल सैटेलाइट चैनलों (जीईसी) की साप्ताहिक औसत टीवीआर व हिस्सेदारी के संबंध में टैम मीडिया की रिपोर्ट में बताया गया है। दूरदर्शन अपने विभिन्न चैनलों पर प्रसारित धारावाहिकों/कार्यक्रमों की गुणवत्ता की सतत समीक्षा करता है तथा विभिन्न स्कीमों के जरिए विभिन्न सॉफ्टवेयर घरानों/निर्माताओं से स्तरीय सॉफ्टवेयर अधिप्राप्त करके ट्रांसमिशन की विषय-वस्तु व तकनीकी गुणवत्ता में और अधिक सुधार लाने का प्रयास करता है। कार्यक्रमों की तकनीकी गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए स्टूडियों व उपस्करों को निरंतर आधुनिकीकृत व अद्यतित किया जा रहा है।

आकाशवाणी के पास देशभर में श्रोता-अनुसंधान इकाइयों का एक व्यापक नेटवर्क है जोकि समय-समय पर श्रोता संबंधी सर्वेक्षण कराता है और विभिन्न आकाशवाणी केंद्रों/चैनलों पर प्रसारित कार्यक्रमों के बारे में नियमित रूप से फीडबैक मुहैया कराता है। विभिन्न आकाशवाणी केंद्रों/दूरदर्शन केंद्रों में गठित संयुक्त कार्यक्रम सलाहकार समितियों/कार्यक्रम सलाहकार समितियों में विभिन्न क्षेत्रों के विशिष्ट व्यक्ति शामिल होते हैं। इन समितियों के सदस्य कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए अपने सुझाव देते हैं। उनके पत्रों, ई-मेल, फोन-कॉल और एसएमएस के जरिए प्राप्त फीडबैक को भी यथोचित महत्त्व दिया जाता है। आकाशवाणी कार्यक्रमों की तकनीकी गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए अपने नेटवर्क में भी सुधार ला रहा है।

(ग) कोई विशेष कमी नहीं पाई गई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

बढ़ता शहरीकरण

279. **श्री वीरेन्द्र कश्यप:**
श्री कमल किशोर 'कमांडो':

क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो दशकों के दौरान देश में शहरी जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है;

(ख) क्या शहरों की जनसंख्या वृद्धि के अनुरूप अपेक्षित आवासों की संख्या के संबंध में कोई आकलन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार पलायन के दबाव को कम करने के लिए आवासों या नए नगर क्षेत्रों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कोई योजना शुरू करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त योजना को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) भारत की जनगणना, 1911 के अनुसार देश की शहरी जनसंख्या 21,76,11,012 थी जो भारत की जनगणना, 2011 में बढ़कर 28,61,19,689 हो गयी तथा भारत की जनगणना, 2011 के अनुसार अब बढ़कर 37,71,05,760 हो गई है।

(ख) और (ग) 11वीं योजना के प्रारंभ में शहरी आवासीय कमी का अनुमान लगाने के लिए आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा गठित तकनीकी समूह ने यह अनुमान लगाया है कि वर्ष 2007 की स्थिति के अनुसार शहरी आवासीय कमी 24.71 मिलियन है जो 11वीं योजना आबादी (2011-12) के अंत तक बढ़कर 26.53 मिलियन हो जाएगी।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय शहरी आवास और पर्यावास नीति (एन यू एच एच पी), 2007 का उद्देश्य ऐसे छोटे और मझौले कस्बों के विकास में तेजी लाना है जो आर्थिक गति के जनक के रूप में कार्य करने के साथ-साथ मौजूदा बड़े शहरों में प्रवसन की दर में कमी लाने का प्रयास कर सकते हैं तथा इस नीति में संतुलित विकास के लिए तीव्र परिवहन कोरीडोरों पर आधारित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तरीय क्षेत्रीय योजनाएं तैयार करके मेगा और मेट्रो शहरों में प्रवसन की दर में कमी लाने की तत्काल आवश्यकता का भी समर्थन किया गया है।

'भूमि' और 'कॉलोनी बसाना' राज्य के विषय होने के कारण एनयूएचएचपी : 2007 के अंतर्गत पहल-प्रयास शुरू करना राज्य सरकारों पर निर्भर है।

तथापि, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय 'राजीव आवास योजना' (रे) नाम की एक नई स्कीम दिनांक 2.6.2011 को शुरू की है। 'राजीव आवास योजना' (रे) फेज-I, 5000 करोड़ रु. के बजट के साथ स्कीम के अनुमोदन की तारीख से दो वर्षों की अवधि के लिए है। इस स्कीम में स्लमवासियों को संपत्ति का अधिकार देने के इच्छुक राज्यों को स्लम पुनर्विकास हेतु उपयुक्त आश्रय तथा बुनियादी नागरिक एवं सामाजिक सेवाओं के प्रावधान और किफायती आवासों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। बुनियादी नागरिक तथा सामाजिक अवसंरचना एवं सुविधाओं तथा आवास जिसमें किराया आवास शामिल है, तथा स्लमों के स्वस्थाने पुनर्विकास के लिए अस्थायी आवास के प्रावधान की 50 प्रतिशत लागत जिसमें इस स्कीम के तहत निर्मित परिसंपत्तियों का प्रचालन और रख-रखाव शामिल है, केन्द्र द्वारा वहन की जाएगी। पूर्वोत्तर तथा विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए भूमि अधिग्रहण की लागत, यदि आवश्यक हो, सहित केन्द्र की हिस्सेदारी 90 प्रतिशत होगी।

इस स्कीम के प्रथम चरण में 250 शहरों को शामिल किए जाने की संभावना है।

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने वर्ष 2009 में भागदारी किफायती आवास नामक स्कीम भी शुरू की है जिसका उद्देश्य 5000 करोड़ रु. के परिव्यय से किफायती आवास के निर्माण के लिए भूमि जुटाना तथा आंतरिक और बाह्य अवस्थापना संपर्क का प्रावधान करने हेतु केन्द्र सरकार की सहायता मुहैया कराना है।

चूंकि ये स्कीमें राज्यों द्वारा नियत गति से प्रगति करेगी इसलिए इस स्तर पर कार्यान्वयन के लिए कोई समय-सीमा नहीं दी जा सकती है।

[अनुवाद]

सीमा पर बाड़ लगाया जाना

***280. श्री हरिन पाठक** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगे सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ तथा फ्लड लाइटें लगाए जाने के लिए आबंटित, स्वीकृत और खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस संबंध में की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है और इस कार्य के कब तक पूरा होने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान भारत-बांग्लादेश सीमा (आई बी बी) और भारत-पाकिस्तान सीमा (आई पी बी) पर बाड़ लगाने और तेज रोशनी की व्यवस्था करने के लिए आबंटित एवं मंजूर की गई निधियां और उन पर हुए व्यय का ब्यौरा निम्नानुसार है :-

सीमा पर बाड़ लगाना :

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	आबंटित निधियां		मंजूर की गई निधियां		इन पर हुआ व्यय	
	आई बी बी	आई पी बी	आई बी बी	आई पी बी	आई बी बी	आई पी बी
2008-09	402.68	87.75	400.82	91.90*	393.78	91.90*
2009-10	485.00	121.40	463.24	120.70	455.17	93.49
2010-11	197.74	120.50	284.04*	136.30*	167.83	136.30*
2011-12 बजट अनुमान	280.00	90.50	122.17	70.26	99.51	0.06#

* किया गया व्यय और जारी की गई मंजूरी, आबंटित की गई निधियों से अधिक हैं क्योंकि मंजूरियां बजट अनुमान (बीई) के आधार पर जारी की गई थीं जबकि आबंटन को संशोधित अनुमान (आर ई.) के स्तर पर बाद में संशोधित करके कम किया गया था।

निर्माणकर्त्ता एजेंसी (सी पी डब्ल्यू डी) ने 25 करोड़ रुपये से अधिक के व्यय की सूचना दी है। तथापि, इसे अभी अभिलिखित किया जाना है।

सीमा पर तेज रोशनी की व्यवस्था करना :

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	आबंटित निधियां		मंजूर की गई निधियां		इन पर हुआ व्यय	
	आई बी बी	आई पी बी	आई बी बी	आई पी बी	आई बी बी	आई पी बी
2008-09	9.50	28.50	10.00*	10.00	9.88*	4.46
2009-10	140.00	40.10	140.00	38.13	140.00	38.13
2010-11	117.00	10.00	123.40*	10.11*	123.32*	10.11*
2011-12 (बजट अनुमान)	80.00	45.00	80.00	9.34	62.43	6.83

* किया गया व्यय और जारी की गई मंजूरी, आबंटित की गई निधियों से अधिक हैं क्योंकि मंजूरियां बजट अनुमान (आर ई.) के स्तर पर बाद में संशोधित करके कम किया गया था।

(ख) कार्य की प्रगति और समय-सीमा, जब तक इसके पूर्ण कर लिए जाने की संभावना है, का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

भारत-बांग्लादेश सीमा (आई बी बी) पर बाड़ लगाना और तेज रोशनी की व्यवस्था करना :

सरकार ने भारत-बांग्लादेश सीमा पर दो चरणों में बाड़ लगाए जाने की मंजूरी प्रदान की थी। चरण-I और चरण-II में बाड़ लगाए जाने हेतु मंजूर की गई भारत-बांग्लादेश सीमा की कुल लम्बाई 343.659 किमी. है जिसमें से अब तक लगभग 2760.12 किमी. क्षेत्र में बाड़ लगाने का काम पूरा कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने चरण-I के तहत लगाई गई समग्र बाड़ को बदलने की एक परियोजना (चरण-III) मंजूर की है। चरण-II के अन्तर्गत अब तक 790 किमी (861 किमी. में से) की बाड़ को बदल दिया गया है।

प्रायोगिक परियोजना के रूप में पश्चिम बंगाल में 277 किमी में

तेज रोशनी की व्यवस्था का कार्य पूरा कर लिया गया है। सरकार ने भारत–बांग्लादेश सीमा पर 2840 किमी. क्षेत्र में अतिरिक्त तेज रोशनी की व्यवस्था करने का कार्य शुरू करने का निर्णय लिया है जिसके 600 किमी लम्बे क्षेत्र में बिजली चालू कर दी गई है। इसके अतिरिक्त, 750 किमी. क्षेत्र में तेज रोशनी की व्यवस्था का कार्य विभिन्न चरणों अर्थात खम्भे लगाने, केबल बिछाने, जुड़नार–उपस्कर लगाने तथा बिजली चालू करने का कार्य प्रगति पर है।

वर्तमान अनुमोदन के अनुसार, उपर्युक्त कार्य को मार्च, 2010 तक पूरा करने का लक्ष्य है। तथापि, इसके आगे बढ़ने की सम्भावना है क्योंकि शेष कार्य मुख्यतया दुष्कर क्षेत्रों में होना है और उनमें भूमि अधिग्रहण, जन–आबादी, वन/वन्य जीव स्वीकृति, अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के 150 गज के भीतर बाड़ लगाने जैसे कार्य सन्निहित हैं।

भारत–पाकिस्तान सीमा (आई–पी बी) पर बाड़ लगाना एवं तेज रोशनी की व्यवस्था करना :

सरकार ने भारत–पाकिस्तान सीमा पर 2043.63 किमी लम्बी सीमा पर बाड़ लगाने और 2009.52 किमी लम्बे क्षेत्र में तेज रोशनी की व्यवस्था करने की मंजूरी दी है, जिसमें से 1940.72 किमी लम्बी सीमा पर बाड़ लगाने और 1878.92 किमी लम्बे क्षेत्र में तेज रोशनी की व्यवस्था का काम पूरा हो गया है।

वर्तमान अनुमोदन (दिनांक 20.07.2009 को प्रदत्त) के अनुसार, उपर्युक्त कार्यों को मार्च, 2012 तक अथवा तीन कार्य–मौसमों तक पूरा करने का लक्ष्य है। तथापि, इसके आगे बढ़ने की संभावना है क्योंकि शेष कार्य में गुजरात क्षेत्र में कच्छ के रन के दुष्कर क्षेत्र शामिल हैं।

बम विस्फोटों में मारे गए लोगों के परिजनों को नौकरी

2991. श्री ए. गणेशमूर्ति : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली उच्च न्यायालय में हाल में हुए बम विस्फोटों में मारे गए लोगों के परिजनों को नौकरी देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) जी, नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

आकाशवाणी तथा दूरदर्शन संवाददाताओं की नियुक्ति

2992. श्री अशोक कुमार रावत: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रसार भारती के अंतर्गत आकाशवाणी तथा दूरदर्शन समाचारों की रिपोर्टिंग के लिए पूरे देश में अंशकालिक संवाददाताओं की नियुक्ति करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार प्रिंट मीडिया के इन अंशकालिक संवाददाताओं को श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम के अनुसार मजदूरी बोर्ड के क्षेत्राधिकार में लाने तथा तद्नुसार उनका वेतन निर्धारित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या अंशकालिक संवाददाताओं हेतु ठेका पत्र श्रम कानूनों के प्रावधानों के अनुरूप तैयार किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चौधरी मोहन जतुआ) : (क) और (ख) अंशकालिक संवाददाताओं के संबंध में पदों की संख्या की राज्य–वार सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) से (च) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। अंशकालिक संवाददाता क्षेत्रीय समाचार इकाइयों में तैनात संवाददाताओं व संपादकों को समाचारों से संबंधित रिपोर्ट/जानकारी मुहैया कराने में मदद करने के लिए संविदाबद्ध अंशकालिक आधार पर आकाशवाणी केंद्रों में कार्यशील हैं। वे प्रसार भारती के कर्मचारी नहीं हैं। उनकी संविदाओं को उनके कार्य–निष्पादन के आधार

पर प्रत्येक वर्ष नवीकृत किया जाता है। वे अपने मुख्य जीविकोपार्जन के लिए अन्य रोजगार/व्यवसाय में कार्य करने के लिए स्वतंत्र हैं।

विवरण

अंशकालिक संवाददाताओं के रिक्त पड़े पदों की राज्यवार सूची

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अंशकालिक संवाददाताओं की स्थितियां
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	20
2.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	07
3.	अरुणाचल प्रदेश	16
4.	असम	24
5.	बिहार	37
6.	छत्तीसगढ़	17
7.	गुजरात	26
8.	दादरा और नागर हवेली	01
9.	दमन	01
10.	दीव	01
11.	गोवा	04
12.	हरियाणा	21
13.	पंजाब	19
14.	हिमाचल प्रदेश	11
15.	जम्मू और कश्मीर	24
16.	झारखंड	23
17.	कर्नाटक	28
18.	केरल	11
19.	लक्षद्वीप	02
20.	मध्य प्रदेश	48
21.	महाराष्ट्र	34
22.	मणिपुर	09
23.	मेघालय	06
24.	मिजोरम	07
25.	नागालैंड	10
26.	ओडिसा	29
27.	पुदुचेरी	03
28.	राजस्थान	32
29.	सिक्किम	03
30.	तमिलनाडु	29
31.	त्रिपुरा	03
32.	उत्तर प्रदेश	69
33.	उत्तराखंड	12
34.	पश्चिम बंगाल	20
	कुल	607

[अनुवाद]

दिल्ली नगर निगम द्वारा परामर्शदाताओं की नियुक्ति

2993. श्री रुद्रमाधव राय :
डॉ. प्रसन्न कुमार पाटसाणी :
श्री राजय्या सिरिसिल्ला :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2010 तथा 2011 के दौरान दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली नगर निगम के कई सेवानिवृत्त दागी/आरोप पत्र

प्राप्त अधिकारियों को परामर्शदाताओं के रूप में नियुक्त किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) इनकी नियुक्ति को रद्द करने हेतु क्या कदम उठाए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार की योजना उनकी नियुक्ति के पूर्व केन्द्रीय सतर्कता आयोग/उनके मूल विभाग से मंजूरी लेने को आवश्यक बनाने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) से (ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के सेवा विभाग, लोक निर्माण विभाग एवं आवास विकास विभाग, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, भूमि एवं भवन विभाग, समाज कल्याण विभाग, राजस्व विभाग तथा आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय ने सूचित किया है कि ऐसी कोई नियुक्ति नहीं की गई है। तथापि, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के शहरी विकास विभाग ने सूचित किया है कि दिल्ली नगर निगम के एक सेवानिवृत अधिकारी, जिसके विरूद्ध आरोप–पत्र जारी किया गया था, को छः महीने की अवधि के लिए परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया गया था, जिसकी अवधि दिनांक 02.12.2011 को समाप्त हो गई है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने बताया है कि जब उन्हें परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया गया था, तब सरकार को इस बात की जानकारी नहीं थी कि उन्हें आरोप–पत्रित किया गया था।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को सलाह दी गई है कि सेवानिवृत व्यक्ति को परामर्शदाता के रूप में नियुक्त करने से संबंधित निर्णय लेने से पहले उनके मूल विभाग से सतर्कता की दृष्टि से उनकी स्थिति का पता लगाया जाए।

निर्माण में फ्लाई एश

2994. श्री विक्रम भाई अर्जनभाई मादम : क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्माण गतिविधि के लिए बालू के अंश प्रतिस्थापन हेतु फ्लाई एश के उपयोग के संबंध में अनुसंधान शुरू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) इस पर कितनी सफलता दर प्राप्त की गई?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) और (ख) इस मंत्रालय ने निर्माण के प्रयोजनार्थ रेत के आंशिक प्रतिस्थापन के लिए फ्लाई एश का उपयोग करने पर कोई अनुसंधान नहीं किया है। तथापि, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सीमेंट और भवन निर्माण सामग्री परिषद द्वारा कंक्रीट में अधिक मात्रा में फ्लाई एश का उपयोग करने और सीमेंट और कंक्रीट आदि में फ्लाई एश का उपयोग करने से संबंधित परियोजनाओं में इस पेरामीटर का अध्ययन किया गया है। इसके अतिरिक्त रेत के प्रतिस्थापन के एक भाग के रूप में विभिन्न प्रतिशत में फ्लाई एश निहित बॉटम एश के इस्तेमाल पर कुछ सीमित अध्ययन किए गए हैं।

(ग) इस समय राष्ट्रीय सीमेंट और भवन निर्माण सामग्री परिषद की केवल एक परियोजना जो कि भारत–नोर्वेजियन परियोजना है, प्रगति पर है जिसमें रेत के प्रतिस्थापन के एक भाग के रूप में विभिन्न प्रतिशत में फ्लाई एश निहित बॉटम एश के इस्तेमाल पर अध्ययन किया जा रहा है और इसके परिणाम अभी प्राप्त नहीं हुए हैं।

(घ) राष्ट्रीय सीमेंट और भवन निर्माण सामग्री परिषद ने कंक्रीट में अधिक मात्रा में फ्लाई एश पर किए गए अध्ययन में यह पाया है कि निम्न और मध्यम ग्रेड अर्थात् एम–20 तक की कंक्रीट में फ्लाई एश से सीमेंट को प्रतिस्थापित करते समय आईएस:3812–पार्ट–I के अनुरूप फ्लाई एश से रेत का अतिरिक्त प्रतिस्थापन (5–10%) लाभप्रद है। बॉटम एश के इस्तेमाल पर किए गए अध्ययनों में यह देखा गया है कि तकनीकी–आर्थिक रूप से अर्थक्षम विकल्प के रूप में बॉटम एश का आंशिक (30% तक) प्रतिस्थापन करने के लिए छाननी में 150 यू और 300 यू तक हटाने के बाद छानी गई बॉटम एश का कंक्रीट में उपयोग किया जाना उपयुक्त होगा। छाननी में 150 यू और 300 यू तक हटाने के बाद छानी गई बॉटम एश का उपयोग, राजगिरी

और प्लास्टरिंग के कार्य में इस्तेमाल करने के लिए भी किया जा सकता है।

स्कूल ऑफ हैबिटेट स्ट्डीज की स्थापना करना

2995. श्री पी.टी. थॉमस : क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को केरल सरकार से लॉरी बेकर इंटरनेशनल स्कूल ऑफ हैबिटेट स्ट्डीज की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता के संबंध में अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) और (ख) मार्च, 2009 में केरल सरकार ने 5 करोड़ रुपये के वितीय बजट से राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किफायती लागत वाली निर्माण और वैकल्पिक बिल्डिंग तकनीक में प्रशिक्षण देने से संबंधित रिसर्च के क्षेत्र में श्रेष्ठ केन्द्र के रूप में लोरी बेकर निरमिथी ट्रेनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट को विकसित करने के लिए उनके प्रस्ताव के संबंध में आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय को सूचित किया है। जून, 2009 में केरल सरकार ने केरल राज्य निरमिथी केन्द्र द्वारा अनुमोदति दो परियोजनाओं के प्रस्ताव आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय को अग्रेषित किए हैं।

i पर्यावास अध्ययन बेकर अंतर्राष्ट्रीय स्कूल (एल.ए.बी.आई.एस. एच.ए.एस.) की स्थापना और

ii नवीन निर्माण सामग्री हेतु परियोजना।

(ग) केरल सरकार द्वारा प्रस्तावित परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराने के बारे में आवास और गरीबी उपशमन मंत्रालय के तहत कोई स्कीम नहीं चल रही है।

वीजा मानदंडों में छूट

2996. श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा मानदंडों में छूट दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या मानदंड अपनाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) और (ख) जी, नहीं। पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा की मंजूरी वर्ष 1974 के भारत-पाकिस्तान वीजा करार द्वारा विनियमित की जाती है, जिसमें बाद में वर्ष 1986 और 1990 में संशोधन किया गया था और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर शासकीय अनुदेश जारी किए गए थे।

ग्रामीण सड़क का निर्माण

2997. श्री विष्णु पद राय : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बोंगाव (बोर्नियल) जेट्टी से बड़ा प्लाट (श्यामकुंड) रंगत तहसील के अंतर्गत ग्रामीण सड़क 2.5 किमी, किशोरीनगर से पश्चिमनगर ग्रामीण सड़क 3.6 किमी C/o कालीघाट जेट्टी से जगंथडेरा ग्रामीण सड़क 3.14 किमी, C/o, बटूर टिकरी से गांधी नगर ग्रामीण सड़क 5 किमी तथा C/o, डिगलीपुर तहसील के अंतर्गत C/o, गांधीनगर से शांतिनगर ग्रामीण सड़क का अंडमान लोक निर्माण विभागों द्वारा निर्माण पर पर्यावरण प्रभाव अध्ययन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या मामले को वन और पर्यावरण मंत्रालय को मंजूरी हेतु भेज दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो पर्यावरण और वन मंत्रालय की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इन सड़कों का निर्माण कार्य पूरा करने की समय-सीमा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) अंडमान एवं निकोबार प्रशासन ने पर्यावरण प्रभाव अध्ययन (ई आई ए) का कार्य एक एजेंसी को सौंपा है और यह कार्य प्रगति पर है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपर्युक्त (ख) के उत्तर के मद्देनजर, यह प्रश्न नहीं उठता।

(घ) यह कार्य पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की मंजूरी मिलने के बाद ही शुरू किया जा सकता है और इसलिए इन सड़कों का निर्माण कार्य पूरा करने के लिए कोई समय–सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

[हिन्दी]

बीआरटी परियोजनाएं

2998. श्री बद्रीराम जाखड़:
श्री खिलाड़ी लाल बैरवा:
क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बस रेपिड ट्रांजिट सिस्टम की स्वीकृत परियोजनाओं पर कार्य उक्त परियोजनाओं हेतु पुनर्आकलन प्रस्तावों हेतु केन्द्र सरकार से लंबित मंजूरी के कारण रुकी पड़ी है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार बीआरटीएस हेतु प्रस्तुत पुनर्आकलन प्रस्तावों को जल्द मंजूरी देने पर विचार कर रही है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत जयपुर सहित राजस्थान हेतु मंजूर की गई परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय अनुदानों के प्रतिशत को बढ़ाने पर भी विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा कब तक इसे मंजूर किए जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय) : (क) और (ख) जी, नहीं। भारत सरकार (शहरी विकास मंत्रालय) को जयपुर की आरटीएस के बारे में पुनर्मूल्यांकन का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इस बारे में मांगी गई अतिरिक्त सूचना राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा हरित क्षेत्र विकसित करना

2999. श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1998 के बाद हरित क्षेत्र विकसित करने तथा इसके रख–रखाव हेतु दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहित भूमि/भूखंडों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान इन हरित क्षेत्रों के रख–रखाव हेतु दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आबंटित तथा व्यय की गई राशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त भूखंड की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) क्या हरित भूमि के इन टुकड़ों पर आंशिक या पूर्ण रूप से अतिक्रमण किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन हरित भूमि के टुकड़ों से अतिक्रमण हटाने के लिए क्या कार्रवाई की गई/की जा रही है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि 1998 के पश्चात् दिल्ली में हरित क्षेत्रों के रख–रखाव के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण के उद्यान विभाग ने कुल 350.24 एकड़ भूमि हरित क्षेत्र के रूप में विकसित की है।

(ख) से (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि 1191.71 लाख रुपये की आबंटित राशि में से 156.04 लाख रुपये खर्च किए जा चुके हैं एवं इन हरित क्षेत्रों को अतिक्रमणमुक्त किया गया है।

(ङ) उपरोक्त (ख) से (घ) के उत्तर के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

प्रवासी कामगारों के लिए आवास

3000. श्री बदरुद्दीन अजमल : क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रह्मपुत्र नदी के क्षरण के कारण अपनी जमीन खो चुके भूमिहीन व्यक्तियों के भारी प्रवाह के कारण असम के शहरी क्षेत्रों में प्रवासी कामगारों के लिए आवास की मांग लगातार बनी हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को असम सरकार से केन्द्रीय सहायता/निधि हेतु इस प्रकार का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने असम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले नदी-क्षरण समस्या से प्रभावित प्रवासी कामगारों को आवासीय समस्या को लक्षित कर कोई योजना लाने का निर्णय लिया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) और (ख) आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने ब्रह्मपुत्र के कटाव के कारण अपनी जमीन खो चुके भूमिहीन व्यक्तियों के अधिक संख्या में असम के शहरी क्षेत्रों में आ जाने के कारण इन प्रवासी कामगारों के लिए मकानों की आवश्यकता के संबंध में कोई आकलन नहीं किया है।

'भूमि' और 'कोलोनाइजेशन' राज्य विषय होने के कारण, प्रवासी कामगारों तथा अन्य लाभार्थी वर्गो के लिए मकानों की कमी को दूर करने हेतु उपयुक्त स्कीमें बनाना राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्र-राज्य संबंध

3001. श्री आर. ध्रुवनारायण : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केन्द्र-राज्य संबंधों के पुनरीक्षण पर कार्य कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं; और

(घ) इस संबंध में प्रत्येक राज्य सरकार विशेषरूप से कर्नाटक की लंबित मांगों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह) : (क) से (घ) देश में बदलते सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य में बेहतर केन्द्र-राज्य संबंधों को बढ़ावा देने के प्रयोजन से सरकार ने वर्ष 2007 में केन्द्र-राज्य संबंधों पर एक आयोग का गठन किया था। आयोग ने मार्च, 2010 में अपनी बृहद रिपोर्ट प्रस्तुत की है जो अन्तर-राज्य परिषद सचिवालय (आई एस सी एस) की वेबसाइट (interstatecouncil@nic.in) पर उपलब्ध है। आई एस सी एस ने केन्द्र-राज्य संबंधों पर गठित किए गए आयोग की सिफारिशों पर कर्नाटक सरकार सहित विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अभिमत/टिप्पणियां मंगाई और प्राप्त की हैं।

डीटीएच सेवा में इंटरपोर्टेबिलिटी

3002. श्री गजानन ध. बाबर :
श्री धर्मेन्द्र यादव :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रमुख 'डायरेक्ट-टू-होम' (डीटीएच) ऑपरेटर तकनीकी इंटरपोर्टेबिलिटी की अनुमति नहीं दे रहे हैं जिससे कि उपभोक्ता नए सेट टॉप बॉक्स और डिश में पुनःनिवेश किए बिना एक सेवा प्रदाता से दूसरे सेवा प्रदाता की सेवाएं ले सकें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या डीटीएच सेवा प्रदाताओं ने देश में डीटीएच सेवाओं को नियमित करने के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा यथा विहित उपभोक्ताओं को तीन विकल्पों का प्रस्ताव नहीं दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चौधरी मोहन जतुआ) : (क) से (ङ) इस मंत्रालय के डीटीएच दिशानिर्देशों के अनुच्छेद 7.1 व 7.2 में प्रदत्त डायरेक्ट-टु-होम (डीटीएच) लाइसेंस संबंधी शर्तो में प्रावधान है कि डीटीएच ऑपरेटर को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रदान किए गए सैट-टॉप-बॉक्स खुली संरचना (गैर-मालिकाना) पर आधारित हों, जोकि विभिन्न डीटीएच सेवा प्रदाताओं के बीच तकनीकी सक्षमता व कारगर अंतर-प्रचालनीयता सुनिश्चित करेंगे और यह भी कि सैट-टॉप बॉक्स समय-समय पर सरकार द्वारा यथा निर्धारित विनिर्देशनों के

अनुरूप हों। यह भी प्रावधान है कि लाइसेंसधारक सशर्त पहुंच प्रणाली (कैस), जोकि एक खुली संरचना (गैर–मालिकाना) सैट–टॉप–बॉक्स के साथ सक्षम हो, के जरिए उपभोकता के हितों का सुनिश्चिय करेगा। इस समय, डीटीएच ऑपरेटरों द्वारा प्रदत्त कोई भी सैट–टॉप–बॉक्स प्रमुखतः इस तथ्य के कारण अंतर–प्रचालनीय नहीं है कि डीटीएच ऑपरेटर सिगनल संपीड़न व संचारण के लिए भिन्न–भिन्न प्रौद्योगिकियों व मानकों का प्रयोग कर रहे हैं।

इसके अतिरिक्त, ट्राई ने समय–समय पर यथा संशोधित डायरेक्ट–टु–होम प्रसारण सेवाएं (सेवा गुणवत्ता मानक व शिकायत निदान) विनियम, दिनांकित 31 अगस्त, 2007" नामक डीटीएच सेवा संबंधी सेवा गुणवत्ता विनियम जारी किए हैं जिनके तहत डीटीएच ऑपरेटरों को अपने ग्राहक परिसर उपस्करों (सीपीई) के लिए एकमुश्त क्रय, किश्तों पर क्रय व किराए से संबंधित स्कीमों मानक तीन विकल्पों की पेशकश करने के लिए अधिदेशित किया गया है। इन विनियमों में यदि कोई उपभोक्ता किसी अन्य डीटीएच ऑपरेटर की सेवाएं लेने का इच्छुक हो, तो उसके लिए निकासी के विकल्प का प्रावधान है। सितम्बर, 2011 को समाप्त तिमाही के लिए सभी छह प्राइवेट डीटीएच ऑपरेटरों द्वारा ट्राई को प्रस्तुत कार्य–निष्पादन मॉनीटरिंग रिपोर्टों के अनुसार यह सूचना दी गई है कि वे उक्त विनियमों के प्रावधानों के अनुसार उपभोक्ता को एकमुश्त क्रय, किश्त पर क्रय और किराया स्कीमों नामक सभी तीन विकल्पों की पेशकश कर रहे हैं।

[हिन्दी]

डेयरी परियोजनाएं

3003. श्री भूपेन्द्र सिंहः क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को मध्य प्रदेश राज्य सरकार से सागर क्षेत्र की डेयरी परियोजना और कामधेनु डेयरी डेवलपमेंट के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक परियोजना के लिए प्रस्तावित धनराशि का ब्यौरा क्या है और ये प्रस्ताव कब से लंबित हैं; और

(घ) इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति मिलने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत) : (क) और (ख) पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग को मध्य प्रदेश राज्य सरकार की ओर से सागर क्षेत्र की डेयरी परियोजना और कामधेनु डेयरी विकास के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, राष्ट्रीय रेनफेड क्षेत्र प्राधिकरण (एनआरएए) ने सागर, छत्तरपुर, पन्ना, दामोह, दतिया और टीकमगढ़ जिलों में सूखा संतप्त के लिए विशेष पैकेज के तहत बुंदेलखंड क्षेत्र में डेयरी विकास के लिए 21.30 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय से एक परियोजना प्रस्ताव अनुमोदित किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने 4.67 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से सागर में पैकेजिंग मशीन सहित डेयरी संयंत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रस्ताव रखा है। सागर जिले में प्रस्तावित 78 प्रारंभिक डेयरी सहकारिता समितियों में से 37 समितियां स्थापित की जा चुकी हैं और 31.8.2011 से कार्य कर रही हैं।

(ग) और (घ) एनआरएए ने बताया है कि बुंदेलखंड पैकेज के तहत पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन गतिविधियों के लिए 100.00 करोड़ रुपए की राशि मध्य प्रदेश राज्य के लिए स्वीकृत की गई है जिसमें 60.70 करोड़ रुपए का अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) घटक शामिल हैं। योजना आयोग द्वारा 50.34 करोड़ रुपए की राशि मध्य प्रदेश सरकार को पहले ही जारी की जा चुकी है जिसमें डेयरी विकास गतिविधियों के लिए आबंटित 21.30 करोड़ रुपए शामिल हैं।

किसानों के कल्याण के लिए योजनाएं

3004. श्री कादिर राणा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के कृषक समुदाय जिन्हें सब्जियों की खेती की बहुत ही अच्छी जानकारी है के कार्यकलापों का मूल्यांकन करने के लिए कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का प्रस्ताव विशेष रूप से उक्त समुदाय के किसानों के कल्याण के लिए कोई विशेष योजना कार्यान्वित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत) : (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) कृषि एवं सहकारिता विभाग कृषि विकास के लिए कई योजनाएं यथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय बाग़वानी मिशन, विस्तार सुधारों के लिए राज्य विस्तार कार्यक्रमों को समर्थन, समेकित तिलहन, दलहन, आयलपाम एवं मक्का योजना, राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन, पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी मिशन इत्यादि कार्यान्वित कर रहा है जिससे अन्य पिछड़े वर्ग (ओबीसी) समेत किसान/कृषि समुदाय का कल्याण होता है।

इसके अलावा सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी, भारत निर्माण, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, इन्दिरा आवास योजना, स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना इत्यादि जैसी योजनाएं भी कार्यान्वित कर रही हैं जिससे अन्य पिछड़े वर्गों समेत किसानों को लाभ पहुंचता है।

सोयाबीन आधारित उद्योग

3005. श्री इज्यराज सिंह : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजस्थान में सोयाबीन आधारित उद्योगों की स्थापना अथवा यहां प्रचालित सोयाबीन उद्योगों को सहायता प्रदान करने का कोई प्रयास किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत) : (क) और (ख) कृषि एवं सहकारिता विभाग पहले ही राजस्थान सहित 14 प्रमुख तिलहन उत्पादक राज्यों में "समेकित तिलहन, दलहन, आयलपाम और मक्का स्कीम" (आइसोपाम) नामक केन्द्रीय प्रयोजित योजना के तहत 1-4-2004, से सोयाबीन फसलों सहित तिलहनों के विकास का कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है।

आइसोपाम के तहत राज्यों/कार्यान्वयन एजेंसियों को कई घटकों यथा प्रजनक बीज का उत्पादन एवं खरीद, आधारी और प्रमाणित बीज के उत्पादन, प्रमाणित बीज के वितरण, बीज अवसंरचना के विकास, बीज मिनिकिटों, ब्लाक प्रदर्शन, समेकित कीट प्रबंधन (आईपीएम) और अग्रणी प्रदर्शन, पौध रक्षण रसायनों, खरपतवारनाशी, न्यूक्लिअर पोलिहेड्रोसिस वाइरस (एमपीवी), राइजोबियम/फोस्फेट घुलनशील जीवाणु संवर्धन, जिप्सम/ पाइराइट/ लाईम, छिड़कावक सैटों, सूक्ष्म-पोषकों, फार्म उपकरणों, सिंचाई पाइपों, प्रशिक्षण, प्रचार, स्टाफ तथा आकस्मिक खर्च आदि के लिए सहायता दी जाती है।

भारत सरकार आइसोपाम के तहत कवर नहीं किए गए राज्यों के लिए वृहत कृषि प्रबंधन (एमएमए) और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत भी तिलहनों के लिए सहायता राज्य स्तरीय संस्वीकृति समिति (एसएलएससी) के अनुमोदन पर मुहैया कराती है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय राष्ट्रीय प्राथमिकता के ढांचे के भीतर सभी उद्योगों को सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता देता है। खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में फल तथा सब्जियों, दुग्ध-उत्पाद, मांस, कुक्कुट पालन, मात्स्यिकी, अनाज/अन्य उपभोक्ता खाद्य उत्पाद, तिलहन उत्पाद, चावल पेषण, आटा पेषण, दलहन प्रसंस्करण और ऐसे अन्य कृषि बागवानी क्षेत्र जैसे खाद्य सुगन्ध तथा रंग, ओलियोरेसिन्स, मसाले, नारियल, खुम्बी और होप्स शामिल हैं। वातित जल, पैक किया हुआ पेयजल और सोफ्ट ड्रिंक्स को इस स्कीम के तहत वित्तीय सहायता के लिए विचार नहीं किया जाता। सोयाबीन सहित किसी भी जिन्स को प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान राजस्थान को सोयाबीन सहित सभी क्षेत्रों के लिए दी गई वित्तीय सहायता नीचे दी गई है :

(लाखों रुपयों में)

वर्ष	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 (31.10.2011 तक)
निर्मुक्त राशि	566.075	551.975	325.46	691.123	806.10

इसके अलावा, राजस्थान सरकार ने सूचित किया है कि राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड और उद्योग विभाग कृषि प्रसंस्करण तथा कृषि व्यापार 2010 के संवर्धन और राजस्थान निवेश संवर्धन स्कीम (आईआईपीएस) 2003 के माध्यम से वित्तीय तथा अन्य सुविधाएं प्रदान करता है।

[अनुवाद]

कपास उत्पादन

3006. श्री असादूद्दीन ओवेसी : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में किसान हाल के वर्षों में मिर्च और तम्बाकू के उत्पादन की जगह कपास का उत्पादन करने लगे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या चालू वर्ष में कपास की खेती का कुल क्षेत्रफल 13.51 लाख हेक्टेअर से बढ़कर 18.55 लाख हेक्टेअर हो गया है;

(ग) क्या कम वर्षा और बिजली की अनियमित आपूर्ति के कारण आन्ध्र प्रदेश में कपास का उत्पादन कम हो जाने की संभावना है;

(घ) आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार ने पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में कुल कितना कपास उत्पादन होने का अनुमान लगाया है; और

(ङ) सरकार द्वारा कपास उत्पादन में किसानों की सहायता करने के लिए क्या कदम उठाए गए या उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री 'खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत) : (क) और (ख) जी हां। राज्य कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार आंध्र प्रदेश में सामान्य कपास क्षेत्र 13.50 लाख है. है जो 2011-12 में बढ़कर 18.78 लाख है. हो गया है। वारंगल, खम्माम एवं गुंटूर जिलों के किसान मिर्च की जगह कपास का उत्पादन करने लगे हैं।

(ग) आंध्र प्रदेश के कपास उत्पादक क्षेत्र में सितम्बर के महीने में भीषण सूखा (14% कम वर्षा) पड़ा। अक्तूबर एवं नवम्बर के दौरान क्रमशः – 52% एवं 47% कम वर्षा हुई जिसने कपास के कुल उत्पादन को प्रभावित किया। राज्य सरकार के अनुसार सूखे के कारण लगभग 6.62 लाख है. कपास क्षेत्र सूख गया।

(घ) राज्य सरकार के अनुसार 2010-11 के दौरान 39.16 लाख गांठों की तुलना में 2011-12 के दौरान कपास का अनुमानित उत्पादन 35.00 लाख गांठ होने की संभावना है।

(ङ) कपास की खेती एवं उत्पादन बढ़ाने के लिए कपास प्रौद्योगिकी मिशन के लघु मिशन-II के तहत किसानों को विभिन्न आदानों जैसे बीज, कृषि उपकरण, जल बचत युक्तियों, जैव-कारक/जैव-कीटनाशक, समेकित कीट प्रबंधन, प्रदर्शनों के जरिए फसल उत्पादन एवं पौध संरक्षण प्रौद्योगिकियों का अन्तरण, कृषक फील्ड स्कूल, किसानों को प्रशिक्षण इत्यादि के लिए सहायता दी जाती है।

मिर्च का उत्पादन

3007. श्री ई.जी. सुगावनम : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विगत वर्षों में मिर्च विशेषकर लाल मिर्च के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने आगामी वर्षों में मिर्च के उत्पादन और निर्यात को बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाए हैं और इन किसानों को उनका उत्पादन बढ़ाने के लिए सहायता दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत) : (क) और (ख) जी हां। पिछले एक वर्ष के दौरान मिर्चो के दाम बढ़े हैं। 2009-10 से 2011-12 (अक्तूबर, 2011 तक) के दौरान मिर्चो के मासिक मूल्य दर्शाने वाला विवरण संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) जी हां। कृषि एवं सहकारिता विभाग मिर्चो समेत बागवानी फसलों का उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने के लिए दो केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं यथा-(i) पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी

मिशन (एचएमएनईएच) एवं (ii) बाकी राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम) कार्यान्वित कर रहा है। इन मिशनों के तहत, गुणवत्ताप्रद बीजों के उत्पादन एवं वितरण, क्षेत्र विस्तार, भंडारण एवं शुष्कण के लिए बीज अवसंरचना की स्थापना, समेकित कीट एवं रोग प्रबंधन/समेकित पोषण प्रबंधन, रोग पूर्वानुमान इकाई, पौध स्वास्थ्य क्लिनिकों, जैविक कृषि, प्रौद्योगिकी प्रसार इत्यादि के लिए सहायता दी जाती है।

मसाला बोर्ड मिर्चो समेत मसालों के निर्यात को बढ़ाने के लिए भी कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है।

कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए) मिर्चो समेत कृषि जिन्सों के निर्यातकों को छंटाई/श्रेणीकरण सुविधा समेत अवसंरचना विकास, गुणवत्ता विकास, बाजार विकास एवं प्रोत्साहन, परिवहन राजसहायता इत्यादि के जरिए सुविधा प्रदान करता है।

विवरण

1 विरूद्धनगर बाजार (तमिलनाडु) में रिकार्ड किए गए लाल मिर्च के मासिक औसत मूल्य

(रु./क्विंटल)

माह	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12
अप्रैल	3883	4310	4100	4510	4183	8130
मई	4360	3900	4950	6067	4190	7975
जून	4515	3685	5100	5133	4250	8500
जुलाई	4825	4200	4800	5150	4900	8800
अगस्त	4916	3400	4750	5425	3133	8288
सितम्बर	7150	3090	4788	5350	4713	8425
अक्तूबर	6875	3000	4983	5669	4510	8550
नवम्बर	6617	2936	6250	5712	4975	
दिसम्बर	7091	2563	5550	5417	5950	
जनवरी	6733	2900	5175	5275	6990	
फरवरी	5550	3500	5000	4350	7975	
मार्च	4638	4106	5040	4500	8125	
औसत	5596	3466	5041	5213	5325	8381

स्रोत : सुपारी एवं मसाला विकास निदेशालय, कालीकट

2. गुन्टुर (आन्ध्र प्रदेश) में रिकार्ड किए गए लाल मिर्च के मासिक औसत मूल्य

(रु./क्विंटल)

माह	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12
1	2	3	4	5	6	7
अप्रैल	3667	4417	3450	4525	5550	7900
मई	4175	3800		4200	4400	8250

1	2	3	4	5	6	7
जून	4525	4542	4300	4983	4800	6975
जुलाई	4600	4288	4575	4930	4500	7295
अगस्त	4963	4288	4900	5438	4463	7212
सितम्बर	5850	4313	4825	5388	4480	7212
अक्तूबर	5850	4238	5400	5560	4370	7785
नवम्बर	5700	3863	5433	5950	4925	
दिसम्बर	5720	3488	5340	5625	5362	
जनवरी	5750	3550	5030	5380	6675	
फरवरी	4413	3788	4750	4569	7837	
मार्च	4163	4150	4913	4338	8088	
औसत	4948	4060	4811	5074	5454	7518

स्रोत : सुपारी एवं मसाला विकास निदेशालय, कालीकट

[हिन्दी]

दूरदर्शन केन्द्रों/आकाशवाणी द्वारा अर्जित लाभ

3008. **श्री दारा सिंह चौहान** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान दूरदर्शन केन्द्र/आकाशवाणी-वार विज्ञापनों, धारावाहिकों और अन्य कार्यक्रमों से दूरदर्शन केन्द्रों और आकाशवाणी द्वारा अर्जित कुल आय में लाभ की गुंजाइश (मार्जिन) कितनी है;

(ख) क्या कुछ निजी कंपनियों की आकाशवाणी/दूरदर्शन के प्रति विज्ञापन फीस की देनदारी है;

(ग) यदि हां, तो कंपनी-वार बकाया देयों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) बकाया देयों की वसूली के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाया जाना प्रस्तावित है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चौधरी मोहन जतुआ) : (क) प्रसार भारती एक लोक सेवा प्रसारक है और उसका प्राथमिक उद्देश्य इस देश के लोगों को सूचना प्रदान करने व उन्हें शिक्षित करने के साथ-साथ उनका मनोरंजन करना है। आकाशवाणी और दूरदर्शन प्रसार भारती के दो घटक हैं, जोकि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12 कक(1) (ख) के साथ पठित धारा 12 क के अंतर्गत एक गैर-लाभकारी संगठन के रूप में पंजीकृत हैं। तथापि, गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान आकाशवाणी और दूरदर्शन द्वारा विज्ञापनों, धारावाहिकों व अन्य कार्यक्रमों से अर्जित आय के संबंध में प्रसार भारती द्वारा प्रदत्त ब्यौरा निम्नानुसार है :

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	निवल वाणिज्यिक राशि		अन्य	कुल
	दूरदर्शन	आकाशवाणी	संसाधन	
2008-09	737.05	194.42	69.44	1000.91
2009-10	828.48	215.92	102.03	1146.43
2010-2011*	950.06	275.75	50.58	1276.43
2011-12 (सितंबर, 2011 तक)	448.88	163.66	16.46	629.00

* लेखाओं के समाधान के अध्यधीन।

(ख) और (ग) निजी कंपनियों द्वारा कुल देय बकाया राशियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि आकाशवाणी/दूरदर्शन द्वारा बकाया देय राशियों को वसूल करने के लिए नियमित रूप से प्रयास किए जाते हैं जिनमें शामिल हैं : (i) बकाया देय राशियों का भुगतान करने के लिए चूककर्ताओं को अनुस्मारक, नोटिस आदि जारी करना, (ii) तीन अनुस्मारकों के पश्चात 15 दिनों की अनुमत्य साख अवधि के समाप्त होने पर उनकी बैंक–प्रत्याभूतियों को भुनाया जाता है, प्रत्यायन स्तर को स्थिर किया जाता है और उन्हें अग्रिम भुगतान पर रखा जाता है, (iii) चूककर्ता एजेंसियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई शुरू की जाती हैं, और (iv) विभिन्न न्यायालयों में विवाचन/न्यायालयी मामले दर्ज कराए जाते हैं।

विवरण

I. आकाशवाणी

मान्यताप्राप्त विज्ञापन एजेंसियों की देनदारी की सूची (दिनांक 30.03.2011 तक)

(भुगतान दिनांक 31.11.2011 तक प्राप्त हुआ)

मान्यताप्राप्त विज्ञापन एजेंसियों की सूची

(जिनके विरुद्ध 1 लाख रुपये से अधिक की धनराशि बकाया है)

(रुपयों में)

क्रमांक	एजेंसी का नाम	विज्ञापन प्रभार (मूलधन राशि)
1	2	3
1.	विज्ञापन श्रव्य एवं प्रचार विभाग (डीएवीपी)	41125914
2.	एमसी–केनन–एरिक्सन (आई) लि. मुंबई	10373991
3.	बुबना एडवरटाईजिंग एजेन्सी	5625390
4.	रिजल्टस् इंडिया कम्यूनिकेशनस्, मुंबई	3665591
5.	टुक टुक एडवरटाईजिंग	1151407
6.	हिन्दुस्तान थाम्पसन एसोसिशएट लि. मुंबई	1557441
7.	एम्बिलिकालनिलयम	1391628
8.	एडवर प्रा. लि.	1224482
9.	ब्यूटेक्स एडवरटाईजिग	837095
10.	टेलीक्राफ्ट मूवीज प्रा. लि.	768889
11.	मास मार्किटिंग एडवरटाईजिंग सर्विस प्रा. लि.	408679
12.	विचार एडवरटाईजिंग	241232
13.	लिंटास इंडिया लि. मुंबई	167510
14.	गोल्डमाईन एडवरटाईजिंग लि. मुंबई	154261
15.	प्रभातम एडवरटाईजिंग प्रा. लि. मुंबई	153571
16.	जेलिता पब्लिसिटी	113499
17.	एफिसिएन्ट पब्लिसिज	106733
18.	वालाप्पिला कम्यूनिकेशन	101255
19.	मीडिया वेवस	1477726
20.	श्री राघवेन्द्रा एडवरटाईजिंग	1379166
21.	म्यूजिरेका केसेट इनकार्पोरेशन लि.	1315935
22.	रेयर कम्यूनिकेशन	978813
23.	एम ए ए कम्यूनिकेशन बोजेल	750454
24.	रेडियो एंड टीवी कमर्शियलस, मुंबई	681863
25.	प्रभाकर एडस, हैदराबाद	666769
26.	एड एअर एडवरटाईजिंग	651244
27.	श्री एडवरटाईजिंग	493407
28.	रेनुके एडवरटाईजिंग कं.	405446
29.	कार्पोरेट वायस प्रा. लि.	381247
30.	ट्विन एडवरटाईजिंग	343438
31.	सासी एडवरटाईजिंग कंसल्टेंटस	301744
32.	सुचंद्रा एड मीडिया	270833
33.	एड हाउस एडवरटाईजिंग एंड मार्किटिंग	252300
34.	मंत्रालय महान एडस	235649
35.	डान मोड एडवरटाईजिंग	132196
36.	हेड स्टार्ट एडवरटाईजिंग	123430
37.	वी आर जी एजेन्सिज	119104
38.	शिल्पि एडवरटाईजिंग	107894
	योग	80237226

II. दूरदर्शन

31.10.2011 की स्थिति के अनुसार पुरानी/मृत एजेंसयों की ओर बकाया राशि

क्रम सं.	एजेंसी का नाम	मूलधन राशि	ब्याज	कुल
1	2	3	4	6
1.	अमिताबच्चन कार्पोरेशन	0	85027	850527
2.	आनंदी फिल्म्स (प्रोड्यूसर)	1500000	11233253	2623253
3.	एडवर्क शॉप	22100	56232	78332
4.	एनिम्स कनैक्स	114342	120045	234387
5.	आसिन कॉम.	23950	21760	45710
6.	अजय लिंक्स	61200	160977	222177
7.	अक्षर एडवरटाइजिंग, बंगलौर	12750	28453	41203
8.	अलख एडवरटाइजिंग, मुंबई	74446	146904	221350
9.	एरिज एडवरटाइजिंग, चैन्नै	132600	288816	421416
10.	आधी सूरी विडियो फिल्म्स	220500	319939	540439
11.	आर्मस एडवरटाइजिंग, मुंबई	573769	902829	1476598
		549100	948445	1497545
		681994	811927	1493921
12.	आर्ट कमर्शियल मुंबई	343400	679574	1022974
		51000	105965	156965
		1453770	3365320	4819090
13.	एस मीडिया	149250	200031	349281
14.	अश्वमेध	66750	90403	157153
15.	आडियो वीडियो सेंटर	1000	3687	4687
16.	बैग फिल्म्स	98685	14545	113230
17.	बेट्स इंडिया प्रा.लि., कोलकाता	0	15744	15744

1	2	3	4	6
18.	बीएसजी फ्रेम्स	0	6152	6152
19.	बेसिक 4	3315	3724	7039
20.	बेसलाइन एडवरटाइजिंग	8340002	14180747	22520749
21.	बायोस्टैट इंडिया	5170	9764	14934
22.	बीबीटीवी थाइलैंड	22210	29716	51926
23.	क्लैरियन एडवरटाइजिंग सर्विस	0	272247	272247
24.	चैताली	0	4609	4609
		34425	58915	93340
		39100	100942	140042
		206550	394736	601286
25.	कैंसर एडवरटाइजिंग प्रा. लि.	0	5865	5865
26.	चांदनी फिल्म्स	90704	86119	176823
27.	क्ली एडवरटाइजिंग मुंबई	142800	276017	418817
		142800	277776	420576
		1059275	2067284	3126559
28.	चिरंजीवी	60429	64760	125189
		42075	44941	87016
29.	कांटिनेंटल एडवरटाइजिंग	173246	338893	512139
30.	क्रिएटिव यूनिट, मुंबई	0	11781	11781
		61200	129448	190648
		1132200	2175233	3307433
		400350	838381	1238731
31.	क्रिएटर आडियो वीडियो	18864	20616	39480
32.	क्रिएटिव वीडियो, भोपाल	828748	1460666	2289414

1	2	3	4	6
		96156	160460	256616
		38675	61986	100661
33.	क्रिएटिव विजन	36390	46260	82650
34.	क्लासिक प्रोडक्शन	10000	23113	33113
35.	क्यू कॉम, मुंबई	7025080	13141046	20166126
		84800	156454	241254
36.	केविन केयर, चेन्नै	8160	0	8160
37.		0	17703	17703
38.	डायमंड मीडिया	70608	78736	149344
39.	डेली अलसफा	1500	6275	7775
40.	डेलकम एडवरटाइजिंग	1573775	2410030	3983805
41.	डाउन मैड	43350	112777	156127
42.	इंटरप्राइज एडवरटाइजिंग प्रा. लि.	0	28205	28205
43.	एफिशिएंट	136000	310362	446362
		241550	572996	814546
44.	फिल्म कृति (प्रोड्यूसर)	359750	289128	648878
		6000	5813	11813
45.	फिलर एड, तिरु.	1208859	1896358	3105217
46.	फाउंटेन हेड, चेन्नै	369750	518495	888245
47.	फिल्म सिटी, मुंबई	4695350	9088811	13784161
		90000	3684837	3774837
48.	ग्रीन सिग्नल, चेन्नै	4068250	5929848	9998098
49.	गायत्री टेली फिल्म्स	41160	48770	89930

1	2	3	4	6
50.	ग्लोबल विलेज टीवी	15300	29096	44396
51.	हेमलता इंटरप्राइजेज	0	825	825
52.	हिंदूविजन	0	1214	1214
53.	हिंदुस्तान मीडिया	18000	25319	43319
54.	इनोवेशन	187000	360421	547421
		127500	244273	371773
		129200	263062	392262
		854250	709426	1563676
		676600	1651215	2327815
		7763050	15531430	23294480
55.	आईसीडीएस	423586	5048	428634
56.	इनसाइट एडवरटाइजिंग एंड कॉम.	238850	514008	752858
57.	इंटरैक्टविजन	0	12316	12316
		0	2550	2550
58.	इंडियन मैजिक आई	1103	1227	2330
59.	जयश्री पिक्चर्स	0	230	230
60.	क्रिटेक्स लि.	0	819	819
61.	कोहिनूर मूवी मेकर्स	0	133	133
62.	कनारा एड्स चेन्नै	97070	943077	1040147
		246000	581677	827677
63.	करिश्मा एडवर.	0	181366	181366
		0	204	204
64.	कश्मीर ऑडियो विजुअल	5000	9615	14615
65.	केटी सिरीज	54000	52193	106193

1	2	3	4	6
66.	कुनाल एड्स अहमदाबाद	1119867	1845035	2964902
67.	करमचंद अपलायंसेज	9057731	0	9057731
68.	लेखा एडवरटाइजिंग	20400	51706	72106
69.	लिंक वर्ल्ड, लखनऊ	453900	1197065	1650965
70.	एलआर स्वामी	0	21938	21938
71.	महेश कामत	753250	1183777	1937027
72.	मैग्नेटिक क्रिएशंस	400	494	894
73.	मीडिया कैफे/मीडिया केयर	119000	178018	297018
		141861	221084	362945
		1058075	1414034	2472109
		3350435	4906936	8257371
74.	मिन एसजेई	140250	1671	141921
75.	मीनिम आडियो	46040	46182	92222
76.	मंडी परिषद	12000	143	12143
77.	मार्केट मिशनरी	979837	2472503	3452340
78.	मद्रास एडवरटाइजिंग	520200	1165917	1686117
79.	मार्केट पल्स	0	16181	16181
80.	मारुति ट्रेवल्स	0	181	181
81.	मोनिका फिल्मस	4250	11259	15509
82.	मोव क्रिमसन (रजि.)	153000	403895	556895
		153000	384780	537780
83.	मीडियाविजन एडवरटाइजिंग	35700	68218	103918
84.	मीडिया क्रेस्ट	494	1380	1874
85.	मल्टी मीडिया	4250	11035	15285

1	2	3	4	6
86.	मिड डे	1920	2262	4182
87.	मास मार्केटिंग एडवरटइजिंग	0	162920	162920
88.	एन के काम्यू.	1245250	1429545	2674795
		9180	10532	19712
		163115	191682	354787
		192984	212261	405245
		354620	409087	763707
89.	नेशनल एडवरटाइजिंग	31875	59019	90894
90.	नेक्सस	0	1403	1403
91.	ओक्टोजन एडवरटाइजिंग एंड मार्केटिंग, चेन्नै	210375	226067	436442
		3556695	3918176	7474871
92.	आर्चिड	14280	17786	32066
93.	ओम साई फिल्म्स	165000	179143	344143
94.	वन अप एड्स	356150	792779	1148929
95.	पीके एंटरटेनमेंट	28050	30187	58237
		0	78434	78434
		759220	836771	1595991
96.	पदमालया टेली फिल्म्स	0	98318	98318
97.	पोलरिस	28000	39755	67755
98.	पब्लिक जेन काम्यू.	0	3596	3596
99.	पाइलागल एंटरटेनर्स	0	200	200
100.	पेन ए ट्रेट काम्यूनिकेशन	0	2709	2709
		0	40572	40572
101.	पोपूलर इंटरटेनमेंट	1886050	3770655	5656705
		204000	402795	606795
102.	प्रतिभा एडवरटाइजिंग	0	3825	3825

1	2	3	4	6
		0	4957	4957
103.	प्रोफेड मद्रास	1952750	3413781	5366531
		3940500	7614689	11555189
		2351862	5286223	7638085
		38250	69330	107580
		40800	73778	114578
		209100	374929	584029
		183600	393626	577226
104.	पीएसएल	122400	308170	430570
105.	राशि सीड्स	3420	3713	7133
106.	रेडियो टीवी	99450	256736	356186
107.	रसिक पब्लिक.	36600	357908	394508
108.	रूपरिस्तान	20000	31392	51392
109.	आरटीवीसी	15404895	35571118	50976013
110.	मेसर्स राकिया एडवरटाइजिंग	83752	40481	124233
111.	रुरल एडवरटाइजिंग एंड मार्केट सर्विस	34638	38167	72805
112.	सागर वीडियो एंड एड्स	2854	3343	6197
113.	सल्विया	21490	1362	22852
114.	सजाला क्रिएशंस, हैदराबाद	685528	982837	1668365
115.	सपाट इंटरनेशनल	28968	40648	69616
116.	शशि एडवरटाइजिंग चेन्नै	86626	174706	261332
		19125	29861	48986
		726975	1347221	2074196
		31450	50610	82060

1	2	3	4	6
		0	266592	266592
117.	शुभ टेलीफिल्म्स	11359	11629	22988
118.	सुधारती एडवरटाइजिंग	40900	106246	147146
119.	सितारा विजन मुंबई	108800	239973	348773
		6154195	12635867	18790062
120.	सिस्ता साची एंड साची एडवरटाइजिंग	0	14153	14153
121.	एस एन आर्ट्स	0	3081	3081
122.	साइट (लखनऊ)	18900	225	19125
123.	स्पेल बाइंडर	0	1607	1607
		652800	888304	1541104
		6902000	10638886	17540886
		76500	120314	196814
		42840	55200	98040
		0	1454	1454
124.	श्री काम्यू.	0	126034	126034
125.	सरविया एडवरटाइजिंग	0	23627	23627
126.	स्टार एडवरटाइजिंग	0	2678	2678
127.	स्टारलाइन काम्यूनिकेशन	0	419	419
128.	सनराइज मीडिया	93925	175712	269637
		6658050	9578788	16236838
129.	सुयोजन मैनेजमेंट/फिल्म्स	141999	224046	366045
		408000	645849	1053849
		651277	1113375	1764652
130.	सुरवीडियो	1753125	3005664	4758789

1	2	3	4	6
131.	स्निप एंटरटेनमेंट	12	4	16
132.	स्वीट मेलोडी, कोलकाता	371450	768745	1140195
		8312775	15321880	23634655
		592875	1048721	1641596
133.	स्वीट एंड साउंड कोलकाता	591600	1156918	1748518
		9464114	17049990	26514104
		95200	221124	316324
		170000	416882	586882
		545700	1056938	1602638
134.	टीवी टुडे नेटवर्क	603440	1132427	1735867
135.	तारा सिन्हा एसोसिएट	0	20555	20555
136.	टुडे विजन	870000	1637827	2507827
137.	टेलीमैटिक्स विजन	12174	39086	51260
138.	टेलीस्टार (प्रा.) लि.	1944245	3204346	5148591
		30600	58683	89283
		133450	217185	350635
		2033625	3777696	5811321
		81600	129353	210953
		25500	52889	78389
139.	टीएसएमई	1113075	2329138	3442213
140.	द प्रेस सिंडिकेट लि.	127500	272544	400044
		0	2429	2429
		76500	189464	265964
		84150	185428	269578
		251600	563907	815507

1	2	3	4	6
		767550	1476571	2244121
141.	द ग्रुप एडवरटाइजिंग	0	5695	5695
		1055700	1629263	2684963
		157080	177929	335009
142.	ट्रिंकिया ग्रे	154700	384525	539225
		0	12572	12572
143.	टीएसए नई दिल्ली	0	14505	14505
144.	ट्विन एड	1518440	2547406	4065846
145.	यूनिट 1 प्रोडक्शन	7433550	15052576	22486126
		106250	207023	313273
		408000	795832	1203832
146.	यूनिक चैनल	300000	341803	641803
147.	यूपीआईडी	1624630	19362	1643992
148.	वीडियो एड	0	23261	23261
149.	वैनगार्ड विजन	162750	208038	370788
		1181550	1926385	3107935
		3015138	4053015	7068153
150.	विशेष एडवरटाइजिंग	0	15096	15096
		102000	221569	323569
		91800	228155	319955
		0	78336	78336
151.	विजन टाइम इंडिया तिरुवनंतपुरम	1499350	3696693	5196043
		97279	158678	255957
		1188081	3276527	4464608

1	2	3	4	6
152.	व्यू फाइंडर्स	12000	19028	31028
153.	वेस्टर्न एडवरटाइजिंग एंड मार्केटिंग	15300	39197	54497
		91800	241639	333439
154.	यूथ आईएनसीए	0	63840	63840
	कुल	175660281	305465813	481126094

31.10.2011 की स्थिति के अनुसार विज्ञापन एजेंसियों की ओर बकाया राशि

क्रम सं.	एजेंसी का नाम	मूलधन राशि	ब्याज	कुल
1	2	3	4	5
1.	एडफैक्टर एडवरटाइजिंग	0	12298	12298
		0	6197	6197
2.	एडमीडिया	866352	47534	913886
3.	एपैक्स एडवरटाइजिंग, मुंबई	30	0	30
4.	एडबर एडवरटाइजिंग	0	144584	144584
		0	0	0
		0	8752	8752
		2307713	215360	2523073
		971294	48850	1020144
5.	अलायंस एडवरटाइजिंग एंड मार्केटिंग प्रा. लि. नई दिल्ली	0	279803	279803
		330020	3092	333112
		110500	201396	311896
		0	241	241
		689099	0	689099
		0	23226	23226
6.	बुबना एडवरटाइजिंग	187510	35680	223190

1	2	3	4	5
7.	ब्रह्मपुत्र टीवी नेटवर्क	305	321	626
8.	बिसवा क्रिएशंस	187513	164966	352479
		75008	0	75008
9.	कैपिटल एडवरटाइजिंग	44200	105198	149398
10.	कैरट मीडिया	289689	345983	635672
11.	चैत्र एडवर. (चैत्र लियो बरनेट), चैत्र एडवर./टीएलजी/स्टार कॉम	17143868	4866134	22010002
		150	164	314
		23800	41199	64999
		45900	398730	444630
		60342	79799	140141
		73129	11209	84338
		1	22073	22074
		5430929	2334803	7765732
		553155	5080	558235
		0	0	0
12.	कांट्रैक्ट एडवरटाइजिंग	30600	61064	91664
		15725	31716	47441
		225250	459994	685244
		175100	375192	550292
		163200	302556	465756
		47600	129035	176635
		0	1989	1989
13.	करंट एडवरटाइजिंग	6973344	3962565	10935909
14.	यूरो आरएसजी, मुंबई	246881	4917117	5163998

1	2	3	4	5
		450	1991	2441
		56652	53248	109900
		646000	1391402	2037402
		397800	892037	1289837
		216122	404536	620658
		900612	1240457	2141069
		201391	394043	595434
15.	एवेरेस्ट ब्राण्ड/एवरेस्ट एडवरटाइजिंग साल्यूशन	113439	28305	141744
		0	2737	2737
		0	3110	3110
		0	1530	1530
16.	फार्च्यून एडवरटाइजिंग सर्विस	91800	233633	325433
		140636	0	140636
		0	6697	6697
		0	120	120
17	फ्रिक्वेंसी कोलकाता	0	138919	138919
		0	129825	129825
18.	ग्रे वर्ल्डवाइड	4471	6625	11096
		0	6224	6224
		0	0	0
19.	गुड वर्क कॉम.	0	0	0
		0	0	0
		186338	0	186338
		75473	698	76171

1	2	3	4	5
	-	0	0	0
		0	129825	129825
20.	गोल्डमाइन	1074710	478403	1553113
		845325	0	845325
21.	हैपनिंग्स	1473009	1853812	3326821
22.	इंटरफेस, नई दिल्ली	3647070	1766910	5413980
		145202	49812	195014
		404312	277435	681747
		194666	53116	247782
		119538	18880	138418
		38162	21679	59841
		0	6797	6797
		0	2840	2840
23.	इंटर पब्लिसिटी	703351	838584	1541935
		92308	65897	158205
		75536	65672	141208
24.	जेलिटा पब्लिसिटी	33663	7244	40907
		0	544	544
		0	1432019	1432019
		0	816	816
25.	करिश्मा एडवरटाइजिंग	0	204	204
		0	181366	181366
26.	लिंटास	4007898	10283936	14291834
		343150	133904	477054
		10625	20399	31024

1	2	3	4	5
		203004	172823	375827
		1058292	226814	1285106
		401891	186011	587902
		77031	172649	249680
		552667	402329	954996
		516311	369103	885414
		14987	35186	50173
		7640	3138	10778
27.	लोटस मार्केटिंग	127370	487184	614554
28.	मार्केट मैटर्स	1374607	545113	1919720
		3070310	1933973	5004283
		315765	241789	557554
29.	मैडिसन	25016022	5731303	30747325
		72232	110310	182542
		138485	58088	196573
		380770	255486	636256
		88133	68240	156373
		89441	106026	195467
		11251	1437	12688
		0	1356036	1356036
		0	25583	25583
30.	मैक्कन एरिकसन	13	3575649	3575662
		118575	367032	485607
		847025	1718846	2565871
		440300	841391	1281691

1	2	3	4	5
		1119614	1605947	2725561
		70763	166155	236918
		0	1195956	1195956
		36720	59516	96236
		606147	0	606147
		0	1502378	1502378
31.	मुद्रा कम्यूनिकेशन/आप्टिमम मीडिया	203347	6376250	6579597
		68813	107833	176646
		12750	29686	42436
		6800	13845	20645
		0	5653	5653
		299857	161181	461038
		153030	357398	510428
		29750	66947	96697
		451970	832898	1284868
		0	2292	2292
		208758	200436	409194
32.	महामाया एडवरटाइजिंग	57304	21831	79135
33.	मार्डर्न एडवरटाइजिंग	2850152	111150	2961302
34.	मोड एडवरटाइजिंग	1912605	327665	2240270
35.	मीडिया हाउस मार्केटिंग	34383	12174	46557
36.	निंबस	233934363	0	233934363
		421905	24199836	24621741
37.	नीरज कॉम.	656852	9521	666373
38.	ओगिलवी एंड मैथर एडवरटाइजिंग (ओ एंड एम एडवर.)	69445	110069	179514

1	2	3	4	5
		330480	457827	788307
		0	0	0
		41650	56747	98397
		5970	3104	9074
		0	7382	7382
39.	पब्लिसिटी पार्लर	0	253	253
40.	प्रचार कॉम.	5044472	4758857	9803329
		11105	4454	15559
		56253	13944	70197
		0	108970	108970
		0	181356	181356
		19081	11416	30497
41.	प्रेसमैन एडवर.	47754	53060	100814
42.	परफेक्ट 10 एडवरटाइजिंग	30750	48774	79524
43.	पीएसआई	72000	102725	174725
		153000	204588	357588
44.	प्रतिसाद कॉम्यूनिकेशन	125916	70530	196446
45.	परसेप्ट	19661830	1815322	21477152
		810981	76647	887628
46.	पूर्णिमा एडवरटाइजिंग	731289	74327	805616
		14262	2378	16640
		0	3060	3060
47.	आर.के. स्वामी	20653047	3889881	24542928
		68683	22915	91598

1	2	3	4	5
		54400	72375	126775
		0	4437	4437
		0	203850	203850
		0	0	0
		50629	1334	51963
		593001	59218	652219
		0	7694	7694
		0	27470	27470
		0	329833	329833
48.	रेडिफ्यूजन	11656246	11549601	23205847
		156232	271221	427453
		393414	375872	769286
		346868	98796	445664
		0	19900	19900
		1273416	1515192	2788608
		1248595	797023	2045618
		708051	1384613	2092664
		206423	94298	300721
		1900053	2759138	4659191
		2042207	1380786	3422993
		0	36440	36440
49.	रिजल्ट इंडिया, मुंबई (माइंड शेयर)	35001772	46479770	81481542
		3713894	2923434	6637328
		1592313	939592	2531905

1	2	3	4	5
		26392	202976	229368
		1940565	446233	2386798
		9662699	1479147	11141846
		325611	7115	332726
		1948699	416655	2365354
		1201096	1051141	2252237
		1810890	662192	2473082
		473	73034	73507
		8369	2845	11214
		21858700	5203433	27062133
50.	रेडियस एडवरटाइजिंग	10184224	2246121	12430345
		5	0	5
		0	5049	5049
51.	रिजनेबल एडवरटाइजिंग	168538	33789	202327
52.	सिचूएशन एडवरटाइजिंग	18734	16890	35624
		205700	322673	528373
		30420	18997	49417
		0	55300	55300
		0	48538	48538
		0	13110	13110
53.	स्टैंडर्ड पब्लिसिटी	187510	23490	211000
		0	1038	1038
54.	श्रद्धा सुमन क्रिएटिव आर्ट्स	2044989	52442	2097431
		929747	477696	1407443

1	2	3	4	5
		5522612	0	5522612
		900048	49425	949473
		63264	0	63264
55.	स्मृति फिल्म्स	17000	115	17115
56.	टीबीडब्लयूए एंथम	82620	83892	166512
		329047	689115	1018162
		50903	0	50903
		66938	152467	219405
		64260	113368	177628
		0	41746	41746
57.	टी. सरकार	0	4543	4543
		133875	269903	403778
		0	5813	5813
58.	टाइम्स मीडिया	68000	137350	205350
59.	टेक्नोमार्क टीवी नेटवर्क प्रा. लि.	629795	0	629795
		0	408	408
60.	थ्री ब्रदर्स	77277	51851	129128
		270014	799	270813
		0	32385	32385
61.	प्रीमियर	375020	1027	376047
		532745	37789	570534
		176111	5460	181571
62.	पैम एडवरटाइजिंग	14064	836	14900
63.	टुक-टुक एडवरटाइजिंग	3546465	326401	3872866
64.	एफसीबी उल्का एडवर./लोड स्टार	356269	1105828	1462097

1	2	3	4	5
		214200	479726	693926
		60131	51218	111349
		408000	871891	1279891
		0	0	0
		3623	953	4576
		114485	101993	216478
		0	47921	47921
		0	6197	6197
65.	यूटीवी	0	2423520	2423520
		0	13264	13264
66.	जूपिटर एडवरटाइजिंग सर्विस	2976	6352	9328.00
	कुल	507084506	202012151	709096657

दिनांक 31.10.2011 की स्थिति के अनुसार सरकारी एंजेसियों की ओर बकाया राशि का ब्यौरा

क्रम सं.	सरकारी एंजेसियां	मूलधन	ब्याज	कुल
1	2	3	4	5
1.	एजीएम, बीएसएनएल, गुजरात सर्कल	45259	0	45259
2.	सीमा शुल्क विभाग	0	3213	3213
3.	कॉम. एंड एसईसी ग्रामीण	678056	0	678056
4.	डीएवीपी	2079519	21119	2100638
5.	बैंक ऑफ बड़ौदा	225	277	502
6.	उप निदेशक, विधि मौसम विभाग	151478	0	151478
7.	सूचना निदेशालय	140503	4759	145262
8.	प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय	25448	0	25448
9.	सूचना प्रौद्योगिकी निदेशालय	0	2025	2025

1	2	3	4	5
10.	उप नगर आयुक्त	683	0	683
11.	गुजरात राज्य बीज निगम	430	0	430
12.	गुजरात राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी	8515	0	8515
13.	गुजरात महिला ईको	5293	0	5293
14.	गुजरात परिषद प्राथमिक	2308	0	2308
15.	जीईडीए	473131	0	473131
16.	आयकर कार्यालय	52236	11417	63653
17.	इसरो, अहमदाबाद	200208	0	200208
18.	गृह मंत्रालय	56700	0	56700
19.	परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय	293625	0	293625
20.	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	1080060	0	1080060
21.	मद्यनिषेध विभाग	0	608	608
22.	आरबीआई	2784571	0	2784571
23.	कलेक्टर भावनगर	200000	0	200000
24.	कलेक्टर नवसारी	243542	0	243542
25.	कलेक्टर मेहसाणा	159790	0	159790
26.	पर्यटन निगम	669752	0	669752
27.	एलआईसी	68354	40085	108439
28.	पेट्रोलियम संरक्षण और अनुसंधान संघ	1131678	0	1131678
29.	डाक जीवन बीमा	23164	0	23164
30.	निदेशक, एजीआरई	7610	0	7610
31.	राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम	1103800	0	1103800
32.	निदेशक, पशुपालन	143950	0	143950
33.	बीमा विनियमक विकास प्राधिकरण	831382	0	831382

1	2	3	4	5
34.	द बैंकिग कोड एवं स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंडिया	85125	0	85125
35.	बैंक ऑफ बड़ौदा	4964	0	4964
36.	निदेशक, उड़ीसा पर्यटन	481346	0	481346
37.	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	49635	0	49635
38.	पंचायती राज	2060221	0	2060221
39.	डीएवीपी	1056210	0	1056210
40.	आयकर निदेशालय	40800	0	40800
41.	महाप्रबंधक, नालको	215546	0	215546
42.	सीटीडी उड़ीसा	42089	0	42089
43.	आरबीआई	238248	5963	244211
44.	अध्यक्ष, पैराद्वीप पोर्ट	25000	0	25000
45.	निदेशक, एसआईईटी	1118790	0	1118790
46.	मुख्य महाप्रबंधक ओएससीबी	19440	0	19440
47.	मुख्य महाप्रबंधक एसबीआई	209014	0	209014
48.	निदेशक, समाज कल्याण/निदेशक, मिशन शक्ति (अपराजिता सारंगी)	222750	0	222750
49.	आर.डी. मंत्रालय उड़ीसा	9000	0	9000
50.	कलेक्टर, नवरंगपुर	4500	0	4500
51.	एएचवीएस निदेशालय	1103810	0	1103810
52.	महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय	630034	15768	645802
53.	निदेशक, एसआरसी	11995	0	11995
54.	भारत इलैक्ट्रानिक्स लि.	1677	1388	3065
55.	बीएसएनएल	10731	9450	20181
56.	परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण विभाग	1062191	0	1062191

1	2	3	4	5
57.	डीएवीपी	185963	–	185963
58.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (एनआरएचएम)	16530	0	16530
59.	जेएसवाईएस	321060	0	321060
60.	द बैंकिग कोड एवं स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंडिया	112506	0	112506
61.	कर्नाटक, राज्य एड्स बचाव सोसाइटी	3330555	0	3330555
62.	कर्नाटक, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	62287	0	62287
63.	कर्नाटक, परिवहन विकास निगम	1669	0	1669
64.	केएसआरटीसी	5326	0	5326
65.	कृषि एवं समन्वय मंत्रालय	734	0	734
66.	जल संसाधन मंत्रालय	39180	0	39180
67.	अल्पसंख्यक वर्ग विकास निगम	50000	0	50000
68.	आरडी एवं पीआर (केआरडब्लयूएसएसए) बंगलौर	185136	0	185136
69.	रेशम एवं वस्त्र	10000	0	10000
70.	सर्व शिक्षा अभियान	420	0	420
71.	राष्ट्रीय रसायन एवं उर्वरक	4187	4251	8438
72.	बीएमआरसीएल	42000	0	42000
73.	बीबीएमपी	609408	0	609408
74.	आरबीआई	6419460	0	6419460
75.	सूचना विभाग, बंगलौर	42190	0	42190
76.	महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय	1350072	0	1350072
77.	बीमा विनियमक विकास प्राधिकरण	1116788	0	1116788
78.	भारतीय उद्यान अनुसंधान संस्थान	22060	0	22060
79.	कृषि आयोग	41362	0	41362
80.	कन्नड़ और संस्कृति विभाग, बंगलौर	165810	0	165810

1	2	3	4	5
81.	डीएवीपी	596772	638582	1235354
82.	स्वास्थ्य निदेशालय, भोपाल	13000	20496	33496
83.	कृषि, कृषक कल्याण एवं कृषि विकास निदेशालय, म.प्र.	607500	37164	644664
84.	म.प्र. पूर्व विद्युत वितरण कं. लि. जबलपुर	27000	1974	28974
85.	अपर निदेशक (विज्ञापन) जनसंपर्क, भोपाल	162000	11842	173842
86.	एसबीआई, एलएचओ, भोपाल	46439	18382	64821
87.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	256500	325664	582164
88.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण क्षेत्रीय कार्यालय	178200	206924	385124
89.	एसबीआई, स्थानीय शाखा मुख्यालय	7439	6540	13979
90.	सीजीएम, एमपी सर्कल बीएसएनएल	82608	75641	158249
91.	सीआरआई, कोयंबटूर	147295	140587	287882
92.	इंडियन ऑयल कॉ.	336600	398078	734678
93.	एलआईसी, मुंबई	1910900	1006230	2917130
94.	एम.पी. कला परिषद	7500	15656	23156
95.	एम.पी. मध्यम	1166889	1281722	2448611
96.	राज्य शिक्षा केंद्र	323251	226999	550250
97.	म.प्र. राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी	444880	380432	825312
98.	प्रौढ़ शिक्षा मंत्रालय	1950	2425	4375
99.	ग्रामीण विकास मंत्रालय	267000	287716	554716
100.	राज्य महिला आयोग	2475	2904	5379
101.	जनसंपर्क निदेशालय	4725	5943	10668
102.	भारत हेवी इलै. लि.	8100	8032	16132
103.	राष्ट्रीय रसायन एवं उर्वरक	164640	168966	333606
104.	आरबीआई	2027529	89476	2117005

1	2	3	4	5
105.	एपैक्स बैंक, भोपाल	9918	7979	17897
106.	राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम	224400	263964	488364
107.	अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग फ्रॉम बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग (डब्ल्यू आर)	54000	5578	59578
108.	टीएन–को–ऑपटैक्स	11461	0	11461
109.	बीएसएनएल चेन्नै टेलीफोन	1673628	0	1673628
110.	बीएसएनएल टेलीकॉम सर्कल	371268	0	371268
111.	बीएसएनएल तमिलनाडु सर्कल	268138	0	268138
112.	तमिलनाडु पर्यटन विकास निगम	186473	0	186473
113.	अल्प बचत निदेशालय	18183	0	18183
114.	न्यू इंडिया एश्योरेंस	37768	0	37768
115.	जन स्वास्थ्य निदेशालय	18540	0	18540
116.	डीएवीपी	1508927	0	1508927
117.	प्लान इंडिया	191090	0	191090
118.	इंडियन बैंक	20056	0	20056
119.	तमिलनाडु विद्युत बोर्ड	27365	0	27365
120.	अरिगनार अन्ना कोऑपरेटिव	50628	0	50628
121.	टीटीडीसी	658431	0	658431
122.	एलआईसी	0	108585	108505
123.	टीएन रेफल विभाग	0	5611	5611
124.	टेनसेक्स	32676	0	32676
125.	तमिलनाडु–एगरो–इंडस्ट्री	0	3251	3251
126.	तमिलनाडु सहकारी दूध उत्पादक	0	5226	5226
127.	आरबीआई, मुंबई	1376557	0	1376557

1	2	3	4	5
128.	द प्रैस सिंडिकेट	0	3088	3088
129.	लघु बचत निदेशालय	18183	0	18183
130.	पंजाब स्टेट लाटरी	545185	399158	944343
131.	एनटीपीसी	32130	30110	62240
132.	डीएवीपी	289275	262356	551631
133.	राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम	156000	187033	343033
134.	राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम	156000	1859	157859
135.	डीपीईपी	153000	1823	154823
136.	डीएवीपी	2037504	24283	2061787
137.	निर्वाचन आयोग	2063940	24598	2088538
138.	बीएसएनएल	7947	95	8042
139.	स्वास्थ्य सेवा निदेशालय	33391	398	33789
140.	आईईसी ब्यूरो	1722518	20529	1743047
141.	सचिव, आरबीआई	117375	1399	118774
142.	आरबीआई, मुंबई	1350072	16090	1366162
143.	रोगवाहक जनित रोग निदेशालय	26952	321	27273
144.	एलआईसी	970885	11571	982456
145.	मिशन निदेशक, लखनऊ	0	0	0
146.	यूपी एड्स नियंत्रण सोसाइटी लखनऊ	84995	1013	86008
147.	यूपी एससी विकास निगम	14	0	14
148.	उत्तर मध्य रेलवे	10	0	10
149.	टेक्समो इंडस्ट्रीज	0	0	0
150.	निदेशक (मीडिया) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	945042	11263	956305
151.	एसबीआई (श्री आर.सी. अरोड़ा, उपाध्यक्ष)	135000	1408	136408

1	2	3	4	5
152.	उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी	269890	0	269890
153.	महाराष्ट्र असेंबली	2432115	0	2432115
154.	प्रोजेक्ट निदेशक, ठाणे	629744	0	629744
155.	आरसीएफ	33196	0	33196
156.	अप्रेंटिस बोर्ड	45002	0	45002
157.	आरबीआई	4060143	0	4060143
158.	एमईडीए	2031622	0	2031622
159.	येमु	3586	0	3586
160.	बीसीएसबीआई	140633	3916	144549
161.	एचपीसीएल	3266	3588	6854
162.	जल संरक्षण	216000	250641	466641
163.	महिला एवं बाल मंत्रालय	1350072	0	1350072
164.	पुण फैस्टिवल	276896	195596	472492
165.	राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम	6600006	12077925	18677931
166.	डीजीआईपीआर	1845889	0	1845889
167.	कृषि आयोग	297810	0	297810
168.	सूचना निदेशालय	1103280	0	1103280
169.	डीएवीपी	52751	0	52751
170.	कृषि विभाग	1920	0	1920
171.	कृषि विज्ञान केंद्र, पुलवामा	10420	0	10420
172.	उप निदेशक, भारतीय मानक ब्यूरो	95472	0	95472
173.	प्रशासनिक अधिकारी, कैंसर सोसाइटी	22211	0	22211
174.	श्रीनगर नगर निगम	13500	0	13500
175.	भेड़ पालन विभाग श्रीनगर	10420	0	10420

1	2	3	4	5
176.	लोक निर्माण विभाग, चदूरा बड़गाम	69300	0	69300
177.	जम्मू और कश्मीर जल मार्ग और नहर विकास प्राधिकरण	162000	0	162000
178.	वाटर वर्क्स विभाग	52750	0	52750
179.	उद्यान विभाग	36632	0	36632
180.	जे.एंड के. बैंक	206000	0	206000
181.	ग्रामीण विकास निदेशालय	59752	0	59752
182.	निदेशक पर्यटन, श्रीनगर	25755	0	25755
183.	एलआईसी इंडिया	140887	0	140887
184.	परियोजना निदेशक, आरसीएच जम्मू	10569	0	10569
185.	मुख्य अभियंता, पीडीडी जम्मू और कश्मीर सरकार	225000	0	225000
186.	संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी	44122	0	44122
187.	होटल ग्रांड पैलेस	5000	0	5000
188.	मुख्य डाकपाल, जीपीओ	82875	0	82875
189.	निदेशक अग्नि एवं आपातकालीन सेवाएं	21000	0	21000
190.	साउथ मालाबार ग्रामीण बैंक	0	4644	4644
191.	कैथोलिक सीरियन बैंक लि.	0	1594	1594
192.	कैनरा बैंक	95404	64013	159417
193.	हिंदुस्तान पैट्रोलियम	3339	2223	5562
194.	एलआईसी इंडिया	128868	153016	281884
195.	सिंडिकेट बैंक कॉरपोरेट कार्यालय	0	752	752
196.	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एलएचओ	0	12842	12842
197.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावनकोर	0	40341	40341
198.	डीएवीपी	67700	0	67700
199.	राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम	14293	0	14293

1	2	3	4	5
200.	आंध्र प्रदेश सरकार	843795	0	843795
201.	आंध्रा बैंक	16854	0	16854
202.	बीएसएनएल	12473917	0	12473917
203.	सीडब्ल्यूजी आयोजन	205797740	0	205797740
204.	कैनरा बैंक	1158150	0	1158150
205.	कॉयर बोर्ड	9939	0	9939
206.	छत्तीसगढ़	413625	0	413625
207.	स्टील विकास प्राधिकरण संस्थान	117554	0	117554
208.	हिंदुस्तान ऐरोनॉटिक्स लि.	551500	0	551500
209.	इंडियन ऑयल कारपो.	17173197	0	17173197
210.	आईआरडीए	22402527	0	224024527
211.	एलआईसी इंडिया	2506284	0	2506284
212.	नेशनल इंश्योरेंस एंड कं.	1012554	0	1012554
213.	ओएनजीसी	0	0	0
214.	पीएनबी	787867	0	787867
215.	पीसीआरए	5095860	0	5095860
216.	एसबीआई	4022090	0	4022090
217.	गुजरात पर्यटन कॉरपो.	5377125	0	5377125
218.	उत्तरांचल पर्यटन विकास बोर्ड	1613138	0	1613138
219.	मर्केंटाइल	55150	0	55150
220.	स्वास्थ्य एवं टीबी विजन मंत्रालय	6601455	0	6601455
221.	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	3951773	0	3951773
222.	नेशनल थर्मल पावर कॉरपो.	27575	0	27575
223.	द बैंकिग कोड एवं स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंडिया	6281585	0	6281585
	कुल योग	383163550	19688298	402851848

31.10.2011 की स्थिति के अनुसार उन चूककर्त्ता एजेंसियों के विरुद्ध बकाया राशि की स्थिति जो माध्यस्थम के अधीन हैं

क्र.सं.	एजेंसी का नाम	बकाया मूल धन (रुपये में)	ब्याज (रुपए में)	देरी के लिए वसूल किया गया ब्याज	कुल ब्याज	सकल योग
1	2	3	4	5	6	7
1.	मैसर्स आलिया प्रोडक्शन प्राइवेट लि.	6695289	9819935.00	3141191	12961126	19656415
2.	मैसर्स एडवांस नैटवर्क	21342950	15807556.00	26589223	42396779	63739729
3.	मैसर्स एमेच्योर	2290404	1168664.00	1773369	2942033	5232437
4.	मैसर्स आरंभ एडवरटाइजिंग एंड मार्केटिंग लिमिटेड	245450115	291230989.00	178048841	469279830	714729945
5.	मैसर्स सिनेमा विजन	8844129	15361761.00	3632877	18994638	27838767
6.	मैसर्स क्रियेटिव आई लि.	162187926	141095279.00	92200503	233295782	395483708
7.	मैसर्स क्रियेटिव चैनल एडवरटाइजिंग एंड मार्केटिंग प्रा.लि.	154600504	80251753.00	140214186	220465939	375066443
8.	मैसर्स चैनल एट	22621581	29098516.00	2453357	31551873	54173454
9.	मैसर्स फेम कम्यूनिकेशन (मैसर्स सिनेविस्टा)	113703230	99902508.00	82480012	182382520	296085750
10.	मैसर्स फिल्म क्राफ्ट	298984159	419944504.00	282089506	702034010	1001018169
11.	मैसर्स गुरुजी एडवरटाइजिंग प्रा. लि.	67252669	82152525.00	62624211	144776736	212029405
12.	मैसर्स ग्लोबल एंटरटेनर्स	15973760	12537106.00	14684043	27221149	43194909
13.	मैसर्स जी.एन. कम्यूनिकेशन	4348550	6364443.00	1473563	7838006	12186556
14.	मैसर्स जोसलिन कम्यूनिकेशन प्रा.लि.	10424175	14120371.00	10460445	24580816	35004991
15.	मैसर्स किन्नेस्कोप इंडिया प्रा.लि.	42610098	99843584.00	21599234	121442818	164052916
16.	मैसर्स मार्केट मुवर्स	30527975	27810568.00	27311246	55121814	85649789
17.	मैसर्स मीडिया एशिया प्रा. लि.	11536175	21777115.00	11021788	32798903	44335078
18.	मैसर्स मल्टी चैनल	191804104	188634945.00	366351094	554986039	746790143
19.	मैसर्स न्यूमेरो यूनो	136396275	110357212.00	70927931	181285143	317681418

1	2	3	4	5	6	7
20.	मैसर्स निंबस कॉम.	62800600	13441198.00	56956703	70397901	133198501
21.	मैसर्स नीरज फिल्म्स	14973844	20544391.00	13580456	34124847	49098691
22.	मैसर्स प्लस चैनल	101225884	37330964.00	101578095	138909059	240134943
23.	मैसर्स प्राइम टाईम आईपी मीडिया सर्विस लि.	44108310	34292465.00	42124040	76416505	120524815
24.	मैसर्स प्रतीश नंदी	18793596	20145229.00	17044762	37189991	55983587
25.	मैसर्स श्री माधव पोली प्रोडक्ट एंड ट्रेडिंग प्रा. लि.	115615532	93179839.00	116017811	209197650	324813182
26.	मैसर्स स्टारकॉन इंडिया प्रा. लि.	277654236	256346459.00	265163599	521510058	799164294
27.	मैसर्स वर्ल्ड मीडिया लि.	13300069	14203756.00	12062434	26266190	39566259
28.	मैसर्स ए एंड ए फिल्म्स	18727350		14269215	14269215	32996565
29.	मैसर्स ए.बी. विजुअल प्रोडक्शंस प्रा. लि.	1417225	2008118.00	309091	2317209	3734434
30.	मैसर्स एडमोर	83312	160304.00	18170	178474	261786
31.	मैसर्स आनंद एडवरटाइजिंग	14526395	6509825.00	21784618	28294443	42820838
32.	मैसर्स एडविजन मल्टी मीडिया	8640025		6586658	6586658	15226683
33.	मैसर्स आर्ट एडवरटाइजिंग एजेंसी		2885775.00	0	2885775	2885775
34.	मैसर्स एशियन एड एज	9028216		6818035	6818035	15846251
35.	मैसर्स आडियो एडवरटाइजिंग एजेंसी	1603265	6503130.00	193622	6696752	8300017
36.	मैसर्स बालाजी टेलीफिल्म्स	15175076	42993290	186882	43180172	58355248
37.	मैसर्स ब्रह्मा विजन प्रा.लि.	2573046	3327126.00	561171	3888297	6461343
38.	मैसर्स कंसेप्ट कम्यूनिकेशन प्रा. लि.	26614175		30851297	30851297	57465472
39.	मैसर्स कोरम कम्यूनिकेशन प्रा. लि.	2812392	2833195.00	3503701	6336896	9149288
40.	मैसर्स दृष्टि इंडिया लि.	29283563	44065375	36842333	80907708	110191271
41.	मैसर्स डेल्कॉम एडवरटाइजिंग एजेंसी (गुवाहाटी में कोर्ट केस)	1745236	3053741.00	380629	3434370	5179606
42.	मैसर्स इटरनल ड्रीम्स लिमिटेड	876000	1192872	191052	1383924	2259924

1	2	3	4	5	6	7
43.	मैसर्स फर्स्ट ऑप्शन टेलीफिल्म्स प्रा. लि.	16655325	8185198.00	19737016	27922214	44577539
44.	मैसर्स फेम एंड फॉरच्यून मीडिया सर्विस	2246000	2536327	489843	3026170	5272170
45.	मैसर्स फिल्माना	330450	309606	72070	381676	712126
46.	मैसर्स एफ.एस. एडवरटाइजिंग लि.	5863382	11333693	1278780	12612473	18475855
47.	मैसर्स फ्यूचर कम्यूनिकेशन प्रा.लि.	2979775		2250302	2250302	5230077
48.	मैसर्स, ग्लोबल विजन	10560541		7211692	7211692	17772233
49.	मैसर्स हंस विजन, प्रा. लि.	6261500	7519741.00	1365607	8885348	15146848
50.	मैसर्स हिंदुस्तान थाम्पसन एसोसिएट लि.	8875111	101855096	1935625	103790721	112665832
51.	मैसर्स आईबी एंड डब्ल्यू कम्यूनिकेशन प्रा.लि.		185485.00	0	185485	185485
52.	मैसर्स इंद्रधनुष टी.वी. प्रा. लि.	2817707	7351456	614530	7965986	10783693
53.	मैसर्स इशा एडवरटाइजिंग प्रा.लि.	182061	375030.00	39707	414737	596798
54.	मैसर्स लहर पब्लिसिटी सर्विस	8143121		0	0	8143121
55.	मैसर्स एल.आर. इंटरप्राइजेज	16138875	3861973.00	16977212	20839185	36978060
56.	मैसर्स माया एंटरटेनमेंट	24942539		22879142	22879142	47821681
57.	मैसर्स मेजिक बॉक्स	11526835	26739277.00	279328	27018605	38545440
58.	मैसर्स मा कम्यूनिकेशन बोजेल प्रा. लि.	6350517	16190035	310305	16500340	22850857
59.	मैसर्स मेगना विजन एडवरटाइजर	9745050	25038380.00	476173	25514553	35259603
60.	मैसर्स एम.जी. एडवरटाइजिंग सर्विस	352113	678207	25738	703945	1056058
61.	मैसर्स मल्टी ब्रॉडकास्ट मीडिया	16344600		18946750	18946750	35291350
62.	मैसर्स ओमेगा मास मीडिया प्रा.लि.	8466377		6393738	6393738	14860115
63.	मैसर्स पारस मार्केटिंग	1691159		1277149	1277149	2968308
64.	मैसर्स पिंकी एडवरटाइजिंग कं. प्रा.लि.	15136320		11430824	11430824	26567144
65.	मैसर्स प्रेरणा फिल्म्स	4411514	5867582	962133	6829715	11241229
66.	मैसर्स प्रोमिनेन्ट एडवरटाइजिंग सर्विसेज	8808621	17606566	1921124	19527690	28336311

1	2	3	4	5	6	7
67.	मैसर्स प्रभा फिल्म्स	8637750	2507577	9086440	11594017	20231767
68.	मैसर्स पास इंटरनेशनल	87747540	163523035	3206992	166730027	254477567
69.	मैसर्स राधा पब्लिसिटी	1300000		981749	981749	2281749
70.	मैसर्स रिसपोंस इंडिया लि.	111250	290968	24263	315231	426481
71.	मैसर्स सागर एंटरप्राइजेज	337650	49943608	73640	50017248	50354898
72.	स्टार गेजर एडवरटाइजिंग एजेंसी	3773350		2849603	2849603	6622953
73.	मैसर्स टाइम शॉप एडवरटाइजिंग एंड मार्केटिंग प्रा.लि.	10496661		7926992	7926992	18423653
74.	मैसर्स ट्रैसर एडवरटाइजिंग एंड पब्लिसिटी	4767892		5526967	5526967	10294859
75.	मैसर्स ट्रांसलिंक टेलीविजन	23931760		18073068	18073068	42004828
76.	मैसर्स ट्रावनकोर एडवरटाइजर्स	1417620	1615303	0	1615303	3032923
77.	मैसर्स ट्राइटन काम्यूनिकेशन प्रा.लि.		5377778	0	5377778	5377778
78.	मैसर्स यूनिवर्सल काम्यूनिकेशन प्रा.लि.	24385314		0	0	24385314
79.	मैसर्स यूरेनस मार्केटिंग प्रा.लि.	4676634	3771114	7182413	10953527	15630161
80.	मैसर्स यूनाईटेड टेलीशॉपिंग मार्केटिंग कं. लि.	51000	213897	11123	225020	276020
81.	मैसर्स विज्ञापन इंडिया प्रा.लि.	300000		226558	226558	526558
82.	मैसर्स वेंचर्स डायरेक्ट टेलीविजन	1200214	1619204	261762	1880966	3081180
83.	मैसर्स वी.के. एडवरटाइजिंग	1602277	1925462	349450	2274912	3877189
84.	मैसर्स डब्ल्यू. डी. कंज्यूमर प्रोड्क्ट प्रा.लि.	1700000		0	0	1700000
	कुल	2694437820	2738717984	2318756802	5057474786	7751912606

[अनुवाद]

कुट्टानन्द पैकेज

3009. श्री कोडिकुन्नील सुरेश : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि के अनुसार कुट्टानन्द पैकेज के कार्यान्वयन और उपयोग की स्थिति क्या है;

(ख) क्या उक्त पैकेज के लिए कुल संस्वीकृत धनराशि जारी कर दी गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि कोई शेष संस्वीकृत धनराशि है तो उसे कब तक जारी कर दिया जाएगा?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत) : (क) से (घ) आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल एवं महाराष्ट्र के आत्महत्या प्रवण जिलों में किसानों के लिए पुनर्वास पैकेज के भाग के रूप में कुट्टनाड नम भूमि परिस्थितिकी के विकास के लिए एम.एस. स्वामीनाथन अनुसंधान फाउंडेशन द्वारा सुझाए गए विभिन्न कार्यक्रमों/स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए सरकार ने 1840.75 करोड़ रु. का वित्तीय समर्थन उपलब्ध कराने हेतु सैद्धान्तिक अनुमोदन दिया है। जैसा कि केरल राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया है, कुट्टानाड पैकेज के तहत 4053 करोड़ रु. की परियोजना प्रस्तुत की गई है जिसमें से 1293 करोड़ रुपये की राशि की परियोजनाएं स्वीकृत/अनुमोदित की गई हैं जिनके लिए अब तक 90.24 करोड़ रुपये निर्मुक्त किए जा चुके हैं।

संबंधित परियोजनाएं जिनके तहत परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं, के दिशानिर्देशों में उपलब्ध कराई गई शर्तों की पूर्ति के आधार पर संस्वीकृत राशि निर्मुक्त की जाती है। हालांकि कुट्टानाड पैकेज के त्वरित कार्यान्वयन के लिए सरकार ने कुट्टानाड एवं अलापूझा समृद्धि परिषद, कार्य कार्यान्वयन एवं प्रबंधन समिति एवं एक परियोजना प्रबंधन इकाई वाले कार्यान्वयन तंत्र के गठन को अनुमोदित किया है। इसके अलावा, सरकार ने सतत आधार पर इस पैकेज में कार्यान्वयन मुद्दों का समाधान करने के लिए केरल सरकार के साथ एक समन्वयन समिति भी गठित की है।

पेयजल आपूर्ति

3010. श्री मिथिलेश कुमार : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को सरकारी कालोनियों के 'रेजीडेन्ट वेल्फेयर एसोसिएशनों' से पेयजल की कम आपूर्ति, फिल्टर नहीं किए गए जल की आपूर्ति और अन्य नागरिक सुविधाओं की कमी के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कालोनी-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) एनडीएमसी क्षेत्र सहित आवासियों की शिकायतों के समाधान के लिए सरकार/केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय) : (क) जी हां।

(ख) ब्यौरे इस प्रकार हैं :

(i) कच्चे पानी के लिए : आर.के. पुरम, नौराजी नगर, किदवई नगर, डीआई जैड एरिया एवं गोल मार्किट।

(ii) पेयजल हेतु : डीआईजेड एरिया, गोल मार्किट, आराम बाग, एसएसफ्लैट्स सै. 4, तिमारपुर में जेट टाइप 344 क्वार्टर और 120 एफ टाइप-III क्वार्टर, हडको प्लेस, एंड्रयूजगंज एन टाईप-I कालोनी, एड्रयूजगंज एक्सटेंशन, सादीक नगर, सैक्टर-I टाइप-III क्वार्टर नं. 225 से 352 नेहरू नगर विशेष रूप से गर्मियों में।

(ग) दिल्ली जलबोर्ड को पर्याप्त आपूर्ति की व्यवस्था हेतु नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। पेय जल आपूर्ति दिल्ली जल बोर्ड अथवा स्थानीय निकाय (एनडीएमसी आदि) द्वारा की जाती है। एनडीएमसी तथा दिल्ली जल बोर्ड से जल आपूर्ति में वृद्धि करने का अनुरोध किया गया है।

[हिन्दी]

नेहरू युवा केंद्र योजना के अंतर्गत क्रियाकलाप

3011. श्री महेश्वर हजारी:
श्री दिलीप सिंह जूदेव:

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेहरू युवा केन्द्रों (एनवाईक) हेतु निर्धारित/आबंटित और जारी की गयी धनराशि का ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान उक्त प्रयोजनार्थ अपनाए गए मानदंड/प्रक्रियाओं का राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश के सभी जिलों को उक्त योजना के अंतर्गत कवर नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं तथा अब तक कितने नेहरू युवा केन्द्रों को मंजूरी दी गई है;

(घ) उक्त योजना में छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले सहित देश के सभी जिलों को कब तक कवर किए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या सरकार ने देश में नेहरू युवा केन्द्रों के कार्य निष्पादन एवं कार्यकरण की समीक्षा/मूल्यांकन/आकलन किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस समीक्षा के क्या परिणाम रहे तथा देश में नेहरू युवा केन्द्रों के कार्य निष्पादन में सुधार करने हेतु सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए है?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) इन 501 केंद्रों के लिए वर्ष 2008–09, 2009–10 और 2011 के दौरान क्रमशः 101.76 करोड़ रु., 127.54 करोड़ रु. और 121.50 करोड़ रु. तथा चालू वर्ष के दौरान 134.50 करोड़ रु. की निधियां रखी गई हैं। जिले में ब्लाकों की संख्या के आधार पर प्रत्येक केंद्रों को प्रतिवर्ष लगभग 5–7 लाख रु. की निधि स्वीकृत की जाती है।

(ख) से (घ) इस समय देश के 501 जिलों में नेहरू युवा केंद्र संगठन है। सरकार ने हाल ही में छत्तीसगढ़ के जशपुर जिला सहित देश के कवर न किए गए शेष 122 जिलों को ने. ये.के.सं. के केंद्रों को खोलने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया है।

(ङ) और (च) नेहरू युवा केंद्र संगठन (एनवाईकेएस) का होलिस्टिक प्रबंधन शोध भारतीय प्रबंधन सं. स्थान अहमदाबाद को सौंपा गया जिन्होंने फरवरी, 2009 में कुछ प्रमुख सिफारिशें अपनी रिपोर्ट में प्रस्तुत की थी साथ ही साथ नेहरू युवा संगठन के कार्यक्रमों का पुर्नसंगठन, युवाओं के अधिकारिता एवं विकास पर नेहरू युवा केंद्र संगठन का प्रभाव, योजनाओं के साथ सेवाओं की सुपुर्दगी और समाभिरूता तथा अन्य मंत्रालयों और अन्य अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां आदि के कार्यक्रमों में सुधार करने के लिए संरचनात्मक परिवर्तन करना है। सरकार ने युवा नेतृत्व और व्यक्तित्व विकासके लिए नए कार्यक्रम आरंभ करके उसके संबंध में सिफारिशें कार्यान्वित कर दी है। जोनल कार्यालयों को 18 से 28 तक बढ़ा दिया गया है जिसमें देश के 200 बोर्डिंग/जनजातीय/पहाड़ी जिलों में बालिकाओं के लिए कौशल उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम (एसयूटीपी) का परिचय, युवा विकास और सशक्तीकरण के लिए विभिन्न विषयों पर संशोधित प्रशिक्षण नियमावली की तैयारी, जीवन कौशल शिक्षा, राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सौहार्द तथा स्वयंसेवकों को भुगतान किए जा रहे मानदेय को 1000/– रु. से बढ़ाकर 2500/- रु. तक करना है।

अब नेहरू युवा केंद्र संगठन का प्रमुख जोर ग्रामीण स्तर पर ग्रामीण युवा क्लबों के विकास और निगरानी करने की ओर से है। सरकार ने युवा क्लबों का संरचनात्मक उन्नयन, क्षमता निर्माण और व्यावसायीकरण की ओर आवश्यक कदम उठाया है।

नेहरू युवा केंद्र संगठन विभिन्न मंत्रालयों/विभागों विशेषकर संबंधित जागरूकता अभियान जैसे कार्यक्रमों और कार्यकलापों को कार्यान्वित करने के लिए भी नई पहल कर रहा है। नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा योजनाओं के कार्यकरण और क्रियान्वयन में काफी बड़ा परिवर्तन लाया गया है। इसके लिए महिला और बाल विकास, जम्मू व कश्मीर तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए युवा विनिमय, कार्यक्रम, एचआईबी एड्स, पेयजल और स्वच्छता, आपदा प्रबंधन और कृषि विस्तार और शिक्षा, पूर्वोत्तर राज्यों के 59 जिलों के लिए युवा रोजगार गम्यता कुशलता विशेष परियोजनाएं शुरु की गई हैं।

[अनुवाद]

एनसीआर में पुलिस बल का पुनरूद्धार

3012. श्री सुरेश कुमार शेटकर : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को हरियाणा सरकार से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आने वाले हरियाणा के जिलों में पुलिस बल के पुनरूद्धार हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) हरियाणा राज्य सरकार से राज्य पुलिस बलों की आधुनिकीकरण (एम पी एफ) योजना के अन्तर्गत वर्ष 2011–12 के लिए वार्षिक कार्य योजना का प्रस्ताव आमंत्रित किया गया था। राज्य सरकार को गृह मंत्रालय द्वारा एम पी एफ स्कीम, 2011–12 के अन्तर्गत 19.10 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं। हरियाणा राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्ताव पर गृह मंत्रालय में उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एच पी सी) द्वारा इसकी दिनांक 22.7.2011 को हुई बैठक में विचार किया गया था और इसे अनुमोदित किया गया था। यह प्रस्ताव समग्र राज्य के लिए अभिप्रेत था और इसमें, अन्य बातों के लिए साथ–साथ, गुड़गांव में यातायात लाइनों के लिए गैर–आवासीय भवनों का निर्माण, गुडगांव एवं फरीदाबाद के लिए सीमा चौकी निगरानी प्रणाली शामिल थी।

चीनी के उप–उत्पाद

3013. **श्री रामसिंह राठवा** : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी मिलों द्वारा चीनी उत्पादन की प्रक्रिया में कुछ उप–उत्पादों का भी उत्पादन किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे उत्पादों के क्या नाम हैं;

(ग) क्या सरकार चीनी मिलों की वित्तीय स्थिति का आकलन करते समय ऐसे उत्पाद से होने वाली आय को भी शामिल करती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दस प्रतिशत वसूली पर पिराई किए गए प्रति टन गन्ने से तैयार चीनी और उसके उप–उत्पादों की मात्रा और मूल्य कितना है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) जी, हां।

(ख) चीनी के उत्पादन की प्रक्रिया में मुख्य उप–उत्पाद शीरा, खोई और प्रैस मड हैं। शीरा, खोई और प्रैस मड का उत्पादन पेरे नए गन्ने से क्रमशः 4.2% से 4.5%; 30% से 33% और 3% से 5% तक की रेंज में अलग–अलग होता है।

(ग) केन्द्रीय सरकार सामान्यतः चीनी मिलों की वित्तीय स्थिति का आकलन नहीं करती है। तथापि, चीनी मिलों की व्यवहार्यता में सुधार करने के लिए चीनी विकास निधि से विभिन्न स्कीमों के लिए ऋण की मांग करने वाली चीनी मिलों से प्राप्त प्रस्तावों की जांच करते समय सरकार चीनी विकास निधि से ऋणों की स्वीकृति से पूर्व अन्य यथोचित कार्य करने के साथ–साथ संबंधित आवेदनकर्ता चीनी मिलों की वित्तीय स्थिति का आकलन भी करती है। इसके अतिरिक्त, चीनी मौसम 2009–10 से कृषि लागत और मूल्य लागत और मूल्य आयोग गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य सुझाते समय उप–उत्पादों नामतः शीरा, खोई और प्रैस मड की बिक्री से हुई वसूली या उनके अभ्यारोपित मूल्य को हिसाब में लेता है।

(घ) 1 टन गन्ने की पेराई करने से 10% वसूली के साथ 1 क्विंटल चीनी, 0.42 से 0.45 क्विंटल शीरा, 2 से 3.30 क्विंटल खोई और 0.03 से 0.50 क्विंटल प्रैस मड का उत्पादन होगा। घरेलू बाजार में चीनी और अन्य उप-उत्पादों के मूल्य विभिन्न कारकों पर निर्भर करते हैं और समय-समय पर भिन्न-भिन्न होते हैं।

डीडीए फ्लैटों का कब्जा

3014. **श्री के. सी. सिंह बाबा** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) आवासीय योजना, 2008 के तहत अनेक मामले प्रकाश में आए हैं जिसमें आबंटियों द्वारा फ्लैट की कीमत की अदायगी के तीन माह से अधिक समय के अंतर के पश्चात् फ्लैटों का कब्जा दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) डीडीए आवासीय योजना, 2010 में ऐसे विलंबों से बचने के लिए डीडीए द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय) : (क) और (ख) जी हां। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने सूचित किया है कि ऐसे मामलों में जिनमें स्कीम के अनुसार अपेक्षित दस्तावेज/औपचारिकताएं प्रस्तुत नहीं की गई हैं, आबंटी से भुगतान प्राप्त होने के बावजूद भी फ्लैटों का कब्जा नहीं दिया जा सकता है।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि उसने विलम्ब से बचने के लिए अपेक्षित धनराशि एवं अपेक्षित दस्तावेजों की प्राप्ति के पश्चात नागरिक चार्टर के अंतर्गत कब्जे की समय सीमा 60 दिन निर्धारित की है।

[हिन्दी]

एफएम रेडियो सेवाएं

3015. श्रीमती ज्योति धुर्वे:
श्री देवजी एम. पटेल:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में प्राइवेट एफएम रेडियो चैनलों के प्रचालन के लिए लचीले नियम/मार्गनिर्देश निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश के वे जिले/क्षेत्र कौन से हैं जिनको एफएम रेडियो स्टेशनों/सेवाओं द्वारा कवर नहीं किया गया है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) देश के सभी क्षेत्रों को एफएम रेडियो सेवाओं के तहत कब तक कवर किए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चौधरी मोहन जतुआ) : (क) और (ख) मंत्रिमंडल ने दिनांक 07.07.2011 को हुई अपनी बैठक में "प्राइवेट एजेंसियों के जरिए एफएम रेडियो प्रसारण सेवाओं का विस्तार (चरण–III) पर नीतिगत दिशानिर्देश" का अनुमोदन कर दिया है। इस नीति के अंतर्गत एफएम चरण–III के लिए लाइसेंसिंग विधि–प्रणाली पर मंत्री–समूह द्वारा की गई अनुशंसा के अनुसार, 3जी व बीडब्ल्यूए स्पेक्ट्रम की नीलामी के संबंध में दूरसंचार विभाग द्वारा यथावश्यक परिवर्तनों के साथ यथानुसरित आरोही ई–नीलामी प्रक्रिया के जरिए एफएम रेडियो चैनलों के लिए अनुमति प्रदान की जाएगी।

संक्षेप रूप में, इन दिशानिर्देशों में 20% की वर्तमान विदेशी निवेश सीमा को बढ़ाकर 26% करने की बात शामिल है। आकाशवाणी द्वारा तैयार किए गए समाचार बुलेटिनों को मूल रूप में प्रसारित करने की अनुमति दी गई है। जम्मू एवं कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों और द्वीपसमूह क्षेत्रों में प्रचालनों को व्यवहार्य बनाने के लिए इन क्षेत्रों से संबंधित नीति में विशेष प्रोत्साहन दिए गए हैं। नई नीति में उठाए गए इन कदमों से अधिक प्रचालनात्मक नम्यता लाई जा सकेगी, प्रचालनात्मक लागतों को कम किया जा सकेगा और सामान्यतया व्यवहार्यता में सुधार लाया जा सकेगा। विस्तृत नीतिगत दिशानिर्देश इस मंत्रालय की वैबसाइट (www.mib.nic.in) पर उपलब्ध हैं।

(ग) चरण–III की नीति में एफएम रेडियो सेवाओं का विस्तार मौजूदा 86 शहरों के अतिरिक्त लगभग 227 नए शहरों में किया गया है जिसके फलस्वरूप 294 शहरों में कुल 839 नए प्राइवेट एफएम रेडियो चैनल उपलब्ध होंगे। चरण–III की नीति को कार्यान्वित किए जाने के फलस्वरूप पूर्वोत्तर क्षेत्र और जम्मू एवं कश्मीर तथा द्वीपसमूह क्षेत्रों के शहरों, जिनकी एक लाख से कम आबादी है, में प्राइवेट एफएम रेडियो चैनलों को छोड़कर एक लाख और उससे अधिक आबादी वाले सभी शहर कवर हो जाएंगे।

इस समय, आकाशवाणी की आकाशवाणी एफएम सेवा को देशभर में स्थित 203 ट्रांसमीटरों से मुहैया कराया जा रहा है जिसके फलस्वरूप एफएम प्रसारण सेवा द्वारा देश के 25.6% क्षेत्र और 37.33% आबादी को कवर किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, 10वीं योजनागत स्कीम में स्थापित किए गए 18 एफ एम ट्रांसमीटर कमीशनिंग के प्रक्रियाधीन हैं।

11वीं योजना के दौरान 277 अतिरिक्त स्थलों पर विभिन्न क्षमताओं के एफएम ट्रांसमीटर स्थापित किए जा रहे हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना की स्कीमों के कार्यान्वयन के पश्चात देश में

एफएम मोड में आकाशवाणी की कवरेज में क्षेत्र–वार 38.75% की और आबादी–वार 53.53% की वृद्धि होगी।

देश के कुल जिलों में से 247 जिलों की आकाशवाणी की एफएम सेवा पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से प्राप्त हो रही है। 11वीं योजना की स्कीमों के कार्यान्वयन के पश्चात 122 और जिलों को पूर्ण रूप से/आंशिक रूप से एफएम–आकाशवाणी कवरेज प्राप्त होगी।

(घ) आकाशवाणी के एफएम चैनलों द्वारा संपूर्ण देश को कवर करने के लिए बड़ी मात्रा में निधियों की आवश्यकता होगी। इसलिए, निधियों की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करते हुए देश में एफएम विस्तार के र्य को चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है।

जहां तक प्राइवेट एफएम रेडियो प्रसारण का संबंध है, इस समय देश के सभी क्षेत्रों को कवर करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। शहरों की आबादी, मौजूदा या प्रस्तावित प्राइवेट एफएम रेडियो स्टेशनों द्वारा वाणिज्यिक व्यवहार्यता कवरेज को ध्यान में रखते हुए प्राइवेट रेडियो स्टेशनों की अवस्थितियों का चयन किया गया है।

खेल–कूद उपकरणों की खरीद

3016. **श्री सुरेन्द्र सिंह नागर** : क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खिलाड़ियों के पास खेल–कूद उपकरण उपलब्ध न होने के कारण देश में विभिन्न खेल पिछड़ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या खेल–कूद उपकरण विदेश से खरीदे जाते हैं;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में खेल–वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उन देशों और एजेंसियों के नाम क्या हैं जिनसे खेल–कूद उपकरण खरीदे गए और उक्त अवधि के दौरान ऐसे आयात पर कितना शुल्क अदा किया गया?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) जी नहीं।

(ख) विभिन्न खेल विधाओं में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन में सुधार आया है जिसके प्रमुख कारण गत समय में सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उत्कृष्ट खिलाड़ियों को प्रदत्त अंतरराष्ट्रीय स्तरीय अवसंरचना, उपकरण तथा अन्य संबंधित सुविधाएं हैं।

(ग) से (ङ) भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा अन्य संबंधित राष्ट्रीय खेल परिसंघों के साथ परामर्श से विभिन्न विधाओं के लिए राष्ट्रीय टीम तैयार की जा रही है। राष्ट्रीय शिविरवासियों को अपेक्षित भारतीय तथा आयातित खेल उपकरण/खेल विज्ञान उपकरण उपलब्ध कराये जा रहे हैं ताकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एथलीट अपना प्रदर्शन सुधार सके। इसी प्रकार भारतीय खेल प्राधिकरण की निम्नलिखित खेल प्रचार योजनाओं के अंतर्गत आने वाले प्रशिक्षुओं को भी अपेक्षित खेल उपकरण उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

1. राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता योजना (एनएसटीसी)।
2. विशेष क्षेत्र खेल योजना (एसएजी)
3. भाखेप्रा प्रशिक्षण केंद्र (एसटीसी)
4. उत्कृष्टता केंद्र योजना (सीओएक्स)
5. सेना बाल खेल कंपनी योजना (एबीएससी)

भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा गत तीन वर्षों में खरीदे गए खेल उपकरण तथा खेल विज्ञान उपकरणों का विधागत ब्यौरा, देश तथा एजेंसी, जिससे वे खरीदे गए हैं, क्रमानुसार संलग्न विवरण–I तथा विवरण–II में दिए गए है। वर्तमान वित्त वर्ष 2011–12 में भारतीय खेल प्राधिकरण ने विदेशों से कोई खेल उपकरण नहीं खरीदा है।

राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार खेल उपकरणों पर कस्टम शुल्क में छूट दी जाती है। अतः भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा ऐसे आयातों पर कोई शुल्क नहीं दिया गया।

विवरण-I

भारतीय खेल प्राधिकरण

(उपस्कर सहायता प्रभाग)

वर्ष 2009-10 और 2010-11 के दौरान राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के लिए उपस्कर सहायता प्रभाग साई द्वारा खेल सामग्री/उपस्करों की खरीद के ब्यौरे

क्र.सं.	विधा	एजेंसी का नाम	देश	मूल्य		संविदा की तारीख
				विदेशी मुद्रा में	(भारतीय रु. में) अनुमानतः	
1	2	3	4	5	6	7
1.	एथलेटिक्स उपस्कर	मेसर्स नार्डिक स्पोर्टस, स्वीडन	स्वीडन	यूरो 10,35,599.27	72,11,868.00	10.06.2010
2.	एथलेटिक्स उपस्कर	मेसर्स नेमेथ एस तारसा, हंगरी	हंगरी	यूरो 24,482.10	17,04,933.00	31.03.2010
3.	एथलेटिक्स उपस्कर	मेसर्स गिल एथलेटिक्स, यूएसए	यूएसए	अमरीकन डालर 1,87,153.19	86,50,220.00	08.04.2010
4.	एथलेटिक्स उपस्कर	मेसर्स यूसीएस इंक, यूएसए	यूएसए	अमरीकन डालर 1,81,214.00	84,84,440.00	22.04.2010
5.	भारोत्तोलन उपस्कर	मेसर्स एलिको, स्वीडन	स्वीडन	यूरो 2,04,255.00	1,42,12,06.90	07.01.2010
6.	जिम्नास्टिक उपस्कर	मेसर्स जिम्नोवा, फ्रांस	फ्रांस	यूरो 2,41,537.70	1,67,38,562.61	08.03.2010
7.	मुक्केबाजी उपस्कर	मेसर्स बुडोलैंड, जर्मनी	जर्मनी	यूरो 17,722.00	12,33,097.00	23.12.2009
8.	कुश्ती मैट	मेसर्स जिम्नोवा, फ्रांस	फ्रांस	यूरो 56,204.31	39,16,879.00	05.01.2010
9.	लान बाउलिंग उपस्कर	मेसर्स हेनसिलाइट, आस्ट्रेलिया	आस्ट्रेलिया	एयूडी, 12,660.00	49,11,574.00	04.01.2010
10.	शूटिंग रेंज उपस्कर	मेसर्स सियूस एस्कार, स्वीटजरलैंड	स्वीटजरलैंड	सीएचएफ 49,04,450.00	21,59,63,091.00	13.08.2009
11.	शूटिंग रेंज उपभोज्य	मेसर्स सियूस एस्कार, स्वीटजरलैंड	स्वीटजरलैंड	सीएचएफ 1,07,832.00	47,21,963.28	19/26.03.10
12.	एडिशनल शूटिंग रेंज उपस्कर	मेसर्स सियूस एजी, स्वीटजरलैंड	स्वीटजरलैंड	सीएचएफ 4,36,283.00	1,94,27,638.00	30.08.2010

1	2	3	4	5	6	7
13.	शूटिंग रेंज उपस्कर	मेसर्स लार्पोटे बाल ट्राप, फ्रांस	फ्रांस	यूरो 8,63,377.00	6,01,16941.00	07.09.2009
14.	फुल बोर राइफल	मेसर्स एचपीएस टारगेट राइफल्स, यूके	यूके	जीबीपी 7,780.52	5,41,721.40	23.07.2010
15.	फुल बोर आयुध	मेसर्स विनचेस्टर, आस्ट्रेलिया	आस्ट्रेलिया	एयूडी 25,510.00	10,54,680.00	30.08.2010
16.	शूटिंग आयुध	मेसर्स एच एंड एन जीएमबीएच, जर्मनी	जर्मनी	यूरो 4,748.00	2,82,459.00	29.07.2010
17.	शूटिंग आयुध	मेसर्स इले लि., यूके	यूके	यूरो 6,782.00	4,61,379.00	29.07.2010
18.	शूटिंग आयुध	मेसर्स फिओची, इटली	इटली	यूरो 66,353.13	39,59,291.00	29.07.2010
19.	शूटिंग आयुध	मेसर्स आरसी–एक्सीमपोर्ट, इटली	इटली	यूरो 1,45,915.25	87,56,374.00	29.07.2010
20.	शूटिंग आयुध	मेसर्स लापुआ जीएमबीएच, जर्मनी	जर्मनी	यूरो 37,180.00	22,31,172.00	29.07.2010
21.	स्पाई प्रो जीपीस फार हाकी	मेसर्स जीपी स्पोर्टस, आस्ट्रेलिया	आस्ट्रेलिया	यूएसडी 64,450.00	29,31,186.00	26.03.2010
22.	एनएसी साफ्टवेयर फार हॉकी	मेसर्स एनएसी स्पोर्टस, यूएसए	यूएसए	यूरो 26,010.00	18,11,597.00	24.11.2009
23.	बाडी मेट्रिक्स फार हॉकी	मेसर्स इन्टेला मेट्रिक्स, इंक, यूएसए	यूएसए	अमरीकन डालर 2,327.23	1,09,287.00	25.11.2009
24.	फिटनेस उपस्कर फार हॉकी	मेसर्स यूनीसेन डीबीए स्टारट्रेक, यूएसए	यूएसए	अमरीकन डालर 1,05,356.25	48,65,351.92	10.06.2010
25.	हार्ट रेन मोनीटरस	मेसर्स पोलर इलेक्ट्रो सिंगापुर प्राइवेट लि., सिंगापुर	सिंगापुर	अमरीकन डालर 15,000.00	7,04,250.00	06.07.2010
		कुल :			39,50,02,018.11	

आयातित खेल सामग्री/उपस्करों के लिए भाखेप्रा द्वारावर्ष 2008–09 में कोई संविदा नहीं दी गई थी।

भारतीय खेल प्राधिकरण

(खेल उपस्कर प्रभाग)

वर्ष 2010–11 के दौरान एशियाई खेलों के लिए उपस्कर सहायता प्रभाग, भाखेप्रा द्वारा खेल सामग्री/उपस्कर की खरीद की गई

क्र.सं.	विधा	खरीदे गए मद	एजेंसी का नाम	देश	मूल्य		संविदा
					विदेशी मुद्रा में	(भारतीय रु. में) अनुमानत	तारीख
1.	रोइंग	बोट्स	मसर्स फिलीपी लीडो स्रल, इटली	इटली	यूरो 120,485.30	74,30,822	01.06.2010
2.		कोचिंग काटामारान	मेसर्स हंगजू, चीन	चीन	$ 24,850.00	11,30,426	02.07.2010
3.	याचिंग	याचिंग उपस्कर	मेसर्स एक्सट्रीम सेलिंग प्रोडक्टस, सिंगापुर	सिंगापुर	SGD 62,860.00	20,66,082	25.08.2010
				कुल		1,06,00,330	

आयातित खेल सामग्री/उपस्करों के लिए भाखेप्रा द्वारा वर्ष 2008–09 और 2009–10 में कोई संविदा नहीं की गई थी।

विवरण–II

वर्ष 2009–10 और 2010–11 के दौरान उपस्कर सहायता प्रभाग, भाखेप्रा (मुख्यालय) द्वारा खेल विज्ञान उपकरण खरीदने की स्थिति

क्र.सं.	विधा	संविदा का विवरण एजेंसी का नाम और देश	मद	सामान की कीमत (लाख रु.)	संविदा की तारीख
1	2	3	4	5	6
1.	एन्थ्रोपोमेट्री	मेसर्स डीकेएसएच, स्वीटजरलैंड	एन्थ्रोपोमेट्री सर्वे सेट	6.45	25.11.2009
		मेसर्स ताताबे स्पोटेक, जापान	सिटिंग हाइट टेबल	0.99	25.11.2009
		मेसर्स ताताबे स्पोटेक, जापान	डिजिटल बैक एन लेग एन डाइनम	0.38	25.11.2009
		मेसर्स माल्ट्रोन इन्टनेशनल लि., यूके	बाडी काम्पोजीशन एनालाइजर	3.69	15.06.2010

1	2	3	4	5	6
2.	फीजियोथिरेपी	मेसर्स चत्तानुगा ग्रुप इन्टनेशनल, यूएसए	पोर्टेबल अल्ट्रा साउंड थिरेपी	2.66	01.12.2009
		मेसर्स चत्तानुगा ग्रुप इंटनेशनल, यूएसए	कम्बाइंड इलेक्ट्रोथिरेपी	1.25	01.12.2010
		मेसर्स हनील केयर सिस कं., कोरिया	लेसर स्कैनर विथ क्लस्टर प्रोब	2.84	01.12.2009
3.	फीजियोलॉजी	मेसर्स केयरफ्यूजन जीएमबीएच, जर्मनी	बाइसकिल इरगोमीटर	6.04	08.03.2010
		मेसर्स ताताबे स्पोटेक, जापान	हैंड ग्रीप डायनामोमीटर	0.31	31.05.2010
		मेसर्स ताताबे स्पोटेक, जापान	बैक लेग डायनामोमीटर	0.41	31.05.2010
		मेसर्स एमईएस लि, पोलैंड	एलएफटी मशीन	1.66	08.03.2010
4.	अंडर बाय बैक स्कीम	मेसर्स कोरटेक्स, जर्मनी	विविध उपकरण के साथ ब्रेथ बाय ब्रेथ पोर्टेबल गैस एनालाइजर मेटाबेक्स 3 बी	15.69	17.05.2010
		कुल		42.37	
5.	एन्थ्रोपोमेट्री	मेसर्स डीकेएसएर, स्वीटजरलैंड	एन्थ्रोपोमेट्रिक्स सेट	31.66	31.05.10
		मेसर्स ताताबे स्पोटेक, जापान	सिटिंग हाइट टेबल	5.56	31.05.10
		मेसर्स ताताबे स्पोटेक, जापान	डिजिटल बैक एंड लेग डायनामोमीटर	1.55	31.05.10
		मेसर्स ताताबे स्पोटेक, जापान	डिजिटल हैंड ग्रीप डायनामोमीटर	1.15	31.05.10
		मेसर्स लाफायेटे इन्सट्रूमेंट, यूएसए	फ्लेक्सीबिलिटी टेस्टर सिट एंड रिच टेस्ट	0.46	31.05.10
		मेसर्स माल्ट्रोन इन्टरनेशनल लि, यूके	बाडी कम्पोजीशन एनालाइजर (बायो इलेक्ट्रिकल इम्पेडेंस मेथड)	28.32	31.05.10
6.	बायोमैकेनिक्स	मेसर्स फिटनेस टेक्नालाजी आस्ट्रेलिया	रनिंग टाइमर पोट्रबल	4.02	17.03.10
7.	साइक्लोजी	मेसर्स बरटेक कारपोरेशन, यूएसए	स्टेबिलिटी प्लेटफार्म	19.62	16.06.10
		मेसर्स ताताबे स्पोटेक, जापान	होल बोडी रिऐक्शन उपकरण	7.42	16.06.10

1	2	3	4	5	6
8.	फीजिलोजी	मेसर्स एमईएस, पोलैंड	स्पाइरोमीटर	1.70	17.05.10
		मेसर्स बायोटेक, जर्मनी	कम्प्यूटराइज्ड बाइसकिल एरगोमीटर	3.34	17.05.10
		मेसर्स कोरटेक्स, जर्मनी	पोट्रेबल गैस एनालाइजर	80.57	17.05.10
		मेसर्स इंडस इन्टरनेशनल	रोइंग इजगोमीटर	3.18	17.05.10
		मेसर्स ईसीआईएल	स्पेक्ट्रोफोटोमीटर	6.11	17.05.10
		मेसर्स ट्रांसएशिया	ब्लड सेल काउंटर	3.15	17.05.10
9.	फीजियोथिरेपी	मेसर्स इलेक्ट्रानिक मेडिकल इक्यूप, इटली	कम्बाइंड अल्ट्रा साउड थिरेपी विथ आईएफटी एंड टेन्स	4.66	07.05.10
		मेसर्स इलेक्ट्रोनिक मेडिकल इक्यूप., इटली	मैगनेटो थिरेपी (पीएमएफटी)	7.50	07.05.10
		मेसर्स अर्जी हंटलेग इंटरनेशनल लि, यूके	मसाज टेबल	9.31	07.05.10
		मेसर्स साइबर मेडिका कारपोरेशन, कोरिया	फंक्शनल इलेक्ट्रिक स्टीमूलेटर	6.56	07.05.10
		मेसर्स इंडिया मेडिको इंस्ट्रूमेंट	क्वाड्रिप्स टेबल	2.57	07.05.10
		कुल		228.41	

आयातित खेल सामग्री/उपस्करों के लिए भाखेप्रा (मुख्यालय) द्वारा वर्ष 2008–09 में कोई संविदा नहीं की गई थी।

[अनुवाद]

मैक्सिको के साथ कृषि सहयोग

3017. **श्री रायापति सांबासिवा राव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक मैक्सिकन प्रतिनिधिमंडल कृषि संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत आया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या परिणाम रहे?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत) : (क) से (ग) जी हां। मैक्सिको गणराज्य के कृषि, पशुधन, ग्रामीण विकास, मात्स्यिकी और खाद्य उप मंत्री की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधि मंडल 19.9.2011 को राज्य मंत्री (कृषि, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एवं संसदीय कार्य मामले) से मिला और कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने की संभावना पर विचार-विमर्श किया। विचार-विमर्श किए गए मुद्दों पर अनुवर्ती कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

जी एम फसलें

3018. **श्री मनोहर तिरकी** :
श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार :
क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फसलों और सब्जियों के उत्पादन में आनुवांशिक रूप से संवर्धित (जीएम) बीजों के अनुसंधान और प्रभाव के क्या निष्कर्ष हैं;

(ख) जीएम प्रौद्योगिकी के समर्थन अथवा विरोध में विभिन्न राज्यों के किसानों की क्या प्रतिक्रिया है और नई प्रौद्योगिकी के बारे में किसानों को शिक्षित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का प्रस्ताव पर्याप्त रक्षोपायों के साथ जीएम खाद्य और सब्जी उत्पादन के परीक्षणों की अनुमति देने और किसानों तथा उपभोक्ताओं को विश्वास में लेकर जीएम फसलों, खाद्य और सब्जियों के बड़े पैमाने पर उत्पादन के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव का अध्ययन करने और डाटा सृजित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या किसानों को स्थानीय बीजों के उपयोग और अन्य किसानों के साथ इन बीजों के आदान-प्रदान को निरूत्साहित किया जा रहा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और स्थानीय किस्मों की सभी किस्मों के संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत) : (क) केवल बी टी कपास ही ऐसी फसल है जिसका पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन खतरनाक सूक्ष्म अवयवों/आनुवांशिक रूप से इंजीनियर्ड अवयवों अथवा सैल्स हेतु नियमावली 1989 के प्रावधानों के अनुसार अधिसूचित आनुवांशिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति (जीईएसी) द्वारा नौ राज्यों में वाणिज्यिक खेती के लिए अनुमोदित किया गया है।

केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान (सीआईसीआर), नागपुर द्वारा आयोजित एवं संचालित प्रयोगशाला तथा फील्ड अध्ययनों के निष्कर्षो ने दर्शाया है कि बीटी कपास बालवार्म के लिए विषैली थी किन्तु इसका किसी गैर-लक्ष्य लाभकारी कीटों पर कोई सीधा प्रभाव नहीं था और यह पक्षियों, मछली, गाय, बकरी और मृदा-सूक्ष्म अवयवों के लिए भी विषैली नहीं थी। सीआईसीआर द्वारा किए गए अध्ययनों ने दर्शाया कि बीटी कपास ने फसल को बालवार्म, विशेषकर अमेरिकन बालवार्म, हेलीकोवेर्पा आर्मीजेरा से प्रभावी रूप से संरक्षित करने में एक मुख्य भूमिका अदा कर रहा है और इस तरह से पैदावार संबंधी हानियां रूकी हैं। इस प्रोद्योगिकी से सबसे बड़ा लाभ यह हुआ कि कीटनाशकों का उपयोग जो 2001 में 46% था, 2006 के पश्चात 26% से भी कम हो गया और पिछले दो वर्षो 2009 व 2010 के दौरान यह 21% हो गया। बीटी कपास संकरों का उपयोग शुरू किए जाने से उत्पादन में वृद्धि किए जाने में मदद मिली है जो कि 2001 में 156 गांठें (170 कि.ग्रा. फाहा प्रति गांठ) था, 2011 में अनुमानित 356 लाख गांठें हो गया। बीटी कपास 2002 में शुरू की गई थी और इसका क्षेत्र जो 2002 में 0.29 लाख है. था, खरीफ 2011 में बढ़कर 95.04 लाख लक्ष्य हो गया। बीटी कपास के शुरू होने से पहले उत्पादकता 2001 में 309 कि.ग्रा. प्रति है. थी जो 2010 में बढ़कर 495 कि.ग्रा. प्रति है. हो गई।

(ख) सीआईसीआर द्वारा आयोजित किए गए अध्ययनों ने दर्शाया कि बीटी कपास के लिए विशाल किसान समर्थन था

जैसा कि इस तथ्य से देखा जा सकता है कि भारत में सभी कपास उत्पादक राज्यों में क्षेत्र के 90% से भी अधिक अब बीटी कपास के अंतर्गत है। उपज लाभ और नाशकजीवमारों में कमी का आकलन करने के लिए कपास उत्पादक राज्यों में से प्रत्येक से कुल 250 फार्मो के नमूने लिए गए थे। पैदावार में सर्वाधिक लाभ गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब और तमिलनाडु में हुआ है। बीटी कपास की खेती के कारण निवल लाभ औसतन महाराष्ट्र में 6,000 रु. से 10,000 रु. प्रति है. और पंजाब, गुजरात और हरियाणा में 12,000 रु. से 14,000 रु. के बीच रहा जो उपज में वृद्धि और नाशकजीवमारों के उपयोग में कमी के कारण था। गैर सरकारी संगठन समूहों से इस प्रौद्योगिकी के विरोध की छुट-पुट रिपोर्ट रही हैं, किन्तु भारत में बीटी कपास के प्रसार पर इनका काफी कम प्रभाव पड़ा। सीआईसीआर, एमएयू केवीके द्वारा जीएम फसलों से संबंधित सभी पहलुओं, इसकी जैव सुरक्षा तथा समुचित फसल उत्पादन प्रौद्योगिकियों के जरिए सतत लाभ अर्जित करने की उचित पद्धतियों पर फ्रंट लाईन प्रदर्शनों तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों को निरन्तर शिक्षित किया जा रहा है।

(ग) और (घ) फील्ड परीक्षण जैव सुरक्षा आकलन का अनिवार्य हिस्सा हैं और ट्रांसजेनिक बीजों की सुरक्षा, प्रभावोत्पादकता और सस्य विज्ञानीय निष्पादन पर सूचना सृजित करने के लिए आवश्यक है! आनुवांशिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति (जीईएसी) द्वारा अनुमत सभी फील्ड परीक्षण कठोर मापदण्डों जैसे कि आतपन की दूरी, बार्डर पंक्तियां, फसल कटाई पश्चात प्रतिबंधों आदि के अध्यधीन हैं जैसा कि जीई फसलों के परिसीमित फील्ड परीक्षणों हेतु दिशा-निर्देशों और मानक प्रचालन पद्धतियों (एसओपी) में अनुबद्ध है। जैसा कि नियमावली 1989 का केन्द्र बिन्दु जीएम फसल की सुरक्षा का आकलन करना है। इसलिए जीएम फसलों, खाद्य एवं सब्जियों के बड़े स्तर पर उत्पादन पर सामाजिक आर्थिक प्रभाव सृजित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। तथापि, फील्ड परीक्षणों के दौरान सस्य विज्ञानीय निष्पादन पर सृजित डाटा किसानों को संभावित आर्थिक लाभों पर सूचना मुहैया कराते हैं। इसके अलावा, जीईएसी ने राष्ट्रीय कृषि नीति परिषद (एनसीएपी) से बीटी बैंगन के सामाजिक आर्थिक प्रभाव पर एक एक्स-एण्टे अध्ययन आयोजित करने का अनुरोध किया था।

(ङ) और (च) जी नहीं। भारत में किसानों द्वारा लगभग 10 लाख है. क्षेत्र में कपास के स्थानीय बीजों की किस्मों की खेती प्रतिकूल स्थितियों के प्रति उनकी विशिष्ट अनुकूलनीयता तथा कीट-कृमियों व रोगों के प्रति उनकी उच्च स्तरीय प्रतिरोधशक्ति के कारण की जा रही है। सीआईसीआर उन क्षेत्रों में सभी स्थानीय किस्मों की खेती का परिरक्षण, संरक्षण, विकास और संवर्धन कर रहा है जिसके लिए वे सर्वाधिक अनुकूल हैं। संस्थान के माध्यम से बीज उत्पादन कार्यक्रम समन्वित किये जा रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसान सतत लाभों के लिए स्थानीय किस्मों की खेती कर सकें।

[हिन्दी]

चीनी उद्योग संबंधी समिति

3019. श्री जगदीश सिंह राणा : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार ने चीनी उत्पादकों और चीनी उद्योग द्वारा सामना की जा रही समस्याओं की जांच करने हेतु एक आयोग गठित करने हेतु कदम उठाए हैं अथवा उठाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जब कभी गन्ना उत्पादकों और/अथवा चीनी उद्योग को पेश सामने आ रही समस्याएं केन्द्र सरकार के ध्यान में आती हैं तो वह आवश्यक पग उठाती हैं।

[अनुवाद]

स्वच्छता के संबंध में विश्व बैंक की रिपोर्ट

3020. श्री अधीर चौधरी : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में जारी विश्व बैंक की रिपोर्ट में देश में अपर्याप्त स्वच्छता के प्रतिकूल प्रभाव के मुद्दे पर यह जानकारी दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय) : (क) जी हां।

(ख) अध्ययन का आकलन है कि भारत में पर्याप्त स्वच्छता का कुल आर्थिक प्रभाव 2.44 ट्रिलियन रुपये (यू.एस. डालर 53.8 बिलियन) प्रति वर्ष की राशि का है – यह 2006 में भारत की जी.डी.पी. के 6.4 प्रतिशत के बराबर था। इसका तात्पर्य 2180 रुपये (यू.एस. डालर 48) प्रति व्यक्ति वार्षिक प्रभाव है। स्वच्छता राज्य का विषय है तथा इस उद्देश्य के लिए योजना, कार्यान्वयन और अवसंरचना की व्यवस्था करना राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। तथापि भारत सरकार स्वच्छता परियोजनाओं और शहर स्वच्छता योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु निधियां उपलब्ध कराकर राज्य की सहायता करती है। इसके अतिरिक्त तकनीकी मार्गदर्शन और क्षमता विकास में भी सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

प्रसारण क्षेत्र में समझौता ज्ञापन

3021. श्री सुरेश अंगड़ी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूचना और प्रसारण क्षेत्रों को सुदृढ़ बनाने के लिए केन्द्र सरकार ने विभिन्न देशों के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी देश–वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन समझौता ज्ञापनों से देश को कितना लाभ होगा?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चौधरी मोहन जतुआ) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

विभिन्न देशों के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन

क्र.सं.	हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापन का ब्यौरा	लाभ
1	2	3
1	भारत सरकार और म्यांमार संघ की सरकार के बीच दिनांक 27.07.2010 को नई दिल्ली, भारत में समझौता ज्ञापन (एम ओ यू) पर हस्ताक्षर किए गए थे।	दोनों देशों के बीच सूचना के क्षेत्र में सहयोग के विकास को प्रोत्साहित करने और उसे बढ़ावा देने के उद्देश्य से समझौता ज्ञापन में रेडियो, टेलीविजन, समाचार एजेंसियों, प्रिंट मीटिया, फिल्मों आदि के क्षेत्रों में सहयोग की परिकल्ना की गई है। सहयोग के कार्यक्षेत्र में सामग्री, मीडिया प्रतिनिधियों, तकनीकी कार्मिकों, लेखकों, फिल्म विशेषज्ञों, रेडियो टेलीविजन प्रसारकों और प्रिंट मीटिया पत्रकारों का परस्पर आदान–प्रदान शामिल होगा।
2.	अफगान के सूचना और संस्कृति मंत्रालय और भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के बीच दिनांक 24.05.2011 को नई दिल्ली, भारत में एक समझौता ज्ञापन (एम ओ यू) पर हस्ताक्षर किए गए थे।	भारत सरकार, अफगानिस्तान सरकार तथा यूएनडीपी, अफगानिस्तान के बीच अफगानिस्तान में राष्ट्रीय संस्था निर्माण परियोजना (एनआईबीपी) के कार्यान्वयन हेतु दिनांक 30 मार्च, 2010 को त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। त्रिपक्षीय करार के अनुसार, भारत सरकार अफगानिस्तान की सरकार के मंत्रालय/एजेंसियों तथा भारत सरकार के समरूपी मंत्रालय के बीच पृथक दोहरा समझौता ज्ञापन निष्पादित करने के लिए वचनबद्ध है। क्षमता निर्माण के लिए सहयोग के क्षेत्रों की सूची में निम्नलिखित शामिल हैं :–

1	2	3
		★ मीडिया नीतियों और कार्यनीतियों का विकास, ★ अफगानिस्तान में स्वतंत्र और उन्मुक्त प्रैस का विकास, ★ सुधारों के क्षेत्र की पहचान तथा प्रैस और मीडिया के क्षेत्र में पुनर्सरचना और उसका कार्यान्वयन। ★ मीडिया से संबंधित कार्यक्रमों का विकास और मानकीकरण, ग्राफिक डिजाइनिंग, वृत्तचित्रों और फिल्मों का निर्माण तथा अन्य संगत क्षेत्र। ★ विषय-वस्तु प्रबंधन सहित अफगानिस्तान के रेडियो और टेलीविजन (आरटीए) का निर्माण और प्रसारण गतिविधियां। ★ राजस्व अर्जन के लिए टीवी और रेडियो कार्यक्रम का विपणन।
3.	सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने निम्नलिखित देशों के साथ श्रव्य-दृश्य सह-निर्माण करार किए हैं :- (i) 5 दिसंबर, 2005 को यूनाइटेड किंगडम (ii) 13 मई, 2005 को इटली (iii) 16 फरवरी, 2007 को जर्मनी (iv) 6 दिसंबर, 2010 को फ्रांस (v) 4 जून, 2007 को ब्राजील (vi) 28 जून, 2011 को न्यूजीलैंड	★ भारत और अन्य देशों के निर्माताओं को फिल्मों के सह-निर्माण के लिए अपने सृजनात्मक, कलात्मक, तकनीकी, वित्तीय और विपणन संबंधी संसाधनों को इकट्ठा करने का अवसर प्राप्त होगा। ★ इससे पश्चनिर्माण सहित फिल्म निर्माण और उसके विपणन के क्षेत्र में लगे हुए कलात्मक, तकनीकी और गैर-तकनीकी कार्मिकों के लिए रोजगार का सृजन होगा और इस प्रकार देश के सकल घरेलू उत्पाद में बढ़ोतरी होगी। ★ शूटिंग के लिए भारतीय स्थानों का उपयोग करने से पूरे विश्व में फिल्म शूटिंग के लिए प्राथमिकता वाले स्थान के रूप में भारत की विश्वसनीयता/संभावना बढ़ती है। ★ इससे देश में विदेशी मुद्रा की आवक होगी। ★ इससे फिल्म निर्माण का निधीयन पारदर्शी ढंग से होगा। ★ सह-निर्माण, जोकि उपर्युक्त द्विपक्षीय करारों की सीमा के अंतर्गत हो सकता है, से हमारे देश की 'सॉफ्ट पावर' को दर्शाने का अवसर उपलब्ध होगा। ★ इससे संबंधित देशों के बीच कला और संस्कृति का आदान-प्रदान होगा तथा साथ ही, उन देशों के लोगों के बीच सदभावना और बेहतर समझ पैदा होगी।
4.	सूचना और प्रसारण मंत्रालय/प्रसार भारती ने निम्नलिखित देशों के साथ कार्यक्रम व विषय-वस्तु के आदान-प्रदान के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं :- घाना, आर्मेनिया, इटली, क्रोशिया, नामीबिया, मैक्सिको, मोजैम्बिक, मारीशस, नार्वे, मांटिनीग्रो, तुर्की, भूटान, यूरेशिया, ईरान इस्लामी गणराज्य, बुल्गारिया, संयुक्त अरब अमीरात, कांगो, कोरिया और सउदी अरब।	इनका उद्देश्य एक-दूसरे के बीच सांस्कृतिक कार्यक्रमों व संबंधित विषय-वस्तु का आदान-प्रदान सुनिश्चित करना है।

'बीएसयूपी' और आईएचएसडीपी के अंतर्गत मकानों का निर्माण

3022. **श्री नवीन जिन्दल :**

श्री राकेश सिंह :

क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) शहरी गरीबों हेतु मूलभूत सेवाओं तथा गरीबों हेतु समेकित आवास और मलिन बस्ती विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत मकानों के निर्माण में विलंब के क्या कारण हैं;

(ख) क्या उक्त विलंब के कारण मकानों की लागत में वृद्धि हुई है और यह बढ़ी हुई लागत लाभार्थियों से वसूल की जाएगी;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाओं (बीएसयूपी) तथा एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) के अंतर्गत आवासों के निर्माण में विलंब होने के कारण अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार हैं :-

(1) स्थानीय/राज्य स्तर पर क्षमता/वित्तीय संसाधनों की कमी - विशेषकर शहरी स्थानीय निकायों की अपने अंशदान देने में असमर्थता।

(2) स्लम निवासियों को स्वस्थाने परियोजनाओं के मामले में अस्थाई रूप से नए स्थानों पर स्थापित करने में कठिनाईयां।

(3) नए स्थानों की परियोजनाओं के मामले में लाभार्थियों की नए स्थानों पर जाने में अनिच्छा।

(4) विभिन्न कारकों के कारण लागत में वृद्धि।

(5) लाभार्थियों की अपने अंशदान देने और बड़ी हुई लागत को पूरा करने में असमर्थता।

(6) मुकदमे से मुक्त भूमि की उपलब्धता और

(7) अपर्याप्त सामुदायिक सहयोग।

(ख) और (ग) आवास की लागत में वृद्धि होने का कारण आशिंक रूप से परियोजनाओं के क्रियान्वयन में विलंब होना है। लागत में वृद्धि होने का मुख्य कारण वर्ष 2007 से 2009 की अवधि के दौरान स्टील और सीमेंट की कीमतों में तीव्र वृद्धि होना है। यह राज्यों का दायित्व है कि वे राज्य/शहरी स्थानीय निकाय/पेरास्टेटल निधियों में से लागत की वृद्धि को पूरा करें क्योंकि केन्द्रीय निधियों से ऐसी वृद्धि को पूरा करना, बीएसयूपी और आईएचएसडीपी के दिशानिर्देशों के अंतर्गत स्वीकार्य नहीं हैं। तथापि, कुछ मामलों में राज्य लागत की वृद्धि को पूरा करने के लिए आवास के लिए लाभार्थी योगदान बढ़ा रहे हैं।

(घ) केन्द्रीय/क्षेत्रीय और राज्य स्तर की पुनरीक्षा बैठकों में राज्यों को निम्नानुसार सलाह दी गई है :-

(1) शुरू नहीं की गई परियोजनाओं को शुरू करना या उन्हें रद्द करने और वैकल्पिक परियोजनाओं द्वारा उन्हें प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव देना।

(2) मिशन की अवधि के भीतर जितना जल्द हो आवास के निर्माण कार्य को पूरा करना।

(3) लागत वृद्धि को पूरा करने और साथ ही जहां शहरी स्थानीय निकाय और लाभभोगी अपनी दयनीय वित्तीय स्थिति के कारण योगदान देने में असमर्थ हैं, उनके मामले में भी राज्य का अतिरिक्त अंशदान देना।

[हिन्दी]

कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास

3023. **श्री ए.टी. नाना पाटील** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कश्मीर घाटी से विस्थापित कश्मीरी पंडितों के सुनिश्चित रोजगार और पुनर्वास हेतु तैयार किए गए कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 2010-11 के दौरान उपरोक्त कार्यक्रमों पर कितनी धनराशि व्यय की गई है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान घाटी में कितने परिवार पुनर्वासित किए गए और सरकार द्वारा उन्हें प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह) : (क) कश्मीरी प्रवासियों की घाटी में वापसी और पुनर्वास के लिए वर्ष 2008 में 1618.40 करोड़ रुपये के एक व्यापक पैकेज की घोषणा की गई है जिसमें आवास के लिए सहायता, ट्रांजिट आवास, नकद राहत जारी रखना, छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, रोजगार, कृषकों और बागवानी करने वालों को वित्तीय सहायता और ऋणों पर ब्याज की माफी प्रदान करने का प्रावधान है।

(ख) वर्ष 2010–11 के दौरान, जम्मू और कश्मीर सरकार ने ट्रांजिट आवास के निर्माण के लिए 22.88 करोड़ रुपये के व्यय की सूचना दी है।

(ग) कोई भी परिवार घाटी में नहीं लौटा है। तथापि, पैकेज के रोजगार घटक के अंतर्गत, घाटी में सृजित किए गए पदों पर 1438 अभ्यर्थियों ने कार्यभार ग्रहण किया है।

[अनुवाद]

मोबाइल वैन हेतु ऋण

3024. श्री बी. वाई. राघवेन्द्र : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्र सरकार से मोबाइल उचित दर दुकानों (एफ पी एस) हेतु वैनों की खरीद के लिए ऋण पर ब्याज और शास्तिक ब्याज को माफ करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है तथा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) और (ख) कर्नाटक राज्य सरकार ने राज्य में मोबाइल उचित दर दुकानों को चलाने के लिए वाहन खरीदने हेतु केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम के अधीन राज्य सरकार को रिलीज की गई राशि पर 13.9.2004 की स्थिति के अनुसार 78,16,512 रुपये की राशि का ब्याज और दण्डात्मक ब्याज माफ करने के लिए अनुरोध किया है।

कर्नाटक राज्य सरकार से प्राप्त अनुरोध की इस विभाग में जांच की गई थी। राज्य सरकार से दिनांक 18.8.2011 के पत्र द्वारा अनुरोध किया गया है कि वह उस राशि के बारे में कुछ और सूचना भेजे जो वह माफ करवाना चाहती है।

[हिन्दी]

प्रसिद्ध व्यक्तियों के जीवन पर फिल्में

3025. श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रसिद्ध व्यक्तियों के जीवन पर फिल्में निर्मित की हैं;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान उक्त फिल्मों के निर्माण पर फिल्म–वार किए गए व्यय का ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. जगतरक्षकन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

फिल्म प्रभाग द्वारा महान हस्तियों की जीवनियों पर अंतिम तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान निर्मित फिल्मों और उनके निर्माण पर व्यय की गई राशि की सूची।

वर्ष 2008–09

क्रम सं.	फिल्म का नाम	व्यय की गई राशि (लाखों में)
1	2	3
1.	संचयिका एल्बम–प्रथम संगीत निर्देशक युगल हसनलाल पर एक फिल्म	12.75
2.	चमत्कारी दवाओं के खोजकर्ता–डॉ. येल्लाप्राग्र सुब्बा राव, जिन्होंने कई जीवन रक्षक दवाओं की खोज की, पर एक फिल्म	0.83
3.	लुइस ब्रैल	3.26

1	2	3
वर्ष 2009–10		
1.	संत कवि भीमा भोई	4.68
2.	रफी वी रिमेम्बर यू	25.09
3.	रिमेम्बरेंस खुसरो–कवि अमीर खुसरो पर एक फिल्म	0.95
4.	द किंग ऑफ मिडिल सिनेमा–श्री तपन सिन्हा पर एक फिल्म	0.16
5.	महारानी लक्ष्मीबाई	16.00
6.	शहीद उधम सिंह	16.00
7.	स्वतंत्रता सेनानी अश्फाक उल्ला खान	15.00
8.	बाबा शहमाल	16.00
9.	राम प्रसाद बिसमिल	13.00
10.	जतीन दास	10.00
वर्ष 2010–11		
1.	भारतरत्न बाबासाहेब	0.62
2.	स्वरभास्कर–एक श्रद्धांजलि–भारतरत्न पंडित भीम सेन जोशी पर एक फिल्म	0.60
3.	बेगम हजरत महल–अवध की अंतिम रानी	15.00
4.	महानायक–ए सुपरस्टारज जर्नी–अभिनेता श्री उत्तम कुमार पर एक फिल्म	26.00
5.	वी. शांतराम : द पायनियरिंग स्पिरिट	16.00
6.	मकबुल शेरवानी	10.00
7.	मातंगिनी हाजरा	10.00
8.	कुंवर सिंह	16.00
9.	वीर चंदर सिंह गढ़वाली	13.00
10.	गुरु थ. बाबू	3.00
11.	जेमस्तजी जीजीभोय	5.00
12.	जेम्स दोखुमा "फ्रोम गन टु गांधीइज्म"	5.00
13.	आशा पारेख	5.00
14.	द किंग ऑफ रोमांस शम्मी कपूर	9.00
15.	विश्वमानव बासवेश्वर	5.00
16.	स्टोरी ऑफ ए हॉकी लिजेंड: लेसली क्लौडियस	5.00
17.	नीलामाधब–श्री सुनंदन पटनायक, एक भारतीय शास्त्रीय गायक पर एक फिल्म	9.00
18.	इंडियन "नोबेल्स"–टैगोर से शुरू कर अमर्त्य सेन तक नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं पर एक फिल्म	9.00
19.	यू टिरोट सिंग सियम बाद यू कियंग नंगबह रिवाशलूर का री	5.50
वर्ष 2011–12		
1.	के. केलप्पन (केरल गांधी)	12.00
2.	शहीद मदनलाल धींगरा	5.00
3.	दिदि–डॉ. निर्मला देशपांडे	5.00

बंद पड़ी चीनी मिलों के विरुद्ध बकाया राशि

3026. डॉ. भोला सिंह : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंद पड़ी चीनी मिलों के विरुद्ध लंबे समय से देय/बकाया राशि के कारण गन्ना उत्पादकों को हो रहे नुकसान के संबंध में कोई आकलन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके परिणाम क्या रहे;

(ग) क्या संबंधित राज्य सरकारों ने बंद पड़ी चीनी मिलों के पुनरुद्धार और गन्ना उत्पादकों को देय/बकाया राशि के भुगतान हेतु निधियों के लिए कोई अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) केन्द्रीय सरकार बंद पड़ी चीनी मिलों के पुनरुद्धार के लिए कोई निधि प्रदान नहीं करती है। जहां तक निजी क्षेत्र का संबंध है, बंद पड़ी चीनी मिलों को पुनः खोलने/पुनरुद्धार की जिम्मेदारी संबंधित उद्यमी की है और सार्वजनिक तथा सहकारी चीनी मिलों के मामले में यह जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों की है।

विपणन संबंधी व्ययों को अंतिम रूप देना

3027. श्री गणेश सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को मध्य प्रदेश सरकार से रबी और खरीफ फसलों के विपणन के संगत व्ययों को अंतिम रूप देने संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा लंबित प्रस्तावों को कब तक निपटाए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत) : (क) से (ग) खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार, मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त रबी एवं खरीफ विपणन मौसमों हेतु धान/चावल/मोटे अनाज/गेहूं की खरीद के लिए प्रासंगिक व्ययों को अंतिम रूप दिए जाने के लिए नौ प्रस्ताव उस विभाग में लम्बित हैं।

विद्यमान प्रक्रिया के अनुसार, प्रासंगिक अधिभारों को राज्य सरकार तथा उनकी एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत किए गए लेखा परीक्षित लेखों और अन्य सहायक दस्तावेजों के आधार पर भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के साथ परामर्श करके प्रस्तावों की विस्तृत जांच के पश्चात अंतिम रूप दिया जाता है। राज्य एजेंसियों को प्रत्येक फसल मौसम के पश्चात लेखा परीक्षित खाते प्रस्तुत करने अपेक्षित हैं।

[अनुवाद]

बाढ़ के कारण क्षति

3028. श्री हसन खान : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगस्त, 2010 में बाढ़ के कारण लद्दाख और जम्मू एवं कश्मीर के निकटवर्ती क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर क्षति हुई थी;

(ख) यदि हां, तो संपत्ति, पशुधन एवं जानमाल आदि की हुई क्षति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार को वित्तीय सहायता हेतु कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) उक्त क्षति के संबंध में केन्द्रीय दल की रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है; और

(च) अब तक कितनी धनराशि जारी की गई है और शेष धनराशि कब तक जारी कर दिए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) से (च) जी, हां। राज्य से मिली जानकारी के अनुसार, जम्मू एवं कश्मीर में अगस्त, 2010 में बादल फटने/तेज बाढ़ के कारण 236 व्यक्तियों तथा 1805 पशुधन की क्षति हुई थी। 2781 मकान (522 झोंपड़ियों सहित) क्षतिग्रस्त हो गए थे और 13658.35 हेक्टेयर फसली क्षेत्र प्रभावित हुआ था।

जम्मू एवं कश्मीर राज्य से ज्ञापन प्राप्त होने पर, वर्ष 2010 के दौरान तेज बाढ़/भूस्खलनों सहित बादल फटने के कारण हुई क्षति का स्थलगत आकलन करने के लिए अन्तरमंत्रालयी केन्द्रीय दल ने जम्मू एवं कश्मीर का दौरा किया था। उच्च-स्तरीय समिति (एच एल सी) ने दिनांक 23.02.2011 को हुई अपनी बैठक में, अन्य बातों के साथ-साथ, ज्ञापन, केन्द्रीय दल की रिपोर्ट, अन्तर-मंत्रालयी दल (आई एम जी) की सिफारिशों तथा एस डी आर एफ एवं एन डी आर एफ से सहायता की वर्तमान

मदों एवं मानदंडों पर विचार किया और (i) वर्ष 2010 में बादल फटने के लिए 45.06 करोड़ रुपए, बशर्त बादल फटने सहित तत्काल आपदाओं के लिए राज्य के एस डी आर एफ खाते में उपलब्ध शेष राशि के 75% को समायोजित कर लिए जाए, (ii) पेयजल आपूर्ति कार्यों से संबंधित क्षतिग्रस्त अवसंरचना की मरम्मत के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन आर डी डब्ल्यू पी) के विशेष घटक से 11.10 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की।

वर्ष 2010–11 के दौरान राहत/बचाव कार्यों के लिए राज्य सरकार के पास 429.24 करोड़ रुपए की निधियां उपलब्ध थीं।

राष्ट्रीय खाद्यान्न संचलन योजना

3029. श्री रवनीत सिंह : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा कानून के साथ एक राष्ट्रीय खाद्यान्न संचलन योजना तैयार की गई है या तैयार करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्पूर्ण प्रक्रिया की निगरानी हेतु तैयार किए गए तंत्र सहित योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या खाद्यानों की अंतर–राज्यीय खरीद हेतु कोई नीति है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या खरीद और भंडारण समस्या के समाधान के रूप में इस संभावना को तलाशने के लिए कोई अध्ययन किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) और (ख) खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने भारतीय खाद्य निगम और रेलवे के परामर्श से खाद्यान्नों के संचलन के लिए योजना तैयार करने का प्रस्ताव किया है। ऐसी योजना तैयार करने के लिए भारतीय खाद्य निगम और रेलवे से संगत इनपुट देने को कहा गया है। एक बार ऐसे इनपुट प्राप्त होने पर विभाग राष्ट्रीय खाद्यान्न संचलन योजना तैयार करने का प्रयास करेगा।

(ग) और (घ) जी नहीं।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

डी.डी. इंटरनेशनल चैनल

3030. श्री अनुराग सिंह ठाकुर : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनिवासी भारतीयों और विदेशियों के लिए प्रारंभ किए गए दूरदर्शन इंटरनेशनल चैनल को अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इसकी अपलिंकिंग काफी खर्चीली है और लाभ अपेक्षाकृत कम है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या प्रयास किये जा रहे हैं/कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान डी.डी. इंटरनेशनल को श्रेष्ठ चैनल बनाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं और इस पर संभावित व्यय कितना होगा?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. जगतरक्षकन) : (क) अनिवासी भारतीयों और विदेशियों के लिए शुरू किए गए डीडी इंडिया चैनल के संबंध में अच्छी प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) दूरदर्शन के अंतर्राष्ट्रीय चैनल ''डीडी–इंडिया'' को दिनांक 05.03.2011 तक इंटेलसैट के जरिए प्रसारित किया जा रहा था और इसके सिगनल 86 देशों में उपलब्ध थे। ''डीडी–इंडिया'' चैनल के प्रसारण पर प्रतिवर्ष लगभग 8 करोड़ रुपए का अनुमानित व्यय किया गया। इंटेलसैट कॉरपोरेशन, यूएसए के साथ दूरदर्शन का करार दिनांक 05.03.2011 को समाप्त हो गया। ''डीडी–इंडिया'' चैनल को इस समय इनसैट–4बी उपग्रह के जरिए प्रसारित किया जा रहा है और इसके सिगनल 38 देशों में उपलब्ध हैं।

(ङ) डीडी–इंडिया अपने नियत–बिंदु चार्ट को पुनर्गठित करके और यात्रा–विवरण चिकित्सा–पर्यटन, दैनिक बॉलीवुड समाचारों, शैक्षिक कार्यक्रमों, हीरे–जवाहरात, भारतीय पकवान व फैशन आदि पर कार्यक्रम प्रसारित करके अपने कार्यक्रमों की विषय–वस्तु को समृद्ध बनाने के लिए सशक्त कदम उठा रहा है। अत्यधिक लोकप्रिय फिल्मों के साथ फीचर फिल्मों को दिखाने की आवृत्ति में वृद्धि करने के प्रयास किए जा रहे हैं। दूरदर्शन के अंतर्राष्ट्रीय चैनल के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना के प्रस्तावों में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है।

[अनुवाद]

उत्पादों का मानकीकरण

3031. श्री प्रदीप माझी :

श्री किसनभाई वी. पटेल :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन की 34वीं महासभा आयोजित हुई थी;

(ख) यदि हां, तो उक्त बैठक के दौरान चर्चा किए गए मुद्दों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त बैठक के दौरान उत्पादों और सेवाओं के मानकीकरण में सुधार के लिए विभिन्न प्रतिभागियों द्वारा दिए गए सुझावों का ब्यौरा क्या है तथा उन पर क्या निर्णय लिया गया है; और

(घ) सरकार द्वारा देश में मानकीकरण हेतु प्रस्तावित नई पहलों का ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के. वी. थॉमस) : (क) जी हां। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (आई एस ओ) की 34वीं आम सभा हाल ही में आयोजित की गई थी।

(ख) जिन मुद्दों पर चर्चा की गई वे अन्यों के साथ–साथ इस प्रकार हैं :–

(i) विकासशील देशों की जरूरतों को पूरा करने के लिए आई एस ओ कार्रवाईयां;

(ii) मानकों के सम्प्रेषण के तरीके;

(iii) आई एस ओ बौद्धिक सम्पदा अधिकार; और

(iv) आई एस ओ की दीर्घकालिक अवधारणीयता।

(ग) और (घ) आई एस ओ द्वारा सुझावों और पहलों के ब्यौरे सभी सदस्य देशों द्वारा कार्यवृत्त की औपचारिक पुष्टि कर लिए जाने के बाद ही घोषित किए जाएंगे।

फर्जी स्वतंत्रता सेनानी

3032. श्रीमती जे. शांता : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जाली प्रमाणपत्रों पर पेंशन ले रहे फर्जी स्वतंत्रता सेनानियों के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं,

(ख) यदि हां, तो राज्य–वार इस संबंध में की गई शिकायतों और दर्ज किए गए मामलों की कुल संख्या कितनी है;

(ग) राज्य–वार फर्जी स्वतंत्रता सेनानियों से वसूल की गई राशि सहित उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसे मामलों पर रोक लगाने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह) : (क) से (घ) यद्यपि, केन्द्रीय सम्मान पेंशन केवल उन्हीं स्वतंत्रता सेनानियों को मंजूर की जाती है जो पात्रता संबंधी मानदण्डों को पूरा करते हैं और अपने दावे के समर्थन में विधिवत सत्यापित अपेक्षित दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं और जिनकी सिफारिश, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा की जाती है, तथापि, समय–समय पर सम्मान पेंशन संबंधी फर्जी/धोखाधड़ीपूर्ण दावों से संबंधित शिकायतें प्राप्त होती हैं। ऐसी सभी शिकायतों की जांच संबंधित राज्य सरकारों से परामर्श करके पेंशन योजना के लागू प्रावधानों के अनुसार की जाती है। जिन मामलों में आरोप सही पाए जाते हैं, उन दावों को अस्वीकार कर दिया जाता है और यदि पेंशन पहले ही मंजूर की जा चुकी हैं, तो उसे निर्धारित प्रक्रिया अपनाने के बाद आस्थगित/निरस्त कर दिया जाता है। वर्ष 2010 तथा 2011 (31 अक्तूबर, 2011 तक) के दौरान केन्द्रीय सम्मान पेंशन क्रमशः 28 और 9 मामलों में निरस्त की गई है।

[हिन्दी]

डिजीटल मोड पर ट्रांसमिशन

3033. **श्री राजू शेट्टी** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डिजीटलीकरण का दूरदर्शन और आकाशवाणी पर कोई प्रभाव होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस कार्य पर कुल कितना व्यय होने की संभावना है और साथ ही इससे कितना लाभ प्राप्त होगा;

(घ) क्या सरकार को दूरदर्शन और आकाशवाणी के डिजीटलीकरण के विरुद्ध किसी पक्ष से कोई विरोध प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी कारणों सहित इसका ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. जगतरक्षकन) : (क) से (ग) सरकार द्वारा दूरदर्शन की डिजिटलीकरण स्कीम, जिसमें अन्य के साथ–साथ 39 स्टूडियों का डिजिटलीकरण व 40 डिजिटल ट्रांसमीटरों की स्थापना करने का कार्य शामिल है, का 620 करोड़ रुपए की लागत से अप्रैल, 2010 में अनुमोदन कर दिया गया था।

स्टूडियों का डिजिटलीकरण करने के फलस्वरूप कार्यक्रम–निर्माण की गुणवत्ता में वृद्धि होगी तथा प्रत्येक डिजिटल ट्रांसमीटर लगभग 8 टीवी चैनल (मौजूदा ऐनलॉग ट्रांसमीटरों के मामले में एक चैनल की तुलना में) रिले करेगा जिससे दूरदर्शन के स्थलीय दर्शक काफी अधिक लाभान्वित होंगे। दूरदर्शन नेटवर्क के डिजिटलीकरण का कार्य कार्यक्रम–निर्माण की गुणवत्ता में वृद्धि करने और स्थलीय दर्शकों को बहु–टीवी चैनल मुहैया कराने के लिए प्रौद्योगिकी का स्तरोन्नयन करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है और वह वाणिज्यिक पहलुओं पर आधारित नहीं है।

11वीं योजना के अंतर्गत आकाशवाणी नेटवर्क के डिजिटलीकरण से संबंधित स्कीमों से निम्नलिखित प्रभाव पड़ने की संभावना है :–

(i) डिजिटल स्थलीय प्रसारण की शुरुआत होने से श्रोताओं को उच्च गुणवत्ता के सिगनल प्राप्त हो सकेंगे।

(ii) डिजिटल ट्रांसमीटर बहु–चैनल प्रसारित कर सकते हैं। इसके फलस्वरूप एक ही ट्रांसमीटर पर मौजूदा चैनल के साथ–साथ नए कार्यक्रमों का प्रसारण किया जा सकता है।

(iii) स्टुडियो व कनेक्टिविटी का डिजिटलीकरण होने से कार्यक्रम–निर्माण की तकनीकी गुणवत्ता व दक्षता में सुधार होगा।

(iv) अभिलेखागार का डिजिटलीकरण करने से विषय–वस्तु को अधिक अवधि तक परिरक्षित करने में मदद मिलेगी। इससे आकाशवाणी के पास व्यापक रूप से उपलब्ध विरासत कार्यक्रमों की सुलभता भी संभव हो सकेगी।

11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आकाशवाणी की संरचनाओं के डिजिटलीकरण के लिए 934.2 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई थी जिसमें से 908.12 करोड़ रुपए की राशि के साथ विभिन्न स्कीमें पहले ही संस्वीकृत कर दी गई हैं। इस स्कीम का कार्यान्वयन किया जा रहा है। उच्च गुणवत्ता के बहु–चैनल प्रसारणों की मदद से आकाशवाणी को अधिक राजस्व प्राप्त हो सकेगा। इसके अतिरिक्त, ट्रांसमीटरों की बिजली संबंधी खपत में कटौती होने के कारण बिजली के बिल में बचत हो सकेगी।

(घ) सरकार को दूरदर्शन और आकाशवाणी के डिजिटलीकरण के विरुद्ध किसी भी क्षेत्र से कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

टैगोर सांस्कृतिक केन्द्र

3034. **कुमारी सरोज पाण्डेय** : क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान देश में राज्य–वार स्थापित 'टैगोर सांस्कृतिक केन्द्रों'' की संख्या और ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार के पास उक्त केन्द्रों की स्थापना हेतु राज्य सरकारों से प्राप्त अनेक प्रस्ताव लंबित हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आज की तिथि के अनुसार राज्य–वार प्रत्येक प्रस्ताव की लंबित अवधि क्या है; और

(घ) इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान कोई नए टैगोर सांस्कृतिक केन्द्र/परिसर स्थापित नहीं किए गए हैं। गुरूदेव रबीन्द्रनाथ टैगोर की 150वीं जयंती के स्मरणोत्सव के भाग के रूप में 7 मई, 2011 को केवल एक स्कीम की घोषणा की गई। (ख) से (घ) टैगोर सांस्कृतिक परिसर की स्कीम के तहत विचार हेतु विभिन्न राज्यों से कुल 30 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। इन सभी प्रस्तावों पर राष्ट्रीय मूल्यांकन समिति द्वारा 29.8.2011 को आयोजित अपनी बैठक में विचार किया गया है और प्रत्येक मामले में लिए गए निर्णय का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। अधिकांश मामलों में, संबंधित राज्य सरकारों को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने व इसे संस्कृति मंत्रालय को प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

विवरण

"टैगोर सांस्कृतिक केन्द्र"

प्रस्तावों पर राष्ट्रीय मूल्यांकन समिति द्वारा लिए गए निर्णयों का ब्यौरा

क्रम सं.	परियोजना का नाम/ प्रस्तावकर्ता	कुल लागत करोड़ रुपये में	मंत्रालय से मांगी गई सहायता (करोड़ रु. में)	राष्ट्रीय मूल्यांकन समिति की सिफारिश/निर्णय
1	2	3	4	5
गोवा				
1.	मडगांव में रबीन्द्र भवन परिसर का उन्नयन व सौन्दर्यकरण। गोवा सरकार से प्राप्त सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा संस्तुत	28.00	16.80	सिद्धांत रूप में अनुमोदन दे दिया गया। उप समिति योजनाओं में सुधार करने व परियोजना में आवश्यक संशोधन करने के लिए गोवा का दौरा करेगी।
मध्य प्रदेश				
2.	रबीन्द्र भवन, भोपाल का नवीकरण व इसके परिसर का विकास मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त	43.80	26.28	सिद्धांत रूप में अनुमोदन दे दिया गया परंतु प्रस्ताव में, संवर्धित किए जाने वाले कार्यकलापों की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए उप समिति के परामर्श से संशोधन करना होगा। परिसर में अव्यवहार्य अधिक क्षमता के एकल ओडिटोरियम की बजाय 2-3 छोटे ओडिटोरियम का सेट हो सकता है। निदेशक, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय इस परामर्श बैठक का प्रबंध राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, दिल्ली में करेंगे।
3.	रीवा, मध्य प्रदेश में एक नये रबीन्द्रनाथ टैगोर सांस्कृतिक परिसर का निर्माण। मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त	3.00	1.80	राज्य सरकार रीवा में मौजूदा केन्द्र को बढ़ाने के लिए संशोधित प्रस्ताव करने के लिए विचार करेगी।
4.	खंडवा, मध्य प्रदेश में एक नये रबीन्द्रनाथ टैगौर सांस्कृतिक परिसर का निर्माण मध्य प्रदेश सरकार के पास	3.00	1.80	प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया गया बशर्ते कि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और इसका मूल्यांकन प्रस्तुत किया जाए। उस समिति द्वारा तैयार किए जाने वाले दिशा-निर्देश की दृष्टि में विस्तृत मूल्यांकन रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जानी है।
5.	सागर, मध्य प्रदेश में नए रबीन्द्र नाथ टैगोर सांस्कृतिक परिसर का निर्माण	3.00	1.80	प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया गया बशर्ते कि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और इसका मूल्यांकन प्रस्तुत किया जाए। उस समिति द्वारा तैयार किए जाने

1	2	3	4	5
	मध्य प्रदेश से प्राप्त			वाले दिशा-निर्देशों की दृष्टि में विस्तृत मूल्यांकन रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जानी है।
6.	रबीन्द्रनाथ टैगोर आधुनिक कला संग्रहालय, इंदौर, मध्य प्रदेश का निर्माण। मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त	12.10	12.10	प्रस्तावित संग्रहालय में रखे जाने वाले संग्रह के ब्यौरे प्रस्तुत किए जाएं। उसके आधार पर यह निर्णय किया जाएगा कि क्या इसके अथवा संग्रहालय स्कीम के अधीन प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है।
महाराष्ट्र				
7.	रबीन्द्र नाट्य मंदिर, मुम्बई का नवीकरण और उन्नयन पी.एल. देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी, मुम्बई से प्राप्त। महाराष्ट्र सरकार द्वारा संस्तुत	18.08	10.84	चूंकि राज्य सरकार ने प्रस्तुतीकरण के लिए अधिक समय मांगा है इसलिए यह प्रस्ताव अगली बैठक के लिए आस्थगित कर दिया गया।
8.	महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा, महाराष्ट्र में नया टैगोर सांस्कृतिक परिसर महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, पंचतीला, उमरी, वर्धा-442001 महाराष्ट्र के उप-कुलपति से प्राप्त।	10.00	06.00	चूंकि उप कुलपति ने प्रस्तुतीकरण के लिए अधिक समय मांगा है इसलिए यह प्रस्ताव अगली बैठक के लिए आस्थगित कर दिया गया।
राजस्थान				
9.	रबीन्द्र मंच, जयपुर का नवीकरण सक्रियण और आधुनिकीकरण राजस्थान सरकार से प्राप्त	14.23	8.24	सिद्धांत रूप में अनुमोदन दे दिया गया। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए 5.00 लाख रुपये की अनुदान राशि संस्तुत की गई। उप-समिति द्वारा तैयार किए गए दिशा-निर्देशों की दृष्टि में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जानी है। समावेशन के लिए भवन के अग्रभाग में सुधार करने पर भी विचार किया जाए।
10.	रबीन्द्र रंग मंच, बीकानेर राजस्थान का निर्माण शहरी सुधार न्यास बीकानेर से प्राप्त राजस्थान सरकार द्वारा संस्तुत	7.06	4.41	सिद्धांत रूप में अनुमोदन दे दिया गया। निष्पादन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव में संशोधन किया जाए। निदेशक, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय उप-समिति के स्थल दौरे और यूआईटी अभियन्ताओं और वास्तुकारों के साथ इनका विचार विमर्श कराने का प्रबंध करेंगे, ताकि वे परियोजना में सुधार कर सकें
आंध्र प्रदेश				
11.	रबीन्द्र भारती, हैदराबाद का नवीकरण और उन्नयन आंध्र प्रदेश सरकार से प्राप्त	2.50	1.50	सिद्धांत रूप में अनुमोदन दे दिया गया। मौजूदा सुविधाओं के नवीकरण और उन्नयन के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के लिए 1.25 लाख रुपये के अनुदान की संस्तुति की गई। उन्नयन ठोस और कार्यपरक न कि केवल

1	2	3	4	5
				सौन्दर्यकरण के लिए किया जाए। इसका अर्थ रिर्हसल स्थान में वृद्धि करना अथवा मौजूदा प्रौद्योगिकी में सुधार करना हो सकता है। चूंकि मौजूदा ढांचा अग्निशमन के लिए उपयुक्त नहीं है, इसलिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में इस पहलू को भी ध्यान में रखा जाए।
12.	नये लघु रबीन्द्र सदन, हैदराबाद का निर्माण आंध्र प्रदेश सरकार से प्राप्त	8.00	4.00	सबसे पहले यह निर्णय करने के लिए कि क्या मौजूदा परिसर में प्रस्तावित विस्तार एक अच्छा विचार है, प्रस्तावित भवन की स्थल योजना प्रस्तुत की जाए।
13.	मदनापल्ली, थियोसोफिकल कालेज, आंध्र प्रदेश में टैगोर काटेज का नवीकरण। आंध्र प्रदेश सरकार से प्राप्त	नहीं दिया गया	नहीं दिया गया।	इस स्कीम में यह प्रस्ताव उपयुक्त नहीं है। टैगोर स्मरणोत्सवों के अधीन एक अलग प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए। प्रस्ताव में नये परिवर्धन की बजाय जीर्णोद्धार और संरक्षण पर ध्यान केंद्रित किया जाए।
सिक्किम				
14.	गंगटोक में बहुउद्देशीय सांस्कृतिक केन्द्र-सह-राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय का निर्माण (एमपीसीसी की चालू परियोजना) सिक्किम सरकार से प्राप्त	34.30 (18.28 फेज I + 16.02 फेज II)	15.00	राज्य सरकार ने पहले ही 18 करोड़ रुपये व्यय कर दिए हैं इसमें पहले की एम पी सी सी स्कीम के तहत केन्द्र सरकार से प्राप्त सहायता शामिल हैं। परियोजना की स्थिति की जांच सर्वप्रथम एक मूल्यांकन दल जिसमें दो सदस्य-उप समिति से और एक प्रतिनिधि अपर महानिदेशक पूर्व, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, कोलकाता से होगा, द्वारा किया जा सकता है।
पश्चिम बंगाल				
15.	ज्योति बसु नगर में रबीन्द्र उद्यान कॉम्पलेक्स स्थापित करना। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार से प्राप्त	29.40	14.55	चूंकि यह एक बड़ी परियोजना है, इसलिए समिति राज्य सरकार द्वारा, उप-समिति द्वारा बनाए जाने वाले दिशा निर्देश पर पर्याप्त ध्यान देते हुए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करके प्रस्तुत कर देने के बाद ही, इस पर विचार करेगी और कोई दृष्टिकोण अपनाएगी। यदि राज्य सरकार मांग करती है तो, इस उद्देश्य के लिए 5.00 लाख रुपए तक की अनुदान राशि प्रदान की जा सकती है।
16.	पुरुलिया, पश्चिम बंगाल में रबीन्द्र भवन का निर्माण। पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त	6.17	3.60	सिद्धांत रूप में अनुमोदन दे दिया गया बशर्ते कि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए और इसकी जांच की जाए। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की छः प्रतियां (जो तैयार कर ली गई बतायी गई हैं) प्रस्तुत की जाए।
17.	बरहामपुर, मुर्शिदाबाद में रवीन्द्र सदन की मरम्मत ओर नवीकरण पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त	2.06	2.01	सिद्धांत रूप से अनुमोदन दे दिया गया उप समिति द्वारा बनाए जाने वाले दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट

1	2	3	4	5
				तैयार करने के लिए 1.00 लाख रुपये की अनुदान राशि की संस्तुति की गई है।
18.	किशन नगर, नादिया में रवीन्द्र भवन का नवीकरण और मरम्मत पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त	3.36	2.33	सिद्धांत रूप से अनुमोदन दे दिया गया उप समिति द्वारा बनाए जाने वाले दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए 1.00 लाख रुपये की अनुदान राशि की संस्तुति की गई है।
19.	बलूर घाट, जिला-दीनाजपुर में रवीन्द्र भवन की मरम्मत और नवीकरण। पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त	2.06	2.01	सिद्धांत रूप से अनुमोदन दे दिया गया उप समिति द्वारा बनाए जाने वाले दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए 0.25 लाख रुपये की अनुदान राशि की संस्तुति की गई है।
20.	मध्यम ग्राम नगरपालिका क्षेत्र, पश्चिम बंगाल में टैगोर सांस्कृतिक केन्द्र का निर्माण। मध्यम ग्राम नगरपालिका, जिला नार्थ-24 परगना, कोलकाता, पश्चिम बंगाल से प्राप्त।	1.00	नहीं दिया गया।	प्रथम दृष्ट्या इस स्कीम के अधीन सहायता के लिए यह प्रस्ताव पात्र दिखाई देता है। लेकिन उप समिति द्वारा तैयार किए जाने वाले दिश-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के बाद समिति के माध्यम से प्रस्तुत करने के बाद समिति इस पर विचार करेगी और अपना मत निर्धारित करेगी। यदि नगरपालिका द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए वित्तीय सहायता मांगी जाती है और राज्य सरकार द्वारा इसकी संस्तुति की जाती है तो इस प्रयोजन के लिए 2.50 लाख रुपये का अनुदान दिया जा सकता है।
21.	बरसात, पश्चिम बंगाल में नया टैगोर सांस्कृतिक परिसर। द पायनर कोआपरेटिव रिहबिलिटेशन एंड हाउसिंग सोसायटी, 24, नार्थ परगना, कोलकाता, पश्चिम बंगाल से प्राप्त।	2.00	0.99	प्रथम दृष्ट्या इस स्कीम के अधीन सहायता के लिए यह प्रस्ताव पात्र दिखाई देता है। लेकिन उप समिति द्वारा तैयार किए जाने वाले दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के बाद समिति के माध्यम से प्रस्तुत करने के बाद समिति इस पर विचार करेगी और अपना मत निर्धारित करेगी। यदि नगरपालिका द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए वित्तीय सहायता मांगी जाती है और राज्य सरकार द्वारा इसकी संस्तुति की जाती है तो इस प्रयोजन के लिए 1.00 लाख रुपये का अनुदान दिया जा सकता है।
22.	विद्यासागर स्मारक हाल परिसर, मिदनापुर टाउन, पश्चिम बंगाल में गीताजंलि मंच और सांस्कृतिक परिसर का निर्माण। सचिव, विद्यासागर स्मारक हाल परिसर, मिदनापुर टाउन,	3.64	नहीं दी गई	प्रथम दृष्ट्या इस स्कीम के अधीन सहायता के लिए यह प्रस्ताव पात्र दिखाई देता है। लेकिन उपसमिति द्वारा तैयार किए जाने वाले दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने और राज्य सरकार के माध्यम से प्रस्तुत करने के बाद समिति इस पर विचार

1	2	3	4	5
	पश्चिम बंगाल से प्राप्त			करेगी और अपना मत निर्धारित करेगी। यदि नगरपालिका द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए वित्तीय सहायता मांगी जाती है और राज्य सरकार द्वारा इसकी संस्तुति की जाती है तो इस प्रयोजन के लिए 1.80 लाख रुपये का अनुदान दिया जा सकता है।
23.	सुन्दरबन बेल्ट, दक्षिण 24 परगना, पश्चिम बंगाल में रायडिघी में रबीन्द्र भवन का निर्माण।	3.92	3.14	प्रथम दृष्टया प्रस्ताव स्कीम के तहत सहायता का पात्र हैं। परंतु समिति उप समिति द्वारा निर्धारित जाने वाले मार्गदर्शी सिद्धांतों का उचित ध्यान रखते हुए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार किए जाने तथा राज्य सरकार के माध्यम से इसे प्रस्तुत किए जाने के बाद ही विचार करेगी और मत तय करेगी। यदि संगठन द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए वित्तीय सहायता मांगी जाती है और राज्य सरकार द्वारा उसकी सिफारिश की जाती है तो इस प्रयोजनार्थ 1.50 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जा सकता है।
मिजोरम				
24.	आइजोल में टैगोर सांस्कृतिक परिसर की स्थापना मिजोरम सरकार से प्राप्त	25.96	नहीं दी गई	स्थगित कर दिया गया क्योंकि मिजोरम सरकार से कोई उपस्थित नहीं था।
ओडिशा				
25.	भुवनेश्वर में रबीन्द्र मंडप परिसर का नवीकरण। ओडिशा सरकार से प्राप्त	14.50	नहीं दी गई	सिद्धांत रूप में अनुमोदन दे दिया गया। उप-समिति द्वारा तैयार किए जाने वाले मार्गदर्शी सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए 5.00 लाख रुपये अनुदान की सिफारिश की गई।
26.	कटक में तथा रबीन्द्र कला कटक	14.37	नहीं दी गई	सिद्धांत रूप में अनुमोदन दे दिया गया उप-समिति द्वारा तैयार किए जाने वाले मार्गदर्शी सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए 5.00 लाख रुपये अनुदान की सिफारिश की गई।
27.	पण्डुआ, जिला जगतसिंहपुर में रबीन्द्रनाथ टैगोर निर्वचन केन्द्र व स्मारक का निर्माण। ओडिशा सरकार द्वारा प्राप्त	14.80	नहीं दी गई	प्रस्ताव को टैगोर स्मरणोत्सवों के लिए सीधे विशेष सेल को भेजा जाए क्योंकि इसे टैगोर सांस्कृतिक परिसर के तहत शामिल नहीं किया जा सकता। बल्कि राज्य सरकार पुरी में टैगोर सांस्कृतिक परिसर संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर विचार कर सकती है।

1	2	3	4	5
असम				
28.	राज्य में 3 नए टैगोर केन्द्र/परिसर स्थापित करना व गुवाहाटी में मौजूदा रबीन्द्र भवन का नवीकरण करना। असम सरकार से प्राप्त	नहीं दी गई	नहीं दी गई	जैसा कि सूचित किया गया है, प्रस्ताव प्रस्तुति के लिए तैयार नहीं था, इस लिए इसे आस्थगित कर दिया गया।
मेघालय				
29.	बुकसाइड बंगले का नवीकरण जिसका नाम रबीन्द्र टैगोर कला वीथि रखा गया है तथा रबीन्द्र नाथ टैगोर की प्रतिमा की स्थापना और न्यू शिलांग टाउनशिप में रबीन्द्र ऑडिटोरियम की स्थापना मेघालय सरकार से प्राप्त	नहीं दी गई	नहीं दी गई	पहले, अवधारणा नोट तैयार किया जाए और प्रस्तुत किया जाए जिसके आधार पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए अनुदान दिया जाएगा।
कर्नाटक				
30.	बेंगलूरु में स्टेट ऑफ द आर्ट बहुउद्देशीय सांस्कृतिक परिसर का विकास। आमोद सेंटर फॉर लिबरल आर्ट, विला न, 256, पॉम मीडोज फेस I बेंगलूर-560066 से प्राप्त। कन्नड व संस्कृति तथा सूचना विभाग, कर्नाटक सरकार से संस्तुत।	2.10	1.40	प्रस्ताव, राज्य सरकार के इस आशय के विवेकपूर्ण विचारों के लिए मुख्य सचिव, कर्नाटक को भेजा जाए कि क्या वह टैगोर सांस्कृतिक परिसर स्कीम के तहत बेंगलूरू में वृहत कला प्रस्तुति स्थल का उन्नयन या सृजन करना चाहेगी या फिर इसी तरह के छोटे, जीवंत स्थल स्थापित करना पसंद करेगी इस बीच, आवेदक संगठन मंत्रालय की स्टूडियो रंगमंच स्कीम देखे।

[अनुवाद]

डीडीए द्वारा अतिरिक्त राशि वापस किया जाना

3035. **श्री शैलेन्द्र कुमार** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत दो वर्षों के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा फ्री होल्ड में परिवर्तित अवक्रय निम्न आय वर्ग (एलआईजी) फ्लैटों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या डीडीए के अधिकारियों द्वारा किस्त के गलत परिकलन के कारण उक्त फ्लैटों के कुछ आवंटियों ने अनापत्ति प्रमाणपत्रों को प्राप्त करने के लिए अधिक राशि जमा कर दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;,

(घ) क्या सरकार को आवंटियों से उक्त अधिक राशि की वापसी हेतु कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(च) लंबित आवेदनों का ब्यौरा क्या है तथा आवंटियों को अतिरिक्त राशि कब तक वापस किए जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि विगत दो वर्षों में उसके निम्न आय वर्ग के 3957 फ्लैटों को लीज होल्ड से फ्रीहोल्ड में परिवर्तित किया गया है।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि वर्तमान में ऐसे किसी भी मामले की उसे सूचना नहीं मिली है।

(ग) उपरोक्त (ख) के उत्तर के आलोक में लागू नहीं होता।

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि उसे ऐसा कोई अभ्यावेदन न तो प्राप्त हुआ है/न ही लम्बित है।

(ङ) उपरोक्त (घ) के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

(च) उपरोक्त (ङ) के अनुसार।

राजीव आवास योजना का कार्यान्वयन

3036. **श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी : क्या आवास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजीव आवास योजना (आरएवाई) का कार्यान्वयन देख रहे राज्य संयोजन अधिकारियों की एक बैठक 27 सितम्बर, 2011 को मुम्बई में बुलाई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और बैठक का परिणाम क्या रहा;

(ग) क्या सरकार ने अ.ज./अ.ज.जा., अल्पसंख्यक और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के विशेष पैकेज कवरेज की निगरानी का मूल्यांकन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और महाराष्ट्र में योजना की निगरानी की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ङ) आरएवाई की कार्यान्वयन स्थिति सहित महाराष्ट्र को प्रदत्त सहायता का ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) जी हां। शहरी गरीबी उपशमन और राजीव आवास योजना के कार्यान्वयन के दृष्टिकोण में समाभिरूपता लाने के लिए कार्यनीतियों पर विचार विमर्श करने के लिए शहरी गरीबी उपशमन और राजीव आवास योजना (आर.ए.वाई) पर आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय तथा महाराष्ट्र सरकार द्वारा 27 सितम्बर, 2011 को एक दिवसीय संयुक्त सम्मेलन का आयोजन किया गया।

(ख) सम्मेलन में मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र और आवास, शहरी विकास राज्य मंत्री, शहरी स्थानीय निकायों के मेयर और चैयरपरसन, राज्य और शहरों के कार्मिक/प्रतिनिधि, शैक्षिक क्षेत्र के सदस्य, गैर सरकारी संगठनों के सदस्य और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। यह सम्मेलन शहरी गरीबी उपशमन और स्लम मुक्त और समावेशी शहरों के निर्माण से संबंधित स्कीमों के बेहतर कार्यान्वयन हेतु प्रभावी कार्यनीति पर विचार विमर्श हेतु खुला मंच था।

(ग) और (घ) चूंकि यह स्कीम जून, 2011 में आरम्भ की गई है, अब तक राजीव आवास योजना के तहत कोई परियोजना मंजूर नहीं की गई है। राजीव आवास योजना स्लमों में रह रहे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों और शारीरिक विकलांग सहित कमजोर वर्गों के सभी वर्गों को शामिल करना सुनिश्चित करने के लिए 'सम्पूर्ण शहर, सभी स्लमों, सम्पूर्ण स्लम' की वकालत करती है। इसके अलावा स्कीम के दिशानिर्देशों में निहित है कि स्लम उन्नयन परियोजनाओं का कार्यान्वयन करते हुए वंचित वर्गों यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यकों की बड़ी जनसंख्या सहित स्लमों को वरीयता दी जाए।

(ङ) राजीव आवास योजना के तहत अब तक कोई निधि जारी नहीं की गई है। तथापि भारत सरकार ने स्लम मुक्त शहर योजना स्कीम, राजीव आवास योजना के प्रारम्भिक फेज के तहत 16 शहरों में प्रारम्भिक गतिविधियां शुरू करने के लिए महाराष्ट्र सरकार को 944.97 लाख रुपये जारी किये हैं। महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है कि उन्होंने राज्य/शहर स्तर के तकनीकी सेलों की स्थापना, स्लममुक्त शहर योजना बनाने और प्रायोगिक डी.पी.आर. तैयार करने का कार्य शुरू कर दिया है।

[हिन्दी]

सरकारी सेवाओं में खेल कोटा

3037. **श्री कपिल मुनि करवारिया : क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विगत अनेक वर्षो से देश में केन्द्र सरकार के विभिन्न विभागों में खेल कोटे को न भरे जाने के कारण खेल संबंधी कार्यकलाप लगभग बंद हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार खेल कोटे के अंतर्गत रिक्त पदों को भरने हेतु भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी नियुक्तियां कब तक किए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ) केंद्र सरकार के विभिन्न कार्यालय भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार समय-समय पर श्रेणी 'ग' तथा पूर्व के श्रेणी 'घ' पदों में उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए 5% आरक्षित पदों पर उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी भर्ती करते हैं।

[अनुवाद]

लेवी चीनी की खरीद

3038. **श्री प्रबोध पांडा** : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राज्य सरकारों को सीधे मिलों से लेवी चीनी की खरीद करने की अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्यों द्वारा उक्त खरीद भारतीय खाद्य निगम के साथ संयुक्त रूप से की जाएगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) फिलहाल केंद्र सरकार 25 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पक्ष में लेवी चीनी के कोटे का आवंटन करती है जिन्हें सीधे आवंटी राज्य कहा जाता है और पूर्वोत्तर राज्यों (सिक्किम को छोड़कर) जम्मू व कश्मीर राज्य तथा अंडमान व निकोबार द्वीप-समूह तथा संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप के लिए भारतीय खाद्य निगम के पक्ष में आवंटन करती है जिन्हें भारतीय खाद्य निगम द्वारा प्रचालित राज्य कहा जाता है। सीधे आवंटी राज्यों द्वारा चीनी मिलों से आवंटित लेवी चीनी का सीधे उठान किया जाता है और भारतीय खाद्य निगम द्वारा प्रचालित राज्यों के संबंध में भारतीय खाद्य निगम द्वारा उठान किया जाता है। फिलहाल, लेवी वसूली की वर्तमान प्रणाली में परिवर्तन करने के किसी प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार विचार नहीं कर रही है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

चावल की भूसी का प्रयोग

3039. **श्री एस.एस. रामासुब्बू** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि रेस्तरां और भोजनालयों में चावल की भूसी को एक वैकल्पिक ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है और कुछ स्थानों में इसे दबा या जला दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हे;

(ग) क्या सरकार ने इसके न्यायोचित प्रयोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत) : (क) से (घ) जी, हां। चावल की भूसी धान की उपरी परत होती है तथा यह चावल मिल उद्योग का एक प्रमुख उप उत्पाद हैं खाना पकाने के लिए ईंधन के रूप में इसके उपयोग के अलावा, चावल की भूसी का उपयोग बोर्ड तथा कागज निर्माण, पैकिंग तथा भवन सामग्री, जल उष्मा तथा विद्युत उत्पादन एवं धान के प्रसंस्करण के लिये बायलर में ईंधन के रूप में किया जा रहा है।

नव एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय चावल मिलों तथा अन्य उद्योगों में सुरक्षित ऊर्जा और थर्मल प्रयोग और गांवों में बिजली की मांग पूरी करने के लिए जैव-समूह आधारित गैसीफायर प्रणाली को बढ़ावा देता रहा है। देश में लगभग 350 चावल मिलें तथा अन्य उद्योग अपनी निश्चित ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रमुखतः चावल की भूसी का प्रयोग कर रहे हैं। इसके अलावा, ग्रिड से जुड़े हुए विद्युत उत्पादन में भी चावल की भूसी का उपयोग किया जा रहा है। एमएनआरई सेमिनार/ कार्यशाला/व्यापारिक बैठकों आदि के जरिए विभिन्न ऊर्जा अनुप्रयोगों के लिए अधिशेष चावल की भूसी का उपयोग करके चावल का उत्पादन करने वाले क्षेत्रों/राज्यों में विभिन्न कार्यक्रमों को बढ़वा दे रहा है। चावल की भूसी पर आधारित खाना पकाने वाले स्टोव के अलावा सरकार द्वारा जैव-विद्युत उत्पादन यूनिट तथा चावल की भूसी पर आधारित गैसीफायर को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।

धान की खरीद

3040. **श्रीमती श्रुति चौधरी** : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ खरीद एजेंसियों द्वारा बहिष्कार के कारण

पंजाब और हरियाणा में धान की खरीद बुरी तरह से प्रभावित हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) भविष्य में ऐसी स्थिति से बचने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए जा रहे हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) से (ग) जी, नहीं। पंजाब और हरियाणा राज्यों में खरीफ विपणन मौसम 2011-12 के दौरान धान की खरीदारी में सभी एजेंसियां हिस्सा ले रही हैं।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में सांस्कृतिक क्रियाकलाप

3041. श्री नरेन्द्र सिंह तोमर : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार या इसके किसी स्वायत्त संगठन ने विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान मुरैना क्षेत्र सहित मध्य प्रदेश राज्य में संस्कृति के विकास और प्रचार के लिए कोई सांस्कृतिक कार्यकलाप/कार्यक्रम शुरू किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में प्राप्त उपलब्धियां क्या हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

खाद्यान्नों को लाना-ले जाना

3042. श्री प्रताप सिंह बाजवा : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) क्या सरकार ने आगामी क्रय मौसम के दौरान पंजाब राज्य से बाहर ले जाने हेतु प्रस्तावित खाद्यान्न की मात्रा के संबंध में कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) आगामी मौसम के दौरान राज्यों में क्रय किए गए खाद्यान्नों के सुरक्षित भंडारण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) खरीफ विपणन मौसम 2011-12 के दौरान चावल की खरीद का राज्य-वार अनुमान संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) और (ग) पंजाब राज्य से बाहर भेजी जाने वाली खाद्यान्नों की मात्रा के लिए कोई निर्धारित लक्ष्य नहीं है। तथापि, इस बात के लगातार प्रयास किए जाते हैं कि पंजाब से प्रत्येक माह 15 लाख टन से अधिक खाद्यान्न बाहर भेजा जाए।

एक विवरण नीचे दिया गया है जिसमें पिछले 3 महीनों और वर्तमान महीने के दौरान पंजाब से बाहर भेजे जाने वाले खाद्यान्नों का विवरण दिया गया है :-

(आंकड़े लाख टन में)

माह	गेहूं	चावल	जोड़
सितम्बर, 11	8.28	8.70	16.98
अक्तूबर, 11	7.00	8.33	15.33
नवम्बर, 11	8.50	7.50	16.00
दिसम्बर, 11	10.00	6.50	16.50

पंजाब सहित किसी भी खरीद क्षेत्र से खाद्यान्नों के संचलन की योजना निम्नलिखित पहलुओं को ध्यान में रखकर मासिक आधार पर बनाई जाती है :-

(i) अधिशेष क्षेत्र में उपलब्ध मात्रा;

(ii) कमी वाले क्षेत्रों द्वारा मांगी गई मात्रा;

(iii) संभावित खरीद;

(iv) रिक्त भंडारण क्षमता;

(v) खाद्यान्नों का मासिक आवंटन/उठान।

(घ) राज्यों में खरीदे गए खाद्यान्नों के सुरक्षित भंडारण के लिए उठाए गए पग संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

खरीफ विपणन मौसम 2011-12 के दौरान चावल की राज्यवार अनुमानित खरीद

(लाख टन में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	खरीफ विपणन मौसम 2011-12 के दौरान अनुमानित खरीद
आंध्र प्रदेश	107.00
बिहार	9.50
छत्तीसगढ़	40.00
गुजरात	0.15
हरियाणा	17.40
कर्नाटक	5.20
केरल	2.92
मध्य प्रदेश	6.50
महाराष्ट्र	1.65
ओडिशा	30.00
पुडुचेरी	.0.33
पंजाब	82.00
तमिलनाडु	20.00
उत्तर प्रदेश	18.00
उत्तराखंड	0.50
पश्चिम बंगाल	12.00
अखिल भारत जोड़ :	353.15

विवरण-II

सुरक्षित भंडारण और खाद्यान्नों के संरक्षण के लिए उठाए गए कदम

(i) भारतीय खाद्य निगम के सभी गोदामों का निर्माण निर्धारित विनिर्दिष्टियों के अनुसार कराया जाता है।

(ii) खाद्यान्नों का भंडारण, खाद्यान्न भंडारित करने के उचित वैज्ञानिक तरीकों को अपनाते हुए किया जाता है।

(iii) जमीन से नमी आने से रोकने के लिए लकड़ी के क्रेटों, बांस की चटाई, पोलीथीन शीट जैसी पर्याप्त डनेज सामग्रियों का इस्तेमाल किया जाता है।

(iv) भंडारित अनाजों में जंतु बाधा के नियंत्रण के लिए सभी गोदामों में प्रधूमन कवर, नाइलॉन की रस्सियां, जाल और कीटनाशक दिए जाते हैं।

(v) भंडारित अनाजों में जन्तु हमला का नियंत्रण करने के लिए भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में नियमित रूप से और समय पर रोगनिरोधी (कीटनाशकों का छिड़काव) और उपचारी उपाय (प्रधूमन) किये जाते हैं।

(vi) ढके गोदामों और कैप भंडारों, दोनों में प्रभावी मूषक नियंत्रण उपाय किए जाते हैं।

(vii) कवर तथा प्लिंथ (कैप) भांडागारों में खाद्यान्नों का भंडारण एलीवेटेड प्लिंथ में किया जाता है और डनेज सामग्री के रूप में लकड़ी के क्रेट इस्तेमाल किए जाते हैं। चट्टों को विशेष रूप से बनाए गए कम घनत्व वाले काले रंग के पोलीथीन वाटर प्रूफ कवर से उचित ढंग से ढका जाता है और उन्हें नाइलॉन की रस्सियों/जाल से बांधा जाता है।

(viii) वरिष्ठ अधिकारियों सहित भारतीय खाद्य निगम के योग्य और प्रशिक्षित स्टॉफ द्वारा स्टॉक/गोदामों का नियमित आवधिक निरीक्षण किया जाता है।

(ix) जहां तक संभव हो, प्रथम आमद-प्रथम निर्गम के सिद्धांत को अपनाया जाता है, ताकि गोदामों में खाद्यान्नों के लंबे समय तक भंडारण से बचा जा सके।

(x) खाद्यान्नों के संचलन के लिए केवल ढकी हुई वैगन इस्तेमाल की जाती है ताकि मार्गस्थ-क्षति से बचा जा सके।

[हिन्दी]

लिंगोजांगो मंदिर

3043. **श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे : क्या संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र के गोंदिया क्षेत्र की प्राचीन गुफा और जनजातीय देवता लिंगोजांगो के मंदिर को केन्द्रीय संरक्षित स्मारक के रूप में शामिल करने का है;

(ख) यदि हां, तो उक्त गुफा और मंदिर के सौंदर्यीकरण और वहां जाने वाले भक्तों/पर्यटकों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने हेतु उठाए गए कदमों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) से (ग) महाराष्ट्र के गोंदिया क्षेत्र की प्राचीन गुफा और जनजातीय देवता लिंगोजांगो के मंदिर को केन्द्रीय संरक्षित स्मारक के रूप में संरक्षित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

शिल्प निर्माण हेतु राजसहायता

3044. **श्री नलिन कुमार कटील : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को डेवलपमेंट ऑफ मेरीटाईम फिशरिज इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड पोस्ट हार्वेस्ट ऑपरेशंस स्कीम के अंतर्गत शिल्प निर्माण हेतु राजसहायता प्राप्त करने के लिए कर्नाटक राज्य सरकार की ओर से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त मंजूरी कब तक दिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत) : (क) से (ग) जी, हां। कृषि मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग ने उन्नत डिजाइन के कुल 85 माध्यमिक यानों को शुरू करने के कर्नाटक सरकार के प्रस्तावों को अनुमोदन दे दिया है और समुद्री मात्स्यिकी, बुनियादी सुविधा और पोस्ट हार्वेस्ट संचालनों संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत केन्द्रीय हिस्सेदारी की पहली किश्त जारी कर दी है। अनुमोदित प्रस्तावों का ब्यौरा निम्नानुसार है :-

वितीय वर्ष	माध्यमिक यानों की संख्या	कुल अनुमोदित लागत	अनुमोदन की तारीख	कुल केन्द्रीय देयता	जारी केन्द्रीय हिस्सेदारी
2010-11	2	123.193	18.01.2011	12.000	6.000
2011-12	83	3833.111	20.06.2011	376.351	188.176
कुल	85	3956.304		388.351	194.176

इसके अलावा, कर्नाटक सरकार इस योजना के तहत 123 अतिरिक्त माध्यमिक यान शुरू करना चाहती है। राज्य सरकार को सलाह दी गई है कि वे क्षमता का आंकलन करें और किए गए क्षमता मूल्यांकन अध्ययनों का ब्यौरा इस बात की पुष्टि के साथ भेजें कि अतिरिक्त यान मात्स्यिकी संसाधनों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगे और राज्य में मत्स्यन क्षमता को बढ़ाएंगे।

खाद्यान्नों के पुराने भण्डार

3045. **श्रीमती प्रिया दत्त : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में पांच वर्ष से अधिक पुराने खाद्यान्नों का भंडार पड़ा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो गोदामों में खाद्यान्नों का इतना पुराना भंडार रखने का क्या औचित्य है;

(ग) खाद्यान्नों के पुराने भंडारों के निपटान हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं; और

(घ) उक्त प्रयासों के क्या परिणाम हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) और (ख) जी हां। दिनांक 1-11-2011 के स्थिति के अनुसार पंजाब में भारतीय खाद्य निगम के पास ग्रेड ए सेला चावल का 5 वर्ष से भी अधिक पूराने स्टॉक की 207 टन की बहुत थोड़ी मात्रा निम्न वजहों से पड़ी हुई है।

(i) उक्त स्टाक अलग-थलग पड़े डिपुओं में पड़ा हुआ है।

(ii) क्षेत्र में सेला चावल के लिए उपभोक्ता पसंद न होना।

(ग) और (घ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि खाद्यान्नों का पुराना स्टाक प्राथमिकता आधार पर जारी किया जाता है भारतीय खाद्य निगम प्रथम आगम-प्रथम निर्गम के सिद्धांत का अनुसरण करता है। इस संबंध में समय-समय पर अनुदेश जारी किए गए हैं। इसके कारण भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध 5 वर्ष से भी अधिक पुराने स्टाक की मात्रा दिनांक 1-11-2011 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय पूल में कुल स्टाक का लगभग 0.00037 प्रतिशत है।

मछुआरों को ऋण

3046. **श्री निलेश नारायण राणे** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के मछुआरों को ऋण देने के अनेक प्रस्ताव राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम के पास लंबित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. चरण दास महंत) : (क) से (ग) राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम को महाराष्ट्र सरकार के माध्यम से मात्स्यिकी सहकारिताओं को ऋण मंजूर करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। वर्ष 2006-07 से वर्ष 2010-11 तक के दौरान महाराष्ट्र सरकार को 255.45 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है। इसमें से महाराष्ट्र सरकार ने 76.13 करोड़ रुपए खर्च कर लिए हैं। बजट की अनुपलब्धता और पहले मंजूर सहायता का उपयोग न होने के कारण 179.32 करोड़ रुपए की शेष राशि जारी नहीं की गई है।

एन्डोसल्फान पीड़ितों को मुआवजा

3047. **श्री के.पी. धनपालन** :
श्री पी. करुणाकरन :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के एन्डोसल्फान प्रभावित क्षेत्रों, विशेषकर कासरगोड़ क्षेत्र में पुनर्वास उपायों के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की ओर से कोई निर्देश प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा केन्द्र सरकार द्वारा इन पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने एंडोसल्फान पीड़ितों के लिए राहत और उपचारात्मक उपायों हेतु किसी विशेष पैकेज की घोषणा की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत) : (क) से (घ) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एन एच आर सी) ने हिन्दुस्तान टाईम्स में दिनांक 16.11.2010 को प्रकाशित हुई "क्रिपल्ड केरला विलेजर्स क्राई फार इन्डोसल्फान बेन" नामक शीर्ष की अखबार रिपोर्ट का अपने आप से संज्ञान लेते हुए 31.12.2010 को आयोजित अपनी कार्यवाहियों में सिफारिशों के दो सैट दिए जिसमें राहत और दीर्घावधिक पूनर्वास के प्रावधान में केरल सरकार के प्रयासों को अनुपूरित करना है (और अन्य राज्य सरकारें जहां एन्डोसल्फान प्रयोग के पीड़ित पाए गए हैं) शामिल हैं। संघ सरकार को राज्य सरकार से राहत और पूनर्वास कार्यक्रमों के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए है और निम्नलिखित कदम उठाए हैं :-

1. एक समिति गठित की गई जिसने केरल के प्रभावित ग्रामों का दौरा किया और अन्यों के साथ साथ पानी, मृदा, मानव/पशु नमूने रक्त एकत्रित करने और परिवार संकेन्द्रित सामुदायिक पुनर्वास प्रशिक्षण कार्यक्रम के विकास की नियमित मानीटरिंग करने की सिफारिश की।

2. कासरगोड जिले के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन आर एच एम) योजना में राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित सभी गतिविधियां।

3. राज्य सरकार ने अनुरोध किया है कि केरल के संसाधनों में उपलब्ध 4.49 करोड़ रुपये में से कासरगोड जिले में कुछ अतिरिक्त गतिविधियां हाथ में लेने पर विचार करे।

[हिन्दी]

खाद्य सुरक्षा

3048. श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसी जानकारी मिली है कि एल्कॉहल और एथेनॉल सहित जैव-ईंधनों के उत्पादन हेतु खाद्यान्नों के उपयेाग से देश में खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो जाएगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में उत्पादित एल्कॉहल और एथेनॉल की औसत मासिक मात्रा तथा खाद्यान्नों के वायदा कारोबार की मात्रा कितनी है; और

(ग) देश में खाद्यान्नों की बढ़ती मांग की पूर्ति हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है।

वेंडरों को आजीविका का अधिकार

3049. श्री अंजन कुमार एम. यादवः
श्रीमती रमा देवीः
श्री नीरज शेखरः
श्री यशवीर सिंहः
श्री असादूद्दीन ओवेसीः
श्री प्रताप सिंह बाजवाः

क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार शहरों/नगरों में रोड साइड वेंडरों एवं हॉकरों को आजीविका का अधिकार और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु कोई केन्द्रीय विधान लाने पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार शहरों/नगरों विशेषकर महानगरों में वेंडिंग जोन बनाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) शहरों में पटरीवालों की आजीविका की सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा हेतु उठाए गए अन्य ठोस कदम क्या हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) और (ख) शहरी पथ विक्रेताओं के आजीविका अधिकारों की रक्षा तथा सामाजिक सुरक्षा के प्रावधान को ध्यान में रखकर भारत सरकार ने संशोधित शहरी फेरीवालों पर राष्ट्रीय नीति, 2009 तथा मॉडल पथ विक्रेता (जीविका का संरक्षण और पथ विक्रय का विनियमन) विधेयक, 2009 तैयार किया है। सरकार ने सभी राज्यों को जोर देकर कहा है कि वे राष्ट्रीय नीति को लागू करें और मॉडल विधेयक के अनुरूप उपयुक्त राज्य कानून तैयार करें।

कानून बनाने में राज्यों की धीमी प्रगति को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने इस विषय पर संभावित केन्द्रीय कानून बनाने पर विचार किया है जिस पर दिसम्बर, 2011 के दौरान राष्ट्रीय कार्यशाला में चर्चा की जाएगी।

(ग) और (घ) शहरी फेरीवालों पर राष्ट्रीय नीति, 2009 में शहरों/कस्बों विशेष द्वारा प्रतिबंध मुक्त विक्रय जोन प्रतिबंधित रहित जोन 'विक्रय रहित जोन' निर्धारित करने पर जोर दिया गया है। इस नीति में शहर/कस्बा मास्टर प्लानों/विकास योजनाओं, जोनल योजनाओं और स्थानीय क्षेत्र योजनाओ में विक्रय क्षेत्रों, विक्रेता बाजार आदि के लिए स्थल आरक्षित करने का भी उल्लेख है।

(ङ) भारत सरकार ने शहरी पथ विक्रेताओं के लाभ के लिए स्कीमों की केन्द्रीयाभिमुख सुपुर्दगी हेतु राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से जोर देकर कहा है। उक्त राष्ट्रीय नीति में संबंधित राज्य सरकारों द्वारा पथ विक्रेतों को एहतियाती सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है। शहरी पथ विक्रेता राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) के अंतर्गत भी शामिल है।

[अनुवाद]

बहु-उद्देशीय पहचान-पत्र

3050. श्री गुरूदास दासगुप्त :
श्री पी. लिंगम :
श्री पी. करुणाकरन :
श्री राजेन गौहेन :

श्री आनंद प्रकाश परांजपे :
शेख सैदुल हक :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़ :
श्री सतपाल महाराज :
श्रीमती दर्शना जरदोश :
श्री रामसिंह राठवा :
श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर :
श्री रवनीत सिंह
श्री असादूद्दीन ओवेसी :
श्रीमती प्रिया दत्त :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बहु–उद्देशीय राष्ट्रीय पहचान–पत्र जारी करने के संबंध में राष्ट्रीय पंजीकरण प्राधिकरण, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण और जनगणना आयुक्त को सौंपी गई भूमिका और कार्य का ब्यौरा क्या है;

(ख) उनके द्वारा आंकड़े एकत्रित करने और एमएनआईसी जारी करने हेतु क्या प्रक्रिया अपनाई गई है;

(ग) इनमें से प्रत्येक द्वारा इस प्रयोजन हेतु आवश्यक, आबंटित और प्रयुक्त कुल निधियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने अनुलिपिकरण से बचने और इस प्रकार सरकारी व्यय में कमी लाने के लिए इन पृथक निकायों के कार्यों में समन्वय करने हेतु कोई कदम उठाया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) इस कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह) : (क) नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 14क(3) के अंतर्गत भारत के महारजिस्ट्रार को राष्ट्रीय रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के रूप में पदनामित किया गया है और वे नागरिक रजिस्ट्रीकरण के महारजिस्ट्रार के रूप में कार्य करेंगे। नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 14क(1) में प्रावधान है कि "केन्द्रीय सरकार भारत के प्रत्येक नागरिक को अनिवार्य रूप से रजिस्टर करेगी और उसे राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करेगी।" धारा 14क(5) के तहत सरकार को भारतीय नागरिकों के अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण कार्य के लिए अपनाए जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। इसके अलावा अधिनियम की धारा 18 में केन्द्रीय सरकार को अधिनियम के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए नियम बनाने की शक्ति दी गई है। नागरिकता (नागरिकों का रजिस्ट्रीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना) नियमावली, 2003 के नियम 3(4) में प्रावधान है कि "केन्द्रीय सरकार इस संबंध में आदेश जारी करके स्थानीय रजिस्ट्रार के क्षेत्राधिकार में सामान्यतः निवास करने वाले सभी व्यक्तियों से संबंधित जानकारी एकत्रित करके जनसंख्या रजिस्टर तैयार करने की तिथि का निर्धारण करेगी।" इसके अलावा नियम 18 में प्रावधान है कि नागरिक रजिस्ट्रीकरण के महारजिस्ट्रार समय–समय पर केन्द्रीय सरकार के परामर्श से, राज्य सरकारों को ऐसे दिशा–निर्देश जारी कर सकेगा जो इन नियमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक समझे जाएं।

(ख) तदनुसार भारत सरकार ने अधिनियम के प्रावधानों के तहत इस उद्देश्य के लिए पदनामित सरकारी अधिकारियों द्वारा घर–घर जाकर गणना करके सभी सामान्य निवासियों के संबंध में विशिष्ट मदों संबंधी जनसांख्यिकीय जानकारी एकत्रित करके एनपीआर तैयार करने के लिए दिशा–निर्देश जारी किए हैं। एनपीआर में 5 वर्ष और इससे अधिक आयु के सभी सामान्य निवासियों की फोटो, 10 अंगुलियों की छाप और 2 आइरिस भी होंगे। नामित सरकारी अधिकारियों की उपस्थिति में बायोमेट्रिक आंकड़े भी एकत्रित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त सामान्य निवासियों की सूची स्थानीय क्षेत्रों में प्रकाशित की जाएगी और आपत्तियां तथा दावे आमंत्रित करने के लिए इसको ग्राम सभा/वार्ड समिति में रखा जाएगा। इन दावों और आपत्तियों की जांच पटवारी, तहसीलदारों और कलेक्टरों/जिलाधिकारियों जैसे राजस्व पदाधिकारियों द्वारा की जाएगी जोकि क्रमशः स्थानीय रजिस्ट्रारों, उप–जिला रजिस्ट्रारों और जिला रजिस्ट्रारों के रूप में पदनामित हैं। दोहराव को रोकने और विशिष्ट पहचान संख्यांक (आधार)जार करने के लिए एनपीआर डाटाबेस को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) को भेजा जाएगा। देश के ऐसे सभी सामान्य निवासियों, जोकि 18 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के हैं, को निवासी पहचान पत्र (स्मार्ट कार्ड) (आरआईसीएस) को जारी किया जाना एनपीआर स्कीम का एक हिस्सा है।

(ग) सरकार ने एनपीआर तैयार करने संबंधी स्कीम के लिए 6649.05 करोड़ रुपए अनुमोदित किए हैं। एनपीआर के अंतर्गत निवासी पहचान पत्र (स्मार्ट कार्ड) (आरआईसी) को जारी करने संबंधी वित्तीय प्रस्ताव व्यय वित्त समिति (ईएफसी) के विचाराधीन हैं। इस स्कीम को अभी अनुमोदित नहीं किया गया है।

(घ) और (ङ) भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) को देश के सभी निवासियों को विशिष्ट पहचान संख्या (आधार) जारी करने का अधिदेश प्राप्त है न कि कोई कार्ड। यूआईडीएआई आधार नम्बर तैयार कर रहा है और पत्र के माध्यम से इसे निवासियों को भेजा जा रहा है। यूआईडीएआई ने सरकार को सूचित किया है कि यूआईडीएआई कोई कार्ड जारी नहीं कर रहा है। तथापि यह पता चला है कि नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया ने "रुपए" कार्ड (धन आधार कार्ड) जोकि एटीएम/माइक्रो एटीएम कार्ड के रूप में कार्य करता है, जारी करने के लिए यूआईडीएआई के साथ सहबद्धता जताई है और बैंक ऑफ इंडिया द्वारा ऐसे करीब 250 कार्ड जारी किए गए हैं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) देश में एनपीआर तैयार करने के लिए आंकड़ों के संग्रहण (पेपर फार्मेट में) का कार्य 2010 में मकानसूचीकरण और मकानों की गणना के साथ पूरा कर लिया गया है। इन भरी हुई एनपीआर अनुसूचियों (लगभग 26 करोड़) की स्कैनिंग का कार्य भी पूरा कर लिया गया है। आंकड़ा प्रविष्टि और तीन बायोमैट्रिक प्राप्त करने का कार्य दो अभिकरणों अर्थात् केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का समूह (सीपीएसयूएस) और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीआईटी) को सौंपा गया है। आज की स्थिति के अनुसार 32 करोड़ से अधिक रिकार्डो का डिजीटाइजेशन (अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा में) किया जा चुका है तथा 86 लाख से अधिक व्यक्तियों की बायोमैट्रिक्स प्राप्त की जा चुकी है।

[हिन्दी]

मेट्रो चैनल ट्रांसमीटर की स्थापना

3051. **श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को मेट्रो चैनल ट्रांसमीटर स्थापित करने हेतु विभिन्न राज्य सरकारों से अभ्यावेदन मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक राज्यवार क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) ट्रांसमीटरों को कब तक संचालित किए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. जगतरक्षकन) : (क) आकाशवाणी और दूरदर्शन मैट्रो चैनल–ट्रांसमीटरों के अधिष्ठापन हेतु राज्य सरकारों से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

डीडीए फ्लैटों की कीमतें

3052. **श्री वीरेन्द्र कुमार** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों की कीमतें आवेदन चरण में नीचे रखी जाती हैं जबकि आबंटन के बाद अधिक मूल्य की मांग की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या है; और

(ग) क्या डीडीए द्वारा लिए जा रहे अत्यधिक मूल्य को घटाने हेतु सरकार द्वारा कोई कार्रवाई किए जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय) : (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि आवेदन चरण में कीमतें उस समय प्रचलित प्लिंथ क्षेत्र दर/भूमि दर पर अनंतिम रूप से निर्धारित होती हैं। इंजीनियर शाखा से प्राप्त लागत निर्धारण संबंधी विवरण (वास्तविक स्थल आंकड़े) के आधार पर ड्रा के पश्चात् बिक्री लागत हेतु वास्तविक लागत विभक्त की जा रही है जिसकी सूचना सफल आवेदकों को मांग–सह–आबंटन पत्र के माध्यम से दी जाती है। इसलिए अनंतिम लागत एवं बिक्री लागत में अंतर है।

(ग) ऐसा कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं।

सड़क दुर्घटनाओं के कारण मृत्यु

3053. **श्री गोविन्द प्रसाद मिश्र** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में दुर्घटनाओं में मरने वाले लोगों की संख्या में सड़क दुर्घटनाओं के कारण मरने वाले लोगों की संख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रभावी उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) वर्ष 2009-2010 के दौरान दुर्घटना के कारण हुई सभी प्रकार की मौतों की तुलना में सड़क दुर्घटनाओं के कारण हुई मौतों की राज्य-वार प्रतिशतता संलग्न विवरण में दी गई है। सड़क-दुर्घटनाएं मुख्यतः ड्राइवरों की गलती, वाहनों में यांत्रिक गड़बड़ियों, पैदल यात्रियों की गलती, खराब सड़क, खराब मौसम, मवेशी, जनसंख्या में वृद्धि, वाहनों की संख्या, विषम यातायात, गिरे हुए पेड़ों आदि के कारण होती हैं।

(ग) सड़क प्रयोक्ताओं की सुरक्षा प्राथमिक रूप से संबंधित राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। तथापि, संघ सरकार ने सड़क प्रयोगताओं के लिए सड़क सुरक्षा में सुधार करने के लिए कई सुरक्षा कदम उठाए हैं, जो निम्नानुसार है:-

(i) सड़क सुरक्षा, योजनास्तर पर सड़क-डिजाइन का एक अभिन्न अंग है।

(ii) सड़क-सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा रोड फर्नीचर, सड़क-चिन्हों/सड़क-संकेतकों, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम के उपयोग द्वारा राजमार्ग यातायात प्रबंधन प्रणाली की शुरूआत, निर्माण के दौरान ठेकेदारों में अनुशासन बढ़ाने, चयनित क्षेत्रों पर सड़क सुरक्षा जांच जैसे अनेक कदम उठाए गए हैं।

(iii) योजनागत क्रियाकलापों के अंतर्गत वर्ष 1997-98 में मंत्रालय द्वारा असंगठित क्षेत्र में भारी वाहन चालकों को पुनश्चर्या प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

(iv) देश में ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूलों की स्थापना की गई है।

(v) श्रव्य-दृश्य तथा प्रिंट मीडिया दोनों के माध्यम से सड़क सुरक्षा जागरूकता से संबंधित प्रचार अभियान।

(vi) सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए स्वयंसेवी संगठनों/व्यक्तियों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करना।

(vii) सीट बेल्ट, पावर-स्टीयरिंग, रियर व्यू मिरर आदि जैसे वाहन संबंधी सुरक्षा मानकों को सुदृढ़ करना।

(viii) राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना राहत सेवा योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्य सरकारों/गैर-सरकारी संगठनों को क्रेन तथा एंबुलेस उपलब्ध कराना। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अपनी प्रचालन एवं अनुरक्षण संविदाओं के तहत पूर्ण किए गए अपने प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग क्षेत्र में 50 किलोमीटर की दूरी पर एंबुलेंस भी मुहैया कराता है।

(ix) राष्ट्रीय राजमार्गों को 2 लेनों से 4 लेनों तथा 4 लेनों से 6 लेनों में बदलकर उन्हें चौड़ा किया जा रहा है तथा उन्हें बेहतर बनाया जा रहा है।

विवरण

विभिन्न दुर्घटनाओं के कारण हुई मौतें तथा दुर्घटनाओं में हुई कुल मौतों की तुलना में उनकी प्रतिशता

क्रम सं.	कारण	2009		2010	
		मौतें	प्रतिशत हिस्सा (अखिल भारत के संदर्भ में)	मौतें	प्रतिशत हिस्सा (अखिल भारत के संदर्भ में)
1	2	3	4	5	6
क. प्राकृतिक कारण :					
1.	हिमस्खलन	22	0.0	45	0.0
2.	ठंड और अनावृत्ति	742	0.2	937	0.2
3.	चक्रवात/तूफान	128	0.0	106	0.0
4.	भूखमरी/प्यास	175	0.0	210	0.1

1	2	3	4	5	6
5.	भूकंप	2	0.0	8	0.0
6.	महामारी	75	0.0	57	0.0
7.	बाढ़	726	0.2	965	0.3
8.	लू लगना	1071	0.3	1274	0.3
9.	भूस्खलन	394	0.1	347	0.1
10.	बिजली गिरना	2113	0.6	2622	0.7
11.	मूसलाधार वर्षा	132	0.0	123	0.0
12.	अन्य प्राकृतिक कारण	16675	4.7	18372	4.8
	कुल (क)	22255	6.2	25066	6.5
ख. अप्राकृतिक कारण					
1.	हवाई दुर्घटना	12	0.0	23	0.0
2.	ढांचा ध्वस्त होना	2847	0.8	2682	0.7
	(i) मकान	1091	0.3	985	0.3
	(ii) भवन	265	0.1	377	0.1
	(iii) बांध	30	0.0	15	0.0
	(iv) पुल	44	0.0	49	0.0
	(v) अन्य	1417	0.4	1256	0.3
3.	डूबना	25911	7.3	28001	7.3
	(i) नाव डूबना	984	0.3	760	0.2
	(ii) अन्य मामले	24927	7.0	27241	7.1
4.	बिजली का आघात	8539	2.4	9059	2.4
5.	विस्फोट :	668	0.2	493	0.1
	(i) बम विस्फोट	261	0.1	112	0.0
	(ii) अन्य विस्फोट (बायलर्स आदि)	407	0.1	381	0.1

1	2	3	4	5	6
6.	गिरना :	10622	3.0	11571	3.0
	(i) ऊँचाई से गिरना	8796	2.5	9828	2.6
	(ii) गड्ढे/मेनहोल आदि में गिरना	1826	0.5	1743	0.5
7.	फैक्ट्री/मशीन दुर्घटना	1044	0.3	1043	0.3
8.	आग :	23268	6.5	24414	6.3
	(i) आग/पटाखे	547	0.2	276	0.1
	(ii) शार्ट-सर्किट	1328	0.4	1312	0.3
	(iii) गैस सिलिंडर/स्टोव फटना	4127	1.2	4820	1.3
	(iv) आग से हुई अन्य दुर्घटनाएं	17266	4.8	18006	4.7
9.	आग्नेयास्त्र	1504	0.4	1688	0.4
10.	अचानक मौत :	24836	7.0	27364	7.1
	(i) हृदयाघात	16007	4.5	17563	4.6
	(ii) मिर्गी का दौरा/चक्कर आना	3535	1.0	4130	1.1
	(iii) गर्भपात/बच्चे का जन्म	811	0.2	785	0.2
	(iv) अल्कोहल का प्रभाव	4483	1.3	4886	1.3
11.	जानवरों के कारण मृत्यु	962	0.3	981	0.3
12.	सुरंग अथवा खदान आपदा	423	0.1	355	0.1
13.	जहर	26634	7.5	28012	7.3
	(i) भोजन विषाक्ता/गलती से कीटनाशक खाना	8154	2.3	9437	2.5
	(ii) नकली/जहरीली शराब	1450	0.4	1202	0.3
	(iii) विषैली गैस आदि का रिसाव	247	0.1	154	0.0
	(iv) सर्पदंश/जानवरों द्वारा काटना	8035	2.3	8639	2.2
	(v) अन्य	8748	2.5	8580	2.2
14.	भगदड़	110	0.0	113	0.0

1	2	3	4	5	6
15.	दम घुटना	1257	0.4	1400	0.4
16.	यातायात दुर्घटना :	152689	42.8	161736	42.0
	(i) सड़क दुर्घटनाएं	126896	35.5	133938	34.8
	(ii) रेल–सड़क दुर्घटनाएं	1516	0.4	3347	0.9
	(iii) अन्य रेल दुर्घटनाएं	24277	6.8	24451	6.4
17.	अन्य कारण	35906	10.1	40057	10.4
18.	अज्ञात कारण	17534	4.9	20591	5.4
	कुल (ख)	334766	93.8	359583	93.5
	कुल योग (क+ख)	357021	100.0	384649	100.0

[अनुवाद]

बीएमटीपीसी द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी

3054. **श्री एल. राजगोपाल : क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भवन सामग्री और प्रौद्योगिकी संवर्द्धन परिषद (बीएमटीपीसी) ने देश में गरीब लोगों के लिए आवास निर्माण हेतु अद्यतन प्रौद्योगिकी विकसित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में आवासविहीन गरीबों को सस्ते आवास प्रदान करने के लिए यह प्रौद्योगिकी किस सीमा तक उपयोगी है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) और (ख) भवन सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्द्धन परिषद ने वैकल्पिक भवन निर्माण सामग्री एवं निर्माण तकनीकों का उपयोग कर विविध भू–जलवायु परिस्थितियों में 60 मकानों (25 वर्ग मी. फर्शी क्षेत्र) के समूह वाले सामुदायिक केंद्रों विद्यालय एवं दुकानों/गुमटियों कि (ओस्क) डिजाइन पैकेज विकसित किया है। ये डिजाइन पैकेज निम्नलिखित क्षेत्रों के लिए विकसित किए गए हैं :–

- पश्चिमी/केंद्रीय क्षेत्र
- उत्तरी क्षेत्र
- पूर्वोत्तर क्षेत्र
- पूर्वी क्षेत्र
- दक्षिणी क्षेत्र

डिजाइन पैकजों में दीवार बनाने, छत बनाने एवं अन्य कार्यो हेतु द्वारा देश में विकसित वैकल्पिक भवन निर्माण सामग्री एवं निर्माण प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान एवं विकास संस्थानों और अन्य एजेंसियों की परम्परागत सामग्रियों एवं पद्धतियों के स्थान पर अनुशंसा की गई है।

(ग) डिजाइन पैकेजों का लक्ष्य देश के विभिन्न भागों में ज्ञात सस्ती एवं वैज्ञानिक तौर पर प्रमाणित और उभरती निर्माण सामग्री एवं निर्माण प्रौद्योगिकियों की स्थापना एवं प्रचार–प्रसार करना है। वैकल्पिक प्रौद्योगिकियों का लक्ष्य लागत को 20 प्रतिशत तक घटना है।

स्टेडियम/छात्रावासों का निर्माण

3055. **श्री पन्ना लाल पुनिया :**
श्री के.सी. सिंह 'बाबा' :
श्री अदगुरू एच. विश्वनाथ
श्री भक्त चरण दास :

क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार खिलाड़ियों और युवा कार्यकलापों के लिए देश के प्रत्येक जिले में कम से कम एक स्टेडियम/लघु स्टेडियम/खेल परिसर और एक यूथ हॉस्टल का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे स्टेडियमों में राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षक नियुक्त करने का भी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में किए गए/प्रस्तावित अन्य सुधारात्मक उपाय क्या हैं?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

किसानों के विरुद्ध अत्याचार

3056. **श्रीमती जयश्रीबेन पटेल:**
श्री रमेश बैस:
श्री हंसराज गं. अहीर:
श्री मकन सिंह सोलंकी:
श्री महेश्वर हजारी:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों विशेषकर ग्रेटर नोएडा से किसान आंदोलनों की खबरें आई हैं;

(ख) यदि हां, तो विगत एक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान उक्त आंदोलनों के दौरान पुलिस फायरिंग/लाठी चार्ज में विशेषकर ग्रेटर नोएडा में कितने किसान घायल हुए/मारे गए;

(ग) क्या केन्द्र सरकार/राज्य सरकार ने उक्त घटनाओं की जांच कराई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें कितने व्यक्ति दोषी पाए गए और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई;

(ङ) क्या सरकार ने आंदोलनों के दौरान प्रभावित किसानों को सहायता/मुआवजा प्रदान करने हेतु कोई कदम उठाए हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) पुलिस कर्मियों द्वारा महिलाओं के प्रति अत्याचार के संबंध में भट्टा परसौल (ग्रेटर नोएडा) से महिलाओं ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कुल कितनी शिकायतें दर्ज कराई हैं तथा मानवाधिकार आयोग द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ज) यह सुनिश्चित करने के लिए कि उक्त घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) जी हां। विगत एक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और पंजाब से किसान-आंदोलनों की घटनाओं की खबरें आयी हैं। पुलिस द्वारा फायरिंग करने/लाठी चार्ज करने की वजह से इन घटनाओं में कथित रूप से घायल हुए/मारे गए किसानों की संख्या निम्नानुसार हैः-

I. उत्तर प्रदेश

1. दिनांक 07 मई, 2011 को ग्राम-भट्टा परसौल, जिला गौतम बुद्ध नगर में 02 किसान मारे गए थे और 09 घायल हुए थे।

II. आंध्र प्रदेश

1. दिनांक 28 फरवरी, 2011 को ग्राम काकरापल्ली, जिला श्रीकाकुलम में 03 किसान मारे गए थे और 12 घायल हुए थे।

III. महाराष्ट्र

1. दिनांक 15 अप्रैल, 2011 को ग्राम साकरी नाटे, जिला रत्नागिरी, में 01 मछुआरा मारा गया था और 03 घायल हुए थे।
2. दिनांक 09 अगस्त, 2011 को ग्राम बोरखेड मावाल तालुका, जिला पुणे में 03 किसान मारे गए थे और 08 घायल हुए थे।

IV. पंजाब

1. दिनांक 02 अगस्त, 2011 को ग्राम कोट दुन्ना, पुलिस स्टेशन

धनौला, जला बरनाला में 01 किसान मारा गया था और 05 घायल हुए थे।

(ग) और (घ) राज्य सरकारों द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार कुछ मामले दर्ज किए गए हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी कुछ मामलों को, जैसा कि पैरा (छ) के उत्तर में सूचित किया गया है, संज्ञान में लिया है।

(ङ) और (च) ऐसे मामलों में राहत/मुआवजा प्रदान करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है।

(छ) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भट्ट-परसौल गांव में दिनांक 07.05.2011 को हुई पुलिस कार्रवाई के दौरान मानवाधिकारों के कथित उल्लंघन के संबंध में कुल 19 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। आयोग के निर्देशों के अनुसरण में, अधिकारियों की एक टीम द्वारा दिनांक 24 से 30 मई, 2011 के बीच मौके पर जांच की गई थी। टीम द्वारा की गई सिफारिशों पर आयोग द्वारा विचार किया गया था और रिपोर्ट की एक प्रति मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार को उनकी टिप्पणी हेतु भेजी गयी थी। यह मामला अभी भी आयोग के विचाराधीन है।

(ज) सरकार ने भूमि अधिग्रहण से संबंधित आन्दोलनात्मक गतिविधियों के सभी पहलुओं का निराकरण करने के लिए राष्ट्रीय भूमि अधिग्रहण एवं पुनर्वास तथा पुनः स्थापन विधेयक (नेशनल लैण्ड एक्विजिशन एण्ड रिहैबिलिटेशन एण्ड रिसेटेलमेन्ट बिल) 2011 का मसौदा तैयार किया है।

[अनुवाद]

शहरी परिवहन हेतु पुरस्कार

3057. श्री मानिक टैगोर : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष शहरी परिवहन के लिए बेहतर संचालन पुरस्कार प्रदान करने हेतु क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं; और

(ख) विगत तीन वर्षो में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य-वार, श्रेणी-वार कितने लोगों को पुरस्कार प्रदान किए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय) : (क) विभिन्न श्रेणी में प्रत्येक वर्ष शहरी परिवहन हेतु उत्तम कार्य पुरस्कार हेतु परियोजनाओं को छाँटने के उद्देश्य से सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष अपने क्षेत्र के विभिन्न विशेषज्ञों को शामिल कर पुरस्कार चयन समिति बनाई जाती हैं यह समिति विभिन्न राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों, शहरों, पेरा स्टेटलों/संगठनों से प्राप्त सभी प्रविष्टियों की विस्तृत जांच करती है और विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार विजेताओं के लिए सरकार से सिफारिशें करती हैं। यह किसी श्रेणी को पुनः नामित करने या अतिरिक्त श्रेणी शामिल करने के लिए भी सिफारिश कर सकती है। दिसम्बर, 2009 से सरकार के अनुमोदन से पुरस्कार वार्षिक सम्मेलन "शहरी गतिशीलता भारत" के दौरान दिए जाते हैं।

(ख) प्रत्येक पिछले तीन वर्षो के दौरान राज्य-वार, श्रेणी-वार पुरस्कार विजेताओं की संख्या निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	श्रेणी	2009	2010	2011
1	2	3	4	5
1	श्रेष्ठ मास ट्रांजिट परियोजना	2 (गुजरात महाराष्ट्र)	1 कर्नाटक	शून्य
2	श्रेष्ठ गैर-मोटोराइज्ड परिवहन परियोजना पैदल/साइकिल/ साइक्लि रिक्शा परियोजना	1 (दिल्ली)	1 (दिल्ली)	1 (पंजाब)
3	श्रेष्ठ इनटेलिजेन्ट परिवहन प्रणाली (आई.टी.एस.)	1 (दिल्ली)	शून्य	2 (गुजरात महाराष्ट्र)
4	शहरी परिवहन में श्रेष्ठ सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) का प्रारम्भ	--	--	मध्य प्रदेश
5	ट्रेफिक इंजीनियरिंग और प्रबंधन में नयी शुरूआत	--	--	2 (कर्नाटक महाराष्ट्र)
6	श्रेष्ठ क्लीन विकास मैकनिजम परियोजना #	1 (दिल्ली)	1 (कर्नाटक)	1 (दिल्ली)

1	2	3	4	5
7	नयी तकनीकी शामिल करना/प्रारम्भ करना	1(कर्नाटक)	1 (गुजरात)	शून्य
8	श्रेष्ठ एकीकृत कैल्टीमाडल ट्रांजिट सिस्टम # # 1	(महाराष्ट्र)	शून्य	शून्य
9	श्रेष्ठ ट्रांजिट आधारित विकास परियोजना	शून्य	शून्य	शून्य
10	श्रेष्ठ समावेशी विकास परियोजना *	--	--	शून्य
11	कम्न्डेबल इमर्जिग की शुरुआत	--	2 (महाराष्ट्र, राजस्थान)	2 (दिल्ली, महाराष्ट्र)
12	सभी शहरी परिवहन हेतु संपूर्ण उत्कृष्ट शहर "शहरी परिवहन ट्रॉफी"	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल पुरस्कार	7	6	9

* केवल 2011 से प्रारम्भ

\# 2009 में श्रेष्ठ पर्यावरण अनुकूल परियोजना कही गई तथा 2010 से पुनः नामित की गई थी।

\# # 2009 के उपरांत श्रेणी हटा दी गई।

** 2010 से शुरू की गई।

[हिन्दी]

जनजातियों का पुनर्वास

3058. कुमारी मीनाक्षी नटराजन : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने सलवा जुडूम के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय के अनुपालन से विस्थापित जनजातियों के पुनर्वास हेतु विभिन्न राज्यों को कोई निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सलवा जुडूम शिविरों में रहने वाले व्यक्तियों को वित्तीय सहायता और रोजगार प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह) : (क) से (ग) माननीय उच्चतम न्यायालय का दिनांक 05.07.2011 का निर्णय प्राथमिक रूप से छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा विशेष पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति से संबंधित है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त निर्णय में, अन्य बातों के साथ-साथ, निदेश दिया है कि "भारत संघ माओवादी/नक्सली समूहों के विरुद्ध किसी भी प्रकार की विद्रोह-रोधी गतिविधियों में लिप्त होने के प्रयोजन से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से विशेष पुलिस अधिकारियों (एस पी ओ) की भर्ती के लिए अपनी निधियों का उपयोग तत्काल रोके और इससे बचे।" माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में गृह मंत्रालय ने एसआरई योजना के तहत छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को एस पी ओ को मानदेय के भुगतान की प्रतिपूर्ति को रोक दिया है। सलवा जुडूम शिविरों में रहने वाली विस्थापित जनजातियों के पुनर्वास के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा केन्द्र सरकार को कोई निदेश नहीं दिया गया है।

एनबीसीसी में भ्रष्टाचार

3059. श्री जयवंत गंगाराम आवले : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (एनबीसीसी) के अधिकारियों और ठेकेदारों के बीच सांठ-गांठ के कारण एनबीसीसी की पटना, कंकड़बाग जल-निकासी परियोजना में घोटाले की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा भ्रष्टाचार में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या उक्त घटना के व्यापक प्रचार के बावजूद उक्त परियोजना में अनियमितता/भ्रष्टाचार की लगातार खबरें आ रही हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय) : (क) से (ङ) जी हां। एन.बी.सी.सी. के सतर्कता प्रभाग को खराब कार्य के संबंध में एक शिकायत प्राप्त हुई थी तथा संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध एन.बी.सी.सी. द्वारा इसके बारे में कार्रवाई की गई हैं चार कार्मिकों यथा एक उपमहाप्रंधक, दो उप परियोजना प्रबंधकों और एक वरिष्ठ परियोजना इंजीनियर पर शास्तियां लगाई गई थीं और संबंधित कार्मिकों को परियेाजना से स्थानांतरित भी किया गया था। निम्न स्तर के कार्य को हटा दिया गया और साईट पर पुनः कार्य किया गया था। चूंकि राज्य सरकार ने खराब कार्य को हटाने और उसे पुनः निर्मित करने के लिए एन.बी.सी.सी. को निर्देश दिया है, एन.बी.सी.सी. ने जांच नमूनों के तरीके के आधार पर राज्य सरकार को अपना अभ्यावेदन दिया और राज्य सरकार ने मामला निपटाने के लिए एन.बी.सी.सी. से मध्यस्था के रूप में तीन नामों का पैनल बनाने की मांग की है। एन.बी.सी.सी. ने राज्य सरकार को नाम भी सूचित कर दिए हैं।

रोहिणी आवासीय योजना 1981

3060. श्री माणिकराव होडल्या गावित : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'रोहिणी आवासीय योजना 1981' के अंतर्गत भूखंडों/फ्लैटों का आबंटन कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है.

(ग) यदि नहीं, तो उक्त योजना के अंतर्गत भूखंडों/फ्लैटों के आबंटन में विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) संपूर्ण आबंटन प्रक्रिया को कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय) : (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि उसने प्लाटों के आबंटन हेतु रोहिणी आवासीय योजना 1981 के आरंभ की है। पंजीकृत आवेदकों एवं किए, गए आबंटनों के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :–

कुल पंजीकृत आवेदक	–	82384
किए गए आबंटन	–	55169
निरस्त पंजीकरण	–	1915
प्रतीक्षारत	–	25300

(ग) और (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि प्रतीक्षारत पंजीकृत आवेदकों को सहयोजित करने के लिए कुल 21328 प्लाट काटे गए हैं। प्लाटों के सीमांकन कार्य का लक्ष्य प्राप्त करने और आबंटन प्रक्रिया पूरी होने में डेढ़ वर्ष लगेगा।

कृषि अनुसंधान केन्द्र

3061. श्री हंसराज गं. अहीर :
श्री ए.टी. नाना पाटील :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में एक विश्व स्तरीय कृषि अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत) : (क) जी नहीं। देश में इस तरह का कृषि अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

छेड़खानी

3062. श्रीमती इन्ग्रिड मैक्लोड : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में मुंबई में छेड़खानी का विरोध करने पर चाकू मारने की घटनाएं जानकारी में आई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले पर राज्य सरकार से कोई रिपोर्ट मांगी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार छेड़खानी करने वालों से निपटने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 354 और 509 को कड़ा करने पर विचार कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह) : (क) से (ग) जी, हां। चाकू मारने की घटना दिनांक 20 अक्तूबर, 2011 को लगभग 23.00 बजे अंधेरी (पश्चिम) मुम्बई में हुई थी। घटना और राज्य सरकार द्वारा इस पर की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट विवरण के रूप में संलग्न है।

(घ) से (च) भारत के विधि आयोग ने अपनी 172वीं रिपोर्ट में और राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं के प्रति अपराधों के संबंध में भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों में बदलाव किए जाने की सिफारिश की है।

केन्द्र सरकार भी महिलाओं के प्रति अपराधों को रोकने के लिए मौजूदा विधानों की निरन्तर समीक्षा करती रही है और उन्हें सशक्त बनाती रही है। महिलाओं के प्रति अपराध की रोकथाम करने के लिए कानून को सशक्त बनाने और महिलाओं के हितों की सुरक्षा हेतु उपाय करने के लिए वर्ष 2005 और 2008 में दण्ड प्रक्रिया संहिता में संशोधन भी किए गए हैं।

विवरण

राज्य सरकार से प्राप्त रिपोर्ट

दिनांक 20 अक्तूबर, 2011 को करीब 23.00 बजे अम्बोली किचेन एवं बार रेस्टोरेन्ट, सीजर रोड, अम्बोली, अंधेरी (पश्चिम), मुम्बई में दो युवकों को उस समय चाकू मार दिया गया था जब उन्होंने बदमाशों के एक समूह द्वारा उनकी महिला मित्रों पर अश्लील टिप्पणियां करने का विरोध किया था घटना के बाद, श्री अविनाश सुरेन्द्र सिंह सोलंकी उर्फ बाली, आयु 31 वर्ष, निवासी-3 सोलंकी हाउस, जरीवाला लेन, पास्कल कालोनी, जोगेश्वरी (पश्चिम) मुम्बई की शिकायत पर डी. एन. नगर पुलिस स्टेशन में चार अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध आई पी सी की धारा 302,307,324,509,506 (II) 34 तथा उसके साथ पठित 37(1) क एवं उसके साथ पठित बी पी एक्ट की धारा 135(I) के अंतर्गत सी आर नं. 410/2011 के तहत एक मामला दर्ज किया था। इस मामले में घायल व्यक्ति नामतः किनोन वेलेरियन सन्तोष आयु 25 वर्ष की दिनांक 21 अक्तूबर, 2011 को करीब 00.35 बजे कोकिलाबेन धीरूभाई अम्बानी अस्पताल, अंधेरी (पश्चिम) में मृत्यु हो गई और दूसरे घायल व्यक्ति रुबिन पीटर फर्नाडिस आयु 28 वर्ष की दिनांक 31 अक्तूबर, 2011 को 19.15 बजे कोकिलाबेन धीरूभाई अम्बानी अस्पताल, अंधेरी (पश्चिम), मुम्बई में उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। इस मानले में चार लोगों को घटना के तुरन्त बाद गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम निम्नलिखित हैं :

(1) जितेन्द्र फकीरचन्द राणा उर्फ चैना आयु 25 वर्ष

(2) सतीश नफेसिंह दुर्गुस आयु 35 वर्ष

(3) सुनील ओमप्रकाश बोथ उर्फ छोटा आयु 20 वर्ष

(4) दीपक ईश्वर पिवाल आयु 19 वर्ष

चारों गिरफ्तार अभियुक्त न्यायिक हिरासत में हैं। न्यायालय में आरोप पत्र निर्धारित समयावधि में दाखिल किए जाएंगे।

जोन IX में, प्रत्येक पुलिस स्टेशन स्तर पर 1 डब्ल्यू पी एस आई/1 पी एस आई/2 डब्ल्यू पी सी और 3 कार्मिकों को सम्मिलित करके छेड़छाड़-रोधी दस्ता बनाया गया है और छेड़छाड़-रोधी दस्ता अपने संबंधित पुलिस स्टेशन क्षेत्राधिकार के क्षेत्र का गश्त करता है। विशेषरूप से, वे कॉलेजों, विद्यालयों, अन्य शैक्षिक संस्थाओं और वयस्त सड़कों और मॉलों, होटलों, मल्टीप्लेक्सों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्डों पर संकेन्द्रित रहते हैं। गश्त के दौरान, यदि किसी भी व्यक्ति को ऐसी गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है तो हिरासत में लिया जाता है और उसके विरुद्ध कानून के अनुसार विधिक कार्रवाई की जाती है। दिनांक 20 अक्तूबर, 2011 से जोन ix में आई पी सी की धारा 509 के तहत सात मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें छह अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था और आईपीसी की धारा 354 के तहत दो मामले दर्ज किए गए हैं जिनमें दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था। इसके साथ-साथ, मुम्बई पुलिस अधिनियम की धारा 110 के तहत 311 व्यक्तियों को बुक किया गया है। गश्ती

मोबाइल, वाहनों, पैदल गश्त करने वाले स्टाफ ने अपने संबंधित पुलिस स्टेशन के क्षेत्रों का गश्त किया है और उसकी वजह से छेड़छाड़ की घटनाओं में जबरदस्त कमी आयी है। विद्यालयों और कालेजों के सूचना पट्टों पर पुलिस स्टेशनों, नियंत्रण कक्षों के फोन नम्बर और पुलिस स्टेशन के प्रभारी, बीट अधिकारी और डिटेक्शन अधिकारियों के मोबाइल नम्बर लिखे गए हैं और उनमें यह लिखा गया है कि किसी भी प्रकार की घटना की स्थिति में तत्काल इन नम्बरों पर सम्पर्क करें। इसके साथ-साथ विद्यालयों एवं कालेजों के प्रधानाचार्यों के साथ बैठकें की गई थीं और उनकी शिकायतों, परेशानियों को विस्तार से सुना गया था। इस दुराचार को रोकने के लिए विद्यालयों और कालेजों के परिसरों में जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

खेल संगठनों का पुनर्संगठन

3063. श्री दत्ता मेघे:

श्रीमती दीपा दासमुंशी:

क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विभिन्न खेल संगठनों/संघों को पुनर्गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका क्या उद्देश्य है;

(ग) क्या सरकार का विचार 'बोर्ड आफ कंट्रोल फार क्रिकेट इन इंडिया' को भी प्रस्तावित राष्ट्रीय खेलकूद विधेयक के दायरे में लाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) और (ख) जी नहीं। विभिन्न खेल निकायों/परिसंघों को पुनः संगठित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, राष्ट्रीय खेल परिसंघों और भारतीय ओलंपिक संघ की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए सरकार एक नियामक रूपरेखा तैयार कर रही है। जिसका उद्देश्य है कि खेल निकायों के बीच सुशासन का विकास किया जाए। राष्ट्रीय खेल विधेयक का प्रारूप सार्वजनिक क्षेत्र पर रख दिया गया है ताकि भागीदारों से विधायी पूरा परामर्श लिए जा सके। मसौदा राष्ट्रीय खेल विकास विधेयक, 2011 जैसा कि सार्वजनिक किया गया है कि प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

(एक) खेलों के विकास एवं प्रसार के लिए केंद्र सरकार की सहायता जिसमें वित्तीय और अन्य सहायता राष्ट्रीय टीमों, एथलीटों के कल्याणात्मक उपायों एवं खेलों में एथिकल प्रणालियों के विकास की रणनीतियां तैयार करना शामिल हैं। इसमें डोपिंग प्रणालियों को खत्म करना, आयु संबंधी फ्राड मामले एवं यौन शोषण के मामलों का उपशमन भी शामिल है। भारतीय ओलंपिक संघ के अधिकारों एवं कार्यों एवं अन्य राष्ट्रीय खेल परिसंघों के अधिकारों एवं कार्यों (इसमें सुशासन के बुनियादी सिद्धांतों को अपनाना एवं खेलों के व्यवसायिक प्रबंधन का मामला भी शामिल है)

(दो) प्रबंधन/निर्णय लेने में संबंधित राष्ट्रीय खेल परिसंघों और भारतीय ओलंपिक संघ के संबंध के सहभागी खिलाड़ियों का एथलीट सलाहकार परिषद के माध्यम से शामिल करना।

(तीन) भारतीय खेल प्राधिकरण और भारत सरकार के कर्तव्य एवं जिम्मेदारियां जिन्हें स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया।

(चार) खेल विवादों के समाधान हेतु व्यवस्था तथा विवाद समाधान एवं अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना

(पांच) राष्ट्रीय खेल परिसंघों को और अधिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय खेल परिसंघों से सरकार के नियंत्रण को कम करना।

(छह) राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत लाना जिसमें कुछ एक्सक्लूजन प्रावधान भी रखे जाएं जिससे खिलाड़ियों से संबंधित व्यक्तिगत एवं गोपनीय सूचनाओं को सुरक्षित रखा जा सके।

(सात) एंटी डोपिंग प्रावधान में कुछ नये प्रावधान जोड़े गए हैं ताकि राष्ट्रीय एंटी डोपिंग एजेंसी (नाडा) द्वारा विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी (वाडा) कोड के उन प्रावधानों

को लेने को अलग रखा जा सके जिनमें अंतरराष्ट्रीय खेल परिसंघ कर्ता नहीं होता।

(आठ) कोचों, संरक्षकों और सहायक कार्मिकों को भी यह जिम्मेदारी दी गयी हैं कि वे खेलों में गैर एथिकल प्रणालियों जैसे डोपिंग एवं आयु संबंधी फ्राड से बचें।

(नौ) राष्ट्रीय खेल परिसंघ, राष्ट्रीय ओलम्पिक संघ, भारतीय खेल प्राधिकरण न केवल उपचारात्मक उपाय करते हैं जिससे खिलाड़ियों को यौन शोषण से बचाया जा सके अपितु कार्य, विश्राम, स्वास्थ्य एवं हाईजीन के संबंध में महिलाओं के लिए उचित परिस्थिति सुलभ कराई जायें, ऐसा सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रावधान किये गये है। शिकायतों के समाधान के लिए शिकायत तंत्र की स्थापना हेतु अन्य उपाय भी किये गये हैं जिसमें महिला की अध्यक्षता में समिति बनायी जाये या विशेष काउन्सलर रखा जाये साथ ही गोपनीयता के कानून का पालन किया जाये।

(ग) जी हां।

(घ) जैसा कि प्रश्न के भाग (क) और (ख) में दिए गए उत्तर के अनुसार।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

आतंकवादी धमकियां

3064. योगी आदित्यनाथ:
श्रीमती जयश्रीबेन पटेल:
श्री नरहरि महतो:
श्री नृपेन्द्र नाथ राय:
श्री रामकिशुन:
श्री अशोक कुमार रावत :
श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में सीमा पार से हमारी नाभिकीय परियोजनाओं, बांधों, तीर्थस्थलों, रेलवे स्टेशनों, सरकारी और निजी औद्योगिक प्रतिष्ठानों को मुम्बई आतंकवादी हमले की तीसरी बरसी पर धमकी की आशंका की समीक्षा कराई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या देश में विभिन्न आतंकी माड्यूल इन तत्वों के साथ सहयोग कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश की धरती पर मुम्बई हमले की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या ठोस कदम उठाये गए/उठाये जाने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) से (ङ) प्राप्त हुई सूचनाओं के आधार पर खतरे का आकलन करना एक सतत् प्रक्रिया है। जब कभी भी खतरों के बारे में विशिष्ट सूचना प्राप्त होती है, तब उसका तत्काल आदान–प्रदान संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों/विभागों और अन्य एजेंसियों के साथ किया जाता है ताकि सुरक्षा उपायों को समुचित प्रकार से सुदृढ़ किया जा सके।

सुरक्षा एजेंसियां, आवधिक रूप से महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठानों, धार्मिक स्थलों आदि की सुरक्षा–समीक्षा करती हैं तथा इस प्रकार की सुरक्षा–समीक्षाओं की रिपोर्टों में की गई सिफारिशें, कमियों को दूर करने तथा सुरक्षा मजबूत करने के उद्देश्य से समुचित कार्रवाई हेतु संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों/विभागों और एजेंसियों को भेजी जाती हैं।

सरकार ने 26/11 के मुम्बई हमले जैसे हमलों को विफल करने के उद्देश्य से तटीय सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इन कदमों में, शृंखलाबद्ध तटीय राडारों का लगाया जाना, मछुआरों को बायोमैट्रिक कार्ड जारी किया जाना, नावों में ट्रांसपोंडरों को लगाया जाना तथा नावों के पंजीकरण में समान पैटर्न को अधिकारिक रूप प्रदान दिया जाना शामिल हैं। भारतीय तट रक्षक प्रत्येक तटीय राज्य के लिए 'सागर कवच' अभ्यास आयोजित कर रहे हैं तथा महाराष्ट्र और कुछ अन्य स्थानों पर 'सागर सुरक्षा दल' बनाए गए हैं।

[अनुवाद]

मानव बलि की घटनाएं

3065. श्रीमती मेनका गांधी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सूचित मानव बलि की घटनाओं की राज्य–वार संख्या क्या है;

(ख) इस अवधि में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या कितनी है और उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही का राज्य–वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे जघन्य अपराध को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एन सी आर बी) के अनुसार, मानव बलि की घटनाओं के संबंध में कोई विशिष्ट जानकारी नहीं रखी जाती है। तथापि, वर्ष 2008–09 के दौरान जादू–टोना की वजह से हत्या की घटनाओं से संबंधित आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) "पुलिस" और "लोक व्यवस्था" भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार राज्य के विषय हैं, इसलिए राज्य सरकारें प्राथमिक रूप से अपराध की रोकथाम करने, पता लगाने, उनका पंजीकरण तथा जांच–पड़ताल करने तथा अपनी विधि प्रवर्तन एजेंसियों के माध्यम से अपराधियों पर अभियोजन चलाने के साथ–साथ नागरिकों की जान–माल का संरक्षण करने के लिए उत्तरदायी हैं। तथापि, संघ सरकार, अपराध की रोकथाम के मामलों को अत्यधिक महत्व देती है और इसलिए, यह राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से दाण्डिक न्याय प्रणाली के प्रशासन में सुधार लाने पर अधिक ध्यान देने और अपराध की रोकथाम तथा नियंत्रण के लिए यथावश्यक उपाय करने का अनुरोध करती रहती है। अपराध की रोकथाम, पंजीकरण, जांच–पड़ताल तथा अभियोजन के संबंध में दिनांक 16 जुलाई, 2010 को एक परामर्शी–पत्र जारी किया गया है।

विवरण

वर्ष 2008–2010 के दौरान जादू–टोना की वजह से हत्या के शिकार हुए व्यक्ति

क्र. सं.	राज्य	2008	2009	2010
1	2	3	4	5
1	आन्ध्र प्रदेश	23	27	26
2	अरूणाचल प्रदेश	0	0	0
3	असम	0	0	0
4	बिहार	0	2	2
5	छत्तीसगढ़	15	6	8
6	गोवा	0	0	0
7	गुजरात	0	4	5
8	हरियाणा	25	30	57
9	हिमाचल प्रदेश	0	0	0
10	जम्मू और कश्मीर	0	0	0
11	झारखंड	52	37	15
12	कर्नाटक	1	1	1
13	केरल	0	0	0
14	मध्य प्रदेश	17	17	18
15	महाराष्ट्र	11	11	11
16	मणिपुर	0	0	0
17	मेघालय	3	1	2
18	मिजोरम	0	0	0
19	नागालैंड	0	0	0
20	ओडिशा	23	28	31
21	पंजाब	0	0	0
22	राजस्थान	0	0	2
23	सिक्किम	0	0	0
24	तमिलनाडु	0	3	0
25	त्रिपुरा	0	1	0
26	उत्तर प्रदेश	1	0	0
27	उत्तराखंड	0	0	0

1	2	3	4	5
28	पश्चिम बंगाल	4	0	0
	कुल राज्य	175	174	178
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0
30	चंडीगढ़	0	0	0
31	दादरा और नगर हवेली	0	1	0
32	दमण और द्वीव	0	0	0
33	दिल्ली संघ शासित क्षेत्र	0	0	0
34	लक्षद्वीप	0	0	0
35	पुडुचेरी	0	0	0
	कुल संघ शासित क्षेत्र	0	1	0
	कुल अखिल भारत	175	175	178

स्रोत : क्राइम इन इण्डिया

भारतीय दंड संहिता में संशोधन

3066. प्रो. रंजन प्रसाद यादव : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय दंड संहिता, आपराधिक दंड संहिता और साक्ष्य अधिनियम में संशोधन करने और भारतीय दंड संहिता की धारा 309 का निरसन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): *(क) और (ख) भारत के विधि आयोग ने, आत्महत्या के प्रयास के मानवीकरण तथा उसे अपराध घोषित न किए जाने से संबंधित अपनी-210वीं रिपोर्ट में, भारतीय दंड संहिता की धारा* 309 को हटाने की सिफारिश की है। तथापि, गृह मंत्रालय की विभाग से संबद्ध संसदीय स्थायी समिति की इस सिफारिश कि एक-एक करके संशोधन किए जाने के बजाए दांडिक कानून की व्यापक समीक्षा की जाए, पर विधि एवं कानून मंत्रालय से यह अनुरोध किया था कि वे दांडिक कानून की ममीक्षा करने तथा उसके सभी पहलुओं पर एक व्यापक रिपोर्ट देने के संबंध में भारत के विधि आयोग से अनुरोध करें जिससे कि विभिन्न कानूनों में व्यापक संशोधन किए जा सकें। इसके लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

[हिन्दी]

सूखा

3067. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:
श्रीमती कमला देवी पटले:
क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार झारखण्ड और अन्य राज्यों सहित देश के सूखा प्रभावित राज्यों में विशेष सहायता योजनाएं/परियोजनायें आरंभ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और विभिन्न योजनाओं तथा कार्यक्रमों के लिए पिछले वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार आबंटित वार्षिक राशि कितनी हैं;

(ग) क्या सूखा प्रभावित राज्यों में कोई रोजगार योजना लागू किए जाने की भी संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत) : (क) और (ख) योजना आयोग ने सूचित किया है कि झारखण्ड और अन्य राज्यों सहित देश के सूखा प्रभावित राज्यों में विशेष सहायता स्कीम/परियोजनाएं प्रारंभ करने के लिए वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) और (घ) ग्रामीण विकास मंत्रालय महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) कार्यान्वित कर रहा है, जिसके अंतर्गत मांग करने पर प्रति परिवार एक व्यक्ति को 100 दिनों का रोजगार दिया जाता है।

नवयुग विद्यालयों में वित्तीय अनियमितताएं

3068. श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो:
श्री रामकिशुन:
श्री कौशलेन्द्र कुमार:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नवयुग विद्यालयों और 'नवयुग स्कूल एजुकेशन सोसाइटी', जो नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के क्षेत्राधिकार में हैं, में वित्तीय अनियमितताओं का पता लगाने के लिए कोई जांच समिति गठित की है/करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) और (ख) जी, नहीं। ऐसी कोई जांच समिति गठित नहीं की गई है अथवा गठित करने का प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

मोनो रेल

3069. श्री संजय दिना पाटील :
डॉ. संजीव गणेश नाईक :
श्री उदयनराजे भोंसले :
श्रीमती सुप्रिया सुले :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई को मुंबई महानगर क्षेत्र में स्थित थाणे, भिवंडी, कल्याण को मोनो रेल से जोड़ने के लिए केन्द्रीय सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक कितनी सहायता प्रदान की गई है; और

(घ) इन स्थानों को जोड़ने वाली मोनो रेल कब तक चालू हो जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय) : (क) जी नहीं। महाराष्ट्र सरकार ने मोनो रेल परियोजना के लिए किसी केन्द्रीय सहायता की मांग नहीं की है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

गेहूं उत्पादन

3070. श्री राकेश पाण्डेय : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू फसल वर्ष के दौरान देश में गेहूं की बुवाई और उत्पादन के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत) : (क) जी, हां। देश में गेहूं का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए वर्ष 2011-12 के लिए गेहूं फसल का 840 लाख टन का उत्पादन लक्ष्य संलग्न तय किया गया है।

(ख) उत्तर प्रदेश सहित वर्ष 2011-12 के लिए गेहूं फसल का राज्य-वार उत्पादन लक्ष्य विवरण में दिया गया है।

(ग) उत्तर प्रदेश सहित देश में गेहूं फसल के उक्त लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वृहत कृषि प्रबंधन और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर के वी वाई) के अंतर्गत गेहूं के लिए विभिन्न फसल विकास स्कीमें/कार्यक्रम जैसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन एफ एस एम-गेहूं), एकीकृत अनाज विकास कार्यक्रम गेहूं फसल का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

विवरण

वर्ष 2011-12 के लिए गेहूं फसल के राज्य-वार उत्पादन लक्ष्य

लाख मीटरी टन में

फसल	गेहूं
1	2
राज्य का नाम	
आंध्र प्रदेश	0.05

1	2
असम	0.60
बिहार	54.00
छत्तीसगढ़	1.00
गुजरात	30.00
हरियाणा	110.00
हिमाचल प्रदेश	6.00
जम्मू और कश्मीर	4.50
झारखण्ड	1.50
कर्नाटक	2.70
मध्य प्रदेश	74.00
महाराष्ट्र	22.00
पंजाब	162.00
राजस्थान	65.50
उत्तर प्रदेश	290.00
उत्तराखंड	8.00
पश्चिम बंगाल	8.00
अन्य	0.15
अखिल भारत	840.00

[अनुवाद]

एनएसएपी के अंतर्गत दमन और दीव को निधियां

3071. श्री लालूभाई बाबूभाई पटेल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के अंतर्गत संघ राज्यक्षेत्र दमन और दीव को निधियां जारी की हैं; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्ष और चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक वर्ष का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) भारत सरकार, गृह मंत्रालय तथा योजना आयोग, नई दिल्ली ने दमण एवं दीव संघ राज्य क्षेत्र की अनुदान मांगों के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र की योजनाओं (वार्षिक योजना) में केन्द्रीय सहायता (विशेष कार्यक्रम) के तौर पर राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन एस ए पी) के तहत दमण एवं दीव (संघ राज्य क्षेत्र) को निधियां मुहैया कराई हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षो तथा वर्तमान वर्ष 2011-12 के दौरान राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन एस ए पी) के अंतर्गत जारी की गई निधियों का ब्यौरा निम्नानुसार है :-

वर्ष	धनराशि
2008-09	0.13 करोड़
2009-10	0.20 करोड़
2010-11	0.17 करोड़
2011-12	0.32 करोड़
कुल	0.82 करोड़

[हिन्दी]

डीएमआरसी द्वारा भूमि अधिग्रहण

3072. श्रीमती सीमा उपाध्याय : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन (डीएमआरसी) को अधिग्रहीत भूमि का मेट्रो रेल के अलावा अन्य कार्यो के लिए प्रयोग करने का अधिकार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या डीएमआरसी ने दिल्ली विश्वविद्यालय के उत्तरी परिसर के निकट रक्षा मंत्रालय से लोक निर्माण के लिए भूमि प्राप्त की थी लेकिन अब उसे एक निजी भवन निर्माता को बेच दिया है,

(घ) क्या अब इस भूमि पर एक बहुमंजिली इमारत का निर्माण किया जा रहा है जिससे आस-पास की विरासत इमारतों को खतरा है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय) : (क) और (ख) दिल्ली मैट्रो रेलवे (संचालन और अनुरक्षण अधिनियम, 2002 और शहरी विकास मंत्रालय के दिनांक 30.3.2009 के आदेश सं0 के-14011/8/2000 एम.आर.टी.एस. द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार दिल्ली मैट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड (डी.एम.आर.सी.) को परियोजना के लिए अधिग्रहित भूमि के संपत्ति विकास हेतु उपयोग का भी अधिकार है।

(ग) जी नहीं। डी.एम.आर.सी. द्वारा भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के तहत विश्वविद्यालय मैट्रो स्टेशन हेतु प्राइवेट पार्टी से तीन हैक्टेयर भूमि अधिग्रहित की गई थी। इसमें से दो हैक्टेयर डी.एम.आर.सी. द्वारा रिहायशी विकास हेतु मैसर्स यंग बिल्डर्स को लीज पर दी गई है।

(घ) और (ङ) डी.एम.आर.सी. ने सूचित किया है कि डेवल्पर से दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए.) और अन्य सिविक प्राधिकरणों के अनुमोदन के अनुसार विकास की योजना बनाने तथा निर्माण से सांस्कृतिक बिल्डिंग को किसी प्रकार का खतरा न हो, सुनिश्चित करने को कहा है। डी.डी.ए. ने पहले ही अनुमति दे दी है।

[अनुवाद]

अनार की कृषि

3073. श्री शिवराम गौडा : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में उत्पादित अनार की कुल मात्रा कितनी है;

(ख) क्या कर्नाटक सहित देश के अनार उत्पादकों को अत्यधिक हानि हुई है क्योंकि मौसम के उतार/चढ़ाव के कारण फसल बर्बाद हो गई;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कर्नाटक सहित देश में प्रभावित उत्पादकों की संख्या कितनी है; और

(घ) अनार की कृषि के लिए इन उत्पादकों को सरकार द्वारा कितनी वित्तीय और अन्य सहायता प्रदान की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत) : (क) विगत तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान देश में अनार के उत्पादन की कुल मात्रा निम्नलिखित है :-

वर्ष	उत्पादन (हजार मीट्रिक टन)
2007-08	884
2008-09	807
2009-10	820
2010-11 (अनन्तिम)	850

(ख) और (ग) वर्ष 2010 के दौरान महाराष्ट्र राज्य को छोड़कर जहां भारी वर्षा के कारण 21134 उत्पादकों की 14648 हैक्टेयर क्षेत्र की अनार की फसल प्रभावित हुई थी, प्रकृति के प्रकोप से फसल असफल होने के कारण कर्नाटक सहित देश में अनार उत्पादकों के मुसीबत में होने की कोई रिपोर्ट नहीं है। तथापि, कर्नाटक तथा महाराष्ट्र राज्य में जीवाणुजन्य ब्लाइट रोग से अनार की फसल प्रभावित हुई है। बी.बी.डी. से प्रभावित किसानों की कुल संख्या कर्नाटक में 7800 तथा महाराष्ट्र में 57654 है।

(घ) अनार की खेती के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत किसानों को 40,000 रु. प्रति हैक्टेयर खेती की लागत के 75% की दर पर सब्सीडी दी जाती हैं बी. बी. डी. पर नियंत्रण करने के लिये कर्नाटक तथा महाराष्ट्र राज्यों को वर्ष 2007–08 के दौरान एनएचएम के तहत उन्नत प्रबंध प्रणाली पैकेज मंजूर की गई थी। इस पैकेज को 50,000 रुपये प्रति हैक्टेयर की दर पर अनुमानित किया गया था जिसमें 50% सहायता एन.एच.एम. के तहत, 25% राज्य सरकार द्वारा तथा शेष 25% किसानों द्वारा वहन किया गया था।

[हिन्दी]

शुष्क भूमि कृषि

3074. श्री सुरेश काशीनाथ तवारे : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्ष और चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक वर्ष केन्द्र सरकार द्वारा शुष्क भूमि कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए देश के विभिन्न राज्यों को आबंटित और स्वीकृत राशि का राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इस अवधि के दौरान देश में शुष्क भूमि कृषि के अंतर्गत राज्य–वार कुल कितना क्षेत्र शामिल किया गया है;

(ग) शुष्क भूमि कृषि के लिए किसानों को क्या प्रोत्साहन दिया गया है; और

(घ) इस संबंध में किस सीमा तक सफलता प्राप्त हुई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत) : (क) और (ख) कृषि मंत्रालय तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा समेकित पनधारा प्रबंधन दृष्टिकोण के माध्यम से वर्षा सिंचित/शुष्क भूमि खेती के संवर्धन के लिए विभिन्न पनधारा कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों का विवरण इस प्रकार है :

कृषि मंत्रालय

1. वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना (एनडब्ल्यूडीपीआरए)
2. नदी घाटी परियोजना तथा बाढ़ प्रवण नदी के आवाह क्षेत्रों में मृदा संरक्षण (आरवीपी तथा एफ पी आर)
3. परिवर्ती खेती क्षेत्रों में पनधारा विकास परियोजना (डब्ल्यूडी–पीएससीए)

ग्रामीण विकास मंत्रालय

समेकित पनधारा प्रबंधन कार्यक्रम (ईडब्ल्यूएमपी): सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी), सूखा विकास कार्यक्रम (डीडीपी) तथा समेकित पनधारा विकास कार्यक्रम (आई डब्ल्यू डी पी) की स्कीमों का एकीकरण तथा आशोधन।

पिछले तीन वर्षों (2008–09 से 2010–11) के दौरान विभिन्न पनधारा कार्यक्रमों के अंतर्गत राज्यवार आबंटन/व्यय तथा 2011–12 के लिए आबंटन का ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया गया है। इस अवधि के दौरान क्षेत्र व्यक्ति का ब्यौरा विवरण–II में दिए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर के वी वाई), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम), राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन (एनएमएमआई), राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम) जैसे कार्यक्रमों ने भी आजीविका सुरक्षा तथा कृषि उत्पादकता में सुधार लाने के लिए वर्षा सिंचित क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया है। शुष्क भूमि पर अखिल भारत कृषि समन्वित अनुसंधान परियोजना (एआईसीआरपीडीए) के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) द्वारा शुष्क भूमि कृषि पर अनुसंधान परियोजनाएं भी कार्यान्वित की जा रही हैं।

(ग) और (घ) पनधारा कार्यक्रमों में, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन गतिविधियों के लिए किसानों को सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, किसानों को अन्य कृषि विकास कार्यक्रमों में, विभिन्न कृषि आदानों/प्रचालनों के लिए सब्सिडी के रूप में सहायता प्रदान की जाती है। वर्षा सिंचित/निम्नीकृत क्षेत्रों में उत्पादन तथा उत्पादकता बढ़ाने में पनधारा कार्यक्रमों की सहायता की गई है।

विवरण–I

पनधारा कार्यक्रमों के अंतर्गत निधियों की स्थिति का विकास

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	विगत तीन वर्षों के दौरान निर्मुक्ति (2008–09 से 2010–11)							लक्ष्य (2011–12)			
		एनडब्ल्यूडीपी आरए**	आरवीपी एण्ड एफपीआर**	डब्ल्यूडीपी एससीए	डीपीएपी	डीडीपी	आईडब्ल्यू डीपी	आईडब्ल्यू एमपी	एनडब्ल्यू डीपीआरए	आरवीपीएण्ड एफपीआर	डब्ल्यू डीपीएससीए	आईडब्ल्यूएमपी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आंध्र प्रदेश	7.21	20.52		137.52	61.13	90.98	150.49	2.00	13.04	0.00	160.94
2.	अरुणाचल प्रदेश	29.89	8.77	6.00	0.00	0.00	85.74	25.53	7.00	4.97	3.50	3.86
3.	असम	3.00	3.76	20.50	0.00	0.00	73.81	73.36	0.00	1.72	8.50	0.00
4.	बिहार	5.62	1.48		0.00	0.00	13.03	0.74	5.00	1.00	0.00	0.00
5.	झारखण्ड	28.09	13.24		2.90	0.00	12.78	31.74	9.02	2.02	0.00	6.48
6.	गोवा	3.45	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	34.21	55.06		109.29	217.39	71.30	211.96	8.00	8.00	0.00	157.71
8.	हरियाणा	6.81	12.91		0.00	62.54	13.70	0.85	3.94	4.50	0.00	11.63
9.	हिमाचल प्रदेश	16.23	26.01		31.99	20.18	53.95	74.28	4.00	6.50	0.00	0.00
10.	जम्मू और कश्मीर	10.92	55.50		19.88	32.97	18.04	0.00	7.51	9.27	0.00	0.00
11.	कर्नाटक	47.49	44.46		152.21	120.91	98.96	151.97	11.26	11.25	0.00	127.41
12.	केरल	10.16	5.21		0.00	0.00	21.64	11.01	2.68	1.18	0.00	9.85
13.	मध्य प्रदेश	72.81	82.30		142.01	0.00	101.75	156.72	16.00	15.79	0.00	23.70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14.	छत्तीसगढ़	26.94	7.67		60.06	0.00	52.68	64.07	7.44	1.70	0.00	0.00
15.	महाराष्ट्र	59.86	92.04		224.75	0.00	104.59	275.91	18.52	4.50	0.00	314.17
16.	मणिपुर	19.13	13.84	23.00	0.00	0.00	37.58	11.27	5.17	3.44	9.00	13.79
17.	मिजोरम	50.91	15.53	17.00	0.00	0.00	91.21	22.20	5.40	1.20	6.00	5.84
18.	मेघालय	27.19	2.16	16.50	0.00	0.00	51.17	12.31	13.70	0.00	6.00	12.87
19.	नागालैंड	33.10	10.36	23.70	0.00	0.00	35.46	36.58	7.80	2.60	11.50	22.66
20.	ओडिसा	42.04	10.00		95.87	0.00	86.28	95.24	9.36	1.41	0.00	77.53
21.	पंजाब	11.18	1.34		0.00	0.00	8.59	5.74	0.00	0.00	0.00	5.34
22.	राजस्थान	34.21	110.46		58.74	436.29	75.71	327.39	13.00	27.99	0.00	318.34
23.	सिक्किम	15.10	6.18		0.00	0.00	12.89	5.05	0.86	1.76	0.00	0.00
24.	तमिलनाडु	20.14	42.33		66.15	0.00	59.43	76.33	12.35	12.42	0.00	17.57
25.	त्रिपुरा	21.83	2.96	10.50	0.00	0.00	1.97	10.61	6.95	0.75	5.50	8.12
26.	उत्तर प्रदेश	147.12	74.91		77.35	0.00	125.41	156.42	33.93	20.10	0.00	129.83
27.	उत्तराखंड	39.80	11.73		26.19	0.00	47.88	15.97	10.65	3.50	0.00	0.00
28.	पश्चिम बंगाल	21.34	11.32		6.57	0.00	16.12	0.00	13.47	8.44	0.00	0.00
	कुल	845.80	742.06	117.20	1211.48	951.41	1462.65	2003.74	235.45	169.06	50.00	1427.64

**व्यय *अब तक निर्मुक्त

स्रोत : कृषि एवं सहकारिता विभाग और भू-संसाधन विभाग

विवरण-II

पनधारा कार्यक्रम के अंतर्गत 2008-09 से 2010-11 के दौरान विकसित/शासित क्षेत्र

क्षेत्र लाख हैक्टे. में

क्रम सं.	राज्य	एनडब्ल्यूडीपीआरए	आरवीपीएण्डएफपीआर	डब्ल्यूडीपीएससीए	आईडब्ल्यूएमपी
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	0.11	0.16	0	12.14
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.32	0.06	0.05	1.59
3.	असम	0.06	0.06	0.19	5.81
4.	बिहार	0.05	0.01	0	0
5.	झारखण्ड	0.23	0.14	0	2.15
6.	गोवा	0.03	0	0	0
7.	गुजरात	0.27	0.49	0	14.22
8.	हरियाणा	0.08	0.1	0	0
9.	हिमाचल प्रदेश	0.13	0.16	0	4.42
10.	जम्मू-कश्मीर	0.18	0.51	0	0
11.	कर्नाटक	0.53	0.84	0	10.39
12.	केरल	0.12	0.05	0	1.42
13.	मध्य प्रदेश	0.68	0.95	0	12.19
14.	छत्तीसगढ़	0.28	0.12	0	4.93
15.	महाराष्ट्र	0.5	1.15	0	26.1
16.	मणिपुर	0.16	0.12	0.26	1.28
17.	मिजोरम	0.51	0.12	0.15	1.28
18.	मेघालय	0.23	0.04	0.16	0.82
19.	नागालैंड	0.33	0.05	0.23	1.89
20.	ओडिसा	0.36	0.13	0	6.86

1	2	3	4	5	6
21.	पंजाब	0.09	0.01	0	0.88
22.	राजस्थान	0.24	1.13	0	21.83
23.	सिक्किम	0.13	0.03	0	0.29
24.	तमिलनाडु	0.34	0.36	0	5.71
25.	त्रिपुरा	0.19	0.01	0.09	0.6
26.	उत्तर प्रदेश	1.53	0.77	-	12.47
27.	उत्तराखंड	0.45	0.11	0	2.07
28.	पश्चिम बंगाल	0.19	0.07	0	0
	कुल	8.32	7.35	1.13	151.34

टिप्पणी : इस अवधि के दौरान डीडीपी, डीपीएपी तथा आईडब्ल्यूडीपी के लिए कोई नई परियोजनाएं स्वीकृत नहीं की गई है।

स्रोत : कृषि एवं सहकारिता विभाग तथा भूमि विभाग

कृषि ज्ञान का प्रसार

3075. **श्री प्रदीप कुमार सिंह :**
श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे:
श्री कादिर राणा:
श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:
श्री के.सी. सिंह 'बाबा':
श्री बी.वाई. राघवेन्द्र:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में स्थापित/प्रस्तावित कृषि विश्वविद्यालयों और केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालयों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश में किसानों में कृषि क्षेत्र की नवोन्मेषी प्रणालियों, वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास को प्रचारित करने की दृष्टि से कृषि ज्ञान प्रसार के लिए सरकार के पास पर्याप्त अवसंरचना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो किसानों को प्रासंगिक और नवीनतम जानकारी देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(ङ) देश में कृषि उत्पादकों को वहनीय दरों पर प्रदान की जा रही कृषि प्रौद्योगिकियों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत) : (क) राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, मानद विश्वविद्यालयों एवं कृषि संकाय सहित केन्द्रीय विश्वविद्यालय की सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है। झांसी के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में एक केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय (सीएयू) की स्थापना को अनुमोदित कर दिया गया है।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ) "विस्तार सुधारों के लिए राज्य विस्तार कार्यक्रम को सहायता" नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना, जो कृषि प्रौद्योगिकी प्रबन्ध एजेन्सी (एटीएमए) योजना के रूप में लोकप्रिय है वह देश के 28 राज्यों के 604 जिलों तथा 3 संघ शासित क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही है जिसका उद्देश्य विस्तार प्रणाली के पुनरुद्धार एवं किसानों को प्रशिक्षण, प्रदर्शनों, अनुभव प्राप्त करने हेतु, दौरों, किसान मेलों किसान समूहों की सक्रियता तथा फार्म स्कूलों की स्थापना जैसी विस्तार गतिविधियों के जरिए विभिन्न कृषि जलवायु दशाओं में अद्यतन कृषि तथा संबद्ध प्रौद्योगिकियों को उपलब्ध कराकर राज्य सरकार के प्रयत्नों को प्रोत्साहन देना है। इसके अलावा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सभी संस्थानों तथा कृषि विश्वविद्यालयों में विस्तार/प्रौद्योगिकी हस्तांतरण प्रभाग हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान

परिषद ने देश में 600 कृषि विज्ञान केन्द्रों के नेटवर्क की भी स्थापना की है जो कृषि प्रौद्योगिकियों के मूल्यांकन, परिष्करण एवं प्रदर्शन, किसानों को प्रशिक्षण देने तथा विस्तार कार्यक्रमों के जरिए अद्यतन कृषि प्रौद्योगिकियों पर उन्हें जागरूक करते हैं।

(ङ) वर्ष 2010–11 के दौरान देश के विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में खेती के लिए चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा तथा दलहनों की प्रमुख फसलों सहित फसलों की 52 किस्में/संकर किस्में जारी की गईं। वर्ष के दौरान 629 टन न्यूक्लियस बीज, 9554 टन प्रजनक बीज, 7745 टन मूल बीज, 3471 टन प्रमाणित बीज तथा 10443 टन ट्रूथफुल बीज का उत्पादन किया गया तथा उत्पादकों को उपलब्ध कराया गया। आनुवांशिक रूप से उत्कृष्ट मुर्रा नर सांडों की कुल 81,560 वीर्य की खुराक उन किसानों में वितरित की गई जो भैंस के विकास कार्यक्रम में शामिल थे। बागवानी फसलों की 80 किस्में (फल–9, रोपण फसलें–9, मसाले तथा बीज मसाला–22, सब्जियां–20, कंदवर्गीय फसलें–17, शोभाकारी फसलें–07); 07 नैदानिक किट; 9 प्रसंस्कृत प्रौद्योगिकियां; 8 गुणवर्धित उत्पादों का कृषि उत्पादकों के लिए विकास किया गया। एक विद्युत चालित वायवीय नियन्त्रित बड चिपिंग मशीन का विकास किया गया जिसकी चिपिंग क्षमता पैर से चालित मशीन की तुलना में दोगुनी है। एक आठ पंक्ति वाला विद्युत चालित चावल रोपक यंत्र विकसित किया गया। भारत के 21 राज्यों में किसानों के लाभ के लिए 500 जिलों के लिए जीआईएस आधारित मृदा उर्वरता मानचित्र तैयार किए गए। किसानों को कुछ अन्य प्रौद्योगिकियां वर्षों के दौरान मुहैया करायी गई जो संलग्न विवरण–II में दी गई है।

विवरण–I

राज्य वार विश्वविद्यालय

क्र.सं.		विश्वविद्यालयों के नाम
1		2
असम		
1	1.	असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहट 785013, असम
आंध्र प्रदेश		
2	1.	आचार्य एनजी रंगा कृषि विश्वविद्यालय, राजेंद्रनगर, हैदराबाद 500030, आ.प्र.
3	2.	डॉ. वाईएसआर बागवानी विश्वविद्यालय, डीसीसी बैंक बिल्डिंग, पो.बा. 7, टडेपल्लीगुडेम,–534101, पश्चिम गोदावरी जिला. आंध्र प्रदेश।
4	3.	श्री वेंकटेश्वर पशुचिकित्सा विश्वविद्यालय, तिरुपति, चित्तूर 517502, आ. प्र.
बिहार		
5	1.	बिहार कृषि विश्वविद्यालय, साबौर, बिहार
6	2.	राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर 848125, बिहार
छत्तीसगढ़		
7	1.	इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, कृषक नगर, रायपुर 492006, छत्तीसगढ़
दिल्ली		
8	1.	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा 110012, नई दिल्ली (मानद विश्वविद्यालय)
गुजरात		
9	1.	आनंद कृषि विश्वविद्यालय, आनंद 338110, गुजरात
10	2.	जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय, मोती बाग, कृषि, कैम्पस, जूनागढ़ 362001 गुजरात
11	3.	नवसारी कृषि विश्वविद्यालय, विजलपौर, नवसारी 396450, गुजरात
12	4.	सरदार दंतीवाडा कृषि विश्वविद्यालय, सरदार कुशीनगर दंतीवाडा, बनासकांठा 385506, गुजरात
हरियाणा		
13	1.	चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार 125004, हरियाणा
14	2.	लाला लाजपतराय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, हिसार, हरियाणा

1		2
15	3.	राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, करनाल–132001, हरियाणा (मानद विश्वविद्यालय)
हिमाचल प्रदेश		
16	1.	चौधरी सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर, कांगड़ा 176062, हिमाचल प्रदेश
17	2.	डॉ. यशवंत सिंह परमार बागवानी एवं वानिकी, विश्वविद्यालय, सोलन, नौनी–173230, हिमाचल प्रदेश
जम्मू–कश्मीर		
18	1.	शेर–ए–कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विश्वविद्यालय, रेलवे रोड, जम्मू–180012 (जम्मू और कश्मीर)
19	2.	शेर–ए–कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विश्वविद्यालय शालीमार, श्रीनगर 191121 (जम्मू और कश्मीर)
झारखंड		
20	1.	बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, कांके, रांची–834006, झारखंड
कर्नाटक		
21	1.	कर्नाटक पशु चिकित्सा और मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पो.आ. 6 नंदीनगर, बीदर 585401, कर्नाटक
22	2.	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़–580005, कर्नाटक
23	3.	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलोर 5600065, कर्नाटक
24	4.	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, रायचूर 584102, कर्नाटक
25	5.	बागवानी विज्ञान विश्वविद्यालय, नवानगर, बागलकोट 587101, कर्नाटक
केरल		
26	1.	केरल कृषि विश्वविद्यालय, पो.आ. वेल्लानिकारा, त्रिशूर 680656, केरल

1		2
27	2.	केरल पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, डेरी निदेशालय, पट्टोम, तिरुवनंतपुरम, केरल
28	3.	केरल मत्स्य पालन और महासागर स्टडीज विश्वविद्यालय, पपनगढ़, कोच्चि–682506, केरल
मध्य प्रदेश		
29	1.	जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, कृषि नगर, जबलपुर–482004, म०प्र०
30	2.	मध्य प्रदेश पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, सिविल लाइंस, जबलपुर 482001
31	3.	राजमाता वीआरएस कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर 474002, मध्य प्रदेश
महाराष्ट्र		
32	1.	डॉ. बालासाहेब सावंत कोंकण कृषि विद्यापीठ, डपोली, रत्नागिरि 415712, महाराष्ट्र
33	2.	डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, कृषि नगर, अकोला 444104, महाराष्ट्र
34	3.	महाराष्ट्र पशु विज्ञान एवं मत्स्य विश्वविद्यालय, नागपुर, महाराष्ट्र
35	4.	महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी 413722, महाराष्ट्र
36	5.	मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय, परभणी–431402, महाराष्ट्र
37	6.	केन्द्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान, मुंबई 400061, महाराष्ट्र (मानद विश्वविद्यालय)
मणिपुर		
38	1.	केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल 795004, मणिपुर
नागालैंड		
39	1.	नागालैंड विश्वविद्यालय, कृषि कालेज मेदजीफेमा, नागालैंड
ओडिसा		
40	1.	उड़ीसा कृषि एवं प्रौद्योगिकी, विश्वविद्यालय, श्रीपुर, भुवनेश्वर 751003, ओड़िशा

1		2
पंजाब		
41	1.	गुरु अंगद देव पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, लुधियाना 141004, पंजाब
42	2.	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना–141004, पंजाब
राजस्थान		
43	1.	महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी, विश्वविद्यालय, उदयपुर 313001, राजस्थान
44	2.	स्वामी केशवानन्द, राजस्थान कृषि विश्व–विद्यालय, बीकानेर, राजस्थान 334006
45	3.	राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, विजय भवन पैलेस परिसर, दीनदयाल सर्किल, के नजदीक बीकानेर 334006 (राज.)
तमिलनाडु		
46	1.	तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर 641003, तमिलनाडु
47	2.	तमिलनाडु पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, माधवराम, मिल्क कालोनी, चेन्नई 600051, तमिलनाडु
उत्तर प्रदेश		
48	1.	चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर 208002
49	2.	मान्यवर श्री कांशीराम जी कृषि, और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,बांदा (उत्तर प्रदेश)
50	3.	उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्व विद्यालय एवं गौ अनुसन्धान संस्थान मथुरा–281001, उत्तर प्रदेश
51	4.	नरेंद्र देव कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद 224229, उत्तर प्रदेश
52	5.	सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मोदीपुर, मेरठ–250110, उत्तर प्रदेश
53	6.	सैम हिग्गिन बोटम, कृषि प्रौद्योगिकी और विज्ञान संस्थान (एसएचआईएटीएस) पूर्व इलाहाबाद कृषि संस्थान, इलाहाबाद 211007, उत्तर प्रदेश (मानद विश्वविद्यालय)
54	7.	भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर, बरेली–243122, उत्तर प्रदेश (मानद विश्वविद्यालय)
55	8.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ 202002 उत्तर प्रदेश
56	9.	बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, 221005 वाराणसी उत्तर प्रदेश
उत्तरांचल		
57	1.	गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर, उधमसिंह नगर 263145, उत्तराखंड
58	2.	उत्तराखंड बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, भरसार, पौड़ी गढ़वाल
पश्चिम बंगाल		
59	1.	बिधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय, पी.ओ. कृषि विश्वविद्यालय, मोहनपुर, नाडिया–741252, पश्चिम बंगाल
60	2.	उत्तर बंगा कृषि विश्वविद्यालय, पी.ओ. पुन्डीबाड़ी, जिला, कूच बिहार 736165, पश्चिम बंगाल
61	3.	पश्चिम बंगाल के पशु एवं मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय, 68 के बी सरणी, कोलकाता, 700037, पश्चिम बंगाल
62	4.	विश्व भारती, शान्ति निकेतन, 731235 बीरभूम जिला, पश्चिम बंगाल

विवरण–II

किसानों द्वारा अपनाई गई कुछ लोकप्रिय प्रौद्योगिकियों की सूची

1. संकर चावल की खेती के लिए कृषि क्रियाएं
2. संकर चावल बीज के उत्पादन के लिए कृषि क्रियाएं

3. गेहूं के लिए बीज उत्पादन प्रौद्योगिकी

4. निम्नलिखित फसलों के लिए समेकित नाशीजीव नियंत्रण प्रबन्धन

(क) कपास

(ख) चावल

(ग) चना

(घ) अरहर

(ङ) बन्दगोभी

(च) टमाटर

(छ) बैंगन

(ज) नारियल

(झ) आम

5. आलू के लिए समेकित नाशीजीव तथा रोग प्रबंधन

6. आम के लिए समेकित रोग प्रबंधन

7. निर्यात के लिए अंगूर की खेती

8. एलोवेरा की खेती के लिए कृषि क्रियाएं

9. पटसन की खेती के लिए कृषि क्रियाएं

10. खुम्बी की खेती

11. रेत के टिब्बों का स्थिरीकरण

12. गंगा के मैदानों में क्षारीय मृदा का सुधार

13. शुष्क क्षेत्रों में सब्जी की खेती के लिए पिचर सिंचाई प्रौद्योगिकी

14. रोमन्थी के लिए यूरिया मोलेसस तरल आहार

15. श्रिम्प उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी

16. कम लागत के ग्रीन हाउस का निर्माण

17. ट्रैक्टर चालित ट्रांसप्लांटर

18. बेसल स्टेम गलन रोग अथवा सुपारी का समेकित प्रबन्ध

19. नारियल की बड गलन रोग का समाकलित प्रबन्ध

20. खट्टे ट्रिसटेजा विषाणु (सीटीवी) के लिए नैदानिक किट

21. लाइव तनु भेड़ चेचक टीका

22. लाइव तनु भैंस चेचक टीका

23. सीआईएफएएक्स–कार्प पालन में एक रोग निरोधी

24. मछली के लिए इम्यूनो–नैदानिक किट

25. सफेद धब्बे वाले सिनड्रोम विषाणु का पता लगाने वाला किट

26. सुपारी+पी.चाबा अन्तःफसल

27. सीमांत भूमियों के लिए बेर आधारित फसल प्रणालियां

28. कार्प फ्राई तथा अंगुलिक उत्पादन

29. कैट फिश का जीरा उत्पादन (क्लेरियस बैटराकस)

30. शोभाकारी मछली पालन

विशिष्ट व्यक्तियों पर हमले

3076. डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क:
श्री रमेश विश्वनाथ काट्टी:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में मंत्रियों सहित विशिष्ट व्यक्तियों पर हमले/हत्या के प्रयासों की घटनाओं की जानकारी प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सूचित कुल घटनाओं सहित तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) मंत्रियों सहित विशिष्ट व्यक्तियों को, खतरे के व्यापक आकलन के आधार पर सुरक्षा कवर प्रदान किया जाता है। खतरे

के आकलन के आधार पर विभिन्न श्रेणियों के श्रेणीबद्ध सुरक्षा कवर मुहैया कराए जाते हैं। किसी विशिष्ट व्यक्ति, मंत्रियों आदि को संभावित खतरा होने के बारे में विशिष्ट सूचना प्राप्त होने पर तत्काल उक्त सूचना का संबंधित एजेंसियों और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ आदान-प्रदान किया जाता है ताकि सुरक्षा को समुचित प्रकार से सुदृढ़ किया जा सके।

[अनुवाद]

किशोरों द्वारा अपराध

3077. **श्री वैजयंत पांडा :**

श्री नित्यानंद प्रधान :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किशोरों द्वारा किए जाने वाले अपराधों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने कतिपय परियोजनाएं आरंभ की हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनका क्या परिणाम हुआ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) और (ख) किशोरों द्वारा किए जाने वाले अपराधों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा कोई भी परियोजना आरंभ नहीं की गई है।

डीएमआरसी द्वारा कंपनियों पर प्रतिबंध

3078. **श्री नीरज शेखर :**

श्री यशवीर सिंह :

श्री अब्दुल रहमान :

श्री प्रताप सिंह बाजवा :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्ष और चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक वर्ष दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन द्वारा काली सूची में डाली गई/प्रतिबंधित की गई कंपनियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार द्वारा ऐसी कुछ कंपनियों को काली सूची से हटा दिया गया है अथवा उनसे प्रतिबंध उठा लिए गए हैं जिनके विरुद्ध जांच की गई थी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) प्रतिबंध हटाने अथवा काली सूची से उनके नाम हटाने के क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय) : (क) दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन लि. (डीएमआरसी) ने दो बड़ी दुर्घटनाओं के संबंध में निम्नलिखित कार्रवाई किए जाने की सूचना दी थी :-

(i) लक्ष्मीनगर दुर्घटना; अक्टूबर, 2008

मैसर्स एफ्कॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लि. को एक वर्ष की अवधि के लिए डीएमआरसी के किसी कार्य हेतु लिए जाने पर प्रतिबंधित किया गया है।

(ii) जमरूदपुर दुर्घटना–जुलाई, 2009

- ★ मैसर्स आर्क कंसलटेंसी सर्विसेज लि. को पांच वर्षों के लिए काली सूची में डाल दिया गया है।
- ★ मैसर्स गम्मन इंडिया लि. को डीएमआरसी में दो वर्ष की अवधि के लिए कोई नया कार्य सौंपने पर प्रतिबंध लगाया गया है।

(ख) से (घ) शहरी विकास मंत्रालय ने प्रत्येक निविदा की निविदा शर्तो के अनुसार निविदाओं पर निर्णय लेते समय दिनांक 7.6.2011 के पत्र के माध्यम से सभी मैट्रो रेल निगमों को उपर्युक्त दो दुर्घटनाओं में संलिप्त फर्मो के विरुद्ध डीएमआरसी द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में आवश्यक कार्रवाई एवं सूचनार्थ सूचित किया था। तदनन्तर, मामले की और जांच करने के पश्चात मंत्रालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि ऐसे मामलों को संबंधित कॉरपोरेट निकाय के विवेक तथा निर्णय पर छोड़ना वांछनीय होगा। मैट्रो रेल कारपोरेशनों के बोर्डो को स्वतंत्र रूप से अपना निर्णय लेने हेतु अनुमेय किया गया था तथा अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में मंत्रालय के दिनांक 7/6/2011 के पत्र को वापस ले लिया गया था।

[हिन्दी]

कृषि वस्तु व्यापार

3079. **श्री जगदीश शर्मा :**

श्री उदयनराजे भोंसले :

डॉ. अजय कुमार :
श्री जय प्रकाश अग्रवाल :
श्री भूपेन्द्र सिंह :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया' (एसोचैम) ने खाद्य मुद्रा स्फीति रोकने के लिए कृषि वस्तुओं के वायदा कारोबार में अतिशय अनुमानों पर रोक लगाने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया सहित उक्त रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है; और

(ग) कृषि-वस्तुओं के व्यापार को नियमित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) और (ख) जी हां। एसोचैम ने काली मिर्च, चना, ग्वार, ग्वार गोंद और धनिया में वायदा कारोबार में अत्यधिक सट्टेबाजी का आरोप लगाते हुए वायदा बाजार आयोग को दिनांक 7.7.2011, 22.7.2011, 27.7. 2011 और 28.7.2011 को अभ्यावेदन प्रस्तुत किए थे। विभाग में प्राप्त, एसोचैम अनुसंधान टीम की रिपोर्ट के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

2. वायदा बाजार आयोग, जो कि अग्रिम संविदा (विनियम) अधिनियम, 1952 के उपबंधों के तहत वस्तु भावी सौदा बाजारों के लिए विनियामक है, नियमित तौर पर स्पोंट और भावी मूल्यों के संचलन की निगरानी करता है और यदि आवश्यक हो तो, मूल्य रूझानों की विस्तृत जांच करके, बाजार में दखल भी करता है। किसी वस्तु में अत्यधिक मूल्य उतार-चढ़ाव को रोकने के लिए एक विनियामक उपाय के रूप में विशेष मार्जिन भी अधिरोपित किए जाते हैं। विनियामक ने 27 मई, 2011 से काली मिर्च संविदाओं पर लांग साइड पर 10% विशेष मार्जिन (5% नकद मार्जिन सहित) अधिरोपित किया। ग्वार गोंद के मामले में 28 जुलाई, 2011 को लांग साइड पर 10% का विशेष मार्जिन लगाया गया, जिसे बाद में चरणबद्ध रूप में हटा दिया गया।

3. 26 जुलाई, 2011 को ग्वार चीज पर भी लांग साइड पर 10% का विशेष मार्जिन लगाया गया। धनिया के मामले पर 25 जुलाई, 2011 को लांग साइड पर 10% का विशेष मार्जिन लगाया गया।

(ग) विनियामक, मूल्यों में छल-कपट की संभावना को नकारने के लिए वायदा बाजारों में व्यापारित सभी वस्तुओं में मूल्यों और व्यापार पोजीशनों को नियमित तौर पर निगरानी करता है और जब कभी आवश्यक हो, अत्यधिक सट्टेबाजी अथवा अलग-अलग व्यक्तियों द्वारा अथवा ग्रुप द्वारा बाजार के दुरुपयोग को रोकने के लिए, दैनिक मूल्य उतार-चढ़ाव सीमा, ओपन पोजीशनों पर सीमाएं, जो किसी ग्राहक/सदस्य द्वारा लगाई जा सकती है, क्रेताओं और/अथवा विक्रेताओं पर विशेष मार्जिन जैसे पर्याप्त विनियामक उपाय किए जाते हैं। ओपन पोजीशन पर सीमा इस तरह से निर्धारित की जाती है कि कंसर्ट (सामंजस्य) में कार्यरत कोई भी एकल व्यक्ति/प्रतिष्ठान अथवा व्यक्तियों/प्रतिष्ठानों का ग्रुप मूल्य खोज प्रक्रिया को प्रभावित करने में सक्षम न हो। उपर्युक्त के अलावा, कृषि वस्तुओं की अनिवार्य आपूर्ति वायदा बाजार को प्रत्यक्ष बाजार के समकक्ष रखने में मदद करती है।

विवरण

काली मिर्च पर एसोचैम की अनुसंधान टीम रिपोर्ट दिनांक 7 जुलाई, 2011 के पत्र के साथ संलग्न है।

1. मार्च, 2011 से काली मिर्च के मूल्य बढ़ रहे हैं और ये 22980/- रुपए से बढ़कर 30500/-रुपए हो गए हैं अर्थात् इनमें 33% की वृद्धि हुई है।

2. नेशनल कमोडिटी और डेरीवेटिव एक्सचेंज (एनसीडीई एक्स), मुंबई पर सृजित कृत्रिम भावी मांग को छोड़कर घरेलू बाजार में कोई असाधारण मांग नहीं है।

3. केवल एक अथवा दो व्यापारी होते हैं जो भारी मात्रा में स्टॉक पर नियंत्रण रखते हैं और वे मूल्यों में छल-कपट करते हैं। पिछले दो दिनों में मूल्य 1500/-रुपए तक बढ़ गए हैं।

4. फरवरी, 2011 के काली मिर्च अग्रिम संविदा 1.25% के ऋणात्मक बदला पर बंद हुए, मई, 2011 में यह -1.5% से कम थे और जून, 2011 में पूरे माह संविदा -1% के औसत ऋणात्मक बदला में व्यापार कर रहे थे, जुलाई-2011 के संविदा बराबर अथवा ऋणात्मक व्यापार कर रहे हैं। एन सी डी ई एक्स के इतिहास में काली मिर्च के अग्रिम संविदा कभी भी ऋणात्मक नहीं रहे।

5. छोटे व्यापारी, प्रसंस्कर्ता और हैजर एन सी डी ई एक्स पर अपने जोखिम को हैज करने में सक्षम नहीं है क्योंकि एक्सचेंज पीछे की तरफ अर्थात ऋणात्मक स्थिति में व्यापार कर रहा है।

6. मूल्यों की इस अत्यधिक सट्टेबाजी और छलकपट तथा ऋणात्मक बदला (कैश टू कैरी) के कारण मूल्य लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इस मूल्य वृद्धि ने उत्पादकों, प्रसंस्करणकर्ताओं और प्रत्यक्ष व्यापारियों जो प्रत्यक्ष व्यापार में लगे हुए हैं, को ही लाभान्वित नहीं किया है बल्कि केवल एक अथवा प्रमुख जमाखोरों, छल-कपटकर्ताओं सट्टेबाजों को बढ़ावा दिया है, जो वायदा बाजार में छल-कपट करने में सक्षम होते हैं।

7. हमें वायदा बाजार आयोग और एक्सचेंज को उन बड़े निवेशकों से आम पणधारियों की सुरक्षा करने के तौर-तरीके खोजने के लिए अनुरोध करना चाहिए, जो संकीर्ण वस्तु संविदाओं के दुरुपयोग में शामिल है। इस समय, ऐसी पद्धतियों को रोकने के लिए नियम और नियंत्रण पर्याप्त नहीं है, अतः यह अनावश्यक स्थिति, न तो आम पणधारी के हित में है और न हीं एक्सचेंज के हित में, क्योंकि इससे आम पणधारियों को भय लगता है।

[अनुवाद]

मूल्य वृद्धि रोकने के लिए खाद्यान्न भंडारों का सृजन

3080. **श्री रमेश विश्वनाथ काट्टी** : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में देश ने खाद्यान्नों सहित आवश्यक वस्तुओं की कमी और उनके मूल्यों में वृद्धि के संकट का सामना किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने भविष्य में ऐसे संकट का सामना करने और मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए राज्यों से अधिशेष भंडार सृजित करने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) जी नहीं। चावल और गेहूं जैसे मुख्य खाद्यान्नों की कोई कमी नहीं है। चावल और गेहूं के मूल्य अधिकांशतः स्थिर हैं। भारत, दालों के मामले में अपनी आवश्यकता का 15% और खाद्य तेलों के मामले में अपनी आवश्यकता का 50% से अधिक का आयात करता है, दालों और खाद्य तेलों के मूल्य, अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में अस्थिरता के कारण प्रभावित होते हैं।

(ख) सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा संलग्न विवरण पर दिया गया है।

(ग) और (घ) संघ सरकार ने, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को राज्य में खाद्यान्नों के पर्याप्त स्टॉक को बनाए रखने के लिए उन्हें लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कम से कम 3 माह की जरूरतों के लिए अग्रिम उठान की अनुमति दे दी है। उन्हें नवम्बर, 2010 में ऐसे अग्रिम उठान के लिए अपनी जरूरतों को भेजने के लिए कहा गया था। तथापि, किसी राज्य ने इस सुविधा का लाभ नहीं उठाया। बाद में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एक-बारगी वितरण के लिए अग्रिन उठान और 6 माह तक के राशन के वितरण की अनुमति दी गई है।

विवरण

आवश्यक वस्तुओं जैसे चावल, गेहूं और दालें तथा खाद्य तेलों के मूल्यों में वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए कदम :

I राजकोषीय उपाय

(i) चावल, गेहूं और प्याज, दालों, खाद्य तेलों (कच्चा) के लिए आयात शुल्क को घटाकर शून्य किया गया है। रिफाइण्ड और हाइड्रोजनीकृत तेलों तथा वनस्पति तेलों पर आयात शुल्क को घटाकर 7.5% किया गया।

II. प्रशासनिक उपाय

(i) खाद्य तेलों (नारियल तेल और बन आधारित तेल को छोड़कर) और दालों (काबुली चना और जैविक दलहन के अधिकतम 10,000 टन प्रति वर्ष को छोड़कर) के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया।

(ii) खाद्य तेलों के शुल्क दर मूल्यों में कोई परिवर्तन नहीं।

(iii) दालों, धान, चावल, गेहूं और चीनी के मामले में स्टॉक सीमा आदेशों को लागू किया गया।

(iv) वर्ष 2002 से चावल (गरीबी रेखा से नीचे के लिए 5.65 रुपए प्रति कि.ग्रा. और अंत्योदय अन्न योजना के लिए 3 रुपए प्रति कि.ग्रा.) के लिए केंद्रीय निर्गम मूल्य को कायम रखा गया।

(v) वायदा बाजार आयोग द्वारा वर्ष 2007–08 में चावल, उड़द और तूर के भावी सौदा व्यापार पर लगाया गया निलम्बन वर्ष 2010–11 के दौरान जारी रहा।

(vi) सरकार ने जनवरी, 2011 से सितम्बर, 2011 की अवधि के दौरान ओ एम एस एस (डी), 2011 के अंतर्गत 25 लाख टन गेहूं और 20 लाख टन चावल आबंटित किया है।

(vii) 25 लाख टन खाद्यान्न का आबंटन 6.1.2011 को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए 30.9.2011 तक वितरण हेतु गरीबी रेखा से नीचे निर्गत मूल्यों पर किया गया है।

(viii) 50 लाख टन खाद्यान्न का अतिरिक्त तदर्थ आबंटन 16 मई, 2011 को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए चालू वर्ष से मार्च, 2012 तक वितरण हेतु गरीबी रेखा से नीचे निर्गत के मूल्यों पर किया गया है।

(ix) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 6 जनवरी, 2011 को गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों को 30.9.2011 तक वितरण हेतु 25 लाख टन के खाद्यान्न का एक अतिरिक्त तदर्थ आबंटन किया गया जिसमें 8.45 रुपए प्रति कि.ग्रा. की दर से गेहूं और 11.85 रुपए प्रति कि.ग्रा. की दर से चावल दिया गया।

(x) इसके अतिरिक्त, गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए दिनांक 30 जून, 2011 को 50 लाख टन खाद्यान्न का तदर्थ आबंटन किया गया जिससे 20 राज्यों में मासिक ए पी एल आबंटन 15 कि.ग्रा. प्रतिमाह प्रति परिवार और पूर्वोत्तर के चार राज्यों, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के दो पहाड़ी राज्यों में प्रति परिवार 35 कि.ग्रा. हो गया। इन राज्यों में यह जून, 2011 से मार्च, 2012 के 10 महीनों की अवधि के लिए उस मात्रा से कम था।

(xi) माननीय उच्चतम न्यायालय के 14 मई, 2011 के 150 सबसे गरीब जिलों अथवा अत्यंत गरीब और समाज के कमजोर वर्गों को वितरण के लिए 50.00 लाख टन खाद्यान्न सुरक्षित रखने के निर्देशों और न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) डी.पी. वाधवा की अध्यक्षता में सार्वजनिक वितरण स्कीम संबंधी केंद्रीय सतर्कता समिति के सुझाव के अनुसरण में 13 राज्यों के 74 जिलों के लिए प्रारंभ में तीन महीनों के लिए जुलाई/अगस्त, 2011 में अंत्योदय अन्न योजना/गरीबी रेखा से नीचे के मूल्यों पर लगभग 3.87 लाख टन खाद्यान्नों का अतिरिक्त आबंटन किया गया।

(xii) राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को 1 कि.ग्रा. प्रतिमाह की दर पर 10 रुपए की सब्सिडी के साथ सब्सिडीकृत आयातित दालों के वितरण के लिए स्कीम का विस्तार किया गया।

(xiii) राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से राशन कार्ड धारकों को 1 लीटर प्रति राशन कार्ड की दर पर प्रतिमाह 15 रु. कि.ग्रा. की सब्सिडी के साथ सब्सिडीकृत आयातित खाद्य तेलों के वितरण के लिए स्कीम का विस्तार किया गया।

माओवादियों के साथ युद्ध–विराम

3081. श्री तथागत सत्पथी :
श्री प्रबोध पांडा :
श्री अब्दुल रहमान :
श्री डी. बी. चन्द्र गौडा :
डॉ. पी. वेणुगोपाल :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने माओवादियों से पश्चिम बंगाल सहित पूरे देश में युद्ध–विराम करने के उद्देश्य से कोई बातचीत शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर माओवादी नेताओं की प्रतिक्रिया क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह) : (क) से (ग) 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं और कानून

और व्यवस्था बनाए रखने के संबंध में कार्रवाई करना प्राथमिक रूप से संबंधित राज्य सरकारों के अधिकार–क्षेत्र में आता है जो राज्यों में नक्सली गतिविधियों से जुड़े विभिन्न मुद्दों से निपटती हैं। केन्द्र सरकार भी स्थिति की गहनता से निगरानी करती है और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता पहुंचाती है।

राज्य सरकारों ने समय–समय पर वामपंथी उग्रवादियों से हिंसा का मार्ग त्यागने और उनसे संबंधित किसी भी मुद्दे पर सरकार से वार्ता करने की अपील की है। केन्द्र सरकार भी राज्यों और वामपंथी उग्रवादियों के बीच ऐसी वार्ताओं का स्वागत करती हैं बशर्ते वामपंथी उग्रवादी हिंसा का मार्ग त्यागने और भारतीय गणराज्य के विरुद्ध अपने तथाकथित सशस्त्र संघ को छोड़ने के लिए तैयार हों।

विज्ञापन की विषयवस्तु पर नियंत्रण

3082 श्री कीर्ति आजाद :
श्री जय प्रकाश अग्रवाल :
श्री एन. चेलुवरया स्वामी :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रिंट और इलैक्ट्रॉनिक मीडिया एवं विज्ञान पटों के माध्यम से प्रदर्शित किए जाने वाले शराब/तम्बाकू और ऐसी अन्य वस्तुओं के भ्रामक/प्रछन्न विज्ञापनों पर नियंत्रण/प्रतिबंध लगाने का विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारतीय विज्ञापन मानक परिषद् (ए.एस.सी. आई.) ने विज्ञापनों की विषयवस्तु के संबंध में स्वनियामक तंत्र बनाने हेतु सरकार और सिविल सोसायटी के साथ परामर्श करने का प्रस्ताव किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का प्रिंट और इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए दिखाए जाने वाले ऐसे विज्ञापनों की विषयवस्तु के नियंत्रण हेतु एक नई संहिता कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार द्वारा अन्य क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चौधरी मोहन जतुआ) : (क) से (च) भारत में समाचारपत्रों और समाचार एजेंसियों के मानकों को बरकरार रखने व उनमें सुधार लाने तथा प्रैस के बीच स्व–विनियमन के सिद्धांतों को आत्मसात कराने के उद्देश्य से प्रैस परिषद अधिनियम, 1978 के अंतर्गत भारतीय प्रैस परिषद (पीसीआई) नामक एक सांविधिक स्वायत्तशासी निकाय की स्थापना की गई है। भारतीय प्रैस परिषद ने अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रैस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 13(2)(ख) के अंतर्गत पत्रकारिता संबंधी आचरण के मानदंड तैयार किए हैं जिनमें पत्रकारिता से संबंधित सिद्धांत एवं आचार–संहिता शामिल हैं। मानदंड 36(ii) में यह निर्धारण है कि किसी ऐसे विज्ञापन को प्रकाशित नहीं किया जाएगा जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सिगरेटों, तम्बाकू, शराब, अल्कोहल, मदिरा और अन्य मादक पदार्थो के उत्पादन, बिक्री या उपभोग को बढ़ावा देता हो। प्रिंट मीटिया द्वारा विज्ञापन स्वीकार करते समय इन मानदंडों का अनुपालन करना चाहिए।

जहां तक इलैक्ट्रॉनिक मीडिया का संबंध है, केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत प्राइवेट सैटेलाइट टीवी चैनलों पर विज्ञापनों के प्रसारण को विनियमित किया जाता हैं उक्त अधिनियम में ऐसे चैनलों पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों व विज्ञापनों की पूर्व–सेंसरशिप का प्रावधान नहीं है। तथापि, अधिनियम में प्रावधान है कि कार्यक्रमों और विज्ञापनों के संबंध में उक्त अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में अंतर्विष्ट कार्यक्रमों एवं विज्ञापन संहिताओं का अनुपालन करना आवश्यक होता है। विज्ञापन संहिता के खंड 2(viii)(क) में प्रावधान है कि किसी ऐसे विज्ञापन की अनुमति नहीं होगी जोकि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सिगरेटों, तम्बाकू उत्पादों, शराब, अल्कोहल, मदिरा अथवा अन्य मादक पदार्थो के उत्पादन, बिक्री या उपभोग को बढ़ावा देता हो। यह भी प्रावधान है कि ऐसे किसी उत्पाद को जिसमें ऐसा ब्रांड नाम या लोगों प्रयुक्त किया गया हो, जिसे सिगरेटों, तम्बाकू उत्पादों, शराब, अल्कोहल, मदिरा या अन्य मादक पदार्थो के लिए भी प्रयुक्त किया गया हो, को कतिपय शर्तो के अध्यधीन केबल सेवा पर विज्ञापित किया जा सकता है। मंत्रालय ने इस नियम के अनुपालन हेतु दिनांक 17 जून, 2010 को सभी टीवी चैनलों को निदेश जारी किए हैं।

(ग) और (घ) भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (एएससीआई) ने नई दिल्ली में विज्ञापन की विषय–वस्तु के मामले में स्व–विनियमन को सुदृढ़ बनाने के बारे में एक सम्मेलन का आयोजन किया जिसमें सरकार के प्रतिनिधियों और पूरे भारत के उपभोक्ता क्षेत्र से संबंधित कार्यकर्ताओं ने परिचर्चा में भाग लिया। एएससीआई ने बंगलौर में उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा भ्रामक विज्ञापनों पर नियंत्रण के बारे में आयोजित सेमिनार में भी भाग लिया है। एएससीआई का उद्देश्य विज्ञापन की विषय–वस्तु के स्व–विनियमन को सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार के साथ कार्य करना है।

निजी चैनलों की जवाबदेही

3083. **श्री सी. राजेन्द्रन** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निजी चैनलों की सरकार के प्रति वर्तमान में क्या जवाबदेही है;

(ख) क्या निजी इलैक्ट्रॉनिक चैनलों ने अपने कामकाज में स्वायतत्ता की मांग की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या निजी चैनलों को सरकार या अन्य किसी विनियामक निकाय के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए सरकार का विद्यमान नियमों/विनियमों/अधिनियमों में संशोधन करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चौधरी मोहन जतुआ) : (क) भारत में प्राइवेट सैटेलाइट/केबल टीवी चैनलों के प्रचालन को केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत विनियमित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, ऐसे सभी सैटेलाइट/केबल टेलीविजन चैनलों को टीवी चैनलों की अपलिंकिंग व डाउनलिंकिंग हेतु निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार टीवी चैनलों को अपलिंक व डाउनलिंक करने की अनुमति दी जाती है। उक्त अधिनियम और साथ ही, उक्त दिशानिर्देशों में ऐसी समग्र शर्तों का प्रावधान है जिनके अंतर्गत भारत में प्राइवेट सैटेलाइट टीवी चैनल का प्रचालन किया जाना होता है। उक्त अधिनियम में प्राइवेट सैटेलाइट/केबल टीवी चैनल द्वारा प्रसारित कार्यक्रमों व विज्ञापनों की किसी भी प्रकार की पूर्व–सेंसरशिप का प्रावधान नहीं है। तथापि, उक्त अधिनियम में यह प्रावधान है कि प्रसारित किए गए सभी कार्यक्रमों और विज्ञापनों के संबंध में उक्त अधिनियम के अंतर्गत कार्यक्रम व विज्ञापन संहिताओं का कड़ाई से अनुपालन किया जाना चाहिए।

(ख) और (ग) सभी प्राइवेट सैटेलाइट/केबल टेलीविजन चैनल केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के सांविधिक प्रावधानों और साथ ही, अपलिंकिंग व डाउनलिंकिंग दिशानिर्देशों के प्रावधानों का अनुसरण करने के लिए बाध्य हैं। उक्त अधिनियम में प्रदत्त समग्र विनियामक ढांचे के अध्यधीन गैर–समाचार व समाचार सैटेलाइट टीवी चैनलों के कतिपय निजी प्रसारकों के संबंधित प्रतिनिध्यात्मक निकायों, भारतीय प्रसारण प्रतिष्ठान और समाचार प्रसारक संघ दोनों ने इन चैनलों के मामले में विषय–वस्तु से संबंधित शिकायतों पर विचार करने के लिए स्व–विनियामक तंत्रों की स्थापना की है ताकि प्रसारण–विषयवस्तु का बेहतर प्रबंधन किया जा सके।

(घ) और (ङ) प्राइवेट सैटेलाइट टीवी चैनलों द्वारा कार्यक्रमों व विज्ञापनों के प्रसारण से संबंधित मौजूदा विनियामक ढांचे में परिवर्तन करने के लिए सरकार के विचाराधीन फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

मत्स्ययन केन्द्र

3084. **श्री पी. करुणाकरन** :
श्री लालूभाई बाबूभाई पटेल :
श्री नारनभाई कछाड़िया :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को केरल, गुजरात, दमन और दीव जैसे विभिन्न राज्यों में मत्स्ययन केन्द्र और/या मत्स्य–भंडारण केन्द्र निर्मित करने/उन्नत करने हेतु वहां की राज्य सरकारों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) इन प्रस्तावों को कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है; और

(ङ) इस प्रयोजनार्थ उन राज्यों को केन्द्र सरकार द्वारा कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) विगत दो वित्तीय वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कृषि मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत अनुमोदित प्रस्तावों और प्रदान की गई वित्तीय सहायता और राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड को मत्स्यन बंदरगाहों और मछली उतारने के केन्द्रों के निर्माण और उन्नयन के लिए दी गई वित्तीय सहायता को क्रमशः संलग्न विवरण I और II में दर्शाया गया है।

विवरण-I

कृषि मंत्रालय द्वारा एक केंद्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत मत्स्यन बंदरगाहों के निर्माण एवं विस्तार के लिए अनुमोदित प्रस्ताव :

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य के नाम	मत्स्यन बंदरगाह का नाम	अनुमोदन की तारीख	कुल परियोजना	केंद्रीय देयताएं	जारी की गई राशि
1	2	3	4	5	6	7
		वित्तीय वर्ष 2009-10				
1.	केरल	एर्नाकुलम जिले के कोचीन मत्स्यन बंदरगाह का आधुनिकीकरण	07.12.2009	980.20	980.20	300.00
		केसरगोड जिले में चेरुवथूर	25.02.2010	2906.00	2179.50	300.00
		चेतुवा थिसुर जिला	26.02.2010	3024.00	2268.00	300.00
		अलपुझा में थोटापली (संशोधित प्रस्ताव)	26.02.2010	1802.23	901.12	800.00
2.	ओडिसा	भद्रक जिले में धामरा का आधुनिकीकरण	23.12.2009	1310.00	982.50	150.00
3.	पुडुचेरी	यनम (सावित्रीनगर)	25.02.2010	1885.00	1885.00	300.00
4.	पश्चिम बंगाल	पुरबा मेदिनिपुर जिला में पेतुघाट (संशोधित प्रस्ताव)	26.02.2010	6092.65	5192.65	4202.04
5.	दमन और दीव	दीव में वनकबारा में मछली उतारने के केन्द्र (संशोधित प्रस्ताव)	05.03.2010	43.881	43.881	43.881
		घोघला में मछली उतारने के केन्द्र, दीव, (संशोधित प्रस्ताव)	05.03.2010	55.174	55.174	55.174
		वित्तीय वर्ष 2010-11				
1.	तमिलनाडु	कन्याकुमारी जिले में मुटमक	28.09.2010	5392.00	2696.00	500.00

1	2	3	4	5	6	7
2.	कर्नाटक	दक्षिण कन्नड जिले में मंगलौर का तीसरा विस्तार	20.09.2010	5760.00	4320.00	500.00
		उदुपि जिले में माल्पे का तीसरा विस्तार	20.09.2010	3715.00	2786.25	300.00
3.	गुजरात	कच्छ जिले में जखाऊ (संशोधित प्रस्ताव)	24.09.2010	3031.00	3031.00	3031.00
5.	पुडुचेरी	महे (संशोधित प्रस्ताव)	29.09.2010	7162.00	2260.00	1000.00
4.	महाराष्ट्र	रायगढ़ जिले में करंजा	24.03.2011	6802.00	5101.50	400.00
		थाणे जिले में अरनाला	25.03.2011	6156.00	4617.00	300.00
			वित्तीय वर्ष 2011–12			
1	कर्नाटक	उत्तर कन्नड जिले में होन्नवर का दूसरा विस्तार	27.09.2011	4744.00	3355.50	300.00

विवरण–II

राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड द्वारा वर्तमान मत्स्यन बंदरगाहों और मछली उतारने के केन्द्रों के उन्नयन के लिए अनुमोदित प्रस्ताव

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य के नाम	मत्स्यन बंदरगाह का नाम	अनुमोदन की तारीख	कुल परियोजना	केंद्रीय देयताएं	जारी की गई राशि
1	2	3	4	5	6	7
			वित्तीय वर्ष 2009–10			
1.	कर्नाटक	कारवाड मत्स्यन बंदरगाह	19.11.2009	115.37	115.37	115.37
		होनावर मत्स्यन बंदरगाह	29.12.2009	348.78	348.78	348.78
			वित्तीय वर्ष 2010–11			
1.	तमिलनाडु	तुतिकोरिन मत्स्यन बंदरगाह	21.10.2010	11.59	11.59	6.00
2.	गुजरात	वेरावल मत्स्यन बंदरगाह	30.03.2011	731.70	731.70	366.00
		पोरबंदर मत्स्यन बदरगाह	30.03.2011	821.14	821.14	410.00

1	2	3	4	5	6	7
3.	केरल	नींदकारा मत्स्यन बंदरगाह	27.09.2010	713.00	713.00	642.00
		सक्थिकुलकारा मत्स्यन बंदरगाह	27.09.2010	290.00	290.00	261.00
		थंगासेरी मत्स्यन बंदरगाह	31.08.2010	254.50	254.50	229.25
		पुटियप्पा मत्स्यन बंदरगाह	21.05.2010	280.00	280.00	280.00
		मत्स्यन बंदरगाह कयमकुलम मस्यन बंदरगाह	21.05.2010	259.00	259.00	233.00
4.	आंध्र प्रदेश	मछलीपटनक मत्स्यन बंदरगाह	16.11.2010	59.87	59.87	30.00
		काकिनाडा मत्स्यन बंदरगाह	06.07.2010	95.75	95.75	95.75
		निजामपटनम मत्स्यन बंदरगाह	06.07.2010	59.11	59.11	41.00
		वित्तीय वर्ष 2011–12				
1.	ओडिशा	पंचुबिसा मछली उतारने का केन्द्र	13.09.2011	109.47	109.47	27.37
		कांसाबंसा मछली उतारने का केन्द्र	05.09.2011	97.27	97.27	24.32
		भूसंदपुर मछली उतारने का केन्द्र	12.09.2011	99.95	99.95	25.00
		बलितपुर मछली उतारने का केन्द्र	13.09.2011	88.56	88.56	22.14
		सोनपुर मछली उतारने का केन्द्र	02.09.2011	62.52	62.52	15.23
		सोनपुर मछली उतारने का केन्द्र	02.09.2011	135.20	135.20	33.80
2.	तमिलनाडु	चेन्नई मछली उतारने का केन्द्र	10.08.2011	1207.00	1207.00	302.00
		जगथपटनम मछली उतारने का केन्द्र	10.08.2011	53.26	53.26	13.32
		मूडासालोदई मछली उतारने का केन्द्र	10.08.2011	25.67	25.67	6.42
3.	केरल	चोम्बल मछली उतारने का केन्द्र	30.08.2011	336.00	336.00	84.00
		मुनमबम मछली उतारने का केन्द्र	02.09.2011	62.29	62.29	16.00

[हिन्दी]

केंद्र-प्रायोजित योजनाओं का कार्यान्वयन

3085. श्री चंद्रकांत खैरे:

श्री राजय्या सिरिसिल्ला:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय द्वारा विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश सहित देश में चलाई जा रही केंद्र-प्रायोजित योजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) स्वीकृति हेतु राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) उक्तावधि में राज्य–वार कितनी राशि संस्वीकृत तथा जारी की गई तथा इसमें से कितनी राशि खर्च की गई?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय) : (क) से (ग) शहरी विकास मंत्रालय द्वारा तीन केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों का कार्यान्वयन किया जाता है :–

(i) **राष्ट्रीय शहरी सूचना प्रणाली (एनयूआईएस) स्कीम** : इस स्कीम को देश के 152 कस्बों/शहरों के लिए दो मापकों अर्थात 1:10,000 एवं 1:2,000 में जीआईएस डाटाबेस विकसित करने के लिए वर्ष 2006 में प्रारंभ किया गया। एनयूआईएस स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकारों से कोई प्रस्ताव प्राप्त नही हुए हैं। एनयूआईएस के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों एवं वर्तमान वर्ष के दौरान वर्षवार स्वीकृत, जारी एवं खर्च की गई निधियों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए है।

(ii) **पूल्ड वित्त विकास निधि (पीएफडीएफ) स्कीम**–इस स्कीम को निजी निवेशकों से वित्त जुटाने के लिए शहरी स्थानीय निकायों की क्रेडिट योग्यता बेहतर करने के लिए वर्ष 2006 में प्रारंभ किया गया था। पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष 2010–2011 में जल एवं सफाई पूल्ड निधि तमिलनाडु से पूल्ड वित्त विकास निधि स्कीम के अंतर्गत 83.19 करोड़ रु. मूल्य की कर–रहित बांड जारी करने हेतु केवल एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ। उपर्युक्त प्रस्ताव को अनुमोदन दिया गया तथा इस स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2010–11 के दौरान तमिलनाडु सरकार को क्रेडिट रेटिंग वृद्धि कोष के लिए अंशदान हेतु 4.49 करोड़ रु. की राशि जारी की गई।

(iii) **पूर्वोत्तर क्षेत्र शहरी विकास कार्यक्रम (एनईआरयूडीपी)** : यह कार्यक्रम एशियन विकास बैंक (एडीबी) की वित्तीय सहायता से कार्यान्वित किया जाता है और प्राथमिक शहरी सेवाओं अर्थात् (i) जलापूर्ति (ii) सीवरेज एवं सफाई तथा (iii) ठोस कचरा प्रबंधन को सुधारने के लिए पूर्वोत्तर राज्यों के पांच राजधानी शहरों नामतः नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, सिक्किम एवं त्रिपुरा शामिल हैं। पिछले तीन वर्षों एवं वर्तमान वर्ष के दौरान परियोजना राज्यों को स्वीकृत एवं जारी धनराशियां निम्नानुसार है–

(करोड़ रु. में)

राज्य	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12 (नवम्बर, 2011 तक)
नागालैंड	0.07	5.00	3.57	6.04
मिजोरम	0.72	6.00	8.45	7.10
मेघालय	शून्य	4.00	3.37	3.51
सिक्किम	शून्य	3.00	0.90	6.45
त्रिपुरा	0.11	3.90	3.22	4.90
कुल	0.90	21.90	19.51	28.00

राज्यों को धनराशि उनके द्वारा किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति के रूप में जारी की जाती है।

विवरण

राष्ट्रीय शहरी सूचना प्रणाली (एनयूआईएस) स्कीम

वर्ष 2008–2012 के दौरान राज्य–वार स्वीकृत, जारी एवं व्यय धनराशि

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2008–09			2009–10			2010–11			2011–12		
		स्वीकृति	जारी	खर्च	स्वीकृति	जारी	खर्च	स्वीकृति	जारी	खर्च	स्वीकृति	जारी	खर्च
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	अंडमान निकोबार द्वीप	14.50	14.50	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.	आन्ध्र प्रदेश	16.00	16.00	16.00	–	–	–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.	अरुणाचल प्रदेश	11.48	11.48	11.48	9.60	9.60	9.60	–	–	–	1.88	1.88	0.00
4.	असम	18.13	18.13	5.71	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5.	बिहार	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6.	छत्तीसगढ़	–	–	–	–	–	–	12.50	12.50	8.39	–	–	–
7.	छत्तीसगढ़	14.40	14.40	14.40	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8.	दादरा और नगर हवेली	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9.	दमन और दीव	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10.	दिल्ली	स्कीम से निकाल दिया गया											
11.	गोवा	–	–	–	–	–	–	14.40	14.40	0.00	–	–	–
12.	गुजरात	16.00	16.00	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13.	हरियाणा	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14.	हिमाचल प्रदेश	–	–	–	4.12	4.12	0.00	–	–	–	–	–	–
15.	जम्मू और कश्मीर	–	–	–	14.40	14.40	0.00	–	–	–	–	–	–
16.	झारखण्ड	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.00
17.	कर्नाटक	16.00	16.00	15.99	–	–	–	–	–	–	–	–	–
18.	केरल	14.40	14.40	4.50	–	–	–	–	–	–	–	–	–
19.	लक्षद्वीप	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20.	मध्य प्रदेश	16.00	16.00	16.00	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21.	महाराष्ट्र	21.63	21.63	15.78	–	–	–	16.00	16.00	0.00	–	–	–
22.	मणिपुर	9.60	9.60	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23.	मेघालय	–	–	–	9.60	9.60	0.00	–	–	–	–	–	–
24.	मिजोरम	–	–	–	11.48	11.48	11.48	–	–	–	11.48	11.48	0.00
25.	नागालैण्ड	9.60	9.60	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26.	ओडिसा	16.00	16.00	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27.	पुडुचेरी	8.00	8.00	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28.	पंजाब	16.00	16.00	12.73	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29.	राजस्थान	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30.	सिक्किम	–	–	–	11.48	11.48	0.00	–	–	–	–	–	–
31.	तमिलनाडु	स्कीम से निकाल दिया गया											
32.	त्रिपुरा	–	–	–	9.60	9.60	0.00	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33.	उत्तर प्रदेश	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
34.	उत्तराखंड						स्कीम से निकाल दिया गया						
35.	प. बंगाल	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

राष्ट्रमंडल खेलों के लिए खरीदी गई खेल-सामग्री का निपटान

3086. **श्री भूदेव चौधरी :**

श्री रमेश बैस :

क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2010 में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान खरीदे गए करोड़ों रुपये के खेल-उपकरणों तथा अन्य सामग्री, जिसमें बैलून एयरोस्टेट भी शामिल हैं, की वर्तमान स्थिति क्या है और इसके रख-रखाव का दायित्व किस एजेंसी को सौंपा गया है;

(ख) क्या सरकार का उक्त एयरोस्टेट को किसी संस्थान को बेचने/प्रदान करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और उक्त एयरोस्टेट बैलून कब तक सुरक्षित रखा जा सकता है तथा इस पर कितनी राशि खर्च की जा रही है?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) से (घ) राष्ट्रमंडल खेल 2010 के दौरान खरीदे गए एयरोस्टेट सहित उपस्कर के विरासत उपयोग व निपटान के तरीके के लिए एजेंसियों द्वारा विभिन्न जांच के परिणाम की प्रतीक्षा की जा रही है।

एथेनॉल का उत्पादन

3087. **श्री जगदानन्द सिंह:**

श्री किसनभाई वी. पटेल:

श्री प्रदीप माझी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में गन्ने से सीधे एथेनॉल के उत्पादन की अनुमति है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कितनी मिलें गन्ने से सीधे एथेनॉल का उत्पादन कर रही हैं तथा इसका उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है;

(ग) क्या गन्ने की बजाय शीरे से एथेनॉल उत्पादित करने को अधिक उपयोगी और लाभदायक पाया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या गन्ने के रस से एथेनॉल उत्पादित करने की कुछ राज्यों की मांग सरकार ने अस्वीकृत कर दी है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या गन्ने का उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से सरकार का गन्ने के रस एथेनॉल के उत्पादन की अनुमति देने का विचार है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) चीनी कारखानों द्वारा गन्ने के रस का इथनॉल में सीधे परिवर्तन के लिए 28 दिसम्बर, 2007 की अधिसूचना द्वारा गन्ना (नियंत्रण) आदेश 1966 को संशोधित किया गया था।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार फिलहाल कोई भी चीनी मिल गन्ने से इथनॉल का सीधे उत्पादन नहीं कर रही है।

(ग) और (घ) एक क्विंटल चीनी के उत्पादन के लिए अपेक्षित गन्ने के रस से लगभग 60 लीटर इथनॉल बनेगा और इसलिए चीनी से इथनॉल के इस प्रकार के परिवर्तन से बचने के लिए वाणिज्यिक

रूप से व्यवहार्य इथनॉल का मूल्य चीनी के मूल्य से लगभग 1.6 गुणा अधिक रखना होगा। इस प्रकार शीरे से इथनॉल का उत्पादन, गन्ने के रस से सीधे इथनॉल के उत्पादन की तुलना में वाणिज्यिक रूप से लाभदायक है।

(ङ) और (च) गन्ना (नियंत्रण) आदेश 1966 में दिनांक 28 दिसम्बर, 2007 के संशोधन जिसमें केवल चीनी कारखानों को गन्ने के रस से सीधे इथनॉल उत्पादन करने की अनुमति दी गई थी को वापस लेने के बिहार सरकार के अनुरोध को मौजूदा कानूनी प्रावधानों के अनुसार स्वीकार्य नहीं पाया गया है।

(छ) जी नहीं।

(ज) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केन्द्र

3088. **डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य में स्थापित कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केन्द्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान उक्त प्रयोजन हेतु सरकार द्वारा किए गए व्यय का ब्यौरा क्या है; और

(ग) नई तकनीकों के बारे में किसानों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत) : (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना के एक घटक प्रौद्योगिकी प्रसार में नवीनता (आईटीडी) के एक भाग के रूप में गुजरात कृषि विश्वविद्यालय, गुजरात के सरदार कृषि नगर, दंतीवाडा, गुजरात (वर्तमान कृषि विश्वविद्यालय) में एक कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केन्द्र (एटिक) की स्थापना हेतु एकमुश्त अनुदान की स्वीकृति प्रदान की है। इसके बाद, तीन कृषि सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्रों की स्थापना आनन्द कृषि विश्वविद्यालय, आनंद, नवसारी कृषि विश्वविद्यालय, नवसारी तथा जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय, जूनागढ़ प्रत्येक में एक-एक संबंधित विश्वविद्यालयों द्वारा स्वयं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से बगैर किसी वित्तीय सहायता के की गई।

(ग) "प्रसार सुधार के लिए राज्य प्रसार कार्यक्रम को सहायता" नामक एक केन्द्रीकृत रूप से प्रायोजित स्कीम जो कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध एजेंसी (एटीएमए) के रूप में लोकप्रिय है, को देश के 28 राज्यों के 604 जिलों ताा 3 केन्द्र शासित प्रदेशों में क्रियान्वित किया जा रहा हैं, इसका उद्देश्य प्रसार पद्धति को सुदृढ़ करने के प्रयासों में राज्य सरकारों को सहायता देना तथा प्रसार गतिविधियों जैसे किसान प्रशिक्षण, प्रदर्शन, प्रदर्शन दौरा, किसान मेला, किसानों के समूह का दौरा तथा फार्म स्कूल आदि की स्थापना द्वारा कृषि तथा सम्बद्ध प्रौद्योगिकियों को उपलब्ध कराना है। इसके अतिरिक्त, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सभी संस्थानों तथा कृषि विश्वविद्यालयों में विस्तार/प्रौद्योगिकी हस्तांतरण प्रभाग कार्यरत है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने देश में कृषि प्रौद्योगिकियों के मूल्यांकन, परिष्करण एवं प्रदर्शन तथा किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने तथा प्रसार कार्यक्रमों द्वारा उन्हें नवीनतम प्रौद्योगिकियों के प्रति जागरूक करने के लिए 600 कृषि विज्ञान केंद्रों का नेटवर्क स्थापित किया है।

कृषि उपज विपणन समिति अधिनियम में से बागवानी-उत्पादों को हटाया जाना

3089. **श्री पी. विश्वनाथन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फलों और सब्जियों की तत्काल बढ़ने-घटने वाली कीमतों पर अंकुश रखने के उद्देश्य से बागवानी उत्पादों को कृषि उपज विपणन समिति (एपीएमसी) अधिनियम के दायरे से हटाए जाने की संभावना है ताकि खुले बाजार में किसानों को अपने उत्पाद का अधिकतम मूल्य मिलना सुनिश्चित हो सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने बागवानी-उत्पादों को अनिवार्यतः एपीएमसी को बेचने के प्रावधान को हटाने हेतु राज्य सरकारों को राजी करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार बिचौलियों को हटाने के उद्देश्य से उक्त उत्पादों को नेफेड या उचित-मूल्य दुकानों के जरिए बेचने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत) : (क) से (ङ) कृषि उत्पादों के मूल्य, फसलों एवं सब्जियों सहित, कई घटकों पर निर्भर करते हैं जैसे कि मांग, आपूर्ति, मौसम अवस्थाएं, परिवहन एवं भंडारण लागत, अंतरण लागत, उपभोक्ताओं के आय स्तर, उपभोक्ता प्राथमिकताएं, अंतर्राष्ट्रीय मूल्य इत्यादि। भारत के संविधान के अंतर्गत कृषि विपणन 'राज्य' का विषय है और इसीलिए कृषि उत्पादन विपणन समिति (एपीएमसी) अधिनियम के घेरे के भीतर कोई कृषि उत्पाद रखने के लिए निर्णय, उनके संबंधित एपीएमसी अधिनियमों में प्रावधानों से राज्यों द्वारा लिया जाता है। तथापि, विपणन सुधारों के लिए भारत सरकार द्वारा तैयार किए गए एपीएमसी अधिनियम, 2003 माडल को इसे अपनाने के लिए सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित किया गया है। यह किसानों के लिए उनके उत्पाद लाभकारी मूल्यों पर विक्रय करने के लिए प्रतिस्पर्द्धी वैकल्पिक विकल्पों की व्यवस्था करता है। कृषि मंत्रालय फलों एवं सब्जियों पर विपणन शुल्क हटाने और कृषि विपणन अवसंरचना के विकास हेतु निवेश को प्रोत्साहित करने और आवश्यकता अनुसार सेवा प्रभार की उगाही करने के लिए राज्य सरकारों के साथ अनुसरण कर रहा है। कृषि विपणन अवसंरचना, ग्रेडिंग एव मानकीकरण का विकास/सुदृढ़ीकरण स्कीम तथा राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत एपीएमसी सहित राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा प्रोत्साहित की जाने वाली मंडी अवसंरचना के सृजन के लिए परियोजनाओं हेतु सहायता इस समय केवल उन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को मंजूर की जाती हैं जिन्होंने कम से कम नाशवान बागवानी जिंसों के मामले में मंडी शुल्क में छूट दी है तथा इस क्षेत्र में पर्याप्त निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए प्रसंस्करण यूनिटों, बड़े पैमाने पर खरीद करने वालों, शीतागार सुविधा/भंडारण/अनुबंध खेती आदि का प्रावधान करने वाले तथा उपभोक्ताओं को किसानों द्वारा प्रत्यक्ष विपणन की अनुमति दी है। सरकार ने मंडी सुधारों को बढ़ावा देने के लिए 2 मार्च, 2010 को कृषि विपणन के प्रभारी राज्य मंत्रियों की समिति का गठन भी किया है। समिति की 'पहली रिपोर्ट' 8 सितंबर, 2011 को मंत्रालय को प्रस्तुत कर दी गई है जिसे सभी राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में परिचालित कर दिया गया है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना

3090. **श्री एस. पक्कीरप्पा :**
डॉ. के.एस. राव :
श्री भूपेन्द्र सिंह :
श्री भक्त चरण दास :
श्री चंदूलाल साहू :
डॉ. रतन सिंह अजनाला :
श्री देवजी एम. पटेल :
श्री बी. वाई. राघवेन्द्र :
श्री देवेन्द्र नागपाल :
कुमारी सरोज पाण्डेय :
श्री राजेन्द्र अग्रवाल :
श्री ओम प्रकाश यादव :
श्री विजय बहुगुणा :

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के लिए विभिन्न राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार कुल कितने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित किए गए;

(ग) क्या सरकार ने देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने के संबंध में कोई नीति बनाई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त उद्योगों हेतु केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न राज्य सरकारों को राज्य-वार कुल कितनी धनराशि संस्वीकृत और जारी की गई है।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत) : (क) से (ङ) जी हां। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन/आधुनिकीकरण स्कीम के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने के लिए विभिन्न राज्यों के उद्यमियों से बैंकों के माध्यम से मंत्रालय को आवेदन प्राप्त होते हैं। स्कीम के अंतर्गत, मंत्रालय उद्यमियों को प्रति परियोजना संयंत्र एवं मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों की लागत की सामान्य क्षेत्रों में 25% की दर से परन्तु अधिकतम 50 लाख रुपए और दुर्गम क्षेत्रों में 33.33% की दर से परन्तु अधिकतम 75 लाख रुपए की अनुदान सहायता के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है। 31.10.2011 तक विभिन्न उद्यमियों को उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2007–08, 2008–09, 2009–10, 2010–11 तथा चालू वर्ष के दौरान राज्यवार सहायता प्राप्त और वित्तीय सहायता प्राप्त यूनिटों की संख्या★

(लाख रुपये)

क्रम सं.	राज्य का नाम	2007–08		2008–09		2009–10		2010–11		2011–12 (31.10.2011 की स्थिति के अनुसार)	
		अनुमोदित	जारी की गई राशि	अनुमोदित	जारी की गई राशि	अनुमोदित	जारी की गई राशि	अनुमोदित	जारी की गई राशि	अनुमोदित	जारी की गई राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	आंध्र प्रदेश	43	947.49	48	908.999	41	677.05	30	562.096	41	786.68
2.	अंडमान और निकोबार	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	1	17.67	3	376.14	2	66.420	0	0
4	असम	12	442.17	17	176.79	22	418.74	26	875.701	5	78.47
5.	बिहार	5	83.915	2	42.3	2	35.59	6	136.681	3	39.66
6	चंडीगढ़	6	138.08	0	0	0	0	1	25.000	0	0
7	छत्तीसगढ़	0	0	10	163.725	4	45.46	27	297.574	26	234.87
8	दिल्ली	0	0	7	160.65	2	50	3	82.600	12	320.21
9	गोवा	1	17	1	24.57	1	24.26	1	25.00	1	25.00
10	गुजरात	32	544.06	39	714.81	42	665.18	52	1419.72	66	1242.04
11	हरियाणा	19	418.72	23	349.415	11	134.96	14	325.280	10	184.58
12	हिमाचल प्रदेश	12	325.09	5	152.745	10	269.58	7	204.530	11	289.07
13	जम्मू और कश्मीर	9	109.855	3	22.05	7	59.73	5	89.095	2	18.180
14	झारखण्ड	2	9.09	0	0	3	44.09	4	85.425	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	कर्नाटक	34	529.62	35	629.895	24	269.55	14	377.790	16	238.25
16	केरल	47	876.8	32	545.37	33	567.53	19	411.72	28	539.67
17	मध्य प्रदेश	10	172.32	14	201.87	18	273.03	14	211.294	13	194.05
18	महाराष्ट्र	95	1696.805	121	1802.633	113	1717.3	56	1006.524	107	1452.83
19	मणिपुर	3	61.74	3	45.51	6	163.75	1	23.975	5	92.15
20	मेघालय	1	8.19	2	159.57	2	123.02	2	100.045	0	0
21	मिजोरम	0	0	0	0	1	11	0	0	0	0
22	नागालैण्ड	1	27.485	4	178.205	1	64.99	1	6.205	0	0
23	ओडिसा	6	129.41	2	38.68	6	84.4	8	200.875	2	8.44
24	पुडुचेरी	2	31.3	0	0	0	0	0	0	0	0
25	पंजाब	32	481.45	61	841.36	13	172.37	9	149.495	22	316.12
26	राजस्थान	35	566.075	44	551.975	27	27325.46	48	691.123	63	806.10
27	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	तमिलनाडु	53	951.79	36	594.355	41	672.11	24	493.582	43	797.45
29	त्रिपुरा	2	39.98	1	13.86	0	0	0	0	0	0
30	उत्तर प्रदेश	63	1123.425	43	875.475	32	560.63	47	1078.638	37	635.89
31	उत्तराखण्ड	9	339.78	6	163.15	12	307.57	6	168.523	1	2.460
32	पश्चिम बंगाल	35	653.56	19	390.135	10	136.48	10	317.945	10	206.51
	कुल	569	10725.2	579	9765.767	487	8249.97	437	9432.862	524	8508.66

★आंकड़े समन्वय बैंक अर्थात एचडीएफसी बैंक के समन्वयाधीन हैं।

प्रसार भारती अधिनियम के अंतर्गत मुख्य कार्यकारी अधिकारी की शक्तियां

3091. डॉ. पद्मसिंह बाजीराव पाटिल : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रसार भारती अधिनियम में मुख्य कार्यकारी अधिकारी को वित्तीय एवं प्रशासनिक निर्णय लेने की शक्ति प्रदान की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या राष्ट्रमंडल खेलों के अनुबंधों के संबंध में प्रसार भारती के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने सभी निर्णय उक्त अधिनियम के अंतर्गत उसे प्राप्त ऐसी शक्तियों का प्रयोग करते हुए किए थे;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार का प्रसार भारती अधिनियम में कतिपय संशोधन करते हुए मुख्य कार्यकारी अधिकारी की शक्तियों को सीमित करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चौधरी मोहन जतुआ) : (क) प्रसार भारती अधिनियम के अनुसार, कार्यकारी सदस्य निगम का मुख्य कार्यपालन होगा और बोर्ड के नियंत्रण व पर्यवेक्षण के अध्यधीन, बोर्ड द्वारा उसकी प्रत्यायोजित की जाने वाली शक्तियों का प्रयोग करेगा और बोर्ड के कार्यों का निष्पादन करेगा।

(ख) से (ङ) राष्ट्रमंडल खेलों के संबंध में प्रसार भारती बोर्ड ने 04 मई, 2009 को हुई अपनी बैठक में कुछ प्रस्ताव पारित किए जिनके तहत बोर्ड ने कार्यकारी सदस्य (मुख्य कार्यकारी अधिकारी) की अध्यक्षता में मेजबान प्रसारण प्रबंधन समिति (एचबीएमसी) को राष्ट्रमंडल खेल दिल्ली, 2010 को सफलता के साथ सम्पन्न कराने के संबंध में अपेक्षित अनुमोदन और अपेक्षित कदम उठाने के लिए प्राधिकृत किया। राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के आयोजन व संचालन से संबंधित मुद्दों की जांच करने के लिए सरकार द्वारा गठित उच्च-स्तरीय समिति की रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों के अनुसरण में सरकार ने, अन्य बातों के साथ-साथ, मुख्य कार्यकारी प्रसार भारती और प्रसार भारती बोर्ड के बीच संबंध और प्रसार भारती की अभिशासन संरचना से संबंधित मुद्दों को प्रसार भारती के बारे में गठित मंत्री-समूह के विचारार्थ भेजा है। मंत्री-समूह ने इस मामले पर विचार किया है और प्रसार भारती ने अभिशासन की स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से प्रसार भारती अधिनियम में कतिपय संशोधन करने की अनुशंसा की है।

[हिन्दी]

गन्ना उत्पाद

3092. श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह:
श्री अनन्त कुमार हेगड़े:
श्री एन. चेलुवरया स्वामी:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितनी चीनी मिलों ने नवम्बर, 2011 के दौरान चीनी का उत्पादन शुरू किया तथा इनका कुल प्रतिशत और संख्या कितनी है और आगामी मौसम के दौरान चीनी का अनुमानित उत्पादन एवं मांग कितनी है;

(ख) क्या सरकार अशोधित चीनी, गुड़ और शीरे जैसे गन्ने के अन्य उत्पादों के उत्पादन से संबंधित वितरण भी रखती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा विगत तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान उक्त सामग्री का उत्पादन कितना रहा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) राज्यों से प्राप्त सूचना के अनुसार, 667 संस्थापित चीनी मिलों में से 398 चीनी मिलों अर्थात् 60% ने देश में नवम्बर, 2011 तक चीनी का उत्पादन आरम्भ कर दिया है। कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा सितम्बर, 2011 में जारी गन्ना उत्पादन के प्रथम अग्रिम आकलनों के आधार पर चीनी के उत्पादन का अनंतिम अनुमान लगभग 246 लाख टन लगाया गया है जबकि वर्तमान चीनी मौसम 2011-12 के दौरान लगभग 220 लाख टन की मांग होने का अनुमान है।

(ख) से (घ) गन्ने से उत्पादित कच्ची चीनी जिसका सीधा निर्यात किया जाता है या संसाधन के लिए घरेलू रिफाइनरियों

को आगे बेची जाती है, के आंकड़े केन्द्रीय सरकार द्वारा पूर्व में नहीं रखे जाते थे। कच्ची चीनी का उत्पादन एक नई प्रवृत्ति है और सरकार ने गत चीनी मौसम अर्थात् 2010-11 से इस संबंध में आंकड़े रखने आरम्भ किए हैं। 2010-11 मौसम में लगभग 2.08 लाख टन कच्ची चीनी के उत्पादन का अनंतिम रूप से अनुमान लगाया है।

चीनी मिलों द्वारा चीनी की विनिर्माण की प्रक्रिया में मुख्य उप-उत्पाद शीरा, खोई और प्रैस मड हैं। शीरा, खोई और प्रैस मड का उत्पादन पेरे गए गन्ने से क्रमश 4.2% 4.5%; 30% से 33% और 3% से 5% तक की रेंज में अलग-अलग होता है। तथापि, केन्द्रीय सरकार द्वारा नियंत्रित जिंस न होने के कारण उप-उत्पादों के संबंध में ब्यौरा नहीं रखा जाता है। इसी प्रकार गुड, जोकि असंगठित क्षेत्र का एक उत्पाद है, के लिए सूचना केन्द्रीय स्तर पर रखी जाती है।

[अनुवाद]

अदावाकृत वाहन

3093. श्री नवजोत सिंह सिद्धू : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस द्वारा जब्त किए गए कार/मोटर साइकल/स्कूटर/टैम्पो जैसे काफी सारे वाहन विभिन्न पुलिस स्टेशनों में अदावाकृत हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) और (ख) जी, हां। पुलिस द्वारा जब्त की गई तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और गुड़गांव, गाजियाबाद एवं नोएडा के विभिन्न पुलिस थानों में अदावाकृत पड़ी कारों/मोटर साइकिलों/स्कूटरों/टैम्पों आदि के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :-

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

कार	मोटर साइकिल/स्कूटर	टैम्पो	अन्य
524	5462	30	588

गुड़गांव

कार/जीप	मोटर साइकिल/स्कूटर	ऑटोरिक्शा
20	359	11

गाजियाबाद

कार	मोटर साइकिल/स्कूटर	बस/ट्रक	अन्य
31	64	02	04

नोएडा

104 वाहन अदावाकृत पड़े हैं।

(ग) परित्यक्त वाहनों के स्वामियों का पता लगाने के प्रयास किए जाते हैं और पता चले ऐसे स्वामियों को पुलिस के पास अदावाकृत पड़े उनके वाहनों के बारे में सूचना दी जाती है। वाहनों को विधिवत् प्रक्रिया अपनाने के बाद वैध स्वामियों को दे दिया जाता है।

धरोहर के रूप में संजोई गई फिल्में

3094. श्री नृपेन्द्र नाथ राय :
श्री नरहरि महतो :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभिलेखागार में धरोहर के रूप में संरक्षित अधिकांश फिल्में खो गई हैं/खराब हो गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ने कोई कार्यवाही की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का यथासंभव इन फिल्मों के प्रिंट पुनः प्राप्त करने के लिए जन-सहयोग प्राप्त करने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. जगतरक्षकन) : (क) और (ख) जी नहीं। राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय के संग्रह में से कोई विरासत फिल्म (में) गुम/क्षतिग्रस्त नहीं पाई गई है। राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय के संग्रह में से विरासत फिल्मों का मूल रूप से परिरक्षण किया जाता है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी) ने अपनी स्वयं की 33 फिल्मों का डिजिटल फोर्मेट में पुनःस्थापन व परिरक्षण किया है तथा उसकी स्वयं की अन्य 50 फिल्में पुनःस्थापन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में हैं और तत्पश्चात उनका रख-रखाव डिजिटल रूप में किया जाएगा।

(ङ) और (च) जी, नहीं। उपर्युक्त (क) एवं (ख) के उत्तर के मद्देनजर, प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पुस्तकों व पत्रिकाओं का प्रकाशन

3095. श्री रामकिशुन : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान उनके मंत्रालय के प्रकाशन प्रभाग द्वारा कितनी पुस्तकें व पत्रिकाएं प्रकाशित तथा विक्रित की गईं;

(ख) क्या उक्त प्रभाग का कार्यकरण एक वैज्ञानिक पैनल के समीक्षाधीन था जिसका मुख्य बल मीडिया में उभरती प्रवृत्तियों पर था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) प्रभाग के प्रकाशनों को लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं/उठाने का विचार किया है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चौधरी मोहन जतुआ) : (क) प्रकाशन विभाग से संबंधित ब्यौरा तैयार कर लिया गया है और ब्यौरे को पुस्तकों के लिए विवरण-I, पत्रिकाओं के लिए विवरण-II, III से V और रोजगार समाचार के लिए विवरण-VI के रूप में संलग्न किया गया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) भाग (ख) के उत्तर के मद्देनजर, प्रश्न नहीं उठता।

(घ) अपने प्रकाशनों को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रकाशन विभाग देशभर में आयोजित किए जाने वाले विभिन्न पुस्तक मेलों/प्रदर्शनियों में निरंतर सहभागिता कर रहा है। वह विभिन्न राज्यों वे मुख्यालयों में स्थित बिक्री केन्द्रों के जरिए प्रकाशनों को लोकप्रिय बनाने के लिए विभिन्न राज्यों में व्यापक बिक्री संवर्द्धन दौरे भी कर रहा है। विभाग अपने एजेंटों के नेटवर्क का भी विस्तार कर रहा है।

विवरण-I

विभाग द्वारा प्रकाशित एवं विक्रय की गई पुस्तकों की संख्या

क्रम सं.	वर्ष	प्रकाशित पुस्तकों की संख्या	प्रकाशित पुस्तकों की प्रतियों की संख्या	विक्रय की गई पुस्तकों की संख्या
1.	2008-09	117*	194800	26614#
2.	2009-10	85**	149200	252854#
3.	2010-11	93***	245370	233648#
4.	2011-अब तक	27****	34000	37027#

* 6 पुस्तकें विक्रय के लिए नहीं हैं

** 12 पुस्तकें विक्रय के लिए नहीं हैं

*** 08 पुस्तकें विक्रय के लिए नहीं हैं

**** 01 पुस्तक विक्रय के लिए नहीं है

विक्रय एक सतत प्रक्रिया है। विक्रय की गई प्रतियों में गत वर्ष प्रकाशित की गई पुस्तकों के विक्रय के आंकड़े भी शामिल हैं।

विवरण-II

प्रकाशन विभाग

पत्रिकाएं

वर्ष 2008-09 के लिए

पत्रिका का नाम	मुद्रित	विक्रय की गई*
बाल भारती	727057	722469
आजकल हिंदी	95730	94159
आजकल उर्दू	24265	23876
कुरुक्षेत्र अंग्रेजी	217848	216595
कुरुक्षेत्र हिंदी	256241	255294
योजना पजांबी	4450	4093
योजना उर्दू	8420	7408
योजना हिंदी	339236	337210
योजना अंग्रेजी	349056	348412
योजना उड़िया	7308	6946
योजना असमिया	6000	1909
योजना बंगला	82800	79458
योजना कन्नड़	29380	29320
योजना तमिल	207450	206223
योजना गुजराती	253495	252705
योजना मराठी	34300	31850
योजना तेलुगु	116380	113842
योजना मलयालम	9300	8298
कुल	2768896	2740067

* इसमें विक्रय संवर्द्धन के लिए प्रकाशित प्रतियां भी शामिल हैं।

विवरण-III

प्रकाशन विभाग

पत्रिकाएं

वर्ष 2009-10 के लिए

पत्रिका का नाम	मुद्रित	विक्रय की गई*
बाल भारती	1619352	1617733
आजकल हिंदी	81670	78631
आजकल उर्दू	23815	23377
कुरुक्षेत्र अंग्रेजी	233700	232675
कुरुक्षेत्र हिंदी	254599	252864
योजना पजांबी	4200	3957
योजना उर्दू	8900	8017
योजना हिंदी	352458	351370
योजना अंग्रेजी	393113	392246
योजना उड़िया	7376	6825
याजेना असमिया	6000	1887
योजना बंगला	101200	100752
योजना कन्नड़	38150	38060
योजना तमिल	200700	200055
योजना गुजराती	456788	455698
योजना मराठी	52500	49889
योजना तेलुगु	111300	111300
योजना मलयालम	12300	11479
कुल	3958121	3936815

* इसमें विक्रय संवर्द्धन के लिए प्रकाशित प्रतियां भी शामिल हैं।

विवरण-IV

प्रकाशन विभाग

पत्रिकाएं

वर्ष 2010-11 के लिए

पत्रिका का नाम	मुद्रित	विक्रय की गई*
1	2	3
बाल भारती	539250	537372
आजकल हिंदी	23665	22152

1	2	3
आजकल उर्दू	69170	67885
कुरुक्षेत्र अंग्रेजी	298832	297566
कुरुक्षेत्र हिंदी	297000	295870
योजना पजांबी	4250	4024
योजना उर्दू	8621	7871
योजना हिंदी	460260	459201
योजना अंग्रेजी	515950	515279
योजना उड़िया	7870	7459
योजना असमिया	6000	1780
योजना बंगला	131600	129984
योजना कन्नड़	51800	51559
योजना तमिल	203950	202852
योजना गुजराती	126820	125570
योजना मराठी	76800	73263
योजना तेलुगु	105900	105900
योजना मलयालम	13850	12775
कुल	2941588	2918370

*इसमें विक्रय संवर्द्धन के लिए प्रकाशित प्रतियां भी शामिल हैं।

विवरण–V

प्रकाशन विभाग

पत्रिकाएं

वर्ष 2011–12 के लिए (दिसम्बर 2011 तक)

पत्रिका का नाम	मुद्रित	विक्रय की गई*
1	2	3
बाल भारती	771250	770034
आजकल हिंदी	52700	51653
आजकल उर्दू	17400	16986

1	2	3
कुरुक्षेत्र अंग्रेजी	268000	264750
कुरुक्षेत्र हिंदी	238700	236549
योजना पजांबी	2850	2647
योजना उर्दू	3875	3294
योजना हिंदी	355700	354809
योजना अंग्रेजी	459600	458826
योजना उड़िया	5225	4921
योजना असमिया	4000	971
योजना बंगला	102600	89188
योजना कन्नड़	48300	46509
योजना तमिल	154900	152874
योजना गुजराती	22305	21324
योजना मराठी	54400	52265
योजना तेलुगु	110000	109964
योजना मलयालम	12400	11771
कुल	2684205	2649335

*इसमें विक्रय संवर्द्धन के लिए प्रकाशित प्रतियां भी शामिल हैं।

विवरण–VI

एम्पलायमेंट न्यूज, रोजगार समाचार (हिंदी) और रोजगार समाचार (उर्दू)

वर्ष	कुल मुद्रित प्रतियां (अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू)	कुल विक्रय की गई प्रतियां
2008–09	20084800	20011844
2009–10	23319156	23246200
2010–11	23326755	23253799
2011–10 दिसंबर, 11 तक	15598120	15546209

कानून और व्यवस्था की स्थिति

3096. श्रीमती मीना सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यायपालिका ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कानून और व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति पर हाल ही में टिप्पणी की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) स्थिति को सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रभावी उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्दन) : (क) से (ग) जी हां। अपर सत्र न्यायाधीश, रोहिणी न्यायालय, दिल्ली ने पुलिस थाना अशोक विहार, नई दिल्ली में भारतीय दंड संहिता की धारा 392/397/34 के तहत दर्ज एफ आई आर संख्या 210/2010 में दिनांक 24.10.2011 को निर्णय देने के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कानून एवं व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति के बारे में टिप्पणी की थी। *न्यायालय द्वारा यह टिप्पणी की गई थी कि* "देश की राजधानी में कानून एवं व्यवस्था की बिगड़ रही समस्या गंभीर चिंता का विषय है और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी स्तरों पर तत्काल कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। इन परिस्थितियों में न्यायालयों द्वारा समाज के सामने आ रही नई चुनौतियों के उत्तर ढूंढने तथा इन चुनौतियों से निपटने के लिए दंड संबंधी प्रक्रिया को उसके अनुसार ढालने की आवश्यकता है"। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में अपराध को नियंत्रित करने तथा स्थिति को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं :

(i) बीट गश्त प्रणाली को चुस्त-दुरुस्त बनाना।

(ii) पुलिस की उपस्थिति और गश्त को बढ़ाना।

(iii) प्रत्येक पुलिस थाने में अपराध के पैटर्न के आधार पर संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करना।

(iv) मोटर बाइकों पर सवार युवकों पर विशेष ध्यान रखते हुए जांच करना।

(v) क्षेत्र में पुलिस की उपस्थिति को बढ़ाकर तुरन्त कार्रवाई करना।

(vi) सक्रिय आपराधिक गैंगों के खिलाफ जिला पुलिस तथा विशेषीकृत इकाइयों द्वारा स्थूल आसूचना (मैक्रो-इंटेलिजेंस) एकत्र किया जाना।

(vii) ज्ञात अपराधियों पर कड़ी चौकसी रखना।

(viii) दोषसिद्धि के बाद जेल से बाहर आने वाले या जमानत पर रिहा हुए अपराधियों की गतिविधियों पर नजर रखना।

(ix) "आंख और कान" जैसी योजनाओं के माध्यम से अपराध नियंत्रित करने में सार्वजनिक भागीदारी।

(x) विपत्ति में की गई कॉलों पर तथा कानून व्यवस्था की बड़ी स्थिति में कार्रवाई करने के लिए आपातकालीन कार्रवाई वाहनों की तैनाती।

[अनुवाद]

बम-विस्फोट पीड़ितों को दि.वि.प्रा. के भूखण्ड/फ्लैट

3097. श्री राजय्या सिरिसिल्ला : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बम-विस्फोट पीड़ितों और उनके आश्रितों को भूखण्ड/फ्लैट आबंटित करने का निग्रय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों के दौरान कितने भूखण्ड/फ्लैट आबंटित किए गए;

(ग) यदि नहीं, तो इसका क्या कारण हैं; और

(घ) बम-विस्फोट पीड़ितों और उनके आश्रितों को भूखण्ड/फ्लैट आबंटन करने की प्रक्रिया तेज करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं/क्या कदम उठा रही है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) से (घ) उपरोक्त (क) के आलोक में लागू नहीं होता।

[हिन्दी]

शहरी अवसंरचना एवं शासन परियोजनाओं के तहत धनराशि

3098. श्री खिलाड़ी लाल बैरवा:
श्री दुष्यंत सिंह:

श्री बदीराम जाखड़:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अतिरिक्त केंद्रीय सहायता जारी किए जाने के अभाव में शहरी अवसंरचना एवं शासन (यू.आई.जी.) परियोजनाओं की प्रगति पर प्रतिकूल असर पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार आठ यू.आई.जी. परियोजनाओं के लिए शीघ्र ही 30.98 करोड़ रु. (कटौती की धनराशि) जारी करने का विचार रखती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय) : (क) और (ख) जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) शहरी केन्द्रों में शहरी अवस्थापना और सेवाओं का प्रावधान करने के लिए सुधार से जुड़ी स्कीम है। इसमें राज्यों और स्थानीय निकायों द्वारा सहमत समय-सीमा के अनुसार अनुदानों के 70% उपयोग तथा सुधार किए जाने के अध्यधीन परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) की दूसरी और बाद की किस्तें जारी की जाती हैं।

(ग) और (घ) राज्य सरकारों द्वारा हस्ताक्षरित करार ज्ञापन में वचनबद्ध समय-सीमा के अनुसार सुधारों को पूरा नहीं किए जाने के कारण, परियोजनाओं के लिए एसीए की दूसरी और बाद की किस्त जारी करते समय स्कीम शर्तों के अनुसार एसीए का 10% रोक लिया गया है। सुधार पूरा करने पर रोकी गई राशि की प्रतिपूर्ति की जा सकती है।

खेलों में ग्रामीण युवाओं को बढ़ावा देना

3099. श्री संजय सिंह चौहान:
श्री कामेश्वर बैठा:
श्रीमती ज्योति धुर्वे:
श्री सी. शिवासामी:

क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं की राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में भागीदारी को बढ़ावा देने का है;

(ख) यदि हां, तो स्पर्धावार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या झारखण्ड तथा अन्य राज्यों के ग्रामीण/जनजातीय क्षेत्रों के खिलाड़ियो ने विभिन्न खेल प्रतिस्पर्धाओं में देश का गौरव बढ़ाया है;

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान खेल स्पर्धावार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने जनजातीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश में खेलों को बढ़ावा देने और देश के प्राथमिक और मिडिल विद्यालयों में खेल प्रशिक्षण और अवसंरचना मुहैया कराने के लिए किसी योजना की शुरुआत की है; और

(च) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) जी हां।

(ख) पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान के अंतर्गत ग्राम तथा ब्लॉक पंचायतों में चरणबद्ध पद्धति से खेल-मैदानों का विकास किया जाता है। योजना के अंतर्गत उत्तर-पूर्वी खेलों समेत पूरे देश में निम्न बीस विधाओं में ब्लॉक, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिवर्ष ग्रामीण प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं :-

1. तीरंदाजी, 2. एथेलेटिक्स, 3. बैडमिंटन, 4. बास्केटबाल, 5. मुक्केबाजी, 6. साईक्लिंग, 7. फुटबाल, 8. जिमनास्टिक, 9. हैंडबाल, 10. हॉकी, 11. जूडो, 12. कबड्डी, 13. खो-खो, 14. तैराकी, 15. खेल टेनिस, 16. ताईक्वांडो, 17. वालीबाल, 18. भारोत्तोलन, 19. कुश्ती, 20. वुशु

पायका के अंतर्गत आयोजित वार्षिक प्रतियोगिताएं ग्रामीण तथा जनजातीय क्षेत्रों से प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान करने में एक बड़ा आधार मुहैया कराती हैं। इसके अतिरिक्त, भारतीय खेल प्राधिकरण (एमएआई) के अंतर्गत अपनी विभिन्न योजनाओं में ग्रामीण, जनजातीय, तटीय, शहरी तथा अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों से प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का पता लगाकर देश भर के विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्रों में उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करती है। इन प्रशिक्षुओं को एसएआई के विशेषज्ञ कोचों से प्रशिक्षित कराया जाता है।

साथ ही इन्हें आवास, भोजन–व्यवस्था, प्रतियोगिता– प्रदर्शन, स्पोर्टस किट, चिकित्सा बीमा इत्यादि प्रदान किया जाता है। इन्हें राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट बनाने हेतु वैज्ञानिक तकनीक भी मुहैया कराई जाती है।

इसके अतिरिक्त विदेश में अंतर्राष्ट्रीय विधाओं में प्रशिक्षण तथा टीमों की सहभागिता के लिए, भारत में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट आयोजित कर राष्ट्रीय टीमों को भारतीय तथा विदेशी कोचों के तहत् अपेक्षित तकनीकी तथा वैज्ञानिक सहायता देकर, उपस्करों आदि की खरीद कर कोचिंग और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल फेडरेशनों (एनएसएफज) को वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाती है।

(ग) जी हां।

(घ) उपलब्धियों का ब्यौरा संलग्न विवरण–I पर दिया गया है।

(ङ) जी हां, पायका योजना से पृथक जिसका आरम्भ 2008–09 में किया गया था, ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों का बढ़ावा देने हेतु एसएआई के अंतर्गत 21 खेल प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की गई है जो जिसमें जनजातीय, ग्रामीण, तटीय तथा पहाड़ी क्षेत्रों से जहां की जननिक भौगोलिक स्थिति हैं, उन्हें आधुनिक खेल प्रतियोगिताओं में एक अच्छा खिलाड़ी बनाने तथा उत्कृष्ट उपलब्धि प्राप्त करने हेतु वैज्ञानिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

(च) ब्यौरा संलग्न विवरण–II पर दिया गया है।

विवरण–I

पिछले चार वर्षों के दौरान एसएआई के प्रशिक्षुओं की उपलब्धियां

क–राष्ट्रीय स्तर

क्रम सं.	योजना का नाम	2008–09			2009–10			2010–11		
		जी	एस	बी	जी	एस	बी	जी	एस	बी
1.	एनएसटीसी स्कूल	16	13	10	10	10	19	0	0	0
2.	आर्मी बायज स्पोर्टस कम्पनीज (एबीएससी)	83	42	26	60	32	24	0	0	0
3.	साई प्रशिक्षण केन्द्र	144	132	153	131	121	139	20	19	19
4.	स्पेशल एरिया गेम्स (एसएजी)	96	68	62	69	67	51	16	05	08
5.	एसटीसी/एसएजी का ऐक्सटेशन सेन्टर	0	04	04	0	0	02	0	0	0
6.	सेन्टर ऑफ एक्सलैस (सीओई)	52	37	45	74	56	43	02	07	06
	कुल	391	296	300	344	286	278	38	31	33

ख–अंतर्राष्ट्रीय स्तर

क्रम सं.	योजना का नाम	2008–09			2009–10			2010–11		
		जी	एस	बी	जी	एस	बी	जी	एस	बी
1.	एनएसटीसी स्कूल	04	01	03	0	01	0	0	0	01
2.	आर्मी बायज स्पोर्टस कम्पनीज (एबीएससी)	05	03	03	09	03	03	0	0	01
3.	साई प्रशिक्षण केन्द्र	46	19	13	05	13	06	12	05	13
4.	स्पेशल एरिया गेम्स (एसएजी)	11	11	0	04	04	07	04	02	02
5.	एसटीसी/एसएजी का ऐक्सटेशन सेन्टर	0	0	01	0	0	0	0	0	0
6.	सेन्टर ऑफ एक्सलैस (सीओई)	18	15	15	22	09	17	06	06	15
	कुल	84	49	35	40	30	33	22	13	32

नोट : साई प्रशिक्षुओं द्वारा जीते गए उपरोक्त पदक अक्टूबर 2010 के अनुसार हैं।

जी–स्वर्ण, एस–रजत, बी–कांस्य

विवरण–II

स्पेशल एरिया गेम्स (एसएजी) योजना

क्रम सं.	क्षेत्र/राज्य/केन्द्र	विधा
1	2	3
	पूर्वी	
1.	रांची	तीरंदाजी
		एथेलेटिक्स
		फुटबाल
		हॉकी
		वालीबाल
	उड़ीसा	
2.	जगतपुर	
		केनोईंग
		कायाकिंग
		रोविंग
3.	सुन्दरगढ़	तीरंदाजी
		एथेलेटिक्स
		हॉकी
	बिहार	
4.	मुजफ्फर नगर	फुटबाल
		कबड्डी
		वुशु
5.	किशनगंज	फुटबाल
		वालीबाल
6.	गिद्दोर	एथेलेटिक्स
		फुटबाल
		वालीबाल
	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	
7.	पोर्ट ब्लेअर	साइक्लिंग
		क्याक्रिंग
		केनोईंग
		फुटबाल
		रोविंग
		वाटर स्पोर्टस
		भारोत्तोलन
	त्रिपुरा	
8.	अगरतला	एथेलेटिक्स
		फुटबाल
		जिमनास्टिक
		जूडो
		तैराकी
	पश्चिम बंगाल	
9.	बोलपुर	तीरंदाजी
		एथेलेटिक्स
		बास्केटबाल
	दक्षिण	
केरल		
10.	अल्लेपी	क्याकिंग
		केनियोंग
		रोविंग
11.	टेलीचरी	एथेलेटिक्स
		बास्केटबाल
		फेन्सिंग
		जिमनास्टिक
		वालीबाल
	तमिलनाडु	
12.	नागरकोईल	*बास्केटबाल
		कबड्डी

1	2	3
13.	मयिलादुथुरई	एथेलेटिक्स
		बास्केटबाल
		हॉकी
		कबड्डी
		वालीवाल
		भारोत्तोलन
	उत्तर–पूर्वी	
	मणिपुर	
14.	इम्फाल	बाक्सिंग
		फेन्सिंग
		जिमनास्टिक
		जूडो
		कराटे
		शूटिंग
		तैरी
		भारोत्तेलन
		कुश्ती
		वुशु
15.	उतलोव	बाक्सिंग
		फुटबाल
		ताईक्वान्डो
		भारोत्तोलन
	मिजोरम	
16.	ऐजवाल	बाक्सिंग
		जूडो
		कराटे
		सोपातकराव
		ताईक्वान्डो
		भारतोलन
		कुश्ती

1	2	3
एससी–गुवाहाटी		
	अरुणाचल प्रदेश	
17.	नथिरगुन	बाक्सिंग
		कराटे
		ताइक्वान्डो
		भारोत्तोलन
	असम	
18.	तीनसुकिया	एथेलेटिक
		फुटबाल
19.	कोकराझर	तीरंदाजी
		एथेलेटिक्स
		बाक्सिंग
		फुटबाल
		जूडो
		कबड्डी
		कराटे
		ताईक्वांडो
		वुशु
	सिक्किम	
20.	नामची	तीरंदाजी
		बाक्सिंग
		फुटबाल
		ताईक्वान्डो
	केन्द्रीय/सेन्ट्रल	
	मध्य प्रदेश	
21.	धर	एथेलेटिक्स
		तीरंदाजी
		बैडमिंटन
		हैडबाल
		हॉकी
		कुश्ती

[अनुवाद]

जेल बंदियों द्वारा मोबाइल फोन का इस्तेमाल

3100. **श्री श्रीपाद येसो नाईक :**
श्री प्रहलाद जोशी :
क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस आशय की खबरें है कि देश की विभिन्न जेलों में बंद कैदियों द्वारा मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए विदेशों को टेलीफोन कालें की गई;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्यवार ऐसे कुल कितने मामलों की सूचना मिली;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को किसी राज्य सरकार की ओर से ऐसे मामलों की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी के द्वारा कराने का अनुरोध प्राप्त हुआ हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह) : (क) हाल में केरल में जेल कर्मचारियों द्वारा विभिन्न जेलों में ली गई तलाशियों के दौरान कैदियों से 120 मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं।

(ख) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि के अनुसार कारागार राज्य का विषय है। अतः कारागारों का प्रशासन और प्रबंधन प्राथमिक रूप से राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। इस संबंध में आंकड़े केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखे जाते हैं।

(ग) और (घ) केरल सरकार ने भारत सरकार से जांच के लिए अनुरोध किया है।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि संबंधी उद्योग

3101. **श्री घनश्याम अनुरागी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सूखे एवं बाढ़ से प्रभावित लोगों के लाभ के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि संबंधी उद्योगों के विकास हेतु कोई नई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सूखा एवं बाढ़ से प्रभावित उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनका चयन उक्त उद्योगों के विकास हेतु किया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

आईएचएसडीपी के अंतर्गत अनुदान

3102. **श्री कामेश्वर बैठा : क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) झारखंड सहित ऐसे राज्यों की संख्या कितनी है जहां केन्द्र प्रायोजित इंटीग्रेटेड हाउसिंग एंड स्लम डेवलपमेन्ट प्रोग्राम (आईएचएसडीपी) योजना का कार्यान्वयन हुआ है;

(ख) क्या शहरी क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले (बीपीएल) परिवारों को इस योजना के अंतर्गत मकानों के निर्माण हेतु 1.81 लाख रुपये का अनुदान स्वीकृत किया जाता है,

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस अनुदान धनराशि में पर्याप्त रूप से वृद्धि करने का है;

(घ) यदि हां, तो सरकार का विचार इस अनुदान धनराशि में किस सीमा तक वृद्धि करने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) का घटक यानी एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) झारखंड राज्य सहित 52 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ख) से (ङ) (आइएचएसडीपी) के अंतर्गत राज्यों को शहरी गरीबों/स्लम वासियों के लिए एकीकृत आवास और अवस्थापना सुविधाओं हेतु केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। केन्द्र सरकार

तथा राज्य सरकार/शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी)/ पैरास्टेटल/ लाभार्थी के बीच निधियों के अंशदान का अनुपात 80:20 है। विशेष श्रेणी राज्यों के लिए वित्त पोषण पद्धति का अनुपात 90:10 है। रिहायशी मकानों (डीयू) के लिए अधिकतम लागत को छोड़कर कोई अधिकतम लागत नहीं है जोकि इस समय 1,00,00 रु. है। वर्ष 2008–09 से रिहायशी मकानों के लिए अधिकतम लागत को 80,000 रु. से बढ़ाकर 1,00,000 रु. कर दिया गया था। चूंकि आईएचएसडीपी अपने कार्यान्वयन के अंतिम वर्ष में है, इसलिए अधिकतम लागत को और बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

अजंता गुफाओं को खतरा

3103. श्री जे.एम. आरुन रशीद : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के अनुसार महाराष्ट्र में विश्व विरासत स्थल, अजंता गुफाओं को संरक्षण संबंधी खतरा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त विश्व विरासत स्थल की सुरक्षा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) जी, नहीं। महाराष्ट्र में विश्व विरासत स्थल अजन्ता गुफाएं भली–भांति परिरक्षित हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) स्मारकों का संरक्षण कार्य एक सतत् प्रक्रिया है। अजन्ता गुफाओं में नैमी रखरखाव कार्य नियमित रूप से किया जाता है जबकि विशेष मरम्मत कार्य आवश्यकता और संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए किया जाता है।

मानव तस्करी में कमी आना

3104. श्री किसनभाई वा. पटेल :
श्री प्रदीप माझी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत समय में देश में मानव तस्करी के मामलों में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा वर्ष 2009–10 और 2010–11 के दौरान देश के विभिन्न भागों में मानव तस्करी के कितने मामले दर्ज किए गए हैं;

(ग) क्या हाल ही में संयुक्त राज्य अमरीका ने भारत को मानव तस्करी की निगरानी सूची से हटा दिया है तथा इसका उन्नयन कर इसे टियर–2 देश का दर्जा दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एन सी आर बी) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 2008, 2009 और 2010 की अवधि के दौरान मानव दुर्व्यापार के सामान्य विवरण के तहत आने वाले कानून के विभिन्न उपबंधों के अंतर्गत पंजीकृत मामलों की कुल संख्या क्रमशः 3030 2848 तथा 3422 थी। राज्य/संघ–राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) जी, हां। संयुक्त राज्य अमेरिका का डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट प्रत्येक वर्ष मानव दुर्व्यापार संबंधी रिपोर्ट (टी आई पी) जारी करता है। वर्ष 2011 से संबंधित रिपोर्ट, जिसमें मानव दुर्व्यापार संबंधी अपराध का मुकाबला करने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों तथा पीड़ितों की सहायता और पुनर्वास के लिए किए गए उपायों के मूल्यांकन के आधार पर 184 देशों को चार श्रेणियों में रखा गया है, जारी की गई है।

देश में मानव दुर्व्यापार का मुकाबला करने तथा इसे रोकने के संबंध में भारत सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का उल्लेख करते हुए भारत को श्रेणी–II वॉच लिस्ट से हटाकर श्रेणी–II में रखा गया है। तथापि, भारत सरकार इस रिपोर्ट का संज्ञान नहीं लेती है क्योंकि यह संयुक्त राज्य अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट का एक आन्तरिक आकलन है।

विवरण

वर्ष 2008 से 2010 के दौरान मानव दुर्व्यापार★ के तहत किए गए कुल अपराधों से संबंधित पंजीकृत मामले (सीआर), आरोपपत्रित मामले (सी एस), दोषसिद्ध मामले (सीवी), गिरफ्तार व्यक्ति (पीएआर), आरोप-पत्रित व्यक्ति (पीसीएस) और दोषसिद्ध व्यक्ति (पीसीवी)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सीआर	सीएस	सीवी 2008	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी 2009	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी 2010	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	आन्ध्र प्रदेश	408	420	77	1257	1340	251	309	321	218	1070	1119	200	633	506	79	1449	1389	163
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	असम	27	25	10	62	90	17	38	18	0	62	37	0	103	32	2	127	49	4
4	बिहार	106	88	14	189	156	21	129	65	11	161	133	24	184	95	11	179	156	14
5	छत्तीसगढ़	8	8	1	18	18	3	14	13	1	49	42	3	25	23	8	79	80	15
6	गोवा	14	12	12	42	34	43	23	19	10	73	44	17	17	14	0	50	36	0
7	गुजरात	59	55	3	214	209	5	44	39	1	202	192	10	46	46	2	157	157	4
8	हरियाणा	77	81	21	361	360	117	90	83	19	391	375	93	57	57	28	226	233	94
9	हिमाचल प्रदेश	3	1	1	13	2	1	11	11	0	29	41	0	4	4	0	13	14	0
10	जम्मू और कश्मीर	4	4	0	10	10	0	6	5	0	19	18	0	4	0	0	0	0	0
11	झारखंड	66	42	5	142	122	13	7	20	10	66	46	22	46	38	5	63	70	12
12	कर्नाटक	521	518	215	1671	1657	575	336	319	150	1341	1243	322	263	258	264	954	1034	359
13	केरल	200	208	134	438	518	197	328	331	182	666	654	248	315	341	217	586	643	274
14	मध्य प्रदेश	30	22	5	78	61	3	22	24	7	82	99	9	44	37	15	144	137	15
15	महाराष्ट्र	366	346	62	1470	1296	144	344	386	92	1537	1744	200	360	376	78	1096	1124	176
16	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	मेघालय	3	1	0	14	1	0	5	4	0	5	5	0	3	1	0	12	4	0
18	मिजोरम	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1
19	नागालैंड	1	1	1	10	1	1	3	5	5	24	17	18	2	3	4	15	12	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
20	ओडिसा	29	36	3	107	82	15	15	16	3	57	56	7	34	31	4	110	149	7
21	पंजाब	43	45	12	168	157	28	62	50	11	234	183	38	60	56	15	291	257	68
22	राजस्थान	72	70	65	253	253	41	63	60	21	216	213	107	96	93	16	312	315	31
23	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	3	0	3	1	0	5	1	0
24	तमिलनाडु	688	732	809	1280	1207	1032	716	718	463	1269	1403	820	580	576	316	921	931	669
25	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	28	15	4	29	8	4	33	17	0	19	18	0
26	उत्तर प्रदेश	57	47	37	383	375	276	39	37	21	201	186	176	23	21	28	119	97	201
27	उत्तराखंड	5	5	6	22	28	20	6	5	5	29	39	9	4	4	11	27	27	29
28	पश्चिम बंगाल	163	116	12	303	244	20	160	86	9	295	216	17	427	216	15	634	361	46
	कुल राज्य	2951	2884	1505	8506	8222	2823	2800	2651	1244	8110	8116	2345	3366	2847	1119	7588	7295	2183
29	अं. और नि. द्वीपसमूह	0	1	0	0	2	0	1	0	1	2	0	1	3	1	0	15	1	0
30	चंडीगढ़	7	2	0	35	3	0	4	6	0	14	33	0	3	5	0	13	18	0
31	दादरा और नगर हवेली	3	4	0	22	20	0	0	1	0	0	8	0	1	1	0	8	8	0
32	दमण और द्वीव	6	6	0	30	48	0	4	2	0	27	11	0	6	5	0	42	35	0
33	दिल्ली संघ शासित	60	50	40	162	289	119	30	34	31	79	107	80	32	39	32	100	105	84
34	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	पुडुचेरी	3	3	1	19	19	7	9	9	3	32	32	12	11	11	8	37	37	25
	कुल संघ शासित	79	66	41	268	381	126	48	52	35	154	191	93	56	62	40	215	204	109
कुल अखिल भारत		3030	2950	1546	8774	8603	2949	2848	2703	1279	8264	8307	2438	3422	2909	1159	7803	7499	2292

स्रोत : भारत में अपराध टिप्पणी: पुलिस और न्यायालयों द्वारा निपटान से संबंधित सूचना में पिछले वर्षों से लंबित मामले भी शामिल हैं।

*इसमें अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम+बालिकाओं का आयात+नाबालिक लड़कियों की खरीद–फरोख्त+वेश्यावृत्ति के लिए लड़कियों की खरीद+वेश्यावृत्ति के लिए लड़कियों की खरीद+वेश्यावृत्ति के लिए लड़कियों की बिक्री के शीर्ष शामिल हैं।

*कर्नाटक राज्य में अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के वर्ष 2008 से संबंधित आंकड़ों को वर्ष 2011 में परिवर्तित कर दिया है।

कृषि सूचना का प्रसार

3105. श्री एम.आई. शानवास : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन्हें कृषि सूचना, मौसम और जलवायु ब्यौरे निःशुल्क प्रदान करने के लिए एसएमएस तथा इंटीग्रेटेड वायस रिस्पान्स सिस्टम (आईवीआरएस) शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त योजना के अंतर्गत देश में सभी किसानों को व्यापक रूप से शामिल करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) मौसम एवं जलवायु ब्यौरे से अलग किसानों को प्रदान की जाने वाली सूचना के प्रमुख घटक क्या हैं; और

(च) सार्वजनिक क्षेत्र के सेवा प्रदाताओं सहित उन अन्य सेवा प्रदाताओं का ब्यौरा क्या है जो उक्त सूचना देने हेतु सूची में सम्मिलित हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत) : (क) जी, हां।

(ख) समय पर फार्म से संबंधित जानकारी देने के लिए मोबाइल फोनों के माध्यम से अल्प पाठ संदेश के रूप में कृषि परामर्श 310 कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा किसानों को दिए जा रहे हैं। वर्तमान वर्ष के दौरान इस परियोजना के तहत 1.10 लाख एसएमएस (अल्प संदेश सेवा) 13.4 लाख किसानों को भेजे गए है। कुछ राज्य सरकारों तथा अन्य संगठनों द्वारा भी ऐसी सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।

मिशन प्रणाली परियोजना ''राष्ट्रीय ई-प्रशासन योजना-कृषि'' आईसीटी के प्रयोग के जरिए भारत में कृषि के तीव्र विकास के लिए क्रियान्वित की जा रही है ताकि देश के किसानों के लिए कृषि से जुड़ी हुई जानकारी समय पर सम्प्रेषित की जा सकती है। इस परियोजना के तहत वर्तमान आईटी स्कीमों/क्रियाकलापों को समेकित तथा परिमार्जित किया जाएगा ताकि किसान उपलब्ध जानकारी का समय पर और उचित तरीके से प्रयोग कर सकें। किसानों को ऐसी जानकारी सामान्य सेवा केन्द्रों, इंटरनेट केन्द्रों तथा एसएमएस सहित विभिन्न माध्यमों से उपलब्ध कराने का आशय है। सेवाओं के 12 समूहों की पहचान की गई है तथा इस परियोजना को 7 राज्यों अर्थात असम, हि. प्र., कर्नाटक, झारखंड, केरल, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में क्रियान्वयन हेतु मंजूरी दी गई है।

(ग) और (घ) ''राष्ट्रीय ई-प्रशासन योजना-कृषि'' को सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन लेने के पश्चात संपूर्ण देश में क्रियान्वित करने का विचार किया जा रहा है।

(ङ) दी जाने वाली प्रस्तावित जानकारी में कीटनाशक, उर्वरक, बीज, मृदा स्वास्थ्य, फसल, फार्म मशीनरी, उन्नत कृषि प्रणालियां, मौसम संबंधी परामर्श, मूल्य एवं आवक से संबंधित जानकारी, खरीद के केन्द्र तथा मंडी अवसंरचना से संबंधित जानकारी शामिल हैं।

(च) ''राष्ट्रीय ई-प्रशासन योजना-कृषि'' के क्रियान्वयन के दौरान यह प्रयास किया गया है कि किसी भी टेलिकाम सेवा प्रोवाइटर से जुड़े हुए किसानों को ये सेवाएं दी जाएंगी।

स्लम मुक्त शहर/कस्बे

3106. डॉ. कृपारानी किल्ली : क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान देश के स्लम मुक्त शहर बनाने के लिए चिन्हित शहरों/कस्बों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान शहर/कस्बे-वार देश में शहरों/कस्बों को इस उद्देश्य हेतु आवंटित एवं जारी की गई धनराशि कितनी-कितनी है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान शहर/कस्बे-वार क्या कार्य शुरू एवं पूरे किए गए?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) और (ख) स्लम मुक्त भारत बनाने हेतु सरकार के विजन (सपने) के अनुपालन में 2.06.2011 को एक नई स्कीम राजीव आवास योजना (आर ए वाई) प्रारंभ की गई। राजीव आवास योजना के चरण-I की अवधि स्कीम के अनुमोदन की तारीख से 2 वर्ष की है जिसके लिए 5000 करोड़ रु. के बजट की व्यवसाय की गई

तथा व्यय को वास्तविक योजना परिव्यय तक सीमित किया गया है। 12वीं योजना (2017) के अंत तक संपूर्ण देश में लगभग 250 शहरों को कवर करने की संभावना है।

अभी तक राजीव आवास योजना के अंतर्गत कोई निधि जारी नहीं की गई है। वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 के दौरान 34 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को स्लम मुक्त शहर योजना स्कीम अर्थात राजीव आवास योजना को प्रारंभिक चरण के अंतर्गत 157 शहरों में प्रारंभिक कार्यकलाप शुरू करने के लिए 99.98 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई है। 157 शहरों जिनके लिए निधि जारी की गई है कि सूची संलग्न विवरण में दी गई है, जिसमें से 10 शहर आंध्र प्रदेश से हैं।

(ग) अभी तक राजीव आवास योजना के अंतर्गत कोई परियोजना स्वीकृत नहीं की गई है इसलिए वास्तविक निर्माण संबंधी कोई कार्य शुरू नहीं हुआ है। तथापि, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने सूचित किया है कि जिसमें स्लम सर्वेक्षण, जीआईएस मानचित्रण, जी आईएस–एमआईएस समेकन, स्लम पुनर्विकास/पुनर्वास योजना, क्षेत्रीय योजना की तैयारी, स्लम मुक्त शहर कार्य योजना एवं प्रायोगिक परियोजना शामिल है।

विवरण

157 शहरों की सूची

क्रमांक	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का नाम	जारी की गई राशि (लाख रु.) में/ शहरों की संख्या		शहर–एसएफसीपी द्वारा जारी की गई राशि
1	2	3		4
1	आंध्र प्रदेश	472.72 (10 शहर)	1	ग्रेटर हैदराबाद नगर–निगम (जीएचएमसी)
		969.40 लाख की दूसरी किश्त मार्च 2011 में निर्मुक्त की गई।	2	ग्रेटर विशाखापत्तनम नगर–निगम (जीवीएमसी)
			3	विजयवाड़ा
			4	तिरुपति
			5	गुंटूर
			6	नैल्लोर
			7	करनूल
			8	राजामुन्दरी
			9	वारंगल
			10	काकीनाड़ा
2	अरुणाचल प्रदेश	111.29 (दो शहर)	11	नाहरलागुन
			12	ईटा नगर
3	असम	76.34 (एक शहर)	13	गुवाहाटी

1	2	3	4	
4	बिहार	191.59 (चार शहर)	14	पटना
			15	गया
			16	भागलपुर
			17	मुज्जफरपुर
5	छत्तीसगढ़	182.88 (चार शहर)	18	भिलाई नगर
			19	रायपुर
			20	बिलासपुर
			21	कोरबा
6	दिल्ली	981.96 (डीएमसी)	22	दिल्ली क्षेत्र का नगर–निगम
7	गोवा	111.70 (तीन शहर)	23	मारमागोवा
			24	पणजी
			25	मारगोवा
8	गुजरात	431.64 (आठ शहर)	26	अहमदाबाद
			27	सूरत
			28	वडोदरा
			29	राजकोट
			30	जामनगर
			31	भावनगर
			32	भड़ूच
			33	पोरबन्दर
9	हरियाणा	151.3 (तीन शहर)	34	फरीदाबाद
			35	पानीपत
			36	यमुना नगर
10	हिमाचल प्रदेश	63.84 (एक शहर)	37	शिमला
11	जम्मू तथा कश्मीर	236.80 (छः शहर)	38	जम्मू

1	2	3	4
			39 श्रीनगर
			40 अनंतनाग
			41 उधमपुर
			42 बारामूला
			43 कठुआ
12	झारखंड	206.11 (चार शहर)	44 जमशेदपुर
			45 धनबाद
			46 रांची
			47 बोकारो स्टील सिटी
13	कर्नाटक	400.4 (आठ शहर)	48 बंगलोर
			49 मैसूर
			50 हुबली–धारवाड़
			51 मंगलौर
			52 बेलगांव
			53 गुलबर्ग
			54 देवनगरी
			55 बिल्लारी
14	केरल	263.31 (छ: शहर)	56 कोच्ची
			57 तिरुअनंतपुरम
			58 कोझीकोड़े
			59 कन्नूर
			60 कोल्लम
			61 थिसूर
15	मध्य प्रदेश	282.25 (छ: शहर)	62 इंदौर
			63 भोपाल

1	2	3	4	
			64	जबलपुर
			65	ग्वालियर
			66	उज्जैन
			67	सागर
16	महाराष्ट्र	944.67 (सौलह शहर)	68	ग्रेटर मुम्बई
			69	पूना
			70	नागपुर
			71	नासिक
			72	औरंगाबाद
			73	शोलापुर
			74	भिवांडी
			75	अमरावती
			76	कोल्हापुर
			77	संगली-मिराज कुपवाड़
			78	नांदेड-वागला
			79	मालेगांव
			80	अकोला
			81	जलगांव
			82	अहमद नगर
			83	धुले
17	मणिपुर	55.79 (एक शहर)	84	इम्फाल
18	मेघालय	95.63 (एक शहर)	85	शिलोंग
19	मिजोरम	467.07 (आठ शहर)	86	आइजवाल
			87	चमफई

1	2	3	4	
			88	कोलासिब
			89	लॉंगतई
			90	लुंगलई
			91	मामित
			92	साईहा
			93	सरचिप
20	नागालैण्ड	108.03 (दो शहर)	94	कोहिमा
			95	दिमापुर
21	ओडिसा	184.12 (पांच शहर)	96	भुवनेश्वर
			97	पुरी
			98	कटक
			99	राउरकेला
			100	ब्रह्मपुर
22	पुडुचेरी	79.01 (दो शहर)	101	पुडुचेरी
			102	ओझूकसे
23	पंजाब	583.34 (पांच शहर)	103	लुधियाना
			104	अमृतसर
			105	जालंधर
			106	पटियाला
			107	भंटिडा
24	राजस्थान	281.15 (छः शहर)	108	जयपुर
			109	जौधपुर
			110	कोटा
			111	बीकानेर
			112	अजमेर

1	2	3	4	
			113	उदयपुर
25	सिक्किम	62.39 (एक शहर)	114	गंगटोक
26	तमिलनाडु	480.14 (नौ शहर)	115	चेन्नई नगर निगम
			116	कोयम्बटूर
			117	मदुरई
			118	तिरुचिरापल्ली
			119	सलेम
			120	तिरुपुर
			121	तिरुनावेली
			122	एरोडे
			123	वेल्लौर
27	त्रिपुरा	54.68 (एक शहर)	124	अगरतला
28	उत्तर प्रदेश	733.17 (अठ्ठारह शहर)	125	कानपुर
			126	लखनऊ
			127	आगरा नगर-निगम
			128	वाराणसी
			129	मेरठ
			130	इलाहाबाद
			131	गाजियाबाद
			132	बरेली
			133	अलीगढ़
			134	मुरादाबाद
			135	गोरखपुर
			136	झासी नगर-निगम
			137	सहारनपुर

1	2	3	4	
			138	फिरोजाबाद
			139	मुज्जफर नगर
			140	मथुरा
			141	शाहजहांपुर
			142	नोएडा
29	उत्तरांचल	114.63 (तीन शहर)	143	देहरादून
			144	नैनीताल
			145	हरिद्वार
30	पश्चिम बंगाल	423.27 (चार शहर)	146	कोलकाता
			147	आसनसोल
			148	दुर्गापुर
			149	सिलीगुड़ी (भाग)
31	दमन और द्वीव	58.06 (दो शहर)	150	दमन
			151	द्वीव
32	दादरा और नगर हवेली (संघ राज्य क्षेत्र)	43.45 (दो शहर)	152	सिलवासा
			153	अमली
33	अंडमान और निकोबार (संघ राज्य क्षेत्र)	76.18 (एक शहर)	154	पोर्ट ब्लेयर
34	लक्ष्यद्वीप (संघ राज्य क्षेत्र)	38.94 (तीन शहर)	155	आमीनी
			156	कवरत्ती
			157	मिनीकोए

[हिन्दी]

कृषि आधारित उद्योगों का संवर्धन

3107. श्री पशुपतिनाथ सिंह:
श्रीमती जे. शांता:
श्री निशिकांत दुबे:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कृषि आधारित उद्योगों से आजीविका अर्जित करने वाले व्यक्तियों की राज्य-वार प्रतिशतता क्या है;

(ख) भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि आधारित उद्योगों का क्या योगदान है;

(ग) कृषि प्रमुख राज्यों में कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष एवं चालू वर्ष के दौरान कर्नाटक सहित देश में राज्यवार स्थापित इन उद्योगों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत) : (क) और (ख) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन की 62वीं पारी के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2004-05 के दौरान गैर संगठित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में 6.3 मिलियन लोगों को रोजगार मिला था। वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण, 2007-08 के अनुसार, पंजीकृत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के तहत 1.5 मिलियन लोगों को रोजगार मिला। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (पंजीकृत एवं गैर-पंजीकृत) द्वारा सकल घरेलू उत्पाद में 2004-05 से 2009-10 की अवधि के दौरान औसत वार्षिक योगदान 55788 करोड़ के क्रम में था।

(ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा तैयार नीतियों एवं योजनाओं के तहत बहुत से कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा दिया जाता है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के तहत मुख्य योजनाएं निम्नलिखित हैं-अंतरसंरचनात्मक विकास के लिए योजना; खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण, गुणवत्ता आश्वासन, कोडैक्स मानकों तथा अनुसंधान एवं विकास और प्रोत्साहन संबंधी क्रियाकलाप, स्ट्रीट आहार की गुणवत्ता का उन्नयन तथा संस्थान का सुदृढ़ीकरण।

(घ) खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में स्थापित कर्नाटक के उद्योगों के साथ-साथ राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11 तथा चालू वर्ष के दौरान सहायता प्राप्त यूनिटों की राज्यवार संख्या तथा प्रदत्त वित्तीय सहायता

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	2007-08		2008-09		2009-10		2010-11		2011-12 (21.11.2011 के अनुसार)	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	48	947.49	48	908.999	41	677.05	30	562.096	41	786.68
2.	अण्डमान एवं निकोबार	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	1	17.67	3	376.14	2	66.420	0	0
4.	असम	12	442.17	17	176.79	22	418.74	26	875.701	5	78.47
5.	बिहार	5	83.915	2	42.3	2	35.59	6	136.681	3	39.66
6.	चंडीगढ़	6	138.08	0	0	0	0	1	25.00	0	0
7.	छत्तीसगढ़	0	0	10	163.725	4	45.46	27	297.574	26	234.87
8.	दिल्ली	0	0	7	160.25	2	50	3	82.600	12	320.21
9.	गोवा	1	17	1	24.57	1	24.26	1	25.000	1	25.00
10.	गुजरात	32	544.06	39	714.81	42	665.18	52	1419.72	66	1242.04
11.	हरियाणा	19	418.72	23	349.415	11	134.96	14	325.280	10	184.58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.	हिमाचल प्रदेश	12	325.09	5	152.745	10	269.58	7	204.530	11	289.07
13.	जम्मू और कश्मीर	9	109.855	3	22.05	7	59.73	5	89.095	2	18.180
14.	झारखण्ड	2	9.09	0	0	3	44.09	4	85.425	0	0
15.	कर्नाटक	34	529.62	35	629.895	24	269.55	14	377.790	16	238.25
16.	केरल	47	876.8	32	545.37	33	567.53	19	411.72	28	539.67
17.	मध्य प्रदेश	10	172.32	14	201.87	18	273.03	14	211.294	13	194.05
18.	महाराष्ट्र	95	1696.805	121	1802.633	113	1717.3	56	1006.524	107	1452.93
19.	मणिपुर	3	61.74	3	45.51	6	163.75	1	23.975	5	92.15
20.	मेघालय	1	8.19	2	159.57	2	123.02	2	100.045	0	0
21.	मिजोरम	0	0	0	0	1	11	0	0	0	0
22.	नागालैंड	1	27.485	4	178.205	1	64.99	1	6.205	0	0
23.	ओडिसा	6	129.41	2	38.68	6	84.4	8	200.875	2	8.44
24.	पुडुचेरी	2	31.3	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	पंजाब	32	481.45	61	841.36	13	172.37	9	149.495	22	316.12
26.	राजस्थान	35	566.075	44	551.975	27	27325.46	48	691.123	63	806.10
27.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	तमिलनाडु	53	951.79	36	594.355	41	672.11	24	493.582	43	797.45
29.	त्रिपुरा	2	39.98	1	13.86	0	0	0	0	0	0
30.	उत्तर प्रदेश	63	1123.425	43	875.475	32	560.63	47	1078.638	37	635.89
31.	उत्तराखंड	9	339.78	6	163.15	12	307.57	6	168.523	1	2460
32.	पश्चिम बंगाल	35	653.56	19	390.135	10	136.48	10	317.945	10	206.51
	कुल	569	10725.2	579	9765.767	487	8249.97	437	9432.862	524	8508.66

[अनुवाद]

मत्स्ययन हेतु केरोसीन कोटा

3108. **श्री आनन्द प्रकाश परांजपे :**
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़ :
श्री भास्करराव बापूराव पाटिल खतगांवकर :
क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे तटीय राज्यों में मत्स्यन कार्यो हेतु सार्वजनिक वितरण प्रणाली कोटा के अतिरिक्त विशेष केरोसीन कोटा स्वीकृत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार के पास मछुआरे समुदाय के अधिकांश गरीब वर्गो को आउटबोर्ड मेकेनाइज्ड इंजन वेसेल्स के प्रचालन हेतु सार्वजनिक वितरण प्रणाली से अलग केरोसीन कोटा स्वीकृत किए जाने हेतु कोई प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत) : (क) और (ख) पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 2010–11 के दौरान तमिलनाडु सरकार के अनुरोध पर, राज्य में मछुआरों को आपूर्ति किए जाने के लिए गैर राजसहायता प्राप्त दर पर तमिलनाडु सरकार को प्रति माह 3200 के.एल. केरोसीन के लिए संस्वीकृति दी थी।

(ग) और (घ) जी, हां। प्रस्ताव की जांच किए जाने पर पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के अंतर्गत वितरण के लिए मात्र खाना बनाने और रोशनी के लिए राजसहायता के रूप में केन्द्र सरकार द्वारा उत्कृष्ट केरोसीन ऑयल (एस के ओ) आबंटित किए जाते हैं। तथापि, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा महाराष्ट्र सरकार को मात्स्यिकी क्षेत्र के लिए अपेक्षित गैर राजसहायता प्राप्त केरोसीन ऑयल की अतिरिक्त मात्रा को दर्शाने वाला एक औपचारिक प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध किया गया है।

शहरी अवसंरचना में निजी निवेश

3109. **श्री अधलराव पाटील शिवाजी :**
श्री धर्मेन्द्र यादव :
क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार शहरी क्षेत्रों में रहन–सहन की स्थिति सुधारने हेतु 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शहरी अवसंरचना में निजी क्षेत्र के निवेश की अनुमति हेतु किसी कानूनी और विनियामक ढांचे पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे विनिवेश हेतु एक उचित कानूनी और विनियामक ढांचे के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय) : (क) और (ख) शहरी अवसंरचना को बनाने और उसकी देखरेख करने का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है। तदनुसार शहरी अवसंरचना क्षेत्र में निजी क्षेत्र निवेश की सुविधा की व्यवस्था हेतु कानूनी और विनियामक तंत्र का सृजन करना राज्यों का उत्तरदायित्व है।

(ग) शहरी जल आपूर्ति और स्वच्छता क्षेत्र के नियमन पर संकल्पना पत्र इस मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया था तथा उसे कुछ राज्यों, विशेषज्ञ संगठनों आदि को परिचालित किया गया है।

एथेनाल का मूल्य निर्धारण

3110. **श्री पी. कुमार :** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन सुगर मिल्स एसोसिएशन ने गत वर्ष अगस्त में एथेनाल के अनंतिम निर्धारित मूल्य में संशोधन करने तथा एक स्पष्ट मूल्य निर्धारण नीति का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या विशेषज्ञ समिति द्वारा संस्तुत एथेनाल का मूल्य इसके निर्यात मूल्य से कम है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) इथनॉल के मूल्य नियत करने के लिए डा. सौमित्र चौधरी, सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति ने एक फार्मूले की संस्तुति की है। भारतीय चीनी मिल एसोसिएशन ने विशेषज्ञ समिति द्वारा संस्तुत इथनॉल के लिए मूल्य निर्धारण फार्मूले का शीघ्र अनुमोदन करने का अनुरोध किया है। सरकार ने इस मामले में कोई निर्णय नहीं लिया है।

डीडीए फ्लैटों का अन्तरण

3111. **श्री एम.के. राघवन** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एनपीआरएस स्कीम 1979 के अंतर्गत आवंटित दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के फ्लैटों के संबंध में कुल मासिक किस्तें मई 2010 में अत्यंत अत्यधिक हो गई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने 2001 से पहले के उक्त फ्लैटों की पावर ऑफ एटार्नी होल्डर्स को लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड में परिवर्तन करने की अनुमति प्रदान कर दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो जब देय धनराशि डीडीए को जमा कर दी गई है तो ऐसा निर्णय लेने में सरकार के समक्ष क्या कठिनाइयां हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय) : (क) जी हां। एनपीआरएस–1979 स्कीम के अंतर्गत, विभिन्न अंतराल पर आबंटन किए गए हैं। इस स्कीम के अंतर्गत पिछला आबंटन वर्ष 2007 के दौरान किया गया था और किस्तें अभी भी जारी हैं।

(ख) से (घ) पावर आफ अटार्नी धारकों के संबंध में फ्लैट की पूरी लागत के भुगतान के पश्चात हायर पर्चेज फ्लैटों के अंतरण का प्रस्ताव इस मंत्रालय के विचाराधीन है।

[हिन्दी]

बहुस्तरीय स्वचालित पार्किंग का निर्माण

3112. **श्री महाबल मिश्रा** :
श्री सतपाल महाराज :
क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में बहुस्तरीय स्वचालित पार्किंग का निर्माण कराया है अथवा कराने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और स्थानवार उनकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ स्थानवार अब तक कितनी धनराशि निर्धारित/खर्च की गयी है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने विभिन्न शहरों/नगरों में बहुस्तरीय स्वचालित पार्किंग के निर्माण के लिए राज्यों को भी कोई सहायता मुहैया करायी है; और

(ङ) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय) : (क) और (ख) दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) द्वारा यथा सूचित दिल्ली में निर्माण की गई, निर्माण की जा रही तथा निर्माण किए जाने हेतु प्रस्तावित बहु–स्तरीय स्वचालित पार्किंग का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि परियोजनाओं को बीओटी (निर्माण, प्रचालन एवं हस्थानान्तरण) आधार पर शुरू किए जाने का प्रस्ताव है जिसके लिए निर्माण की लागत को ग्राहियों द्वारा वहन किया जाना है तथा उन्हें रियायत अवधि में व्यवसायिक घटक और पार्किंग प्रभारों से निर्माण की लागत प्राप्त करने की अनुमति होगी। इसलिए उसके द्वारा कोई व्यय नहीं किया जाना है।

एनडीएमसी ने सूचित किया है कि सभी परियोजनाएं सार्वजनिक–निजी भागीदारी पद्धति पर हैं। इसलिए, उसके द्वारा कोई व्यय नहीं किया जाना है।

सीपीडब्ल्यूडी ने सूचित किया है कि उसके द्वारा निर्माण किए जाने वाले प्रस्तावित स्वचालित कार पार्किंग घटक के लिए स्वीकृत अनुमान 14 करोड़ रुपए है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) उपर्युक्त (घ) के उत्तर के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

1. दिल्ली नगर निगम द्वारा निर्माण की जा रही और निर्माण के लिए प्रस्तावित बहुस्तरीय स्वचालित पार्किंग का ब्यौरा

क्र.सं.	स्थल का नाम	कारों की संख्या	स्थिति
1	2	3	4
1.	मंडेलिया चौक, कमला नगर	828	कार्य प्रगति पर है। (लगभग 70% कार्य किया गया है)
2.	साउथ एक्टैंशन पार्ट–I और II	1600	रियायत करार 14.3.2011 को कार्यान्वित किया गया। फर्म ने मिट्टी की जांच निर्माण स्थल पर की है। नक्शे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किए गए हैं।
3.	ग्रेटर कैलाश एम–ब्लाक मार्किट जी.के.–I	1200	रियायत करार 11.8.2011 को कार्यान्वित किया गया। फर्म से मिट्टी की जांच का कार्य करने को कहा गया है। नक्शे रियायतग्राही द्वारा तैयार किए जा रहे हैं।
4.	लाजपत नगर	500	निविदा प्राप्त हुई और वित्तीय बोली दिल्ली नगर निगम के वित्तीय विभाग अग्रेषित की गई है।
5.	डिफेंस कालोनी	550	निविदा प्राप्त हुई तथा बोली का मूल्यांकन किया जा रहा है।
6.	लक्कड़ मंडी कीर्ति नगर	700	क्षेत्रीय अध्ययन को अंतिम रूप दिया गया वित्तीय विभाग से ड्राफ्ट निविदा दस्तावेजों पर कुछ टिप्पणियां दी है और उसकी जांच की गयी है। एम.सी.डी. के विधि विभाग को विशेषक्ष विधि एजेंसियों से दस्तावेजों का पुनरीक्षण कराने का सुझाव दिया गया। विधि विभाग द्वारा सुझाए तीन फर्मो की निविदाएं प्राप्त हो गयी हैं तथा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन हेतु अग्रेषित किया गया।
7.	पदम सिंह, रोड करोलबाग	400	क्षेत्रीय अध्ययन को अंतिम रूप दिया गया वित्तीय विभाग से ड्राफ्ट निविदा दस्तावेजों पर कुछ टिप्पणियां दी है और उसकी जांच की गयी है। एम.सी.डी. के विधि विभाग को विशेषक्ष विधि एजेंसियों से दस्तावेजों का पुनरीक्षण कराने का सुझाव दिया गया। विधि विभाग द्वारा सुझाये तीन फर्मो की निविदाएं प्राप्त हो गई है तथा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन हेतु अग्रेषित किया गया।
8.	वाणिज्य काम्प्लेक्स के समीप करमपुरा	400	क्षेत्रीय अध्ययन को अंतिम रूप दिया गया वित्तीय विभाग से ड्राफ्ट निविदा दस्तावेजों पर कुछ टिप्पणियां दी है और उसकी जांच की गयी है। एम.सी.डी. के विधि विभाग को विशेषक्ष विधि एजेंसियों से दस्तावेजों का पुनरीक्षण कराने का सुझाव दिया गया। विधि विभाग द्वारा सुझाये तीन फर्मो की निविदाएं प्राप्त हो गयी हैं तथा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन हेतु अग्रेषित किया गया।

1	2	3	4
9.	लाजपत नगर हॉस्पिटल	400	क्षेत्रीय अध्ययन को अंतिम रूप दिया गया वित्तीय विभाग से ड्राफ्ट निविदा दस्तावेजों पर कुछ टिप्पणियां दी हैं और उसकी जांच की गयी है। एम.सी.डी. के विधि विभाग को विशेषक्ष विधि एजेंसियों से दस्तावेजों का पुनरीक्षण कराने का सुझाव दिया गया। विधि विभाग द्वारा सुझाये तीन फर्मो की निविदाएं प्राप्त हो गयी हैं तथा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन हेतु अग्रेषित किया गया।
10.	शास्त्री पार्क, करोल बाग	2000	निविदायें पुनः आमंत्रित की गयीं
11.	रानीबाग	450	निविदायें पुनः आमंत्रित की गयीं
12.	कुतुब रोड		निर्माणाधीन
13.	ग्रेटर कैलाश–II	450	3 मीटर की गहराई पर पथरीली सतह के कारण भूमिगत बहुमंजिली पार्किंग का निर्माण व्यवहार्य नहीं है।
14.	हामिलॉन रोड		बार एसोसिएशन के साथ मामला उठाया जा रहा है।
15.	राजौरी गार्डन		निर्माणाधीन
	2. नई दिल्ली नगरपालिका परिषद द्वारा दिल्ली में निर्मित तथा निर्माण हेतु प्रस्तावित बहुस्तरीय स्वचालित पार्किंग		
1.	सरोजिनी नगर मार्केट	824	पार्किंग शुरू हो गई है।
2.	बाबा खड़क सिंह मार्ग	1408	ढांचा एवं पार्किंग पूर्ण हो गई है अंतिम परीक्षण किया जा रहा है।
3.	कस्तूरबा गांधी मार्ग	–	कार्य का आबंटन पहले ही कर दिया गया है लेकिन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की मंजूरी की अनुपलब्धता के कारण कार्य शुरू नहीं किया जा सका है।
	3. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा दिल्ली में निर्मित तथा निर्माण हेतु प्रस्तावित बहुस्तरीय स्वचालित पार्किंग		
1.	इंदिरा पर्यावरण भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली	350	कार्य प्रगति पर है।
2.	सीजीओ काम्पलैक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली	1000	परियोजना विचाराधीन है।

बढ़ती मरुस्थल भूमि

3113. श्री सुदर्शन भगतः
श्री भूदेव चौधरीः
श्री महेश्वर हजारीः

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान ने हाल ही में देश मे बढ़ती बंजर भूमि/मरुस्थल भूमि का कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो इसके निष्कर्ष और परिणाम क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इस पर क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत) : (क) और (ख) जी हां। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने 2003–05 की समय-सीमा के भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह

आंकड़ों का प्रयोग करके 1:500000 पैमाने पर मरुस्थलीकरण तथा भूमि निम्नीकरण का मानचित्रण किया है जिससे पता चलता है कि देश का 81.4 मि. हैक्टे. क्षेत्र मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया से प्रभावित हो रहा है।

(ग) मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण/निम्नीकरण पर रोक लगाने तथा विभिन्न प्रकार के भू-उपयोगों में संतुलन बनाए रखने के लिए भारत सरकार ने 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 25848.00 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से विभिन्न पनधारा विकास कार्यक्रमों के तहत लगभग 32.00 मि. हैक्टे. क्षेत्र के विकास हेतु एक कार्य-योजना का निरूपण किया है।

प्रसंस्कृत खाद्यों का आयात

3114. श्री लक्ष्मण टुडु:
श्रीमती रमा देवी:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में प्रसंस्कृत खाद्यों के आयात से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रभावित हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत) : (क) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा ऐसा कोई अध्ययन नहीं कराया गया है।

(ख) और (ग) यद्यपि प्रसंस्कृत खाद्य वस्तुओं का आयात स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा नियंत्रित किया जाता है फिर भी सभी आयातित खाद्य उत्पाद वस्तुओं को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनिवार्य उपबंधों उपबंधों का अनुपालन करना अपेक्षित होता है।

[अनुवाद]

चक्रवात आश्रय स्थल

3115. श्री अर्जुन चरण सेठी : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटीगेशन प्रोजेक्ट (एनसीआरएमपी) के अंतर्गत ओडिसा राज्य को 155 चक्रवात आश्रय सह गोदाम तथा संपर्क सड़क/पुलों संबंध स्थिति क्या है;

(ख) यदि हां, तो उन कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है जो राज्यों के विभिन्न तटीय जिलों में प्रसार हेतु स्वीकृत किये गये हैं; और

(ग) इस संबंध में कार्य क्रियान्वयन की दिशा में क्या प्रगति हुई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) जी, हां। राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रशमन परियोजना (एन सी आर एम पी) के चरण-I के तहत चक्रवात आश्रय स्थलों/आवासों तक संपर्क सड़कों के साथ-साथ 149 बहु-उद्देशीय चक्रवात आश्रय स्थलों और सह आश्रय स्थल सह गोदामों (कुल 155) के निर्माण का अनुमोदन किया गया है।

(ख) देश में चक्रवात संबंधी जोखिमों से निपटने के लिए एन सी आर एम पी तैयार की गई है। इस परियोजना का मुख्य लक्ष्य एवं उद्देश्य ढांचागत और गैर ढांचागत चक्रवात प्रशमन के प्रयासों का सुदृढ़ीकरण करना तथा चक्रवात प्रवण तटवर्ती जिलों में चक्रवात जोखिम एवं संवेदनशीलता को कम करना है। यह परियोजना 13 तटवर्ती राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में तीन चरणों में कार्यान्वित किए जाने की परिकल्पना की गई है। इस परियोजना के चार घटक अर्थात घटक 'क' (लास्ट माइल कनेक्टिविटी), घटक 'ख' (ढांचागत एवं गैर-ढांचागत उपाय), घटक 'ग' (चक्रवात जोखिम प्रशमन के लिए तकनीकी सहायता, क्षमता निर्माण और ज्ञान का सृजन) तथा घटक 'घ' (परियोजना प्रबंधन एवं कार्यान्वयन सहायता) हैं। एन सी आर एम पी के चरण-I में ओडिसा और आंध्र प्रदेश आते हैं।

आंध्र प्रदेश और ओडिसा के लिए अनुमोदित घटक-वार परिव्यय संलग्न विवरण-I में दिया गया है। उपर्युक्त दो राज्यों के विभिन्न तटवर्ती जिलों में प्रसार के लिए ऐसे किसी कार्यक्रम का अनुमोदन नहीं किया गया है।

(ग) ओडिसा सरकार द्वारा यथा सूचित कार्य निष्पादन की प्रगति (दिनांक 30.11.2011 की स्थिति के अनुसार) संलग्न विवरण-II में दी गई है।

विवरण–I

दिनांक 30.11.2011 की स्थिति के अनुसार ओडिसा में एन सी आर एम पी की प्रगति

(करोड़ रुपए में)

घटक	आन्ध्र प्रदेश	ओडिशा	पी एम यू (एन डी एम ए)	एन आई डी एम	कुल	बैंक द्वारा वित्तपोषण	राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषण
क–शीघ्र चेतावनी प्रचार–प्रसार प्रणाली	33.95	38.80			72.75	72.75	
क. 1–ई डब्ल्यू डी एस	19.40	24.25					
क. 2 सामुदायिक और प्रशिक्षण	14.55	14.55					
ख – चक्रवात जोखिम प्रशमन अवसंरचना	645.05	518.95			1164.00	865.73	298.27
ख. 1 चक्रवात आश्रम स्थल	140.65	145.50					आन्ध्र प्रदेश : 165.29
ख–2 सड़कें एवं पुल	407.40	218.25					ओडिसा : 132.98
ख. 3 लवण तटबंधों की मरम्मत और उन्नयन	97.00	155.20					
ग – आपदा जोखिम प्रबंधन पर क्षमता निर्माण के लिए तकनीकी सहायता	2.43	2.43	12.13	12.13	29.10	29.10	–
ग 1 जोखिम आकलन			12.13				
	2.43	2.43		12.13			
ग. 2 आपदा प्रबंधन पर क्षमता निर्माण और क्षति तथा आवश्यकताओं का आकलन							
घ–कार्यान्वयन सहायता	37.83	35.41	19.40	2.43	95.06	95.06	
10 प्रतिशत की समग्र लागत की दर से अनाबंटित एवं आपातिकता	72.75	58.20	3.40	1.46	135.80	135.80	
कुल	792.00	653.78	34.93	16.00	1496.71	1198.44	298.27

विवरण–II

दिनांक 30.11.2011 की स्थिति के अनुसार ओडिसा में एन सी आर एम पी की प्रगति

	स्तर	चक्रवात आश्रय–स्थल	संपर्क सड़क
कुल पैकेज	आमंत्रित की गई निविदाएं	80 (75 पैकेज)	62 (29 पैकेज)
अंतिम रूप दिए गए पैकेज 60 (55 चाहे)	जारी कार्य आदेश	48 (43 पैकेज)	47(23 पैकेज)
	जारी	12 (12 पैकेज)	12 (4 पैकेज)
	उप–जोड़	60 (55 पैकेज)	59 (27 पैकेज)
शेष पैकेजों की स्थिति	निविदा प्रक्रियाधीन	निकासी के लिए 1 (1 पैकेज) पश्चिम बंगाल को भेजा गया	निकासी के लिए 1 (1 पैकेज) पश्चिम बंगाल को भेजा गया
	निविदा पुनः आमंत्रित	10 (10 पैकेज)	–
	पुनः निविदा आमंत्रित करना	9 (9 पैकेज)	2 (1 पैकेज)
	उप–जोड़	20 (20 पैकेज)	3 (2 पैकेज)
	शुरू किया गया कार्य	12 (9 पैकेज)	34 (14 पैकेज)
वर्ष 11 की परियोजनाओं से आमंत्रित निविदा		10 पैकेज	

[हिन्दी]

कृषि सुधार

3116. **श्री राधा मोहन सिंह** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उदार आर्थिक सुधारों के साथ जुड़ी कृषि की उपेक्षा होने के परिणामस्वरूप कृषि क्षेत्र में खाद्य संकट आने का खतरा प्रतीत होता है;

(ख) यदि हां, तो कृषि क्षेत्र में सुधार लाने हेतु क्या उपाय किए गए; और

(ग) उत्पादन में गिरावट की स्थिति का आकलन करने के बाद देश की बढ़ती आबादी के मद्देनजर भविष्य में भूखों को भोजन देने हेतु क्या प्रणाली तैयार किए जाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत) : (क) से (ग) देश में खाद्य उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार स्कीमें कार्यान्वित करती है, जिनमें खाद्य उत्पादन, उत्पादकता में मात्रात्मक बढ़ोत्तरी, खेती की आय एवं पैदावार अंतर में कटौती की परिकल्पना की जाती है। 11वीं योजना के दौरान, सरकार ने कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने तथा चावल, गेहूं एवं दलहन के लक्षित उत्पादन को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन स्कीमें भी आरंभ की हैं। 2010–11 तथा 2011–12 में कृषि उत्पादन को और अधिक गति देने के लिए आरकेवीवाई के अंतर्गत 9 अतिरिक्त उप स्कीमें आरंभ की गई :

(i) पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाना

(ii) वर्षा सिंचित क्षेत्रों में 60,000 दलहन ग्रामों का समेकित विकास

(iii) आयल पाम का संवर्धन

(iv) सब्जी समूहों पर पहल

(v) पोषक अनाज

(vi) राष्ट्रीय प्रोटीन अनुपूरक मिशन

(vii) त्वरित चारा विकास कार्यक्रम

(viii) वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम

(ix) सेफरान मिशन

उपरोक्त के अतिरिक्त, सरकार ने क्षेत्र के पुनरुद्धार के लिए कई अन्य पहलें भी की हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं :

1. चालू योजना अवधि के दौरान राष्ट्रीय बागवानी मिशन, विस्तार सुधार हेतु राज्य विस्तार कार्यक्रम को सहायता, राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम तथा सूक्ष्म सिंचाई योजना जैसी विद्यमान स्कीमों का सुदृढ़ीकरण।

2. 65318.33 करोड़ रुपए की राहत/छूट शामिल करते हुए, लगभग 3.69 करोड़ किसानों को लाभ पहुँचाते हुए कृषि ऋण माफी तथा ऋण राहत स्कीम 2008 का कार्यान्वयन।

3. चार राज्यों, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा केरल में 31 आत्महत्या प्रवण जिलों के लिए 16978.69 करोड़ रुपए के पुनर्वास पैकेज का कार्यान्वयन।

4. समय पर अदायगी के लिए, 3 प्रतिशत ब्याज सहायता के साथ 7 प्रतिशत ब्याज पर किसानों को अल्पावधि फसल ऋण उपलब्ध कराना और इस प्रकार 4 प्रतिशत की एक प्रभावी ब्याज दर बनाना।

5. खेती को अधिक लाभप्रद बनाने के लिए हाल के वर्षों में विभिन्न फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में पर्याप्त बढ़ोत्तरी।

उक्त सभी पहलों के अपेक्षित निष्कर्षों में परिणाम निकले हैं, जिन्हें निम्नलिखित के द्वारा प्रमाणित किया गया है–

★ खाद्यान्न उत्पादन जो कि 10वीं (2005-06) योजना के अंत में 208.60 मिलियन टन था, वर्ष 2010-11 में 241.56 मिट्रिक टन के सर्वकालिक उच्च उत्पादन पर पहुँच गया।

★ उसी अवधि के दौरान, दलहन का उत्पादन 13.3 मि. टन से 4.07 मि. टन बढ़कर रिकार्ड उत्पादन 18.09 मि. टन पर पहुँच गया।

★ उसी अवधि के दौरान तिलहन का उत्पादन 27.98 मि. टन से बढ़कर 31.10 मि. टन हो गया जो एक अन्य रिकार्ड उत्पादन है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के साथ मिलकर वर्द्धित खाद्य उत्पादन ने देश की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित किया है।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में नक्सलवादी गतिविधियां

3117. **श्री समीर भुजबल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में उन क्षेत्रों सहित जहां माओवादी अपनी शाखायें फैला रहे हैं राज्य में माओवादी गतिविधियों वाले क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष एवं चालू वर्ष के दौरान उक्त क्षेत्रों से जानकारी में आई नक्सलवादी हिंसा का ब्यौरा क्या है तथा इसके बढ़ने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या माओवादियों द्वारा गुजरात और महाराष्ट्र के औद्योगिक क्षेत्रों में अपना आधार बनाने के लिये माओवादियों द्वारा किसी गोल्डन कॉरिडोर कमेटी का गठन किये जाने संबंधी कोई सूचना प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन क्षेत्रों में माओवादी गतिविधियों को रोकने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह) : (क) सी पी आई (माओवादी), महाराष्ट्र के गढ़चिरोली, गोंदिया और चन्द्रपुर जिलों में सक्रिय हैं और उनकी योजना अपने आन्दोलन को नागपुर, वर्धा, भण्डारा, मुम्बई, नासिक, पुणे तथा यवतमाल जिलों तक फैलाने की है।

(ख) महाराष्ट्र में वामपंथी उग्रवादी (एल डब्ल्यू ई) हिंसा का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

वर्ष	घटनाएं	मृत्यु
1	2	3
2008	68	22
2009	154	93

1	2	3
2010	94	45
30 नवम्बर 2011 तक	97	51

अलग–अलग वर्षों में हिंसा की मात्रा में हमेशा मामूली उतार–चढ़ाव रहा है। यद्यपि वर्ष 2010 की समनुरूप अवधि की तुलना में चालू वर्ष में हिंसा के स्तर में वृद्धि हुई है, तथापि, हिंसा की समग्र मात्रा में वर्ष 2009 की तुलना में गिरावट दर्ज हुई है।

(ग) और (घ) उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, सी पी आई (माओवादी) ने गुजरात और महाराष्ट्र के औद्योगिक क्षेत्रों में अपना आधार बनाने के लिए एक गोल्डन कोरिडोर कमेटी का गठन किया है।

(ङ) "पुलिस" और "लोक–व्यवस्था" राज्य के विषय होने के नाते कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने से संबंधित कार्रवाई, प्राथमिक रूप से संबंधित राज्य सरकारों के कार्यक्षेत्र में आती हैं केन्द्र सरकार, वामपंथी उग्रवाल का मुकाबला करने के प्रति व्यापक दृष्टिकोण रखती है जिसमें यह सी ए पी एफ की तैनाती, विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में सहायता, राज्यों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में शासन प्रणाली एवं क्षमता निर्माण में सुधार सहित अनेक मुद्दों पर राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता प्रदान करती है। भारत सरकार का यह मन्तव्य है कि समुचित पुलिस कार्रवाई, संकेन्द्रित विकासात्मक प्रयासों और शासन प्रणाली में सुधार के एक संमिश्रित तरीके से वामपंथी उग्रवाद के विरुद्ध वांछित परिणाम हासिल होंगे।

[हिन्दी]

पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण

3118. डॉ. किरोड़ी लाल मीणा:
श्री ई.जी. सुगावनम:
क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को किसी राज्य सरकार में पुलिस कर्मियों को आन्तरिक सुरक्षा की बढ़ती चुनौतियों से निपटने हेतु उन्हें प्रशिक्षण देने हेतु प्रशिक्षण केन्द्र या विशेष संस्थान खोलने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) जी हां। पुलिस प्रशिक्षण में केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता प्रदान करना एक सतत प्रक्रिया है। केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत राज्य पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों के उन्नयन/स्थापना के लिए निधियाँ उपलब्ध कराई जा रही हैं। कमांडो प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना के लिए जम्मू एवं कश्मीर और आन्ध्र प्रदेश राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। नागालैंड सरकार ने केन्द्रीय क्षेत्रीय पुलिस प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना के लिए अनुरोध किया है। गोवा सरकार ने गोवा में राष्ट्रीय आतंकवाद–रोधी संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव किया है। असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड और आन्ध्र प्रदेश राज्यों के अनुरोध पर राज्य पुलिस कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 21 विद्रोह–रोधी और आतंकवाद–रोधी विद्यालयों (सी आई ए टी) की स्थापना के लिए निधियाँ जारी की गई हैं।

[अनुवाद]

दिल्ली पुलिस हेतु उपकरण

3119. श्री अब्दुल रहमान : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राजधानी की बेहतर सुरक्षा हेतु आधुनिक उपकरण प्रदान कराने हेतु दिल्ली पुलिस से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा दिल्ली पुलिस की आवश्यकता के संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या सरकार ने दिल्ली पुलिस तथा केन्दीय अर्द्ध–सैनिक बलों हेतु उपकरण खरीद की कोई समय–सीमा निर्धारित की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्दन): (क) और (ख) दिल्ली पुलिस ने पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना के तहत बड़ी संख्या में वाहन, हथियार और गोलाबारूद

और अन्य उपकरण प्राप्त किए हैं पुलिस आधुनिकीकरण योजना के तहत दिल्ली पुलिस द्वारा खरीदे गए उपकरणों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

मद का नाम	मात्रा
1	2
2006–2007	
पीसीआर वैन	100
ग्लोक पिस्तौल और एम पी–5 एस एम जी	175 और 50
सुरक्षा नेटवर्क का उन्नयन (संचार उपकरण)	--
विस्फोटक डिटेक्टर	15
एक्स–रे स्कैनर	13
2007–2008	
मोटर साइकिल	250
सीपीसीआर के लिए सी डी सिस्टम के साथ मॉडर्न प्रोजेक्टर	01
सुरक्षा के लिए वाहन पर लगा हुआ एक्स–रे बैगेज	02
विधि–विज्ञान प्रयोगशाला के लिए उपकरण	130
मोबाइल फोरेंसिक वैन	01
पीसीआर वैन	130
बुलेट प्रूफ कार	03
मोटर साइकिल	379
9 एम एम पिस्तौल	636
2009–10	
इंटीग्रेटेड वाइस एंड डाटा कम्यूनीकेशन एंड रिकॉर्डिंग सिस्टम (आई वी डी सी आर एस)	1
फायर आर्म्स सिमुलेटर्स	03
मल्टी परपज क्रोबार टूल किट	15
मिनी जेल वैन	10
पिकअप वैन	11
मिनी बस	06
2010–11	
एक्स–रे बैगेज इंस्पेक्शन सिस्टम (टनल साइज 1×1 मीटर)	1
मोटर साइकिल	250
2011–12	
ब्रीथ एनलाइजर	100
हाई एंड फोरेंसिक वर्क स्टेशन	06

(ग) और (घ) दिल्ली पुलिस और केन्द्रीय अर्ध–सैनिक बलों हेतु उपस्करों की खरीद के लिए कोई समयावधि निर्धारित नहीं की गई है।

जनसंख्या और पुलिस का अनुपात

3120. **डॉ. शशी थरूर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में जनसंख्या और पुलिस का अनुपात क्या है;

(ख) क्या यह अन्तर्राष्ट्रीय मानकों से निम्न है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस स्थिति से निपटने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) से (घ) पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बी पी आर एण्ड डी) द्वारा संकलित किए गए आंकड़ों के अनुसार, दिनांक 01.01.2010 की स्थिति के अनुसार पुलिस जनसंख्या अनुपात प्रति लाख 176.39 है। संयुक्त राष्ट्र के मानक के अनुसार पुलिस जनसंख्या अनुपात प्रत्येक 100,000 की जनसंख्या पर 200 है और संयुकत राष्ट्र के मानकों से तुलना करने पर, पुलिस कार्मिकों की कमी है।

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार "पुलिस" राज्य का विषय है, इसलिए पुलिस में रिक्तियों को भरने और पुलिस-जनसंख्या अनुपात में सुधार करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है। तथापि, गृह मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों को समय-समय पर विभिन्न मंचों में राज्य पुलिस बलों में विद्यमान रिक्तियों को भरने की सलाह दी गई है।

व्यापार मेले में अग्निशमन प्रबंध

3121. श्री सोनवणे प्रताप नारायणराव : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ) प्रतिवर्ष राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले (आई आई टी एफ) का आयोजन करता है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रदर्शनी प्रयोजन हेतु कैजुअल परफार्मेंस लाइसेंस के लिए दिल्ली अग्निशमन सेवा (डीएफएस) से अनापति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करना होता है;

(ग) यदि हां, तो क्या आईटीपीओ अथवा राज्य के पैवेलियन में से कोई भी डीएफएस से एनओसी प्राप्त नहीं करता और डीएफएस द्वारा अनेक खामियों का उल्लेख किए जाने के बावजूद अग्नि सुरक्षा उपायों की मूलभूत अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया जाता; और

(घ) यदि हां, तो अग्नि सुरक्षा उपायों को न अपनाने और आईआईटीएफ के दौरान अग्नि सुरक्षा और निवारक उपाय लागू किए जाने हेतु डीएफएस द्वारा आईटीपीओ और राज्य पैवेलियनों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ) दिल्ली अग्निशमन सेवा से अपेक्षित अनापति प्रमाणपत्र प्राप्त करता है और राज्य पैवेलियन भी दिल्ली अग्निशमन सेवा से सीधे अपेक्षित अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करते हैं।

(घ) उपर्युक्त (ग) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पुलिस कर्मियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले

3122. श्री यशवंत लागुरीः
श्री मनसुखभाई डी. वसावाः
क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार और अपराध संबंधी शिकायतों की निगरानी करने के लिए दिल्ली पुलिस मुख्यालय में एकल खिड़की प्रणाली (सिंगल विंडो सिस्टम) का प्रावधान किया है;

(ख) यदि हां, तो यह सुविधा उपलब्ध कराये जाने के पश्चात विगत छः माह के दौरान कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) इन शिकायतों के आधार पर पहचाने गए भ्रष्ट पुलिस कर्मियों की संख्या कितनी है; और

(घ) इनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत निधियों का उपयोग

3123. डॉ. विनय कुमार पाण्डेय : क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा शहरी गरीबों को बेहतर आवासीय, जलापूर्ति तथा स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अंतर्गत जारी की गई निधियों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं.

(ख) क्या जेएनएनयूआरएम के तहत प्राप्त निधियों को इन झुग्गी झोंपड़ियों के बड़े पैमाने पर दूरदराज के क्षेत्रों में विस्थापन के लिए उपयोग किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में पिछड रहे राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ताकि निधियों के उचित उपयोग के लिए प्रयासों और निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति को तेज किया जा सके?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) शहरी गरीबों को उन्नत आवास, जल आपूर्ति और साफ–सफाई की सुविधाएं प्रदान करने के लिए जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अंतर्गत जारी निधियों का अनुकूलतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए समय–समय पर निम्नोक्त अनुसार सलाह दी गई है :–

(1) क्रियान्वयन/कार्यकारी एजेंसियों को समय पर निधियां जारी करना।

(2) लागत के बढ़ने से बचने के लिए परियोजनाओं को समय पर पूरा करना सुनिश्चित करना।

(3) यदि निधियों का 70% उपयोग हो जाता है तो उस स्थिति में उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना ताकि परियोजनाएं निधियों की कमी के कारण अवरुद्ध ना हो जाएं।

(4) शुरू नहीं हुई परियोजनाओं की पुनरीक्षा करना और उनको रद्द करने/वैकल्पिक परियोजनाओं से बदलने की संभावना का प्रस्ताव करना।

(5) परियोजनाओं के तृतीय पक्षकार द्वारा निरीक्षण करने की योजना बनाना और समय पर सुधारात्मक उपाय करना ताकि उसके कारण निधियां जारी करने की प्रक्रिया अवरूद्ध ना हो।

(ख) और (ग) जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अंतर्गत अधिकतर परियोजनाएं स्वस्थाने स्लमों का विकास करने के लिए हैं। राज्यों/केन्द्र शासित राज्यों को सलाह दी जाती है कि वे यह सुनिश्चित करें कि शहरी गरीबों को जेएनएनयूआरएम के दिशानिर्देशों के अनुसार उनके व्यवसाय के स्थान के निकट आवास प्रदान किए जाएं। पिछड़ रहे राज्यों को प्रोत्साहन देने और निधियों के उपयुक्त उपयोग के लिए किए गए उपाय निम्नानुसार हैं :–

(1) विभिन्न विषयक क्षमता निर्माण कार्यक्रम तथा परियोजना प्रबंधन और क्रियान्वयन, शहरी शासन और प्रबंधन तथा निगम वित्त, तृतीय पक्षकार के निरीक्षण और मानीटरिंग के माध्यम से गुणवत्ता आश्वासन (टीपीआईएम), सामाजिक लेखा परीक्षा और जेएनएनयूआरएम ट्रेकिंग प्रणाली आदि।

(2) परियोजनाएं तैयार करने के लिए तकनीकी सहायता।

[हिन्दी]

खाद्यान्नों पर राजसहायता

3124. श्री सतपाल महाराज : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तराखण्ड सहित देश के पर्वतीय राज्यों में कार्यान्वित की जा रही खाद्यान्न आधारित कल्याण योजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान उक्त क्षेत्रों में प्रदान की गई राजसहायता और आवंटित तथा उठाए गए खाद्यान्नों का राज्य–वार ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) और (ख) सरकार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन अत्यधिक राजसहायता प्राप्त मूल्यों पर उत्तराखंड सहित सभी पहाड़ी राज्यों, पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम में गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों सहित सभी श्रेणियों के परिवारों के लिए 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह की दर पर खाद्यान्न प्रदान करती रही है जबकि अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए 15 से 35 किलोग्राम की रेंज में आबंटन किया जा रहा है। मध्याह्न भोजन योजना आदि जैसी अन्य कल्याण योजनाओं के अधीन भी राजसहायता प्राप्त मूल्यों पर उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों सहित विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्यान्न प्रदान किए जाते हैं।

केन्द्र सरकार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन आबंटित चावल और गेहूं के लिए गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी के लिए 72.69 प्रतिशत और 73.74 प्रतिशत तथा अंत्योदय अन्न योजना के लिए 85.05 प्रतिशत और 87.35 प्रतिशत और गरीबी रेखा से ऊपर की श्रेणी के लिए 59.09 प्रतिशत और 61.04 प्रतिशत की राजसहायता देती है। अन्य कल्याण योजनाओं के अधीन आबंटन गरीबी रेखा से नीचे के मूल्यों पर किए जाते हैं।

देश के पहाड़ी राज्यों मे लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याण योजनाओं के अधीन खाद्यान्नों के आबंटन और उठान का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण–I से III में दिया गया है।

विवरण-I

वर्ष 2008-09, 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के लिए पहाड़ी क्षेत्रों हेतु लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत चावल का आबंटन और उठान

(हजार टन में)

क्रम सं.	राज्य/संघ	2008-09		2009-10		2010-11		2011-12*	
		आबंटन	उठान	आबंटन	उठान	आबंटन	उठान	आबंटन	उठान
1.	अरुणाचल प्रदेश	92.124	81.949	90.124	92.554	92.124	77.184	46.062	46.831
2.	असम	1181.892	1180.86	1208.46	1177.103	1346.19	1283.251	694.574	625.299
3.	हिमाचल प्रदेश	189.382	183.926	185.364	171.982	189.1	180.671	94.76	94.711
4.	जम्मू और कश्मीर	535.172	539.689	532.672	535.714	533.172	526.082	266.586	269.896
5.	मणिपुर	94.644	86.266	98.056	107.83	117.06	62.772	61.73	69.694
6.	मेघालय	130.116	131.08	130.116	128.596	155.734	133.618	75.47	76.666
7.	मिजोरम	75.42	67.788	75.42	68.211	62.652	57.541	31.326	29.308
8.	नागालैंड	94.284	103.716	95.175	100.949	94.284	104.674	47.142	53.308
9.	सिक्किम	41.28	41.66	41.28	41.261	41.31	39.795	20.656	21.709
10.	त्रिपुरा	249.96	250.192	273.96	254.856	274.482	228.308	137.328	126.795
11.	उत्तराखण्ड	171.96	143.676	175.56	174.664	180.408	186.32	91.212	104.699
	जोड़	2856.234	2810.802	2908.187	2851.720	3086.516	2880.216	1566.846	1518.916

*सितम्बर, 2011 तक आबंटन और उठान

**उठान में बैकलॉग आबंटन भी शामिल हो सकता है।

विवरण-II

वर्ष 2008-09, 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के लिए पहाड़ी क्षेत्रों हेतु लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गेहूं का आबंटन और उठान

(हजार टन में)

क्रम सं.	राज्य/संघ	2008-09		2009-10		2010-11		2011-12*	
		आबंटन	उठान	आबंटन	उठान	आबंटन	उठान	आबंटन	उठान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अरूणाचल प्रदेश	9.432	9.109	9.432	8.984	9.432	7.839	4.716	4.372
2.	असम	224.364	219.982	277.506	223.13	326.936	308.39	168.754	163.681

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	हिमाचल प्रदेश	273.794	276.475	312.102	289.83	319.888	305.791	160.416	159.156
4.	जम्मू और कश्मीर	241.632	230.593	224.132	223.14	223.932	223.033	111.816	112.245
5.	मणिपुर	11.772	11.772	19.09	14.274	24.784	8.437	13.24	7.947
6.	मेघालय	14.16	14.653	17.16	16.719	27.194	22.987	11.936	12.942
7.	मिजोरम	7.488	7.51	7.488	7.464	7.488	6.961	3.744	2.949
8.	नागालैंड	32..592	35.328	34.371	33.583	32.592	33.452	16.296	16.702
9.	सिक्किम	2.94	2.939	2.94	2.945	2.94	3.205	1.474	1.427
10.	त्रिपुरा	25.044	17.82	28.044	24.32	28.14	20.712	14.086	7.566
11.	उत्तराखण्ड	190.292	164.442	260.442	233.808	293.714	269.518	152.494	118.1
	जोड़	1033.510	990.623	1192.707	1078.197	1297.040	1210.325	658.972	607.087

*सितम्बर, 2011 तक आबंटन और उठान

**उठान में बैकलॉग आबंटन भी शामिल हो सकता है।

विवरण-III

वर्ष 2008-09, 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के लिए दौरान उत्तराखंड सहित पहाड़ी क्षेत्रों के लिए विभिन्न कल्याण योजनाओं के तहत खाद्यान्नों का आबंटन और उठान

(हजार टन में)

क्र. सं.	राज्य	2008-09						2009-10					
		आबंटन			उठान			आबंटन			उठान		
		चावल	गेहूं	जोड़	चावल	गेहूं	जोड़	चावल	गेहूं	जोड़	चावल	गेहूं	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	अरुणाचल प्रदेश	5.037	7.353	12.390	1.784	0.009	1.793	11.130	6.300	17.431	1.045	0.008	1.053
2.	असम	115.534	0.019	115.553	49.693	0.000	49.693	80.234	0.010	80.244	63.522	0.000	63.522
3.	हिमाचल प्रदेश	27.923	6.193	34.115	22.829	5.945	28.774	26.153	6.530	32.684	24.688	5.481	30.169
4.	जम्मू और कश्मीर	31.618	0.000	31.618	22.914	0.000	22.914	30.224	1.810	32.034	28.545	0.422	28.967
5.	मणिपुर	8.565	0.144	8.709	4.708	0.144	4.852	19.238	0.142	19.379	8.638	0.141	8.779
6.	मेघालय	13.852	0.000	13.852	13.527	0.000	13.527	14.258	0	14.258	19.780	0.000	19.780
7.	मिजोरम	7.062	0.000	7.062	5.013	0.000	5.013	5.940	0	5.940	4.805	0.000	4.805

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8.	नागालैंड	12.805	13.444	26.249	12.854	11.445	24.299	18.811	11.675	30.486	20.306	11.677	31.983
9.	सिक्किम	2.674	0.000	2.674	2.442	0.000	2.442	2.925	0	2.925	2.737	0.000	2.737
10.	त्रिपुरा	22.299	1.430	23.729	17.029	0.000	17.029	19.695	0	19.695	10.722	0.000	10.722
11.	उत्तराखण्ड	27.286	14.307	41.594	21.143	1.900	23.043	27.684	12.282	39.966	20.843	0.565	21.408
	जोड़	274.654	42.891	317.545	173.936	19.443	193.379	256.292	38.750	295.042	205.631	18.294	223.925

क्रम सं.	राज्य	2010–11						2011–12					
		आबंटन			उठान			आबंटन			उठान		
		चावल	गेहूं	जोड़	चावल	गेहूं	जोड़	चावल	गेहूं	जोड़	चावल	गेहूं	जोड़
1.	अरुणाचल प्रदेश	0	4.831	4.831	0	2.764	2.764	0	6.677	6.677	0	1.419	1.419
2.	असम	0.000	109.999	109.999	0	95.049	95.049	0.000	133.098	133.098	0	33.211	161.933
3.	हिमाचल प्रदेश	5.841	23.410	29.251	6.802	22.444	29.246	3.248	22.859	26.107	3.248	12.637	15.885
4.	जम्मू और कश्मीर	0.000	28.586	28.586	0.84	23.712	24.552	3.000	32.253	35.253	0.000	17.357	17.357
5.	मणिपुर	0.142	26.761	26.903	0.057	10.313	10.37	0.071	6.299	6.370	0.048	11.260	11.308
6.	मेघालय	0.000	12.395	12.395	0	9.537	9.537	0.000	23.711	23.711	0.000	8.118	169.051
7.	मिजोरम	1.217	6.051	7.268	1.217	5.711	6.928	1.107	5.358	6.465	0.408	3.236	3.644
8.	नागालैंड	4.059	22.047	26.106	4.061	23.557	27.618	2.792	18.004	20.796	1.396	8.744	10.140
9.	सिक्किम	0.350	2.798	3.148	0	2.757	2.896	0.000	2.928	2.929	0.000	1.568	114.843
10.	त्रिपुरा	0.000	27.054	27.054	0	27.834	27.834	0.000	23.677	23.677	0.000	14.864	14.864
11.	उत्तराखण्ड	9.282	25.096	34.378	2.97	21.131	24.101	0.000	23.751	23.751	0.000	11.603	11.603
	जोड़	20.891	289.028	309.919	16.086	244.809	260.895	10.218	298.615	308.833	5.100	124.017	532.047

[अनुवाद]

एग्रिसनेट परियोजना के अंतर्गत सहायता

3125. श्री अदगुरु एच. विश्वनाथ : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने कृषि सूचना प्रणाली नेटवर्क (एग्रीसनेट) परियोजना के अंतर्गत किसी वित्तीय सहायता की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत) : (क) जी, हां।

(ख) कर्नाटक सरकार ने वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान 20.17 लाख रुपए की निर्मुक्त तथा साथ ही 81.88 लाख रुपए की अप्रयुक्त शेष राशि का पुनः वैधीकरण करने के लिए अनुरोध किया है, जो पिछले वर्ष के दौरान निर्मुक्त की गई थी तथा कर्नाटक सरकार के पास अप्रयुक्त राशि के रूप में शेष है।

(ग) कर्नाटक सरकार से अनुरोध प्राप्त होने पर अप्रयुक्त शेष राशि को वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान उपयोग हेतु पुनः वैधीकरण किया गया है। 20.17 लाख रुप की राशि जारी करने के अनुरोध पर इस विभाग द्वारा विचार किया जा रहा है।

गोदाम किराए पर लेने हेतु किराया

3126. श्रीमती हरसिमरत कौर बादल : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किराए पर गोदाम लेकर पंजाब में भण्डारण क्षमता में वृद्धि करने के भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के प्रयास पर, कम किराए का प्रस्ताव दिए जाने के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और एफसीआई द्वारा कितने किराए का प्रस्ताव दिया गया;

(ग) क्या पंजाब सरकार ने केन्द्र सरकार से पंजाब में गोदाम किराए पर लेने हेतु एफसीआई द्वारा प्रस्तावित किराए में वृद्धि करने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के. वी. थॉमस) : (क) और (ख) खाद्यान्नों की अधिक खरीदारी होने के कारण और कवर तथा प्लिंथ के अधीन भंडारण में कमी लाने के लिए सरकार ने निजी उद्यमियों, केंद्रीय भंडारण निगम और राज्य भंडारण निगमों के लिए भंडारण गोदामों का निर्माण करने की निजी उद्यमी गारंटी स्कीम तैयार की है। निजी उद्यमी गारंटी स्कीम के अधीन पंजाब राज्य के लिए 51.25 लाख टन क्षमता आबंटित की गई है जिसमें से 49.99 लाख टन क्षमता पंजाब में निर्मित की जानी है तथा शेष 1.26 लाख टन का निर्माण हरियाणा में किया जाना है।

निजी निवेशकों के जरिए 46.31 लाख टन क्षमता के निर्माण की मंजूरी दी गई थी, जिसमें से 41.27 लाख टन क्षमता को अंतिम रूप दे दिया गया है, इससे इस संबंध में संतोषजनक कार्य निष्पादन दिखाई देता है। शेष 3.68 लाख टन क्षमता का निर्माण केंद्रीय भंडारण निगम और पंजाब राज्य भंडारण निगम द्वारा किया जा रहा है।

केंद्रीय भंडारण निगम/पंजाब राज्य भंडारण निगम के लिए फिलहाल देय किराया 4.90 रुपये प्रति क्विंटल प्रति माह है। निजी निवेशकों के लिए अनुमोदित किराए की रेंज 3.89 रुपयें प्रति क्विंटल प्रति माह से 5.00 रुपये प्रति क्विंटल प्रति माह (केवल पट्टे के लिए) तथा 5.89 रुपये प्रति क्विंटल प्रति माह से 6.48 रुपये प्रति क्विंटल प्रति माह (पट्टे और सेवाओं के लिए) की रेंज में है।

(ग) और (घ) पंजाब राज्य सरकार ने संघ सरकार से अनुरोध किया था कि पंजाब में गोदाम किराए पर लेने के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा पेशकश किए जा रहे किराए को बढ़ाया जाए। तथापि, भारतीय खाद्य निगम की उच्च स्तरीय समिति ने बेहतर रिस्पांस पाने के लिए संशोधित स्कीम के दिशा-निर्देशों और मौजूदा सरकारी नियमों के अनुसार नई बोलियां आमंत्रित करने का निर्णय लिया था। चूंकि नई बोलियों के लिए प्रतिस्पर्धी दरों पर बेहतर रिस्पान्स मिला है और निजी निवेशकों को आबंटित 46.31 लाख टन की क्षमता में से कुल 41.27 लाख टन क्षमता को अंतिम रूप दे दिया गया है।

कृषि में निवेश

3127. श्री भर्तृहरि महताब : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कृषि उत्पादों की लागत को मुद्रास्फीति की दर से जोड़ने के किसी प्रस्ताव की जांच कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कृषि क्षेत्र में निवेश पर आय किसी अन्य क्षेत्र की तुलना में बहुत कम है;

(घ) यदि हां, तो क्या इसके कारण पता लगाने हेतु कोई अध्ययन किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे; और

(च) कृषि क्षेत्र में निवेश पर आय को उद्योग क्षेत्र में निवेश से जोड़ने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत) : (क) और (ख) भारत सरकार कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सी.ए.सी.पी.) की सिफारिशों पर किसानों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्यों (एम.एस.पी.) की घोषणा करती हैं कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, मूल्य नीति पर अपनी सिफारिशें तैयार करते समय, अन्य बातों के साथ-साथ, उत्पादन लागत, आदान मूल्यों में परिवर्तन, बाजार मूल्यों में प्रवृत्तियां आदि पर विचार करता है।

(ग) से (च) गैर कृषि क्षेत्रों (उद्योग) की तुलना में कृषि में पूंजीनिवेश पर मुनाफा को सरकार द्वारा संकलित कृषि एवं गैर-कृषि (उद्योग) के बीच व्यापार के घरेलू निबन्धन सूचकांक (आईटीटी) के द्वारा आंका जाता है।

अद्यतन उपलब्ध अनुमानों के अनुसार कृषि एवं गैर-कृषि (उद्योग) के बीच व्यापार का घरेलू निबन्धन सूचकांक 2005-06 में 101.9 से बढ़कर 2009-10 में 102.6 हो गया है।

[हिन्दी]

खाद्य प्रसंस्करण में अनुसंधान और विकास गतिविधियां

3128. श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त कदम उठाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार कंपनियों द्वारा कंपनी के अंतर्गत ही अनुसंधान और विकास पर किए गए व्यय के संबंध में कोई निवेश प्रोत्साहन उपलब्ध करा रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) उक्त अवधि के दौरान लाभकारी तरीके से उत्पादन में वृद्धि करने और उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार करने हेतु घरेलू आधार पर विकसित की गई प्रौद्योगिकी का ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या अन्य कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत) : (क) जी हां।

(ख) चालू वर्ष समेत गत तीन वर्षों के दौरान, सहायता अनुदान के लिए 35 प्रस्तावों को सहायता दी गई।

(ग) और (घ) केन्द्रीय बजट 2010-11 में अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास के प्रोत्साहन हेतु आन्तरिक अनुसंधान एवं विकास पर हुए व्यय पर 150% से 200% भारित कटौती का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, अनुसंधान एसोसिएशनों, विद्यालयों, विश्वविद्यालयों और अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थानों को किए गए भुगतान पर भारित कटौती को 125% से बढ़ाकर 175% किया गया है। इसे केन्द्रीय बजट 2011-12 में और बढ़ाकर 200% कर दिया गया है।

(ङ) जिन अनुसंधान एवं विकास संगठनों ने इस मंत्रालय से अनुदान सहायता प्राप्त की है उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित प्रौद्योगिकियां विकसित की हैं:-

(i) गणेश वैज्ञानिक, अनुसंधान फाउंडेशन, नई दिल्ली की "सोयाबीन/ चावल की भूसी आधारित न्यूट्रास्यूटिकल्स का विकास" प्रौद्योगिकी।

(ii) भारतीय पैकिंग संस्थान, मुम्बई द्वारा "जीरापुरी और केला चिप्स की पैकिंग" प्रौद्योगिकी।

(iii) तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कृषि इंजीनियरी कालेज एवं अनुसंधान संस्थान, फसलोत्तर प्रौद्योगिकी केन्द्र, कोयम्बटूर की "बनाना डिफ्यूजन चैनल की शैल्फ लाइफ में वृद्धि करना" प्रौद्योगिकी।

(iv) करूण्य विश्वविद्यालय, कोयम्बतूर की "(क) न्यूनतम रूप से प्रसंस्कृत उत्पादों की गुणवत्ता और शेल्फ लाइफ में सुधार करना और (ख) उत्कृष्ट निर्जलीकरण से निर्जलीकृत उत्पादों की नई शृंखला का विकास और गुणवत्ता सुरक्षित उखते हुए चुनिंदा सब्जियों और फलों का परीक्षण"–प्रौद्योगिकी।

(v) राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल की "डेरी उद्योग में अनुप्रयोग हेतु मल्टी–पैथोजिन डिटैक्शन हेतु ब्लॉक एवं रीयल टाइम पीसीआर किटों का विकास" प्रौद्योगिकी।

(vi) दिल्ली विश्वविद्यालय की "एन्जाइम द्वारा खाद्य प्रसंस्करण"–प्रौद्योगिकी।

(vii) आई.आई.टी., खड़गपुर की "फलों एव मसालों को माइक्रोवेव की सहायता से गर्म की गई वायु एवं वैक्यूम में सुखाना"–प्रौद्योगिकी।

उपर्युक्त प्रौद्योगिकियां उद्योग/शेयर धारकों के प्रयोग के लिए संबंधित अनुसंधान एवं विकास संस्थानों के पास उपलब्ध हैं।

(च) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता सृजन कार्यकलाप शुरू किए हैं। फिक्की की सहायता से "खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास में नए परिप्रेक्ष्य" पर 29 जून, 2011 को नई दिल्ली में और "मूल्य सृजन संबंधी प्रौद्योगिकी" पर 17 नवम्बर, 2011 को मुम्बई में एक ऐसा कार्यक्रम राष्ट्रीय कार्यशाला के रूप में आयोजित किया गया। अनुसंधान एवं विकास कार्यकलापों के प्रोत्साहित करने के लिए प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित अंतराल पर व्यापक प्रचार भी किया जाता है। हाल ही में, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास के लिए आवेदन–पत्र आमंत्रित करने हेतु 26.10.2011 को विज्ञापन दिया गया।

[अनुवाद]

दिल्ली पुलिस के लिए उपकरणों की खरीद

3129. श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रमडल खेल, 2010 के दौरान दिल्ली पुलिस के लिए सुरक्षा उपकरणों की खरीद की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन उपकरणों की कुल लागत क्या है;

(ग) क्या खराबी आ जाने के कारण कुछ उपकरणों का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) और (ख) जी, हां। संलग्न विवरण I और II में दिए गए ब्यौरे के अनुसार दिल्ली पुलिस द्वारा राष्ट्रमंडल खेल (सी डब्ल्यू जी) 2010 के दौरान कुल 13,24,51,417.25 रुपए के सुरक्षा उपकरण खरीदे गए थे और 5,58,82,153/–रुपए के सुरक्षा उपकरण किराए पर लिये गये थे। उपर्युक्त के अतिरिक्त, सी डब्ल्यू जी–2010 के विभिन्न स्थलों पर 375 करोड़ रुपए के अनुमानित व्यय से एक एकीकृत सुरक्षा प्रणाली (आई एस एस) की स्थापना की गई थी। इस आई एस एस में क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन (सी सी टी वी) शामिल था, जो दिल्ली पुलिस मुख्यालय में स्थापित किए गए कमान, नियंत्रण, संचार, समन्वय एकीकरण (सी 4 आई) केन्द्र से जुड़ा हुआ था। आई एस एस के अन्य प्रमुख घटकों में एक्टिव एवं पैसिव बोलार्ड्स, टायर किलर्स, फ्लैप बैरियर्स, अंडर वेहिकल सर्विलांस सिस्टम, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेन्टीफिकेशन (आर एफ आई डी) टैग्स और रीडर इत्यादि शामिल थे।

(ग) से (ङ) दिल्ली पुलिस द्वारा यह बताया गया है कि उनके द्वारा खरीदे गए सभी सुरक्षा गजटों का उचित रूप से उपयोग किया जा रहा है।

सरकार को ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है कि आई एस एस के घटक किसी तकनीकी कमी के कारण अप्रयुक्त पड़े हैं। तथापि, जो सामग्रियां राष्ट्रमंडल खेल–2010 के बाद अतिरिक्त हो गई थीं, उनको विभिन्न राज्य पुलिस तथा केन्द्रीय पुलिस संगठनों द्वारा खपाया जा रहा है।

विवरण-I

राष्ट्रमंडल खेल – 2010 के लिए उपकरणों से संबंधित खरीद

क्रम सं.	कार्य का नाम और संविदा का मूल्य	धनराशि (रुपए)
1	2	3
1.	4 नॉन-लिनियर जंक्शन डिटेक्टर की खरीद	2180000.00
2.	16 नॉन-लिनियर जंक्शन डिटेक्टर की खरीद	7184560.00
3.	4 माइनस्वीपर (डीप सर्च मेटल डिटेक्टर) की खरीद	496000.00
4.	16 माइनस्वीपर (डीप सर्च मेटल डिटेक्टर) की खरीद	1984000.00
5.	20 बस्टर की खरीद	15500600.00
6.	20 ऑपटिकल फाइबर स्कोप सिस्टम की खरीद	18236000.00
7.	290 डीएफएमटी की खरीद	8156250.00
8.	454 डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर (सिंगल जोन) की खरीद	14847502.50
9.	580 हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर की खरीद	815625.00
10.	892 हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर की खरीद	1605600.00
11.	02 एक्स-रे बैगेज इंस्पेक्शन सिस्टम (1 × 1 मीटर) की खरीद	4782000.00
12.	75 जर्सी बैरियर की खरीद	1871652.75
13.	150 जर्सी बैरियर की खरीद	3485000.00
14.	60 जर्सी बेरियर की खरीद	1200420.00
15.	दो जैमर्स स्ट्रायड एमके-II की खरीद	23707577.00
16.	150 डे विजन बिनुकलर की खरीद	658125.00
17.	12 नाइट विजन डिवाइस बिनुकलर की खरीद	2038428.00
18.	12 नाइट विजन डिवाइस गोगल्स की खरीद	1997664.00
19.	20 टेलीस्कोपिक इक्स्टेंशन मीरर की खरीद	45000.00
20.	20 प्रोडर रॉड की खरीद	35940.00
21.	20 सर्च लाइट की खरीद	42000.00
22.	10 अल्मुनियम लैडर की खरीद	51750.00
23.	10 अल्मुनियम लैडर की खरीद	52000
24.	10 जैली की खरीद	8320.00
25.	10 जैली की खरीद	8540.00
26.	10 रोप्स (थिन) 10 × 30 मीटर की खरीद	9600.00
27.	10 रोप्स (थिक) की खरीद	9360.00
28.	10 रोप्स (थिक) की खरीद	18600.00
29.	10 रोप्स (थिक) की खरीद	18720.00
30.	10 सीवर लिफ्टिंग रोड की खरीद	11000.00
31.	10 सीवर लिफ्टिंग रोड की खरीद	12500.00
32.	1000 क्रस बैरियर की खरीद	4288375.00
33.	1000 चैनोलाइजर्स की खरीद	4174625.00
34.	550 नाइलोन रोप की खरीद	674960.00
35.	105 रोप नेट की खरीद	224175.00
36.	175 प्लास्टिक ट्रे की खरीद	38391.00
37.	(i) 1750 दिल्ली पुलिस लोगों के बिग स्टिकर की खरीद (ii) 875 स्टिकर दिल्ली पुलिस के लिए	42407.00

1	2	3
	(iii) 875 छोटे साइज के स्टिकर की दिल्ली पुलिस के लिए खरीद	
38.	(i) 1000 दिल्ली पुलिस लोगो के बिग स्टिकर की खरीद (ii) 500 स्टिकर दिल्ली पुलिस के लिए (iii) 500 छोटे साइज के स्टिकर की दिल्ली पुलिस के लिए खरीद	24250.00
39.	16 बम ब्लैंकेट और सेफ्टी रिंग की खरीद	1206000.00
40.	100 क्यू मैनेजर (टू कलर बेल्ट) की खरीद	524000.00
41.	20 क्यू मैनेजर (सिंगल कलर बेल्ट) की खरीद	99000.00
42.	10000 एक्रेडीटेशन कार्ड की खरीद	556500.00
43.	1400 बेरीकैड की खरीद	9528400.00
		132451417.25

विवरण-II

क्रम सं.	सामग्रियों के नाम और उनके प्रयोग का प्रयोजन	मात्रा (संख्या)	भुगतान की गई कुल धनराशि (रुपए)	किराए की कुल लागत
1	2	3	4	5
1.	एक्स-रे बैगेज इंस्पेक्शन सिस्टम को किराए पर लेना (इस उपकरण को सुरक्षा जांच के लिए सभी क्रीडा स्थलों/खेल गांव, वी वी आई पी/खिलाड़ियों के ठहरने के स्थानों पर प्रयोग में लाया/स्थापित किया गया था)	239	3,55,14,810/-	मै स्मिथ डिटेक्शन प्रा.लि. नई दिल्ली को राशि दी गई।
2.	मोबाइल कार्गो कंटेनर इंस्पेक्शन इक्विपमेंट को किराए पर लेना (इस उपकरण को समस्त लॉजिस्टिक्स कंटेनरों/वाहनों की जांच करने के लिए लॉजिस्टिक्स स्क्रीनिंग सेंटर मिलेनियम पार्क में लगाया गया था)	1	22,87,350/-	मै स्मिथ डिटेक्शन प्रा.लि., नई दिल्ली को राशि दी गई।
3.	पैलेटाइज्ड कार्गो एक्स-रे स्कैनर को किराए पर लेना (इस उपकरण को सुरक्षा जांच के लिए खेल गांव (संचालन क्षेत्र) तथा लॉजिस्टिक्स स्क्रीनिंग सेंटर पर लगाया गया था)	2	13,32,000/-	मै. स्मिथ डिटेक्शन प्रा.लि. नई दिल्ली को राशि दी गई।

1	2	3	4	5
4.	1×1 टनल साइज की एक्सरे मशीन को किराए पर लेना (इस उपकरण को सुरक्षा जांच के लिए जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम, आई जी स्पोर्ट्स काम्पलेक्स, खेल गांव, लॉजिस्टिक्स स्क्रीनिंग सेंटर और अशोक होटल में लगाया गया था)	5	14,82,400/-	मै. स्मिथ डिटेक्शन प्रा.लि.., नई दिल्ली को राशि दी गई।
5.	स्टोर टेंट (इन सभी मदों को सी पी एम एफ के प्रयोग के लिए किराए पर लिया गया था)	300	56,84,824/-	मै. लालूजी एण्ड संस, नई दिल्ली को राशि दी गई।
	ई पी आई पी टेंट	300		
	छौलदारी टेंट	150		
	500 लीटर की क्षमता वाले पेयजल भंडारण टैंक	215		
	1000 लीटर की क्षमता वाले पेयजल भंडारण टैंक	505		
	टीन शीट वाले स्नानागार	860		
	टीन शेड	215		
	चारपाई	10725		
	अपेक्षानुसार तार की फिटिंग और अन्य सामग्रियों के साथ सी एफ एल (23 वाट)	2100		
	अपेक्षानुसार तार की फिटिंग और अन्य सामग्रियों के साथ बल्ब (100 वॉट)	4650		
6.	चल शौचालय वाहनों को किराए पर लेना	187	3,41,020/-	मै. सोनू गोयल, नई दिल्ली को राशि दी गई।
7.	पेडेस्टल फैन को किराए पर लेना	1700	1,08,500/-	मै. सोनू गोयल, नई दिल्ली को राशि दी गई।

1	2	3	4	5
8.	दिनांक 7–10–2010 से 14–10–2010 तक नई दिल्ली जिला में साइकिल एवं मैराथन की सड़क प्रतिस्पर्धाओं को कवर करने के लिए सी सी टी वी कैमरा सिस्टम को किराए पर लेना		9,75,000/–	मै. प्रिंस ट्रेडर्स, 197/3 एबी, वरिन्दर नगर, नई दिल्ली–110 058 को राशि दी गई।
			30,00,000/–	मै. शिवा इलेक्ट्रोविजन, डब्ल्यू जैड–228, मादीपुर गांव, पंजाबी बाग, नई दिल्ली–110063 को राशि दी गई।
			40,00,000/–	मै. इलेक्ट्रॉनिक्स सर्विस सेंटर, 157–लाजपत राय मार्केट, चांदनी चौक, दिल्ली को राशि दी गई।
			25,00,000/– (फर्म को भुगतान नहीं किया गया)	इस फर्म तथा इसके मालिक के विरुद्ध कनॉट प्लेस पुलिस थाने में धारा 420/120–बी/511 आई पी सी के तहत दिनांक 5–10–11 को प्राथमिकी संख्या 176/11 के अन्तर्गत मामला दर्ज होने के कारण फर्म को भुगतान नहीं किया गया है।
9.	नई दिल्ली जिला में 5,208.33 रुपए प्रति कैमरा प्रतिदिन (समस्त कर सहित) की दर से समानुपातिक आधार पर 37 अतिरिक्त सी सी टी वी कैमरों (21 स्थायी और 16 पी टी जेड) को किराए पर लेना		11,56,249/–	मै. शिवा इलेक्ट्रोविजन, डब्ल्यू जैड–228, मादीपुर गांव, पंजाबी बाग, नई दिल्ली–110063 को राशि दी गई।
	कुल		5,83,82,153 रुपए	

सीपीडब्ल्यूडी में आरक्षण

3130. **श्री सोमाभाई गंडालाल कोली पटेल** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों हेतु तकनीकी और गैर–तकनीकी समूह (ख) के पदों पर पदोन्नति और रिक्त पदों को भरने में आरक्षण नीति का पालन नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त रिक्तियों को भरने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय) : (क) जी नहीं। सीपीडब्ल्यूडी पदोन्नति तथा तकनीकी और गैर तकनीकी समूह (ख) के खाली पदों को भरने के मामले में सरकार की आरक्षण नीति का पालन कर रही है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

खाद्यान्नों का वितरण न किया जाना

3131. श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्लः
श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरेः

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कई महीनों से मेघालय सहित देश के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) कार्ड धारकों को खाद्यान्नों का वितरण न किए जाने की शिकायतें प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या सरकार ने निर्धनों को खाद्यान्नों का वितरण न किए जाने के स्पष्ट मामलों की जांच करने हेतु कोई समिति गठित की है अथवा गठन करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो.के.वी. थॉमस) : (क) से (घ) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली केन्द्र और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की संयुक्त जिम्मेदारी के अधीन चलाई जाती है। केन्द्र सरकार खाद्यान्नों की खरीदारी, आबंटन और भारतीय खाद्य निगम के नामित डिपुओं तक इनकी ढुलाई के लिए जिम्मेदार है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अंदर आबंटित खाद्यान्नों का उठान और वितरण करने, पात्र गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की पहचान करने, उन्हें राशन कार्ड जारी करने और उचित दर दुकानों के जरिए पात्र राशन कार्ड धारकों को आबंटित खाद्यान्नों के वितरण का पर्यवेक्षण करने की प्रचालनात्मक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की होती है।

देश के कुछ क्षेत्रों/राज्यों में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्नों के वितरण में अनियमितताओं के बारे में रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं। तथापित, मेघालय राज्य के संबंध में पिछले एक वर्ष के दौरान कोई ऐसी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। जब कभी केन्द्र सरकार को व्यक्तियों और संगठनों तथा प्रेस रिपोर्टों के जरिए शिकायतें प्राप्त होती हैं, उन्हें जांच और उचित कार्रवाई के लिए संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को भेजा जाता है। उपर्युक्त को देखते हुए गरीबों को खाद्यान्नों का वितरण न करने के ऐसे मामलों की जांच करने के लिए समिति का गठन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

आवासीय परियोजनाएं

3132. श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी : क्या **आवास और शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) 'नेशनल अर्बन हाउसिंग एण्ड हैबिटैट पॉलिसी' की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) शहरी क्षेत्रों में आवासीय योजनाओं के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त परियोजनाओं/प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार एवं योजना–वार उक्त योजना के अंतर्गत स्वीकृत प्रस्तावों एवं आवंटित/जारी निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा उपयोग की गई राशि का योजना–वार और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार ब्यौरा तथा शेष/पूर्ण धनराशि के उपयोग न करने के कारण क्या हैं; और

(घ) विशेष रूप से मध्यवर्ग और गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों के लिए आवास की कमी से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) रष्ट्रीय शहरी आवास और पर्यावास नीति (एन यू एच एच पी), 2007 के उद्देश्य देश में पर्यावास के सतत विकास को बढ़ावा देना है ताकि समाज के सभी वर्गों को किफायती दरों पर भूमि, आश्रय और मूलभूत सेवाओं की सम्यक आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। केन्द्र एवं राज्य सरकार दोनों की आवासीय कमी की मात्रा एवं बजटीय बाधाओं को देखते हुए नीति कई स्टेक होल्डरों नामतः निजी क्षेत्र, सहकारिता क्षेत्र, श्रम आवास हेतु औद्योगिक क्षेत्र तथा कर्मचारी आवास हेतु सेवाएं/संस्थानिक क्षेत्र पर जोर देती है। इस तरीके से नीति 'सभी के लिए किफायती आवास' के लक्ष्य को प्राप्त करने के

लिए विभिन्न प्रकार के सार्वजनिक निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करती है। इस प्रकार नीति कमी के पीछे के कारण को दूर करने के लिए प्रत्येक स्तर पर प्रयास करने के लिए लक्ष्य, दिशा एवं तात्कालिकता पर जोर देती है और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं शहरी गरीबों जैसे समाज के कमजोर वर्गो पर विशेष ध्यान देते हुए सभी के लिए किफायती आवास प्रदान करती है।

(ख) से (घ) आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय शहरी गरीबों को किफायती आवास प्रदान करने के लिए स्कीमों का कार्यान्वयन कर रहा है।

★ वर्ष 2005 में सरकार द्वारा शुरू किया गया जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं (बीएसयूपी) संबंधी उप मिशन के अंतर्गत 65 निर्दिष्ट शहरों में तथा एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) के अंतर्गत अन्य शहरों एवं कस्बों में शहरी गरीबों के लिए आवास एवं बुनियादी सेवाओं के प्रावधान हेतु सहायता प्रदान करता है।

★ जे एन एन यू आर एम के अंतर्गत स्कीमों के लिए कोई राज्यवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये हैं, जहां आवासीय स्कीमों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को धनराशि जारी की जाती है। तथापि जे एन एन यू आर एम के बीएसयूपी एवं आईएचएसडीपी घटकों के अंतर्गत पिछले प्रत्येक तीन वर्षो एवं वर्तमान वर्ष के दौरान अनुमोदित परियोजनाओं, वचनबद्ध/अनुमोदित केन्द्रीय अंश तथा राज्यों को जारी ध नराशि (वचनबद्ध अंश में से उपयोग की गई) का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

वचनबद्ध सम्पूर्ण केन्द्रीय अंश जारी नहीं करने के निम्न कारण हैं :

(i) बीएसयूपी एवं आईएचएसडीपी के अंतर्गत केन्द्रीय अंश किस्तों में जारी किया जाता है, तथा

(ii) बाद कि किस्तें जारी करना संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पहले जारी किस्तों की धनराशि के 70 प्रतिशत का उपयोग करने तथा उपयोगिता तथा सुधारों की संतोषजनक प्रगति के बाद उपयोग प्रमाण पत्र की प्रस्तुति पर निर्भर करता है।

• शहरी गरीबों के लिए आवास हेतु ब्याज सब्सिडी स्कीम (आईएचएसयूपी) में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) एवं निम्न आय वर्ग (एलआईजी) को ऋण पर ब्याज सब्सिडी प्रदान करने की व्यवस्था है और ऐसे परिवारों को मकानों के निर्माण/अधिग्रहण के उद्देश्य से वाणिज्यिक बैंकों/आवास वित्त कंपनियों के माध्यम से ऋण सुविधाएं प्राप्त करने के लिए तथा 1 लाख रु. तक के ऋण हेतु ब्याज अदायगी में 5 प्रतिशत की सब्सिडी प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन दिया गया है। यह एक मांग आधारित स्कीम है और इस स्कीम के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति लाभ प्राप्त कर सकता है।

• भागीदारी में किफायती आवास स्कीम का उद्देश्य किफायती आवासों के निर्माण हेतु भूमि जुटाना और आंतरिक एवं बाह्य अवस्थापना संपर्क के प्रावधान के लिए केन्द्र सरकार सहायता उपलब्ध कराना है। 5000 करोड़ रुपये के परिव्यय से वर्ष 2009 में शुरू की गई उक्त स्कीम का लक्ष्य ईडब्ल्यूएस/एलआईजी/मध्यम आय वर्ग के लिए 1 मिलियन मकानों का निर्माण करना है जिसमें ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए कम से कम 25 प्रतिशत मकान हों। यह एक मांग आधारित स्कीम है और इस स्कीम के अंतर्गत कोई भी निजी आपरेटर लाभ प्राप्त कर सकता है।

• ''राजीव आवास योजना'' (रे) नाम की एक नई स्कीम दिनांक 2.6.2011 को शुरू की गई है। ''राजीव आवास योजना'' (रे) फेज–I 5000 करोड़ रु. के बजट के साथ स्कीम के अनुमोदन की तारीख से दो वर्षो की अवधि के लिए है। इस स्कीम में स्लमवासियों को संपत्ति का अधिकार देने के इच्छुक राज्यों को स्लम पुनर्विकास हेतु उपयुक्त आश्रय, बुनियादी नागरिक एवं सामाजिक सेवाओं के प्रावधान और किफायती आवासों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। बुनियादी नागरिक तथा सामाजिक अवसंरचना एवं सुविधाओं तथा आवास जिसमें किराया आवास शामिल है, तथा स्लमों के स्वस्थाने पुनर्विकास के लिए अस्थायी आवास के प्रावधान की 50 प्रतिशत लागत जिसमें इस स्कीम के तहत निर्मित परिसंपत्तियों का प्रचालन और रख–रखाव शामिल है, केन्द्र द्वारा वहन की जाएगी। पूर्वोत्तर तथा विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए भूमि अधिग्रहण की लागत, यदि आवश्यक हो, सहित केन्द्र की हिस्सेदारी 90 प्रतिशत होगी। स्लम मुक्त शहरी योजना स्कीम–राजीव आवास योजना के प्रारंभिक फेज के अंतर्गत प्रारंभिक कार्यकलाप शुरू करने के लिए 157 शहरों को धनराशि जारी की गई है। यह स्कीम राज्यों के द्वारा निर्धारित गति से प्रगति करेगी।

विवरण

जेएनएनयूआरएम

शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं (उप-मिशन II)

दिनांक 08.12.2011 की स्थिति के अनुसार

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2008–09			2009–10			2010–11			2011–12		
		कुल अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या	वचनबद्ध एसीए	जारी एसीए	कुल अनुमोनित परियोजनाओं की संख्या	वचनबद्ध एसीए	जारी एसीए	कुल अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या	वचनबद्ध एसीए	जारी एसीए	कुल अनुमोदित परियोजनाओं की सख्या	वचनबद्ध एसीए	जारी एसीए
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	आन्ध्र प्रदेश	17	650.50	211.57			240.89			306.93			84.65
2	अरुणाचल प्रदेश	1	40.59	0.00			10.99			0.84	1	10.52	0
3	असम	1	49.04	0.00			24.40			12.26			
4	बिहार	9	133.22	33.30			0.00						
5	छत्तीसगढ़	1	23.03	0.00	1	29.77	83.80			7.44			
6	चंडीगढ़			94.03			89.91			38.28			
7	दिल्ली	2	52.8	15.78			0	7	893.88	183.69	2	227.82	
8	गोवा			0.00									
9	गुजरात	3	78.75	175.34	2	103.22	137.25	2	12.49	158.44	5	130.86	2.34
10	हरियाणा			15.59						7.79			
11	हिमाचल प्रदेश			0.00									
12	जम्मू और कश्मीर	3	49.56	7.47			4.92			3.19			
13	झारखंड	6	118.69	9.67			1.80	3	77.15	37.48			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	कर्नाटक	11	134.99	21.88			74.37			49.97			35.01
15	केरल	1	31.18	0.00			24.00			50.72			
16	मध्य प्रदेश	3	87.59	17.80			51.63			56.65			12.80
17	महाराष्ट्र	18	705.34	436.48	5	467.99	232.55			293.87	3	86.25	49.81
18	मेघालय	1	16.58	0			10.09						
19	मणिपुर	1	43.91	0			10.98						
20	मिजोरम	2	51.20	0			12.80			7.23			12.80
21	ओडिशा	1	5.41	1.35			0			9.95			
22	पंजाब			0			8.32			9.04			
23	पुडुचेरी			0	1	50.89	13.78			1.07			
24	सिक्किम	2	26.26	0			6.56			7.96			
25	नागालैंड			11.01			0			26.40			
26	राजस्थान			0			0	2	88.11	43.17			
27	तमिलनाडु	27	94.44	57.83			126.71			162.36			43.30
28	त्रिपुरा			3.49			6.98						
29	उत्तर प्रदेश	55	937.76	235.57			71.14	अतिरिक्त	5.40	284.49	1	4.80	58.53
30	उत्तराखंड	4	9.93	3.20	4	37.33	0.00			10.61			1.29
31	पश्चिम बंगाल	15	440.87	211.13			87.84	12	355.17	150.33	1	18.46	159.46
	कुल	184	3781.64	1562.49	13	689.20	1331.73	26	1432.20	1920.16	13	478.71	459.99

एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी)

दिनांक 08.12.2011 की स्थिति के अनुसार

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2008–09			2009–2010			2010–2011			2011–2012		
		कुल अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या	वचनबद्ध एसीए	जारी एसीए	कुल अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या	वचनबद्ध एसीए	जारी एसीए	कुल अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या	वचनबद्ध एसीए	जारी एसीए	कुल अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या	वचनबद्ध एसीए	जारी एसीए
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	आंध्र प्रदेश	20	271.98	48.91			195.03			114.86			
2	अरुणाचल प्रदेश	1	8.96	0.00	0					4.48			
3	असम	3	23.38	7.39	1	13.73	11.17						
4	बिहार	6	64.21	32.10	4	38.51		5	67.40	19.26			24.11
5	छत्तीसगढ़	4	36.82	0.00			43.57			13.74			
6	गोवा		0.00	0.00							1	1.40	0
7	गुजरात	9	73.22	33.84	6	17.13	13.99			6.46	7	64.06	5.40
8	हरियाणा	3	26.74	0.00			13.37			19.81			8.20
9	हिमाचल प्रदेश	3	20.88	6.39			10.44	2	11.71	5.85			
10	जम्मू और कश्मीर	15	34.50	13.80	12	17.86	9.61	13	29.72	5.38			22.33
11	झारखंड	6	72.39	33.33				3	43.35	13.94			10.60
12	कर्नाटक	9	76.93	0.00			38.46			37.84			46.43
13	केरल	11	42.18	47.82	16	55.29	8.24			30.72			
14	मध्य प्रदेश	4	21.88	10.94	7	28.87	12.48	5	16.78	6.77	4	10.96	18.23
15	महाराष्ट्र	56	772.57	386.79	1	20.19	92.29			84.06	23	348.75	9.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	मणिपुर	1	8.33	6.18	3	11.66	4.48			5.66			10.35
17	मेघालय	2	13.46	3.58			6.72						
18	मिजोरम	7	23.57	3.77			11.12						9.58
19	नागालैंड		0.00	0.00	1	0.60	7.85						
20	ओडिसा	16	123.30	55.34	1	9.45	17.92	2	5.42	4.73			6.83
21	पंजाब	1	8.22	3.54				11	99.76	50.46			
22	राजस्थान	4	52.12	40.24	5	45.94	43.94	18	196.00	122.00			
23	सिक्किम		0.00	0.00	1	17.92	8.96						
24	तमिलनाडु	52	184.17	77.38	2	18.73	90.85			70.92			
25	त्रिपुरा	2	17.60	0.00	2	14.11	19.02			12.36			
26	उत्तर प्रदेश	124	509.10	256.50	10	100.63	18.49	15	177.76	198.2	6	33.70	138.45
27	उत्तरांचल		0.00	0.00	19	87.66	26.99			16.84			7.78
28	पश्चिमी बंगाल	34	297.60	227.42	1	0.15	72.14			34.15			76.12
29	दिल्ली		0.00	0.00									
30	पुडुचेरी		0.00	0.96			0.43						
31	अं. और नि. द्वीप समूह	1	8.90	0.00			3.16						
32	चंडीगढ़		0.00	0.00									
33	दादर और नगर हवेली		0.00	0.00	1	2.89				1.44			
34	लक्षद्वीप		0.00	0.00									
35	दमन और दीव		0.00	0.00									
	कुल	394	2793.01	1296.21	93	501.32	780.72	74	647.90	879.93	41	458.87	393.63

हरित परिवहन परियोजनाएं

3133. श्री निशिकांत दुबे : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे एन एन यू आर एम) राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों में एक प्रभावी और उन्नत परिवहन प्रणाली की प्राप्ति में किस प्रकार सहायक है;

(ख) क्या सरकार ने देश में हरित परिवहन परियोजनाएं आरंभ की हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और अनुमानित लागत क्या है और इसके अंतर्गत चयनित शहरों/कस्बों के नाम क्या हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय) : (क) जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के शहरी अवस्थापना और शासन (यूआईजी) घटक के दिशानिर्देशों के अनुसार जेएनएनयूआरएम के यूआईजी घटक के अंतर्गत वित्तपोषण हेतु सड़कों, राजमार्गों/ एक्सप्रेसवे/ एमआरटीएस/मेट्रो परियोजनाओं सहित शहरी परिवहन एक स्वीकार्य घटक है।

केन्द्र सरकार ने अप्रैल, 2006 में राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति (एनयूटीपी) तैयार की है। अन्य बातों के साथ-साथ इसका उद्देश्य एकीकृत भू-उपयोग और परिवहन आयोजना के सार्वजनिक परिवहन के अधिक उपयोग, परिवहन के मोटर रहित साधनों, बेहतर प्रणालियों तथा प्रौद्योगिकीय सुधारों को बढ़ावा देना है।

(ख) और (ग) जेएनएनयूआरएम के अन्तर्गत कोई ऐसी परियोजना शुरू नहीं की गई है।

[हिन्दी]

बम विस्फोटों के मामलों में गिरफ्तारी

3134. श्री विलास मुत्तेमवारः
श्री उदय सिंहः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में बम विस्फोटों/आतंकी गतिविधियों के मामलों में कोई गिरफ्तारी हुई है;

(ख) यदि हां, तो घटना-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में आरोपियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) जी हां। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, वर्ष 2008 से अंतः क्षेत्र (हिन्टरलैंड) में आतंकवादी कृत्यों और संदिग्ध आतंकवादी कृत्यों की सूची तथा घटना-वार गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों की संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है। इसके अतिरिक्त, अंतः क्षेत्र में वर्ष 2009 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा जांच किए जा रहे अन्य आतंकवादी कृत्यों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में संलग्न है।

(ग) सरकार इन हमलों/कृत्यों के अभियुक्तों को न्यायाधीन लाने, अभियोजन चलाने और कानून के तहत सजा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। चूंकि संबंधित राज्य पुलिस बल ऐसे अपराधों के लिए प्राथमिक कार्रवाईकर्त्ता, जांचकर्त्ता और अभियोजक हैं, इसलिए केन्द्र सरकार इन्हें विधि विज्ञान, आसूचना एवं समन्वय के रूप में सभी प्रकार की सहायता प्रदान करती है। राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके और उनकी सहमति से एन आई ए एक्ट को अधिनियमित करने तथा वर्ष 2009 में एन आई ए का गठन किए जाने के बाद, आतंकवादी मामलों को जांच के लिए एन आई ए को स्थानान्तरित किया जा सकता है और किया जा रहा है।

विवरण-I

अंतः क्षेत्र (हिन्टरलैंड) में पिछले तीन वर्षों के दौरान और वर्तमान वर्ष में घटित हुए आतंकवादी/बम धमाकों के मामलों की सूची

दिनांक	घटना	गिरफ्तार अभियुक्तों की संख्या
1	2	3
1.1.2008	उत्तर प्रदेश के रामपुर में सी आर पी एफ कैम्प पर हमला	8
2.2.2008	गुरू राम रहीम के जत्थे पर विस्फोट (हरियाणा)	8

1	2	3
13.5.2008	जयपुर में शृंखलाबद्ध बम धमाका	5
25.7.2008	बंगलौर में शृंखलाबद्ध बम धमाका	20
26.7.2008	अहमदाबाद में शृंखलाबद्ध बम धमाका	70
13.9.2008	दिल्ली में पांच शृंखलाबद्ध धमाके	14
27.9.2008	महरौली में बम धमाका	शून्य
29.9.2008	गुजरात में मोदासा शहर में धमाका	शून्य
29.9.2008	मालेगांव नासिक में धमाका	12
26.11.2008	मुम्बई में आतंकवादी हमला	3
16.10.2009	मडगांव, गोवा में धमाका	6
13.2.2010	जर्मन बेकरी, पुणे में धमाका	7
29.3.2010	महरौली, नई दिल्ली में बम धमाका	शून्य
17.04.2010	चिन्नास्वामी स्टेडियम धमाका	6
19.09.2010	जामामस्जिद (दिल्ली) में गोलीबारी और विस्फोट	6
7.12.2010	वाराणसी (उत्तर प्रदेश) में बम धमाका	शून्य
25.5.2011	दिल्ली उच्च न्यायालय में विस्फोट	शून्य
13.7.2011	मुम्बई में शृंखलाबद्ध बम धमाके	शून्य
7.9.2011	दिल्ली उच्च न्यायालय में बम धमाका	3
17.9.2011	जय अस्पताल, आगरा में बम धमाका	शून्य

विवरण–II

अंतः क्षेत्र (हिन्टरलैंड) में वर्ष 2009 से एन आई ए द्वारा पंजीकृत किए गए आतंकवादी कृत्यों के संबंध में जांच की स्थिति

क्र.सं.	एन आई ए में मामले के पंजीकरण की तिथि	मामला	गिरफ्तार अभियुक्तों की संख्या
1	2	3	4
1.	5.6.2009	अच्छी गुणवत्ता वाले ऊँचे मूल्य के एफ आई सी एन का उत्पादन, तस्करी और परिचालन	06
2.	11.11.2009	भारत में संवेदनशील स्थानों पर हमले के लिए एल ई टी एवं हूजी की बड़ी साजिश	शून्य

1	2	3	4
3.	8.12.2009	कोजीकोड, केरल में एल ई टी के साथ सांठगांठ कर कट्टरपंथी समूह द्वारा धमाका	10
4.	11.12.2009	एक कट्टरपंथी समूह द्वारा मडगांव, गोवा में धमाका	06
5.	13.1.2010	दक्षिण–पूर्व एशिया से भारत में हथियारों के एक बड़े जखीरे को खरीदने एवं तस्करी करने के लिए एन एस सी एन (आइ एम) के कुछ वरिष्ठ नेताओं का षड्यंत्र और उतरवर्ती कार्य	01
6.	21.1.2010	एल ई टी द्वारा प्रशिक्षण हेतु युवाओं को आमूल परिवर्तन/भर्ती करके केरल से जम्मू एवं कश्मीर भेजना	18
7.	21.1.2010	जिला अरनाकुलम, केरल में सिमी की अपनी गैर–कानूनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए गुप्त बैठक	18
8.	21.1.2010	मुन्दाकयम, जिला कोटायम, करेल में सिमी द्वारा एक आतंकवाद प्रशिक्षण शिविर का आयोजन	29
9.	22.1.2010	कलामेस्सरी, जिला अरनाकुलम; केरल में कट्टरपंथी समूह द्वारा एक राजकीय बस का जलाया जाना	11
10.	29.6.2010	गुजरात के मोदासा शहर में सुक्का बाजार मस्जिद के पास मोटर साइकिल बम धमाका	शून्य
11.	22.7.2010	हैदराबाद में एक सक्रिय पाक प्रशिक्षित एल ई टी कार्यकर्ता की गिरफ्तारी और हथियारों की बरामदगी	01
12.	30.11.2010	आई एम के अमीर रजा खान, जिसके पाकिस्तान/दुबई में होने की आशंका है, द्वारा दिनांक 26.2.2010 को कोलकाता के व्यापारियों को धनउगाही की कॉलें	शून्य
13.	6.4.2011	दिनांक 4.7.2010 को केरल के एरणाकुलम जिले में केरल के अतिवादी इस्लामी समूह द्वारा प्रोफेसर जोसफ का हाथ काटा जाना	30
14.	13.4.2011	मालेगांव बम धमाका	12
15.	25.4.2011	हवाला के माध्यम से कश्मीरी आतंकवादी समूह का आतंकी वित्तपोषण	04
16.	25.6.2011	देवस, मध्य प्रदेश में सुनिल जोशी, जो समझौता एक्सप्रेस तथा अन्य धमाकों के मामलों मे अभियुक्त है, की हत्या	05
17.	7.9.2011	दिनांक 7.9.2011 को दिल्ली उच्च न्यायालय में बम धमाका	03
18.	30.9.2011	दिनांक 25.5.2011 को दिल्ली उच्च न्यायालय के पास बम धमाका	शून्य
19.	25.10.2011 और 14.11.2011	दिल्ली में आतंकी वित्तपोषण	शून्य

[अनुवाद]

गायों का प्रजनन

3135. श्रीमती पूनम वेलजीभाई जाट : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गाय की घरेलू प्रजातियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देशी गायों की नस्लों और उसकी संतति के प्रजनन और संरक्षण हेतु सरकार के पास कोई नीति/योजना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा पूरे देश में देशी गायों की नस्लों के प्रजनन और उसके संरक्षण हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत) : (क) भारत में देशी गोपशु की 34 पंजीकृत प्रजातियां हैं और उनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) देशी गाय की प्रजातियों और इसकी संतति के प्रजनन तथा संरक्षण के लिए प्रजनन नीति एवं प्रजनन योजना तैयार करना राज्य का विषय है और अधिकांश राज्यों ने गोपशु विकास के लिए प्रजनन नीति तैयार की है।

(ग) और (घ) भारत सरकार अक्तूबर, 2002 से पूरे देश में 100 प्रतिशत सहायता अनुदान के आधार पर राष्ट्रीय गोपशु एवं भैंस प्रजनन परियोजना (एनपीसीबीबी) नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना कार्यान्वित कर रही है। एनपीसीबीबी में गोजातीय पशुओं के आनुवांशिकी सुधार के लिए प्राथमिकता के आधार पर विचार किया गया है और देशी नस्लों के विकास और संरक्षण पर भी ध्यान केन्द्रित किया गया है। सरकार गोजातीय पशुओं के विकास के लिए केन्द्रीय गोपशु प्रजनन फार्म (सीसीबीएफ), केन्द्रीय पशुयूथ पंजीकरण योजना (सीएचआरएस) और केन्द्रीय हिमित वीर्य उत्पादन एवं प्रशिक्षण संस्थान (सी एफ एस पी एंड टी आई) नामक तीन केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं भी कार्यान्वित कर रही है।

विवरण

स्वदेशी गोपशुओं का नस्लवार ब्यौरा

क्र.सं.	नस्ल	प्रजनन क्षेत्र
1	2	3
		दुधारू नस्ल
1	गिर	गुजरात (जूनागढ़, भावनगर, अमेरी जिले)
2		राठी राजस्थान (बीकानेर, जसलमेर, गंगानगर जिले)
3	रेड सिंधि	पाकिस्तान (करांची, हैदराबाद जिले)
4	साहिवाल	साहिवाल जिला, फिरोजपुर और पंजाब का अमृतसर
		द्विउद्देशीय नस्ल
5	देवनी	महाराष्ट्र (मराठ्वाड़ा क्षेत्र) कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से लगे भाग
6	गाओलाओ	महाराष्ट्र (वर्धा), मध्य प्रदेश (बालाघाट, छिंदवाड़ा) जिले व छत्तीसगढ़ (दुर्ग, राजनंद गांव)
7	हरियाणा	हरियाणा (रोहतक, हिसार, जिंद जिले) राजस्थान (अलवर, भरतपुर)
8	कंकरेज	गुजरात (कच्छ, मेहसाना, अहमदाबाद, कयरा, सबरकंठ जिले), राजस्थान (बारमेड और जौधपुर)
9	कृष्णावेली	कर्नाटक (बेलगांम, रायचुर, बीजापुर जिले), महाराष्ट्र (सतारा, सांगली, सोलापुर)
10	मेवाती	राजस्थान (अलवर, भरतपुर), उत्तर प्रदेश (कोशी, मथुरा)

1	2	3
11	ओंगोले	आंध्र प्रदेश (चित्तुर, कुरनूल)
12	थारपरकर	राजस्थान (जोधपुर, बिकानेर, जैसलमेर)
		भारवाही नस्ल
13	अमृत महल	कर्नाटक (हसन, चिकमंगलुर, चितेरा दुर्ग)
14	बरगुर	तमिलनाडु (इरोड जिला)
15	बचौर	विहार (सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा जिले)
16	बिंझारपुरी	उड़ीसा (जजपुर सबडिवीजन, कटक जिला)
17	डांगी	महाराष्ट्र (नासिक, अहमद नगर)
18	धुमसुरी	उड़ीसा (कटक)
19	हल्लीकर	कर्नाटक
20	कंगायम	तमिलनाडु (इरोड जिला)
21	केनकथा	उत्तर प्रदेश (ललितपुर, हमिरपुर, बांदा जिले), मध्य प्रदेश (टीकमगढ़)
22	खेरीगढ़	उत्तर प्रदेश (लखिमपुर खेरी)
23	खेरयार	उड़ीसा
24	खिल्लारी	महाराष्ट्र (सोलहपुर, सांगली सतारा जिले)
25	मालवी	मध्य प्रदेश (देवाश, उज्जैन, शाजापुर) राजस्थान (झांलवाड़)
26	नागौरी	राजस्थान (नागौर)
27	नीमारी	मध्य प्रदेश (खंडवा, खडगांव, बरवानी)
28	मोटू	उड़ीसा (कोरापुट जिला)
29	पोंवार	उत्तर प्रदेश (पीलीभित जिला)
30	रेड कंधारी	महाराष्ट्र (नांदेर)
31	सिरी	पश्चिम बंगाल (दर्जलिंग) और सिक्किम
32	अम्बलाचेरी	तमिलनाडु, (थंजावुर, नागापट्टीनम)
33	वेचुर	केरल (वैकम, कोट्टायम जिले)
34	पंगनूर	आंध्र प्रदेश (चितुर)

[हिन्दी]

खनन गतिविधियां

3136. श्री ओम प्रकाश यादव : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष खुदाई किए गए क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है और वहां से किन पुरातात्विक महत्त्व की वस्तुओं की प्राप्ति हुई है;

(ख) क्या पुरातत्व विभाग उक्त वस्तुओं के संबंध में कोई रिपोर्ट प्रकाशित करता है; और

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रकाशित ऐसी रिपोर्टों का ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किए गए उत्खननों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) प्राप्त की गई वस्तुओं को उस विशेष उत्खनन की रिपोर्ट में प्रकाशित किया गया है।

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रकाशित की गई महत्त्वपूर्ण उत्खनन रिपोर्टें इस प्रकार हैं।

1. बेकल किला, जिला कासरगोड, केरल
2. तरखानेवाला डेरा एवं चक 86, जिला श्री गंगानगर, राजस्थान।

विवरण

गत तीन वर्षों 2008-2009, 2009-2010 और 2010-2011 के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संचालित उत्खनन का ब्यौरा

क्र.सं.	स्थल का नाम	
1	2	प्राप्त की गई 3वस्तुऐं
2008-2009		
1.	घोराकटोरा, गिरीयक पुलिस स्टेशन के पास, जिला नालंदा, बिहार	उत्खननों से प्राप्त की गई आम वस्तुएं इस प्रकार हैं : विभिन्न कालों के ठीकरे, गोफन कन्दुक, डाट, लैम्प, गुमटा, हॉपस्कॉच, टेराकोट्टा की जन्तु प्रतिमाएं, मानव प्रतिमाएं, सॉकेट रिंग, सील/सीलिंग, जेट सिंकर, गैम्समैन, टेराकोट्टा केक, ढक्कन, फालस, तकली चक्र, पेस्टल, स्किन रबर, टेबलेट पैब्बल, चूड़ी, सिक्के, एन्टिमनी रोड, स्वर्ण सज्जित वस्तु, लघु चित्र वाला बर्तन, फुव्वारा खिलौना वस्तु, मध्यम बहुमूल्य पत्थर और टेराकोट्टा के मनके, अस्थि/हाथी दांत, पत्थर तांबे की वस्तुएं, पत्थर की वस्तुएं, तांबे की वस्तुएं, सीसे की वस्तुएं, अंतरक, कटोरी, मणि बंध, बाजूबंध, सिक्के, कंघी, खंजर, सज्जित अस्थि के टुकड़े, पासा, झुमके, कर्ण गुलबंध, भाला।
2.	चानकीगढ़, रामनगर रेलवे स्टेशन, जिला पश्चिम चपांरण, बिहार	
3.	रांची और सिहंभूम (पूर्व और पश्चिम), झारखंड के जिले	
4.	मेलघाट क्षेत्र, जिला अमरावती, महाराष्ट्र।	
5.	अही क्षेत्र, रामनगर, जिला बरेली, उत्तर प्रदेश।	
6.	सेंट अगस्टीन काम्पलेक्स, ओल्ड गोवा, जिला उत्तरी गोवा में उत्खनन	
7.	आमबारी, जिला कामरूप, असम में पुरातत्व स्थल पर उत्खनन	
8.	प्राचीन टीला, नगर, जिला टॉक, राजस्थान	
9.	बानगढ़, गंगारामपुर पुलिस स्टेशन, दक्षिणी दिनाजपुर जिला, पश्चिम बंगाल	
10.	काकुनी, जिला बारण, राजस्थान	
2009-2010		
1.	वैश्य टेकरी भैरोगढ़, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश	
2.	मल्हार, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़,	
3.	नजदीकी क्षेत्र मलगंपुरा के साथ-साथ प्राचीन स्तूप के अवशेष, जिला पुलवामा, जम्मू एवं कश्मीर	
4.	सनकीसा, जिला फरूर्खाबाद, उत्तर प्रदेश में उत्खनन	
5.	मोदीकुप्पम, खालुक, गुडीयाट्टम, जिला वैल्लौर, तमिलनाडु	
6.	खिरासर, जिला कच्छ, गुजरात	
7.	शीला, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में उत्खनन	
8.	कोंडापुर, कोंडापुर मंडल, जिला मेंढक, आंध्र प्रदेश	

1	2	3
9.	असुरगढ़ किला, केसिंधा नार्ला, जिला कालाहांडी, उड़ीसा	उत्खननों से प्राप्त की गई आम वस्तुएं इस प्रकार की विभिन्न कालों के ठीकरे, गोफन कन्दुक, डाट, लैम्प, गुमटा, हॉपस्कॉच, टेराकोट्टा की जन्तु प्रतिमाएं, मानव प्रतिमाएं, सॉकेट रिंग, सील/सीलिंग, जैट सिंकर, गैम्समैन, टेराकोट्टा केक, ढक्कन, फालस, तकली चक्र, पेस्टल, स्किन रबर, टेबलेट पैब्बल, चूड़ी, सिक्के, एन्टिमनी रोड, स्वर्ण सज्जित वस्तु, लघु चित्र वाला बर्तन, फुव्वारा खिलौना वस्तु, मध्यम बहुमूल्य पत्थर और टेराकोट्टा के मनके, अस्थि/हाथी दांत, पत्थर तांबे की वस्तुएं, पत्थर की वस्तुएं, तांबे की वस्तुएं, पत्थर की वस्तुएं, तांबे की वस्तुएं, सीसे की वस्तुएं, शंख निर्मित वस्तुएं, अंतरक, कटोरी, मणि बंध, बाजूबंध, सिक्के, कघीं, खंजर, सज्जित अस्थि के टुकड़े, पासा, झुमके, कर्ण गुलबंध, भाला।
10.	अही क्षेत्र, रामनगर, तहसील आओंला, जिला बरेली, उत्तर प्रदेश में उत्खनन	
11.	बानगढ़, गंगारामपुर, जिला उत्तरी दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल में उत्खनन	
12.	टिब्बा नामशाह, मड़ ब्लाक, जला जम्मू एवं कश्मीर	
13.	दौलताबाद किला, दौलताबाद, औरंगाबाद, महाराष्ट्र	
14.	लथिया, जामनिया के नजदीक, जिला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में उत्खनन	
15.	निंदौर, भभुहा जिला, बिहार में उत्खनन	
16.	सेंगलूर और वर्डकीपट्टी, मनप्परी, तिरूचिरापल्ली, तमिलनाडू	
2010–2011		
1.	खन्डेरा, नरवाड और टिकोडा, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश	
2.	मल्हार, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़	
3.	कोल्हुआ, वैशाली के पास, जिला मुज्जफरपुर, बिहार	
4.	कोंडापुर, कोंडापुर मंडल, जिला मेंढक, आंध्र प्रदेश	
5.	खिरासर, जिला कच्छ, गुजरात	
6.	कुरूगुडू (बुद्धीकोला), जिला बैल्लारी, कर्नाटक	
7.	सेंगलूर, कुलत्तूर, पुदुकोट्टाई, तमिलनाडु	
8.	अहीक्षेत्र, रामनगर, तहसील आओंला, जिला बरेली, (उत्तर प्रदेश)	
9.	मल्यदीपट्टी, तालुक कुलत्तूर, जिला पुदूकोट्टाई, तमिलनाडू	
10.	बानगढ़, गंगारामपुर, जिला दक्षिणी दिनाजपुर, पश्चिमी बंगाल में उत्खनन	
11.	चंद्रकेतुगढ़, मौजा हादीपुर चुपरीझारा एवं सिंगरेती, उत्तर 24 परगना, पश्चिमी बंगाल	
12.	राजा–विशाल–का–गढ़, जिला वैशाली, बिहार	

[अनुवाद]

जे एन एन यू आर एम के अंतर्गत परियोजनाएं

3137. श्री सुशील कुमार सिंह : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे एन एन यू आर एम) के अंतर्गत परियोजनाओं को तैयार किए जाने और उनके अनुमोदन मंजूरी की प्रक्रिया बहुत जटिल है;

(ख) यदि हां, तो जे एन एन यू आर एम के अंतर्गत आरंभ की गई परियोजनाओं की स्वीकृति/अनुमोदन तथा कार्यान्वयन को गति प्रदान करने के लिए क्या उपाय प्रस्तावित हैं; और

(ग) जे एन एन यू आर एम के अंतर्गत बिहार के कितने शहरों में परियोजनाएं आरंभ किए जाने का प्रस्ताव है और इन परियोजनाओं हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय) : (क) जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के उप मिशन यानी शहरी अवसंरचना एवं

शासन (यूआईजी) के अंतर्गत, उपयुक्त विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में राज्य सरकारों की मदद के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने संबंधी एक टूल किट परिचालित की गई है। शहर विकास योजना के आधार पर तैयार, राज्य सरकार द्वारा प्राथमिकता निर्धारित तथा जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के उप मिशन शहरी अवसंरचना एवं शासन (यूआईजी) के मार्ग निर्देशों के अनुरूप पाई गई विस्तृत परियोजना रिपोर्टों पर अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता हेतु केन्द्रीय स्वीकृति तथा निगरानी समिति (सीएसएमसी) द्वारा इन रिपोर्टों के तकनीकी मूल्यांकन और निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन, विचार किया जाता है।

छोटे और मझोले कस्बों के लिए शहरी अवस्थापना विकास स्कीम (यूआईडीएसएसएमटी) के तहत राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति (एसएलएमसी) परियोजना को अनुमोदित करती है तथा निधियां जारी करने के लिए भारत सरकार को संस्तुत करती हैं।

(ख) परियोजनाओं का कार्यान्वयन राज्य सरकार/शहरी स्थानीय निकायों द्वारा किया जा रहा है। मिशन निदेशालय द्वारा लक्ष्यों की प्राप्ति को ध्यान में रखते हुए, शहरी स्थानीय निकायों/पैरा स्टेटलों के कार्मिकों के लिए द्रुत प्रशिक्षण कार्यक्रम (आरटीपी), राज्य स्तर पर कार्यक्रम प्रबंधन यूनिटों (पीएनयू) तथा शहरी स्थानीय निकाय स्तर पर परियोजना कार्यान्वयन यूनिटों की सहायता, राज्य स्तर पर स्वतंत्र समीक्षा तथा निगरानी एजेंसी (आइआरएमए) जेसे क्षमता निर्माण उपाय किए गए हैं। राज्य के लिए परियोजनाओं की प्रगति का मूल्यांकन राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति (एसएलएमसी), राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी (एसएलएमए) तथा स्वतंत्र समीक्षा तथा निगरानी एजेंसी (आइआरएमए) द्वारा किया जा रहा है। अनुमोदित परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति का मूल्यांकन और निगरानी भारत सरकार द्वारा भी की जा रही है।

(ग) जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के शहरी अवसंरचना एवं शासन (यूआईजी) के अंतर्गत बिहार में पटना शहरी समूह (यूएस) और बोधगया दो मिशन शहर हैं। इन 2 मिशन शहरों के लिए 71181.41 लाख रु. की अनुमोदित लागत तथा 39475.73 लाख रु. की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता वचनबद्धता वाली 8 परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं। उपर्युक्त मिशन शहरों को छोड़कर अन्य शहर/कस्बे, छोटे और मझोले कस्बों के लिए शहरी अवस्थापना विकास स्कीम (यूआईडीएसएसएमटी) के तहत शामिल हैं। यूआईडीएसएसएमटी के तहत 26113.91 लाख रु. की अनुमोदित लागत तथा 20891.13 लाख रु. की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता वचनबद्धता वाली 11 परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं।

उत्तर पूर्व क्षेत्र (एन ई आर) में माओवादी गतिविधियां

3138. श्री रमेन डेका : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम सहित उत्तर पूर्व क्षेत्र में माओवादी गतिविधियों के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इन गतिविधियों पर रोक लगाने हेतु क्या कार्यवाही की है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) सी पी आई (माओवादी), अपनी सैन्य अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अन्य विद्रोही गुटों के साथ सम्पर्क रखने के उद्देश्य से पूर्वोत्तर में संगठनात्मक सुधार स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। इस संबंध में, सी पी आई (माओवादी) ने मणिपुर के रिवोल्युशन पीपल्स फ्रंट (आर पी एफ)/पीपल्स लिबरेशन आर्मी (पी एल ए) जैसे पूर्वोत्तर के विद्रोही गुटों के साथ घनिष्ठ भाईचारे का संबंध विकसित कर लिया है। दोनों गुट प्रशिक्षण, वित्त पोषण और हथियारों एवं गोला–बारूद की आपूर्ति के क्षेत्रों में परस्पर सहयोग करने के लिए सहमत हैं। सी पी आई (माओवादी) की अपर असम लीडिंग कमेटी (यू ए एल सी) इस समय असम और अरूणाचल प्रदेश में सक्रिय हैं और स्थानीय गांववालों से हथियार लूटने और जबरन वसूली करने की घटनाओं में संलिप्त है। यू ए एल सी ने असम में गुट के लिए कॉडरों की भर्ती और प्रशिक्षण का कार्य भी किया है। इन काडरों का इस्तेमाल असम में बड़े बांधों (मेगा डैम) के विरुद्ध व्यापक प्रचार अभियान चलाने के लिए किया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में असम–अरूणाचल प्रदेश सीमा माओवादी गतिविधियों के अन्य गढ़ के रूप में उभरकर सामने आयी है। यह गुट हथियारों की प्राप्ति हेतु पूर्वोत्तर में, विशेषरूप से नागालैंड में पृथक माध्यम भी स्थापित कर रहा है।

(ग) भारत सरकार ने इस संबंध में पूर्वोत्तर की संबंधित राज्य सरकारों को सतर्क किया है। सरकार इस स्थिति की गहन निगरानी भी कर रही है।

खुले मेन होल

3139. श्री पूर्णमासी राम : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षो और चालू वर्ष के दौरान दिल्ली में खुले मेन होलों और गड्ढों में गिरने से बच्चों सहित मरने वाले लोगों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन मौतों के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या सरकार ने खुले मेन होलों, गड्ढ़ों, नालों आदि के रखरखाव के संबंध में कोई दिशानिर्देश जारी किए हैं;

(घ) यदि हां, तो स्थानीय निकायों द्वारा इन दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु क्या उपाय किए गए हैं;

(ङ) क्या पीड़ित परिवारों, जिनके सदस्यों की मृत्यु खुले मेन होलों में गिरने से हुई है को उचित मुआवजा देने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि वर्ष 2008, 2009 और 2010 (31.10.2011 तक) के दौरान दिल्ली में खुले मेनहोलों, गड्ढ़ों इत्यादि में गिरने से बच्चों सहित 28 व्यक्तियों की कथित रूप से मृत्यु हुई थी।

(ख) इस संबंध में दिल्ली पुलिस ने इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध एफ आई आर दर्ज की थी और 13 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) द्वारा की गई कार्रवाई में उनसे संबंधित मामलों में विभागीय जांच किया जाना शामिल है। दिल्ली नगर निगम (एम सी डी) ने बागवानी विभाग के अनुभाग अधिकारी, चौधरी और माली को तथा निर्माण कार्य विभाग के दो बेलदारों को निलंबित कर दिया था।

(ग) और (घ) नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी), राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा जारी दिशानिर्देशों का अनुसरण करता है। इसके अतिरिक्त, संबंधित फील्ड स्टाफ द्वारा अपनाई जाने वाली रखरखाव प्रणाली के अनुसार, एन डी एम सी एरिया ने खुले मेनहोलों, गड्ढ़ों और नालियों की अनुमति नहीं है और यदि दैनिक निरीक्षण के दौरान इसका पता चलता है तो उसे तत्काल ठीक किया जाता है। एम सी डी ने फील्ड स्टाफ को इस आशय के अनुदेश जारी किए हैं कि नालियों पर क्षतिग्रस्त/खुले मेनहोलों को तत्काल बदल दिया जाए। इन अनुदेशों को समय-समय पर दोहराया जाता है। दिल्ली जल बोर्ड ने भी बारम्बार यह सुनिश्चित करने के दिशानिर्देश जारी किए हैं कि कोई भी मेनहोल खुला न छोड़ा जाए और खुला गड्ढ़ों/खुदाई की गई जमीन की समुचित घेराबन्दी की जाए।

(ङ) और (च) दिल्ली नगर निगम के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत खुले मेनहोलों इत्यादि में गिरने से मरने वाले लोगों के पीड़ित परिवार को मुआवजा देने के संबंध में, निगम ने सूचित किया है कि यह मामला निर्णयाधीन है। दिल्ली जल बोर्ड ने अपने क्षेत्राधिकार में होने वाली ऐसी मृत्यु के संबंध में सूचित किया है कि एक मामले में मृत बच्चे के मां-बाप को 1 लाख रुपए के मुआवजे का भुगतान किया गया था, लेकिन उसने इसे लेने से इन्कार कर दिया था और दूसरे मामले में, मृत बच्चों के मां-बाप को ठेकेदार द्वारा 3.5 लाख प्रति व्यक्ति का मुआवजा प्रदान किया गया था।

[हिन्दी]

सी आर एफ के अंतर्गत निधियां

3140. श्री रघुवीर सिंह मीणा : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 11वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार किसी आपदा का सामना करने के लिए राज्यों को वित्तीय वर्ष 2004-05 के अंत में आकस्मिक राहत कोष (सी आर एफ) में उपलब्ध अधिशेष धनराशि का अंतरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) इस संबंध में कब तक आदेश जारी किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत) : (क) से (ग) व्यय विभाग, वित्त

मंत्रालय, ने सूचित किया है कि आपदा राहत निधि (सीआरएफ) स्कीम के अनुसार, पुरस्कार अवधि 2001–05 के लिए ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर, वित्तीय वर्ष 2004–05 की समाप्ति पर सीआरएफ में बिना व्यय किया शेष अगली योजना (पैरा 12) के लिए एक संसाधन के रूप में राज्य सरकार को उपलब्ध कराया जाएगा। तथापि, सीआरएफ स्कीम बारहवें वित्त आयोग की पुरस्कार अवधि में जारी थी और यह बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर आधारित सीआरएफ की स्कीम में श्रेणीबद्ध रूप से स्पष्ट की गई थी जिसने एफसी–XI की सिफारिशों के अनुसार तैयार की गई स्कीम का अधिक्रमण किया, सीआरएफ में वित्तीय वर्ष 2004–05 की समाप्ति पर बिना व्यय किया शेष 2005–06 (पैरा 12) के लिए सीआरएफ का अथ शेष रहेगा।

वर्षा–सिंचित (रेनफेड) विकास कार्यक्रम के लिए सहायता

3141. **श्री राम सिंह कस्वां** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में रेनफेड विकास कार्यक्रम के लिए राज्यवार कितना आबंटन किया गया है;

(ख) इस कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल राज्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में विशेषकर रेनफेड क्षेत्रों में सीमांत किसानों के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना किस तरीके से मददगार रही है,

(घ) क्या सरकार का विचार रेनफेड क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए किए गए आबंटन में वृद्धि करने का है, और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत) : (क) और (ख) वर्ष 2011–12 के दौरान वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम (आरएडीपी) के लिए 10 राज्यो को 250.00 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं। राज्य–वार आबंटन निम्नानुसार नीचे दिए गए हैं–

क्रम संख्या	राज्य	आबंटन (करोड़ रुपये में)
1.	राजस्थान	35
2.	गुजरात	30
3.	महाराष्ट्र	35
4.	आंध्र प्रदेश	15
5.	मध्य प्रदेश	25
6.	ओडिसा	20
7.	उत्तर प्रदेश	30
8.	छत्तीसगढ़	15
9.	तमिलनाडु	25
10.	कर्नाटक	20
	कुल	250

(ग) से (ङ) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीआई) एक राज्य योजना स्कीम है जिसे राज्य विशेष कार्यक्रमों के माध्यम से कृषि और समवर्गी क्षेत्रों में उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से वर्ष 2007 में शुरू किया गया। आरएडीपी वर्ष 2011–12 के दौरान आरकेवीवाई की उप–स्कीम के रूप में शुरू की गई है जिसका उद्देश्य आजीविका सुरक्षा बढ़ाने के लिए अधिकाधिक कृषि लाभों के लिए कार्यकलापों के संपूर्ण पैकेज देकर छोटे और सीमांत किसानों पर विशेष ध्यान देना है। वर्ष 2011–12 के लिए आबंटन में वृद्धि पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है।

[अनुवाद]

पुलिस कर्मियों द्वारा आत्महत्या किया जाना

3142. **श्री एस.आर. जेयदुरई** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पुलिस कर्मियों द्वारा आत्महत्या किए जाने के कई मामले सामने आए हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान दिल्ली एवं संघ राज्य–क्षेत्र पुलिस सहित सूचित किए गए ऐसे मामलों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ग) क्या ऐसी घटनाओं के लिए कारणों/परिस्थितियों का पता लगाने के लिए कोई जांच करायी गयी है या अध्ययन कराया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके निष्कर्ष एवं सिफारिशें क्या हैं एवं इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है; और

(ङ) सरकार द्वारा पुलिस कर्मियों के नौकरी संबंधी तनाव दूर करने, कार्य की स्थितियां और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) और (ख) वर्ष 2008, 2009 और 2010 के दौरान देश में आत्महत्या करने वाले पुलिस कर्मियों की कुल संख्या क्रमशः 139, 162 और 189 थी। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो (एन सी आर बी) के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार वर्ष 2008–2010 के दौरान पुलिस कर्मियों द्वारा की गई आत्महत्याओं का राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। एन सी आर बी के पास उपलब्ध अद्यतन आंकड़े वर्ष 2010 के हैं।

(ग) से (ङ) पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बी पी आर एण्ड डी) द्वारा ''केन्द्रीय अर्ध–सैनिक बलों (सी पी एम एफ) में तनाव प्रबंधन (2005)'' विषय पर एक आन्तरिक अध्ययन किया गया था। राष्ट्रीय पुलिस मिशन के माइक्रो–मिशन 01 ने सिविल पुलिस पुनर्गठन पर एक परियोजना तैयार की है। इस प्रयोजनार्थ, दिल्ली, कोलकाता और हैदराबाद में तीन कार्यशालाएं पहले ही आयोजित की गई थीं। इस परियोजना से कांस्टेबलों के लिए पदोन्नति के अवसरों में काफी हद तक वृद्धि होगी। बी पी आर एण्ड डी, राष्ट्रीय पुलिस मिशन के माइक्रो मिशन 01 के अन्तर्गत पुलिस कार्मियों के ''शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य'' पर एक अन्य परियोजना तैयार कर रहा है जिसमें विभिन्न स्तरों पर पुलिस कर्मियों के तनाव एवं सेवा संबंधी चिन्ता का समाधान करने के कतिपय सुझाव दिए जाएंगे।

विवरण

वर्ष 2008–2010 के दौरान आत्महत्या करने वाले पुलिस कर्मियों की संख्या

क्रम सं.	राज्य	2008	2009	2010
1	2	3	4	5
1	आन्ध्र प्रदेश	10	8	7
2	अरुणाचल प्रदेश	0	1	0
3	असम	0	0	1
4	बिहार	0	0	0
5	छत्तीसगढ़	2	4	4
6	गोवा	0	1	0
7	गुजरात	6	9	15
8	हरियाणा	1	17	28
9	हिमाचल प्रदेश	1	1	0
10	जम्मू और कश्मीर	0	0	3
11	झारखंड	4	1	11
12	कर्नाटक	4	5	13
13	केरल	14	10	9
14	मध्य प्रदेश	9	31	5
15	महाराष्ट्र	36	23	30
16	मणिपुर	0	0	0
17	मेघालय	0	1	1
18	मिजोरम	0	0	2
19	नागालैंड	0	0	0
20	ओडिसा	2	2	0
21	पंजाब	2	2	10
22	राजस्थान	6	4	5
23	सिक्किम	4	0	0
24	तमिलनाडु	12	17	19
25	त्रिपुरा	2	2	3

1	2	3	4	5
26	उत्तर प्रदेश	8	3	6
27	उत्तराखंड	1	2	0
28	पश्चिम बंगाल	8	9	11
	कुल राज्य	132	153	183
29	अ. और नि. द्वीपसमूह	2	2	2
30	चंडीगढ़**	0	0	0
31	दादरा और नगर हवेली	0	0	0
32	दमण और दीव	0	0	0
33	दिल्ली संघ शासित क्षेत्र	5	7	4
34	लक्षद्वीप	0	0	0
35	पुडुचेरी	0	0	0
	कुल संघ शासित क्षेत्र	7	9	6
	कुल अखिल भारत	139	162	189

[हिन्दी]

महिलाओं के प्रति अपराध संबंधी अध्ययन

3143. श्री रमाशंकर राजभर : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामाजिक अनुसंधान केन्द्र ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में महिलाओं के प्रति अपराध पर कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा एवं परिणाम क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा किए गए प्रभावी उपाय क्या हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह) : (क) से (ग) गृह मंत्रालय ने महिलाओं के प्रति अपराध के बारे में सामाजिक अनुसंधान केन्द्र द्वारा ऐसा कोई अध्ययन करने का कार्य प्रायोजित नहीं किया है।

संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं और इसलिए, महिलाओं के प्रति अपराध सहित, अपराधों की रोकथाम, पता लगाने, पंजीकरण, जांच-पड़ताल और अभियोजन की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की होती है। तथापि, केन्द्र सरकार, महिलाओं के प्रति अपराध की रोकथाम और नियंत्रण के मामलों को अत्यधिक महत्त्व देती है। गृह मंत्रालय ने दिनांक 4 सितम्बर 2009 को सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को विस्तृत परामर्शी-पत्र भेजा है।

महिलाओं के संबंध में भेजे गए परामर्शी-पत्र में, अन्य बातों के साथ-साथ, महिलाओं के प्रति हिंसा के दोषी पाए गए व्यक्तियों को तत्काल एवं निवारक दंड देने हेतु समुचित उपाय करने, जांच की गुणवत्ता सुधारने, महिलाओं के प्रति अपराध की जांच-पड़ताल में विलम्ब को न्यूनतम करने, जिलों में महिलाओं के प्रति अपराध प्रकोष्ठ स्थापित करने, पुलिस कार्मिकों को महिलाओं के प्रति सुग्राही बनाने, विशेष महिला न्यायालयों की स्थापना करने और काल सेन्टरों में रात्रि की पारी में काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा के बारे में कदम उठाए जाने की सलाह दी गई है। अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने 'महिला प्रकोष्ठ' स्थापित कर लिए हैं। कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने भी जिला स्तरों पर "समस्त महिला पुलिस स्टेशन" और पुलिस स्टेशन स्तर पर 'महिला/बाल सहायता डेस्क' स्थापित किए हैं।

[अनुवाद]

भारतीय ओलंपिक संघ का पुनर्गठन

3144. श्री एस. सेम्मलई : क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रमंडल खेल घोटाले के मद्देनजर भारतीय ओलंपिक संघ (आई ओ ए) का पुनर्गठन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उम्र में धोखाधड़ी, डोपिंग एवं कुछ एथलीटों के यौन उत्पीड़न जैसे विभिन्न मामलों को सरकार द्वारा किस तरीके से रोके जाने/नियंत्रित किए जाने की संभावना है?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) जी नहीं। भारतीय ओलंपिक संघ सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत एक स्वतंत्र और स्वायतशासी निकाय है।

(ख) राष्ट्रीय खेल परिसंघों की कार्य प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेहता लाने के लिए सरकार एक नियामक रूपरेखा तैयार कर रही है जिसका उद्देश्य है, आयु संबंधी धोखाधड़ी, डोपिंग और यौन उत्पीड़न जैसे मुद्दों सहित खेल निकायों के बीच सुशासन का विकास किया जाए। प्रस्तावित राष्ट्रीय खेल विकास विधेयक, 2011 की अन्य बातों के साथ-साथ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं :-

(i) खेलों के विकास एवं प्रसार के लिए केंद्र सरकार की सहायता जिसमें वित्तीय और अन्य सहायता राष्ट्रीय टीमों, एथलीटों के कल्याणात्मक उपायों एवं खेलों में एथिकल प्रणालियों के विकास की रणनीतियां तैयार करना शामिल है। इसमें डोपिंग प्रणालियों को खत्म करना, आयु संबंधी फ्रांड मामले एवं यौन शोषण के मामलों का उपशमन भी शामिल है। भारतीय ओलंपिक संघ के अधिकरों एवं कार्यों एवं अन्य राष्ट्रीय खेल परिसंघों के अधिकरों एवं कार्यों (इसमें सुशासन के बुनियादी सिद्धांतों को अपनाना एवं खेलों के व्यावसायिक प्रबंधन का मामला भी शामिल है।)

(ii) एंटी डोपिंग प्रावधान में कुछ नये प्रावधान जोड़े गए हैं ताकि राष्ट्रीय एंटी डोपिंग एजेंसी (नाडा) द्वारा विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी (वाडा) कोड के उन प्रावधानों को लेने को अलग रखा जा सके जिनमें अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसंघ कर्ता नहीं होता।

(iii) कोचों, संरक्षकों और सहायक कार्मिकों को भी यह जिम्मेदारी दी गयी है कि वे खेलों में गैर एथिकल प्रणालियों जैसे डोपिंग एवं आयु संबंधी फ्राड से बचें।

(iv) राष्ट्रीय खेल परिसंघ, राष्ट्रीय आलेम्पिक संघ, भारतीय खेल प्राधिकरण न केवल उपचारात्मक उपाय करते हैं जिससे खिलाड़ियों को यौन शोषण से बचाया जा सके अपितु कार्य, विश्राम, स्वास्थ्य एवं हाईजीन के संबंध में महिलाओं के लिए उचित परिस्थिति सुलभ कराई जायें, ऐसा सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रावधान किये गये हैं। शिकायतों के समाधान के लिए शिकायत तंत्र की स्थापना हेतु अन्य उपाय भी किये गये हैं जिसमें महिला की अध्यक्षा में समिति बनायी जाये या विशेष काउन्सलर रखा जाये साथ ही गोपनीयता के कानून का पालन किया जाये।

[हिन्दी]

यू आई डी एस एस एम टी
परियोजनाओं के लिए धनराशि

3145. श्री भरतराम मेघवाल
श्री बद्री राम जाखड़
श्री खिलाड़ी लाल बैरवा
श्री दुष्यंत सिंह

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार छोटे एवं मध्यम शहरों हेतु परियोजनाओं के लिए 14 शहरी अवसंरचना विकास योजनाओं हेतु 91.38 करोड़ रुपये की राशि तत्काल जारी करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार 12 नगरपालिकाओं द्वारा डीपीआर तैयार करने पर हुए 2.07 करोड़ रुपये के व्यय को रिकवर करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय) : (क) और (ख) छोटे और मझौले कस्बों के लिए शहरी अवस्थापना विकास स्कीम (यूआईडीएसएसएमटी) के अंतर्गत निर्माणाधीन परियोजनाओं के लिए दूसरी किस्त जारी करना, पूर्व में जारी धनराशि के 70% तक के लिए उपयोग प्रमाणपत्र (यूसी) प्रस्तुत करने तथा वचनबद्ध समय-सीमा के अनुसार शहरी क्षेत्र सुधार पूरा करने पर निर्भर करता है। आज की तारीख में, **शहरी क्षेत्र सुधार पूरा नहीं किए जाने के कारण 734.83 करोड़ रु. की दूसरी किस्त जारी करने हेतु 117 उपयोग प्रमाणपत्र जिसमें दूसरी किस्त के रूप में 93.01 करोड़ रु. जारी करने के लिए राजस्थान के 14 उपयोग प्रमाणपत्र शामिल हैं, पर कार्रवाई नहीं की गई।**

(ग) और (घ) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

घरेलू हिंसा अधिनियम का दुरुपयोग

3146. श्री हमदुल्लाह सईद :
श्री बी. वाई. राघवेन्द्र :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या घरेलू हिंसा अधिनियम के दुरुपयोग के कई मामले सामने आए हैं;

(खं) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षो के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार ऐसे कुल कितने मामलों का पता चला है और कितने आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं तथा उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है; और

(ग) निर्दोष लोगों/परिवारों का संरक्षण करने तथा भविष्य में उक्त अधिनियम का दुरुपयोग रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह) : (क) से (ग) घरेलू हिंसा अधिनियम के दुरुपयोग की कुछ घटनाओं की सूचना प्राप्त हुई है। इस मामले के संबंध में केन्द्रीय रूप से कोई आंकड़ा नहीं रखा जाता है।

संविधान के अंतर्गत सातवीं अनुसूची के अनुसार, 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं, और इस प्रकार महिलाओं के प्रति अपराधों सहित अपराधों को रोकने, उनका पता लगाने, पंजीकरण करने, जांच करने तथा अभियोजन चलाने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों की है। गृह मंत्रालय ने विद्यमान कानूनों के उचित और निष्पक्ष कार्यान्वयन के लिए कानून प्रवर्तन प्राधिकारयों का प्रशिक्षण सुनिश्चित करने की सलाह राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को दी है।

[हिन्दी]

छोटे राज्यों का सृजन

3147. डॉ. बलीराम:
श्री सुरेन्द्र सिंह नागर:
श्री नीरज शेखर:
श्री यशवीर सिंह:
श्री दिनेश चन्द्र यादव:
श्री अनुराग सिंह ठाकुर:
श्री अनंत कुमार हेगडे:
श्री वीरेन्द्र कश्यप:
श्री अर्जुन राम मेघवाल:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न संगठनों तथा राजनीतिक दलों की ओर से उत्तर प्रदेश को चार भागों में विभाजित करने की मांग की गयी है

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या इस संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव केंद्र सरकार को प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर केंद्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द सिंह) : (क) से (घ) विभिन्न व्यक्तियों और संगठनों से उत्तर प्रदेश को विभाजित करने की माँग और अभ्यावेदन समय-समय पर प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश को चार छोटे राज्यों अर्थात् पूर्वांचल, बुंदेलखंड, अवध प्रदेश और पश्चिम प्रदेश में विभाजित करने के लिए राज्य विधान सभा द्वारा दिनांक 21.11.2011 को पारित किया गया संकल्प दिनांक 23.11.2011 को भारत सरकार को अग्रेषित किया है।

भारत सरकार नए राज्यों के गठन के मामले में सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखने के बाद निर्णय लेती है। इस संबंध में सरकार द्वारा कार्रवाई अनुभूत आवश्यकता और सामान्य सर्वसम्मति पर निर्भर होगी। इस संबंध में कोई निश्चित समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

[अनुवाद]

जाली वीजा के आधार पर तस्करी

3148. श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना :
श्रीमती ज्योति धुर्वे :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जाली वीजा पर खाड़ी देशों सहित अन्य देशों में महिलाओं की अवैध तस्करी होने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) विदेशों में महिलाओं के दुर्व्यापार की घटनाओं की जानकारी मिली है। तथापि, राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एन. सी. आर. बी.) द्वारा केंद्रीय स्तर पर ऐसी कोई जानकारी नहीं रखी जाती है।

(ग) 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय होने के नाते मानव दुर्व्यापार के अपराध की रोकथाम करने और उनका मुकाबला करने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती हैं। तथापि, भारत सरकार ने मानव दुर्व्यापार का मुकाबला करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को समग्रतः एवं व्यापक तरीके से मानव-दुर्व्यवहार के अपराध से निपटने के लिए दिनांक 09.09.2009 को परामर्शी पत्र (जो www.mha.nic.in पर उपलब्ध है) जारी करना, कानून का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के साथ-साथ, पीड़ितों के बचाव, राहत और पुर्नवास को सम्मिलित करते हुए एक प्रभावकारी एवं व्यापक रणनीति तैयार करना, गृह मंत्रालय में दुर्व्यापार-रोधी-नोडल प्रकोष्ठ स्थापित करना, गृह मंत्रालय की सहभागिता से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) द्वारा मानव-दुर्व्यापार-रोधी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम प्रारंभ करना और समेकित मानव दुर्व्यापार-रोधी इकाइयों की स्थापना करके और प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण (ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स) द्वारा विधि प्रवर्तन कार्रवाई तंत्र को सशक्त बनाने हेतु एक व्यापक योजना कार्यान्वित करना शामिल है। इस संबंध में गृह मंत्रालय ने वर्ष 2010-11 में सभी राज्य सरकारों को 8.72 करोड़ रुपए की निधियां जारी की हैं।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भी दुर्व्यापार की शिकार महिलाओं सहित कठिन परिस्थितियों में फंसी महिलाओं के लिए शार्ट स्टे होम्स स्वाधार होम्स जैसे आश्रय आधारित गृह संचालित करता है।

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय ने नई दिल्ली में प्रवासी कामगारों के लिए आवश्यकता आधारित जानकारी का प्रचार-प्रसार करने और उनकी शिकायतों के समाधान हेतु (24×7) चौबीसों घंटे हेल्पलाइन के साथ-साथ त्वरित परामर्श केन्द्र (वाक इन काउंसलिंग सेंटर) युक्त प्रवासी कामगार संसाधन केंद्र (ओडब्ल्यूआरसी) स्थापित किया है। इसी प्रकार राज्य स्तर पर प्रवासी संसाधन केन्द्र (एमआरसी) स्थापित किए जाते हैं।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्याप्ति

3149. श्री उदय सिंह :
श्री पी. आर. नटराजन :
श्री आर. थामराईसेलवन :
श्रीमती पूनम वेलजीभाई जाट :
श्री मंगनी लाल मंडल :
श्रीमती दर्शना जरदोश :

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी. डी. एस.) के अंतर्गत शामिल लाभार्थियों की राज्य-वार एवं श्रेणी-वार संख्या कितनी है तथा इस योजना के अंतर्गत कितना बजट आवंटित किया गया है;

(ख) क्या सार्वभौमिक रूप से खाद्य सुरक्षा प्रारंभ करने के लिए विभिन्न हलकों से सुझाव मिले हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उस पर क्या कार्रवाई की गयी है एवं कितनी प्रतिशत जनसंख्या को इस योजना के अंतर्गत शामिल किए जाने का प्रस्ताव है तथा इस पर अनुमानित कितनी लागत आयेगी?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के. वी. थॉमस) : (क) से (ग) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्यान्नों (गेहूं और चावल) का आबंटन करने के लिए खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, योजना आयोग के 1993-94 के गरीबी अनुमानों और 1 मार्च, 2000 की स्थिति के अनुसार भारत के महापंजीयक के आबादी अनुमानों पर आधारित अथवा ऐसे वास्तव में पहचान किए गए परिवारों और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा उन्हें जारी किए गए राशन कार्डो की संख्या, जो भी कम हो, का उपयोग करता है। इन अनुमानों के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की संख्या 6.52 करोड़ है जिसमें 2.44 करोड़ अंत्योदय अन्न योजना परिवार शामिल हैं अंत्योदय अन्न योजना परिवारों सहित 6.52 करोड़ गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए खाद्यान्नों का आवंटन 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह की दर पर किया जाता है।

11.52 करोड़ गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए भी केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों की उपलब्धता और विगत के उठान पर निर्भर करते हुए खाद्यान्न आबंटित किए जाते हैं। फिलहाल, गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए खाद्यान्नों के आबंटन 15 किलोग्राम और 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह की रेंज में हैं। इसके अलावा स्टाक की उपलब्धता और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त जरूरत/अनुरोध पर निर्भर करते हुए समय-समय पर खाद्यान्नों के अतिरिक्त आबंटन किए जाते हैं।

बजट में समग्र रूप में और न कि स्कीम-वार खाद्य राजसहायता प्रदान की जाती है। वित्त मंत्रालय द्वारा खाद्य राजसहायता के लिए प्रदान की गई निधियों की उपलब्धता की शर्त के अध्यधीन खाद्यान्नों के उठान के आधार पर भारतीय खाद्य निगम और विकेन्द्रीकृत खरीद योजना वाले राज्यों को खाद्य राजसहायता रिलीज की जाती है। राजसहायता में किसी प्रकार की कमी होने पर इसे अगले वर्ष के लिए निधियों के आवंटन से पूरा किया जाता है।

पिछले 3 वर्षों के दौरान खाद्य राजसहायता के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा आवंटित कुल निधियां और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन गरीबी रेखा से ऊपर, गरीबी रेखा से नीचे और अंत्योदय अन्न योजना परिवारों के लिए रिलीज की गई राजसहायता तथा वर्तमान वर्ष के लिए बजट प्रावधान निम्नानुसार हैं :-

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	वित्त मंत्रालय द्वारा आबंटित निधियां	स्कीमवार राजसहायता		
		गरीबी रेखा से ऊपर	गरीबी रेखा से नीचे	अंत्योदय अन्न योजना
2008-09	43695	7294	16157	12615
2009-10	58242	12595	19564	14224
2010-11	62930	15875	20385	14083
2011-12 (बजट अनुमान)	60085	-	-	-

वर्ष के लिए रिलीज की गई राजसहायता के स्कीम-वार ब्यौरे वित्तीय वर्ष समाप्त होने के बाद तैयार किए जाते हैं। इसके अलावा, इस विभाग में राजसहायता के राज्य-वार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

सर्वसुलभ कवरेज के लिए सुझाव सहित व्यक्तियों और संगठनों से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक के प्रारूप के विभिन्न प्रावधानों पर टिप्पणियां/सुझाव प्राप्त हुए हैं।

उत्पादन और खरीद के वर्तमान स्तर के आधार पर विधेयक के प्रारूप में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कुल ग्रामीण आबादी के 50% तक जिसमें कम से कम 46% तक 28% की आबादी प्राथमिकता वाले परिवारों की हों, तक के लिए कवरेज हेतु प्रावधान है। इसमें 27,663 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष अतिरिक्त खाद्य राजसहायता खर्च होने का अनुमान है।

[हिन्दी]

चीनी का उत्पादन

3150. श्री प्रेमदास
श्री असादूद्दीन ओवेसी
श्री जयंत चौधरी
श्री हरिभाउ जावले
डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी
श्री किसनभाई वी. पटेल
श्री प्रबोध पांडा
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह
श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी
श्री रमाशंकर राजभर
श्री प्रदीप माझी

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगामी चीनी के मौसम के दौरान चीनी निर्यात के स्तर का निर्णय करने के लिए सरकार द्वारा क्या नीति अपनायी गयी है तथा चीनी का अनुमानित उत्पादन एवं निर्यात कितना है;

(ख) क्या चीनी उद्योग ने सरकार से उद्योग को नियंत्रण मुक्त करने और अपनी व्यहार्यता को बेहतर करने के लिए चीनी के निर्यात के संबंध में स्पष्ट नीति का निर्माण करने का अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या चीनी की उत्पादन लागत बढ़ने, चीनी की कीमतें गिरने तथा चीनी मिलों को इसके कारण हुई हानियों की वजह से किसानों के गन्ना बकाए में वृद्धि होने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गन्ना बकाए का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के. वी. थॉमस) : (क) केन्द्र सरकार चीनी के निर्यात के स्तर का निर्णय करने के लिए मिलों के पास चीनी के स्टाक, चीनी उत्पादन, मौसम में मांग, चीनी के वैश्विक मूल्य आदि जैसे विभिन्न घटकों को हिसाब में लेती है। फिलहाल चीनी का उत्पादन लगभग 246 लाख टन होने का अनुमान है। केन्द्र सरकार ने खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन चीनी मौसम 2011–12 के दौरान 10 लाख टन तक चीनी का निर्यात करने की मंजूरी दी है।

(ख) और (ग) चीनी उद्योग ने राष्ट्रीय सहकारी चीनी मिल संघ लिमिटेड और भारतीय चीनी मिल एसोसिएशन, जो देश में क्रमशः सहकारी और प्राइवेट चीनी कारखानों के शीर्ष निकाय है के जरिए चीनी उद्योग का नियमन समाप्त करने के मुद्दे पर अभ्यावेदन दिया हैं उनकी मांगों में अन्य बातों के साथ–साथ चीनी मिलों पर लेवी दायित्व समाप्त करना; लेवी इतर चीनी की बिक्री के लिए रिलीज तंत्र समाप्त करना; चीनी को आवश्यक वस्तु अधिनियम के दायरे से हटाना; और चीनी के बारे में निर्यात–आयात की स्थिर नीति बनाना शामिल है। केन्द्र सरकार ने चीनी उद्योग की मांगों पर कोई निर्णय नहीं लिया है।

(घ) और (ङ) गन्ने की बकाया राशि गन्ना मूल्य, चीनी निर्माण लागत, चीनी के घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मूल्य आदि सहित विभिन्न घटकों के परिणामस्वरूप बन जाती है। केन्द्र सरकार का यह प्रयास है कि खुले बाजार में चीनी के मूल्य उचित स्तर पर बनाए रखे जाएं और जिससे चीनी मिलें समय से गन्ना किसानों को गन्ने का लाभकारी मूल्य अदा कर सकें। इसके साथ ही केन्द्र सरकार का प्रयास होता है कि खुले बाजार में चीनी के मूल्य उपभोक्ताओं के लिए भी न्यायोचित हों। यह काम चीनी के मासिक लेवी इतर कोटे का विवेकपूर्ण ढंग से रिलीज करके विनियमित रिलीज तंत्र की नीति के जरिए किया जाता है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है सरकार ने हाल ही में वर्तमान चीनी मौसम 2011–12 के दौरान 10 लाख टन चीनी का निर्यात करने की घोषणा की है ताकि चीनी मिलों के लिए वित्तीय नकदी बढ़ाई जा सके और वे गन्ने की बकाया राशि का भुगतान सुनिश्चित कर सकें।

[अनुवाद]

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई)

3151. श्री हेमानंद बिस्वाल :
श्री जयंत चौधरी :
श्री कौशलेन्द्र कुमार :
श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी :

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में एफडीआई की कुल आवक कितनी है;

(घ) क्या सरकार ने इस क्षेत्र में एफडीआई की बढ़ी आवक के प्रभाव का हाल में आकलन किया है;

(ङ) यदि हां, तो इसके परिणाम क्या हैं; और

(च) इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/प्रस्तावित हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत) : (क) और (ख) खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में वृद्धि करने के लिए सरकार ने पहले ही स्वतः अनुमोदन के माध्यम से सभी प्रसंस्कृत खाद्य वस्तुओं में शत-प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दे दी है।

(ग) 3 वर्षों के दौरान खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की कुल आवक नीचे दी गई है :–

क्र.सं.	वर्ष	प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (करोड़ रु. में)	प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यू एस मिलियन डॉलर
1.	2008–09	455.59	102.71
2.	2009–10	1314.23	278.89
3.	2010–11	858.03	188.67

(घ) और (ङ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने ऐसा कोई अध्ययन नहीं कराया है। तथापि, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) न केवल स्वदेशी निवेश को पूरित और संपूरित करता है बल्कि यह अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और उत्कृष्ट प्रबंधकीय पद्धतियां भी लाता है जिससे विदेशी प्रौद्योगिकी को स्वदेशी उद्योग में बेहतर पहुंच होती है। इस प्रकार, हमारे खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का वैश्विक बाजार के साथ आसानी से एकीकरण होता है।

(च) मंत्रालय विभिन्न अनुसंधान संस्थानों को न केवल नए उत्पादों की गुणवत्ता और विकास में सुधार के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रहा है बल्कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों/क्षेत्र से संबंधित स्वदेशी प्राद्योगिकी के संबंध में स्व-पर्याप्तता की ओर आगे बढ़ने के लिए खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में नवीन प्रौद्योगिकियों के लिए भी वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रहा है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को वित्तीय सहायता

3152. शेख नूरूल इस्लाम :
श्री मधु गौड यास्खी :
श्री उदयनराजे भौंसले :
श्री अधलराव पाटील शिवाजी :
श्री रामसिंह राठवा :
श्री दुष्यन्त सिंह :
श्री गोरख प्रसाद जायसवाल :
श्री आनन्दराव अडसुल :
श्री राम सिंह कस्वां :
श्री लक्ष्मण टुडु :
श्री इज्यराज सिंह :

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूरे देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों, अकादमिक निकायों, उद्योग संघों तथा गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को केन्द्र सरकार ने वित्तीय सहायता दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान एजेंसी-वार कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने एनजीओ एवं अन्य एजेंसियों द्वारा धनराशि के दुरुपयोग के मामलों पर गौर किया है;

(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान इस संबंध में प्राप्त शिकायतों की एजेंसी-वार संख्या क्या हैं; और

(ङ) उस पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत) : (क) और (ख) मंत्रालय अपनी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण योजना स्कीम के अंतर्गत देश में नई खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना तथा विद्यमान यूनिटों के प्रौद्योगिकीय उन्नयन और विस्तार हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है। मंत्रालय उद्यमियों को प्रति परियोजना संयंत्र एवं मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों की कुल लागत की सामान्य क्षेत्रों में 25% की दर से परन्तु अधिकतम 50 लाख रुपए और दुर्गम क्षेत्रों में 33.33% की दर से परन्तु अधिकतम 75 लाख रुपए की अनुदान सहायता के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है। 11वीं योजना अवधि के दौरान देश में उद्यमियों को उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। मंत्रालय ने स्कीम के अंतर्गत सभी लंबित आवेदनों का उनकी वर्तमान स्थिति के साथ-साथ ब्यौरा मंत्रालय की वेबसाइट पब्लिक डोमेन पर

रखा गया है। कोई भी आवेदक वेबसाइट http://www.mpfpi @nic.in पर जाकर अपने आवेदन की वर्तमान स्थिति, आवेदनों की ई–पोर्टल स्थिति अथवा "http://cmi/mofpi/status" पर पता कर सकता है।

(ग) से (ङ) जी हां महोदया। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण स्कीम के अंतर्गत, निधियों के दुर्विनियोजन के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं। एजेंसियों के ब्यौरे और की गई कार्रवाई का ब्यौरा नीचे दिया गया है :–

क्र.सं.	एजेंसी का नाम	शिकायतों की प्रकृति	की गई कार्रवाई
1.	मैसर्स खादी आश्रम सेवा संस्थान, सुल्तानपुर (उ. प्र.)	सार्वजनिक निधि के दुर्विनियोजन के बारे में मोहम्मद शाहीद अखलाक, माननीय संसद सदस्य (लोक सभा) द्वारा शिकायत	जारी की गई राशि की वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई की गई है।
2.	मैसर्स लिटिल बी इम्पेक्स, ग्राम मल्लीपुर, जी.टी. रोड दोराहा, जिला लुधियाना, पंजाब	श्री सुखविन्दर सिंह द्वारा यह बताते हुए शिकायत की गई है कि भागीदारों/निवेशकों के परस्पर संबंध हैं।	भारतीय स्टेट बैंक से अनुरोध किया गया है कि वह स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार सावधि जमा के रूप में उसके पास पड़ी राशि की वापसी करे।
3.	कश्मीर एपियरीज प्रा.लि. जी.टी. रोड दोराहा, जिला लुधियाना, पंजाब	श्री सुखविन्दर सिंह द्वारा यह बताते हुए शिकायत की गई है कि भागीदारों/निवेशकों के परस्पर संबंध हैं।	दि एक्सिस (यूटीआई) बैंक लिमि. से अनुरोध किया गया है कि वह स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार सावधि जमा के रूप में उसके पास पड़ी राशि की वापसी करें।

विवरण

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2007–08, 2008–09, 2009–10, 2010–11 तथा चालू वर्ष के दौरान राज्यवार सहायता प्राप्त और वित्तीय सहायता प्राप्त यूनिटों की संख्या★*

(लाख रुपये में)

क्रम सं.	राज्य का नाम	2007–08		2008–09		2009–10		2010–11		2011–12 (31.10.2011 की स्थिति के अनुसार)	
		अनुमोदित	जारी की गई राशि	अनुमोदित	जारी की गई राशि	अनुमोदित	जारी की गई राशि	अनुमोदित	जारी की गई राशि	अनुमोदित	जारी की गई राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	आंध्र प्रदेश	43	947.49	48	908.999	41	677.05	30	562.096	41	786.68
2	अंडमान और निकोबार	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	अरुणाचल प्रदेश	0	0	1	17.67	3	376.14	2	66.420	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	असम	12	442.17	17	176.79	22	418.74	26	875.701	5	78.47
5	बिहार	5	83.915	2	42.3	2	35.59	6	136.681	3	39.66
6	चंडीगढ़	6	138.08	0	0	0	0	1	25.000	0	0
7	छत्तीसगढ़	0	0	10	163.725	4	45.46	27	297.574	26	234.87
8	दिल्ली	0	0	7	160.65	2	50	3	82.600	12	320.21
9	गोवा	1	17	1	24.57	1	24.26	1	25.00	1	25.00
10	गुजरात	32	544.06	39	714.81	42	665.18	52	1419.72	66	1242.04
11	हरियाणा	19	418.72	23	349.415	11	134.96	14	325.280	10	184.58
12	हिमाचल प्रदेश	12	325.09	5	152.745	10	269.58	7	204.530	11	289.07
13	जम्मू और कश्मीर	9	109.855	3	22.05	7	59.73	5	89.095	2	18.180
14	झारखण्ड	2	9.09	0	0	3	44.09	4	85.425	0	0
15	कर्नाटक	34	529.62	35	629.895	24	269.55	14	377.790	16	238.25
16	केरल	47	876.8	32	545.37	33	567.53	19	411.72	28	539.67
17	मध्य प्रदेश	10	172.32	14	201.87	18	273.03	14	211.294	13	194.05
18	महाराष्ट्र	95	1696.805	121	1802.633	113	1717.3	56	1006.524	107	1452.83
19	मणिपुर	3	61.74	3	45.51	6	163.75	1	23.975	5	92.15
20	मेघालय	1	8.19	2	159.57	2	123.02	2	100.045	0	10
21	मिजोरम	0	0	0	0	1	11	0	0	0	0
22	नागालैण्ड	1	27.485	4	178.205	1	64.99	1	6.205	0	0
23	ओडिसा	6	129.41	2	38.68	6	84.4	8	200.875	2	8.44
24	पुडुचेरी	2	31.3	0	0	0	0	0	0	0	0
25	पंजाब	32	481.45	61	841.36	13	172.37	9	149.495	22	316.12
26	राजस्थान	35	566.075	44	551.975	27	27325.46	48	691.123	63	806.10
27	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	तमिलनाडु	53	951.79	36	594.355	41	672.11	24	493.582	43	797.45
29	त्रिपुरा	2	39.98	1	13.86	0	0	0	0	0	0
30	उत्तर प्रदेश	63	1123.425	43	875.475	32	560.63	47	1078.638	37	635.89
31	उत्तराखंण्ड	9	339.78	6	163.15	12	307.57	6	168.523	1	2.460
32	पश्चिम बंगाल	35	653.56	19	390.135	10	136.48	10	317.945	10	206.51
	कुल	569	10725.2	579	9765.767	487	8249.97	437	9432.862	524	8508.66

* आंकड़े समन्वय बैंक अर्थात एचडीएफसी बैंक के समन्वयाधीन हैं।

कृषि संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन

3153. **श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी :**
श्री हंसराज गं. अहीर :
क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में रबी एवं खरीफ अभियानों के संबंध में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन आयोजित किए गए थे;

(ख) यदि हां, तो उनमें चर्चित मुद्दों तथा उनके परिणाम का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गयी है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत) : (क) जी हां। खरीफ अभियान और रबी अभियान के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन क्रमशः 6 से 7 अप्रैल 2011 और 14 से 15 सितम्बर, 2011 को आयोजित किए गए।

(ख) और (ग) सम्मेलन में मुख्य रूप से चर्चा किए गए संबंधित मुद्दे :–

(i) पिछले फसल मौसम के उत्पादन कार्य निष्पादन की समीक्षा, (ii) आगामी मौसम के लिए फसल उत्पादन रणनीति का विकास, (iii) राज्य सराकारों के परामर्श से फसलवार लक्ष्य निर्धारित करना, (iv) विभिन्न स्तरों पर आदान आपूर्ति स्थिति सुनिश्चित करना, (v) कृषि में नई प्रौद्योगिकियों और नवीन प्रक्रियाओं की विशेषता पर प्रकाश डालना। इसके अतिरिक्त कृषि उत्पादन में सतत् वृद्धि के माध्यम से देश के लिए खाद्य एवं पोषक तत्व सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपायों की चर्चा की गई। आईसीएआर के वैज्ञानिकों के साथ एक अंतर–परस्पर सत्र आयोजित किया गया जिससे राज्य के विशेष मुद्दों पर चर्चा की गई और उसका समाधान निकाला गया। इस अवसर को राज्यों द्वारा किए गए उत्तम पद्धतियों और विशेष पहलों के अनुभव बांटने के अवसर के रूप में भी लिया गया। उर्वरकों की आवश्यकता, उपलब्धता और वितरण का भी समाधान किया गया। राज्यों को समूहों में बांटा गया तथा संबंधित राज्यों द्वारा समूहों में विचार–विमर्श के दौरान उठाए गए मुख्य/महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान किया गया और निराकरण किया गया। सम्मेलन में लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन के लिए चल रही स्कीमों के फ्रेमवर्क के अंतर्गत राज्यों द्वारा आवश्यक अनुवर्ती उपाय किए जाते हैं।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून

3154. **श्री रवनीत सिंहः**
डॉ. मुरली मनोहर जोशीः
श्री नीरज शेखरः
श्री यशवीर सिंहः
श्री उदय सिंहः
श्री विश्व मोहन कुमारः
श्री आर. थामराइसेलवनः
डॉ. रत्ना डेः

श्रीमती ज्योति धुर्वे:
श्री निशिकान्त दुबे:
श्री अर्जुन राय:
श्री नारनभाई कछाड़िया:
डॉ. एम. तम्बिदुरई:
श्री सी. शिवासामी:
श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री एन. चेलुवरया स्वामी:
श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो:
श्रीमती श्रुति चौधरी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रस्तावित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इसे अधिनियमित करने में देरी के क्या कारण हैं तथा इसे कब तक अधिनियमित एवं लागू किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार ने भुखमरी के उन्मूलन में इसके संभावित प्रभाव के संबंध में कोई आकलन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा एवं परिणाम क्या हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के. वी. थॉमस) : (क) और (ख) दिनांक 4 जून, 2009 को संसद के संयुक्त सत्र में भारत के राष्ट्रपति द्वारा अपने सम्बोधन में एक नए कानून–राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–को अधिनियमित करने की घोषणा के अनुसरण में सरकार ने एक अवधारणा नोट तैयार किया और केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, विशेषज्ञों और अन्य हितधारकों के साथ परामर्श किया। उनकी टिप्पणियों/सुझावों और राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (एनएसी) और प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर, सरकार ने एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा का मसौदा तैयार किया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों से विधेयक के प्रारूप पर टिप्पणियां करने का अनुरोध किया गया था। विधेयक का प्रारूप उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की वेबसाइट (http://fcamin.nic.in) पर भी टिप्पणियां/सुझाव लेने के लिए डाला गया था।

प्राप्त टिप्पणियों/सुझावों के आधार पर राष्ट्रीय सुरक्षा विधेयक के प्रारूप को संशोधित किया गया है जिसे संसद में लाने से पहले अनुमोदनार्थ उचित प्राधिकारी के समक्ष रखा जाएगा।

(ग) और (घ) प्रस्तावित विधेयक में जीवनचक्र दृष्टिकोण अपनाकर व्यापक तरीके से खाद्य सुरक्षा के मुद्दे को हल किया गया है। विधेयक के प्रारूप में उचित मूल्यों पर अच्छी गुणवत्ता के पर्याप्त मात्रा के खाद्यान्नों तक पहुंच सुनिश्चित करके मानव जीवनचक्र दृष्टिकोण में खाद्य और पोषाहार सुरक्षा का प्रावधान है ताकि लोग सम्मानपूर्वक जीवन जी सके। विधेयक के प्रारूप में अन्य बातों के साथ–साथ लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन प्राथमिकता वाले परिवारों और आम परिवारों के व्यक्तियों के लिए राजसहातया प्राप्त मूल्यों पर खाद्यान्न प्राप्त करने, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं तथा बच्चों के लिए पोषाहार समर्थन और बेसहारा व्यक्तियों, बेघरों, आकस्किता और आपदा प्रभावित व्यक्तियों, भुखमरी में जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों आदि जैसे विशेष समूहों के लिए पात्रता के अधिकार का प्रावधान है।

आर्थिक लागत की गणना

3155. श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर:
श्रीमती भावना पाटील गवली:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तथा चावल के वितरण के लिए आर्थिक लागत की गणना के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(ख) क्या किया गया वास्तविक व्यय, चावल एवं धान सहित खाद्यान्न के एमएसपी तथा आर्थिक लागत की गणना का आधार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान इनकी कीमतों की गणना के लिए आधार बना वास्तविक व्यय क्या है;

(घ) क्या विकेन्द्रित खरीद के अंतर्गत आर्थिक लागत की गणना में देर से राज्य सरकारों पर भारी बोझ पड़ता है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा एक सुधारात्मक नीति बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) से (ग) कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा निम्नलिखित मापदंडों के आधार पर फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किए जाते हैं :–

(i) उन्नत प्रौद्योगिकी अपनाने तथा मोटे तौर पर राष्ट्रीय जरूरतों को देखते हुए उत्पादन पैटर्न का विकास करने के लिए उत्पादकों को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता।

(ii) भूमि, जल और अन्य उत्पादन संसाधनों का युक्तिसंगत उपयोग सुनिश्चित करने की जरूरत।

(iii) शेष अर्थव्यवस्था, विशेष रूप से जीवनयापन लागत, मजदूरी का स्तर, औद्योगिक ढांचा लागत आदि पर मूल्य नीति का संभावित प्रभाव।

इसके अलावा, न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करते समय उत्पादन लागत, मांग और आपूर्ति, बाजार मूल्य में रुझान, आदानों के मूल्यों में परिवर्तन, किसानों द्वारा अदा किया गया मूल्य और उन्हें प्राप्त मूल्य के बीच समानता, अंतर–फसल मूल्य समानता, आम मूल्य स्तर पर प्रभाव आदि जैसे महत्त्वपूर्ण घटकों को भी हिसाब में लिया जाता है।

चावल की राज्य–वार आर्थिक लागत अनंतिम आधार पर प्रत्येक फसल वर्ष के आरम्भ में खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा निर्धारित की जाती है, जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य, सांविधिक प्रभार, मिलिंग प्रभार, ढुलाई प्रभार, बोरी की लागत, मण्डी श्रम प्रभार, भंडारण प्रभार आदि सहित अधिग्रहण लागत और हैंडलिंग तथा ढुलाई प्रभार, भंडारण प्रभार, ब्याज प्रभार, प्रशासनिक प्रभार आदि सहित वितरण लागत शामिल होती है। आर्थिक लागत की अंतिम दर राज्य सरकारों/एजेंसियों के लेखापरीक्षित लेखाओं के आधार पर निर्धारित की जाती है।

(घ) और (ङ) प्रत्येक वर्ष के आरम्भ में निर्धारित अनंतिम आर्थिक लागत के आधार पर विकेन्द्रीकृत खरीद योजना अपनाने वाली राज्य सरकारों के लिए राजसहायता के रूप में अनुमेय दावे का 95% रिलीज किया जा रहा था। दावे का केवल 5% रोका जा रहा था जिसे अंतिम आर्थिक लागत के आधार पर राज्य एजेंसियों द्वारा अंतिम दावे प्रस्तुत करने के बाद रिलीज किया जाना था।

राज्य सरकारों/एजेंसियों द्वारा झेली जा रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, कर, मिलिंग प्रभार, शुष्कन, जैसी निर्धारित लागत का 100% और आर्थिक लागत की घटन–बढ़ने वाली लागतों का 95% अब रिलीज किया जा रहा है तथा घटने–बढ़ने वाली लागतों का केवल 5% ही आर्थिक लागत को अंतिम रूप देने तक रोका जा रहा है।

राज्य सरकारों को देय खाद्यान्नों के प्रासंगिक खर्चों और आर्थिक लागत को अंतिम रूप देने के काम में तेजी लाने के लिए विभाग में व्यावसायिकों द्वारा संचालित एक समर्पित सैल कार्यरत है।

[अनुवाद]

मैट्रो ट्रेन सेवा

3156. **श्री एन.एस.वी. चित्तन :**
श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा :
श्री के. सुगुमार :
श्री लालचन्द कटारिया :
श्री नीरज शेखर :
श्री यशवीर सिंह :
श्री प्रेमचन्द गुड्डू :
श्री आनंद प्रकाश परांजपे :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़ :
श्री उदय प्रताप सिंह :
श्री सुरेश अंगड़ी :
श्री भर्तृहरि महताब :
श्री सुरेश कुमार शेटकर :
श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर :
श्री कुलदीप बिश्नोई :
श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी :
श्री रुद्रमाधव राय :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले सभी शहरों में मैट्रो रेल सेवा प्रारंभ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रथम चरण में इस प्रयोजनार्थ चुने गए शहरों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इंटरसिटी मैट्रो रेल लिंक सहित मैट्रो रेल परियोजनाएं शुरू करने के लिए शहरों हेतु कोई मानक तैयार किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक शहरों के लिए तैयार की गई परियोजना रिपोर्ट क्या है; और

(ङ) केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच निर्माण लागत के बंटवारे का पैटर्न क्या है तथा चालू वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ केन्द्र सरकार द्वारा कितनी धनराशि का निर्धारण किया गया है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय) : (क) और (ख) जी हां। तथापि, चूंकि शहरी परिवहन और शहरी विकास, जो कि राज्य का विषय है, एक दूसरे से जुड़े हैं, इसलिए देश के 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले सभी शहरों में मेट्रो ट्रेन सेवा शुरू करने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार के अनुमोदन/स्वीकृति हेतु संबंधित राज्य सरकारों से प्राप्त होने हैं। केन्द्र सरकार शहरी परिवहन आयोजना स्कीम के अन्तर्गत मैट्रो रेल परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्टे तैयार करने हेतु प्रस्तावों को समर्थन करेगी।

(ग) और (घ) सरकार ने यह पता लगाया है कि राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत मेट्रो रेल परियोजनाओं के प्रस्तावों के साथ विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर), व्यापक गतिशीलता योजना (सीएमपी) आधुनिक नगर बस सेवा शुरू करने की वैकल्पिक विश्लेषण रिपोर्ट तथा शहरी परिवहन के क्षेत्र में विभिन्न सुधार शुरू करने संबंधी वचनबद्धता होनी चाहिए।

(ङ) केन्द्र और राज्य सरकार के बीच निर्माण लागत की हिस्सेदारी पद्धति स्वीकृति के समय परियोजना-दर-परियोजना भिन्न-भिन्न होती है।

उस मेट्रो रेल निगमों, जिनमें भारत सरकार इक्विटी पार्टनर है, को वित्तीय सहायता (इक्विटी, अनुषंगी ऋण, पास थ्रू सहायता और अनुदान) मुहैया कराने के लिए भारत सरकार द्वारा वर्तमान वर्ष के दौरान निर्माणाधीन मेट्रो रेल परियोजनाओं के लिए 5122.35 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं।

रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए विनियामक निकाय

3157. चौधरी लाल सिंह :
श्री के. सुगुमार :
श्री असादूद्दीन ओवेसी :
श्री एन.एस.वी. चित्तन :
श्री संजय सिंह चौहान :
श्री एम.के. राघवन :
श्री सतपाल महाराज :
श्री कमल किशोर 'कमांडो' :
श्री पी.सी. गद्दीगौदर :

क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रियल एस्टेट क्षेत्र के विनियमन एवं नियोजित विकास के लिए विनियामक निकाय का गठन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को प्रारूप मॉडल रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) विधेयक पर राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों सहित जनता एवं अन्य हितधारकों से टिप्पणियां/सुझाव मिले हैं;

(घ) यदि हां, तो इस प्रारूप विधेयक पर जनता एवं हितधारकों द्वारा व्यक्त किये गये विचार क्या हैं; और

(ङ) इस विधेयक को कब तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) से (ङ) उपभोक्ता के हित की रक्षा करने तथा सुचारू और तेजी से शहरी निर्माण को सुकर बनाने की दृष्टि से कालोनियों और अपार्टमेंटों का नियोजित और सुव्यवस्थित रियल एस्टेट विकास करने के प्रयोजन से इस मंत्रालय ने राज्यों द्वारा अपनाए जाने के लिए मॉडल रियल एस्टेट (विकास का विनियमन) अधिनियम 2011 का प्रारूप तैयार किया था।

इस विधेयक का प्रारूप मंत्रालय की वेबसाइट के माध्यम से अगस्त, 2009 में जनता की डोमेन में उसकी जानकारी के लिए रखा गया था। इस विधेयक के प्रारूप पर जनता और अन्य स्टेकहोल्डरों, जिनमें राज्य सरकारों और केन्द्र शासित राज्यों के प्रशासन, व्यावसायिक चेम्बर्स शामिल हैं, से टिप्पणियां ओर सुझाव आमंत्रित किए गए थे। रियल एस्टेट ऐसोसिएशनों, रियल एस्टेट डेवलेपरों, उपभोक्ताओं और राज्य सरकारों से 350 से भी अधिक टिप्पणियां प्राप्त हुई थीं। टिप्पणियां प्राप्त होने पर मार्च-अप्रैल, 2010 में राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ अनेक कार्यशाला आयोजित की गई थीं और कुछक राज्यों के

शहरी विकास और शहरी विधि विशेषज्ञों के सहयोग से पुनः एक दूसरा प्रारूप तैयार किया गया था। इस प्रारूप को जून, 2010 में हुए परामर्श पर राज्यों, व्यावसायिक चेम्बर्स, डेवलेपर्स और विशेषज्ञों के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। इन परामर्शो के दौरान एक विचार यह उभर कर सामने आया कि केन्द्रीय विधान अधिक प्रभावी होगा। यह जानने के लिए कि क्या इस मामले पर संसद के लिए विधान बनाना उपयुक्त होगा, विधि और न्याय मंत्रालय के विचार मंगाए गए थे और उनकी सलाह को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय विधान के रूप में अब विधेयक का पुनः प्रारूप तैयार किया गया है।

तदनुसार रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2011 नामक केन्द्रीय विधान के प्रारूप को अब आम जनता से टिप्पणियां/सुझाव प्राप्त करने के लिए मंत्रालय की बेवसाईट पर रखा गया है और साथ ही इसे सभी राज्य सरकारों/केन्द्र शासित राज्यों के प्रशासनों और रियल एस्टेट संघों को उनकी नई टिप्पणियों के लिए उन्हें प्रेषित भी किया गया है। इए नए प्रारूप पर अब तक आम जनता और अन्य स्टेकहोल्डरों से 370 से भी अधिक टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं। राज्य सरकारों/केन्द्र शासित राज्यों के प्रशासनों से कोई टिप्पणी/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

मंत्रालय ने रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2011 के संबंध में प्राप्त हुई टिप्पणियों/सुझावों को संगठित और तालिकाबद्ध नहीं किया है क्योंकि टिप्पणियां/सुझाव प्राप्त होने की अंतिम तारीख अभी समाप्त नहीं हुई है।

इस स्थिति में इसको अंतिम रूप देने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के
अंतर्गत आवंटन

3158. श्री निनोंग ईरींग :
श्री सुरेश काशीनाथ तवारे :
श्री तथागत सत्पथी :
श्री जगदानन्द सिंह :
श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) कल्याण योजना के अंतर्गत आवंटित खाद्यान्नों एवं किरोसिन के अपने कोटे को उठाने में विफल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या अरुणाचल प्रदेश सहित कुछ राज्यों से खाद्यान्नों की आपूर्ति में विलंब एवं अपर्याप्त आपूर्ति संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा राज्यों को खाद्यान्नों की समयबद्ध एवं पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) से (घ) जी हां। तथापि, अप्रैल-सितम्बर, 2011 के दौरान लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्नों के सामान्य आबंटन के प्रति 91.6% समूचा उठान हुआ है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन 2011-12 के दौरान (सितम्बर, 2011 तक) खाद्यान्नों का राज्यवार आबंटन और उठान संलग्न विवरण-I में दिया गया है। अन्य कल्याण योजनाओं के अधीन 2011-12 के दौरान (सितम्बर 2011 तक) खाद्यान्नों का राज्यवार आबंटन और उठान संलग्न विवरण-II में दिया गया है। 2010-11 के दौरान मिट्टी के तेल का राज्यवार व्यपगत कोटा, जिसके लिए आंकड़े उपलब्ध हैं, संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में इन स्कीमों के अधीन अन्य बातों के साथ-साथ लाभार्थियों से कम मांग होने, भारतीय खाद्य निगम द्वारा कम स्टाक देने, आबंटित खाद्यान्नों/मिट्टी के तेल का राज्यों द्वारा उठान न किए जाने के कारण कम उठान हुआ है। कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों से भारतीय खाद्य निगम के डिपुओं में कम स्टाक मौजूद होने के कारण आबंटित खाद्यान्नों के रिलीज में विलंब होने के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। पर्याप्त संख्या में मालगाड़ियों के उपलब्ध न होने के कारण इन राज्यों को खाद्यान्नों का समय से संचलन करने में भारतीय खाद्य निगम को समस्याएं पेश आती रही हैं।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन किए गए आबंटनों को बढ़ाने और इनमें सुधार करने के लिए कई उपाय किए गए हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वर्ष के आरंभ में खाद्यान्नों

के वार्षिक आबंटन किए जाते हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आबंटित खाद्यान्नों का अग्रिम में उठान करने की अनुमति दी जाती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में वैधता अवधि बढ़ाने का अनुरोध प्राप्त होने पर भी उन पर शीघ्रता से विचार किया जाता है। पर्याप्त मालगाड़ियां उपलब्ध कराने के मुद्दे को भी समय-समय पर रेलवे के साथ उठाया गया है।

भारत सरकार सम्मेलन आयोजित करके, समीक्षा बैठकें करके और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पत्र लिखकर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा खाद्यान्नों का उठान करने सहित लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण के क्रियान्वयन की नियमित रूप से समीक्षा भी करती रही है।

विवरण-I

2011-12 (सितम्बर, 2011 तक) के दौरान खाद्यान्नों का राज्यवार आवंटन और उठान

(हजार टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवंटन				उठान			
		गरेनी	अंअयो	गरेऊ	जोड़	गरेनी	अंअयो	गरेऊ	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	आन्ध्र प्रदेश	526.044	327.144	973.656	1826.656	502.906	318.825	645.987	1467.718
2	अरुणाचल प्रदेश	12.762	7.986	30.030	50.778	12.681	7.299	31.223	51.203
3	असम	237.612	147.846	477.870	863.328	231.960	144.846	412.174	788.980
4	बिहार	844.686	525.210	428.480	1798.376	816.782	501.712	176.985	1495.479
5	छत्तीसगढ़	242.844	150.972	202.880	596.696	240.689	142.249	138.367	521.305
6	दिल्ली	54.348	31.542	212.508	298.398	54.778	21.089	203.393	279.260
7	गोवा	2.766	3.054	22.978	28.798	2.766	3.106	24.376	30.248
8	गुजरात	275.184	170.040	530.960	976.184	272.195	175.088	183.229	630.512
9	हरियाणा	104.286	61.410	188.720	354.416	119.624	60.102	150.528	330.254
10	हिमाचल प्रदेश	66.570	41.370	147.236	255.176	65.532	41.368	146.967	253.867
11	जम्मू और कश्मीर	100.848	53.694	223.860	378.402	101.419	54.940	225.782	382.141
12	झारखंड	309.984	192.762	156.960	659.706	301.652	190.202	36.418	528.272
13	कर्नाटक	405.192	251.946	504.644	1161.782	403.405	254.392	460.002	1117.799
14	केरल	201.174	125.130	369.026	695.330	202.663	125.752	371.344	699.759
15	मध्य प्रदेश	534.108	332.130	446.240	1312.478	857.125	372.340	327.040	1556.505
16	महाराष्ट्र	854.712	517.440	895.440	2267.592	838.922	477.168	558.559	1874.649
17	मणिपुर	21.504	13.362	40.104	74.970	31.230	19.543	26.868	77.641
18	मेघालय	23.688	14.742	48.976	87.406	24.223	14.909	50.476	89.608

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	मिजोरम	8.820	5.460	20.790	35.070	8.320	5.111	18.826	32.257
20	नागालैण्ड	16.056	9.984	37.398	63.438	17.695	10.737	41.578	70.010
21	ओडिसा	582.786	265.560	210.726	1059.072	583.399	259.122	192.498	1035.019
22	पंजाब	60.588	37.680	301.844	400.112	57.223	26.907	233.815	317.945
23	राजस्थान	314.766	195.744	514.880	1025.390	319.096	193.855	505.289	1018.240
24	सिक्किम	5.652	3.468	13.010	22.130	6.458	3.784	12.894	23.136
25	तमिलनाडु	629.616	391.572	840.228	1861.416	636.650	396.841	842.789	1876.280
26	त्रिपुरा	38.190	23.760	89.464	151.414	41.391	25.043	67.927	134.361
27	उत्तर प्रदेश	1382.850	859.740	1237.040	3479.630	1496.261	856.871	922.887	3276.019
28	उत्तराखंड	64.494	40.092	139.120	243.706	60.913	33.435	128.451	222.799
29	पश्चिम बंगाल	776.790	310.842	747.524	1835.156	759.287	247.372	690.017	1696.676
30	अं. और नि. द्वीपसमूह	2.670	0.900	13.440	17.010	2.095	0.334	5.312	7.741
31	चंडीगढ़	1.878	0.312	14.400	16.590	1.614	0.060	12.600	14.274
32	दा. और न. हवेली	2.514	1.098	1.440	5.052	2.656	1.098	1.025	4.779
33	दमन और दीव	0.522	0.318	1.764	2.604	1.185	0.269	0.997	2.451
34	लक्षद्वीप	0.378	0.252	1.680	2.310	0.000	0.000	0.000	0.000
35	पुडुचेरी	10.782	6.774	11.200	28.756	9.631	6.324	5.875	21.830
	जोड़	8717.664	5121.336	10096.516	23935.516	9084.426	4992.093	7852.498	21929.017

विवरण–II

2011–12 (सितम्बर, 2011 तक) के दौरान विभिन्न कल्याण योजनाओं के तहत खाद्यान्नों का आबंटन और उठान

(हजार टन में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवंटन	उठान
1	2	3	4
1	आन्ध्र प्रदेश	300.840	160.514
2	अरुणाचल प्रदेश	6.677	1.419
3	असम	133.098	33.211
4	बिहार	232.901	95.763
5	छत्तीसगढ़	149.816	78.156
6	दिल्ली	35.240	14.219
7	गोवा	6.656	2.522
8	गुजरात	155.228	89.867
9	हरियाणा	71.982	37.626

1	2	3	4
10	हिमाचल प्रदेश	26.107	15.885
11	जम्मू और कश्मीर	35.253	17.357
12	झारखंड	94.838	54.143
13	कर्नाटक	222.429	82.015
14	केरल	84.326	32.069
15	मध्य प्रदेश	356.792	215.44
16	महाराष्ट्र	380.408	157.743
17	मणिपुर	6.370	11.308
18	मेघालय	23.711	8.118
19	मिजोरम	6.465	3.644
20	नागालैण्ड	20.796	10.14
21	ओडिसा	249.673	118.91804
22	पंजाब	65.197	27.299
23	राजस्थान	184.101	87.544
24	सिक्किम	2.928	1.568
25	तमिलनाडु	178.174	134.441
26	त्रिपुरा	23.677	14.864
27	उत्तर प्रदेश	396.251	274.67242
28	उत्तराखंड	23.751	11.603
29	पश्चिम बंगाल	259.711	89.399
30	अं. और नि. द्वीपसमूह	1.150	0.63
31	चण्डीगढ़	1.429	0.595
32	दादरा और नागर हवेली	1.197	0.387
33	दमन और दीव	0.365	0.202
34	लक्षद्वीप	0.245	0.04
35	पुडुचेरी	2.368	0.758
	जोड़	3740.150	1884.079

विवरण–III

2010–11 में मिट्टी के तेल का राज्यवार व्यपगत कोटा

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2010–11 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मिट्टी के तेल का व्यपगत कोटा
1	2	3
1	आन्ध्र प्रदेश	126
2	अरुणाचल प्रदेश	93
3	असम	54
4	बिहार	4194
5	छत्तीसगढ़	429
6	दिल्ली	2578
7	गोवा	10
8	गुजरात	216
9	हरियाणा	527
10	हिमाचल प्रदेश	150
11	जम्मू और कश्मीर	3713
12	झारखंड	1708
13	कर्नाटक	41
14	केरल	5
15	मध्य प्रदेश	12701
16	महाराष्ट्र	1131
17	मणिपुर	9112
18	मेघालय	96
19	मिजोरम	67
20	नागालैण्ड	9

1	2	3
21	ओडिसा	2089
22	पंजाब	986
23	राजस्थान	574
24	सिक्किम	9
25	तमिलनाडु	3451
26	त्रिपुरा	54
27	उत्तर प्रदेश	1295
28	उत्तराखंड	297
29	पश्चिम बंगाल	298
30	अं. और नि. द्वीपसमूह	0
31	चण्डीगढ़	452
32	दादरा और नागर हवेली	11
33	दमन और दीव	108
34	लक्षद्वीप	0
35	पुडुचेरी	29
	जोड़	39114

दिल्ली को विरासत का दर्जा

315. श्री नित्यानन्द प्रधान :
श्री वैजयंत पांडा :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली को विरासत शहर का दर्जा प्रदान करने के लिए यूनेस्को को प्रस्ताव अग्रसरित करने का है; और

(ख) यदि हा, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में प्रस्तावित संभावित कदम/कार्यक्रम क्या हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) और (ख) जी हां, दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम, दिल्ली सरकार से दिल्ली को यूनेस्को की अनंतिम सूची में रखने के संबंध में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

इस प्रस्ताव की विश्व विरासत मामलों संबंधी नव-गठित सलाहकार समिति द्वारा जांच की जानी अपेक्षित है।

खाद्य सुरक्षा

3160. श्री दानवे रावसाहेब पाटील :
श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो :
योगी आदित्यनाथ :
श्री नित्यानंद प्रधान :
श्री वैजयंत पांडा :
श्री डी. बी. चन्द्रे गौडा :
श्री दत्ता मेघे :
श्री अनन्त कुमार :
डॉ. रतन सिंह अजनाला :
श्री एस. पक्कीरप्पा :

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न क्षेत्रों में कुपोषण, भुखमरी व्याप्त होने की जानकारी मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पिछले एक वर्ष के दौरान विभिन्न एजेंसियों द्वारा रिपोर्ट किए गए ऐसे मामलों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या आगामी दशक के दौरान देश में खाद्य सुरक्षा स्थिति के संबंध में आम चिंता जतायी गयी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई आकलन किया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके परिणाम क्या हैं; और

(छ) देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) से (छ) 2005-06 की राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार विभिन्न राज्यों में बच्चों और महिलाओं में कुपोषण मौजूद है, जिसके राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। देश में भूख और भुखमरी की मौजूदगी के संबंध में कोई ज्ञात सरकारी आकलन/सूचित आंकड़े नहीं हैं। सरकार के पास इस समय मौजूद खाद्यान्नों का स्टाक देश की खाद्य सुरक्षा को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

जनता, विशेष रूप से आबादी के गरीब और कमजोर वर्ग के लिए उचित मूल्यों पर खाद्यान्नों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और उनकी खाद्य सुरक्षा बढ़ाने के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली सरकार की आर्थिक नीति का प्रमुख औजार है। भूख और भुखमरी की समस्या को हल करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को उचित मूल्यों पर पर्याप्त खाद्यान्न मिले, सरकार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन लक्षित गरीबी रेखा से नीचे और अंत्योदय अन्न योजना परिवारों के लिए अत्यधिक राजसहायता प्राप्त मूल्यों पर खाद्यान्न प्रदान करती रही है। मध्याह्न भोजन योजनाए एकीकृत बाल विकास सेवा स्कीम, राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण स्कीम, अन्नपूर्णा, इमरजेंसी फीडिंग कार्यक्रम और कल्याण संस्थान स्कीम जैसी अन्य कल्याण योजनाओं के अधीन भी लक्षित लाभार्थियों के लिए पका हुआ भोजन/घर ले जाने के लिए राशन भी प्रदान किया जाता है। 2011-12 के दौरान लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन लक्षित लाभार्थियों को वितरण करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों हेतु 563.38 लाख टन खाद्यान्नों की मात्रा आबंटित की गई है। अन्य कल्याण योजनाओं के लिए भी 48.69 लाख टन खाद्यान्नों का आबंटन किया गया है।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम जैसी अन्य स्कीमें/कार्यक्रम भी पोषाहार और भुखमरी की समस्या को दूर करते हैं।

विवरण

बच्चों और महिलाओं में मौजूद पोषण की कमी – एनएफएचएस 3(2005-06) के राज्यवार ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य का नाम	बच्चे (6-59 महीने)%	महिलाएं (15-49 वर्ष) (सामान्य से कम बीएमआई)%
1	2	3	4
1	आन्ध्र प्रदेश	32.5	33.5
2	असम	36.4	36.5
3	अरूणाचल प्रदेश	32.5	16.4
4	बिहार	55.9	45.1
5	छत्तीसगढ़	47.1	43.4
6	दिल्ली	26.1	14.8
7	गोवा	25.0	27.9
8	गुजरात	44.6	36.3
9	हरियाणा	39.6	31.3
10	हिमाचल प्रदेश	36.5	29.9
11	जम्मू और कश्मीर	25.6	24.6
12	झारखंड	56.5	43.0
13	कर्नाटक	37.6	35.5
14	केरल	22.9	18.0
15	मध्य प्रदेश	60.0	41.7
16	महाराष्ट्र	37.0	36.2
17	मणिपुर	22.1	14.8
18	मेघालय	48.8	14.6
19	मिजोरम	19.9	14.4
20	नागालैण्ड	25.2	17.4
21	ओडिसा	40.7	41.4

1	2	3	4
22	पंजाब	24.9	18.9
23	राजस्थान	39.9	36.7
24	सिक्किम	19.7	11.2
25	तमिलनाडु	29.8	28.4
26	त्रिपुरा	39.6	36.9
27	उत्तर प्रदेश	42.4	36.0
28	उत्तराखंड	38.0	30.0
29	पश्चिम बंगाल	38.7	39.1
	भारत	42.5	35.6

[हिन्दी]

हथियारों और गोला बारूद की बरामदगी

3161. श्री प्रहलाद जोशी:

डॉ. भोला सिंह:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान देश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) विगत तीन वर्षों के दौरान देश में नक्सलियों से बरामद किए गए हथियारों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :–

वर्ष	बरामद किए गए हथियारों की संख्या
2008	1511
2009	572
2010	642
2011 (30 नवम्बर तक)	585

(ग) 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय होने के कारण कानून और व्यवस्था बनाए रखने के संबंध में कार्रवाई करना प्राथमिक रूप से संबंधित राज्य सरकारों के दायरे में आता है। राज्य पुलिस बल इस संबंध में नक्सल–रोधी अभियान चलाने के लिए तैनात किए गए केन्द्रीय बलों के साथ समन्वय स्थापित करके आवश्यक एहतियाती और निवारक कदम उठा रहे हैं।

भारतीय प्रेस परिषद का पुनर्गठन

3162. श्री आर.के. सिंह पटेल:

श्री पन्ना लाल पुनिया:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का 'भारतीय प्रेस परिषद' के पुनर्गठन और इसे भारतीय मीडिया परिषद नामक नया नाम देने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं और उक्त प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चौधरी मोहन जतुआ) : (क) से (ग) भारतीय प्रैस परिषद (पीसीआई) के अध्यक्ष ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भारतीय प्रैस परिषद के अधिकार–क्षेत्र में लाने और इसका नाम बदलकर मीडिया परिषद करने का प्रस्ताव करते हुए माननीय प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा है। तदनंतर, भारतीय प्रैस परिषद ने दिनांक 17.11.2011 को हुई अपनी बैठक में भारतीय प्रैस परिषद के अध्यक्ष के प्रस्ताव पर आगे विचार–विमर्श करने का निर्णय लिया है।

[अनुवाद]

सतत् कृषि विकास

3163. श्री सुवेन्दु अधिकारी :

श्री राम सुन्दर दास :

श्री कपिल मुनि करवारिया :

श्री आर. ध्रुवनारायण :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उद्योग जैसे अर्थव्यवस्था के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों की तुलना में कृषि क्षेत्र के सतत विकास के लिए किसी नीति के निर्माण किए जाने तथा खाद्य सुरक्षा और अनिश्चित मौसम पद्धति के संबंध में चुनौतियों से निपटने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो कृषि क्षेत्र के हितों को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत) : (क) से (ग) कृषि क्षेत्रों की संधारणीयता भारत के नियोजित विकास प्रयासों का मुख्य केन्द्र बिन्दु रहा है। राष्ट्रीय किसान नीति, 2007 का जोर कृषि कार्यकलापों को अधिक व्यवहार्य बनाने के लिए और संधारणीय आधार पर किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने पर है। राष्ट्रीय संधारणीय कृषि में उपयुक्त अनुकूलन और प्रशमन उपायों के माध्यम से भारतीय कृषि में जलवायु अनुकूलन उत्पादन प्रणाली में बदलना चाहा गया है। ग्यारहवीं पंच वर्षीय योजना ने ऐसे विशिष्ट कारकों की पहचान की है जो कृषि में कुशल, संधारणीय और समग्र निर्धारित करेगा, इनके अंतर्गत अन्य बातों के साथ-साथ सार्वजनिक निवेश में वृद्धि, अनुसंधान एवं विस्तार, उन्नत प्रौद्योगिकियों का प्रभावपूर्ण उपयोग, मृदा, जल एवं प्राकृतिक संसाधन आधार का कुशल एवं सतत उपयोग, उर्वरकों का संतुलित उपयोग, फसलों और पशुधन के सही संयोजन के साथ विशिष्ट कृषि प्रणाली, पनधारा विकास, वनरोपण आदि शामिल हैं। साथ ही वैश्विक तापन के कारण जलवायु परिवर्तन के बुरे प्रभाव का सामना करने हेतु पर्यावरण मंच पर कार्रवाई की आवश्यकता है। तदनुसार संबंधित मंत्रालय विभिन्न मामलों का प्रशमन कर रहा है और उपयुक्त कार्यक्रमों/स्कीमों में निवेश कर रहा है; जैसे कृषि मंत्रालय, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय लघु सिंचाई मिशन, राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य और उर्वरक प्रबंधन परियोजना आदि को प्रशासित करता है, जिसका लक्ष्य अन्य बातों के साथ सतत् कृषि विकास, सुनिश्चित खाद्य सुरक्षा और कृषि क्षेत्रों के हितों की रक्षा करता है।

गुजरात में नई चीनी मिलें

3164. **श्रीमती दर्शना जरदोश :**
श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम :
श्रीमती पूनम वेलजीभाई जाट :
श्री सी.आर. पाटिल :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को गुजरात राज्य सरकार से राज्य में नई चीनी मिलें स्थापित करने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) गुजरात में नई चीनी मिलें स्थापित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) केन्द्रीय सरकार को गुजरात राज्य सरकार से राज्य में नई चीनी मिलें स्थापित करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

संरक्षित संस्मारकों के इर्द-गिर्द निर्माण पर प्रतिबंध

3165. **श्री शिवकुमार उदासी :**
श्री के.पी. धनपालन :
श्री सैयद शाहनवाज हुसैन :

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (संशोधन और वैधीकरण) अधिनियम, 2010 के अंतर्गत केन्द्रीय संरक्षित संस्मारकों के बीच की दूरी बढ़ाई गई निर्धारित सीमा के भीतर उपस्थित होने के कारण अनेक अवसंरचनात्मक परियोजनाएं, जारी/प्रस्तावित निर्माण, आवासीय मकानों की मरम्मत/नवीकरण का कार्य रोक दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके संबंध में सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा विकास कार्यों के रोके जाने के कारण वास्तविक निवासियों की सहायता हेतु कोई कदम उठाए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का इस संबंध में विधि/नियमों में संशोधन करने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) से (च) 16 जून, 1992 की अधिसूचना के अनुसार निर्माण, पुनर्निर्माण, मरम्मत और पुनरूद्धार तथा खनन गतिविधियों के प्रयोजन के लिए संरक्षित स्मारकों के चारों ओर 100 मीटर के क्षेत्र को निषिद्ध क्षेत्र और उसके आगे 200 मीटर के क्षेत्र को विनियमित क्षेत्र के रूप में घोषित कर दिया गया है। प्राप्त अभ्यावेदनों के संबंध में यह सूचि किया गया है कि राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित स्मारकों और स्थलों के समीप 'निषिद्ध' और 'विनियमित' क्षेत्रों से सम्बन्धित अनुबंध, 1992 से प्रचलित हैं। फिर भी, प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल एवं अवशेष (संशोधन तथा वैधीकरण) अधिनियम, 2010 के अधीन निषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों में मरम्मत/पुनरूद्धार/पुनर्निर्माण अथवा निर्माण आरम्भ करने की अनुमति प्रदान करने संबंधी आवेदनों को निपटाने के लिए सांस्थानिक तंत्र का प्रावधान किया गया है। इस तंत्र के सक्षम प्राधिकारियों की संस्थापना करना (ऐसी 26 अधिसूचनाएं जारी की गई हैं), एक राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण की स्थापना करना और भारतीय राष्ट्रीय कला तथा सांस्कृतिक विरासत न्यास (आई एन टी ए सी एच) के परामर्श से तैयार प्रारुपों पर आधारित विरासत उपनियम बनाना और अन्य अधिसूचित राष्ट्रीय स्तर के विरासत निकाय सम्मिलित हैं। इस प्रकार, सरकार इस समय प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958 के प्रावधानों को और संशोधित करने के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।

प्रत्यक्षदर्शियों के साक्षात्कार प्रसारित करना

3166. श्री नरहरि महतो :

श्री नृपेन्द्र नाथ राय :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि विभिन्न अपराधों के प्रत्यक्ष दर्शियों अथवा गंभीर मुद्दों को उठाने वाले व्यक्तियों के साक्षात्कार निरंतन प्रसारित किए जाने से उनका जीवन खतरे में पड़ रहा है और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी इस मुद्दे को उठाता रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन एण्ड न्यूज ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन को परामर्श जारी किया है कि वे टेलीविजन चैनलों को निदेश जारी करें कि वे अपराधों के प्रत्यक्षदर्शियों की पहचान प्रकट करने संबंधी कोई समाचार प्रसारित न करें;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चौधरी मोहन जतुआ) : (क) से (घ) सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने नवम्बर, 2008 के मुंबई आतंकी हमले, उक्त हमले की प्रथम पुण्यतिथि, कुछ टीवी चैनलों द्वारा आतंकवादियों/आतंकी गुटों के साथ व्यवस्थित साक्षात्कार तथा साथ ही, सोमाली डाकुओं द्वारा समुद्री-अपहरण कांड से उत्पन्न होने वाले बंधक-संकट जैसे कतिपय आकस्मिक मुद्दों की रिपोर्टिंग में सकारात्मक भूमिका निभाने और आवश्यक संयम बरतने तथा विवेक का प्रयोग करने के लिए टीवी चैनलों व प्रसारक संघों को भी विगत हाल में समय-समय पर सलाह-पत्र जारी किए हैं।

[हिन्दी]

केंद्रीय-अर्द्ध-सैनिक बलों के कार्मिकों में बीमारियां

3167. श्री कौशलेन्द्र कुमार:

श्री रामकिशुन:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय अर्द्ध-सैनिक बलों (सी. पी. एफ.) के कार्मिकों में त्वचा, हृदय, मानसिक रोग, अवसाद, उच्च रक्तचाप, एड्स और कैंसर के मामलों में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो प्रकाश में आए ऐसे मामलों की कुल संख्या क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान ऐसी बीमारियों के कारण मारे गए जवानों की संख्या का बल-वार और लिंग-वार अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में चलाए गए जागरूकता कार्यक्रमों सहित उठाए गए उपचारात्मक कदमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने केंद्रीय अर्द्ध-सैनिक बलों के जवानों में

ऐसी बढ़ती प्रवृत्ति के कारणों के संबंध में कोई अध्ययन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों के कार्मिकों में त्वचा, हृदय एवं मानसिक रोगों, अवसाद, उच्च रक्त चाप, एड्स और कैंसर रोग तथा इन रोगों की वजह से मृत्यु के मामलों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई है। पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान त्वचा, हृदय एवं मानसिक रोगों, अवसाद, उच्च रक्त चाप, एड्स और कैंसर से पीड़ित पाए गए तथा इन रोगों की वजह से मरने वाले केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों के कार्मिकों की बल-वार तथा लिंग-वार संख्या को दर्शाने वाली तालिका विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) 180 स्वयंसेवी गोपनीय परामर्श एवं जाँच केन्द्र (वी सी सी टी), यूनिट हास्पिटल एवं कम्पोजिट हास्पिटल स्थापित किए जाने के अतिरिक्त इकाई (यूनिट) स्तर पर अनिवार्य वार्षिक एवं आवधिक चिकित्सीय जांच, परामर्श एवं जागरूकता कार्यक्रम जैसे विभिन्न निवारक उपाय नियमित रूप से आयोजित किए जा रहे हैं।

(घ) और (ङ) चूंकि कोई चिन्ताजनक प्रवृत्ति नहीं देखी गई है, इसलिए अध्ययन कराने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं की गई है।

विवरण

पिछले 3 वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों के कार्मिकों में त्वचा, हृदय एवं मानसिक रोगों, अवसाद, उच्च रक्त चाप, एड्स, कैंसर के सूचित मामलों की संख्या (लिंग-वार)

केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल	2008		2009		2010		2011	
	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
असम राइफल	737	0	852	0	1008	0	1177	0
बीएसएफ	971	0	696	0	1088	0	27	0
सीआईएसएफ	162	0	379	0	439	3	463	9
सीआरपीएफ	10057	64	9894	71	12271	234	5268	136
आईटीबीपी	622	0	705	0	183	0	161	0
एसएसबी	548	2	432	1	314	1	368	7
एनएसजी	7	0	7	1	8	0	8	0
कुल	13104	66	12965	73	15311	238	7472	152

वर्तमान वर्ष सहित पिछले तीन वर्षों के दौरान बीमारियों के कारण मरने वाले केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बल के कार्मिकों की संख्या (लिंग-वार)

केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल	2008		2009		2010		2011	
	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
1	2	3	4	5	6	7	8	9
असम राइफल	25	0	33	0	31	0	35	0
बीएसएफ	123	0	54	0	101	0	31	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
सीआईएसएफ	75	0	94	0	92	0	69	0
सीआरपीएफ	169	0	240	3	152	3	172	3
आईटीबीपी	27	0	27	0	5	0	17	0
एसएसबी	7	0	6	0	12	0	3	0
एनएसजी	0	0	0	0	1	0	0	0
कुल	426	0	454	3	394	3	327	3

[अनुवाद]

उर्वरकों का उपयोग

3168. श्री जयराम पांगी :

श्री एम. आई. शानवास :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में देश में विभिन्न रासायनिक उर्वरकों की प्रति हेक्टेयर खपत क्या है;

(ख) क्या देश के अनेक राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों में अभी भी प्रति हैक्टेयर 50 कि. ग्रा. से कम उर्वरक का उपयोग किया जा रहा है जो कि स्वीकार्य स्तर से काफी कम मात्रा है;

(ग) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत) : (क) वर्ष 2010-11 के लिए देश में रासायनिक उर्वरकों पोषक तत्व-वार की प्रति हैक्टेयर खपत निम्नलिखित हैं :-

नाइट्रोजन (एन)	–	84.87 कि.ग्रा.
फास्फोरस (पी)	–	41.26 कि.ग्रा.
पोटास (के)	–	18.07 कि.ग्रा.

(ख) और (ग) उर्वरकों की प्रति हैक्टेयर खपत दर्शाने वाला राज्यवार विवरण संलग्न है।

(घ) उर्वरकों की खपत विभिन्न कारकों जैसे सिंचाई सुविधाओं, ऋण की उपलब्धता और नेटवर्क विस्तार पर निर्भर करता है।

विवरण

उर्वरक की किलोग्राम/प्रति हैक्टेयर राज्यवार खपत

क्र.सं	राज्य	प्रति हैक्टेयर खपत कि.ग्रा. में
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	252.84
2.	कर्नाटक	170.64
3.	केरल	105.21
4.	तमिलनाडु	211.06
5.	पुडुचेरी	890.30
6.	अंडमान	50.56
7.	लक्षद्वीप	00.00
8.	गुजरात	167.59
9.	मध्य प्रदेश	90.42
10.	छत्तीसगढ़	98.92
11.	महाराष्ट्र	156.29
12.	राजस्थान	57.91

1	2	3
13.	गोवा	44.46
14.	दमन और दीव	122.00
15.	दादरा नगर हवेली	47.41
16.	हरियाणा	209.38
17.	पंजाब	241.60
18.	उत्तर प्रदेश	168.99
19.	उत्तराखंड	132.04
20.	हिमाचल प्रदेश	58.90
21.	जम्मू और कश्मीर	106.66
22.	दिल्ली	9.77
23.	चंडीगढ़	00.00
24.	बिहार	173.49
25.	झारखंड	74.72
26.	ओडिसा	59.29
27.	पश्चिम बंगाल	160.36
28.	असम	69.54
29.	त्रिपुरा	54.03
30.	मणिपुर	27.54
31.	मेघालय	14.93
32.	नागालैंड	3.53
33.	अरुणाचल प्रदेश	3.01
34.	मिजोरम	58.95
35.	सिक्किम	0.00
	अखिल भारत कुल	144.14

[हिन्दी]

अनुसूचित क्षेत्रों में नगरपालिकाओं का विस्तार

3169. श्री विट्ठलभाई हंसराजभाई रादड़िया:
कुमारी मीनाक्षी नटराजन:
श्री भूपेन्द्र सिंह:
श्री मनसुखभाई डी. वसावा:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित क्षेत्रों में स्थानीय निकायों के लिए पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम की तर्ज पर अनुसूचित क्षेत्रों में नगरपालिकाओं के विस्तार को अधिनियमित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान नगर निगमों को सहायता प्रदान करने हेतु विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) उनमें से कितने प्रस्तावों को अनुमोदित कर दिया गया है और कितने प्रस्ताव अभी भी अनुमोदन के लिए लंबित पड़े हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) लंबित प्रस्तावों को कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है; और

(च) उक्त अवधि और चालू वर्ष के दौरान इसके अंतर्गत आबंटित और जारी की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभापटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

ग्रामीण गोदाम योजना

3170. श्री पुलीन बिहारी बासके :
श्री विष्णु देव साय :

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल :
क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण गोदाम योजना के अंतर्गत गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश के विभिन्न राज्यों को प्रदान की गई निधियों/राजसहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों में कितनी संख्या में ग्रामीण गोदामों का निमाण किया गया;

(ग) इन गोदामों से कितने किसान लाभान्वित हुए हैं;

(घ) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है और ऐसे कार्यों की संख्या कितनी है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन गोदामों के निर्माण हेतु छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और झारखंड राज्य सरकारों द्वारा केन्द्र सरकार को भेजे गए और लंबित पड़े प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण गोदाम स्कीम के अन्तर्गत ग्रामीण गोदामों की संरचना के लिए प्रदान की गई राज सहायता का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान ग्रामीण गोदाम स्कीम के अन्तर्गत ग्रामीण गोदामों की संरचना का राज्य वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) स्कीम के अन्तर्गत संस्वीकृत 25682 गोदामों में से 80% से अधिक गोदामों की संरचना किसानों द्वारा की गयी।

(घ) मांग के अनुसार ग्रामीण गोदाम के लिए परियोजना की संस्वीकृति एक लगातार प्रक्रिया है। ऋण की प्रथम किस्त के वितरण की तारीख से परियोजना की पूर्णता के लिए स्कीम हेतु परिचालनात्मक दिशा निर्देशों के रूप में 15 माह की समय सीमा निर्धारित है जिसे छह महीने आगे के लिए बढ़ाया जा सकता है।

(ङ) स्कीम के अन्तर्गत प्रस्तावों को बैंकों में प्रस्तुत किया गया है। स्कीम ऋण से संबंधित है और परियोजना कार्यान्वित हैं और निधियां नाबार्ड/एन सी डी सी के माध्यम से निर्मुक्त की गई हैं।

विवरण-I

ग्रामीण गोदाम योजना

(गत तीन वर्ष और चालू वर्ष के दौरान स्थिति-वित्तीय)

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य	निर्मुक्त राज सहायता			
		2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 (अक्टूबर तक, 11)
1	2	3	4	5	6
1	आन्ध्र प्रदेश	361.787	743.79	604.5381	2149.435
2	अरूणाचल प्रदेश	0	0	.0	0
3	असम	298.748	176.882	124.5728	78.7177
4	बिहार	152.693	131.8875	96.0915	73.6315
5	छत्तीसगढ़	91.429	209.285	147.673	260.753

1	2	3	4	5	6
6	गुजरात	889.3691	827.8289	1556.2393	1187.5432
7	हरियाणा	464.6996	1062.012	1632.6383	826.484
8	हिमाचल प्रदेश	2.1963	2.9726	0	0
9	जम्मू-कश्मीर	0	0.833	8.85	0
10	झारखंड	0	2.041	0	7.142
11	कर्नाटक	414.3918	676.5377	785.8758	949.4459
12	केरल	26.4756	27.7177	23.2623	17.4662
13	मध्य प्रदेश	2141.077	1175.799	508.2957	676.496
14	महाराष्ट्र	658.8875	543.2415	1453.9525	1706.067
15	मेघालय	0.0035	5.8026	32.985	0
16	मिजोरम	0	2.5198	0	0
17	ओडिसा	133.3077	142.2336	58.4154	53.574
18	पंजाब	0	0.6255	0.9808	3.125
19	राजस्थान	234.342	296.679	367.7069	225.718
20	तमिलनाडु	269.3545	253.1149	121.9735	182.8455
21	उत्तर प्रदेश	146.3435	308.7113	385.1547	186.806
22	उत्तराखण्ड	67.8	92.263	193.058	260.081
23	पश्चिम बंगाल	290.3449	326.6222	201.7328	228.431
	कुल	6643.25	7009.398	8303.9964	9073.762

विवरण-II

गत तीन वर्ष और चालू वर्ष में पूर्ण किए गये ग्रामीण गोदाम

क्र.सं.	राज्य	2008-09		2009-10		2010-11		2011-12 (30 जून 2011 तक)	
		संख्या	क्षमता मि. ट. में	संख्या	क्षमता मि. ट. में	संख्या	क्षमता मि. ट. में	संख्या	क्षमता मि.ट. में
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	78	177850	18	77431	91	349394	28	115073
3.	असम	13	14640	17	40305	12	44804	4	25903

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	बिहार	260	28696	105	9024	0	0	0	0
5.	छत्तीसगढ़	35	84802	19	27535	25	59458	0	0
6.	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	990	242828	909	264519	813	180864	240	52457
8.	हरियाणा	313	133953	28	174472	46	1453364	3	15890
9.	हिमाचल प्रदेश	1	100	5	1769	01	116	2	735
10.	झारखंड	0	0	4	3698	0	0	0	0
11.	कर्नाटक	296	167546	233	150176	447	364523	234	117000
12.	केरल	14	15227	3	850	01	1004	0	0
13.	मध्य प्रदेश	284	690000	225	540000	86	257000	5	13000
14.	महाराष्ट्र	273	315793	235	280859	175	228938	32	47510
15.	मेघालय	0	0	1	731	2	1060	0	0
16.	मिजोरम	0	0	0	0	1	302	0	0
17.	ओडिशा	14	22502	24	38456	17	25743	7	990
18.	पंजाब	0	0	2	233	4	11160	1	4500
19.	राजस्थान	212	132951	122	60833	75	83129	3	1649
20.	तमिलनाडु	198	155639	24	82829	16	65906	0	0
21.	उत्तर प्रदेश	75	203226	17	51465	20	32052	13	44306
22.	उत्तराखंड	31	48507	14	40559	15	24042	5	25115
23.	पश्चिम बंगाल	158	71180	60	44838	95	70484	14	17900
	कुल	3245	2505440	2065	1890582	1942	3253343	591	482028

[हिन्दी]

जेल में विचाराधीन कैदी

3171. **श्री रमेश बैस:**

श्री अब्दुल रहमान:

डॉ. विनय कुमार पाण्डेय:

श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ला:

श्री ओम प्रकाश यादव:

श्री कपिल मुनि करवारिया:

श्री हरि मांझी:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश की विभिन्न जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों की संख्या कितनी है और उन्हें प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश के विभिन्न राज्यों में अनेक कैदी ऐसे हैं जिनके विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज किया गया था परंतु अनेक वर्षों से मामले में कोई जाँच नहीं की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) निर्धारित अधिकतम सजा अवधि की अधिकांश अवधि पूरी कर चुके विचाराधीन कैदियों को रिहा करने और सजा अवधि पूरी होने के तत्काल पश्चात कैदियों की रिहाई हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं; और

(ङ) लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह) : (क) से (ग) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एन सी आर बी) द्वारा समेकित आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2009 के अंत तक देश में विभिन्न जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों की कुल संख्या 250204 थी। ''कारागार'' भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की प्रविष्टि संख्या 4 के अनुसार राज्य का विषय है। अतः कारागारों के प्रशासन एवं प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेवारी राज्य सरकारों की है।

(घ) और (ङ) भारत सरकार ने अत्यधिक भीड़/विचाराधीन कैदियों की संख्या को कम करने तथा विचारणाधीन अवधि को भी घटाने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। इनमें से कुछ उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:–

(i) एक नई धारा अर्थात् 436 क को शामिल करके दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में संशोधन,

(ii) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 436(1) में संशोधन,

(iii) लम्बी अवधि से लंबित मामलों के निपटान के लिए फास्ट ट्रैक कोर्टों की स्थापना,

(iv) अभिवाक सौदा की योजना शुरू करना,

(v) जेलों में लोक अदालत का आयोजन, तथा

(vi) कारागारों में अधिक भीड़ के दबाव को कम करने के लिए कारागारों की आधुनिकीकरण योजना।

[अनुवाद]

ग्रामीण खेल कार्यक्रम

3172. श्री अनंत कुमार :
श्री राम सिंह राठवा :

क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण खेल कार्यक्रम के अंतर्गत चलाई जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है और उक्त कार्यक्रम को किन एजेंसियों के माध्यम से चलाया जा रहा है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान गुजरात सहित देश में उक्त ग्रामीण कार्यक्रम आयोजित करने हेतु सरकार द्वारा आवंटित/जारी की गई निधियों का ब्यौरा क्या है और उन एजेंसियों के नाम का राज्य–वार ब्यौरा क्या है जिनके माध्यम से निधियों का आबंटन किया गया है;

(ग) उक्त कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु निधियों के आवंटन का मानदंड क्या है और उक्त अवधि के दौरान राज्य सरकारों द्वारा उपयोग की गई निधियों का राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार इस कार्यक्रम के मानकों में संशोधन करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) पंचायत युवा क्रीड़ा और अभियान (पायका) योजना राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के तहत देश भर की सभी ग्राम तथा ब्लॉक पंचायतों में चरणबद्ध पद्धति से खेल–मैदानों का विकास किया जाता है। इसके अतिरिक्त, नेहरू युवा केन्द्र (एनवाईकेएस) समेत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से ब्लॉक, जिला और राष्ट्रीय स्तर प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। राष्ट्रीय स्तर प्रतियोगिताएं भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई) के माध्यम से आयोजित की जाती हैं।

(ख) पायका योजना के तहत एनवाईके, एस समेत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वर्ष 2008–09 से 2011–12 (31 अक्तूबर, 2011 तक) खेल–मैदानों के विकास तथा वार्षिक

प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु 682.95 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई हैं राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I और II पर दिया गया है।

(ग) योजना के फंडिंग नार्म्स के अनुसार तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पूर्ण रूप से प्रस्तुत प्रस्तावों पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता-अनुदान जारी किया जाता है। फंडिंग नार्म्स का ब्यौरा संलग्न विवरण-III पर दिया गया है। राज्य सरकारों द्वारा फंड की उपयोगिता संबंधी पिछले तीन वर्षों (2008-09 से 2010-11) का ब्यौरा संलग्न विवरण-IV में दिया गया है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

पायका योजना के अंतर्गत वर्ष 2008-09 से 2011-12 (31 अक्तूबर 2011 तक) ग्राम/ब्लॉक पंचायतों में खेल-मैदानों के विकास के लिए राज्य-वार जारी की गई निधि

क्रम सं.	राज्य का नाम	जारी की गई निधि				(करोड़ रुपए में)
		2008-2009	2009-2010	2010-2011	2011-2012 (31 अक्तूबर 2011 तक)	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	12.99	12.99	25.98	25.98	77.94
2.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	4.44	10.51	शून्य	14.95
3.	असम	शून्य	3.85	शून्य	शून्य	3.85
4.	बिहार	5.22	5.02	शून्य	शून्य	10.24
5.	छत्तीसगढ़	शून्य	5.06	शून्य	शून्य	5.06
6.	गोवा	शून्य	0.18	शून्य	शून्य	0.18
7.	गुजरात	शून्य	7.10	02.55	शून्य	9.65
8.	हरियाणा	3.26	3.25	14.43	शून्य	20.94
9.	हिमाचल प्रदेश	2.01	2.01	8.80	शून्य	12.82
10.	जम्मू और कश्मीर	2.66	2.10	शून्य	शून्य	4.76
11.	झारखंड	शून्य	2.39	शून्य	शून्य	2.39
12.	कर्नाटक	शून्य	3.12	14.86	शून्य	17.98
13.	केरल	0.80	0.80	11.17	शून्य	12.77
14	मध्य प्रदेश	11.82	शून्य	शून्य	29.73	41.55
15.	महाराष्ट्र	8.91	4.86	41.94	शून्य	55.71
16.	मणिपुर	शून्य	1.06	01.19	शून्य	2.25
17.	मेघालय	0.87	शून्य	शून्य	शून्य	0.87

1	2	3	4	5	6	7
18.	मिजोरम	0.85	0.21	02.27	2.07	5.4
19.	नागालैंड	1.18	0.30	02.96	4.44	8.88
20.	ओडिसा	3.67	8.05	05.98	7.34	25.04
21.	पंजाब	6.27	6.27	26.66	शून्य	39.2
22.	राजस्थान	3.71	4.72	शून्य	शून्य	8.43
23.	सिक्किम	0.54	0.13	2.02	शून्य	2.69
24.	तमिलनाडु	5.00	1.91	शून्य	शून्य	6.91
25.	त्रिपुरा	1.09	शून्य	03.24	शून्य	4.33
26.	उत्तर प्रदेश	10.00	16.96	62.27	18.39	107.62
27.	उत्तराखंड	3.00	5.90	19.43	शून्य	28.33
28.	पश्चिम बंगाल	शून्य	2.32	02.32	शून्य	4.64
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	शून्य	शून्य	01.06	शून्य	1.06
30.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	00.51	शून्य	0.51
31.	पुडुचेरी	शून्य	शून्य	00.69	शून्य	0.69
	कुल	83.85	105.00	260.84	87.95	537.64

विवरण-II

वर्ष 2008-09 से 2011-12 (31 अक्तूबर तक) पायका योजना के अंतर्गत वार्षिक प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु राज्य-वार जारी की गई निधि

क्रम सं	राज्य/क्षेत्र राज्य का नाम	जारी की गई निधि				(करोड़ रुपए में)
		2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 (31 अक्तूबर 2011 तक)	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	0.78	0.95	11.26	शून्य	12.99
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.93	शून्य	2.05	शून्य	2.98
3.	असम	1.88	शून्य	3.34	शून्य	5.22
4.	बिहार	शून्य	3.42	6.19	शून्य	9.61
5.	छत्तीसगढ़	शून्य	1.17	2.01	2.23	5.41

1	2	3	4	5	6	7
6.	गोवा	शून्य	शून्य	0.26	शून्य	0.26
7.	गुजरात	शून्य	शून्य	2.69	शून्य	2.69
8.	हरियाणा	शून्य	1.10	1.81	1.59	4.5
9.	हिमाचल प्रदेश	शून्य	0.70	1.33	1.24	3.27
10.	जम्मू और कश्मीर	शून्य	शून्य	2.10	शून्य	2.10
11.	झारखंड	शून्य	शून्य	3.16	शून्य	3.16
12.	कर्नाटक	शून्य	1.42	2.94	2.17	6.53
13.	केरल	शून्य	शून्य	1.32	0.23	1.55
14.	मध्य प्रदेश	शून्य	2.64	4.79	4.91	12.34
15.	महाराष्ट्र	शून्य	शून्य	4.36	शून्य	4.36
16.	मणिपुर	शून्य	शून्य	0.79	0.08	0.87
17.	मेघालय	शून्य	0.47	शून्य	शून्य	0.47
18.	मिजोरम	शून्य	0.37	0.71	शून्य	1.08
19.	नागालैंड	शून्य	0.56	0.13	शून्य	0.69
20.	ओडिसा	शून्य	2.11	4.27	शून्य	6.38
21.	पंजाब	1.97	1.18	1.85	2.1	7.10
22.	राजस्थान	शून्य	1.93	शून्य	0.46	2.39
23.	सिक्किम	शून्य	0.32	शून्य	1.12	1.44
24.	तमिलनाडु	शून्य	2.63	5.10	शून्य	7.73
25.	त्रिपुरा	0.37	0.36	0.78	0.7	2.21
26.	उत्तर प्रदेश	शून्य	2.55	9.47	8.2	20.22
27.	उत्तराखंड	शून्य	1.03	1.47	1.39	3.89
28.	पश्चिम बंगाल	शून्य	शून्य	3.31	शून्य	3.31
29.	संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़	शून्य	शून्य	0.03	शून्य	0.03
30.	एनवाईकेएस को 25 जिलों में ग्रामीण आयोजन हेतु	शून्य	शून्य	3.22	शून्य	3.22
	कुल	5.93	24.91	80.74	26.42	138
31.	एनवाईके एस को 626 जिलों में अंतः विद्यालय प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु			7.31		7.31

नोट : प्रतियोगिताओं के लिए जारी की गई निधि में वर्ष 2010–11 की ग्रामीण, महिला तथा अंतःविद्यालय प्रतियोगिताएं तथा वर्ष 2011–12 की ग्रामीण तथा महिला प्रतियोगिताएं शामिल हैं।

विवरण–III

पायका योजना के अंतर्गत फंडिंग पैटर्न

(क) खेल–मैदानों के विकास हेतु अनुदान :

क्रम सं.	अवयव	ग्राम पंचायत	ब्लॉक पंचायत
1	खेल–अवसंरचना के विकास हेतु एक बार पूंजीगत अनुदान (केन्द्र और राज्य सरकार के बीच 75:25 आधा; विशेष श्रेणी के राज्यों/उत्तर–पूर्वी राज्यों के मामलों में 90:10 आधार)	1 लाख रुपये	20,000/– रुपये
100 प्रतिशत केन्द्रीय अनुदान			
2.	05 वर्षो की अवधि हेतु खेल उपस्करों, उपकरणों, खेल साज–सामान आदि की खरीद हेतु वार्षिक अर्जन अनुदान।	10,000/– रुपये	20,000/– रुपये
3.	मरम्मत/अवसंरचना के रख–रखाव पर खर्च करने समेत प्रचालन खर्चो हेतु 5 वर्ष की अवधि के लिए वार्षिक प्रचालन अनुदान।	12,000/: रुपये	24,000/– रुपये

(ख) ग्रामीण प्रतियोगिताएं (100 प्रतिशत केन्द्रीय अनुदान)

क्रम सं.	प्रतियोगिताओं का स्तर	फंडिंग नार्मस
1.	ब्लाक स्तरीय प्रतियोगिताएं	50,000/– रुपये, 10,000/– रुपये प्रति विधा के हिसाब से 5 विधाओं के लिए 45,000/– रुपये पुरस्कार राशि।
2.	जिला स्तरीय प्रतियोगिताएं	2 लाख रुपये, 20,000/– रुपये प्रति विधा के हिसाब से 10 विधाओं के लिए 90,000/– रुपये पुरस्कार राशि।
3.	राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं	राज्य के लिए 10 लाख रुपये 1 लाख रुपये प्रति विधा के हिसाब से 10 विधाओं के लिए। संघ राज्य क्षेत्र के लिए 5 लाख रुपये, 50,000/– रुपये प्रति विधा की दर से 10 विधाओं के लिए।
4.	राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिताएं	राज्य की मेजवानी हेतु 70 लाख रुपये 3.50 लाख प्रति विधा, 20 विधाओं के लिए)

विवरण–IV

वर्ष 2008–09 से 2010–11 (31 अक्तूबर 2011 को बताई स्थिति) की अवधि हेतु पायका योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा उपयोगिता संबंधी राज्य–वार ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2008–09 से 2010–11 की अवधि हेतु राज्यों/संघ राज्यों द्वारा निधि की उपयोगिता		
		खेल–मैदानों का विकास	वाषिक प्रतियोगिता,	कुल
1	2	3	4	5
1	आन्ध्र प्रदेश	51.96	1.73	53.69

1	2	3	4	5
2	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	0.93	0.93
3	असम	शून्य	1.87	1.87
4	बिहार	शून्य	3.42	3.42
5	छत्तीसगढ़	शून्य	3.18	3.18
6	गोवा	शून्य	शून्य	शून्य
7	गुजरात	9.65	शून्य	9.65
8	हरियाणा	10.75	2.91	13.66
9	हिमाचल प्रदेश	9.54	2.03	11.57
10	जम्मू और कश्मीर	2.66	शून्य	2.66
11	झारखंड	2.39	शून्य	2.39
12	कर्नाटक	6.23	4.36	10.59
13	केरल	0.8	शून्य	0.8
14	मध्य प्रदेश	11.82	7.43	19.25
15	महाराष्ट्र	8.91	4.36	13.27
16	मणिपुर	0.87	0.47	1.34
17	मेघालय	शून्य	0.79	0.79
18	मिजोरम	3.15	0.95	4.1
19	नागालैंड	4.44	0.69	5.13
20	ओडिसा	17.7	6.38	24.08
21	पंजाब	6.27	5	11.27
22	राजस्थान	शून्य	1.93	1.93
23	सिक्किम	2.69	0.32	3.01
24	तमिलनाडु	शून्य	7.73	7.73
25	त्रिपुरा	1.36	1.51	2.87
26	उत्तर प्रदेश	53.9	12.02	65.92
27	उत्तराखंड	8.89	2.5	11.39
28	पश्चिम बंगाल	2.32	शून्य	2.32
	कुल	216.3	72.51	288.1

[हिन्दी]

गैर-सरकारी संगठनों को निधियां

3173. श्रीमती रमा देवी:

श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी:

क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खेल और युवा गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) को सहायता राशि/धनराशि उपलब्ध कराए जाने में बिहार तथा अन्य राज्यों के साथ भेदभाव किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) क्या कुछ गैर-सरकारी संगठनों ने अपने उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इनके कारण क्या हैं और इस संबंध में एन.जी.ओ.-वार/राज्य-वार क्या कार्रवाई की गई है?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) भारत सरकार दो योजनाएं नामतः युवा और किशोर विकास (एनपीवाईएडी) के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम और अशक्त व्यक्तियों के लिए खेल-कूद योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है जिसके अन्तर्गत खेलों के संवर्धन और युवा गतिविधियों के लिए विभिन्न गैर सरकारी संगठनों को निधियां जारी की गई हैं। गैर सरकारी संगठनों को दर्शाने वाला वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है, जिन्होंने गत तीन वर्षों के दौरान जारी किए गए अनुदानों के उपयोग प्रमाण पत्र अभी तक प्रस्तुत नहीं किये हैं। वर्ष 2011-12 के दौरान जारी किये गये अनुदान का उपयोग प्रमाण पत्र देय नहीं हुआ है। उपयोग प्रमाण पत्र को समय पर प्रस्तुत करने को सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है और यथा समय लेखों को समायोजित करने के लिए वर्तमान नियमों के अनुसार कार्रवाई की गई है।

विवरण

गैर-सरकारी संगठनों को वर्ष 2008-09 के दौरान जारी निधियों का ब्यौरा 2008-09

क्र.सं.	संगठन का नाम	बकाया राशि (रुपयों में)
1	2	3
	2008-09	
गुजरात		
1.	श्री गुरूदेव खादी सेवा संघ, गांव एवं डाकखाना-गांधी नगर, तालुका गांधी नगर, सेक्टर-6, गुजरात-382006	1,19,000/-
2.	वी0एन0 पटेल ग्राम विकास ट्रस्ट, 402, सपना अपार्टमेन्ट, आदर्श हाई स्कूल रोड कोमर, डाकघर-पटान, गुजरात-384265	2,13,500/-
3.	नैसर्गिक ट्रस्ट, पलानपुर-गांव, फ्लानपुर, जिला-बनाशकान्था, गुजरात-385001	96,500/-
4.	पूज्या महात्मा गांधी रावत सेवा ट्रस्ट, गांव एवं डाकघर-मण्डाली, जिला-महेशाना, गुजरात-384130	1,09,000/-
5.	सार्वजनिक विकास परिषद, गांव-कालो, जिला-गांधी नगर, गुजरात-382721	32,500/-
असम		
6.	जनकल्याण खादी ग्रामोद्योग युनायन अल्कापुर जरबेरी, अलीखुची, मोरी गांव, असम	29,500/-

1	2	3
पश्चिम बंगाल		
7.	हिन्दुस्तान पार्क सोसल केयर फाउंडेशन, 51–हिन्दुस्तान पार्क, पो.बा. नं. 16290, कोलकाता	32,500/–
महाराष्ट्र	**2009–10**	
8.	साहिद्री ग्रामीण विकास व बहुउद्देशीय युवक कल्याण संस्था, जिला–नागपुर	32,500/–
9.	प्रगती महिला मण्डला, जिला–लातूर	64,000/–
10.	जन सेवा एजुकेशन सोसाइटी, जिला–लातूर	64,000/–
पश्चिम बंगाल		
11.	कम्यूनिटी सोसल वर्क, रविन्द्रपाली, 24 परगना नार्थ	64,000/–
12.	हरीपुर डॉ. अम्बेडकर सेवा मिशन, नवग्राम, मुर्शिदाबाद	1,76,875/–
13.	दिपालिया, ए.के. पोल रोड, कोलकाता	64,000/–
14.	सोहान, श्याम बाजार, जिला कोलकाता	65,000/–
15.	दुरबचकारी पीपल वेलफेयर एसोसिएशन, जिला पूर्वा मैदनीपुर	64,000/–
16.	दम दमा मानव कल्याण आश्रम (डीएमकेए), जिला पश्चिम 24 परगना	86,500/–
17.	उदयपुर निवेदिता महिला समिति, जिला पश्चिम 24 परगना	65,000/–
तमिलनाडु		
18.	गांधी ग्राम रूरल इनस्टीटयूट, जिला दिन्दीगुल	86,500/–
मणिपुर		
19.	हुयेल लंगलोन थांग–टी ए एसोसिएशन, जिला–इम्फाल वेस्ट	1,46,250/–
हिमाचल प्रदेश		
20.	एमडीवी, जीवन सेवा संस्था, जिला–सोलन	1,19,000/–
असम		
21.	इनस्टीटयूट ऑफ मेनेजमेंट रिसोर्स डिवलोपमेंट, जीएनबी रोड, जिला–नागोन	1,14,000/–
22.	प्रहार, जिला बी एम रोड, नागोन	1,46,000/–
23.	संकल्पा जिला सिवासगर	64,000/–
24.	एटीए भवकुमारी सोसाईटी डिवलोपमेंट एसोसिएशन, जिला बरपेटा	86,500/–
नागालैंड		
25.	ट्राइबल फार्मस एसोसिएशन, नगवाला, जिला परेन	64,000/–

1	2	3
दिल्ली	**2010–11**	
26.	नेशनल युथ प्रोजक्ट, नई दिल्ली	25,00,000/–
27.	राजयोगा फाउंडेशन फार एजुकेशन एंड रिसर्च, नई दिल्ली	5,75,000/–
28.	एसोसिएशन ऑफ इंडियन युनिर्वसिटी, नई दिल्ली	27,09,500/–
29.	उर्वी विक्रम चेरिटेबल ट्रस्ट, नई दिल्ली	5,00,000/–
30.	उमराव सिंह एजुकेशन सोसाईटी–कोशीस स्पेशल स्कूल, कड़कड़डूमा नई दिल्ली	2,30,250/–
31.	एनडीएमसी फार अनचल स्पेशल स्कूल, चानक्यपुरी, नई दिल्ली	2,36,250/–
आंध्र प्रदेश		
32.	गर्वमेंट रेजिडेन्सियल स्कूल फार द दीफ अवनाथीपुरम (वी) पोक्ट अमरूथ नगर, मिरयालगुडा, जिला नालगोंडा, आन्ध्र प्रदेश–508207	2,36,250/–
बिहार		
33.	अनुराग नारायन कालेज, बोरिंग रोड, जिला–पटना	1,50,000/–
हिमाचल प्रदेश		
34.	अटल बिहारी वाजपेई इन्सिटीट्यूट आफ माउन्टैरिंग एण्ड अलाईड स्पोर्ट, मनाली	7,50,000/–
ओडिसा		
35.	महासबीर ट्रैनिंग एंड रिसर्च सेन्टर–महाबीर स्कूल फार द डीफ एण्ड डम्प, ईच्छापुर, भाद्रक, उड़ीसा	2,36,250/–
राजस्थान		
36.	फाउन्डेशन आफ एजुकेशन एंड डिपलोपमेंट, जयपुर	22,80,000/–
तमिलनाडू		
37.	कलरफुल चिल्ड्रन, संत अन्नेज स्कूल फार द डिफेरेन्टली एबलड चिल्ड्रन, त्रिये मेन रोड, नालूर नामकल, तमिलनाडु–637020	2,36,250/–

[अनुवाद]

अनुसूचित जातियों की कृषि भूमि

3174. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षो के दौरान अखिल भारत स्तर पर अनुसूचित जातियों को वितरित भूमि का ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने सहित उनकी भूमि को कृषि की दृष्टि से उन्नत बनाने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (*श्री हरीश रावत*) : (क) कृषि मंत्रालय अनुसूचित जातियों (अ. जा.) के बीच भूमि के वितरण पर कोई डाटा बेस का रख रखाव नहीं करता है।

(ख) कृषि मंत्रालय ने पूरे देश में सतत खाद्य सुरखा बनाये रखने के लिए कृषि भूमियों के सम्पूर्ण विकास के लिए

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम), राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम), राष्ट्रीय लघु सिंचाई मिशन (एनएमएमआई) और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर केवीवाई) के अन्तर्गत विभिन्न कार्यों के कार्यान्वयन में तेजी लायी है। इसके अलावा कृषि भूमि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए कृषि मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा विभिन्न पनधारा विकास कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं। साथ ही जल संसाधन मंत्रालय सिंचाई सुविधा बढ़ाने के लिए बहुत से स्कीमों/कार्यक्रमों नामतः त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए आई वी पी), कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम (सी ए डी डब्ल्यू एम), जल निकायों का मरम्मत, नवीनीकरण और पुनःस्थापन आदि का कार्यान्वयन कर रहा है।

इन मिशनों/कार्यक्रमों/स्कीमों के अन्तर्गत कार्यक्रम का लक्ष्य अनुसूचित जातियों सहित सभी वर्गों के किसानों से संबंधित भूमि है।

[हिन्दी]

दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम

3175. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम की धारा 33 में संशोधन करने और धारा 33 में आठ मानक एकड़ भूमि को ढाई एकड़ भूमि द्वारा प्रतिस्थापित करने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) किसानों के हितों में यह उपर्युक्त संशोधन कब तक किए जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय) : (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) ने सूचित किया है कि उन्हें दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम की धारा 33 में सुधार करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (घ) उपरोक्त (क) के उत्तर आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

प्रसार भारती में रिक्त पद

3176. श्री महेश्वर हजारी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश भर में प्रसार भारती में विभिन्न श्रेणियों में कितने पद रिक्त पड़े हैं और इसके क्या कारण हैं तथा उक्त पद कब से रिक्त पड़े हैं;

(ख) क्या कर्मचारियों की कमी के कारण प्रसार भारती का कार्यकरण प्रभावित हो रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) रिक्त पदों को भरने हेतु अभी तक सरकार/प्रसार भारती द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चौधरी मोहन जतुआ) : (क) आकाशवाणी में 8469 पद और दूरदर्शन में 5555 पद रिक्त हैं। ये रिक्तियां सेवा-निवृत्त होने, त्यागपत्र देने और मृत्यु होने के कारण उत्पन्न हुई हैं। वर्ष 1997 में एक स्वायत्तशासी निगम के रूप में प्रसार भारती की स्थापना होने के समय से लेकर अब तक विशेषकर समूह क में सीधी भर्ती की रिक्तियों को अभी तक भरा नहीं जा सका है।

(ख) और (ग) स्टाफ की कमी के कारण प्रसार भारती के कार्यकरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

(घ) प्रभार भारती में कर्मचारियों की भर्ती करने के लिए प्रसार भारती भर्ती बोर्ड की स्थापना करने संबंधी प्रस्ताव तथा प्रसार भारती के कर्मचारियों के संबंध में भर्ती विनियम तैयार करने संबंधी प्रस्ताव पर अंतर-मंत्रालयीय परामर्श चल रहा है। इन प्रस्तावों का अनुमोदन होने के पश्चात प्रसार भारती में भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। पदोन्नति-कोटा के अंतर्गत आने वाली रिक्तियों को समय-समय पर विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें आयोजित करके भरा जाता है, जोकि एक सतत प्रक्रिया है।

सांस्कृतिक विकास हेतु निधियां

3177. श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संस्कृति मंत्रालय ने सांस्कृतिक विकास और सांस्कृतिक महोत्सव और कार्यक्रम आयोजित करने हेतु गैर-सरकारी संगठनों को निधियां प्रदान की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त प्रयोजन हेतु बिहार सहित विभिन्न राज्यों/

गैर–सरकारी संगठनों से केन्द्र सरकार को प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न गैर–सरकारी संगठनों को प्रदान की गई राशि का राज्य–वार ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा–पटल पर रख दी जाएगी।

कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना

3178. डॉ. संजय सिंह:

श्री जगदीश सिंह राणा:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश में कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित करने हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे केन्द्र स्थापित किए जाने के लिए स्थानों को चिह्नित कर लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो राज्य–वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत) : (क) जी हां। देश में 67 और कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है जिसमें उत्तर प्रदेश के 3 कृषि विज्ञान केन्द्र भी शामिल है।

(ख) और (ग) नए कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना हेतु जिलों की पहचान कर ली गई है। इसका राज्य–वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

बारहवीं योजनां के दौरान प्रस्तावित नए कृषि विज्ञान केन्द्रों के लिए पहचाने गए जिलों की राज्य–वार संख्या और नाम

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश का नाम	स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित नए कृषि विज्ञान केन्द्रों की संख्या	पहचाने गए जिलों के नाम
1	2	3
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	1. उत्तरी और मध्य अंडमान (मायाबंदर)
आंध्र प्रदेश	4	1. गुंटूर 2. प्रकासम, 3. चित्तूर, 4. कृष्णा
अरुणाचल प्रदेश	3	1. दिबांग घाटी 2. कुरुंग कुमे 3. अंजाव
असम	5	1. मोरीगांव, 2. उत्तरी कछार हिल्स, 3. बोस्का, 4. चिरांग, 5. उदलगुरी
छत्तीसगढ़	3	1. नारायणपुर, 2. बीजापुर 3. रायपुर
दादरा और नगर हवेली	1	1. सिल्वासा
दमन और दीव	2	1. दमन, 2. दीव
गुजरात	2	1. बनासकांठा, 2. राजकोट
हरियाणा	2	1. पंचकुला, 2. मेवात
जम्मू और कश्मीर	9	1. रेसाई 2. साम्बा 3. रामबन 4. किश्तवाड़ 5. गंदरबल 6. कुलगाम 7. बांदीपुर 8. सोपियां 9. लेह

1	2	3
झारखंड	2	1. रामगढ़ 2. खुंटी
कर्नाटक	2	1. चिक्काबाल्लापुर 2. गुलबर्गा
मध्य प्रदेश	1	1. अनूपपुर
महाराष्ट्र	1	1. यवतमाल
मेघालय	2	1. दक्षिण गारो हिल्स, 2. पूर्वी गारो हिल्स
नागालैंड	2	1. पारेन 2. काईफेर
ओडिसा	3	1. मयूरभंज, 2. गंजम, 3. सुंदरगढ़
पुडुचेरी	2	1. माहे, 2. यमन
पंजाब	3	1. तरनतारन 2. बरनाला 3. मोहाली
राजस्थान	10	1. प्रतापगढ़ 2. बाड़मेर 3. नागौर 4. बीकानेर 5. जोधपुर 6. चुरू 7. जयपुर 8. जैसलमेर, 9. अलवर 10. हनुमानगढ़
उत्तर प्रदेश	3	1. श्रावस्ती 2. ज्योतिबाफुलेनगर 3. इलाहाबाद
पश्चिम बंगाल	4	1. पूर्वी मिदनापुर 2. दक्षिण 24 परगना 3. मुर्शिदाबाद 4. वर्धमान
	67	

आवश्यक वस्तुओं के अंतर्गत औषधियां

3179. **श्री अशोक कुमार रावत : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औषधों को आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2005 के अंतर्गत शामिल किया गया है;

(ख) यदि हां, तो केंद्र सरकार ने देश में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर बेचे जाने वाले पेटेंट औषधों की कीमतों पर नियंत्रण रखने हेतु उक्त अधिनियम के अंतर्गत कोई उपबंध किए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं,तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) से (ग) जी हां। औषधियों को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 2क के तहत अनुसूची में शामिल किया गया है। औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 के तहत आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, इसकी प्रथम अनुसूची में यथा-सूचीबद्ध थोक औषधियों के मूल्यों का निर्धारण अथवा संशोधन करता है।

[अनुवाद]

एफ.पी.आई. में रोजगार के अवसर

3180. **श्री सुरेश अंगड़ी : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की नई खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां आरंभ करने और वर्ष, 2015 तक 10 मिलियन रोजगार प्रदान करने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ आरंभ की गई योजना की/की जा रही योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ राज्यों को निर्धारित और आबंटित निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत) : (क) और (ख) जी नहीं महोदया। सरकार कोई खाद्य प्रसंस्करण यूनिट शुरू करने की योजना नहीं बना रही है। तथापि, मंत्रालय अपनी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण योजना स्कीम के अंतर्गत देश में नई खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना तथा विद्यमान यूनिटों के प्रौद्योगिकीय उन्नयन और विस्तार हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है। मंत्रालय उद्यमियों को प्रति परियोजना संयंत्र एवं मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यो की कुल लागत की सामान्य क्षेत्रों में 25% की दर से परन्तु अधिकतम 50 लाख रुपए और दुर्गम क्षेत्रों में 33.33% की दर से परन्तु अधिकतम 75 लाख रुपए की अनुदान सहायता के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है जो रोजगार अवसरों के सृजन में भी सहायता करते हैं।

(ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित स्कीमें परियोजना उन्मुखी हैं और इसलिए निधियां राज्यवार निर्धारित और आबंटित नहीं की जाती हैं।

खेल पुरस्कार

3181. **श्री नवीन जिंदल** : क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खेलों के लिए उपहार और नकद की घोषणा को विनियमित करने की कोई वर्तमान नीति है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार ऐसी कोई नीति बनाने का है ताकि विभिन्न खेलों के खिलाड़ियों/दलों को समान रूप से पुरस्कार दिया जाए एवं उनमें असंतोष की भावना न पनपे, जैसा कि एशियाई हॉकी चैम्पियनशिप जीतने वाले हॉकी खिलाड़ियों में हाल ही में देखा गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) से (ङ) खिलाड़ियों तो प्रशिक्षकों को नकद अवॉर्ड देने हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में पदक विजेता खिलाड़ियों तथा उनके प्रशिक्षकों को विशेष अवॉर्ड योजना नामक एक योजना पहले से ही मौजूद है।

खिलाड़ियों को निम्न तालिका में वर्णित पुरस्कार धन राशि के अनुसार नकद अवॉर्ड प्रदान किये जाते हैं :–

	प्रतियोगिता का नाम	स्वर्ण पदक/ प्रथम स्थान	रजत पदक/ द्वितीय स्थान	कांस्य पदक/ तृतीय स्थान
	1	2	3	4
(क)	**सीनीयर्स**			
(i)	ओलम्पिक खेल	50 लाख रुपये	30 लाख रुपये	20 लाख रुपये
(ii)	एशियाई खेल/राष्ट्रमण्डल खेल	20 लाख रुपये	10 लाख रुपये	6 लाख रुपये
(ii)	ओलम्पिक खेल, एशियाई खेल, राष्टमण्डल खेल विद्या में विश्व चैम्पियनशिप	10 लाख रुपये	5 लाख रुपये	3 लाख रुपये
	एशियाई चैम्पियनशिप/राष्ट्रमण्डल चैम्पियनशिप	3 लाख रुपये	2 लाख रुपये	1 लाख रुपये
(ख)	**विश्व चैम्पियनशिप (जूनियर तथा सब जूनियर)**			
(i)	जूनियर	2 लाख रुपये	1.50 लाख रुपये	1 लाख रुपये
(ii)	सब जूनियर	1 लाख रुपये	80 हजार रुपये	60 हजार रुपये

1	2	3	4
(ग) एशियाई तथा राष्ट्रमण्डल चैम्पियनशिप (जूनियर तथा सब जूनियर)			
(i) जूनियर	1 लाख रुपये	80 हजार रुपये	60 हजार रुपये
(ii) सब जूनियन	50 हजार रुपये	40 हजार रुपये	30 हजार रुपये

टीम खेलों में पुरस्कार की धनराशि टीम में खिलाड़ियों की संख्या पर आश्रित/निर्भर करती है। तथापि किसी भी मामले में, पदक विजेता टीम के खिलाड़ियों को मिलने वाली धनराशि व्यक्तिगत पदक विजेता को मिलने वाली धनराशि की आधी से कम नहीं होगी।

प्रशिक्षक को प्रदान की जाने वाली पुरस्कार की धनराशि खिलाड़ी को मिलने वाली धनराशि की 52% होगी।

खिलाड़ियों को मिलने वाले पुरस्कार की धनराशि सभी खेल विधाओं में समान होगी।

[हिन्दी]

औषधीय पौधों का न्यूनतम समर्थन मूल्य

3182. **श्री धर्मेन्द्र यादवः**
श्री आनंदराव अडसुलः
श्री गजानन ध. बाबरः
श्री अधलराव पाटील शिवाजीः

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसानों को बड़े पैमाने पर औषधीय पौधों की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए उनका न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) निर्धारित करने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) यदि खुले बाजार में कीमतें एमएसपी से नीचे गिरती हैं तो क्या सरकार का औषधीय पौधों की खेती और हर्बल मेडिसिन कारपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से औषधीय पौधों की खरीद का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में राज्य सरकारों को क्या दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत) : (क) से (घ) औषधीय पौधों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) के निर्धारण हेतु प्रस्ताव जनजातीय मंत्रालय के विचाराधीन है।

[अनुवाद]

जैव उत्पादन के लिए प्रमाणन

3183. **श्री बी. वाई. राघवेन्द्र :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जैव किसानों को अपने उत्पादों के विपणन के लिए प्रमाण-पत्र लेना होता है;

(ख) यदि हां, तो क्या जैविक खेती करने वाले किसान अपने उत्पादों के विपणन के लिए तीसरे पक्ष द्वारा प्रमाणपत्र दिए जाने के विरुद्ध आंदोलन कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत) : (क) जी हां। विदेश व्यापार एवं विकास अधिनियम (एफटीडीआर) 2001 के अन्तर्गत सूचना के अनुसार अपने उत्पादों के निर्यात के लिए पूर्णतः प्रत्यायित प्रमाणन एजेंसियों से जैविक प्रमाणपत्र प्राप्त करना जैविक किसानों (प्रचालकों) के लिए अनिवार्य है। दिनांक 18 जुलाई 2009 के जैविक कृषि उत्पाद ग्रेडिंग और मार्किंग नियम 2009 के अनुसार घरेलू विपणन में अपने उत्पाद के लिए जैविक प्रमाणपत्र प्राप्त करना जैविक किसानों (प्रचालकों) के लिए स्वैच्छिक है।

(ख) से (घ) सरकार के ध्यान में ऐसा कोई मामला नहीं आया है।

[हिन्दी]

कपास के बीज

3184. **श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण:**
डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी:
क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इसकी जानकारी है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी मोनसांटो ने देश के कपास के बीजों पर अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के बजट के एक बड़े हिस्से का उपयोग मोनसांटो से बीज खरीदने के लिए कर रही है और किसान उक्त कंपनी के बीजों को सामान्य कपास के बीज की तुलना में कहीं अधिक कीमत पर खरीदने के लिए मजबूर हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत) : (क) से (ग) मोसान्टो ने देश में कपास बीजों पर अपना एकाधिकार स्थापित नहीं किया है क्योंकि अन्य संस्थाओं जैसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खडगपुर, नाथ सीड्स एंड चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस, कृषि विज्ञान विद्यालय धारवाड़ और केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर और मेटाहिलक्स द्वारा विकसित कपास बीज का भी पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अन्तर्गत खतरनाक माइक्रो ऑर्गेनिजम/जेनिटिकली इंजीनियर्ड आर्गनिजम अथवा सेल के विनिर्माण, उपयोग/आयात/निर्यात और भंडारण के लिए नियामावली 1989 के प्रावधानों के अनुसार अधिसूचित जेनिटिक इंजीनियरिंग एप्रूवल कमेटी (जीईएसी) द्वारा अनुमोदन किया जाता है।

सरकार मोसान्टो से बीजों की खरीद के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास स्कीम के बजट से कोई खर्च नहीं कर रही है। अन्य कपास बीजों से काफी अधिक मूल्य पर बीज कंपनी के बीज को खरीदने के लिए बाध्य किए जा रहे किसानों का प्रश्न ही नहीं उठता।

किलों की स्थिति

3185. **श्री भूपेन्द्र सिंह** : क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इसकी जानकारी है कि मध्य प्रदेश के सागर क्षेत्र में गढ़पेहरा और राहतगढ़ में स्थित ऐतिहासिक किले जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त किलों के अनुरक्षण और पुनरुद्धार के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का विचार है; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में उक्त किलों के अनुरक्षण और संरक्षण के लिए आबंटित और उपयोग में लाई गई निधियों का ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) और (ख) जी हां। मध्य प्रदेश के सागर क्षेत्र में गढ़पेहरा और राहतगढ़ के ऐतिहासिक किले भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षित स्मारक हैं और भली-भांति परिरक्षित हैं।

(ग) स्मारकों का संरक्षण एक सतत् प्रक्रिया है। मरम्मत की आवश्यकता और संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए इन किलों पर नियमित रूप से संरक्षण कार्य किया जाता है।

(घ) उक्त किलों के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान उपयोग की गई निधि और चालू वित्त वर्ष के लिए आबंटन का ब्यौरा इस प्रकार है :

क्रम सं.	वर्ष	किया गया खर्च/आबंटन (राशि रू. में)
1.	2008-09	1,62,541/-
2.	2009-10	3,00,919/-
3.	2010-11	9,49,038/-
4.	2011-12	6,15,606/- (आबंटन)

[अनुवाद]

टीवी/रेडियो स्टेशनों में रिक्तियां

3186. **श्री हसन खान** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में सीमावर्ती क्षेत्रों में

स्थापित टीवी और रेडियो स्टेशनों में सभी रिक्तियों को भरने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसी रिक्तियों को नियमित आधार पर कब तक भरे जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कार्रवाई की जा रही है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चौधरी मोहन जतुआ) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) प्रसार भारती के लिए भर्ती बोर्ड का गठन करने और भर्ती नियम अधिसूचित करने संबंधी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं। चूंकि इन प्रस्तावों को अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात ही तत्संबंधी प्रक्रिया शुरू हो सकती है, इसलिए कोई समय–सीमा विनिर्दिष्ट नहीं की जा सकती।

सी. डब्ल्यू. जी. फ्लैटों का कब्जा

3187. **श्री ए. गणेशमूर्ति** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रमंडल खेलों के एक वर्ष बीतने के बाद भी राष्ट्रमंडल खेल गांव के लगभग 1000 फ्लैट अभी भी खरीदारों को सुपुर्द किए जाने हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसमें इतने लंबे विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) इन फ्लैटों को कब तक इनके खरीदारों को सुपुर्द किए जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय) : (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने यह सूचित किया है कि चूंकि राष्ट्रमंडल खेल गांव फ्लैटों के लिए पूर्णता प्रमाण–पत्र अभी जारी किया जाना है इसलिए फ्लैटों को सौंपने की कार्रवाई शुरू नहीं की गई है।

(ग) और (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह भी सूचित किया है कि ये फ्लैट निजी विकासक द्वारा सार्वजनिक निजी भागीदारी पद्धति पर निर्मित किए गए हैं। निजी विकासक ने स्वीकृत भवन नक्शों के अतिरिक्त निर्माण कार्य किया है जिसके कारण पूर्णता प्रमाणपत्र जारी करने में विलम्ब हुआ है।

निजी विकासक द्वारा निर्मित ऐसे अतिरिक्त क्षेत्र के लिए बाजार मूल्य पर भुगतान किए जाने के बाद उसके द्वारा निर्मित अतिरिक्त क्षेत्र को नियमित करने हेतु डीडीए से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। डीडीए के प्रस्ताव पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

डी.एम.आर.सी. द्वारा कार्बन क्रेडिट को कम करना

3188. **श्री ई.जी. सुगावनम** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डी.एम.आर.सी.) ने कार्बन क्रेडिट को कम करने में बहुत मदद की है तथा संयुक्त राष्ट्र संघ ने डी.एम.आर.सी. के पहल को अनुप्रमाणित किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय) : (क) जी हां।

(ख) डीएमआरसी ने संयुक्त राष्ट्र के पास "स्वच्छता विकास तंत्र (सीडीएम) परियोजना मेट्रो प्रणाली में अल्प ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन करने वाले रोलिंग स्टाक कार स्थापित करना" नामक डीएमआरसी की प्रथम सीडीएम परियोजना दिनांक 29/12/2007 को यूएनएफसीसीसी के पास पंजीकृत की गई। इस परियोजना से 41000 टन CO_2 के बराबर वार्षिक औसत उत्सर्जन की कमी और कार्बन क्रेडिट की समान संख्या अर्जित होती है। "मेटो दिल्ली, इंडिया" (जिसे माडल शिफ्ट परियोजना भी कहा जाता है) नामक डीएमआरसी की द्वितीय सीडीएम परियोजना दिनांक 30/6/2011 को यूएनएफसीसीसी के पास पंजीकृत की गई। इस परियोजना से 6,09,533 टन CO_2 के बराबर वार्षिक औसत उत्सर्जन की कमी और कार्बन क्रेडिट की समान संख्या अर्जित होती है।

स्टॉक लिमिट को [illegible]नाए रखना

3189. **श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी** : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक** वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चीनी के संबंध में स्टॉक होल्डिंग लिमिट को लागू कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक राज्य विशेषकर आंध्र प्रदेश के उक्त सीमा के अनुपालन की स्थिति क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) केन्द्र सरकार में दिनांक 12–3–2009 की अधिसूचना द्वारा चीनी के मान्यता प्राप्त डीलरों पर स्टाक रखने तथा कारोबारी अवधि के संबंध में सीमाएं लागू की थीं जिन्हें समय-समय पर बढ़ाया गया है। 30–11–2011 के बाद इन सीमाओं को बढ़ाने की जरूरत नहीं समझी गई थी। इस प्रकार फिलहाल चीनी के संबंध में स्टॉक रखने की कोई सीमा नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

असम में संरोध शिविर

3190. श्री बदरूद्दीन अजमल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अवैध विदेशियों/प्रवासियों के लिए असम में बनाए गए संरोध शिविरों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन संरोध शिविरों में अब तक कैम्प-वार भेजे गए ऐसे लोगों की संख्या क्या है;

(ग) वापस भेजे गए ऐसे विदेशियों की संख्या क्या है;

(घ) क्या इस संबंध में बांग्लादेश से कोई विशेष समझौता किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो ऐसे लोगों को बांग्लादेश सरकार द्वारा स्वीकार किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) से (च) असम सरकार ने घोषित विदेशियों/अवैध प्रवासियों को उनके मूल स्थान वापस भेजने तक अपने यहां रखने के लिए गोलपाड़ाए कोकाझार और सिलचर में तीन संरोध-शिविर स्थापित किए हैं। नवम्बर, 2011 तक कुल 362 घोषित विदेशी/अवैध प्रवासी इन संरोध-शिविरों में भेजे गए हैं। संरोध-शिविरों में भेजे गए विदेशियों/अवैध प्रवासियों की संख्या गोलपाड़ा में 221, कोकराझार में 79 और सिलचर में 62 है। इसमें से, 78 व्यक्तियों को नवम्बर, 2011 तक उनके मूल स्थान वापस भेज दिया गया है।

सजा प्राप्त व्यक्तियों के अन्तरण के लिए भारत और बांग्लादेश सरकारों के बीच एक करार हस्ताक्षरित किया गया है, जो 13 जनवरी 2011 से लागू है। घोषित अवैध प्रवासियों को लेने संबंधी मुद्दे को भी बांग्लादेश सरकार के साथ उठाया गया है।

कृषि खाद्य मदों की बर्बादी

3191. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में खाद्य प्रसंस्करण सुविधाओं की संभाव्यता के संबंध में विजन–2015 की तैयारी के लिए कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो विजन–2015 के उद्देश्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में कृषि मदों की बर्बादी का स्तर बहुत अधिक है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अपने विजन–2015 में ऐसी बर्बादी को कम करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत) : (क) और (ख) जी हां महोदया। मंत्रालय ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास की रूपरेखा सुझाने हेतु एक अध्ययन प्रायोजित किया है। मैसर्स राबो बैंक ने अध्ययन कराया है और एक विजन डॉक्यूमेंट अर्थात विजन, 2015 प्रस्तुत किया है जिसमें भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए रणनीति और कार्य योजना सुझाई गई है। विजन डॉक्यूमेंट वर्ष 2005 में तैयार किया गया था और उसे सरकार ने स्वीकार किया था। विजन डॉक्यूमेंट में इस क्षेत्र की तीव्र वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए रणनीति सुझाई गई थी। अपनाए

गए विजन, 2015 में वर्ष 2015 तक जल्दी सड़ने गलने वाले पदार्थों के प्रसंस्करण स्तर को 6% से बढ़ाकर 20% करने, मूल्य वृद्धि को 20% से बढ़ाकर 35% करने और वैश्विक खाद्य व्यापार में भारत के हिस्से को 1.5% से बढ़ाकर 3% करने की व्यवस्था की गई है।

(ग) बर्बादी और कम मूल्य वृद्धि से कृषि आय में कमी होती है। केंद्रीय फसलोत्तर इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी संस्थान, लुधियाना द्वारा कराए गए अध्ययन (2010 में प्रकाशित) के अनुसार फसलोत्तर हानियां की राशि लगभग 44,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष आंकी गई।

(घ) और (ङ) विजन डॉक्यूमेंट में परिकल्पित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वर्ष 2015 तक के लिए 100 हजार करोड़ रुपए के निवेश का अनुमान लगाया गया जिसमें से 10,000 करोड़ रुपए सरकार से प्राप्त होने हैं। तदनुसार, मंत्रालय ने क्षेत्र में अपेक्षित निवेश आकर्षित करने के लिए अपनी 11वीं योजना स्कीमें तैयार की हैं।

सरकार ने 11वीं योजना में मेगा खाद्य पार्कों, शीत श्रृंखला की स्थापना करने तथा बूचड़खानों का निर्माण एवं आधुनिकीकरण करने, नए खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना करने, विद्यमान संयंत्रों में प्रौद्योगिकी उन्नयन करने के लिए अनेक स्कीमें तथा दक्षता विकास में सुधार करने के लिए स्कीमें भी शुरू की हैं जिनका उद्देश्य प्रसंस्करण स्तर में वृद्धि करना तथा बर्बादी में कमी लाना है।

आदिवासियों और घूमन्तु जातियों के लिए विशेष जनगणना

3192. श्री पोन्नम प्रभाकर : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आदिवासियों और घूमन्तु जातियों, जिन्हें प्रथम चरण में शामिल नहीं किया जा सका, की विशेष जनगणना करने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह) : (क) जी, नहीं। 2011 की जनसंख्या की गणना में निम्नलिखित पात्रता मानदंड पूरा करने वाले देश में रहने वाले सभी व्यक्तियों को कवर किया गया है :

(i) संपूर्ण गणना अवधि अर्थात् 9 फरवरी से 28 फरवरी, 2011 (दोनों दिन शामिल हैं) में उस परिवार में उपस्थित और वे सभी जोकि सामान्य रूप से निवास करते हैं;

(ii) वे भी जोकि सामान्य रूप से रह रहे बताए गए हैं और परिवार की गणना अवधि (9 फरवरी से 28 फरवरी, 2011) के किसी हिस्से में वास्तव में रहे हैं किंतु प्रगणक के दौरे के समय उपस्थित नहीं रहे;

(iii) वे भी जोकि परिवार में सामान्य रूप से रह रहे बताए गए हैं और प्रगणक के दौरे के समय उपस्थित नहीं रहे किंतु उनके 28 फरवरी, 2011 तक वापस लौटने की संभावना है; और

(iv) आगंतुक जोकि प्रगणक द्वारा परिवार की गणना के समय उपस्थित रहे तथा जिनके सम्पूर्ण गणना अवधि में उनके सामान्य निवास स्थान से दूर रहने की संभावना है।

सरकार के नीति निर्णय के अनुसार 1951 की जनगणना से केवल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित आंकड़े ही विशेष रूप से एकत्रित किए जा रहे हैं।

इसके अलावा भारत सरकार ने एक सामाजिक–आर्थिक और जाति आधारित जनगणना कराने का निर्णय लिया है जिसमें प्रत्येक जाति के सामाजिक आर्थिक प्रोफाइल के साथ उसके आंकड़े उपलब्ध होंगे। सामाजिक–आर्थिक और जाति आधारित जनगणना के तहत फील्ड कार्य भारत सरकार के वित्तीय और तकनीकी सहयोग से संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकार द्वारा किया जा रहा है। इस संयुक्त कार्य के लिए ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में क्रमशः भारत सरकार में ग्रामीण विकास मंत्रालय और आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय नोडल मंत्रालय हैं। भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय सम्पूर्ण लाजिस्टिक और तकनीकी सहयोग दे रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सहकारी विभाग में कर्मचारियों की कमी

3193. श्री विष्णु पद राय : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंडमान और निकोबार प्रशासन ने सहकारी विभाग के कर्मचारियों की कुल सदस्य संख्या कितनी है;

(ख) क्या उक्त विभाग में कर्मचारियों की कोई कमी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(घ) खाली पदों को भरने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए?

कृषि मंत्रालय में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत) : (क) से (घ) अंडमान निकोबार प्रशासन ने ये सूचित किया गया है

कि सहकारी विभाग के 114 की संस्वीकृत संख्या के मुकाबले विभिन्न श्रेणियों के 16 पद रिक्त पड़े हैं। रिक्त पद, उनके कारण और रिक्त पदों को भरने के लिए अंडमान और निकोबार प्रशासन द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा नीचे दिया गया है।

क्र.सं.	पद का नाम	रिक्त	कारण
1	सहकारी सोसायटी के सहायक रजिस्ट्रार	1	एक आरसीएस का डी आरसीएस के पद पर पदोन्नति
2	सहकारी सोसायटी के निरीक्षक	8	सहकारी सोसायटी के निरीक्षक का पद उपनिरीक्षक के पद से पदोन्नति का पद है और किसी भी व्यक्ति ने पदोन्नति के लिए सेवा की अपेक्षित अवधि प्राप्त नहीं की है।
3	सहकारी सोसायटी के उपनिरीक्षक	4	स्पष्ट रिक्तियों के उपलब्ध न होने के कारण क्योंकि सहकारी सोसायटीज के नियमित उपनिरीक्षकों को तदर्थ आधार पर सहकारी सोसायटीज के निरीक्षक के पद पर पदोन्नति दी गयी है।
4	चपरासी	1	1800 रु. के ग्रेड पे के साथ पीबी–1 के अंतर्गत विभिन्न
5	चौकीदार	1	श्रेणियों में तीन समूह ग पदों को प्रशासनिक स्तर पर
6	सफाई वाला	1	सामान्य भर्ती परीक्षा हेतु कार्रवाई की गयी है और
	कुल	16	लिखित परीक्षा 05.02.2012 को आयोजित की जानी है।

प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की प्रदर्शनी

3194. **श्री आर. ध्रुवनारायण** : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रसंस्कृत खाद्य कृषि व्यापार और पेय संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन सह–प्रदर्शनी का आयोजन दिल्ली में किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत) : (क) जी नहीं। प्रसंस्कृत खाद्य कृषि व्यापार और पेय संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन–सह–प्रदर्शनी का भारतीय एसोसिएटिड चैम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा 15 और 16 सितम्बर, 2010 को होटल शंगरी–ला नई दिल्ली में आयोजन किया गया था। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने अपनी ओर से बिना किसी वित्तीय प्रतिबद्धता के आयोजन की सूचना एवं संवर्धन सामग्री में आयोजकों को मंत्रालय का "लोगो" प्रयोग करने की अनुमति दी थी।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

पाण्डुलिपियों हेतु राष्ट्रीय मिशन

3195. **श्री शैलेन्द्र कुमार** : क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाण्डुलिपियों हेतु राष्ट्रीय मिशन (एन.एम.एम.) की राष्ट्रीय स्तर की परामर्श समिति की अभी हाल में बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसमें कौन–कौन सी सिफारिशें की गई हैं और

(ग) इस पर की जाने वाली कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन (एनएमएम) की राष्ट्रीय विशेषज्ञ परामर्श समिति की बैठक दिनांक 1 और 2 दिसम्बर, 2010 को आयोजित की गई थी। उक्त बैठक में बहुत सी सिफारिशें की गई थीं। इन सिफारिशों का सार संलग्न विवरण में दिया गया है। विशेषज्ञों की मुख्य सिफारिश यह थी कि पांडुलिपियों हेतु राष्ट्रीय मिशन को अपने वर्तमान रूप में पूर्ण प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्ता सहित 31 मार्च, 2012 तक और उसके बाद, उस समय तक बनाए रखना

चाहिए जब तक एक ऐसे स्थायी संस्थान करने का निर्णय न कर लिया जाए जो आगे मिशन के कार्य को संभाल ले।

(ग) राष्ट्रीय विशेषज्ञ परामर्श समिति की दिनांक 1 और 2 दिसम्बर, 2010 की बैठक की सिफारिशों के आलोक में, सरकार ने राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन का कार्यकाल अगले पांच वर्ष के लिए 31.03.2017 तक बढ़ा दिया है। जहां तक संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के अधीन राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन को एक स्वायत्त संगठन के रूप में स्थायी संस्थान का दर्जा दिए जाने और अन्य सम्बंधित मुद्दों के संबंध में सिफारिश का संबंध हैए यह मामला सरकार के पास है।

विवरण

राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन (एन एम एम) की राष्ट्रीय विशेष परामर्श समिति द्वारा अपनी दिनांक 1 और 2 दिसम्बर, 2010 की बैठक में की गई सिफारिशों का सार

- विशेषज्ञ समवेत रूप से इस मामले में एक मत थे कि पांडुलिपियों हेतु राष्ट्रीय मिशन को संस्कृति मंत्रालय के अधीन अपने वर्तमान रूप में मार्च, 2012 और उसके बाद तक अपनी सम्पूर्ण प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्ता सहित उस समय तक बनाए रखा जाए जब तक एक ऐसी स्थायी संस्था का गठन न कर लिया जाए जो मिशन के कार्य को उत्तराधिकार के रूप में संभाल ले।
- राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के लिए एक स्थायी संगठन की परम आवश्यकता है।
- स्थायी संगठन एक स्वायत्त प्रकृति के रूप में संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन बनाया जाना चाहिए।
- स्थायी संगठन प्रशासनिक और वित्तीय निर्णयों के लिए शक्ति सम्पन्न किया जाना चाहिए।
- प्रशासनिक और वित्तीय मामलों के सम्बंध में, संस्कृति मंत्रालय और राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन में रेखीय और सीधा सम्बंध स्थापित होना चाहिए।
- राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के नियमन और निगरानी के लिए राष्ट्रीय प्राधिकार प्राप्त समिति को पुनः क्रियाशील बनाने की आवश्यकता है।
- राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के मामले में किसी अन्य अभिकरण द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।
- राष्ट्रीय प्राधिकार प्राप्त समिति की बैठकों का आयोजन थोड़े-थोड़े समय के अन्तर से शीघ्र ही किया जाना चाहिए।

लेवी शुगर का अन्यत्र उपयोग

3196. श्री प्रबोध पांडा : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) के अंतर्गत राज्यों को वितरण के लिए दी गई लेवी शुगर के अन्यत्र उपयोग की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसे अन्यत्र उपयेाग को रोकने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई अध्ययन/सर्वेक्षण शुरू किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार 25 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, जिन्हें सीधे ग्राही राज्य कहा जाता है, के पक्ष में और सभी उत्तर-पूर्वी राज्यों (सिक्किम को छोड़कर) जम्मू एवं कश्मीर राज्य और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप का संघ राज्य क्षेत्र जिन्हें भारतीय खाद्य निगम संचालित राज्य कहा जाता है, के लिए भारतीय खाद्य निगम के पक्ष में लेवी चीनी कोटा आवंटित करती है। आवंटित लेवी चीनी ग्राही राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा चीनी मिलों से और भारतीय खाद्य निगम संचालित राज्यों के संबंध में, भारतीय खाद्य निगम द्वारा सीधी उठाई जाती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लेवी चीनी के वितरण, पात्र सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों की पहचान, उचित दर दुकानों की कार्यप्रणाली के पर्यवेक्षण और मानीटरिंग की प्रचालनात्मक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की होती है। जब कभी व्यक्तियों और संगठनों और प्रेस रिपोर्टों के जरिये केन्द्रीय सरकार को शिकायतें प्राप्त होती हैं तो उन्हें संबंधित राज्यों/संघ राज्य सरकारों को जांच और उचित कार्रवाई के लिए भेज दिया जाता है।

(ग) और (घ) सरकार ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कार्यप्रणाली पर मूल्यांकन अध्ययन करवाया है। तथापि, लक्षित

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में लेवी चीनी के वितरण पर कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं कराया गया है।

सब्जियों की खेती पर राजसहायता

3197. श्रीमती श्रुति चौधरी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य सरकारों ने उत्पादन को बढ़ाने के लिए सब्जियों की खेती पर 50 प्रतिशत राजसहायता की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में प्रत्येक राज्य को केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत) : (क) और (ख) वर्ष 2011–12 के दौरान सरकार ने राष्ट्रीय विकास योजना के समग्र सहयोग से शहरी क्लस्टर हेतु सब्जी संबंधी पहल (वीआईयूसी) पर एक नया कार्यक्रम शुरू किया है। यह स्कीम 29 राज्यों में से प्रत्येक के एक शहर, जो या तो राज्य की राजधानी है अथवा एक मिलियन से अधिक की आबादी वाला अन्य शहर हो, में कार्यान्वित की जाती है। यदि कोई ऐसा शहर नहीं है जो इन मानदण्डों को पूरा करें तो इस प्रयोजन हेतु 1 मिलियन आबादी के आसपास वाले अन्य शहरी क्लस्टर को चुना गया है। प्रारंभ में यह कार्यक्रम एक वर्ष की अवधि (2011–12) के लिए कार्यान्वित किया जाएगा। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य चयनित शहरों में सब्जी क्षेत्र की मांग और आपूर्ति से संबंधित सभी चिन्ताओं का ठीक प्रकार से समाधान करते हुए सब्जियों का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाना है।

इस स्कीम में, कृषक समूहों को वित्तीय संस्थानों और संकलकों/मण्डियों से जोड़ते हुए पौधरोपण सामग्री के विपणन से खुदरा स्तर से प्रारंभ करते हुए सब्जी उत्पादन तथा शहरी क्लस्टरों को जोड़ते हुए कृषक समूहों/संघ के गठन, कृषक प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण से संबंधित सभी पहलों को शामिल किया गया है। इस स्कीम के अंतर्गत खुले खेत की स्थिति में खेती की लागत के 25 प्रतिशत तथा संरक्षित स्थिति में खेती की लागत के 75 प्रतिशत की दर से सब्जियों की खेती के लिए किसानों को सहायता दी जाती है। वेसलाईन सर्वेक्षण करने, कृषक समूहों के गठन, सब्जी बीजों और पौधों के उत्पादन, बीज अवसंरचना के विकास, समेकित पोषाहार प्रबंधन/समेकित नाशीकजीवमार प्रबंधन, प्रमाणीकरण के साथ जैव कृषि को अपनाने, किसानों के प्रशिक्षण, कटाई पश्चात प्रबंधन और विपणन की अवसंरचना के सृजन के लिए भी सहायता दी जा रही है।

(ग) वर्ष 2011–12 दौरान संस्वीकृत और निर्गत धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

शहरी क्लस्टरों हेतु इस सब्जी पहल के अंतर्गत 2011–12 के दौरान निधियों का आबंटन और निर्मुक्ति का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	आबंटन	निर्मुक्ति
1	2	3	4
1	आन्ध्र प्रदेश	17.00	17.00
2	अरुणाचल प्रदेश	3.50	1.75
3	असम	12.00	6.00
4	बिहार	12.00	6.00
5	छत्तीसगढ़	12.00	6.00
6	गोवा	3.50	1.75
7	गुजरात	12.00	6.00
8	हरियाणा	12.00	6.00
9	हिमाचल प्रदेश	12.00	6.00
10	जम्मू और कश्मीर	12.00	6.00
11	झारखण्ड	12.00	6.00
12	कर्नाटक	17.00	8.50
13	केरल	12.00	6.00
14	मध्य प्रदेश	12.00	6.00
15	महाराष्ट्र	17.00	8.50
16	मणिपुर	3.50	1.75
17	मेघालय	3.50	1.75

1	2	3	4
18	मिजोरम	3.50	1.75
19	नागालैण्ड	3.50	1.75
20	ओडिसा	12.00	6.00
21	पंजाब	12.00	6.00
22	राजस्थान	12.00	6.00
23	सिक्किम	3.50	1.75
24	तमिलनाडु	17.00	8.50
25	त्रिपुरा	3.50	1.75
26	उत्तर प्रदेश	12.00	6.00
27	उत्तराखण्ड	12.00	6.00
28	पश्चिम बंगाल	17.00	7.69
29	दिल्ली	7.00	
	कुल राज्य	300.00	154.19

राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण

3198. **श्री प्रताप सिंह बाजवा** : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्णकालिक या अंशकालिक सदस्यों की स्वीकृत संख्या की नियुक्ति के पश्चात् राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण (एन.एम.ए.) पूरी तरह सक्रिय हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या प्राधिकरण के अंतर्गत आने वाले स्मारकों के लिए स्मारक संबंधी विशिष्ट उप-नियम बना गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो क्या इसने कई अवसंरचनात्मक और सार्वजनिक परियोजनाओं के क्लीयरेंस में विलंब कर दिया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) और (ख) पूर्णकालिक और अंशकालिक सदस्यों के 5 स्वीकृत पदों में से एक पूर्णकालिक और 2 अंशकालिक सदस्यों की नियुक्ति के साथ ही राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण पूरी तरह सक्रिय हो गया है।

(ग) जी, नहीं। तथापि विरासत उप-नियमों को तैयार करने के लिए धारा 20 ङ के अधीन सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति की गई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) "प्राचीन संस्मारक और पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2010 के उपबंधों के अनुसार संबंधित सक्षम प्राधिकारियों से विधिवत रूप से प्राप्त अनापत्ति आवेदनों पर प्राधिकरण द्वारा विचार किया जा रहा है और अनापत्ति प्रमाण पत्रों को जारी करने का कार्य प्रारंभ हो गया है।

दूरदर्शन पर धार्मिक कार्यक्रमों का प्रसारण

3199. **श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मुंबई दूरदर्शन से शिरडी, महाराष्ट्र में स्थित श्री साई बाबा के महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल से नियमित आधार पर आरती और अन्य धार्मिक कार्यक्रमों के प्रसारण का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दूरदर्शन के राष्ट्रीय नेटवर्क पर इस कार्यक्रम के प्रसारण का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चौधरी मोहन जतुआ) : (क) और (ख) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि दूरदर्शन समय-समय पर साई बाबा पर कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। दूरदर्शन केंद्र मुंबई द्वारा साई बाबा पर प्रसारित साई-आरतियों और अन्य कार्यक्रमों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

विवरण

दूरदर्शन केंद्र, मुंबई द्वारा साई बाबा पर प्रसारित कार्यक्रम

दिनांक	कार्यक्रम का ब्यौरा	समय	अवधि
13.03.2010	चलता बोलता	7.15 बजे अपराह्न	21 मिनट
17.10.2010	लाइव काकड़ आरती साई बाबा पुण्यतिथि उत्सव	4.20 बजे पूर्वाह्न	2 घंटे 44 मिनट
08.02.2011	ऐका हो ऐका	2.00 बजे अपराह्न	24 मिनट
01.03.2011	ऐका हो ऐका	2.00 बजे अपराह्न	24 मिनट
07.07.2011	गुरू पूर्णिमा पर "ॐ साईं" गुरू पूर्णिमानीमित विशेष कार्यक्रम	8.00 बजे पूर्वाह्न	29 मिनट
24.07.2011	गुरू पूर्णिमा दूरदर्शन वृतांत सिरडी	06.00 बजे अपराह्न	24 मिनट
06.10.2011	सिरडी साई बाबा मंदिर से काकड़ आरती (सीधा प्रसारण)	04.15 बजे पूर्वाह्न से 06.05 पूर्वाह्न	1 घंटा 50 मिनट

[हिन्दी]

खेल गांव के भवन

3200. श्री ए.टी. नाना पाटील : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 2010 में संपन्न हुए राष्ट्रमंडल खेलों के लिए खेल गांव के लिए भवनों के निर्माण में अनियमितता और धोखाधड़ी के संबंध में उच्चतम न्यायालय में याचिका दाखिल की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उच्चतम न्यायालय ने नवंबर, 2011 के दौरान बनाए, गए उक्त अवैध भवनों को गिराने का आदेश दिया है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा दोषी पदाधिकारियों/ कर्मचारियों के विरुद्ध किसी कार्रवाई की सिफारिश की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) गिरा जाने वाले अवैध भवनों के निर्माण में कितनी लागत लगी है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय) : (क) जी नहीं।

(ख) से (च) उपर्युक्त (क) के उत्तर के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

यौन उत्पीड़न में आई. पी. एस. अधिकारियों की संलिप्तता

3201. श्री जयवंत गंगाराम आवले : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में महिलाओं के यौन शोषण/उत्पीड़न में भारतीय पुलिस सेवा (आई. पी. एस.) के अधिकारियों की संलिप्तता के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसे कुल कितने मामले सामने आए/दर्ज किए गए, समाधान किए गए तथा कितने मामलों का समाधान नहीं हो पाया है तथा इन सभी मामलों को हल करने हेतु क्या कदम उठाए, गए और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान उनके विरुद्ध राज्य-वार क्या कार्रवाई की गई?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में झारखण्ड सरकार (1), असम सरकार (1) और राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (1) के आई पी एस अधिकारियों के विरुद्ध यौन शोषण/उत्पीड़न के तीन मामलों की सूचना मिली है। इन सभी मामलों में संगत नियमों के तहत संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही शुरू की गई है।

गोवा से विदेशियों का निष्कासन

3202. **श्रीमती ज्योति धुर्वे** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान गोवा से कई विदेशियों को वापस उनके देश भेजा गया/निर्वासित किया गया; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान गोवा से कई विदेशी राष्ट्रिकों को आप्रवासन कानून सहित कानूनों के उल्लंघन तथा गैर-कानूनी गतिविधियों में संलिप्तता की वजह से उनके देश वापस भेजा गया था। पिछले तीन वर्षों के दौरान गोवा से स्वदेश वापस भेजे गए विदेशियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

वर्ष	वापस भेजे गए विदेशियों की संख्या
2008	20
2009	24
2010	49

सरकारी संपत्तियों से किराया

3203. **श्री महेश जोशी** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मंत्रालय की एल.एंड.डी. इकाई की लापरवाही के कारण सरकारी संपत्तियों से नियमित किराया प्राप्त नहीं हो पा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान इस संबंध में कितनी राशि बकाया है; और

(ग) सरकार द्वारा दोषियों के विरुद्ध तथा बकाया राशि की वसूली हेतु क्या कार्रवाई की गयी है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) पट्टा विलेख की शर्तों और निबन्धनों के अनुसार पट्टाधारियों के लिए एल एंड डी ओ से कोई नोटिस प्राप्त किए बिना पूर्व-निर्धारित दर से वार्षिक भू-किराया अदा करना अपेक्षित है। यदि पट्टाधारी भू-किराया अदा नहीं करते हैं, तो उन्हें 10 प्रतिशत वार्षिक दर से पेनल ब्याज अदा करना होगा। जब तक सभी सरकारी बकाया राशि वसूल नहीं कर ली जाती तब तक सम्पत्ति को फ्री होल्ड में परिवर्तित नहीं किया जाएगा।

[अनुवाद]

केबल अधिनियम में संशोधन

3204. **श्री दत्ता मेघे** :
श्री अर्जुनराम मेघवाल :
क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में केबल टेलिविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 का पालन किया जा रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं;

(ग) उक्त अधिनियम के संबंध में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) द्वारा क्या सिफारिशें की गयी हैं; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चौधरी मोहन जतुआ) : (क) से (घ) देश में केबल टेलीविजन नेटवर्क के प्रचालनों को समय-समय पर यथा संशोधित केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के प्रावधानों द्वारा विनियमित किया जाता है। ट्राई ने केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 में संशोधन करने से संबंधित विशिष्ट सिफारिशें नहीं की हैं; तथापि, ट्राई ने समय-समय पर की गई अपनी विभिन्न सिफारिशों में केबल प्रचालनों के बेहतर विनियमन हेतु केबल अधिनियम में संशोधन करने के लिए कतिपय सुझावों की अनुशंसा की है। ये सिफारिशें ट्राई की वैबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध हैं। सरकार ने संगत नीतिगत निर्णय निरूपित करते समय और केबल अधिनियम में संशोधन करते समय भी ट्राई के इन सुझावों को ध्यान में रखा है।

जनजातीय महिलाओं का दुर्व्यापार

3205. श्री मानिक टैगोर : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि माफिया समूहों द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की अनुसूचित जनजाति की महिलाओं का अन्य राज्यों में अवैध दुर्व्यापार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) महिलाओं के दुर्व्यापार को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी; और

(घ) इसके क्या परिणाम निकले?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के दुर्व्यापार की घटनाओं की जानकारी मिली है। एनसीआरबी द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार, वर्ष 2008, 2009 और 2010 की अवधि के दौरान, छत्तीसगढ़ के संबंध में कानून के अलग-अलग प्रावधानों जो मानव दुर्व्यापार के सामान्य विवरण के अन्तर्गत आते हैं, के तहत दर्ज मामलों की कुल संख्या क्रमशः 8,14 और 25 थी।

(ग) और (घ) ''पुलिस'' और लोक व्यवस्था, राज्य के विषय होने के नाते मानव दुर्व्यापार के अपराध की रोकथाम करने और उनका मुकाबला करने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती हैं। तथापि, भारत सरकार ने मानव दुर्व्यापार का मुकाबला करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को समग्रतः एवं व्यापक तरीके से मानव-दुर्व्यापार के अपराध से निपटने के लिए दिनांक 09-09-2009 को परामर्शी पत्र (जो www.mha.nic.in पर उपलब्ध है) जारी करना, कानून का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के साथ-साथ पीड़ितों के बचाव, राहत और पुर्नवास को सम्मिलित करते हुए एक प्रभावकारी एवं व्यापक रणनीति तैयार करना, गृह मंत्रालय में दुर्व्यापार-रोधी नोडल प्रकोष्ठ स्थापित करना, गृह मंत्रालय की सहभागिता से इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) द्वारा मानव-दुर्व्यापार-रोधी प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम प्रारम्भ करना और समेकित मानव दुर्व्यापार-रोधी इकाइयों की स्थापना करके और प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण (ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स) द्वारा विधि प्रवर्तन कार्रवाई तंत्र को सशक्त बनाने हेतु एक व्यापक योजना कार्यान्वित करना शामिल है। इस संबंध में गृह मंत्रालय ने वर्ष 2010-11 में सभी राज्य सरकारों को 8.72 करोड़ रुपए की निधियां जारी की हैं। इसमें से 30,32,000 रुपए की धनराशि छत्तीसगढ़ सरकार को मानव-दुर्व्यापार रोधी इकाइयों की स्थापना करने के लिए जारी की जा चुकी है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भी दुर्व्यापार की शिकार महिलाओं सहित कठिन परिस्थितियों में फंसी महिलाओं के लिए शार्ट स्टे होम्स, स्वाधार होम्स जैसे आश्रय आधारित गृह संचालित करता है।

जे.एन.एनयूआर.एम. हेतु एडीबी सहायता

3206. श्री प्रदीप माझी : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाई विकास बैंक (,डीबी) जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन (जे,न,नयूआर,म) हेतु सहायता प्रदान करने पर सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त सहायता के लिए एडीबी द्वारा क्या नियम और शर्तें निर्धारित की गई हैं;

(ग) विभिन्न राज्यों को अब तक एडीबी द्वारा प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उक्त सहायता से लाभान्वित होने वाले राज्यों/शहरों के नाम क्या हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय) : (क) और (ख) जी हां। एशियन विकास बैंक (एडीबी) दिनांक 6 जुलाई, 2010 को हस्ताक्षरित तकनीकी सहायता करार के अंतर्गत जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एनयूआर. एम.) को सहायता मुहैया करा रहा है। यह सहायता निम्नलिखित शर्तों के अंतर्गत दिनांक 31-8-2012 तक उपलब्ध है।

(i) परामर्श दाताओं के दल के रेजीडेंट इंजीनियर लचीला दृष्टिकोण अपनाएंगे जिसमें यह दिया गया है कि सीमित संसाधनों द्वारा शामिल किए जाने वाले अनेक राज्य होंगे

तथा परियोजना कार्यान्वयन की कार्यकुशलता को ध्यान में रखा जायेगा। यह सहमति हुई कि दिल्ली में 9 राष्ट्रीय परामर्शदाता होंगे तथा 7 शहरों में 8 परामर्शदाता होंगे जो आस-पास के चुनिंदा राज्यों को देखेंगे।

(ii) नगरपालिकाओं और केन्द्र सरकार के साथ क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को महत्व दिया जायेगा ताकि परियोजना कार्यान्वयन के लिए आवश्यक शहरी आयोजना वित्त जुटाने और खरीद को समझने में उन्हें सहायता मिल सकें।

(iii) कार्ययोजना में वर्तमान करार के दौरान कोई भी संशोधन किया जा सकेगा।

(ग) और (घ) अब तक झारखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार, उड़ीसा, त्रिपुरा, मणिपुर और उत्तराखंड राज्य परियोजनाओं के सुधारों और कार्यान्वयन के लिए हैंडहोल्डिंग सहायता प्राप्त कर रहे हैं।

[हिन्दी]

कृषि बजट

3207. **श्री हंसराज गं. अहीर** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार कृषि हेतु स्वतंत्र बजट बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार कृषि क्षेत्र के विकास दर को तेज करने का है तथा कृषि क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने हेतु कृषि को उद्योग का दर्जा देने का है; और

(घ) यदि हां, तो स्वतंत्रकृषि बजट बनाने तथा इस क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) कृषि क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इस क्षेत्र में निवेश करने के लिए 11वीं योजना के दौरान दो प्रमुख स्कीमों नामतः राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 25000 करोड़ रुपए के परिव्यय से और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 4883 करोड़ रुपए के परिव्यय से शुरू की गई है।

कृषि में बहुत अधिक अंतःक्षेत्रीय संबंध है। जिसके आयाम केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के साथ परस्पर जुड़े हुए हैं। कृषि और समवर्गी क्षेत्रों से संबंधित विषयों/मामलों को किसी एक मंत्रालय के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता है। कृषि राज्य की सूची में है और राज्य सरकार को नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के साथ कृषि विकास का कार्य सौंपा गया है। केन्द्र सरकार उपयुक्त नीति उपायों के माध्यम से उनके प्रयासों की सहायता करती है। केन्द्रीय बजट विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों के साथ सम्पर्क में कृषि क्षेत्रों की आवश्यकताओं की समग्र दृष्टिकोण से देखता है और इस संबंध में उचित निधि प्रदान करता है। कृषि के लिए अलग से बजट की न तो आवश्यकता है और ना ही संभावना है।

कृषि और समवर्गी क्षेत्र में दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्राप्त 2.5 वृद्धि दर के मुकाबले 11वीं योजना के दौरान 4 प्रतिशत का लक्ष्य परिकल्पित है।

मेट्रो स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरा

3208. **श्री वीरेन्द्र कुमार** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुरक्षा कारणों के मद्देनजर मेट्रो रेल निगम के सभी स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं;

(ख) यदि नहीं, तो किन स्टेशनों पर ये कैमरे अब तक नहीं लगाए गए है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) दिल्ली मैट्रो रेल निगम के सभी मेट्रो स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरा लगाए जाने हेतु क्या कदम उठाए गए/उठाए, जा रहे हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय) : (क) जी हां। दिल्ली मैट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड (डी.एमआरसी) ने सूचित किया है कि दिल्ली एमआरटीएस नेटवर्क के सभी स्टेशनों में सीसीटीवी कैमरे लगाए, गए हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

बहुराज्यीय सहकारी समितियां

3209. **श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलिया** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सहकारी क्षेत्र से संबंधित मौजूदा बहुराज्यीय सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 में संशोधन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसे कब तक संशोधित किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत) : (क) जी हां।

(ख) बहु-राज्यीय सहकारी सोसाइटीज (संशोधन) विधेयक, 2010 लोक सभा में दिनांक 15.11.2010 को प्रस्तुत किया गया है।

[अनुवाद]

एनआईए का कार्यकरण

3210. **श्री पी.आर. नटराजन** :

श्री ई.जी. सुगावनम :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में देश में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के कार्यकरण की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) 31 दिसंबर, 2008 को इसके गठन से अब तक विभिन्न मामलों में कितनी प्रगति की गयी है;

(घ) क्या सरकार का विचार एनआईए में और अधिक कर्मचारियों की भर्ती करने तथा इसकी और अधिक शाखाएं खोलने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस हेतु किन स्थानों की पहचान की गयी है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एन आई ए) का सुदृढ़ीकरण करने के प्रयोजन से राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की कार्यप्रणाली की समय-समय पर उच्चतम स्तर पर समीक्षा की जाती है।

(ग) दिनांक 31.12.2008 को एन आई ए की स्थापना से इसे 34 मामले सौंपे गए हैं, जिनमें से एन आई ए द्वारा 20 मामलों में विचारण न्यायालयों में आरोप-पत्र दायर किए गए हैं। इन आरोप-पत्रित मामलों में से, माननीय न्यायालय ने दो अभियुक्तों को दोषसिद्ध करके 02 मामलों में निर्णय दिया है।

(घ) और (ङ) एन आई ए का मुख्यालय दिल्ली में है। वर्ष 2010 में हैदराबाद में एक शाखा कार्यालय खोला गया था। वर्ष 2011 में गुवाहाटी शाखा कार्यालय को परिचालनात्मक किया गया था। एन आई ए का विस्तार और सुदृढ़ीकरण करना एक सतत् प्रक्रिया है और समय-समय पर यथा आकलित प्रदत्त कार्यभार मानकों/आवश्यकताओं से संबंधित है।

जे.एन.एनयू.आर.एम. के अंतर्गत छावनी क्षेत्र को शामिल करना

3211. **श्री जयंत चौधरी** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश के विभिन्न शहरों/नगरों में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन (जे.एन.एनयू. आर.एम.) के अंतर्गत छावनी क्षेत्र की परियोजनाओं को शामिल करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) असैनिक प्रयोजनों हेतु उपयोग किए जा रहे छावनी क्षेत्र के विकास हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय) : (क) से (घ) व्यापक नगर आयोजना की जरूरत को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने नगरों को यह परामर्श दिया है कि जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एनयू. आर.एम.) के अन्तर्गत नगर विकास योजनाएं (सीडीपी) तैयार और/अथवा संशोधित करते समय विशेष रूप से जल आपूर्ति, सीवेज, ठोस कचरा प्रबंधन आदि के संदर्भ में केन्टोनमेन्ट क्षेत्रों की अवस्थापना आवश्यकताओं को ध्यान में रखें। इस समय, जे. एन.एनयू.आर.एम. के अन्तर्गत केन्टोनमेन्ट क्षेत्रों की अवस्थापना के वित्त पोषण का कोई प्रावधान नहीं है।

सम्पूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन

3212. श्री मधु गौड यास्खी :
श्री धर्मेन्द्र यादव :
श्री आनन्दराव अडसुल :
श्री गजानन ध. बाबर :
श्री अधलराव पाटील शिवाजी :

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा करने अथवा आयातित खाद्य वस्तुओं की भरमार से बचने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (एफपीआई) में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन आवश्यक है;

(ख) यदि हां, तो क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने एफपीआई मंत्रालय से विश्व बाजार के मानक को पूरा करने के लिए विश्वस्तरीय प्रसंस्कृत खाद्य वस्तुओं का उत्पादन करने का अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण इकाई के प्रमाणन में कार्यरत प्रमाणन निकायों को प्रत्यायित करने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा क्या तंत्र अपनाया गया है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन के क्रियान्वयन हेतु केन्द्र/राज्य सरकार के संगठन/आईआईटी और विश्वविद्यालयों को सहायता/सहायता अनुदान प्रदान किया है; और

(ङ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में तथा चालू वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और आन्ध्र प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों को प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत) : (क) जी हां।

(ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को सुकर बनाने के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और अन्य संबंधित मंत्रालयों/विभागों के सहयोग से कार्य कर रहा है ताकि वे विश्व बाजार मानकों को पूरा करने के लिए विश्वस्तरीय प्रसंस्कृत खाद्य वस्तुओं का उत्पादन कर सकें। इसे प्राप्त करने के लिए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के प्रोत्साहन और विकास के लिए विभिन्न स्कीमें कार्यान्वित कर रहा है अर्थात् (i) खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना/उन्नयन; (ii) आईएसओ 22000, एचएसीसीपी, जी.मपी और जीएचपी समेत संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन कार्यान्वयन; (iii) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण।

(ग) सरकार ने खाद्य वस्तुओं के लिए विज्ञान आधारित मानक तैयार करने और उनके निर्माण, भण्डारण, वितरण, बिक्री एवं आयात को नियंत्रित करने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं मानक (एफ.एस.स) अधिनियम, 2006 के उपबंधों के अनुसार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफ.एस.एसआई) की स्थापना की है। खाद्य प्राधिकरण ने अन्य बातों के साथ-साथ सम्पूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों के प्रमाणीकरण में लगे प्रमाणन निकायों के प्रत्यायन के लिए तंत्र और दिशानिर्देश निर्धारित के लिए अधिदेश दिया है। भारतीय गुणवत्ता परिषद भी सम्पूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों के प्रमाणन में कार्यरत प्रमाणन निकायों को प्रत्यायन उपलब्ध करा रहा है।

(घ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय अपनी गुणवता आश्वासन, कोडेक्स मानक अनुसंधान एवं विकास तथा संवर्धनात्मक कार्यकलाप योजना स्कीम के अन्तर्गत देश में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। स्कीम के अंतर्गत केंद्र/राज्य सरकार के संगठन/आईआईटी और विश्वविद्यालयों समेत सभी कार्यान्वयन एजेंसियां सामान्य क्षेत्रों में आई.एसओ 14000, आई.एसओ 22000, एच.सीसीपी जीए मपी और जी.चपी समेत संपूर्ण गुणवता प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन हेतु परामर्शी शुल्क, प्रमाणन एजेंसी शुल्क, संयंत्र और

मशीनरी, तकनीकी सिविल कार्यो और अन्य खर्च की लागत के 50% परन्तु अधिकतम 15 लाख रुपए और दुर्गम क्षेत्रों में 75% परन्तु अधिकतम 20 लाख रुपए की प्रतिपूर्ति की पात्र होती हैं।

इसके अतिरित, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय यह विभिन्न पणधारियों जैसे केंद्र/राज्य सरकारी संगठनों, आईआईटीज, विश्वविद्यालयों और निजी क्षेत्र के संगठनों को अपनी योजना स्कीम के अंतर्गत खाद्य परीक्षण/गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं की स्थापना/उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराता है। खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों को अपने उत्पादों के परीक्षण के लिए क्षेत्र में आसपास इस प्रकार स्थापित की गई सुविधा, सुलभ होती हैं।

मंत्रालय ने अब तक संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन के कार्यान्वयन के लिए केंद्र/राज्य सरकार के संगठनों/आईआईटीज/विश्वविद्यालयों के किसी प्रस्ताव का अनुमोदन नहीं किया है।

(ङ) आईएसओ 22000, एचएसीसीपी आदि समेत संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन के कार्यान्वयन के लिए गत तीन वर्षो और चालू वर्ष के दौरान खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों को उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण पर दिया गया हैं

विवरण

11वीं योजना के दौरान आईएसओ 22000/एचएसीसीपी आदि समेत संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन के कार्यान्वयन हेतु खा.प्र. उ. मंत्रालय द्वारा जारी की गई वित्तीय सहायता के राज्य–वार ब्यौरे

(लाख रु. में)

क्रम सं.	राज्य का नाम	2007–08		2008–09		2009–10		2010–11		2011–12 (तक 8.12.2011)		जोड़	
		सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	आंध्र प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	असम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	बिहार	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	हरियाणा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	कर्नाटक	0	0	0	0	1	14.35	0	0	0	0	1	14.35
13.	झारखण्ड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	केरल	1	0.739	2	5.013	0	0	1	9.40	0	0	4	15.152
15	महाराष्ट्र	0	0	2	11.99	1	15.00	2	22.20	0	0	5	49.19
16	मध्य प्रदेश	0	0	1	4.825	2	19.745	0	0	0	0	3	24.57
17.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	नागालैण्ड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	ओडिसा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	पंजाब	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	पुडुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	राजस्थान	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	तमिलनाडु	0	0	1	0.975	0	0	0	0	0	0	1	0.975
26	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	उत्तर प्रदेश	0	0	2	14.84	0	0	0	0	0	0	2	14.84
28	पश्चिम बंगाल	0	0	1	10.00	0	0	0	0	1	11.035	2	21.035
29	उत्तराखण्ड	1	6.06	1	6.60	0	0	1	20.00	0	0	3	32.66
30	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	2	6.799	10	54.243	4	49.095	4	51.6	1	11.035	21	172.772

[हिन्दी]

राष्ट्रीय प्रेस केन्द्र की स्थापना

3213. **श्री तूफानी सरोज** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली में राष्ट्रीय प्रेस केन्द्र (एनपीसी) की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा एनपीसी की मुख्य विशेषताएं क्या हैं तथा एनपीसी में कौन–सी सुविधाएं प्रदान करने का प्रस्ताव है;

(ग) इसके निर्माण कार्य पर कुल कितना व्यय किए जाने की संभावना है; और

(घ) ऐसे केन्द्र की कब तक स्थापना किए जाने/कार्य शुरू करने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चौधरी मोहन जतुआ) : (क) और (ख) जी हां। राष्ट्रीय प्रैस केंद्र (.नपीसी) का नई दिल्ली में पहले से ही निर्माण कार्य चल रहा है। इस केंद्र की निम्नलिखित सुविधाओं के साथ एक अत्याधुनिक मीडिया केंद्र के रूप में परिकल्पना की गई है:–

★ प्रैस सम्मेलन हॉल;

★ मीडिया कर्मियों के लिए पुस्तकालय व वर्क स्टेशन;

★ पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) के लिए कार्यालयों का प्रावधान; और

★ मीडिया के सुचारु कार्यकरण को सुविधाजनक बनाने के लिए अन्य सुविधाएं।

(ग) इस परियोजना की अनुमानित लागत 60 करोड़ रुपए है।

(घ) इस परियोजना की कार्यान्वयनकर्ता एजेंसी, राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड (एनबीसीसी) को दी गई संविदा के अनुसार राष्ट्रीय प्रैस केंद्र का कार्य 31 अगस्त, 2012 तक संपन्न हो जाने के लिए तय है।

कृषि क्षेत्र में विश्व बैंक की सहायता

3214. **श्री हरीश चौधरी** :

श्री इज्यराज सिंह :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दशक के दौरान सरकार को देश में कृषि के विकास हेतु विश्व बैंक से कुल कितनी धनराशि की सहायता प्राप्त हुई है;

(ख) उक्त धनराशि का किन क्षेत्रों में उपयोग किया गया है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान उक्त क्षेत्रों में कार्य प्रगति की क्या स्थिति है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

बीज विकास नीति

3215. **श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 27 जून, 2011 से लागू की जा रही संशोधित बीज विकास संबंधी नई नीति 1988 के अंतर्गत सरकार ने भारतीय किसानों को विश्व में उपलब्ध सबसे बढ़िया पौधरोपण सामग्री उपलब्ध कराने हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहायता की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो अब तक मांगी गई सहायता तथा विभिन्न देशों द्वारा दी गई सहायता का फसल–वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) अगले दो वर्षों में इन फसलों के उत्पादन में कितनी वृद्धि होने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत) : (क) और (ख) कृषि एवं सहकारिता विभाग ने भारतीय कृषि अनुसंधान के पर्यवेक्षण में प्रारंभ में परीक्षण और मूल्यांकन प्रयोजन के लिए गेहूं और धान के बीजों की विनिर्दिष्ट क्वालिटी के आयात को अनुमति देने के परिणामों के आधार पर गेहूं और धान के बीजों के आयात को पादप संगरोध आदेश, 2003 के प्रावधान के अनुसार और संशोधित नई बीज विकास नीति 1988 में यथानिर्धारित ऐसी अन्य शर्तों के अनुसार 2 वर्ष से अनधिक अवधि हेतु अनुमति दी जा सकती है। तथापि भारतीय किसानों को सर्वोत्तम पौधरोपण सामग्री उपलब्ध कराने के लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय सहायता नहीं मांगी है।

(ग) संशोधित नई बीज विकास नीति 1988 के अंतर्गत अब तक गेहूं और धान के बीजों के बड़े पैमाने पर आयात के लिए किसी प्रस्ताव पर अनुमति नहीं दी गई है। अतः बीज के आयात के कारण इन फसलों के उत्पादन में वृद्धि का जायजा लेना व्यवहार्य नहीं है।

ग्रामीण अनाज बैंक

3216. **श्री एंटो एंटोनी** :

श्रीमती जे. शांता :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दसवीं और ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ग्रामीण अनाज बैंक (वीजीबी) की स्थापना हेतु निर्धारित लक्ष्यों और प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने उक्त योजना के उचित क्रियान्वयन हेतु राज्यों को कोई दिशा-निर्देश जारी किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त योजना हेतु आवंटित खाद्यान्न की मात्रा घटा दी गयी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं तथा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार कितनी मात्रा में खाद्यान्न का आवंटन किया गया है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) से (ङ) 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 15,084 ग्रामीण अनाज बैंकों के लक्ष्य के तुलना में 17 राज्यों में 14,495 ग्रामीण अनाज बैंकों की स्वीकृति दी गई थी तथा 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 12,823 ग्रामीण अनाज बैंकों की तुलना में 13 राज्यों में अब तक 10,010 ग्रामीण अनाज बैंकों की स्वीकृति दी गई है।

जनवरी, 2008 में स्कीम के क्रियान्वयन के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए थे जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ बैंकों के स्थान और स्वरूप, ग्रामीण अनाज बैंकों की स्थापना के लिए पात्र संगठनों, वित्तपोषण का स्वरूप और क्रियान्वयन की पद्धति के संबंध में स्कीम के उद्देश्य बताए गए हैं। स्कीम के अधीन प्रति वर्ष स्वीकृत ग्रामीण अनाज बैंक की संख्या के संदर्भ में प्रति ग्रामीण अनाज बैंक 40 क्विंटल की दर पर खाद्यान्न का आबंटन किया जाता है। गत 3 वर्षो और चालू वर्ष के दौरान स्कीम के अधीन आबंटित खाद्यान्नों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

2008-09, 2009-10, 2010-11 और 2011-12 (अब तक) के दौरान स्वीकृत ग्रामीण अनाज बैंकों की संख्या और आवंटित खाद्यान्नों की मात्रा

		2008-09		2009-10		2010-11		2011-12	
क्र.सं.	राज्य का नाम	स्वीकृत ग्रामीण अनाज बैंक	आवंटित खाद्यान्नों की मात्रा (टन में)	स्वीकृत ग्रामीण अनाज बैंक	आवंटित खाद्यान्नों की मात्रा (टन में)	स्वीकृत ग्रामीण अनाज बैंक	आवंटित खाद्यान्नों की मात्रा (टन में)	स्वीकृत ग्रामीण अनाज बैंक	आवंटित खाद्यान्नों की मात्रा (टन में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	-	-	1628	6512	-	-	-	-
2	मध्य प्रदेश	1499	5996	-	-	1456	5824	-	-
3.	महाराष्ट्र	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	मणिपुर	101	404	-	-	-	-	-	
5.	मेघालय	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	नागालैंड	-	-	186	744	43	172	257	1028
7.	ओडिशा	-	-	-	-	146	584	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	त्रिपुरा	26	104	–	–	64	256	–	–
9.	उत्तर प्रदेश	781	3124	–	–	–	–	–	–
10	उत्तराखंड	–	–	–	–	–	–	55	220
11.	पश्चिम बंगाल	–	–	400	1600	–	–	770	3080
	जोड़	2407	9628	2214	8856	1709	6836	1082	4328

[हिन्दी]

डी.एम.आर.सी. भूमि का वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए आबंटन

3217. श्री हुक्मदेव नारायण यादव : क्या शहरी विकास मंत्री मैट्रो के लिए भूमि का अर्जन के बारे में 16.8.2011 के तारांकित प्रश्न संख्या 205 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली मैट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने अर्जित भूमि को वाणिज्यिक उपयोग के लिए निजी पक्षों को आबंटित किया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी भूमि के आबंटन के लिए अपनाए गए मानदंड क्या हैं तथा किन कंपनियों/पक्षों को भूमि आबंटित की गयी एवं उनके स्थल क्या हैं;

(ग) उक्त भूमि के अर्जन के लिए डीएमआरसी द्वारा भुगतान की गयी प्रति वर्ग फीट दर क्या है तथा उक्त भूमि को पट्टे पर देने से कितनी राशि प्राप्त हुई है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस प्रक्रिया की पारदर्शिता निष्पक्षता तथा विधिक मुद्दों की उच्चस्तरीय समिति द्वारा कोई जांच कराने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय) : (क) जी हां। दिल्ली मैट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड (डीएमआरसी) ने सूचित किया है कि उन्होंने निजी पार्टियों को वाणिज्यिक उपयोग हेतु लीज पर कुछ भू-खण्ड दिए हैं।

(ख) भू-खण्ड खुली निविदा के माध्यम से लीज/छूट पर दिए गए। ऐसे मामलों जिन पर निविदाओं के लिए कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई, लीज पर दिए जाने की कार्रवाई नीचे दिए गए अनुसार समझौते/बातचीत के द्वारा की गई थी :

क्रम संख्या	वाणिज्यिक प्लाट	पार्टी का नाम
1	2	3
1.	खैबर पास	मैसर्स/एमजीएफ
2.	इंदर लोक विस्तार	मैसर्स पार्श्वनाथ डेवलपर्स लिमि.
3.	शहदरा वाणिज्यिक परिषद	मैसर्स पार्श्वनाथ डेवलपर्स लिमि.
4.	प्रताप नगर	मैसर्स पार्श्वनाथ डेवलपर्स लिमि.
5.	सीलमपुर	मैसर्स पार्श्वनाथ डेवलपर्स लिमि.
6.	वेलकम	मैसर्स पार्श्वनाथ डेवलपर्स लिमि.
7.	ख्याला	मैसर्स पैसीफिक

1	2	3
8.	नेताजी सुभाष प्लेस	मैसर्स पार्श्वनाथ डेवलपर्स लिमि.
9.	सेक्टर–21 द्वारका	मैसर्स इंडियन होटल्स कम्पनी लिमि.
10.	भाई वीर सिंह मार्ग	मैसर्स पार्श्वनाथ डेवलपर्स लिमि.

(ग) भू–खंडों की अधिग्रहण दरें इस प्रकार है :–

क्र.सं.	वाणिज्यिक प्लाट	भू–स्वामित्व वाली एंजेसी को डीएमआरसी द्वारा प्रति वर्ग मी. भुगतान दर (रु.)	डीएमआरसी द्वारा भुगतान की गई कुल धनराशि (रु.)
1.	खैबर पास	51.79	2.78 करोड़
2.	इंदर लोक विस्तार	201.99	86.45 लाख
3.	शहादरा वाणिज्यिक परिषद	516.39	4.28
4.	प्रताप नगर	56.52	12.16 लाख
5.	सीलमपुर	अभी भुगतान होना है	–
6.	वेलकम	अभी भुगतान होना है	–
7.	ख्याला	111.15	3.66 करोड़
8.	नेताजी सुभाष प्लेस	101.56	2.12 करोड़
9.	सेक्टर–21 द्वारका	175.17	5.65 करोड़
10.	भाई वीर सिंह मार्ग	50.52	1.06 करोड़

डेवलेपर्स से प्राप्त धनराशि का उल्लेख नीचे किया गया है :

क्र.सं.	वाणिज्यिक प्लाट	अपफ्रंट (करोड़ रु. में)	आवार्ती/तिमाही (लाख रु. में)
1.	खैबर पास	20.00	128.00
2.	इंदर लोक विस्तार	3.50	7.51
3.	शहादरा वाणिज्यिक परिषद	6.70	11.875
4.	प्रताप नगर	1.76	3.01
5.	सीलमपुर	33.04	51.00
6.	वेलकम	25.26	71.00
7.	ख्याला	60.00	216.00
8.	नेताजी सुभाष प्लेस	100.00	151.00
9.	सेक्टर–21 द्वारका	–	होटल के वार्षिक राजस्व का 14 प्रतिशत
10.	भाई वीर सिंह मार्ग	71.70	140.00

(घ) चूंकि डीएमआरसी से प्राप्त सूचना के अनुसार भूमि खुली निविदा के माध्यम से लीज पर दी गई है और पारदर्शी एवं निष्पक्ष प्रक्रिया अपनाई गई, अतः सरकार का जांच कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

आईपीएस अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार मामले

3218. श्री पी. सी. गद्दीगौदर : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान भ्रष्टाचार, अपराध और सत्ता के दुरुपयोग सहित विभिन्न मामलों में निलंबित या आरोपित भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारियों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या अभियोजन हेतु अनुमति प्राप्त करने के लिए सीबीआई/राज्य सरकारों से कुछ निवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान प्राप्त ऐसे निवेदनों की राज्य-वार कुल संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार ने आईपीएस अधिकारियों को अभियोजित करने के लिए सीबीआई को अनुमति प्रदान करने में हुए विलंब के कुछ मामलों को संज्ञान में लिया है; और

(ङ) यदि हां, तो किसी विलंब से बचने के हेतु ऐसी स्वीकृति के लिए प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

बम-विस्फोटों की जांच

3219. श्री मनीष तिवारी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिनांक 13 जुलाई, 2011 के मुंबई बम-विस्फोट और हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय परिसर में हुए विस्फोट के बारे में कोई सुराग प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस सिलसिले में अब तक की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और अपराधी किस देश के नागरिक हैं तथा प्रत्येक मामले की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या मुंबई बम-विस्फोट काण्ड की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंपी जाएगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह) : (क) से (ग) दिनांक 13.07.2011 के मुम्बई सीरियल विस्फोट के मामले की जांच-पड़ताल अभी भी ए टी एस, महाराष्ट्र द्वारा की जा रही है और अब तक किसी गिरफ्तारी की सूचना नहीं मिली है। दिनांक 07.09.2011 के दिल्ली उच्च न्यायालय बम विस्फोट की जांच-पड़ताल राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एन आई ए) द्वारा की जा रही है जिसने इस जांच-पड़ताल में 3 व्यक्तियों (किस्तवाड, जम्मू एवं कश्मीर के निवासी) की गिरफ्तारी की सूचना दी है।

(घ) सरकार आतंकवाद के सभी रूपों एवं अभिव्यक्तियों का मुकाबला करने के लिए प्रतिबद्ध है क्योंकि इसका कोई भी कारण, चाहे वह यथार्थ अथवा काल्पनिक जो भी हों, आतंकवाद अथवा हिंसा को न्यायोचित नहीं ठहरा सकता। आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार ने विभिन्न उपाय किए हैं जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों की ताकत को बढ़ाना; निजी औद्योगिक उपक्रमों के संयुक्त उद्यमों में सी आई एस ए की तैनाती करने के लिए, सी आई एस एफ अधिनियम में संशोधन, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद और मुम्बई में एन एस जी हबों की स्थापना; आपात स्थिति में एन एस जी के कार्मिकों के आवागमन के लिए हवाई जहाज की मांग करने के लिए महानिदेशक, एन एस जी को शक्तियां प्रदान करना, बहु-एजेंसी केन्द्र को सशक्त बनाना और उसका पुनर्गठन करना ताकि वह अन्य आसूचना एवं सुरक्षा एजेंसियों के साथ आसूचना को सही समय पर एकत्र करने और उनका आदान-प्रदान करने के लिए चौबीसों घण्टे प्रतिदिन (24 × 7) आधार पर कार्य कर सके;

आप्रवासन नियंत्रण को सख्त बनाना; सीमाओं पर चौबीसों घण्टे निगरानी और गश्त लगाकर प्रभावकारी सीमा प्रबंधन, प्रेक्षण चौकियों की स्थापना; सीमा पर बाड़ लगाना, तेज रोशनी करना, आधुनिक एवं उच्च प्रौद्योगिकी उपकरण लगाना; आसूचना तंत्र का उन्नयन और तटीय सुरक्षा शामिल हैं। आतंकवाद का दमन करने के लिए निवारक उपायों को कठोर बनाने के लिए वर्ष 2008 में विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 को संशोधित और अधिसूचित किया गया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम, 2008 के तहत राष्ट्रीय जांच एजेंसी का गठन किया गया है ताकि अनुसूची में उल्लिखित अधिनियमों के अन्तर्गत आने वाले अपराधों की जांच की जा सके और अभियोजन चलाया जा सके। आतंकवाद के खतरों से निपटने के एक उपाय के रूप में राष्ट्रीय आसूचना ग्रिड (नैटग्रिड) का सृजन किया गया है।

धन शोधन निवारण अधिनियम को वर्ष 2009 में संशोधित किया गया है ताकि उसमें अन्य बातों के साथ-साथ विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के अनतर्गत आने वाले कतिपय अपराधों को स्थापित (प्रेडिकेट) अपराध के रूप में शामिल किया जा सके।

इसके अतिरिक्त, सरकार विभिन्न बहु-पक्षीय एवं द्विपक्षीय मंचों के साथ-साथ बहुस्तरीय द्विपक्षीय परिसंवादों में सीमापार आतंकवाद के सभी पहलुओं और इसके वित्तपोषण के मुद्दों को उठाती रहती है।

राष्ट्रीय संग्रहालय में अनियमितताएं

3220. **श्री कुलदीप बिश्नोई :**
श्री एस. सेम्मलई :
श्री रुद्रमाधव राय :

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय के कार्यकरण में अनियमितताओं का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गयी है;

(ग) क्या उक्त संग्रहालय की कई गैलरी वर्षो से बंद हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या राष्ट्रीय संग्रहालय में कला वस्तुओं को चक्रानुक्रम पद्धति से दर्शाने की कोई नीति है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं; और

(छ) संग्रहालय में मूल्यवान कलाकृति और प्राचीन कलाकृति के संरक्षण हेतु क्या कदम उठाए गए/उठा, जाने का प्रस्ताव है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) और (ख) वर्ष 2010-11 के लिए राष्ट्रीय संग्रहालय के लेखा परीक्षा निरीक्षण की प्रक्रिया, के दौरान महानिदेशक, लेखा परीक्षा ने कला वस्तुओं व पुरावस्तुओं के अधिग्रहण, क्रमांकन, फोटो प्रलेखन, परिरक्षण, डिजिटीकरण, कम्प्यूटरीकृत प्रलेखन, प्रदर्शन भंडारण, भौतिक सत्यापन, उन्हें सौंपने और लेने आदि जैसे क्षेत्रों से संबंधित कला वस्तुओं व पुरावस्तुओं के रख-रखाव में कमियों और वीथियों के बंद करने के बारे में कतिपय टिप्पणियां की हैं। इन मुद्दों के समाधान के लिए राष्ट्रीय संग्रहालय ने उपचारात्मक उपाय किए हैं।

(ग) और (घ) इस समय आठ वीथियों को विभिन्न कारणों से बंद कर दिया गया है। इन वीथियों को बंद करने के कारण बताने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ङ) और (च) प्रदर्शन क्षेत्र की उपलब्धता के आधार पर संस्कृति की शिक्षा/प्रसार के लिए चुनिंदा प्रदर्शों को प्रदर्शित किया जाता है। यह प्रक्रिया सभी अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालयों द्वारा अपनाई जाती है क्योंकि उपलब्ध संग्रह इतने बड़े होते हैं कि इन पूरे संग्रहों को प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। विभिन्न वीथियों में रखी वस्तुओं को समय-समय पर बारी-बारी से प्रदर्शित किया जाता है ताकि दर्शक अलग-अलग वस्तुओं को देख सकें और साथ ही उनका निवारक संरक्षण भी किया जा सके। इसके अलावा, 'माह की वस्तु' और 'माह की वीथि' के प्रदर्शन की भी व्यवस्था है जिनमें प्रदर्शित वस्तुओं को नियमित अंतराल पर बारी-बारी से रखा जाता है।

(छ) राष्ट्रीय संग्रहालय, कला वस्तुओं के परिरक्षण व भंडारण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य प्रक्रियाओं का पालन करता है। कला वस्तुओं को निवारक व उपचारात्मक उपचार करने के लिए संग्रहालय की संरक्षण प्रयोगशाला है। तापमान व सापेक्ष आर्द्रता को इष्टतम स्तर पर बना, रखने के लिए वीथियों व आरक्षित भंडार में सुविधाएं उपलब्ध हैं। वस्तुओं का परिरक्षण और समुचित भंडारण सतत् प्रक्रिया है।

विवरण

वीथियों के बंद होने के कारण

वीथि का नाम	जब से बंद की गई	बंद होने के कारण
सजावटी कलाएं–I	2006	प्रारंभ में यह वीथि निजाम के आभूषण की प्रदर्शनी का आयोजन करने और इसके बाद दिसम्बर, 2008 से आयोजित रूस साम्राज्य के फारबेर्ज बहुमूल्य आभूषणों की प्रदर्शनी के लिए यह वीथि बंद की गई थी। सजावटी कला का पुनः प्रदर्शन जनवरी, 2009 में प्रारंभ हुआ और 80% कार्य पहले ही पूरा हो चुका है।
तंजावुर	2007	तंजावुर चित्रों के पुराने फ्रेमों को नए फ्रेमों में बदलने के लिए वीथि को बंद किया गया था। इसके साथ-साथ वीथि का नवीकरण भी प्रारंभ कर दिया गया था।
पांडुलिपियां	2003	वीथि का आधुनिकीकरण करने के उद्देश्य से और कुछ प्रशासनिक कारणों से, वीथि को बंद किया गया था।
केन्द्रीय एसियाई पुरावस्तु–II	2004	भंडारण/वीथि की दूसरी मंजिल की छत में रिसाव के कारण, वीथि बंद कर दी गई थी।
संगीत–वाद्य–यंत्र वीथि और काष्ठ नक्काशी वीथि	2008	काष्ठ नक्काशी वीथि को प्रारंभ में इसलिए बंद किया गया था, क्योंकि संगीत–वाद्य यंत्रों को सुधार के लिए यहां पर लाकर रखा गया था। संगीत–वाद्य यंत्र वीथि का उद्घाटन दिसम्बर 2010 में किया गया था और उसके बाद काष्ठ नक्काशी वीथि के आधुनिकीकरण का कार्य हाथ में लिया गया है।
आभूषण	2008	इस वीथि का भी प्रयोग दिसम्बर, 2008 में रूस की प्रदर्शनी के लिए किया गया था। उसके बाद कुछ प्रशासनिक कारणों से इसको पुनः प्रारंभ नहीं किया जा सका।
उत्तर पूर्व की जीवनशैली और जनजातीय कला	2008	छत का रिसाव और अन्य निर्माण कार्य।
कांस्य वीथि	2011	वीथि की पुनर्निर्माण।

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे। श्री. वी. नारायणसामी।

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): मैं अपनी सहयोगी कुमारी सैलजा की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) गांधी स्मृति और दर्शन समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2009–10 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) गांधी स्मृति और दर्शन समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2009–10 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) गांधी स्मृति और दर्शन समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2009–10 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 5526/15/11)

(3) (एक) इंडियन म्यूजियम, कोलकाता के वर्ष 2007–2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन म्यूजियम, कोलकाता के वर्ष 2007–2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 5527/15/11)

(5) (एक) इंडियन म्यूजियम, कोलकाता के वर्ष 2008–2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन म्यूजियम, कोलकाता के वर्ष 2008–2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 5528/15/11)

(7) (एक) नव नालंदा महाविहार, नालंदा के वर्ष 2009–10 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नव नालंदा महाविहार, नालंदा के वर्ष 2009–2010 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नव नालंदा महाविहार, नालंदा के वर्ष 2009–2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(ग्रंथालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 5529/15/11)

(9) आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड तथा आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के बीच वर्ष 2011–2012 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गयी, देखिए संख्या एल.टी. 5530/15/11)

(10) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2010–2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

(दो) आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2010–2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रंथालय में रखी गयी, देखिए, संख्या एल.टी. 5531/15/11)

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :–

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत निर्दिष्ट खाद्य वस्तुओं पर (लाइसेंस आवश्यकताओं, स्टॉक सीमाओं और संचलन निर्बधनों) का हटाया जाना (चौथा संशोधन) आदेश, 2011 जो 29 नवम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2716(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गयी, **देखिए**, संख्या एल.टी. 5532/15/11)

(2) विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 52 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) विधिक मापविज्ञान (पैकेज्ड वस्तु) दूसरा संशोधन नियम, 2011 जो 30 सितम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 734(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) विधिक मापविज्ञान (पैकेज्ड वस्तु) तीसरा संशोधन नियम, 2011 जो 25 अक्तूबर, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 784(अ) की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 832(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(ग्रंथालय में रखी गयी, **देखिए**, संख्या एल.टी. 5533/15/11)

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(व्यवधान)★

अध्यक्ष महोदया : सभा पटल पर पत्र रखने दें।

...(व्यवधान)

उत्तर–पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पबन सिंह घाटोवार): मैं कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619क की धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:–

(एक) नॉर्थ ईस्टर्न हैंडिक्राफ्ट्स एण्ड हैंडलूम्स डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, गुवाहाटी के वर्ष 2010–2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) नॉर्थ इस्टर्न हैंडिक्राफ्ट्स एण्ड हैंडलूम्स डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड गुवाहाटी का वर्ष 2010–2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रंथालय में रखी गयी, **देखिए** संख्या एल.टी. 5534/15/11)

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय) : मैं दिल्ली विकास प्राधिकरण अधिनियम 1957 की धारा 58 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:–

(एक) "अपर आयुक्त (लैंडस्केप), दिल्ली विकास प्राधिकरण के भर्ती विनियम, 2011" जो 16 सितम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का. नि. 685 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) "निदेशक (सर्वेक्षण), दिल्ली विकास प्राधिकरण के भर्ती विनियम, 2011 (नया सृजित पद)" जो 16 सितम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 686(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) "उप–निदेशक (राजस्व), दिल्ली विकास प्राधिकरण के भर्ती विनियम, 2011 (नया सृजित पद)" जो 16 सितम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 687(अ) में प्रकाशित हुए थे।

★कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(चार) "आयुक्त (सिस्टम, दिल्ली विकास प्राधिकरण के भर्ती विनियम, 2011 (नया सृजित पद)" जो 16 सितम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 688(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) "आयुक्त (पीआर), दिल्ली विकास प्राधिकरण के भर्ती विनियम, 2011 (नया सृजित पद)" जो 16 सितम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 689(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) "उप मुख्य सुरक्षा अधिकारी, दिल्ली विकास प्राधिकरण के भर्ती विनियम, 2011 (नया सृजित पद)" जो 16 सितम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 690(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) "अपर मुख्य विधि, दिल्ली विकास प्राधिकरण के भर्ती विनियम, 2011 (नया सृजित पद)" जो 16 सितम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 691(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) "नयाचार अधिकारी, दिल्ली विकास प्राधिकरण के भर्ती विनियम, 2011 (नया सृजित पद)" जो 16 सितम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 692(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) "सहायक नयाचार अधिकारी, दिल्ली विकास प्राधिकरण के भर्ती विनियम, 2011 (नया सृजित पद)" जो 16 सितम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 693(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(ग्रंथालय में रखी गयी, देखिए संख्या एल.टी. 5535/15/11)

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हू :–

(1) कीटनाशी अधिनियम, 1968 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) का.आ. 2339(अ) जो 11 अक्तूबर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो एमामेक्टिन बेनजोएट 5% एसजी के आयात के लिए मैसर्स सीनजेंटा इंडिया लि. के पंजीकरण प्रमाणपत्र को रद्द करने के बारे में है।

(दो) का.आ. 2353(अ) जो 12 अक्तूबर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो एसेटामिप्रिड टेक्नीकल, एसेटामिप्रिड 20% एसपी फार्मुलेशन क्लोरपाफोसन 10% ग्रेनुएल्स फार्मूलेशन और क्लोरपारिफोस 50% साइपरमिथरिन 5% ईसी फार्मूलेशन के लिए मैसर्स डो एग्रो साइंसेस इंडिया प्रा.लि. के पंजीकरण प्रमाणपत्र को रद्द करने के बारे में है।

(ग्रंथालय में रखी गयी, देखिए संख्या एल.टी. 5536/15/11)

(2) (एक) नेशनल लेवर को–ऑपरेटिव्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2010–2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल लेबर को–ऑपरेटिव्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2010–2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

(ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 5537/15/11)

(3) (एक) नेशनल फेडरेशन ऑफ अरबन को–ऑपरेटिव बैंक्स एण्ड क्रेडिट सोसाइटीज लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2010–2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल फेडरेशन ऑफ अरबन को–

ऑपरेटिव बैंक्स एण्ड क्रेडिट सोसाइटीज लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2010–2011 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल फेडरेशन ऑफ अरबन को–ऑपरेटिव बैंक्स एण्ड क्रेडिट सोसाइटीज लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2010–2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए, **देखिए**, संख्या एल.टी. 5538/15/11)

(4) (एक) नेशनल को–ऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2010–2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल को–ऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2010–2011 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल को–ऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2010–2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए, **देखिए**, संख्या एल.टी. 5539/15/11)

(5) (एक) ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ को–ऑपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2010–2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ को–ऑपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2010–2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए, **देखिए** एल.टी. 5540/15/11)

(6) (एक) चौधरी चरण सिंह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, जयपुर के वर्ष 2010–2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) चौधरी चरण सिंह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, जयपुर के वर्ष 2010–2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(ग्रंथालय में रखे गए, **देखिए** संख्या एल.टी. 5541/15/11)

(7) (एक) इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, मुंबई के वर्ष 2010–2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, मुंबई के वर्ष 2010–2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए, **देखिए** संख्या एल.टी. 5542/15/11)

(8) (एक) नेशनल एग्रीकल्चरल को–ऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2010–2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल एग्रीकल्चरल को–ऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2010–2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए, **देखिए** संख्या एल.टी. 5543/15/11)

(9) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट हेल्थ

मैनेजमेंट, हैदराबाद के वर्ष 2009–2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट, हैदराबाद के वर्ष 2009–2010 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट, हैदराबाद के वर्ष 2009–2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए, **देखिए** संख्या एल.टी. 5544/15/11)

(11) (एक) नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट को–ऑपरेटिव बैंक्स लिमिटेड, नवीं मुंबई के वर्ष 2010–2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट को–ऑपरेटिव बैंक्स लिमिटेड, नवी मुंबई के वर्ष 2010–2011 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट को–ऑपरेटिव बैंक्स लिमिटेड, नवी मुंबई के वर्ष 2010–2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए, **देखिए** संख्या एल.टी. 5545/15/11)

(12) (एक) नेशनल को–ऑपरेटिव एग्रीकल्चर एण्ड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स फेडरेशन लिमिटेड, नवी मुंबई के वर्ष 2010–2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल को–ऑपरेटिव एग्रीकल्चर एण्ड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स फेडरेशन लिमिटेड, नवी मुंबई के वर्ष 2010–2011 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल को–ऑपरेटिव एग्रीकल्चर एण्ड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स लिमिटेड, नवी मुंबई के वर्ष 2010–2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए, **देखिए** संख्या एल.टी. 5545/15/11)

(13) जम्मू एण्ड कश्मीर हॉर्टिकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग एण्ड प्रोसेसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के वर्ा 1994–1995 से 2010–2011 के वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखापरीखित लेखाओं को संबंधित लेखा वर्षों की समाप्ति के पश्चात् 9 माह की निर्दिष्ट अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गयी, **देखिए** संख्या, एल.टी. 5547/15/11)

(14) (एक) स्मॉल फारमर्स एग्रीबिजनेस कंसोर्टियम, नई दिल्ली के वर्ष 2010–11 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्मॉल फारमर्स एग्रीबिनेजस कंसोटियम, नई दिल्ली के वर्ष 2010–11 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए, **देखिए**, संख्या एल.टी. 5548/15/11)

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चौधरी मोहन जतुआ) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) चिल्ड्रेन्स फिल्म सोसाइटी, इंडिया, मुंबई के वर्ष 2010–11 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) चिल्ड्रेन्स फिल्म सोसाइटी, इंडिया, मुंबई के वर्ष 2010–11 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीाा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये, **देखिए** संख्या एल.टी. 5549/15/11)

[हिन्दी]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत) : अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) (एक) नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, आनंद के वर्ष 2010–11 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, आनंद के वर्ष 2010–11 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए, **देखिए** संख्या एल.टी. 5550/15/11)

(2) (एक) नेशनल फेडरेशन ऑफ फिशरमैन्स को–ऑपरेटिव्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2010–2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल फेडरेशन ऑफ फिशरमैन्स को–ऑपरेटिव लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2010–2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये, **देखिए**, संख्या एल.टी. 5551/15/11)

[अनुवाद]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह) : मैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली के वर्ष 2010–2011 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षक प्रतिवेदन सभा पटल पर रखता हूं।

(ग्रंथालय में रखे गए, **देखिए**, संख्या एल.टी. 5552/15/11)

अपराह्न 12.01 बजे

राज्य सभा से संदेश और राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक*

[अनुवाद]

महासचिव : अध्यक्ष महोदया, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देनी है :–

(एक) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबंधों के अनुसरण, में मुझे इस राज्य सभा द्वारा 12 दिसम्बर, 2011 को हुई अपनी बैठक में पारित चार्टर्ड अकाउंटेंट (संशोधन) विधेयक, 2011 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

(दो) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे राज्य सभा द्वारा 12 दिसम्बर, 2011 को हुई अपनी बैठक में पारित लागत और संकर्म लेखापाल (संशोधन) विधेयक 2011 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

---

*सभा–पटल पर रखे गए।

(तीन) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे राज्य सभा द्वारा 12 दिसम्बर, 2011 को हुई अपनी बैठक में पारित कंपनी सचिव (संशोधन) विधेयक, 2011 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

अध्यक्ष महोदया, मैं 12 दिसम्बर, 2011 को राज्य सभा द्वारा यथा पारित चार्टर्ड अकाउंटेंट (संशोधन) विधेयक, 2011, लागत और संकर्म लेखपाल (संशोधन) विधेयक 2011 और कंपनी सचिव (संशोधन) विधेयक, 2011 सभा–पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.01¼ बजे

प्राक्कलन समिति विवरण

विवरण

[अनुवाद]

श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना (दक्षिण गोवा) : मैं उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (विषय–"सूखा प्रबंधन, खाद्यान्न उत्पादन और मूल्य स्थिति)" के संबंध में प्राक्कलन समिति के दूसरे प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) पर सरकार द्वारा–की–गई कार्यवाही के बारे में समिति (15वीं लोक सभा) के आठवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई अथवा किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्यवाही के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.01½ बजे

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

16वां और 17वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री बिरेन सिंह इंग्ती (स्वशासी जिला–असम) : मैं निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :–

(1) तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और नियोजन के बारे में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संबंध में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के पहले प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की–गई–कार्यवाही के बारे में समिति का 16वां प्रतिवेदन।

(2) गैस और पेट्रोल एजेंसियों के आबंटन में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण के बारे में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संबंध में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के चौथे प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में समिति का 17वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.01¾ बजे

वित्त संबंधी स्थायी समिति

41वें से 43वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : अध्यक्ष महोदया, मैं वित्त संबंधी स्थायी समिति (2011–2012) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी) प्रस्तुत करता हूं :–

(1) बीमा विधि (संशोधन) विधेयक, 2008 के बारे में 41वां प्रतिवेदन।

(2) भारतीय राष्ट्रीय पहचान प्राधिकरण विधेयक, 2010 के बारे में 42वां प्रतिवेदन।

(3) बैंककारी विधि (संशोधन) विधेयक, 2011 के बारे में 43वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.02 बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

[अनुवाद]

(एक) कृषि मंत्रालय से संबंधित 'अल्प मानसून तथा कृषि क्षेत्र पर इसके प्रभाव को कम करने के लिए

सरकार द्वारा उठाए गए कदमों, के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के 11वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति★

कृषि मंत्री तथा खाद्य प्रसंसकरण मंत्री (श्री शरद पवार) : मैं कृषि मंत्रालय से संबंधित 'अल्प मानसून तथा कृषि क्षेत्र पर इसके प्रभाव को कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाए, गए कदमों, के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के 11वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.02½ बजे

(दो) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2010–2011) के बारे में खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के 11वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।★★

[अनुवाद]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : मैं उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2010–2011) के बारे में खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के 11वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.03 बजे

कार्य मंत्रणा समिति के इकतीसवें प्रतिवेदन के संबंध में प्रस्ताव

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा 12 दिसम्बर, 2011 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 31वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है : "कि यह सभा 12 दिसम्बर, 2011 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 31वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.04 बजे

[अनुवाद]

नियम 377 के अधीन मामले★

अध्यक्ष महोदया : नियम 377 के अधीन मामले सभा–पटल पर रखे जाएंगे। वे सदस्य, जिन्हें आज नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति दी गई है और जो उन्हें सभा–पटल पर रखने के इच्छुक हैं, वे 20 मिनट के भीतर सभा पटल पर व्यक्तिगत रूप से अपनी पर्ची दे सकते हैं। केवल उन्हीं सदस्यों के मामलों को सभा–पटल पर रखा माना जाएगा जिनकी पर्चियां निर्धारित समय–सीमा के भीतर सभा–पटल पर प्राप्त होंगी और शेष मामलों को व्यपगत माना जाएगा।

(एक) रेल विभाग में रिक्त पदों को भरे जाने तथा भारतीय रेल के प्रचालन और सुरक्षा उपायों की कार्यकुशलता में सुधार किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती इन्ग्रिड मैक्लोड (नामनिर्दिष्ट) : मैं इस सम्मानीय सभा के माध्यम से माननीय रेल मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाना चाहती हूं कि भारतीय रेल के विभिन्न जोनों के अंतर्गत, विशेषकर मध्य रेल में विभिन्न श्रेणियों में अनेक पद रिक्त पड़े हुए हैं।

लोक सभा में एक तारांकित प्रश्न के उत्तर में माननीय रेल राज्य मंत्री ने स्वीकार किया है कि तकनीकी संवर्ग में 1,441 पद और गैर तकनीकी संवर्ग में 1,98,091 पद रिक्त पड़े हुए हैं।

यह उल्लेख करना व्यर्थ है कि रिक्तियां होने, परीक्षा आयोजित करने, चयनित पैनल को अंतिम रूप देने और नियुक्ति–पत्रों को जारी करने में जो समय लगता है उससे भारतीय रेल के सुचारू कार्यकरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

★सभा पटल पर रखा गया तथा ग्रंथालय में भी रखा गया। **देखिए,** संख्या एल.टी. 5553/15/11

★★सभा पटल पर रखा गया तथा ग्रंथालय में भी रखा गया, **देखिए,** संख्या एल.टी. 5554/15/11

★सभा पटल पर रखे माने गए।

रिक्त पदों को भरने से रेल कर्मचारियों पर पड़ रहे काम के बोझ को कम करने में सहायता होगी और साथ ही बेरोजगार युवकों को आवश्यक और अर्थपूर्ण आजीविका देने के आर्थिक प्रयासों में शामिल हो सकेंगे।

इसलिए, मैं माननीय रेल मंत्री से उपर्युक्त रिक्त पदों को शीघ्र भरने और भारतीय रेलवे के प्रचालन और सुरक्षा–उपायों के कार्यकुशलता–मानदण्डों में और सुधार करने की मांग करती हूं।

(दो) आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में संदूषित पेयजल की समस्या के बारे में अध्ययन किए जाने तथा जिले के लोगों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जल योजनाओं हेतु धनराशि प्रदान किए जाने की आवश्यकता

डॉ. क्रुपारानी किल्ली (श्रीकाकुलम) : श्रीकाकुलम जिला आंध्र प्रदेश सहित देश के सबसे पिछड़े जिलों में से एक है। इस जिले की अधिकांश जनसंख्या मछुआरों और कृषि श्रमिकों की है। जिले के अनेक गांवों में पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। जिले में छह मण्डल (पलासा, कांचीली, कावीती, सोमपेटा, इच्छापुरम और व्रजकोटूरू मण्डल) हैं जहां गुर्दे (किडनी) संबंधी रोगों की संख्या अधिक है। चार मण्डलों में पेयजल आपूर्ति सीपीडब्ल्यूएसएल द्वारा की जाती है और कुछ गांवों में ओवरहैड टैंकों के माध्यम से भू जल की आपूर्ति की जाती है। विभिन्न संगठनों द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल का और रक्त नमूना का विश्लेषण किया गया जिससे पेयजल में संदूषण पाया गया। इन क्षेत्रों के बड़ी संख्या में लोगों में गुर्दो संबंधी रोगों के तीव्र लक्षण पाए गए हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने इस स्थिति से निपटने के लिए आर आई एम एस, श्री काकुलम में एक डायलिसिस इकाई स्थापित की है। आर आई एम एस, श्रीकाकुलम में गुर्दे संबंधी रोगों के 800 से अधिक मामले और डायलिसिस के 700 से अधिक मामले पंजीकृत हैं और ऐसे मामलों की संख्या में प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। इस क्षेत्र के लोग इतने गरीब हैं कि वे स्वयं अपना उपचार नहीं करा सकते।

अतः मैं माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री से आग्रह करूंगा कि वे इस समस्या के संबंध में एक अध्ययन करवायें और इस क्षेत्र के लोगों का जीवन बचाने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। मैं, माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी से भी अनुरोध करना चाहूंगा कि वे श्रीकाकुलम जिले के प्रभावित क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हेतु आर डब्ल्यू एस योजनाएं लागू करने के लिए निधियां प्रदान करें।

(तीन) दिल्ली के उत्तर पूर्व दिल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वालों के लिए राजीव आवास योजना आरंभ किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश अग्रवाल (उत्तर पूर्व दिल्ली) : केन्द्रीय आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय द्वारा स्लम सर्वे के लिए गठित समिति के अनुसार इस वर्ष के अंत तक देश के स्लमों में रहने वालों की संख्या नौ करोड़ तीस लाख से भी ऊपर हो जाएगी। केन्द्र सरकार का यह सराहनीय कदम है कि उसके द्वारा स्लम स्थलों को विकसित कर गरीबी रेखा के नीचे आने वालों को मकान उपलब्ध कराने की महत्वाकांक्षी योजना बनाई गई है। लेकिन इस योजना को देश के सर्वाधिक घनी आबादी वाले राजधानी दिल्ली के उत्तर–पूर्वी क्षेत्र में वरीयता के आधार पर क्रियान्वित किए जाने की नितांत आवश्यकता है

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह शहरों में विशेषकर राजधानी दिल्ली के उत्तर–पूर्वी क्षेत्र के सभी स्लमों को प्राथमिकता के आधार पर विकसित करने और वहां रह रहे लोगों को उन्हीं स्थलों पर मकान उपलब्ध कराने और मालिकाना हक देने की राजीव आवास योजना को तीव्र गति से क्रियान्वित किए जाने हेतु आवश्यक पहल करें।

(चार) देश में कृषकों के समक्ष आ रही समस्याओं के निवारण के लिए फसल सुरक्षा कोष स्थापित किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री एंटो एंटोनी (पथनमथीट्टा) : मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) जोकि देश में कार्यात्मक है, के स्थान पर एक फसल सुरक्षा कोष की स्थापना करने के लिए आवश्यक कदम उठाए। मूल्य स्थिरीकरण कोष (पी एस एफ) देश में कृषक समुदाय के सामने आ रही विभिन्न चुनौतियों को हल करने में असफल रही है। मूल्य स्थिरीकरण कोष का

उद्देश्य किसानों को उस समय सहायता प्रदान करना है जब फसलों की कीमतों में अप्रत्याशित गिरावट आती है, तथापि, मूल्य स्थिरीकरण कोष का प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल पैदा न होने की स्थिति से कोई लेना-देना नहीं है। भारत के किसानों द्वारा आत्महत्या करने का मुख्य कारण फसल पैदा न होने की स्थिति है, न कि कृषि उत्पादों के मूल्य में गिरावट आना। सरकार विगत नौ वर्षो से योजना के अंतर्गत किसानों से बड़ी राशि एकत्रित करती आ रही है। इसलिए मेरा सरकार से आग्रह है कि इस फसल सुरक्षा कोष की स्थापना की जाए और मूल्य स्थिरीकरण कोष के अंतर्गत किसानों से एकत्रित की गई राशि हेतु उन्हें उचित ब्याज प्रदान किया जाए। फसल सुरक्षा कोष में देश में किसानों के समक्ष आ रही अनेक प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए पर्याप्त संसाधन होने चाहिए।

(पांच) शिक्षा का अधिकार अधिनियम की भावना के अनुरूप देश में प्रत्येक बालक को शिक्षा मुहैया कराने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता।

[हिन्दी]

श्री जगदीश ठाकोर (पाटन) : यू.पी.ए. सरकार ने शिक्षा का अधिकार कानून बनाकर एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। केन्द्र सरकार का कार्य कानून बनाना है। देश के 28 राज्य व 7 केन्द्र शासित प्रदेशों में एक कानून हो और बच्चों को मुफ्त शिक्षा का लाभ मिले तथा कोई भी बच्चा पढ़ने के अपने अधिकार से वंचित न रहे।

केन्द्र सरकार ने शिक्षा का अधिकार काननू ही नहीं बनाया अपितु राज्य सरकारों को 68 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च पर योगदान दे रही है तथा राज्य सरकार 32 प्रतिशत खर्च वहन करेगी। शिक्षा राज्य का विषय है।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि अभी तक जिन राज्य सरकारों ने इस कानून को लागू नहीं किया उन्हें इस दिशा में उचित कदम उठाने हेतु कहा जाए जिससे इन राज्यों के बच्चे शिक्षा से वंचित न रहे। आज भी देश में तीन करोड़ बीस लाख बच्चे शिक्षा से वंचित हैं।

इसके अतिरिक्त प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी को दूर किया जाए और नए शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। जिससे ग्रामीण क्षेत्र में विशेषकर बालिकाएं, इसका लाभ उठा सकें। शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए तथा गांव में पब्लिक स्कूलों में समाज के गरीब बच्चों को 25 प्रतिशत दाखिल मिले इस पर विशेष ध्यान देने के साथ-साथ निगरानी कमेटियां बनाई जाएं।

(छह) विशाखापत्तनम स्टील प्लांट में फ्रंट लाईन एक्जिक्यूटिब्स (जेओ-ई4) के संबंध में वेतन में अनियमितताओं को दूर करने के लिए कदम उठा, जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री एल. राजगोपाल (विजयवाड़ा) : विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र (वी एस पी) एक नवरत्न कंपनी है, की वर्तमान सफलता का श्रेय इसके कार्मिकों से लेकर फ्रंट लाइन और शीर्ष कार्यकारियों द्वारा किये गए कठिन परिश्रम को दिया जाता है। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कंपनी के कार्मिकों के प्रति न तो कोई भेदभाव होना चाहिए न ही उनके बीच शिकायतें होनी चाहिएं। परतु ऐसा ज्ञात हुआ है कि वी एस पी में कार्यरत फ्रंटलाइन कार्यकारियों (जेओ-ई4) हेतु जनवरी, 2007 में किए गए वेतन पुनरीक्षण को अभी तक पूर्णतः लागू नहीं किया गया है।

लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों की गलत व्याख्या करके कार्यकारियों को कुल वेतन 'की' घर ले जाई जाने वाली राशि पर मिलने वाला उत्पादन प्रोत्साहन समाप्त कर दिया गया है। इसे तुरन्त बहाल किया जाना चाहिए तत्काल इसे बढ़ाकर 100% किया जाना चाहिए।

जेओ-ई4 कार्यकारियों को अपने वेतन का 18% कार्यनिष्पादन संबंधी वेतन (पी आर पी) के रूप में प्राप्त हो रहा है, जबकि गैर-कार्यकारियों के लिए यह 40-50% है। उत्पादन सभी का संयुक्त प्रयास है, इसलिए कुछ कर्मियों के प्रति भेदभाव दर्शाना न्यायोचित नहीं है और इससे कंपनी की प्रगति में बाधा आएगी। इसलिए जेओ-ई4 को गैर-कार्यकारियों के बराबर कार्य निष्पादन संबंधी वेतन किया जाना चाहिए।

कार्यकारियों हेतु रात्रि पाली भत्ता 45 रु. की दर से दिया जाता है और गैर-कार्यकारियों हेतु यह 90 रु. है जबकि अन्य सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (पी एस यू) में कार्यकारियों को 350 रु. की दर से दिया जाता है। अतः सभी के लिए एक समान रात्रि पाली भत्ता होना चाहिए।

अंततः एचबीए, ब्याज राजसहायता को भत्ते का भाग नहीं बनाना चाहिए।

(सात) भोपाल, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के जहरीले अपशिष्ट को डीआरडीओ संयंत्र, नागपुर में नष्ट किए जाने के निर्णय की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर) : महोदया, आपकी अनुमति से मैं यह मामला उठाता हूं जिसका संपूर्ण विदर्भ क्षेत्र के लोगों के स्वास्थ्य और पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री, भोपाल के 346 टन जहरीले अपशिष्ट को नागपुर स्थित डीआरडीओ के भस्मीकरण संयंत्र में भस्म करने के सरकार के हाल के निर्णय से यहां के लोगों के समक्ष कई समस्या, आएंगी। डीआरडीओ का यह छोटा संयंत्र मुख्यतः प्रयोग और अनुसंधान करने के लिए है और यह छोटा भस्मीकरण संयंत्र 346 टन जहरीले कचरे को चलाने में सक्षम नहीं होगा। अंततः इसका परिणाम यह होगा कि नागपुर के आस-पास अवस्थित कई कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों के कारण पहले से अत्यधिक प्रदूषित वातावरण के अलावा बिना सोची समझी आपदा आ सकती है। विदर्भ क्षेत्र के चन्द्रपुर जिले में 33 कोयला खदान और 750 फैक्ट्री चल रही हैं तथा कुछ वर्ष पूर्व यह देश का सबसे प्रदूषित जिला था और महाराष्ट्र के मानव विकास सूचकांक में इसका क्रम 26वां है। भोपाल के यूनियन कार्बाइड संयंत्र के जहरीले अपशिष्ट के नागपुर में निपटान से न केवल विदर्भ क्षेत्र के प्रदूषण स्तर में वृद्धि होगी बल्कि संपूर्ण महाराष्ट्र के प्रदूषण स्तर में वृद्धि होगी। नागपुर के लोगों और अन्य संबंद्ध लोगों के लगातार विरोध के बावजूद भोपाल से इस जहरीले अपशिष्ट को ढ़ो कर इस छोटे से भस्मीकरण संयंत्र तक ले जाने के पीछे कोई समझदारी नहीं है।

उपर्युक्त के आलोक में, मैं सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि वह इस जहरीले अपशिष्ट को नागपुर स्थित डीआरडीओ के संयंत्र में भस्मीकृत किए जाने के अपने निर्णय की समीक्षा करें।

(आठ) मध्य प्रदेश के ग्वालियर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में, कृषकों को डीएपी, यूरिया और एनपीके उर्वरकों की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया (ग्वालियर) : ग्वालियर संसदीय क्षेत्र के किसानों को रबी फसल की तैयारी के लिए खाद (डी.ए.पी. यूरिया, एन.पी.के.) उपलब्ध न होने के कारण किसानों को भारी संकट का सामना करना पड़ रहा है। यह स्थिति ग्वालियर जिले के चारों तहसील भितरवार, डबरा, घाटीगांव, मुरार में है।

माननीय केन्द्रीय मंत्री, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार से आग्रह है कि रबी की फसल की अच्छी पैदावार हेतु पर्याप्त मात्रा में मध्य प्रदेश को डी.ए.वी. यूरिया एवं एन.पी.के. का कोटा आबंटित किया जाए ताकि ग्वालियर को भी उचित मात्रा में खाद उपलब्ध हो सके।

(नौ) झारखण्ड के बोकारो जिले में पर्वतपुर में आबंटित कोयला ब्लॉकों का विधिसम्मत उपयोग सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह) : झारखंड सहित अन्य राज्यों से संबंधित कोयला खदानों में लौह, इस्पात उद्योगों और विद्युत संयंत्रों के विकास के लिए कोल ब्लॉकों का आबंटन किया गया है, जिसमें बोकारो जिला के पर्वतपुर कोल ब्लॉक का आबंटन मैसर्स इलैक्ट्रो स्टील कॉस्टिंग लिमिटेड को किया गया है। इस संबंध में मई, 2010 में इस सदन के माध्यम से सरकार को अवगत कराया था कि कोयले के उत्खनन एवं बिक्री के नियमों की अवहेलना की जा रही है और कोयले को झारखंड के बाहर हल्दीया पोर्ट भेजा जा रहा है। इससे भारत सरकार को राजस्व की हानि के साथ-साथ वन की भूमि पर खनन का कार्य किया जा रहा है। इसलिए अविलंब खनिज उत्खनन (माइंस) का आबंटन रद्द किया जाए।

सरकार से अनुरोध है कि उपरोक्त मामले की स्थिति स्पष्ट की जाए।

(दस) महाराष्ट्र के अहमदनगर में हवाई अड्डा बनाए, जाने की आवश्यकता

श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी (अहमदनगर) : मैं सरकार का ध्यान अहमदनगर (महाराष्ट्र) की ओ; दिलाना चाहता हूं। अहमदनगर क्षेत्र एक बड़ा केन्द्र है। यहां रक्षा मंत्रालय का तथा "वी.आर.डी.ई." वाहनों का जांच केन्द्र है। भारत के सबसे बड़े धार्मिक एवं पर्यटक स्थल शिर्डी और शनि-शिंगणापुर तथा मेहेराबाद अहमदनगर के नजदीक है। यहां व्यापार की दृष्टि से सब्जियां, अनाज, फ्रूट, सीमेंट, फर्टिलाइजर तथा मिलिट्री के सामान आदि की दृष्टि से व्यापारियों का आवागमन रहता है और अहमदनगर

के नजदीक ही अकोलनेर गांव में भारत पेट्रोलियम का एक बड़ा टर्मिनल कार्यरत है। इसलिए सरकार द्वारा अहमदनगर में एयरपोर्ट बनाया जाए ताकि उड्डयन मंत्रालय को हवाई यात्रा से आर्थिक लाभ भी मिल सके और क्षेत्र की जनता को भी यात्रा का लाभ मिले।

मेरा निवेदन है कि शिर्डी, शिंगणापुर में आने वाले पर्यटकों की बड़ी संख्या को देखते हुए हवाई अड्डे की अति आवश्यकता है और वर्षों से इसकी मांग समय-समय पर की गई है।

(ग्यारह) देश में केन्द्रीय सिविल सेवकों को मुहैया करायी गयी आवास और तत्संबंधी सुविधाओं के बारे में दिशानिर्देश बनाएं, जाने की आवश्यकता

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ) : देश को आजाद हुए 64 वर्ष से अधिक हो गए परंतु आज भी हमारी अनेक व्यवस्थाएं सामंती युग का स्मरण दिलाती है। जिला तथा मंडल मुख्यालयों पर विभिन्न वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के आवास इसके उदाहरण है। अनेक स्थानों पर ये आवास कई एकड़ में फैले हैं। इनमें खेती भी होती है इस खेती तथा अन्य सेवाओं को करने के लिए राजकोष से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी सेवा में रहते हैं जिनकी संख्या 20-25 अथवा 50 तक भी होती है। ये कर्मचारी रजिस्टरों में अपने-अपने कार्यालयों में कार्यरत दिखाये जाते हैं परंतु वास्तव में इन अधिकारियों के यहां कार्य करते हैं। खेती की आमदनी पर बेशक अधिकारी का निजी स्वामित्व होता है। उपरोक्त प्रकार के बंगले तथा वहां प्रचलित राजसी व्यवस्थाएं जहां एक ओर इन अधिकारियों को जनता के सेवक के स्थान पर जनता का मालिक बनाती है वहीं आम आदमी अपनी व्यथा इनके सामने रखने का साहस भी नहीं जुटा पाता।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि केन्द्रीय प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारियों के आवास तथा वहां की व्यवस्थाओं के संबंध में ऐसे मानक निर्धारित किए जायें तथा ऐसे नियम बनाये जायें जो लोकतंत्र की मूल भावना के अनुरूप हों।

(बारह) इटावा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के उन किसानों, जिनकी भूमि नई दिल्ली हावड़ा रेल लाईन के निर्माण के लिए अर्जित की गई है, को पर्याप्त प्रतिपूर्ति प्रदान कराए जाने की आवश्यकता

श्री प्रेमदास (इटावा) : नई दिल्ली से हावड़ा तक नई रेल लाइन की शुरूआत हो चुकी है जिसमें मेरे संसदीय क्षेत्र इटावा के किसानों की जमीन भी इस प्रोजेक्ट में आ रही है। यह खेती की जमीन है जिससे किसान परिवार का भरण पोषण करते हैं। जमीन ही उनका आखिरी सहारा है। जो खेती की जमीन इसमें जा रही है उसका मुआवजा व्यवसायिक रेट पर नहीं दिया जा रहा है। जिससे क्षेत्र के किसानों में रोष है। इसलिए मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि मेरे संसदीय क्षेत्र के किसानों की जमीन उक्त प्रोजेक्ट हेतु अधिग्रहित की गई है उन्हें मुआवजा व्यवसायिक रेट पर दिया जाए।

(तेरह) कृषकों को राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से सीधे ऋण का वितरण करने की व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता

श्री सुरेन्द्र सिंह नागर (गौतम बुद्ध नगर) : वर्तमान में देश के किसानों की आर्थिक स्थिति अत्यधिक दयनीय बनी हुई है और उन्हें अपनी फसल का लाभकारी मूल्य नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से आर्थिक तंगी से मजबूर किसानों द्वारा आत्महत्या किए जाने के प्रकरण सामने आते रहते हैं। राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कृषि जैसे प्राथमिक क्षेत्र से जुड़े कृषकों को जहां सीधे ऋण प्रदान किया जाना चाहिए, वहां उनके द्वारा पूर्णतः ऐसा नहीं किया जा रहा है। राष्ट्रीयकृत बैंक किसानों को बहुत कम मात्रा में सीधे ऋण प्रदान करते हैं तथा उनके द्वारा नाबार्ड को अधिक धन का आबंटन किया जाता है तथा नाबार्ड जब किसानों को ऋण प्रदान करता है तो वह न केवल राष्ट्रीयकृत बैंकों से अधिक ब्याज किसानों से वसूल करता है, बल्कि राष्ट्रीयकृत बैंकों से प्राप्त धन को कृषि जैसे प्राथमिक क्षेत्र से जुड़े किसानों को देने में शिथिलता भी बरतता है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह देश के किसानों को राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से ही किसानों को सीधे ऋण सेवा प्रदान किए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें।

(चौदह) आरा और सासाराम के बीच संझौली हाल्ट स्टेशन का एक पूर्ण रेलवे स्टेशन के रूप में उन्नयन किए जाने की आवश्यकता

श्री महाबली सिंह (काराकाट) : काराकाट लोक सभा क्षेत्र के अंतर्गत पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत आरा सासाराम के बीच संझौली रेलवे हाल्ट को पूर्ण रेलवे स्टेशन का दर्जा दिया जाए।

(पंद्रह) तमिलनाडु के कृष्णागिरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के होसूर में एक नया केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री ई.जी. सुगावनम (कृष्णागिरी) : कृष्णागिरी तमिलनाडु के पिछड़े जिलों में से एक है जिसकी सीमा कर्नाटक राज्य से लगती है। मुख्य रूप से यहां तीन भाषाएं बोली जाती हैं यथा तमिल, तेलगू और कन्नड़। कृष्णागिरी में केन्द्र और राज्य सरकार के कई कार्यालय हैं और देश के विभिन्न हिस्सों में रक्षा बलों में कार्यरत लोगों के परिवार यहां रह रहे हैं। तथापि, उनके बच्चों को विद्यालयों में दाखिला नहीं मिल रहा है और उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी नहीं मिल पा रही है।

महोदय, मेरे कृष्णागिरी संसदीय क्षेत्र में एक केन्द्रीय विद्यालय खोलने की मांग लंबे समय से लंबित है। इसके आस-पास में कोई केन्द्रीय विद्यालय मौजूद नहीं है। हाल ही में भारत सरकार ने देश के विभिन्न हिस्सों में तथा प्रत्येक जिले में एक केन्द्रीय विद्यालय खोलने का निर्णय लिया है।

इसलिए, मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे तमिलनाडु स्थित मेरे कृष्णागिरी संसदीय क्षेत्र के होसुर में एक न, केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिए यथा शीघ्र कदम उठाएं।

(सौलह) चेन्नई, पोर्ट और चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड रिफाइनरी के बीच कच्चे तेल की नई पाइप लाईन बिछाने के लिए पर्यावरण संबंधी मंजूरी शीघ्र प्रदान किए जाने की आवश्यकता

डॉ. पी. वेणुगोपाल (तिरूवल्लूर) : चेन्नई स्थित सरकारी क्षेत्र की रिफाइनरी, सीपीसीएल चेन्नई बंदरगाह से कच्चे तेल को भेजने के लिए 42 वर्ष पुरानी पाइप लाइन का इस्तेमाल कर रही है जो उत्तरी चेन्नई की घनी आबादी वाले क्षेत्र से गुजरती है। इस पाइप लाइन का लगातार इस्तेमाल यहां की आबादी के लिए जोखिम भरा है। इस रिफाइनरी द्वारा प्रस्तावित नई पाइप लाइन का मार्ग एन.एच.ए.आई. द्वारा चेन्नई बन्दरगाह से एन्नोर बन्दरगाह तक बनाए जा रहे सड़क का कार्य शुरू हो गया है किंतु पर्यावरण और वन मंत्रालय ने इस तथ्य के बावजूद भी इसकी अनुमति प्रदान नहीं की है कि राज्य तटीय विनियमन क्षेत्रीय प्राधिकरण ने इस प्रस्ताव को अनुमति प्रदान कर दी है। इस पाइप लाइन को बिछाने के संबंध में शिकायतों की जांच कर रही समिति ने यह माना है कि ये शिकायतें मान्य नहीं हैं समाचार पत्रों की रिपोर्टों से यह पता चलता है कि पाइप लाइन परियोजना के लिए अनुमति पर पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा रोक लगा दी गई है। विद्यमान लाइन को बदलना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पुरानी पाइप लाइन आबादी के लिए खतरा है और इससे रिफाइनरी तक कच्चे तेल की आपूर्ति भी प्रभावित होगी, जो समग्र तमिलनाडु की आवश्यकता को पूरा कर रही है। उद्योग संबंधी संसदीय समिति द्वारा यथा संस्तुत इस नई पाइप लाइन से संबंधित इस प्रस्ताव को अनुमति प्रदान करने के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा तत्काल कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है।

(सत्रह) बीएसएनएल के कटक दूरसंचार डिवीजन की पारादीप, तिरतोल और कुजांग उप डिवीजनों में कार्यरत ठेका और अस्थायी मजूदरों की समस्याओं का निवारण किए जाने की आवश्यकता

श्री बिभू प्रसाद तराई (जगतसिंहपुर) : मैं यह मुद्दा उठाना चाहूंगा कि बीएसएनएल के कटक दूरसंचार डिवीजन ने तकनीकी एवं गैर तकनीकी वर्गों में विभिन्न सब डिवीजनों के अंतर्गत 400 संविदा एवं नैमित्तिक मजदूरों की नियुक्ति की हैं बीएसएनएल के कटक दूरसंचार डिवीजन के पारादीप, तिरतोल एवं कुजांग सब डिवीजनों में नियोजनरत संविदा एवं नैमित्तिक मजदूर ईपीएफ, पहचान पत्र आदि जैसे किसी सांविधिक उपबंधों के बगैर विभिन्न क्षमताओं में 15 वर्षों से अधिक समय से काम करते रहे हैं। उन्हें केवल 1000 रुपये से 2200 रु. प्रतिमाह की मामूली मजदूरी मिलती है। श्रम कानून के अनुसार ऐसे मजदूर जो ठेकेदार बदलने के बावजूद 10 वर्षों से अधिक समय से किसी कंपनी या पी एस यू में काम कर रहे हैं और जिन्होंने अधिवार्षिता की आयु पार नहीं की है तथा चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ हैं, वो वरिष्ठता क्रम में नियमित कर्मचारियों के रूप में आमेलन किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में, मैं श्रम और रोजगार मंत्री से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे बीएसएनएल के कटक दूरसंचार डिवीजन के पारादीप, तिरतोल एवं कुजांग सब डिवीजनों में कार्यरत संविदा एवं नैमित्तिक मजदूरों की श्रेणी का वर्गीकरण करने तथा उन

मजदूरों की सेवाएं नियमित करने का निदेश संबंधित प्राधिकरण अर्थात् बीएसएनएल को दें, जिन्होंने बीएसएनएल में कम से कम दस वर्ष पूरे किए हैं तथा उन्हें श्रम विभाग की नवीनतम अधिसूचना के अनुसार न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करने का निदेश दें। उपर्युक्त सब डिवीजनों में कार्यरत सभी संविदा एवं नैमित्तिक मजदूरों के संबंध में मस्टररॉल एवं रिकार्ड का समुचित रख-रखाव किया जाना चाहिए तथा उन्हें बीएसएनएल के किसी अधिकारी की उपस्थिति में महीने की किसी निश्चित तिथि को मासिक परिश्रमिक दिया जाना चाहिए। साथ ही, उन्हें भारतीय संविदा और उत्सादन अधिनियम, 1970 (इंडियन कान्ट्रैक्ट एण्ड एबॉलिशन ऐक्ट, 1970) के अनुसार पहचान पत्र के साथ ई पी एफ, उपदान (ग्रैच्युटी) आदि सामाजिक सुरक्षालाभों की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि की वर्तमान स्थिति में, श्रम और रोजगार मंत्री को इन गरीब संविदा एवं नैमित्तिक मजदूरों, जो विभिन्न श्रम कानूनों एवं सरकारी कल्याणकारी कार्यकलापों के बावजूद ठेकेदारों एवं नियोक्ताओं के हाथों सदा ही शोषण का स्रोत बने हैं, की समस्याएं दूर करने के लिए कदम उठाने की जरूरत है।

(अठारह) सिक्किम और तिब्बत के बीच नाथूला सीमा से होने वाले वाणिज्य और व्यापार में तेजी लाने हेतु कदम उठाएं जाने की आवश्यकता

श्री प्रेम दास राय (सिक्किम) : नाथुला सीमा व्यापार सिक्किम एवं तिब्बत के बीच 6 जुलाई 2006 को बहुत ताम-झाम के साथ खोला गया था। इसे भारत एवं चीन के बीच संबंधों के सामान्यीकरण का संकेत करने की महत्वपूर्ण घटना माना गया था। पांच वर्ष से अधिक समय बीत गए हैं फिर भी शायद ही कोई उल्लेखनीय व्यापार हो रहा है तथा मैं इस महान सभा के ध्यान में यह लाना चाहूंगा कि जब तक व्यापार वस्तुओं की सूची में उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं किया जाता तब तक कोई अग्रगामी प्रगति नहीं हो सकती। हम 50 वर्ष से भी पूर्व से प्रचलित व्यापार सूची का पालन कर रहे हैं। आज किसका व्यापार किया जा सकता है या किया जाना चाहिए वह बहुत भिन्न है। मैं वाणिज्य मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि वह इस सूची को बदलने के लिए स्वत:स्फूर्त कदम उठाएं, तथा सिक्किम के व्यापारियों को गति प्रदान करे।

अपराह्न 12.05 बजे

केवल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2011

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : अब हम मद सं. 18 लेंगे।

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

मैं चाहती हूं कि माननीय सदस्य प्रसारण उद्योग में बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव, जो एनालॉग केबल टेलीविजन नेटवर्क का डिजिटलीकरण है, पर ध्यान दें। सरकार डिजीटलीकरण करने के मार्ग पर अग्रसर विश्व के अन्य देशों के समकक्ष भारत को लाने के लिए प्रसारण क्षेत्र में दूरगामी प्रभाव वाले सुधार करने के लिए वचनबद्ध है। माननीय सदस्यों को यह जानकारी होगी कि एनालॉग नेटवर्क डिजिटलीकरण की प्रक्रिया अमरिका, यू.के., जापान, ताइवान, कोरिया जैसे तथा विश्व के अन्य कई देशों में पहले ही की जा चुकी है।

डिजिटलीकरण से प्रत्येक हितधारी को कई लाभ होंगे। सबसे महत्वपूर्ण लाभ आम आदमी, जो निश्चिय ही सबसे महत्वपूर्ण हितधारी है, को होगा। डिजिटलीकरण से उपभोक्ता विभिक्त चैनलों के विकल्पों में से चयन कर सकेंगे, तस्वीर की गुणवत्ता बेहतर होगी, ट्रिपल प्ले, वीडियो ऑन डिमांड आदि जैसे मूल्य संवर्द्धित सेवाएं प्राप्त कर सकेंगे। प्रसारकों एवं केबल आपरेटरों, दोनों सेवा प्रदाताओं के लिए इस व्यवस्था से पारदर्शिता, निष्पक्षता एवं पूर्ण एड्रेसिबिलिटी सुनिश्चित होगी, जिसके परिणाम स्वरुप अंशदान राजस्व में वृद्धि तथा टीआरपी पर उनकी निर्भरता में कमी आएगी तथा विज्ञापन राजस्व में भी वृद्धि होगी। हमें आशा है कि इससे बेहतर एवं अधिक सार्थक विषयवस्तु देखने को मिलेगी।

इसी प्रकार सरकार को इससे लाभ होगा क्योंकि एड्रेसिबिलिटी के परिणामस्वरूप ग्राहक आधार की सही जानकारी मिलेगी और इससे समुचित कर संग्रहण में भी सहायता मिलेगी जिसके परिणामस्वरूप सरकार को हर प्रकार के राजस्व की चोरी से बचा जा सकेगा।

[श्रीमती अम्बिका सोनी]

सभी हितधारकों के लिए यह विजयी–मय स्थिति प्रतीत होती है।

माननीय सदस्यों को यह जानकर खुशी होगी कि हमने डिजीटलीकरण के इस प्रक्रिया के लिए विस्तृत रूपरेखा तैयार कर ली है, जिसे 31 दिसम्बर, 2014 तक पूरा किया जाना है। इसे देश भर में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।

सरकार ने सभी हितधारकों और हितधारकों के प्रतिनिधि निकायों से उनकी वास्तविक चिन्ताओं का समाधान करने और इस परिवर्तन को सुकर बनाने के लिए उनके साथ परामर्श, चर्चा और वार्ता की नीति का भी पालन किया है। मुझे आपको यह सचित करते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि हमें उन सभी हितधारकों से उत्साहजनक समर्थन मिला है, जो इस पहल का इंतजार कर रहे हैं।

अंत में, डिजीटल प्रणाली को शुरू करने से विनियामक एजेंसियों कुछ बेईमान तत्वों गैर कानूनी गतिविधियों पर निगरानी रखने में सक्षम होंगे। माननीय सदस्यगण को यह विदित है कि यह बात छिपी नहीं है कि हम कुछ क्षेत्रों में कतिपय गैर–अनुमति प्राप्त चैनलों के कैरिज से क्षुब्ध रहे हैं कि उन पर अभी तक नियंत्रण रख पाना कठिन रहा है। सम्पूर्ण समाधान व्यवस्था के साथ इस मामले को प्रभावी ढंग से निपटाया जा सकता है।

मैं आश्वस्त हूं कि माननीय सदस्यों के पास बड़ी संख्या में उपयोगी सुझाव हैं और मैं रूचि के साथ उन्हें सुनना चाहता हूं तथा जहां भी सम्भव होगा उन्हें समाविष्ट करूंगा।

अध्यक्ष महोदया : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ) : अध्यक्ष महोदया, अभी जैसा कि माननीय मंत्री जी बता रही थीं कि इस बिल के लाने के बाद कुछेक चीजें व्यवस्थित हो जाएंगी, आम दर्शक को भी लाभ होगा, ट्रांसमिशन की भी क्वॉलिटी सुधरेगी, ये बहुत सारी बातें जो बिल के अंदर कही गयी हैं, उसका सार संक्षेप अभी माननीय मंत्री जी बता रही थीं। लेकिन इस बिल को पढ़ने के बाद और सामान्य आदमी के साथ उठने बैठने का जो अनुभव है, उसको देखने के बाद लगता है कि इसमें कई ऐसी समस्या, हैं जो मुझे आशंकित करती हैं। कुछ कठिनाइयां हैं जिनका बिल के अंदर तो संभवतः उपचार नहीं है, लेकिन उसके एग्जीक्यूशन पार्ट में उसकी चिंता की जा सकती है। मैं उन्हीं कुछ बिंदुओं के संबंध में सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अभी जैसा कि कहा गया है, इस बिल के लागू होने के बाद सारे चैनल्स एनक्रिपटेड होकर ही आगे बढ़ेंगे। अभी कुछ चैनल्स डीक्रिपटेड ढंग से भी पहुंचते हैं और वो बिना किसी सैट–बॉक्स के आम आदमी तक पहुंच जाते हैं। उसके लिए जो व्यवस्था की गई है, बिना सैट–बॉक्स लगाये हुए वास्तव में कोई व्यक्ति किसी चैनल को नहीं देख सकता है। अभी तो 20–22 चैनल्स हैं, दूरदर्शन हे या लोक सभा टी.वी. भी है जो बिना सैट–बॉक्स के भी यदि केबल ऑपरेटर से उसने एक कनैक्शन ले रखा है तो बिना उसके भी दर्शक उसको देख सकता है। कुछ और भी चैनल्स हैं जो हमारे पास सीधे आते हैं, उनको भी वो देख सकता है। लेकिन इसमें व्यवस्था की गई है और मैं उसको यहां कोट करना चाहूंगा :

[अनुवाद]

"यदि केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि ऐसा करना लोक हित में जरूरी है, और यदि प्राधिकरण द्वारा अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया गया हो, तो यह प्राधिकरण को सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से यह विनिर्दिष्ट करने का निदेश दे सकती है कि मूल सेवा श्रेणी बनाने हेतु चैनल–पैकेज में एक या अधिक 'फ्री–टू–एयर' चैनलों को शामिल किया जाए और अधिसूचना में ऐसे किसी एक या अधिक चैनलों को विनिर्दिष्ट किया जा सकता है।

यानी सारा जो इसके अंदर वर्णन है, इसमें इस ढंग से लिखा गया है कि उसके पास बहुत ऑप्शंस रहेंगे। यानी इसमें यह बात बड़ी चतुराई से कही गयी है कि पैकेज के अंदर यानी जो पैकेज केबल ऑपरेटर देगा या जो भी व्यवस्था होगी, उसमें दो या तीन जैसा कि सरकार उचित समझेगी, विधेयक के द्वारा बतायेगी, उनको जोड़ दिया जाएगा लेकिन कुल मिलाकर दर्शक को एक पैकेज ही चुनना होगा। उस पैकेज का मूल्य देना होगा। यह जो व्यवस्था है, इसके अंदर आम दर्शक को जो उसका एक सामान्य अधिकार मनोरंजन का चला आ रहा है, उससे वंचित कर देगी। मेरी यह पहली आशंका है जिसे दूर किया

जाना आवश्यक है। इस संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि चाहे तो यह अनिवार्य किया जाए कि जो कुछ चैनल्स हूं, उनको या तो एनक्रिप्ट किया ही नहीं जाए और यदि एनक्रिप्ट किया जाए तो उनका कोई शुल्क किसी भी प्रकार से आम दर्शक से नहीं लिया जाना चाहिए। मेरी पहली यह आशंका है और मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इस संबंध में जरूर कुछ हल बताएंगी। मेरी एक और चिंता है कि इसमें जो राइट टू वे केबल ऑपरेटर के लिए कहा गया है, उसके अंदर यह बताया गया है :

[अनुवाद]

''इस धारा के अन्तर्गत भूमिगत केबल बिछाने तथा खंबे खड़े करने हेतु रास्ते के अधिकार की सुविधा सभी केबल प्रचालकों को इस शर्त के साथ उपलब्ध होगी कि लोक प्राधिकारी के विकल्प पर सम्पत्ति की पुर्नस्थापना या पुनर्बहाली की बाध्यता या तत्संबंधी पुनर्स्थापना या पुनर्बहाली प्रभार का भुगतान करना होगा।''

[हिन्दी]

इसके बाद भी उसमें लिखा है कि यदि किसी समय इनको ये लगता है कि पब्लिक प्रापर्टी से या कुछ रास्ते से केबल ऑपरेटर की जो लाइन है, उसको हटाया जाना जरूरी है, तो उनको कहा जाएगा और उनको वो एक निश्चित समय के अंदर हटानी होगी। यह जो प्रावधान है, बहुत चिंताजनक है। शहरों, गांवों और कस्बों में रोज खुदाई होती है, लाइनें डलती हैं और छः महीने बाद अथोरिटी कहती है कि रास्ता खाली कीजिए, सड़क चौड़ी होनी है, तार हटाइए, तो फिर उसी प्रकार से काम चलता है। इससे कुल मिलाकर कास्ट बढ़ती है, क्वालिटी खराब होती है। मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं कि इसमें जो अधिकारी हैं उनका विवेक, डिसक्रेशनरी पावर इस्तेमाल की जाएगी जिसके कारण भ्रष्टाचार होगा। डिस्ट्रीब्यूटर की कुछ न कुछ चिंता करनी चाहिए। चाहे केबल लाइन डलनी हो, टेलीफोन लाइन डलनी हो या गैस पाइप लाइन डलनी हो, मेरा सुझाव है कि सरकार कुछ ट्रेंचिस तय कर दे कि जिन्हें इस्तेमाल करके ही लाइन डले जिससे बार-बार से सड़कों का टूटना और बनना बंद हो, कास्ट का बढ़ना बंद हो। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इस तरफ ध्यान देंगे।

महोदया, अब मैं इक्विपमेंट की जब्ती के बारे में कहना चाहता हूं। नियमों की बहुत लंबी व्याख्या है और उसमें जाने का कोई औचित्य नहीं है। यदि नियम के विरुद्ध कोई काम हो रहा है, नियम तोड़कर कोई केबल आपरेटर काम करता है तो जब्ती का प्रावधान है। पहले यह दस दिन था अब इसे बढ़ाया गया है वह अपील कर सकता है। लेकिन बिल में ज्यूडिशियल रिव्यू को हटा दिया गया है यानी कुल मिलाकर स्थानीय अधिकारी का विवेक पुनः यह निर्णय करेगा कि इस केबल आपरेटर ने नियम का उल्लंघन किया है या नहीं। आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार किसी को भी धमकाया जा सकता है और बाद में कहा जा सकता है कि अब ठीक हो गया है। मैं वही बात दोबारा कह रहा हूं जो राइट टू वे के अंदर शामिल थी कि इसके अंदर स्थानीय स्तर पर भ्रष्टाचार बढ़ेगा, कास्ट बढ़ेगी। यदि इन चीजों को ठीक प्रकार से नहीं देखा तो मुझे लगता कि डिजिटलाइजेशन करने के बाद अच्छे और ट्रांसपेरेंट ढंग से केबल सुविधा प्राप्त कराने की जो योजना इस बिल में है, यह अभियान कहीं एक सजा के रूप में न हो जाए। आज आम आदमी के लिए सर्वाधिक उपलब्ध यदि कोई मनोरंजन का साधन है तो वह टेलीविजन है। मुझे आशंका है कि जिस प्रकार की अनिश्चितता इस बिल में है उसके कारण समस्या पैदा हो सकती है। मैं इस संबंध में अपनी बात ज्यादा न बढ़ाते हुए कुछ सुझाव देना चाहता हूं। जैसा कि मैंने कहा कुछ चैनल्स, जिन्हें हम चाहते हैं कि आम आदमी देखे, उन्हें इसमें से मुक्त किया जाए, उनकी फीस न ली जाए। इस प्रकार के पैकेज का सिस्टम बनाया जाए, चाहे उन चैनल्स का अलग ग्रुप बनाया जाए, अच्छा है तो एन्क्रप्टिड की जरूरत नहीं है और अगर वे एन्क्रप्टिड हों तो भी वे बिना शुल्क दर्शक को प्राप्त हो सके। अनुमान है कि हिन्दुस्तान में लगभग साढ़े तेरह करोड़ घरों में टीवी है। सैट बाक्स की कीमत 1000 या 1200 रुपए के करीब है, यह कीमत आम आदमी कैसे चुकाएगा? इसकी चिंता इस बिल में नहीं की गई है। यदि आपको लगता है कि इसे स्टेजिज में करना अनिवार्य ही है तो कुछ न कुछ इस विषय में राहत देने के बारे में सोचना चाहिए। आप अनुमान लगाएं कि हिन्दुस्तान में तेरह करोड़ सैट बाक्स कितने सालों में पूरे होंगे, क्या तरीका होगा, कौन-सी इंडस्ट्री काम करेगी, इंडस्ट्री को किस प्रकार से सहायता करेंगे जिससे आम आदमी तक सैट बाक्स पहुंच जाए, क्या यह 300 या 400 रुपए में पहुंच सकता है? अगर ये सब इंतजाम नहीं करेंगे तो आम आदमी की कठिनाई इस केबल विधेयक के कारण और बढ़ जाएगी और उनके लिए टेलीविजन को देखना बहुत महंगा होता चला जाएगा।

[श्री राजेन्द्र अग्रवाल]

महोदया, मैं दो–तीन और छोटे सुझावों का जिक्र करना चाहता हूं। आज टीवी पर आम आदमी विभिन्न प्रकार के विज्ञापन देखने के लिए बाध्य हैं, जबकि उनकी टीवी के कार्यक्रमों में रुचि है। अभी मंत्री महोदया टीआरपी आदि बातों का जिक्र कर रही थीं। मेरा मंत्री महोदया से निवेदन है, हालांकि यह सीधे–सीधे इस बिल के अंतर्गत नहीं आता है, कि विज्ञापनों का कोई समय निश्चित किया जाए। ये एक घंटे में दस मिनट हो, पंद्रह मिनट हो। लेकिन आज क्या हो रहा है कि हर मिनट में दर्शक विज्ञापन देखते रहते हैं और उन्हें कार्यक्रम दिखाई नहीं देते हैं। मैं समझता हूं कि इसके संबंध में कोई न कोई रेगुलेशन अवश्य होना चाहिए।

इसी प्रकार से आज हम देश भर में अनेक प्रकार से आम आदमी या मतदाताओं को शिक्षित करना चाहते हैं या उन्हें उनकी किसी सोशल रिस्पांसिबिलिटी के संबंध में सतर्क करना चाहते हैं। इसलिए घंटे भर में पांच या दस मिनट इस बात के लिए सुरक्षित हों, जिसमें जनता या समाज के लिए इस प्रकार की बातें कही जा सकें, जैसे वोटिंग का मामला है। आप टीवी के माध्यम से लोगों को कहना चाहते हैं कि आप वोटिंग करें, आप मतदान करें या इस प्रकार की अन्य बहुत सारी चीजें हैं या सोशल मैसेजिज हैं, जिनके लिए कोई न कोई समय सुरक्षित किया जाना चाहिए। इस बारे में मेरा आपसे आग्रह है।

एक समस्या यह भी आती है कि कैरिज और कंटेन्ट, ये दोनों बहुत बार मिक्स हो जाते हैं। मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि कैरिज चाहे टीवी सिग्नल का हो, केबल का हो या चाहे वह टेलिफोन का हो। मैं समझता हूं कि इन सबके कैरिज की चिंता ट्राई करे, लेकिन कंटैन्ट की चिंता मिनिस्ट्री ऑफ इंफार्मेशन और ब्रोडकास्टिंग को करनी चाहिए। आज कंटैन्ट के संबंध में बहुत सी शिकायतें सामान्य रूप से आती हैं, क्योंकि आदमी को कुछ का कुछ देखना पड़ता है।

मैं यह समझता हूं कि मैंने जो आशंकाएं व्यक्त की हैं, उन सब आशंकाओं को दूर करते हुए और मेरे सुझावों का समावेश करते हुए इस बिल के द्वारा आम आदमी तक अधिक से अधिक सुविधाएं पहुंचाई जा सकें, इसमें यह बिल सक्षम होगा और एग्जीक्यूशन के लैवल पर जो चूक हो सकती हैं, उन्हें दूर किया जायेगा। यही निवेदन करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री इज्यराज सिंह (कोटा) : अध्यक्ष महोदया, मुझे सदन में इस विषय अर्थात् केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2011 पर बोलने की अनुमति देने के लिए मैं आपका आभारी हूं। यह विधेयक केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम 1995 में संशोधन करने और केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) संशोधन अध्यादेश, 2011 को निरस्त करने से संबंधित है।

विपक्ष की ओर से माननीय संसद सदस्य ने अनेक महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं। उन पर चर्चा करने और विधेयक की विषयवस्तु पर जाने से पूर्व मैं इस देश में केबल टेलीविजन के इतिहास और इसके साथ ही इस उद्योग की अवसंरचना पर कुछ बोलना चाहता हूं। पहले, हम केबल टेलीविजन को विलासिता की वस्तु समझते थे। हम पश्चिमी जगत में, विशेषकर अमरीका में इसके बारे में सुना करते थे, इसकी विषय–वस्तु और जिस प्रकार का मनोरंजन इसमें हमें दिखाया गया और हम चाहते थे कि वह सब हमारे देश में भी हो। लंबे समय तक हमारे पास एक बहुत ही साधारण और प्रादेशिक प्रसारण का सादा टीवी ढांचा था, जिससे कुछ घंटे का प्रसारण होता था तथा सीमित कार्यक्रम होते थे। मुझे वो दिन याद हैं और मुझे विश्वास है कि हममें से अनेक लोगों को वो दिन याद होंगे, जब हमारे 'कृषि दर्शन' और 'चित्रहार' मनोरंजन के मुख्य कार्यक्रम हुआ करते थे।

यद्यपि, हमारे देश में रंगीन टेलीविजन 1982 में ऐशियाई खेलों के दौरान आया, जो पहला बड़ा परिवर्तन था। उसके बाद, तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नरसिम्हा राव और तत्कालीन वित्त मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के शासन काल के दौरान 1991 में तब हमारी अर्थव्यवथा में खुलापन आने लगा, तब अंतर्राष्ट्रीय कम्पनियों के प्रसार में और प्रसारककर्ता सीमिति रूप में आने लगे। यह सी एन एन के आने से शुरू हुआ है और उसके बाद रूपर्ट मडौल का स्टार टीवी आया तथा इसके बाद जीटीवी आया, जो पहला स्वदेशी प्रसारणकर्ता था। तब से लेकर अब तक हमारे पूरे देश में केबल टीवी का जबरदस्त विकास हुआ। यदि आज आप आंकड़ों को देखें, तो हमारे लगभग 18 करोड़ परिवारों के पास टेलीविजन सेट्स हैं, 10.30 करोड़ परिवारों के पास केबल टेलीविजन या सेटलाइट टेलीविजन हैं। इसमें से 2.8 करोड़ के पास डी.टी.एच. कनेक्शन हैं, अर्थात् डिश टेलीविजन हैं। 6.8 करोड़ एनालॉग केबल तथा आधे करोड़ परिवारों के पास डिजीटल केबल है।

हमारे देश में 500 से अधिक चैनलों का प्रसारण किया जा रहा है। यदि आप शहरी भारत को देखें, 85 प्रतिशत घरों में टी.वी. हैं और 70 प्रतिशत घरों में केबल, सैटेलाइट अथवा डी.टी.एच. की पहुंच है। निसन्देह छोटे नगरों, कस्बों और गांवों में डी.टी.एच. काफी कम संख्या में है अधिकांशतः वहां केबल है। परन्तु यह बात उल्लेखनीय है कि गांवों में भी केबल टी.वी. अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है।

परन्तु उद्योग में क्या वर्तमान अवसंरचना उपलब्ध है अथवा इसकी क्या स्थिति है? इस पर गौर करना महत्वपूर्ण है। प्रसारक द्वारा पहले टी.वी. सिग्नल का प्रसारण किया जाता है। एम.एस.ओ. मल्टी सिस्टम ऑपरेटर द्वारा फिर इन सिग्नलों को प्राप्त किया जाता है और आगे प्रसारित किया जाता है। यह स्थानीय केबल ऑपरेटर को सिग्नल भेजता है, इसके पश्चात वह अपने क्षेत्र के व्यक्तिगत घरों अथवा व्यक्ति उपभोक्ताओं को सिग्नल वितरित करता है। स्थानीय केबल ऑपरेटर आगे अन्य ऑपरेटर को सिग्नल देता है जो इसे आगे वितरित करता है। इस प्रकार यह इसका मौजूदा ढांचा है। प्रसारक, एम.एस.ओ., स्थानीय केबल ऑपरेटर और उपभोक्ता हितधारक हैं।

अब हम इस पर चर्चा करेंगे कि शुल्क वसूली किस प्रकार से होती है? शुल्क केबल ऑपरेटर द्वारा प्रति टी.वी. कनैक्शन के आधार पर वसूली जाती है। इसके पश्चात इसे एम.एस.ओ. को दिया जाता है। फिलहाल एम.एस.ओ. के अधीन अनेक केबल ऑपरेटर कार्य कर रहे हैं। एम.एस.ओ. आगे प्रसारक चैनल को शुल्क अदा करता है। तथापि जिस प्रकार से आज उद्योग चल रहा है स्थानीय ऑपरेटर सभी कनैक्शनों के बारे में जानकारी दे सकता है अथवा नहीं देता है। इस प्रकार एम.एस.ओ. अथवा प्रसारक को घोषित किए गए कनैक्शनों की संख्या के आधार पर भुगतान किया जाता है और यदि ऑपरेटर कनैक्शनों की पूर्ण संख्या घोषित नहीं करता तो ऐसी स्थिति में प्रसारक तथा साथ ही एम.एस.ओ. कनैक्शनों की संख्या के आधार की तुलना में शुल्क का कम भुगतान किया जाता है। देश में ऐसे अनेक केबल ऑपरेटर हैं। एक अनुमान के अनुसार देश भर में छोटे बड़े 60,000 ऐसे केबल ऑपरेटर हैं। यह अमरीका जैसे विकसित देशों से भी अधिक हैं।

चैनलों की आरंभिक दरें प्रसारकों द्वारा निर्धारित की जाती हैं, इसके पश्चात् यह स्थानीय केबल ऑपरेटरों पर निर्भर है क्योंकि उनके द्वारा कनैक्शनों की संख्या कम बतायी जाती है इसलिए दरों में भिन्नता हो सकती हैं कुछ ऐसे भी घर हैं पूरा शुल्क देने को तैयार है और शुल्क अदा भी करते हैं और वहीं दूसरी ओर गरीब लोग भी हैं, जो इसे वहन नहीं कर सकते। इस प्रकार ऑपरेटर अपनी आवश्यकता और शुल्क अदा करने की इच्छा के अनुसार पैकेज भी प्रदान करते हैं। इसके परिणामस्वरूप यह असंगठित क्षेत्र है और एक ऐसा बाजार है जिसमें प्रसारकों को कम राजस्व मिलता है। परन्तु इसका दूसरा पहलु यह है कि गरीब लोगों को उन परिवारों को जो अधिक शुल्क अदा नहीं कर सकते अत्यंत रियायती दरों पर चैनल उपलब्ध हैं।

अब मैं इस बात पर आता हूं कि उपभोक्ता मुद्दे क्या हैं अथवा उपभोक्ता के समक्ष क्या मुद्दे हैं? अनेक केबल ऑपरेटर अच्छा कार्य करना चाहते हैं। वे अच्छे उपस्कर उपलब्ध कराते हैं, वे अच्छे सिग्नल प्रदान करते हैं और वे अच्छी सेवा प्रदान करना चाहते हैं। तथापि अनेक ऐसे केबल ऑपरेटर हैं जो उपस्करों पर अधिक पैसा खर्च नहीं करते और अच्छी सेवा, भी प्रदान नहीं करते। इससे उपभोक्ताओं को समस्या होती है। अक्सर उनके पास निवारण अथवा शिकायत करने का कोई मंच नहीं होता और उनकी शिकायतें नहीं सुनी जाती।

क्योंकि केबल टी.वी. का देश में असंगठित बाजार के रूप में प्रसार हुआ है, पहल विनियमन वर्ष 1995 में केबल टेलीविजन (विनियमन) अधिनियम 1995 के माध्यम से आया। तथापि 1995 से इस उद्योग में काफी विकास हुआ है।

वर्ष 2002 में 1995 के अधिनियम में संशोधन किया गया था। सभी केबल ऑपरेटरों को 15 जनवरी 2003 से छह माह के भीतर एड्रेसेबल केबल सिस्टम अथवा सेट–टॉप बाक्स स्थापित करना अनिवार्य बना दिया गया था। इसका अर्थ यह हुआ कि उपभोक्ता केबल सिग्नल को उसी स्थिति में देख सकता है जब कि सेटअप बॉक्स उस सिग्नल को डीकोड करे। तथापि इसका कार्यान्वयन नहीं हो सका और अनेक कानूनी मुद्दे उठाए, गए और केबल ऑपरेटरों और उद्योग समूहों द्वारा भी मुद्दों को उठाया गया था। इसके कार्यान्वयन को 2007 तक स्थगित रखा गया था। इसके पश्चात् चार प्रमुख शहरों के कतिपय क्षेत्रों इसका आंशिक रूप से कार्यान्वयन किया गया था।

डिजीटलीकरण मुख्यतः उपभोक्ताओं का डी.टी.एच. की ओर रूख कर रहा है क्योंकि डिजिटल केबल अभी उतना लोकप्रिय

[श्री इज्यराज सिंह]

नहीं हुआ है। इसलिए डिजिटल टी.वी. को दो भागों में बांटा जा सकता है, एक डिजिटल अथवा सी ए एस और गैर डिजिटल अथवा गैर सी एएस।

वर्ष 2010 में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने भारत में डिजिटल एड्रेसेबल केबल सिस्टम लागू करने की सिफारिश की। पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से इस सिफारिश का कार्यान्वयन किया जाना था जिससे कि वर्ष 2014 के अंत तक देश में संपूर्ण डिजिटल नेटवर्क हो और एनोलॉक प्रणाली समाप्त हो जाएगी। भारतीय सरकार ने निर्णय लिया कि इसका कार्यान्वयन किया जाना चाहिए और इसका कार्यान्वयन करने के लिए मौजूदा अधिनियम के कतिपय संशोधन किए जाने चाहिए। ऐसा करने के लिए और एक समय सीमा का पालन करना चाहिए और वर्ष 2014 तक केबल सिस्टम का डिजिटल होना चाहिए, उस समय संसद का सत्र नहीं चलने के कारण अध्यादेश लाने का निर्णय लिया गया था।

आज हमारे समक्ष जो विधेयक है वह अध्यादेश के स्थान पर लाया गया है। विधेयक अधिदेश देता है कि केबल ऑपरेटरों को चरणबद्ध तरीके से देशभर में डिजिटल एक्सेस सिस्टम के माध्यम से इन्क्रप्टिट तरीके से सभी चैनलों के कार्यक्रम प्रदान करने चाहिए। पहले मौजूदा अधिनियम के उपबंधों के अनुसार इन्क्रप्टिट और डिक्रप्टिड सिग्नलों का प्रसारण करना चाहिए। चरणबद्ध कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा समय-सीमा अधिसूचित की गई है और प्रत्येक केबल ऑपरेटर को इस परिवर्तन को कार्यान्वित करने के लिए कम से कम छह महीने का समय दिया जाना चाहिए।

अन्ततः उद्देश्य वर्ष 2014 के अंत तक देश में सभी केबल सिस्टम का डिजिटलीकरण होना चाहिए। इस उद्योग में शामिल सभी हितधारकों पर इस विधेयक का क्या प्रभाव होगा? स्थानीय केबल ऑपरेटरों को डिजिटल व्यवस्था का उन्नयन करने के लिए उपस्करों में निवेश करना होगा। पूरे देश में डिजिटलीकरण करने के लिए कुल 20,000 करोड़ रु. व्यय होने का अनुमान है। इनमें से अधिकांश केबल ऑपरेटर वास्तव में छोटे व्यवसायी हैं। वे केबल ऑपरेटर इतनी भारी राशि का निवेश नहीं कर सकते। उन्हें पूंजी जुटाने के लिए संयुक्त उद्यम स्थापित करना होगा अथवा उनके डूब जाने का जोखिम है।

इसलिए, सरकार द्वारा इन केबल ऑपरेटरों जिनमें से अधिकांश छोटे कारोबारी हैं को धन निवेश करना सुकर बनाने के लिए गंभीरता से प्रयास करने चाहिए। यदि हम सरकारी कानूनों और विनियमों द्वारा उन्हें परियोजनाओं को वित्त प्रदान करने में सीधे सरल ऋण की बजाय समर्थ बताते हैं, तो यह काफी लाभकारी होगा। इसके अतिरिक्त यदि उपस्कर को आयात करने के लिए आयकर शुल्क को समाप्त या कम कर दिया जाए और इसके साथ ही कर छूट दी जाए तो इससे ये अपने अस्तित्व को बचाए रखने में समर्थ होंगी, जोकि मैं मानता हूं कि काफी महत्वपूर्ण हैं।

अवसंरचना की स्थापना करने के लिए और अंतिम प्रयोक्ता तक कनेक्शन पहुंचाने के लिए केबल ऑपरेटर को प्रायः अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन्हें भूमिगत केबल बिछाने, बिजली के खंभे के प्रयोग और अपने केबल इत्यादि ले जाने हेतु अन्य सुविधाओं के लिए स्थानीय नगरपालिकाओं से अनुमति लेनी होती है। प्रायः ऐसी अनुमति प्राप्त करने में लंबा समय लग जाता था या ये मिलती ही नहीं थी। इसके परिणामस्वरूप हमारी केबलिंग अस्त-व्यस्त थी, जिस कारण उपभोक्ताओं को प्राप्त होने वाले सिग्नल काफी कमजोर गुणवत्ता के थे। इस विधेयक में प्रावधान किया गया है कि प्रचालकों को भूमिगत केबल बिछाने का विधिक अधिकार प्राप्त करने के लिए वे नगरपालिकाओं के साथ का विधिक अधिकार प्राप्त होगा और पास जा सकते हैं और विद्यमान खंभों का प्रयोग कर इन पर केबल रखने का भी अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। वस्तुतः यह उनके लिए एक सही तरीका है, जोकि अच्छा कनेक्शन प्रदान करने में अहम होगा।

तथापि यह बहुत अधिक स्पष्ट नहीं है कि इसे कैसे लागू किया जाएगा क्योंकि केन्द्रीय सरकार ने कहा है कि इस हेतु दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे कि राज्य सरकारें इसे लागू करें। इसलिए इसे कैसे लागू किया जाए इस बारे में सोचना होगा। मेरा सुझाव यह है कि इसे लागू करने हेतु समयबद्ध दिशानिर्देश होने चाहिये। जैसे ही ऑपरेटर नगरपालिका से संपर्क करता है, एक निश्चित समय के भीतर कोई न कोई कार्यवाही की जानी चाहिए। फिर, स्थानीय केबल ऑपरेटरों को इस बारे में भी शंका है कि डिजिटल के प्रारंभ होने के बाद सब कुछ डिजिटल बन जाएगा और मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों की ही चलेगी। ऐसा क्यों हो? इससे पहले केबल ऑपरेटर सभी शुल्कों को एकत्रित कर रहे थे और इसे मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों के पास जमा करा रहे

थे, परन्तु अब डिजिटल सिस्टम के साथ मल्टी सिस्टम ऑपरेटर को प्रत्येक कनेक्शन की जानकारी होती है और वे सीधे भुगतान प्राप्त करेंगे। इसलिए स्थानीय केबल ऑपरेटरों को यह डर सता रहा है कि मल्टी सिस्टम ऑपरेटर किसी भी समय कनेक्शन को बंद कर सकता है। इसलिए, स्थानीय केबल ऑपरेटर महसूस कर रहे हैं कि उन पर मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों का एक सीमा तक ही नियंत्रण होना चाहिए।

प्रायः स्थानीय केबल ऑपरेटर शिकायतें करते हैं कि जब उनके पास प्रसारणकर्ता के विरुद्ध शिकायत होती हैं, तो उनके पास ऐसा कोई नहीं है जिसके पास वे जाएं और अपनी चिन्ता व्यक्त कर सकें। उनकी कोई नहीं सुनता और उनके पास ऐसी कोई ताकत नहीं है कि वे जो चाहें उसे करवा सकें। इसलिए, यह सुझाव दिया जाता है कि एक पैनल स्थापित किया जाना चाहिए, जहां केबल ऑपरेटर जाकर अपनी चिन्ताओं को व्यक्त कर सकें और अपनी शिकायतों का निवारण करवा सकें।

अब, इससे उपभोक्ता कैसे प्रभावित होंगे। नए डिजिटल सिस्टम, आप्टिकल फाइबर केबल और सैट ऑप बॉक्सों के साथ, उपभोक्ता को अच्छे सिग्नल, बेहतर रिसेप्शन प्राप्त होगी, उन्हें ट्रिपल प्ले, वीडियो ऑन डिमांड प्राप्त होगा, उन्हें ब्रॉडबैण्ड, टेलिफोनी भी प्राप्त होगी और बड़ी संख्या में चैनल प्राप्त होंगे, जोकि बहुत अच्छी बात है। कोई भी प्राइम बैण्ड नहीं होगा और डिजिटल सिस्टमों के साथ सर्विसिंग और अनुरक्षण की कम आवश्यकता होगी, जोकि इनके लिए लाभकारी होगा। तथापि, चूंकि केबल ऑपरेटरों को नए, डिजिटल उपस्करों में निवेश करना होगा, इनकी लागतें बढ़ेंगी और वे कुछ लागतों को वसूलना चाहेंगे। इसलिए, केबल ऑपरेटरों की ओर से मूल्यों को बढ़ाने का दबाव बनाया जाएगा। इसके साथ–साथ चैनलों की घोषित की गई संख्या को देखते हुए ब्राडकास्टरों को अधिक भुगतान प्राप्त होगा, इस कारण मूल्यों में गिरावट का दबाव बनेगा, इसलिए प्रति चैनल कीमत घट सकती है। इसलिए, हमारे पास मूल्य निर्धारण में दबाव और खींचतान की दो भिन्न–भिन्न स्थितियां हैं, बढ़ोतरी की खींचतान और गिरावट का दबाव जिससे हमें आशा है कि वास्तविक मूल्यों में अधिक वृद्धि नहीं होगी।

तथापि, महत्वपूर्ण मुद्दा सैट–टॉप बॉक्स की लागत का है। एक सैट–टॉप बॉक्स की लागत लगभग 2,500 रु. है। इस लागत का भार ग्राहकों द्वारा कैसे वहन किया जाएगा, वे इसका भुगतान कैसे वहन करेंगे, ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं।

महोदया, जैसा कि मैंने उल्लेख किया है उद्योग की असंगठित खण्डित प्रकृति ने गरीबों और जरूरतमंदों और जो केबल चैनलों को भुगतान करने के लिए इतनी अधिक धनराशि के खर्च को वहन नहीं कर सकते, को बहुत सस्ती दरों पर केबल चैनलों का खर्च वहन करने में समर्थ बनाया है। इसलिए, लोगों की इस जरूरत के मद्देनजर आवश्यकता है कि बहुत उचित दर पर कई बेसिक केबल चैनलों को इन लोगों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए तथा विस्तृत सर्वेक्षण कराया जाना चाहिए। वे कितना भुगतान कर रहे हैं इस पर निर्धारण किया जाना चाहिए तथा वैसे ही पैकेज उन्हें उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

जैसा कि माननीया मंत्री द्वारा पहले ही उल्लेख किया जा चुका है इस विधेयक में उपभोक्ता के हित संरक्षण के लिए निःशुल्क चैनल के पैकेज का प्रावधान किया गया है। सभी मूलभूत सेवा–टियर प्रत्येक केबल ऑपरेटर द्वारा प्रदान किए जाएंगे। सरकार इस पैकेज के संघटन एवं मूल्य निर्धारण को निर्धारित करने का निदेश टी आर ए आई को दे सकती है यदि उन्होंने पहले ही ऐसा नहीं किया है। हालांकि यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि सेट टॉप बॉक्स सस्ते दर पर कैसे उपलब्ध कराए जाएंगे क्योंकि यह मूल्य का प्रमुख घटक खासकर छोटे नगरों एवं गांवों में होगा।

यह उपभोक्ता एवं स्थानीय केबल ऑपरेटर दोनों के लिए मुश्किल स्थिति होगी। स्थानीय केबल ऑपरेटर अपने उपकरण को बेहतर बनाने के लिए वित्त कैसे जुटाएगा कैसे वह लागत वसूल करेगा तथा छोटे नगरों एवं गांवों का व्यक्ति, जो केबल के लिए भुगतान मुश्किल से कर पा सकता है, सेट टॉप बॉक्स खरीदने के लिए वास्तव में भुगतान कैसे कर पाएगा? ये ऐसी बातें हैं जिस पर बहुत सावधानी से विचार करना होगा।

पूर्णतया निर्मित इकाइयों एवं घटकों की आयात लागत कम करने पर वित्त मंत्रालय को विचार करना होगा एवं माननीया मंत्री जी को भी तथा वित्त मंत्रालय के साथ विचार करना होगा।

केबल ऑपरेटरों एवं एम एस ओ द्वारा भी सेट ऑप बॉक्स की लागत को राजसहायता प्रदान किए जाने की संभावना है क्योंकि वे महसूस करते हैं कि गरीब लोग ऐसे खर्च वहन नहीं कर सकते। इससे कुछ हद तक मदद मिल सकती है तथा सेट टॉप बॉक्स के लिए मासिक किराए कम भी हो सकते हैं, पूर्ण भुगतान के विरुद्ध यह हमारे पास अन्य विकल्प है।

[श्री इज्यराज सिंह]

निःसंदेह डिजिटलीकृत केबल टीवी के इस नए परिदृश्य में, लाभ तो प्रसारक तथा एमएसओ, जिन्हें कनेक्शन के लिए पहले से अधिक पैसे प्राप्त होंगे, को जाता है।

इसके अलावा, इस नए विधेयक में ऐसे उपबंध हैं कि शर्तों के अनुपालन नहीं करने के मामले में किसी ऑपरेटर का पंजीयन लंबित या पुनर्बहाल किया जा सकता है। विधेयक संकेत करता है कि सरकार कुछेक मानदंड का प्रावधान कर सकती है या कुछेक मानदंड निर्धारित कर सकती है जिसका अनुपालन जरूर किया जाए और यह हमारे देश की संवेदनाओं एवं नैतिकताओं तथा जनता एवं संस्कृति के साथ-साथ हमारे देश की संप्रभुता, अखंडता एवं एकता के संदर्भ में है। 1995 के अधिनियम में पुनर्बहालिया निलंबन के उपबंध नहीं थे। उसी प्रकार, ऑपरेटर पंजीयन के पंजीयन या नवीकरण से इंकार भी किया जा सकता है, यदि विधेयक के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया।

इस विधेयक में यह भी उपबंध किया गया है कि केबल ऑपरेटरों के उपकरण को गैर अनुपालन के लिए जब्त भी किया जा सकता है। इसे पहले की तुलना में अधिक कठोर किया गया। क्योंकि पहले इसे जिला न्यायाधीश द्वारा दस दिन के भीतर संपुष्टि कराना पड़ता था। अब, ऑपरेटर पंजीयन की पुनर्बहाली, निलंबन और अनवीकरण संबंधी निर्णय, उल्लंघन के कारण उपकरणों की जब्ती ऐसे मुद्दे हैं जिनसे बहुत निष्पक्षता एवं गंभीरता से निपटना होगा।

जो वास्तव में दूरसंचार विनियमक है, टी आर ए आई, की सिफारिशों एवं सूचना और प्रसारण मंत्रालय की निर्णयों के बीच गतिरोध है। विनियामक रखने के अधिक विनियमन लागू करने पर विभिन्न चर्चाएं हुई हैं तथा विगत में विभिन्न अधिनियम एवं विधेयक सोचे गए हैं पर अब तक इस दिशा में कुछ भी ठोस नहीं हुआ है। उद्योग में भी समाचार चैनलों और मनोरंजन चैनलों के लिए अभी कुछ हद तक स्व-विनियमन है।

हालांकि तेजी से बढ़ते उद्योग, भविष्य में परिकल्पित तीव्र वृद्धि के साथ यह प्रभाव जो कई लोगों पर प्रसारक उद्योग का है, इसके साथ इस पर और आगे विचार किया जाना चाहिए। निश्चित रूप से स्वायत्त विनिर्णयक/विनियामक के बारे में सोच-विचार, चर्चा एवं बहस जरूरत है। सभी साझेदार, अर्थात् प्रसारक, एम एस ओ, केबल ऑपरेटर उपभोक्ता और सरकार को एक साथ मिलकर इस पर जरूर विचार करना चाहिए। प्रेस की स्वतंत्रता एवं प्रसारकों की स्वतंत्रता को हमारे देश में निश्चित रूप से महत्व दिया जाता है। हमें जरूर ही ऐसी प्रणालियों का विकास करना चाहिए जो हमारी स्थिति के अनुसार अधिक अनुकूल एवं खास हों।...*(व्यवधान)* कुछेक विकसित अर्थव्यवस्थाओं में पहले से ही प्रसारण विनियामक है। मैं यह नहीं कह रहा कि हमें उनका अंधानुकरण करना चाहिए पर हमें जरूर ही अपने संरक्षण के लिए अपनी तरह का तंत्र विकसित करना चाहिए।

अन्त में केवल कुछ और बातें मैं कहना चाहूंगा। प्रसारण जगत में टेलीविजन रेटिंग प्वाइंट्स (टी आर पी) की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है क्योंकि वे पूर्व महत्व की स्थिति का संकेत करते हैं तथा विज्ञापन दर निर्धारित करते हैं। हालांकि डिजीटल टीवी डिजीटल प्रणाली के आविष्कार से प्रसारण के दर्शकों की संख्या अधिक स्पष्ट हुई है और यह दर्शकों की संख्या पता लगाने में अवश्य ही बहुत उपयोगी उपादान है।

दूसरा मद जिसका उल्लेख उपभोक्ताओं द्वारा अक्सर किया जाता है, जिसका उल्लेख मेरे समक्ष विचार व्यक्त करने वाले माननीय सदस्य द्वारा भी किया गया था, वह है-विज्ञापन। किसी उपभोक्ता की सामान्य शिकायत होती है कि विज्ञापन विषय-वस्तु बहुत अधिक है जबकि वह सामान्यतया कार्यक्रम विषय-वस्तु के लिए ही भुगतान करना चाहता है। लेकिन अब प्रसारक प्रति कनेक्शन शुल्क लगा रहे हैं तथा यह सारे राजस्व प्राप्त कर रहे हैं तो यह प्रश्न उठता है कि क्यों हमें विज्ञापन से भी अर्जन करना चाहिए। हालांकि यह बहस का विषय है पर किसी भी दर पर प्रसारक अब 10 मिनट प्रति विज्ञापन मानदंड का पालन करने में बेहतर समर्थ हो पाएंगे।

अध्यक्ष महोदया, इस विधेयक का इरादा बहुत अच्छा है। हालांकि कई ऐसे पहलू हैं जिन पर गंभीरता से विचार किए जाने की जरूरत है।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी) : अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2011 पर बोलने का अवसर दिया। इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

अपराह्न 12.42 बजे

(डॉ. एम. तम्बिदुरई *पीठासीन हुए)*

महोदय, इस संशोधन विधेयक में देखा गया है कि देश के अंदर जो केबल ऑपरेटर्स हैं या टेलीविजन पर प्रसारण के लिए तमाम चैनलों में एकरूपता लाने वाला यह विधेयक है। देश में डिजीटल स्कीम के तहत वर्ष 2014 तक लगभग पांच करोड़ ग्राहक बनाने की एक योजना है। प्रथम चरण में मैट्रो शहरों दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुम्बई में देना का वायदा किया गया है। दूसरे चरण में दस लाख से अधिक आबादी वाले जो इलाके हैं, वहां देने की योजना है। दूसरा, इस बिल में जो सबसे बड़ी बात रखी गई है कि सार्वजनिक भूमि पर केबल ऑपरेटरों के लिए मार्गाधिकार की अनुमति का एक नया जो प्रावधान आया है, वह स्वागत योग्य है। जहां तक डिजीटाईजेशन देखने के लिए एक हजार चैनल की व्यवस्था की गई है। मेरे ख्याल से तमाम केबल ऑपरेटर, उनका चैनल अगर देखें, उनके केबल्स देखें तो उनका प्रसारण अलग-अलग है। बहुत से चैनल मनमाने तरीके से दिखाते हैं और बहुत से नहीं भी दिखाते हैं। इसलिए इसमें जो एकरूपता लाने की बात कही गई है, वह बहुत अच्छी है। इसमें 40 हजार करोड़ रुपए का खर्च आने का अनुमान है और 30 हजार करोड़ रुपए का राजस्व का फायदा इस बिल से होगा, जो कि स्वागत योग्य है। जहां तक बताया गया है कि जो-जो सुविधाएं इसमें रहेंगी, प्रसारण, पिक्चर और साउंड की क्वालिटी में सुधार होगा। लेकिन ऑपरेटर्स को कैरीज फीस कम देनी पड़ेगी, यह बात भी इसमें कही गई है, यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसमें एक अंदेशा है कि डिजीटलीकरण प्रसारण में गड़बड़ी आने पर इसे ठीक करने में बहुत दिक्कत होगी। जहां तक केबल ऑपरेटर्स हैं, जो एनलॉग सिस्टम से कहीं भी कोई गड़बड़ी होती है, तो आसानी से उसको सुधार करते हैं और ठीक हो जाता है।

अभी प्रश्न काल में माननीय मंत्री जी ने बड़े विस्तार से कहा कि तमाम सम्माननीय सदस्यों के जो विचार और सुझाव आए, हैं । आज जो टीवी पर चैनल हैं, खास तौर से दूरदर्शन है, जिस पर सरकार का पूरा आधिपत्य है, अगर हम दूरदर्शन चैनल पर अपने परिवार के साथ बैठकर समाचार देखते हैं तो समाचार के बीच-बीच में जो विज्ञापन आते हैं, वे इतने अशोभनीय रहते हैं, उसमें ऐसे दृश्य दिखा, जाते हैं कि परिवार के साथ बैठकर आप समाचार भी नहीं देख सकते और अन्य कार्यक्रमों को तो देखना बड़ा ही मुश्किल है। मैं इसमें विस्तार में नहीं जाना चाहता क्योंकि माननीय मंत्री जी ने बड़े ही विस्तार से कहा कि जो संसद की भावना है, इस पर बैठक करके देखेंगे कि इस पर क्या किया जा सकता है। यह बहुत अच्छी बात है।

तमाम ऐसे चैनल आते हैं जिस पर ऐसी बात रखी जाती है जो समाज के प्रति विद्वेष की भावना पैदा करती है। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए बहुत प्रसारण होते हैं, जो शैक्षणिक, सामाजिक, या आर्थिक तौर पर या भावनात्मक या धार्मिक होते हैं, अगर उस पर कोई भड़काऊ चीज आती है तो उस पर भी अंकुश लगाने की जो आवश्यकता है, वह बहुत अच्छी बात है। यह मामला कोर्ट में भी आया था कि जो प्राइवेट केबल ऑपरेटर हैं, जो हम इस वक्त प्रसारण देख रहे हैं, उनकी न्यूनतम फीस फिक्स की जाए। मेरे ख्याल से दस-पन्द्रह-बीस चैनल दिखाने पर 250 रुपए की जो धनराशि फिक्स की गयी थी, वह ठीक है। लेकिन जहां तक इस विधेयक में बात की गयी कि प्राइवेट ऑपरेटर्स को 1000 चैनल दिए जाएंगे और उससे सरकार को राजस्व का फायदा होगा, वह बहुत अच्छी बात है। इसमें प्रतिस्पर्द्धा में अमेरिका को भी पछाड़ने की बात लिखी हुई हैं यह बहुत अच्छी बात है कि हम विकसित देशों में चीन, अमेरिका, और तमाम बड़े-बड़े मुल्कों के आगे बढ़ जाएं तो मेरे ख्याल से यह बहुत अच्छा है, लेकिन अपनी भारतीय सभ्यता और संस्कृति के अनुरूप ही हमें करना होगा, यह हमें देखना होगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार : बस मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। दूसरी तरफ, टाटा स्काई ने एस.डी. सेट टॉप बॉक्स लॉन्च किया है, जिसकी कीमत 2599 रुपए तय की गयी है। उस स्पर्द्धा में हमारी तमाम अन्य कंपनियां भी हैं, जैसे वीडियोकॉन, एयरटेल। वे भी स्पर्द्धा में आई हैं, लेकिन हमें देखना होगा कि फीस में कम-ज्यादा धनराशि की बात न हो। एक फिक्स धनराशि होनी चाहिए। प्रतिस्पद्धा हो, यह ठीक है।

एक बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। जब से लोक सभा टीवी चैनल है या राज्य सभा टीवी चैनल की शुरूआत हुई है, तमाम ऐसे इलाके हैं, जहां हमारे देश की जनता इसे ज्यादातर देख रही हैं कि उनके प्रतिनिधि, जिन्हें उन्होंने लोक सभा और राज्य सभा में चुनकर भेजा है, वे वहां

[श्री शैलेन्द्र कुमार]

पर उनके क्षेत्र की समस्या को कैसे रख रहे हैं और कैसे वहां पर वाद-विवाद में भाग लेते हैं। वे बहुत लगन से देख रहे हैं। इस बात को आपने इस बिल में कंपलसरी किया है, यह बहुत अच्छी बात है। इसका सर्वे भी होना चाहिए कि कौन-सा केबल ऑपरेटर इस चैनल को दिखा रहे हैं, नहीं दिखा रहे हैं। गलती पाए, जाने पर उन पर दण्ड का प्रावधान होना चाहिए। उनके लाइसेंस भी जब्त कराने का प्रावधान होना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ इस बिल का समर्थन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब प्रो. रमाशंकर। कृपया संक्षिप्त भाषण दें। हमें विधेयक पारित करना है।

श्री रमाशंकर राजभर (सलेमपुर) : सभापति महोदय, यह अच्छी बात है कि कानून बने, केबल ऑपरेटरों एवं उपभोक्ताओं के हित में बने। हम कानून बनाते जा रहे हैं, लेकिन उसे लागू करने की मंशा जरूर साफ होनी चाहिए।

सभापति महोदय, आज करीब साढ़े तीन सौ केबल ऑपरेटर उपभोक्ताओं को अपने केबलों के माध्यमों से विभिन्न कार्यक्रम दिखाते हैं। पूरे देश की आम शिकायत है कि जो चैनल दिखाए, जाते हैं, उन्हें परिवार के साथ बैठ कर देखना बड़ा मुश्किल होता है। इस पर केबल ऑपरेटर्स को दोष देना ठीक नहीं, बल्कि जो कार्यक्रम बनाने वाले लोग हैं, वे कार्यक्रम बनाकर केबल आपरेटर्स को देते हैं तो कार्यक्रम बनाने वाले लोगों को भी इस पर ध्यान देना होगा। भारत अपनी संस्कृति एवं सभ्यता का देश है, इस संस्कृति और सभ्यता के साथ खिलवाड़ न हो। यह जरूर देखने की जरूरत है कि केबल ऑपरेटर्स द्वारा जो चैनल दिखाए, जा रहे हैं, शाम और सुबह का चैनल, कोई ऐसा समय हो, जिन्हें अपने परिवार के साथ उपभोक्ता देख सकें।

सभापति महोदय, मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि आज जो केबल के प्रोड्यूसर्स हैं, केबल चलाने वाले लोगों से अगर हम अपने यहां केबल लगवाते हैं तो जिन भाषाओं को अमुक क्षेत्र के लोग जानते हैं, उन भाषाओं को वे देते हैं। लेकिन वे उनमें कुछ ऐसी भाषाओं को भी जोड़ देते हैं, जो प्राइवेट सैक्टर की कम्पनियां हैं, उनमें ऐसे कुछ केबल जोड़ देते हैं, जिसका कोई मतलब उस इलाके का व्यक्ति नहीं समझता। उस इलाके का व्यक्ति उसका मतलब समझता भी नहीं, लेकिन फिर भी उसका पैसा काट लेते हैं और कहते हैं कि यह तो डिजिटल क्षेत्र में है, इसमें यह शिकायत बहुत है। मेरे खुद के घर पर डिजिटल केबल है। मैंने इनसे पूछा कि इसमें भोजपुरी का समाचार नहीं है, हिन्दी भाषा का भी नहीं है, उसमें दक्षिण भाषा के सारे समाचार हैं। हम जो चैनल लेना चाहें, उसे देखने की बहुत जरूरत है। सारे चैनल केवल अंग्रेजी भाषाओं को बहुत महत्त्व दे रहे हैं। क्या यह संपूर्ण सवा सौ करोड़ का देश केवल अंग्रेजी भाषी देश है? यहां बहुत सी क्षेत्रीय भाषाएं हैं, लेकिन कोई भी चैनल वाला क्षेत्रीय भाषा को महत्त्व नहीं देता, केवल अंग्रेजी भाषाओं को महत्त्व देता है, जो हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति पर एक नाइंसाफी है। इसे भी देखना चाहिए कि अंग्रेजी, हिन्दी भाषा के साथ-साथ जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, इनके चैनलों में और व्यापकता की जाए। अगर कहीं से किसी क्षेत्रीय भाषा की मांग आती है तो उस इलाके में कम्पलसरी किया जाए कि वहां के जो केबल ऑपरेटर्स हों, वे क्षेत्रीय भाषाओं को जरूर महत्त्व दें। अगर हम केवल अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपने देश के नौजवानों और देश को प्रसारण करके सामग्री देंगे तो एक ऐसा माहौल बनेगा कि हम अपने देश की सही सभ्यता और संस्कृति को उसके पीछे नहीं ले जा पाएंगे।

सभापति महोदय, जो केबल नेटवर्क हैं, ये केवल उपभोक्ताओं को निराश करने के लिए है। अगर वह एक सौ चैनल लेना चाहता है तो भी उसको साढ़े तीन सौ चैनल दे देते हैं। अगर कोई पचास अपनी भाषाओं का चैनल चाहता है तो उसे डेढ़ सौ दे देते हैं और पैसा डेढ़ सौ चैनल के हिसाब से डिजिटल केबल वाले काटते हैं। इसलिए यह जरूर देखने की जरूरत है कि अगर कोई उपभोक्ता दस ही चैनल लेना चाहता है तो जो डिजिटल केबल वाले हैं, वे केवल दस ही चैनल का पैसा काटें, सौ-डेढ़ सौ चैनल का पैसा न काटें। इस बात को देखने की बहुत जरूरी है।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

श्री महेश्वर हजारी (समस्तीपुर) : आदरणीय सभापति महोदय, देश में केबल नेटवर्क के प्रसारण की क्वालिटी सुधारने के लिए यह बिल सरकार लाई है, इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं। इसके जरिये केबल टी.वी. नेटवर्क का डिजिटलाइजेशन

किया जायेगा, जो अध्यादेश में केबल टी.वी. की धारा 4(ए) में संशोधन की बात करता है।

अपराह्न 12.52 बजे

(**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*)

डिजिटलाइजेशन से एक तरफ जहां प्रसारण की क्वालिटी सुधरेगी, वहीं सेटेलाइट टी.वी. और केबल इंडस्ट्री को भी इससे फायदा होगा। मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जो केबल लगाया जाता है, आम ग्राहकों से उसका 3–3 सौ रुपया प्रतिमाह लिया जाता है, जबकि इसकी फिक्स प्राइस की सरकार की तरफ से घोषणा करनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 150 रुपये कस्टमरों से लेना चाहिए, जैसा कि हमारे उच्च–न्यायालय ने भी आदेश दिया था। भारत सरकार ने भी माना था कि 150 रुपये ही कस्टमरों से वसूला जाये।

दूसरी बात, मैं भारत सरकार को इस बारे में बिल लाने के लिए धन्यवाद देता हूं और साथ ही आग्रह भी करता हूं कि आपने यह बिल लाकर अच्छा केबल देने का काम किया है। साथ ही यह भी गुजारिश है कि जिस तरह से हमारी भारतीय संस्कृति पूरे विश्व में अच्छी संस्कृति है, उस संस्कृति को बर्बाद न होने दें। जिस तरह से रात में टी.वी. पर कार्यक्रम दिखाये जाते हैं, उसे पूरे परिवार के लोग एक साथ बैठकर नहीं देख सकते हैं तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि कोई ऐसा कानून में जरूर प्रावधान लायें, जिससे कि पूरा परिवार एक साथ बैठकर टी.वी. को देख सके। बाल–बच्चे आजकल पश्चिमी सभ्यता की नकल कर रहे हैं, इससे हमारी संस्कृति खत्म हो रही है तो इस पर पूरी तरह से निगरानी करनी चाहिए।

यह बिल लाकर आपने बहुत ही अच्छा किया है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जो हमारी क्षेत्रीय भाषाएं हैं, हमारे यहां भोजपुरी और मिथिला भाषा है, इनकी भी सरकारी स्तर पर घोषणा की जाये और इनका भी प्रसारण शुरू कराया जाये, जिससे कि जिस क्षेत्रीय भाषा के लोग हैं, उसको आसानी से सुनें और उससे फायदा उठायें। मिथिला भाषा और भोजपुरी भाषा हम लोगों के यहां पूरे क्षेत्र में बोली जाती हैं। इसके अलावा अंगिका भाषा भी है।

साथ ही मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि जो बिग बॉस कार्यक्रम है। बिग बॉस में जिस तरह से दिखाया जाता है, उसमें अश्लील शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, मुझे आश्चर्य होता है कि उसे अभी तक बंद क्यों नहीं किया गया। उसे भी बंद किया जाये। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री पी.के. बिजू (अलधूर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मुझे इस सीट से बोलने की अनुमति प्रदान करें।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है।

श्री पी.के. बिजू : महोदय, हमारे देश में टेलीविजन एक प्रमुख जनसंचार माध्यम है। आज हमारे माननीय मंत्री महोदय ने सदन के पटल पर वक्तव्य रखा। हमें जानकारी मिली है कि 89 निजी प्रसारककर्ता देश में प्रचालनरत हैं उनके पास 515 टेलीविजन चैनल हैं और 115 भुगतानशुदा चैनल हैं। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में मैं सदन का बहुत समय नहीं लूंगा।

हम नई आर्थिक नीति शुरू होने के बाद अपने राष्ट्रीय चैनल दूरदर्शन में निजीकरण की अनुमति दे रहे हैं, जिससे राष्ट्रीय मीडिया पर भी प्रभाव पड़ेगा। यह बाद में प्रसारण नेटवर्क विधेयक के अन्तर्गत अगले विधेयक में आएगा।

केबल नेटवर्क (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2010 उपरी तौर पर उपभोक्ता अनुकूल प्रतीत होता है। अनेक प्रश्नों को अनुतरित छोड दिया गया है। यह विधेयक पहली बार सशर्त उपागम प्रणाली (सी.ए.एस.) लागू करता है, जो उपभोक्ताओं को केबल प्रचालकों द्वारा प्रसारित सम्पूर्ण चैनलों के लिए भुगतान करने के बजाए उन्हें अपनी पसंद का केबल चैनल खरीदने में सक्षम बनाता है। भुगतानशुदा चैनलों को इनक्रिप्टिड या स्कैम्बहड रूप में प्रसारित करते हैं तथा सी ए एस में जो चैनल वे देखना नहीं चाहते हैं, तो वे मूल श्रेणी में फ्री–टू–एयर (एफ.टी.ए.) चैनलों को कम दर पर प्राप्त करेंगे।

अपराह्न 1.00 बजे

प्रमुख मनोरंजन और सूचना क्षेत्र में जनता की पहुंच को संरक्षित रखने के लिए, सरकार की एफ.टी.ए. श्रेणी में 'मस्ट–कैरी' उपखंड शामिल करने की योजना है। इसका अभिप्राय यह है विधा–वार पृथक्करण जिससे यह सुनिश्चित हो कि जो लोग

[श्री पी.के. बिजू]

मूलभूत श्रेणी का चयन करते हैं, वे अन्य चैनलों से वंचित न हों, अर्थात् सामान्य मनोरंजन, समाचार, सिनेमा, संगीत चैनल और इस तरह के अन्य चैनलों से वंचित न हों।

लेकिन, यह विधेयक प्रसारणकर्ताओं को अपने चैनलों का शुल्क निर्धारित करने की पूरी छूट देता है। यदि सशुल्क चैनलों की कीमत निर्धारण को पूरी तरह से बाजार पर छोड़ दिया जाए तो इससे प्रसारण नेटवर्कों के पास मनमाने ढंग से कीमत बढ़ाने का विकल्प मिल जाएगा, उदाहरण के लिए, स्पोर्ट्स चैनल प्रमुख खेल स्पर्धा से पहले अपनी कीमत को बहुत अधिक बढ़ा सकता है और उपभोक्ता यदि उन चैनलों को देखना चाहते हैं, तो उनके पास भुगतान करने के सिवाय कोई विकल्प नहीं होगा। इस प्रकार, इसे बाजार शलियों पर पूरी तरह छोड़ देने पर अवांछनीय भेदभाव पैदा होगा जिसमें निम्न आय वर्ग की पहुंच कतिपय प्रकार के चैनलों तक नहीं हो पाएगी। इस समस्या का समाधान करने के लिए, एक विनियामक निकाय की जरूरत है जो मूलभूत चैनल श्रेणी की संरचना का पता लगाने के लिए उपभोक्ताओं के बीच विज्ञानसम्मत सर्वेक्षण करेगा। विधेयक के अनुसार सरकार के पास उपभोक्ताओं की ओर से यह निर्णय करने की शक्ति होगी कि मूल चैनल श्रेणी में कौन से चैनल और कितने चैनलों को मिलाकर मनोरंजन, सूचना, शिक्षा और ऐसे अन्य कार्यक्रमों का एक बेहतर पैकेज तैयार होगा। यह विधेयक उपभोक्ताओं के पसंद की स्वतंत्रता पर कुठाराघात करता और यह अस्वीकार्य है।

प्रसारणकर्ताओं का अन्य केबल प्रचालकों का कम प्रतिनिधित्व होना है। सभर्त उपागम के तहत अपने वर्तमान स्वरूप में विधेयक अन्डर रिपोर्टिंग के मुद्दे का पूरी तरह से समाधान नहीं करता है। तरंग-ग्राही बॉक्स एक एनालॉग है जिसमें आसानी से छेड़छाड़ की जा सकती है। इसके अलावा उपभोक्ता प्रबन्धन प्रणाली प्रचालक के पास ही बनी रहेगी और प्रसारणकर्ताओं या स्वतंत्र प्राधिकरण के साथ नहीं रहेगी। इस प्रकार, अन्डर रिपोर्टिंग की संभावना बनी रहेगी। एनालॉग प्रणाली के साथ केबल प्रचालकों और हैकरों द्वारा आसानी से छेड़छाड़ की जा सकती है और इससे पायरेसी की बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है।

इसके अतिरिक्त, एक स्वतंत्र शिकायत-निवारण तंत्र की भी आवश्यकता है। केबल प्रचालकों से प्रत्याशित निष्पादन मानकों सेट-टॉप्प बॉक्स की कीमत तथा बिक्री पश्चात सेवा की जांच हेतु कोई तंत्र नहीं है। उद्योग की धाराओं के अंतर्गत विवादों का निपटान करने में विनियामक निकाय के अभाव से यह विधेयक और ही निरर्थक बन जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय, संचार और सूचना के क्षेत्र में तथा प्रसारण उद्योग में नई उदारवादी नीति की शुरूआत के बाद प्रमुख बड़ी प्रसारण कंपनियां देश में आये। वे हमारे देश में अपनी प्रणालियां प्रचलित कर रहे हैं। इसलिए, आसानी से पैसा इकट्ठा करने से उन्हें रोकने के लिए ऐसे कानूनों की कमी है। वे आसानी से पैसा इकट्ठा कर सकते हैं इस विधेयक का उपयोग अपने विवेक के अनुसार कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री पी.के. बिजू : मैं समाप्त कर रहा हूं।

मैं इस विधेयक को पुरःस्थापित करने को स्वीकार करता हूं लेकिन, हमारे देश के उपभोक्ताओं की सुरक्षा तथा देश में व्यापक हितों को संरक्षित करने के लिए इस विधेयक की पूरी तरह से समीक्षा की जानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : अब, श्री तथागत सत्पथी।

श्री तथागत सत्यजी (ढेंकानाल) : मेरे पास कितना समय है?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि आवंटित समय दो मिनट है, लेकिन मैं आपको पांच मिनट दूंगा।

श्री तथागत सत्पथी (ढेंकानाल) : महोदय, मैं आभारी हूं।

आज मैं केबल टेलीविजन (विनियमन) संशोधन विधेयक 2011 पर बोलना चाहता हूं जो पहले अध्यादेश के रूप में राष्ट्र के सामने आया और अब हम इसे विधेयक के रूप में ला रहे हैं। सरकार को यह अध्यादेश लाने की क्या जल्दबाजी थी? मुझे नहीं पता। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार हताश है। उन्हें लगता है कि जल्द ही वे सत्ता गंवा देंगे। इसलिए वे सब कुछ जल्द से जल्दी करना चाहते हैं और हर चीज को आम आदमी की पहुंच से दूर करना चाहते हैं।

गांव में एक गरीब आदमी अपने पैसे से केबल टेलीविजन नेटवर्क स्थापित करता है और उस केबल नेटवर्क के रखरखाव

के लिए 6,7,10 अथवा 20 युवा लड़के और लड़कियों को रोजगार देता है। हम उसे अमानवीकृत और अवैध बनाने जा रहे हैं और इसमें केवल बड़ी कंपनियों को ही अनुमति दे रहे हैं। ऐसा कहा जा सकता है कि आज यह केवल बड़े शहरों में ही शुरू होगा। परन्तु अंततः यह गांवों तक पहुंच जाएगा। हमें इस बात से सहमत होना होगा कि हमें बैलगाड़ी युग से बाहर आगे जाना होगा। ठीक है, हम बैलगाड़ी युग से आगे जाना चाहते हैं। हर कोई इससे सहमत होगा। मैं व्यक्तिगत रूप से हाई डेफिनेशन टेलीविजन देखना और स्टीरियो साउंड सुनना आदि पसंद करता हूं। लेकिन जब आप भारत के किसी राज्य को चार या छह लेन वाले राजमार्गों से गुजरते हैं तो आपको दुर्भाग्य से अपनी मर्सिडीज या बी.एम.डब्ल्यू के साथ-साथ बैलगाड़ी चलती हुई नजर आती है। ऐसा प्रतीत होता है कि सभी दल अमीरों के पक्ष में एकजुट एक है। सरकार, अमीर लोगों द्वारा, अमीर लोगों के लिए तथा अमीर लोगों की है। यह आज की प्रवृत्ति है। इस सभा में आज आम गांव वालों का पक्ष रखने वाला कोई नहीं है। यह खेदजनक है कि कोई उनके बारे में सोचता तक नहीं है।

मीडिया एक क्षेत्र है जहां विभिन्न स्तरों-प्रोडक्शन हाउस, ब्राडकास्ट हाउस से वितरण व्यवस्था, चाहे वह समाचार पत्र का हॉकर हो अथवा केबल आपरेशन, जो समाचार पत्र के हॉकर के समान है, केबल ऑपरेटर गांवों ने अपने केबल का प्रचालन करता है और अपने धन का निवेश करता है तथा अपनी आजीविका अर्जित करता है। ये वो लोग हैं जो अपने पैरों पर खड़े हैं। सरकार अपने अधिकारों के लिए खड़े हुए हर व्यक्ति को बरबार करना चाहती है। वे केबल बड़े ऑपरेटर चाहते हैं वे चाहते हैं कि इस देश में केवल धनी लोग ही जिएं। आपके पास धन है तभी आपको जीने का अधिकार है। आपको कारोबार करने का अधिकार है। आपके पास पैसा नहीं है तो सरकार को आपकी परवाह नहीं है। यह इस सरकार की कार्यविधि पद्धति और मानसिकता है। नौकरशाह इसका समर्थन कर रहे हैं और राजनीतिक मुखिया इसको प्रोत्साहन दे रहे हैं।

डिजिटलीकरण, जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि यह एक अच्छी बात है। लेकिन यह अमीर लोगों की सहायता करने वाला एक और कदम है। यहां मैंने सुना है कि मेरे अनेक सहायोगियों ने मीडिया की आलोचना की है। बहुत बढ़िया, हम हमेशा ही मीडिया की आलोचना कर सकते हैं। परन्तु हम एक लोकतांत्रिक देश हैं। हमें समझना चाहिए कि स्वतंत्र देश में स्वतंत्र मीडिया होना चाहिए। जैसा कि इंटरनेट के बारे में गत सप्ताह हेग में चर्चा की गई थी जबकि भारत के एक मंत्री 'विमितीक्स' के समय इंटरनेट को नियंत्रित करने की बात कर रहे थे। हम इंटरनेट को नियंत्रित करने की बात कर रहे हैं। यह चीन में इंटरनेट सेंसर करने जैसा है जहां 300 साइबर पुलिसकर्मी लगातार इंटरनेट में हस्तक्षेप, संपादित करने और इंटरनेट साइटों को ब्लॉक करने का कार्य करते हैं। हम इस पद्धति में जाना चाहते हैं। क्या हम भारत में पीपुल्स डेली और पर्वदा जैसी व्यवस्था चाहते हैं? हमें अपने आप से यह प्रश्न पूछना चाहिए। दुर्भाग्यवश हमारे पास भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष सहित अत्यंत प्रतिष्ठित लोग हैं, उन्होंने कहा कि देवआनंद की मृत्यु की खबर पहले पृष्ठ पर कैसे प्रकाशित की जा सकती है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस देश में कितने लोग देव आनंद को जानते हैं; और कितने लोग इस देश में भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष को जानते हैं। अतः हम हमेशा मीडिया पर प्रहार करते रहते हैं।

एक कहावत है कि 'सुन्दरता देखने वाले की आंखों में होती है'। इसी प्रकार से अश्लीलता भी देखने वाले की आंखों में होती है। यदि आप अश्लील चैनल देखना चाहते हैं आपके पास सुविधा है। परन्तु यदि आप बच्चों के चैनल जैसे सी बी बी सी देखना चाहते हैं आप सी बी बी सी देख सकते हैं और आप मि. मेकर देख सकते हैं। अनेक बच्चे इस देश में ऐसे चैनलों से सीख रहे हैं। आप छोटा भीम जैसे कार्यक्रम देख सकते हैं। यह बच्चों को टेलीविजन से चिपके रहने के लिए नहीं, बल्कि पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। परन्तु हम इस पहलू को स्वीकार नहीं करते।

विद्यालय स्तर पर हमारी शिक्षा व्यवस्था पूर्णरूप से अव्यवस्थित हो गई है और पूरी तरह से असफल हो गई है तो यह टेलीविजन और प्रिंट मीडिया ही है जो इस अंतर को कम करने के लिए आगे आया है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि वे शिक्षित कर रहे हैं, लेकिन वे लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं वे हमें होने वाली घटनाओं के बारे में चेतावनी देकर राष्ट्र की उत्कृष्ट सेवा कर रहे हैं।

2-जी घोटाले और सी डब्ल्यू जी घोटाले के बारे में सोचिए। यहां तक कि मेरी दायीं ओर बैठे मेरे सहयोगी जिन्हें इस विधेयक का समर्थन नहीं करना चाहिए वे भी विधेयक को पारित करने के लिए जल्दबाजी कर रहे हैं। लेकिन जरा स्वतंत्र मीडिया, विबिध चैनलों तथा समाचार पत्रों के बिना भारत की कल्पना

[श्री तथागत सत्पथी]

कीजिए इनके न होने पर सी डब्ल्यू जी, टू जी और कमला तथा अन्य घटनाओं का क्या होता? बुरी बातों की आलोचना करने से पहले हमें अच्छी बातों की सराहना करनी चाहिए। आज समाचार पत्र में हम पढ़ रहे थे...

उपाध्यक्ष महोदया : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री तथागत सत्पथी : महोदय कृपया मुझे पांच मिनट दीजिए, मैं घेड़ी देख रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप पहले ही छह मिनट ले चुके हैं।

श्री तथागत सत्पथी : आप जी.एम.टी. के अनुसार चल रहे हैं, जबकि मैं भारतीय मानक समयानुसार चल रहा हूं। मैं सादर अपनी बात समाप्त करूंगा।

श्री विजय बहादुर सिंह (हमीरपुर यू.पी.) : राज्य सभा में सदस्य द्वारा लिए गए समय को दर्शाने के लिए दीवार पर स्टाप घड़ी हैं यहां पर वह घड़ी क्यों नहीं हो सकती?

श्री तथागत सत्पथी : यह व्यवधान हैं इसके लिए मेरे समय में कटौती न की जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बोलिए।

श्री तथागत सत्पथी : मैं आपको एक छोटा–सा उदाहरण दूंगा। इस विधेयक में पृष्ठ–4 में यह कहा गया है :–

(6) केबल आपरेटर कि किसी अभिदाता से केबल टेलीविजन नेटवर्क के संकेतों को ग्रहण करने के लिए किसी विशिष्ट किस्म के प्रापक सेट को लेने की अपेक्षा नहीं करेगा :

परंतु यह कि किसी चैनल पर पारेषित कार्यक्रमों को ग्रहण करने के लिए ग्राहक अपने प्रापक सेट में उपयोग करने के लिए अंकीय संबोध्य प्रणाली संबद्ध करेगा।

अब बताएं कि आपके निर्वाचन–क्षेत्र के गांवों में कितने लोग ऐसे बॉक्स लेने का खर्च वहन कर सकते हैं। हो सकता है कि आज नहीं तो कल, हम संसद–सदस्य न हों, तब हम इस छोटी सी बात के लिए खुद को लानत भेजेंगे।

इसलिए, मैं निजी तौर पर महसूस करता हूं कि इस विधेयक का विरोध उचित ही किया जाना चाहिए। सरकार ऐसा अध्यादेश क्यों लेकर आई है? ऐसा विधेयक लाने का सरकार का एक परोक्ष उद्देश्य है : पहले यह कि इसे अध्यादेश के रूप में लाया जाए और अब इसे विधेयक के रूप में विधिकृत कर दिया जाए। हम सबको इसका विरोध करना चाहिए, इसका समर्थन नहीं करना चाहिए। हमें यह सिद्ध करना चाहिए कि हम जनता के पक्षधर और हम अंधे नहीं हैं। सरकार को भी इसे अपनी प्रतिष्ठा का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। मैं जानता हूं कि आप अभी कह देंगे : 'निर्णय 'हां' वालों के पक्ष में है, 'हां' वाले जीत गए हैं।

परन्तु कभी–कभी हमें अपनी बुद्धि से भी सोचना चाहिए। हमें बदलना चाहिए। जब लोग जंतर–मंतर पर जाकर बैठते हैं तो प्रत्येक राजनीतिक दल वहां पहुंच जाता है और फिर चर्चा इस सभा में न होकर सड़कों पर चलने लगती है। लोग इसे बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन हमें अपने कर्तव्यों के प्रति सजग बनना होगा। हम ऐसे कार्यकलाप की निन्दा करें और कहें कि उचित चर्चा केवल इस सभा के भीतर ही हो सकती है, न कि सड़कों पर। आइए, इस बात का विरोध करें और इस विधेयक का भी विरोध करें...*(व्यवधान)*

अंतिम बात कहता हूं। इस कार्टीज ने कहा है : मेरी विचारशक्ति से ही मेरा अस्तित्व है और यह कहकर बौद्धिक क्षमता पर बल दिया है। हमारे जैसे लोकतंत्र में, यह समझा जाना चाहिए कि जनता सोचती है कि हम उसकी सेवा करने के लिए ही यहां हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए। हम यहां लोगों के लिए हैं। यह कोई हमारी पैतृक संपत्ति नहीं हैं हम आजीवन यहां नहीं रहेंगे। हमें यह बात याद रखनी चाहिए और इसके अनुसार ही कार्य करना चाहिए। मैं आपका आभारी हूं।

डॉ. रत्ना डे (हुगली) : उपाध्यक्ष महोदय, निजी सैटेलाइट टेलीविजन चैनलों की लगातार बढ़ती संख्या, जोकि अन्य देशों को अपलिंकिंग सुविधा भी दे रहे हैं, की निगरानी एक बड़ा मुद्दा बन गया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ऐसी परिस्थिति में इन चैनलों की निगरानी करना एक दुःसाध्य कार्य है। मैं निगरानी प्रक्रिया के कुछ पहलुओं पर प्रकाश डालना चाहूंगी।

काफी लंबे समय से देखा जा रहा है कि टी.वी. चैनलों द्वारा आपत्तिजनक विषय–वस्तु के प्रसारण, जिसको लेकर तरह–तरह की बातें उठती हैं, के अनेक मामले प्रकाश में आ रहे

हैं। जिससे अरूचिकर विचार जन्म लेते हैं, मुम्बई में वर्ष 2008 में हुए आतंकी हमले का टी.वी. चैनलों द्वारा कवर किया जाना कौन भूल सकता है? बाद में, मेरा ख्याल है फरवरी, 2010 में मंत्रालय ने टी.वी. चैनलों को परामर्श जारी किया था। क्या मंत्रालय उस पर दिए गए परामर्श की पूर्ण जानकारी प्रदान करेगा?

इसे अस्वीकारा नहीं जा सकता कि अनेक टी.वी. चैनल अनेक विज्ञापनों में महिलाओं के आपत्तिजनक चित्र प्रसारित कर रहे हैं। ऐसे अनावश्यक कार्यक्रमों के प्रसारण के कितने मामले मंत्रालय के संज्ञान में आए हैं और मंत्रालय द्वारा ऐसे मामलों पर क्या कार्रवाई की गई है।

केबल टेलीविजन सेवाओं को पुनर्गठित करना अत्यावश्यक है। इस समय इसकी एक विस्तृत रूपरेखा तैयार किए जाने की आवश्यकता है। स्थानीय केबल ऑपरेटरों द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं को सुकर बनाया जाना चाहिए। मुख्य कंपनियों जैसे 'रिलायंस', 'एयरटेल', 'जी' और अन्य ने केबल नेटवर्क का अधिग्रहण कर लिया है। पहले इसका शुल्क कम था। इन प्रमुख कंपनियों के परिदृश्य में आने के कारण, शुल्क--दर में अत्यधिक वृद्धि हुई हैं यद्यपि इस बात में कोई संदेह नहीं है कि इन सेवाओं का डिजिटलीकरण हुआ है और प्रसारण की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। परतु इन बड़ी कंपनियों द्वारा लगाई जा रही अत्यधिक शुल्क दर के कारण गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों पर भार बढ़ा है।

हम विधेयक का इस आशा सहित समर्थन करते हैं और आशा करते हैं कि विद्यमान अधिनियम में व्याप्त कमियों को ठीक किया जाएगा और इसे लोगों के व्यापक लाभार्थ हेतु सुकर बनाया जाएगा तथा जनता को वहनीय दर पर और अधिक सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

[हिन्दी]

डॉ. संजीव गणेश नाईक (ठाणे) : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी आज जो केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) दूसरा संशोधन विधेयक 2011 लाये हैं, मैं समझता हूं कि यह बिल बहुत ही महत्त्वपूर्ण है।...*(व्यवधान)* मैं इस बिल के बारे में तीन-चार बातें कहना चाहूंगा।...*(व्यवधान)* खासकर आप सबको पता है कि यहां जो भी सांसद आये हैं, वे अलग-अलग जगहों से आये हैं। कोई देहात से आया है, तो कोई शहर से आया है।...*(व्यवधान)* आपको पता होगा कि हम सभी लोग अलग-अलग शहर, गांव, खेड़े से आये हुए हैं । मुम्बई सबसे बड़ा क्षेत्र है, जहां से केबल चैनल्स शुरू हुए। मैं समझता हूं कि मुम्बई जैसे शहर में केबल की वार, आप बीच-बीच में पढ़ते होंगे कि केबल वार हुआ, इसे मारा गया, उसे मारा गया। शुरू में इसमें जो गुंडागर्दी के काम होते थे, उस पर कोई रेगुलेशन नहीं था। आज इसने केबल खरीदा, दूसरे ने उसे गन प्वाइंट पर लिया। उसने उसे बेच दिया। इसका कोई उचित प्राधिकरण नहीं है। उसके लिए व्हाइट एंड ब्लैक कोई प्रोसीजर भी नहीं है। मैं समझता हूं कि कानूनी तौर पर इसमें थोड़ा-सा प्रावधान करने की जरूरत है।

दूसरी बात यह है कि हमारे जैसे एमपीज या एम.एल.एज हैं, हम देख रहे हैं कि मुम्बई जैसे शहर में हर पोलिटिकल आदमी, जिसे आगे चलकर चुनाव में खड़े होना है, वह अपना एक न्यूज चैनल शुरू कर देता है। उसके सामने कोई भी व्यक्ति हो, उसका कोई सेंसर नहीं होता है। वह कुछ भी बक देता है कि इस आदमी ने ऐसी-ऐसी चीजें की हैं। उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। उसने चैनल वन शुरू किया और वह जो दिखायेगा, लोग उसे देखेंगे। उसमें कोई सेंसरशिप होनी चाहिए। यदि सामने वाला शुरू कर देता है, तो फिर आपोजिशन वाला भी उसका चैनल शुरू कर देता है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप संक्षेप में अपनी बात कहिए, क्योंकि इस विषय पर बहुत से माननीय सदस्य बोलने वाले हैं।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : सभी लोग अच्छी बात बोलते हैं।

...*(व्यवधान)*

डॉ. संजीव गणेश नाईक : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इस पर लोकल रेगुलेशन लाना चाहिए, जिस पर यह.... *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय, इस संबंध में मैं इंसीडेंट बता रहा हूं कि एक केबल आपरेटर कारपोरेशन के चुनाव में कार्पोरेटर के लिए खड़ा हुआ। उसने बोला कि आगे आने वाले तीन महीने में केबल के जो सौ रुपये चार्ज है, उसे मैं पचास रुपये कर रहा हूं। इसे सुनकर पब्लिक खुश हुई। जब वह हार गया तो उसने सौ रुपये से सीधे 200 रुपये कर दिये। उस पर कोई कंट्रोल ही

[डॉ. संजीव गणेश नाईक]

नहीं है कि चार्ज 50 रुपये है, 100 रुपये है या 200 रुपये है। अगर वह चुनकर आ गया तो 50 रुपये और नहीं चुना गया तो सीधे 200 रुपये। इसमें कोई रेगुलेशन नहीं है। यह फैक्ट है, जिसे मैं बता रहा हूं। लोग हमें बोल रहे हैं कि यह क्या हो रहा है? मैं चाहूंगा कि इसके बारे में भी सरकार ध्यान दे। दूसरी बात यह है कि मुंबई जैसे शहरों में केबल, आप देखेंगे कि जैसे कोई नेट खड़ा हुआ है बिल्डिंग्स के ऊपर इसकी वजह से करन्ट आने से बहुत सी जगहों पर शॉर्ट सर्किट हुआ, आग लग गयी जिससे बहुत हानि पहुंची है। इसके लिए भी कोई रेगुलेशन लाया जाए। अगर इसको अंडरग्राउण्ड करेंगे, तो वह बहुत कॉस्टली होगा, जो आज 200 रुपये में दे रहा है, वह उसे बढ़ाकर 500 रुपये कर देगा। इसलिए मैं समझता हूं कि कोई ऐसा प्रॉविजन होना चाहिए ताकि अंडरग्राउण्ड भी हो और लोगों को इन दिक्कतों का सामना न करना पड़े। इस बारे में बीच एक चीज हुई थी कि जैसे एक केबल ऑपरेटर किसी एरिया में केबल शुरू कर देता है, जब वहां नई बिल्डिंग आई, तो वह वहां केबल डाल देता है, फिर दूसरा ऑपरेटर कहता है कि मै भी उसमे केबल डालूंगा। उसके लिए एक एरिया, एक ज्यूरिस्डिक्शन कैसे फिक्स करेंगे? उसके लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है। यह फ्री टू एयर चैनल की बात नहीं हो रही है, कोई कार्ड की बात नहीं हो रही है, जो एक्चुअल केबल ऑपरेटर्स हैं, जो मुंबई में इसे फेस कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि उनको ज्युरिस्डिक्शन फिक्स होनी चाहिए कि आपका यह इलाका है, आप दूसरे इलाके में जा सकते हैं इसके लिए कोई नियम लाना पड़ेगा क्येंकि इसकी वजह से मुंबई जैसे शहर में बहुत तकलीफ हो रही है और लोगों में बहुत झगड़े हो रहे हैं। लोगों को लगता है एक इसमें बहुत पैसा है, इसलिए हर आदमी उसमें पैसा लगा रहा है और सोच रहा है कि मैं आज दस लाख रुपये लगाकर 20 लाख रुपये कमाऊंगा। इस तरह से केबल सिस्टम में बहुत से गलत लोग आ रहे हैं, इसलिए मैं चाहूंगा कि इन सब चीजों पर सरकार ध्यान देगी।

आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

श्री पी. कुमार (तिरूचिरापल्ली) : मैं केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2011 पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

सर्वप्रथम, मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि मेरे राज्य तमिलनाडु में माननीया मुख्य मंत्री सुश्री अम्मा ने अवैध केबल-प्रचालन को सफलतापूर्वक समाप्त किया है और सबके लिए समान अवसर उपलब्ध कराए हैं।

संपूर्ण देश में केबल टेलीविजन उद्योग के ऐसे समूहों के हाथ में जाने का खतरा है, जोकि माफिया गिरोह की तरह काम कर रहे हैं। इस समय सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए और इस उद्योग में अनियंत्रित आपराधिक कार्यकलापों को समाप्त करना चाहिए।

परन्तु, सरकार को इस उद्योग के विनियमन के नाम पर निर्दोष केबल ऑपरेटरों को परेशान करने वाली अघोषित सैंसरशिप को लागू नहीं करना चाहिए।

सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक केबल ऑपरेटर को यह पता हो कि पंजीकृत चैनल कौन-से हैं और कौन से अपंजीकृत है। अन्यथा, ग्रामीण क्षेत्रों के निर्दोष केबल ऑपरेटर कानून से अनभिज्ञता के कारण परेशान होंगे।

और, प्रायः इन चैनलों के कर्मचारी ही ऐसे अपराधों हेतु दण्डित होते हैं। वह सुनिश्चित करें कि निर्दोष कर्मचारियों को बलि का बकरा न बनाया जाय और अपराध के षड्यंत्रकारी को ही दण्ड मिले।

[हिन्दी]

श्री नामा नागेश्ववर राव (खम्माम) : महोदय, डिजिटाइजेशन की इस कंट्री में रिकवायरमेंट है। मगर यह बात समझ में नहीं आती है कि सरकार को इतनी जल्दी क्यों है। सरकार को जल्दीबाजी है, इसलिए इस बिल को इस तरह से पेश कर रही है। अभी देश के सामने काफी इश्यूज हैं, फार्मर्स के इश्यूज हैं, लैण्ड एक्वीजिशन के इश्यूज हैं, करप्शन और ब्लैक मनी के इश्यूज हैं, इन सबको टालने के लिए सरकार इस तरह बिल्स को ला रही है। इस बिल में जो प्रॉविजन्स रखे हैं, इसमें काफी प्वाइंट्स हैं, लेकिन टाइम कम है, इसलिए केवल कुछ प्वाइंट्स को मैं एड्रेस करना चाहता हूं। इसमें पेड चैनल के बारे में जो लिखा है :

[अनुवाद]

"केबल टेलीविजन नेटवर्क के संबंध में 'संदाय चैनल' से अभिप्रेत है ऐसा चैनल, जिसको अभिदाता को पारेषण के लिए संबोध्य प्रणाली का उपयोग करना होगा।"

...

[हिन्दी]

इसका मतलब है कि जो पे चैनल है, वह अपने सब्सक्राइबर्स की परमीशन लेकर कुछ भी दिखा सकता है, उसके कंटेंट्स को कैसे कंट्रोल करेंगे? अभी देश के यूथ को पे चैनल के पीछे नहीं जाना चाहिए। पे चैनल के कंटेंट्स को कैसे कंट्रोल करेंगे, उसमें काफी वल्गैरिटी होने के चांसेज हैं। इसलिए पे चैनल के बारे में सोचना चाहिए। लेइंग ऑफ दि केबल्स के बारे में पब्लिक प्रॉपर्टीज को परमीशन दे रहे हैं। प्राइवेट प्रापर्टी के बारे में क्या है, उस पर कैसे कंट्रोल किया जाए, यह भी देखना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से अधिकांश व्यूर्स पर जो टीवी देखेंगे, 32 प्रतिशत कॉस्ट का भार पड़ेगा। ऐसी बात लोगों द्वारा कही जा रही है। इसलिए मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस बिल के पास होने पर जो लोग टीवी देखते हैं, क्या कॉस्ट बढ़ जाएगी या कम होगी?

वर्तमान में अर्बन एरियाज में प्रथम चरण के रूप में इसे चार शहरों में लागू किया है। कल इसे रूरल एरियाज में भी लागू करने का चांस बनेगा, क्योंकि जो आपकी दीर्घकालीन योजना है, उसे देखते हुए ऐसा लगता है। वहां जो केबल आपरेटर्स हैं, जैसा कि अभी तथागत सत्पथी जी ने भी, मैं उसे रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन उसका प्रभाव रूरल एरियाज के लोगों पर और वहां के रोजगार पर भी पड़ेगा। इसलिए इसे भी देखने की कोशिश करनी चाहिए।

सबसे ज्यादा इलीगल मनी और मनी लॉड्रिंग इस क्षेत्र में है। इसकी चर्चा कई माननीय सदस्यों ने अभी की है और बताया है कि केबल नेटवर्किंग में माफिया काम कर रहा है। इसे कैसे कंट्रोल करेंगे, यह भी मैं सरकार से जानना चाहता हूं? अभी आंध्र प्रदेश में एक चैनल खुला है, जिसका नाम साक्षी है। उसमें पूरी इलीगल मनी, भ्रष्ट तरीके से कमाया धन लगाया गया है। जिसने यह चैनल खोला है, उसने बाद में पॉलिटिक्स को जॉइन कर लिया है। इसलिए वह चैनल गलत और उलटी बातें ही दिखाता है। इस चैनल पर सीबीआई जांच भी चल रही है, क्योंकि इसमें काफी मनी लॉड्रिंग इन्वॉल्व है। केबल नेटवर्किंग में इस तरह की कई बातें हैं, जिन पर कंट्रोल करने के लिए एक सिस्टम बनाया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष जी, मैं फिर कहना चाहता हूं कि इस बिल को जल्दबाजी में नहीं लाना चाहिए था। आज देश में करप्शन, कालाधन को रोकने की जरूरत पहले है। अगर ऐसा नहीं होगा तो दीर्घकाल में देश पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। नकारात्मक सोच वाली बातें दिखाना और पेड चैनल्स आदि जो बातें हो रही हैं, उन्हें ध्यान में रखकर इस संशोधन बिल को यहां पेश किया गया है। मैं समझता हूं कि इस पर आगे और विचार करना चाहिए।

सरकार हर समय धनी वर्ग के समर्थन की बात करती है। धनी वर्ग के लिए विदेशी पूंजी निवेश आदि बातें होती हैं। आने वाले समय में आम आदमी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसलिए आप सभी को इन्वॉल्व करें फिर कुछ करने का प्रयास करें तो सही रहेगा। इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और इस बिल का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री प्रबोध पांडा (मिदनापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह विधेयक केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम, 1995 का संशोधन और केबल टेलीविजन नेटवर्क संशोधन अध्यादेश, 2001 का निरसन करता है।

महोदय, इस सभा से, किसी भी पक्ष से, इस सभा के किसी भी राजनैतिक दल के किसी भी सदस्य ने इस संबंध में कोई गंभीर आपत्ति नहीं की है। इस विधेयक के संबंध में एक आम सहमति है। लेकिन इसके बावजूद, इस अध्यादेश को लाने की क्या आवश्यकता थी? सरकार इतनी जल्दी में क्यों थी? उसने अध्यादेश लाने का मार्ग क्यों चुना? यह उचित नहीं है। अगर सरकार इस सभा में उचित समय पर इस विधेयक को लाती तो कोई आसमान नहीं टूट पड़ता। यह मेरी आपत्तियों का पहला बिंदु है।

सामान्य तौर पर, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। वर्ष 1995 का अधिनियम पे–चैनल्स को परिभाषित करता है। यह विधेयक पे–चैनल्स को इस रूप में पुर्नपरिभाषित करता है कि ये वे चैनल हैं जिनके लिए केबल ऑपरेटर प्रसारणकर्ता को भुगतान करता है और चैनल के प्रसारण के लिए प्रसारणकता की अनुमति की आवश्यकता होती है। यह अच्छी बात है।

यह विधेयक केन्द्र सरकार को ऐसी अधिसूचना जारी करने की शक्ति प्रदान करता है जिसके अंतर्गत डिजीटल एड्रेसेबल सिस्टम के माध्यम से निःशुल्क प्रसारणीय चैनल सहित किसी भी चैनल का कूट रूप में प्रसारण करना केबल ऑपरेटर के लिए आवश्यक होगा। ऐसे प्रसारण के लिए आवश्यक उपकरणों की स्थापना के लिए केबल ऑपरेटरों को न्यूनतम छह माह का समय

[श्री प्रबोध पांडा]

दिया जाएगा। पर इस बीच की अवधि में क्या होगा? मेरा सुझाव है कि पंजीकृत होने की इस अंतरिम अवधि में न, केबल ऑपरेटरों को चैनलों का प्रसारण करने हेतु एक वचनपत्र देने का अवसर तो दिया ही जाना चाहिए।

इसमें यह कहा गया है कि केन्द्र सरकार बेसिक पैकेज में शामिल किए जाने वाले निःशुल्क प्रसारणीय चैनलों को विनिर्दिष्ट करने के लिए 'ट्राई' को निर्देश दे सकती है, परंतु 'ट्राई' ही क्यों? 'ट्राई' तो मुख्यतः दूरसंचार विनियामक तंत्र की देखभाल के लिए है। उसे यह कार्य क्यों सौंपा गया है? इसके लिए क्या आधार है? मंत्री महोदय कृपया इसे स्पष्ट करें।

इसमें कहा गया है कि केन्द्र सरकार देश की संप्रभुता, अखण्डता और सुरक्षा, लोक-व्यवस्था, शिष्टाचार और नैतिकता जैसे मामलों से संबंधित सुपरिभाषित पात्रता मानदंडों का विविर्धारण करेगी। इस संबंध में, डी.टी.,च. प्रसारण को संवीक्षा के अधीन लाया जाना चाहिए। इसे हर चीज का प्रसारण करने की स्वतंत्रता नहीं है। इसकी निगरानी करने के लिए क्या तंत्र है? क्या डी.टी.एच. तंत्र पर भी यह मानक लागू किए जा रहे हैं?

इस अधिनियम के प्रावधानों का यदि किसी केबल ऑपरेटर द्वारा उल्लंघन किया जाता है तो इस केबल ऑपरेटर के द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपस्करों का अभिग्रहण किए जाने की अनुमति इस अधिनियम में दी गई है। अभिग्रहण की यह अवधि 10 दिनों तक सीमित थी जिसे जिला न्यायाधीश के आदेश पर बढ़ाया जा सकेगा। तथापि, विधेयक में यह स्पष्ट नहीं है कि इस अवधि को कितना बढ़ाया जा सकता है। विधेयक के अंतर्गत, उपस्करों के अभिग्रहण की निर्धारित अवधि की कोई सीमा नहीं है। इस सीमा को बढ़ाना जिला मजिस्ट्रेट के विवेकाधिकार पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। विधेयक में ही इसकी एक अधिकतम सीमा विनिर्धारित की जानी चाहिए।

यदि कोई केबल ऑपरेटर कानून के निबंधनों का उल्लंघन करता है, तो यह विधेयक केन्द्र सरकार को उस केबल ऑपरेटर के पंजीकरण को निरस्त या निलंबित करने की शक्ति प्रदान करेगा। यह अच्छी बात है। लेकिन, ऐसी कार्रवाई करने से पहले क्या केबल ऑपरेटर को अपना बचाव करने का अवसर मिलेगा? केबल ऑपरेटर को उसका पक्ष सुने जाने का अवसर दिया जाना चाहिए, ये बातें इस विधेयक में शामिल नहीं की गई हैं।

मैं समझता हूं कि मंत्री महोदया स्वयं इन सभी बातों पर विचार करेंगी और अपने जवाब में उनका निराकरण करेंगी। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो टीवी वाला संशोधन विधेयक आ रहा है, इस पर माननीय पांडा जी ने इसको लाने में हड़बड़ी पर आपत्ति की और कहा कि क्या हड़बड़ी थी कि ऑर्डिनेंस हो गया और जब आर्डिनेंस हो गया तो उसे कानून में बदलना जरूरी है, इसलिए यह बिल आया है। लेकिन इन्होंने ठीक प्रश्न उठाया है कि क्या जल्दी पड़ी थी। आज हिंदुस्तान के अंदर साढ़े दस करोड़ टीवी हैं। इसमें से साढ़े तीन करोड़ टीवी का डिजिटलाइजेशन हो गया है और इनका जो प्राधिकरण है, उसने कहा है कि चार चरणों में बाकी बचे सब का डिजिटलाइजेशन कर दिया जाए। जो लोकल केबल ऑपरेटर्स हैं वे हिसाब ठीक नहीं रखते हैं, आमदनी ज्यादा करते हैं और उसे कम बताते हैं।

महोदय, डिजिटाइजेशन होने से सही आमदनी का हिसाब लगेगा। इसके लिए पांच करोड़ बाक्स लगाने पड़ेंगे, जिसके लिए 20-30 हजार करोड़ रुपए का खर्चा होगा तथा चार चरणों में करने का लक्ष्य है। वर्ष 2014 तक अगर डिजिटाइजेशन कर दिया जाए, तो कहते हैं कि पहले महानगरों का करेंगे, उसके बाद क्रम से दूसरी जगहों का भी करेंगे।

कहीं बैठे हुए हम भी टीवी देख लेते हैं, लेकिन उसमें प्रचार ही होता है जैसे एमडीएच मसाला, सच-सच एमडीएच मसाला'। हमेशा प्रचार ही होता रहता है। ऐसे निशुल्क चैनल चलने चाहिए जिसमें केवल मनोरंजन ही हो, प्रचार न हो। सीरियल भी ठीक है, महाभारत बहुत अच्छा सीरियल था। देश का चैनल दूरदर्शन है। दक्षिण भारत में हम गए थे, तो वहां केवल दूरदर्शन चैनल ही नहीं आ रहा था। दूरदर्शन अब दूर हो गया है।

श्री तथागत सत्पथी (ढेंकानाल) : अगर आप रिसेप्शन पर बोल देते तो वे दूरदर्शन चैनल लगा देते।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : मुझे पता नहीं था, नहीं तो रिसेप्शन पर बोल देता। हमारे नेशनल चैनल को तो अनिवार्य करना चाहिए। केबल ओपरेटर कुछ भी दिखाते हैं, लेकिन नेशनल चैनल नहीं दिखाते हैं। टीवी के माध्यम से सारा प्रचार किया जाता है। मैं

पूछना चाहता हूं कि अवांछनीय चीजों को न दिखाने का क्या कोई इंतजाम किया है या बोर्ड बनाया है? वे फ्री हैं, जैसा चाहे वैसा दिखा सकते हैं। हाथ रेखा वाले आते हैं, राशि देखते हैं और प्रचार करते हैं कि अंगूठी पहन लेने से इतना फायदा होगा। लोगों को अंधविश्वासी बनाया जा रहा है। आज के युग में जब मंगल ग्रह पर जाने की लोग सोच रहे हैं, लोगों को अंधविश्वासी बनाया जा रहा है। ऐसी चीजों के प्रसारण पर रोक होनी चाहिए, जो समाज के हित में, जनता के हित में, देश के हित में नहीं है। टीवी का विषय जनसम्पर्क का है और इस टेक्नोलोजी का सही इस्तेमाल देश और समाज के लिए होना चाहिए, लेकिन आज उलटा हो रहा है। समाचार एक लाइन दिखाते हैं और फिर प्रचार शुरू हो जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपनी बात समाप्त कीजिए और संक्षेप में बोलिए।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात अति संक्षेप में केवल मूलभूत बात ही कह रहा हूं। आम लोगों को सब्सक्राइबर, डिजिटाइजेशन आदि नहीं मालूम है, वे तो मनोरंजन या खबरें देखना चाहते हैं। अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है कि जो भी चाहे मनमानी की जाए। कुछ तो नियंत्रण होना चाहिए। ऐसी खबरें जो भड़काऊ हैं या उत्तेजित करने वाली हैं, ऐसी खबरें नहीं दिखानी चाहिए। हमारा विभिन्नता का मुल्क है, विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, विभिन्न धर्म हैं। इसलिए किसी को अधिकार नहीं है कि किसी प्रकार की घृणा फैलाई जाए या दंगा फैलाने वाली बातें उसमें हो, या किसी को तकलीफ पहुंचाने वाली बातें उसमें हो तो इसीलिए जानकारी की बातें, खबर समाचार की बातें यानी ऐसे ऐसे कई विदेश के चैनल्स हमने देखे हैं, अपने यहां जैसे देखे हैं, जो अभी प्रैस काउंसिल के नए, आए, हैं, उन्होंने ठीक कहा है कि ये जो खबरिया चैनल्स हैं, ये खबरें ठीक ढंग से दिखाएं और उन पर नियंत्रण की जरूरत है। अभिव्यक्ति स्वतंत्रता पर हम हमला नहीं करेंगे लेकिन मनमानी पर हम रोक लगाएंगे। इस तरह का कानून बनना चाहिए।

श्री संजय निरुपम (मुम्बई उत्तर) : उपाध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने मुझे अनुमति दी। मैं सबसे पहले मंत्री महोदय को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि केबल टेलीविजन नैटवर्क्स (रेगुलेशन) अमेंडमेंट बिल आज यहां पर प्रस्तुत किया। 1995 में यह बिल आया था और यह दूसरा संशोधन है। पहली बार मेरे ख्याल से कैस के लिए हम लोगों ने संशोधन किया था। जहां तक मुझे याद आ रहा है। इस कानून के माध्यम से पूरा जो केबल सैक्टर है, जो इस समय एक असंगठित सैक्टर की तरह है, उसको संगठित करने का एक प्रयत्न होने जा रहा है, निश्चित तौर पर यह बहुत ही सराहनीय कदम है। इसके चार स्टेकर होल्डर हैं। एक तो सरकार, दूसरा केबल ऑपरेटर, तीसरा ब्रॉडकास्टर, जो टेलीविजन दिखाते हैं और चौथा कंज्यूमर यानी हम जो टेलीविजन देखते हैं। मुझे लगता है कि इस कानून में जो प्रावधान हैं, उसके माध्यम से चारों को फायदा है। इस कानून को लागू करने के लिए जो नियम कानून बनाये जाएंगे, निश्चित तौर पर उसमें इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए। अगर कुछ सदस्यों ने कुछ आशंकाएं व्यक्त की हैं तो उन आशंकाओं को दूर करते हुए इन चारों स्टेक होल्डर को इसका फायदा हो, इस बात का ख्याल रखना चाहिए। आज सुबह से ही सदन का एक ऐसा मूड बना हुआ है कि टेलीविजन पर जो कुछ दिखाया जा रहा है, वह सब कुछ ठीक नहीं है। यदि इसको कहीं न कहीं चैक किया जाए और यदि सरकार इसको मोनीटर करने का प्रयत्न करेगी तो कहेंगे कि सरकार सेंसरशिप लाना चाहती है। लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है कि बहुत सारे सदस्य आज जो हमारे 550 चैनलों के माध्यम से हमारे देश में जिस प्रकार की चीजें परोसी जा रही हैं, उससे बहुत खुश नहीं हैं, प्रसन्न नहीं हैं, बल्कि उससे लोगों में नाराजगी है। इसलिए सबसे पहले इस एक्ट के माध्यम से सरकार को एक कंटेंट रेगुलेशन का मौका मिल सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है।

सरकार को दूसरा बड़ा फायदा यह होगा क्योंकि अभी किसी को मालूम नहीं कि कितने टी.वी. सैट्स हमारे देश में हैं। कोई कहता है कि 12 करोड़ है, कोई कहता है कि 10 करोड़ है और कोई 11 करोड़ कहता है। जो टी.वी. हाउसहोल्ड की रिपोर्ट देने वाले हैं, वे ही छिपाते हैं यानी केबल ऑपरेटर्स। इस डिजिटेलाइजेशन के माध्यम से पूरे देश में दरअसल कितने लोग कितने परिवार टी.वी. देखते हैं, कितने घरों में टी.वी. सैट्स हैं, इसकी सही पिक्चर मिलेगी और चूंकि सही पिक्चर नहीं मिलती है, इसलिए सरकार को सही रेवेन्यू नहीं मिल रहा है। इसलिए डिजिटेलाइजेशन के माध्यम से निश्चित तौर पर सरकार को रेवेन्यू का फायदा होगा और सही पिक्चर सामने आएगी। आज कहा जाता है कि 4000 करोड़ रुपये का पूरा बिजनैस है। मालूम नहीं, 4000 करोड़ रुपये का है या उससे ज्यादा का बिजनैस है।

[श्री संजय निरूपम]

आने वाले दिनों में जब ये सब कुछ ऑरगेनाइज हो जाएगा तो इसका एक लाभ होगा। दूसरा जो स्टेक होल्डर है, जैसा हमारे सत्पथी साहब कह रहे थे, केबल ऑपरेटर के बारे में, निश्चित तौर पर हमारे देश के नौजवान 1994-95 में जब केबल ऑपरेशन शुरू हुआ तो अलग-अलग गांव में अलग-अलग शहरों में लोगों ने अपने-अपने स्तर पर इस केबल इंडस्ट्री में शामिल किया और हर गांव में, हर शहर के बड़े-बड़े इलाकों में केबल ऑपरेटर्स का एक अच्छा ग्रुप है और वे काम कर रहे हैं, उनको एक रोजी रोटी मिली है। इसलिए उनको बेरोजगार नहीं होना चाहिए। यह चिंता स्वाभाविक है और यह आशंका मेरे मन में भी है लेकिन इस बिल को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि किसी को बेरोजगार करने का कोई कार्यक्रम यहां नहीं हो रहा है। हां, एक लाइसेंसिंग ऑथोरिटी तैयार की जा रही है, यानी एक लाइसेंसिंग रिजीम तैयार होगा यानी आज कोई भी व्यक्ति केबल ऑपरेटर बनता है, कोई भी व्यक्ति केबल ऑपरेटर बनकर किसी भी तरह से अपना राजपाट चलाता है, तो एक बहुत ही व्यवस्थित तरीके से जो भी व्यक्ति केबल ऑपरेटर बनना चाहता है, सरकार के लाइसेंसिंग ऑथोरिटी के पास एप्लाई करके परमिशन ले सकता है और केबल ऑपरेशन में शामिल हो सकता है।

तीसरा, जो एक स्टेक होल्डर है, वह हमारा कंज्यूमर है। उसको क्या फायदा होगा? एक चिंता व्यक्त की गई है कि जो हम आज केबल की फीस दे रहे हैं? वह ज्यादा हो सकती है। मैंने भी पता लगाने की कोशिश की और समझने की कोशिश की। शायद ज्यादा नहीं होगी और अगर ज्यादा होने की स्थिति है, 150-200 से ज्यादा होने की स्थिति है तो मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आप रुल्स बनाते समय इस बात का ख्याल रखें कि हमारे जो टी.वी. दर्शक हैं, उनको टी.वी. देखने के लिए जो आज वे लोग फीस दे रहे हैं, उससे ज्यादा देने की नौबत न आए।

महोदय, दूसरी बात यह है कि आज सदन में विषय निकलकर आया कि हम कुछ भी देखने के लिए मजबूर हैं। सत्पथी जी ने कहा कि वल्गेरिटी देखने वाले की आंख में होती है, आइज इन द होल्डर, ठीक है, आप कह सकते हैं कि देखना चाहते हैं या नहीं। अब इस बिल के बाद कन्जयूमर के पास एक च्वाइस होगा, वह चाहे तो बहुत सारे चैनल ब्लॉक कर सकता है। जो चैनल उसके घर में दिखाए जाएंगे और उसे लगता है कि मैं इसे अपने बच्चों को नहीं दिखाऊं तो वह एक पिन नंबर का इस्तेमाल करके ब्लॉक कर सकता है यानी एक दर्शक के समक्ष एक वैकल्पिक व्यवस्था है कि जो चैनल नहीं देखना है उसे रोका जा सकता है। मुझे लगता है कि आम आदमी को इसके माध्यम से एम्पावर करने का बहुत बड़ा अधिकार मिल रहा है।

महोदय, अब मैं आखिरी बात ब्राडकास्टर के संबंध में कहना चाहता हूं। तमाम टीवी चैनल, न्यूज चैनल या और बड़े चैनल हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया संक्षेप कीजिए।

श्री संजय निरुपम : महोदय, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं।

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : वे अच्छी बात कह रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : जवाब तो आपको ही देना है, हमें नहीं देना है।

श्री संजय निरुपम : आज बहुत बड़ी समस्या ब्राडकास्टर्स की है। बड़े टीवी चैनल में हम बार-बार देखते हैं कि वे किस तरह से टीवी दिखा रहे हैं, किस तरह से शो दिखा रहे हैं, मैं समझता हूं कि इसे समझना बहुत आवश्यक है। एक-एक न्यूज चैनल दिखाने के लिए केबल ऑपरेटर को एक करोड़ रुपया देना पड़ता है। उन्हें पता ही नहीं होता कि कितने घरों में न्यूज चैनल दिखाया जा रहा है। हर केबल ऑपरेटर कहीं न कहीं टीवी कन्जयूमर पेस छिपाता है, डिजिटाइजेशन से छिपाने वाली खत्म हो जाएगी। टीआरपी की वजह से न्यूज चैनल कुछ भी दिखाते हैं, दिन रात दिखाते हैं, इससे टीआरपी की होड़ खत्म हो जाएगी। टीआरपी क्या है? टैम की जो व्यवस्था है उसके तहत 8,000 घरों में बाक्स लगाए गए हैं, उसके आधार पर न्यूज चैनल्स या तमाम टीवी चैनल्स की टीआरपी स्थापित होती है, इस व्यवस्था से टीआरपी की मारामारी खत्म हो सकती है, दबाव खत्म हो सकता है। चारों स्टेक होल्डर्स को इस कानून से लाभ हो रहा है। इस लाभकारी कानून को लाने के लिए मैं मंत्री महोदया को धन्यवाद देता हूं। ट्राई का रिकमेंडेशन था और इसके माध्यम से आने वाले दिनों में इस कानून के माध्यम से कन्वर्जेंस की व्यवस्था बनेगी। कन्वर्जेंस के तहत होता यह है कि ब्राडकास्टिंग यानी टेलीविजन, टेलीफोन और नेट, तीनों डिजिटाइजेशन की

व्यवस्था से स्थापित हो सकती है। इससे उपभोक्ता को व्यापक लाभ होगा। मंत्री महोदया आज सुधारवादी और क्रांतिकारी बिल लेकर आई आई हैं, मैं बधाई देता हूं। आपने कहा कि फेस मैनर में दिसंबर 2014 तक लागू करेंगे, मैं शुभकामना देता हूं कि आप इसे दिसंबर 2014 तक लागू करें और पूरे देश में आम आदमी को एम्पावर करेंगे।

श्री कामेश्वर बैठा (पलामू) : महोदय, आज केबल नेटवर्क अधिनियम पर विचार किया जा रहा है, मैं इसके लिए मंत्री महोदया को धन्यवाद देता हूं। भारत देश कृषि प्रधान देश है और इसके साथ धर्म प्रधान देश है। धर्म प्रधान देश में अलग-अलग रीति रिवाज है। कोई भी आदमी जब किसी से संबंध जोड़ना चाहता है, शादी ब्याह का रिश्ता जोड़ना चाहता है तो वह दूर-दूर तक पता करता है कि कहीं कोई नजदीक का रिश्ता तो नहीं है। जहां नजदीक का रिश्ता नहीं होता है वहीं शादी करता है। हम आज टेलीविजन के माध्यम से देख रहे हैं कि तमाम रीति रिवाज दरकिनार हो रहे हैं। देश के नौजवान और युवतियां टेलीविजन के कारण भटक रहे हैं। आधी रात को टेलीविजन खोलते हैं तो देखते हैं कि नंगा नाच हो रहा है, नंगा प्रदर्शन हो रहा है। आज जिस चैनल को लगाएंगे उसी पर ही देखेंगे। अपवाद स्वरूप कहीं धर्म, पुराने रीति रिवाज, संस्कृति, सभ्यता का प्रचार इक्का-दुक्का जगह ही मिलता है बाकी चैनल पर अश्लील चीजें मिलती हैं। हम टेलीविजन के विरोधी नहीं है। तमाम माननीय सदस्यों ने टेलीविजन के बारे में कहा कि जिस तरह का खुला प्रदर्शन दिखाया जा रहा है, उसका विरोध किया है, सुझाव दिए हैं, मैं भी इसमें अपनी बात जोड़ना चाहता हूं। हम इसके विरोधी नहीं है। हम इस बिल का समर्थन और स्वागत कर रहे हैं। लेकिन हमारा कहना है कि चैनल्स में सुधार किया जाए और विभिन्न चैनल्स में जो अश्लील चीजें आ रही हैं, उन्हें प्रसारित न होने दिया जाए। ताकि हम अपने परिवारों के साथ बैठकर टीवी देख सकें तथा जो हमारी सभ्यता और संस्कृति है, वह दरकिनार न हो सके, हम उसकी रक्षा कर सके। हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश होने के साथ-साथ धर्म प्रधान भी है। पूरी दुनिया में यह विख्यात है कि भारत एक धर्म प्रधान देश है, यहां के लोग परदे में रहते हैं। आज भी कई प्रदेशों में आप देखेंगे तो पायेंगे कि वहां की महिलाएं आज भी अपने चेहरे से घूंघट नहीं हटाती हैं।

हम मंत्री महोदया से मांग करना चाहते हैं कि हम इसके विरोधी नहीं हैं, लेकिन आजकल विभिन्न चैनलों पर जो प्रोग्राम्स का प्रदर्शन किया जा रहा है, उन्हें सुधारा जाए, उन पर बैन लगाया जाए। वे लोग कितना दिखा सकते हैं, कितना उन्हें दिखाने की छूट होगी, उनके क्या अधिकार होंगे, उन अधिकारों के दायरे में रहकर ही वे चैनलों पर प्रदर्शन करें, यही हमारा निवेदन है।

इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्रीमती पुतुल कुमारी (बांका) : उपाध्यक्ष महोदय, केबल नेटवर्क अमैंडमैंट बिल पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। एक नजर देखने पर यह बिल काफी अच्छा लगता है। इसमें टी.वी. चैनल्स में एकरूपता लाने का जो विषय है, इससे प्रसारण की क्वालिटी में सुधार होगा और ऑपरेटर्स को कैरिज फीस भी कम देनी पड़ेगी। इस तरीके से पूरे केबल नेटवर्क को काफी अच्छे तरीके से आर्गनाइज करने का काम किया गया है। लेकिन इसमें एक कमी है कि तकनीकी खराबी होने पर उसे सुधरने में वक्त लगेगा।

महोदय, यह बिल बहुत अच्छा है, लेकिन इसके प्रसारण के संबंध में मुझे कहना है कि प्राइवेट चैनल्स में आजकल टीआरपी की होड़ लगी हुई है। कौन किस विषय को किस तरीके से दिखा सकता है, कितना अभद्र दिखा सकता है, इसकी मिसाल नहीं दी जा सकती है। कुछ दिन पहले इसी बात पर संसद में चर्चा भी हुई थी। किसी सिरफिरे ने हमारे एक माननीय नेता पर हमला किया था और उसके अगले 24 घंटों तक टीवी चैनल्स ने उसे किस तरीके से दिखाया, वह सब देखकर हम शर्मसार हो गये। आखिर इसे कौन कंट्रोल करेगा? हम प्रैस की आजादी में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाये रखना चाहते हैं, जिसका हक हम सबको दिया गया है। लेकिन इसका क्या नतीजा निकलेगा, जब हमारे टीवी चैनल्स बिग बॉस, रोडीज जैसे शोज दिखायेंगे जिनमें खुलेआम गाली-गलौच होगी और अपशब्दों का प्रयोग होगा। बिग बॉस कार्यक्रम में एक फूहड़ फिल्मों की स्त्री का प्रवेश होगा। यह हमारी भारतीय सभ्यता पर बहुत बड़ा हमला है, हमारी संस्कृति को खत्म करने का एक प्रयास है। इसके पहले भी बहुत तरह के प्रयास किये गये। पहले अंग्रेजों के द्वारा प्रयास किया गया और हमारी ढाका की मलमल को खत्म कर दिया गया। लेकिन अब धीरे-धीरे हमारी सभ्यता और संस्कृति पर हमला हो रहा है। यह एक क्रमवार हलमा हो रहा है, ताकि हम अपनी मूल पहचान भूल जाएं।

[श्रीमती पुतुल कुमारी]

मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि इस पर कोई ऐसा कानून जरूर लगना चाहिए, ताकि कोई चैनल्स इस तरह की चीजें न दिखा सके। इसके साथ ही मैं कहना चाहती हूं कि हम जिस भाषा के चैनल्स देखना चाहते हैं, जिस तरह के प्रोग्राम्स देखना चाहते हैं, हमें उसकी इजाजत हो। मैं समझती हूं कि इसकी व्यवस्था जरूर की जाए कि हम जो देखना चाहते हैं, हमें सिर्फ वही देखने की इजाजत हो।

आज टीवी ऑपरेटर्स एक पैकेज देते हैं और हमें लाचारी में वह पैकेज लेना होता है। चाहे हम वे चैनल्स देखना चाहें या न देखना चाहें। हमें अपनी पसंद की पांच चीजें मुश्किल से मिलती हैं और हमें सौ चीजें फालतू देखनी पड़ती हैं। इसीलिए इस बारे में एक व्यवस्था होनी चाहिए और मैं सोचती हूं कि ट्राई ने जो सुप्रीम कोर्ट से सिफारिश की है कि केबल ऑपरेटर्स की फीस 250 रुपये कर देनी चाहिए, मैं समझती हूं कि सरकार इस दिशा में उचित कदम बढ़ा सकती है। इसके साथ ही अभी जो फैसला लिया गया है कि क्रमवार चार चरणों में इसका फैसला किया जायेगा और इसे महानगरों से शुरू किया जायेगा। मैं एक बार फिर कहना चाहती हूं कि हमारा हर काम शहर से शुरू होता है और शहर पर ही आकर खत्म हो जाता है। हम हमेशा ग्रामीण जनता को भूल जाते हैं, शहर में रहने वाली जनता को भूल जाते हैं। क्यों न हम इस कार्य को गांवों से शुरू करें। अगर ऐसा हो सकेगा तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी।

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : सर, मैं सभी सांसदों का आभार प्रकट करना चाहती हूं कि अधिकतर सांसदो ने बिल का समर्थन करते हुए उसकी खामियों की तरफ ध्यान दिलवाया है। एक–दो सांसदों ने सोचा कि यह बिल सही नहीं है और इसका विरोध करना चाहते हैं, मैं कोशिश करूंगी कि उनके मुद्दों को अपनी बातों में रख सकूं। सबसे पहली बात यह है कि कई सांसदों ने यह बात उठाई कि यह ऑर्डिनेंस क्यों लाया जा रहा है, देश में कई प्राथमिकताएं भी हैं। देश में प्राथमिकताएं जरूर हैं लेकिन जिस मंत्रालय का प्रभार मुझे दिया गया है यह प्राथमिकता उस मंत्रालय की थी इसलिए इसको इस रूप में लाने के लिए काफी समय लगा है। अगर हम ऑर्डिनेंस के जरिए इसको जारी नहीं करते तो 31 दिसंबर 2014 की जो समय सीमा तय की गई है, तब तक वह पूरा नहीं हो पाता। इसको चार फेज में करना है। केबल ऑपरेटर्स को इसमें 6–6 महीनों का समय देना है। इसके अलावा ऑर्डिनेंस लाने से पहले हमने कई इनेब्लिंग कानून गठित किए थे, जिससे कि हेडन्ड इन द स्काई (हिट्स) जिससे डिजिटल सिग्नल्स सीधा केबल ऑपरेटर्स तक पहुंच सके। जो एक आशंका जाहिर की गई थी कि केबल ऑपरेटर्स को बहुत ज्यादा धन–राशि लगानी पड़ेगी, उसी बात को रोकने के लिए हम लोगों ने हिट्स की एक पॉलिसी भी गठित की है। जिसकी बदौलत जो व्यक्ति हेडन्ड इन द स्काई (हिट्स) लगाएगा वह केबल ऑपरेटर्स को सीधा डिजिटल सिग्नल्स पहुंचा सकता है। हर केबल ऑपरेटर्स अपने आपको डिजिटल बनाने के लिए, को 2–3 लाख रुपये से अधिक खर्चा नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा हम लोग किसी की भी रोजी–रोटी पर रोक नहीं लगा रहे हैं और न लगाने की मंशा रखते हैं।

आज डीटीएच हर महीने 10 लाख नए कनेक्शंस दे रहा है। इस कारण हमारे बहुत से लोकल केबल ऑपरेटर्स बेकार होते जा रहे हैं क्योंकि वे उनके साथ मुकाबला नहीं कर सकते हैं। हमारी मंशा यह थी कि सबसे पहले दर्शकों को फायदा पहुंचना चाहिए। उसको डिजिटाइजेशन से जो फायदे होंगे उनके बारे में मैंने शुरू में ही बता दिया था। जो लोकल केबल ऑपरेटर्स हैं, वे चाहे 50, 60 या 70 हजार हैं, वे बढ़ गए हैं क्योंकि पोस्ट ऑफिस में 500 सौ रुपये देकर आप केबल ऑपरेटर का काम चालू कर सकते थे। उसके लिए भी हमने सहूलियत कायम की है कि उनको 2–3 लाख रुपये से ज्यादा धनराशि नहीं लगानी पड़ेगी। बहुत सी ऐसी और बातें इस विधेयक में रखी गयी हैं और जो रूल्स और रेग्युलेशन गठित किए जाएंगे, उनमें उन्हें रखा जाएगा। जैसे कैपेसिटी बिल्डिंग की बात है, इसे कैसे चलाना है, सदस्यों ने सोचा कि अगर कोई तकनीकी खराबी हो जाए, तो उसको कैसे किया जाएगा, उसके लिए एक पूरा कार्यक्रम निर्धारित किया गया है कि कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए उनको तकनीकी जानकारी किस तरह से दी जाएगी। इसके अलावा कहा गया कि तीस–चालीस हजार करोड़ रुपया जो खर्च किया जाएगा, वह कैसे खर्च होगा? बहुत सा पैसा तो जो हेडन्ड इन द स्काई (हिट्स) कायम करेंगे, वह स्वयं लगाने के लिए तैयार हैं। वह चाहते थे कि सरकार की तरफ से डिजिटाइजेशन की घोषणा की जाए तभी वह अपना पैसा लगाएंगे, क्योंकि बहुत अर्से से यह बात चलती थी और फिर बीच रास्ते में रुक जाती थी। कभी हम कैस लाए कभी मैट्रो सिटीज लिए डिजिटाइजेशन लाए तो बहुत मुकम्मल तौर पर नहीं चलती थी।

अपराह्न 2.00 बजे

यह भी एक मंशा थी कि अगर लोगों को धनराशि लगाने के लिए प्रोत्साहित करना है, तो एक ढांचा एक कानूनी तरीका जरूर कायम करना पड़ेगा, जिससे लोग अपना पैसा लगा सकें।

एक और बात जो आज उठी, वह सेट-अप बॉक्स की है। यह बिल्कुल सही है कि डिजिटाइजेशन में हर किसी को सेट-अप बॉक्स की आवश्यकता पड़ेगी। सेट-अप बॉक्स आज देश में बनते हैं और अधिकतर कंपोनेंट्स बाहर से आकर देश में असेंबल किए जाते हैं, उन लोगों से भी बराबर हमारी बातचीत चलती रही है। जब इस तादाद में सेट-अप बॉक्स की आवश्यकता पड़ेगी, तो आज जो सेट-अप बॉक्स हजार-बारह सौ, पन्द्रह सौ रुपए तक में मिलता है, उसकी कीमत बहुत कम होने के आसार उन्होंने हमें बताए, हैं और आश्वासन भी दिया है। यह जो सेट-अप बॉक्स है, इसके संबंध में दो-तीन प्रावधान किए गए हैं कि या तो इसे किराए पर दर्शक उपलब्ध कर सकता है या इंस्टालमेंट पर इसे उपलब्ध कर सकता है, यहां तक भी हम लोगों ने कहा है कि अगर किसी ने सेट-अप बॉक्स लिया है और फिर वह उसे नहीं चाहता है, तो वह उसका रिफंड वापस ले सकता है। हम कोशिश यह कर रहे हैं कि आम दर्शक को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिलनी चाहिए।

जहां तक चैनल्स की च्वाइस की बात है, यह बात सच है कि आज आपको पूरे बुके लेने पड़ते हैं। आप एक मीडिया हाउस के एक या दो चैनल लेना चाहते हैं, लेकिन वह दर्शकों को मजबूर करते हैं कि आप पूरे दस या बारह चैनल्स लेंगे, तभी आपको वे एक-दो चैनल मिलेंगे। इस बारे में भी हमने ट्राई के साथ बैठकर बातचीत की, किसी माननीय सांसद जी ने यह भी पूछा था कि ट्राई क्यों, शायद पांडे जी ने पूछा था, ट्राई इसलिए क्योंकि टेलीकॉम रेग्युलेटरी अथॉरिटी तो वह है, लेकिन क्योंकि इन्फॉरमेशन ब्रॉडकास्टिंग के लिए कोई रेग्युलेटरी अथॉरिटी आज तक नहीं है, इसलिए यह जिम्मेदारी भी ट्राई को सौंपी गयी है। ट्राई ने हमारी राय लेते हुए यह फैसला किया कि एक अ-ला-कार्ट सिस्टम हम स्थापित करेंगे, जहां दर्शक खुद चुन सकेगा, उसके लिए पूरा बुके का बुके लेना बिल्कुल जरूरी नहीं होगा। अगर एक बुके में से वह दो या तीन चैनल लेना चाहता है तो उसे इस बात की इजाजत होगी कि वह अ-ला-कार्ट सिस्टम में अपनी मनपसंद का चैनल ले सकता है। ट्राई की तरफ से टैरिफ कैपिंग होगा, जिसकी बदौलत हम लोगों से बहुत ज्यादा पैसे या मनमाने तरीके से कोई भी अपने चैनल्स के लिए हमसे पैसा हासिल न कर सके या पैसे की डिमांड न कर सके।

कई माननीय सांसदों ने और खासकर संजय निरुपम साहब ने तो मेरी काफी मदद की। उन्होंने बहुत सी बातों को कहा, जिन्हें कहने के बारे में मैं सोच रही थी। सही बात है कि जो आज हम लोग बहुत दफा, चूंकि यह आज पहली बार नहीं है कि आज प्रश्नकाल में भी बहुत से माननीय सांसदों ने अपने ऑब्जेक्शंस रेज किये थे। आज सुबह भी प्रश्नकाल के दौरान ऑब्जेक्शनेबल कंटेन्स जो हमें देखने को मिले, कुछ हद तक तो हम इसमें काफी परिवर्तन लाये हैं। इमेज को मॉर्फिंग करने की बात है, रात 11 बजे के बाद ही कुछ ऐसे कार्यक्रम आयें, जिन्हें हम परिवार के साथ नहीं देख सकते। ऐसे कार्यक्रमों को रात 11 बजे से पहले टेलीकास्ट करने की इजाजत न दी जाये। अब इंक्रीजिंग्ली न्यू टेलीविजन चैनल्स में पेरेंटल लॉक की भी व्यवस्था की जा रही है। जब हमने बहुत बार ब्रॉडकास्टर्स के साथ बात की, हम उनको नोटिस भेजते हैं, उनके चैनल में, उनके कंटेंट में परिवर्तन कराने पर जोर देते हैं और जब वे हमें अदालत में ले जाते हैं तो अदालत में भी हम डटकर लड़ते हैं, लेकिन तब भी रोक नहीं पा रहे हैं। जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने एक बात पर बहुत ज्यादा जोर दिया कि हमें टीआरपी चाहिए, एडवरटिजमेंट चाहिए।

आज इस बिल का सबसे बड़ा फायदा मैं समझती हूं कि यह भी है कि जब एड्रैसेबल सिस्टम हो जाएगा तो सबस्क्राइबर्स की जानकारी हो जाएगी। जो भी 100 रुपये, 150 रुपये या 200 रुपये सबस्क्राइबर देगा, उससे काफी आमदनी हो जाएगी और एडवर्टाइजमैंट पर हम लोग उतने निर्भर नहीं रहेंगे जितना आज एडवर्टाइजमैंट पर निर्भर हैं। दुनिया के दूसरे देशों में, जहाँ खासकर डिजिटलाइजेशन मुकम्मल तौर पर हो गया है, हम लोग देखते हैं कि वे सबस्क्राइबर्स लिस्ट पर ज्यादा जोर देते हैं, वहाँ से ज्यादा आमदनी आती है और एडवर्टाइजमेंट के पीछे उतना टीआरपी वाली बात को लेकर भागना नहीं पड़ता। मैं सदन को आश्वासन देना चाहती हूँ कि हम लोग मंत्रालय में इस पर भी अलग से काम कर रहे हैं कि टीआरपी पर एक ट्रांसपेरेन्ट तरीका हो।

उपाध्यक्ष जी, इसके अलावा बहुत से अच्छे सुझाव माननीय सदस्यों ने दिये हैं। मैंने सब सुझावों को नोट किया है। उनमें

[श्रीमती अम्बिका सोनी]

बहुत से सुझाव जो रूल्स एंड रेगुलशेन्स को लेकर हैं, हम नियम बनाते वक्त उन सुझावों को मद्देनजर रखेंगे और सांसदों की चिंताओं को ध्यान में रखने का पूरा–पूरा प्रयास किया जाएगा। मैं आपको एक और जानकारी इसी से संबंधित देना चाहती हूं कि जहां डिजिटलाइज्ड सिस्टम में 1000 चैनलों की इजाजत होगी, हम अपने चैनल निर्धारित कर सकते हैं। मैं मानती हूं कि आज भी बहुत से केबल ऑपरेटर्स दूरदर्शन तक को दिखाना उचित नहीं समझते जबकि वह कानूनी तौर पर एक जरूरत है। इसी प्रकार जैसे टाटा डायरैक्ट है, एयरटैल डीटीएच सर्विस है, उसी तरह से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 31 दिसम्बर 2011 से पहले दूरदर्शन डीटीएच में 150 चैनल फ्री टु एयर स्थापित कर सकें। हम लोग इसके लिए कोशिश कर रहे हैं।

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर) : कृपया उसमें लोग सभा टीवी और राज्य सभा टीवी भी सम्मिलित कर लें।

श्रीमती अम्बिका सोनी : लोक सभा और राज्य सभा टीवी आज भी उसमें हैं, वे मैनडेटेड हैं।...*(व्यवधान)*

श्री रेवती रमण सिंह (इलाहाबाद) : मैनडेटेड हैं, लेकिन लोग दिखाते नहीं हैं। आप इसके लिए एक सर्कुलर भिजवाइए। ...*(व्यवधान)*

श्रीमती अम्बिका सोनी : जो नहीं दिखाता है, उनके लिए आपने केबल रैगुलेटरी एक्ट पर गौर किया होगा कि उसमें एक बहुत आवश्यक रूल है कि स्टेट गवर्नमैंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी अधिकृत किया गया है, उनके अधिकारियों को नाम से, ओहदे से अधिकृत किया गया है कि तमाम केबल ऑपरेटर्स जो नहीं दिखाते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जैसे आपने कहा कि उनके दफ्तर को बंद कर दिया जाए। ऐसी दो तीन चीजें हैं, लेकिन बदकिस्मती से अभी तक सिर्फ 11 स्टेट्स ने इस तरह की स्टेट मॉनीटरिंग कमेटीज बनाई हैं। सिर्फ डेढ़ सौ जिलों में इस तरह की मॉनीटरिंग कमेटीज बनाई हैं। हमारे वे प्रयास जारी रहेंगे, मॉनीटरिंग और सुपरविजन के प्रयास जारी रहेंगे। डिजिटलाइजेशन भारत को आगे ले जाने का बहुत अच्छा जरिया है।

श्री रेवती रमण सिंह : आप जो कह रही हैं कि स्टेट गवर्नमैंट और डिस्ट्रिक्स एडमिनिस्ट्रेशन करे, मेरा आपसे आग्रह है कि आपको यह अधिकार है कि उनका लाइसैंस आप सीधे कैन्सेल कर सकते हैं। इसलिए आप यहाँ से सीधा लिखकर भेज दें एक गवर्नमेंट ऑर्डर कि जो नहीं दिखाएगा, जब उसकी शिकायत होगी तो उसका लाइसैंस कैन्सेल कर दिया जाएगा। यह करने में आपको कौन–सी दिक्कत हैं?....*(व्यवधान)*

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ) : मेरा एक निवेदन यह है कि मैंने अपने भाषण के समय भी यह बात कही थी, जो आप मंत्री महोदय बता रहे हैं कि सौ के करीब ऐसे चैनल निकाल रहे हैं, यदि वे किसी पैकेज का हिस्सा रहेंगे तो वे फ्री टु एयर नहीं हो पाएंगे। उनका अलग एक ग्रुप बनाया जाए और सीधे उनको दिखाने की अनिवार्यता हो। यह व्यवस्था नहीं होगी तो दिक्कत होगी।

श्रीमती अम्बिका सोनी : मैंने अग्रवाल जी का सुझाव लिखकर रखा है। मैंने उसका उत्तर देने का भी प्रयास किया है। जो भी इसमें और करने की आवश्यकता होगी, आप यकीन मानिये कि कोशिश है कि जो फ्री टु एयर आज हैं, जो केबल ऑपरेटर फ्री टु एयर दिखाता है, वह डिजिटलाइजेशन के बाद भी फ्री टु एयर दिखेंगे। उसके अलावा हम कई चैनल नहीं देख पाते हैं, क्योंकि वे दर्शक को पूरा बुके खरीदने पर मजबूर करते हैं, जबकि वह बुके बहुत महंगा होता है। हम उस बुके में से भी एक–दो–तीन, जितने चाहें उतने चैनल देखेंगे। मैं आपका उत्तर देना चाहती हूं कि इस बिल के पारित होने के बाद, सभी सदस्यों के समर्थन के बाद यह अधिकार जरूर मिलेगा कि जो केबल ऑपरेटर केबल नेटवर्क रैगूलेटरी एक्ट, 1995 का उल्लंघन करेगा तो हमें अधिकार होगा उस केबल ऑपरेटर के लाइसेंस के बारे में प्रश्नचिन्ह लगाने का। आज तक यह कानूनी तौर पर नहीं था, लेकिन इस बिल के बाद यह कानूनी होगा। मैं यही अनुरोध करना चाहती हूं कि यह बिल भारत को आगे ले जाएगा। इसमें किसी से तुलना करने की बात नहीं है। भारत में हम जानते हैं कि मीडिया और एंटरनैनमेंट इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट 12 से 14 परसेंट रही है। शायद किसी और सेक्टर में पिछले सालों में इतना ग्रोथ नहीं हुआ है। यदि ग्रोथ हो रहा है तो हम लोग भी इस बिल को पारित करके इस ग्रोथ को आगे ले जाने, इस सेक्टर को रैगूलराइज करने और अनऑर्गेनाइज सेक्टर को कानूनी दायरे में लाने के लिए बहुत बड़ा कदम है। मैं माननीय सदस्यों को, विशेषकर दो साथियों की जो शायद दूसरी राय रखते हैं, अनुरोध करना चाहती हूं।

[अनुवाद]

यह गरीब विरोधी नहीं है, यह छोटे ऑपरेटर विरोधी नहीं हैं, यह केबल उद्योग से आजीविका कमाने वाले लोगों के विरुद्ध नहीं है और निश्चय ही यह इससे जुड़े बड़े लोगों के विरुद्ध नहीं है। यह भारत के भले के लिए है और देश के संगठित रूप में आगे बढ़ने के लिए है।

[हिन्दी]

श्री रमेश बैस (रायपुर) : महोदय, मैं मंत्री जी को एक सुझाव देना चाहता हूं कि डीटीएच की चर्चा वर्ष 2000 से प्रारम्भ हुई है। उस समय मैं सूचना प्रसारण मंत्री था। अभी देखना में आता है कि कोई भी केबल वाला यह नहीं बताता है कि फ्री–टू–एयर चैनल कौन सा है और पैड चैनल कौन सा है। जिसके कारण आम जनता को मालूम नहीं पड़ पाता है। इसलिए हर चैनल वाले को आप निर्देश दीजिए कि वे फ्री–टू–एयर और पैड चैनल का वर्णन दें। दूसरी बात, मैं कहना चाहता हूं कि आप बुके सिस्टम दे रहे हैं, उसमें जिस चैनल की जरूरत नहीं होती है उसको भी लेना पड़ता है, जबकि हमारे पास इनडिवीजुअल चैनल का रेट है। इसलिए इसमें इनडिवीजुअल चैनल को ही दिया जाए, यह भी प्रावधान हो जाए तो अच्छा होगा।

श्रीमती अम्बिका सोनी : मैंने इस बात को कहा है कि यह होने वाला है कि इस प्रावधान के बाद आप इनडिवीजुअल चैनल देख सकते हैं। मैं आपकी राय मानते हुए कोशिश करूंगी कि जल्दी से जल्दी हर चैनल को कहा जाए कि वे बताएं कि कौन से चैनल उनके फ्री–टू–एयर हैं और कौन से पैड चैनल हैं।

श्री महेश जोशी (जयपुर) : महोदय, मैं भी सुझाव देना चाहता हूं कि हर कम्पनी का अलग सैट टॉप बॉक्स होता है। यदि हम किसी एयरटेल या टाटा कम्पनी का कनैक्शन लेना चाहे तो उनका सेट टॉप बॉक्स अलग–अलग खरीदना पड़ता है। मेरा सुझाव है कि इसके लिए एक स्टैंडर्ड सेट टॉप बॉक्स होना चाहिए ताकि जिसे जिसका बुके या कनैक्शन लेना है, ले सके।

श्री शत्रुघ्न सिन्हा (पटना साहिब) : यह बहुत अच्छा बिल है, प्रो इंडिया है, प्रो इंडियन है, इसे पास किया जाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खंड–वार विचार आरम्भ करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 से 13 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 13 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

उपाध्यक्ष महोदय : अब, माननीय मंत्री विधेयक पारित करने का प्रस्ताव करें।

श्रीमती अम्बिका सोनी : महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 2.15 बजे

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल) 2011–2012

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा अनुपूरक अनुदानों की मांग (रेल) वर्ष 2011–12 की मद संख्या 19 पर विचार करेगी।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

"कि कार्यसूची के स्तंभ 2 में मांग संख्या 16 के सामने दिखाई गई मांग शीर्ष के संबंध में 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले

वर्ष में भुगतान के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राशियों में अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से भारत के राष्ट्रपति को दी जाएं।

लोकसभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 2011–12 के लिए अनुदानों की मांगें (रेल)

मांग संख्या	मांगों के नाम	सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदानों की मांगों की राशि (रुपए में)
(1)	(2)	(3)
16	परिसंपत्तियां–अधिग्रहण निर्माण और बदलाव	
	अन्य व्यय	
	पूंजी	40,000
	रेलवे निधियां	40,000
	रेलवे संरक्षा निधि	20,000
	कुल	1,00,000

[हिन्दी]

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी) : उपाध्यक्ष महोदय, इस रेल बजट की जो अनुपूरक मांगें हैं, मैं उस पर कुछ विचार व्यक्त करने के लिए सदन में खड़ा हुआ हूं। मैं माननीय त्रिवेदी जी से प्रार्थना करूंगा कि वे भारत के छह लाख गांवों में बसने वाले जो 85 प्रतिशत लोग हैं, गांव के गरीब, मजदूर किसान हैं, जो हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा रेल में सफर करते हैं, सबसे ज्यादा कष्ट उठाते हैं, उनकी दशा–दिशा और उनकी सुविधाओं पर प्राथमिक तौर पर अवश्य विचार करेंगे।

महोदय, मैं खोजने लगा कि रेल के बारे में कहां से शुरू करूं। वर्ष 1939 में मेरा जन्म हुआ था। वर्ष 1939 में जब अंग्रेजी राज था, तब भारतवर्ष के रेल में अठारह हजार कुल डिब्बे थे और उसमें यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या कुल मिलाकर साल भर में 60 करोड़ के आसपास होती थी। आज की तारीख में आपके पास कितने डिब्बे हैं और साल में कितने यात्री सफर करते हैं और एक डिब्बे पर औसतन एक साल में कितने यात्री आते हैं, इसी से अंदाजा लग जाएगा कि भारतीय रेल की क्या व्यवस्था है, क्या दुर्व्यवस्था है।

दूसरी बात, मैं यह कहना चाहूंगा कि जब हमारा देश गुलाम था, उस समय हम और मुलायम सिंह जी, रेवती रमण जी भी यहां हैं, जो उस रेल पर चढ़ते थे, उस समय फर्स्ट क्लास, सेकण्ड क्लास, इंटर क्लास और थर्ड क्लास–ये चार तरह के डिब्बे होते थे। इसलिए कि एक नंबर से ऊपर से सबसे संपन्न वर्ग के लोग होते थे, दूसरे में अपर मीडिल क्लास के होते थे, तीसरे में मिडिल क्लास के लोग होते थे और चौथे में समाज का लोअर आर्थिक क्लास होता था। इसलिए वे चार श्रेणी बना, गए। देश आजाद हुआ तो भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहिए कि आजाद भारत में रेल में उन चार श्रेणियों को समाप्त करके केवल दो श्रेणी रखा गया–प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी। तीसरे क्लास के डिब्बे पर जो तीन लकीरें पड़ी हुई थीं, उसमें से एक लकीर को हटा दिया गया। केवल एक लकीर हटा कर तीसरे क्लास को सेकण्ड क्लास बना दिया गया और दो क्लास रखे गए–प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी। इसलिए कि भारत में उस समय सोचा गया कि दो क्लास ही रखा जाए, समाज को जाति और वर्ग के आधार पर नहीं, समाज को केवल आर्थिक आधार पर बांटा जाए–संपन्न और निम्न वर्ग। यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन धीरे–धीरे जब रेल चलने लगी तो उस रेल में फर्स्ट क्लास के साथ–साथ एसी टू टियर आकर जुड़ गया। माननीय सदस्यों को यह जानकारी होनी चाहिए कि जब गाड़ी में एसी टू टियर लगा था तो एम.पी. को एसी टू टियर में चढ़ने की सुविधा नहीं थी। वे साधारण फर्स्ट क्लास में चढ़ सकते थे, एसी टू टियर में नहीं चढ़ सकते थे। लेकिन, बाद में चलकर यह सुविधा प्राप्त हुई। फिर एसी टू टियर के बाद एसी फर्स्ट आ गया, एसी थ्री टियर आ गया। जेनरल फर्स्ट क्लास अभी भी कुछ गाड़ियों में चलते हैं और उसके साथ–साथ स्लीपर क्लास आ गया। स्लीपर के बाद एक क्लास और आया जिसका नाम है ठसाठस क्लास। उस ठसाठस क्लास की यात्रा हम लोग नहीं कर पाते हैं। मंत्री जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इंसान सब बराबर हैं, परमात्मा ने हर इंसान को बराबर बनाया है, चाहे उसने भले ही किसी जाति या धर्म में जन्म लिया हो। चाहे वह बिरला सेठ या किसी मजदूर के घर में जन्म ले, लेकिन प्रकृति ने हर इंसान को प्राकृतिक सुविधा बराबर दी है। एसी फर्स्ट क्लास में बीस लोग यात्रा करें और वहां चार शौचालय हैं। एसी टू टायर में 46 लोग यात्रा करें, वहां भी चार शौचालय

हैं। एसी स्लीपर में 96 लोग यात्रा करें, वहां भी चार ही शौचालय हैं। ठसमठस क्लास में बहुत सारे लोग यात्रा करते हैं, वहां भी चार ही शौचालय होते हैं। जहां बीस व्यक्ति यात्रा करें, वहां भी चार शौचालय हैं, 46 व्यक्तियों के लिए भी चार शौचालय होते हैं। जहां बीस व्यक्ति यात्रा करें, वहां भी चार शौचालय हैं और ठसमठस क्लास में जो यात्रा कर रहा है, उसके लिए भी चार ही शौचालय हैं। क्या यह रेलगाड़ी इंसानों के लिए है या शैतान के लिए है, एसी फर्स्ट में भी वही इंसान चलता है, जिसके दो हाथ-पैर हैं, वहीं नाक और कान है, उसे भी शौचालय की उतनी ही सुविधा चाहिए, जितनी उनको चाहिए। लेकिन हमने ऐसा सोचा है कि एसी प्रथम में जो चलते हैं, वे भारत के इंसान हैं और जो ठसाठस क्लास एवं स्लीपर में चलते हैं, शायद आज की रेल ने उनको इंसान का दर्जा भी नहीं दिया। ये देंगे भी कैसे।

श्री मोंटेक सिंह अहलुवालिया कहते हैं कि 26 रुपए, 32 रुपए की आमदनी पर रहने वाला आदमी गरीबी रेखा के बराबर है। शैलेन्द्र जी, श्री मोंटेक सिंह अहलुवालिया जैसे जो बहुत बड़े लोग हैं, जो अपने घर में बड़ा मोटा विलायती एलसिशियन कुत्ता पालते हैं, जो एक बार किसी को देखता है, उसका चेहरा देखने के बाद उसकी दुर्गति हो जाती है। ऐसे जो कुत्ते पालते हैं, मैं उन कुत्ते पालने वालों से कहता हूं कि क्या 26 रुपए, 32 रुपए में आप अपने विलायती कुत्ते का खर्चा चला सकते हो। इस देश के बड़े घरानों के लोग जिनका कुत्ता भी 26 रुपए, 32 रुपए पर रोज जिन्दा नहीं रह सकता है, उस देश में 26 और 32 रुपए पर जिन्दगी जीने वाले उन करोड़ों इंसानों को कुत्ते की जिन्दगी से भी बदत्तर समझते हैं। जिस सरकार में यह दृष्टि हो, गरीब मजदूर साधारण लोगों को कुत्ते से भी बदत्तर समझा जाता हो, जब हम आदमी ही नहीं हैं, कुत्ते के बराबर हैं तो आप हमारे लिए योजना क्या बनाएंगे? उनके जैसे कुत्ते के लिए भी रेलगाड़ी में क्या कोई सुविधा देंगे? बड़े आदमी का कुत्ता भी एसी फर्स्ट में चलता है और गरीब महिला अपने बच्चे को गोदी में लेकर चलती है, वह ऐसे ठसमठस क्लास में चलती है कि बच्चा अगर दूध के लिए रोने लगे तो वह उसे अपनी छाती से भी लगा सके, इतनी जगह भी उसे नहीं मिल पाती है। बड़े आदमी का कुत्ता भी एसी फर्स्ट में चले और गरीब व्यक्ति को खड़े होने की भी सुविधा न मिले, क्या उन गरीबों के लिए रेल विभाग के पास दिल में कोई दर्द है? मैं जब एमएलए था तो मैं रेलगाड़ी में चढ़ने के लिए गया। मैं पीछे से वहां गया और वहां एक डिब्बा देखा। मैंने कहा कि इस रेलगाड़ी में यह कौन-सा डिब्बा लगा है तो उन्होंने कहा कि यह सैलून है। मैं गांव का आदमी था, एम.एलए बन गया था। हम तो सैलून में दाढ़ी-बाल बनवाते हैं। मैंने सोचा कि बहुत अच्छा हुआ कि रेलगाड़ी में सैलून लगा दिया। यहां से पटना जाते-जाते रास्ते में ही दाढ़ी बनवा लेंगे। एक जंक्शन पर समस्तीपुर में गाड़ी रुकी, मैं उसमें झांकने गया। वहां जो खड़ा था, उसने मेरे से पूछा कि आप कहां झांक रहे हैं। हमने उससे कहा कि यह सैलून है, जरा हम यहां दाढ़ी बनवा लें। उसने कहा कि यह सैलून नहीं है। उसी रेलगाड़ी में जी.म का एक डिब्बा आजाद भारत में लगता है, रेलवे बोर्ड के अधिकारी उसमें चलते हैं। एक आदमी के लिए एक पूरा डिब्बा, उसी तरह का डिब्बा अगर जनरल में है तो उसमें डेढ़ सौ लोग घुसे हुए हैं।

आपने कभी पटना से गया तक का सफर किया है, पटना से गया तक अगर सफर करेंगे तो देखेंगे कि रेलगाड़ी का डिब्बा कितना है। फर्स्ट क्लास अलग है, सैकिंड क्लास अलग है, थर्ड क्लास, जिसे आप सैकिंड क्लास कहते हैं, सैकिंड क्लास अलग है, इसके अलावा एक छत क्लास है और उसके अलावा डिब्बा में भी डिब्बा के जोड़ पर व्यक्ति बंदर के जैसे लटका रहता है, वह जोड़ क्लास है। उसके अलावा रेलवे के ईंजन पर दोनों तरफ खड़ा रहता है, वह ईंजर क्लास हैं उसके अलावा रेल के नीचे बैट्री निकालने के बाद जो खोखा बचा रहता है, उसमें भी रेल के नीचे आदमी घुसा रहता है। जान पर इतना जोखिम उठा कर गरीब यात्रा करता है और फिर वह रेलगाड़ी में कुचल कर मरता है। उसके लिए आप क्या करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, कोई बड़ा आदमी शादी करता है तो दुल्हन-दूल्हा आते हैं, ए.सी. फर्स्ट में चढ़ जाते हैं। उनके लिए स्नैक्स हैं, लंच है, डिनर है, सूप है, न जाने क्या-क्या है, बियर है, जो चाहे अपना सब मंगाकर मौज करते चले जाओ। पंचसितारा होटल की मस्ती लेते चले जाओ। एक वह हिन्दुस्तान है और एक हिन्दुस्तान वह जनता क्लास का है, जिसमें गरीब की बेटी शादी करके आती है, उसे जगह नहीं मिलती है गांव से मां-बाप आते हैं, अटैची-बक्सा ट्रेन में घुसाते हैं और अपनी बेटी और जमाई को भी उसी डिब्बे में ठेलकर रख देते हैं। किसी तरह बाप कर्ज करके लाता है, एक दिन के लिए अपनी बेटी को रानी बनाकर ससुराल भेजता है, लेकिन उस ठसम-ठस क्लास में पसीने के कारण उसके चेहरे का सारा लिपिस्टिक

[श्री हुक्मदेव नारायण यादव]

पाउडर टपकने लगता है, वह अपने पल्लू से उसे पोंछती है और घर जाते–जाते उसका चेहरा बिगड़ जाता है, उसकी साड़ी का रंग भी उतर जाता है। यह है हिन्दुस्तान–असली हिन्दुस्तान। क्या उस असली हिन्दुस्तान के लिए इस रेल में आप कुछ कर पाएंगे? इसीलिए मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है, जिस हिन्दुस्तान की मैं बात करता हूं, मुलायम सिंह की बात की है, रेवती रमण जी की बात की है, गांधी, लोहिया, दीनदयाल, जयप्रकाश, चौधरी चरण सिंह, लाल बहादुर शास्त्री, सरदार पटेल चूंकि वे उस तृतीय श्रेणी में चलते थे, उस समय गरीबों के बीच में चलते थे, इसलिए गरीबों के दर्द को जानते थे। गरीबों के दर्द की कहानी सुनते थे, गरीबों के दर्द से पिघलते थे और इसलिए हिन्दुस्तान के गरीब को कुछ देने के लिए नए हिन्दुस्तान का सपना देखते थे।

आज हम नेता हैं, ए.सी. फर्स्ट में चलते हैं और जनता ठसम–ठस क्लास में चलती हैं अफसर का और नेता का किसी जनता के साथ रेलगाड़ी में कोई समन्वय है क्या, उनके दुख–दर्द की कहानी सुनते हैं क्या? मैं आपकी किताब निकाल कर नहीं बताऊंगा। रेल बजट पर बोलते हुए इसी संसद में हमारे राजनैतिक गुरू डॉ. लोहिया ने उस समय की भारत सरकार से कहा था कि रेलगाड़ी में सभी श्रेणियों को खत्म कर दो, केवल एक तृतीय श्रेणी रहने दो, एक श्रेणी रहने दो, क्या हम इससे सहमत होंगे? अफसोस कि मैं भी उसमें चाहते हुए भी नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि आज राजनीति का चरित्र बदला है, चेहरा बदला है, चाल बदलती है, चिन्तन बदला है, संसद् का स्वरूप बदला है। इसका वर्ग स्वार्थ और वर्ग संस्कार बदला है, इसलिए हम उस तरह की बात नहीं कर सकते, नहीं तो आज भी मैं कहता हूं कि अगर हिन्दुस्तान में समतामूलक समाज लाना चाहते हैं तो रेल उसमें बहुत काम कर सकती है। अगर सभी क्लास को आज खत्म करके केवल सैकिंड क्लास रहने दीजिए और उसमें कुछ सीटें रेल बोर्ड के अफसरों और राजनेताओं के लिए, विधायकों और सांसदों के लिए भी सुरक्षित कर दीजिए तो जब ये भी उस ठसम–ठस क्लास में जाएंगे, इनको भी शौचालय का कष्ट होगा, इनको भी चाय–पानी का कष्ट होगा, 'का दुःख जाने दुखिया या जाने दुखिया की मां, जाके पैर ना फटी बिवाई, सो का जाने पीड़ पराई।' जब इनकी देह में भी कांटे चुभेंगे तो इनको दर्द का अहसास होगा, यह मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं।

नम्बर दो–भारत की रेल जहां–जहां पिछड़ा इलाका था, वहां छोटी लाइन और जहां–जहां बड़ी लाइन थी, वह पहले सम्पन्न हुआ। उत्तर प्रदेश और बिहार में सबसे पहले छोटी लाइन थी, उसमें भी बिहार में मिथिलांचल, जिस नेपाल की सीमा पर दरभंगा, मधुबनी से मैं आता हूं, वहां केवल छोटी ही लाइन थी। वहां बड़ी लाइन का दर्शन नहीं हुआ। मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, मिथिलांचल का कण–कण और जन–जन उनका आभारी रहेगा कि जब उनकी सरकार बनी तो उन्होंने सम्पूर्ण हमारी छोटी लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित कर दिया और कहा कि सभी छोटी लाइन बड़ी लाइन में परिवर्तित हों और दोहरी लाइन बनें। लालू प्रसाद जी भी आये, वे भी कुछ करके गये, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं, लेकिन नई रेल लाइन 23 बिहार में अधूरी पड़ी हुई हैं। सर्वेक्षण कराने पर कितना दिया है, आप लोगों को आश्चर्य होगा कि 1995–96 से रेलवे की ये योजनाएं चल रही हैं और उन योजनाओं में 129, आपने संसद में मेरे प्रश्न के उत्तर में स्वीकार किया है कि 129 नई रेल लाइनें हैं, जो अभी तक आप पूरी नहीं कर पाये हैं। 45 आमान परिवर्तन की हैं और 164 दोहरीकरण की हैं, जिनमें से 87 के लगभग पूरी हुई हैं, बाकी अधूरी पड़ी हुई हैं। ये कब से हैं, 1995–96 से ये योजनाएं चलती चली आ रही हैं। जब आपके पास पैसा नहीं था, साधन नहीं था तो दिखावटी काम क्यों किया? क्या लॉलीपॉप बांटने के लिए कि आओ, आओ, रेलगाड़ी का शिलान्यास करते हैं, लोगों को हसीन सपना दिखाते हैं? रेलगाड़ी आएगी, उस पर तुम चढ़ जाओगे, दिल्ली, पटना जाओगे, बाइस्कोप को देखोगे, लौटकर घर आओगे। बाइस्कोप का सिनेमा दिखाने के लिए रेलगाड़ी का शिलान्यास क्यों किया था? पैसा नहीं था, लेकिन रेलवे बोर्ड के अधिकारियों को वेतन देने के लिए पैसा है, उनको सुविधा से रहने के लिए पैसा है, उनकी सुख–सुविधा के लिए पैसा है, नौकरशाह को खाना–खर्च देने के लिए पैसा है, लेकिन रेल की बड़ी लाइन, छोटी लाइन, अमान परिवर्तन, दोहरीकरण करने के लिए आपके पास पैसा नहीं है। कई नई रेल लाइन बिहार की पड़ी हुयी है, अमान परिवर्तन की चार योजनाएं हैं, वे अधूरी पड़ी हुयी हैं, दोहरीकरण की तीन योजनाएं हैं, जो अधूरी पड़ी हुयी हैं। मुंगेर, पटना, कोसी और गंडक में पुल बनना था, पटना में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शिलान्यास किया, कोसी में नीतीश कुमार जी रेल मंत्री थे और अटल जी थे, उन्होंने शिलान्यास किया, जब अटल जी कोसी में गए थे, दो–दो दिन पैदल चलकर

सतुआ, बगिया, ठेकुआ बांधकर औरत और मर्द उस कोसी के पेट में, बालू के रेत में लाखों की संख्या में नर–नारी आए थे। अंग्रेजी राज में भपटियाही में ही रेल का पुल था, ललित नारायण मिश्रा रेल मंत्री जी सपना देखते चले गए, वह नहीं पूरा हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी जी उसका शिलान्यास करने गए थे और लोगों में एक आशा जगी थी, लेकिन आज तक कोसी का वह पुल नहीं बन पाया है। पटना में, दीघा में पुल का पाया बना हुआ है, लेकिन उस पर गाटर नहीं पड़ रहा है, मुंगेर में अधूरा है और गंडक में पुल बनाकर हाजीपुर से छपरावाली दोहरी लाइन करने का काम था, उसके लिए गंडक में पुल बनना था, वह अधूरा पड़ा हुआ है। रेल केवल यात्रा का साधन नहीं है। भारत की रेल आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एकता को जोड़ने की कड़ी बनती है। द्वारिकाधाम से कामरूप तक अगर सीधे रेलगाड़ी चला दीजिए, तो भारत की पश्चिमी तट पर द्वारिका समुंदर के किनारे भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक सबसे अंतिम छोर में हैं। कामरूप सबसे पूरब में है। अगर द्वारिकाधाम से कामरूप तक सीधी रेलगाड़ी चला दीजिए, तो आप देख लीजिए, कि कितने भारत के सांस्कृतिक और धार्मिक नगरों को वह जोड़ेगी। अगर रामेश्वरम से लेकर हरिद्वार तक गाड़ी चला दीजिए, तो रामेश्वरम से लेकर बद्रिका आश्रम, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री का सीधा संबंध जुड़ जाएगा। उसके साथ–साथ भारत की सीमा के किनारे–किनारे नेपाल के साथ हम लोग बसे हुए हैं, सीतामढ़ी से जयनगर, जयनगर से निर्मल्ली, अगर नेपाल के किनारे जोड़ दीजिए, तो उस लाइन का सामरिक और आर्थिक महत्त्व है, उस लाइन का बहुत महत्त्व है। नेपाल की सीमा के साथ–साथ उधर से चीन बढ़ता चला आ रहा है, इसलिए कभी हमको इसकी जरूरत पड़ेगी और कोसी में अगर दूसरा पुल नहीं बनाते हैं, तो वहां एक कुरसैला पुल है, अगर किसी कारण से वह टूट जाए, तो संपूर्ण उत्तर–पूर्व की हमारी रेल लाइन न होने से सब ध्वस्त हो जाएगा, हम कहीं पलटन नहीं भेज सकेंगे, उनके लिए राहत और राशन नहीं भेज सकेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य संक्षेप कीजिए।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : महोदय, मेरी विनम्र प्रार्थना है कि आप इस पर आइए। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप मालवाहक डिब्बे नहीं बनाते हैं, आज भी क्यों प्राइवेट कंपनी से उसे खरीद रहे हैं, किसान के लिए सबसे ज्यादा खाद चाहिए और खाद के लिए आपके पास डिब्बे नहीं है, रैक प्वाइंट नहीं बनाते हैं, जयनगर में बड़ी लाइन, पंडौल में बड़ी लाइन, दरभंगा तक बड़ी लाइन, उत्तर प्रदेश में जहां–जहां बड़ी लाइनें गयी हैं, आप रैक प्वाइंट वहां तक क्यों नहीं पहुंचाते हैं? नजदीक में रैक प्वाइंट बनेगा, तो वहां खाद की बोरी उतरेगी, वहां से डीलर और एजेंट उसे ले जाएंगे, किसान को सस्ता मिलेगा, उसे सुविधा होगी, लेकिन आप उसे क्यों नहीं बनाते हैं? आप इसे बताने की कृपा करेंगे।

महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि निजी निवेश से ही जो कंटेनर का टर्मिनल बनाना था, उससे आज भंडारण क्षमता बढ़ती, कंटेनर टर्मिनल बढ़ता, तो उसे रेलवे बोर्ड ने क्यों नहीं बनाया, क्यों इसको छोड़ दिया? उपाध्यक्ष महोदय, सबसे आश्चर्य की बात है, रेलवे के पास 10.65 लाख एकड़ जमीन है, जिसमें से 2,424 एकड़ जमीन अतिक्रमण में है। इसका अतिक्रमण किसने किया? आपने किस अधिकारी को इसके लिए पकड़ा? बिना रेल के अधिकारियों की साठगांठ के कहीं अतिक्रमण होता है। रेल के अधिकारी आते हैं, लोगों को बुलाते हैं, अतिक्रमण करवाते हैं, रेल की संपत्ति पर कब्जा करवाते हैं, जहां रेल के अधिकारी ही रेल की संपत्ति को लुटवा रहे हैं, तो कौन उसे बचा सकता है?

त्रिवेदी जी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि यह संसदीय लोकतंत्र का दुर्भाग्य है कि जनता सरकार अभिमुख है, सरकार नौकरशाही अभिमुख है। देश की जनता संसद की गुलाम है। संसद सरकार की गुलाम है और सरकार नौकरशाह की गुलाम है। इसका मतलब है कि आज संपूर्ण देश नोकरशाही का गुलाम है। जब हम प्रश्न पूछेंगे और आलोचना करते हैं आप उठिएगा और उसका जवाब दीजिएगा। आप हमारे तर्क को काटि,गा। आप उनको नहीं डांटिएगा। अफसर गड़बड़ और घोटाला करे और उसके लिए मंत्री जवाब दे। कुत्ता पोसे कोई और उसका जुठन उठा, कोई। गोलमाल करे नौकरशाह और हम आलोचना करते हैं तो दुर्भाग्य है कि मंत्री समझते हैं कि उनकी आलोचना हो रही है। मेरी सरकार की आलोचना हो रही है। मैं बिहार में जब एमएलए था, बाबू दरोगा प्रसाद राय उस समय वहां के मुख्यमंत्री थे। मैं इसी प्रकार सरकार पर करारा प्रहार करता था और वह जवाब भी बहुत देते थे। एक दिन उन्होंने चेम्बर में बुलाकर कहा कि हुक्मदेव जी, जब मैं आप को डांटता हूं तो आप घबराना मत। विधानसभा में जितनी कड़ाई से आप बोलते हैं, अफसर पर कलम चलाने में मुझे उतनी मजबूती आती है। इसलिए आप खूब कड़ाई के साथ विधानसभा में बोला कीजिए। वह एक नेता थे जिनकी

[श्री हुक्मदेव नारायण यादव]

आज मैं प्रशंसा कर रहा हूं लेकिन अब तो नेता दो तरह के हो गए हैं। दो तरह के नेता होते हैं एक देश के खातिर मरते हैं और एक देश को खा कर मरते हैं। दो तरह के नेता होते हैं। फिर उसके बाद क्या....एकतारा बोले टुनुक–टुनुक रे टुन–टुन इसलिए आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है। मैं ज्यादा समय न लेते हुए केवल दो बातें रखकर अपनी वाणी को विराम दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : दो बातें बोलिए लेकिन वे ज्यादा लंबी न हों।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : रेल में दुर्घटनाएं होती हैं। तीन वर्ष 2008–2009, वर्ष 2009–2010, वर्ष 2010–2011 और वर्ष 2011–2012, जून तक का आंकड़ा इन्होंने दिया है। मैं आप से प्रार्थना करना चाहता हूं कि कुल टक्कर की संख्या 30, पटरी से उतरे 261, चौकीदार रहित फाटक पर दुर्घटनाओं की संख्या 118, आग से हुई दुर्घटनाओं की संख्या–8, विविध दुर्घटनाओं की संख्या–12 कुल दुर्घटनाओं की संख्या 329, रेल दुर्घटना में मारे गए लोगों की संख्या–72, घायलों की संख्या 375 है। ये मरने वाले कौन हैं? क्या कोई बड़े आदमी हैं? सबसे ज्यादा जनरल क्लास (ठसाठस क्लास) वाले लोग मरे हैं। गरीब लोग मरे हैं और घायल हुए हैं और उनमें से आज तक क्षतिपूर्ति के 5.30 मामले लंबित हैं। उन गरीबों के पास कहां इतना समय है कि वह क्षतिपूर्ति के लिए यहां–वहां दौड़ेंगे? वे कहां–कहां खोजने जाएंगे। लोग मर गए। उन के बाल–बच्चे रोते रह गए। वे चले गए। उनके लाश के चिथड़े उड़ गए। उसके लिए रोने वाला कौन है उसको खोजने वाला कौन है? रेलवे के ऑफिसर और रेलवे के अधिकारी मौन हैं। इसलिए कहां से उनको इंसाफ मिलेगा। इसलिए आप से विनम्र प्रार्थना है। उपाध्यक्ष महोदय, दुर्घटना पर कार्रवाई होनी चाहिए। चूक करने वाले कर्मचारियों पर क्रमश 200 और 273 पेनाल्टी लगाई गई। 80 लोगों को बर्खास्त किया गया। शैलेन्द्र जी मुझे खुशी है कि आप आंकड़ा निकालते हैं और संसद में प्रस्तुत करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आसन को संबोधित कीजिए।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : 80 लोगों को बर्खास्त किया गया। 80 लोग जो बर्खास्त हुए हैं वे कौन हैं? वे चतुर्थ वर्ग और तृतीय वर्ग के कर्मचारी होंगे। वे अनुसूचित जाति, दलित, पिछड़े वर्ग एवं निर्धन–निर्बल के बेटे होंगे। क्या आपने किसी जी.एम, डीआरएम, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन, मेम्बर टेक्निकल या स्टेशनमास्टर को बर्खास्त किया? वह नहीं किया। वह तो आप के पास फाइल लेकर आएंगे और बोलेंगे, यस सर, टेक्निकल फॉल्ट हुआ है, वह गेटमैन था और वह नशा कर सोया था। इसलिए गाड़ी डिरेल हो गयी। आप एक ऐसी मशीन लाये हैं कि फॉग में दिखाई देगा। बादी बारह और पंच अठारह। ड्राइवर टीवी पर कह रहा था कि इस मशीन की कोई उपयोगिता नहीं है। इससे और दुर्घटना होने की संभावना है लूकिन रेलवे बोर्ड वाले कहते हैं कि नया मैकेनिज्म और नयी टेक्नोलॉजी लाए हैं। क्यों नयी टेक्नोलॉजी लाए हैं? यह टेक्नोलॉजिकल एक्सप्लायटेशन चलता है। यह टेक्नोलॉजिकल करप्शन है। नई मशीन लाएंगे और मंत्रालय में जाएंगे उसको पास कराएंगे और अंदर–अंदर कमीशन खाएंगे। नई टेक्नोलॉजी आएगी और हमारा पॉकेट भर जाएगा, गरीब रेल एक्सिडेन्ट में मर जाएगा। गरीब तो दबे कुचले हैं मरते आए, हैं मरते रहे हैं और आगे भी मरते रहेंगे। उनके लिए रोने वाला कौन है? उनके लिए न हम रोएंगे और न आप रोएंगे। क्योंकि हमारी और आपकी आंखों में उनके लिए आंसू नहीं हैं।

अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा कि लोग चाहे हवाई जहाज में मरें या रेल में मरें, आप उन्हें मुआवजा बराबर क्यों नहीं देंगे? इंसान की कीमत बराबर है या वह वजन पर बिकती है। हवाई जहाज में यदि मोटा व्यक्ति जाता है तो वह ज्यादा मुआवजा पाएगा और रेलगाड़ी में गरीब, दुबला–पतला व्यक्ति चलता है तो क्या वह कम मुआवजा पाएगा? क्या आदमी का मुआवजा भी तोलकर देंगे? इंसान बराबर है। जब हम समाजवादी आंदोलन से निकले थे, उस समय यही धारणा लेकर निकले, यही दर्शन गांधी जी का था, दीनदयाल, लोहिया, अम्बेडकर का यही दर्शन था। भारत का दर्शन यही है–सब जन हैं एक समान, मानव–मानव एक समान, सब जन हैं ईश्वर संतान। जब सब बराबर हैं, सबमें एक आत्मा है, सबकी जिंदगी की बराबर कीमत है, तो मरने पर उनका मुआवजा भी बराबर क्यों नहीं देंगे।.... *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : ऐसा क्यों होगा कि हवाई जहाज पर बड़ा बाबू मरे तो करोड़ रुपये मुआवजा पाए और रेलगाड़ी में गरीब आदमी मर जाए तो लाख, दो लाख रुपये

मुआवजा पाए। अगर कीमत पर ही बिके तो क्या कोई बड़ा आदमी है, जो देश में अपनी लाश बेचने के लिए तैयार है? है कोई बड़ा आदमी जो अपनी लाश बेचना चाहे, तो गांव के सब गरीब लोग चंदा इकट्ठा करके कीमत जुटा देंगे, हमें दो–चार लाश दे दीजिए।

मैं प्रार्थना करूंगा कि लंबित योजनाओं को पूरा कीजिए। साधन हैं तो आगे बढ़ि,, साधन नहीं हैं तो रुकिए। हर योजना को समय पर पूरा करवाइ,। धीरे–धीरे पूरा करवाइ,। मालगाड़ी के डिब्बे ज्यादा लगाइ,। रेल का दोहरीकरण करवा,। छोटी लाइन को बड़ी लाइन बनाइ, और दूर–दूर तक के एरिया को आपस में जोड़ि,। रेलगाड़ी में गरीबी, अमीरी का जो अंतर है, उसे मिटाने के लिए द्वितीय, तृतीय श्रेणी, ठसाठस क्लास में जो यात्री जाते हैं, उनके आगे हाथ जोड़ि,। वे दुनिया में जगह–जगह महल बनाते हैं, अपना पसीना बहाते हैं, भारत का निर्माण करते हैं। वही इन देश के भगवान हैं। भगवान जिस क्लास में यात्रा कर रहा हो, अगर आप उनकी बहन, बेटी, बच्चों को इज्जत के साथ यात्रा सम्पन्न करवा देंगे तो मैं समझूंगा कि रेल मंत्रालय ने कुछ किया है। अगर इसमें अपने अधिकारियों के वेतन, भत्ते काटने पड़ें तो काटिए लेकिन उन गरीब लोगों की यात्रा को सुखी, सरल, सहज बनाइए, इज्जत के साथ करवाइए।...*(व्यवधान)*।

श्री भक्त चरण दास (कालाहांडी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2011–12 सप्लीमेंट्री डिमांड्स (रेलवे) के समर्थन में बोलने के लिए यहां खड़ा हुआ हूं। अगर हमारे देश में रेलवे नहीं आती, अगर विकास नहीं हुआ होता, तो जब दुनिया की अर्थव्यवस्था डगमगा रही है तब हमारे देश की अर्थव्यवस्था संतुलित नहीं होती। यूपी, सरकार के समय में जो रेलवे बजट बढ़ा है, जितनी नई योजनाओं को इनक्लूड किया गया है, अतीत में ऐसे कभी नहीं हुआ। अगर यूपी, सरकार के रेलवे विभाग ने गरीब लोगों के बारे में, जिन यात्रियों की बात आदरणीय हुक्मदेव जी कह रहे थे, उनके बारे में नहीं सोचा होता तो इज्जत कार्यक्रम, इज्जत नाम की योजना जिससे सौ किलोमीटर की दूरी मात्र 25 रुपये में कवर की जाती है, वह नहीं होती। हमारे देश में मेहनतकश लोग हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए काफी महत्त्वपूर्ण योजना रेल मंत्रालय ने लागू की है। यह सराहनीय बात है जो कभी दूसरी सरकार में नहीं हुई।

केवल यही नहीं, चाहे विद्यार्थियों के लिए पास में कन्सेशन हो या लेडीज के लिए ईएमयू स्पेशल ट्रेन हो, इस बारे में काफी कुछ किया गया है। इसी तरह करीब 27 से ज्यादा नयी योजनाओं को रेलवे ने अभी लागू किया है। इसका श्रेय जरूर रेल मंत्री जी को जाता है, यूपी, सरकार को जाता है। हमारे रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी जी बहुत अनुभवी और सरल स्वभाव के इंटलैक्चुअल पर्सन हैं। वे अपने हिसाब से रेल विभाग को राष्ट्र के हित में मजबूती से लाने के प्रयास में लगे हुए हैं। अभी पैसेंजर क्लास में यात्रियों के ठसाठस होने की बात कही गई। अगर उन यात्रियों ने ठीक से यात्रा न की होती, तो भारत के सारे शहर उन मजदूरों की ताकत पर, हिम्मत पर न बने होते। उन सब यात्रियों ने रेलवे से दौरा किया है, जर्नी की है। उन्होंने रेवले का प्रावधान, सुविधा, सहयोग लिया है। जैसे धरती मां पूरी दुनिया का अत्याचार सहती है, उसी तरह रेलवे का प्लेटफार्म, रेलवे की सारी सुविधाएं सहती आयी हैं और वह सब लोगों को लेकर चलती है, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का हो। वह चाहे गरीब हो या अमीर हो, रेलवे सबको साथ लेकर चलती है। लेकिन उसके साथ–साथ रेलवे को पैसा भी चाहिए। इसलिए जिसके पास धन है, उनसे थोड़ा धन लेना भी जरूरी है। जिन्हें कम्फर्टेबल जर्नी चाहिए, उनसे ज्यादा पैसा लिया जाता है और थोड़ा ज्यादा प्रावधान दिया जाता है। इसमें पात्र अंतर की कोई बात नहीं है। भारतीय लोकतंत्र हमेशा गांधी जी के मार्गदर्शन पर चला है। इसलिए हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि केवल राजनीतिक बातें कहकर हमारे में जो दृढ़ता आयी है, विकास आया है, जो संकल्प हमने लिया है, उसे नहीं भूलना चाहिए।

महोदय, यह जरूर है कि यात्री एक ट्रेन में बड़े भारी पैमाने पर यात्रा करते हैं। एक ट्रेन में एक ही पैसेंजर कोच होता है। मैं माननीय रेल मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जिस ट्रेन में यात्री ज्यादा सफर करते हैं, उस ट्रेन का सर्वेक्षण करके यदि आप उसमें दो या तीन पैसेंजर कोच लगा दें तो उन्हें सुविधा मिल जायेगी।

महोदय, बिहार और बंगाल में रेलवे का काफी विकास हुआ है। अभी हुक्मदेव जी कह रहे थे कि बिहार से कई रेल मंत्री बन चुके हैं। बिहार में कई तरह का विकास हो चुका है। लेकिन झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और भारत के पिछड़े इलाके, जंगल के इलाके देख लीजिए, जहां आदिवासी और दलित लोग रहते हैं, उन सब इलाकों में रेलवे का जितना विकास होना चाहिए, उतना नहीं हो पाया है। वहां गरीबी, बेबसी, लाचारी और निरक्षरता आज भी उतनी ही है जितनी पहले थी। अगर उन इलाकों में

[श्री भक्तचरण दास]

रेलवे का विकास होता, तो वहां औद्योगिक विकास होता। उसके साथ–साथ वहां पर शिक्षा का विकास होता। बहुत से विद्यालय, महाविद्यालय और टेक्नीकल इंस्टीट्यूशन वहां बनते। वहां की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में बहुत परिवर्तन आता, जो नहीं हो पाया है। इसलिए मैं रेल मंत्री जी का ध्यान उस ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

महोदया, आज जो माओइस्ट एरियाज है, जिन राज्यों की बात मैंने कही, उन एरियाज में रेलवे के विकास की सख्त जरूरत है। उन राज्यों और इलाकों में बहुत खनिज सम्पदा है, लेकिन रेलवे का विकास न हो पाने के कारण, सही ट्रांसपोर्टेशन और ट्रैफिक फैसीलिटीज न होने के कारण वह इलाका आर्थिक दृष्टिकोण से विकसित नहीं हो पा रहा है। वहां के लोगों का आवागमन शहरों के साथ, सभ्यता के साथ और भारतीय प्रवाह के साथ उतना नहीं हो पाया है जितना प्लेन एरिया में या विकासशील एरिया में है। इसलिए ओड़िसा के ईस्ट कोस्ट रेलवे में देख लीजिए कि वहां कितनी आमदनी होती है? करीब 7 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा आमदनी ओड़िशा रेलवे के विकास के लिए कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि ओड़िशा में करीब सात जिले ऐसे हैं जहां रेलवे पहुंच नहीं पाई है। कंधमाल इलाका बहुत संवेदनशील है, जहां रेलवे आज तक पहुंच नहीं पायी है। वहां रेलवे पहुंचाना बहुत जरूरी है। उसके साथ–साथ आप देखेंगे कि जो तलचर से लेकर कंधमाल जिले और कंधमाल से लांजीगढ़ रोड होते हुए एक सर्वेक्षण चल रहा है, लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया है, मैं रेल मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि उसको तुरंत कंप्लीट करके अगले बजट में स्थान दिया जाए। ओडिशा का रायगड़ा जिला माओइस्ट अफेक्टेड एरिया है, वहां रायगड़ा और कोरापुट, जो केआर प्रोजेक्ट है, उसके बीच से कल्याणसिंहपुर होते हुए जुगसेपाटना और जूनागढ़ की जो नई रेलवे लाइन बन रही है, वहां पर जंक्शन बनाकर वहीं से भिलाई स्टील प्लांट तक लाया जाए ताकि भिलाई स्टील प्लांट और वायजैग स्टील प्लांट की दूरी में 150 किलोमीटर की कमी हो जाएगी, जंगल के इलाके का विकास भी हो जाएगा, वहां का रॉ मैटेरियल एक्सप्लायटेशन होगा और एक सीधी रेलवे लाइन होने से वहां का विकास तीव्र गति से होगा। छत्तीसगढ़ से आंध्र प्रदेश तक का अविकसित एरिया और ओडिशा के अविकसित एरिया में यह लाइन जाएगी। उसके साथ–साथ जो सर्वे चल रहा है कंटावांझी से जूनागढ़ होते हुए नवरंगपुर तक का सर्वे चल रहा है, पिछले बजट में डिक्लेयर हुआ है कि नवरंगपुर, जयपुर, मलकानगिरी होते हुए भद्राचलम की रेलवे लाइन अगर बनती है, तो सर्वे काम बहुत ही मंथर गति से चल रहा है, उस सर्वे को कंप्लीट कराकर अगले बजट में स्थान दिया जाए। अगर वह रेलवे लाइन बनती है, तो सदर्न ओड़िशा और वेस्टर्न ओडिशा के लोग हैदराबाद तक बहुत कम समय में पहुंच पाएंगे। मेडिकल केस में अक्सर हमारे एरिया के लोग हैदराबाद जाते रहते हैं और उनको इलाज के लिए बहुत परेशानी होती है, तो यह उस एरिया के लोगों के लिए बहुत बड़ा योगदान होगा। उसके साथ–साथ नयापांडा से बड़गढ़ तक की जिस रेलवे लाइन का सर्वे हो चुका है, उसको बजट में स्थान देने की आवश्यकता है। कांटावाझी से बोलंगीर तक की रेलवे लाइन का सर्वे हो चुका है, उसे भी बजट में स्थान देने की आवश्यकता है। हरिदासपुर, पारादीप और तलचर से सुकिंदा की रेलवे लाइन वर्ष 1996 में मंजूर हुई थी, लेकिन उन दोनों प्रोजेक्ट्स लैण्ड एक्वजीजिशन की भारी समस्या दिखाई दे रही है जिसमें राज्य सरकार की ओर से भी अड़चनें आई हैं। मैं रेल मंत्रालय से निवेदन करूंगा कि राज्य सरकार से बात करके जितनी जल्दी हो सके, लैण्ड एक्वीजिशन प्रोसेस को कंप्लीट करके इस रेलवे लाइन के काम को शुरू किया जाए। संभलपुर–तलचर में डबलिंग का काम और टीटलागढ़ से रायपुर तक डबलिंग का काम लगभग नहीं के बराबर चल रहा है, जबकि वहां पर पैसा है, लेकिन पर्याप्त इंजीनियरिंग स्टाफ नहीं होने से वहां ठीक से ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इसीलिए यह काम बहुत सफर कर रहा है, इसलिए उस डबलिंग के काम को तीव्र करने की मैं यहां मांग कर रहा हूं।

महोदय, दो रेलवे लाइन ऑन–गोइंग हैं जैसे खुर्दा रोड से बोलंगीर है, खुर्दा रोड से बोलंगीर में भी वही दशा है। वर्ष 1990 में यह प्रोजेक्ट आया, जैसे मेरे कांस्टीट्वेंसी में लांजीगढ़ से जूनागढ़ है, उसी तरह से खुर्दा रोड से बोलंगीर प्रोजेक्ट की स्थिति है। ये दोनों लाइन्स अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई हैं। पिछले साल दिसंबर तक लांजीगढ़ से जूनागढ़ लाइन कंप्लीट हो जानी चाहिए थी और भवानीपटना जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है कालाहांडी जिले का, केबीके का सेंटर प्वाइंट है, वहां पर ट्रेन चलने वाली थी पिछले दिसंबर में, आज एक साल हो गया, यह दिसंबर खत्म हो रहा है, कई बार कई प्रयास हमने उसके लिए किए, कई बार चिट्ठी लिख–लिखकर मैं थक गया, रेलवे विभाग के अफसरों से मिला, सबसे मिला, ईस्ट–कोस्ट रेलवे को भी चिट्ठी लिखी, कई बार मैंने अपनी तरफ से उनको कहा, लेकिन इसके बावजूद भी वहां पर आज तक रेलवे लाइन कंप्लीट नहीं

हो पाई है। भवानीपटना का हो चुका है, लेकिन वहां पर जो सीआरएस टेस्ट करना है वह टेस्ट नहीं हो पाया है, इसलिए वहां पर ट्रेन नहीं चल पा रही है। मुझे पता चला है कि साजिश की जा रही है। ओडिशा में बीजू जनता दल का प्रशासन है, इस बार पूरे ओडिशा में बीजेडी स्वीप करके आया, लेकिन पश्चिम ओडिशा में नहीं आ पाया, पश्चिम ओडिशा में पांच में से चार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट केवल कांग्रेस के हैं, 35 में से 27 असेंबली मेंबर्स कांग्रेस के हैं, यही कारण है कि पश्चिम ओडिशा के विकास को राज्य सरकार सैबोटेज कर रही है इसमें कई अधिकारी हैं, उनमें कोई रेलवे में सचिव है और कुछ अधिकारी भी हैं, जो कनाइप कर रहे हैं। इस तरह से कई इंजीनियर्स और अधिकारियों की यहां पोस्टिंग कर रहे हैं, जैसे मेरे यहां जो रेल लाइन है, वहां कुछ काम नहीं करना चाहते। हम कह–कहकर थक जाते हैं, लेकिन वे काम नहीं करना चाहते हैं। इसी तरह से यदि षड्यंत्र होता रहेगा तो पिछड़े इलाके का विकास नहीं हो पाएगा। मैं रेल मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी जांच कराई जाए और इस तरह के लोगों को वहां न रखें जहां रेलवे का कमिटमेंट होता है। रेलवे का कमिटमेंट कमिटमेंट होता है और वह अपने कमिटमेंट से कभी पीछे नहीं हटती है। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि 2 दिसम्बर, 2010 से जिस रेल लाइन के पूरा होने के बाद ट्रेन चलनी चाहिए थी, आज 13 दिसम्बर 2011 हो गया है, ट्रेन नहीं चल पाई है।

महोदय, रेलवे की आज जो ओड़िशा में व्यवस्था है, उसे और व्यापक करने के लिए मैं रेल मंत्री जी से निवेदन करता हूं। केबीके का डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर भवानीपटना में है, वह सेंटर पाइंट है। वहां तक ट्रेन चलाने की व्यवस्था की जाए। हमारे यहां से राज्य की राजधानी भुवनेश्वर तक के लिए कोई ट्रेन की व्यवस्था नहीं है। हमने कई बार आग्रह किया है जो इंटरसिटी ट्रेन बोलांगीर तक आती है, उसे भवानीपटना तक बढ़ाया जाए। जो कोरवा से विशाखापट्टनम के लिए ट्रेन चलती है लिंक एक्सप्रेस, उसमें भवानीपटना से स्लीपर कोच लगाया जाए। हमारे यहां से सैंकड़ों लोग हर रोज मेडिकल काम के लिए रायपुर और विशाखापट्टनम जाते हैं, क्योंकि हमारे यहां कोई बड़ा अस्पताल नहीं है। हमारे यहां पिछड़ेपन के कारण बीमारियां काफी होती हैं, पानी की वजह से भी कई बीमारियां होती हैं, जिनकी जांच कराना वहां मुश्किल होता है। अगर यह ट्रेन चलने लगेगी तो लोग इन दोनों शहरों में मेडिकल की सुविधा का लाभ उठा सकेंगे।

मैंने जो कांटावांजी से नवरंगपुरं रेल लाइन की बात कही थी, अगर उसका आगामी जनवरी–फरवरी तक सर्वे पूरा हो जाता है तो अगले रेल बजट में उस लाइन को लाने के लिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं। हमारे यहां केसींगा एक छोटा टाउन है, जो कि व्यापारिक टाउन भी कहा जाता है। विशाखापट्टनम और रायपुर जाने वाली जितनी रेलगाड़ियां वहां रुकती हैं, एक मिनट का ही ठहराव है। इसके कारण वहां की सारी व्यापारिक व्यवस्थाएं हैं, नहीं हो पाती हैं। हम लोग जहां से ट्रेन पकड़ते हैं, पहले वहां पांच मिनट तक ठहराव था, जिसे एक मिनट कर दिया गया है। मेरी मांग है कि वहां पर कम से कम पांच मिनट का ठहराव हर ट्रेन का होना चाहिए।

जब ममता जी रेल मंत्री थीं तो उन्होंने समता एक्सप्रेस जो विशाखापट्टन से दिल्ली तक आती है, उसे तीन दिन की बजाए सप्ताह में पांच दिन कर दिया था। जबकि हम लोगों ने मांग की थी कि उसे सातों दिन किया जाए और दो दिन इलाहाबाद होते हुए आए। हमारे यहां पश्चिम ओड़िशा के लोग दाह–संस्कार के बाद सांसारिक कार्य करने इलाहाबाद आते हैं, लेकिन वहां से कोई ट्रेन नहीं है, जो इलाहाब.द आ सके। केवल एक ट्रेन है जो रायपुर से आती है सारनाथ एक्सप्रेस, लेकिन उसमें किसी को रिजर्वेशन नहीं मिलता है। इसलिए दो दिन के लिए समता एक्सप्रेस ट्रेन इलाहाबाद होकर आए तो 80 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी और इलाहाबाद तक लोग आराम से आ पाएंगे। इसी तरह के सम्भलपुर के लिए जनसाधारण की मांग है वहां से इलाहाबाद तक एक ट्रेन चलाने की व्यवस्था की जाए।

उपाध्यक्ष जी, तत्कालीन रेल मंत्री महोदया ने कहा था कि देश में जो वैगन फैक्टरीज खोली जा रही है, ओड़िशा में दो वैगन फैक्टरीज खोली जाएंगी। एक तो छत्तरपुर में और दूसरी कालाहांडी के नरलारोड स्टेशन में। उनका यह कमिटमेंट था और उन्होंने कहा था कि अगर राज्य सरकार कालाहांडी में जमीन देगी तो हम उस राज्य में दो वैगन फैक्टरीज खोलेंगे। मैं वर्तमान रेल मंत्री दिनेश जी से निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने भारत सरकार के रेल मंत्रालय को चिट्ठी लिखी है कि हम नरलारोड स्टेशन पर जमीन देने को तैयार हैं, किसानों ने भी इसके लिए एफीडेविट दिया है कि अगर रेल विभाग वहां फैक्टरी बनाना चाहे तो हम जमीन देने को तैयार हैं। अगर आप चाहें तो मैं उस एफिडेविट की कापी आपको दे दूंगा।

[श्री भक्तचरण दास]

अपराह्न 3.00 बजे

राज्य सरकार भी चिट्ठी लिख चुकी है, इसलिए दो वैगन फैक्ट्री उड़ीसा में हो। एक, लान्जीगढ़ रोड, जो पिछड़ा हुआ इलाका है उड़ीसा का, जिससे कालाहांडी है का इलाका विकास करेगा। माननीय रेल मंत्री जी ने उस समय कहा था, इसलिए माननीय रेल मंत्री दिनेश जी से कहूंगा कि इस बात पर ध्यान दें। इंसान की सोच ऐसी बननी चाहिए कि हर विषय पर ध्यान देकर जो लोग दबे–कुचले हैं, जिन इलाकों का विकास नहीं हो पाया है उनका विकास किया जाए। आप और हम पिछड़े लोगों में आते हैं और हम जो हम पिछड़े लोग अपेक्षाएं करते हैं उन अपेक्षाओं को स्वरूप देने वाला इंसान अगर यहां बैठा है तो उसका स्वरूप हमें ठीक से मिल पायेगा। मैं आशा करता हूं कि हमारे माननीय रेल मंत्री जी मेरी बातों पर ठीक से ध्यान देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में सप्लीमेंट्री डिमांड का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री रेवती रमण सिंह (इलाहाबाद) : माननीय उप–सभापति जी, मैं सबसे पहले माननीय दिनेश त्रिवेदी जी को हार्दिक बधाई देता हूं। पहली बार लोक सभा में रेल पर यह सप्लीमेंट्री बजट आप प्रस्तुत कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपके कार्यकाल में रेल की दिशा बदलेगी और 21वीं सदी में भारत की रेल ऐसी होनी चाहिए जो दुनिया में मिसाल कायम कर सके।

महोदय, भातरीय रेल कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत को जोड़ने का काम करती है। जितना आम आदमी को जोड़ने का काम रेल ने किया है उतना काम किसी विभाग ने नहीं किया है। यह भारत का पब्लिक सेक्टर का सबसे बड़ा प्रतिष्ठान है और दुनिया में दूसरे नम्बर पर भारतीय रेल है। लेकिन इसकी जो प्रगति होनी चहि, वह प्रगति इसकी दिखाई नहीं पड़ती है, ऐसा मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है। अभी माननीय हुक्मदेव नारायण जी बोल रहे थे। उन्होंने जो बातें बताई, मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन मान्यवर सैकिंड–क्लास में जो सुविधाएं होनी चाहिएं, वे नहीं होती हैं। ज्यादातर यात्री सैकिंड–क्लास में बैठते हैं, इसलिए मेरी मांग है कि साधारण डिब्बे और लगाएं जाने चाहिए, जिससे सैकिंड–क्लास में यात्रा करने पर कम से कम उन्हें बैठने की सुविधा तो मिल सके। इसके साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि माल गाड़ी में ओवर–लोडिंग के कारण फ्रीक्वैंसी इतनी बढ़ गयी है कि लाइन फ्रैक्चर हो जाती हैं और उसके कारण डि–रेलमेंट भी हो रहा है और एक्सीडेंट भी हो रहे हैं। आप देखें कि हम 21वीं सदी में लेकिन एक्सीडेंट्स को हम रोक नहीं पाये हैं। इसका विश्लेषण रेल विभाग क्यों नहीं करता है जिससे रेल एक्सीडेंट्स न हों और अगर हों तो कम से कम हों।

एक बात हमें बिल्कुत समझ में नहीं आती है कि आप रेलवे से पूछिये कि रेल कब आयेगी तो जवाब मिलता है कि राइट–टाइम पर आयेगी लेकिन जब स्टेशन पर पहुंच जाइये तो पता चलता है कि ट्रेन नहीं आ रही है। आप ऐसा यंत्र क्यों नहीं देते हैं जससे सही टाइम का पता लग सके। मोबाइल है, वायरलेस भी है जिससे सही टाइम तो यात्रियों को पता लग जाए। आप 21वीं सदी में इतना भी नहीं कर पा रहे हैं।

कोहरे के कारण उत्तर भारत की ट्रेनें लेट चल रही हैं। कोहरा सब जगह नहीं पड़ता है। एक दिन आप कह रहे थे कि बहुत महंगा वह उपकरण है। मान्यवर उत्तर भारत में ही कोहरा पड़ता है। इटावा से ले कर गाजियाबाद तक कोहरे का ज्यादा असर पड़ता है। आप कोहरे से निजात पाने का उपकरण क्यों नहीं दे सकते हैं।

अपराह्न 3.05 बजे

(डॉ. एम. तम्बिदुरई *पीठासीन हुए)*

10–12 घण्टे ट्रेनें लेट हो रही हैं। लोगों को मजबूरन दूसरे साधनों से आना पड़ रहा है। वर्ष 2010 के आंकड़ों के अनुसार दस मिलियन टन माल गाड़ी की ढुलाई में कमी आयी है। जिसकी वजह से राजस्व में घाटा हुआ है। आपने सामान राजस्व से 2101 रुपए मांगें हैं, रेलवे के घाटे को पूरा करने के लिए और अपने खर्च को पूरा करने के लिए। वर्ष 2006 में तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद जी ने डैडीकैटिड रेल फ्रेट कोरीडोर की घोषणा की थी। मुझे याद है कि उन्होंने कहा था कि पांच साल में यह कोरीडोर बन जाएगा। लेकिन वर्ष 2011 खत्म होने वाला है, लेकिन अभी तक आप केवल पचास प्रतिशत भूमि ही अधिग्रहित कर पाएं हैं। वेस्टर्न कोरीडोर को जापान बैंक फाइनैंस कर रहा है और ईस्टर्न कोरीडोर को विश्व बैंक फाइनैंस कर रहा है। अभी आपने टैंडर मंगाएं हैं, मैं यह जानना चाहता हूं कि यह टैंडर कब फाइनलाइज होंगे और कब काम खत्म होगा। पांच साल तो समाप्त हो चुके हैं, लेकिन अभी तक लाइन की शुरुआत वेस्टर्न और ईस्टर्न कोरीडोर में नहीं हुई है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप सदन को बताएं। कि वेस्टर्न और ईस्टर्न कोरीडोर के लिए भूमि अधिग्रहण आप कब तक कर लेंगे और कब इसका कार्य धरती पर चालू होगा?

मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि आप भूमि अधिग्रहण में जिसकी जमीन ले रहे हैं, उसको नौकरी देंगे तो वह सहर्ष आपको जमीन दे देगा। आपको कोई परेशान नहीं होगी। महोदय, इटावा–मैनपुरी 55 किलोमीटर की लाइन वर्ष 1996 से बन रही है, लेकिन वह अभी तक तैयार नहीं हुई है। हमारे नेता श्री मुलायम सिंह जी का वह क्षेत्र है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि वर्ष 2012 तक इस लाइन को पूरा करवाने का कष्ट करें।

महोदय, चीन, कोरिया और जापान में बुलेट ट्रेन्स चल रही हैं, जबकि भारत में राजधानी सबसे तेज चलती है, लेकिन वह भी दो सौ किलोमीटर की रफ्तार से नहीं चलती है। मेरा आग्रह है कि राजधानी और शताब्दी की रफ्तार 135 किलोमीटर से 200 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ायी जाए।

महोदय, जितने रेल मंत्री होते हैं, वे घोषणा करके घोषणा मंत्री बन जाते हैं और उन घोषणाओं का नतीजा यह होता है कि उनके जाने के बाद वह प्रोजैक्ट लंबित हो जाता है।

आप आकलन कीजिए। जो योजनाएं दस साल से लंबित है, पहले उन्हें तो पूरा करवाइए। आप उसे पूरा नहीं करवाएंगे, सदन में बजट आएगा तो और आप घोषित कर देंगे, जब आप भी चले जाएंगे तो वह लंबित रह जाएगी। इसके साथ मैं बताना चाहता हूं कि नार्थ ईस्ट में चीन ने लद्दाख से ल्हासा से लेकर बार्डर तक रेल लाइन बिछा दी है, जहां कुछ घंटों में सामरिक सेना पहुंचा सकते हैं लेकिन राजधानी डिब्रूगढ़ से दिल्ली तक पहुंचने में 48 घंटे लगते हैं। आप विचार तो कीजिए कि अगर कल ऐसी संभावना हो जाए कि 1962 में जो हालत हुई थी, वही हालत हो जाए। हमें याद है कि मुलायम सिंह जी जब रक्षा मंत्री थे, तब इन्होंने बार्डर पर सड़कें बनवाने का काम किया था। कल मैं रक्षा मंत्री जी से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि अब हमने दो–तीन सालों से काम शुरू किया है। आप चीन की सड़कें देखिए और अपनी सड़कों को देखिए कि आप कहां हैं? वहां अभी खच्चर से सामान जा रहा है। मेरा आग्रह है कि नार्थ ईस्ट की तरफ विशेष ध्यान दीजिए। यहां ऐसी रेल चलाइ, जो कम समय में पहुंच जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आपकी पार्टी के लिए मात्र सात मिनट का समय आबंटित है। कृपया संक्षेप में बोलें।

[हिन्दी]

श्री रेवती रमण सिंह : इसी के साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि इलाहाबाद एक महत्त्वपूर्ण शहर है। आजादी की लड़ाई में इसने प्रमुख भूमिका अदा की थी। यहां से सात प्रधानमंत्री हुए हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी भी रेल मंत्री थे। इलाहाबाद तीर्थ स्थान है। यहां कुंभ मेला लगता है। इलाहाबाद की जो जगह रेलवे में होनी चाहिए वह नहीं है। इलाहाबाद से मुंबई के लिए दुरंतो की घोषणा माननीय रेल मंत्री ममता जी ने की थी। लेकिन आज तक यह नहीं चली। यह चलेगी या नहीं, अगर चलेगी तो कब चलेगी? इलाहाबाद में रामबाग में एक रेलवे लाइन ऊपर से और एक नीचे से जाती है। माननीय लालू जी ने रेलवे ओवर ब्रिज मंजूर किया था, यह प्रदेश सरकार से पैसा न मिलने के कारण लंबित है। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि इसे एक तरफ आने और एक तरफ जाने के लिए अंडरग्राउंड करवा दीजिए। जब तक न बने तब तक ऊपर वाली रेलवे लाइन में एक डार्ट खुलवा दीजिए जिसे जाम न लग सके। इसे तो आप तत्काल करवा सकते हैं।

महोदय, इसके साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि इलाहाबाद से दिल्ली के लिए जो कानपुर वाली शताब्दी चलती है उसे बढ़ाकर दिल्ली तक कर दिया जाए। इसे उधर के लोगों को बहुत सुविधा होगी। आप इटावा के लिए कर रहे हैं, मेरा अनुरोध है कि आप विचार कर लें। एक दुरंतो माननीय रेल मंत्री ममता जी ने चलाई थी जो हफ्ते में केवल तीन दिन चल रही है। मैं आग्रह करता हूं कि कृपया इसे सात दिन चलाए जिससे इलाहाबाद पूर्वांचल और बुंदेलखंड के लोगों को सुविधा हो जाए। चित्रकूट बड़ा महत्त्वपूर्ण शहर है क्योंकि भगवान राम चित्रकूट में 14 साल रहे थे। मेरा आग्रह है कि सतना से जबलपुर लाइन का विद्युतीकरण करवा दें ताकि मुंबई जाने वाली लाइन और तेजी से जा सकेगी। कानपुर से बांदा, मानिकपुर का दोहरीकरण करवा दीजिए। झांसी से बांदा से मानिकपुर तक दोहरीकरण करवा दीजिए। ग्रैंड कोर्ड में जाम लग रहा है, रेल लाइन जाम रहती है, राजधानी भी दो–दो घंटे लेट हो रही है। इसलिए छपरा से लेकर बनारस होते हुए प्रतापगढ़ तक दोहरी लाइन कर दें जिससे तमाम ग्रैंड कोर्ड की रेलें इधर से जाने लगेंगी। और ग्रैंड कोर्ड को राहत मिल जाएगी। इसी के साथ–साथ बंगलौर और इलाहाबाद

[श्री रेवती रमण सिंह]

से जम्मू के लिए एक ट्रेन चलवाने की कृपा करें, क्योंकि वहां वैष्णो देवी स्थित है और प्रयाग भी एक प्रसिद्ध तीर्थस्थल है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय सदस्यों, मेरे पास 28 सदस्यों की सूची है जो रेल अनुपूरक अनुदानों की मांगों के संबंध में बोलना चाहते हैं, जो सदस्य अपने लिखित भाषणों को सभा पटल पर रखना चाहते हैं तो वे ऐसा कर सकते हैं, उन्हें कार्यवाही का भाग माना जाएगा। इस पर चर्चा करने के लिए केवल तीन घंटे का समय आबंटित किया गया है और जब हमारे पास 28 माननीय सदस्यों की सूची है, तो निश्चित तौर पर इसमें अधिक समय लगेगा और हमें सदस्यों को उनके भाषणों को संक्षिप्त करने के लिए उन पर दबाव डालना होगा। इसलिए, मैं अनुरोध करूंगा कि यदि माननीय सदस्यों के पास लिखित भाषण हैं, तो वे उन्हें सभा पटल पर रख सकते हैं और उन्हें कार्यवाही का भाग माना जाएगा।

[हिन्दी]

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी) : सभापति महोदय, आज आपने मुझे वर्ष 2011–12 के रेल अनुपूरक बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, जो देश का सबसे बड़ा सूबा है। उत्तर प्रदेश ने इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ने में सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी हैं, लेकिन आज यह प्रदेश रेल के मामले में सबसे ज्यादा उपेक्षित है। उसका कारण यह है कि दुर्भाग्य से पिछले 63 सालों में एकाध को छोड़कर शायद उत्तर प्रदेश से कोई रेल मंत्री नहीं होने के कारण यह प्रदेश आज उपेक्षा का शिकार है और इस बात को हम पूरे प्रदेश के सांसद महसूस करते हैं। इसीलिए आज गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर और गोरखपुर से लेकर बलिया तक सारा प्रदेश उपेक्षित है, यह बात मैं माननीय मंत्री आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं।

महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र घोसी का मुख्यालय मऊ है, जहां से मैं आता हूं। आज तक मऊ से दिल्ली तक कोई सीधी रेल सेवा नहीं है। मैं पूर्व रेल मंत्री, कु. ममता बनर्जी को बधाई दूंगा कि यदि उनकी निगाहें उस पिछड़े इलाके में न पड़ी होती तो शायद मऊ के बारे में कोई सोचने वाला नहीं था। उनके रेल मंत्री रहते हुए मैंने कई बार मांग की कि वह पूर्वांचल, जो सबसे पिछड़ा क्षेत्र है, जहां आजमगढ़, बलिया, जौनपुर, मऊ आदि जितने भी इलाके हैं, उन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। हमारा मऊ जो बुनकर बहुल इलाका है, वहां के बुनकर केवल अपने प्रदेश में ही नहीं, बल्कि देश के कोने–कोने में व्यापार के लिए जाते हैं, लेकिन आज वहां के बुनकर व्यापारी चाहे साऊथ हो, मुम्बई हो, इन क्षेत्रों से सीधे रूप से नहीं जुड़े हैं। मैं कु. ममता बनर्जी को बधाई दूंगा, जिन्होंने अपने कार्यकाल में बुनकारों की समस्याओं को देखते हुए मऊ को टर्मिनल घोषित किया। इसके अलावा हमारे पूर्वांचल के बच्चे साउथ में कंप्यूटर इंजनियरिंग करने के लिए जाते हैं, लेकिन टर्मिनल का सर्वे होने के बाद और सारी रिपोर्ट यहां बोर्ड में आने के बाद उस पर आज तक कोई कार्रवाई शुरू नहीं हो पाई। कई बार हमने कहा कि मऊ आजमगढ़ और बलिया आदि से हम तमाम सांसद आते हैं, लेकिन इन क्षेत्रों से सीधे दिल्ली को जोड़ने वाली एक भी रेल सेवा नहीं है। जिसके लिए हम मंत्री जी से मांग करते हैं।

हमारे मऊ जनपद की 80 फीसदी बुनकरों की आबादी रेलवे के पश्चिम की तरफ रहती है और वह गेट जो जीरो बी गेट है, वह दिन में 48 बार खुलता और बंद होता है। हमने इसके बारे में कई बार निवेदन किया कि वहां एक फ्लाई ओवर बनना चाहिए और मैंने यह भी कहा था कि जब समुद्र में पुल बन सकता है तो मऊ में फ्लाई ओवर क्यों नहीं बन सकता। लेकिन माननीय रेल मंत्री जी आपने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। मैं कहना चाहता हूं कि 80 फीसदी आबादी वहां टिकट कराने के लिए जाती हैं। मैंने कई बार मांग की है कि वहां पर एक छोटी टिकट खिड़की होनी चाहिए। पूरी आजमगढ़ कमिश्नरी में मात्र 35 किलोमीटर जो छोटी लाईन है, जो दोहरीघाट से लेकर इंदारा तक है, जिस पर दोहरीघाट, एमिला, घोसी और कोपा ये बुनकरों के चार टाउन एरिया पड़ते हैं। इंदारा को दोहरी घाट से जोड़ने वाली वह 35 किलोमीटर छोटी लाइन आज तक बड़ी लाइन में नहीं बदल पाई है। मैं मांग करता हूं कि इसको जरूर बदलें। इतना ही नहीं दोहरीघाट से सहजनवा होते हुए गोरखपुर को जोड़ने के लिए आज से कई दशक पहले सर्वे हुआ था। लेकिन मुझे लगता है कि वह सर्वे अब तक ठण्डे बस्ते में पड़ा हुआ है। मैं समझता हूं कि आप जैसे विद्वान मंत्री होने के बाद वह ठण्डे बस्ते से जरूर निकलेगा और उस पर कार्य भी होगा।

पूरे मऊ जनपद से रेलवे को कम से पांच लाख रुपये प्रति दिन की आय टिकट से होती है। लेकिन मऊ और उसके आस-पास के लोगों को लंबी दूरी की ट्रेन पकड़ने के लिए गोरखपुर जाना पड़ता है, बनारस जाना पड़ता है, मुगलसराय जाना पड़ता है या इलाहाबाद जाना पड़ता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि मऊ जनपद से नई दिल्ली के लिए एक सीधी ट्रेन चलाने की जरूरत है, जिससे वहां के बुनकर, व्यापारी आदि सभी लोग आराम से दिल्ली तक की यात्रा कर सकें। वह मऊ जो पहले आजमगढ़ जनपद का एक भाग था, जब हम लोग आजमगढ़ से कैफियत एक्प्रेस में यात्रा करने के लिए जाते हैं तो उसकी हालत देख कर बहुत दुख होता है। वह कब चलती है और कब पहुंचती है इसका कोई भरोसा नही है। ऐसा लगता है कि इसको कोई पूछने वाला नहीं है। पहले दिल्ली के प्लेटफार्म नं. 01 पर लगती थी, अब वह प्लेटफार्म नं. 13ए पर लगाई जाती है, ऐसा लगता है कि वह बिना मां-बाप के बच्चे की तरह है। उसको भी सुचारु रूप से चलाना चाहिए और देख-भाल करनी चाहिए। उस प्लेटफार्म पर कोई ऊपरगामी पुल नहीं है, प्लेटफार्म को भी ऊंचा करना चाहिए। लिच्छवी एक्स्प्रेस पहले मुज्जफरपुर से चलती थी जो कि गाजीपुर और बनारस हो कर दिल्ली आती थी। उसका अब कोई भरोसा नहीं है। जब लालू जी रेल मंत्री थे, तब वे लिच्छवी एक्सप्रेस को दरभंगा तक लेकर गए थे। जिस दरभंगा से नई दिल्ली के लिए कम से कम आधा दर्जन रेलगाड़ियां आती हैं, फिर उसको मुज्जफरपुर से दरभंगा ले जाने की क्या जरूरत थी? आज कल उसको दो महीनों के लिए पूरी तरह से बंद ही कर दिया गया है। अगर उसी लिच्छवी एक्स्प्रेस को समय से मऊ से चलाया जाए तो मैं समझता हूं पूर्वांचल के लिए काफी हितकर होगा। अगर नहीं चला सकते हैं तो जैसे सभी जगह डुप्लीकेट ट्रेन चल रही हैं तो वैसे ही आप मऊ से डुप्लीकेट कैफियत एक्सप्रेस चलाइए। वहां पर सारा सिस्टम भी है, वॉटर हाइड्रेंट है, सफाई भी हो सकती है। मेरी समझ में नहीं आता कि तब भी क्यों नहीं चलती है? बलिया मेरे संसदीय क्षेत्र का एक विधानसभा क्षेत्र है जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिला है, जहां पर बड़ा दादरी मेला भी लगता है। पहले बलिया से लेकर बनारस तक छोटी लाइन थी, इंटरसिटी जो लोकप्रिय चलती थी लेकिन बड़ी लाइन होने के बाद मैंने कई बार उसके लिए डिमांड की, उसे बंद कर दिया गया है, उसे चलाना चाहिए। लेकिन आपने इस ओर ध्यान नहीं दिया। इसको चलाना सबसे जरूरी है।

मऊ, मोहम्दाबाद और मुबारकपुर बनारसी साड़ियों के लिए मशहूर है, जहां से साउथ में बंगलौर और त्रिवेंद्रम जाने के लिए एक भी ट्रेन नहीं है, मुंबई के लिए भी कोई ट्रेन नहीं है। इतना ही नहीं माननीय मंत्री जी, यहां पर अल्पसंख्यकों की बातें बहुत होती है, बुनकरों की बातें होती हैं।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जिसे सर सैय्यद साहब ने बड़ी मेहनत के बाद बनाया था कि यहां बढ़िया शिक्षा दी जाएगी, वह एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। पूर्वांचल के जो तमाम अक्लियत के छात्र हैं, खासकर जो बुनकर तबके के छात्र हैं, मऊ के एक नहीं हजारों की संख्या में छात्र अलीगढ़ पढ़ने के लिए आते हैं, उनके गार्जियन भी आते हैं, मंत्री जी, इसे जरूर नोट करें, लिच्छवी एक्सप्रेस का अलीगढ़ में कम से कम दो मिनट का ठहराव जरूर होना चाहिए, इससे छात्रों को सुविधा हो सकती है।

माननीय मंत्री जी, मैं एक और बात आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि जितने भी मानव रहित फाटक हैं, इन पर एक्सीडेंट हो जाता है, यह किसकी कमी है, फाटक मानव रहित क्यों है? क्या दुर्भाग्य है कि अगर किसी किसान का गलती से किसी गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है, जहां उस किसान को, उस गरीब आदमी को मुआवजा मिलना चाहिए, वहां रेलवे डिपार्टमेंट के लोग उसके ऊपर ही एफआईआर करते हैं और उनसे वसूलते हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का कुछ नही हो सकता है। इसलिए इस कानून को वापस लेना चाहिए।

माननीय मंत्री जी, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि इलाहाबाद जिसकी चर्चा माननीय रेवती रमण सिंह जी कर रहे थे, यह प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश का एक सांस्कृतिक केंद्र है। यहां पर बारह साल में कुंभ मेला लगता है, वहां वर्ष 2013 में महाकुंभ मेला लगेगा, देश के कोने-कोने से लोग वहां पहुंचते हैं, लेकिन तमाम ओवर-ब्रिज के लिए तेलियरगंज में सलोरी में, फूलपुर नगर पंचायत में रेलवे ओवर ब्रिज की मांग हो रही है, लेकिन अभी तक वह नहीं हो पाया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 39 ओवर ब्रिजेज के लिए प्रस्ताव भेजा है, मैं समझता हूं कि आप इस पर गंभीरता से विचार करेंगे। इतना ही नहीं, नई दिल्ली से सियालदाह जो राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन है, उसका दो मिनट का ठहराव इलाहाबाद में कराने की कृपा करें, चूंकि इलाहाबाद के तमाम महत्त्वपूर्ण सांसद यहां बैठे हैं। अभी चीन की

[श्री दारा सिंह चौहान]

बात हो रही थी कि किस तरह से चीन अपनी सामरिक तैयारी के लिए अपनी सीमा पर रोड से लेकर एयरपोर्ट तक बना रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि वह उत्तराखंड, जो भारत–चीन चीमा के मध्य स्थित है, वह उत्तर प्रदेश का एक भाग था, आज वह अलग हो गया है, तो क्या माननीय मंत्री जी टनकपुर बागेश्वर रेल मार्ग को राष्ट्रीय प्रोजेक्ट घोषित करेंगे?

माननीय मंत्री जी, मैं कहना चाहता हूं कि बलिया से मऊ आजमगढ़ होकर शाहगंज तक चलने वाली पैसेंजर गाड़ी का विस्तार लखनऊ तक कर दिया जाए, जिससे वह पूर्वांचल जो सीधे राजधानी लखनऊ से नहीं जुड़ा है, किसी को बीमारी है, कोई नेताओं से बात करना चाहता हैं, पीजीआई में भर्ती होना चाहता है, कोई भी आवश्यक काम है, बलिया से लेकर लखनऊ तक, एक लोकल पैसेंजर को वहां जोड़ दिया जाए, जिससे पूर्वांचल के लोगों के आवागमन में काफी सुविधा प्रदान हो। शालीमार ट्रेन, जिसे तब की तत्कालीन रेल मंत्री सुश्री ममता बनर्जी जी ने कोलकाता से, चूंकि पहले के जमाने में पूर्वांचल के सबसे ज्यादा लोग कमाने के लिए कोलकाता जाते थे, एक भी सीधी रेल सेवा कोलकाता के लिए नहीं थी। कोलकाता के लिए एक शालीमार एक्सप्रेस ट्रेन जोड़ी गयी। मैं चाहता हूं कि शालीमार–गोरखपुर साप्ताहिक रेलगाड़ी को मऊ से आजमगढ़, जौनपुर, बनारस होकर चलायी जाये ताकि इससे वहां के तमाम लोगों को सुविधा प्रदान की जा सके।

महोदय, अंत में मैं एक बात आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि मैंने एक मांग की थी। मैंने अपने एक अतारांकित प्रश्न के माध्यम से पूछा था, 2415 में, कि गोरखपुर से साउथ की आधा दर्जन गाड़ियां चलती हैं, अगर उस गोरखपुर–जसवंतपुर रेलगाड़ी को मऊ, आजमगढ़, देवरिया होते हुए आजमगढ़ करके, शाहगंज, अम्बेडकर नगर, फैजाबाद से निकाल देते तो ज्यादा सुविधा होती। आपने उत्तर में दिया है कि इसकी जांच की गयी थी, लेकिन फिलहाल इसे क्रियान्वित करने के व्यवहार में नहीं पाया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि आपकी कौन–सी टैक्नोलॉजी है, कौन–सी टैक्निक है, आपनें कैसे पता किया कि यह व्यावहारिक नहीं है? इसलिए मैं सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि इन सारी समस्याओं पर विचार करते हुए पूर्वांचल और प्रदेश को रेलगाड़ियों के माध्यम से जोड़ा जाये। खासकर मऊ जो बुनकर बहुल इलाका है, रेलवे की दृष्टि से ही नहीं, बल्कि हर क्षेत्र में पिछड़ा है, वहाँ से सीधे ट्रेन की व्यवस्था की जाए। इसके अलावा जो टर्मिनल की घोषणा हुई है, जो प्रोजैक्ट आए हैं, जल्द से जल्द उन्हें कार्यान्वित करने की कृपा करें।

***श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ला** (वडोदरा) : रेल के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 2011–12 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संचाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक के अनुसंधान में मेरे विचार रखते हुए इनको ग्रहण करने की दरख्वास्त करता हूं। हम सभी जानते हैं कि रेल सेवा भारत के विकास की रीढ़ के समान है, समूचे देश का विकास रेल के ऊपर निर्भर है, पूरा देश रेल मार्ग से जुड़ा है और सभी लोगों के आवागमन के लिए रेल ही सबसे बड़ी सुविधा है।

रेल यात्रा के साथ–साथ कई ऐसे विषय भी हैं, जो कि यात्रियों को सुविधा के लिए है। उन्हीं कुछ सेवाओं में से एक सेवा है, 139, हमारा देश गांवों से जुड़ा हुआ है, और हमारे दुर्भाग्य से अभी भी देश में काफी लोग निरक्षर हैं। जिनके लिए स्थानीय भाषा और हिन्दी भाषा के सिवा और समझना मुश्किल होता है। ऐसी हालत में रेल सेवा का कम्प्यूटराइज्ड इन्कवायरी प्रोग्राम 139 इस प्रकार से बनाया गया है कि समझना बड़ा मुश्किल होता है। बहुत ज्यादा जटिल होने के कारण उसे समझना और उसका उपयोग करना कठिन है। अगर हम इसके उपयोग करने वाले का रिकार्ड जांच करेंगे तो पता लगता है कि बहुत ही कम लोग इस का उपयोग कर सकते हैं। प्रोग्राम कम्प्यूटराइज्ड होने के कारण 1 नंबर दबाओ, 2 नंबर दबाओ, पी.एन.आर. बताओ, ट्रेन नं. बताओ, इन सभी सूचनाओं की इतनी यांत्रिकी होती है कि कोई भी पढ़ा लिखा प्रवासी भी अगर संभ्रमित हो जाता है तो अनपढ़ आदमी इसका उपयोग किस प्रकार से कर पाएगा। यह बड़ा ही प्रश्नार्थ विषय है।

अतः मेरा मानना है कि 139 सेवा को पुनर्गठित कर कम्प्यूटराइज्ड प्रोग्राम के बदले इन्क्वायरी ऑपरेटर को बिठाना चाहिए।

अब चूंकि रेलवे युनिवर्सल गेज यानि समान ब्राडगेज को लेकर आगे बढ़ रही है पटरियों का अंतर समान है। रेल का आकार सही है, उसकी ऊंचाई, चौड़ाई और लंबाई अगर समान है, तो रेलवे प्लेटफॉर्म की असमानता बहुत ही ज्यादा होने के

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

कारण ज्यादा बारिश में पानी भर जाना यह तो सामान्य बात हो गई है, किंतु बहुत से प्रवासी जो कि रेल से उतरते चढ़ते समय लैवल की असमानता के कारण गिर जाते हैं और कभी–कभी तो अपनी जान भी गंवा देते हैं।

इसी के साथ–साथ दुर्भाग्यवश विकलांगता पाई हो ऐसे सभी प्रवासियों को रेल में चढ़ना उतरना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है और बिना किसी मदद के उनका रेल प्रवास दुर्गम होता है।

अतः मेरी दरखास्त है कि सभी जगह रेल और प्लेटफार्म इस प्रकार से बनाये जाए ताकि विकलांग सहजता से रेल में चढ़ उतर सकें और इससे अकस्मातों की संख्या बहुत ही कम हो सकती है।

मेरा संसदीय क्षेत्र, बड़ोदरा, गुजरात है, जो कि दिल्ली से लेकर बंबई तक के पश्चिम रेलवे में एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण जंक्शन है, गुजरात आज भारत का सबसे विकसित राज्य है और बड़ोदरा से चलने वाली सभी ट्रेनें वित्तीय मुनाफा देने वाली हैं, इस मार्ग पर और ज्यादा ट्रेन की जरूरत है और ट्रैक भी अतिरिक्त है और समय भी मिल सकता है अतः मैं आपको दरखास्त करता हूं बड़ोदा से दिल्ली और बंबई की ओर नई रेल सेवा प्रदान करें और बड़ौदा से नागपुर की तरफ नई रेल सेवा प्रदान करें।

***श्री शैलेन्द्र कुमार** (कौशाम्बी) : रेल विभाग की वर्ष 2011–12 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों (रेल) में कुछ बहुमूल्य सुझाव देना चाहूंगा। मेरे संसदीय क्षेत्र कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश में जो मेन रेल मार्ग है मुगलसराय से दिल्ली भी मुख्य लाइन है जिसमें दो–तीन जिलों के बीच मनौरी, भरवारी, रिराथू में रेलवे फाटक बंद होने पर घंटों जाम लगा रहता है। नवसृजित जनपद कौशाम्बी जाने के लिए घंटों रेलवे फाटकों पर जाम रहता है। एक रेलवे पर बाईपास सड़क रोधी समपार है जिस पर पुल बनना है जिसकी अनुमति आज तक नहीं मिल पायी है। इससे जनपद का विकास बाधित पड़ा है। इसी वर्ष बजट में तीन स्टेशनों को आदर्श स्टेशन में रखा गया है जिसमें कुण्डा (प्रतापगढ़), भरवारी, सिराथू रेलवे स्टेशन है लेकिन अभी तक उक्त स्टेशनों के सौन्दर्यीकरण का कोई कार्य शुरू नहीं हो पाया है, मेरे क्षेत्र में दो जिले आते ही कौशाम्बी एवं प्रतापगढ़ लेकिन आज तक जिला कौशाम्बी का मुख्य जंकशन स्टेशन नहीं बन पाया है मैं चाहूंगा कि मानक के अनुसार भरवारी या सिराथू को जंक्शन स्टेशन बनाने से जनपद का विकास होगा। अच्छी–अच्छी ट्रेनों का ठहराव होना अति आवश्यक है। चौरी–चौरा एक्सप्रेस ट्रेन को मनौरी, भरवारी, सिराथू अपडाउन होकर के, मूरी एक्सप्रेस, तूफान एक्सप्रेस को भी अप डाउन तीनों स्टेशनों पर ठहराव जरूरी है। मनौरी, भरवारी, सिराथू स्टेशनों पर उपरिगामी पुल निर्माण कराया जाए। प्रयागराज एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव अप डाउन भरवारी स्टेशन पर किया जाए। गंगा गोमती एक्सप्रेस ट्रेन का अप डाउन ठहराव लालगोपालगंज (इलाहाबाद) में करा देने से सभी यात्रा करने वाले पैसेंजरों को सुविधा मिलेगी। कानपुर से नई दिल्ली चलने वाली शताब्दी एक्सप्रेस को इलाहाबाद से नई दिल्ली अप डाउन दोनो ओर से चलवाने की व्यवस्था होनी चाहिए। नई दिल्ली से चलने वाली सियालदह एक्सप्रैस एवं राजधानी एक्सप्रेस का ठहराव इलाहाबाद अप डाउन 2 मिनट करवाने की व्यवस्था कराने का कष्ट करें। 40/3–4 मध्यकुण्डा हरनामगंज भदरी तथा के.एम. संख्या 49/14–15 कुंडा हरनामगंज गढ़ी मानिकपुर के मध्य है। उक्त दोनों स्थानों पर फाटक बना के फाटकवाला की व्यवस्था कराने की कृपा करें। उक्त मार्गों से मोहर्रम के जुलूस प्रतिवर्ष उठाए जाते हैं।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[अनुवाद]

***श्री एस. सेम्मलई (सलेम)** : भारतीय रेल 8702 यात्री गाड़ियों का संचालन करती है और देश भर में प्रतिवर्ष 5 बिलियन लोगों को ढोती है। इतने विशाल नेटवर्क में, मेरा मानना है कि दुर्घटना, तो होंगी ही, लेकिन दुखद पहलू यह है कि चौकीदार–रहित रेल पर मौतें हो रही हैं। मुझे बताया गया है कि इन मौतों को रोकने के लिए रेलवे सभी चौकीदार रहित फाटकों को बंद करने पर विचार कर रही है। रेल लाइन को पार करके इनके नीचे बहने वाले जलमार्ग भी हैं। हालांकि ये पानी के बहने के लिए हैं, लेकिन आजकल बरसात के मौसम में भी उनमें पानी नहीं बहता। चूंकि चौकीदार रहित फाटकों को बंद किया जा रहा है, तो जनता अब इन जल मार्गो का प्रयोग रास्ता पार करने के लिए कर रही है। रेलवे, जलमार्गो के दोनों तरफ बैरियर लगाने पर विचार कर रही है ताकि जनता के साथ–साथ हलके वाहन भी वहां से न गुजर सकें। मेरा मानना है कि यह गलत कदम है। रेल लाइन के दोनों तरफ बसावट है और सार्वजनिक सुविधाएं भी हैं। यदि बैरियर लगाकर लोगों को लाइन पार करने से रोका जाएगा तो वे इन सार्वजनिक सुविधाओं तक कैसे पहुंचेंगे? उन्हें घुमावदार रास्ता लेने के लिए मजूर होना पड़ेगा और प्रायः 2 या 3 कि.मी. अधिक चलना पड़ेगा। मेरा मंत्रालय से अनुरोध है कि आवश्यक स्थानों पर बैरियर लगाए जाने के बजाए चरणबद्ध ढंग से ओवरब्रिज और अंडरपास पैदल पारपथों का निर्माण किया जाए ताकि लोग आसानी से आ–जा सकें। महत्वपूर्ण स्थानों पर, लोगों को जल मार्गो से जाने से रोका जाता है।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री एस. सेम्मलई]

मैं रेल मंत्रालय से ऐसे जलमार्गों पर जनता के साथ–साथ हल्के वाहन–प्रयोगकर्ताओं के निर्बाध आवागमन के लिए आर.सी. सी. बॉक्स टाइप का निर्माण किए जाने का अनुरोध करता हूं। मैं माननीय रेल मंत्री से मेरे सुझाव पर निष्पक्षता से विचार करने और शीर्ष कार्यवाही करने का आग्रह करता हूं।

चल टिकट निरीक्षक रेलवे को अत्यधिक सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। उन्हें हमारी सहानुभूति और समर्थन की जरूरत है। वे बिना किसी आराम के एक गंतव्य स्थल से दूसरे गंतव्य स्थल तक चलते हैं और अधिकांशतः अपने दिन और रात ट्रेन में बिताते हैं। उनकी एक मांग है, जिसे मैं न्यायोचित मानता हूं और उस पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। आराम करने के लिए उनके लिए विश्राम–गृहों की व्यवस्था की जाती है। लेकिन, उनके लिए आबांटित किए गए अधिकांश विश्राम गृहों की स्थिति बहुत खराब है। इन विश्राम गृहों में चारपाई, पंखे और कभी–कभी तो उचित प्रकाश–व्यवस्था भी नहीं होती। उन्हें अत्यधिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा, जहां रेलवे गार्डो और इंजिन चालकों को रियायती दर पर खाद्य पदार्थो की आपूर्ति की जा रही है, वहीं टिकट निरीक्षकों को यह रियायत भी नहीं दी जाती है। इसलिए, मैं माननीय रेल मंत्री से चल–टिकट निरीक्षकों की न्यायोचित मांगों पर ध्यान देने और विश्रामगृहों में बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने और राजसहायता प्राप्त खाद्य के साथ उनके विश्राम काल को आरामदायक बनाए जाने का अनुरोध करता हूं।

जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आर.पी.एफ. को रेल लाइनों पर रेल–दुर्घटनाओं के शिकार व्यक्तियों के प्रदावाकृत मृत शरीरों का अंतिम संस्कार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई हैं इस कार्य को करने के लिए प्रति मृत शरीर आर.पी.एफ. को मात्र 700 रुपए दिए जाते हैं। यह राशि बहुत पहले निर्धारित की गई थी। यह राशि मृत शरीर का अंतिम संस्कार करने के लिए बिल्कुल अपर्याप्त है। इस खर्च की पूर्ति करने में आर.पी.एफ. को कठिनाई आती है। इसलिए मैं माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करूंगा कि दुर्घटना मामलों में अदावाकृत मृत शरीरों का अंतिम संस्कार करने के लिए होने वाले खर्च की राशि 700 रुपये से बढ़ाकर कम–से–कम 2500 रुपये की जाए।

सलेम रेल मंडल वर्ष 2007 में बनाया गया था। तथापि, आज की तारीख तक यह पूर्णतः कार्यरत रेल मंडल नहीं बन सका है। यह कार्य धीमी गति से चल रहा है। हालांकि, सेलम का रेल मंडल के रूप में उन्नयन कर दिया गया है परंतु अभी तक एक भी गाड़ी सेलम से संचालित नहीं हो रही है। सेलम से चेन्ने एक्सप्रेस और वापसी की दिशा में दिन के समय एक एक्सप्रेस यात्री गाड़ी और सेलम से कुड्डालूर और उसकी वापसी की दिशा में भी एक एक्सप्रेस यात्री गाड़ी चलाए जाने की सेलम के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग अभी भी पूरी नहीं की गई है। हालांकि, चेन्नै के लिए गाड़ियां सेलम से होकर जा रही हैं लेकिन प्रातः 9.30 बजे और सांय 4.30 बजे के बीच कोई दिन की गाड़ी नहीं है। मुझे यह कहते हुए खेद है कि पहले जब मीटरगेज रेल लाइन थी, तो सेलम से कुड्डालूर तक रेल सेवा थी। इसकी 191 कि.मी. की लंबाई को 500 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से ब्रॉडगेज में परिवर्तित करने के पश्चात् इस मार्ग को बिना किसी यात्री–गाड़ी सेवा के अकार्यशील रखा जा रहा है। इसलिए, लोगों की जरूरत को पूरा करने के लिए माननीय रेल मंत्री कृपया इस मामले पर ध्यान दें और विरूदाचलम इन दो गाड़ियों को चलाए जाने के लिए आवश्यक कदम उठाएं।

सेलम से डिंडीगल मार्ग अब करूर तक पूरा हो गया है। यह कार्य पहले ही रेल–संचालन हेतु तैयार किया जा चुका है। मैं माननीय रेल मंत्री से तैयार हो चुकी रेल लाइन पर सेलम से डिंडीगुल तक यात्री गाड़ी चलाए जाने की व्यवस्था किए जाने का अनुरोध करता हूं। मैं माननीय मंत्री से सेलम से डिंडीगुल तक रेल सेवा शीघ्रतिशीघ्र शुरू किए जाने की अपील भी करता हूं।

***श्री ओ.एस. मणियन** (मईलादुतुरई) : भारतीय रेलवे सबसे बड़े उद्योग में से एक है। भारतीय लोग रेल यात्रा को लंबी दूरी यात्रा के लिए सबसे उपयुक्त मानते हैं। लोग इस यात्रा के और सुरक्षित एवं तीव्र होने की आशा रखते हैं।

आम आदमी एवं व्यवसायी भारतीय रेलवे में मीटर गेज एवं ब्रॉड गेज मुद्दे के कारण अक्सर प्रभावित होते हैं मीटर गेज से ब्रॉड गेज में अंतरण के लिए पर्याप्त धनराशि के आवंटन को नए मार्गो की खोज करने के पूर्व निर्धारित एवं युद्धस्तर पर क्रियान्वित करना होगा। लोग कामना करते हैं कि ऐसी स्थिति उत्पन्न करनी होगी जहां मीटर गेज कहीं नहीं रह पाए।

और ज्यादा रेलवे डिब्बों के निर्माण के लिए भारतीय रेलवे

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

द्वारा आवश्यक कारवाई की जानी होगी। इस कार्य के लिए रिक्त पदों को तत्काल भरने की जरूरत है। कई बेरोजगार युवा इस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। पूर्व माननीया रेल मंत्री कुमारी ममता बनर्जी ने घोषणा की थी कि सभी महत्वपूर्ण स्टेशनों को विश्वस्तरीय एवं सुविधा संपन्न बनाया जाएगा पर अभी भी कई प्लेटफार्म बगैर छत के हैं। यात्रियों को बरसात में छत के बगैर परेशानी होती है। विशेषकर तमिलनाडु में कई स्टेशनों में प्लेटफार्म पर छत नहीं है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के पापनासाम, अडुतुरई, मायिलाडुतुरई, कुंबकोनाम, वैठेस्वरम कोइल, सिरकाली और कोलीडेम जैसे स्टेशनों में केवल 10 प्रतिशत में छत है जबकि शेष 90 प्रतिशत छतविहीन है। प्लेटफार्म की लंबाई भी बहुत कम है तथा अधिकतर रेलगाड़ियों के स्टेशन पर रूकने पर अधिकांश डिब्बे प्लेटफार्म के बाहर भी चले जाते हैं। इसके कारण कई वृद्ध यात्री एवं रोगी रेलगाड़ी में चढ़ नहीं पाते। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे इस प्रकार की समस्या से बचने के लिए रेलगाड़ी के आकार के अनुसार प्लेटफार्म बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाएं।

तमिलनाडु में अधिकांश रेलगाड़ियां यात्री या फास्ट पैसेंजर रेलगाड़ियों की तुलना में एक्सप्रेस रेलगाड़ियां हैं। इसके कारण रेलगाड़ी कई स्टेशनों पर नहीं रुकती। प्रशुल्क भी बहुत अधिक है। पहले सेनगोट्टई फास्ट पैसेंजर, चैन्ने तंजोर फास्ट पैसेंजर होती थीं जो मीटर गेज में चल रही थीं। ब्रॉडगेज में अंतरण के बाद ये रेलगाड़ियां बंद कर दी गयीं। मैं यह भी अनुरोध करूंगा कि इन रेलगाड़ियों की सेवाएं पुनर्बहाल की जाएं। मैं यह भी अनुरोध करूंगा कि मदुरई मायिलादुतुरई वाला तिरूपति रेलगाड़ी दैनिक आधार पर चलाने की अनुमति दी जाए।

मायिलादुतुरई एवं तिरूवरूर के बीच रेलगाड़ियों की सेवा तत्काल बहाल की जाय। तिरूवरूर एवं कराईकुडी के बीच नयी ब्रॉड गेज लाइन बिछायी जाती है। तिरूतुरईपूनी–अगस्तिमामपली के बीच भी एक नयी रेल लाइन बिछायी जानी है। चेन्नै एवं इस्ट–कोस्ट के बीच नयी रेल लाइन बिछाये जाने की जरूरत है। कराईकल एवं मायिलादुतुरई के बीच विद्यमान रेल लाइन का पुनर्निर्माण किया जाना है। दिल्ली से चेन्नै के बीच चलने वाली रेलगाड़ी को कन्याकुमारी तक विस्तारित करना पड़ेगा। चेन्नै एवं कन्याकुमारी के बीच दोहरी रेल लाइन होनी चाहिए एवं इसका विद्युतीकरण होना चाहिए।

यातायात संकुचन को दूर करने के लिए आर ओ बी के निर्माण की तत्काल जरूरत है। रेलवे को संबद्ध राज्यों से लागत साझा करने की आशा किए बगैर आर ओ बी बनाने के लिए आगे आना चाहिए।

यात्रियों की मूलभूत जरूरतों का ध्यान रखने के लिए सभी स्टेशनों में यात्री सुविधाएं बेहतर की जानी चाहिए। कई रेलगाड़ियां ऐसी हैं जो रात में चलकर अहले सुबह अपने गंतव्य तक पहुंचती हैं। रेलगाड़ी को बेकार खड़ी रखने के बजाय इन रेलगाड़ियों को दिन के समय नजदीकी महत्वपूर्ण स्थानों तक चलाया जा सकता है।

***श्री पी. लिंगम (तेनकासी)** : ऐसे समय पर, जबकि रेलवे अनुदानों की अनुपूरक मांगों के लिए लोक सभा की अनुमति मांग रही है, मैं रेलवे के कतिपय भेदभावपूर्ण उपायों के बारे में बताना चाहूंगा। इस वर्ष के रेलवे के वर्ष 2011–12 के लिए बजट में भी तमिलनाडु, विशेषकर हमारे राज्य के दक्षिणी जिलों की उपेक्षा की गई है। तमिलनाडु के दक्षिण जिलों में प्रचालन करना रेलवे के लिए सर्वाधिक लाभदायक मार्ग होगा, लेकिन अभी भी दक्षिणी जिलों के साथ भेदभाव किया जाता है।

तिरूचि और मदुरै जंक्शन को अतिरिक्त मार्गों के साथ दक्षिणी जिलों के साथ जोड़ा जा सकता है। यह यात्रा करने वाली जनता के लिए और अर्थक्षम प्रचालनों के साथ और अधिक कमाई करने में रेलवे के लिए बहुत बड़ी सहायता होगी। लेकिन, दुर्भाग्यवश, हमारी प्रार्थनाओं पर सुनाई नहीं की जाती।

मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सिरीविलीपुतुर, राजापलयम, शंकरनकोविल, पुलियनगुडी, कड्यानल्लुर, तेनकासी, शेनकोट्टाह और विरुद्धुनगर जंक्शन तक के क्षेत्र और शिवाकासी और तिरूथंगल म्युनिसिपल टाउन हैं जहां 30 लाख से अधिक लोग रहते हैं। लेकिन, वहां पर केवल एक दैनिक एक्सप्रेस ट्रेन अर्थात, पोधीगई एक्सप्रेस है और वहां मदुरै–शेनकोट्टाह के बीच केवल एक यात्री गाड़ी चलती है जिसे प्रतिदिन दो बार चलाया जाता है। वर्ष 2008–09 के रेलवे बजट में, यह घोषणा की गई थी कि इरोड–शेनकोट्टाह यात्री गाड़ी आरंभ की जाएगी। मैं रेल मंत्री से इस घोषणा को वास्तविकता में बदलने के लिए अनुरोध करता हूं। मैं रेल मंत्री से चेन्नई तथा शेनकोट्टाह के बीच दैनिक एक्सप्रेस रेलगाड़ी शुरू करने का अनुरोध करता हूं। इसी प्रकार, मदुरै–शेनकोट्टाह यात्री गाड़ी की बारंबारता को बढ़ाया जाए। इसे दिन

*मूलतः तमिल में सभा पटल पर रखे गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री पी. लिंगम]

में चार बार अवश्य चलाया जाए। तेनकासी और तिरूनेलवली के बीच आमान परिवर्तन कार्य की गति बढ़ाई जाए। यात्री सुविधाओं को बढ़ाने के लिए दक्षिण रेलवे को अवश्य कदम उठाने चाहिए। चेन्नई सेंट्रल स्टेशन को चेन्नई एगमोर स्टेशन से जोड़े जाने के कार्य को शीघ्र पूरा किया जाए।

दिल्ली और कन्याकुमारी के बीच बरास्ता चेन्नई एक दैनिक एक्सप्रेस ट्रेन आरंभ की जानी चाहिए। इसके साथ-साथ, मुम्बई-नगरकोईल एक्सप्रेस ट्रेन, जो कि सप्ताह में दो बार चलती है, को दैनिक ट्रेन बनाया जाए। यह ट्रेन मुम्बई से विरुद्धुनगर रात के 12 बजे पहुंचती है। इससे यात्रा कर रही जनता को अत्यधिक परेशानी होती है। अतः, इस ट्रेन का समय इस प्रकार पुनः निर्धारित किया जाए जिससे कि यह नगरकोईल प्रातः 8 बजे पहुंच जाए ताकि यह प्रातः 5 और 6 बजे के बीच विरुद्धुनगर से होकर जा सके।

अब, तारम्बरम में तीसरा यात्री टर्मिनल बनाये जाने का प्रस्ताव है, परियोजना शुरू करने से पहले रेलवे को लोगों के मन से भय को अवश्य दूर करना चाहिएं यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि दक्षिणी जिलों से आने वाली ट्रेने एगमोर पर ही समाप्त होती रहें। उत्तर की ओर जाने वाली ट्रेनों का संचालन तारम्बरम से किए जाने पर विचार किया जाए।

तेनकासी में चल रहे रेलवे ओवरब्रिज कार्य को शीघ्र पूरा किया जाए। राजापलयम में पी ए सी आर रोड के पार एक रेलवे ओवरब्रिज के लिए भी अनुरोध है। शेनकोट्टाह-कोल्लम आमान परिवर्तन कार्य को भी शीघ्र पूरा किया जाए।

***श्री जोस के. मणि (कोट्टयम)** : पिछले लगातार दो रेल बजटों में मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लिए कुछ उत्साहजनक घोषणाएं हुई थीं-मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कोट्टयम रेलवे स्टेशन को आदेश रेलवे स्टेशन घोषित करने के साथ-साथ एक बहु प्रकार्यात्मक परिसर (एम.एफ.सी.) और एक नए कोचिंग टर्मिनल की घोषणा की गई थी, लेकिन समर्पित कोष आबंटन सहित अनेक कारणों से इन प्रस्तावों पर अभी काम शुरू किया जाना है। मूलतः परिकल्पित इस बहुप्रकार्यात्मक परिसर परियोजना को अभी भी बहुत ही सीमित तरीके से अंतिम रूप दिया जाना है। नए कोचिंग टर्मिनल की भी यही स्थिति है जिससे पर्यटक और वर्ष भर तीर्थ यात्री के आवाजाही के केन्द्र के रूप में कोट्टयम का विकास होगा तथा इसे वैसा स्वरूप प्रदान करेगा।

रेलवे बजट में घोषित प्रस्तावों के त्वरित कार्यान्वयन करके प्रभावशाली तरीके से कार्यवाही की जाए। मेरा सुझाव है कि इससे संबंधित काम और स्थान विशेष के अनुसार धनराशि का आवंटन किया जाए, ताकि किसी भी आवश्यकता की स्थिति में आवंटित धनराशि के अन्यत्र उपयोग न हो।

वर्तमान में कोट्टयम रेलवे स्टेशन सबरीमाल में तीर्थयात्रा के मौसम और पूरे भारत तथा विश्व से बड़ी संख्या में वर्ष के अंत में आने वाले पर्यटकों के भार को संभाला जा सके। रेल मंत्री ने सामान्य रूप से केरल और विशेष रूप से प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने के लिए हाल ही में त्रिवेन्द्रम में डेरा डाला था। सबरीमाला में तीर्थ यात्रा के मौसम के दौरान तीर्थ तथा वर्ष भर समान रूप से अन्य मंदिरों व धार्मिक स्थलों/चर्चो में तीर्थ यात्रियों की आवाजाही को ध्यान में रखकर उनकी सुविधा के लिए कोट्टयम में एक पूर्णरूप से सुसज्जित तीर्थ यात्री आश्रय के मुद्दे को माननीय मंत्री जी के सक्षम उठाया गया, जिस पर उनका आश्वासन प्रतीक्षित है और यह आशा है कि तीर्थयात्री-आश्रय पर काम जल्दी ही शुरू होगा। लेकिन तीन महीने बीत जाने के बाद भी इस संबंध में जोनल मंडलीय अधिकारियों की ओर से कोई बड़ी पहल नहीं की गई है।

कोट्टयम रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण का कार्य भी अति महत्वपूर्ण है, जिसे निकटस्थ क्षेत्र में ही समान रूप से बहुप्रकार्यात्मक परिसर के निर्माण के साथ किया जाना है। इन दो परियोजनाओं के साथ ही प्रतीक्षा कक्षों, विश्राम कक्षों और शयनशालाएं तथा पर्याप्त पार्किंग क्षेत्र जैसी यात्री सुविधाओं हेतु प्रचालनात्मक क्षेत्र में वृद्धि होने की आशा है।

जगह की कमी को दूर करने के लिए कोट्टयम रेलवे स्टेशन पर स्थित माल गोदाम/माशलिंग यार्ड को ईट्टुमैसेर या सिंगावनम रेलवे स्टेशन पर स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव है, जहां माल आवाजाही की सप्लाई के लिए पर्याप्त रेलवे भूमि उपलब्ध है, जिससे कोट्टयम रेलवे स्टेशन के उत्तरी छोर का भार कम किया जा सके। इससे शहर के मध्य से रेलवे स्टेशन पर आने वाले बड़ी संख्या में यात्रियों के उपयोग हेतु कोट्टयम रेलवे स्टेशन के उत्तरी छोर पर दूसरे प्रवेश मार्ग के निर्माण के लिए पर्याप्त

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

जगह उपलब्ध होगी। कोट्टयम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेडर्स एसोसिएशन ने भी कोट्टयम माल गोदाम को स्थानान्तरित करने का स्वागत किया है, क्योंकि इस कदम से स्टेशन का पर्यावरणीय स्तरोन्यन होगा, जहां वर्तमान में सीमेंट, उर्वरक, माल जैसी वस्तुओं को जिलों के उन भागों में भेजने के लिए उतारा जाता है।

इन्हीं टिप्पणियों के साथ मैं अनुपूरक मांगों को अपना समर्थन देना चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्री विश्व मोहन कुमार (सुपौल) : माननीय सभापति जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे रेल बजट की अनुपूरक मांगों पर बोलने का मौका दिया है। मैं जिस क्षेत्र बिहार से आता हूं, वह कोसी का इलाका है। महोदय, पिछले दिनों बहुत सारे रेल मंत्री बिहार के रहे लेकिन कभी इस तरह की बात नहीं हुई और उनके द्वारा पूरे देश में जो भी कार्यक्रम चले, जो भी रेल परियोजनाएं चलीं, वे पूरे देश के लिए चलीं। लेकिन जब से मैं सांसद बनकर आया हूं, दो बजट में मैंने देखा कि बिहार की घोर उपेक्षा हो रही है। बिहार में जितनी भी पूर्व की रेल योजनाएं थीं, वे सारी लंबित पड़ी हैं, उन पर कोई काम नहीं हो रहा है। उसमें पैसे नहीं दिये जा रहे हैं जिसके कारण कोई भी काम हो, वह पूरा नहीं हो रहा है।

सभापति जी, अभी हुक्मदेव नारायण जी कह रहे थे कि कोसी महासेतु बना है जिसका शिलान्यास हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और तत्कालीन रेल मंत्री नितीश कुमार जी ने किया था। अभी नौ वर्ष हो चुके हैं। उसमें करीब 60 प्रतिशत काम करना बाकी है। वहीं रेल महासेतु के बगल में दूसरा सेतु बना है जिस पर सड़क यातायात का आवागमन होता है, वह तो चालू हो गया है लेकिन यह अभी लंबित पड़ा है।

इसी तरह से हमारे यहाँ आमान परिवर्तन की कई लंबित परियोजनाएं पड़ी हैं जिसके लिए पुराने रेल बजट में पैसे नहीं दिये गये और फिर अब यह अनुपूरक बजट लेकर आए हैं कि हमें पैसा चाहिए। इसके तहत सहरसा–फारबिसगंज है जिसका आमान परिवर्तन कराया जाता है। इसमें रेल बजट के द्वारा रक्षा मंत्रालय के हैड में से पैसा लेकर उसमें दिया गया है, लेकिन रेल मंत्रालय ने अभी तक उस पर कुछ काम नहीं किया है। वह अभी तक ऐसे ही पड़ा है। इसी तरह हमारे राष्ट्रीय नेता शरद जी के क्षेत्र में सहरसा से लेकर पूर्णिया तक जो मधेपुरा होकर जाती है, 2008 में ये आई बाढ़ के कारण रेल लाइन ध्वस्त हो गई थी। उस पर अभी तक काम नहीं हो पाया है। और बहुत सारी योजनाएं हैं जो अभी तक लंबित पड़ी हैं जिनमें सकरी–लौकहा आदि पुरानी योजनाएं हैं पहले हमारे कोसी एरिया में जब तक बांध नहीं बना था, उस समय की अभी तक छोटी–छोटी रेल लाइनें अवशेष पड़ी हुई हैं। वे भी जीवित हैं, लेकिन उस पर अभी तक काम नहीं हुआ है। बहुत सारी हैं, छोटी–छोटी लाइन पड़ी हुई हैं, जिनको बड़ी लाइनों में परिणत करने का काम होना बाकी है।

जहाँ तक रेल सुविधाओं की बात है, तत्कालीन रेल मंत्री माननीय ममता जी ने घोषणा की थी कि पटना से सहरसा के लिए राज्य रानी एक्सप्रैस चलेगी। 2008 में भी एक प्रश्न का उत्तर दिया गया था कि यह चालू हो गया है, लेकिन हमें याद है कि नवंबर में यह चालू हुआ है। हम लोगों ने मांग की थी कि रात्रिकालीन सेवा चले ताकि हम लोग पटना से सहरसा जाएँ और रात को वहाँ पहुँचें और फिर हमें वहाँ से कुछ सुविधा हो, लेकिन उस तरह की सुविधा नहीं दी गई है। रेल में जो सुविधाएं होनी चाहिए, उस तरह की सुविधाएं नहीं हैं। हम लोग ट्रेन में चलते हैं। कल मैं पटना राजधानी से आ रहा था। उसमें जब बाथरूम गया तो ऊपर से टप–टप पानी चू रहा था। उसकी कोई देखरेख नहीं थी। ऊपर से पानी चू रहा है तो कोई नीचे कैसे बैठेगा? जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है, उस अनुपात में ट्रेनों की संख्या नहीं बढ़ रही है। आप कहते हैं कि ट्रेन की रफ्तार बढ़ाएं लेकिन ट्रेनों की संख्या नहीं बढ़ रही है, जिसके कारण यह होता है कि एक पटरी पर ही आपका सारा लोड जा रहा है। उसी पटरी पर आप मालगाड़ी ले जा रहे हैं, पैसेंजर ट्रेन भी ले जा रहे हैं, जिसके कारण हमेशा दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इसके लिए आपको कुछ ध्यान देना चाहिए कि हम दुर्घटनाओं से कैसे बचें। आप यदि सैकेन्ड क्लास के बाथरूम में देखेंगे जैसे हुक्मदेव नारायण जी कह रहे थे, उसमें आप देखेंगे कि न कहीं मग है, न पानी की सुविधा है, उस तरह की कोई बात नहीं है। हमारे तत्कालीन रेल मंत्री ने घोषणा की थी कि एक एक एमपी की रिकमंडेशन पर दो–दो आरक्षण काउंटर उनके क्षेत्र में खुलेंगे, लेकिन वह अभी तक नहीं हो पाया है।

मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि हम लोग जितने भी संसद सदस्य हैं, सबके क्षेत्रों से लोग यहाँ मिलने के लिए आते

[श्री विश्व मोहन कुमार]

हैं या कोई काम करवाने के लिए आते हैं। वे अगर समय लौटना चाहते हैं तो उनका रिजर्वेशन नहीं हो पाता है। हम लोगों द्वारा लिखकर देने के बावजूद भी उनका रिजर्वेशन नहीं हो पाता है। पता नहीं क्या कारण है?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया बाधा उत्पन्न मत कीजिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री विश्व मोहन कुमार : हम लोग रिजर्वेशन के लिए लिखकर देते हैं, लेकिन रेल मंत्रालय में क्या अनफेयर मीन्स होता है, पता नहीं जिसकी वजह से चिट्ठी लिखने के बावजूद भी लोगों का रिजर्वेशन नहीं हो पाता है। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए और हम लोग लिखकर देते हैं, उस हिसाब से काम होना चाहिए। पहले सात सौ का कोटा था, जिसे घटाकर आपने चार सौ कर दिया है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

***श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण** (साबरकांठा) : हर संसद सदस्य अपने क्षेत्र का विकास चाहता है। विकास के लिए रेल का बहुत महत्त्वपूर्ण योगदान रहता हैं रेल विकास की धरोहर है, जहाँ–जहाँ से रेल गुजरती है वहाँ–वहाँ विकास पनपता है।

आज हमारे माननीय रेल मंत्री जी रेल विभाग के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों के लिए सदन में आए हैं तो मेरा सवाल है कि पूरे देश में रेल के सम्यक विकास हेतु उनके मंत्रालय ने क्या कदम उठाए हैं। देश में जहाँ पर रेल की सुविधा है वहाँ पर और सुविधाएं दी जा रही हैं जबकि आज भी देश में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर अब तक रेलवे का विकास नहीं हुआ है तथा वहाँ के निवासी अब भी पाषाणयुग में जी रहे हैं। उन्हीं अति पिछड़े क्षेत्रों में से एक गुजरात का मेरा साबरकांठा क्षेत्र है।

क्या हमें विकास का अधिकार नहीं है? क्या हमारा क्षेत्र हिन्दुस्तान का अंग नहीं है? क्या हमें रेल सुविधा मांगने का अधिकार नहीं है? हमें दुख के साथ कहना पड़ता है कि रेल विभाग ने हमारे क्षेत्र के साथ बड़ा अन्याय किया है। आजादी के 64 वर्षों बाद भी हमें आज रेल सुविधा ठीक से नहीं मिल रही है। हमारा क्षेत्र आदिवासी एवं आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों का क्षेत्र है जो सिर्फ कृषि एवं पशुपालन पर निर्भर हैं। इस क्षेत्र में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने रेलगाड़ी की मुसाफिरी तो दूर रेल को नजदीक से देखा भी नहीं है।

मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज भी हमारे साबकांठा संसदीय क्षेत्र में एक भी गुड्स रेक प्वाइंट फेसिलिटी नहीं है। एक भी मालगाड़ी हमारे क्षेत्र में नहीं गुजरती है।

रेक प्वाइंट न होने से पूरे क्षेत्र के विशेषकर किसानों को कृषि उपयोगी वस्तुएं जैसे यूरिया, डीएपी खाद समय पर नहीं मिल पाने से कृषि पर विपरीत असर पड़ता है। अतः मेरे क्षेत्र में तत्काल रेक प्वाइंट की सुविधा उपलब्ध कराई जाए।

दूसरा, रेल विभाग बिना स्थानीय लोगों व किसानों को विश्वास में लिए तथा बगैर कोई विकल्प दिए अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग बन्द करने जा रहा है, जिससे लोग परेशान एवं दुखी है तथा आक्रोषित हो रहे हैं। अतः बंद किए गए अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग की समीक्षा करके उसे पुनः चालू करके लोगों को न्याय दिया जाए।

मोडासा, जो हमारे क्षेत्र की एक लाख की आबादी वाला शहर है, जहाँ पर सिर्फ एक ही ट्रेन जो रात को 10 बजे आती है और सुबह 6 बजे चली जाती है। इसके बाद पूरे दिन एक भी ट्रेन नहीं गुजरती। मोडासा से नडियाड का फासला 100 कि. मी. का है तथा यह ट्रेन उक्त दूरी को तय करने में कम गति की वजह से 4 घंटा लगाती है तो फिर उसमें कौन यात्रा करेगा?

मुझे रेलवे के अधिकारियों के असंवेदनशील रवैये का जिक्र करते हुए दुःख होता है। ये लोग 20 से 25 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद की ही बात नहीं सुनते तो आम आदमी की बात कैसे सुनेंगे? वे अपने आपको सुप्रीम समझते हैं। ये लोग हमारे खतों का न तो जवाब ही देते और न ही मुलाकात के लिए अप्वाइंटमेंट देते हैं।

मैं रेल विभाग से न्याय की मांग रहा हूँ। मैं अपने क्षेत्र के विकास के लिए सरकार से रेल सुविधा, प्रदान करने की मांग

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

करता हूँ। अगर सरकार यह सुविधा मुहैया कराने में असमर्थ है तो मेरी मांग है कि हमारे क्षेत्र में जो रेल पटरियां बिछाई गई हैं उन्हें हटाया जाए ताकि लोग परेशान न हों। वर्तमान में उपलब्ध रेल सुविधाओं का कोई फायदा स्थानीय जनता को नहीं हो रहा है। अतः इससे बेहतर है कि रेल पटरियों को हटा लिया जाए जिसके बाद क्षेत्र के लोगों को फायदा मिलेगा। फिर भी देश हित में, मैं इन अनुदान मांगों का समर्थन करता हूँ।

***श्री पकौड़ी लाल** (रॉबर्ट्सगंज) : मैं रेल मंत्री जी से चाहूंगा कि निम्नलिखित स्थानों पर रेलवे स्टेशन पर रेल ठहराव के लिए विभाग का निर्देशित करें।

1. जनपद सोनभद्र उ.प्र. के दुद्धी रेलवे स्टेशन पर झारखंड व छत्तीसगढ़ से आने वाली रेल एक्सप्रेस का ठहराव।

2. जनपद सोनभद्र का मुख्यालय राबर्टसगंज में है वहाँ एक्सप्रेस का ठहराव दिया जाए।

3. जनपद मीरजापुर उ.प्र. रेलवे स्टेशन पर बिहार व झारखंड से आने वाली एक्सप्रेस का ठहराव।

***डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी** (अहमदाबाद पश्चिम) : मैं रेलवे पर केन्द्रीय सरकार के खर्चे के लिए अनुदान की पूरक मांगों का समर्थन करता हूं। मगर इसकी सूची में मुझे गुजरात कहीं भी नहीं दिखाई देता है। ऐसे भी देखा जाए तो गुजरात और खासतौर पर गुजरात का उत्तर गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ के प्रति रेलवे की ओर से हमेशा उपेक्षा की गई है। यह समग्र प्रदेश में रेलवे नेटवर्क की भारी मात्रा में कमी रही है। इस क्षेत्र में रेलवे नेटवर्क बढ़ाने की बात तो दूर रही मगर जो कुछ भी चंद सुविधाएं हैं उसे भी दूर करने में रेलवे तंत्र लगा है।

पिछले कुछ सालों में, उत्तर गुजरात के चणस्मा, कंबोई से हारीज जाने वाली रेलवे लाइन को निकाल दिया है और अभी–अभी यह बात सामने आई है कि कलोल से सुप्रसिद्ध यात्राधाम बहुचराजी से चाणस्मा और रणुंज के स्टेशनों का दर्जा कम करते हुए उसे सिर्फ फ्लैग स्टेशन बनाने का प्रस्ताव किया गया हैं यह प्रदेश पिछड़ा हुआ प्रदेश है और रेलवे की उसके प्रति लापरवाही की वजह से इस क्षेत्र में रोड़ का यातायात

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

विपुल मात्रा में चलता है। करीब हजारों की संख्या में प्रतिदिन वाहन अहमदाबाद और अन्य जगहों पर हजारों मुसाफिरों को ले जाते हैं। मैं समझता हूं कि अगर पर्याप्त रेलमार्ग उपलब्ध होता तो निश्चित रूप से लोग रेल के माध्यम को अपनी पसंदगी बनाते।

मेरी रेलमंत्री जी से मांग है कि कलोल, बहुचराजी और चाणस्मा के स्टेशनों को फ्लैग स्टेशन ना बनाया जाए और ये रेलवे लाइन को मीटर गेज से परिवर्तित करके ब्राडगेज बनाया जाए और पहले उखाड़ दी गई चाणस्मा, हारीज रेल लाइन को फिर से बहाल करके राधनपुर के साथ ब्राडगेज से जोड़ा जाए।

अहमदाबाद–कालपुर रेलवे स्टेशन से कई ट्रेनों को साबरमती टर्मिनल पर ले जाकर, पूर्ण रुप से साबरमती को टर्मिनल पर कार्यरत करना चाहिए।

अहमदाबाद–दिल्ली के बीच कई भाग में डबल लाइन का प्रावधान है। मेरी मांग है कि बाकी की लाइन भी डबल ट्रैक बनाना चाहिए और इस पूरी लाइन का विद्युतीकरण करना चाहिए।

अहमदाबाद से राजकोट और जामनगर तक शताब्दी ट्रेन चालू करने की मेरी मांग है।

गुजरात का समुद्री किनारा 1600 किमी. लंबा है और गुजरात सरकार ने उन पर कई बड़े बंदरगाहों का विकास किया है। मेरी आपसे मांग है कि गुजरात के सभी बंदरगाहों को रेलमार्ग से जोड़ा जाए ताकि देश के विकास को ओर ज्यादा बल मिले।

अहमदाबाद–मुम्बई के बीच में देश में सबसे ज्यादा रेल यातायात है। पूर्व में भी इन दो शहरों के बीच फास्ट बुलेट ट्रेन चलाने के लिए सर्वे किया गया था। मेरी खास मांग है कि अहमदाबाद–मुम्बई के बीच बुलेट ट्रेन चालू करके हाई स्पीड ट्रेन का प्रावधान करे।

[अनुवाद]

श्री टी.के.एस. इलेंगोवन (चेन्नई उत्तर) : सभापति महोदय, आपका धन्यवाद। अनुपूरक अनुदानों के मांगों (रेल) का समर्थन करते हुए मैं माननीय रेल मंत्री जी से कुछ अनुरोध करना चाहता हूं।

मेरा पहला अनुरोध यह है कि रेल मंत्री को माननीय संसद

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री टी.के.एस. इलेंगोवन]

सदस्यों के राज्यों पर ध्यान दिये बगैर सभी सदस्यों के साथ बजट–पूर्व एक बैठक करनी चाहिए। उन्हें सभी सदस्यों को बुलाकर प्रत्येक राज्य में बजट–पूर्व बैठक करनी चाहिए, ताकि उन्हें उनसे कुछ उपयोगी सुझाव मिल सकें और वे उनकी मांगों को पूरा कर सकें।

दूसरे, मैं किसी नई परियोजना की मांग नहीं करता हूं, क्योंकि यदि नई परियोजनाओं की मांग की गई तो मुझे पुरानी परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर असर पड़ने की आशंका है। विशेषकर तमिलनाडु में अनेक ऐसी परियोजनाएं हैं जो 15 से ज्यादा वर्षों से लंबित हैं। सलेम–करूर रेल परियोजना वर्ष 1996–97 में शुरू की गई थी, लेकिन यह अभी भी लंबित है। इसलिए, परियोजनाएं 15 से ज्यादा वर्षो से लंबित हैं। मैं नहीं जानता कि रेलवे कैसे इसकी अनुमति देगा। अब तक निवेश की गई राशि मृतप्राय निवेश बन गया है, क्योंकि इससे कोई प्रतिफल प्राप्त नहीं हो रहा है। यह भी रेलवे के घाटा का एक और कारण है। इसलिए, रेलवे को परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए समय नियत करना चाहिए। मेरे विचार से यह पांच वर्ष हो सकता है।

तमिलनाडु में मुख्य समस्या चेन्नई और कन्याकुमारी के मध्य, वेल्लुपुरम और डिंडिगुल के मध्य और मदुरई तथा कन्याकुमारी के बीच रेल लाइनों के दोहरीकरण की है। यह परियोजना भी काफी समय से लंबित है। दक्षिण रेलवे में परियोजना,, विशेषकर तमिलनाडु के भाग की परियोजनाएं यात्री यातायात के रूप में आर्थिक रूप से व्यवहार्य हैं। यात्रियों के संदर्भ में सभी रेलगाड़ियां भरी होती हैं। इसलिए, यदि रेलवे और रेलगाड़ियां चलाता हे, तो इसका अर्थ कि इससे और अधिक आय होगी। इसलिए, कृपया विल्लुपुरम–डिंडिगुल और मदुरई–कन्याकुमारी रेल लाइनों को वो यथाशीघ्र पूरा करने पर विचार कीजिए।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र उत्तर चेन्नई में सबसे पुराना रेल यात्री टर्मिनल रायपुरम है। रायपुरम, जो शहर के बीचों–बीच स्थित है, को लोकोशेड में परिवर्तित किया जा रहा है। यह शहर में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। जहां दिल्ली में पांच टर्मिनल हैं, वहीं चेन्नई में चार यात्री टर्मिनल हैं। रायपुरम को यात्री टर्मिनल बनाया जाए, क्योंकि इससे यात्रियों को सहायता मिलेगी। इंजनों को कहीं भी खड़ा किया जा सकता है, जरूरी नहीं है कि उन्हें शहर के बीचों–बीच खड़ा किया जाए। कृपया इस बात का ध्यान रखें।

तमिलनाडु में बस किराए में वृद्धि के कारण लोग रेलगाड़ियों में यात्रा करना पसंद करते हैं। इसलिए उपनगरीय रेल गाड़ियों के फेरों में वृद्धि की जानी चाहिए। उपनगरीय रेलगाड़ियों में और अधिक सवारी डिब्बे जोड़े जाएं। अन्यथा यात्रियों को परेशानी होगी। वे पराधीन होकर रेलगाड़ियों में यात्रा कर रहे हैं इसलिए आप उपनगरीय रेलगाड़ियों में और अधिक सवारी डिब्बे जोड़ें।

सलेम मंडल चार अथवा पांच वर्ष पूर्व आरम्भ किया गया था। परन्तु इसका अच्छा कार्यालय नहीं है। सलेम मंडल के पूर्ण विकसित कार्यालय का निर्माण कीजिए। बैंगलोर–कन्याकुमारी रेलगाड़ी फिलहाल साप्ताहिक आधार पर चल रही है। इसे दैनिक आधार पर चलाया जाए और इसके फेरों में वृद्धि की जाए।

मांगें अनेक हैं। परन्तु पहली प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना होगी कि वे परियोजनाएं जो पूरी नहीं हुई हैं, उन्हें शीघ्रतिशीघ्र पूरा किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अनुदानों की अनुपूरक मांगों (रेल) का समर्थन करता हूं।

***श्री शिवराम गौडा (कोप्पल)** : कर्नाटक दक्षिणी भारत में उभरता राज्य है, परन्तु मेरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र (कोप्पल) अत्यंत पिछड़ा जिला है और राज्य के अन्य भाग की तुलना में यह ज्यादा अच्छी तरह से जुड़ा नहीं है। अतः मैं आपके माध्यम से विशेष रेलगाड़ियां प्रदान करने और कोप्पल को नई दिल्ली और चेन्नई और मुंबई से जोड़ने का निवेदन करता हूं।

उद्योगपति इसे कर्नाटक का "स्टील सिटी" और "राइस किंग" कहते हैं। यहां विशेषकर अनार और मक्के के बाग हैं, जिनका यहां से निर्यात किया जाता है। मुनीराबाद–महबूबनगर के बीच 16 वर्षो से भी अधिक वर्षो से काम चल रहा है, फिर भी कुछ कार्य किया जाना बाकी है, केवल 8 किलोमीटर तक ही सिविल कार्य चल रहा है। विश्व प्रसिद्ध विरासतीय तीर्थ स्थान हम्पी–विजयनगर शासन के अवशेष होस्पेट के निकट स्थित हैं। विश्व भर से लोग इस ऐतिहासिक स्थान को देखने आते हैं।

चेन्नई और मुंबई के बीच एक नई रेलगाड़ी आरम्भ कीजिए। इस संबंध में, मैं रेल मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि कृपया चेन्नई से मुंबई बरास्ते गुंटकल, बेल्लारी, होस्पेट, कोप्पल, गडक, बागलकोट, बीजापुर और सोलापुर एक नई रेलगाड़ी आरम्भ करने

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

में व्यक्तिगत रूचि लें। यह रेलगाड़ी प्रमुख मुख्यालयों और सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों को जोड़ेगी। साथ ही इन दोनों रेलगाड़ियों के बीच यात्रा करने वाले असंख्य लोगों को भी लाभ होगा।

इस रेलगाड़ी से अच्छा राजस्व प्राप्त होगा और कर्नाटक में ज्यादा लोकप्रिय होगी, क्योंकि कर्नाटक में अधिकांश जिलों को जोड़ने वाली कोई बेहतर रेलगाड़ी नहीं है। उन स्थानों, जो अभी तक उचित रेल संपर्क से नहीं जुड़े हैं विशेषकर बरास्ते उत्तरी कर्नाटक क्षेत्रों, को इस मार्ग से रेल सेवा प्रदान किए जाने की आवश्यकता है। इस नई रेलगाड़ी के बजाय कुर्ला–कोयम्बटूर (रेलगाड़ी सं. 11013–14) और चेन्नई–दादर (गाड़ी सं. 11028–27) वाया गुंटकल, रायचुर गुलबर्गा, सोलपुर के बीच चलने वाली कुछ नियमित रेलगाड़ियों को मार्ग परिवर्तित कर बरास्ते गुडकल–बेल्लारी, कोप्पल, गडक, बालकोट, बीजापुर से सोलापुर चलाया जाए।

लोगों की भारी मांग के मद्देनजर उक्त रेल सेवाएं आरम्भ करने के लिए तत्काल कार्रवाई की जाए। मैं आशा करता हूं और मुझे विश्वास है कि मेरे निवेदन को स्वीकार किया जाएगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री एम.बी. राजेश। आप पांच मिनट बोल सकते हैं। यह रेलवे की अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर चर्चा है। सभी सदस्य बोलना चाहते हैं। इसलिए कृपया सहयोग करें और अपने भाषण को पांच मिनट के भीतर समाप्त करें।

श्री एम.बी. राजेश (पालक्काड) : सभापति महोदय, मैं सात से आठ मिनट के भीतर अपना भाषण समाप्त करूंगा। महोदय, मैं इस सीट से बोलने के लिए भी आपकी अनुमति चाहता हूं।

सभापति महोदय : आप वहां से बोल सकते हैं।

श्री एम.बी. राजेश : धन्यवाद।

महोदय, रेलवे देश में सबसे बड़ा सरकारी क्षेत्र उद्यम है *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया उन्हें तंग न करें।

श्री एम.बी. राजेश : महोदय, रेलवे हमारे देश का सबसे बड़ा और प्रतिष्ठित सरकारी क्षेत्र उद्यम है जिसकी 63,974 किमी. लंबा रेल मार्ग है और जिस पर 18,890 रेलगाड़ियां प्रतिदिन 20 मिलियन लोगों को लाती ले जाती है और 2.4 मिलियन टन माल की ढुलाई करती है। तथापि, इस प्रतिष्ठित सरकारी क्षेत्र उद्यम को अभूतपूर्व संकट का सामना करना पड़ रहा है और इस सरकारी क्षेत्र उद्यम का अस्तित्व ही संकट में है। यह गलत नीतियों दूरदृष्टि की कमी और उन लोगों द्वारा समन्वय की कमी के कारण है जो रेलवे के शीर्ष पदों पर पदस्थ हैं। रेलवे की खराब होती वित्तीय स्थिति को मार्च 2010 को समाप्त वर्ष हेतु 2010–11 की नियंत्रक और महालेखा परीक्षक रिपोर्ट संख्या 33 में भली–भांति स्पष्ट किया गया है।

भारतीय रेल का प्रचालन अनुपात 2007–08 में 75.94 प्रतिशत से घटकर 2008–09 में 90.46 प्रतिशत हो गई है। वर्ष 2008–09 की समाप्ति तक कुल आरक्षित शेष भी 30 प्रतिशत घट गया है। आरक्षत शेष घटने की यह प्रवृत्ति 2009–10 में भी जारी रही और अब भी जारी है।

इस वित्तीय स्थिति ने अवसंरचना विकास, सुरक्षा यात्री सुविधाओं और रेलवे द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं की गुणवत्ता को प्रभावित किया है।

मैं सबसे पहले अवसंरचना विकास के बारे में बताना चाहूंगा। भारतीय रेल की खराब स्थिति के कारण समर्पित माल भाड़ा गलियारा (डी उफ सी) सहित न्यूनतम 100 परियोजनाएं सही ढंग से नहीं चल रही थीं। स्वतंत्रता के बाद 60 वर्षों में रेलवे के द्वारा केवल 11,000 किमी. रेल मार्ग जोड़ा गया है।

महोदय, विगत कुछ वर्षों में हमने देखा है कि माननीय रेल मंत्रियों द्वारा अनेक वायदे किए गए और ये सभी वायदे पूरे नहीं किए गए हैं। उदाहरण के लिए विश्वस्तरीय स्टेशनों और एम एफ सी और डी एफ सी का वायदा किया गया था। उच्च गति (हाई स्पीड) संपर्क का वायदा किया गया था और यहां तक कि प्रत्येक संसद सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र में उसके लिए यात्री आरक्षण सिस्टम (पी आर एस) के साधारण वायदे को भी पूरा नहीं किया गया। इसलिए मैं माननीय रेलमंत्री से आग्रह करना चाहता हूं कि लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में पी आर एस के साधारण वायदे को तो कम से कम पूरा किया जाय।

महोदय, मैं पालक्काड़ निर्वाचन क्षेत्र से हूं। मैं पालक्काड़ कोच फैक्ट्री की मांग कई बार यहां उठा चुका हूं। वर्तमान रेल मंत्री और उनके पूर्ववर्ती रेलमंत्री ने सभापटल पर अनेक आश्वासन दिए थे कि पालक्काड़ कोच फैक्ट्री की स्थापना की जाएगी।

तथापि, अब तक कुछ नहीं हुआ है। यह एक तीन–दशक से की जा रही लंबी मांग है। महोदय, 19 सितम्बर, 2011 को माननीय रेलमंत्री स्वयं तिरूवनंतापुरम आये थे और उन्होंने एक बैठक बुलाई थी जिसमें राज्य कैबिनेट के सभी सदस्यों और केरल के सभी संसद सदस्यों ने भाग लिया था। उस बैठक में, माननीय रेल मंत्री ने स्वयं हमें आश्वास्त किया था कि पालक्कड़ कोच फैक्टी की नींव रखने का समारोह 22 अक्तूबर को होगा। अब दो माह बीतने वाले हैं, परन्तु कुछ भी नहीं हुआ है।...*(व्यवधान)*

रेल मंत्री (श्री दिनेश त्रिवेदी) : मेरा ध्यान आकर्षित करने के लिए धन्यवाद। हम राज्य सरकार के साथ इस पर काम कर रहे हैं। मैंने राज्य के मुख्यमंत्री के साथ बैठक की थी, जो स्वयं भी यहां आए थे। अब समस्या भूमि की है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे आश्वस्त किया है कि उन्होंने भूमि प्राप्त कर ली है और जैसे ही हमें भूमि प्राप्त होगी, हम अपनी ओर से तैयार हैं। इसलिए कृपया राज्य सरकार से भी संपर्क करें। मैं अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करना चाहूंगा। मैं 22 तारीख को ही वहां जाना चाहता था, परन्तु भूमि के बिना मेरा वहां जाने का कोई औचित्य नहीं...*(व्यवधान)*

श्री एम.बी. राजेश : मुझे प्रसन्नता है कि माननीय रेलमंत्री ने अपने आश्वासन को दोहराया है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि अपने वायदे को यथाशीघ्र पूरा करें। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : वह पहले ही बोल चुके हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री एम.बी. राजेश : दूसरा पहलु सुरक्षा से संबंधित है। हमने हाल ही में रेल दुर्घटनाओं में वृद्धि देखी है। यह लोगों के जीवन के प्रति चिन्ता के अभाव के कारण है। वर्ष 2010 में विश्वभर में हुई 50 बड़ी रेल दुर्घटनाओं में से 14 भारत में हुई थीं। माननीय रेलमंत्री के पूर्ववर्ती ने दुर्घअनाओं को रोकने के लिए अनेक उपायों का वायदा किया था जिसमें स्वचालित सिग्नल प्रणाली, रेल सुरक्षा और चेतावनी तंत्र, टक्कर रोधी उपकरण, कोहरा–रोधी उपकरण इत्यादि सम्मिलित थे। इन सभी आधुनिक प्रौद्योगिकीय उपकरणों का प्रयोग प्रारंभ करने का वायदा किया गया था, परन्तु अब तक कुछ नहीं हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इन वायदों का क्या हुआ। मंत्री जी ने सुरक्षा प्रणाली के उन्नयन के लिए क्या कदम उठा, हैं और उन्होंने देश में रेल दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

महोदय, मैं एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाना चाहूंगा जोकि रेलवे में रिक्तियों से संबंधित है। रेलवे में खाली पड़ी 2 लाख रिक्तियों में से लगभग 90,000 रिक्तियां सीधे रेलवे में सुरक्षा पहलुओं से संबंधित हैं। मंत्री जी इन 90,000 रिक्तियों को भरने के लिए क्या करने जा रहे हैं, जोकि रेलवे सुरक्षा से संबंधित हैं? वे इन रिक्तियों को कब भरने जा रहे हैं?

इसके बाद, यात्रियों की सुरक्षा के संबध में, रेलवे सुरक्षा बल कार्मिकों की संख्या पर्याप्त नहीं है। रेलवे सुरक्षा बल में बड़ी संख्या में पद रिक्त पड़े हैं। इसलिए मैं माननीय रेल मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या आपकी यात्रियों और विशेषकर महिला यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु और आरपीएफ कार्मिकों की भर्ती करने की कोई योजना है।

रेलवे प्राधिकारियों की सोच के संबंध में, मैं यह कहना चाहता हूं कि रेल प्राधिकारी देश में सबसे अधिक अधिकारवादी सबसे अधिक अहंकारी और सबसे अधिक अलोकतांत्रिक नौकरशाह है। हम इसकी पहले से शिकायत करते रहे हैं?

इसके लिए मैं केवल एक उदाहरण देना चाहूंगा। माननीय मंत्री जी ने 19 सितंबर को तिरूवनंतपुरम में हुई बैठक में एक और आश्वासन दिया था कि रेलवे प्राधिकारियों द्वारा सैंकड़ों केटरिंग कामगारों को नौकरी से निर्दयतापूर्वक हटाए जाने के मामले को निपटाया जाएगा। लेकिन दो महीने बीत जाने के बाद भी इस वायदे को पूरा करने के लिए कुछ नहीं किया गया हैं मंत्री जी का वायदा अभी भी कोरा वायदा ही है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है और हम इस मामले को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उठाते रहे हैं। इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि जिन गरीब केटरिंग कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया गया था, उन्हें पुनः बहाल किए जाने के लिए तुरंत कदम उठाएं जाएं।

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री एम.बी. राजेश : महोदय, मैं अब अपनी बाते समाप्त कर रहा हूं।

अब, मैं केरल राज्य के प्रति रेलवे की निरंतर उपेक्षा और भेदभाव के बारे में बताना चाहूंगा। मैं केवल दो उदाहरण दूंगा।

सभापति महोदय : आप एक उदाहरण दें। वही काफी है।

श्री एम.बी. राजेश : अभी कुछ दिन पहले, केरल को आवंटित मेमू (एमईएमयू) को वापस चेन्नई भेज दिया गया। केरल के लोगों ने इसका विरोध किया और केरल के सभी सांसदों ने भी इसका विरोध किया लेकिन कुछ नहीं हुआ।

'फिर' कल मुझे पता चला कि तिरूवनंतपुरम से नई दिल्ली तक चलने वाली केरल एक्सप्रेस का प्रचालानात्मक नियंत्रण चेन्नई को स्थानांतरित किया जाने वाला है। इस प्रकार का भेदभाव किया जा रहा है।

इसलिए, अपनी बात समाप्त करते हुए, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे इन सभी बातों की जांच करवाएं और मेरे द्वारा उठायी गयी इन सभी बातों का जवाब दें।

[हिन्दी]

***श्री नारनभाई कछाड़िया** (अमरेली) : आज रेलवे विकास की बात कहाँ से करूं जितना करूं उतना ही कम है महोदय यदि मैं अपने गुजरात की केवल बात करता हूँ जो देश के विकास में एक अग्रणी भूमिका निभाती है, महोदय में गुजरात के अमरेली जिला से आता हूँ और आज अमरेली में कोई बड़ा प्रश्न है तो वह रेलवे का है।

आज देश के आजाद होने से लगभग 64 साल बीत गये हैं लेकिन आज इस सरकार ने रेलवे का विकास करने के बजाय वहाँ रेलवे को ओर विनाश हो गया है महोदय आज वहां वही 64 वर्ष पहले वाली मोटर गेज लाइन है और उस पर एक दो गाड़िया ही चलती हैं।

आज हमारे अमरेली जिले में जो रेलवे लाईन बिछाई गई है वह 100 साल पूरे बीत चुके हैं, और उस समय अंग्रेजों ने वहाँ की आबादी को देखकर, वहां के किसानों को खेत में जाने की समस्या को देखकर जिले में कई जगह रेलवे लाईन को पार करने के लिए रेलवे फाटक का प्रबंध कराया गया था। लेकिन आज इस रेलवे मंत्रालय ने 10 से ज्यादा फाटकों को बंद करवा दिये हैं, जिससे किसानों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, और उनके खेत में जाने के लिए रास्ता नहीं होने के कारण किसानों के खेत बिना फसल उपजाये रह रहे हैं। जो एक बहुत ही अत्यंत खेद की बात है।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

मैं माननीय मंत्री महोदय जी से यह मांग करना चाहूँगा कि हमारे अमरेली जिले में सदियों से चले आ रहे मीटरगेज को ब्रॉड गेज में बदलने की समस्या और आज वहाँ जितने भी फाटक बंद कर दिये गये हैं, उन्हें जल्द से जल्द पुनः खुलवाने का प्रबंध करवाया जाय ताकि किसानों को खेत में जाने में कोई तकलीफ न हो सके।

साथ ही साथ वहां की जनता की इन निम्नलिखित मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाय।

1. अहमदाबाद से अमरेली, जूनागढ़ एवं जूनागढ़ से सोमनाथ तक ब्रॉड गेज से जोड़ा जाय।
2. अमरेली जिला में सावरकुण्डला रेलवे स्टेशन की जमीनी सतह अपेक्षाकृत रेलवे लाईन से बराबर या नीचे है, जिससे यात्रियों को ट्रेन की सीढ़ियों पर लटककर चढ़ना पड़ता है और इससे यात्री को काफी परेशानी होती है इसलिये रेलवे प्लेटफार्म की ऊँचाई को जल्द से जल्द बढ़ाया जाय।
3. लाठी-अमरेली रोड पर जो रेलवे फाटक है, वह काफी भीड़-भाड़ वाला क्षेत्र है वहाँ ट्रैफिक लगभग जाम रहता है, इसलिए इस रेलवे फाटक के ऊपर से एक ब्रीज बनाया जाए ताकि ट्रैफिक की समस्या का समाधान हो सके।
4. भावनगर जिला में एक गरियाधार नामक तालुका है, जिसकी आबादी, 2 लाख से ज्यादा है और यहां आज तक रेलवे की लाईन तक नहीं बिछाई गई है, जो एक बहुत ही शर्मनाक है।

***श्री वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़)** : रेलवे की सप्लीमेंटरी अनुदान मांगों पर चर्चा हो रही है आज भी देश के बहुत से क्षेत्र रेल सुविधाओं से वंचित है जिससे वहां का आर्थिक विकास ठीक से नहीं हो पा रहा है। मध्य प्रदेश में बुन्देलखंड के टीकमगढ़, छतरपुर एवं पन्ना जिले ऐसे ही स्थान है जहां के लोग रेल सुविधाओं को प्रारम्भ करने की लंबे समय से मांग करते चले आ रहे हैं। रेल विभाग द्वारा ललितपुर-सिंगरोली रेलवे लाईन की स्वीकृति इस क्षेत्र को दी गई, कार्य भी प्रारम्भ हुआ किंतु इस वर्ष के रेल बजट में मात्र 34 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया, पिछड़े क्षेत्रों की अपूर्ण रेल लाइनों को प्राथमिकता से पूरा करके ज्यादा राशि का आबंटन करना चाहिए। ललितपुर-सिंगरोली रेल

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

लाईन भी पिछड़े क्षेत्रों की ऐसी ही योजना है, इस मार्ग पर रेल चलने से रोजगार के अवसर तो बढ़ेंगे ही, शिक्षा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय योगदान रेलों का होगा। व्यापार का भी विस्तार होगा, जिससे आर्थिक उन्नति का मार्ग भी प्रशस्त होगा। साथ ही, इस क्षेत्र के ओरछा, खजुराहो, जटाशंकर, भीमकुंड जैसे स्थानों का भी धार्मिक एवं पर्यटन की दृष्टि से पर्यटकों को ज्यादा संख्या में आकर्षित करने में सफल होंगे।

दिल्ली से खजुराहो के लिए शताब्दी एक्सप्रेस जैसी ट्रेन आगरा, ग्वालियर, झांसी, ओरछा, हरपालपुर पर स्टापेज देते हुए चलायी जाना चाहिए। ओरछा एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है जहां सभी एक्सप्रेस ट्रेनों का स्टापेज किया जाना चाहिए तथा झांसी–महोबा–मानिकपुर रेललाईन का दोहरीकरण शीघ्र किया जाना चाहिए तथा इस मार्ग के सभी प्रमुख स्टेशनों पर प्लेटफार्म नं. 2 भी बनाये जाना चाहिए एवं फुट ओवर ब्रिज भी बनाना चाहिए। निवाड़ी हरपालपुर मऊरानीपुर में रेलवे ओवर ब्रिज की मांग लम्बे समय से की जा रही है वह भी शीघ्र प्रारंभ किया जाना चाहिए। तुलसी एक्सप्रेस का निवाड़ी में स्टापेज किया जाना चाहिए। हरपालपुर में स्टेशन पर स्थित वी.आई.पी. रूम का नवीनीकरण एवं वातानुकूलन होना चाहिए हरपालपुर स्टेशन पर विद्युत व्यवस्था का सुधार एवं अच्छी क्वालिटी का जनरेटर लगाना चाहिए। निवाड़ी एवं हरपालपुर स्टेशनों पर कम्प्यूटर द्वारा आरक्षण की सुविधा दी जानी चाहिए। नौगांव शहर में रेलवे आरक्षण हेतु लंबे समय से मांग की जा रही है वहां यह सुविधा शीघ्र प्रारंभ होनी चाहिए। राजधानी एवं शताब्दी ट्रेनों में दिये जा रहे भोजन की गुणवत्ता को सुधारा जाना चाहिए। भले ही दाम बढ़ाये किंतु भोजन अच्छा मिलना चाहिए ताकि लंबी दूरी के यात्रियों को अच्छा भोजन मिल सके। जी. टी. एक्सप्रैस गौडवाना एवं अन्य ट्रेनों के द्वितीय ए. सी. डिब्बों में दिये जाने वाले तकियों के साइज एवं मोटाई भी ठीक नहीं है वह अच्छे किस्म के दिये जाने चाहिए।

[अनुवाद]

***श्रीमती पूनम वेलजीभाई जाट (कच्छ)** : कच्छ एक बहुत बड़ा जिला है जहां अनेक उद्योग हैं और गांधीधाम और भुज जैसे शहरों में भारतभर के लोग रहते हैं। भुज में बहुत से लोग रह रहे हैं जो मुख्यतः दक्षिण भारत से हैं। इसलिए, मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि कच्छ से आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के लिए कुछ लंबी दूरी की रेलगाड़ियां दी जाएं। हमारे यहां पूरे दक्षिण भाग के लिए केवल केरल तक के लिए ही एक ट्रेन है। पहले अहमदाबाद और बड़ौदा से भुज तक एक इंटरसिटी ट्रेन थी। लेकिन, इसे बंद कर दिया गया। इसलिए, कच्छ हेतु एक इंटरसिटी ट्रेन की आवश्यकता है। भुज नलिया के ब्राड गेज कार्य परियोजना की घोषणा काफी समय पहले की गई थी लेकिन अभी तक कार्य शुरू नहीं हुआ है। अतः, मैं नलिया और भुज के इस ब्राड गेज कार्य परियोजना को वरीयता देने का अनुरोध करती हूं। चूंकि राजधानी अहमदाबाद कच्छ से 300 कि.मी. से अधिक दूर है हम आपसे कच्छ को और अधिक ट्रेन दिए जाने का अनुरोध करते हैं। मोरबी का औद्योगिक क्षेत्र कच्छ का ही एक हिस्सा है। मोरबी में बहुत उद्योग हैं और मोरबी में समस्त भारत के लोग रहते हैं। अतः, मैं आपसे मोरबी और मुंबई के बीच एक ट्रेन दिए जाने का अनुरोध करती हूं जो कि मोरबी शहर और वहां रह रहे लोगों के लिए बहुत उपयोगी रहेगी। मांडवी शहर ने स्वतंत्रता के समय से ट्रेन के दर्शन नहीं किए हैं और 22 कि. मी. लंबे ट्रैक का निर्माण मांडवी को भारत के मानचित्र पर ला देगा क्योंकि मांडवी प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण पत्तन शहर रहा है।

***श्री के. सुगुमार** (पोल्लाची) : जब हम रेलवे की बात करते हैं तो रेलवे के प्रत्येक पहलु पर लंबी चर्चा की जरूरत होती है फिर चाहे वह हमारे देश में बराबर हो रही रेल दुर्घटनाओं, रेलवे स्टेशनों की दुर्दशा, रेलवे स्टेशनों पर चिकित्सा सुविधाओं का अभाव आदि, आदि का ही मामला क्यों न हो। मैं ऐसी चर्चा में नहीं जाना चाहता। भारत में रेल दुर्घटना एक नियमित बात हो गई है। मुझे आश्चर्य है कि भारत में एक महीने में कई बड़ी दुर्घटनाएं हुई। हर बार जांच बिठाते हैं या करते हैं, लेकिन जांच की रिपोर्ट या सुझावों को कभी भी कार्यान्वित नहीं किया जाता। केवल रेल दुर्घटनाओं के कारण ही पिछले दो दशकों में रेलवे को 10,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से इस समस्या पर विशेष ध्यान दिए जाने का अनुरोध करता हूं। इस पर भाग लेते हुए, मैं यहां पर एक विषय के बारे में बताना चाहूंगा जो कि मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित है।

कोयंबतूर–दिंडीगुल रेल लाइन के आमान परिवर्तन का कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है जिससे राज्य के दक्षिणी जिलों

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

के लोग बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। इस औद्योगिक केन्द्र के अधिकांश श्रमिक इन जिलों से हैं और घर और कार्यस्थल के बीच यात्रा के लिए इन्हें सड़क परिवहन पर निर्भर रहना पड़ता है। पर्यटकों का आगमन भी सीमित रह गया है।

चेन्नई के बाद दक्षिण रेलवे में कोयंबतूर दूसरा सबसे बड़ा राजस्व अर्जित करने वाला शहर होने के बावजूद भी, आमान परिवर्तन कार्य की धीमी गति और अपर्याप्त बजटीय आवंटन के फलस्वरूप उस क्षेत्र की रेलवे द्वारा उपेक्षा, एक अन्य उदाहरण है।

मीटर–आमान को ब्रॉड–आमान में परिवर्तित करने से पोल्लाची और उडुमलपेट जैसे मुख्य कृषि–क्षेत्रों को रेल संपर्क प्राप्त होगा। इससे प्रसिद्ध धार्मिक स्थल पलानी में भी रेल–संपर्क उपलब्ध होगा। जब इस क्षेत्र में मीटर आमान का रेलपथ था, तो भी यहां से चेन्नैई–एग्मोर के लिए रेल–सेवाओं की कमी थी। पोललाची/पलानी से बरास्ता डिंडिगुल और तिरूचिरापल्ली रेल–सेवा देना व्यवहार्य है। एक बार इस रेल–खण्ड में काम पूरा होने और रेल–सेवा शुरू होने पर बसो पर आश्रितता कम हो जाएगी।

कोयम्बटूर–मदुरै रेल पथ 160 किमी. का है और यह कोयम्बटूर और मदुरै के मध्य सबसे छोटा संपर्क–मार्ग है। डिंडिगुल से आने वाला मीटर–आमान पथ पोल्लाची से दो दिशाओं में बंट जाता है–एक पालक्कड़ (45 कि.मी.) और दूसरा पोल्लाची के लिए (40 कि.मी.)।

कोयम्बटूर और डिंडीगल के बीच बरास्ता पोडानूर और पोल्लानी और पोल्लाची से पालक्काड के बीच आमान परिवर्तन कार्य को चार पैकेजों में बाँटा गया था और यह कार्य प्रगति पर था। यह कुल दूरी 225 किमी है और कार्य की कुल लागत 900 करोड़ रु. आने की संभावना है।

वर्ष 2009–10 के दौरान, ब्रॉड आमान–परिवर्तन कार्य के लिए 31 करोड़ रु. आबंटित किए गए थे, जबकि वास्तविक व्यय 140 करोड़ रु. था। वित्तीय वर्ष 2010–11 में आबंटन 60 करोड़ रु. था जबकि कुल 175 करोड़ रु. के आबंटन की मांग की गई थी। विगत वित्तीय वर्ष में मीटर आमान को ब्रॉड–आमान में परिवर्तन करने के लिए 238 करोड़ रु. आबंटित किए गए थे जबकि कुल व्यय 554 करोड़ रु. हुआ था। चालू वर्ष में 550 करोड़ रु. की मांग रखी गई थी जबकि आबंटन 311 करोड़ रु. हुआ। इन कार्यों के लिए वर्ष 2010 के दौरान मांग 200 करोड़ रु. की थी और वर्ष 2011 में कार्य को पूरा करने के लिए 250 करोड़ रु. की आवश्यकता थी।

मैं समझता हूं कि दक्षिण रेलवे ने सरकार से उपरोक्त कार्य को समय पर पूरा करने के लिए अतिरिक्त और पर्याप्त आबंटन की मांग की है।

इसलिए, मैं माननीय रेल मंत्री से आग्रह करता हूं कि उपरोक्त परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए दक्षिण रेलवे को और निधियां आबंटित की जाएं। इन शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

***श्री पी. कुमार** (तिरूचिरापल्ली) : सामान्यतः प्रत्येक वर्ष माननीय मंत्री द्वारा अनेक नई परियोजनाओं की घोषणा की जाती है। परन्तु इन परियोजनाओं के पूरा होने को लेकर वास्तव में संदेह ही होता है। रेल बजट 2011–12 में तमिलनाडु राज्य हेतु अनेक परियोजनाओं और नई रेलगाड़ियों व रेल लाइनों की घोषणा की गई थी परन्तु कुछ एक को छोड़कर, अब तक और यहां तक कि वर्तमान अनुपूरक रेल–बजट में भी कोई भी परियोजना पूरी नहीं हुई है।

माननीय मंत्री जी ने पांच दूरंतो–,क्सप्रैस रेलगाड़ियों के फेरों में वृद्धि की भी घोषणा की है, लेकिन दुर्भाग्यवश माननीय मंत्री ने गरीबों के लिए चलाई जाने वाली नई गरीब रथ एक्सप्रैस ट्रेनों की घोषणा नहीं की।

मैं वर्तमान बजट में मदुरै–चेन्नै और चेन्नै–तिरूवंनतपुरम के बीच नई दूरैंतो गाड़ियों की घोषणा का स्वागत करता हूं। तिरूचिरापल्ली एक बड़ा शहर है जिसमें घनी आबादी के साथ अनेक औद्योगिक स्थल हैं। तिरूचिरापल्ली से राज्य और देश के विभिन्न भागों के लिए शुरू होने वाले रेल संपर्क–स्थल पर हमेशा काफी भीड़ होती है और इससे रेलवे को काफी राजस्व भी तिरूचिरापल्ली को भी प्राप्त होता है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि दूरंतो रेल–सेवा के लिए भी सम्मिलित करें।

माननीय मंत्री ने प्रारंभिक बजट में घोषणा की थी कि 584 स्टेशनों को आदर्श स्टेशनों के रूप में स्तरोन्नत किया जाएगा और इस वर्ष भी 236 स्टेशन सम्मिलित किए गए हैं; परन्तु वर्तमान बजट में केवल तमिलनाडु राज्य में ऐसे केवल छह स्टेशन

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

ही सम्मिलित किए गए हैं। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि आदर्श स्टेशनों के रूप में स्तरोन्नयन हेतु कम से कम पुडुकोटई, तिरूवेरूम्बुर और श्रीरंगम को तो सम्मिलित किया जाए।

साथ ही त्रिची से कन्याकुमारी, पुडुकोट्टई से चेन्नई और त्रिची से बंगलौर तक एक्सप्रेस ट्रेनों और सुपर फास्ट ट्रेनों की मांग लंबे समय से की जा रही है और हर साल हम उत्सुकता के साथ इन लाइनों की घोषणा की आशा करते हैं। हमने तंजावुर से पुडुकोट्टई के लिए एक नई लाईन की भी आशा की थी। तथापि, हमें इस बजट से भी निराशा हुई है। इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे चर्चा के पश्चात् अपने उत्तर में कुछ और नई ट्रेनों और रेलवे लाइनों की घोषणा करें। इस प्रकार, चेंगलपट्टु से विल्लुपुरम के बीच दोहरीकरण के कार्य की भी घोषणा की गई है किंतु इसका विस्तार तिरूचिरापल्ली तक किया जाना चाहिए ताकि इसका लाभ कई यात्रियों को मिल सके और इसके साथ-साथ दक्षिण रेलवे के राजस्व में भी इजाफा हो।

माननीय मंत्री जी ने मदुरै, रामेश्वरम आदि कतिपय धार्मिक स्थलों को रेलवे पर्यटन के तहत शामिल किया है। तिरूचिरापल्ली एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है जहां कई ऐतिहासिक स्थल और मंदिर हैं और इसलिए, इसे रेल पर्यटन के तहत तमिलनाडु में अन्य दो स्थानों के साथ शामिल किया जाए।

अब मैं यात्रियों की सुरक्षा और देश में रेलवे समपार के मुद्दे पर आता हूं। भारतीय रेलवे के मानव रहित रेलवे समपारों पर हो रही दुर्घटनाएं एक चिंता का विषय है। वर्तमान में, भारतीय रेल की कुल समपारों की संख्या 35,363 है जिनमें से 17,954 मानव रहित समपार हैं जहां सड़क का उपयोग करने वालों द्वारा आवश्यक साइन बोर्ड, सिगनल और मूलभूत ट्रैफिक सुरक्षा नियमों के प्रति अपर्याप्त सावधानी बरते जाने की वजह से दुर्घटनाएं होती हैं। ऐसे क्रॉसिंगो से न केवल मानव जीवन को खतरा होता है, बल्कि रेलवे को भी भारी नुकसान होता है। गत पांच वर्षों में दिसम्बर, 2010 तक, रेलवे को मानव रहित समपार पर दुर्घटना होने के कारण 780 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। कुल रेल दुर्घटनाओं का 35 प्रतिशत मानव रहित समपारों पर हुई और विशेषकर, 2009-10 में रेलवे समपार पर हुई दुर्घटनाएं भारत में हुई ट्रेन दुर्घटनाओं का 74 प्रतिशत था। इसलिए, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे पर्याप्त संख्या में लोगों को नियुक्त कर मानव रहित समपार की संख्या को कम करने के लिए कदम उठाए।

भाषण समाप्त करने से पूर्व मैं माननीय मंत्री जी को प्रायोगिक तौर पर रेलवे लाइन के बगल में रहने वाले लोगों के लिए आश्रयों की स्थापना करने के प्रस्ताव के तहत तिरूचिरापल्ली को शामिल करने के लिए धन्यवाद देता हूं और मैं पुनः मंत्री जी को त्रिची-करूर ट्रेन की बारंबारता को बढ़ाकर सप्ताह में छः दिन करने और तिरूचिरापल्ली को जोड़ने वाली जन्मभूमि गौरव नामक विशेष ट्रेन शुरू करने के लिए धन्यवाद देता हूं।

दी रॉक फोर्ट एक्सप्रेस (6177-6178) पिछले कई वर्षों से मूलतः तिरूचिरापल्ली से चेन्नई के बीच चलाई जा रही थी। आमान परिवर्तन का कार्य चलते रहने के कारण इस ट्रेन की सेवा को तंजावुर और कुंभकोनम की जनता की मांग पर बढ़ाकर कुंभकोनम तक कर दिया गया था। अब, आमान परिवर्तन का कार्य पूरा हो गया है और चैन्नई-तंजावुर और नागापट्टीनम मुख्य मार्ग पर ट्रेन सेवा कार्य पूरा हो गया है और चैन्नई-तंजावुर और नागापट्टीनम मुख्य मार्ग पर ट्रेन सेवा पुनः बहाल कर दी गई हैं इस मुख्य मार्ग पर ट्रेन सेवा पुनः बहाल करने के पश्चात दी रॉक फोर्ड एक्सप्रेस ट्रेन जिसका कुंभकोनम तक विस्तार किया गया था, को मूल कार्यक्रम के अनुसार अर्थात् तिरूचिरापल्ली-चेन्नई-तिरूचिरापल्ली के बीच ही चलायी जा रही है जिससे ट्रेन यात्रियों और मेरे संसदीय क्षेत्र के लोगों को भारी समस्या हो रही है। वे मांग कर रहे हैं कि यह ट्रेन इसके मूल निर्धारित कार्यक्रम अर्थात् तिरूचिरापल्ली-चेन्नई-तिरूचिरापल्ली के बीच चलायी जाए। मैं इस मुद्दे को लोक सभा के शून्य काल के दौरान पहले ही उठा चुका हूं।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोग और कुछ अन्य समाज कलयाण संगठन तिरूचिरापल्ली से रॉक फोर्ट एक्सप्रेस की सेवा को शुरू करने की मांग करते हुए आंदोलन कर रहे हैं। हस्ताक्षर अभियान चलाया गया था एवं मुझे एक विज्ञापन सौंपा गया जिस पर एक लाख से अधिक लोगों के हस्ताक्षर हैं।

अपने निर्वाचन क्षेत्र की मांग पूरा करने के लिए मैं रेल मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि वे तिरूचिरापल्ली-चेन्नै-तिरूचिरापल्ली रॉक फोर्ट एक्सप्रेस की सेवा प्रारंभ करने के लिए तत्काल कार्रवाई करें।

श्रीरंगम तमिलनाडु में प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है जहां पूरे देश से भारी संख्या में तीर्थयात्री आते हैं। यह तमिलनाडु की हमारी माननीय मुख्यमंत्री का विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है। श्रीरंगम में

वाइगई एक्सप्रेस के ठहराव के लिए श्रीरंगम के लोगों द्वारा बहुत पहले से की जा रही मांग लंबित है। यह मामला मेरे द्वारा शून्य काल के दौरान भी उठाया गया है जिसके लिए अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मैं रेल मंत्रालय से अपील करता हूं कि वह वाइगई एक्सप्रेस का श्रीरंगम में ठहराव देने का आदेश दें।

चोलन एक्सप्रेस (6854/6853) तिरूवेरम्बुर तथा गोल्डन रॉक से होकर तिरूचिरापल्ली से चेन्नै तक चल रही हैं बी एच ई एल एवं रेलवे कार्यशाला क्रमशः तिरूवेरम्बुर एवं गोल्डन रॉक में है। इन दो बड़े संगठनों में बहुत से कर्मचारी काम कर रहे हैं वे इन दो स्थानों से गुजरने वाले सभी एक्सप्रेस रेलगाड़ियों के ठहराव का अनुरोध कर रहे हैं। यह सही मांग है तथा मंत्री से मेरी अपील है कि वे इन दो महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर सभी एक्सप्रेस रेलगाड़ियों के ठहराव देने का आदेश दें।

तिरूचिरापल्ली तंजावुर, तिरूवरूर, नागपट्टिनम, पुडुकोट्टई, पेरेमबलुर तथा आरियालुर जिलों से घिरा है, जहां से बहुत से लोग रेलगाड़ियों से कई शहरों में जाने के लिए निकलते हैं। वर्तमान में बेंगलुरू से बरास्ता तिरूचिरापल्ली मालियादुतुरई तक मात्र एक रेलगाड़ी चल रही है जो लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। तिरूचिरापल्ली एवं तंजावुर जिला ऐतिहासिक मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है तथा पुडुकोट्टई जिला पुरातन ऐतिहासिक शहर है। तिरूचिरापल्ली बहुत बड़ा व्यावसायिक केन्द्र भी है। आम लोग एवं व्यवसायी व्यवसाय एवं व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए यहां छोड़कर बंगलुरू जा रहे हैं। वर्तमान रेलगाड़ी जो मायिलादुतुरई–बंगलुरू मलियादुतुरई चल रही है, उसमें बेंगलुरू के लिए तिरूचिरापल्ली में पर्याप्त आरक्षण कोटा उपलब्ध नहीं कराया गया है।

अब, मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को तिरूचिरापल्ली से बेंगलुरू तक सीधी जाने वाली एक रेलगाड़ी की तत्काल जरूरत है। यह मुद्दा लोकसभा के शून्य काल के दौरान भी मेरे द्वारा उठाया गया है। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की ओर से रेल मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि वे तिरूचिरापल्ली से बेंगलुरू तक एक नयी रेलगाड़ी चलाने का आदेश दें। अंत में, मैं सरकार से गुजारिश करता हूं कि वे मेरे द्वारा उपरोक्त तमिलनाडु में लंबित परियोजनाओं को भविष्य में पूरा करने पर विचार करें।

श्री आनन्द प्रकाश परांजपे (कल्याण) : सभापति महोदय, वर्ष 2010–11 के रेल बजट में 'मिशन 2020' नामक दृष्टिकोण दस्तावेज में नए मार्ग बनाने, दोहरीकरण, विद्युतीकरण, आमान परिवर्तन, आदर्श स्टेशन बनाने, बहुकार्य परिसर बनाने, विश्व स्तरीय स्टेशन बनाने आदि से संबंधित न, लक्ष्य बनाने की बहुत–सी घोषणाएं की गयी थीं। लेकिन मुझे यह कहते हुए खेद है कि इनमें से कोई भी घोषणा अब तक क्रियान्वित नहीं की गयी है।

[हिन्दी]

मंत्री जी, मैं आपका ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि जो कुछ घोषणाएं तत्कालीन रेल मंत्री जी ने की थीं, हकीमत में उनमें से किसी की भी शुरुआत नहीं हुई हैं। वर्ल्ड क्लास स्टेशन थाना में एनाउंस किया था, उसका काम शुरू नहीं हो पाया। कल्याण में एक नर्सिंग कॉलेज की एनाउंसमेंट हुई थी। वह शुरू नहीं हो पाया है और जो–जो घोषणाएं रेल बजट में की गईं, उन पर जब हम देखते हैं तो इस मत से इस सदन के सारे मेरे सहयोगी असहमति नहीं रखेंगे कि अनेक घोषणाएं हुईं, पर कोई भी प्रकल्प शुरू नहीं हो पाया है।

मुम्बई में या महाराष्ट्र में, जहां से मैं आता हूं, मध्य रेलवे और पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है। सब–अर्बन सेवाएं मुम्बई की लाइफलाइन है। 75 लाख लोग रोज लोकल ट्रेन में मुम्बई में सफर करते हैं और मुम्बई के लिए खास ध्यान रेल मंत्री जी को देना चाहिए। मुम्बई डिवीजन से मध्य रेलवे को हम 3500 करोड़ रुपया आपके राजस्व में केवल मुम्बई डिवीजन से देते हैं, लेकिन जब–जब विकास के कामों के लिए धनराशि रेल मंत्रालय से मिलनी चाहिए, वह कभी भी पर्याप्त नहीं मिलती है। अनेक योजनाएं चाहे वे पैसेंजर एमिनिटीज के अंडर टिकट विंडो हो, फुट ओवरब्रिजेज हों, सर्कुलेटिंग एरियाज हों, आज मुम्बई में अनेक विकास के काम बन्द पड़े हुए हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र कल्याण में ही अमरनाथ स्टेशन में एक फुट ओवरब्रिज बन रहा था, उसका काम बन्द है। ठाणे स्टेशन में तीसरे फुट ओवरब्रिज का काम शुरू हुआ है, लेकिन उसे भी गति नहीं मिल रही है तो अनेक विकास के काम आज ठप्प पड़े हुए हैं।

मैं मानता हूं कि मध्य रेलवे ने अपनी सुविधाएं बढ़ाई हैं, 9 डिब्बे की जो लोकल चलती थी, वह लगभग सारी 12 कोच रैक्स हो चुके हैं, लेकिन जो विकास की गति मुम्बई के लिए आवश्यक है, उसमें कहीं न कहीं रेलवे पीछे जा रही है। रेलवे

में जितने सारे प्रकल्प हैं, जो मुम्बई में शुरू हैं, अनेक बार उनके बारे में घोषणाएं होती हैं, पिछले बजट में मेरे संसदीय क्षेत्र में ठाकुरली में 700 मैगावाट का गैस बेस्ड पावर प्लांट कैप्टिव कंजम्शन के लिए लगाने की घोषणा हुई थी, लेकिन आज तक उसके बारे में क्या हुआ, यह किसी को जानकारी नहीं है।

मध्य रेलवे में कल्याण जंक्शन एक बहुत बड़ा जंक्शन है, जो मुम्बई के आउट स्कर्ट्स में है। मुम्बई को सम्पूर्ण भारत से जोड़ने वाला यह जंक्शन है, चाहे दिल्ली हो, कोलकाता हो, गुवाहाटी हो, हैदराबाद हो, चैन्नै हो, पूरे मुम्बई को सम्पूर्ण भारत से जोड़ने वाला यह जंक्शन है। वहां पर अनेक वर्षों से लोगों की मांग है कि एक न्यू कोचिंग टर्मिनल कल्याण जंक्शन में बने। हर रेल बजट में मुम्बई में आने वाली ट्रेनों की संख्या बढ़ रही है। एक समय ऐसा आयेगा कि मुम्बई में आने के लिए कोई ट्रैक खाली नहीं रहेगा, इसलिए मेरी मांग है कि माननीय मंत्री जी इस संसद् अधिवेशन के बाद और बजट सैशन के पहले अगर मुम्बई में आते हैं और मुम्बई के सारे सांसदों की एक बैठक मुम्बई में लेते हैं तो बहुत अच्छा होगा। खासकर मैं कल्याण जंक्शन में आने का उनको न्यौता देता हूं, ताकि कल्याण में न्यू कोचिंग टर्मिनल बने, इस प्रकार की घोषणा अगर वे आने वाला बजट में करेंगे तो काफी राहत कल्याण के लोगों को होगी।

दो पाइंट और बोलकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। आर. ओ.बी. के मामले में अनेक बार यहां पर चर्चा हुई। रेलवे में रोड ओवर ब्रिजेज शुरू होते हैं और 5, 6, 7 साल तक वे प्रकल्प चलते रहते हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र में कलवा और मुमरा के बीच में खारीगांव के पास एक आर.ओ.बी. का प्रस्ताव मुम्बई डिवीजन ने दिया था। उसके बारे में आज तक कुछ नहीं हुआ। उसी बारे में डोम्बीवली और ठाकुरली के बीच में एक आर.ओ. बी. का प्रस्ताव था, यह जो आर.ओ.बी. बनेगा, वह रेलवे के फायदे में है, क्योंकि उनका जो पावर प्लांट आने वाला है, उसको जाने वाली यह रोड है।

ये कुछ मेरी बातें थीं मुझे विश्वास है कि मंत्री जी बजट सैशन के पहले मुम्बई में आकर सारे सांसदों की मीटिंग लेंगे।

***श्री कपिल मुनि करवारिया** (फूलपुर) : जनवरी, 2013 में इलाहाबाद (प्रयाग) का महाकुंभ मेला आयोजित है जिसमें देश व

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

विदेश के करोड़ों लोग इलाहाबाद आते हैं। इलाहाबाद रेलवे स्टेशन के साथ ही साथ प्रयागघाट, दारागंज, झूँसी, फाफामऊँ, नैनी, सुबेदारगंज के रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं का अभाव है। उक्त स्टेशनों पर लाखों यात्रियों के आने-जाने की व्यवस्था संभव नहीं है। यानी सुविधाओं की व्यवस्था उपरोक्त स्टेशनों पर होना आवश्यक है।

यातायात की सुचारु व्यवस्था हेतु शहरी क्षेत्र में सलोरी और तेलियरगंज में तथा ग्रामीण क्षेत्र में फूलपुर व सराय गोपाल में रेलवे ओवर ब्रिज की नितांत आवश्यकता है।

कृपया वर्ष 2013 में आयोजित महाकुंभ को देखते हुए उपरोक्त कार्यों को कराने का कष्ट करें।

***श्रीमती जयश्रीबेन पटेल** (महेसाणा) : सरकार इंडस्ट्रीयल कोरीडोर विद दी वेसटर्न डेडीकेटड फ्राइट कोरीडोर विकसित करने जा रही है, उसकी हाल की स्थिति/प्रगति बताए सरकार कंडला-भिलड़ी-जोधपुर-भटिंडा सेक्टर पर डबल स्टेक कंटेनर गाड़ी चलाने जा रही है, उसकी वर्तमान प्रगति क्या है? रेलवे ट्रैक के पास रहने वालों के लिए सरकार "सुखी गृह योजना" शुरू करने का सोच रही है एवम् 10,000 मकानों का लक्ष्य है, इस संबंध में वर्तमान प्रगति क्या है? रेलवे स्कूलों में शिक्षकों की कमी है एवम् शिक्षण स्तर भी ठीक नहीं है। अतः सरकार ने शिक्षकों की भर्ती एवम् शिक्षण स्तर ऊपर उठाने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं? शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों को राजधानी तथा शताब्दी में किराए में सहूलियत देने का सरकार का इरादा है। सरकार को इससे होने वाला व्यय कितना है? "जन्म भूमि गौरव" जो ऐतिहासिक, शैक्षणिक तथा महत्त्व के स्थानों को समुचित करने वाली "रेल" को संचालित करने जा रही है, उसकी वर्तमान प्रगति क्या है? तत्काल टिकट में होने वाले भ्रष्टाचार से सरकार को कितनी वित्तीय हानि हुई है? सरकार प्लेटफार्म तथा रेलवे टिकट में बढ़ावा करने का विचार कर रही है, इससे गरीब और मध्यम वर्ग को मार झेलनी पड़ेगी। गुजरात में पश्चिम रेलवे हेडक्वार्टर की डिमांड बहुत पुरानी हैं इस विषय में सरकार द्वारा किए गए प्रयास क्या हैं? गुजरात को रेल बजट के तहत कितनी रकम आवंटित की गई है, रेलवे समपारों पर चौकीदार न होने की वजह से कितनी ही दुर्घटनाएं घटती रहती हैं। इन दुर्घटनाओं को रोकने हेतु समपारों पर चौकीदारों की उपस्थिति क्या है? दुर्घटनाओं में कितने लोगों की जानें गई-उसका ब्यौरा दें।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

अहमदाबाद को पिछले बजट में वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने का दर्जा दिया गया था, मगर कोई प्रगति नहीं हुई है। रेल गाड़ियों में सफाई की हालत खस्ता है तथा आये दिन होने वाले हादसों से सुरक्षा के लिए जो रकम नियत की गई वह भी अभी तक आबंटित नहीं हुई है।

गुजरात में रेलवे टिकट का कोटा बढ़ाना था तथा कलोल, कड़ी, बेचराजी, रनुज, ब्रोडगेज में कोई प्रगति नहीं हुई है। सम्पारों को बड़ा करने के मामले मेरे नियोजित क्षेत्र महेसाना में अभी तक लंबित पड़े हैं। गांधीनगर जो गुजरात की राजधानी है वहां पर सिर्फ 4 ही ट्रेनें दी है। वहां पर ट्रेनों का यातायात बढ़ाया जाए।

डेमो–मेमो में बच्चों, बूढ़े और महिलाओं के लिए टॉयलेट की सुविधा नहीं है उसमें यह सुविधा उपलब्ध करायी जाए। उंझा–महेसाना से गुजरने वाली सभी गाड़ियों को स्टॉपेज मिले तथा महेसाना, पालनपुर से सूरत–मुंबई के लिए नई गाड़ियां चलाई जाए। रेलवे कॉरीडोर के मामले के बारे में किसानों, व्यापारियों तथा अन्य लोगों के बीच जो दुविधा बनी हुई है उसे दूर किया जाए तथा रेल गाड़ियों में नमक वहन हेतु कंटेनरों को बढ़ाया जाए। बहुचराजी, महेसाना जिला गुजरात का बहुत बड़ा धार्मिक शक्ति स्थल है। वहां पर सिर्फ एक ही ट्रेन चलती है। मेरा अनुरोध है कि उसमें बढ़ावा किया जाए।

हमने रेलवे बोर्ड, रेलवे हैड क्वार्टर, चर्च गेट, डी.आर.एम. अहमदाबाद को जब–जब रेलवे सुविधा के तहत स्टॉपेज वगैरह बात लिखी हैं तब–तब वाणिज्य पहलू को नजर में रखते हुए हमारी बात को ध्यान में नहीं लिया गया है। पूर्व रेल मंत्री माननीय ममता जी द्वारा प्रेरित रेल बजट में मां, माटी और मानुष की बात करके रेलवे को सिर्फ वाणिज्यिक और आर्थिक पैमाने पर नहीं तौला जाना चाहिए बल्कि उसे सामाजिक तौर पर भी तौले जाने की बात को अग्रता दी थी। उस आदर्श को नजर समझ रखकर हमारी मांगों को रेलवे मंत्री को पूरी करनी चाहिए।

***भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी** (संत कबीर नगर) : आज वर्ष 2011–12 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों (रेल) पर चर्चा चल रही है। कई माननीय सांसदों ने इस पर अपने विचार रखे हैं। आज रेल प्रशासन द्वारा यात्री सुविधाओं को दरकिनार कर सिर्फ मुनाफे का सोचा जा रहा है। रेलवे ट्रैकों की सुरक्षा नहीं होने के कारण देश में आये दिन दुर्घटना हो रही है। मेरा मानना है कि यात्री सुविधा तथ इनकी सुरक्षा अति महत्त्वपूर्ण है और सरकार को इस पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। बहुत सी ऐसी सुपरफास्ट रेलगाड़ियाँ हैं जिसमें कैटरिंग की सुविधा नहीं होने के कारण यात्रियों को काफी परेशान का सामना करना पड़ता है। अतः सभी सुपरफास्ट रेलगाड़ियों में कैटरिंग की सुविधा उपलब्ध करायी जाय।

मेरे संसदीय क्षेत्र में महान संत कवि कबीरदास जी की निर्वाण स्थली है तथा इस रूट पर एक भी राजधानी गाड़ी नहीं है जिससे यहां आने वाले तीर्थयात्रियों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है। वर्ष 2011–12 के रेलवे बजट में खलीलाबाद तथा मगहर को आदर्श स्टेशन में विकसित करने के सूची में रखा गया था। परंतु मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि इस संदर्भ में अभी तक कोई कदम नहीं उठाये गये हैं। दो महीने के बाद फिर रेल बजट पेश होगा। कुछ और आदर्श स्टेशनों की घोषणा होगी और पिछला पेनडिंग में रह जायेगा। मेरा आग्रह है कि खलीलाबाद तथा मगहर को आदर्श स्टेशन बनाने का कार्य अतिशीघ्र शुरू किया जाय।

मैंने माननीय मंत्री जी को कई बार पत्र लिखकर निम्नलिखित ट्रेनों के ठहराव के लिए आग्रह किया था परंतु अभी तक इस संदर्भ में सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है। मेरा आग्रह है कि निम्नलिखित ट्रेनों का ठहराव खलीलाबाद स्टेशन पर सुनिश्चित किया जायः–

गाड़ी की संख्या		गाड़ी संख्या
12541 अप	–	12542 डाउन
15212 अप	–	15211 डाउन
15005 अप	–	15006 डाउन
12587 अप	–	12588 डाउन

मैं मंत्री जी का ध्यान मगहर रेलवे स्टेशन के रेलवे फुट ओवरब्रिज की तरफ दिलाना चाहूंगा जो सिर्फ दो रेल ट्रैक को ही कवर करती है तथा एक ट्रैक को यात्रियों को जान जोखिम में डालकर पार करना पड़ता है जिससे कई बार दुर्घटना, हो चुकी हैं तथा कितने लोगों की असामायिक मौत हो चुकी है।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

अतः सरकार से मेरा आग्रह है कि मगहर रेलवे ओवरब्रिज को पूरा किया जाय जिससे कि वहां यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। मैं एक और अति महत्त्वपूर्ण विषय पर ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि जिला संत कबीरनगर के जनता की एक पुरानी मांग है कि खलीलाबाद स्टेशन (गेट नं. 180) पर एक फ्लाईओवर का निर्माण किया जाय। यह गेट नं. 180 ज्यादा समय बंद रहता है। तीव्रगामी रेलगाड़ियों की आवाजाही से तथा वहां की जनता घंटों गेट खुलने की प्रतीक्षा में अपने बैलगाड़ी, चौपायों के साथ खड़े रहते हैं। अतः खलीलाबाद रेलवे स्टेशन के पास गेट नं. 180 पर एक फ्लाईओवर का निर्माण अतिशीघ्र कराने की कृपा की जाये जिससे वहां की लाखों जनता को सुविधा हो सके।

[अनुवाद]

***श्री ई.जी. सुगावनम** (कृष्णागिरी) : यूपी, सरकार के शासनकाल के दौरान भारतीय रेलवे ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं और इसमें काफी विस्तार हुआ है। यात्रियों की संख्या और माल ढुलाई में काफी वृद्धि हुई है। तथापि, देश के विभिन्न भागों में हाल में हुए धरना, आन्दोलन और प्राकृतिक आपदा यथा बाढ़, कोहरा की स्थिति के कारण रेल यातायात में बार–बार की बाधाओं में रेलवे की अपेक्षित वृद्धि स्तर को प्रभावित किया है।

बढ़ती रेलवे दुर्घटनाओं और इसकी सुरक्षा रेलवे के लिए एक बड़ा खतरा है। हाल ही में, बड़ी संख्या में मानव रहित समपार के होने, रेलवे अधिकारियों की लापरवाही और उपेक्षा के कारण दुर्घटनाओं में वृद्धि हुई है और इसके परिणामस्वरूप मृतकों और घायलों की संख्या में वृद्धि हो रही है। पीड़ितों को उचित मुआवजा और रेलवे द्वारा दिए गए आश्वासन के अनुसार रोजगार भी नहीं दिया जाता है। इसलिए, बढ़ती रेल दुर्घटनाओं को रोकने के लिए तत्काल ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। बड़े पैमाने पर मानव रहित समपार को मानवीकृत किया जाए और चरणबद्ध तरीके से टक्कर रोधी उपकरण ला,ग जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त, दुर्घटनाओं से बचने के लिए रेलवे को अधिक से अधिक अंडर–पास, सीमित उंचाई वाले सब–वे, रेल ओवर ब्रिज और रेल अंडर ब्रिज इत्यादि का निर्माण करने के लिए कदम उठाना चाहिए। रेलवे सुरक्षा बल को और मजबूत करना चाहिए और इसमें सुधार करना चाहिए और सुरक्षा से जुड़े सभी पदों को यथाशीघ्र भरा जाना चाहिए।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

स्वच्छता और सफाई रेलवे की सबसे बड़ी कमी है। रेलवे स्टेशनों और परिसरों में स्वच्छता की कमी के बारे में शिकायतें बढ़ रही हैं। लगातार शिकायतों के बावजूद इस संबंध में अब तक कोई कदम नहीं उठाए गए। अक्सर रेलवे द्वारा परोसा जाने वाला भोजन भी अस्वास्थ्यकर होता है। इसके परिणामस्वरूप, विशेषकर लंबी दूरी के यात्रियों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है और वे यात्रा के दौरान खाने के लिए रेलवे के भोजन पर निर्भर होते हैं। रेलवे में परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने चाहिएं और इसके अतिरिक्त गुणवत्ता पूर्ण भोजन सुनिश्चित करने के लिए औचक निरीक्षण भी किया जाए और नियमों के उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए।

मेरे कृष्णागिरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र/जिले के संबंध में मेरी एक लंबे समय से लंबित मांग है। मेरे कृष्णागिरी जिले के लोग रेल लिंग के मुख्यधारा वाले संपर्क से कटे हुए हैं। जोलारपेट और होसुर के बीच रेल संपर्क एक दूर का सपना है। इसे ध्यान में रखते हुए वर्ष 2004 से मैं इस नए रेल लाइन की मांग करता रहा हूं और समय–समय पर मैंने इस मामले को लोक सभा और अन्य मंचों पर इसे उठाया है। इस आधार पर रेलवे द्वारा एक सर्वेक्षण का आदेश दिया गया और दिनांक 27.05.2008 को रेलवे बोर्ड को इसकी रिपोर्ट सौंपी गई थी जिसमें 558.24 करोड़ रुपए का अनुमानित खर्च बताया गया था। बाद में, लगातार की जा रही मांग को ध्यान में रखते हुए फरवरी, 2010 के रेल बजट भाषण के दौरान जोलारपेट–त्रिरूपथूर–कंडीली–बरूगुर–ओरप्पम–कृष्णागिरी–सुलागिरी–होसुर (101 किमी.) के बीच नई रेल लाईन की घोषणा की गई। तत्पश्चात, रेलवे बोर्ड की सलाह के अनुसार एक अद्यतन सर्वेक्षण पूरा किया गया और इसकी रिपोर्ट दिनांक 31.01.2011 को भेज दी गई और इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत 687.92 करोड़ रुपए है।

तथापि, परियोजना शीघ्र शुरू किए जाने हेतु कोई पर्यात धनराशि स्वीकृत नहीं की गई थी। क्योंकि निर्यात किए जाने वाले अधिकांश उत्पाद जैसे–फल, सब्जियां, फूल, इलैक्ट्रॉनिक वस्तुएं और अन्य शीघ्र खराब होने वाले यहां से उत्पादित उत्पाद सड़क अथवा हवाई मार्ग से देश के विभिन्न भागों को भेजे जाते हैं इस मार्ग पर रेल, संपर्क का अभाव जिले के औद्योगिक विकास में अडचन है। मैं माननीय मंत्री जी से इस नई रेल लाइन अर्थात् जोलारपेटई–होसूर (10 किमी.) के लिए पर्याप्त धनराशि

आवंटित करने का विनम्र निवेदन करता हूं और इसे बिना किसी विलंब के आरम्भ करें।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र कृष्णागिरी में समालपट्टी एक महत्वपूर्ण स्टेशन है। परन्तु महत्वपूर्ण रेलगाड़ियों का ठहराव नहीं होने के कारण यहा रहने वाले लोगों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस स्टेशन पर सभी मेल एक्सप्रेस रेलगाड़ियों का ठहराव दिए जाने की काफी लम्बे समय से मांग की जा रही है। मैं माननीय मंत्री जी से समालपट्टी रेलवे स्टेशन पर सभी रेलगाड़ियों का ठहराव प्रदान करने का निदेश दिए जाने का आग्रह करता हूं।

मेरी दूसरी महत्वपूर्ण मांग बैंगलोर–नागारकोइल एक्सप्रेस साप्ताहिक रेलगाड़ी को वाया मुदरई–होसुर प्रतिदिन चलाया जाए। मौजूदा दैनिक रेलगाड़ी सं. 16525/16526 944 किमी. की दूरी तय करने में घुमावदार मार्ग से जाते हुए 21 घंटे लेती है, जबकि इसे 720 किमी. के सबसे छोटे मार्ग से वाया नगरकोइल त्रिनुवेल्ली, मदुरई, सलेम और होसुर चलाया जा सकता है और यह दूरी 14 घंटे में पूरी की जा सकती हैं क्योंकि यहां कोई छोटा रेल मार्ग नहीं है इसलिए लोगों को अपनी सुरक्षा सुख–सुविधा से समझौता कर अधिक भाड़े पर बस में यात्रा करनी पड़ती है।

मैं माननीय रेल मंत्री जी से इस दैनिक रेलगाड़ी (16537/16538) को प्राथमिकता के आधार पर सुविधाजनक समय पर चलाने की मांग पर विचार करें, जिससे कि तमिलनाडु और पड़ोसी राज्यों के दक्षिण जिलों के दैनिक यात्रियों को सुविधा हो सके।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अनुपूरक अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सी. राजेन्द्रन (चेन्नई दक्षिण) : सभापति महोदय, वर्ष 2011–12 की अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल) पर चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका आभारी हूं।

देश के रेल बजट में अनेक परियोजनाओं और सेवाओं की घोषणा की गई है। यद्यपि मैं नई सेवाओं संबंधी घोषणाओं का स्वागत करता हूं, मैं यह याद दिलाना चाहता हूं कि कई वर्ष पूर्व स्वीकृत की गई अनेक परियोजनाएं और तमिलनाडु में निर्माणाधीन परियोजनाएं अभी तक पूरी नहीं हो पाई हैं।

ये सभी परियोजनाएं निधियों के अभाव में निलंबित हैं, जिसके कारण इनकी लागत में और वृद्धि हो रही है। मैं दक्षिण चेन्नई का प्रतिनिधित्व करता हूं, जहां निर्माणधीन जनद्रुत परिवहन व्यवस्था परियोजना निधियों के अभाव के कारण अभी तक पूरा नहीं हो पायी है। जब निर्माणाधीन परियोजनाएं अभी तक पूरी नहीं हो पाई हैं, तो रेलवे अन्य नई परियोजनाएं और नई रेलगाड़ियां कैसे शुरू करेगा? इसलिए मुझे सन्देह है कि ये केवल घोषणाएं बनकर ही रह जाएंगी अथवा ये परियोजनाएं पूरी होंगी भी अथवा नहीं।

जब कोई रेलवे के बारे में बात करता है, तो सबसे पहले हमारे मन में सुरक्षा का विचार आता है। विगत में हमने कई रेल दुर्घटनाएं देखी हैं। उस समय यह बताया गया कि भारतीय रेलवे में यदि टक्कररोधी उपस्कर लगे होते, तो हम ऐसी बड़ी दुर्घटनाओं से बच सकते थे। परन्तु हमें नहीं पता कि ऐसे उपस्कर खरीदने के लिए पर्याप्त आवंटन किया गया है अथवा नहीं और हमें नहीं मालूम कि पूरे रेल नेटवर्क में इन्हें स्थापित किया जाएगा अथवा नहीं। रेलवे में इस प्रकार के उपस्कर लगाना एक बड़ी कवायद होगी और इसके लिए भारी धनराशि खर्च करनी पड़ेगी, परन्तु यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह जरूरी है। मैं माननीय मंत्री जी से इसके लिए अधिकतम धन आवंटन करने और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निवेदन करता हूं।

हम अक्सर चलती रेलगाड़ियों में लूट और चोरी, यात्रियों को गम्भीर रूप से घायल करने यहां तक कि मौत के घाट उतारने वाले तक के बारे में सुनते हैं। इस पर गम्भीरता से ध्यान दिया जाना चाहिए। रेलवे को रात के समय प्रत्येक सवारी डिब्बे में आर.पी.एफ. अथवा सी.आर.पी.एफ. कार्मिकों की तैनाती के बारे में विचार करना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो रेलवे को इस प्रयोजन के लिए और अधिक कार्मिकों को भर्ती करना चाहिए, जिससे कि यात्री सुरक्षित महसूस कर सकें।

मेरे दिमाग में आने वाली दूसरी बात स्वच्छता के बारे में है। संपूर्ण भारतीय रेल–रेलवे प्लेटफार्म, कोचों या रेलगाड़ियों में स्वच्छता का अभाव है। हमें रेलवे स्टेशनों और प्लेटफार्मों पर स्वच्छता की कमी संबंधी अनेक शिकायतें प्राप्त होती हैं। यह अधिकांश चालू रेलगाड़ियों की स्थिति है जिसमें प्रतिष्ठित दुरांतों

और राजधानी रेलगाड़ियां भी सम्मिलित हैं। रेल मंत्री कृपया इसे देखें और आवश्यक कार्यवाही करें।

रेलगाड़ियों में दिया जाने वाला भोजन अच्छी गुणवत्ता का नहीं है। हमें हमेशा शिकायतें प्राप्त होती हैं कि घटिया गुणवत्ता का भोजन उच्च दरों पर प्रदान किया जाता है। हमने पिछले वर्ष सुना कि तत्कालीन रेल मंत्री ने भी भारतीय रेल द्वारा प्रदान किए जा रहे भोजन की घटिया गुणवत्ता के बारे में वक्तव्य दिया था और उन्होंने कहा था कि वे रेलवे में एक नई खानपान नीति लाएंगी। परन्तु इस संदर्भ में कुछ खास नहीं हुआ है इसलिए मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि कृपया इस पर गंभीरतापूर्वक आवश्यक कार्यवाही करें।

चेन्नई में हमारे पास आरटीएम परियोजना है। इसे अब तक केवल वेलाचरी तक विस्तारित किया गया है। इस परियोजना को 30 वर्ष पूर्व स्वीकृत किया गया था और इसे अभी और अनुवर्ती रेल बजटों में इस हेतु काफी कम आवंटन किए जाने के कारण इसे अभी तक भी पूरा नहीं किया गया है। इसे सैंट–थॉमस माउन्ट तक जाना था। अब तक केवल 80 प्रतिशत कार्य पूरा हुआ है और इस परियोजना के शेष 20 प्रतिशत कार्य को पूरा किए जाने की आवश्यकता है। हम अनुरोध करते हैं कि और अधिक निधियों के आवंटन के साथ इसे इस वर्ष पूरा किया जाए।

यहां उत्तर भारत में विशेषकर सुदूर दक्षिण से लोगों के कारण तमिल जनसंख्या अच्छी खासी है। कई हजार यात्री प्रतिदिन नई दिल्ली से तमिलनाडु के दक्षिणी भागों की यात्रा करते हैं। उन्हें शीघ्र घर वापस जाने में काफी परेशानियां होती हैं। इन दिनों वे चेन्नै सैन्ट्रल रेलवे स्टेशन पर उतर जाते हैं और दक्षिणी जिलों को जोड़ने वाली रात्रि रेलगाड़ियां लेते हैं, उनका पूरा एक दिन चेन्नै में बर्बाद होता है। ऐसी मांग है कि नई दिल्ली से कन्याकुमारी वाया विल्लुपुरम, त्रिची और मदुरै के मध्य एक नियमित दैनिक रेल होनी चाहिए। ऐसी भी मांग है कि पांडिचेरी से बंगलुरू वाया जोलारपेट और कृष्णागिरी एक नई रेल लाइन होनी चाहिए और कोयम्बटूर से चिदंबरम वाया सलेम, विरुद्धचलम और कुड्डालोर के लिए भी एक नई रेल लाइन होनी चाहिए। मैं माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इन मांगों पर विचार करें और इन प्रस्तावों को अगले वर्ष के रेल बजट में शामिल करें।

दो उभरते हुए शहरों नामतः कोयम्बटूर और मदुरै के कारण तमिलनाडु के महत्व पर विचार करते हुए निम्नांकित स्थानों को जोड़ते हुए इन दोनों शहरों के लिए उपनगरीय रेलवे ट्रेनों को प्रारंभ किए जाने की आवश्यकता है–(i) कोयम्बटूर इरोड़ (ii) कोयम्बटूर–पोलाची, (iii) मदुरै–विरुद्धनगर और (ii) मदुरै डिंडीगुल। इन उपनगरीय रेल परियोजनाओं को स्वीकृत करने से इन दोनों शहरों में भीड़ कम होगी और इन शहरों के लोगों को सुविधा प्रदान करने के अतिरिक्त इससे रेलवे को अधिक राजस्व प्राप्त होगा।

पिछले काफी समय से तिरूसूलम रेलवे स्टेशन पर मेल/एक्सप्रेस रेलगाड़ियों के ठहराव हेतु जोरदार मांग की जाती रही है।

अपराह्न 4.00 बजे

तमिलनाडु के दक्षिणी जिलों से लोग शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें चेन्नई हवाई अड्डे से घरेलू उड़ान लेने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यदि तिरूसूलम रेलवे स्टेशन पर दोनों ओर आने जाने वाली सभी रेलगाड़ियों का दो मिनट के लिए ठहराव कर दिया जाए तो इससे बचा जा सकता है।

काफी लंबे समय से मांग की जा रही है कि एक नई लाइन या फ्लाईओवर बनाकर एग्मोर और चेन्नै रेलवे स्टेशनों को जोड़ा जाए। रेल मंत्री इस मांग पर विचार करें।

चेन्नई की जनसंख्या तंबरम और चेन्नै समुद्रतट के मध्य उपनगरीय रेल नेटवर्क पर काफी निर्भर करती है।

सभापति महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री सी. राजेन्द्रन : महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं।

महोदय, टिकट काउंटरों की वर्तमान अवसंरचना आवश्यकता के अनुरूप नहीं है। कोदमबकम, मम्बलम, गुंडी और सैडापेट स्टेशनों पर हमेशा यात्रियों की भारी भीड़ देखी जा सकती है। कम से कम सुबह के समय अतिरिक्त टिकट काउंटरों की आवश्यकता है।

उपनगरीय चेन्नई से क्रॉम्पेट रेलवे स्टेशन एक बहुत बड़ा केन्द्र बन रहा है। इस क्षेत्र में जनसंख्या बढ़ रही है और इस क्षेत्र के काफी बड़े होने के कारण लोगों को क्रॉम्पेट रेलवे स्टेशन

से बस स्टैण्ड पहुंचने में काफी परेशानी होती है। इसलिए मैं अनुरोध करता हूं कि भीड़ को कम करने और आसान संपर्क हेतु लिफ्ट वाला एकफुट ओवरब्रिज बनाया जाये।

यात्रा करने वाले लोगों से निरंतर शिकायतों प्राप्त हो रही हैं कि रेलवे तांबरम और चेंगालपेट के मध्य नौ डिब्बों वाली रेल चलाएं और यात्री शिकायतें करते हैं कि उन्हें पता नहीं चलता कि यह नौ डिब्बों वाली रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर कब प्रवेश करने जा रही है। इस स्थिति से बचा जा सकता है कि यदि डिब्बों की संख्या के बारे में संबंधित रेलवे स्टेशन पर उचित घोषणा की जाए।

मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इन मांगों पर विचार करें और तमिल लोगों के सपनों को पूरा करें।

अपराह्न 4.02 बजे

(श्री इन्दर सिंह नामधारी *पीठासीन हुए)*

[हिन्दी]

***श्री के.सी. सिंह 'बाबा'** (नैनीताल–उधमसिंह नगर) : मैं माननीय रेल मंत्री का ध्यान उत्तराखण्ड में रेल सेवा विस्तार के लिए वर्ष 2011–12 की रेलवे की अनुपूरक अनुदान की मांग में निम्न प्रावधान रखने के लिए अनुरोध करना चाहता हूँ।

काशीपुर से जसपुर के लिए रेल लाइन का निर्माण करने की आवश्यकता है जिससे उत्तराखण्ड का एक भाग उत्तर प्रदेश में धामपुर को छूता है, इस रेललाइन का निर्माण अभी लम्बित पड़ा है इसे शीघ्र ही शुरू किये जाने की आवश्यकता है। इस कार्य से पूरा उत्तराखण्ड एक छोर से दूसरी छोर तक रेल मार्ग से जुड़ जाएगा और सड़क यातायात पर कम भार पड़ेगा। मुझे खेद है कि पिछले आठ वर्षों से मैं इस मांग को पत्रों एवं लोक सभा सदन के माध्यम से रख रहा हूँ, सरकार इस मार्ग के निर्माण के लिए अभी तक विचार नहीं कर रही है।

राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित रेलवे क्रासिंग के चौराहों पर नियमित जाम की समस्या के निदान हेतु काशीपुर रेलवे क्रासिंग बाजपुर रोड़ पर तथा राष्ट्रीय राजमार्ग पर पड़ने वाले अन्य सभी रेलवे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज निर्माण करने की आवश्यकता है। वाराणसी–देहरादून (जनता एक्सप्रेस) गाड़ी नं. 4265 वर्तमान समय बदल कर पूर्व के समय पर चलाने की आवश्यकता है। नौचंदी एक्सप्रेस में रामनगर से दो कोच जोड़ने के साथ–साथ ए.सी. III कोच जोड़ने की आवश्यकता है।

दिल्ली से काठगोदाम के मध्य चलने वाली 5013 एवं 5014 की तर्ज पर दिल्ली से रामनगर तथा रामनगर से दिल्ली तक चलने वाली गाड़ी संख्या 5013ए एवं 5014ए में एसी प्रथम, एसी द्वितीय श्रेणी के कोच लगाने की अति आवश्यकता है। देश–विदेश के हजारों पर्यटक रामनगर में विश्व विख्यात जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान तथा अन्य पर्यटक स्थलों में भ्रमण हेतु आते रहते हैं।

रामनगर से मुरादाबाद एवं मुरादाबाद से रामनगर सवारी रेल गाड़ी संख्या 462/429 को देहरादून तक चलाने की आवश्यकता है। रेल गाड़ी संख्या 4119 वं 4120 को काठगोदाम–देहरादून एक्सप्रेस में अतिरिक्त कोच जोड़ने की आवश्यकता है। रामनगर–मुरादाबाद के बीच लोकल रेल गाड़ी (शटल) चलाने की आवश्यकता है। बरेली से काठगोदाम एवं बरेली (भेजीपुरा) वाया–पीलीभीत एवं टनकपुर रेलवे लाईन का विस्तारीकरण करते हुए खटीमा से 15 कि.मी. आगे प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पूर्णागिरी तक रेलवे लाईन का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ किया जाए।

दिल्ली एवं रामनगर के मध्य सीधी नयी रेल सेवा आरम्भ किया जाना आवश्यक है, इस रेल गाड़ी में श्यनयान के साथ प्रथम एसी एवं द्वितीय, एसी बोगी की व्यवस्था करना भी अति आवश्यक है। रामनगर स्थित अन्तरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नेशनल कॉर्बेट पार्क है। रमणीय पर्यटक स्थलों में भ्रमण हेतु देश–विदेश के लाखों पर्यटक आते हैं। टनकपुर–बागेश्वर, टनकपुर–जौलजीवी एवं रामनगर–चौखुटिया रेलमार्गों का शीघ्रातिशीघ्र निर्माण की आवश्यकता है। तराई क्षेत्र में पंजाबी समुदाय की विशेष उपस्थिति को ध्यान में रखते हुए काठगोदाम से वाया काशीपुर, मुरादाबाद, अमृतसर एवं जम्मू तवी हेतु एक सीधी नयी रेल शीघ्र चलाने की आवश्यकता है। काठगोदाम से मुम्बई के लिए सीधी द्रुतगामी रेल सेवा प्रारम्भ करने की आवश्यकता है।

केन्द्र सरकार से मेरा आग्रह है कि काशीपुर से जसपुर के लिए रेल लाइन का निर्माण करने के लिए विचार किया जाए जिससे पूरा उत्तराखण्ड रेल लाइन से जुड़ने में सहायक होगा।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

***श्रीमती ज्योति धुर्वे** (बेतूल) : आज के रेल सप्लीमेंट्री बजट में मेरी संसदीय क्षेत्र की महत्त्वपूर्ण तीन मांगों को फिर से दोहराती हूं अथवा पूरी होने की आशा भी करती हूं। पहली मांग, नागपुर––भुसावल पैसेन्जर को रिवरकिया स्टेशन पर रुकवाने की मांग करती हूं।

दूसरी मांग, मेरी अभी कुछ समय पहले खण्डवा–धाम तीर्थ यात्री की सुविधा के लिए इस तीर्थ धाम की सुविधा के लिए चलाई गई है, उसे हरसूद–छनेरा स्टेशन पर रुकवाने का कष्ट करें।

तीसरी मेरी आखिरी मांग है आमला–बैतूल शटल पैसेन्जर चलती है जो सुबह सात बजे बैतूल आती है और पूरे दिनभर बैतूल आकर खड़ी रहती है क्योंकि सुबह तीन दिन जम्मूतवी एवं दो दिन स्वर्ण जयंती भोपाल की सुविधायुक्त ट्रेन है परंतु इसके बाद कोई भी ट्रेन की सुविधा भोपाल जाने के लिए एक बजे तक कोई नहीं है अथवा उन यात्रियों की सुविधा एवं दिनभर जो पैसेन्जर बैतूल भी खड़ी है यदि उसे प्रतिदिन केवल इटारसी तक दूसरी ट्रेन को ज्वाइन देते हुए यदि इस आमला–बैतूल शटल को इटारसी तक चलाने की मांग करती हूं ताकि पुणे से आने वाली ट्रेन की सुविधा को लेकर यह यात्री भोपाल को पहुंचे और अपनी आवश्यक महत्त्वपूर्ण कार्य को पूरा कर सकें। मैं केवल इन पैसेन्जरों को रुकवाने एवं आगे चलाने की मांग को इस सपलीमैंट्री बजट में पूरा करने का कष्ट करें।

[अनुवाद]

★श्री चार्ल्स डिएस (नामनिर्देशित) : रेलवे को देश की जीवनरेखा कहा जाता है। भारतीय रेल, जो कि विश्व के सबसे बड़ी रेलवे प्रणालियों में से एक है, प्रतिदिन लाखों लोगों को सेवा प्रदान करती है। निस्संदेह, हमारा रेलवे तंत्र दिन–प्रतिदिन सुधर रहा है। लेकिन, प्रत्येक क्षेत्र के महत्व और आवश्यकता को देखते हुए इसके बारे में बताया जाना जरूरी है।

जहां कुछ खंडों में काफी विकासात्मक कार्य किए जा रहे हैं, वहीं कतिपय अन्य क्षेत्रों की उपेक्षा की जा रही है। देश के धुर दक्षिणी राज्य केरल की कई प्रकार से उपेक्षा की जा रही है। उदाहरण के लिए, पिछले रेल बजट में घोषित किए गए दक्षिण रेल कॉरीडोर में केरल को छोड़ दिया गया है।

पिछले दो वर्षों के रेल बजट के दौरान घोषित केरल से नई ट्रेनों में से अधिकांश को तो आरंभ ही नहीं किया गया केरल में रेलवे स्टेशनों के विकास, विशेषकर तिरूवनंतपुरम, एर्णाकुलम और कोझिकोड रेलवे स्टेशन, जिन्हें 'विश्वस्तरीय स्टेशन' के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई थी, का कार्य शुरू ही नहीं किया गया है। एर्णाकुलम जंक्शन रेलवे स्टेशन पर लोगों के लिए मूलभूत सुविधाओं की कमी है। कोचीन के केरल की वाणिज्यिक राजधानी होने के कारण, यात्रियों की संख्या को देखते हुए एर्णाकुलम (कोचीन) जंक्शन रेलवे स्टेशन राज्य का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है और इस स्टेशन पर सुविधाएं प्रदान किए जाने के अनुरोधों की उपेक्षा की जा रही है। पिछले रेल बजट में घोषित रेलवे अस्पताल का निर्माण एर्णाकुलम में किया जाना है क्योंकि यह राज्य का केंद्रीय स्थल है। सवारी रेल परियोजना, पलक्काड कोच फैक्टरी और अलपुझा में रेल कंपोनेंट्स फैक्टरी को बिना किसी विलंब के आरंभ किया जाना चाहिए।

श्री प्रबोध पांडा (मिदनापुर) : महोदय, अनुदानों की अनुपूरक मांगों को सभा पटल पर रखने के लिए मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। वास्तव में, यह इनका पहला बजट है और इन्होंने केवल एक लाख रुपये की अनुदान की मांग से शुरू किया है। यह नाममात्र की राशि हमारे देश की रेल की हालत को दर्शाती है।

महोदय, अनुदान की मांगों में जाने से पहले हमें रेलवे की हालत के बारे में सोचना होगा। आजकल, मीडिया में कई समाचार और सूचना आ रही हैं और ये सब बातें अत्यधिक चिंता का विषय हैं। हमें अपनी रेलवे पर गर्व है। भारतीय रेल, न केवल स्वयं अपने देश में प्रसिद्ध है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी प्रसिद्ध है। समाचार में यह बात आ रही है कि रेलवे को 3,000 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है और इसे प्रतिदिन लगभग 18 करोड़ रुपये का घाटा हो रहा है। इसका नकद भंडार, वर्ष 2008 में 13.43 करोड़ रुपये से घटकर 75 लाख रुपये की अल्प राशि तक सीमित होकर रह गया है। अनेक लोकलुभावने उपायों यात्री किरायों में वृद्धि और राजस्व के नये स्रोतों की जिदपूर्वक मनाही के कारण रेलवे की स्थापना लागत बढ़ गई है।

रेलवे की स्थिति यह हो गई है।

महोदय, वर्ष 1995–96 से अनेक चालू परियोजनाएं लंबित हैं। जहां तक मेरी जानकारी है और परामर्शदात्री समिति में मुझे

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

जो सूचना प्राप्त हुई है, नई लाइनों की 116 चालू परियोजनाएं लंबित हैं; 46 आमान परिवर्तन परियोजनाएं लंबित हैं और लाइन दोहरीकरण की 164 परियोजनाएं लंबित हैं। यहां तक कि प्रतिवर्ष, रेल बजट पेश करते हुए माननीय मंत्री जी चालू परियोजनाओं को पूरा किए बिना अनेक नई परियोजनाओं की घोषणा करते रहे हैं।

एक आश्वासन दिया गया था कि प्रति वर्ष 1000 कि.मी. नई लाइनें बिछाई जाएंगी। लेकिन अब तक प्राप्त हुए आंकड़ों के अनुसार केवल 709 कि.मी. नई लाइनें ही बिछाई गई हैं।

महोदय, पहले यह घोषणा की गई थी कि रेलवे बर्न स्टैंडर्ड कंपनी, बसुमती और अन्य कंपनियों का अधिग्रहण करने के लिए तैयार है। इसकी क्या स्थिति है? इसकी हमें बिल्कुल भी जानकारी नहीं है।

यह बात सामने आयी है कि रेलवे ने केंद्र से 2000 करोड़ रुपये की मांग की है। उसे प्रति माह 4,500 करोड़ रुपये के हिसाब से वेतन का भुगतान करना होता है।

यदि हम छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट को मानें, तो उन्हें 55,000 करोड़ रुपये से अधिक की आवश्यकता...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री पांडा जी, आपको सिर्फ 5 मिनट का समय दिया गया है।

श्री प्रबोध पांडा : महोदय, मुझे केवल 2 मिनट और चाहिए।

सभापति महोदय : रेल संबंधी परामर्शदात्री समिति के सदस्यों को कम बोलना चाहिए।

श्री प्रबोध पांडा : जी महोदय, सामान्यतः मैं कम बोलता हूं। मैं कुछ भी दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं केवल कुछ बातों के बारे में बताना चाहूंगा।

महोदय, रेलवे के नियोक्ताओं और कर्मचारियों को दिए गए बोनस के बारे में क्या बताया गया है? इसमें एक नई बात है; उन्होंने 70 दिन का उत्पादकता बोनस घोषित किया है लेकिन उसके मात्र 30% का भुगतान नकद किया जाएगा और शेष राशि को उनके भविष्य निधि में जमा करा दिया जाएगा। यह एक नयी खोज है। कर्मचारियों को पूरा बोनस नकद नहीं मिल रहा है।

रिक्तियों के बारे में क्या स्थिति है? यह आश्वासन दिया गया था कि रेलवे इन सभी रिक्तियों को भरने जा रही है। लगभग 1,60,000 रिक्तियों का अभी भी भरा जाना शेष है। मुझे नहीं पता कि क्या भारतीय रेल ने प्रतिवर्ष अपने स्टाफ में एक प्रतिशत की कमी करने का निर्णय लिया है। यदि हां, तो रेलवे के विभिन्न क्षेत्रों में कमी का क्या परिणाम होगा? यहां तक कि टिकट खिड़कियों पर पर्याप्त संख्या में कर्मचारी नहीं होते। पर्याप्त संख्या में ड्राइवर नहीं हैं। वहां कर्मचारियों की कमी है। हम दुर्घटना के बाद दुर्घटना देख रहे हैं।

जहां तक परियोजनाओं की बात है, तो ठेकेदारों को उनका भुगतान नहीं मिल रहा है। विभिन्न क्षेत्रों में, कार्य रोक दिया गया है। यह भारतीय रेल की स्थिति है।

अब, मैं यात्री सुविधाओं के बारे में बोलना चाहूंगा। जहां तक रेलवे का संबंध है, तो समय पाबंदी शब्द केवल शब्दकोष और शब्द–भंडार में पाया जाता है। सभी ट्रेनें, चाहे वह राजधानी एक्सप्रेस हो या शताब्दी एक्सप्रेस हो या दुरन्तो एक्सप्रेस हो, 6 घंटे या 8 घंटे या 10 घंटे देरी से चल रही हैं और ट्रेनों के देरी से चलने के कारण यात्रियों को कष्ट भोगना पड़ रहा है।

विकास निधि की बात करें, तो धन की कमी है। यहां तक कि धन की कमी के कारण मूल्य ह्रास निधि में कम धन का अंतरण किया जा रहा है। अतः यह चिंता का विषय हैं और यह केवल इस रेल मंत्री की चिंता का विषय नहीं है जो इस समय मंत्री पद पर विराजमान है बल्कि यह एक राष्ट्रीय प्रश्न है। रेलवे हमारे देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है।

मिदनापुर, झारखंड और कुछ अन्य क्षेत्रों में रात्रि सेवा बंद कर दिए जाने से हम वास्तव में बहुत चिंतित हैं। मैं रेल मंत्री से अनुरोध करूंगा कि इन क्षेत्रों में इस रात्रि सेवा को अति शीघ्र पुनः शुरू किया जाए। रेल मंत्रालय को संबंधित राज्य सरकार के साथ बैठकर उनसे चर्चा करनी चाहिए। कानून और व्यवस्था का विषय राज्य सरकार का है। यह उनके हाथ में है। अतः मंत्रालय कृपा करके उनके साथ बैठकर चर्चा करे। मैं सरकार से एक बार फिर अनुरोध करूंगा कि इन क्षेत्रों में रात्रि सेवा यथाशीघ्र शुरू की जाए।

महोदय, मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में कई बातों का उल्लेख करते हुए मंत्री को एक पत्र लिखा है और उन बातों

का उल्लेख परामर्शदात्री समिति की बैठक में भी किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि मंत्री महोदय उन बातों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे।

[हिन्दी]

***श्री कमलेश बाल्मीकि** (बुलन्दशहर) : मैं विगत दो वर्षों से मेरे लोक सभा क्षेत्र बुलंदशहर यू.पी. और राजधानी दिल्ली के बीच एक सीधी एवं नियमित रेल सेवा की मांग करता आ रहा हूँ।

हजारों यात्री नियमित रूप से बुलंदशहर से दिल्ली यात्रा करते हैं, सीधी रेल सेवा के अभाव में उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, सड़क यात्रा गैर सुविधाजनक और खतरनाक साबित हो रही है।

आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरा क्षेत्र दिल्ली से मात्र 70 किलो मीटर की दूरी पर है, यदि दिल्ली से खुर्जा जाने वाली ई.एम.यू. रेलगाड़ियों को बुलंदशहर तक बढ़ा दिया जाये तो बड़ी मेहरबानी होगी।

***श्री अर्जुन राम मेघवाल** (बीकानेर) : रेल मंत्रालय की अनुदान पूरक मांगों पर मैं आपके माध्यम् से निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत करना चाहता हूँ–

1. नई रेलगाड़ी चलाने हेतु रेल सर्वे में अनूपगढ़–बीकानेर–वाया खाजूवाला का सर्वे किया जा चुका है। अतः शीघ्र अनूपगढ़–बीकानेर–वाया खाजूवाला नई रेल लाईन प्रोजेक्ट की स्वीकृति देकर कार्य प्रारम्भ किया जाए, क्योंकि अनूपगढ़–खाजूवाला क्षेत्र सामरिक दृष्टिकोण से भी पाकिस्तान की सीमा से सटा होने के कारण महत्त्वपूर्ण है तथा रक्षा मंत्रालय की भी इस बाबत मांग वर्षों से लम्बित है।

2. बीकानेर में कोयले वालों की गली के लिए भी रेलवे ओवरब्रिज स्थापित किये जाने की मैं मांग करता हूँ। यह बीकानेर शहर की सबसे बड़ी समस्या है और बीकानेर की ट्रैफिक की समस्या का निदान किये जाने के लिए यह रेलवे ओवरब्रिज अत्यन्त आवश्यक है।

3. अमान परिवर्तन के पश्चात बीकानेर के तीन स्टेशनों पर एफ.ओ.बी. की मांग वाजिब है। अतः नापासर, श्रीडूंगरगढ़ एवं सूड़सर में एफ.ओ.बी. की घोषणा की जाए।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

4. रेलवे स्टेशनों के अपग्रेडेशन के प्रस्ताव हैं, जिसमें अनूपगढ़, लूनकरणसर, श्रीडूंगरगढ़, नौखा एवं श्रीकोलायत को सम्मिलित करने की मांग करता हूँ।

5. बीकानेर में रेल कारखाना देश की आजादी से पूर्व का है। अतः बीकानेर के रेल कारखाने को अजमेर के बजाय सीधा बजट आवंटित किया जाए एवं आधुनिकीकरण के कार्यक्रम में सम्मिलित किया जाए।

6. प्रत्येक सांसद के साथ कम्पेनियन को रेल यात्रा निःशुल्क होती है, लेकिन जब सांसद द्वारा हवाई यात्रा की जा रही हो या काम्पेनियन को सांसद के निर्देशानुसार कहीं यात्रा करनी हो तो ऐसी स्थिति के लिए कम्पेनियन को अकेले यात्रा करने पर लिमिटेड निःशुल्क टिकट उपलब्ध कराने का मैं सुझाव देता हूँ।

सभापति महोदय : श्री जगदानंद सिंह।

...*(व्यवधान)*

श्री जगदानंद सिंह (बक्सर) : सभापति महोदय....*(व्यवधान)*

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी) : सभापति महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : जगदानंद जी, आप एक मिनट बैठ जाइए। शैलेन्द्र कुमार जी का प्वाइंट ऑफ आर्डर है

...*(व्यवधान)*

श्री शैलेन्द्र कुमार: मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर यह है कि यहां रेलवे से संबंधित बहुत महत्त्वपूर्ण बहस चल रही है। अगर सम्मानित माननीय सदस्य रेलवे बोर्ड के अधिकारियों से मिलने के लिए समय मांगते हैं तो ये समय नहीं देते। माननीय मंत्री जी, आप इन्हें निर्देशित कीजिए कि जब एमपी मिलने के लिए समय मांगें तो उन्हें समय दें।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : शैलेन्द्र जी, यह प्वाइंट ऑफ आर्डर नहीं है, दिल की भावना जरूर है।

...*(व्यवधान)*

श्री जगदानंद सिंह : सभापति महोदय, आपने मुझे अनुपूरक बजट पर बोलने का मौका दिया।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : माननीय सदस्य समझदार हैं कि कायदे से अपनी बात कह गए हैं, लेकिन यह प्वाइंट ऑफ आर्डर नहीं है।

...*(व्यवधान)*

श्री जगदानंद सिंह : महोदय, सदन में जो अनुपूरक बजट पेश हुआ है।...*(व्यवधान)* इस तरह मेरा समय खराब हो रहा है।. ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपकी भावनाएं आ गई हैं।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया आप सब बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री जगदानंद सिंह : सभापति महोदय, आप हमारे समय में कटौती मत कीजिए।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैं ऐसा नहीं करूंगा।

...*(व्यवधान)*

श्री तूफानी सरोज (मछलीशहर) : आप ज्यादा नहीं तो हफ्ते में एक दिन माननीय सदस्यों से मिलने का समय फिक्स कर दीजिए।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी से बात करके एनाउंसमेंट हो जाए तो अच्छा रहेगा।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप मंत्री जी की बात सुन लीजिए।

...*(व्यवधान)*

रेल मंत्री (श्री दिनेश त्रिवेदी) : आपकी जो भी भावनाएं होती हैं, हम उन्हें बहुत ही गंभीरता से लेते हैं। शायद आपको उसका अंदाजा जरूर होगा।...*(व्यवधान)*

श्री शैलेन्द्र कुमार : जी हां।

श्री दिनेश त्रिवेदी : आपको हमसे तो कोई कम्प्लेंट नहीं है। हर बृहस्पतिवार और शुक्रवार को हम खुद बैठते हैं, सिर्फ चेयरमैन साहब नहीं बैठते, हमारा पूरा बोर्ड वहां बैठे होता है। आप कह दें कि एक दिन चेयरमैन साहब सिर्फ एमपीज से मिलेंगे।.... *(व्यवधान)*

श्री नीरज शेखर (बलिया) : अगर काम ही नहीं होगा तो मिलने से क्या फायदा है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : जगदानंद जी, आप बोलिए।

...*(व्यवधान)*

श्री जगदानंद सिंह (बक्सर) : आपने मुझे अनुपूरक बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। सदन के सामने जो अनुपूरक बजट आया है, उसमें 46 नई सेवाएं और नई सेवाओं के उपकरण की बात कही गई है। आप आश्चर्य करेंगे कि इसमें बिहार और झारखंड की कोई चर्चा नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी की कठिनाई समझ रहा हूं। पहले से चल रही योजनाओं को पूरा करने के लिए एक लाख 30 हजार करोड़ रुपये की आवश्यकता है। रेल विभाग का स्वास्थ्य थोड़ा खराब होता जा रहा है। जहां आपरेटिंग रेशियो 90 प्रतिशत था, वह बढ़ते-बढ़ते अब 125 प्रतिशत पर चला गया है। मैं समझता हूं कि जहां वर्ष 2007-08 में 19 हजार करोड़ रुपये का अधिशेष लालू प्रसाद जी ने रेल महकमे द्वारा सौंपा था, आज वह केवल 75 लाख पर आकर खड़ा है। मैं समझता हूं कि साधन की कमी है, लेकिन इच्छा शक्ति सबसे ज्यादा जरूरी है। लालू प्रसाद जी भी जब सरकार में आए थे तब डूबती हुई रेल थी, लेकिन उसे उन्होंने उबारा ही नहीं बल्कि भारतवर्ष की सभी सरकारी संस्थाओं में से एक बेहतर संस्था के रूप में इस देश के सामने प्रस्तुत किया। मैं कहना चाहता हूं कि एक लाख 30 हजार करोड़ रुपये उन योजनाओं पर खर्च होंगे जो योजनाएं चल रही हैं अर्थात् 15, 20 हजार करोड़ रुपये जिन योजनाओं पर खर्च हुए हैं, एनपीए के रूप में बदला हुआ है, एक लाख 30 हजार करोड़ रुपये खर्च करके उन्हें पूरा नहीं किया जाएगा। स्थिति भयावह है, लेकिन इन्हीं स्थितियों में फ्रेंट कॉरिडोर जो भारत की सबसे बड़ी आवश्यकता है, दिल्ली से हावड़ा तक फ्रेट कॉरिडोर बनना है। बिहार से होकर गुजरता है, मैं एक बात के लिए जरूर धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने नई जमीन अर्जित करने की जिद छोड़ दी और रेलवे की अपनी जमीन थी, उसी से

फ्रेट कॉरीडोर बनाने का निर्णय लिया है, निश्चित रुप से यह किसानों के काफी बड़े शुभचिंतक साबित हुए हैं। मुगलसराय से लेकर जब हम लोगों का इलाका शुरू होता है, लोगों में बड़ी बेचैनी थी कि उपजाऊ जमीन जा रही थी, आपने उसे छोड़ा, लेकिन इस काम को समय के साथ पूरा कीजिए। यदि रेल का हैल्थ खराब होगा, तो देश का स्वास्थ्य नहीं बच सकता है। परिवहन का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है और कहीं से साधन जुटाने पड़ेंगे, आप दुनिया से कर्ज पा रहे हैं, लेकिन थोड़ा इसमें तेजी लाइए।

महोदय, आज से तीन साल पहले का 41,000 करोड़ रुपये का हमारा परिवहन संचालन व्यय था, वह आज 71,000 करोड़ रुपये पर चला गया, आमदनी नहीं बढ़ रही है, लेकिन खर्चे लगातार बढ़ रहे हैं, आखिर रेल के लिए अधिशेष कहां से लाएंगे? मैं एक आग्रह करना चाहता हूं कि इन्होंने 57,000 करोड़ रुपये की योजना इस साल बनाई है, भारत सरकार को निश्चित बजटरी सपोर्ट देना चाहिए। रोड के सेक्टर में जो खर्च हो रहा है, उससे अधिक महत्त्वपूर्ण है रेल। रेल को जितनी भी राशि की आवश्यकता हो, उसे दिया जाना चाहिए। केवल आजाद भारत में केवल 10 से 15 फीसदी रेल–किलोमीटर का बढ़ना इस देश से स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। निश्चित रुप से भारत सरकार को इन्हें बजटरी सपोर्ट देना चाहिए। पैसे की कमी हो सकती है, अभाव हो सकता है, लेकिन जिन स्टेशनों पर इनकी महत्त्वपूर्ण गाड़ियों को रुकना चाहिए, वहां रोकने में क्या परेशानी है। बक्सर, जो उत्तर के बलिया इलाके का भी एक स्टेशन है, वहां सम्पूर्ण क्रांति और विक्रमशिला ट्रेनों को दो–दो मिनट रोकने में क्या परेशानी है? बिहार के पश्चिमी इलाके और उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाके का एक महत्त्वपूर्ण स्टेशन है।

राजधानी एक्सप्रेस में एमपी लोगों को एक दिन कठिनाई हुई, आपने एक अफसर को सस्पेंड कर दिया। लेकिन राजधानी एक्सप्रेस के बारे में कभी सोचा है कि हावड़ा और सियालदह, दो राजधानी एक्सप्रेस बंगाल जाती हैं और वहां 18–18 बोगियों का वह रैक है, तो केवल 11 बोगी का रैक क्यों पटना से दिल्ली के बीच चलाते हैं? उस क्राउड को कंट्रोल करना हो तो उसमें कम से कम हावड़ा और सियालदह राजधानियों की तरह उसमें बोगियों की संख्या बढ़ाइ,। हमारे जिले का हेडक्वार्टर भभुआ, आज भी रेल लाइन से नहीं जुड़ा है। आदरणीय लालू जी ने इसके लिए एक योजना शुरू की थी– मुंडेसरी–भभुआ से मोहनिया और मोहनिया से आरा लाइन, लेकिन उसका कार्य रुका पड़ा है। सासाराम से यदुनाथपुर का कार्य रुका पड़ा है। फ्रेट कारीडोर बड़ी योजना है, लेकिन ये तो छोटी योजनाएं हैं, इनको पूरा करना चाहिए। आज सासाराम से दिल्ली के बीच एक गाड़ी चल रही है, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं, त्रिवेदी जी ने उसको शुरू किया है, लेकिन हफ्ते में एक दिन चलती है। पूरे पश्चिम बिहार का जो इलाका है, वह दिल्ली से मात्र एक रेल से जुड़ा हुआ है, उसके बदले सातों दिन वह गाड़ी चलाने में क्या परेशानी है? कृपया करके उसे सात दिन, नही तो तीन दिन अवश्य चलाए, ताकि बिहार के पश्चिमी इलाके के लोगों का दिल्ली आवागमन हो सके। आप आश्चर्य करेंगे कि शाहाबाद और बिहार का यह जो पश्चिमी इलाका है, वह बिहार की राजधानी से भी किसी ठीक रेल से नहीं जुड़ा है। वहां एक बुद्ध पूर्णिमा ट्रेन रात को जाती है, आश्चर्य है कि केवल छः बोगीज उसमें चलती हैं, बहुत भीड़ होती है। वह एक्सप्रेस अपने आप में टूरिस्ट्स के लिए एक बड़ी रेल चली थी, सारनाथ, गया, पटना से लेकर राजगीर तक का वह सबसे बड़ा साधन है, उसमें कम से कम दस–पंद्रह बोगियां रहती थीं, लेकिन उसकी कटौती करके डिब्बे कहीं और जोड़ दिया गया। बिहार के लोग छत पर चढ़ते हैं। हुक्मदेव जी कह रहे थे ठसाठस क्लास, लेकिन उन्होंने छत क्लास को छोड़ दिया। सबसे अधिक पैसा छत पर चलने वालों से आता है, लेकिन वे क्या गुनाह करते हैं। गत वर्ष 72 लोग गिरकर मरे हैं, आप आश्चर्य करेंगे कि छत पर चढ़ने वाले 78,000 यात्रियों को दंडित किया गया है। क्यों दंडित किया गया है? गुनाह उनका नहीं है, गुनाह आपका है। यदि आप उनको डिब्बे नहीं देंगे, अंदर जाने नहीं देंगे, तो भी उनको यात्रा करनी है। ऊपर यात्रा करते हैं, जीवन को खतरे में डालते हैं। आप उन पर जुर्माना लगाते हैं, उन्हें दंडित करते हैं। मेरा रेल मंत्री जी से अनुरोध है कि आप एक ट्रेन में कम से कम 15–16 डिब्बे लगाएं सात–आठ–नौ डिब्बों वाली रेलगाड़ियां चलाने से यात्रियों की भीड़ कम नहीं होगी और उन्हें सुविधा नहीं मिल सकेगी। आपको भी जानकारी है कि रेल मंत्रालय को 91 प्रतिशत राजस्व इन्हीं छोटे–छोटे यात्रियों से प्राप्त होता है और बाकी का आठ–नौ प्रतिशत राजस्व बड़ी क्लास के यात्रियों से मिलता है, जबकि उन्हें अनेक सुविधाएं दी जाती हैं।

लालू जी के जमाने पर, बाद में रेलवे पर एक श्वेत पत्र जारी हुई था। रेलवे का जो आधार उन्होंने खड़ा किया था,

श्वेत पत्र को जारी करने के बाद देश को काफी आगे जाना चाहिए था, लेकिन यह पीछे क्यों जा रहा है, इस पर आप विचार करें।

सभापति जी, रेल मंत्रालय की अनुपूरक मांगों के दायरे में रहकर पूरी बहस नहीं हो सकती इसलिए हम फरवरी–मार्च में रेल बजट पर पूरी बहस करेंगे और अपनी मांगों के बारे में बताएंगे। मैं सिर्फ रेल मंत्री जी से यही कहना चाहता हूं कि आप रेलगाड़ियों में डिब्बों की संख्या बढ़ाएं और रेल लाइन के दोहरी करण तथा लम्बाई पर ज्यादा ध्यान दें तथा जो रेल योजनाएं चल रही हैं, उन्हें चलाने पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया और अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं।

***श्री उदय प्रताप सिंह** (होशंगाबाद) : मैं रेल मंत्रालय की अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं। मंत्रालय यू.पी.ए. के दूसरे कार्यकाल में निरंतर बेहतर कार्य कर रहा है। भविष्य में भी हमारी अपेक्षा रेल मंत्रालय से और बेहतर करने की है। इस सब के बावजूद मेरे संसदीय क्षेत्र होशंगाबाद–नरसिंहपुर म.प्र. में अभी और काम किया जाना बाकी है।

मेरे संसदीय क्षेत्र के बीच में से होकर गुजरने वाली गाड़ी संख्या 12529/12530 का ठहराव करेली एवं गाड़रवाड़ा स्टेशन पर होना नितांत आवश्यक है। उक्त दोनों स्टेशनों पर गाड़ी न रुकने के कारण उसका पूर्ण उपयोग नहीं हो पा रहा है वह लगातार खाली चल रही है। दूसरा निवेदन मेरे संसदीय क्षेत्र के सिवनी–मालवा स्टेशन पर भुसावल नागपुर पैसेंजर गाड़ी क्रमांक 22111/22112 का स्टापेज करने का कष्ट करें। इस स्टेशन पर फास्ट और सुपर फास्ट गाड़ियां भी खड़ी होती हैं। लेकिन फास्ट पैसेंजर बिना रुके सीधे निकल जाती है। जो स्थानीय नागरिकों के लिए समझ से परे है।

मार्च, 2011 रेल बजट में छिंदवाड़ा सागर रेल लाईन सर्वे के लिए स्वीकृत की गयी है आपसे अनुरोध है इस हेतु भी बजट में प्रावधान करते हुए राशि का आबंटन कराने की कृपा करें जिसमें दक्षिण भारत की उत्तर भारत से लगभग 400 कि.मी. दूरी तो कम होगी ही साथ ही छिंदवाड़ा–नरसिंहपुर–दमोह एवं सागर जिलों के नागरिकों एवं व्यापारियों को लाभ होगा। पुनः रेल मंत्रालय के कार्यों को बधाई देते हुए अनुदान मांगों का समर्थन करता हूँ।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

***श्री कौशलेन्द्र कुमार** (नालंदा) : सरकार रेलों के विकास के लिए वित्तीय वर्ष 2011–12 के दौरान भारत संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग के प्राधिकृत करने के लिए जो विधेयक लाई है उसको मैं अपनी पार्टी जनता दल–यूनाईटेड की तरफ से समर्थन करता हूं।

केन्द्र सरकार रेलवे के विकास के लिए सन 1991 से प्रयत्नशील है और इस बीच रेल में बहुत विकास भी हुआ है। कई द्रुत गति की ट्रेनें शुरू हुई और द्रुत गति के रेलवे ट्रैक की भी शुरूआत हुई। लेकिन इधर कई वर्षों में ट्रेनों के विलम्ब से चलने का रिकॉर्ड बन रहा है जिसमें अभी तक सुधार नहीं हुआ है। सरकार को परिचालन में सुधार के लिए अति आधुनिक तरीका अपनाना होगा।

अभी ट्रेन एक्सीडेंट की संख्या में काफी वृद्धि हुई है जो कि अत्यधिक चिंताजनक बात है। दिल्ली में नवबर 2011 के अंतिम सप्ताह में सभी रेलवे जोनों के महाप्रबंधकों की बैठक में यह बात उभर कर सामने आयी कि रेलवे सुरक्षा तंत्र को मजबूत बनाया जाना चाहिए और इसको किसी भी स्थिति में इसके साथ कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए। इसको उच्च प्राथमिकता देनी होगी तथा इसमें अत्याधुनिक तकनीक का प्रयोग अपेक्षित है। लेकिन सरकार इस ओर उदासीन है। माननीय नेता विकास पुरुष श्री नीतिश कुमार जी ने केन्द्रीय रेल मंत्री रहते हुए एक्सीडेंट रोकने के लिए जो डिवाईस लाये थे उसको मजबूती से सभी रेलवे ट्रैकों पर लगाये जाने की जरूरत है।

रेल यात्रियों को एक और बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है–वह है आरक्षण की समस्या से निजात पाने के लिए सरकार ने अभी हाल के वर्षों में जो प्रयास किया है वो सराहनीय है। लेकिन इसमें अभी और सुधार की गुंजाइश है, जिससे इंकार नहीं किया जा सकता। सरकार को अभी इसमें और सार्थक प्रयास करना चाहिए। आरक्षण में दलाली पर अंकुश लगाने के लिए विद्यमान काननू में परिवर्तन किए जाने की जरूरत है।

मानव रहित रेलवे समपारों पर एक्सीडेंट की संख्या में इधर हाल के दिनों में काफी वृद्धि हुई है, जिसमें मुआवजा के रूप में रेलवे को कई लाख रुपये देना पड़ा है। इन मानव रहित रेलवे समपारों पर चौकीदार रखने से रेलवे का खर्चा बढ़ेगा पर उससे

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

कई गुना ज्यादा राशि का भुगतान रेलवे को मुआवजा के रूप में देना पड़ा है। बिहार राज्य में जो रेलवे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उसके निर्माण कार्य में तेजी लाये जाने की जरूरत है, खास कर मेरे संसदीय क्षेत्र नालंदा में–(1) दनियावाँ से शेखपूरा रेलवे लाईन, (2) इस्लामपुर से नटेसर रेलवे लाईन, और (3) हरिनौत रेल कोच फैक्टरी।

एक गरसराय से जहानाबाद प्रस्तावित रेलवे लाईन का सर्वे कराकर कार्य प्रारंभ किया जाये। बिहार शरीफ से अस्थावाँ जाने वाली एन.एच. रोड पर जो रेलवे गुमटी है उस पर रेल ऊपरी पुल का निर्माण किया जाए। 12402 मगध एक्सप्रेस जो नई दिल्ली से इस्लामपुर तक जाती है वो अक्सर पटना से ही लौट जाती है। मेरी मांग है कि इसके परिचालन में सुधार कर इसको इस्लामपुर से प्रतिदिन चलाया जाये। इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

[अनुवाद]

★**श्री आर. थामराईसेलवन** (धर्मापुरी) : माननीय रेलमंत्री द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2011–2012 की अनुपूरक अनुदान मांगों (रेल) का समर्थन करते हुए मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र धर्मापुरी के लोगों की शिकायतों का जिक्र करना चाहूंगा।

मैं सरकार का ध्यान बहुप्रतीक्षित मोरापुर–धर्मापुरी रेल लाइन, जो लगभग 36 कि.मी. की है एवं जिसकी कुल लागत 108 करोड़ रुपये है, सहित कुछेक नयी रेल परियोजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में दिलाना चाहता हूं। ये परियोजना मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पड़ती हैं तथा यह मेरे निर्वाचन–क्षेत्र के लोगों की बहुप्रतीक्षित मांग है। यदि इस परियोजना को कार्यान्वित किया जाता है तो धर्मापुरी जिले के मुख्यालय, अर्थात् धर्मापुरी नगर एवं आस–पास के नगरों के लोगों को लाभ होगा और इससे रेलवे के लिए बहुत से संसाधन पैदा होंगे क्योंकि ये मार्ग धर्म वाणिज्य एवं पर्यटन के लिहाज से महत्वपूर्ण स्थलों से जुड़ी भौगोलिक संरचनाएं होने के कारण आर्थिक रूप से बेहद व्यवहार्य हैं। इसलिए मैं माननीय रेल मंत्री से इस परियोजना पर विचार करने तथा कम से कम आगामी रेल–बजट में इसके लिए पर्याप्त राशि आबंटित कर परियोजना को कार्यान्वित करने का अनुरोध करता हूं।

धर्मापुरी जिला तमिलनाडु राज्य का सबसे पिछड़ा जिला है। इस पिछड़ेपन के कारण इस जिले के लोगों को अपनी आजीविका एवं बेहतर समृद्धि के लिए धर्मापुरी से सुदूर स्थलों में जाना पड़ता है।

मोराप्पुर स्थित रेलवे स्टेशन दक्षिणी रेलवे के सेलम रेल–मंडल के नियंत्रणाधीन एक पुराना रेलवे स्टेशन है और मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आता है। यह स्टेशन चेन्नै की ओर तथा देश और राज्य के अन्य भागों की ओर जा रहे लोगों के मार्गस्थ है। हजारों लोग इस रेलवे स्टेशन पर रोजाना उतरते हैं।

हालांकि इस मोराप्पुर स्टेशन से गुजरने वाली रेलगाडियां अर्थात् रेल. 3351/3352 टाटा नगर–अलेप्पी–टाटा नगर–बोकारो एक्सप्रेस व 2695/2696 चेन्नै तिरूअनंतपुरम, चेन्नै एक्सप्रेस यहां नहीं रुकती है। इसलिए, मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह मोराप्पुर में इन रेलगाड़ियों के ठहराव का प्रावधान करने के लिए संबंद्ध अधिकारियों को तत्काल निदेश दें।

महोदय, मेरे जिले में एक और महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है–बोम्मिडी। यह स्टेशन भी धर्मापुरी एवं कृष्णागिरी जिलों के लोगों के काम आता है। हालांकि इस स्टेशन में रेल सं. 6381/6382 मुंबई–कन्याकुमारी–मुंबई गाड़ी एवं 7229/7230 शबरी एक्सप्रेस, जो तिरूअनंतपुरम से तिरूपति होते हुए हैदराबाद जाती है, का ठहराव नहीं है। इसलिए मैं बोम्मिडी रेलवे स्टेशन पर इन रेलगाड़ियों के ठहराव की व्यवस्था किए जाने का अनुरोध माननीय मंत्री जी से करता हूं।

यहां यह उल्लेख करना दुःखद किंतु महत्वपूर्ण है कि जब मुंबई–कन्याकुमारी जी.एस.टी. एक्सप्रेस केरल से गुजरती है तो यह केरल में तो सभी स्टेशनों पर रुकती है जबकि तमिलनाडु के कई महत्वपूर्ण स्टेशनों पर इसका ठहराव नहीं है। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री इस प्रकार के भेदभाव का परिहार करेंगे।

इसी प्रकार दक्षिण–पश्चिम रेलवे के बंगलुरू रेलमण्डल के नियंत्रणाधीन धर्मापुरी रेलवे स्टेशन बंगालुरू, मुंबई, तिरूअनंतपुरम आदि की ओर यात्रा कर रहे धर्मापुरी व कन्याकुमारी के लोगों के काम आता है। हालांकि यहां 6537/6538 बंगालुरू– मंगलौर–बंगालुरू एक्सप्रेस नहीं रुकती। इसलिए, मैं माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह इस रेलगाड़ी का धर्मापुरी स्टेशन पर ठहराव करने तथा इस रेल की सप्ताह में दो बार के बजाय रोजाना आवृत्ति करने का भी निदेश दें क्योंकि नागर कोयल एवं बेंगालुरू के बीच दैनिक यात्री यातायात बहुत अधिक हैं यद्यपि, ये मुद्दे माननीय मंत्री के ध्यान में कई बार लाए गए हैं फिर भी इन पर अब तक विचार नहीं किया गया।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

अंत में, वर्ष 2011–12 के पिछले रेल बजट में तत्कालीन रेल मंत्री द्वारा बेंगलुरू एवं धर्मापुरी के बीच एक नयी फास्ट पेसेंजर एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाने की घोषणा की गयी थी पर इसे भी अब तक शुरू नहीं किया गया है।

मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार माननीय रेल मंत्री इन मुद्दों पर निश्चित ही सकारात्मक दृष्टि से विचार करेंगे तथा मेरे जिले के लोगों की मांग पूरी करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं और इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री नामा नागेश्वर राव (खम्माम) : सभापति जी, मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने मुझे रेल मंत्रालय की अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से एक बात कहना चाहता हूं कि हर रेल बजट पर हम लोगों को और देश की जनता को भरमाया जाता है और जो कहा जाता है उस पर अमल नहीं होता। पिछले रेल बजट में 114 लाईस के सोशल डिजायरबेल रेलवे कनेक्टिविटी प्रपोजल्स की घोषणा की थी। जब भी रेल मंत्री जी रेल बजट पढ़ते हैं तो हम सांसद और देश की जनता को कुछ न कुछ आशा जरूरी रहती है कि हमारे लिए या हमारे क्षेत्र के लिए इसमें कुछ न कुछ होगा। यह बजट स्पीच है 2010–2011 की, अब तो 2011–2012 भी खत्म होने जा रहा है और आगामी रेल बजट पेश होने में कुछ ही समय शेष है। लेकिन जो आपके मंत्रालय द्वारा घोषणाएं की गई थीं, पिछले रेल बजट में, उनमें से किसी प्रोजेक्ट को टेकअप नहीं किया गया है।....*(व्यवधान)* जब हम धीरे बात करने से आप लोगों को इतना गुस्सा आ रहा है, आप सरकार में बैठकर हम विपक्ष वालों की तरह से बात कर रहे हैं।

सभापति महोदय : नागेश्वर राव जी, आप अपनी टोन थोड़ा नीचे रखिए।

श्री नामा नागेश्वर राव : सभापति जी, हमारे क्षेत्र का एक प्रोजेक्ट 40 साल से भद्राचलम–कोवुरू का लम्बित पड़ा है। वह सोशली डिजायरेबल है, इकोनोमिक वायबल है। उसका आईआईआर जो रेलवे का दिया गया है, वह हो गया है, आरओआर भी हो गया है और 18.3 प्रतिशत बताकर वह रेलवे की रिपोर्ट में है, लेकिन आज तक उस पर कुछ नहीं हुआ है। जब हम बच्चे थे, तो बचपन में हमारे पिताजी कहते थे कि इधर रेल लाइन आने वाली है। लेकिन आज तक हम यही सुनते आ रहे हैं और हुआ कुछ भी नहीं है। हमें फिर उम्मीद है कि वह प्रोजेक्ट बनेगा। आने वाले रेल बजट के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि हमने जो पिछले बजट में वादा किया था, जो घोषणा की थी, उसके लिए बजट का प्रावधान होना चाहिए। मैं मानता हूं कि रेल मंत्री जी एक अच्छे व्यक्ति हैं, मगर हम लोगों को प्रोजेक्ट चाहिए। जो नई रेल लाइनों की घोषणा की गई है, उनमें भद्राचलम रोड और सेत्तुपल्ली है। वह एरिया एस.टी. बाहुल्य है और पिछड़ा हुआ इलाका है। वहां के लोगों ने कभी रेल लाइन नहीं देखी है। वहां पर रेल लाइन बनाने की घोषणा की गई थी। जब ऐसी घोषणा की गई थी तो वहां के लोगों ने हमारे ऊपर फूल फेंके थे। ऐसा न हो कि वह घोषणा सिर्फ घोषणा ही रह जाए और अगर ऐसा हुआ तो वही लोग हम पर पत्थर फेंकने को मजबूर होंगे। अगर ऐसा हुआ तो इसकी जिम्मेदारी आप पर होगी। इसलिए आपने जो घोषणा की है अपने रेल बजट में, उसे जरूर ध्यान में रखें।

आंध्र प्रदेश ने कांग्रेस पार्टी को सबसे ज्यादा 32 सांसद दिए हैं, फिर भी आंध्र प्रदेश के साथ रेल के मामले में सबसे ज्यादा अन्याय हुआ है। पिछला रेल बजट बंगाल के चुनावों को दृष्टि में रखते हुए बनाया गया था और काफी फंड उधर मोड़ दिया गया था। अब तो वहां चुनाव हो गए हैं और मुख्य मंत्री भी बन गई हैं। इसलिए मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि अब तो आप हमारी तरफ देख लें। हम लोगों की तरफ भी आप ठीक तरह से देख लीजिए। यह गवर्नमेंट भी हम लोगों के एमपीज की वजह से चल रहा है। सबसे पहले इस रेलवे की पॉलिसी चेंज होनी चाहिए। भारत में रेलवे की रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा है लेकिन अभी भी 50 प्रतिशत लोगों ने रेल नहीं देखी है, रेल में कभी चढ़े नहीं है, रेलवे लाइन को देखा नहीं है। इसलिए इतने बड़े देश में रेलवे की पॉलिसी को चेंज करना चाहिए। जिस तरह से नेशनल हाई–वे का सिस्टम माननीय वाजपेयी जी के टाइम में चेंज हुआ था उससे रोड नेट–वर्किंग आज के दिन में इम्प्रूव हो गयी है। माननीय वाजपेयी जी ने जिस तरह से गोल्डन क्वाड्रिलेटरल अपनाकर पूरे सिस्टम को चेंज किया, उसी की वजह से रोड नेट–वर्किंग पूरा चेंज हुआ। उसी तरह से रेलवे को भी अपनी पॉलिसी चेंज करनी चाहिए। जो एग्जिस्टिंग्स प्रोजैक्ट्स हैं उनके लिए 1,25000 करोड़ की आपकी रिक्वायरमेंट

है। यह जो प्रोजैक्ट्स 15 साल से चल रहे हैं ये और 15–20 साल तक चलेंगे। जो नये प्रोजैक्ट्स आपने एनाउंस किये हैं उनके लिए कुछ नहीं है, उनका भी आपको ध्यान रखना चाहिए।

सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश की जो लाइन्स हैं, उनकी तरफ आपको ध्यान देना चाहिए। उसमें एक प्रशांत निलयम का है। चिकबडलापुर का नया लाइन आपने एनाउंस कर दिया है, उसे जरूर आपको देना चाहिए। उसी तरह से कड़पा–हिंदूपुर लाइन का भी सर्वे किया है। हमारी कान्स्टीटयुएंसी खम्माम के लिए आपने पांच लाइन्स एनाउंस की हैं, उसे अगले बजट में जरूर आपको देना चाहिए।

एक बार हम मिनिस्टर के सामने चेयरमैन के साथ था तो हमारा एक मैम्बर बोला कि साहब अपना फोन नम्बर दीजिए, तो चेयरमैन बोलता है कि आपको नम्बर देते हैं तो रात में हमें फोन आता है। हमें उस समय बहुत गुस्सा आया कि हम लोग तो 20 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, हमें फोन नम्बर नहीं देगा? तुरंत मिनिस्टर साहब ने उसे समझा दिया। इस तरह से मैम्बर को बोलना ठीक नहीं है। जब भी हम चैयरमैन रेलवे बोर्ड को फोन करें तो फोन उठाने की जिम्मेदारी चेयरमैन की बनती है। हम लोग पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्ज हैं। इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। आखिर में मेरी आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से रिक्वैस्ट है कि जो भी हमारी मांगे हैं, जो भी बातें हमने कही हैं, उन पर ध्यान दिया जाए। मैं सप्लीमेंट्री ग्रांट्स को सपोर्ट करता हूं।

[अनुवाद]

★**श्री एस.एस. रामासुब्बू** (तिरुनेलवेली) : हमारा भारतीय रेल विभाग जनता को सेवाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ–साथ अर्थव्यवस्था के विकास में प्रमुख योगदान भी देता है। प्रत्येक राज्य को अनिवार्य रूप से रेल सेवा की जरूरत है। हमारी रेल वृद्ध लोगों तथा अन्य विकलांगों को कई प्रकार की रियायत भी प्रदान करती है। एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच रेल लाइन संपर्क से लोगों के बीच संबंध और विश्वसनीयता विकसित करने में सहायक है। यह वास्तविक रूप से राष्ट्रीय एकता प्रदान स्थापित करती है। एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच रेल आमान परिवर्तन और दोहरीकरण की सुविधाएं रेलगाड़ियों की गति में सुधार लाने के लिए अपरिहार्य है।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

मदुरई से कन्याकुमारी वाया तिरूनेलवेली के बीच रेल लाइन के दोहरीकरण की सुविधाएं दक्षिण राज्य की जनता की लंबे समय से लंबित आवश्यकता है। उत्तर भारत, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से बहुत से लोग प्रतिदिन भगवान विवेकानन्द की मूर्ति देखने आते हैं। यात्री रेलगाड़ियां नियमित रूप से तभी चल सकती हैं जब वहां दोहरी रेल लाइन हो। मैं माननीय रेल मंत्री से वाया तिरूनेलवेली और विरुद्धनगर होते हुए मदुरई से कन्याकुमारी के बीच दोहरी रेल लाइन बिछाने के लिए पर्याप्त धन आवंटित करने का अनुरोध करता हूं।

नए रेलवे स्टेशन : मेरे संसदीय क्षेत्र तिरूनेलवेली में कुडनकुलम परियोजना, इसरो महेन्द्रकिरी और विजयनारायणम में है राधापुरम तालुक के दक्षिणी भाग में स्थित है। जनता की आवश्यकता को पूरा करने के लिए त्रिवेन्द्रम रेलवे मंडल के तिरूनेलवेली जिले के कवलकिनारू में कवलकिनारू नया रेलवे स्टेशन बनाया जाना चाहिए।

रेल सुविधाएं : मदुरई और तिरूनेलवेली होते हुए बंगलौर से नागरकोइल के लिए रेलगाड़ी सेवा मौजूद है। वर्तमान में, यह सेवा सप्ताह में केवल एक दिन उपलब्ध है। इसलिए, इस रेलगाड़ी को सप्ताह के सभी दिनों में नियमित रूप से चलाया जाए। तेनकाशी से तिरूनेलवेली तक बड़ी रेल लाइन का कार्य प्रगति पर है। लेकिन काम के पूरा होने में विलंब से रेल सुविधाओं का लाभ उठाने में जनता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इस काम को शीघ्र पूरा किया जाए तथा बड़ी रेल लाइन का निर्माण कार्य भी शीघ्रतिशीघ्र किया जाना चाहिए।

रेल उपरिपुल : तेनकाशी में सड़क उपरिपुल के निर्माण में विलंब होने से जनता को असुविधा होती है। तिरूनेलवेली, कुलवनीगारपुरम और थटेचलन्नूर में रेल उपरिपुल परियोजना को तत्काल शुरू किया जाए। रेल विभाग ने दो पुलों के लिए पहले ही धन आवंटित कर दिया है।

ठहराव : तिरूनेलवेली से कन्याकुमारी के बीच केवल तीन महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन हैं। जबकि यहां बहुत से ऐसे स्टेशन हैं जहां रेलगाड़ियों के ठहराव दिये जाने की आवश्यकता है।

त्रिवेन्द्रम के मंडल रेल प्रबन्धक को तिरूनेलवेली से कन्याकुमारी के बीच चलने वाले रेलगाड़ियों को कम से कम नांगुनेरी, वल्लीऐरू

और पानगुड़ी स्टेशनों जैसे प्रमुख स्टेशनों पर सभी रेलगाड़ियों का ठहराव दिए जाने के लिए अनुदेश दिए जाएं।

कन्याकुमारी से चेन्नई के बीच चलने वाली रेलगाड़ियों में यात्री सुविधाएं बहुत ही कम हैं। खान-पान की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। नेल्लई एक्सप्रेस में प्रथम वातानुकुलित कोच की सुविधाएं नहीं हैं। नांगुनेरी रेलवे स्टेशन और वल्लऐरू रेलवे स्टेशन में टिकटों की बुकिंग के लिए कम्प्यूटर उपलब्ध हैं लेकिन कम्प्यूटर कर्मी के अभाव में यह काम नहीं कर रहा है।

दक्षिणी तमिलनाडु से आने वाली रेलगाड़ियों को केवल गमोर स्टेशन पर ठहराव दिया जाना चाहिए। भीड़-भाड़ को कम करने के लिए रायपुरम रेलवे टर्मिनल का विकास किया जा सकता है। रायापुरम रेलवे स्टेशन पर 60 एकड़ से अधिक भूमि उपलब्ध है। इसे तीसरे टर्मिनल के लिए काम में लिया जा सकता है। दक्षिण भारत के शिक्षित बेरोजगारों को रेलवे की नई भर्ती में अवसर दिया जाना चाहिए।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : सभापति महोदय, मैं केन्द्र सरकार के वर्ष 2011-12 के रेल संबंधी व्यय हेतु अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मंत्री जी ने कितने अनुदान की मांग की है? माननीय सदस्य कामरेड प्रबोध पांडा जी ने अपने भाषण में बताया कि मंत्री जी ने सभा में अनुमोदन कराने के लिए कितनी राशि की मांग की है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यह राशि केवल एक लाख रुपए है।

सभापति महोदय : एक लाख करोड़ रु.।

श्री भर्तृहरि महताब : यह केवल एक लाख रु. है। मंत्री श्री दिनेश त्रिवेदी जी धन के बारे में काफी सचेत हैं। हर कोई समझ सकता है और मुझे उन पर पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से वे रेल मंत्रालय चला रहे हैं वे इसे घाटे से उबार लेंगे।

मेरी चिंता इस बात को लेकर है कि रेल संरक्षा के लिए उन्होंने केवल 20,000 रुपए दिए हैं। इससे पहले कि मैं विषय पर चर्चा करूं, मैं जानना चाहूंगा कि मुझे कितना समय आवंटित किया गया है।

सभापति महोदय : आपके दो मिनट हो चुके हैं। मैं आपको पांच मिनट और देता हूं।

श्री भर्तृहरि महताब : मैं पहले अपने निर्वाचन क्षेत्र के मुद्दे पर आता हूं।

सभापति महोदय : जी हां।

श्री भर्तृहरि महताब : महोदय जब सुश्री ममता बनर्जी रेल मंत्री थी तब मैंने उनसे एक मुद्दे के संबंध में संपर्क किया था। यह मुद्दा दूसरी लाइन को खोलने के लिए अतिरिक्त निधि प्रदान करने का था जो दूसरी लाइन को बारंग स्टेशन से कटक को जोड़ती है जिससे कि बाधा को दूर किया जा सके और कटक रेलवे स्टेशन के माध्यम से गाड़ियों की सुगम आवाजाही हो सके। मुझे आपको और इस सभा को यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि कटक स्टेशन कितना महत्वपूर्ण है। मुझे पूर्व तटीय रेलवे से और साथ ही पूर्व तटीय रेलवे के मुख्य प्रशासनिक कार्यालय से 30 दिसम्बर, 2010 को एक पत्र प्राप्त हुआ और हमेशा कि तरह मैं यह समझने में विफल रहा कि वे मुझसे सहमत है या असहमत है। मेरी एकमात्र चिंता यह थी कि अन्त्याधार को अगले पिलर तक शिफ्ट किया जा सकता है।

जैसा कि इस देश में मजाक किया जाता है, आप ठीक प्रकार से समझ सकते हैं। जब आप सम्प्रेषण करते हैं और आपके पास परिवहन सुविधा भी है, आपके पास सुविधाएं प्रदान करने का सही तरीका है लेकिन आपके पास सुविधाएं प्रदान करने का गलत तरीका भी है, परन्तु मुझे नहीं पता कि रेलवे सही है अथवा गलत। मुझे नहीं पता कि मुझे क्या लिखा गया था। मैंने तत्कालीन रेल मंत्री सुश्री ममता बनर्जी से संपर्क किया था उन्होंने उस पत्र के संबंध में लिखा था मुझे आशा है कि वह पत्र अभी भी रेलवे के पास है। उसके पश्चात् मैंने पुनः वर्तमान मंत्री से संपर्क किया। वर्तमान मंत्री ने काफी रुचि दिखाई। उन्होंने मेरा पत्र लिया, परन्तु मुझे कैबिनेट मंत्री के स्थान पर उनके सहयोगी मंत्री श्री मुनियप्पा जो मेरे अच्छे मित्र हैं स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति वे काफी सम्मान रखते हैं, से एक पत्र प्राप्त हुआ। उनके पत्र से कम से कम यह तो स्पष्ट था कि वे इसका अनुमोदन नहीं करेंगे। उत्तर में लिखा था। "पीछे अधोगामी पुल उपलब्ध कराना होगा और वह भी वर्षा में पानी में डूब जाएगा।" आमतौर पर रेलवे द्वारा यही उत्तर दिया जाता है।

बजट सत्र के दौरान मैंने पुनः रेल मंत्री से संपर्क किया। उन्होंने पुनः रूचि दिखाई और कहा "मैं इस विषय पर गौर करूंगा।" तदुपरांत गत मानसून एवं सत्र के दौरान 25 अगस्त

को एक पत्र दिया गया था। पुनः मुझे एक पत्र प्राप्त हुआ कैबिनेट मंत्री से नहीं उनके सहयोगी मंत्री श्री मुनियप्पा जी से जिसमें उन्होंने बताया कि संबंधित अधिकारियों को मामले की जांच करने का निदेश दिया गया है। मुझे अभी भी आशा है कि वे अभी भी मामले की जांच कर रहे हैं, पिछले दिसम्बर से इसकी जांच की जा रही है और अब दिसम्बर 2011 आ गया है और मुझे आशा है कि 2014 के चुनाव लड़ने से पूर्व विषय की जांच की जाएगी और इस विषय में निर्णय ले लिया जाएगा।

पुनः मैं इस सभा का ध्यान यात्रियों की सुरक्षा के संबंध में दिलाना चाहूंगा। रेलगाड़ियों में यात्रा करने वाले यात्रियों की सुरक्षा चिंता का विषय है और यह चिंता तब और बढ़ जाती है जब हमें पता चलता है कि सुरक्षा संबंधी अनेक पद रेलवे में रिक्त हैं। 18 अगस्त, 2011 को श्री बृजभूषण शरण सिंह जी द्वारा पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में रेल मंत्रालय ने बताया कि कुल 1,03,667 पद रिक्त हैं।

उसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि प्रत्येक रेलवे डिविजन में हजारों रिक्तियां थीं और 6000-7000 से अधिक मध्य रेलवे में, यह 6400 है। ईस्ट वेस्ट रेलवे में यह 7600 हैं। पूर्वी मध्य में यह 10,465 हैं अतः कुल संख्या लगभग 1,03,667 है। यहां मुझे याद आ रहा है कि माननीय मंत्री जी ने प्रैस कांफ्रेंस में एक वक्तव्य दिया था। श्री त्रिवेदी ने कहा था, हम संसद में एक नया विधेयक पुरःस्थापित करने वाले हैं जो चलती रेलगाड़ियों में होने वाले अपराधों के संबंध में जांच संबंधी सभी शक्तियां रेल सुरक्षा बल (आर पी एफ) को अंतरित करेगा।

यह काफी बुद्धिमतापूर्ण निर्णय है, परन्तु अन्ततः क्या हुआ? तदुपरांत रेलवे ने श्री अनिल काकोदकर, पूर्व अध्यक्ष परमाणु ऊर्जा आयोग और ई. श्रीधरन, हर कोई इन्हें जानता है जोकि कोंकण रेलवे और साथ ही दिल्ली मेट्रो के वास्तुकार हैं, को सितम्बर माह में सलाहकार के रूप में नियुक्त किया। तकनीकी और उच्चस्तरीय प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ सिस्टम्स (प्रणालियां) और प्रोटोकॉल के संबंध में प्रदान करने में स्वतंत्र रूप से बाह्य विचार प्रदान करेंगे। पहले ही तीन माह का समय बीत चुका है। यह विचार था कि रेलवे को तीन माह के भीतर रिपोर्ट मिल जाएगी। वे तीन माह के भीतर हमें रिपोर्ट देंगे। मैं बताना चाहूंगा कि तीन माह का समय पहले ही बीत चुका है।

सभापति महोदय : महताब जी कृपया अपनी बात समाप्त करें। अब कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री भर्तृहरि महताब : महोदय, यदि यह केवल एक लाख रुपये का मामला है तो फिर कहने के लिए कुछ नहीं है। परन्तु मैं आज इस समिति की स्थिति के बारे और इसने कितनी प्रगति की है इसके बारे में जानना चाहूंगा? रेल सुरक्षा बल में रिक्तियों की संख्या विभिन्न श्रेणियों में स्वीकृत संख्या के 25 प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक है। यह बहुत ही महत्पूर्ण मुद्दा है। भारतीय रेल के सुरक्षा प्रकोष्ठ में जनशक्ति की अत्यधिक कमी की समस्या के कारण अस्पतालों और अन्य स्थानों सहित संस्थापनाओं और संपत्तियों की सुरक्षा के लिए रेलवे की निजी सुरक्षा एजेंसियों पर निर्भरता बढ़ती जा रही है।

यहां मेरा प्रश्न यह है-क्या यह रेलवे का नीतिगत निर्णय है, क्या रेलवे ने निजी सुरक्षा गार्डों पर निर्भर होकर अपनी संपत्ति को संरक्षण करने के लिए सुरक्षा बल के कार्य को बाहय एजेन्सी को देने का निर्णय लिया है? जांच से पता चला है कि कुछ महाप्रबंधक निजी सुरक्षा गार्डों की सेवाएं लेना पहले ही प्रारंभ कर चुके हैं। महोदय, मैं इस प्रश्न का उत्तर चाहूंगा।

हाल ही में, ओडिशा विधानसभा के अध्यक्ष ने हमारी विधान सभा के अनेक विधायकों के साथ मंत्री जी से मुलाकात की थी। मेरा विचार है कि संसद भवन के कमरा संख्या छह में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और अन्य सदस्य भी उपस्थित थे और वहां एक ज्ञापन दिया गया था। यह हमारे मामले में विशिष्ट बात है कि हमारे यहां (उड़ीसा विधान सभा में) संबंधित रेल अधिकारियों से बातचीत के लिए एक रेल समिति है और रेल मंत्री जी ने काफी सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत की थी। परन्तु मुझे तब कुछ अजीब लगा, जब उन्होंने कहा कि मैंने केरल की यात्रा की थी और केरल सरकार ने उन्हें आश्वस्त किया था कि जो भी परियोजना नौ वर्ष से अधिक पुरानी हे, केरल सरकार मामले में तेजी लाने के लिए उन परियोजनाओं पर 50 प्रतिशत निवेश करेगी और उन्होंने वही विचार हमें दिया। मुझे यह नहीं मालूम कि हमारी विधानसभा में उस विचार पर चर्चा की जाएगी या नहीं और क्या निर्णय लिया जाएगा।

सभापति महोदय : अब कृपया अपनी बात समाप्त करें।

...*(व्यवधान)*

श्री भर्तृहरि महताब : मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या यह नीतिगत निर्णय है जो भी परियोजनाएं नौ वर्ष से अधिक समय

से लंबित हैं और यदि संबंधित राज्य सरकारें इसके लिए 50 प्रतिशत निवेश करने जा रही हैं, दिल्ली में रेल मंत्रालय के समान ही हमें यहां भवन बनाने की क्या आवश्यकता है। रेलवे की अनुरक्षण हेतु अपनी स्वयं की संपत्ति है। रेलवे को एक आदेशपत्र का पालन करना है, इसलिए मैं केवल आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि रेलवे की उन क्षेत्रों जहां से इसे राजस्व प्राप्त होता है के प्रति उत्तरदायित्व है, उसका यहां निवेश होना।

रेल मंत्री (श्री दिनेश त्रिवेदी) : नौ वर्ष की नीति के संबंध में, मुझे लगता है कुछ जानकारी का अभाव है। अनेक राज्य सरकारें आगे आई हैं और उन्होंने कहा है कि वे लागत के 50 प्रतिशत का वहन करेंगे। उन्होंने यह भी कहा है कि जहां भी संभव होगा, हम आपको भूमि प्रदान करेंगे। परन्तु नौ वर्ष की ऐसी कोई नीति नहीं है।

***श्री ए.के.एस. विजयन** (नागापट्टिनम) : मैं अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र नागापट्टिनम, तमिलनाडु के संदर्भ में निम्नांकित महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखना चाहता हूं।

तमिलनाडु में नागापट्टिनम, जोकि मेरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है, के आस-पास वेलनकानी चर्च, नागूरी दरगाह और थिरूनलार सनिसवारा भगवान मंदिर और सिक्कल स्कंध मंदिर हैं। इसलिए मेरा निर्वाचन क्षेत्र सबसे दुर्लभ स्थलों में से एक है जहां इस देश के सभी तीन धार्मिक प्रतीक एक-दूसरे के साथ सह-अस्तित्व में और सभी वर्गों के लोग इस क्षेत्र में रह रहे हैं और तीनों स्थलों पर न केवल स्वदेशी पर्यटक बल्कि बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक भी आते हैं।

थिरूवलूर-थिरूथरईपुंडी-करईकुडी रेल लाइन की मीटर गेज लाइन को ब्रॉड गेज लाइन में परिवर्तित करने के लिए 60 करोड़ रु. की राशि आवंटित की गई है। राशि आवंटित किए जाने के बाद भी अभी तक कोई कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। थिरूथपुरईपुंडी-अगस्थीमपाली की रेल लाइन हेतु भी निधियां आवंटित की गई हैं, परन्तु अभी तक कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। अगस्थीमपाली राज्य के सबसे महत्वपूर्ण नमक उत्पादक क्षेत्रों में से एक है। इसी स्थान पर नमक सत्याग्रह (लवण सत्याग्रह) हुआ था। इस समय अगस्थीमपाली से अन्य स्थानों के लिए कोई रेल संपर्क नहीं है, लोग पूर्णतः सड़कों पर ही आश्रित हैं इस कारण काफी असुविधा होती है चूंकि अत्यधिक परिवहन प्रभारों और अधिक समय लगने के कारण नमक उत्पादन की लागत बढ़ जाती है। एक समय इस क्षेत्र के वेदरनयम में सर्वाधिक राजस्व संग्रहण हुआ था। थिरूवरूर-थिरूथुरईपुंडी लाईन पर मुथुपेटई में 800 वर्ष पुरानी एक बहुत ही प्रसिद्ध दरगाह स्थित है, जहां देशभर से बहुत से पर्यटक आते हैं।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

नमक उत्पादन करने वाले लोगों के फायदे के लिए ब्रॉड गेज लाइन पर कार्य शीघ्र शुरू किया जाए। मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि पहले चरण में थिरूवरूर-थिरूथुराईपुंडी-पट्टकोट्टई लाइन पर कार्य तुरन्त शुरू किया जाए। इस लाइन के उपयोग से न केवल नमक उत्पादनकर्ताओं को सुविधा होगी, बल्कि उनके जीवन स्तर में भी सुधार होगा।

तमिलनाडु स्थित मुथूपेट्टई स्व. श्री सन्दनम अयंगर जो देश के पहले रेल मंत्री थे का जन्म स्थान है। अगस्थियानापल्ली और थिरूथुराईपोंडी मार्ग पर ब्रॉड गेज लाइन के कार्य की घोषणा पहले ही की जा चुकी है और मैयालादुथुरई और थिरूवरूर के बीच ब्रॉड गेज लाइन का कार्य प्रगति पर है। थिरूवरूर-मुथूपेट्टई (लगभग 40 कि.मी.) ब्रॉड गेज लाइन परियोजना भी शीघ्र ही शुरू की जाएगी क्योंकि इस लाइन पर रेल परिवहन उपलब्ध न होने के कारण इस क्षेत्र के लोग बहुत कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं।

नागापट्टिनम और नगूर के बीच अक्कारपेट्टई नामक एक स्थान है। रेलवे उपरगामी पुल न होने के कारण इस क्षेत्र के लोगों को इस अक्कारपेट्टई को पार करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार रेल यातायात के कारण अक्कारपेट्टई का रेलवे फाटक बहुत जल्दी-जल्दी बन्द होता है और लोगों को रेलवे फाटक पार करने के लिए लम्बे समय तक इंतजार करना पड़ता है। इसके कारण, इस रेलवे लाइन को पार करने के लिए लोगों को जल्दी करनी पड़ती है जिसके कारण बार-बार दुर्घटनाएं होती रहती हैं और इससे यहां के निर्दोष लोगों की मृत्यु हो जाती है। इसके कारण लोगों विशेषकर रोगियों और स्कूल जाने वो बच्चों को बहुत ही असुविधा होती है। अगर अक्कारपेट्टई में एक आर.ओ.बी. का निर्माण हो जाता है तो इससे बहुत सहायता मिलेगी। मैं, रेल मंत्री से इस परियोजना को शीघ्र शुरू करने का निवेदन करता हूं।

वर्तमान में नागूर और दिल्ली के बीच कोई सीधी रेलगाड़ी नहीं है। उत्तर भारत के बहुत से लोग मेरे निर्वाचन क्षेत्र के पर्यटक स्थलों पर बार-बार घूमने आते हैं और इन स्थानों के लोगों को नौकरी की तलाश में और अन्य कार्यों के लिए उत्तर भारत में जाना पड़ता है। नागूर और दिल्ली के बीच सीधी रेलगाड़ी उपलब्ध न होने के कारण लोगों को चेन्नई या तिरूचिरापल्ली में रेलगाड़ी बदलनी पड़ती है जिससे बहुत असुविधा होती है और उससे समय भी अधिक लगता है। यदि नागूर और दिल्ली के बीच शीघ्र एक सीधी रेलगाड़ी शुरू कर दी जाए तो, इस क्षेत्र के लोगों के लिए और उपर्युक्त पर्यटक स्थलों पर उत्तर भारत से आने वाले लोगों के लिए यह एक बड़ी मदद और सुविधा होगी। इसलिए मैं, रेलमंत्री से नागूर और दिल्ली के बीच एक सीधी रेलगाड़ी शुरू करने पर विचार करने का निवेदन करता हूं।

रेलवे नागूर से थिरूवरूर, त्रिची आदि के रास्ते वास्कोडिगामा के बीच एक एक्सप्रैस रेलगाड़ी शुरू करने जा रहा है और उपलब्ध सूचना के अनुसार उक्त एक्सप्रैस रेलगाड़ी का तमिलनाडु के थिरूवरूर में कोई ठहराव नहीं होगा। थिरूवरूर जिला मुख्यालय है और एक बहुत प्रसिद्ध नगर भी है। प्रसिद्ध चिकित्सा महाविद्यालय और केन्द्रीय विश्वविद्यालय थिरूवरूर में ही स्थित हैं। इस स्थान के महत्व को ध्यान में रखकर इस रेलगाड़ी का थिरूवरूर में ठहराव किए जाने की अत्यन्त आवश्यकता है जिससे थिरूवरूर और इसके आस-पास के लोगों को भारी सहायता मिलेगी।

वर्तमान में नागूर और चेन्नई एगमोर के बीच चलने वाली कम्बन एक्सप्रैस (गाड़ी संख्या-16176) का मम्बलम, चेन्नई में ठहराव नहीं हैं ताम्बरम से चलने के बाद यह केवल चेन्नई एगमोर में ही रुकती है। ताम्बरम और चेन्नई ऐगमोर के बीच के लोग जिनके पास अधिक सामान होता है उनको या तो तारम्बरम या चेन्नई ऐगमोर उतरना पडता है और वापसी की यात्रा में भी कम्बन एक्सप्रैस (गाड़ी संख्या-16175) चेन्नई ऐगमोर से चलती है और केवल ताम्बरम पर ही रुकती है। अधिक सामान लेकर जाने वाले लोगों को या तो चेन्नई ऐगमोर या ताम्बरम के लिए टैक्सी अथवा ऑटो रिक्शा किराए पर लेना पड़ता है और इन टैक्सी या ऑटो रिक्शा के लिए भारी-भरकम किराया देना पड़ता है, जिसे गरीब आदमी वहन नहीं कर सकते हैं। यदि इस रेलगाड़ी का ठहराव एक मिनट के लिए माम्बलम, चेन्नई में हो जाए, तो यह उनके लिए बहुत लाभदायक होगा। मैं, माननीय मंत्री जी से कम्बन एक्सप्रैस (गाड़ी संख्या-16176-16175) को मम्बलम, चेन्नई में एक मिनट के ठहराव हेतु आदेश जारी करने का निवेदन करता हूं ताकि लोगों को टैक्सियों अथवा ऑटो-रिक्शा को भारी-भरकम किराए का भुगतान न करना पड़े।

थिरूचिरापल्ली से नागापट्टिनम के रास्ते नागूर जाने वाली तीन यात्री गाड़ियां (गाड़ी संख्या-56714, 56712 और 56852) हैं। ये रेलगाड़ियां थिरूचिरापल्ली से 06:10 बजे, 10:05 बजे और 16:30 बजे चलती हैं और नागूर 10:50 बजे, 14:15 बजे और 20:55 बजे पहुंचती हैं और ये सभी गाड़ियां 10 डिब्बे वाली हैं। मैं सुझाव देना चाहता हूं कि यदि इन रेलगाड़ियों के डिब्बे बढ़ाकर 16 कर दिए जाएं और 8 डिब्बों को वेलानकणी जाने के लिए नागापट्टिनम पर छोड़ दिया जाए और 8 डिब्बे नागूर चले जाएं तो इससे वेलानकणी में पर्यटकों के आगमन को बढ़ावा मिलेगा और वेलानकणी के लोगों को बहुत लाभ पहुंचेगा।

इस वर्ष के बजट में, रेल मंत्री द्वारा महत्वाकांक्षी घोषणा की गई कि देशभर के रेलवे कर्मचारियों के लिए 10 लाख घरों का निर्माण कार्य केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के माध्यम से शुरू किया जाएगा। किंतु मैं यह बतलाना चाहूंगा कि यह अभी भी प्रारंभिक स्तर पर है। मैं रेल मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि वे इस तथ्य पर विचार करें कि ब्रिटिश काल से ही तमिलनाडु, जो पूर्व मद्रास प्रेसिडेंसी था, में कई महत्वपूर्ण रेलवे प्रतिष्ठान थे यथा गोल्डन रॉक रेलवे कार्यशाला, पेरांबुर कार्यशाला, आईपीएफ कारखाना, पोथानूर सिगनल कारखाना और ऐसे ही अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान। ब्रिटिश शासन काल में तमिलनाडु रेलवे कर्मचारियों के लिए कई आवास बनाए गए और कई शहरों में रेलवे कालोनियां बनायी गयीं। गत 10/15 वर्षो में कई आवासों की मरम्मत नहीं की गई या उसे परित्यक्त कर दिया गया और तमिलनाडु में अब रेलवे कालोनियां सिकुड़ रही हैं। इसलिए रेलवे कर्मचारियों के लिए आवास निर्माण करते समय तमिलनाडु को प्राथमिकता प्रदान किए जाने की आवश्यकता है। रेलवे के पुराने दिनों को वापस लाने के लिए रेलवे कालोनियों के रख-रखाव को उन्नत बनाया जाना चाहिए, रेलवे कर्मचारियों के लिए सामुदायिक केन्द्रों, खेल परिसरों और पार्कों के रूप में चिकित्सा सुविधाओं और मनोरंजन सुविधाओं में बढ़ोतरी की जानी चाहिए।

आईसीएफ की ईकाई–2 हेतु आधुनिकीकरण पर विचार करते समय, रेलवे मेट्रो कोच उत्पादन केन्द्र की स्थापना करने पर भी विचार करे जिससे कि हम अपनी मांगों को पूरा कर सकें। तेल की कीमतों और पेट्रोल/डीजल की कीमतों में बार–बार बढ़ोतरी से सड़क यात्रा महंगा हो गया है। उदाहरण के लिए, तमिलनाडु में बस के किराये में अत्यधिक वृद्धि की गई है। अतः मैं रेल मंत्री से आग्रह करूंगा कि वे इस तथ्य का ध्यान रखें कि अधिकाधिक यात्रीगण अब रेलवे से यात्रा कर रहे हैं। इसलिए, दक्षिणी रेलवे को उपयुक्त तरीके से अनुदेश दिया जाए कि वे तिरूनेलवेली और चेन्नई, मदुरै और चेन्नई तथा त्रिची एवं चेन्नई के बीच चलने वाली ट्रेनों में अधिक संख्या में कोच लगाएं। इस मांग को पूरा करने के लिए कम से कम लंबी दूरी की दो ट्रेनों को चलाया जाए। हम उपनगरीय ट्रेनों के अर्थक्षम परिचालन को भी महत्व प्रदान करें। प्रथम कदम के तौर पर मद्रास तट और तामब्रम के बीच चल रही उपनगरीय ट्रेनों की बारंबारता बढ़ा सकते हैं। इस सेवा में अधिक संख्या में ट्रेनों को चलाया जाए। मैं रेल मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि वे कोयम्बटूर और इरोड, वेल्लूर और आराकोनम, मदुरै और दिंडिगुल, त्रिची और तंजावूर तथा त्रिची और डिंडीगुल एवं सालेम व इरोड के बीच उपनगरीय रेल सेवा शुरू करे। तमिलनाडु में कानून का पालन करने वाले यात्री संस्कृति से रेलवे को राजस्व वृद्धि और अर्थक्षम सुरक्षित परिचालन में सहायता मिलेगी। मैं रेल मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वे तमिलनाडु के लोगों के लाभ के लिए उक्त प्रस्तावों पर उदारतापूर्वक विचार करे।

[हिन्दी]

डॉ. संजीव गणेश नाईक (ठाणे) : माननीय सभापति महोदय, मैं एक रेल मंत्री का अभिनंदन करता हूं कि वे पद संभालने के बाद आज पहली बार सदन के सामने आ रहे हैं। आज उनकी मांग है, आज तक हम उनसे मांग रहे थे आज वे हमसे मांग रहे हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं एक गंभीर बात के बारे में बोलूंगा कि रेलवे रिजर्वेशन सब सांसदों को दी जाती है कि यह फार्मेट है आप इसे भर दीजिए। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि सांसद रिजर्वेशन के लिए लैटर लिखते हैं, लेकिन लैटर डालने के बावजूद भी रिजर्वेशन नहीं होता। मेरे ख्याल से मेरी बात से बहुत से सांसद सहमत होंगे। हमसे लोग कहते हैं कि हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे हैं, लेकिन आप हमारा रिजर्वेशन भी नहीं करवा रहे हैं। इस कारण हमारी बहुत बेइज्जती हो जाती है। मेरा आपसे निवेदन है कि मंत्री जी इस दिशा में आप कोई एक मैकेनिज्म ढूंढ लीजिए, ताकि सांसदों के लैटर्स लिखने के बाद रिजर्वेशन हो सके। आज क्या होता है कि सांसदों के लिखने के बाद भी रिजर्वेशन नहीं होता है। मैं इस बारे में मंत्री जी से रिक्वैस्ट करूंगा।

[अनुवाद]

श्री दिनेश त्रिवेदी : क्या मैं इसे स्पष्ट करूं क्योंकि कई संसद सदस्यों ने इसके बारे में पूछा है? प्रणाली ही ऐसी है। कृपया इसे समझें। जब मैं संसद सदस्य था, मेरी भी ऐसी ही समस्या थी। मैं इसका समाधान करना चाहूंगा।

[हिन्दी]

हम चाहेंगे कि इसका कोई साल्यूशन निकले, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हर गाड़ी में जो वीआईपी कोटा होता है, वह दो ही होते हैं जो आम जनता पहले से रिजर्वेशन करा चुकी होती है, हम उसे नहीं कह सकते कि आप हट जाइये, कोई वीआईपी आ रहा है। जिस दिन हम ऐसा करेंगे, आपको पता है कि जनता आपके और हमारे साथ क्या करेगी और वह उचित भी नहीं होगा। क्योंकि कोटा ज्यादा नहीं कर सकते। यहां मामला सप्लाई और डिमांड का है। मगर चेष्टा यही होती है और ज्यादा से ज्यादा यही कोशिश की जाती है कि सबको अकोमोडेट किया जाए। खासकर जो बीमार हो, कहीं इमरजेन्सी हो, उनके लिए आप मुझे खुद मिल सकते हैं।

डॉ. संजीव गणेश नाईक : हम भी उसी की बात कर रहे हैं।

श्री दिनेश त्रिवेदी : मैं खुद आपके साथ शामिल हो जाऊंगा।

डॉ. संजीव गणेश नाईक : मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमें तुरंत इस बारे में जानकारी दी।

इसके अलावा मैं कहना चाहता हूं कि मंत्री जी नवी मुम्बई में एक बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है, जिसे सरकार जल्दी ही बनाने की कोशिश कर रही है। यह मुम्बई में दूसरा एयरपोर्ट बन रहा है। मैं चाहूंगा कि जैसे दूसरे देशों में हाई स्पीड रेल चलती हैं, मुम्बई के दोनों हवाई अड्डों के बीच में ऐसी ट्रेन चला दें, ताकि जल्दी से जल्दी एक हवाई अड्डे से दूसरे हवाई अड्डे तक जाया जा सके। हमने ऐसी एक हाई स्पीड रेल का प्रस्ताव रखा है। मैं चाहूंगा कि रेलवे इसके बारे में जल्द से जल्द एक

रिपोर्ट बनाये। राज्य सरकार इस प्रस्ताव के बारे में बहुत पॉजिटिवली काम कर रही है। यह एलिवेटिड ट्रैक है।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि देश की जो पहली रेल चालू हुई, वह ठाणे रेलवे स्टेशन से मुम्बई के विक्टोरिया टर्मिनल, जिसे आज सीएसटी कहा जाता है, के बीच चालू हुई। माननीय सदस्य परांजपे जी यहां बैठे हैं, उनके पिता जी पहले वहां से सांसद रह चुके हैं। उन्होंने भी यह मांग रखी थी कि उसे हैरिटेज बनाया जाए। पिछली बार ममता दीदी ने कहा कि हम इसे वर्ल्ड क्लास बनायेंगे। लेकिन अभी तक उसके बारे में कुछ नहीं हुआ। मैं मंत्री जी से कहूंगा कि इसे वर्ल्ड क्लास बनाने के बारे में जल्द से जल्द हमारी मांग को पूरा किया जाए। क्योंकि यह पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बेसिस पर है। यह मुम्बई जैसी जगह के लिए हैं, जहां पैसा भी है, लोग भी वहां पैसा लगाने के लिए तैयार हैं, अगर यह हो जायेगा तो ठाणे स्टेशन के लिए बहुत बड़ी बात होगी और मेरे ख्याल से हमारे सहयोगी परांजपे जी ने कहा कि वहां सबसे ज्यादा आबादी है, ठाणे जिला सबसे बड़ी आबादी का जिला बन गया है। मुम्बई में आने वाले उत्तर प्रदेश और साउथ के लोग सबसे ज्यादा वहीं आते हैं और ज्यादा स्टापेज भी वहीं मांगे जाते हैं। मैंने आपको विनती की थी और आपने कहा था कि हम मुंबई आयेंगे। यह उनकी भी मांग है और हमारी भी यही मांग है कि आप मुम्बई आइये और जल्दी से जल्दी मुम्बई के लोगों की समस्याओं का समाधान कीजिए।

महोदय, मुम्बई में जो लोकल ट्रेन्स चलती हैं, आपने उन्हें 9 से 12 डिब्बे किया और बाद में 12 से 15 डिब्बे किया। उसके लिए मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। लेकिन कुछ टाइम है, जिसे एडजस्ट करने की जरूरत है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके कार्यकाल में यह जरूर पूरा होगा।

आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

***श्रीमती रमा देवी** (शिवहर) : रेल अनुपूरक बिल पर कुछ विशेष बिन्दुओं पर ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं :-

मैं घोड़ासहन को आदर्श स्टेशन की मांग करती हूं कि आजादी के बाद यहां की कोई सुध लेने वाले मंत्री नहीं आए। बैरगनियां से रक्सौल आमान परिवर्तन के कार्य में तेजी लाई जाए जिससे रेल परिचालन शुरू हो सके। निधि का अभाव दिखाकर सभी की मंशा पर पानी फेर देते हैं, यह अच्छी बात नहीं है क्योंकि जो सांसद जहां से आते हैं वहां के लोगों को क्या जवाब देंगे। बैरगनियां से हावड़ा के लिए कोई ट्रेन नहीं है। इस पर विशेष तौर पर ध्यान देने का काम करें क्योंकि आजादी के 63 वर्षों में जो प्रगति है वह बहुत ही असंतोषजनक है। मुजफ्फरपुर से जसवंतपुर ट्रेन नं. 5228 जो जाती है वह दो दिन तक वहीं मुजफ्फरपुर में खड़ी रहती है। इसका विस्तार कर रक्सौल से शुरू किया जाए तो चंपारण के लोगों की कठिनाई दूर हो सकती है। हमारे चंपारण से दक्षिण बिहार के लिए कोई ट्रेन नहीं चलती है। मौर्य एक्सप्रेस जो गोरखपुर से रांची जाती है उसका विस्तार कर बापूधाम मोतिहारी से आरंभ किया जाए।

भारत वैगन के कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग का लाभ नहीं मिल रहा है। उसकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। मैंने भी कई बार मंत्री जी से मिलकर उनका सारा ब्यौरा दिया है। फिर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई है। पता नहीं चलता कि सांसद को महत्त्व कितना देते हैं? सप्तक्रांति ट्रेन नं. 2557 और 2558 को नई दिल्ली लाने का प्रयास किया जाए क्योंकि आनंद विहार में रोके जाने से यात्रियों को काफी असुविधा होती है। वहां से टैक्सी भाड़ा भी ज्यादा लिया जाता है जिससे यात्रियों में काफी क्षोभ है। इसको दूर किया जाए। सबसे जरूरी बात यह है कि जो रेल में कर्मचारियों की नौकरी वर्षों करने के बाद बदली करने में आनाकानी होती है और कहने पर कर्मचारियों की कमी बताई जाती है, यहां तक उनके बूढ़े माता-पिता, बीमार परिवार, दवा के लिए, सेवा के लिए तरस जाते हैं लेकिन उनकी बदली नहीं की जाती है जिससे जिस क्षेत्र से आने वाले कर्मचारियों के माता-पिता की शिकायत सुननी और सहनी पड़ती है। ये सारी बातें मेरे क्षेत्र से संबंधित है। इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

आज के दिन में रेल विभाग घाटे में चल रहा है जबकि आमदनी के कई स्रोत है। उसके संचालन की कमी होने के कारण बहुत सी दिक्कते हैं। धन के अभाव में रेलवे की तमाम परियोजनाएं अधर में लटकी हैं। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, निजामुद्दीन व सराय रोहिल्ला स्टेशन की इमारतों के नवीनीकरण की रफ्तार या तो धीमी पड़ गई है या योजना ठंडे बस्ते में डाल दी गई है।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

रेलवे में धन के अभाव का रोना जारी है। इसका असर उत्तर रेलवे की तमाम विकास परियोजनाओं पर दिखाई देने लगा है। उत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल के तहत आने वाले तीन स्टेशनों को देश के दूसरे तमाम स्टेशनों से अधिक अहम माना जाता है। नई दिल्ल रेलवे स्टेशन, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन व हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन वे स्टेशन हैं जहां से सबसे ज्यादा वीआईपी गुजरते हैं। इसी के तहत नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की साफ–सुथरा व नवीनीकरण की योजना बनी है। इसमें काम करने वाले ठेकेदारों को पिछला भुगतान नहीं हो पाया है। इस पर भी ध्यान देने की बात है। महंगाई की एक और किश्त के लिए जनता तैयार रहे। रेल किराये में वृद्धि के बारे में हमने आपको पहले बताया है। यह कब और कितनी होगी इसके बारे में अभी भी स्थिति साफ नहीं है। लेकिन इतना तय है कि किराया बढ़ाने के साथ यात्री सुविधाओं में भी बढ़ोत्तरी होगी। खानपान पर भी वृद्धि होने की संभावना दिख रही है। मैं पूछना चाहती हूं कि आठ वर्षों से नहीं बढ़ा तो अब क्यों?

भारतीय रेलवे को 50 करोड़ डालर का कर्ज देगा एडीबी। एशियाई विकास बैंक ने देश के व्यस्ततम माल ढुलाई और यात्री मार्गों पर रेल सेवा में सुधार के लिए भारत को 50 करोड़ डालर का कर्ज मंजूर किया है। एडीबी ने बयान में कहा कि एशियाई विकास बैंक रेल सेवाओं में सुधार के लिए भारत को 50 करोड़ डालर तक का कर्ज दे रहा है। इससे अतिरिक्त रेल लाइन बिछाने और मौजूदा सैकड़ों किलोमीटर ट्रैक का विद्युतीकरण किए जाने के साथ नई सिग्नल व्यवस्था लगाने के मकसद से यह कर्ज दिया जा रहा है। एडीबी भारतीय रेलवे के परिचालन दक्षता में सुधार के लिए एकाउंटिंग रिफार्म में भी मदद करेगा। यह कर्ज 25 साल के लिए है। इसमें पांच साल की वृद्धि की जा सकती है। इससे करोड़ों लोग लाभान्वित होंगे। देश की इस बहुत जरूरी लाइफ लाइन को ध्यान देकर इसे आगे बढ़ाने का काम करें।

[अनुवाद]

श्री एच.डी देवगौडा (हसन) : सभापति महोदय, मैं पिछले 15 वर्षों से लंबित परियोजनाओं का ही जिक्र कर रहा हूं। मेरे लोग कहेंगे कि मैं कुछ नहीं पूछता हूं। इस सभा का सदस्य बने रहने के लिए मैं केवल पढूंगा क्योंकि वे समझेंगे कि मैंने इसके लिए दबाव बनाया। मैं अंतिम परिणाम जानता हूं। परियोजनाएं हैं–बेंगलुरू–सत्यमंगला रेलवे लाइन–कर्नाटक से मंत्री यहां बैठे हैं–गदाग–बीदर; हसन–बेंगलुरू, हुबली–अंकोला, कदूर–चिकमंगलूर, मुनिराबाद–महबूबनगर, मैसूर–चमराजनगर, बेंगलुरू–वाइटफिल्ड, केंगरी–रामनगर, यशवंतपुर–तुमकुर एवं हॉस्पेट–गुंटाकल। इन परियोजनाओं को 1996–97 में मंजूरी मिली थी। मेरे एक पूर्ववर्ती मित्र, मेरा तात्पर्य है कि वर्तमान मित्र एवं पूर्व मित्र भी क्योंकि उनकी पार्टी ने मुझे प्रधान मंत्री बनाने में मेरा समर्थन किया था।

सभापति महोदय : देवगौड़ा जी, ये परियोजनाएं तब शुरू हुई थीं जब आप प्रधानमंत्री थे।

श्री एच. डी. देवगौड़ा : नहीं। उनके समर्थन से मैं प्रधानमंत्री बना। चिदम्बरम यहां नहीं हैं। यदि वे यहां होते तो मैं उस दिन लिए गए निर्णयों के बारे में बात करता। हालांकि मैं अब उस पर अपना समय बर्बाद करना नहीं चाहता।

महोदय, ये सभी परियोजनाएं पिछले 15 वर्षों से लंबित हैं। चाहे यूपी, सरकार हो या एनडी, सरकार, किसी ने भी कुछ नहीं किया। मेरे अपने मंत्री यहां हैं। वे इन परियोजनाओं को हाथ लगाने में भी असमर्थ हैं। वे लाभकारी परियोजना शुरू करने जा रहे हैं या नहीं, मैं अभी आपसे इसका स्पष्टीकरण नहीं चाहता। माननीय मंत्री द्विवेदी ने कम से कम मेरे पत्रों की पावती भेजने की जहमत तो उठाई थी। सभी तीन पत्रों की पावती भेजी जिसके लिए मैं उनके प्रति कृतज्ञ हूं।

एक परियोजना चिकमगलूर में है जहां से श्रीमती इंदिरा गांधी ने चुनाव लड़ा था। उत्तर भारत में तो कांग्रेस का पूरी तरह से सूपड़ा साफ हो गया था पर चिमगलुर ने मैडम गांधी को एक नया जन्म दिया, सोनिया गांधी जी को भी बेलारी से एक नया राजनीतिक जीवन मिला। कृपया इन शब्दों को याद रखें। लेकिन समय बदल रहा है। मैं इसे दुहराना नहीं चाहता। यह परियोजना उपलब्ध संसाधनों के अनुसार आगामी वर्षों में प्रगति करके पूरी की जाएगी। मंगलोर–चेन्नै मार्ग के संबंध में दो प्रमुख पत्तन इस परियोजना से जुड़े हुए हैं। यह सबसे कम खर्चीली परियोजनाओं में से एक है। यहां कोई पहाड़ी क्षेत्र नहीं है। कोई समस्या नहीं है। मैं जानता हूं। मैं भी एक इंजीनियर हूं। इस परियोजना के बारे में पूर्व रेल मंत्री ने कहा, "यह परियोजना उपलब्ध संसाधनों के अनुसार आगामी वर्षो मे निगरानी रखते हुए पूरी की जाएगी।" सभी पन्द्रह परियोजनाओं का भाग्य एक ही एवं एक जैसा है।

लाइनों के दोहरीकरण के संबंध में मैसूर–बंगलुरू लाइन पर भारी यातायात है। हमारे कार्यकाल के दौरान लाइन के दोहरीकरण का कार्य प्रारंभ किया गया था। मेरे मित्र यहां बैठे हैं। बेंगलुरू की तरफ केनगेरी या रामनगर तक पूरा किया गया था। मैं नहीं जानता वहां से मैसूर की ओर लगभग 15 कि.मी. मैसूर तक, काम हो रहा है। एक समय मैसूर राजधानी थी। हालांकि रेलवे ने मीटर गेज लाइन को ब्रॉड गेज में बदलने में 17 वर्ष लगा दिए। सत्रह वर्ष!

मैं राज्य के मुद्दे नहीं उठाना चाहता तथा कैसे कुछ राज्यों को नजरअंदाज किया गया है। यदि मेरे पास पर्याप्त समय रहता तो मैं पूरे आँकड़े दे सकता था। मैं उस प्रधानमंत्री के बारे में बात नहीं करना चाहता जिन्होंने राज्यों के बीच भेदभाव किया। यदि आपको गठबंधन सरकार चलानी है तो आपको उनका तुष्टीकरण करना पड़ता है। इसी स्थिति का सामना प्रधानमंत्री कर रहे हैं। जब तक वह गद्दी से जुड़े हैं उन्हें हर किसी की ओर ध्यान देना है। मैं इससे आगे नहीं कहना चाहता। यदि आप कुर्सी बचाए रखना चाहते हैं तो आपको हमारी तरफ सुनने की जरूरत नहीं है। मुझे बहुत स्पष्ट रूप से कहने दीजिए। उस दिन जब कांग्रेस ने समर्थन वापस लिया। भाजपा मेरा समर्थन करना चाहती थी मैंने उसे स्वीकार नहीं किया। इसका कारण है कि मैं कुर्सी से चिपकता नहीं हूं। यह मेरे जीवन का राजनीतिक सिद्धांत रहा है। समय आएगा और मैं उन सभी बातों को कहूंगा।

आपने सभा में अनुपूरक बजट पेश किया है। ओडिशा के मेरे मित्र एक लाख रुपये के सांकेतिक प्रावधान के बारे में कह रहे थे। उन्हें जरूर महसूस करना चाहिए कि कैसे 1 लाख रुपये उपलब्ध कराए गए। वह बाहर चले गए हैं। स्वीकृत अंश के अंतर्गत अनुपूरक मांग है–पूंजीगत 40 लाख रुपये, रेलवे निधि के अंतर्गत 40 लाख रुपये तथा रेलवे संरक्षा निधि के अंतर्गत 20 लाख रुपये। वर्ष 2011–12 के दौरान उन्होंने कुछेक परियोजनाओं पर उनकी बारी से पहले काम शुरू किया है जिन्हें नई सेवा तथा नए सेवा उपकरण माना जाता है।

मैं केवल इन चीजों पर नजर डाल रहा था। एक लाख रुपये का उल्लेख यहां किया गया है। इसमें कहा गया है कि एक लाख रुपये की सांकेतिक अनुपूरक राशि इस कार्य को तुरंत प्रारंभ करने के लिए मांगी जा रही है तथा शेष राशि कई मामलों में 90 लाख रुपये, 98 लाख रुपये, एक करोड़ रुपये, दो करोड़ रुपये या दस करोड़ रुपये की पूर्ति अनुदान राशि में से ही पुनर्विनियोजन से की जाएगी।

वे कार्य धीमा करेंगे और वहां इस धन का उपयोग करेंगे। यह पुनः सरकार को चलाने के लिए सहयोगी दलों को संतुष्ट करने के लिए है। मैं इससे अधिक कुछ और नहीं कहना चाहता। मुझे मूल बजट से भी इसकी जानकारी मिली। यू.पी.ए. सरकार ने वर्ष 1996–97 के दौरान भी बजट प्रस्तुत किया था। उस समय श्री चिदम्बरम जी यहां थे। वे बाहर गए हुए हैं। मैंने उन्हें बताया कि कैसे आम बजट से रेलवे बोर्ड को निधियां प्रदान की जा सकती हैं।

मैं कभी भी किसी भी स्थायी समिति का सदस्य नहीं रहा। मैं केवल रेलवे संबंधी स्थायी समिति का सदस्य बनना चाहता था। वहां अधिकारी थे। कोई भी इस प्रश्न का उत्तर देने को तैयार नहीं था कि परियोजनाओं में विलम्ब क्यों हुआ था। मैं वहां 2000 रु. के लिए नहीं गया था; संसदीय कार्य मंत्री ने अध्यक्ष को बताया कि हमारे लिए उपस्थित पंजिका में हस्ताक्षर करना अनिवार्य क्यों है। एक पैनल चर्चा के दौरान हर किसी ने "कार्य नहीं तो दैनिक भत्ता" नहीं की बात कही। परन्तु हमारी अंतर्आत्मा हमें अनुमति नहीं देगी। मैं यहां 11 बजे से बैठा हुआ हूं और बस केवल देख रहा हूं।

मेरे मित्रों को ये शब्द याद होंगे कि परिस्थितियां अत्यंत खराब हैं। विपक्ष के सदस्य बता रहे थे और विपक्ष के नेता भी बड़ी विनम्रता से बता रहे थे कि आप त्याग पत्र दे दें आप वापस आ जाओगे। समय इतना प्रतिकूल है मैं आपको बता रहा हूं आपकी नीतियां और कार्यक्रम कुछ भी हो।

दो रेल डिब्बा कारखानों–हुबली और रेल कार्यशालाओं का क्या हुआ? अनेक रेल डिब्बा कारखाने बंद हो गए। हमारे पूर्व रेल मंत्री ने यह घोषणा की थी। यह मेरे कार्यकाल महाराजा युग और उपनिवेशी युग के दौरान ऐसा नहीं हुआ, परन्तु सात सरकारों ने हुबली कार्यशाला के लिए 50 करोड़ रुपए दिए थे लेकिन, जब मैं प्रधानमंत्री था तब मैंने इन्हें बंद नहीं किया था। आज मैंने एक अधिकारी से पूछा क्या उन्होंने कम से कम एक रेल डिब्बे का निर्माण भी किया है? यात्री रेल डिब्बा कारखाना वहां पहले से ही है। हुबली कार्यशाला केवल वैगन अथवा मालगाड़ी के डिब्बों का ही निर्माण कर सकता है उसे केवल 50 करोड़ रु. दिए गए थे। मैसूर कारखाना बंद कर दिया गया। वहां केवल कादुर गुड शेड है। परन्तु उसको भी स्थानांतरित किया जा रहा

है। आपको बहुत सावधान रहना होगा, समय नजदीक आ रहा है।

पूर्व प्रधानमंत्री होने के नाते बड़े दुख के साथ मैं यह बताना चाहता हूं। आपने आदर्श रेलवे स्टेशनों की बात कही। उसमें हुबली और मैसूर का नाम नहीं है। आप रेल मंत्री हैं कितने रेलवे स्टेशन हैं? ये नारे किसलिए? मुझे बड़ा खेद है। आपने अनेक रेलगाड़ियों की घोषणा की है। मैंने केवल मैसूर अर्सीकेरे से दो रेलगाड़ियों की मांग की है।

पूर्व रेल मंत्री श्री सी.के. जाकर शरीफ ने इस मार्ग को बंद कर दिया था। आज दस से अधिक रेलगाड़ियां चल रही हैं न केवल अर्सीकेरे से मैसूर, मैसूर से दिल्ली बरास्ता अर्सीकेरे, मैसूर से गोवा और मैसूर से अनेक मार्गो को रेल गाड़ियां जाती हैं। उस समय यह कार्य नहीं कर रहा था। जब तक आप अवसंरचना का सृजन नहीं करेंगे तब तक मार्ग कार्ययोग्य कैसे बन सकता है। उस समय हमने नीति में परिवर्तन किया।

पूर्वोत्तर राज्यों में, कोई भी परियोजना आरम्भ नहीं हो सकी। उस समय हमने नीति में परिवर्तन किया था। तत्पश्चात् उत्तरवर्ती सरकारों ने अपने अनुसार नीतियों में परिवर्तन किया और अपनी नीतियां तैयार कीं। मैं इस पर टिप्पणी करना नहीं चाहता। यह उन पर निर्भर है।

मेरे कुछ मित्र जो यहां उपस्थित हैं यह जानते होंगे कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा वर्ष 1997–98 में हुबली–अंकोला खंड की आधारशिला रखी गई थी। उसका क्या हुआ? मुझे नहीं पता कि वह शिला अभी वहीं है अथवा किसी ने उसे उखाड़ लिया है। मैं लम्बा भाषण नहीं देना चाहता। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे पास अनेक सामग्री है परन्तु क्या मैं सार्वजनिक मंच पर उपयोग कर सकता हूं? मैं राजनीति से संन्यास नहीं ले रहा हूं।

श्री के. एच. मुनियप्पा, मैं जानता हूं कर्नाटक में कैसे कार्य हो रहा है। यदि आप यू.पी.ए. सरकार और कांग्रेस को बचाना चाहते हैं तो आपको और सजग होना होगा। मैं केवल यही कह सकता हूं। आप कुछ भी कह सकते हैं। मैं बताना नहीं चाहता। क्या मैंने किसी से आगे की पंक्ति में सीट देने के लिए कहा था? क्या मैंने आपसे अनुरोध किया था? मैंने इसकी मांग नहीं की। मैंने अध्यक्ष महोदया और संसदीय कार्य मंत्री श्री पवन कुमार बंसल से कहा आप मुझे यह सीट क्यों दे रहे हैं? मैं कहीं भी बैठ सकता हूं और कहीं से भी दो अथवा तीन मिनट बोल सकता हूं? यह मेरे लिए कोई बहुत बड़ा सम्मान नहीं है। मैंने कभी किसी से इसकी मांग नहीं की।

मैंने अध्यक्ष महोदया को यह कहते हुए पत्र लिखा था कि मैं अपना भाषण दो या तीन मिनट के भीतर समाप्त कर दूंगा। मुझे काफी दुख है। क्योंकि कर्नाटक में शुरू किए गए सभी कार्य रुक गए हैं। यह मेरे लिए काफी दुखद है।

मैंने 2004 से केवल दो भाषण दिए हैं। यदि आप एक माह का सत्र बुलाते हैं, तो आप मुझे प्रतिदिन तीन मिनट दीजिए। मैं केवल एक भाषण दूंगा। मैं अनेक भाषण नहीं देना चाहता। मैं या तो राष्ट्रपति अभिभाषण या बजट संबंधी सामान्य चर्चा पर बोलूंगा। आप मुझे 30 दिनों में प्रत्येक दिन केवल तीन मिनट दें। मैं अपने सभी तीन मिनटों का प्रयोग करूंगा। कम से कम मुझे इस हेतु संतोष तो मिलेगा। मैं अपने सार्वजनिक जीवन के 52 वर्ष के अल्प अनुभव के आधार पर इस हेतु अनुरोध करते हुए अपना अपमान नहीं कराना चाहता हूं।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं सभा के नेता, संसदीय कार्य मंत्री और माननीय अध्यक्ष महोदया से अपील करना चाहूंगा कि कृपया मुझे अपमानित न करें। मैं सभा में व्यवधानों के लिए जिम्मेदार नहीं हूं। मैं ऐसा कभी नहीं करुंगा चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। हमें यहां बोलना होता है और अपने भाषण को केवल तीन मिनट में समाप्त करना होता है। कृपया सभी विषयों के लिए तीन मिनट दो। कृपया प्रत्येक विषय पर तीन मिनट ही दें। मैं इस मामले से निबट लूंगा और संतुष्ट महसूस करूंगा। धन्यवाद।

अपराह्न 5.00 बजे

सभापति महोदय : आपको सूचित करना चाहता हूं कि अभी भी मेरे पास बोलने वाले 25 वक्ताओं की सूची है।

श्री एच.डी. देवगौड़ा : महोदय, मैं किसी को रोकने नहीं जा रहा। यदि आप चाहते हैं, तो हम सुबह 2 बजे तक बैठेंगे। भोजन यहीं दिया जा सकता है। मैं किसी को रोकना नहीं चाहता हूं। परन्तु आपने मुझे पूरे सत्र में कुल एक घण्टा या 45 मिनट ही दिए हैं। मैं केवल तीन मिनट के लिए बोलूंगा और मैं राष्ट्रपति अभिभाषण या सामान्य बजट पर ही बोलूंगा।

श्रीमती विजया चक्रवर्ती (गुवाहाटी) : महोदय, मैं मानती हूं कि रेलवे इस देश और राष्ट्र की जीवनरेखा है। यदि ये सही और ठीक ढंग से चले तो इससे इस देश के प्रत्येक कोने में विकास होगा। ये पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक मकड़ी के जाल की तरह फैला है। लेकिन मुझे लगता है कि रेल मंत्रालय में सब कुछ ठीक नहीं है।

मैं यहां पर रेल दुर्घटनाओं का उल्लेख करना चाहती हूं जोकि निरंतर हो रही है। पिछले कुछ महीनों के दौरान देश में अनेक दुर्घटनाएं हुई हैं। मुझे नहीं मालूम इस हेतु रेलवे में कौन उत्तरदायी है। इतनी दुर्घटनाएं क्यों हो रही हैं? क्या कोई तकनीकी कमी है? मुझे नहीं मालूम कि वहां कोई तकीनीकी व्यक्ति है या नहीं है। मुझे लगता है कि सही व्यक्ति, सही जगह पर काम नहीं कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है क्योंकि कई बार रोजगार राजनीतिक आधार पर दिया जाता है। मैं महसूस करती हूं कि इन दुर्घटनाओं के कारण सैकड़ों और हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई है।

इसलिए, मैं अनुरोध करूंगी कि मंत्री और मंत्रालय को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि रेल दुर्घटनाएं बार–बार न हों।।

अपराह्न 5.02 बजे

(डॉ. एम. तम्बिदुरई *पीठासीन हुए)*

दूसरा, मैं यहां पर उल्लेख करना चाहती हूं कि माननीय रेल मंत्री जी ने कहा है कि मंत्रालय को कोई नुकसान नहीं हुआ है और मंत्रालय द्वारा अर्जित राजस्व और इनकम व्यय लगभग बराबर है। लेकिन मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूं। यदि ऐसा है तो रेलवे द्वारा परिकल्पित या शुरू की गई परियोजनाएं पूरी क्यों नहीं हुई हैं? यदि आपके पास पर्याप्त निधियां हैं, तो अभी तक कुछ परियोजनाएं शुरू क्यों नहीं हुई हैं? मुझे मंत्रालय से ज्ञात हुआ है कि निधियों की कमी के कारण आपका मंत्रालय मीटर गेज आमान से ब्रॉड गेज में परिवर्तन की योजनाएं को शुरू नहीं कर सका है।

तीसरा, प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट के अनुसार, मंत्रालय कोयला मंत्रालय, उर्वरक विभाग और खाद्य विभाग को भी पर्याप्त संख्या में वैगन उपलब्ध नहीं करा सका है। इसके परिणामस्वरूप इन विभागों के साथ–साथ लोग भी परेशानी का सामना कर रहे हैं। मैं भारतीय खाद्य निगम का एक उदाहरण देना चाहूंगी। वे अपना खाद्यान्न अर्थात चावल, चीनी, दाल और गेहूं जर्जर वैगनों में भेजते हैं। वर्षा ऋतु के दौरान ये सारी चीजें नष्ट हो जाती हैं। यह सभी जगह होता है। इसलिए यदि रेल मंत्रालय की हालत सही नहीं हो तो देश की अर्थव्यवस्था को बनाए रखना बड़ा दुष्कर होगा।

मैं समझती हूं कि रेल मंत्रालय ने योजना आयोग से कहा है कि वह मंत्रालय में उल्लिखित इन परियोजनाओं को शुरू करने के लिए पर्याप्त धन संस्वीकृत करे। किंतु दुर्भाग्यवश योजना आयोग ने अपेक्षित राशि को मंजूरी नहीं दी है।

मैं पूर्वोत्तर क्षेत्र से आती हूं और मैं कतिपय परियोजनाओं का उल्लेख करना चाहती हूं। पूर्वोत्तर क्षेत्र सबसे उपेक्षित क्षेत्र है। जब ट्रेन गुवाहाटी या डिब्रूगढ़ से चलती हैं और दिल्ली पहुंचती हैं तो यह सदा 10 घंटे या 12 घंटे या कभी–कभी 18 घंटे लेट हो जाती है। क्योंकि इसे क्षतिग्रस्त घोषित कर दिया गया है। मुझे इसका कारण नहीं पता है।

महोदय, मैं पूर्वोत्तर क्षेत्र की कुछ परियोजनाओं का उल्लेख करना चाहूंगी। मैं विशेषकर मिजोरम, अरूणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर राज्यों का हवाला देना चाहूंगी खासकर मणिपुर और अरूणाचल प्रदेश राज्य सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण राज्य हैं और चीन ने इन राज्यों के पार सीमा पर सभी संभव सुविधाओं को खड़ा कर दिया है। उनके पास सीमा के उस पार बेहतर सडक अवसंरचना और वायुक्षेत्र हैं। किंतु सीमा के इस पार अच्छी सड़क की बात तो छोड़िए गुवाहाटी से तवांग पहुंचने में 18 से 20 घंटे लगते हैं। इसलिए अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर और मिजोरम राज्यों में रेल संपर्क तत्काल आवश्यक है क्योंकि ये राज्य देश की सीमा पर अवस्थित हैं।

महोदय, असम राज्य में दो घाटी हैं नामतः असम घाटी और बराक घाटी। किंतु 12 वर्षो के बाद भी लामडिंग से बादरपुर के बीच बड़ी लाइन का कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है। मुझे इसके कारणों का पता नहीं है। मैं चाहूंगी कि माननीय मंत्री जी बताएं कि यह परियोजना अब तक पूरी क्यों नहीं हुई है।

सभापति महोदय : अब आप अपनी बात समाप्त करें।

श्रीमती विजया चक्रवर्ती : महोदय, मैंने अभी–अभी तो अपनी बात शुरू की है।

सभापति महोदय : आपकी पार्टी के पांच और सदस्यों को अभी बोलना है और यदि आप उनका समय भी लेना चाहती हैं तो आप अपनी बात जारी रख सकती हैं।

श्रीमती विजया चक्रवर्ती : महोदय, एक परियोजना है जिसका नाम रांगिया–अरूणाचल रेलवे लाइन है और एक बोगीबील पुल है।

[हिन्दी]

उसका शिलान्यास श्री अटल बिहारी बाजपेयी जी ने किया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि यह दस वर्षों में पूरा होगा। अभी उसकी क्या हालत है, यह आप जरूरत जानते होंगे।

[अनुवाद]

ऐसा इसलिए क्योंकि जब समय अधिक लगता है तो लागत भी बढ़ जाती है। मैं यह नहीं कहना चाहती हूं कि वहां क्या हो रहा है क्योंकि मुझे सच पता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि वे इस मामले को देखें क्योंकि यह पुल असम और अरूणाचल प्रदेश के सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सीमावर्ती क्षेत्र में अवस्थित है और यह न सिर्फ उस क्षेत्र के लोगों की आवश्यकता को पूरा करेगा बल्कि सेना की आवश्यकताओं को भी पूरा करेगा।

महोदय, एक अन्य मुद्‌दा जिस पर मैं यहां चर्चा करना चाहूंगी वो है न्यू जलपाईगुड़ी और डिब्रुगढ़ रेलवे लाइन का विद्युतीकरण। इस लाइन के विद्युतीकरण का कार्य अब तक शुरू नहीं किया गया है। मुझे जानकारी नहीं है कि इस कार्य को शुरू क्यों नहीं किया गया है। रेल पंत्रालय ने उल्लेख किया था कि उसने 4500 किलोमीटर लंबी लाइन के विद्युतीकरण का प्रस्ताव किया था। किंतु एनजीपी–डिब्रूगढ़ रेल खंड के विद्युतीकरण का कार्य अभी तक शुरू नहीं किया गया है। अब तक एनजीपी से डिब्रुगढ़ असम की ओर एक भी लाइन का कार्य शुरू नहीं किया गया है। यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं सुश्री ममता बनर्जी की आभारी हूं कि उन्होंने पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 5 महत्वपूर्ण ट्रेनों की घोषणा की थी।

रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण भी तत्काल आवश्यक है और यह कार्य तब शुरू किया गया था जब सुश्री बनर्जी रेल मंत्री थी और मैं आशा करती हूं कि निवर्तमान रेल मंत्री के कार्यकाल के दौरान इस कार्य को पूरा कर लिया जाएगा क्योंकि आधुनिकीकरण का अर्थ विलासिता नहीं होता बल्कि यह एक आवश्यकता है।

महोदय, मैं जानती हूं कि रेलवे विदेशी एजेन्सियों से बहुत सारा ऋण ले रहा है। उधार लेना तब सही होता है जब इस राशि का सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए, अन्यथा यह लोगों के उपर एक बड़ा भार हो सकता है। मुझे आशा है कि विदेशी एजेन्सियों से प्राप्त ऋण के कुछ भाग को पूर्वोक्षेत्र में रेलवे नेटवर्क के विकास पर खर्च किया जाएगा।

महोदय, मैं इसका उल्लेख करना चाहूंगी, यद्यपि यह बात यहां सभी लोगों को पता है, कि देश के कतिपय भागों में रेल के डिब्बों में चोरी होती है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि रेलवे के पास वित्त की कमी के कारण सरकार उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति में नाकाम है। आपकी रिपोर्ट से मुझे ऐसा समझ आता है। मेरा विचार है कि आपके पास एक अच्छी सतर्कता और निगरानी प्रणाली है। आपको इस विभाग की जो भी आवश्यकता है उसे अवश्य पूरा करना होगा ताकि उसकी सतर्कता प्रणाली बेहतर हो सके। मैं जानती हूं कि रेलवे को हानि हो रही है और यदि ऐसा लम्बे समय तक चलता रहा, तो रेलवे, इण्डियन एयरलाइन्स की तरह हो जाएगी। कभी ऐसा हो सकता है कि देश में रेलवे रहे ही नहीं। मैं आशा करती हूं कि माननीय मंत्री इस पहलू पर ध्यान देंगे।

महोदय, मैं रेलवे मंत्रालय से दो मांगें करना चाहती हूं। मैं यहां पर रेलवे खान–पान सेवा के कुछ लोगों के बारे में उल्लेख करना चाहती हूं जिन्हें नौकरी से बाहर निकाल दिया गया है, माननीय मंत्री इस मामले पर विचार करें। एक अन्य मुद्‌दा है कि मैं गुवाहाटी से पुणे और गुवाहाटी से बैंगलौर को जोड़ने वाली एक रेलगाड़ी की मांग करना चाहती हूं क्योंकि इन जगहों से बहुत से छात्र उत्तर–पूर्व क्षेत्र को नाते हैं। रेल उपरि पुल भी एक आवश्यकता है।

सभापति महोदय : आप उन परियोजनाओं, नई लाइनों और रेलगाड़ियों का उल्लेख करें जिन्हें आप चाहते हैं और अपना भाषण समाप्त करें।

...(व्यवधान)

श्रीमती विजया चक्रवर्ती : यह अति आवश्यक है। मैं माननीय मंत्री से इन परियोजनाओं को शुरू करने का निवेदन करती हूं। मुझे भरोसा है माननीय मंत्री, श्री त्रिवेदी ऐसा करेंगे क्योंकि वह एक ईमानदार व्यक्ति हैं।

सभापति महोदय : इस विषय पर लगभग 25 और सदस्य बोलने के लिए बाकी हैं। 6 बजे हमें यह चर्चा समाप्त करनी होगी। इसीलिए, बहुत संक्षेप में बोलने की कोशिश करें। मैं माननीय सदस्यों से उन मुद्दों को जिन पर पहले बोला जा चुका है, दुहराए बिना अपने-अपने मुद्दों का उल्लेख करने का निवेदन करूंगा। केवल तभी हम अधिक सदस्यों को शामिल कर सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, जो माननीय सदस्य अपना भाषण सभा-पटल पर रखना चाहते हैं, ऐसा कर सकते हैं। यह कार्यवाही में शामिल माना जाएगा।

[हिन्दी]

***श्री खिलाड़ी लाल बैरवा** (करौली धौलपुर) : रेलवे की जो खस्ता हालत है। वह चिन्ता का विषय है और राजनीतिक परिस्थितियों की वजह से यह स्थिति बिगड़ती जा रही है। रेलवे सरकार का एक बड़ा महकमा है, जिससे आय होती है तथा देश का ताना-बाना विकास के लिए एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी वाला विभाग है।

जिस तरह से रेल विभाग में आमान परिवर्तन, नई रेल लाइन, नई गाड़ियां, फेरे बढ़ाना, रेलवे के स्टेशनों को बढ़ाना, आदि जो कार्य विभाग में पेंडिंग हैं वह बिना पैसे पूरे नहीं हो सकते। आज कोई किरायेदार किराये पर मकान लेता है वह भी प्रतिशत महंगाई के हिसाब से एग्रीमेंट में बढ़ोत्तरी रखता है। महंगाई कितनी ही बढ़ती चली गई, डीजल के भाव बढ़ते गए, पार्टस की कीमत बढ़ती रही लेकिन आज कई सालों से रेलवे ने किराया नहीं बढ़ाया। यह दुर्भाग्यपूर्ण है और इसके लिए सभी दलों को चिन्ता कर एक ऐसा प्रावधान करना चाहिए कि हर साल चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो प्रतिशतता को बढ़ाया जाना चाहिए।

मेरी मांग है कि हर वर्ष 10 प्रतिशत रेल भाड़ा बढ़ाया जाना चाहिए। मेरे संसदीय क्षेत्र करौली, धौलपुर में भी एक आमान-परिवर्तन व नयी रेल लाईन स्वीकृत हुई है। लेकिन जिस गति से कार्य चल रहा है, उस हिसाब से 20 साल तक यह कार्य सम्पूर्ण नहीं होगा। तो ऐसे में विभाग को इसे पूरा करने के लिए समय सीमा तय करनी चाहिए और बजट आवंटन भी पूर्ण रूप से करना चाहिए ताकि धन की कमी नहीं हो और इसे समय पर पूरा किया जा सके।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

मेरे क्षेत्र में धौलपुर स्टेशन आता है। इस स्टेशन पर गाड़ियों के ठहराव के लिए मैं काफी लम्बे समय से प्रयत्नशील हूं। जैसे कि श्रीधाम एक्स (2191–2192) शताब्दी एक्स. 2001–2002 का ठहराव नहीं हो पाया है। विभाग में कोई कार्यवाही अमल में नहीं लायी जा रही है। इसलिए जनता की भावना को ध्यान में रखते हुए इन दोनों ट्रेनों का ठहराव धौलपुर स्टेशन पर अतिशीघ्र करना चाहिए।

मेरी दूसरी लाईन दिल्ली-मुम्बई है इस रूट पर हिंडोन बड़ा कस्बा है। उप जिला मुख्यालय है यहां यात्रियों का बडा आवागमन है। इसलिए इस स्टेशन पर मेवाड़ एक्स. (2963–2964) का ठहराव करना चाहिए।

मेरे क्षेत्र में फतहसिंह पुरा स्टेशन का नाम है लेकिन यह एक छोटा गांव था। जिसका अस्तित्व ही खत्म हो गया है। वहां पर एक बड़ा कस्बा सुरोट (हिंडोन) है। उसके नाम से इस स्टेशन का नाम बदलना चाहिए।

मेरे क्षेत्र में जो आमान-परिवर्तन व नयी रेल लाईन है वह धौलपुर-सरमथुरा-करौली-गंगापुर सिटी है वह इसमें मुहारी स्टेशन से तातपुर होते हुए बंसी पहाड़पुर है। इस आमान-परिवर्तन व नयी रेल लाईन का कार्य अति-शीघ्र पूरा करना चाहिए एवं आगामी बजट में 300 करोड़ रु. का बजट प्रावधान करना चाहिए। यह मेरी पुरजोर मांग है।

[अनुवाद]

★**श्री ए. सम्पत** (अटिंगल) : जनता का ध्यान जितना रेल-चर्चा पर आकर्षित नहीं होता है उतना कहीं और नहीं। यह परिवहन का बड़ा साधन और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। लोगों की मांग है कि सुरक्षा और स्वच्छता से समझौता किए बिना हमारे रेल-नेटवर्क को मजबूत किया जाए, अधिक रेलगाड़ियां चलाई

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

जाएं, अधिक सुविधाएं मुहैया करायी जाएं और अधिक स्थानों तक रेल–संपर्क मिले।

इस समय भारतीय रेलवे संकट में है। इसका संचालन अनुपात बढ़िया नहीं है। यहां तक कि परवर्ती बजटों में घोषित परियोजनाएं भी अभी तक शुरू नहीं हुई हैं और जो कार्य शुरू हो गये हैं, वे अधूरे पड़े हैं, क्योंकि निधि की कमी के कारण रेल–अधिकारी इस हेतु असमर्थता व्यक्त कर रहे हैं। उच्च स्तर पर तो अधिकारियों की कमी नहीं है, जबकि निचले स्तर के कर्मचारियों के लगभग दो लाख पद खाली पड़े हैं। लोको इंजन–पायलटों, स्टेशन मास्टरों, आर.पी.एफ. आदि पर कार्यभार अधिक होने से तेजी से दबाव बढ़ रहा है, जिसके कारण अल्पाधिक वे तनावग्रस्त हो रहे हैं। बिना पर्याप्त आराम और छुट्टी के लम्बी कार्यावधि और ग्रेड वेतन लागू कार्यान्वयन न होने जैसे कारणों से रेल–कर्मचारियों का विश्वास कम हो रहा है।

कुलियों, मजदूरों, ठेका कर्मचारियों, निर्माण–श्रमिकों, खान–पान सेवा के कर्मचारियों और ऐसे ही असंगठित वर्गों के कामगारों की आवाज और व्यथा की शीर्षस्थ अधिकारियों द्वारा अनदेखी की जा रही है। रेलवे–स्टेशन और पटरियां मानव मल–मूत्र से दुर्गंधित हैं। अभी भी भारतीय रेल अपशिष्ट और मल–मूत्र का निपटान बेचारे सफाई–कर्मचारियों के हाथों से करा रहा है। यह मानवाधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन है। हमारा रेलवे, यदि अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की संधियों का नहीं, तो कम–से–कम श्रमिक कानूनों का तो बड़ा उल्लंघनकर्ता है ही।

मेरा राज्य केरल इस प्रायःद्वीपीय क्षेत्रों की जनसांख्यिकी और भौगोलिक विशेषताओं के मद्देनजर वहां एक 'प्रायद्वीपीय रेल जोन' बनाने का अनुरोध करता आया है।

पालक्काड़ में सवारी डिब्बा कारखाना और अलप्पुजा के चेरतलाई में रेल वैगन कारखाने की स्थापना का वायदा अब भी केवल एक वायदा ही है। कोल्लम और एर्णाकुलम के बीच एम.ई. एम.यू. रेलगाड़ी हरी झंडी का इंतजार कर रही है। लेकिन कोल्लम में इसके शेड निर्माण का कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है। मैं इसके त्रिवेन्द्रम सेण्ट्रल के दक्षिण स्थित निमोम, जहां रेलवे के पास अतिरिक्त भूमि है, तक विस्तार की मांग करता हूं। इस वर्ष के बजट में निमोम और कोट्टायम को दिए गए कोच–यार्ड की क्या स्थिति है? पन्द्रहवीं लोक सभा के पहले वर्ष के बजट–भाषण में हमने तिरूअनंतपुरम (त्रिवेन्द्रम) में चिकित्सा महाविद्यालय और वाटर–बॉटलिंग प्लांट के बारे में सुना था। इसके दो वर्ष बीत जाने के बाद भी, इन कार्यों के शिलान्यास तक नहीं हुए हैं। एक के बाद एक बजटों में घोषित की गई नई रेलगाड़ियों में से कई गाड़ियां अभी तक चलना शुरू नहीं हुई हैं। फिर कैसे मंत्रियों के भाषणों पर विश्वास करें? लगता है एक समय आएगा जब बजट–भाषण को लोग मजाक मान लेंगे। लेकिन मेरा विनम्र निवेदन है कि आम जनता की उम्मीदों और अभिलाषाओं का मजाक न उड़ाया जाए।

हमारे महत्वपूर्ण स्टेशनों में से कई स्टेशनों पर पर्याप्त सुख–सुविधाओं का अभाव है। स्वच्छ सुरक्षित पेयजल, प्रतीक्षालय और जन–प्रसाधन सुविधाएं पाना जनता का अधिकार है। कम–से–कम कुछ चुनिंदा मध्यम और लघु अल्पाहार दुकानें चलाने का कार्य हम महिलाओं के स्व–सहायता समूहों को क्यों नहीं सौंप देते? इससे महिला यात्रियों को कुछ हद तक राहत और सुरक्षा मिलेगी।

जोनल और मंडल स्तर पर रेलवे परामर्शदात्री समितिओं की बैठक नियमित रूप से नहीं होती। यहां तक कि, संसद सदस्यों को भी उनके निर्वाचन क्षेत्र में क्या हो रहा है, इसकी कोई जानकारी नहीं है। उच्चाधिकारियों के दौरे, निरीक्षण या रेलवे के कतिपय कार्यों की शुरूआत के समय जनप्रतिनिधियों को जानबूझकर उनसे दूर रखा जाता है। यह उनके विशेषाधिकार का हनन है।

कुछ ट्रेनों के ठहराव के बारे में रेल–प्राधिकारियों का दृष्टिकोण उचित नहीं है। परशुराम एक्सप्रैस, जिसे मेरे संसदीय क्षेत्र चिरायिंकिजु में ठहराव दिया गया था तथा जिसे वेबसाइट पर भी घोषित किया गया था, को बिना किसी तर्काधार के या संबंधित संसद–सदस्य को सूचित किए बिना वापस ले लिया गया। रेलवे पदाधिकारियों ने केरल के मुख्यमंत्री द्वारा 31 दिसंबर, 2010 को त्रिवेन्द्रम में आयोजित संसद–सदस्यों की बैठक में भाग लेने का शिष्टाचार तक नहीं दिखाया।

मैं चिरायिंकिजु में एक रेल–उपरिपुल के लिए बजट–प्रावधान की भी मांग करता हूं जिसके लिए राज्य सरकार ने 5 करोड़ रुपए की धनराशि उद्दिष्ट की है। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे अपने नौकरशाहों के रवैये में परिवर्तन लाने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। रेलवे जनता के लिए है, न कि जनता रेलवे के लिए। यदि सार्वजनिक–निजी भागीदारी के नाम पर रेलवे भी निजीकरण की ओर बढ़ रही है तो मैं इसे लाल झण्डी दिखाने और रोकने का संकेत देने के लिए खड़ा रहूंगा।

[हिन्दी]

*श्री ए.टी. नाना पाटील (जलगांव) : हम सभी संसद सदस्यगण हर वर्ष इस चर्चा पर बोलते हैं और अपने चुनाव क्षेत्र की समस्याओं को सरकार के सामने अनुरोध करते रहते हैं। लेकिन मुझे पिछले 2-3 साल के अनुभव से यह लगता है कि हम लोग केवल अपनी ड्यूटी कर रहे हैं कि चुनाव क्षेत्र की रेलवे संबंधित समस्या सरकार के सामने लाने का काम कर रहे हैं। लेकिन उन समस्याओं का निवारण तो कुछ नहीं हो रहा है। मैं जब से इस सदन का सदस्य बना हूं तब से कुछ महत्त्वपूर्ण विषयों को मैंने सदन के सामने रखा था और आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया था लेकिन आज भी उन समस्याओं पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई है। इसलिए मुझे बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि मेरे चुनाव क्षेत्र जलगांव (महाराष्ट्र) जो कि एक पर्यटन स्थल, व्यावसायिक स्थल और शैक्षणिक स्थल के नाम से जाना जाता है। देश में सबसे ज्यादा केले का उत्पादन भी मेरे जलगांव में होता है। इन सभी विषयों को ध्यान में रखकर मैं सरकार से पुनः अनुरोध करता हूँ कि मेरी कुछ मांगें रेलवे से संबंधित हैं। उन्हें पूरा करने में सहायता करें।

1. धरणगांव, अमलनेर, म्हसावद-आरओबी का बजट 2011 में मंजूर किया गया था लेकिन आज भी उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। इन फलाईओवरों के न होने से वहाँ की आम जनता को भारी संकटों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले साल बजट में रेल मंत्री जी ने घोषणा की थी कि इस कार्य को जल्द से जल्द पूरा किया जायेगा। इस मंजूरी से पूरे जलगांव जिले में खुशी की लहर फैल गयी थी लेकिन आज लगभग हम लोग अगले बजट की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन पिछला काम जैसे का तैसा है। ऐसे में मेरा माननीय रेल मंत्री जी से इतना ही आग्रह है कि इन आरओबीज को ज्यादा से ज्यादा रुपयों का आवंटन कर इसे तत्काल तैयार करने का कार्य करें।

2. जलगांव रेलवे स्टेशन को पिछले 5 से 6 साल पहले ही मॉडल स्टेशन का दर्जा दिया गया है। लेकिन आज तक इस जलगांव स्टेशन पर कोई मास्टर प्लान नहीं बना पायी है सरकार। तो माननीय रेल मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि आम आदमी की भावनाओं के साथ खेल न करे। जो वादा किया गया है उस कार्य की कम से कम शुरूआत तो कीजिए और इस जलगांव रेलवे स्टेशन का मास्टर प्लान बनाकर उसे कोई समय सीमा में पूरा करने का निर्णय लिया जाये। सूरत-भुसावल डबल लेन हो रही है। और इसका रूट अमलनेर, धरनगांव से जायेगा। इन दोनों स्टेशनों पर केवल वन लाइन स्टेशन है। तो इन स्टेशनों को 2 प्लेटफार्म की सुविधा दी जाये और डबल लेन बिछाई जाये। पहले कजगांव स्टेशन पर गुड्स रॉक लगता था पर अभी बंद पड़ा है। इसे बंद करने के कारण बहुत सी परेशानी हो रही है। इसलिए इस गुड्स रॉक को तत्काल शुरू किया जाए।

भुसावल मुंबई पैसेंजर को वापस शुरू किया जाये। मनमाड़ मुंबई को भुसावल तक बढ़ाया जाये। अमरावती एक्सप्रेस को भुसावल से 3 कोच जोड़ा जाये जिसमें एक 2 ए.सी. का कोच और दो 2एस.एल. का कोच जोड़ा जाये। उसके साथ इस ट्रेन का यात्री कोटा बढ़ाया जाये और भुसावल डिविजन दो जोन को जोड़ता है। एक है सैन्ट्रल रेलवे और दूसरा है वैस्टर्न रेलवे लेकिन कुछ ट्रेनों का यात्री कोटा भुसावल डिविजन से हटाया गया है। इससे वहां के यात्रियों को बहुत दिक्कत हो रही है। मैं वहां का सांसद हूं फिर भी मुझे कोई महत्त्व नहीं दिया जाता है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि कम से कम जो क्षेत्र का एम.पी. है उसे उसके क्षेत्र में तो वी.आई.पी. कोटे में महत्त्व देना चाहिए और भुसावल से सैंकड़ों ट्रेनों की आवाजाही है लेकिन कोई भी ट्रेन का यात्री कोटा भुसावल से नहीं है इसलिए मैं मांग करता हूं इस भुसावल डिविजन का वी.आई.पी. कोटा बढ़ाया जाये।

जलगांव यह प्रमुख व्यापार नगर तथा यहां से अजंता के लिए पर्यटन करीब होने तथा यह शिक्षा का विकसित केन्द्र होने के कारण यहां रेलवे के द्वारा यात्रा हेतु अधिकतम संभावनाएं हैं। लेकिन यहां पर ठहराव के अभाव में यात्रियों को तकलीफ कर अन्य दूर जगह के रेलवे स्टेशन से यात्रा करनी पड़ती है। इसलिए 2105-2106 विदर्भ एक्सप्रेस का पाचोरा में ठहराव, पुणे, पटना, सुपरफास्ट 2150/2149 का जलगांव तथा चालीसगांव में ठहराव, ओखापुरी एक्सप्रेस का अमलानेर में ठहराव, गोवा एक्सप्रेस 12779/12780 का चालीसगांव में ठहराव, अमरावती मुंबई एक्सप्रेस 12111/1212 का चालीसगांव-पाचोरा में ठहराव, गीताजंली एक्सप्रेस 12859/12860 का चालीसगांव में ठहराव, नवजीवन एक्सप्रेस 12655/12656 का धरणगांव में ठहराव देने की आवश्यकता है।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

पूर्व में कहा गया है कि जलगांव परिसर के विकास तथा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यहां पर उपरोक्त ठहराव की मांग हो रही है। मैंने भी लगातार पत्राचार तथा लोकसभा के माध्यम से पुरजोर मामला उठाया है। इसलिए जलगांव तथा इसके क्षेत्र से जुड़े सभी रेलवे स्टेशनों पर ठहराव देने के लिए रेलवे मंत्रालय द्वारा तत्काल कदम उठाने तथा अनुपूरक मांगों पर मंत्री द्वारा दिये जाने वाले वक्तव्य में इसको शामिल करने की मांग करता हूं। इसी तरह महानगरी एक्सप्रेस तथा सचखंड एक्सप्रेस का चालीसगांव में ठहराव दिया जाना चाहिए।

श्री पन्ना लाल पुनिया (बारांबकी) : सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे रेलवे की अनुपूरक मांगों पर अपने विचार रखने का मौका दिया, इसका मैं समर्थन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय रेल का अपना राष्ट्रीय महत्त्व है। चाहे देश के एक कोने से दूसरे कोने तक यात्रियों को ले जाने का काम हो। चाहे आवश्यक वस्तुएं, खाद्यान्न, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एक कोने से दूसरे कोने तक ले जाने का काम हो, ये सब काम भारतीय रेल के माध्यम से होता है। पहले रेल मंत्री, ममता बनर्जी जी थीं, वर्तमान में श्री दिनेश त्रिवेदी जी और श्री के.एच. मुनियप्पा साहब रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं, मैं इन सब को बहुत धन्यवाद दूंगा। इन्होंने रेल मंत्रालय के माध्यम से कई नई–नई योजनाएं दीं, जिसमें इज्जत योजना है, दुरंतो ट्रेन प्रारम्भ की गई। नयी ट्रेनों और नयी लाईनों की घोषणा की गई। नयी लाईनों का सर्वे करने की घोषणा की गई। मुझे पूरी उम्मीद है, जैसे कि हमारे पूर्व एक माननीय सदस्य ने अपने विचार व्यक्त किए कि जो घोषणा, की गईं, उनका आने वाले बजट में उल्लेख किया जाएगा कि किन–किन घोषणाओं का अनुपालन किया गया।

सभापति महोदय, मैं बहुत विस्तार में न बोलते हुए सीधे अपने लोक सभा क्षेत्र बाराबंकी, उत्तर प्रदेश से संबंधित जो विषय हैं, उनके बारे में कहना चाहूंगा। मैंने कई बार यह मामला सदन में उठाया हैं 25 जनवरी, 2009 को रायबरेली, जनपद ऊंचाहार रेलवे फाटक पर ट्रेक्टर ट्रॉली से एक एक्सीडेंट होता है। ऊंचाहार फाटक रायबरेली जिले में पड़ता है, लेकिन जिन 12 व्यक्तियों की मौत हुई, वे सब मेरे लोक सभा क्षेत्र बाराबंकी के थे। मैंने जब यह मामला उठाया, उसके दो दिन बाद लालगंज रेल कोच फैक्ट्री के शिलान्यास के मौके पर तत्कालीन रेल मंत्री जी ने एक–एक लाख रुपये का चैक उनके परिवार के लोगों को दिया और यह घोषणा की कि उनके परिवार के एक–एक व्यक्ति को नौकरी दी जाएगी। 10–8–2010 को जीरो ऑवर में मैंने यह मामला उठाया और तत्कालीन रेल मंत्री जी ने स्वयं उठ कर कहा कि मेरा नाम लिया गया है, माननीय सदस्य जो बात कह रहे हैं, वह बिल्कुल सही है। मृतकों के परिवारजनों को एक–एक लाख रुपये और नौकरी देने की घोषणा एक जनसभा में की गई थी, यह बात बिलकुल सत्य है। हमारे अधिकारी एवं पदाधिकारी सभी उस जनसभा में मौजूद थे, लेकिन अब हम कैसे जिम्मेवार हो सकते हैं, क्योंकि अब हम उस पद पर नहीं हैं। उसके बाद मैंने 4–8–2011 को एक अनुपूरक प्रश्न के रूप में भी पूछा। आदरणीय रेल मंत्री, श्री दिनेश त्रिवेदी जी ने जो कहा, मैं उसे पढ़ना चाहूंगा।

[अनुवाद]

"मैं आपका आभारी हूं कि आप इसे मेरी जानकारी में लाए। आज ही मैं इसे देखूंगा और उचित उत्तर दूंगा।"

[हिन्दी]

मुझे बड़ा खेद है कि चार महीने बीतने के बाद भी इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है, यह बड़ी खेदजनक बात है। माननीय रेल मंत्री जी, आपने चार महीने पहले आश्वासन दिया था कि आज ही मैं इस मामले को देखकर आपको जवाब दूंगा। चार महीने बीतने के बाद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तत्कालीन रेल मंत्री माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने यहां पर सदन में खड़े होकर कहा था कि हां, मैंने आश्वासन दिया था। आश्वासन देने के बाद भी मंत्री तो एक आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, लेकिन रेल मंत्रालय की तरफ से जो आश्वासन दिया जाये, उसका पालन होना चाहिए, मैं यह आपसे निवेदन करना चाहूंगा।

श्री दिनेश त्रिवेदी : देखिये, जो आश्वासन दिये जाते हैं, उनका पालन हमेशा होना चाहिए और हमारे यहां जैसे हैं, वे हमेशा पालन करते हैं। उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर जो प्रोसेस होता है, अब आप एक लाख रुपये मुआवजे की, कम्पेंसेशन की बात करते हैं न....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मंत्री महोदय, अध्यक्षपीठ को संबोधित कीजिए।

[हिन्दी]

श्री दिनेश त्रिवेदी : नौकरी के बहुत सारे वैरीफिकेशंस होते हैं और वैरीफिकेशन का प्रोसेस अगर आप चाहें, मैंने कहा कि हम जवाब देंगे और जवाब दे दिया। अगर अब डिटेल्स चाहिए कि प्रोसेस कहां है, क्या है तो वह भी मैं आपको दे दूंगा।... *(व्यवधान)*

श्री पन्ना लाल पुनिया : मैं माननीय रेल मंत्री जी का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने इसमें हस्तक्षेप करके यह स्वीकार किया है, लेकिन आपसे विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि उन बेचारे गरीब व्यक्तियों के परिवारों को नौकरी मिल जानी चाहिए। जो भी प्रक्रिया हो, वह प्रक्रिया आप लें। बहुत जल्दी–जल्दी में दूसरी बात कहना चाहूंगा।....*(व्यवधान)* चार महीने तो आश्वासन देने के बाद हो गये। यह जनवरी, 2009 की बात है, उसके बाद दो साल से ज्यादा हो गये।

दूसरा मैं बहुत सूक्ष्म में बताऊंगा, इस पर अब ज्यादा समय नहीं लगेगा। बाराबंकी से कानपुर एक मीमो ट्रेन चलती थी, जिसमें छोटे–छोटे कर्मचारी जाते थे, उसमें छात्र जाते थे, उसमें छोटे व्यापारी जाते थे, उसको आपने बन्द कर दिया। चेयरमैन, रेल बोर्ड के सामने मैंने कई बार यह मामला उठाया। उन्होंने कहा कि इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यह तो हो ही जाना चाहिए। अब लोग बाराबंकी से लखनऊ जाते हैं, लखनऊ से फिर कानपुर की ट्रेन पकड़ते हैं तो इस तरह से बड़ी दिक्कत होती है। सीधे मीमो ट्रेन बाराबंकी से कानपुर तक होनी चाहिए।

तीसरे, बारांबकी से फतेहपुर वाया देवाशरीफ 25 किलोमीटर की नई रेलवे लाइन का मैंने अनुरोध किया था। मैं आभारी हूं, तत्कालीन रेल मंत्री कुमारी ममता बनर्जी जी का कि उन्होंने इसकी रेल बजट में घोषणा की, लेकिन इसके लिए सर्वे के लिए पैसा भी जाना चाहिए। अगर सर्वे हो जायेगा तो आगे बढ़ने के लिए हम आपसे इसके निर्माण के लिए निवेदन करेंगे, फिर इस बजट में आएगा। मैं चाहूंगा कि इसके बारे में कृपया उल्लेख कर दें और चूंकि घोषणा हो चुकी है....*(व्यवधान)* मैं बस दो मिनट और लूंगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री पुनिया हर बार आप यही कह देते हैं कि मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा।

[हिन्दी]

श्री पन्ना लाल पुनिया : इससे आगे बाराबंकी देवाशरीफ सड़क पर रेलवे ओवरब्रिज का मामला कई साल से पैंडिंग है। पहले यह कहा गया कि राज्य सरकार से सहमति नहीं आई, अब राज्य सरकार की सहमति भी आ गई है। अब रेल मंत्रालय के सामने कोई दिक्कत भी नहीं है तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इसके बारे में जरूर ध्यान दें और निर्माण शुरू कराएं।

रेलवे स्टापेज के बारे में हमारे माननीय सदस्यों में से कई लोगों ने कहा, हमने भी अपनी समस्या रखी। मैं आपका आभारी हूं कि कैफियत ट्रेन हमारे यहां रुकने लगी हैं, लेकिन हमने कहा था कि गोरखपुर धाम और फैजाबाद दिल्ली एक्सप्रैस है, बाराबंकी से आगे फैजाबाद है, वह बाराबंकी में नहीं रुक रही है। दिल्ली जाने के लिए हमारे यहां से बहुत कम ट्रेन रुकती हैं, इसलिए जरूरी है कि इनको रोकने का आदेश दिया जाये। हैदरगढ़ से सद्भावना ट्रेन 4015–4016 भी रुकनी चाहिए। नई दिल्ली से फरक्का एक्सप्रैस भी रुकनी चाहिए। इसके अतिरिक्त आदर्श स्टेशन में बाराबंकी और बाद में हैदरगढ़ के लिए मैंने लिखा है। रेलवे द्वारा बाराबंकी में ट्रामा सेंटर की फैसिलिटी बनाने के लिए भी मैंने कहा है।....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री पुनिया, कृपया अपने शेष मुद्दों की सूची सभा–पटल पर रख दीजिए। यह रेलवे की अनुपूरक अनुदान मांगों पर चर्चा है, अतः संक्षेप में अपनी बात कहें।

[हिन्दी]

श्री पन्ना लाल पुनिया : रेलवे की सेवाओं में बैकलॉग का मामला सबसे महत्त्वपूर्ण है। यह अनुसूचित जाति, जनजाति के हित की बात है। दो मिनट मैं इस पर आपके चाहूंगा। 60 लाख बैकलॉग की वेकेंसीज हैं। कई बार यह मामला उठाया गया, लेकिन अभी कोई प्रोसेस शुरू नहीं हुआ। मैं अनुरोध करूंगा कि शैड्यूल्ड कास्ट्स, शैड्यूल्ड ट्राइब्स का बैकलॉग वेकेंसीज में जल्दी से पूरा करें।

मैनुअल स्कैवेंजिंग के लिए हम कहते हैं कि हमने इस प्रथा को देश से खत्म कर दिया, लेकिन आज भी रेलवे में हाथ से सफाई करने का काम कर्मचारी करते हैं तो मैनुअल स्कैवेंजिंग

आज भी है। इसके लिए विशेष व्यवस्था आपको अवश्य करनी चाहिए। रेल रिजर्वेशन की भी मैं बात कहूंगा, सभी सदस्यों के साथ मैं भी यह कहना चाहूंगा कि जो सदस्य रिकमेण्डेशन करते हैं, उसके आधार पर रिजर्वेशन नहीं होता और यह पता लगता है कि जो ट्रैवल एजेंट है, वे टिकट खरीदते हैं, उसका रिजर्वेशन पक्का हो जाता है। लेकिन माननीय सदस्यगण रिकमंडेशन करते हैं, तो उनका रिजर्वेशन कन्फर्म नहीं होता है। रेलवे एससी–एसटी एसोसिएशन और बाकी जो यूनियंस हैं, जो संस्थायें हैं, जो सर्विस आर्गेनाइजेशन हैं, उनको अन्य यूनियनों के बराबर सुविधायें दी जाएं। मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। मैं माननीय रेल मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुपूरक भागों का समर्थन करता हूं।

***श्री राम सिंह कस्वां** (चुरू) : हाल ही मे जोधपुर–दिल्ली सुपरफास्ट गाड़ी का सप्ताह में दो दिन बीकानेर–दिल्ली सुपरफास्ट गाड़ी का सप्ताह में तीन दिन संचालन किया गया है। इन गाड़ियों के आने–जाने का समय लगभग एक ही दिन है। अगर इन गाड़ियों का समय अलग–अलग दिन में कर दिया जाता है तो रतनगढ़ से दिल्ली तक के यात्रियों को सप्ताह में पाँच दिन राहत मिल सकती है। यह अत्यंत आवश्यक है, पिछले बजट में बांद्रा से जम्मूतवी वाया रतनगढ़–चूरू व हावड़ा–जैसलमेर वाया रतनगढ़ बीकानेर होते हुए सप्ताह में एक दिन गाड़ियों के संचालन की घोषणा की थी। इन गाड़ियों का संचालन आज तक भी नहीं किया गया। इनका संचालन अविलंब किया जाएं एवं इन गाड़ियों को प्रतिदिन चलाया जाए इससे इस क्षेत्र को बहुत राहत मिलेगी। दिल्ली–बीकानेर–रानीखेत सुपरफास्ट गाड़ी को अस्थायी रूप से बीकानेर तक चलाया गया था। अब इस गाड़ी को बंद कर दिया गया है। यह गाड़ी इस क्षेत्र को बहुत राहत देने वाली थी। इस गाड़ी को पुनः संचालन किया जाए अगर यह संभव नहीं हो तो इस गाड़ी को दिल्ली–रतनगढ़–डेगाना तक संचालन किया जाए इससे इस क्षेत्र की जनता को बहुत राहत मिलेगी।

लुधियाना–हिसार गाड़ी को चूरू–रतनगढ़ होते हुए बीकानेर तक बढ़ाया जाए। मैसूरी एक्सप्रेस को रतनगढ़–डेगाना या रतनगढ़–बीकानेर तक बढ़ाया जाए। रेवाड़ी–बीकानेर, सादुलपुर–बीकानेर, डेगाना–बीकानेर वाया रतनगढ़ तक साधारण गाड़ी का संचालन किया जाए। मेरे संसदीय क्षेत्र में मानवरहित/मानव सहित रेल समपारों का भारी अभाव है। चालीस–चालीस किलोमीटर तक एक भी समपार नहीं है। बड़े वाहनों की बात तो छोड़िये छोटे वाहन ऊँटगाडी आदि को भी किसान अपने खेत में नहीं ले जा सकता। रतनगढ़–सरदारशहर खण्ड पर रेलवे समपार को लेकर ग्रामवासी काफी स्थानों पर एक माह से धरने पर बैठे हैं, रेल समपार के अभाव में काफी गांवों के रास्ते बन्द हो गये हैं। इसके लिए मैंने काफी बार मांग की है लेकिन कोई राहत नहीं दी जा रही है। रेलवे को इस संबंध में अपने नियमों में संशोधन करना चाहिए व जहां आवश्यकता है वहां रेल समपार का निर्माण करना चाहिए। सादुलपुर जंक्शन के पूर्व साइड में रेल समपार सी. 142 पर रेल उपरी पुल के अभाव में लंबी–लंबी लाइनें लग जाती हैं। काफी बार रेल ऊपरी पुल की मांग की है लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है यह मार्ग गंगानगर–सादुलपुर–पिलानी–जयपुर का व्यस्तम मार्ग है। उक्त समपार पर रेल उपरी पुल का निर्माण किया जाए। भिवानी–लोहारू–पिलानी–चूरू, सीकर–सालासर–बीदासर– नोखा, चूरू–तारानगर–नोहर, सूरतगढ़–सरदारशहर, सरदारशहर– तारानगर–सादुलपुर नई रेल लाइनों के सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण हो चुका है। इन लाइनों का कार्य चालू करने की स्वीकृति जारी की जाए। चूरू, सादुलपुर–रतनगढ़ को आदर्श स्टेशन घोषित किया गया है इनका कार्य आज तक चालू नहीं किया गया है। इनका कार्य अविलंब चालू किया जाए एवं सूजानगढ़–सरदारशहर रेलवे स्टेशनों को आदर्श स्टेशन घोषित किया जाए। रतनगढ़–सरदारशहर आमान परिवर्तन की स्वीकृति जारी की गयी है। इसके टेण्डर भी जारी हो चुके हैं। इसका रतनगढ़ से पायली होते हुए लाइन को डाइवर्ट का रेल लाइन डाली जाए ताकि शहर से लाइन बाहर हो सके। इसकी मांग रतनगढ़ कस्वा के लोग काफी दिनों से करते आ रहे हैं, यह काफी दिनों की मांग है। आमान परिवर्तन के समय इस समस्या का समाधान हो सकता है। चूरू–सीकर–जयपुर, लूहारू–सीकर, सूरतपूरा–श्रीगंगानगर आमान परिवर्तन का कार्य शीघ्र चालू किया जाए। रेवाड़ी–डेगाना सवारी गाड़ी का ठहराव बेवड़–भोजान व कान्धरान हाल्ट स्टेशन पर किया जाए।

श्री भूदेव चौधरी (जमुई) : महोदय, सर्वप्रथम मैं यहां से बोलने की इजाजत चाहता हूं।

सभापति महोदय : ओ.के.।

श्री भूदेव चौधरी : सभापति महोदय, आज मुझे देश के सर्वश्रेष्ठ उपक्रम रेलवे के पूरक बजट पर बोलने के लिए आपने

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपका दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं।

रेल यातायात का सबसे सुगम और सरल साधन है। मोटे तौर पर रेलों को आम जन–जीवन का हिस्सा माना जाता है। यह हमारी सभ्यता, संस्कृति और राष्ट्रीय एकता का सेतु भी बन गया है। एक अजीब बात पिछले वर्षों से मैं देख रहा हूं जब हम गुलाम थे तो इस देश में हर साल रेलवे की हजारों किलोमीटर लाइन बिछ जाती थी जबकि गुलाम देश में सर्वे का कोई ठोस साधन नहीं था। आज हमारे पास सर्वे के सभी साधन उपलब्ध हैं, हवाई जहाज है, हैलीकॉप्टर है, पानी वाला जहाज है किन्तु रेलवे के ट्रैक बिछाने का काम बिल्कुल नगण्य है। रेल मंत्री संसद से सड़क तक भले ही यह दावा करते हों कि यात्री किराया नहीं बढ़ाया जायेगा, मगर रेल मंत्रालय माल भाड़े में पिछले डेढ़ साल से एक दर्जन से अधिक बार पिछले दरवाजे से बढ़ोत्तरी कर चुका है। इस बार रेलवे ने डेवलपमेंट चार्ज के नाम पर, पीक सीजन सब–चार्ज के नाम पर माल भाड़े में छह फीसदी की बढ़ोत्तरी कर दी है। इससे विभिन्न वस्तुओं के दाम बढ़ना तय है। इससे महंगाई की आग और भड़केगी। इससे आने वाले दिनों में पॉवर प्लांट्स में बिजली उत्पादन की लागत बढ़ेगी और इसका सीधा परिणाम है कि बिजली की कीमतें बढ़ने के आसार हैं और इसका सीधा प्रभाव गरीब किसानों पर पड़ेगा।

रेल राष्ट्र की जीवन रेखा है और यह आधुनिक भारत का निर्माण करने वाली परस्पर आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक परिवर्तनों का संगठनात्मक केंद्र रही है। रेलवे का विकास देश के लिए अत्यंत ही महत्त्वपूर्ण है। महोदय, दुर्भाग्य यह है कि देश में सड़कों की लंबाई आजादी के बाद चार लाख किलोमीटर से बढ़कर 44 लाख किलोमीटर हो गयी, किंतु रेल लाइनों का विस्तार 54 हजार किलोमीटर से बढ़कर मात्रा 64 हजार किलोमीटर हुआ है। रेलवे के विकास में इस तरह की कोताही आम लोगों के लिए काफी परेशानी का सबब बनता जा रहा है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि अधिकांश रेलवे के एक्सीडेंट, रेलवे में चोरी, नशाखुरानी का मामला उसी रेलवे में होता है, जो दिल्ली से उत्तर प्रदेश और बिहार होते हुए गुजरती है। इसमें सुधार की अति आवश्यकता है। स्टेशनों की व्यापारिक गतिविधियां तभी बढ़ सकती हैं, जब वह क्षेत्र पूरी तरह से सुरक्षित हो। ट्रेनों और स्टेशनों की पूरी सुरक्षा के बिना किसी भी योजना को मूर्त रूप नहीं दिया जा सकता है।

बिहार राज्य के संदर्भ में कहना चाहता हूं कि यहां कई परियोजनाएं लंबित हैं। इसमें तुरंत कार्यवाही करने की जरूरत है। मैंने विगत वर्षों में अपने लोकसभा क्षेत्र झाझा के बारे में बताया था। झाझा ईस्टर्न और वेस्टर्न रेलवे का केंद्र बिंदु है। वहां लोको शेड का निर्माण हुआ था, जिसमें 32 हजार लेबर काम करते थे, लेकिन वह स्टीम लोको और डीजल लोको हटा दिया गया है। जिस समय वह हटाया गया था, उस समय अनशन, धरना और प्रदर्शन हुए थे और रेलवे मंत्रालय ने यह आश्वासन दिया था कि वहां इलेक्ट्रिसिटी शेड लगवा दिया जाएगा, लेकिन दुर्भाग्य है कि अभी तक उसमें कोई कार्यवाही नहीं हुयी। पूर्व रेल मंत्री नितिश कुमार और पूर्व रेल राज्य मंत्री स्वर्गीय दिग्विजय सिंह के अथक प्रयास से कुछ काम भी मिला। वाशिंग पीट का निर्माण हो चुका है, लेकिन काम अभी चालू नहीं हुआ है। आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि झाझा रेलवे स्टेशन पर इलेक्ट्रिसिटी लोको का निर्माण कराया जाए।

इसी इलाके में जमुई स्टेशन है। यहां एक रेस्ट हाउस निर्माण करने का प्रस्ताव आया था। आपको मालूम है कि एक लछुआर गांव है, यह जमुई स्टेशन से मात्र 5–6 किलोमीटर दूरी पर है, यहां दुनिया भर के जैनी दर्शन करने के लिए आते हैं। लेकिन वहां यह काम नहीं हुआ है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि झाझा रेलवे स्टेशन में विद्युत लोको शेड की स्थापना की जाए, निर्मित वाशिंग पीट को चालू कराया जाए, झाझा ऊपरी पुल का चौड़ीकरण किया जाए, रेलवे के उच्च विद्यालय में प्लस टू की पढ़ाई चालू की जाए, आरक्षण प्रणाली दो शिफ्ट में कराने की व्यवस्था की जाए, जस्सीडीह से चकाय होते हुए गिरिडीह तक रेल मार्ग का निर्माण कराया जाए। झाझा से गया, वाया सिकंदरा, अलीगंज, नवादा रेलवे लाइन का विस्तार किया जाए। कटौना हाल्ट में टिकट काउंटर एवं यात्री शेड का निर्माण कराया जाए। आर.पी.एस.एफ. के ट्रेनिंग सेन्टर का निर्माण कराया जाए। जमुई स्टेशन पर सेड, शौचालय और पानी की व्यवस्था की जाए। मुझे उम्मीद है कि इस पिछड़े इलाके में आपकी नजरें इनायत होगी और बुनियादी समस्या पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाएगा।

श्री रामकिशुन (चन्दौली) : माननीय सभापति जी आपने अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर बोलने का अवसर दिया है। मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी का ध्यान हिन्दुस्तान के नहीं बल्कि एशिया के सबसे बड़े रेलवे यार्ड मुगलसराय और उस जनपद के विषय की ओर ले जाना चाहता हूं। पिछले बजट में

माननीय रेल मंत्री सुश्री ममता बनर्जी जी ने जनपद चंदौली में दो ओवर ब्रिज निर्माण के लिए घोषणा की थी लेकिन अभी तक उस का अभी तक कोई पूरा निर्णय नहीं किया गया। रेलवे ओवर ब्रिज न बनने से जनपद चन्दौली के लोगों को बहुत कठिनाई होती है....*(व्यवधान)* इतनी दिक्कत होती है कि पूरा जनपद कई भागों में बंट जाता है। वाराणसी-चन्दौली में रेलवे लाइनों का जाल बिछा हुआ है लेकिन ओवर ब्रिज न होने से वहां इतनी परेशानी होती है कि पूरा आवागमन बाधित हो जाता है। मैं आप के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि मुगलसराय में देश के विभिन्न राज्यों से पश्चिम बंगाल, बिहार हो या पूर्वोत्तर राज्य हो जहां से रेलगाड़ियां आती हैं और वहीं से गुजरती हैं लेकिन किसी ट्रेन में वहां का कोई कोटा नहीं है। मुंबई हो, दिल्ली हो गोरखपुर हो देश के विभिन्न राज्यों में जाने के लिए ट्रेन वहां से गुजरती है जिससे वहां लोग आते एवं जाते हैं। कोटा न होने से वहां के लोगों को काफी परेशानी होती है। वहां की व्यवस्था पूरी तरह से जर्जर और क्षतिग्रस्त हो गई है। मैं आपके माध्यम से सरकार से चाहता हूं कि जनपद चन्दौली में ऐसे कई महत्त्वूर्ण स्थान हैं जहां पर लोग आते और जाते हैं। वहां पर खाद के लिए कोई यार्ड नहीं बनाया गया है। वहां स्टेशन के पास खाद उतारने के लिए कोई स्थान नहीं है जिससे वहां के किसानों को भी काफी परेशानी होती है। वहां खाद बाहर से आती है। वहां खाद बनारस एवं अन्य दूसरे स्टेशनों से आती है। इसलिए वहां के किसानों को समय से खाद उपलब्ध नहीं हो पाती है। वहां खाद को रेक नहीं लग पाता है। आपके माध्यम से सरकार से चाहूंगा वहां खाद के लिए रेल यार्ड की स्थापना हो और वहां रेल रेक लगे। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि वहां फ्रेड कॉरिडोर योजना बन रही है, पांच रेलवे लाइनें बनेंगी। वहां कोई मानवरहित रेलवे क्रॉसिंग हैं जहां आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। वाराणसी-मुगलसराय रेलवे लाइन है। हृदयपुर में कई बार, एवं कई गांव के लोगों ने मांग की कि वहां मानवरहित रेलवे क्रॉसिंग पर एक आधुनिक फाटक लगे ताकि लोगों की जानमाल की सुरक्षा हो सके। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि वाराणसी-चन्दौली जनपद में ऐसे मानवरहित जहां भी रेलवे क्रॉसिंग हैं वहां आधुनिक गेट लगाने का काम करें। दूसरी, बात मैं यह कहना चाहता हूं कि वाराणसी-गाजीपुर में सारनाथ रेलवे स्टेशन है जहां से इंटरसिटी ट्रेन रोकने की मांग लगातार हो रही है। वह बुद्ध जी का पवित्र स्थल है और वहां पर्यटक बड़ी मात्रा में आते हैं।....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

....*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

****श्री हंसराज गं. अहीर** (चन्द्रपुर) : रेलवे मंत्रालय ने नई सेवाओं की शुरूआत करने के लिए 46 परियोजनाओं हेतु स्वीकृति मांगी है। इन सभी नई परियोजनाओं को देश के विभिन्न रेल जोनों में शुरू किया जाना है। बजट 2011-12 पेश करते समय तत्कालीन रेल मंत्री द्वारा विभिन्न घोषणाएं की गई थी। उन्होंने कहा था कि बड़े कार्यों को करने के लिए उदार मन और सोच की जरूरत होती है। लेकिन उन्होंने अपने बजट में उदारता का परिचय नहीं दिया। पिछले कई वर्षों से हम जनजातीय क्षेत्र तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्र के जिलास्थान गडचिरोली में रेल पटरी निर्माण की मांग करते हैं। तत्कालीन रेल मंत्री द्वारा 2008 के बजट में इसे अग्रिम मान्यता के साथ और राज्य सरकार के आर्थिक सहयोग की अपेक्षा रखते हुए बजट में घोषित किया, लेकिन बाद में इसे पूरा करने के तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। इस साल के बजट में पृष्ठ 7 पर तत्कालीन मंत्री महोदय ने पुनः वडसा-गडचिरोली को नई रेल पटरी निर्माण के परियोजना के रूप में शामिल किया गया, लेकिन इस पर कोई कार्य नहीं किया जा रहा। शुरूआत में 50 करोड़ रुपये की यह परियोजना अब 250 करोड़ रुपये की हो गई है। अगर इसे समय रहते पूरा किया जाता तो लागत मूल्य में बचत की जा सकती थी। दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा है। रेल पटरी के निर्णय को रेलवे मंत्रालय निरंतर कार्य के रूप में देखता है। फिर मंत्री बदल जाने से परियोजना को स्थगित करने का यह प्रयास इन जनजातीय क्षेत्रों के साथ अन्याय है। इसी तरह एक महत्त्वपूर्ण मामला सरकार के संज्ञान में लाकर इस पर उचित कदम सरकार द्वारा उठाये जाने की अपेक्षा करता हूं। रेलवे में आज भी बड़ी संख्या में चौकीदार विहीन, फाटक विहीन समपार है। चौकीदार तथा फाटकों के अभाव के कारण मानव बसावटों के करीब के इन समपारों पर हरदम रेल दुर्घटना होती है। छोटी-बड़ी रेल दुर्घटना में पशु, मानव हानि भी होती है। इन समपारों पर होने वाली दुर्घटना में

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

मानवों की मृत्यु का मुआवजा रेलवे द्वारा नहीं दिया जाता। जबकि इन लोगों के मृत्यु के लिए सरकार की असफलता जिम्मेवार है। हमने यह मामला मंडल रेल समिति तथा रेलवे कन्वेशन कमेटी में भी उठाया। सरकार को इस पर ध्यान देना होगा। रेलवे के दुर्घटना में मरने वाले यात्रियों को दिये जा रहे मुआवजे की तरह फाटक विहीन या चौकीदार विहीन समपारों पर घटित दुर्घटना में मृत्यु पाने वाले को भी उचित मुआवजा तत्काल दिया जाना चाहिए। मैं आपके माध्यम से केन्द्रीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस दुर्घटना में मृत्यु होने वालों के परिजनों को तथा हताहतों को भी मुआवजा देने के लिए अनुपूरक मांगों पर अपने वक्तव्य में घोषणा करे।

2008–09 को तत्कालीन रेल मंत्री ने बल्लारशाह से मुंबई सेवाग्राम एक्सप्रेस को लिंक एक्सप्रेस के रूप में शुरू करने की घोषणा की थी, जो अभी तक पूरी नहीं हई, इसी तरह नंदीग्राम एक्सप्रेस को लिंक एक्सप्रेस के रूप में बल्लारशाह–नागपुर से मुंबई व पूना के लिए चलाना उचित रहेगा।

नागपुर देश के हृदयस्थल पर है। इस मध्य क्षेत्र के प्रमुख शहर का महत्त्व बरकरार रखने तथा रेलवे के परिहवन को और भी सुचारू बनाने के लिए नागपुर को अलग से नया रेलवे जोन बनाने की मांग की जा रही है, जो उचित भी हैं इसके साथ देश के इस मध्यवर्ती क्षेत्र से दिल्ली तथा उत्तर व दक्षिण भारत की ओर अधिक संख्या में नई गाड़ियां चलाने की आवश्यकता है। रेलवे मंत्री से अपने वक्तव्य में इस बारे में घोषणा करने का अनुरोध करता हूं।

दक्षिण से चलने वाली गाड़ियां जो दक्षिण रेलवे से दक्षिण मध्य होकर चांदा फोर्ट से चलने वाली गाड़ियों को बिलासपुर से आगे कोलकाता तक चलाने की तथा ग्रांड्रक एक्सप्रेस जो चेन्नई से चलती है, को दिल्ली के आगे अमृतसर तक आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। यह यहां के यात्रियों की आवश्यकता और बढ़ती मांग है। रेलवे में बढ़ते आवागमन को देखते अब तीसरी रेल पटरी की आवश्यकता प्रतीत हो रही है। पिछले कई वर्षों से कागजनगर–नागपुर–इटारसी तीसरी लाइन के निर्माण की घोषणा लंबित है। 2008–09 के रेल बजट में इसकी मंजूरी दी गई। लेकिन इसका निर्माण कार्य लंबित होने से रेलवे के आवागमन पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। भविष्य में नई गाड़ियों के प्रस्ताव भी इस कारण लंबित रह सकते हैं। इसलिए तीसरी लाइन के प्रस्ताव के निर्माण कार्य को शुरू करने के लिए कदम उठायें।

चंद्रपूर स्टेशन महानगर का महत्त्वपूर्ण स्टेशन है। इस स्टेशन पर कुछ गाड़ियां रुकती नहीं जिसमें केरल, तामिलनाडू, राजधानी व अन्य साप्ताहिक गाड़ियों का ठहराव के लिए मान्यता देने की मांग करता हूं कृपया तुरंत घोषणा करें।

श्री जगदीश सिंह राणा (सहारनपुर) : माननीय सभापति महोदय जी, जम्मू से सहारनपुर तक अस्सी वर्षों से डबल रेलवे लाइन है लेकिन सहारनपुर से मेरठ तक सिंगल रेलवे लाइन है। मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि सहारनपुर से मेरठ तक डबल रेलवे लाइन बनवाने की कृपा करें। दिल्ली से मेरठ तक और मेरठ से सहारनपुर का जो रास्ता है 58 ट्रेन रुकी रहती हैं जो मेरठ से सहारनपुर तक नहीं पहुंच पाती हैं। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मैं मंत्री जी से फिर अनुरोध करता हूं कि सहारनपुर से मेरठ तक डबल रेलवे लाइन बनवाने की कृपा करें।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं अन्य माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे भी माननीय सदस्य श्री जगदीश सिंह राणा की तरह संक्षेप में बोलें।

[हिन्दी]

श्री शरीफुद्दीन शारिक (बारामुला) : सभापति महोदय, सबसे पहले मैं मंत्री जी की ग्रांट्स का समर्थन करता हूं। दूसरी बात, मैं मंत्री जी से खुसुसन यह गुजारिश करूंगा कि ये डायनेमिक हैं, इंटैलीजेंट हैं। बदकिस्मती से यह रिवाज रहा है कि जो मंत्री बनता है, वह सिर्फ अपनी कौन्सटीटूंसी को जानता है कि सब रेलवे वहीं लगनी चाहिए। मेहरबानी करके आप सारे देश को अपनी कौन्सटीटूंसी समझ लें।

यहां मेरे नोटिस में यह बात आई कि आपके पास एक लाख वेकैंसीज हैं। आप लोगों की बेकारी देख रहे हैं। इसमें क्या हर्ज है कि आप लोगों की भर्ती का काम शुरू करें। इससे आपके काम में एफीशिएंसी आएगी। कश्मीर का रेलवे प्रोजेक्ट 15–20 साल पहले शुरू हुआ। पता नही तब से कितने लोग यह सोचते–सोचते अल्लाह को प्यारे हो गए कि हमारे पास कल, परसों रेल आएगी। 20 साल का अर्सा गुजरने के बाद भी हम जम्मू को श्रीनगर से नहीं जोड़ पाए हैं। इसकी तरफ ध्यान देने

की जरूरत है। जब देवेगौड़ा जी और गुजराल साहब प्रधानमंत्री थे, उन दिनों उसका उद्‌घाटन किया गया था। लोग उसके लिए परेशान हैं। आपको मालूम है कि इसकी एक सियासी, मुआशी और नेशनल अहमियत भी है। उसे जेरे नजर रखना है।

मैं आपसे तीसरी गुजारिश यह करूंगा कि ज्यों ही लोग रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं तो अक्सर कहा जाता है कि ट्रेन में विलंब हो रहा है, खेद है। ऐसा हर जगह है। कभी पांच घंटे, छः घंटे, सात घंटे ट्रेन लेट होती है। इस सिस्टम को ठीक करने की जरूरत है।

आप सबको मालूम है कि पिछले साल वैष्णो देवी में 80 लाख यात्री गए। ट्रेनों की कमी है। जम्मू रेलवे स्टेशन पर वे सुविधाएं नहीं हैं जो होनी चाहिए। इसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है। मुझे मुतालबा किया गया है कि मुम्बई से एक फास्ट ट्रेन वैष्णो देवी के लिए खुसुसी तौर पर जम्मू तक चलाएं। उसके लिए मैं आपसे जाति तौर पर गुजारिश करूंगा। कश्मीर की अहमियत को जेरे नजर रखकर वैष्णो देवी के यात्री आते हैं और अमरनाथ जी के भी लाखों लोग आते हैं। उसके अलावा लाखों टूरिस्ट्स आते हैं। लिहाजा इस चीज को ज्यादा तवज्जह देने की जरूरत है।

جناب شریف الدین شارق (بارہمولہ): چیرمین صاحب، سب سے پہلے میں منتری جی کی گرانٹس کو سپورٹ کرتا ہوں، دوسری بات میں منتری جی سے خصوصی طور پر گزارش کروں گا کہ یہ ڈائنیمک ہے، انٹلیجنٹ ہے۔ بدقسمتی سے یہ رواج رہا ہے کہ جو منتری بنتا ہے وہ صرف اپنی کنسٹیٹیونسی کو جانتا ہے کہ سب ریلوے وہیں لگنی چاہئے۔ مہربانی کرکے آپ سارے ملک کو اپنی کانسٹیٹیونسی سمجھ لیں۔

یہاں میرے نوٹس میں یہ بات آئی کہ آپ کے پاس ایک لاکھ vacancies ہیں۔ آپ لوگوں کی بے کاری دیکھ رہے ہیں۔ اس میں کیا حرج ہے کہ آپ لوگوں کی بھرتی کا کام شروع کریں اس سے آپ کے کام میں افیشینسی آئے گی۔ کشمیر کا ریلوے پروجیکٹ 15-20 سال پہلے شروع ہوا۔ پتہ نہیں تب سے کتنے لوگ یہ سوچتے سوچتے اللہ کو پیارے ہو گئے کہ ہمارے پاس کل پرسوں ریل آئے گی۔ 20 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد بھی ہم جموں کو سری نگر سے نہیں جوڑ پائے ہیں۔ اس کی طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ جب دیوے گوڑہ جی اور گجرال صاحب وزیر اعظم تھے ان دنوں اس کا ادگھاٹن کیا گیا تھا۔ لوگ اس کے لئے پریشان ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس کی ایک سیاسی، معاشی اور قومی اہمیت بھی ہے۔ اسے زیر نظر رکھنا ہے۔

میں آپ سے تیسری گزارش یہ کروں گا کہ جیسے ہی لوگ ریلوے اسٹیشن پہنچتے ہیں تو اکثر کہا جاتا ہے کہ ٹرین لیٹ ہے، اس کے لئے معافی چاہتے ہیں، ایسا ہر جگہ ہے۔ کبھی 5,6 کبھی 7 گھنٹے ٹرین لیٹ ہوتی ہے۔ اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔

آپ سب کو معلوم ہے کہ پچھلے سال ویشنو دیوی میں 80 لاکھ مسافر گئے۔ ٹرینوں کی کمی ہے۔ جموں ریلوے اسٹیشن پر وہ سہولیات مہیا نہیں ہیں جو ہونی چاہئے۔ اس کی طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ مجھ سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ ممبئی سے ایک فاسٹ ٹرین ویشنو دیوی کے لئے خصوصی طور پر جموں تک چلائیں۔ اس کے لئے میں آپ سے ذاتی طور پر گزارش کروں گا۔ کشمیر کی اہمیت کو زیر نظر رکھ کر ویشنو دیوی کے یاتری آتے ہیں اور امرناتھ جی کے بھی لاکھوں لوگ آتے ہیں۔ کے علاوہ لاکھوں ٹورسٹ آتے ہیں۔ لہٰذا اس چیز کو زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ شکریہ

[अनुवाद]

श्री पी.सी. मोहन (बंगलौर मध्य) : सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अनुपूरक अनुदान की मांगों (रेल) पर बोलने का अवसर दिया। मैं बंगलौर मध्य संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं। बंगलौर सिटी रेलवे स्टेशन भी मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यह पूरे दक्षिण भारत के सबसे बड़े स्टेशनों में से एक है। यहां प्रतिदिन 200 से अधिक ट्रेनों का आवागमन होता है और दो लाख से अधिक यात्री प्रतिदिन इस स्टेशन का उपयोग करते हैं। लेकिन, पिछले 40 सालों में उन्हें इस स्टेशन पर कोई विकास नहीं दिखाई दिए हैं। प्रतिदिन लाखों लोग आते–जाते हैं लेकिन वहां पार्किंग की कोई सुविधा नहीं है।

पिछले प्रवेश मार्ग में जहां पर ओकालीपुरम का दूसरा प्रवेश द्वार है और जहां मौजूदा पार्किंग स्थल है, अब वहां पर एक और प्रशासनिक भवन बन रहा है जिसके कारण पार्किंग सुविधा बिल्कुल नहीं रहेगी।

इतने बड़े रेलवे–स्टेशन पर केवल एक रेस्त्रां है। वह रेस्त्रां भी बहुत महंगा है। हम सभी जानते हैं कि बहुत से गरीब लोग ट्रेनों में यात्रा करते हैं, तो इतनी ऊंची कीमत चुकाना उनके लिए बहुत कठिन है। प्लेटफार्म पर बहुत से लोग आते हैं तो फिर वहां पर बैठने के लिए बिल्कुल जगह नहीं होती है। महिलाओं और अन्य लोगों को वहां फर्श पर बैठना पड़ता है। विकलांग व्यक्तियों को भी वहां कोई अतिरिक्त सुविधा नहीं है। मैं एक अन्य बात माननीय मंत्री की जानकारी में लाना चाहता हूं। वर्तमान में, राजधानी ट्रेन में हमारे देश के स्वतंत्रता–सेनानियों, थ्री–टियर शयनयान में बर्थ दी जाती है। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे इसे टू–टियर शयनयान स्तर में कर दें। दूरंतो ट्रेन में भी उन्हें बर्थ प्रदान की जाए।

[हिन्दी]

***श्री रतन सिंह** (भरतपुर) : भारतीय रेल विकास की धुरी है। भारतीय रेल विश्व में अपनी सेवाओं के लिये महत्त्व पूर्ण स्थान बनाये हुए है। प्रस्तावित बिल में नई रेल लाइन बिछाना, पुल निर्माण, रेल लाईनों का नवीनीकरण, रेलगाड़ी सुरक्षा व चेतावनी प्रणाली, भूमिगत पार पथों को चौड़ा करना, रेलवे स्टेशन का अपग्रेडेशन व नवीनीकरण के विभिन्न कार्य सम्मलित किये गये हैं। सभी निर्माण कार्य लगभग देश के सभी क्षेत्रों को लाभान्वित करते हैं। नव निर्माण व नवीनीकरण के साथ सफलतापूर्वक संचालन भी महत्त्वपूर्ण है।

हम आभारी है कि नई ट्रेन भी चलाई जा रही है। नये स्टेशन पर ठहराव भी बढ़े हैं। परन्तु फिर भी प्रायः देखा जाता है कि ट्रेन में भीड़ बहुत रहती है। रेल डिब्बों में बाहर–भीतर बहुत भीड़ देखने को मिलती है। डिब्बों के ऊपर भी यात्री चढ़े रहते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से यह जनहित में सही नहीं ठहराया जा सकता है। रेल यातायात सुगम, सुरक्षित रहे इसके लिये ट्रेन में द्वितीय श्रेणी के डिब्बे आवश्यकतानुसार अधिक जोड़े जायें।

मेरा यह भी सुझाव है कि बिजी रूट्स ट्रेन के फेरे आवश्यकतानुसार और बढ़ाये जाये। जिससे आम आदमी के लिए यातायात सुगम और सुरक्षित होगा। भरतपुर संसदीय क्षेत्र में भरतपुर, डीग, कामा, कोसी रेलवे लाईन का सर्वेक्षण प्रारम्भ हो चुका है। सर्वेक्षण उपरान्त जनहित में नई रेलवे लाईन बिछाने की स्वीकृति प्रदान की जाए। बजट 2010 में स्वीकृत जंक्शन, प्लेट फार्म, सुपर डाईग्नोस्टिक सेन्टर, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, का निर्माण भी स्वीकृति के अनुरूप शीघ्र प्रारम्भ कराया जाये।

मैं माननीय मंत्री महोदय से यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि भरतपुर में ''एल सी नं. 252'' एवं एल.सी. 244'' रेल लाईन पर दो पुलों के निर्माण पिछले तीन वर्षों से कराया जा रहा है। निर्माण कार्य की गति अत्यधिक धीमी है। इन पुलों के शीघ्र निर्माण नहीं होने से भरतपुर जिले में चारों क्षेत्रों के यातयात अत्यधिक प्रभावित हो रहे हैं। निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराया जाये। भरतपुर जंक्शन पर पुराना बना हुआ रेलवे लाईन्स के ऊपर का पुल अत्यधिक क्षतिग्रस्त हो चुका है। जो सुरक्षित नहीं है। यातायात भी रुका हुआ है। इस पुल के स्थान पर सुगम सहज और सुरक्षित यातायात के लिये एक नये पुल का निर्माण भरतपुर में कराया जाए। जब तक निर्माण पूरा न हो तब तक क्षतिग्रस्त पुल को वुरुस्त कराया जाए और यातायात योग्य बनाया जाए। जनहित में रेलवे की अनुदान की पूरक मांगों का मैं पुरजोर समर्थन करता हूं और सम्मानित सदन से इसकी स्वीकृति राशि 35,49,72,779 का करने का पुरजोर समर्थन करता हूं।

श्री मदन लाल शर्मा (जम्मू) : आदरणीय सभापति महोदय, मैं अनुदानों की अनुपूरक मांगों (रेल) की ताईद करने के लिए

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

खड़ा हुआ हूं। मुझे बहुत लंबी-चौड़ी बातें नहीं करनी, लेकिन मैं दो-तीन बातें जो मेरे पार्लियामैंट्री हल्के से ताल्लुक रखती हैं, उनके बारे में कहना चाहूंगा। माननीय रेल मंत्री के बारे में सब लोगों ने कहा है। यह मुझे अच्छा लगता है। वे बहुत ही डायनेमिक हैं। उनके काम करने के तरीके से सभी मैम्बर्स खुश हैं। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि मेरा पार्लियामैंट्री हल्का जम्मू-पुंछ है, इसलिए नैशनल इंटरैस्ट में भी कोई काम करना चाहिए। जम्मू-पुंछ से राजौरी बहुत ही बैकवर्ड एरिया हैं यह सारा एरिया बार्डर के साथ-साथ लगता है। वैसे ही हमारी सरकार ने पुंछ-रावलाकोट रोड पाकिस्तान में लोगों के आने-जाने के लिए खोली है। वहां लोग पूरे देश से पाकिस्तान में अपने रिश्तेदारों को मिलने जाते हैं। उन्हें जम्मू तक रेल मिलती है लेकिन उससे आगे न तो उन्हें हवाई सफर करने को मिलता है और न ही रेलवे की कोई सुविधा है।

सभापति महोदय, मैं आदरणीय मंत्री जी से दुआ करूंगा कि वह अपनी तकरीर में आज फिर बतायें। पहले भी इन्होंने इस हाउस में यकीनदानी करवायी है। एक तो वह बैकवर्ड एरिया है और दूसरा, दोनों मुल्कों को जोड़ने के लिए, क्योंकि हमारे इंटरनैशनल बॉर्डर और लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ-साथ पाकिस्तान के उस पार कम से कम आधे दर्जन के करीब रेलवे स्टेशन हैं। जबकि हमारे लोग देखते हैं कि हिन्दुस्तान ने इतनी तरक्की की है, लेकिन फिर भी इस एरिया में रेल अभी तक नहीं पहुंची है। मैं समझता हूं कि यह हिन्दुस्तान के हित की बात है। हम जम्मू-कश्मीर के हालात ठीक करने के लिए स्पेशल पैकेज दे रहे हैं। वहां आज बहुत ज्यादा डेवलपमैंट हो रही है। अगर जम्मू-पुंछ रेल लाइन, जिसका इन्होंने आलरेडी मान रखा है, उसका सर्वे हो गया है और 12वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू करने की यकीनदानी करवायी है। दूसरा, जम्मू-कश्मीर में बारामूला तक रेल पहुंच गयी है, लेकिन हमारा डिवीजन फिरोजपुर है। लुधियाना, जालंधर, पठानकोट सब एक तरफ पड़ता है। मेरा कहना है कि जम्मू में उस डिवीजन को तैनात किया जाये। फिरोजपुर से बारामूला तक हम इतनी बड़ी रेल लाइन को संभाल नहीं सकते, इसलिए वह होना भी बहुत जरूरी है।

दूसरा, छम्ब हमारा डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर है। हमारे लोग हरिद्वार में अपने बुजुर्गों की अस्थियां लेकर आते हैं। लेकिन डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर यहां बरग्रेड हैडक्वार्टर है....*(व्यवधान)* वहां कम ट्रेनें रुकती हैं। मैं कहना चाहता हूं कि यह काम भी होना चाहिए। दूसरा, नार्दर्न इंडिया में विजयपुर के पास सबसे ज्यादा राधा स्वामियों की तादाद आती है, क्योंकि विजयपुर में उनका सत्संग गढ़ है। वहां लाखों लोग जाते हैं, इसलिए विजयपुर में एक ओवर ब्रिज की जरूरत है। इसके साथ-साथ हेमकुंड जो रेल जाती है, उसका स्टापेज होना भी वहां जरूरी है।

आखिर में फिर मैं ऑनरेबल रेल मिनिस्टर साहब से इल्तजा करूंगा कि वह अपने जवाब में इसके बारे में जवाब दें। यह नेशनल इंट्रेस्ट की बात है, इतना बड़े काम सारे देश में आप कर रहे हैं। रजौरी-पुंछ लाइन को आप जल्दी शुरू करें, यह मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं।

श्री कामेश्वर बैठा (पलामू) : महोदय, मैं कुछ ऐसी चीज दिखाना चाहता हूं जो माननीय पूर्व रेल मंत्री चाहे लालू प्रसाद जी हों, चाहे नितीश कुमार जी हों, चाहे राम विलास पासवान जी हों, उनके समय से ही मेरे पलामू संसदीय क्षेत्र में कुछ परियोजनाओं की घोषणा एवं शिलान्यास किया गया है, लेकिन वहां आज तक काम नहीं चालू किया गया है। जो नया प्रोजेक्ट लिया गया है वह है गया से डालटेनगंज वाया शेरघाटी-गढ़वा रोड लाइन। तत्कालीन रेल मंत्री माननीय लालू प्रसाद जी इसकी घोषणा और शिलान्यास किया गया था, लेकिन आज तक इस काम को शुरू नहीं किया गया है। बरवाडीह से चिरमिरी लाइन, जो मुंबई का रूट तय करेगी जिससे 12 घंटे के समय की बचत होगी, उस काम के सर्वे का ऑर्डर सरकार की ओर से हो चुका है, लेकिन अभी तक सर्वे नहीं किया गया है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या पूर्व मंत्री द्वारा की गई घोषणा अवैध है? अगर अवैध नहीं है, कानूनी है, तो इस काम को कब तक पूरा करेंगे, यह सर्वे का काम कब तक शुरू होगा? नया काम कब तक शुरू किया जाएगा? सर्वे के लिए गया से शेरघाटी होते हुए डालटेनगंज, चन्द्रपुरा से रझारा, बरवाडीह से चिरमिरी, भवनाथपुर से चोपन रेलवे लाइन का तुरंत सर्वे कराया जाए और काम को तुरंत शुरू किया जाए, यह मैं मंत्री जी से, सदन से और सरकार से मांग करता हूं। हमने सरकार को, रेल मंत्री जी को लगातार लिखने का प्रयास किया। मैंने पलामू संसदीय क्षेत्र, झारखण्ड की समस्याओं को लेकर सरकार को लगातार लिखा है। हमारे यहां एक गढ़वा रोड रेलवे स्टेशन है, जहां उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ की जनता एक साथ जुटती है, उस स्टेशन पर प्रतिदिन हजारों लोगों की भीड़ लगती है, वहां पर कोई ओवरब्रिज नहीं है। मैंने यह मांग की थी कि गढ़वा रेलवे स्टेशन को, गढ़वा रोड को आदर्श स्टेशन का दर्जा

दिया जाए और वहां ओवरब्रिज बनाया जाए ताकि वहां के लोगों को आने–जाने में सुविधा मिल सके। मैंने कई चीजों के बारे में रेल मंत्री जी को लिखे हैं। मैं गढ़वा और नगर उटाई रेलवे स्टेशनों पर ओवरब्रिज के निर्माण, हुसैनाबाद रेलवे स्टेशन पर ओवरब्रिज के निर्माण, गढ़वा रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म के निर्माण, नगर उटाई रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म के निर्माण, मेराल रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म के निर्माण एवं रमूना रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म के निर्माण की मांग की है। माननीय मंत्री जी, हमारा जो संसदीय क्षेत्र है, उसमें काफी जंगल और पहाड़ हैं, ट्राइबल इलाका है, इसलिए चार न, कामों के सर्वे और पुराने कामों को तुरंत चालू कराने की मांग करूंगा। मंत्री जी से मांग करूंगा कि एन, कामों के सर्वे और पुराने कामों को तुरंत चालू कराया जाए। मैं यही सरकार से मांग करूंगा।

[अनुवाद]

श्री नरहरि महतो (पुरुलिया) : सभापति महोदय, अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल) पर चर्चा में भाग लेने का मुझे अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

सबसे पहले, यह कहते हुए मुझे खेद है कि आज मैं सभा में सात घंटे की देरी से उपस्थित हुआ हूं। मैं धनबाद से नई दिल्ली सियालदह राजधानी एक्सप्रेस से आया हूं। यह 6 घंटे देरी से आई है। सभी रेलगाड़ियां निरंतर देरी से चल रही हैं। अतः माननीय मंत्री जी से मेरा विनम्र निवेदन है कि रेलगाड़ियों के परिचालन में समय की पाबन्दी और रेल यात्रियों की सुरक्षा अवश्य सुनिश्चित की जाए।

दूसरे, मेरा विनम्र निवेदन है कि जंगलमहल पर जोर दिए जाने की आवश्यकता है। आज जब समाचार पत्र खोला तो रेल लाइन के संबंध में मैंने जंगलमहल, पश्चिमी मिदनापुर, बांकुरा, पुरूलिया के बारे में पढ़ा। रेल मंत्री श्री नीतीश कुमार के कार्यकाल के दौरान झाड़ग्राम से पुरूलिया बारास्ता वन्दोवन एक रेल लाइन को स्वीकृति दी गई थी और उसका सर्वेक्षण भी कराया गया था। लेकिन, यह कहते हुए मुझे खेद है कि आज की तारीख तक इसमें कहीं भी कुछ भी नहीं किया गया है। मेरा पुरूलिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र झारखंड के साथ जुड़ा हुआ है। एक आदर्श स्टेशन की स्वीकृति दी गई थी लेकिन फिर से यह कहते हुए मुझे खेद है कि इसे पूरा नहीं किया गया है।

तीसरे, मेरे निर्वाचन क्षेत्र के आद्रा मंडलीय रेल मुख्यालय में और पुराने रेलवे स्टेशन में, जिसका निर्माण ब्रिटिश सरकार के शासनकाल में हुआ था, एक ताप विद्युत केन्द्र खोलने और उसकी स्थापना करने के लिए लाखों पेड़ों को काट दिया गया था। लेकिन, अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है। ताप विद्युत केंद्र बनाने के लिए लाखों पौधों को नट कर दिया गया है लेकिन फिर भी अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है।

फिर, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रेल लाइन है, जो कि दुर्गापुर, बोकारो, जमशेदपुर और झारखंड की राजधानी रांची का केंद्र है। रांची से पुरूलिया के बीच 122 कि. मी. में से केवल 88 कि.मी. लाइन का दोहरीकरण किया गया है और 34 कि.मी. लाइन का दोहरीकरण अभी भी लंबित है। यदि इस 34 कि.मी. लाइन का दोहरीकरण हो जाए, तो सभी निकटर्ती स्थान आपस में जुड़ जाएंगे।

पुरी–नई दिल्ली, पुरूषोत्तम एक्सप्रेस रेलगाड़ी में पुरूलिया स्टेशन से आरक्षण कोटा था। लेकिन, इसे समाप्त कर दिया गया है। यह हमारे लिए शर्म की बात है। पिछड़े जिला पुरूलिया के लोग पुरूलिया स्टेशन से अपना कोटा खो रहे हैं और इस कोटे को अब टाटानगर अंतरित कर दिया गया है।

महोदय, हमारे माननीय रेल मंत्री जी बहुत ही कुशल और ईमानदार व्यक्ति हैं। लेकिन, यह कहते हुए मुझे खेद है कि रेलवे सारा समय–समय पर आयोजित किए जाने वाले समारोहों में रेल मंत्रालय द्वारा स्थानीय सांसदों को आमंत्रित नहीं किया जाता है। माननीय रेल मंत्री जी से मेरा विनम्र निवेदन है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि रेलवे के समारोहों और कार्यक्रमों में स्थानीय सांसदों को भी आमंत्रित किया जाए। यदि ऐसे समारोह में स्थानीय सांसद को आमंत्रित नहीं किया जाता है तो यह उसके लिए शर्म की बात है, और अंत में, महोदय हमने कुछ लोगों, जो कि इधर–उधर आ रहे हैं, के लिए आरक्षण की सिफारिश की थी ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : इस बात का उल्लेख एक अन्य माननीय सदस्य द्वारा पहले ही किया जा चुका है। इसलिए अब कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री भर्तृहरि महतो : सांसदों द्वारा की गई सिफारिशों की उपेक्षा की जा रही है और उनके अनुरोधों को स्वीकार नहीं

किया जा रहा है। मैं आशा करता हूं कि इस संबंध में कुछ सकारात्मक कदम उठा, जाएंगे।

श्री मोहम्मद ई.टी. बशीर (पोन्नानी) : सभापति महोदय, आपने मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

यह सत्य है कि माननीय मंत्री जी रेलवे के निस्पादन में सुधार करने और सांसदों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। जिस प्रकार से वह सभी प्रकार के कार्य कर रहे हैं, अत्यधिक सराहनीय है। सांसदों के अभ्यावेदनों को स्वीकार करने में उनकी खुशी और तत्परता सराहनीय है। उन्होंने तिरूवनंतपुरम में एक बैठक भी की थी जहां हमने रेलवे की सभी समस्याओं पर विचार किया। ये सब तथ्य सत्य हैं।

लेकिन वहीं, अगर हम रेलवे की वास्तविकता को देखें, तो मैं कहूंगा कि यह शोचनीय है। केरल की स्थिति की बात करें, तो मैं मानता हूं कि रेलवे दो कठिनाईयों के बीच में फंसी हुई है–एक, निधियों की कमी, दूसरा, श्रमशक्ति की कमी। पिछले बजटों में की गई अधिकांश घोषणाएं अभी भी कागजों पर ही हैं। उन्हें कार्यान्वित नहीं किया गया है। मेरे विचार में, यह अत्यधिक दुर्भाग्यपूर्ण है।

पालक्काड़ मंडल और तिरूवनंतपुरम मंडल की बात करें। ये दोनों मंडल मेरे राज्य में हैं। दुर्भाग्यवश, पलक्कड़ मंडल के लिए, यात्री सुविधाओं हेतु कुल 8 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था। कुल आवश्यकता 100 करोड़ रुपये की थी। इस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं? तिरूवनंतपुरम मंडल के लिए भी यही स्थिति है, रेलवे प्लेटफार्मो के विस्तार, समतलीकरण तथा अनेक प्रकार के कार्य बिना किसी सुधार के लंबित पड़े हुए हैं उन्होंने कतिपय आदर्श स्टेशनों की घोषणा की है। तिरूर आदर्श स्टेशनों में से एक है। दुर्भाग्यवश, उस स्टेशन पर भी कोई कार्य नहीं किया गया है।

इसी प्रकार, बहु–उद्देशीय परिसर से विद्यमान रेलवे सुविधाओं में और वृद्धि होगी। लेकिन उस पर कुछ नहीं किया गया है। इसी प्रकार, समर्पित माल–भाड़ा गलियारा के मामले में, केरल की अत्यधिक उपेक्षा की गई है। केरल जैसा कि आप सभी जानते हैं, तेजी से प्रगति कर रहा है। हम अनेक क्षेत्रों का विकास कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी आने वाली है। वल्लारपदम कंटेनर टर्मिनल तैयार हो रहा है। इसी तरह, विझीन्जयम बंदरगाह बन रहा है और अन्य कई चीजें बन रही हैं। यदि ये विकास कार्य होते हैं तो रेलवे को भी अवश्य आगे आना चाहिए।

जहां तक रेल विकास की बात है तो मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह केरल के लिए किसी प्रकार की येन–केन–प्रकारेन रणनीति अपनाएं।

एम ई एम यू (मेमू) सेवा के संबंध में हमें बहुत अपेक्षा हुई जब मेमू सेवा के बारे में घोषणा हुई पर उसके बारे में कुछ नहीं किया गया, क्योंकि यह विद्युत आधारित है। यदि वैसा संभव नहीं है, मैं यह अनुरोध कर रहा हूं कि कम से कम डीजल आधारित अर्थात् डी ई एम यू (डेमू) जैसा कुछ प्रारंभ किया जाय।

उसी प्रकार, मैं एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं, वह है रेल विकास के लिए केरल हेतु विशेष पैकेज। इस राज्य के पिछड़ेपन के मद्देनजर मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह केरल जैसे पिछड़े राज्यों के लिए विशेष विकास पैकेज जैसा लागू करने का नीतिगत रूख अपनाएं।

एक और बात। जनशक्ति की कमी के बारे में मैं बहुत उल्लेख नहीं करना चाहता। अन्य सदस्यों ने उस समस्या के बारे में उस तरह से विशेष जिक्र किया। तब, रेलवे में स्वच्छता एवं सुरक्षा के बारे में भी ध्यान देने की जरूरत है।

सभापति महोदय : अन्य सदस्य इस पर पहले ही बोल चुके हैं।

श्री मोहम्मद ई. टी. बशीर : एक और महत्वपूर्ण बात है कोंकण रेलवे के बारे में। केरलवासी ज्यादातर उस मार्ग से यात्रा कर रहे हैं क्योंकि वह मंगलोर एवं मुंबई के बीच सबसे छोटा मार्ग है। कोंकण रेलवे में यात्रा नारकीय अनुभव हो गयी है। हर दिन बाधा आती है। इसे कृपया दूर किया जाय।

पालक्काड रेल डिब्बे कारखाना के बारे में माननीय मंत्री से अनुरोध करने की मेरी इच्छा है।

सभापति महोदय : मंत्री ने उस मुद्दे पर पहले ही आश्वस्त किया है। उन्होंने पहले ही कहा है कि वह इस पर विचार करेंगे।

श्री मोहम्मद ई. टी. बशीर : अंत में मेरे पास केवल एक विशेष मुद्दा है, वह है कि पहले बजट में मंत्री ने सरकार के अधीन आने वाली सामाजिक उत्तरदायित्व अर्थात समाज के सभी

वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने के बारे में घोषणा की है। दुर्भाग्यवश, उसे पूरा नहीं किया गया है।

रेलगाड़ी के ठहराव के बारे में भी मैं मंत्री जी से इस पर कुछ विचार करने का विनम्र अनुरोध करता हूं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री निखिल कुमार चौधरी (कटिहार) : सभापति महोदय, मैं बिहार के कटिहार संसदीय क्षेत्र से आता हूं जहां एनएफ रेलवे का डिविजनल हैडक्वार्टर है। पांच दिशाओं में वहां से गाड़ी चलती हैं। मेरे पास एक डाटा मिला है और मैं माननीय मंत्री जी से आम लोगों की बातें करता हूं और यह सरकार भी आम लागों की बातों की तरफ ज्यादा ध्यान दे रही है। आम बात यह है कि 2009–2010 और 2010–2011 जून तक का एक अधिकृत डाटा मेरे पास है जो केन्द्र सरकार का डाटा है जिसमें चोरी की कुल 21215 घटनाएं रेलवे में हुई हैं। डकैती की 661 हैं और गले से चेन–जेवरात छीनने की घटनाएं 1422 हैं। मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह होगा कि इस दिशा में अभी तक कारगर कार्रवाई नहीं हुई है। मेरे संज्ञान में ये बातें इसलिए हैं कि मैंने पहले बताया कि मैं एनएफ रेलवे के रीजनल हैडक्वार्टर का सांसद हूं। वहां नशा–खुरानी की घटनाएं इतनी हो रही हैं कि जो यात्री दूसरे प्रदेशों से अपने घर के लिए अर्जित करके कुछ रुपये–पैसे लाते हैं, उन्हें नशा कराकर लूट लिया जाता है।

महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो सुरक्षा में लगे लोग हैं चाहे जीआरपी हो या आरपीएफ हो, उन्हें इन सभी शातिर बदमाशों की, गंडों की पूरी पहचान है, लेकिन रेलवे इस पर कोई नियंत्रण नहीं कर रहा है। मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि इस ओर आप ध्यान दें।

मेरा आग्रह है कि आज जो चर्चा चल रही है, उसे हम सभी मिल कर पास कर देंगे। लेकिन मुझे दुख है कि इस डिमांड में बिहार की एक भी परियोजना आपने शामिल नहीं की है, जबकि बिहार की आज बहुत सारी परियोजनाएं खटाई में पड़ी हैं। आपको एक राय लेकर काम करना है और आप सरकार में हैं तथा पूर्व में मंत्रियों ने क्या किया, लेकिन आपको वर्तमान में काम करना है। हम आपसे आशा करते हैं कि एक योजना, जब नितिश कुमार जी मंत्री थे, तब कुरुसेला से बिहारीगंज तक एक रेल लाइन बनाने की परियोजना शुरू हुई थी और जमीन अधिग्रहण हुआ। कहां ट्रैक लगेगा, कहां क्या काम होगा, इसके लिए लोग नियुक्त किए गए, लेकिन आज तक लाइन बिछाने का काम नहीं हुआ। यह योजना गरीब इलाके से होकर जाती है, इसे अगर आप पूरा करवा दें, तो बहुत कृपा होगी।

कटिहार डिविजनल हैडक्वार्टर से बरौनी की तरफ और कटिहार से गोहाटी की ओर इलेक्ट्रिफिकेशन का शिलान्यास श्री लालू जी ने किया था, लेकिन जिस गति से काम होना चाहिए, मुझे लगता है कि यूपी.–2 की सरकार भी चली जाएगी, तब भी वह काम पूरा नहीं होगा। हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि कम से कम पहले फेस का काम कटिहार से बरौनी तक जल्दी पूरा होना चाहिए।

मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि जोगमनी, जो नेपाल से लगती है, हम आपके पड़ोसी हैं और पड़ोसी के नाते भी आपका धर्म है कि जोगमनी से एक ट्रेन चलती है, जिस पर वीआईपी तो चलते ही हैं, आम लोग भी यात्रा करते हैं। यह ट्रेन 16 बोगी लेकर चलती हैं। मैं आपसे अपील करता हूं कि आप अगर 24 बोगियां कर देंगे, तो यात्रियों को बहुत ज्यादा लाभ होगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

श्री निखिल कुमार चौधरी : मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इसमें कम्पोजिट थर्ड और सैकेंड एसी है, उसे कम्प्लीट सैकेंड एसी और थर्ड एसी इंट्रोड्यूज करें।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए। आपके पार्टी का पूरा समय समाप्त हो गया है। उन्हें कैसे अनुमति दी जा सकती है।

[हिन्दी]

श्री निखिल कुमार चौधरी : महोदय, मैं सिर्फ प्वायंट्स बोल रहा हूं। मैं अलंकार में भाषण नहीं कर रहा हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए। आपको समझना चाहिए कि अन्य सदस्य भी आपकी तरह बोलने के इच्छुक हैं।

[हिन्दी]

श्री निखिल कुमार चौधरी : मंत्री जी, आपकी नालेज में है, मनिहारी से साहिबगंज झारखंड में है। रेलवे ने एक सर्वे कराया है और गंगा नदी वहां बहती है। अभी राजमार्ग मंत्रालय वहां रोडवेज का ब्रिज बनाने के काम को शुरू करने जा रहा है। मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि बनती हुई सड़क में अगर आप रेल पुल जोड़ दें, तो मनिहारी से साहिबगंज क्षेत्र का बहुत भला हो जाएगा।

महोदय, पश्चिम बंगाल में भालुका जगह है। आप जानते हैं कि मलदा के करीब है और एक रूट है जिससे आप भालुका होकर कटिहार रेलवे लाइन ले जा सकते हैं, लेकिन वह काम अधर में है, उसका भी सर्वे हुआ था, अगर यह भी हो जाए, तो बड़ी कृपा होगी।

सायं 6.00 बजे

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय सदस्यों, अब छह बज चुके हैं। अभी भी 12 सदस्यों का बोलना शेष है। यदि सभा राजी है तो हम सभा की बैठक एक घंटे तक बढ़ा सकते हैं और तब हम 'शून्यकाल' प्रारंभ करेंगे। मैं समझता हूं कि सभा इसे स्वीकार करती है।

अनेक माननीय सदस्य : जी हां, महोदय।

सभापति महोदय : ठीक है। अब श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी बोलिए।

श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी (विजयनगरम) : सभापति महोदय, मैं अनुपूरक अनुदान मांगे (रेल) 2011–12 का समर्थन करती हूं। मैं रेलवे को एक जीवंत संगठन बनाने एवं राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए माननीय रेल मंत्री श्री दिनेश त्रिवेदी जी, माननीय प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह जी तथा हमारी प्रिय यू पी ए अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी के प्रति अपना हार्दिक आभार व्यक्त करती हूं।

सायं 6.01 बजे

(श्री बसुदेव आचार्य *पीठासीन हुए*)

भारतीय रेलवे विश्व के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में से एक हैं यह 63,974 मार्ग किलोमीटर तय करता है तथा यह प्रत्येक वर्ष 1.4 करोड़ से अधिक यात्रियों की सेवा करती है एवं इसने यात्री सुविधाओं एवं संरक्षा के लिए वर्ष 2010–11 में रिकार्ड 1,302 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। इसलिए यात्रियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना रेलवे की जिम्मेदारी बन जाती है।

रेल मंत्रालय ने वर्ष 2011–12 के लिए 63,400 करोड़ रुपये की योजना का प्रस्ताव योजना आयोग को दिया था जबकि वर्ष 2010–11 के लिए योजना आकार के लिए बजट अनुमान 41,426 करोड़ रुपये था। न केवल यही बल्कि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विद्युतीकरण के लिए मूलतः 3000 करोड़ रुपये के व्यय वाला 3500 किलो मीटर मार्ग का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। योजना की मध्यावधि समीक्षा में योजनावधि के लिए लक्ष्य संशोधित कर 4500 किलोमीटर का कर दिया गया था। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के पहले चार वर्षों के दौरान 3,391 मार्ग कि. मी. का विद्युतीकरण किया गया एवं योजना के अंतिम एवं पांचवें वर्ष में 2621018 करोड़ रुपये खर्च किए गए। वर्ष 2011–12 के दौरान 4500 मार्ग कि.मी. की संशोधित योजना के लक्ष्य को हासिल करने के लिए 978 करोड़ रुपये के परिव्यय से 1110 मार्ग किलोमीटर का लक्ष्य रखा गया है।

सार्वजनिक निजी भागीदारी पद्धति के माध्यम से 120 स्टेशनों पर बहु–उद्देशीय परिसरों का विकास किया जाना है। मैं इसका स्वागत करती हूं। मैं सिकंदराबाद और तिरूपति में विश्वस्तरीय स्टेशनों की स्वीकृति प्रदान करने और धरमवरम, करीमनगर, करनलू नगर, नेल्लूर, निजामाबाद, अमदाला वलासा, विजयवाड़ा, विजयनगरम और जहीराबाद पर बहु–उद्देशीय परिसरों की स्वीकृति देने के लिए माननीय रेल मंत्री को धन्यवाद देती हूं।

इस संबंध में, मैं माननीय रेल मंत्री को बताना चाहती हूं कि औद्योगिक विकास शिक्षा विकास, स्वास्थ्य विकास पोत विकास और पर्यटन विकास की दृष्टि से विशाखापत्तनम एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। विशाखापत्तनम एशिया में दूसरा तेजी से

विकसित होता हुआ शहर है। मैं माननीय मंत्री से निवेदन करता हूं कि विशाखापत्तनम को विश्वस्तरीय स्टेशनों की सूची में शामिल किया जाए।

मेरा मााननीय रेल मंत्री से विनम्र निवेदन है कि वे आंध्र प्रदेश में पूर्व तट और दक्षिण मध्य रेलवे जोन के अंतर्गत विशेषकर उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश में जहां मेरा निर्वाचन क्षेत्र है तथा जो कि अत्यंत पिछड़ा क्षेत्र है, में जारी परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करें। इतना ही नहीं यह ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल मार्गों को जाने का त्रि–राज्य जंक्शन है।

विजयनगरम–प्लासा बरास्ता मुख्य शहर राजम के बीच नई रेल लाइन के सर्वेक्षण के कार्य को वर्ष 2010–11 में स्वीकृत किया था परन्तु अभी तक सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार नहीं की गई है। सर्वेक्षण संबंधी टिप्पणियां प्राप्त करने में विलंब के क्या कारण हैं? यदि परियोजनाओं को समय पर पूरा किया जाता है तो इससे लागत में वृद्धि नहीं होगी। इससे देश के आर्थिक विकास में भी सहायता होगी।

विजयनगरम–रायगढ़ का विद्युतीकरण को 2011–12 बजट में स्वीकृति दी गई थी। बजट आवंटन की वर्तमान स्थिति क्या है? मैं उपर्युक्त विद्युतीकरण की वर्तमान स्थिति के बारे में जानना चाहती हूं तथा साथ आंध्र प्रदेश के वे क्षेत्र जहां संपर्क नहीं है को प्राथमिकता दी जानी चाहिए क्योंकि संपर्क नहीं होने के कारण दक्षिण मध्य रेल को राजस्व की भारी क्षति होती है। गुंटूर–नलगौडा–बी–बी नगर और गुंटूर–गुंटकल खंडों का आई आर आर 22% और उससे भी अधिक है। इस संबंध में विजयनगरम–बोबिली, चिपुरुपल्ली जैसे आदर्श स्टेशनों और आंध्र प्रदेश के अन्य स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं के रूप में क्या कार्य आरम्भ किए जाने हैं।

महोदय, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि सभी संसद सदस्यों की राज्य–वार बजट–पूर्व बैठक बुलाई जाए। बजट पूर्व संसद सदस्यों की समन्वय बैठक गत तीन वर्षो से नहीं हुई है। कृपया बजट सत्र से पूर्व सभी संसद सदस्यों की बैठक बुलाई जाए। बैठक मंत्रालय के प्रत्येक संसदीय क्षेत्र की स्थानीय समस्याओं के समन्वय में सक्षम होगा।

मैं नई यात्री एक्सप्रेस और इंटरसिटी रेलगाड़ी आरम्भ करने के लिए माननीय मंत्री को धन्यवाद देती हूं। इस संबंध में मैं माननीय रेल मंत्री से इन रेलगाड़ियों को प्रसिद्ध तीर्थ स्थल जैसे रामतीर्थ, ऐतिहासिक स्थल जैसे विजयनगरम, प्रसिद्ध मंदिरों जेसे चंपावती, वेगावती, स्वर्णमुखी और जंजावती के नाम पर रखने पर विचार करने का अनुरोध करती हूं। इससे इस क्षेत्र के लोगों की भावनाओं को सम्मान मिलेगा। यह इस देश के लोगों और भावी पीढ़ी के लिए आत्मीय होगा।

रेलवे में महिलाओं के लिए और अधिक पद आरक्षित किए जाने की आवश्यकता है। महिला यात्रियों के कोटे में वृद्धि किए जाने की भी आवश्यकता है। छेड़छाड़ उत्पीड़न और चेन छपटमारी जैसे मामलों की रोकथाम के लिए रेल डिब्बों में महिला सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की जानी चाहिए। इस प्रकार की घटनाएं प्रतिदिन हो रही हैं।

सभापति महोदय : अब आप समाप्त कीजिए, अन्यथा कुछ भी कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। आप आठ मिनट बोल चुके हैं। कृपया समाप्त कीजिए अन्यथा इसे कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी : महोदय मुझे अपनी बात समाप्त करने के लिए एक मिनट का समय दीजिए।

मैं विजयनगरम में इलैक्ट्रिक लोको शेड स्थापित किए जाने की मांग कर रही हूं। पर्याप्त भूमि उपलब्ध है। वास्तव में विजयनगरम रायपुर, भुवनेश्वर और विशाखापत्तनम की ओर जाने वाली रेलगाड़ियों का जंक्शन है। भारी यातायात को देखते हुए देर–सवेर विजयनगरम से रायपुर मार्ग का विद्युतीकरण करना ही होगा। स्थानीय रेल अधिकारियों ने बताया कि विशाखापत्तनम इलैक्ट्रिक लोको शेड अपना निर्धारित कार्य पूरा कर चुका है और यहां लोकोमेटिव की मरम्मत नहीं की जा सकती। विजयनगरम की महत्वपूर्ण स्थिति को देखते हुए लोको शेड स्थापित करने के लिए यह उपयुक्त स्थान है। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे और पिछड़े जिले के विकास में सहायता मिलेगी।

अंत में, मैं माननीय मंत्री जी से निम्नलिखित रेलगाड़ियों का ठहराव देने का निवेदन करती हूं :

2841/2842 कोरोमंडल एक्सप्रेस

सिगडम पर विशाखा एक्सप्रेस 7015/7016

बोबिली पर टाटानगर–यशवंतपुर

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं रेलवे की अनुपूरक अनुदानों की मांगों का समर्थन करती हूं।

[हिन्दी]

*श्री गोपाल सिंह शेखावत (राजसमंद) : मैं इन अनुपूरक मांगों का समर्थन करता हूं। रेल का देश के विकास के साथ बहुत गहरा संबंध है। देश में जहां-जहां रेल पहुंचती है वहां-वहां विकास पनपता है। महोदय, मेरे राजस्थान के संसदीय क्षेत्र राज समन्द के अंतर्गत आने वाले मेड़ता रोड़ रेलवे स्टेशन जो कि उत्तर-पश्चिम रेलवे के जोधपुर डिवीजन के तहत आता है, इस स्टेशन से मेड़ता सिटी के बीच एक रेल बस चलती है। इस रेल बस में कुल 72 यात्री आते हैं। करोड़ों रुपए लगाकर रेलवे ने मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी के बीच अमानपरिवर्तन कर इन स्टेशनों के बीच ब्राडगेज बनाया था। मेड़ता रोड़ में प्रत्येक रेल से सैकड़ों यात्री मेड़ता सिटी के लिए उतरते हैं लेकिन प्रत्येक रेल के आगमन के समय केवल एक रेल बस मेड़ता रोड़ से मेड़ता सिटी के बीच चलती है। इसमें सैकड़ों यात्री साधन के अभाव में लटककर यात्रा करते हैं। कई बार गंभीर हादसे हो चुके हैं। इसलिए मैंने रेलवे के कई अधिकारियों और केन्द्रीय रेल मंत्री महोदय से संपर्क कर निवेदन किया कि इस रेल लाईन पर तीन-चार डिब्बों की एक रेल या डी.एम.यू. चलाई जाए जिससे कि मेड़ता-सिटी जैसे बड़े शहर की रेल सुविधा में वृद्धि हो सके और आए दिन होने वाली दुर्घटनाओं से जनता को राहत मिल सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुन: इन अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं।

*श्री हरीश चौधरी (बाड़मेर) : सर्वप्रथम मैं अपने संसदीय क्षेत्र के बाड़मेर जिले में बायतू रेलवे स्टेशन पर कालका एक्सप्रेस के ठहराव की मांग को पूरा करने के लिए स्थानीय जनता की ओर से धन्यवाद देता हूं।

मेरा संसदीय क्षेत्र बाड़मेर-जैसलमेर वस्त्र उद्योग, हस्तशिल्प, कोयला, जिप्सम, लाइम स्टोन, कच्चा तेल एवं अन्य कई खनिज उत्पादों के लिए देश विदेश के मानचित्र में स्थित है। यहां स्थित रक्षा इकाइयों, औद्योगिक, तेल व ऊर्जा खोज तथा उत्पादन इकाइयों में देशभर के हजारों लोग कार्य कर रहे हैं। इन स्थितियों को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र में रेल सुविधा विस्तार की विशेष आवश्यकता है।

बाड़मेर से मुम्बई/चेन्नई/बैंगलोर के लिए नई रेल सेवा

मेरे संसदीय क्षेत्र के बाड़मेर जिले से व्यापारिक, रोजगार एवं अन्य कार्यों से हजारों लोग दक्षिण भारत के लिए यात्रा करते हैं। इन यात्रियों को रेल मार्ग से यात्रा के लिए जोधपुर या अहमदाबाद जाकर अपने गंतव्य स्थान के लिए रेल यात्रा आरम्भ करनी पड़ती है या फिर सड़क मार्ग से यात्रा करनी पड़ती है। बाड़मेर जिले से प्रतिदिन 40-50 बसें दक्षिण भारत के शहरों के लिए चल रही हैं। अत: बाड़मेर से मुम्बई, बैंगलोर के लिए रेल सेवा आरम्भ करने का प्रावधान किये जाने की आवश्यकता है।

बाड़मेर से दक्षिण की ओर लंबी दूरी की रेल सेवा, बाड़मेर जिले में स्थित समदड़ी-भीलड़ी रेलवे स्टेशन से होते हुए चलाई जा सकती हैं। इन रेल सेवाओं के साथ औद्योगिक विका हेतु माल परिवहन सुविधा आरम्भ किये जाने की आवश्यकता है।

थार एक्सप्रेस का बाड़मेर में ठहराव एवं व्यापारिक परिवहन मार्ग स्वीकृति

भारत पाकिस्तान के बीच राजस्थान सीमा से चलने वाली थार एक्सप्रेस मुनाबाव बोर्डर के रास्ते भारत में सीमा क्षेत्र से 350 किमी. दूर स्थित जोधपुर रेलवे स्टेशन से चलाई जा रही है। इस रेल सेवा में मेरे संसदीय क्षेत्र के बाड़मेर-जैसलमेर जिलों के निवासी बड़ी संख्या में यात्रा करते हैं। बाड़मेर-जैसलमेर जिलों के थार एक्सप्रेस में यात्रा करने वाले दोनों देशों के नागरिकों को पास्कितान जाने के लिए पहले जोधपुर जाना पड़ता है, भारत आते समय इन्हें मुनाबाव में चैकिंग के बाद थार एक्सप्रेस से जोधपुर जाना पड़ता है और फिर वहां से बाड़मेर (200 किमी.)-जैसलमेर (300 किमी.) आना-जाना पड़ता है। मुनाबाव में पूरी सुरक्षा जांच होने के बावजूद बाड़मेर के निवासियों को बाड़मेर से जोधपुर एवं जोधपुर से बाड़मेर का सफर करना पड़ रहा है वहीं दिल्ली (भारत) एवं लाहौर (पाकिस्तान) के बीच चलने वाली 'समझौता एक्सप्रेस' से यात्रा के दौरान वाघा बोर्डर पर दोनों देशों के नागरिकों को यात्रा समाप्त करने की सुविधा है। बाड़मेर रेलवे स्टेशन मुनाबाव-जोधपुर रेल मार्ग के मध्य में स्थित है।

बाड़मेर-जैसलमेर जिलों के निवासियों के नजदीकी रिश्तेदार पाकिस्तान में निवास करते हैं, यहां कई परिवार भारत पाक युद्ध के समय पाकिस्तान से आकर बस गये थे। यहां के अल्पसंख्यक व अन्य वर्गों में वैवाहिक संबंध भी भारत पाकिस्तान के नागरिकों के मध्य हो रहे हैं। दोनों देशों के मध्य प्रेम भाइचारे का संदेश दे रहे इन जिलों के नागरिकों की सुविधा के लिए बाड़मेर स्टेशन पर थार एक्सप्रेस का ठहराव निश्चित किये जाने की आवश्यकता है। साथ ही इस मार्ग का उपयोग भारत पाकिस्तान के बीच व्यापारिक रेल मार्ग के रूप में किये जाने की स्वीकृति प्रदान कराए।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

बाड़मेर से दिल्ली के लिए रेल सेवा

बाड़मेर जिले में बढ़ते औद्योगिक विकास, रक्षा गतिविधियों एवं अन्य कारणों से देश की राजधानी क्षेत्र दिल्ली से आवागमन बहुत बढ़ा है। वर्तमान में बाड़मेर दिल्ली के मध्य चलाई जा रही मालानी एक्सप्रेस (14662/14659) की आधी गाड़ी बाड़मेर एवं आधी गाड़ी जैसलमेर से चलाई जा रही है। इस रेल सेवा में आरक्षण की स्थिति बाड़मेर से हमेशा प्रतीक्षा में ही रहती है। यात्री संख्या की अधिकता को देखते हुए यह पूरी गाड़ी बाड़मेर से चलाये जाने की आवश्यकता है।

बालोतरा में रेलवे ओवर ब्रिज एवं जिले में रेलवे क्रॉसिंग/रेलवे अण्डर ब्रिज निर्माण स्वीकृति

मेरे संसदीय क्षेत्र बाड़मेर में औद्योगिक नगर बालोतरा में स्थित रेलवे स्टेशन नगर के बीच में स्थित है। यहां रेल आवागमन के समय यह नगर दो भागों में विभक्त हो जाता है। इसलिए बालोतरा नगर में रेलवे ओवरब्रिज निर्माण की स्वीकृति प्रदान कराए। साथ ही बाड़मेर जिले में कई ऐसे रेलवे क्रॉसिंग हैं जो या तो बंद हैं या मानवरहित हैं। मेरा अनुरोध है कि समय-समय पर होने वाली जनहानि को रोकने के लिए इन रेलवे क्रॉसिंग को मानवरहित किये जाने की स्वीकृति दिलाए। आवागमन सुविधा के लिए उपयोगी बंद पड़े रेलवे क्रॉसिंग को खुलवाने की स्वीकृति प्रदान कराए। बाड़मेर बालोतरा शहरों के मध्य स्थित रेलवे क्रॉसिंग पर रेलवे अण्डर ब्रिज निर्माण करवाये जाने की भी आवश्यकता है।

सूर्यनगरी एक्सप्रेस का फेरा जोधपुर तक बढ़ाया जाए

जैसलमेर जिला अपने प्राचीन कला स्थापत्य के कारण देश-विदेश में प्रसिद्ध है। यहां लाखों पर्यटक हर वर्ष आते हैं। लेकिन अभी तक यह जिला केवल दिल्ली का रेल मार्ग से जुड़ा है। रेल बजट 2011 में जैसलमेर से हावड़ा के लिए साप्ताहिक रेल सेवा की घोषणा की गई थी, जिसे शीघ्र आरम्भ करवाया जाये। मेरा निवेदन है कि जोधपुर से मुम्बई केमध्य चलने वाली सूर्यनगरी एक्सप्रेस को जैसलमेर स्टेशन तक बढ़ा दिया जाए तो यहां दक्षिणी भारत से आने वाले यात्रियों के लिए बहुत सुविधा होगी और पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ ही रेलवे राजस्व के लिए भी लाभप्रद होगा।

धार्मिक आस्था के लिहाज से बाड़मेर से अजमेर सीधी रेल सेवा

बाड़मेर जिला अल्पसंख्यक बहुल का जिला है। यहां से हिन्दु व मुस्लिम धर्मावलम्बी अजमेर में स्थित हजरत मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह शरीफ एवं पुष्कर तीर्थ पर हजारों की संख्या में जाते हैं। अजमेर में राजस्व, स्वास्थ्य, शिक्षा विभागों से जुड़े कार्यालय हैं, इनमें लोगों का आना-जाना लगता रहता है। बाड़मेर से अजमेर जाने के लिए यात्रियों को समय व धन का अधिक व्यय कर जोधपुर से होते हुए अजमेर जाना पड़ता है। बाड़मेर से अजमेर वाया जोधपुर नई सेवा शुरू किये जाने की आवश्यकता है।

रेलवे स्टेशन विस्तार एवं आधुनिकीकरण-बालोतरा रेलवे स्टेशन

रेल बजट 2011 में बाड़मेर रेलवे स्टेशन को सुविधाओं के लिहाज से आदर्श स्टेशन के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई थी, मेरा अनुरोध है कि उसके अनुरूप बाड़मेर रेलवे स्टेशन पर सुविधाएं शीघ्र विकसित करवाई जाए। साथ ही देश में वस्त्र उद्योग में अहम् स्थान रखने वाले बाड़मेर जिले के बालोतरा रेलवे स्टेशन को आदर्श स्टेशन श्रेणी में लेने की स्वीकृति प्रदान कराएं।

बाड़मेर-जैसलमेर नई रेल लाईन-स्वीकृति एवं जैसलमेर कांडला रेल लाइन सर्वेक्षण कार्य

रेल बजट 2010-11 में सामाजिक रूप से वाछंनीय परियोजनाओं के तहत सीमावर्ती जैसलमेर बाड़मेर जिलों के बीच रेल लाइन सर्वेक्षण हेतु स्वीकृति प्रदान की गई थी। रेल बजट 2011-12 में इस लाइन की स्वीकृति बारहवीं योजना में जारी करने की मंत्री जी ने घोषणा की थी। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जैसलमेर बाड़मेर के बीच नई रेल लाइन बिछाने की स्वीकृति आगामी बजट में प्रदान की जाए एवं यहां से कांडला तक रेल लाइन सर्वे का कार्य भी शीघ्र पूर्ण करवाया जाये ताकि इस मार्ग से देश में औद्योगिक विकास को और गति मिल सके।

***श्री बद्रीराम जाखड़** (पाली) : मेरे संसदीय क्षेत्र पाली की जनता को लंबी दूरी की रेलगाड़ियों में आने व जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान में पर्यटकों, ऐतिहासिक, धार्मिक स्थान पर श्रद्धालुगण के आवागमन से सफर तय करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पाली की जनता को लंबे अरसे से दिल्ली की ओर रेल सेवा से वंचित रखा गया है। इस क्षेत्र को रेल सुविधा उपलब्ध करवाये जाने हेतु आपसे मेरे बार-बार आग्रह करने के बाद भी पाली से

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

दिल्ली के लिए इंटरसिटी सुपरफास्ट चालू नहीं की है इसलिए आगामी बजट में नई गाड़ी की स्वीकृति दिलावें।

राजधानी एक्सप्रेस गाड़ी (दिल्ली-अहमदाबाद) 12958/12957 का ठहराव मारवाड़ जंक्शन या फालना पर करवाया जाए। जोधपुर से पूना (11089/11090) चलने वाली सीधी एक्सप्रेस गाड़ी को सप्ताह में प्रतिदिन किया जाए। जोधपुर से चेन्नई (16125/16126) जाने वाली गाड़ी के फेरे बढ़ाये जाए। कालका एक्सप्रेस (बाड़मेर-हरिद्वार) 12488/12487 का ठहराव पीपाड़रोड स्टेशन पर करवाया जाए। जैसलमेर-दिल्ली इंटरसिटी गाड़ी (14059/140600) का तिवरी स्टेशन पर ठहराव करवाया जाए। उपरोक्त सभी गाड़ियों की कार्यवाही करने हेतु आपसे कई बार निवेदन किया है। अतिशीघ्र आवश्यक कार्यवाही कराने की कृपा करें।

[अनुवाद]

श्री पी. करूणाकरन (कासरगोड) : चूंकि केरल राज्य में रेल घनत्व काफी अधिक है, जहां तक कि यात्री सुविधाओं का संबंध है इसे और अधिक सुविधाओं की आवश्यकता है। राजधानी एक्सप्रेस और संपर्क क्रांति एक्सप्रेस की बारम्बारता बढ़ाई जानी चाहिए। मेरा अनुरोध है कि जो स्थिति आज है उसमें न्यूनतम एक दिन जोड़ा जाना चाहिए। पालक्कड़ कोच फैक्ट्री के संबंध में माननीय मंत्री जी पहले ही आश्वासन दे चुके हैं। मेरा यह भी अनुरोध है कि माननीय मंत्री वेणुगोपाल जी के निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली चेरथाला वैगन फैक्टी को भी प्रारंभ किया जाए, क्योंकि ये दोनों मुख्य परियोजनायें हैं, जोकि पूर्व बजट में भी सम्मिलित थीं।

जहां तक लोकल रेलगाड़ियों का संबंध है, ये स्थानीय यात्रियों हेतु काफी महत्वपूर्ण है। हम पहले ही प्रतिवेदन दे चुके हैं कि कालीकट से मंगलौर या कन्नूर से मंगलौर के लिए एक नई लोकल रेलगाड़ी चलाई जाय। पूर्व मंत्रियों श्री वेलु और श्री अहमद जी द्वारा भी घोषणा की गई थी, परन्तु यह प्रारंभ नहीं हुई। हमें नए मंत्री जी पर भरोसा है क्योंकि वे सभी भाषण सुन रहे हैं और मुस्करा रहे हैं। इसलिए हमें आशा है कि इसका कुछ परिणाम निकलेगा। जहां तक कि राज्य के उत्तरी भाग का संबंध है कन्नूर से मंगलौर के लिए पैसेंजर रेलगाड़ी काफी अहम है।

जहां तक नए सर्वेक्षणों का संबंध है, ऐसे अनेक सर्वेक्षण हैं जोकि केरल में किए गए थे, परन्तु कुछ भी प्रारंभ नहीं हुआ हैं मेरा विचार है कानहानगाड-पानाघूर-कनियूट सर्वेक्षण दो वर्ष पूर्व किया गया था और रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। मेरा विचार है लागत लाभ अनुपात 2.6 है, जोकि सकारात्मक है। इसे भी विचारार्थ लिया जाना चाहिए क्योंकि इससे कर्नाटक और केरल के मध्य अंतर-राज्य संपर्क बनेगा। यह बंगलुरू के लिए भी सबसे छोटा मार्ग है। मेरा विचार है यह सरकार के विचारार्थ है।

त्रिवेन्द्रम में आपके साथ बैठक में, हम संसद सदस्यों और यहां तक कि मंत्रियों ने भी कुछ मुख्य मुद्दे उठाए हैं, इसमें रेलवे स्टेशनों पर विक्रेताओं से संबंधित मुद्दे भी सम्मिलित हैं। आपने हमें वायदा किया था कि आपके वापस आने के एक सप्ताह के भीतर इस मुद्दे का समाधान कर लिया जाएगा। अब तक इन कामगारों को नौकरियां नहीं मिली हैं। इस वायदे को अभी पूरा किया जाना है।

महोदय, इसमें कुछ गलत नहीं है। बड़ी संख्या में यात्री खाने-पीने की वस्तुएं चाहते हैं। वे चाय चाहते हैं, वे जलपान चाहते हैं, वे कॉफी शॉप जाने में असमर्थ हैं। इसके साथ ही विशेषकर पालक्काड डिविजन में अभी भी बड़ी संख्या में कामगारों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है। इसलिए इस मुद्दे को विचारार्थ लेना चाहिए।

महोदय, जहां तक अवसंरचना सुविधाओं का संबंध है, मैं जानता हूं यह पहले आपके समक्ष नहीं आया है। इसके साथ ही प्लेटफार्मो का स्तरोन्नयन शेल्टर का मुद्दा, पेयजल, रेल ऊपरी पुल (आर ओ बी) को डी आर एम स्तर पर जी एम स्तर पर लिया जा सकता है। यह कहना दुर्भाग्यपूर्ण है और अन्य सदस्यों ने भी यह कहा है कि ये अधिकारी सुन नहीं रहे हैं। हमें रेलवे से रटा-रटाया उत्तर मिल रहा है। यदि मैंने किसी बात पर पिछली बार शिकायत पत्र दिया था, तो मुझे रेलवे से जो उत्तर पहले प्राप्त हुआ और जो इस बार प्राप्त हुआ वह समान थे। वे कोई जांच नहीं कर रहे हैं। अवसंरचनात्मक सुविधा विशेषकर राज्य के उत्तरी भाग में काफी खराब है। मेरा विचार है कि मुझे भाषण का शेष भाग सभापटल पर रखने की अनुमति दी जानी चाहिए।

सभापति महोदय : भाषण का भाग सभापटल पर नहीं रखा जा सकता। आप मुख्य बातों का उल्लेख करते हुए जल्दी से अपना भाषण समाप्त कर सकते हैं।

श्री पी. करुणाकरन : दूसरा मुख्य मुद्दा यात्रियों की सुरक्षा से संबंधित है। केरल राज्य में अनेक घटना, हुई हैं न केवल

केरल बल्कि देश के अन्य भागों में भी हुई हैं। रेलवे को और पुलिस बल तैनात करना चाहिए, न केवल रेलवे को अकेले, बल्कि रेलवे को राज्य सरकारों के साथ परामर्श करना चाहिए। रेलवे और राज्य पुलिस के मध्य समन्वय होना चाहिए, क्योंकि हत्या के मामले भी सूचित किए जाते हैं, बलात्कार के मामले भी सूचित किए जाते हैं, चोरी के मामले भी सूचित किए जाते हैं और विशेषकर महिला यात्री यात्रा करने से डरती हैं। इसलिए सरकार को सुरक्षा पहलू को भी विचारार्थ लेना चाहिए क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण है।

केरल राज्य में 65 रेल उपरि पुल हैं और केवल 15 से 20 पूरे हुए हैं। मुझे याद है कि आपकी उपस्थिति में केरल राज्य में एक चर्चा हुई थी। सरकार को केरल में रेलवे के लिए एक विशेष पैकेज देना चाहिए क्योंकि हमारी अनेक कठिनाइयां हैं। मैंने लंबा भाषण लिखा है परंतु सभापति इसे पढ़ने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। यद्यपि उनकी रेलवे में अधिक रुचि है तथापि वह हमें शेष भाषण सभापटल पर रखने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। सरकार को यहां केरल के संसद सदस्यों की एक बैठक बुलानी चाहिए और हमने नए सर्वेक्षणों तथा नई परियोजनाओं के बारे में भी बहुत से सुझाव दिए हैं। मेरे विचार में मंत्री महोदय इन मुद्दों विशेषकर केरल के उत्तरी भाग से जुड़े मुद्दों एवं चेराथला डिब्बा कारखाने के बारे में विचार करें।

[हिन्दी]

***श्री रघुवीर सिंह मीणा** (उदयपुर) : वर्ष 2011-12 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों (रेल) पर निम्नलिखित बिन्दुओं पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

उदयपुर के राणा प्रताप नगर स्टेशन पर रेलों की ठहराव हेतु—उदयपुर शहर की आधी आबादी राणा प्रताप नगर स्टेशन से रेल में बैठती है तथा उतरती है। अतः सभी गाड़ियों का ठहराव 2-2 मिनट यहां होना चाहिए एवं एक अतिरिक्त बुकिंग खिड़की खोलें।

जयसमंद रेलवे स्टेशन कायम कराएं—उदयपुर-हिम्मतनगर लाईन पर जयसमंद रेलवे स्टेशन नाम से स्टेशन कायम करें ताकि सलुम्बर व अन्य क्षेत्र के लोगों को आने-जाने की सुविधा मिल सके।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

हाड़िरानी नाम से एक रेल चले—हाड़िरानी विश्व में एक मात्र विरांगना हुई हैं। जिसने अपने पति को युद्ध में जाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए अपना शीश काट कर भेज दिया था। जिससे उसके पति को पीछे घर की याद नहीं आए। ऐसी विरांगना के नाम से एक ट्रेन का नाम हाड़िरानी रखा जाए ताकि आने वाली पीढ़ियां उसे याद रखें एवं इतिहास ताजा रहे।

उदयपुर-जयपुर इंटरसिटी नियमित रूप से चले—वर्तमान में उदयपुर-जयपुर इंटरसिटी चल रही है उसे नियमित किया जाए।

उदयपुर, हिम्मतनगर ब्रोडगेज परिवर्तन—उदयपुर हिम्मतनगर ब्रोडगेज धीमी गति से चल रहा है कुछ रेलवे पुलों के टेण्डर हुए एवं कार्य आरम्भ हुआ कार्य को गति देने के लिए बजट का आबंटन किया जाए।

उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन पूर्व दिशा की ओर भी प्रवेश आरम्भ करना—उदयपुर सिटी स्टेशन के पूर्व दिशा की तरफ पुलिस लाईन की तरफ से नया प्रवेश द्वार बनाया जाना आवश्यक है इस तरफ प्रवेश होने से शहर की 50 प्रतिशत आबादी को आवागमन के लिए सुविधा मिल पाएगी एवं सिटी स्टेशन के प्रवेश द्वार पर पार्किंग समस्या एवं भीड़-भाड़ की समस्या का समाधान होगा और नई बनने वाली बिल्डिंग को रेलवे के सौंदर्यीकरण को ध्यान में रखते हुए बनाया जाये जिससे स्टेशन का सौन्दर्य बढ़ेगा।

सिटी स्टेशन का हेरिटेज सौन्दर्यीकरण—उदयपुर सिटी स्टेशन की मुख्य भवन का हेरिटेज सौन्दर्यीकरण किया जाये जैसा अजमेर रेलवे स्टेशन का किया हुआ है। और रेलवे स्टेशन पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा स्थापित की जाये।

सिटी स्टेशन पर एस्केलेटर की स्थापना—सिटी स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा हेतु विद्युत चालित सीढ़िया लगवाई जाये।

बजट में घोषित नई ट्रेनें चालू की जाएं—बजट में घोषित उदयपुर-बान्द्रा ट्रेन नम्बर 22901 एवं 22902 एवं शालीमार एक्सप्रेस दोनों ट्रेनें आरम्भ नहीं हुई हैं इन्हें जल्दी आरम्भ किया जाये।

जम्मूतवी ट्रेन नम्बर 12413 एवं 12414 का उदयपुर तक विस्तार—अजमेर से जम्मू तक चलने वाली पूजा एक्सप्रेस ट्रेन नम्बर 12413 एवं 12414 को उदयपुर तक बढ़ाया जाए जिससे उदयपुर जम्मू पर्यटन सर्किट जुड़ाव हो जायेगा।

मेवाड़ एक्सप्रेस ट्रेन नम्बर 12963 एवं 12964 का हरिद्वार तक विस्तार–उदयपुर से हजरत निजामुद्दीन तक चलने वाली मेवाड़ एक्सप्रेस ट्रेन नम्बर 12963 एवं 12964 का हरिद्वार तक विस्तार किया जाए। दिल्ली पहुंचने के बाद मेवाड़ एक्सप्रेस 12 घण्टे दिल्ली में खड़ी रहती है जबकि हरिद्वार आने जाने में 5 से 6 घण्टे का समय ही लगेगा एवं उत्तरांचल पर्यटन एवं धार्मिक सर्किट का उदयपुर से सीधा जुड़ाव हो जायेगा।

उमरड़ा रेलवे स्टेशन तक ब्रोडगेज लाईन का विस्तार एवं स्टेशन भवन का निर्माण–उदयपुर से उमरड़ा 12 किलो मीटर की दूरी पर स्थित है उमरड़ा स्टेशन को वाणिज्य रेलवे स्टेशन एवं माल लदान के रूप में विकसित किया जाये वर्तमान में उमरड़ा से मीटर गेज लाईन हिम्मतनगर तक जा रही हैं मीटर गेज ट्रेक के साथ ब्रोडगेज लाईन डाली जाये अर्थ वर्क का कार्य पहले हो चुका है वर्तमान में माल लदान का कार्य देबारी स्टेशन एवं राणा प्रतापनगर स्टेशन से हो रहा है जिसमें सड़क मार्ग से स्टेशन तक माल लाने में लागत अधिक आती है एवं शहर के मध्य ट्रकों की आवाजाही से यातायात बाधित होता है और उमरड़ा के पास ही सभी खाद के कारखाने एवं रॉक फास्फेट आरएसएमएम की खदाने स्थित है। उमरड़ा स्टेशन ब्रोडगेज बनने से रेलवे की आय में अधिक वृद्धि होगी एवं राणा प्रतापनगर रेलवे स्टेशन पर रेलवे यातायात का दबाव कम होगा। साथ ही सिटी स्टेशन पर ट्रेन पार्किंग की समस्या का निदान होगा अभी वर्तमान में ट्रेनों को देबारी एवं मावली स्टेशन पर पार्क किया जाता है जिससे डीजल का फालतू व्यय होता है ट्रेनों को नजदीक ही उमरड़ा स्टेशन पर पार्क किया जा सकेगा।

उमरड़ा स्टेशन पर टिकट यूटीएस एवं पीआरएस सेवा प्रारंभ की जाये–उमरड़ा रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा हेतु टिकटों की यूटीएस एवं पीआरएस का रिर्जेवेशन सुविधा प्रारम्भ की जाये।

श्रीमती पुतुल कुमारी (बांका) : सभापति जी, आपने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका धन्वयाद करती हूँ। मैं रेलवे की अनुपूरक मांगों का समर्थन करती हूँ। रेलवे के कार्यकलाप को मैंने काफी नजदीक से देखा है और उसके तंत्र का काफी अनुभव भी है। मैं उसके बड़े नेटवर्क से परिचित और प्रभावित भी हूँ। जब कभी देश को खतरा उत्पन्न हुआ है चाहे वह सीमा पर जवानों को पहुंचना हो, सुनामी आई हो या फिर गुजरात से आया भूकंप हो, रेलवे के तंत्र ने हमेशा सहायता की है। उस समय सबसे पहले जिसने सहायता पहुंचाई थी वह रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स था। मुझे यह भी याद है कि उस समय रेल के कर्मचारियों ने अपने एक दिन का वेतन प्रधानमंत्री राहत कोष में दिया था। लेकिन मैं कुछ संवेदनशील बातों की चर्चा करना चाहूंगी। एंटी कोलिशन डिवाइस और एंटी फॉगिंग डिवाइस का परीक्षण बहुत साल पहले हो चुका था। उसके बाद भी ये घटनाएं लगातार होती रहती है। आमने–सामने रेलगाड़ियों और मालगाड़ियां टकरा जाती हैं। कोहरे की वजह से भी दुर्घटनाएं होती हैं। रेलवे कन्वेन्शन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि वर्ष 2009–10 में रेलवे के सुरक्षा बजट में 1071.36 करोड़ का प्रावधान था, लेकिन वर्ष 2010–11 में उसे घटकर 335 करोड़ रुपए कर दिया गया। हमें आये दिन सूचना मिलती रहती है कि रेलवे को धन की कमी का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए कभी माल भाड़े में वृद्धि की जाती है, कभी यात्री किराया बढ़ा दिया जाता है। मैं जानना चाहूंगी कि पांच साल रेलवे के रिजर्व फंड में तीस हजार करोड़ रुपए रिवर्ज में रखे गए थे, आज उसकी क्या स्थिति है?

महोदय जैसा मैंने पहले बताया कि रेलवे कार्यकलापों से मैं भलीभांति परिचित हूं और काफी अपनापन भी अनुभव करती हूं, क्योंकि मेरे पति का संबंध रेलवे के साथ रहा, उन्होंने रेल राज्य मंत्री के रूप में काम किया। उस समय की रेल मंत्री और आज बंगाल की मुख्यमंत्री ममता दीदी के साथ उनके काफी सौहार्दपूर्ण सबंध रहे और उनके साथ काफी समय उन्होंने काम किया। आज की तारीख में रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी जी हैं। बांका के लोगों ने मुझे अपना प्रतिनिधि चुनकर भेजा है, बांका मेरा संसदीय क्षेत्र है। वहां के लोगों को लगता है कि रेलवे का काफी असंवेदनशील रवैया बांका के प्रति रहा है। हमारी कुछ परियोजनाएं हैं, जो अधूरी पड़ी हैं, जो काफी पहले शुरू की गयी थीं। मैं मांग करती हूं कि उन परियोजनाओं को संवेदनशील के आधार पर पूरा किया जाए। देवधर से सुल्तानगंज रेल लाइन परियोजना, मंदार हिल से दुमका परियोजना, इन अधूरी परियाजनाओं का काम थोड़ा शीघ्रता से किया जाए ताकि वह समय से पूरी हो सकें। बिहार में सहसराम से गरीब रथ दिल्ली आती है, लेकिन वहां वाशिंग पिट नहीं है।

महोदय, मैं बताना चाहती हूं कि वाशिंग पिट वह प्रणाली होती है, जहां रेलवे कोच की सफाई और धुलाई की व्यवस्था होती है। गया में वाशिंग पीट है, लेकिन सहसराम से गरीब रथ दिल्ली आती है, इसलिए मैं मांग करती हूं कि बांका से एक

गरीब रथ ट्रेन चलायी जाए, क्योंकि बांका से सिर्फ 40 किलोमीटर की दूरी पर भागलपुर रेलवे स्टेशन है, जहां पर वाशिंग की सुविधा उपलब्ध है। इसके साथ ही मैं कुछ और भी रेल की मांग करना चाहती हूं जो कम बजट में संभव हो सकती हैं। भागलपुर–दादर एक बड़ी ट्रेन है, जो दक्षिण की तरफ जाती है, मैं चाहती हूं कि उसे बांका से खोला जाए, ताकि वहां के लोगों को उसका फायदा मिल सके। बांका से मुंबई तक के लिए एक नयी रेल चला दी जाए। बांका कलक्ट्रेट में एक हाल्ट का निर्माण करा दिया जाए। मगध एक्सप्रेस जो दिल्ली से इस्लामपुर जाती है, वह कभी–कभी पटना से ही वापस लौटकर आ जाती है। ऐसा कैसे संभव है कि दिल्ली आने वाली कोई ट्रेन अलीगढ़ से वापस लौटकर चली जाए, वह अपने गंतव्य तक न पहुंचे, बीच रास्ते से वापस चली जाए, ऐसा कैसे संभव है? इस पर ध्यान देने की जरूरत है।

महोदय, यह बहुत संजीदा बात है। सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन से लाखों लोगों की धार्मिक भावनाएं जुड़ी हैं। वहां से लोग जल उठाते हैं और बैद्यनाथ धाम जाकर पूजा करते हैं। सावन के महीने में लाखों लोग वहां से जल उठाते हैं, आप सब उसके धार्मिक महत्त्व को जानते हैं। उसे रेलवे की तरफ से बी–ग्रेड के स्टेशन का दर्जा दिया गया है, लेकिन आज की तारीख से वहां जो सुविधायें उपलब्ध हैं, वे डी–ग्रेड के बराबर हैं। मैं मांग करती हूं कि वहां पर रेलवे की तरफ से एक अस्पताल का भी निर्माण किया जाये क्योंकि वहां पर काफी लोग हताहत हो जाते हैं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि जहां एक तरफ आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक को रेल से जोड़ रहे हैं, आप मरू स्थानों में रेल ले जा रहे हैं, लेकिन हमारे बांका क्षेत्र की स्थिति दयनीय है। मैं वहां से पटना सात घंटे में आती हूं और फिर पटना से ट्रेन पकड़कर दिल्ली आती हूं। आप सोच सकते हैं कि वहां के लोगों की दयनीय हालत कैसी होगी? इतने साल के बाद भी वह क्षेत्र विकास की दृष्टि से एकदम अधूरा है। हमारे यहां उद्योग–धंधे विकसित नहीं हो पाते हैं। इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं।

श्री विष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) : सभापति जी, मैं आदरणीय रेल मंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि पूर्व रेल मंत्री एवं पश्चिम बंगाल की मुख्य मंत्री ममता जी ने रेल बजट में माँ, माटी और मानुष की बात कही थी और उन्होंने घोषणा की थी कि पोर्ट ब्लेयर से डिगलीपुर तक रेल लाइन बनाएंगे। उन्होंने कहा था कि बैकवर्ड और रिमोट एरिया के नाते इसको करेंगे तथा प्लानिंग कमीशन से चर्चा करके इस लाइन को लाएंगे। लेकिन डेढ़ साल बीत चुके हैं, इस मामले में कोई प्रगति नहीं हुई है। मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि वहाँ रेल लाइन की जरूरत क्यों है। भारत को चीन से खतरा है और डिगलीपुर आइलैन्ड से 50 किलोमीटर दूर कोको आइलैन्ड पर चीन बैठा है। उसने वहाँ एयरपोर्ट बना दिया, जैट्टी बना चुका है, एटॉमिक वारहैड्ज लेकर वह बैठा है। इस कारण से डिगलीपुर से पोर्ट ब्लेयर तक रेल लाइन बहुत जरूरी हैं स्टैन्डिंग कमेटी ने रिकमंड भी किया है, कम से कम उस पर ध्यान दिया जाए। ...*(व्यवधान)* लोकपाल पर स्टैन्डिंग कमेटी की चर्चा छोड़ दीजिए, अभी हम इस पर कहना चाहते हैं।

मैंने रेल मंत्रालय को एक पत्र दिया था और मांग की थी कि मुश्किल आसान के माध्यम से पाँच पोस्ट ऑफिस द्वारा रेलवे के कंप्यूटराइज्ड टिकट उपलब्ध हों। मैं आपको धन्यवाद दूँगा कि डिगलीपुर पोस्ट ऑफिस आप खोलने जा रहे हैं, लेकिन बाकी चार स्थानों पर रह गया है। मेरी मांग है कि कार निकोबार, कैम्बल बे, जो भारत का आखिरी हिस्सा है, जहाँ इंदिरा गांधी का स्टैच्यू लगाया गया है, हड बे, फरारगंज आदि एरिया में भी मुश्किल आसान स्कीम के नाम पर पोस्ट ऑफिस से कंप्यूटराइज्ड टिकट सैन्टर खोला जाए।

सभापति जी, एक और बात है। 25 मोबाइल टिकटिंग वैन सैंक्शन कीं। कम से कम अंडमान निकोबार का ध्यान करते हुए पोर्ट ब्लेयर को भी एक दें यह हमारी प्रार्थना है।

आखिरी बात मैं मजदूरों के हित में कहना चाहता हूँ। मैं अभी हावड़ा राजधानी में आ रहा था। इसकी केटरिंग आई.आर.सी.टी.सी. करता है। उसमें केटरिंग का नाम आउटसोर्स कर एक एजेन्सी को दिया जिसका नाम है जी. ए. डिजिटल वैब लिमिटेड। इसमें ट्रेन में 16 कर्मचारी वेटर के रूप में काम करते हैं और उनको क्या मजदूरी मिलती है, यह आप सुनिये क्योंकि आप उस दल के प्रतिनिधि हैं जिसका स्लोगन माँ, माटी और मानुष का है। स्लोगन दिया आम आदमी का, और मजदूर एक दिन में अप एंड डाउन ट्रिप में काम करता है तो उसको 400 रुपये मिलते हैं। 30 दिन काम करने से उसको मजदूरी 4000 रुपये से 4800 रुपये मिलती है। इन मजदूरों के लिए कोई प्रोविडैन्ट

फंड नहीं है, बोनस नहीं है, ग्रैच्युटी नहीं है, कैजुअल लीव नहीं है, एनुअल इनक्रीमैंट नहीं है, मैडिक्लेम की सुविधा नहीं है, कपड़े धोने के लिए वॉशिंग एलाउंस भी नहीं है और मिनिमम वेज भी उनको नहीं दे रहे है।...*(व्यवधान)* सभापति जी, मैं आपकी ही बात कर रहा हूँ जो सीपीएम कहती है। मैं मजदूर वर्ग के लिए बात कर रहा हूँ। मजदूर वर्ग को मिनिमम वेजेज भी ये एजेन्सीज नहीं दे रही है। उनको अपॉइंटमैंट ऑर्डर भी नहीं मिला, पेमेन्ट चैक से भी नहीं होती बल्कि कैश में होती है। ये संस्थाएं हैं–सौमिक एजेन्सी, स्वास्तिक एंटरप्राइजेज, जी, डिजिटल वैब लिमिटेड आदि संस्थाओं के नाम पर करीब करीब 1500 कर्मचारी काम कर रहे हैं जिनकी माली हालत यह है महीने में 4000 रुपये उनको मिलते हैं। आप सोचिये उनका गुजारा इसमें कैसे होने वाला है। कपड़े भी धोने हैं, और काम भी करना है तथा हर सांसद जो ट्रेन में चढ़ेगा, जो माँगेगा, वह खाना भी खिलाना पड़ेगा। उस मजदूर के हित के लिए कम से कम मिनिमम वेजेज अवश्य दी जाएँ, यह हमारी मांग है। अंत में मैं फिर कहना चाहता हूँ कि अंडमान निकोबार को ध्यान में रखते हुए रेल मंत्री इस तरफ तत्परता से ध्यान दें।

[अनुवाद]

***श्री थोल तिरूमावलावन** (चिदम्बरम) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे रेल मंत्रालय से संबंधित अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया।

भारतीय रेलवे की एक लंबी परंपरा रही है और यह विश्व की सर्वाधिक लोकप्रिय प्रणालियों में से एक है। रेलवे विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों वाले राज्यों के विभिन्न भागों को जोड़ती है। बहुत सी भाषाएं और नदियां भारत को बांटती हैं। यह रेलवे है जो पूरे भारत को भौगोलिक रूप से जोड़ती है। इस प्रकार रेलवे राष्ट्रीय अखण्डता का प्रतीक है। इस महान रेलवे प्रणाली में आज भी 21वीं शताब्दी में सिर पर मैला ढोलने का कार्य अभी भी हो रहा है। हम भारत को सुपर पावर के रूप में उभरते देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जीवन के स्तर में विश्व स्तरीय सुधार हो। लेकिन अभी भी हमने व्यक्ति और मानवता को शर्मसार करने वाली प्रथाओं को समाप्त करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया है। सिर पर मैला ढोलने की प्रथा आज भी रेलवे में है जो हमारा सिर शर्म से झुका देती है। अतः मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह सफाई कर्मचारियों के माध्यम से किए जा रहे कार्य को हमेशा के लिए खत्म कर दें।

रेलवे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सभी पदों को भरने का अवश्य प्रयास करें। विशेष अभियानों के माध्यम से बकाया रिक्तियों को भरा जाए।

अन्य राज्यों की तुलना में तमिलनाडु के साथ भेदभाव किया जाता है। तमिलनाडु दक्षिण से कन्याकुमारी तक एक विशाल भू–भाग के रूप में फैला हुआ है। लेकिन राजधानी चेन्नई देश के अन्य राज्यों और शहरों को जोड़ने का लिंक है। उत्तरी राज्य केवल चेन्नई सेन्ट्रल से सीधे जुड़े हैं। इससे तमिलनाडु के अन्य भाग सीधे संपर्क के लिए पूरी तरह अलग–थलग पड़ जाते हैं। अतः मैं रेलवे से आग्रह करता हूं कि वह उत्तर की ओर आने–जाने वाली सभी ट्रेनों के लिए रोयापुरम में तीसरा टर्मिनल बनाकर जबकि केन्द्रीय स्टेशन का सीधा संपर्क तमिलनाडु के दक्षिणी जिलों से हो। उल्लेखनीय है कि दक्षिण में ट्रेन की पहली यात्रा रोयापुरम से शुरू हुई थी। दक्षिणी जिलों को उत्तर की ओर जाने वाली ट्रेनों से जोड़ने के लिए एक नया टर्मिनल रोयापुरम में बनाया जाए क्योंकि वहां 72 एकड़ भूमि उपलब्ध है।

लाखों तमिल लोग बंगलौर और मुंबई से लगभग प्रतिदिन व्यापार या तीर्थयात्रा के लिए यात्रा करते हैं। उनमें से प्रतिदिन हजारों यात्री दक्षिणी जिलों की यात्रा करते हैं। त्योहारों के मौसम में यात्रियों की संख्या कई गुणा बढ़ जाती है। अतः मुंबई और नागरकोयल और दूसरी बंगलौर–नागरकोपल के बीच दैनिक ट्रेन चलाने की तत्काल आवश्यकता है। मदुरई–कन्याकुमारी लाइन का दोहरीकरण किया जाए और यह कार्य शीघ्र किया जाए।

कोयंबटूर होते हुए केरल की ओर जाने वाली तेरह एक्सप्रेस ट्रेन कोयंबटूर जंक्शन नहीं जाती हैं। यह महत्वपूर्ण औद्योगिक नगर है और यहां के लोग इसके लिए बहुत लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। अतः मैं रेल मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि वह इस पर विचार करें कि केरल जाने वाली सभी ट्रेनें कोयंबटूर जंक्शन होते हुए जाएं। कुड्डालोर कस्बे का तिरूप्पा पुलिपुरू जंक्शन पर चेन्नई तिरूचेन्दुर एक्सप्रेस, चेन्नई–रामेश्वरम एक्सप्रेस, भुवनेश्वर–रामेश्वरम एक्सप्रेस और वाराणसी–रामेश्वरम एक्सप्रेस का ठहराव दिया जाए।

*मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

पहले मायिलादुथुरई होते हुए विष्णुपुरम के लिए चार ट्रेनें थीं लेकिन आमान परिवर्तन के बाद यह संख्या घटकर दो हो गई है। इससे अन्नाभलाई विश्वविद्यालय के छात्र प्रभावित हो रहे हैं। आमान परिवर्तन के नाम पर कई स्थानों के लिए बहुत सी ट्रेनों को निलंबित किया गया था लेकिन इनमें से बहुत–सी ट्रेनों को पुनः चलाया जाना है। मैं रेलवे से अनुरोध करता हूं कि वह इस पर विचार करें।

तिरूचि के निकट एचनगाडु रेलवे स्टेशन एक महत्वपूर्ण औद्योगिक कस्बा है जहां बहुत से सीमेंट के कारखानें, चीनी मिलें और शैक्षिक संस्थान हैं। रेलवे को विशेष रूप से इस क्षेत्र से लगभग 50 करोड़ रुपए मिलते हैं। अतः मैं रेल मंत्री से आग्रह करता हूं कि वह इस स्टेशन पर गुरूवाथुर एक्सप्रेस और कन्याकुमारी एक्सप्रेस का ठहराव देने के लिए दक्षिणी रेलवे के उपयुक्त अनुदेश दे।

चेन्नई और कुड्डालूर के बीच बरास्ता पुदुचेरी और मामल्लापुरम एक नई रेल लाइन बिछाने हेतु सर्वेक्षण कार्य बहुत पहले ही पूरा हो गया था, मैं रेलवे से इस परियोजना को शीघ्र शुरू करने का अनुरोध करता हूं।

श्री एम.के. राघवन (कोझिकोड) : महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

सर्वप्रथम मैं अपने माननीय रेल मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा जिन्होंने यात्रियों के लिए रेलवे सेवाओं और सुख–सुविधाओं में सुधार लाने के लिए हर संभव कदम उठाए हैं।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र और मेरे राज्य में रेलवे सेवाओं के सुधार हेतु बहुत लम्बे समय से मांगें लंबित हैं। हमारी उपेक्षा की जाती रही है और मैं यह कहते हुए क्षमा चाहूंगा कि रेलवे प्राधिकारियों द्वारा कई वर्षो से हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है।

मैं यहां पर एक बात कहना चाहूंगा कि हम इस महान राष्ट्र के एक भाग हैं और हम राष्ट्र से बाहर नहीं हैं। दुर्भाग्यवश, मैं उन सवारी डिब्बों, जो विशेष रूप से केरल में चल रहे हैं, उनकी स्थिति इतनी जर्जर है कि उनमें जनता के लिए यात्रा करना अत्यधिक कठिन है, के अनेक उदाहरण दे सकता हूं।

हम उन सवारी डिब्बों में तिलचटा, (कोकरोच) और चूहे घूमते हुए देख सकते हैं। सवारी डिब्बों में उचित रोगाणुनाशक की व्यवस्था नहीं है। फटी हुई सीटों और गन्दे शौचालयों के बीच यात्रा करना वास्तव में एक दुःस्वप्न है। प्रताड़ना की घटना, विशेषरूप से महिला यात्रियों के साथ और रेलवे को अभी इस समस्या से निपटना है।

दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि पालक्कड मंडल रेल लाइन के शेष भाग के दोहरीकरण को पूरा करने, विद्युतीकरण और कोंकण रेलवे पर दोहरीकरण के विस्तार के लिए मांग करता रहा है, इसके बिना लाइन के दोहरीकरण का लाभ प्राप्त नहीं हो पाएगा। वास्तव में विद्युतीकरण कार्य की पूर्णतः उपेक्षा की गई है।

पालक्काड मंडल में इस समय खराब अधिकारियों का दल है, जो मंडल को व्यावहारिक दृष्टि से पंगु बना रहे हैं। मैं यहां एक बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि मालाबार क्षेत्र के नौ संसद सदस्यों ने दलगत मतभेदों से ऊपर उठकर, पालक्कड मंडल में गार्डो को बदलने का निवेदन किया था।

पालक्कड मंडल में गार्डो को बदलने के लिए पुरजोर मांग की जा रही है। कभी–कभी उनकी सोच और व्यवहार उपनिवेशीकरण की याद दिलाता है। यह केवल यहीं समाप्त नहीं होता है, विक्रेताओं की बिक्री बन्द करने के अभी हाल ही में आदेश हुए हैं और पालक्कड मंडल में प्लेटफार्म पर यात्रियों को ब्रिकी करके उनकी सेवा करने पर उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था, जिसके कारण यात्रियों और विक्रेताओं, जिनके जीवन–निर्वाह का साधन समाप्त हो गया है। दोनों को ही पुनः अत्यधिक असुविधा हुई है।

मैंने इस मुद्दे को इस माननीय सदन में कई बार उठाया है और साथ ही रेलगाड़ी संख्या–16517 का कन्नूर से कालीकट तक विस्तार करने का मुद्दा माननीय रेल मंत्री जी की जानकारी में भी लाया हूं। इसी प्रकार, कालीकट से बैंगलूरू के लिए दिन में चलने वाली इण्टर–सिटी रेलगाड़ी को परिचालन भी शुरू नहीं किया गया है। पहले से घोषित मंगलोर–हावड़ा रेलगाड़ी को अभी तक चलाया नहीं गया है।

तत्कालीन रेल मंत्री ने कालीकट को विश्व–स्तरीय स्टेशन के रूप में विकसित करने के लिए सूची में शामिल किया था, दुर्भाग्यवश इस मामले में कोई प्रगति नहीं हुई है। हमें इन स्टेशनों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के डिजाइन के बनाने में लाखों रुपए खर्च करने के स्थान पर इन स्टेशनों के विकास के लिए स्थानीय वास्तुकला को अपनाने पर विचार करना चाहिए।

बहुत समय से लंबित गुरूवयूर–थिरून्नावया रेल संपर्क का सपना अभी तक सच नहीं हुआ है। प्रस्तावित कालीकट–अंगाडीपुरम और मैसूर संपर्क जिसकी सबसे अधिक मांग है, अभी भी एक दिवा–स्वप्न है। कालीकट–बेपोर पत्तन संपर्क का कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है।

केवल यही नहीं, तत्कालीन रेल मंत्री ममता जी ने केरल के लिए तीन बड़ी परियोजनाओं अर्थात पालक्कड में सवारी डिब्बा कारखाना, चेरभाला में रेल वैगन कारखाना और केरल के लिए एक विशेष रेलगाड़ी चलाये जाने की घोषणा की थी। मैं, माननीय रेल मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि ममता जी के उत्तराधिकारी के रूप में ऐसी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं पर आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं। ये कब तक पूरी होंगी?

कर्मचारियों का कल्याण भी एक प्रमुख मानदंड है। कालीकट में रेलवे कर्मचारियों के आवासों की जर्जर स्थिति एक प्रमुख चिंता की बात है। इनको गिराकर शीघ्र पुनर्निमाण किया जाए।

पन्नियान्कारा में आर.ओ.बी. और काडालुंडी जहां रक्षा मंत्रालय की एक प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान 'निर्देश' स्थापित किया जा रहा है, काडालुंडी (वडाक्कुम्पड) में भूमिगत मार्ग; फिरोक रेलवे स्टेशन का नवीनीकरण; पुथियप्पा में समपार और मौजूदा समपार को इलाथुर में स्थानान्तरित करने संबंधी कुछ कार्य अवसंरचनात्मक विकास के कार्य हैं जिन पर शीघ्र विचार किए जाने की आवश्यकता है।

अनुपूरक मांगों को देखते हुए यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पालक्कड मंडल में विकास से संबंधित एक भी मुद्दे को शामिल नहीं किया गया है। अतः बताए गए कुछ मुद्दों को अनुपूरक बजट में शामिल किया जाना चाहिए।

अंतिम बात जिसका महत्व कम नहीं है; मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि कोझीकोड जैसे बड़े स्टेशनों की विकासात्मक गतिविधियों की निगरानी करने के लिए स्थानीय सांसद के अधीन एक समिति का गठन किया जाना चाहिए।

और अंत में, मैं माननीय मंत्री जी को स्मरण कराना चाहूंगा कि केरल के लिए सीएओ के यथाघोषित कार्यालय को राज्य में रेलवे के समग्र अवंसरचनात्मक विकास के लिए तुरंत खोला जाना चाहिए।

आपके माध्यम से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि इन समस्याओं का समाधान किया जाए। मैं अनुपूरक रेल बजट एवं विनियोग (रेल) संख्याक 3 विधेयक, 2011 का पुरजोर समर्थन करता हूं।

डॉ. तरुण मंडल (जयनगर) : महोदय, मैं अनुदानों की अनुपूरक मांग–रेल का समर्थन करता हूं। मैं जानता हूं कि रेलवे का निष्पादन बना रखने, सुरक्षा सुनिश्चित करने और साथ ही सेवाओं में सुधार लाने के लिए हमारे रेल मंत्री जी अपनी टीम के साथ कड़ी मेहनत कर रहे हैं।

महोदय, मैं सुन्दरबन के अत्यधिक अविकसित क्षेत्र से हूं। हमारे पिछले रेल मंत्री जी ने कुछ परियोजनाओं का उन क्षेत्रों तक विस्तार करके मेहरबानी की थी। मैं वर्तमान रेल मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि सुन्दरबन के केनिंग, गोसाबा और बसन्ती क्षेत्रों से संबंधित कार्यो को शीघ्र पूरा कराया जाए। ये कार्य लाइनों के दोहरीकरण, रेलवे पुलों और रेलवे पटरियों से संबंधित हैं।

मैं आशा करता हूं कि यदि किसी भी विक्रेता या छोटे व्यवसायी या फेरी वाले, जो रेलवे के सहारे अपना जीवकोपार्जन कर रहे हैं, को बिना उचित मुआवजे और पुनर्वास के हटाया नहीं जाएगा तो इससे पूर्व मंत्री के साथ–साथ रेलवे की प्रतिबद्धता पूरी होगी।

महोदय, सियालदह–लक्ष्मीकांतापुर–नमकखाना लाइन, जिससे यात्री प्रतिवर्ष गंगा सागर मेले के लिए यात्रा करते हैं; पर पर्याप्त संख्या में रेलगाड़ियों की कमी के कारण अत्यधिक दबाव रहता है। इसलिए, इस लाइन पर रेलगाड़ियों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। मैं अनुरोध करूंगा कि यहां तक कि कुछ शटल ट्रेनें भी शुरू की जा सकती हैं। कुछ विशिष्ट यात्रियों और लोगों के विशिष्ट समूह के लिए मुम्बई उपनगर क्षेत्र की तर्ज पर कुछ प्रथम श्रेणी डिब्बों को शामिल किया जा सकता है।

हमारे राज्य के साथ–साथ अन्य राज्यों में भी एक समस्या यह है कि कुछ हाल्ट स्टेशनों का प्रबन्धन कुछ ठेकेदारों द्वारा किया जाता है। वे टिकट बेचते हैं और स्टेशनों पर सभी प्रकार के कार्य करते हैं। वे ठेकों पर रहते हैं। अतः रेलवे को इस मामले को सहानुभूतिपूर्ण और लोकहित की दृष्टि से देखना चाहिए ताकि वे रेलवे में ही कार्य करते रहें और उनके ठेकों का नवीकरण होता रहे और वे अपना जीविकोपार्जन कर सकें।

महोदय, हमें पूर्व की ओर देखना चाहिए। सिलचर, लुमडिंग और अगरतला के क्षेत्रों में मीटर–गेज को ब्रॉड–गेज में बदलने

के आमान परिवर्तन के कुछ कार्य पिछले 15 वर्षो से लंबित हैं। मुझे इन क्षेत्रों के लोगों से मिलने का एक अवसर मिला था। वे जंतर–मंतर पर प्रदर्शन करने के लिए यहां आए थे। वे रेलवे बोर्ड से भी मिले। अभी हाल ही में, मीटर–गेज से ब्रॉड गेज में परिवर्तन से संबंधित कार्य के कार्यान्वयन संबंधी समिति मालेगांव, गुवाहाटी में महाप्रबन्धक (निर्माण) से मिली। उन्होंने वायदा किया कि यह कार्य वर्ष 2013 तक पूरा हो जाएगा और यह भी बताया कि दीमा हसाओ क्षेत्र जो कि पहाड़ी क्षेत्र है कानून और व्यवस्था की स्थिति पर असम राज्य सरकार द्वारा ध्यान दिया जाएगा। इसलिए, यह कार्य उचित ढंग से आगे नहीं बढ़ रहा है। लोगों का कहना है कि ट्रांसपोर्टर और रोडवेज लॉबी इस कार्य की प्रगति में बाधा डाल रहे हैं।

इसी प्रकार से, अगरतला सेक्टर में ब्रॉड–गेज लाइन में परिवर्तन से संबंधित कार्य को शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए। सबरूम क्षेत्र तक का कार्य भी लंबित है और इसे भी पूरा किया जाना चाहिए।

जहां तक रेलवे की सुरक्षा और संरक्षा का सवाल है, तो बार–बार गाड़ियों के पटरियों से उतर जाने, दुर्घटनाओं, आपस में टक्कर आदि के कारण हाल ही में हमारे यात्रियों का विश्वास कुछ डगमगा गया है। मैंने पाया है कि इसके कुछ निश्चित कारण हैं और यदि रेल मंत्री इन बातों पर कुछ अधिक ध्यान दें सकें तो कुछ समाधान ढूंढे जा सकते हैं।

वर्ष 1974 में, रेलवे के कर्मचारियों की संख्या 22.5 लाख थी और अब यह घटकर 12.5 लाख तक रह गई है। अतः 10 लाख की संख्या कम की गई है। इसलिए, इसे बढ़ाया जाना है। हाल ही में एक दैनिक समाचार–पत्र में खबर छपी थी कि समूह–घ और समूह ग में लगभग 1.57 लाख पद रिक्त हैं। इन रिक्तियों को भरा जाना चाहिए।

महोदय, जो रेलवे लाइनें, सवारी डिब्बे और पुल पुराने हैं उनकी ओर तत्काल ध्यान दिया जाना चाहिए। स्टेट्समैन में एक अन्य रिपोर्ट आई जिसे एक सेवानिवृत्त रेलवे अधिकारी द्वारा लिखा गया है और जिसमें कहा गया है कि भ्रष्टाचार के कारण रेलवे को लगभग 50,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। इस ओर मंत्री जी द्वारा ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि सुरक्षा और संरक्षा से संबंधित मामलों पर ध्यान दिया जा सके। यदि ऐसा किया जाता है तभी हमारे लोग रेलवे पर विश्वास करेंगे।

***श्रीमती संतोष चौधरी** (होशियारपुर) : मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करती हूं कि कई अनिवासी भरतीय एवं व्यवसायी शताब्दी एवं राजधानी रेलगाड़ियों से पूरे भारत में सफर करते हैं। उसी तरह युवा विद्यार्थी, नौकरशाह आदि भी इन रेलगाडियों में सफर करने को प्राथमिकता देते हैं।

इन दिनों लैंपटॉप एवं आई–पॉड की अपनी उपयोगिता के कारण बहुत से लोग इन्हें इस्तेमाल करने लगे हैं। लोग इन उपकरणों पर काम करते हुए अपने समय का पूरा इस्तेमाल करते हैं।

मेरा मानना है कि रेलगाड़ियों में यात्रा के दौरान वाई–फाई के माध्यम से इंटरनेट का इस्तेमाल करने की सुविधा यात्रियों को देने से भारतीय रेल के साथ उनके यात्रा अनुभव शानदार होंगे।

आप इस बात से सहमत होंगे कि न केवल इससे अधिक राजस्व आएगा, बल्कि इससे यात्रियों को बहुत समय बचेगा एवं उनकी दक्षता बढ़ेगी क्योंकि ये लोग खोए समय की प्रतिपूर्ति अपने व्यवसायों में करने में समर्थ होंगे।

पुनः मैं माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करती हूं कि वे शिक्षित यात्रियों के लाभर्थ शताब्दी एवं अन्य रेलों में ये सुविधा, प्रदान करें। मैं रेलवे संबंधी विनियोग विधेयक का समर्थन करती हूं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : रघुवंश प्रसाद जी, आज समय कम है, इसलिए आप आज एक ही सवाल पूछिए।

...*(व्यवधान)*

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : सभापति महोदय, यह एक–डेढ़ लाख का सप्लीमेंट्री बजट है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : तब ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, आप एक मिनट में अपनी बात खत्म कर दीजिए।

...*(व्यवधान)*

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : सभापति महोदय, मेरा कहना यह है कि हिन्दुस्तान के कुछ प्रांत के लोग रेलगाड़ी देखेंगे या नहीं, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, कोहिमा, नागालैंड और मणिपुर /

में भी रेल पहुंचनी चाहिए। इन सब राजधानियों में रेलवे लाइन कब जायेगी, वहां के लोग कब रेल देखेंगे, सवाल नम्बर एक? सवाल नम्बर दो–हाजीपुर, वैशाली, सुगौली रेलवे लाइन बन रही है, वह कब पूरी होगी? नम्बर तीन–नेशनल रिहैबिलिटेशन सैटिलमेंट पॉलिसी, 2007 को रेल मंत्रालय ने स्वीकार किया। हमारे प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा है कि हम इसे स्वीकार करते हैं। उसमें है कि मुआवजे के अतिरिक्त किसान परिवार के एक सदस्य को नौकरी भी देंगे। हाजीपुर से सुगौली, छपरा से मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी, ये तीन रेलवे लाइन बन रही हैं। इनमें कुछ निर्माण हुआ है, कुछ बाकी है, वह कब पूरा होगा? उसमें करीब सात हजार परिवार किसान है, जिनकी जमीन औने–पौने दाम में ली गई है, उनको नौकरी कब तक मिलनी है, अब यह अहम सवाल है? पटना में जो रेलवे ब्रिज बन रहा है, सभापति महोदय, आप तो पटना से ज्यादा नजदीकी हैं, पहले रेलवे के भी बड़े भारी आफिसर थे और पार्लियामेंट की स्टेंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं, तो पटना का रेलवे पुल कब पूरा होगा? वह रेल कम रोड ब्रिज कब पूरा होगा, यह हमारा सवाल नम्बर चार है?

हमारे इलाके में मोतीपुर रेलवे स्टेशन है। वहां चीनी मिल है और रेल रैक और ईस्ट वैस्ट कोरीडोर उसके बगल में है। वहां के रेल यात्री संघ नरेकी पर सवार है, वह वहां चार रेलगाड़ियां रोकने को कह रहा है, रेलगाड़ी देहरादून एक्सप्रैस है, पोरबन्दर है, ताप्ती–गंगा है, वह इन सब रेलों को वहां रोकने की मांग कर रहा है। वहां अभी तक प्लेटफॉर्म पुराने जमाने का छोटी लाइन का है। वहां इतनी ऊंची बड़ी रेलगाड़ी बड़ी लाइन वाली आती है, उसमें चढ़ने में लोगों को नहीं बनता, दिक्कत होती है। वहां के लोग कहते हैं कि बड़ी लाइन के मुताबिक प्लेटफॉर्म दोनों तरफ होना चाहिए, नहीं तो वहां के लोगों को बहुत तकलीफ है। वहां प्रतीक्षालय नहीं है, प्रकाश की व्यवस्था नहीं है, पानी–पाखाने की व्यवस्था नहीं है। वहां पानी टंकी की मांग है, शौचालय की मांग है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : बस, आखिरी सवाल बोलिये।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : हम अपने क्षेत्र की बात बोल रहे हैं, इसलिए कब तक मोतीपुर स्टेशन का काम होगा? उसी जगह नलियार हाल्ट है। वह 25 वर्ष से हाल्ट ही है, अब तक स्टेशन हुआ ही नहीं है। फिर हाजीपुर से मुजफ्फरपुर के बीच में बेनीपुर स्टेशन है, पीलापुर, बेनी पट्टी हाल्ट है, वह स्टेशन नहीं हुआ, अभी तक हाल्ट ही है। वहां के लोग कहते हैं कि इसको स्टेशन का दर्जा मिलना चाहिए, इसलिए नलियार को कब स्टेशन का दर्जा मिलेगा? इसके अलावा कांटी थर्मल पावर प्लांट वहां है और बड़ा मशहूर स्थान है, ऐतिहासिक स्थल है, लोग कहते हैं कि वहां पर इण्टरसिटी ट्रेन को रोकना चाहिए।

मेरा अन्तिम सवाल है कि जो यहां से मुजफ्फरपुर–जसवन्तपुर जो सप्ताह में एक दिन गाड़ी जाती है, वह तीन महीने पहले ही भर जाती है। उससे पढ़ने वाले लोग और उसके गार्जियन जाते हैं। वहां के लोगों ने मांग की है कि उसको सप्ताह में कम से कम दो दिन कर दिया जाये। मैं विशाखापटनम गया था, हमारे यहां के हजारों लोग वहां रहते हैं। वहां से सप्ताह में एक दिन गाड़ी जाती है, उसमें भी लोगों ने पहले जुटकर मांग की कि उसे भी सप्ताह में दो दिन विशाखापटनम से करना चाहिए।.... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपका यह सब काम हो जायेगा।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : अन्तिम प्रश्न–चन्दौली का जो रेलवे ओवरब्रिज है, वह कब पूरा होगा? नहीं तो हम एक घंटा गाड़ी रोक कर बैठे रहे, हमें वहां पर जाना था, वहां धार्मिक सभा थी, वहां पहुंचने में बड़ा कष्ट हुआ, इसलिए वह कब पूरा होगा? वह पूरा होना चाहिए।

श्री कमल किशोर 'कमांडो' (बहराइच) : सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं आज रेलवे की सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। बहुत सारी बातें हो गयी हैं। मैं केवल दो–तीन बातें कहकर कांस्टीच्युएंसी बहराइच पर आऊंगा।

पहली बात मैं रेलवे में सिक्योरिटी के बारे में कहना चाहूंगा। बहुत सारी व्यवस्थायें हो चुकी हैं, लेकिन मेरा एक अर्ज है कि कम से कम एक आरपीएफ और आरपीएसएफ को बढ़ाया जाए और जल्द से जल्द बढ़ाया जाए। रेलवे में सिक्योरिटी मेन प्वाइंट है। दूसरा, नौकरियों में जो वैकेंसीज बची हुयी हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से भर्ती कराया जाए।

अब मैं अपने संसदीय क्षेत्र बहराइच के बारे में कहना चाहता हूं। बहराइच बार्डर का इलाका है, जहां एक बड़ी रेलवे लाइन की स्वीकृति हुयी है। गोंडा–बहराइच रेल लाइन पर कई दिनों से काम चल रहा है, लेकिन उसकी गति बहुत धीमी है। मैं चाहूंगा

कि उसे तत्काल पूरा किया जाए। जब यह रेलवे लाइन सैक्शन हुयी थी, उस वक्त इस पर खर्च केवल 74.42 करोड़ रुपये था, लेकिन वह खर्च बढ़ते–बढ़ते 170 करोड़ रुपये हो गया। अभी 35 करोड़ ही मिला है, वहां 135 करोड़ और लगेगा, तो जैसे–जैसे इसका काम लेट हो रहा है, यह खर्च बढ़ता जा रहा है। एक बात और कहना चाहूंगा कि यह जो रेलवे लाइन बन रही है, पूर्वोत्तर रेलवे लाइन का एक मंडल है, जो लखनऊ डिवीजन में आता है। गोंडा से बहराइच केवल साठ किलोमीटर है। इसको बनाने में इतना समय लग गया, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि यह बहुत गरीब इलाका है। बहराइच एक ऐसा इलाका है, जहां माइनोरिटी के लोग, एससी और एसटी के लोग काफी संख्या में निवास करते हैं और वहां काफी संख्या में आदिवासी लोग हैं। उन्होंने बड़ी रेलवे लाइन पर यात्रा तो कभी देखा ही नहीं है। मैं चाहूंगा कि इस काम को जल्द से जल्द पूरा किया जाए।

बहराइच से नानपारा होते हुए नेपालगंज से जुड़ा हुआ एक इलाका है, नेपालगंज चूंकि नेपाल से सटा हुआ है, जहां अगर यह सैंक्शन हो गया, अमान परिवर्तन के लिए भी रेल का काम सैंक्शन हो गया, इसकी संस्कृति हमसे मिलती–जुलती है। अगर यह रेलवे लाइन वहां बनकर तैयार हो जाएगी, तो वहां से आने के लिए सुविधा होगी, नेपाल से सामान ज्यादा आता है। वह जब इससे सामान उठाएंगे, तो निश्चित रूप से वित्तीय फायदा होगा।

जरवल से बहराइच तक नई रेल लाइन बनाने के लिए सर्वेक्षण हो गया है। इसके लिए जल्द से जल्द धन उपलब्ध कराया जाए और इसका कार्य शुरू कराया जाए। बहराइच–रिसिया सड़क मार्ग पर एक ओवर ब्रिज का कार्य धीमी गति से चल रहा है। उसे शीघ्र पूरा कराया जाए।

मेरे बहराइच क्षेत्र में जो सबसे इंपोर्टेंट है, गोंडा–बहराइच–नानपारा–मैलानी रेलामार्ग पर कैलाशपुरी एक हाल्ट के लिए मैंने कई बार मंत्री महोदय से निवेदन किया और फिर एक बार मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि गायघाट तथा कैलाशपुरी में एक हाल्ट स्टेशन जल्द से जल्द दे दिया जाए। वहां जंगल का इलाका है और वहां बहुत सारे गरीब लोग बसे हुए हैं। रिसिया रेलवे स्टेशन के सामने बड़गावां चौराहे पर रेलवे क्रासिंग से थाना रेलवे क्रासिंग तक की सड़क अत्यंत क्षतिग्रस्त है, उसका निर्माण कराया जाए।

एक और अहम मुद्दा है, मंत्री जी, बिछिया रेलवे स्टेशन पर गोकुल एक्सप्रेस का ठहराव किया जाए। मैं कई बार लिख चुका हूं, मेरा निवेदन है कि जल्द से जल्द इसे दिया जाए।

वैशाली एक्सप्रेस के संबंध में हम लोगों ने पहले भी निवेदन किया था, जिसमें सारे मेंबर आफ पार्लियामेंट यात्रा करते हैं। हम लोगों ने निवेदन किया था कि उसमें कम से कम एक कोच बढ़ाया जाए, लेकिन यह काम आज तक नहीं हुआ है। यह जल्द से जल्द कराया जाए। जो भी सामान और कपड़े हैं, उनकी भली प्रकार से किफायत की जाए।

[अनुवाद]

डॉ. रत्ना डे (हुगली) : सभापति महोदय, धन्यवाद। प्रारंभ में, मैं रेलवे के विकास पर ध्यान देने हेतु इन मांगों को लाने के लिए माननीय मंत्री एवं रेलवे बोर्ड की कोशिशों की सराहना करती हूं। मैं कुछ बातें कहना चाहती हूं। कई रेलवे परियोजनाओं की घोषणा पूर्व रेल मंत्री एवं पं. बंगाल की वर्तमान मुख्यमंत्री कुमारी ममता बनर्जी द्वारा की गयी थी। मैं उन परियोजनाओं की प्रगति के बारे में जानना चाहती हूं। मं तारकेश्वर–विष्णुपुर लाइन की प्रगति के बारे में भी जानना चाहती हूं। क्या रेलवे के यात्री भाड़े एवं माल भाड़े को बढ़ाने के लिए मंत्रालय ने कोई विचार किया है? मैं माननीय मंत्री को सुझाव देना चाहती हूं कि वह टक्कर रोधी उपकरणों को लगाने सहित सुरक्षा उपायों को अधिकाधिक महत्व दें। अंत में, रेलवे वित्त की वर्तमान स्थिति क्या है?

[हिन्दी]

श्री देवजी एम. पटेल (जालौर) : सभापति महोदय, मंत्री जी नहीं है। मैं यह पेपर दो साल से लेकर घूम रहा हूं। राज्य मंत्री जी विराजमान हैं उनको भी मैंने पेपर दिया है। मैंने इन को लगभग 12–15 बार यह दिया है। पुरानी एक कहावत है कि जहां न पहुंचे रेलगाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी। वह कहावत तो सच हो गई है। हम सब राजस्थानी वहां पहुंच गए लेकिन हमें अपने बाल–बच्चों के साथ में प्रदेश भी आना है इसके लिए आपने मेरे क्षेत्र में एक मीटरगेज समदड़ी–भीलड़ी रेल लाइन को ब्राडगेज कर दिया गया है। उस लाइन पर जोधपुर से अहमदाबाद एक पैसेंजर ट्रेन चलती थी जिसे बंद कर दिया गया है। मैं यह जानना चाहूंगा कि उस ट्रेन को बंद किया है तो क्यों बंद किया है और यह कब शुरू होगी?

आज उस पर 60 से 70 रेलगाड़ियां नहीं बल्कि मालगाड़ियां चल रही हैं जो सिर्फ बिजनेस के काम में आ रही है। वहां के गरीब लोगों के पास कोई साधन उपलब्ध नहीं है जिससे वे वहां से आना–जाना कर सकें। राजस्थान के अंदर हॉस्पिटल की भी बहुत समस्या है। हमें वहां से अहमदाबाद हॉस्पिटल के लिए जाना पड़ता है। हमें वहां से जोधपुर हॉस्पिटल के लिए भी जाना पड़ता है। अगर वह रेलगाड़ी शुरू हो जाए तो हमारे यहां पर बहुत सुविधा हो जाएगी।

बजट सत्र में ममता जी ने यह घोषणा की थी कि संसद सदस्य के अनुसार संसदीय क्षेत्र में एक आरक्षण केन्द्र खोला जाएगा। इस बात को दो साल हो गए हैं। इसके बारे में मैं पचास बार बोल चुका हूं लेकिन शायद इनको जगह नहीं मिल रही है या क्या समस्या है? मंत्री महोदय, मैंने आपको यह भी लिख कर दिया था कि अगर आपको जगह नहीं मिल रही है तो आप मुझे बताइए। मैं आपको वहां पर जगह उपलब्ध करा दूंगा ताकि मेरे क्षेत्र के लोगों को यह सुविधा मिल सके।

जालौर में रेलवे की ओर से ग्रेनाइट उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ग्रेनाइट माल के लदान के लिए अलग से यार्ड का निर्माण हो ताकि माल की ढुलाई सुचारु रूप से हो सके।

सभापति महोदय, राजस्थान के प्रवासी बहुत जगह पर हैं। बेंगलुरू, हैदराबाद, कर्नाटक, भारत के किसी भी कोने में आप चले जाएं वहां आपको राजस्थानी प्रवासी मिलेंगे। उन सब की मांग हैं कि बेंगलुरू से जोधपुर वाया समदड़ी भीलड़ी, हैदराबाद से जोधपुर वाया समदड़ी भीलड़ी, कोयम्बटुर से जोधपुर वाया समदड़ी भीलड़ी और चेन्नई से जोधपुर वाया समदड़ी भीलड़ी ट्रेन चलाई जाए। अगर ये चार ट्रेनें चलाई जाती हैं तो राजस्थान के जो प्रवासी बाड़मेर जैसलमेर, जोधपुर, साचौर, जालोर, सिरोही में हैं उन सब को सुविधा होगी। सिर्फ चार ट्रेनें हम मांग रहे हैं। हमारी आपसे गुजारिश है कि आप इसे जल्द से जल्द शुरू कर दें। मैं आपको पूरा आश्वासन देता हूं कि आपकी ट्रेन किसी दिन खाली नहीं जाएगी। यह गारंटी मेरी है। वहां से आप जितने डिब्बे लगाएंगे उतने डिब्बे वहां से भर कर आएंगे। आप आरक्षण केन्द्र पर जाएंगे तो वहां तीन दिन में सारी सीटें फुल हो जाएंगी। मंत्री महोदय पधार चुके हैं, बहुत–बहुत धन्यवाद। सर, दो मिनट नहीं हुए हैं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : तीन मिनट हो गए हैं। आखिरी प्वाइंट।

श्री देवजी एम. पटेल : जालोर–सिरोही पाकिस्तान से लगा हुआ इलाका है। उसके बारे में हमने यह बोला था कि यह पिछड़ा हुआ इलाका है। वहां पर अगर एक रेलवे का वर्कशॉप खोला जाएगा तो वहां के मजदूरों को रोजगार मिलेगा। रेलवे सर्वेक्षण के बारे में भी हमने बोला था। जैसलमेर से कांडला, यह बार्डर का इलाका है। जैसा कि माननीय संसद महोदय ने बोला कि बहुत काम आएगा। ऐसे हमारे यहां भी यह काम आएगा। मैं आप से यह मांग करूंगा कि उसको जल्द से जल्द शुरू करवायां जाए जिसकी घोषणा वर्ष 2011–12 के बजट में की जा चुकी है।

बाड़मेर–जैसलमेर–जालौर जिलों के भूगर्भ में तेल, गैस एवं कोयले का अपार भंडार मिलने से पश्चिमी राजस्थान के उक्त जिलों में उद्योग धंधों एवं राष्ट्रीय–अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भविष्य उज्ज्वल है। बजट वर्ष 2011–12 में सर्वेक्षण शुरू करने का प्रस्ताव है। अतः आप से आग्रह है कि जैसलमेर से कांडला वाया साचौर तक नई रेल लाइन बिछाने से पश्चिमी राजस्थान का अधिकांश भाग गुजरात के प्रमुख शहर एवं सौराष्ट्र क्षेत्र रेल सेवा से जुड़ जाएगा।

दादर से जोधपुर, बीकानेर एक्सप्रेस को सप्ताह में प्रत्येक दिन चलाया जाएं अहमदाबाद से आबुरोड मेमो ट्रेन को फालना तक बढ़ाया जाए। जालोर सिरोही के अधिकांश स्टेशनों पर आवश्यक सुविधा जैसे पेयजल, शौचालय, टीन शेड, यात्री प्रतिक्षालय एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवा दी जाए।

उत्तर पश्चिम रेलवे के कुल 807 क्रॉसिंग में मात्र 256 क्रॉसिंग ही सुरक्षित हैं। कई वर्षों से इन क्रॉसिंगों पर अनेकों बड़ी दुर्घटना, होती आ रही हैं जिससे सैंकड़ों लोगों की जाने गयी। अतः उत्तर–पश्चिम रेलवे के क्रॉसिंग परअण्डर पास वह ओवरब्रिज बनवाने का कष्ट करें।

पीण्डवाड़ा और स्वरूपगंज में ओवरब्रिज नहीं है जिस के कारण अगर वहां से हॉस्पिटल जाने में बहुत कठिनाई होती है। इसके अभाव में वहां बहुत सारी डेथ हो चुकी है। आप कहे तो मैं वहां से लाकर उनकी रिपोर्ट दे दूं। वहां पर ओवरब्रिज आज तक नहीं बना है। मैं मांग करता हूं कि दोनों जगह पर ओवरब्रिज बनाया जाए। वर्ष 2009–10 में रेलवे में बेंगलुरू–जोधपुर एक्सप्रेस को कोयम्बटुर तक बढ़ाने की बात हुई थी लेकिन वह आज तक बढ़ी नहीं है। मैं आप से मांग करूंगा कि मंत्री महोदय

उसको बढ़ाकर जल्द से जल्द शुरू करवा दें। यही मेरी आपसे मांग है।

श्री प्रेमदास (इटावा) : सभापति महोदय, आप ने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए धन्यवाद। जब फोर लाइन्स बन सकती है और सिक्स लाइन्स बनने जा रही हैं तो रेलवे की फोर लाइन्स क्यों नहीं बन सकती हैं? आपने इसके लिए प्रस्ताव रखा। दिल्ली से हावड़ा के बीच जमीन एक्वायर करने का प्रस्ताव रखा। जब किसान जमीन को खरीदने और बेचने जाता है तो रजिस्ट्रार पूछता है कि क्या यह कमर्शियल जमीन है? क्या यह रेल के किनारे की ज़मीन है या सड़क के किनारे की जमीन है? आप किसानों के जमीन की कमर्शियल रेट देने की व्यवस्था करें। हमारे इटावा में जमीन खरीदी जा रही है वह बहुत महत्त्वपूर्ण जमीन है। दूसरी बात यह है कि जब आप की ट्रेन में जो यात्रा करते हैं उन्हें आप सुविधा देते हैं लेकिन जो आदमी यात्रा नहीं करता है, जो आपकी डबल क्रासिंग है उस पर घंटों जाम लगा रहता है। वहां आजादी के इतने वर्षों बाद भी ओवर ब्रिज नहीं बन पाया है, यह बड़े शर्म की बात है। हमारे लोक सभा के इटावा क्षेत्र में भर्तना, अछलदा घंटों जाम लगा रहता है। आपसे मांग है कि वहां ओवर ब्रिज बनाया जाए। आप रेलवे का फायदा चाहते हैं। एक शताब्दी ट्रेन कानपुर से दिल्ली तक चलती है। कानपुर से दिल्ली के बीच इटावा पड़ता है जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का बार्डर हैं उस ट्रेन में हजारों लोग जा सकते हैं, लेकिन आपकी ट्रेन खाली जाती है। मेरी मांग है कि उसे वहां रोका जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय (भदोही) : सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे रेलवे की अनुपूरक मांगों पर बोलने का अवसर दिया। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृट करना चाहूंगा कि मैं कुछ मांगों को इस सदन में कई बार उठा चुका हूं। वे मांगें अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। शिवगंगा एक्सप्रैस जो भदोही का मुख्यालय ज्ञानपुरा रोड़ स्टेशन है, मैंने वहां अप–डाउन ट्रेन रोकने के लिए माननीय मंत्री जी से आग्रह किया था। आप उसे वहां रोकने की व्यवस्था करवाएं। भदोहीनगर जो भदोही जनपद मुख्यालय है और कालीन नगरी के नाम से जाना जाता है, वहां जाम लगा रहता है। वहां विदेशी बायर आते हैं। वहां के रेलवे ट्रैक पर ओवर ब्रिज के लिए प्रदेश सरकार से भी संस्तुति आ चुकी है। वहां उपरगामी सेतु बनवाने की व्यवस्था की जाए।

हमारे क्षेत्र से कामायनी एक्सप्रैस चलती है। उसे सुरयांवा स्टेशन पर रोकने के लिए कई बार आंदोलन हुए। अधिकारियों ने आकर आश्वासन दिए, लेकिन कार्यवाही नहीं हो सकी। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि उस बारे में कार्यवाही की जाए। एक पवन एक्सप्रैस चलती है जो मुख्यालय से होकर जाती थी। हाल ही में उसका ट्रैक चेंज कर दिया गया हैं इससे लोग आंदोलित हैं। वे चाहते हैं कि वह जैसे पहले चल रही थी उसी तरह चले।

कुंभ मेला क्षेत्र प्रयाग में लगने वाला है। वह विश्वस्तरीय मेला है। वहां के स्टेशन में विश्व से लोग आते हैं। साथ ही इलाहाबाद, प्रयाग और वाराणसी सिंगल ट्रैक है। उसके दोहरीकरण करने की बात बहुत दिनों से प्रस्तावित है। मैं कहना चाहूंगा कि इन मांगों पर, जो बहुत दिनों से चल रही हैं, मैं उनके बारे में कई बार सदन में उठा चुका हैं, माननीय मंत्री जी के संज्ञान में ला चुका हूं, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष को लिखा–पढ़ी करके मिल भी चुका हूं, लेकिन आज तक उन पर कार्यवाही नहीं हुई। आश्वासन मिलता रहा है। मैं मंत्री जी से डिमांग करूंगा कि इस बारे में कार्यवाही की जाए।

[अनुवाद]

★**श्री प्रह्लाद जोशी** (धारवाड) : मैं अपने भाषणों में इस सभा में हमेशा कहता रहा हू कि रेलवे रेल मार्ग पर महज यात्रियों एवं सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ढोने वाला साधन नहीं है। यह राष्ट्रीय एकता का संकेत है जो सभी क्षेत्रों के लोगों को एकता के सूत्र में बांधता है तथा उनमें एकजुटता की भावना भरता है। इसी संदेश को ध्यान में रखकर रेलवे को कार्य करना होता है या दूसरे शब्दों में रेलवे की बहुत बड़ी सामाजिक जिम्मेदारी भी है।

लेकिन क्या रेलवे ऐसा कर रहा है, इस पर प्रश्न चिह्न है। ऐसा लगता है कि इस परिदृश्य में यह कोई राष्ट्रीय उत्साह रखे बगैर यांत्रिक रूप से कार्य कर रहा है। कई ऐसी जारी परियोजनाएं हैं जो धनराशि की कमी की वजह से या तो रुकी हुई हैं या धीमी गति से चल रही हैं। सभी मंजूर परियोजनाओं को पूरा करने के लिए धनराशि की व्यवस्था करना क्यों संभव नहीं हुआ?

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

मैं यहां सभा में उपस्थित माननीय रेल मंत्री का ध्यान प्रमुख रूप से मेरे निर्वाचन क्षेत्र एवं राज्य संबंधी निम्नलिखित मामलों की ओर दिलाना चाहता हूं। इनमें से कुछ मामले पिछले अक्तूबर में बेंगलुरू में हमारे मुख्यमंत्री के साथ बैठक में आपके ध्यान में लाए गए थे।

रेल नेटवर्क का विषम विकास : पूरे देश में रेल मार्ग लंबाई घनत्व महज 19.27 कि.मी. है तथा और यह औसत भी ज्यादातर राज्यों में उपलब्ध नहीं है। मेरे अपने राज्य कर्नाटक में बहुत कम आर आर एल डी है, महज 15.72 कि.मी. जबकि पड़ोसी तमिलनाडु में 32 कि.मी. है तथा पंजाब में सबसे ज्यादा 45 कि.मी. है। कर्नाटक के कुल 175 तालुकों में से लगभग 46 प्रतिशत क्षेत्र वाले 81 तालुकों में रेल नेटवर्क है ही नहीं। इसलिए इन 81 ताल्लुकों को रेल नेटवर्क से कवर करने पर पुनः बल देने के लिए क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए उपाय सुझाने संबंधी सिफारिशों के लिए समितियों की नियुक्ति की।

इस संबंध में कर्नाटक में रेल नेटवर्क को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित नई रेल लाइन का कार्य आरम्भ किए जाने की आवश्यकता है।

(एक) (क) हुबली धारवाड़–किट्टूर–बेलगाम (ख) हावेरी–गडक (ग) गडक–हरपन्नहल्ली हरीहर (घर) हरिहर–शिमोगा (ड) तलगुप्पा–होन्नावर (कोंकण रेल लाइन से जोड़ना) (च) देवनगेरे–तुमकुर

(दो) हुबली–अंकोला नई ब्रॉड गेज लाइन : यह क्षेत्र के आर्थिक विकास के नए युग का प्रतिपादन करने के लिए स्वप्निल परियोजना है जो लगभग भारत सरकार द्वारा अनुमोदित की जाने वाली है। इस पृष्ठभूमि में यह निवेदन है कि वित वर्ष में कार्य के लिए पर्याप्त निधियों का निर्धारण किया जाए और पर्यावरण और वन मंत्रालय से शीघ्रातिशीघ्र आवश्यक स्वीकृति प्राप्त की जाए।

(तीन) (क) कुट्टूर–हरिहर (ख) बीदर–गुलबर्गा (ग) हासन–श्रवण वोलगोल–बैंगलोर (घ) हुबली–बैंगलोर के बीच रेल लाइन का दोहरीकण (ड) होस्पेट–वास्को

(चार) कर्नाटक में न, रेल मंडल को मंजूरी : दक्षिण पश्चिम रेल में कर्नाटक के गुलबर्गा और मंगलोर को लाए जाने की मांग काफी लम्बे समय से की जा रही है। जोन के बेहतर और बेहतर प्रशासनिक समन्वयन के लिए गुलबर्गा और मंगलोर को नया मंडल बनाया जाना चाहिए।

(पांच) हुबली रेल कार्यशाला का आधुनिकीकरण : यह उत्साहजनक बात है कि 195 करोड़ रु. की कुल लागत से हुबली कार्यशाला के आधुनिकीकरण हेतु रेलवे बोर्ड को विस्तृत प्रस्ताव भेज दिया गया है। हुबली कार्यशाला देश की सबसे पुरानी कार्यशाला है और इसका समग्र विकास किए जाने की आवश्यकता है। मंत्री जी से निवेदन है कि हुबली कार्यशाला का विकास किए जाने के लिए पर्याप्त निधियां जारी की जाएं।

2. तुमकुर–हुबली मार्ग का दोहरीकरण : बैंगलोर–तुमकुर रेलमार्ग का दोहरीकण किया जाए, परन्तु तुमकुर से हुबली के बीच विस्तार कार्य को अभी तक स्वीकृति नहीं दी गई है। कर्नाटक और दक्षिण पश्चिम रेल मुख्यालय में हुबली दूसरा सबसे बड़ा शहर है। हुबली और बैंगलोर के बीच चलने वाली रेलगाड़ियां दोनों ओर से अपने–अपने गंतव्य पर पहुंचने में 9 घंटे का समय लगता है। समयावधि को कम करने के लिए इस मार्ग को दोहरा किए जाने की आवश्यकता है।

3. नई रेलगाड़ियां आरम्भ करना : कर्नाटक के उत्तरी भाग में स्थित हुबली–धारवाड़ जुड़वा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 4 पर स्थित दूसरा सबसे बड़ा शहर है और यह एक ओर मुंबई और दूसरी ओर दक्षिण में बैंगलोर–चेन्नई की मुख्य संपर्क लाइन है और औद्योगिक और व्यापारिक कार्यकलापों का मुख्य केन्द्र है। वर्तमान में पुणे, मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद जैसे प्रमुख शहरों के बीच यात्रियों को परिवहन आवश्यकता और संपर्क प्रदान करने के लिए सीमित संख्याओं में रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं। दक्षिण पश्चिम रेल का मुख्यालय होने के नाते शहर के महत्व को देखते हुए, इन रेलगाड़ियों की संख्या काफी कम है। नई रेलगाड़ियों को चलाने के लिए लम्बे समय से मांग की जा रही है।

4. पुणे और मुंबई से नई रात्रि एक्सप्रेस रेलगाड़ी : पुणे और हुबली हुबली और मुंबई, हुबली से देर रात चलकर अगले दिन प्रातः पुणे पहुंचे और पुणे

से वापसी के लिए नई एक्सप्रेस सुपर फास्ट रेलगाड़ी आरम्भ की जाए।

5. संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को नियमित किया जाए : हुबली–धारवाड़ होकर इस रेलगाड़ी को चलाने के लिए इस क्षेत्र के लोग काफी आभारी हैं। परन्तु यह गाड़ी सप्ताह में केवल दो बार ही चलती है। आपसे अनुरोध है कि इस रेलगाड़ी को बरास्ता हुबली–धारवाड़ सप्ताह के सभी दिनों में चलाया जाए जिससे कि इस क्षेत्र के लोगों को काफी लाभ हो सके। बैंगलोर से निजामुद्दीन के बीच गाड़ी संख्या 2627 चलती है जो आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के अधिकांश क्षेत्रों को कवर करती है। आपसे निवेदन है कि इस रेलगाड़ी को बरास्ता हुबली–धारवाड़ और कर्नाटक के अन्य क्षेत्रों से होकर चला, जाने के लिए कदम उठाए।

6. बैंगलोर के लिए नई रात्रि एक्सप्रेस रेलगाड़ी अथवा रानीचन्नम्मा एक्सप्रेस के समय में परिवर्तन किया जाए: 8 से 9 बजे के बीच बैंगलोर जाने के लिए नई एक्सप्रेस सुपर फास्ट रात्री रेलगाड़ी जो बैंगलोर सुबह 5.30 बजे पूर्व पहुंच सके, जो बैंगलोर से विभिन्न गन्तव्यों की ओर प्रातःकाल में जाने वो यात्रियों को आगे यात्रा करने के लिए गाड़ी प्रदान कर सके। और बैंगलोर से प्रातःकाल में उड़ान पकड़ने वाले यात्रियों के लिए सहायक हो सके। अथवा विकल्प के तौर पर लम्बे समय से गाड़ी सं. 6590 और 6589 रानीचन्नम्मा एक्सप्रेस गाड़ी के समय में परिवर्तन किए जाने की लम्बे समय से मांग की जा रही है। वर्तमान में यह रेलगाड़ी हुबली पर रात्री में 10:40 पर आती है और 10.55 पर प्रस्थान करती है और यह प्रातः 7.30 पर बैंगलोर पहुंचती है जो उसका निर्धारित समय है। लेकिन यह ट्रेन कभी समय से नहीं चलती है एवं हमेशा अपने समय से पीछे ही रहती है जिससे यात्रियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसका परिणाम यह होता है कि यह गाड़ी कोल्हापुर देर से पहुंचती है और वहां से देर से शुरू होती है। यही कारण है कि मैंने वर्षो से यह सुझाव दे रहा हूं कि इस ट्रेन को मिराज एन पर ही अंतिम पड़ाव दिया जाए। रेलवे के सरकारी रिकार्ड के अनुसार मिराज से कोल्हापुर प्रतिदिन औसतन 170 यात्री यात्रा करते हैं और कोल्हापुर से सीधे बंगलौर जाने वाले यात्रियों की संख्या लगभग 90 है अतः यह सुझाव पूरी तरह से न्यायोचित है। यदि ऐसा किया गया है तो हुबली से बंगलौर को प्रस्थान समय को वर्तमान अपराह्न 10.55 बजे की जगह अपराह्न 9 या 9.30 बजे पुनर्निर्धारित किया जा सकता है। अतः, इस प्रस्ताव पर फिर से विचार करने और क्रियान्वयन करने का अनुरोध किया जाता है।

7. हुबली–निजामुद्दीन प्रतिदिन

8. हुबली–शोलापुर प्रतिदिन (इंटरसिटी)

9. हुबली–गुरकल (इंटरसिटी)

10. हुबली–शिरडी सीधी ट्रेन

11. हुबली–शिरडी सीधी ट्रेन

12. हुबली–शोलापुर वाया बीजापुर एक्सप्रेस ट्रेन 11 बजे

13. शोलापुर–गदग ट्रेन को हुबली तक विस्तारित किया जाए।

14. बेलगाम–हुबली सिटी बेलगाम से 6.00 बजे चलती है और हुबली 9.00 बजे पहुंचती है और वही ट्रेन 17.30 बजे प्रस्थान करेगी और बेलगाम 21.30 बजे पहुंचेगी।

15. हुबली से गुलबर्गा वाया गदग–बीजापुर के लिए नई एक्सप्रेस ट्रेन।

16. हुबली–धारवाड़ जुड़वे शहर के बीच मार्ग का दोहरीकरण किया जाए एवं हुबली–धारवाड़ के बीच यात्रियों के बढ़ते आवागमन को देखते हुए पैसेंजर ट्रेन चलाई जाए।

17. दक्षिण पश्चिम रेलवे का जोनल मुख्यालय होने के नाते हुबली, जिसकी कमाई सबसे अधिक है, का संपर्क नई दिल्ली से एक्सप्रेस ट्रेनों से होनी चाहिए। वर्तमान में हुबली से केवल स्लीपर कोच चलाया जाता है जिसे वास्को से चलने वाली प्रमुख ट्रेनों में (लोन्डा

में) जोड़ा जाता है। अतः, अनुरोध है कि नई दिल्ली से हुबली के लिए नई ट्रेन चलाई जाए। इसके अलावा हुबली से मंगलोर के लिए भी नई ट्रेनें चलाई जाएं क्योंकि इसकी भारी मांग है।

18. नई रेलवे लाइन अर्थात हासपेट से वास्को तक दोहरीकरण के कार्य में, जिस पर रेल बजट में पहले ही सहमति मिल गई है, तीव्रता लायी जाए।

19. धारवाड़–मैसूर ट्रेन का ठहराव : कुंडगोल धारवाड़ जिले में एक व्यस्त तालुका है और लाल मिर्च के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। इस शहर के लोग यहां पर धारवाड़–मैसूर एक्सप्रेस ट्रेन के ठहराव की मांग कर रहे हैं। अनुरोध है कि यह मांग पूरी की जाए।

20. यात्रियों और उनके सामानों की सुरक्षा हमारे लिए चिंता का विषय बना हुआ है। हम प्रायः अखबारों में पढ़ते हैं कि किस प्रकार यात्रियों से यहां तक कि कुछ घटनाओं में बंदूक की नोक पर ट्रेनों में लूटपाट की जाती है। अपराधी तत्वों द्वारा चोरी और यात्रियों से उगाही के मामले सामान्य बात हो गई है। रेलवे को इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए तत्काल कदम उठाए।

21. हुबली रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण के कार्य को शीघ्र पूरा किया जाए।

रेलवे अवसंरचना के समग्र विकास के लिए तथा इस क्षेत्र के आर्थिक सामाजिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त करने के लिए मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह उक्त वर्णित प्रस्तावों के क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दें।

[हिन्दी]

श्री सज्जन वर्मा (देवास) : सभापति महोदय, मैं रेलवे के अनुपूरक बजट 2011–12 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं अपने कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं। मेरा पहला सुझाव धार्मिक है। दिनेश जी ने बड़ी कठिन परिस्थितियों में इस मंत्रालय को संभाला है। ये रेल भवन में कम से कम एक हवन, पूजन करवा लेंगे तो दुर्घटनाएं बंद हो जाएंगी।...*(व्यवधान)* पंद्रहवीं लोक सभा के गठन के प्रथम सत्र में महामहिम राष्ट्रपति जी और तत्कालीन रेल मंत्री ममता जी ने अपने भाषण में कहा था कि हम बिना लाभ–हानि के आधार पर अनुसूचित जाति, जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में नई रेलवे लाइन बिछाएंगे। मैं दुर्भाग्य से कहना चाहूंगा कि मेरा क्षेत्र अनुसूचित जाति रिजर्व सीट है। रामगंज मंडी, झालावाड़, आगर, उज्जैन होते हुए एक रेलवे लाइन का सर्वे 6–7 साल पहले पूर्ण हो चुका है। लेकिन उस पर अभी तक कोई काम चालू नहीं हुआ हैं महामहिम राष्ट्रपति जी और तत्कालीन मंत्री जी के ये शब्द मिथ्या रह जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। मेरे क्षेत्र में देवास नाम से सीट है। वहां से एक रेलवे ट्रैक गुजर रहा है। वहां एक तरफ आईएएस, आईपीएस और तमाम बड़े अधिकरियों के घर हैं और दूसरी तरफ गरीब जनता के घर हैं। उनके बीच से एक रेलवे लाइन निकल रही है।

सायं 7.00 बजे

यह बड़ा बंटवारा हो गया है। एक तरफ बड़े लोग हैं और दूसरी तरफ छोटे लोग हैं। उस पर आरओबी बनाया जाना निश्चित रूप से आवश्यक है। इसी तरह सुजालपुर एक नगर है, जहां रेलवे ट्रैक के एक तरफ हिन्दु कम्युनिटी रहती है और दूसरी तरफ मुस्लिम कम्युनिटी रहती है। वहां घंटों रेलवे फाटक बंद रहता है। मेरा अनुरोध है कि सुजालपुर में आरओबी बनाया जाये। इसके साथ ही मैं तीन–चार रेलों के स्टापेज के बारे में कहना चाहूंगा।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप अपनी बात जल्दी समाप्त कीजिए। हमें इस विषय पर टाइम एक्सटैंड करना है।

...*(व्यवधान)*

श्री सज्जन वर्मा : सभापति महोदय, पहले मैं तीन–चार ट्रेनों के स्टापेज के बारे में कह दूं, उसके बाद आप टाइम बढ़ा दीजिए।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप एक मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री सज्जन वर्मा : सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में बलसालपुरी ट्रेन सुजालपुर से निकलती है, उसका स्टापेज वहां दिया जाये। हावड़ा–अजमेर ट्रेन भी सुजालपुर से निकलती है, इसलिए इसका स्टापेज भी वहां दिया जाये। हैदराबाद–अजमेर ट्रेन निकलती है, उसका भी सुजालपुर में स्टापेज दिया जाये।

अंत में, मैं कहना चाहूंगा कि पेचवेली एक्सप्रैस का स्टापेज कालीसिंध स्टेशन पर दिया जाये। मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा और उनसे अनुरोध करूंगा कि वे हवन जरूर करा लें।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय सदस्यगण छह और वक्ताओं ने अपने विचार रखने हैं। यदि आप सभी सहमत हों, तो हम सभा का समय आधा घंटा बढ़ा सकते हैं। अतः क्या हम सभा का समय सायं 7.30 बजे तक बढ़ा सकते हैं?

अनेक माननीय सदस्यगण : जी हां।

सभापति महोदय : ठीक है, सभा का समय सायं 7.30 बजे तक बढ़ाया जाता है।

[हिन्दी]

श्री श्रीपाद येसो नाईक (उत्तर गोवा) : सभापति महोदय, आज अनुदानों की अनुपूरक मांगों (रेल) पर जो चर्चा चल रही है, उसमें आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत–बहुत धन्यवाद। भारतीय रेल दुनिया की सबसे बड़ी रेल है। यातायात की दृष्टि से रेल लोगों की लाइफ लाइन बन गयी है। इस साल के बजट भाषण में माननीय रेल मंत्री जी ने हमें बहुत आश्वासन दिये थे, लेकिन वे वायदे कहां तक पूरे हुए, यह हमें बाद में पता चलेगा। हर साल जनसंख्या बढ़ रही है और रेल की मार्फत लोगों की जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, वह नहीं मिल पा रही है जैसे कहीं स्टेशन चाहिए, तो कहीं नयी रेलगाड़ी चाहिए। ये सब मांगें पूरे देश भर के लोगों की हैं। इस काम की जो गति बढ़नी चाहिए, वह गति यहां बढ़ नहीं रही है।

सभापति महोदय, इस साल के बजट में माननीय रेल मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि कम से कम 50 रेलवे स्टेशन वर्ल्ड क्लास के स्टेशन हो जायेंगे और कम से कम दो सौ, ढाई सौ स्टेशन आदर्श स्टेशन बन जायेंगे। लेकिन मुझे पता नहीं कि इस काम की अभी तक शुरूआत हुई है या नहीं। कितने स्टेशन आदर्श स्टेशन बन गये और कितने वर्ल्ड क्लास स्टेशनों का काम पूरा हो गया, यह हमें पता नहीं है? मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वहां काम चालू है या कुछ स्टेशन बन रहे हैं?

महोदय, हम हर दिन न्यूज पेपर्स में कुछ न कुछ पढ़ते हैं कि कहीं रेलगाड़ी पटरी से नीचे गिर गयी, कुछ छोटे–मोटे एक्सीडेंट हो गये।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : नाईक जी, आपको बोलते हुए दो मिनट हो गये हैं, इसलिए अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री श्रीपाद येसो नाईक : सभापति महोदय, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप एक मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री श्रीपाद येसो नाईक : ठीक है। मै कहना चाहता हूं कि यह सब क्यों हो रहा है? इसका एक ही कारण दिख रहा है कि मेनटेनैंस की तरफ रेलवे का ध्यान जाना चाहिए, ताकि जान–माल का नुकसान कम हो और एक्सीडैंट्स भी टलें।

महोदय, हर गांव का आदमी चाहता है कि हमारे गांव से रेल चले, रेलगाड़ी आये, ताकि वहां का विकास जल्दी से जल्दी हो। जिस जगह से गाड़ियां चलती हैं, वहां उन गाड़ियों का स्टाप हो। बहुत से माननीय सांसदों ने अभी मांग की है कि हमारे रेलवे स्टेशन पर गाड़ियों को स्टाप नहीं मिलता है, इसलिए उनके गांव का विकास नहीं हो पा रहा है। मैं चाहता हूं कि लोगों की इस मांग को...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : नाईक जी, आपको बोलते हुए तीन मिनट हो गये हैं, इसलिए अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री श्रीपाद येसो नाईक : सभापति महोदय, मैं गोवा का रहने वाला हूं। वहां से कोंकण रेलवे चलती है। यहां चार–पांच स्टेशन हैं, लेकिन बड़गांव छोड़कर कहीं भी ज्यादा गाड़ियां रुकती नहीं हैं। इसलिए आप दो–चार स्टेशनों पर सभी गाड़ियों को स्टाप देने की कृपा करें, यही मेरी मांग है।

सभापति महोदय, मैं अपना भाषण सदन के पटल पर रखना चाहता हूं।

सभापति महोदय : आप आधा भाषण नहीं दे सकते।

श्री नीरज शेखर (बलिया) : महोदय, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं चेयर से कि जब रेलवे और ग्रामीण विकास का मामला हो, तो तीन घंटे का समय बहुत कम है। सभी लोग बोलना चाहते हैं, अपने क्षेत्र की बात कहना चाहते हैं। आज हमें दो मिनट बोलने को मिल रहा है।

सभापति महोदय : दो बजे से शुरू हुआ, अभी सात बज रहे हैं, इस तरह पांच घंटे हो गए।

श्री नीरज शेखर : महोदय, रेलवे के लिए ज्यादा टाइम होना चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूं।

मैंने यह पत्र जी लालू प्रसाद जी रेल मंत्री थे, उनका दिया। हमारे क्षेत्र के डीआरएम, जीएम और चेयरमैन, रेलवे बोर्ड को दिया। उसके बाद जो रेल मंत्री आईं, उनको दिया। उसके बाद अब आदरणीय दिनेश जी आए हैं, उनको भी मैं यह पत्र दे चुका हूं। इसलिए पहले जो माननीय सदस्य बात कह रहे थे, मैंने उनको टोका था कि हम लोग जो पत्र दें, उन पर कम से कम एक काम तो हो। पिछले चार साल से मैं लगातार खत पर खत दिए जा रहा हूं, रेलवे मंत्री और रेलवे अधिकारियों को यह मेरा कम से कम तीसवां या पैंतीसवां खत होगा, लेकिन आज तक एक भी कार्य नहीं हुआ। अभी नागेश्वर राव जी गिना रहे थे कि 140 कार्यों की सूची है। बलिया–गाजीपुर का नाम सूची में आ जाए, पिछले चार साल से मैं यह प्रयास कर रहा हूं कि मेरा जो संसदीय क्षेत्र है, उसका नाम आ जाए, लेकिन नहीं आ सका। काम हो न हो, कम से कम कोई शिलापट ही लग जाए, वह भी नहीं हो पा रहा है। जो काम होने थे, हमारे जो 24 वाशिंग पिट थे, उनको कम करके 12 कर दिया गया। काम हो नहीं रहा है, जो है, उसे भी काटा जा रहा है। पिछले चार साल से, जब से मैं उस क्षेत्र का सांसद बना हूं, मैं एक भी काम नहीं करा पा रहा हूं। मुझे यही परेशानी है कि मुझे फिर से जनता के सामने जाना है। हम सभी को जाना होता हैं रेलवे से सब लोगों की समस्याएं जुड़ी हुई हैं। हम लोगों के पास सबसे ज्यादा लोग रेलवे के काम लेकर आते हैं। आदरणीय चौहान जी ने आज इंटरसिटी के लिए बात की। इंटरसिटी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए धरना–प्रदर्शन हो चुके हैं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इंटरसिटी गाजीपुर, मऊ होकर बनारस जाए। पहले चलती थी, उसको बंद कर दिया गया। अब आगे लोग कह रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं होता है, तो हम लोग अब रेल रोको आंदोलन करें क्योंकि और कोई चारा नहीं रह गया। हम लोगों के क्षेत्र के बारे में जानते हैं कि बलिया और गाजीपुर बागी क्षेत्र है। जब एक बार लोग बागीपन पर उतर आएंगे, तो वहां से कोई रेल आ–जा नहीं पाएंगी। यह बात मैं आज आपको बताना चाहता हूं। सदन के माध्यम से मैं रेलवे मंत्रालय को बताना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है कि वहां रेल रोकी जाएगी और वहां से कोई रेल नहीं आ–जा पाएगी। आप इसे धमकी समझें या कुछ और समझें।....*(व्यवधान)* मैं यह कह रहा हूं कि वहां यह स्थिति उत्पन्न हो गयी है।...*(व्यवधान)*

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : इसके लिए चाहे जो कुछ करना पड़े, करना होगा।...*(व्यवधान)*

श्री नीरज शेखर : हम लोगों ने कितनी बार प्रयास किया कि वहां दो मिनट रुक जाए, उसको हम चार साल से नहीं कर पाए। आदरणीय दिनेश जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इन्होंने एक विशेष व्यक्ति रखा है कि वह सांसदों का काम देखें, उस पर काम कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई निर्णय नहीं निकलता, कोई काम नहीं हो पाता है। लेकिन एक व्यक्ति विशेष रखा है, इसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहूंगा। मैं इसीलिए कहता हूं कि ऐसे व्यक्ति को रेल मंत्री बनाया जाए, जहां रेलवे है ही नहीं, सिक्किम के राय साहब हैं, उन्हीं को बना दिया जाए, कम से कम वह पक्षपात तो नहीं करेंगे।...(व्यवधान) ऐसे लोगों को बनाया जाए, जो पक्षपात न करें। मैं दुखी हो गया हूं। आज हम सब लोग यहां इसलिए खड़े होकर बोल रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में लोग देख रहे होंगे। मैं यहां इसलिए खड़ा होकर नहीं बोल रहा हूं कि कुछ काम हो जाएगा, मैं केवल इसलिए बोल रहा हूं कि क्षेत्र के लोग देखें कि मैं प्रयास कर रहा हूं। मुझे पता है कि मैं आप बोलकर फिर बैठ जाऊंगा। मैं पिछले दो बार से रेलवे पर बोल रहा हूं। कोई परिणाम नहीं निकला। मैं आज फिर बोलकर बैठ जाऊंगा, लेकिन उसका भी कोई परिणाम नहीं निकलेगा। मैं चाहता हूं कि मुझे गलत साबित किया जाए और बलिया–गाजीपुर में कुछ काम हो सके।

श्री रामकिशुन (चन्दौली) : महोदय, मुझे एक बात कहने दीजिए।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कार्यवाही में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(व्यवधान)*

श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य (करीमगंज) : सभापति महोदय, रेलवे के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा में भाग लेने का मौका देने के लिए मैं आपका आभारी हूं।

मैं केवल कुछ मिनट का ही समय लूंगा और तीन मुद्दों के बारे में बात करूंगा। महोदय, हमारा मुख्य मुद्दा लुमडिंग–सिल्चर छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का है। इसे 2007 में पूरा किया जाना था। समय 2007 से बदलकर 2009 कर दिया गया था। इसे पुनः परिवर्तित किया गया। अब रेलवे ने हमें आश्वस्त किया है कि इसे 2012 तक पूरा कर लिया जाएगा ताकि इसे पहली जनवरी, 2013 को खोला जा सके।

कुछ ही दिन पहले मुझे अन्य मामले के संबंध में रेलवे से एक पत्र मिला, जिसमें उन्होंने इस बात का उल्लेख किया था कि अब तक 68% प्रतिशत कार्य पूरा कर लिया गया है। यदि 15 वर्षों में उन्होंने 68% कार्य पूरा किया है, तो बाकी के 32 प्रतिशत कार्य को वे एक वर्ष के अन्दर कैसे पूरा कर सकते हैं? इस कार्य को पूरा करना रेलवे के लिए एक अति विशाल कार्य है। यद्यपि, रेलवे ने इस कार्य को 2012 तक पूरा करने की पुनः पुष्टि की है। मैं आशा करता हूं कि इस बार वे इस कार्य को पूरा करने में असफल नहीं होंगे अन्यथा यह हम सभी के लिए हास्यास्पद होगा।

मेरा दूसरा मुद्दा यह है कि पिछले बजट में असम और उत्तर–पूर्व के लोगों को अनेक आश्वासन दिए गए थे। आदर्श स्टेशनों का निर्माण डिब्रूगढ़ में बहुकार्यात्मक परिसर की स्थापना करने, अनेक स्टेशनों पर रोग निदान केन्द्रों की स्थापना करने, इंटरसिटी रेल सेवाएं शुरू करने, गुवाहाटी में माल डिब्बा कारखाना और मेडिकल महाविद्यालय खोलने और दुल्लबचेरा से चेरागी तक रेल लाइन का विस्तार करने जैसी कई योजनाएं शुरू की गई थीं। मैं माननीय रेल मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं ये कार्य कब तक शुरू किए जाएंगे और कब तक पूरे किए जाएंगे।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

हमारा एक और मुद्दा है। इसे मैं संसद में पहले ही उठा चुका हूं। यह सिल्चर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर भाषा शहीद सिल्चर रेलवे स्टेशन करने का है। इस स्टेशन पर 11 लोगों ने अपने जीवन की बलि देकर, अपनी मातृ भाषा के लिए शहीद हो गए, लेकिन रेलवे ने एक बेतूकी दलील के आधार पर हमारे प्रस्ताव को स्वीकार करने से मना कर दिया।

इसलिए मैं माननीय रेल मंत्री जी से यह आग्रह करता हूं कि कृपया वह अपने वायदे को पूरा करें और जनवरी 2013 में चालू करने के लिए लुमडिंग–सिल्चर लाइन को छोटी लाइन से बड़ी लाइन में बदलने के काम को 2012 तक पूरा कराएं; दुल्लाबचेरा से चेरागी तक रेलवे लाइन के विस्तार हेतु शीघ्र कार्रवाई करें; और असम और उत्तर–पूर्व के अन्य राज्यों के लोगों को दिए गए आश्वासनों को पूरा करें।

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री ललित मोहन शुक्ल वैद्य : महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं।

मैं माननीय रेल मंत्री जी से सिल्चर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर भाषा शहीद रेलवे स्टेशन रखने के हमारे प्रस्ताव पर विचार करने का भी निवेदन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री राकेश पाण्डेय (अम्बेडकर नगर) : सभापति जी, मैं रेल मंत्री जी का धन्यवाद अदा करना चाहूंगा। मैंने तीन–चार दिन पहले ही इनसे एक बात कही थी और आपने उसे एक लिफाफे पर नोट किया था। उसी दिन शाम को ही आपके कार्यालय में मैसेज आया कि आपका काम आप बताएं। मैं यह सही बात कह रहा हूं, यह परसों का ही किस्सा है। रात को आठ बजे इनके यहां से फोन आया था। आज भी मैंने आपको उसी संदर्भ में आपको एक पत्र दिया है। आपके यहां से मुझे लिखित जवाब मिला है, आपके यहां से एक कमेटी बनाई गई थीं, जिसने यहां जांच की और कहा कि यहां फाटक खोलना सम्भव नहीं है, हम पैदल पथ अंडरग्राउंड बना देंगे। जब से मैं सांसद होकर आया हूं, मुझे यह पत्र मिला था। आदरणीय मुनिअप्पा जी फैजाबाद गए थे। वहां पर भी हमने इस बात को उठाया था और आपके अधिकारियों ने कहा था कि यह काम सेंक्शन हो चुका है। इस बात को एक साल से ज्यादा का समय हो गया है, जब वह

फैजाबाद गए थे, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।

सभापति जी, एक बात और मैं अंत में कहना चाहूंगा। बाराबंकी तक डबल लाइन है। बाराबंकी से जफराबाद जाएं तो यह जो 100 किलोमीटर का एरिया है, यह सिंगल लाइन है। उधर बनारस से आएं तो डबल लाइन है, लेकिन बीच में यह सिंगल लाइन है। इसका सर्वे भी हुआ था, लेकिन कोई कार्य इस पर नहीं हो रहा है। यह ग्रामीण और पिछड़ा हुआ पूर्वांचल का इलाका है। यदि यहां पर डबल लाइन बिछा दी गई तो क्षेत्र के किसानों को, गरीबों को काफी सहूलियत मिलेगी।

श्री मधुसूदन यादव (राजनंदगाँव) : सभापति जी, रेलवे के अनुपूरक बजट पर चर्चा हो रही है और जिस प्रकार से मांग सदस्यों की तरफ से आ रही है, उससे मुझे लगता है कि मुख्य बजट से भी ज्यादा बजट सप्लीमेंट्री बजट पर देना पड़ेगा। सब लोगों ने जब अपने–अपने क्षेत्र की बातें कही हैं तो मुझे भी अपने क्षेत्र की बात कहनी चाहिए। मैं छत्तीसगढ़ से आता हूं। हमारा बिलासपुर सबसे ज्यादा रेलवे को आय देने वाला जोन है और पिछले कुछ वर्षों से हमने महसूस किया है कि छत्तीसगढ़ की उपेक्षा रेलवे के बजट में हो रही है।

कुछ मेडीकल कॉलिज पीपीपी मॉडल पर एनाउंस हुए थे लेकिन सबसे कम प्रोग्रेस छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की है। इसी तरह से धमतरी–कॉकेर रेल लाइन की प्रोग्रेस काफी कमजोर है। हमें ज्यादा प्रोजैक्ट्स नहीं मिले हैं लेकिन जो भी मिले हैं उनकी स्थिति काफी कमजोर है। हमारे छत्तीसगढ़ में आय देने की भी काफी संभावना है और बिलासपुर काफी आय देता है। इस अनुपूरक बजट के माध्यम से कुछ क्षेत्रीय समस्याओं का आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा।

वर्तमान में डोंगरगढ़ के कवर्धा–उस्लापुर के सर्वे का काम चल रहा है। इस रेल लाइन को अगर स्वीकृत किया जाता है तो मुझे लगता है कि वहां पर खनिज संसाधन इतने हैं कि परिवहन के लिए वैकल्पिक मार्ग के रूप में एक अच्छा विकल्प सरकार को मिलेगा और रेलवे और सरकार दोनों को उससे इन्कम होगी।

राजनादगांव से खैरागढ़ को लूप के रूप में समाहित किया जाना चाहिए। राजनादगांव अत्यंत महत्त्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है और यहां पर बहुत सी गाड़ियों का ठहराव नहीं है। इसी तरह से डोगरगढ़ जो कि धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल है और लाखों लोग मां बालेश्वरी के दर्शन करने के लिए आते हैं, वहां भी कई ट्रेनों का ठहराव नहीं है। मैंने माननीय मंत्री जी का ध्यान कई बार लिखित रूप में इस ओर दिलाया है। मैं केवल दो ट्रेनों की मांग करता हूं कि ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस को राजनादगांव में और आजाद हिंद एक्सप्रेस को डोगरगढ़ में ठहराव दिया जाए।

डोगरगढ़ छत्तीसगढ़ राज्य का पश्चिमी और अंतिम क्षेत्र है। वहां से मात्र 50 किलोमीटर दूर्ग में 8 से 10 घंटे गाड़ियों मैनटेनेंस के नाम पर खड़ी रहती हैं। उन गाड़ियों का परिचालन डोगरगढ़ से यदि प्रारम्भ किया जाता है तो राजनादगांव और डोगरगढ़ दोनों को इसका लाभ मिलेगा। मैं आपके माध्यम से इन मांगों पर विचार करने का आग्रह करता हूं, आशा है कि माननीय मंत्री जी इन्हें स्वीकृत करेंगे।

[अनुवाद]

***श्री प्रताप सिंह बाजवा** (गुरदासपुर) : सबसे पहले मुझे यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि मेरी स्वप्निल परियोजना कादियां–ब्यास ब्रॉड गेज नई रेलवे–लाइन (39.68 किलोमीटर) को अनुपूरक अनुदानों की इन मांगों में क्रम सं. 8 पर शामिल किया गया है। इस प्रकार, गुरदासपुर की लंबे समय से लंबित मांग को पूरा किया गया है।

मेरा यह स्वप्न हमारे प्रिय प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह जी के आशीर्वाद के बिना पूरा नहीं हो सकता था, जिन्होंने मुझे इस स्वप्न को साकार करने का सहारा दिया। मैं श्री दिनेश त्रिवेदी जी द्वारा इस रेल परियोजना को वास्तविक रूप देना सुनिश्चित करने के उनके प्रयास तथा सक्रियता का अंतःकरण से धन्यवाद करता हूं। मेरा कृतज्ञता–ज्ञापन माननीय दीदी, श्रीमती ममता बनर्जी का उल्लेख किया बिना पूरा नहीं हो सकता, जिनके रेल मंत्री रहते मैंने इस परियोजना की बात शुरू की। मैं श्री मोंटेक सिंह अहलुवालिया, उपाध्यक्ष, योजना आयोग का भी विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा जिनके दिग्दर्शन में यह सुनिश्चित हो सका कि यह परियोजना मृतप्राय परियोजना न बने। इस कृतज्ञता–ज्ञापन में जिन लोगों का नाम लिया जा सकता है उनमें से मैं श्री विजय मित्तल जी, अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड का उल्लेख अवश्य करूंगा जिनके बिना इस परियोजना में हम आगे नहीं बढ़ पाते।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

वर्तमान में, कादियां और व्यास 100 किमी लंबे चक्करदार रेलमार्ग से, वाया अमृतसर और बाटला जुड़े हैं। कादियां से व्यास तक का यह रेल लिंक सीधा और लघुत्तर मार्ग प्रदान करेगा जिससे इन दोनों स्थलों के मध्य यात्रा-समय में कमी आएंगी और इनके मध्य की दूरी मात्र 39 किलोमीटर होगी। इस परियोजना की परिकल्पना सबसे पहले आजादी से पूर्व तत्कालीन साम्राज्यवादी सरकार द्वारा सन् 1928-29 के दौरान की गई और सन् 1935-41 के दौरान साम्राज्यवादी सरकार के पहले रेल मंत्री प्रसिद्ध न्यायादिद् और अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राजनीतिज्ञ चौधरी सर मोहम्मद जफरूल्लाह खान, जो गुरूदासपुर के कादियां शहर से थे, ने इस परियोजना को आगे बढ़ाया। रेल मंत्री के रूप में उनके शासनकाल के दौरान बाटला से कादियां तक रेल-लाइन बिछाई गई। सर जफरूल्लाह ने इस रेल-लाइन को व्यास तक बढ़ाने की परिकल्पना की थी। यद्यपि देश-विभाजन के कारण इस परियोजना को पूरा नहीं किया जा सका। सर जफरूल्लाह के समय के बाद फिर केन्द्र सरकार में कादियां से कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। तब से यह परियोजना ठंडे बस्ते में चली गई।

सामाजिक रूप से अभीष्ट नई रेल-लाइन परियोजना के रूप में चिन्हित कादियां-व्यास परियोजना अन्ततः शुरू हो गई है, जो पिछड़े क्षेत्रों को जोड़ेगी। रेलवे की अनुपूरक अनुदानों की मांगों में इस परियोजना की अनुमानित लागत 205 करोड़ रुपये है तथा जिसका निर्धारित कार्य तत्काल शुरू किया जाना है। मैं यह सोचकर उत्साहित महसूस करता हूं कि आठ दशक पुरानी यह परियोजना अब कागजों पर ही नहीं रहेगी तथा अंततः इस पर काम शुरू होगा।

अब, मैं पंजाब राज्य के अन्य मामलों पर अपना ध्यान केन्द्रित करता हूं। यहां पाकिस्तान से भू-मार्ग से व्यापार की असीम संभावना, हैं, और यहां रेलवे, माल-असबाब के परिवहन हेतु क्षमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। इस वर्ष के संसद के मानसून सत्र में मैंने 'शून्यकाल' में एक 'समर्पित माल परिवहन-पथ' की आवश्यकता का मुद्दा उठाया था, जो जालंधर होते हुए और अमृतसर के निकट वाघा सीमा पर स्थित अटारी रेलवे स्टेशन तक बढ़ाया जाए और वहां एक एकीकृत चेक-पोस्ट पर पूर्ण समय विकसित रेलवे-साइडिंग भी स्थापित की जाए। इस सत्र में मैंने मंत्री जी से पूछा था कि क्या समर्पित माल परिवहन पथ को अटारी रेलवे स्टेशन से जोड़ने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ और मैंने इस संबंध में ब्यौरा मांगा। मुझे आश्चर्य हुआ कि जबाव के रूप में मुझे जो मिला, उसे मैं उद्धृत करता हूं, जी महोदया। पूर्वी समर्पित मालभाड़ा गलियारे का अमृतसर/अटारी तक विस्तार किए जाने के लिए पंजाब सरकार से अनुरोध प्राप्त हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी से इस मामले पर ध्यान देने और इंटीग्रेटेड चैक पोस्ट पर रेलवे साइडिंग की स्थापना के साथ अटारी तक गलियारे का विस्तार किया जाए।

यह जानकर मुझे प्रसन्नता है कि "राज्य रानी एक्सप्रेस" प्रस्ताव के अंतर्गत राज्य की राजधानियों को राज्यों के महत्वपूर्ण शहरों और कस्बों से जोड़ने वाली नई रेलगाड़ियां शुरू की जा रही हैं। मैदानी भाग में शायद पंजाब ही ऐसा एकमात्र राज्य है जिसका अपनी राजधानी चंडीगढ़ के लिए कोई उचित रेल संपर्क नहीं है। चंडीगढ़ जाने के लिए लोग बसों या यात्रा के अन्य साधनों का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा, राज्य का केवल थोड़ा-सा भाग ही चंडीगढ़ से बरास्ता मोरिन्दा-सरहिन्द-आनंदपुर रेल मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। फिर भी, चंडीगढ़ से जोड़ने के लिए राज्य रानी एक्सप्रेस के अंतर्गत किसी भी नये रेल लिंक का प्रस्ताव नहीं किया गया है। मेरा आग्रह है कि चंडीगढ़ को पंजाब के अन्य भागों से बरास्ता मोरिन्दा-समराला-साहनीवाल-लुधियाना मार्ग के बजाय बरास्ता राजपुरा से जोड़ा जाना चाहिए क्योंकि उस मार्ग की संकल्पना अदूरदर्शितापूर्ण है। इसके अलावा, चंडीगढ़-राजपुरा रेल पटरी बिछाये जाने के बाद मालवा, दोआबा और माझा क्षेत्रों के अधिकांश भाग और यहां तक कि राजस्थान के भी कुछ भाग राज्य की राजधानी, चंडीगढ़ से जुड़ जाएंगे।

भटिंडा से अमृतसर तक कोई सीधा रेल संपर्क नहीं है। लुधियाना को एक सीधी रेल लाइन द्वारा बरनाला से जोड़ दिए जाने से भटिंडा-लुधियाना-जालंधर-अमृतसर सड़क मार्ग पर ट्रैफिक भार अत्यधिक कम हो जाएगा और इससे भटिंडा का अमृतसर से सीधा संपर्क भी स्थापित हो जाएगा। बरनाला-मनसा-सारदुलगढ़-सिरसा के बीच भी कोई रेल संपर्क नहीं है। रेल प्राधिकारी कृपया इन मांगों पर ध्यान दें।

अमृतसर रेलवे स्टेशन पर, इस महत्वपूर्ण पवित्र शहर में अत्यधिक ट्रैफिक को संभालने के लिए और अधिक रेलवे प्लेटफार्म उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा, यात्रियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए मुंबई और नई दिल्ली राजधानी ट्रेनों को अमृतसर तक बढ़ाया जाना चाहिए। इसी प्रकार

से, अमृतसर को दक्षिणी राज्यों की राजधानियों से और ओडिशा में पुरी से भी जोड़ा जाना चाहिए।

अमृतसर और नांदेड के बीच एक दुरन्तो या गरीबरथ एक्सप्रेस ट्रेन चलाए जाने की आवश्यकता है। पट्टी से माखू तक रेल संपर्क भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह फिरोजपुर, भटिंडा और यहां तक कि राजस्थान में गंगानगर तक यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए अत्यधिक सहायक सिद्ध होगा। वर्तमान में, लोगों को एक रेलगाड़ी लेनी होती है जो बरास्ता जालंधर जाती है, जिससे यात्रा दूरी लगभग 250 कि.मी. बढ़ जाती है। अतः, पट्टी से माखू रेल संपर्क को रेलवे द्वारा वरीयता दी जानी चाहिए।

रेलवे गुरूदासपुर से डेरा बाबा नानक को जोड़ने पर विचार कर सकती है। चूंकि गुरदासपुर हमारे देश के पिछड़े सीमावर्ती जिलों में से एक है, रेलवे प्राधिकारी यहां रेल कारखाना या परियोजना स्थापित करने पर विचार कर सकते हैं ताकि इससे पिछड़े सीमावर्ती जिलों में युवाओं को रोजगार मिलेगा।

राहों, नवांशहर एवं फगवाड़ा को जोड़ने वाली रेल लाइन पहले से है। जब समरोला एवं राहों को जोड़ने वाली 27 कि.मी. लंबी लाइन बिछायी जाएगी तो इससे नवांशहर एवं होशियारपुर जिले राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली तथा राज्य राजधानी चंडीगढ़ के नजदीक आ जाएंगे। जालंधर, अमृतसर एवं पठानकोट तक कई नयी रेलगाड़ियां लुधियाना रेलवे स्टेशन को बाईपास करते हुए चलायी जा सकती हैं। इसके अलावा, यह मार्ग आपात स्थिति में रेलों का वैकल्पिक मार्ग भी उपलब्ध करा सकता है।

उना से चंडीगढ़ तक एक डीएमयू (स्थानीय रेलगाड़ी) चला, जाने की जरूरत है। इससे न केवल स्थानीय आबादी को रोजगार के अवसर मिलेंगे, बल्कि किसानों का भी आर्थिक रूप से उत्थान होगा। किसानों को न, बाजारों में सब्जी, फल एवं दूध बेचने का अवसर मिलेगा। इससे रूपनगर एवं उना जिलों में रह रहे लोगों को वैकल्पिक परिवहन साधन भी उपलब्ध होता है।

गुरूमुखी एक्सप्रेस सप्ताह में एक बार उना एवं कोलकाता के बीच चलती है एवं यह सिखों के दो तख्त–तख्त केशगढ़ साहिब एवं तख्त पटना साहिब को जोड़ने वाले दो शहरों क्रमशः श्री आनन्दपुर साहिब एवं पटना से होकर गुजरती हैं इस रेलगाड़ी की बारंबारता जिला मुख्यालय तथा इसके समीपवर्ती कई औद्योगिक इकाइयां होने के कारण रूपनगर में ठहराव के साथ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सप्ताह में तीन बार होनी चाहिए।

अंततः दिल्ली–लुधियाना शताब्दी रेल सेवा को पठानकोट होकर उधमपुर तक विस्तारित किया जाना चाहिए क्योंकि लाखों श्रद्धालु माता वैष्णों देवी एवं धर्मशाला दलाईलामा से मिलने जाते हैं। इसके अलावा यह जम्मू–कश्मीर तथा निचले हिमाचल प्रदेश का प्रवेश स्थल भी है। यह बेहद आवश्यक है तथा इस प्रकार इसे शीर्ष प्राथमिकता दी जा सकती है। इसी के साथ मैं अनुपूरक अनुदान–मांग (रेलवे) 2011 का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री जगदीश शर्मा (जहानाबाद) : सभापति महोदय, मैं बिहार के जहानाबाद संसदीय क्षेत्र से आता हूं और अपने मतदाताओं और अपनी ओर से माननीय मंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि जन–शताब्दी ट्रेन जिसके लिए मैं बार–बार प्रयास कर रहा था, पटना से रांची जाती है, उसका ठहराव जहानाबाद स्टेशन पर दिया।

महोदय, पटना–गया रेल खंड पर जहानाबाद में राजा–बाजार पर एक अंडरपास ब्रिटिश पीरियड से बना हुआ है। वहां लगातार जाम हो रहा है, बार–बार सर्वे भी हो रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मत्री महोदय से आग्रह करना चाहते हैं कि जहानाबाद के पटना–गया रेल खंड पर जो राजा–बाजार में अंडर पास है, उसमें एक आरओबी दें, ओवरब्रिज दें।

दूसरा, पटना–गया स्टेट हाई–वे, उसमें गया–किउल रेल खंड पर ओवरब्रिज न रहने के कारण सारा यातायात बाधित है। हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह आग्रह करना चाहते हैं कि गया–किउल रेल खंड पर जो पटना से गया स्टेट हाई–वे, उसमें मानपुर के नजदीक ओवरब्रिज का मामला एक लम्बे अर्से से पेंडिंग है और राज्य सरकार ने भी बार–बार प्रस्ताव मंत्रालय को दिया है लेकिन अब तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई है। हम आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहते हैं कि पटना–गया स्टेट हाई–वे, पर मानपुर के नजदीक एक ओवरब्रिज गया किउल रेल खंड पर दें।

कुमारी मीनाक्षी नटराजन (मंदसौर) : सभापति महोदय, मैं माननीय रेल मंत्री द्वारा रखी गई अनुपूरक मांगों का समर्थन करती हूं और धन्यवाद भी करती हूं, क्योंकि मंत्री जी ने मध्यप्रदेश में आकर सभी सांसदों के साथ बैठकर बैठक की और सभी के संसदीय क्षेत्र की जो समस्या, थीं, उन्हें बहुत गंभीरता के साथ सुना।

मैं अपने संसदीय क्षेत्र की बात बताना चाहती हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र में गाधी सागर का बाध बना और हमारे क्षेत्र के लोगों ने अपनी जमीनें दी थीं। उस समय से यह लम्बित मांग थी कि नीमच–रामगंज मंडी रेलवे लाइन का सर्वे होना चाहिए। आपने उस मांग को पिछले रेल बजट में शामिल किया था। मेरा अनुरोध है कि नीमच–रामगंज मंडी रेलवे लाइन और नीमच बड़ी सादड़ी रेलवे लाइन का सर्वे का काम जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए, जिससे कि उस क्षेत्र के लोगों को रेल द्वारा आवागमन की सुविधा प्राप्त हो सके।

मेरा दूसरा अनुरोध है कि सुवासरा–सीतामऊ–मंदसौर रेलवे लाइन सर्वे की मांग हमने की थी। इसके बारे में अगर विचार किया जाएगा, तो जिला मुख्यालय से लोगों को जुड़ने और मुम्बई–दिल्ली रूट से सीधे जुड़ने का मौका मिलेगा।

हमारे मध्य प्रदेश की तीसरी प्रमुख मांग है कि इंदौर–खंडवा का जो अमान परिवर्तन का काम अभी तक रुका हुआ है, जब तक वह काम पूरा नहीं होगा, तब तक हमारा प्रदेश पूरी तरह से रेल के अमान परिवर्तन के लाभ को नहीं ले पाएगा। अतः इस काम को तुरंत किया जाए। मैं आपसे एक अनुरोध और करना चाहती हूं कि पूरी दुनिया में केवल दो जगह पशुपति नाथ मंदिर है। एक मंदिर नेपाल में काठमांडू में है और दूसरा मेरे संसदीय क्षेत्र मंदसौर में है। अजमेर–सिकंदराबाद नई रेल चलाई है, उसका नाम पशुपतिनाथ एक्सप्रेस रखा जाए, जिससे कि हमारे यहां पवित्र धाम तक पहुंचने में लोगों को सुविधा मिले।

श्री घनश्याम अनुरागी (जालौन) : महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। रेल के अनुपूरक बजट पर चूंकि समर्थन तो हमें करना ही है, लेकिन मैं अपनी एक–दो बातें रखना चाहता हूं।

महोदय, वर्ष 2010–11 और 2011–12 में माननीय रेल मंत्री जी के द्वारा अपने रेल बजट के भाषण में यह कहा गया था, घोषणाएं की गई थीं, हमारे कहने पर आठ सर्वे कराने की घोषणा की थी, जो कि स्वीकृत हो गए थे। हम पहली मांग करते हैं, जो रेल बजट सर्वे स्वीकृत हुए थे और जो नहीं आएं हों, उनको फाइनल रेल बजट से पहले मंगा कर वहां रेल लाइन बिछाने के लिए थोड़ा–थोड़ा भले ही ज्यादा नहीं, धन देकर बजट स्वीकृत कर दिया जाए और नई रेल लाइनें उन स्थानों शीघ्र लाइनें बिछाई जाएं। मैं बुंदेलखंड से आता हूं, जहां सबसे ज्यादा गरीबी है, वहां आवागमन में बड़ी दिक्कत होती है। रेल गरीब की यात्रा का एकमात्र साधन है, क्योंकि उसमें कम पैसा लगता है। इसलिए हमारे जो सर्वे पड़े हुए हैं, माननीय ममताजी ने उन्हें स्वीकृत कर दिया था, उनके हम आभारी हैं, क्योंकि उन्होंने हमारी मांग पर सभी आठ सर्वे स्वीकृत किए थे। माननीय मंत्री जी ने हमारे कहने से उरई स्टेशन पर सभी गाड़ियों के स्टापेज दिए तथा मोठ स्टेशन पर इंटरसिटी को रोकने का काम हमारे कहने पर किया, इसके लिए हम मंत्री जी के बहुत आभारी हैं।.... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप समाप्त कीजिए, क्योंकि आपके एक मिनट की बजाय दो मिनट हो गए हैं।

श्री घनश्याम अनुरागी : महोदय, मैं अभी समाप्त करता हूं। लेकिन दो बातें और सुन ली जाएं। उरई में ओवर ब्रिज सुश्री ममता जी ने हमारे कहने से स्वीकृत किया। अब आपसे अनुरोध है कि हमने जो नई लाइनों को बिछाने के लिए और जो पुखरॉय हमारे रमाबाई जिले का मैन स्टेशन है, वहां के लिए जी.म और डीआरम, द्वारा तीन–चार ट्रेनों के स्टॉपेज के प्रस्ताव हमारे कहने पर स्वीकृत हेतु भेज गए हैं, जिन्हें शीघ्र माननीय मंत्री जी स्वीकृत करें।....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री महाबल मिश्रा।

आपकी बात अब रिकार्ड में नहीं जा रही है।

...*(व्यवधान)**

***श्री वीरेन्द्र कश्यप** (शिमला) : अध्यक्ष महोदय, मैं रेलवे की सप्लीमेंट्री डिमांड पर यह कहना चाहता हूं कि रेल मंत्रालय हिमाचल प्रदेश के प्रति बहुत ही असंवेदनशील है। हमारे इस प्रदेश के पहाड़ी लोग जोकि शांति प्रेमी है, कि मांग रेलवे लाइन देने में हमारी एक भी नहीं सुन रही है। आजादी के बाद यानि 64 वर्षों में इस पहाड़ी क्षेत्र में कुल 40 किमी. की लाइनें भी नहीं बिछाई गई है।

मेरी मांग है कि गत वर्ष रेलवे बजट में मैंने मांग रखी थी कि "घनौली–नालागढ़–बद्दी–बरोटीवाला–काला अम्ब–पौंटा साहिब–देहरादून" की लाईन बिछाई जाए। इसके लिए रेल मंत्री ने आश्वासन दिया कि उक्त रेल लाईन के लिए सर्वेक्षण करवाया

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।
*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

जाएगा। इसके लिए बजट का प्रावधान किया जाना चाहिए ताकि आने वाले दिनों में यह कार्य शुरू किया जा सके।

श्री महाबल मिश्रा (पश्चिम दिल्ली) : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं कि आज संवेदनशील विषय पर गरीबों के प्रति अनुपूरक मांग लाए हैं। जब दिल्ली बसी थी तब धौला कुआं, लक्ष्मी नगर, ओखला और बहादुरगढ़ तक नहीं थी। अब दिल्ली एनसीआर तक चली गई है। गरीब लोग 1000 रुपए किराया देकर आनंद विहार स्टेशन से गाड़ी पकड़ने जाते हैं। बहादुरगढ़, ढांसा बार्डर और गुड़गांव से लोग ट्रेन पकड़ने जाते हैं, छः घंटे ट्रेन में आनंद विहार के लिए लगते हैं। पहले ट्रेन नई दिल्ली से चलती थी, पुरानी दिल्ली से चलती थी तो पकड़ने में आसानी होती थी लेकिन अब 7 किलोमीटर टैक्सी से आना पड़ता है। मैं सुझाव देना चाहता हूं कि दिल्ली कैंट में सैनिक रहते हैं जो बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल में जाते हैं, गरीब लोग आनंद विहार से बस पकड़ने जाते हैं। अमीर लोगों के लिए नई दिल्ली से सुविधा है, यहां से पकड़ते हैं लेकिन आम आदमी के लिए आनंद विहार जाना मुश्किल हो जाता है। उसे 600 से लेकर 1000 रुपए टैक्सी का किराया देना पड़ता है और छः घंटे लगते हैं। मैं आग्रह करता हूं कि दिल्ली कैंट से बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, असम के लिए गाड़ी चलाने पर विचार करें। दिल्ली की पापुलेशन उस समय दस लाख थी लेकिन आज पापुलेशन, 1,70,00,000 हो गई है।

सभापति महोदय : आप बैठ जाइए। आप तीन मिनट बोल चुके हैं।

श्री राकेश सिंह।

श्री महाबल मिश्रा : मैं आग्रह करता हूं कि आप दिल्ली कैंट से ट्रेन चलवाएं।

श्री राकेश सिंह (जबलपुर) : महोदय, मैं बिना किसी भूमिका के अपनी बात कह रहा हूं। माननीय मंत्री जी सामने बैठे हैं। पिछले सात सालों में हमने बहुत संघर्ष रेल के लिए किया है। इसी हाउस में खड़े होकर बहुत भाषण खिलाफ में दिए और उसका दुष्परिणाम हुआ कि ट्रेनें तो नहीं मिली लेकिन जो आंदोलन हुए उसके केस के नंबर बढ़ गए। सभापति महोदय, मैं इस जगह पर खड़े होकर आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि वे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यह उम्मीद है कि आने वाले समय में लोग कहेंगे कि अब तक के सबसे अच्छे रेल मंत्री आप ही रहे हैं। हमारी अपेक्षा इसीलिए है। आप मध्य प्रदेश में आए थे। आपने भोपाल में आकर सारे सांसदों से बातचीत भी की थी। मेरा संसदीय क्षेत्र जबलपुर है। यहां पश्चिम मध्य रेल जोन का मुख्यालय है। यहां गोंदिया के लिए ब्रॉड गेज परियोजना है जिसका काम पांच साल में पूरा होना था, 511 करोड़ रुपए की परियोजना थी। आज 12 साल बीत गए हैं, 1000 करोड़ रुपए से ऊपर की लागत पहुंच गई है। कुछ राशि पर्याप्त नहीं मिली, पिछली बार 1000 करोड़ रुपए की राशि दी गई थी। पर्यावरण मंत्रालय ने उस पर कुछ आपत्तियां लगा दी हैं। मेरा अनुरोध है कि इनका निराकरण कर लें क्योंकि उनके अनुसार वहां शेर के आने-जाने का रास्ता है। यहां आलरेडी नेरो गेज बना हुआ है। अभी शेर को दिक्कत नहीं होती है लेकिन जब ब्रॉड गेज हो जाएगा तो उनका मानना है कि शेर को तकलीफ होगी। वे शेर की चिंता करें लेकिन वहां की जनता की भी चिंता करें और पर्याप्त राशि दे दें।

सायं 07.29 बजे

(डॉ. एम. तम्बिदुरई *पीठासीन हुए)*

महोदय, हमने कुछ ट्रेनों की मांग की थी। हमें एक आश्वासन आदरणीय ममता जी द्वारा भी मिला था। हमने जबलपुर से कोलकाता के लिए वाया बिलासपुर जबलपुर से बंगलौर और जबलपुर से अमृतसर के लिए एक ट्रेन की मांग की थी। मेरा आग्रह है कि कम से कम जबलपुर के लोगों की इन मांगों को पूरा करें। यहां जबलपुर के और सांसद भी बैठे हैं। जबलपुर से गोंडवाना ट्रेन चलती है जो दिल्ली आती है। यह दो भागों में आती है, एक हिस्सा विसावल से आता है, एक जबलपुर से आता है और बीना में दोनों आकर मिलती हैं। यदि आपकी अनुमति हो जाए तो सारे सांसद चाहते हैं कि वह ट्रेन पूरी जबलपुर से चलने लगे तो बहुत अधिक फायदा होगा। इससे लोगों को राहत भी मिलेगी और समय की बचत भी होगी।

महोदय, इसके अलावा मेरी अन्य मांगें हैं जो मैं आपको शीघ्र ही बताने वाला हूं। इस विश्वास के साथ कि इस बार के बजट में मैंने कहीं भी किसी तरह से सरकार या रेल विभाग के खिलाफ कोई बात नहीं कही है। इसलिए मुझे विश्वास कि कम से कम इस बार आप हमारी मांगों को अवश्य पूरा करेंगे।

[अनुवाद]

श्री प्रदीप माझी (नवरंगपुर) : उड़ीसा राज्य के मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र नवरंगपुर (अनुसूचित जनजाति) में आजादी के समय से ही कोई रेल लाइन नहीं है। मेरा सम्पूर्ण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में नवरंगपुर, मलकानगिरी और कोराकुट का एक भाग आता है, जिसमें जनजाति समुदाय की बहुतायत है और यहां कानून व्यवस्था की समस्या रहती है और यह आर्थिक रूप से पिछड़ा क्षेत्र है।

इसलिए, यह मेरा नम्र निवेदन है कि जेयपोन–नवरंगपुर नई रेल लाइन को इस अनुपूरक बजट में शामिल किया जाए और जिसका सर्वेक्षण कार्य पूरा होने वाला है।

सभापति महोदय : अब शाम के 7.30 बज चुके हैं। हम शून्यकाल शुरू कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी गुरूवार को इसका जवाब देंगे।

शून्यकाल समाप्त होने तक समय आधा घंटा बढ़ाया जाएगा।

[हिन्दी]

डॉ. ज्योति मिर्धा (नागौर) : माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। शुद्ध पेयजल आपूर्ति की अरबों रुपये की सरकारी योजनाओं और प्रयासों के बावजूद लगभग आधा राजस्थान जहरीला पानी पीने को मजबूर है। एक से अधिक खराब गुणवत्ता फ्लोराइड, नाइट्रेट लवणीय, आर्सेनिक, आयरन वाले पेयजल से प्रभावित देश के कुल ग्रामों का लगभग 44 प्रतिशत ग्राम राजस्थान में हैं। राज्य के भूजल में फ्लोराइड की मात्रा काफी अधिक है। राजस्थान देश का सर्वाधिक फ्लोराइड प्रभावित राज्य है। देश के कुल फ्लोराइड प्रभावित गावों और ढाणियों में से 25.72 प्रतिशत राजस्थान राज्य में है। केन्द्र सरकार के पेयजल आपूर्ति विभाग डी.डी.डब्ल्यू.एस. की ताजा रिपोर्ट से यह खुलासा होता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि राजस्थान में 48 प्रतिशत जलस्रोतों का पानी पीने योग्य नहीं है। राज्य के प्रमुख जलस्रोतों हैंडपम्प, कुओं व ट्यूबवैलों में एकत्र इन नमूनों में 55881 नमूनों का पानी दूषित मिला। इसमें नाइट्रेट की मात्रा 45 पी.पी.एम. और फ्लोराइड की प्रेस्क्राइब्ड मात्रा जो 1.5 पी.पी.एम. होनी चाहिए, उससे कहीं ज्यादा इस पानी में मिली है। फ्लोराइड की वजह से फ्लोरोसिस हो जाता है, जिसके कारण नागौर, जो मेरा संसदीय क्षेत्र है, उससे अजमेर तक के हिस्से को कूबड़पट्टी कहा जाता है।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि राजस्थान को इसके लिए विशेष दर्जा दिया जाए और पानी की तकलीफ से निजात दिलाई जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री देवजी एम. पटेल ने डॉ. ज्योति मिर्धा द्वारा उठाए गए मुद्दे से अपने आपको सम्बद्ध किया है।

श्री महेन्द्र कुमार राय (जलपाईगुड़ी) : सदन में शून्यकाल के दौरान बोलने की अनुमति देने के लिए सभापति महोदय को धन्यवाद।

मैं राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर तीस्ता पुल और जलधाका पुल के जीर्ण–शीर्ण स्थिति से संबंधित बहुत ही गंभीर मुद्दे को उठाना चाहता हूं।

आप इस तथ्य से अवगत होंगे कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारीगण ने कुछ दिन पहले मेरे संसदीय क्षेत्र में पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिला में जलपाईगुड़ी और धुपगुड़ी के मध्य राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 31 पर स्थित तीस्ता पुल और जलधाका पुल के पुनर्निर्माण का कार्य शुरू किया। लेकिन कार्य की गति बहुत ही धीमी है। यह बहुत ही चिन्ता की बात है क्योंकि यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि यह पूर्वोत्तर भारत और शेष भारत के बीच एकमात्र जीवनरेखा है। हजारों भरी हुई गाड़ियां इस सड़क खंड से प्रायः गुजरती हैं। पुलों और सड़कों की स्थिति इतनी बुरी है कि पूर्वोत्तर जाने वाले ट्रक, सवारी बसें तथा अन्य छोटे वाहन प्रायः गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं।

मैं माननीय मंत्री जी से इस मामले में हस्तक्षेप करने तथा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारीगण को अनुदेश देने के लिए अनुरोध करना चाहता हूं कि सड़कों, सड़क–खंडों के साथ–साथ पुलों की और समय नष्ट किये बिना शीघ्रताशीघ्र मरम्मत की जाए।

[हिन्दी]

श्री प्रदीप माझी (नवरंगपुर) : सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में जो लोग रहते हैं, उनके पास अन्य कोई चारा नहीं होता है, वे सिर्फ जंगल की लकड़ी और जंगल की थोड़ी बहुत जमीन में खेती–बाड़ी करके अपना जीवनयापन करते हैं।

हमारी आपके माध्यम से सरकार से रिक्वैस्ट है कि आज बीपीएल का सर्वे चारों तरफ चल रहा है और यह उड़ीसा में भी चल रहा है। इसलिए जंगल में जितने भी आदिवासी और फॉरेस्ट ड्वैलर्स हैं, चाहे वे किसी भी जाति या धर्म के हों, उन सबको बीपीएल सर्वे लिस्ट में लिया जाए और उन्हें सारी सरकारी सुविधाएं मुहैया कराई जाएं।

डॉ. भोला सिंह (नवादा) : सभापति महोदय, बिहार के बेगूसराय जिले की गंगा और बूढ़ी गंडक नदियां उसकी शिरायें बन चुकी हैं। गंगा पवित्रता की आकृति है। वहीं बूढ़ी गंडक गंगा में समाहित होकर गंगा बन जाती है। लेकिन दुर्भाग्य है कि गंगा का जल, जो अमृत के रूप में मनुष्यों की आत्मा में समाहित है, वह गंगा का जल आज इतना प्रदूषित हो गया है कि उसके आसपास की आबादी प्रदूषण के कारण कई प्रकार की शारीरिक व्याधियों का शिकार हो रही है। गंगा के जल में आर्सेनिक आ जाने से बेगूसराय जिले के बरौनी बेगूसराय, मटिहानी, बलिया प्रखण्डों के रचयाही, उलाव, आकाशपुर, रामदीरी, रमानगर, सिहमा चाक, बलहपुर, महेन्द्रपुर, रहाटपुर, सदानन्दपुर नरैलीपुर सिमरिया, मधुरापुर, पुलवरिया, बरौनी, बीहट आदि गांवों में आर्सेनिक जल लोगों को पीना पड़ रहा है। इससे कई प्रकार की विकलांगता मनुष्य के जीवन में उपस्थित हो रही है। 100 में से 10 बच्चे और महिला, नपुसंकता, घेंघा और विकलांगता के शिकार हो रहे हैं। इस भयावह स्थिति की जांच के लिए कदम भी उठा, गए और पाया गया कि गंगा का जल प्रदूषित है और इसके कारण ही इस तरह की बीमारियां उपस्थित हो रही हैं।

इस इलाके में गंगा का प्रदूषित जल लोगों को पीना पड़ता है। इस इलाके से हजारों युवा सेना और पुलिस में जाकर अपने शारीरिक बल के कारण राष्ट्र की सेवा करते हैं। यह एक राष्ट्रीय क्षति है। हम सदन के माध्यम से भारत सरकार से मांग करते हैं कि वह एक उच्च स्तरीय टीम गठित कर इन पीड़ित गांवों का सर्वेक्षण कराए और मेडिकल जांच कराए तथा इसके समाधान के लिए शुद्ध पानी की व्यवस्था करने की दिशा में कारगर कदम उठाएं। इस ओर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : डॉ. रत्ना डे को बोलना है। आप केन्द्र सरकार से जो कुछ कहना चाहती हैं कह सकती हैं। आप उन बिन्दुओं को उजागर कर सकती हैं।

डॉ. रत्ना डे (हुगली) : सभापति महोदय, जैसा कि सभा अवगत है 9 दिसम्बर, 2011 को दक्षिण कलकत्ता में नवीकृत अस्पताल में एक भारी दुर्घटना हुई थी। नवीकृत अस्पताल के बेसमेंट में आग लग गई जिसमें 100 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। हमारी माननीय मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी ने परिस्थितियों को प्रातःकाल से लेकर मध्य रात्रि तक बड़ी कुशलता से संभाला और एस.एस.के.एम. के न्यायालीय विज्ञान विभाग द्वारा एक ही दिन में सभी शवों का परिक्षण किया गया। शवों की पहचान की गई और उनके गहन निगरानी में शवों को उनके निकट संबंधियों को सौंपा गया।

मैं माननीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगी कि भारत में गुणवत्ता नियंत्रण की दो शाखा, हैं–एक स्वास्थ्य देखरेख के लिए राष्ट्रीय प्रत्याणन बोर्ड और दूसरा प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यापन बोर्ड है। स्वास्थ्य देखरेख संबंधी राष्ट्रीय प्रत्माणन बोर्ड अस्पतालों को प्रत्यापित करता है। 12 दिसम्बर को आनंद बजार पत्रिका में समाचार पत्र में यह प्रकाशित हुआ था कि एन.ए.बी.एच. अस्पतालों को प्रत्यायित कर सकता है। परन्तु संबंधित सरकार को इसकी जानकारी नहीं दी गई थी। मैं माननीय मंत्री से निवेदन करना चाहूंगी कि अब से संबंधित सरकार को तत्काल सभी सूचना प्राप्त होनी चाहिए जिससे कि सरकार द्वारा उचित उपाय किए जा सकें। विडम्बना यह है कि इस भूल–चूक के कारण सैकड़ों लोगों की मौत हो गई।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : मैं यहां अपने राज्य में कतिपय मुद्दों से संबंधित रोष व्यक्त करने के लिए खड़ा हूं। मेरे राज्य के पिछड़े जिलों, विशेषकर वे जिले जो वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित हैं, के विकास हेतु पर्याप्त निधि उपलब्ध नहीं कराकर ओडिशा के साथ अन्याय किए जाने संबंधी मामला है।

हाल ही में आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रीमंडल समिति ने पश्चिम

बंगाल के पिछड़े जिलों के विकास के लिए पांच वर्ष के लिए 8750 करोड़ रु. के विशेष पैकेज को अनुमोदित किया है। वहीं दूसरी ओर ओडिशा को वर्ष 2011–12 के लिए पिछड़े क्षेत्र अनुदान निधि के अंतर्गत केवल 340 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है। 19 पिछड़े जिलों हेतु पांच वर्षो के लिए 1700 करोड़ रु. का आवंटन किया गया है। कोई भी यह देख सकता है कि पश्चिम बंगाल की तुलना में ओडिशा की किस हद तक अनदेखी की गई है। पश्चिम बंगाल को 8750 करोड़ रु. मिले हैं जबकि ओडिशा के 19 जिलों हेतु अगले पांच वर्ष के लिए मात्र 1700 करोड़ रु. मिले हैं।

12वीं योजना में के.बी. के जिलों हेतु विशेष पैकेज को जारी रखने पर अब तक विचार नहीं किया गया है। क्या यह सरकार को अन्याय नहीं दिखता? स्वाभाविक रूप से हम महसूस करते हैं कि पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के अंतर्गत भारत के प्रत्येक भाग को लाभ मिलना चाहिए, परन्तु 8750 करोड़ रु. और 1700 करोड़ रु. के बीच अंतर स्पष्ट है। पश्चिम बंगाल और बिहार से हमें शिकायत है जिन्हें गत महीने के दौरान पैकेज प्राप्त हुआ था। सरकार उन्हें जितनी चाहे उतनी निधी दे सकती है परन्तु ओडिशा को भी इसी प्रकार का पैकेज दिया जाना चाहिए। ओडिशा भी देश का एक भाग है। यूपीए सरकार ओडिशा के साथ भेदभाव क्यों करती है? ऐसा इसलिए कि वह यू.पी.ए. के साथ नहीं है? ऐसा इसलिए क्योंकि उसने निरंतर कांग्रेस को पराजित किया है? ऐसा इसलिए क्योंकि वहां की जनता ने वर्ष 2000 से निरंतर बिजू जनता दल में अपना विश्वास व्यक्त किया है?

ओडिशा के लोगों ने कुछ गलत नहीं किया है। इसके विपरीत केन्द्र सरकार भेदभाव के द्वारा ओडिशा के लोगों के प्रति अपनी व्यथा व्यक्त कर रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए।

इसलिए मेरी यह मांग है कि सरकार को ओडिशा के पिछड़े जिलों के लिए एक विशेष पैकेज स्वीकृत करना चाहिए जिसकी मांग काफी लम्बे समय से लंबित है।

[हिन्दी]

श्री कामेश्वर बैठा (पलामू) : महोदय, आज मैं सदन के माध्यम से एक महत्त्वपूर्ण सवाल को उठाना चाह रहा हूं कि झारखंड को विशेष राज्य का दर्जा मिले। झारखंड राज्य के गठन को 11 वर्ष हो चुके हैं। यह स्पष्ट हो चुका है कि झारखंड का कितना विकास हुआ है और कितना नहीं हुआ है, यह देश जानता है और झारखंड की पूरी जनता जानती है।

महोदय, झारखंड को आजादी के पहले भी विकास के दायरे से बाहर रखा गया। आजादी के बाद केंद्र भी भाड़ा समानीकरण नीति के कारण झारखंड का विकास नहीं हुआ। यदि झारखंड को विशेष राज्य का दर्जा मिलता है तो स्थानीय व्यापार को अपने आपको निवेश करने का मौका मिलेगा एवं निजी निवेशकों का रुझान झारखंड में तेजी से बढ़ेगा। झारखंड में कोयला, लौह तथा खनिज का अकूत भंडार है। यह देश को सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला पहला राज्य है, परंतु यहां की भोली–भाली जनता गरीब एवं बेरोजगार है। यहां की जनता का पलायन हो रही है। नौजवान मुख्यधारा से हटते जा रहे हैं तथा किसी न किसी उग्रवादी संगठन के साथ जुड़ते जा रहे हैं। केंद्र सरकार की कोई खास नीति नहीं है। इस संदर्भ में केंद्र तथा राज्य सरकार की भी कोई नीति स्पष्ट नहीं है। झारखंड प्रांत में अस्सी प्रतिशत गरीब जनता, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की संख्या है। यह जंगलों और पहाड़ों से घिरा हुआ है तथा यह प्रांत मरुभूमि बना हुआ है। यहां सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है। यहां की फसल बरसात के पानी पर निर्भर करती है। यदि पांच साल बारिश नहीं हुयी तो पांच साल तक फसल नहीं होगी।

महोदय, यह कहना गलत नहीं होगा तक कि इस राज्य की जनता को मौलिक अधिकार है कि जब वह अधिक से अधिक राजस्व देश को देता है, तो वह विशेष राज्य का दर्जा लेने का हकदार है।

महोदय, आप भी अवगत हैं कि अगर उग्रवादी संगठनों के द्वारा एक दिन का भी झारखंड बंद होता है। तो अरबों रुपए का घाटा सरकार को होता है। झारखंड को कृषि और सिंचाई आधारित विकास इबारत लिखने की जरूरत आ पड़ी है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप वही कहिए जो आप सरकार से कहना चाहते हैं। मैं सदस्यों से निवेदन करता हूं कि वे अपनी बात संक्षेप में कहें।

[हिन्दी]

श्री कामेश्वर बैठा : महोदय, खेती और सिंचाई के विषय

पर ध्यान केंद्रित करने से ही गांवों का विकास हो सकेगा और अनाज समस्या दूर हो सकेगी। इसके लिए खाद्यान्न उत्पादन को सरकार के प्रमुख एजेंडे में शामिल किया जाना चाहिए। झारखंड को राज्य आधारित, दीर्घकालीन, खनिज आधारित एवं उद्योग आधारित नीतियों को उचित ढंग से तैयार किया जाए।

महोदय, उक्त परिस्थितियों में झारखंड राज्य के चहुमुखी विकास के लिए उसे विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए आपके माध्यम से हम माननीय प्रधानमंत्री जी और सरकार से मांग करते हैं कि झारखंड को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, ताकि झारखंड का विकास हो सके, गरीबों का विकास हो सके, वहां के आदिवासी लोगों का विकास हो सके और तमाम जनता का विकास हो सके।

[अनुवाद]

श्री पी. विश्वनाथ (कांचीपुरम) : सभापति महोदय, शून्यकाल में बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद।

सभापति महोदय, परमाणु विद्युत केन्द्र की स्थापना के पश्चात कांचीपुरम जिले में कलपक्कम एक छोटा शहर नहीं रह गया है। इसमें दो गांव हैं यथा पुद्दुपट्टीनम और सदुरंगापट्टीनम तथा परमाणु उर्जा विभाग टाउनशिप जो तिरूवनियूर से लगभग 55 किलोमीटर पर स्थित है।

कलपक्कम ईकाई–एक का उद्घाटन भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था। ईकाई–दो का उद्घाटन हमारे प्रिय नेता श्री राजीव गांधी द्वारा किया गया था। कलपक्कम अधिकांशतः अपने परमाणु उर्जा केन्द्र और संबद्ध अनुसंधान प्रतिष्ठानों के कारण प्रसिद्ध है। इनमें शामिल है–एक दी मद्रास एटॉमिक पॉवर स्टेशन (एमएपीएस) जो भारत के परमाणु संयंत्रों में से एक है और दूसरा आईजीसीएआर (इंदिरा गांधी सेन्टर फॉर एटॉमिक रिसर्च) जो परमाणु उर्जा विभाग से संबद्ध एक विभाग है और तीसरा है–भाविनी (भारतीय नाभिकीय विवित निगम लि.)। इन संगठनों की सुरक्षा सीआईएसएफ के नियंत्रण में है। भारत के विभिन्न लोगों से केन्द्र सरकार के लगभग 6000 कर्मचारी कलपक्कम में कार्य कर रहे हैं। कलपक्कम की जनसंख्या लगभग 25,000 है। कलपक्कम की साठ प्रतिशत आबादी उत्तर भारत से है।

अधिक कर्मचारियों को बसाने की आबादी की आवश्यकता से उत्पन्न कलपक्कम में बढ़ती भीड़ के कारण कलपक्कम से आठ किलोमीटर दूर अनुपम/अमाईपक्कम नामक एक नई टाउनशिप का उद्घाटन वर्ष 1998 में किया गया था। कलपक्कम में दो केन्द्रीय विद्यालय भी हैं।

महाबलीपुरम, तिरूकालुकुन्डरम और तिरूपरूर नगर पंचायत कलपक्कम से कुछ ही दूरी पर हैं जहां राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन सबसे बड़ा आकर्षण का केन्द्र है। अधिकांश सरकारी कर्मचारी समग्र भारत में फैले हैं।

अधिकांश केन्द्र सरकार के कर्मचारी और महाबलीपुरम और तिरूकालुकुन्डरम की अधिकांश अस्थायी जनसंख्या को रेलवे आरक्षण में कठिनाई आ रही है क्योंकि कलपक्कम में इसकी सुविधा नहीं है।

किंतु आज की तारीख तक कलपक्कम में रेल आरक्षण का कोई केन्द्र नहीं है। मैं रेल मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे इस मामले की जांच करें और परमाणु प्रतिष्ठान में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों और सामान्य लोगों के लिए एक रेलवे आरक्षण केन्द्र स्थापित करें।

कलपक्कम शहर चेन्नई महानगर के एक उपनगर के रूप में भी उभर रहा है जिसका विस्तार पूर्वी तट सड़क ईसीआर की ओर हो रहा है। चेन्नई से महाबलीपुरम होते हुए उस स्थान तक मेट्रो ट्रेन लाने का भी प्रस्ताव है।

इसलिए, मैं माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि वे कलपक्कम की आम जनता, सरकारी कर्मचारियों और इसके आस–पास की अस्थायी आबादी की सुविधा के लिए एक रेलवे आरक्षण केन्द्र को मंजूरी प्रदान करें।

श्री ओ.एस. मणियन (मईलादुतुरई) : धन्यवाद सभापति महोदय, मुझे यह कहना है कि वर्ष 2010 की फसल बीमा योजना के तहत क्षतिपूर्ति का भुगतान जो तमिलनाडु के कृषकों को दिया जाना था, वह बहुत लंबे समय से बकाया है। इसका भुगतान जून अथवा जुलाई 2011 के पूर्व ही किया जाना था। फसल बीमा योजना के तहत क्षतिपूर्ति के भुगतान में विलंब के कारण कृषक अपने बैंक ऋण को समय से चुकाने में असमर्थ है। बैंक ऋण को चुकता करने में देरी के कारण वे ब्याज माफी योजना की सुविधा उठाने में असमर्थ हैं और बैंक से नए फसल ऋण प्राप्त करने में असमर्थ हैं। मैं माननीय कृषि मंत्री से नम्र निवेदन करता हूं कि वे इन तथ्यों को नोट करें। जो तमिलनाडु के गरीब कृषकों को बचाने के लिए फसल बीमा योजना के तहत

इस क्षतिपूर्ति के शीघ्र निपटान का आदेश दें लंबे समय से बकाया है।

सभापति महोदय : यह कानून और व्यवस्था से जुड़ा एक राज्य विषय है। आप जो चाहते हैं उसका आपको सत्यापन करना है। यहां कानून और व्यवस्था का मुद्दा नहीं उठाइए। आप एक बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। विवादित मुद्दा मत लाइए। आप कुछ भी कह सकते हैं किंतु इस मामले में कोई विवाद मत लाइए।

[हिन्दी]

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज) : सभापति जी, मैं आपका आभारी हूँ....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है और पुलिस भी राज्य विषय है। आप इन विषयों को यहां कैसे उठा सकते हैं? आप बताइए।

[हिन्दी]

श्री जगदम्बिका पाल : सभापति जी, मैं केन्द्रीय विश्वविद्यालय प्रयाग की बात कर रहा हूँ जिस विश्वविद्यालय ने आजादी के मुजाहिदों को पैदा किया, जिसने देश को एक नहीं, कई प्रधानमंत्री दिये हैं। लिंगदोह कमेटी ने भी फैसला किया है कि केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में छात्रसंघों का गठन होगा।

सभापति जी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जो एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय है, वहाँ के छात्रों द्वारा लगातार विश्वविद्यालय में छात्रसंघ के गठन की मांग की जा रही है। उस मांग को लेकर वाइस चांसलर और केन्द्र के एचआरडी मिनिस्टर से भी मांग की गई। उन्होंने वायदा भी किया था, लेकिन इसके बावजूद अभी तक वह मांग नहीं मानी गई। एक दिन विश्वविद्यालय के छात्र शांतिपूर्ण ढंग से वाइस चांसलर को ज्ञापन देने के लिए निकले, लेकिन जिस प्रकार राज्य सरकार की पुलिस ने उन पर 13 धाराएं लगाई और बर्बर लाठीचार्ज किया, आज भी वे छात्र नैनी जेल में बंद हैं। यह सवाल स्टेट के लॉ एंड ऑर्डर का नहीं है। यह सवाल है कि जो प्रजातंत्र की नर्सरी रही हो, जहाँ आनन्द भवन या स्वराज भवन से आजादी की चिंगारी निकली हो, उस हिन्दुस्तान की तवारिखी सरजमीं के विश्वविद्यालय के छात्रों पर गुनाह यह है कि वे छात्रसंघ की मांग कर रहे हैं जो आज उनका हक है। इस सरकार ने और लिंगदोह कमेटी ने भी रिकमण्डेशन्स की हैं तो मैं मांग करता हूं कि एन.एसयूआई के राष्ट्रीय महासचिव श्री मोहित शर्मा, श्री दिनेश यादव और हमारे कई छात्र अवनीश काजिला, विनोद तिवारी और अमित सिंह जी पिछले कई दिनों से बेगुनाह होते हुए भी जेल में बंद हैं। उन पर विभिन्न धाराएं लगायी गई हैं। राज्य सरकार उनके साथ बदले की भावना से काम कर रही है। निश्चित रूप से यह गंभीर मामला है, इसलिए मैं सरकार का ध्यान इस मामले पर आकृष्ट करता हूं।

श्री भूपेन्द्र सिंह (सागर) : महोदय, मध्य प्रदेश में दस राष्ट्रीय राजमार्ग हैं और ये सभी खराब स्थिति में हैं। इसको लेकर हमारी माननीय नेता प्रतिपक्ष, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री और हम सब सांसद लगातार इस हाउस में मांग कर रहे हैं।

महोदय, आज मार्गों की हालत यह है कि हमारे यहां का सारा आवागमन बंद हो गया है। मेरे लोक सभा क्षेत्र में एन.एच–86 और एन.एच –26 है। एन.एच.–86 का मकरौनिया से लेकर छतरपुर के बीच का जो 80 किलोमीटर में कहीं भी अब रास्ता नहीं बचा है और लगातार वहां दुर्घटनाएं हो रही हैं। दुर्घटना के कारण कई बच्चों की मृत्यु हो चुकी है। इसको ठीक कराने के लिए हम लगातार मांग कर रहे हैं। हमारी मध्य प्रदेश की सरकार की कैबिनेट ने यह प्रस्ताव पास किया है कि यदि भारत सरकार इन राष्ट्रीय राजमार्गों को नहीं बना सकती है तो इन्हें डीनोटिफाई कर दिया जाए। मध्य प्रदेश सरकार इन सारे मार्गों को बनाने के लिए तैयार है। न तो सरकार इनको डीनोटिफाई कर रही है और न इन मार्गों को बनाने के लिए पैसा दे रही है। इससे हमारे प्रदेश का सारा विकास रुक रहा है। हमारे यहां के लोगों को असुविधा हो रही है। इसलिए मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि भारत सरकार तत्काल इस ओर ध्यान दे और हमारे यहां के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 86 और 26 के लिए बजट में धन का प्रावधान करे। मेरा निवेदन है कि आप सरकार को आदेश दें क्योंकि यह लोगों से जुड़ा हुआ प्रश्न है।

श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला (खजुराहो) : महोदय, मैं अपने आपको इस मामले से संबद्ध करता हूं।

श्री राकेश सिंह (जबलपुर) : महोदय, मैं अपने आपको इस मामले से संबद्ध करता हूं।

श्री वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़) : महोदय, मैं अपने आपको इस मामले से संबद्ध करता हूं।

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (महेसाणा) : सभापति महोदय, भारत के किसानों ने नई टेक्नोलोजी स्वीकार कर बी.टी. कपास का उत्पादन बढ़ा दिया है। पिछले पांच-सात वर्षों में 86 हेक्टर भूमि से 2010-11 में बढ़ाकर 1.11 करोड़ हेक्टर में उत्पादन किया है तथा कपास उत्पादन 244 बेल (गट्ठे) थे, उससे बढ़ाकर 334 बेल (गट्ठे) तक पहुंचा दिया है। सन् 2011-12 में 122 लाख हेक्टर से 365 बेल होने की संभावना है। किंतु वर्तमान केंद्रीय कपड़ा मंत्री ने कपास मिल मालिकों के इरादे पर कपास आयात निर्यात नीति में परिवर्तन कर किसानों को बेहाल कर दिया है। गिरे हुए दर (1000 रुपए की घट) से कपास उत्पादकों को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। सीसीआई काटन कार्पोरेशन को भी कम दर से कपास बेचने पर 300 करोड़ रुपए का नुकसान होने का अंदाज है। सरकार की गलत नीतियों के कारण लाखों किसानों का भविष्य धूल में मिला दिया। वे उत्पाद के लिए मारक साबित हुए गत वर्ष में कपास के विकास के साथ की खिलवाड़ से निकास कम रही। इस वर्ष 30 लाख बेल (गट्ठे) ज्यादा उत्पादन होने के बावजूद यह केरीओवर स्टोक 80 लाख बेल (गट्ठे) का बोझ उठाना पड़ रहा है।

समृद्ध देशों ने 'दोहा राउंड' में कपास पर उनके देशों की भारी सब्सिडी कम करने की मांग की है। चीन के बाद भारत कपास उत्पादक में दूसरे नम्बर पर पहुंचा है। कम उत्पाद से परिचित भारत के कपास उत्पादक ने कपास उत्पादन 278 किलो से 521 किलो तक पहुंचाया है। मैं आपको अवगत कराना चाहती हूं कि आज के तारांकित प्रश्न 264 बाजार हस्तक्षेप योजना हेतु आबंटन के जवाब के तहत कृषि मंत्री ने अपने उत्तर में लोकसभा को अवगत कराया कि गुजरात सहित आठ राज्यों में कपास उत्पादन का योग्य मूल्य नहीं मिल रहा है। उनकी कोई फरियाद की मांग आज तक नहीं आई है। मैं इससे सदन को अवगत कराना चाहती हूं कि हमारे गुजरात के कृषि मंत्री जी ने पांच दिसम्बर तथा मैंने 12 दिसम्बर 2011 को इसके बारे में कृषि मंत्री माननीय शरद पवार जी को अवगत कराया है। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहती हूं कि सरकार कपास आयात-निर्यात नीति का पुनः अवलोकन करें और कपास उत्पादन को होने वाली हानि से बचाए।

[अनुवाद]

श्री पुलीन बिहारी बासके (झाड़ग्राम) : महोदय, मैं राष्ट्रीय महत्व के एक मुद्दे को उठाना चाहता हूं और आपके माध्यम से इस पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। संघ सरकार ने इस लोक सभा में 22 दिसम्बर, 2003 को संथाली भाषा विधेयक पारित किया था और संथाली भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया था। परन्तु यह दुख की बात है कि विगत आठ वर्षों में किसी भी सरकार ने इस भाषा के विकास हेतु कोई कदम नहीं उठाया है। संथाली अकादमियों की स्थापना की गई थी, परन्तु अनेक राज्यों में ये अकादमियां कार्य नहीं कर रही हैं। पश्चिम बंगाल में लगभग 400 प्राथमिक स्कूल संथाली भाषा के माध्यम से चलाए जा रहे हैं। इन स्कूलों के विद्यार्थी चौथी कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद काफी समस्याओं का सामना कर रहे हैं।

लोक सभा में....*

सभापति महोदय : लोक सभा सचिवालय के संबंध में की गई टिप्पणी कार्यवाही-वृत्तान्त का भाग नहीं होगी।

श्री पुलीन बिहार बासके : हम कुछ सदस्य जोकि संथाल समुदाय के हैं, अपनी मातृभाषा संथाली में कभी नहीं बोल सकते। मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि इस समुदाय के सम्मान के लिए तकाल समस्या का समाधान करें।

सभापति महोदय : सचिवालय के संबंध में इसे हटाया जा सकता है। अन्य बातें रह सकती हैं।

[हिन्दी]

श्री आर.के. सिंह पटेल (बांदा) : माननीय सभापति महोदय, गरीबी रेखा का मानक निर्धारण एवं गणना के संबंध में सरकार का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्त्व के विषय पर आकृष्ट कराना चाहता हूं। मेरे द्वारा दिनांक 23 नवंबर, 2011 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 443 के उत्तर में सरकार के योजना आयोग मंत्रालय द्वारा यह कहा गया कि शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा का मानक 965 रुपए प्रति माह प्रति व्यक्ति है एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 781 रुपए प्रति माह प्रति व्यक्ति निर्धारित है। इससे अधिक कमाने वाला गरीब परिवार का व्यक्ति अमीरी रेखा में आएगा। प्रश्न के उत्तर में यह भी कहा गया कि गरीबी रेखा का

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

निर्धारण एक जटिल और बहुआयामी मुद्दा है तथा विशेषज्ञ अपने–अपने ढंग से इसकी अलग–अलग व्याख्या कर सकते हैं।

उपरोक्त बातों से सिद्ध हो रहा है कि सरकार गरीबी रेखा के निर्धारण में रुचि नहीं ले रही है। आजादी के बाद अभी तक सरकार गरीबी रेखा का पैमाना निर्धारित नहीं कर सकी है। भारत जैसे विशाल देश में जहां जनता के लिए गरीबी रेखा का निर्धारण ही नहीं हो सकता है, वहां गरीबी दूर करने हेतु योजनाएं किस आधार पर बनायी जा रही है? गरीब भगवान के सहारे जी रहा है। सरकार ने स्वयं मेरे प्रश्न के जवाब में कहा है कि गरीबी रेखा के निर्धारण की एक जटिल प्रक्रिया है।

क्या गरीबी रेखा के निर्धारण की इस जटिल प्रक्रिया का कोई हल निकलेगा? क्या वर्ष 2012 में नए तरीके से गरीबी रेखा के निर्धारण हेतु सरकार कोई योजना बना रही है? यदि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को सरकार चिन्हित नहीं कर सकी है तो उन परिवारों को सहायता किस आधार पर दी जा रही है? क्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों का राज्यवार ब्यौरा सरकार के पास उपलब्ध है? यदि नहीं, तो सरकार किस आधार पर गरीबों को सहायता दे रही है?

अतः आपसे मैं अनुरोध करता हूं कि इस अविलम्बनीय लोक महत्त्व के विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए चर्चा कराई जाए एवं सरकार उपरोक्त बिन्दुओं पर अपना वक्तव्य जारी करे।

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण) : धन्यवाद, सभापति महोदय। मैं सदन का ध्यान देश में उर्वरक की किल्लत, कालाबाजारी एवं बढ़ती कीमतों की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं। इसी मानसून सत्र में बिहार के सांसदों ने जब उर्वरक की कमी के मुद्दे पर प्रश्न काल को सस्पेंड किया था तो माननीय मंत्री श्री श्रीकांत जेना जी ने हमारी अलग से मीटिंग बुलाई थी और यह माना था कि बिहार को 38000 टन यूरिया कम गया है।

रात्रि 08.00 बजे

हमें विश्वास भी दिलाया गया था कि इसके बाद यह घटना कभी नहीं घटेगी। आज फिर वही कहानी दोहराई जा रही है। सरकार ने धान एवं गेहूं का मिनिमम सपोर्ट प्राइस इस वर्ष एक रुपया भी नहीं बढ़ाया। डीएपी की कीमत 490 रुपए से 970 रुपए कर दी। एमओपी की कास्ट 225 रुपए से 581 रुपए कर दी। यूरिया की सप्लाई को कम कर सरकार खुलेआम कालाबाजारी को बढ़ावा दे रही है। किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर कर रही है और उसके बाद घड़ियालू आंसू भी सरकार ही बहा रही है।

सभापति महोदय, अगर किसानों द्वारा की जा रही मेहनत को मनरेगा के मिनिमम प्राइस से भी जोड़ा जाए तो धान के उत्पादन का खर्च 17 सौ रुपए प्रति क्विंटल पड़ेगा। आज किसान आठ सौ रुपए प्रति क्विंटल पर अपना अनाज बेचने को मजबूर है। एफसीआई ने अभी तक बिहार में धान की खरीद शुरू भी नहीं की है, दिसम्र का महीना आ गया है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप कुछ अन्य विषय ला रहे हैं। आप इसे केवल उर्वरक के मामले तक ही सीमित रखें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डॉ. संजय जायसवाल : सभापति महोदय, मेरे यहां नौ फर्टिलाइजर की फैक्ट्रियां बंद हैं, केवल 17 एम.एम.यू. से ये फैक्ट्रियां चालू हो सकती हैं।...*(व्यवधान)* मेरे यहां सारे किसान गेहूं के बदले गन्ना या दूसरी फसल लगा रहे हैं। सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही हैं। मार्च में जब गेहूं की किल्लत हो जाएगी तो मंत्रालय पूर्व की तरह ऑस्ट्रेलिया से फिर गेहूं मंगाएगा। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय, सरकार के नौ फर्टिलाइज कारखाने बंद पड़े हैं, परन्तु उन पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है, गैस सप्लाई करके ये कारखाने शुरू कराए जाएं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री अर्जुन राम मेघवाल, श्री बद्रीराम जाखड़ श्री देवजी पटेल और श्री उदासी शिव कुमार चानाबासप्पा इस विषय के साथ संबद्ध कर सकते हैं।

श्री जी.एम. सिद्देश्वर (दावणगेरे) : धन्यवाद सभापति महोदय।

मैं संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री का ध्यान देश में बीएसएनएल और एमटीएनएल द्वारा अच्छी सेवाएं प्रदान न किए जाने की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

यह सर्व विदित है कि एमटीएनएल और बीएसएनएल के मोबाइल कनेक्शनों की अन्य निजी मोबाइल सेवाओं की तुलना में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत खराब कवरेज है। कोई व्यक्ति आसानी से अनुमान लगा सकता है कि निजी कंपनियों को लाभ देने के लिए यह जानबूझकर किया जा रहा है, क्योंकि सदस्यों और आम जनता द्वारा भी यह मामला कई बार उठाया गया है और इसे अनेक बार माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार समस्या का समाधान करने और प्रयोक्ताओं को अच्छी सेवा देने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है या उठाने की इच्छुक नहीं है। उपभोक्ताओं को बात करने के दौरान सिग्नल आदि चले जाने के कारण फोन कटने की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। यह बताया गया है कि बीएसएनएल और एमटीएनएल मोबाइल नम्बर पोर्टीबिलिटी से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, क्योंकि मेरे निर्वाचन क्षेत्र, देवागेरे और बंगलौर, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में खराब सेवा और पर्याप्त संख्या में मोबाइल टावरों की कमी के कारण बीएसएनएल और एमटीएनएल के उपभोक्ताओं की संख्या दिन-प्रतिदिन कम होती जा रही है। अन्य ग्राहक बीएसएनएल और एमटीएनएल से अन्य निजी कंपनियों की ओर जा रहे हैं। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इन समस्याओं के समाधान के लिए तत्काल कदम उठाए और ग्राहकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करे ताकि उपभोक्ता निजी कंपनियों की ओर जाने के लिए बाध्य न हो।

[हिन्दी]

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा) : सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मै आपको धन्यवाद देता हूं। झारखंड प्रदेश बिहार से अलग होकर बना। अभी माननीय भर्तृहरि महताब जी बोल रहे थे कि उड़ीसा की क्या स्थिति है। हमारे यहां की स्थिति यह है कि वहां पहाड़ है तो पेड़ नहीं है, पेड़ है तो पत्ते नहीं हैं, पानी है तब भी लोग प्यासे हैं, कोयला है, बिजली नहीं है, अस्पताल हैं, लेकिन उसमें डॉक्टर नहीं हैं, स्कूल हैं, उसमें विद्यार्थी हैं, लेकिन वहां शिक्षक नहीं हैं, गाड़ी है तो रोड नहीं है। बिहार, वेस्ट बंगाल और बुंदेलखंड को या उड़ीसा को जिस तरह से बीआरजीएफ का पैकेज मिला है, उससे झारखंड महरूम है, खासकर संथाल-परगना महरूम है।

सभापति महोदय, मेरी आपके माध्यम से भारत सरकार से इन्क्लुजिव डेवलपमेंट के लिए डिमांड है कि वहां जो 40-40 वर्षों से सिंचाई की परियोजनाएं चल रही हैं, पुनासी, बढ़ई, सुग्गाबथान, सुंदर डेम, गुमानी और तुरई है, इन्हें एआईबीपी में लीजिए। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से जो है, जो रूरल हॉट का डेवलपमेंट होना है, क्योंकि वहां रूरल हाट काफी है, जगह-जगह पर रूरल हाट है। मार्केटिंग के लिए रूरल हाट का उन्नयन कैसे होगा, इसके लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, केवल 35 परसेंट प्रधानमंत्री सड़क योजना हमारे इलाके में है, जब कि भारत में 65 परसेंट लोगों के पास इनहेबिटेशन के पास पहुंच चुका है। ये कैसे पहुंचेगा, उसके विकास के लिए सोचना चाहिए।

नेशनल हाईवे के दो प्रोजैक्ट हमारे यहां डुमरी टू रामपुर हाट वाया देवघर और देवघर टू साहेबगंज वाया गोड्डा आपके यहां पैंडिंग हैं और साहेबगंज में गंगा पर पुल बनना है, उसको आप कैसे इन्क्लूड करेंगे? इसके अलावा देवघर में एयरपोर्ट का मामला है, वह द्वादश ज्योतिर्लिंग में से एक लिंग है, पांच करोड़ लोग वहां जाते हैं, उसको जवाहर लाल नेहरू अर्बन रिन्युअल मिशन में कैसे इन्क्लूड किया जायेगा, इसके बारे में सोचना चाहिए। वहां से रेल कनैक्टिविटी होनी चाहिए कि कोलकाता हम कैसे जाएंगे, मुम्बई कैसे जाएंगे, हम मद्रास कैसे जाएंगे, कन्याकुमारी कैसे जाएंगे, बाबा विश्वनाथ बनारस कैसे जाएंगे।

एम्स के जैसा इंस्टीट्यूशन हंसडिहा में संथाल परगना में बनना चाहिए। रेलवे का जो प्रोजैक्ट आपने हंसडिहा गोड्डा एनाउंस किया है, उसका शिलान्यास होना चाहिए। एक नई रेलवे लाइन परीपैंती-डासीडीह गुजेंसिरी का सर्वे हो रहा है, उसको इस बजट में कैसे इन्क्लूड करेंगे। इसके बारे में देखना चाहिए। एन.टी.पी.सी. और कोल इंडिया सी.एस.आर. नहीं कर रही हैं, उसके लिए पैसा देना चाहिए। अल्ट्रा मैगा पावर प्लांट हुसैनाबाद देवीपुर में होने वाला है, ये सब केन्द्र सरकार के पास पैंडिंग हमारे यहां की योजनाएं हैं । हमारे यहां के 70-75 परसेंट लोग गरीब हैं, इसीलिए यह बात बतानी पड़ रही है। एक अल्ट्रा मैगा पावर प्लांट हुसैनाबाद देवघर में बनने वाला है, उसका किस तरह से शिलान्यास हो, इसके लिए जल्दी करनी चाहिए। हाई कोर्ट की एक बैंच दुमका में होनी चाहिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आपको एक विशेष पहलू पर प्रकाश डालना है न कि सभी पहलुओं पर।

[हिन्दी]

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा) : बी.आर.जी.एफ. का जो 8750 करोड़ रुपये का कम्पोनेंट है, उन्होंने केवल तीन जिलों में दिया है और इसीलिए मेरा लास्ट पाइंट यह है कि इंटीग्रेटिड एक्शन प्लान में दुमका, देवघर, गोड्डा साहेबगंज और पाकुड़ जायगडा कैसे इन्क्लूड हों, यह सोचना चाहिए। मेरा आपसे यह निवेदन है कि चूंकि उसका बोर्डर बंगलादेश से जुड़ा हुआ है, नेपाल से जुड़ा हुआ है, इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि झारखण्ड बचाइये, देश बचाइये।

श्री उदय प्रताप सिंह (होशंगाबाद) : सभापति महोदय, मैं किसानों से जुड़ा एक बहुत महत्त्वपूर्ण मुद्दा आपके सामने रखना चाहता हूं। पूर्ववर्ती यू.पी.ए. सरकार ने देश के गरीब किसानों के कल्याण के लिए 1996 से 2000 तक के कृषि ऋण माफ कर दिये थे, जनहित में यह बहुत बड़ा काम किया गया था। देश के लाखों किसान इस योजना से लाभान्वित हुए थे। इस योजना का लाभ बड़े पैमाने पर देश के किसानों को मिला है। कर्ज की वजह से हजारों किसान जो देश में आत्महत्या कर रहे थे, किसानों की कर्ज माफी से उनको बड़ी राहत मिली थी।

इसी क्रम में मेरा आप से सादर अनुरोध है कि मध्य प्रदेश में मेरे संसदीय क्षेत्र होशंगाबाद–नरसिंहपुर के साथ पूरे प्रदेश में हजारों किसान अभी भी ऐसे हैं, जिनके ऊपर 1996 से पहले का कर्ज बकाया है। वे उन कर्जों के बोझ तले अपना जीवन–यापन कर रहे हैं। इस वजह से उनकी कृषि की उन्नति, उन्हें कृषि उपकरण, खाद, बीज, क्रेडिट–कार्ड जैसी सुविधाएं बैंक द्वारा उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं। मेरा आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि ऐसे मध्य प्रदेश राज्य में, जहां को–ऑपरेटिव सैक्टर पूरा धराशायी हो चुका है, जहां पर भारी भ्रष्टाचार व्याप्त है, उस प्रदेश में मेरा इस सदन के माध्यम से अनुरोध है कि 1996 से पूर्व के किसानों के जो कर्ज बकाया हैं, उनका कर्जा केन्द्र सरकार माफ करे, जिससे वहां किसान बेहतर जीवन–यापन कर सकें।

श्री विष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) : सभापति महोदय, [अनुवाद] मुझे दो मिनट से कम समय चाहिए। [हिन्दी] अंडमान निकोबार में एम.ई.एस. डिपार्टमेंट का चीफ इंजीनियर ऑफिस जोन में सुनामी के पश्चात नेवी का, आर्मी का, एयरफोर्स का बहुत बड़ा काम सरकार द्वारा सैंक्शन किया गया, लेकिन दुख की बात है कि 2007–08 से 2011–12 तक करीब–करीब 2472 पोस्टें सैंक्शन हुईं, लेकिन फिल–अप केवल 700 हुईं और 1772 पोस्ट वेकेंट रह गईं। ये कौन सी पोस्ट हैं, जिनकी वहां काम करने के लिए जरूरत है, सिविल इंजीनियर, मकेनिकल, स्टोर कीपर, ड्राफ्ट्मैन, क्लर्क, स्टैनो, पियन, चौकीदार, इन पोस्टों के फिल–अप न होने के कारण से वहां समय पर काम पूरा नहीं हो रहा है। चीफ इंजीनियर एम.ई.एस., अंडमान निकोबार जोन को कोई पासर भी नहीं दी गई, अधिकार भी नहीं दिया गया, जो कॉंट्रैक्ट पर ले लें या आउटसोर्स में किसी का एपाइंटमेंट कर सकें।

मैं अनुरोध करूंगा, देश के रक्षा मंत्री श्री ए.के. एंटनी से,यू. पी.ए. सरकार का अगर ईमानदार कोई मंत्री होगा तो एंटनी साहब जरूर होंगे, हम लोगों पर एंटनी साहब कृपा कर के अंडमान निकोबार द्वीपसमूह में जो एम.ई.एस. की पोस्ट खाली हैं, तुरंत भर्ती करके अंडमान निकोबार द्वीपसमूह में एम.ई.एस. के द्वारा काम करके देश की रक्षा करें।

सभापति महोदय : अब सभा कल पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित होती है।

रात्रि 08.10 बजे

तत्पश्चात् लोकसभा बुधवार 14 दिसम्बर, 2011 23 अग्रहायण 1933 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध–I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य–वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्न संख्या
1	2	3
1	श्री के. सुगुमार	261
2	प्रो. रमाशंकर	262
	श्री जय प्रकाश अग्रवाल	
2	श्री पी.आर. नटराजन	263
	श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलिया	
3	श्री जयंत चौधरी	264
5	श्री मधु गौड यास्खी	265
	श्री धर्मेन्द्र प्रधान	
6	श्री तूफानी सरोज	266
	श्री पी.के. बिजू	
7	श्री हरिश्चंद्र चव्हाण	267
8	डॉ. मुरली मनोहर जोरशी	268
	श्रीमती दीपा दासमुंशी	
9	श्री हरीश चौधरी	269
	डॉ. संजय सिंह	
10	श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी	270
	श्री राम सुन्दर दास	
11	श्री धनंजय सिंह	271
12	श्री पोन्नम प्रभाकर	272
	श्री सी. शिवासामी	
13	श्री महेश जोशी	273
	श्री एंटो एंटोनी	
14	श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ	274
15	श्री खगेन दास	275
16	श्री रेवती रमण सिंह	276
	श्री उदयनराजे भोंसले	
17	श्री वरुण गांधी	277
18	श्रीमती भावना पाटील गवली	278
	श्री विष्णुदेव साय	279
19	श्री वीरेन्द्र कश्यप	
	श्री कमल किशोर 'कमांडो'	
20	श्री हरिन पाठक	280

अतारांकित प्रश्नों की सदस्यवार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1	श्री अधलराव पाटील शिवाजी	3109, 3152, 3182, 3212
2	श्री सुवेन्दु अधिकारी	3163
3	श्री आनंदराव अडसुल	3152, 3182, 3212
4	श्री जय प्रकाश अग्रवाल	3082, 3175, 3079
5	श्री राजेन्द्र अग्रवाल	3090
6	श्री हंसराज गं. अहीर	3056, 3061, 3153, 3207
7	श्री बदरूद्दीन अजमल	3000, 3190
8	डॉ. रतन सिंह अजनाला	3090, 3160
9	श्री अनंत कुमार	3160, 3172
10	श्री अनंत कुमार हेगड़े	3092, 3147
11	श्री सुरेश अंगड़ी	3021, 3156, 3180
12	श्री घनश्याम अनुरागी	3101
13	श्री जयवंत गंगाराम आवले	3059, 3201

1	2	3
14	श्री कीर्ति आजाद	3082
15	श्री गजानन ध. बाबर	3002, 3182, 3212
16	श्रीमती हरसिमरत कौर बादल	3126, 3170
17	श्री विजय बहुगुणा	3090
18	श्री खिलाड़ी लाल बैरवा	2998, 3098, 3145
19	श्री रमेश बैस	3056, 3086, 3171
20	श्री कामेश्वर बैठा	3099, 3102
21	श्री प्रताप सिंह बाजवा	3042, 3049, 3078, 3198
22	डॉ. बलीराम	3147
23	डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क	3076
24	श्री पुलीन बिहारी बासके	3170
25	श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलिया	3209
26	श्री सुदर्शन भगत	3113
27	श्री उदयनराजे भोंसले	3069, 3152, 3079
28	श्री समीर भुजबल	3117
29	श्री भजन लाल	3156, 3220
30	श्री हेमानंद बिसवाल	3151
31	श्री सी. शिवासामी	3099, 3154
32	श्री हरीश चौधरी	3214
33	श्री जयंत चौधरी	3150, 3151, 3211
34	श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण	3025, 3184
35	श्री संजय सिंह चौहान	3099, 3157
36	श्री दारा सिंह चौहान	3008
37	श्री हरिश्चंद्र चव्हाण	3174
38	श्री एन.एस.वी. चित्तन	3156, 3157
39	श्री भूदेव चौधरी	3086, 3113
40	श्रीमती श्रुति चौधरी	3040, 3154, 3197
41	श्री अधीर चौधरी	3020
42	श्री भक्त चरण दास	3055, 3090
43	श्री राम सुन्दर दास	3163
44	श्री गुरुदास दासगुप्त	3050
45	श्रीमती दीपा दासमुंशी	3063
46	श्री रमेन डेका	3138
47	श्रीमती रमा देवी	3049, 3114, 3173
48	श्री के.पी. धनपालन	3047, 3165
49	श्री आर. ध्रुवनारायण	3001, 3163, 3194
50	श्रीमती ज्योति धुर्वे	3015, 3099, 3148, 3154, 3202
51	श्री निशिकांत दुबे	3107, 3133, 3154
52	श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर	3155
53	श्रीमती प्रिया दत्त	3045, 3050
54	श्री निनोंग ईरिंग	3158
55	श्री पी.सी. गद्दीगौदर	3157, 3218
56	श्री एकनाथ महादेव गायकवाड	3050, 3108, 3156

1	2	3
57	श्रीमती मेनका गांधी	3065
58	श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी	3036, 3151, 3173
59	श्री ए. गणेशमूर्ति	2991, 3187
60	श्री माणिकराव होडल्या गावित	3060
61	श्री राजेन गोहैन	3050
62	श्री एल. राजा गोपाल	3054
63	श्री शिवराम गौडा	3073
64	श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा	3081, 3129, 3156, 3160
65	शेख सैदुल हक	3050
66	श्री महेश्वर हजारी	3011, 3056, 3113, 3176
67	श्री सैयद शाहनवाज हुसैन	2999, 3165, 3177
68	शेख नूरुल इस्लाम	3152
69	श्री गोरख प्रसाद जायसवाल	3152
70	श्री बद्रीराम जाखड़	2998, 3098, 3145
71	श्रीमती दर्शना जर्दोश	3050, 3149, 3164
72	श्रीमती पूनम वेलजीभाई जाट	3135, 3149, 3164
73	श्री हरिभाऊ जावले	3150
74	श्री नवीन जिन्दल	3022, 3181
75	श्री महेश जोशी	3203
76	डॉ. मुरली मनोहर जोशी	3154
77	श्री प्रहलाद जोशी	3100, 3161

1	2	3
78	श्री दिलीप सिंह जूदेव	3011
79	श्री पी. करुणाकरन	3047, 3050, 3084
80	श्री कपिल मुनि करवारिया	3037, 3163, 3171
81	श्री वीरेन्द्र कश्यप	3147
82	श्री राम सिंह कस्वां	3141, 3152
83	श्री लाल चंद कटारिया	3156
84	श्री नलिन कुमार कटील	3044
85	श्री रमेश विश्वनाथ काट्टी	3076, 3080
86	श्री कौशलेन्द्र कुमार	3068, 3151, 3167
87	श्री चंद्रकांत खैरे	3085
88	श्री हसन खान	3028, 3186
89	डॉ. कृपारानी किल्ली	3106
90	डॉ. किरोड़ी लाल मीणा	3118
91	श्री कमल किशोर 'कमांडो'	3157
92	श्री सोमाभाई गंडालाल कोली पटेल	3130
93	श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे	3043
94	श्री मिथिलेश कुमार	3010
95	श्री विश्व मोहन कुमार	3154
96	श्री अर्जुन मुंडा	3079
97	श्री पी. कुमार	3110
98	श्री शैलेन्द्र कुमार	3035, 3195
99	श्री यशवंत लागुरी	3122
100	श्री पी. लिंगम	3050
101	श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम	2994, 3164, 3191

1	2	3
102	श्रीमती सुमित्रा महाजन	3048
103	श्री सतपाल महाराज	3050, 3112, 3124, 3157
104	श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो	3068, 3154, 3160
105	श्री नरहरि महतो	3064, 3094, 3166
106	श्री भर्तृहरि महताब	3127, 3156
107	श्री प्रदीप माझी	3031, 3087, 3104, 3150, 3206
108	श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार	3018
109	श्री मंगनी लाल मंडल	3149
110	श्री हरि मांझी	3171
111	श्रीमती इन्ग्रिड मैक्लोड	3062
112	श्री रघुवीर सिंह मीणा	3140
113	श्री दत्ता मेघे	3063, 3160, 3204
114	श्री अर्जुन राम मेघवाल	3147, 3204
115	श्री भरत राम मेघवाल	3145
116	श्री महाबल मिश्रा	3112
117	श्री गोविन्द प्रसाद मिश्र	3053
118	श्री विलास मुत्तेमवार	3134
119	श्री सुरेन्द्र सिंह नागर	3016, 3147
120	श्री देवेन्द्र नागपाल	3090
121	श्री श्रीपाद येसो नाईक	3100
122	डॉ. संजीव गणेश नाईक	3069
123	श्री नारनभाई कछाड़िया	3084, 3154

1	2	3
124	श्री सोनवणे प्रताप नारायणराव	3121
125	कुमारी मीनाक्षी नटराजन	3058, 3169
126	श्री असादूद्दीन ओवेसी	3006, 3049, 3050, 3150, 3157
127	श्री पी.आर. नटराजन	3149, 3210
128	श्री वैजयंत पांडा	3159, 3160, 3077
129	श्री प्रबोध पांडा	3038, 3081, 3150, 3196
130	श्री राकेश पाण्डेय	3070
131	श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय	3067
132	कुमारी सरोज पाण्डेय	3034, 3090
133	डॉ. विनय कुमार पाण्डेय	3123, 3171
134	श्री जयराम पांगी	3168
135	श्री आनंद प्रकाश परांजपे	3050, 3108, 3156
136	डॉ. प्रसन्न कुमार पाटसाणी	2993
137	श्री देवजी एम. पटेल	3015, 3090
138	श्री आर.के. सिंह पटेल	3162
139	श्रीमती जयश्रीबेन पटेल	3056, 3064
140	श्री किसनभाई वी. पटेल	3031, 3087, 3104, 3150, 3154
141	श्री लालूभाई बाबूभाई पटेल	3071, 3084
142	श्री संजय दिना पाटील	3069
143	श्री ए.टी. नाना पाटील	3023, 3061, 3200
144	श्रीमती भावना पाटील गवली	3155

1	2	3
145	श्री सी.आर. पाटिल	3164
146	श्री दानवे रावसाहेब पाटील	3160
147	श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर	3050, 3108, 3156
148	डॉ. पद्मसिंह बाजीराव पाटील	3091
149	श्रीमती कमला देवी पटले	3067
150	श्री पोन्नम प्रभाकर	3192
151	श्री नित्यानंद प्रधान	3159, 3160, 3077
152	श्री प्रेमचन्द गुड्डू	3156
153	श्री प्रेमदास	3150
154	श्री पन्ना लाल पुनिया	3055, 3162
155	श्री विट्ठलभाई हंसराजभाई रादड़िया	3169
156	श्री एम.के. राघवन	3111, 3157
157	श्री बी.वाई. राघवेन्द्र	3024, 3075, 3090, 3183, 3146
158	श्री अब्दुल रहमान	3078, 3081, 3119, 3171
159	श्री रमाशंकर राजभर	3143, 3150
160	श्री सी. राजेन्द्रन	3083
161	श्री पूर्णमासी राम	3139
162	श्री रामकिशुन	3064, 3068, 3095, 3167
163	श्री जगदीश सिंह राणा	3019, 3178
164	श्री कादिर राणा	3004, 3075
165	श्री निलेश नारायण राणे	3046
166	डॉ. के.एस. राव	3090

1	2	3
167	श्री रायापति सांबासिवा राव	3017
168	श्री जे.एम. आरुन रशीद	3103
169	श्री रामसिंह राठवा	3013, 3050, 3152, 3172
170	डॉ. रत्ना डे	3154
171	श्री अशोक कुमार रावत	2992, 3064, 3179
172	श्री अर्जुन राय	3154
173	श्री विष्णु पद राय	2997, 3193
174	श्री रुद्र माधव राय	2993, 3156, 3220
175	श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी	3075, 3150, 3153
176	श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी	3215
177	श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी	2996, 3064, 3156, 3189
178	श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी	3132, 3158
179	श्री नृपेन्द्र नाथ राय	3064, 3094, 3166
180	श्री एस. सेम्मलई	3144, 3220
181	श्री एस. पक्कीरप्पा	3090, 3160
182	श्री एस.आर. जेयदुरई	3142
183	श्री एस.एस. रामासुब्बू	3039
184	श्री चन्दू लाल साहू	3090
185	श्री विष्णु देव साय	3170
186	श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना	3148
187	श्री तूफानी सरोज	3213
188	श्री तथागत सत्पथी	3081, 3158

1	2	3
189	श्री हमदुल्लाह सईद	3146
190	श्री अर्जुन चरण सेठी	3115
191	श्री एम.आई. शानवास	3105, 3168
192	श्रीमती जे. शांता	3032, 3107, 3216
193	श्री जगदीश शर्मा	3079
194	श्री नीरज शेखर	3049, 3078 3147, 3154, 3156
195	श्री सुरेश कुमार शेटकर	3012, 3156
196	श्री राजू शेट्टी	3033
197	श्री एंटो एंटोनी	3216
198	श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ला	3131, 3171
199	श्री नवजोत सिंह सिद्धू	3093
200	डॉ. भोला सिंह	3026, 3161
20	श्री भूपेन्द्र सिंह	3003, 3079 3090, 3169, 3185,
202	श्री दुष्यंत सिंह	3098, 3145, 3152
203	श्री गणेश सिंह	3027
204	श्री इज्यराज सिंह	3005, 3152, 3214
205	श्री जगदानंद सिंह	3087, 3158
206	श्री के.सी. सिंह 'बाबा'	3014, 3055, 3075
207	श्रीमती मीना सिंह	3096
208	श्री पशुपति नाथ सिंह	3107

1	2	3
209	श्री प्रदीप कुमार सिंह	3075
210	श्री राधा मोहन सिंह	3116
211	डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह	3150
212	श्री राकेश सिंह	3022
213	श्री रवनीत सिंह	3029, 3050, 3154
214	श्री सुशील कुमार सिंह	3137
215	श्री उदय सिंह	3134, 3149, 3154
216	श्री यशवीर सिंह	3049, 3078 3147, 3154, 3156
217	चौ. लाल सिंह	3157
218	श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह	3092
219	श्री उदय प्रताप सिंह	3156
220	डॉ. संजय सिंह	3178
221	श्री राजय्या सिरिसिल्ला	2993, 3085, 3097
222	डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी	3088, 3150, 3184
223	श्री मनकसिंह सोलंकी	3056
224	श्री ई.जी. सुगावनम	3007, 3118, 3188, 3210
225	श्री के. सुगुमार	3156, 3157
226	श्रीमती सुप्रिया सुले	3069
227	श्री कोडिकुन्नील सुरेश	3009
228	श्री एन. चलुवरया स्वामी	3082, 3092, 3154
229	श्री मानिक टैगोर	3057, 3205

1	2	3
230	श्री सुरेश काशीनाथ तवारे	3074, 3158
231	श्री मनीष तिवारी	3219
232	श्री अनुराग सिंह ठाकुर	3030, 3147
233	श्री आर. थामराई सेलवन	3149, 3154
234	डॉ. एम. तम्बिदुरई	3154
235	डॉ. शशी थरूर	3120
236	श्री पी.टी. थॉमस	2995
237	श्री मनोहर तिरकी	3018
238	श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी	3128
239	श्री नरेन्द्र सिंह तोमर	3041
240	श्री लक्ष्मण टुडु	3114, 3152
241	श्री शिवकुमार उदासी	3165
242	श्रीमती सीमा उपाध्याय	3072
243	श्री मनसुखभाई डी. वसावा	3122, 3169
244	डॉ. पी. विश्वनाथन	3081

1	2	3
245	श्री वीरेन्द्र कुमार	3052, 3208
246	श्री अदगुरु विश्वनाथ	3055, 3125
247	श्री पी. विश्वनाथन	3089
248	श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे	3051, 3075, 3131, 3199
249	श्री अंजनकुमार एम. यादव	3049
250	श्री धर्मेन्द्र यादव	3002, 3109, 3182, 3212
251	श्री दिनेश चन्द्र यादव	3147
252	श्री ओम प्रकाश यादव	3090, 3136, 3171
253	प्रो. रंजन प्रसाद यादव	3066
254	श्री हुक्मदेव नारायण यादव	3217
255	श्री मधु गौड यास्खी	3152, 3212
256	योगी आदित्यनाथ	3064, 3160

अनुबंध–II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय वार अनुक्रमणिका

कृषि	:	264, 265, 276
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	:	262, 273, 275, 277
संस्कृति	:	266, 267, 272
उत्तर–पूर्व क्षेत्र विकास	:	271, 274
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	:	263
गृह	:	270, 280
आवास और शहरी गरीबी उपशमन	:	279
सूचना और प्रसारण	:	261, 278
शहरी विकास	:	268
युवा कार्यक्रम और खेल	:	269

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय वार अनुक्रमणिका

कृषि	:	3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3009, 3017, 3018, 3027, 3039, 3044, 3046, 3047, 3061, 3067, 3070, 3073, 3074, 3075, 3084, 3088, 3089, 3101, 3105, 3107, 3108, 3113, 3116, 3125, 3127, 3135, 3140, 3141, 3153, 3163, 3168, 3170, 3174, 3178, 3182, 3183, 3184, 3193, 3197, 3207, 3209, 3214, 3215
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	:	3013, 3019, 3024, 3026, 3029, 3031, 3038, 3040, 3042, 3045, 3048, 3079, 3080, 3087, 3092, 3110, 3124, 3126, 3131, 3149, 3150, 3154, 3155, 3158, 3160, 3164, 3179, 3189, 3196, 3216
संस्कृति	:	3034, 3041, 3043, 3103, 3136, 3159, 3165, 3177, 3185, 3195, 3198, 3220
उत्तर–पूर्व विकास	:	
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	:	3090, 3114, 3128, 3151, 3152, 3180, 3191, 3194, 3212
गृह	:	2991, 2993, 2996, 2997, 3001, 3012, 3023, 3028, 3032, 3050, 3053, 3056, 3058, 3062, 3064, 3065, 3066, 3068, 3071, 3076, 3077, 3081, 3086, 3096, 3100, 3104, 3115, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3129, 3134, 3138,

		3139, 3142, 3143, 3146, 3147, 3148, 3161, 3167, 3171, 3190, 3192, 3201, 3202, 3205, 3210, 3218, 3219
आवास और शहरी गरीबी उपशमन	:	2994, 2995, 3000, 3022, 3036, 3049, 3054, 3059, 3093, 3102, 3106, 3123, 3132, 3157
सूचना और प्रसारण	:	2992, 3002, 3008, 3015, 3021, 3025, 3030, 3033, 3051, 3082, 3083, 3091, 3094, 3095, 3162, 3166, 3176, 3186, 3199, 3204, 3213
शहरी विकास	:	2998, 2999, 3010, 3014, 3020, 3035, 3052, 3057, 3060, 3069, 3072, 3078, 3085, 3097, 3098, 3109, 3111, 3112, 3130, 3133, 3137, 3145, 3156, 3169, 3175, 3187, 3188, 3200, 3203, 3206, 3208, 3211, 3217
युवा कार्यक्रम और खेल	:	3011, 3016, 3037, 3055, 3063, 3099, 3144, 3172, 3173, 3181

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद–विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी. वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद–विवाद के मूल संस्करण, वाद–विवाद के हिन्दी संस्करण और वाद–विवाद के अंग्रेजी संस्करण, तथा संसद के अन्य प्रकाशन तथा संसद के प्रतीक चिन्ह युक्त स्मारक मदें **विक्रय फलक, स्वागत कार्यालय, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 (दूरभाष : 23034726, 23034495, 23034496)** पर बिक्री के लिए उपलब्ध है। इन प्रकाशनों की जानकारी उपर्युक्त वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

पी.एल.एस.–48/21/14/2011 (एन.)
230

© 2011 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (तेरहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और सनलाईट प्रिन्टर्स, नई दिल्ली – 110002 द्वारा मुद्रित।